

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

मुद्रा एवं मौद्रिक संस्थाएँ

(अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय आय एवं राजस्व सहित)

[भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए]

(चतुर्दश संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण)

प्रकाशक

ज्ञानदा प्रकाशन

पटना-800004

शाखाएँ :-

दिल्ली-4837/2 असातो रोड, 24 दरियागज,

दिल्ली 6

मुजफ्फरपुर-अशोक मार्केट, मोतीकौल,

मुजफ्फरपुर

भारा-महाराबा रोड, भारा

राँची-एस० एन० गागुलो रोड राँची

भायलपुर-ग्रहदारा रोड भायलपुर 2

गया-पीर मसूर रोड गया

[मूल्य रु० 20 00 मात्र]

सर्वाधिकार लेखकाधीन

प्रथम	संस्करण	सितम्बर, 1960
द्वितीय	संस्करण	: अक्टूबर, 1961
तृतीय	संस्करण	सितम्बर, 1962
चतुर्थ	संस्करण	: जुलाई, 1963
पंचम	संस्करण	जुलाई, 1964
षष्ठ	संस्करण	: जुलाई, 1965
सातम	संस्करण	जुलाई, 1966
अष्टम	संस्करण	जनवरी 1968
नवम	संस्करण	मार्च, 1969
दशम	संस्करण	जुलाई, 1970
एकादश	संस्करण	अगस्त, 1971
द्वादश	संस्करण	अगस्त, 1972
त्रयोदश	संस्करण	अगस्त, 1973
चतुर्दश	संस्करण	जुलाई 1975

(पूर्णतया सशोधित एवं परिवर्द्धित)

विषय-सूची

खंड 1 : मुद्रा

1. **मुद्रा का आविष्कार** 3-15
(The Invention of Money)
प्राक्कथन, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ, मुद्रा का विकास—
वस्तु मुद्रा, घात्विक मुद्रा, मुद्रा के रूप में बहुमूल्य धातुएँ, सिक्के, पत्र-मुद्रा,
चेक, निष्कर्ष ।
2. **मुद्रा की परिभाषा एवं कार्य** 16-25
(Definition and Functions of Money)
मुद्रा की परिभाषा—सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएँ, कार्यवाहक
परिभाषाएँ, बैज्ञानिक परिभाषाएँ, मुद्रा के कार्य—प्राथमिक कार्य, गौण
कार्य, आकस्मिक कार्य ।
3. **आर्थिक जीवन में मुद्रा का महत्त्व** 26-39
(Importance of Money in Economic life)
प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में मुद्रा का महत्त्व, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण
में दोष, आर्थिक जीवन में मुद्रा का महत्त्व, आर्थिक प्रणाली के नियन्त्रण के रूप
में मुद्रा का महत्त्व, आपोजित अथवा समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा-मुद्रा-
के गुण एवं अवगुण—मुद्रा के लाभ, मुद्रा के दोष, निष्कर्ष, मुद्रा की वास्तविक
प्रकृति ।
4. **मुद्रा का वर्गीकरण** 40-52
(Classification of Money)
मुद्रा के विभिन्न रूप—घात्विक मुद्रा एवं पत्र-मुद्रा, घात्विक मुद्रा-प्रामाणिक
सिक्के, साकेतिक सिक्के, पत्र-मुद्रा, प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा, प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा
के गुण, प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा के दोष, परिवर्तनीय पत्र-मुद्रा, परिवर्तनीय पत्र-
मुद्रा के गुण, परिवर्तनीय पत्र-मुद्रा के दोष, अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा—अपरि-
वर्तनीय पत्र-मुद्रा के गुण, अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा के दोष, पत्र-मुद्रा के गुणा-
वगुण, पत्र-मुद्रा के लाभ, वास्तविक मुद्रा तथा हिवार की मुद्रा, विधिग्राह्य-मुद्रा
तथा ऐच्छिक मुद्रा, अपरिमित विधि-ग्राह्य मुद्रा, परिमित-विधि-ग्राह्य-मुद्रा,
ऐच्छिक मुद्रा, अच्छे मुद्रा-पदार्थ के गुण, प्रेशम का नियम ।
5. **बैंकों की प्रकृति एवं कार्य** 53-60
(The Nature and Functions of Bank)
प्राक्कथन, बैंको का विकास, बैंक की परिभाषा, आधुनिक बैंको के कार्य एवं
सेवाएँ—प्राथमिक कार्य, सामान्य उपयोगिता-सम्बन्धी कार्य, एजेन्सी-सम्बन्धी
कार्य ।
6. **बैंक-जमा का सृजन** 61-68
(The Creation of Bank Deposit)
बैंक-जमा अथवा साक्ष का महत्त्व, बैंक-जमा सृजन के तरीके, बैंक जमा
अथवा साक्ष-सृजन की शक्ति की सीमाएँ, नकद कोष का अनुपात, जमानत की
प्रकृति, प्राथमिक जमा की मात्रा, केन्द्रीय बैंक की माय-नीति ।

7. मुद्रा का मूल्य (Value of Money) 69-71

मुद्रा के मूल्य का अर्थ, सामान्य मूल्य-तल, मुद्रा का थोक मूल्य, मुद्रा का फुटकर मूल्य, मुद्रा का अम-मूल्य, मुद्रा के मूल्य-सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्न ।

8. निर्देशांक (Index Number) 72-81

प्राक्कथन, निर्देशांक किसे कहते हैं ? निर्देशांक का निर्माण, आधार वर्ष का चुनाव, वस्तुओं एवं सेवाओं का चुनाव, मूल्यों का सकलन, मूल्यों को प्रतिशत में दिखलाना, भारशील निर्देशांक, निर्देशांक बनाने की कठिनाइयाँ, निर्देशांकों के विभिन्न प्रकार, निर्देशांकों की उपयोगिता ।

9. मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन (Changes in the Value of Money) 82-89

प्राक्कथन, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का समाज में विभिन्न वर्गों पर प्रभाव, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का धन का वितरण पर प्रभाव, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का उत्पादन पर प्रभाव, निष्कर्ष ।

10. मुद्रा का परिमाण सिद्धांत (The Quantity Theory of Money) 90-106

प्राक्कथन, सिद्धांत का प्राचीन रूप, परिमाण सिद्धांत का आदान-प्रदान रूप, मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की मांग, फिशर का समीकरण, फिशर का समीकरण को मान्यताएँ, मुद्रा की पूर्ति के निर्धारक तत्व, मुद्रा के क्रय-प्रवाह के निर्धारक तत्व, क्रय-विक्रय के परिमाण के निर्धारक तत्व, फिशर के सिद्धांत को आलोचनाएँ, परिमाण सिद्धांत में सत्यता का अर्थ ।

11. परिमाण सिद्धांत का कैम्ब्रिज रूप अथवा मुद्रा-संचयन दृष्टिकोण (Cash Balance Approach) 107-115

प्राक्कथन, मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की मांग, कैम्ब्रिज समीकरण, मार्शल का समीकरण, रावर्टसन का समीकरण, प्रो० पीगू का समीकरण, केन्स की मुद्रा की मांग की धारणा, फिशर एवं कैम्ब्रिज विचारधारा में अन्तर, कैम्ब्रिज समीकरण की आलोचनाएँ, कैम्ब्रिज समीकरण में केन्स द्वारा संशोधन ।

12. मुद्रा का आय सिद्धांत (The Income Theory of Money) 116-126

परिमाण सिद्धांत में पून दोष, आय का प्रभाव, टूक के विचार, विकसेल के विचार, अफनालियन के विचार, केन्स के मौलिक सिद्धांत, केन्स के मौलिक समीकरण, केन्स के मौलिक समीकरणों की आलोचना, जेनरल थियरी में केन्स के विचार ।

13. बचत एवं विनियोग सिद्धांत (Saving and Investment Theory) 127-135

प्राक्कथन, प्रतिष्ठित दृष्टिकोण, स्वीडेन के अधशास्त्रियों का दृष्टिकोण, रावर्टसन का दृष्टिकोण, वन्स का दृष्टिकोण—केन्स के प्रारम्भिक विचार, केन्स के बाद के विचार, बचत एवं विनियोग सिद्धांत की परिमाण सिद्धांत से तुलना ।

प्राक्कथन, व्यापार-चक्र का अर्थ, व्यापार-चक्र की विशेषताएँ, व्यापार-चक्र की प्रावस्थाएँ, व्यापार-चक्र के कारण, व्यापार-चक्र के विभिन्न सिद्धांत—1 जलवायु-सम्बन्धी सिद्धांत, 2 व्यापार-चक्र-सम्बन्धी मौद्रिक सिद्धांत, 3 हॉन्सन का अति-वचन सिद्धांत, 4 केन्स का सिद्धांत, 5 मॅकडो जेला सिद्धांत, 6. हॉयक का व्यापार-चक्र-सम्बन्धी सिद्धांत, 7. गुन्गीनर का सिद्धांत, 8. हिम्स का सिद्धान्त, व्यापार-चक्र के निदान ।

खण्ड 2 : बैंकिंग

व्यावसायिक बैंकों का संगठन

(Organisation of Commercial Banks)

प्राक्कथन, शाखा एव एकक बैंकिंग प्रणाली, शाखा एव एकक बैंकिंग प्रणाली के गुण एव दोष—शाखा बैंकिंग प्रणाली के गुण-दोष, एकक बैंकिंग प्रणाली के गुण-दोष भारत एव शाखा बैंकिंग प्रणाली, विभिन्न देशों में व्यावसायिक बैंकों का संगठन—इंग्लैंड मयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस जर्मनी तथा भारतवर्ष की बैंकिंग प्रणाली का संक्षिप्त विवरण बैंको का समाशोषण गृह ।

व्यावसायिक बैंको का स्थिति-विवरण या तल-पट

(Balance sheet of Commercial Bank)

बैंक के तल-पट का अर्थ, बैंक के तल-पट का नमूना, व्यावसायिक बैंको का दायित्व, व्यावसायिक बैंक के साधन या सम्पत्ति ।

व्यावसायिक बैंकों के साधनों का वितरण

(Distribution of the Assets of Commercial Banks)

बैंक के साधनों के विवरण का आधिक महत्त्व, व्यावसायिक बैंको के सिद्धान्त, साधनों की तरलता, लाभदायकता, साधनों की सुरक्षा, बैंक के ऋणों की मांग में परिवर्तन ।

साख-पत्र




(Credit Instrument)

साख क्या है ? साख क आवश्यक तत्व, विभिन्न प्रकार के साख-पत्र, बैंक, विनिमय-बिल, प्रतिज्ञा-पत्र या रुक्का, हुण्डी, बैंक ड्राफ्ट, साख प्रमाण-पत्र, ग्यारंटी, के चेक, पुस्तकीय साख, साख के कार्य एव उपयोगिता, साख की हानियाँ ।

लंदन तथा न्यूयार्क मुद्रा-बाजार

(London & New York Money Market)

मुद्रा-बाजार का अर्थ, मुद्रा-बाजार का आर्थिक महत्त्व, लंदन मुद्रा-बाजार—लंदन मुद्रा-बाजार की निर्मायक संस्थाएँ, स्वीकृति-गृह, बट्टा-गृह, बिल-ब्रोकर, प्रचलित दलाल, लंदन मुद्रा-बाजार की कार्य-प्रणाली, विनिमय बिल, ट्रेजरी बिल, अल्पकालीन सरकारी ऋण-पत्र, लंदन के मुद्रा-बाजार के अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व में कमी, लंदन मुद्रा-बाजार में आधुनिक समय में परिवर्तन, न्यूयार्क का मुद्रा-बाजार—व्यावसायिक विपत्र, विनिमय बिल, ट्रेजरी सर्टिफिकेट, शेयर-बाजार को दिया जाने वाला ऋण, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र के रूप में न्यूयार्क मुद्रा-बाजार ।

20.  भारतीय मुद्रा-बाजार 199-204
(The Indian Money Market)
मुद्रा-बाजार का अर्थ, भारतीय मुद्रा-बाजार की प्रधान विशेषताएँ, भारतीय मुद्रा-बाजार की निर्मायक सस्थाएँ, भारतीय मुद्रा-बाजार के विभिन्न भ्रम, भारतीय मुद्रा-बाजार के मुख्य दोष, भारतीय मुद्रा-बाजार के दोषों को दूर करने के सुझाव, भारत में विल बाजार, रिजर्व बैंक के बिल-बाजार की योजना ।
21. केन्द्रीय बैंकिंग 205-212
(Central Banking)
केन्द्रीय बैंक का आशय, विकास, केन्द्रीय एव व्यावसायिक बैंकों में मूल अन्तर, बैंक ऑफ इंग्लैंड, फेडरल रिजर्व प्रणाली, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, अन्य देशों के केन्द्रीय बैंक ।
22. केन्द्रीय बैंक के कार्य 213-226
(Functions of Central Bank)
केन्द्रीय बैंक के कार्य—पत्र-मुद्रा जारी करने का कार्य, पत्र मुद्रा जारी करने के सिद्धांत—करेंसी सिद्धांत—गुण एव दोष, बैंकिंग सिद्धांत—गुण-दोष, नोट जारी करने की रीतियाँ, पत्र-मुद्रा जारी करने की कौन-सी रीति सबसे अच्छी है ? भारत में नोट जारी करने की प्रणाली, केन्द्रीय बैंक का सरकार के बैंकर, एजेंट एव सलाहकार के रूप में कार्य, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य, देश की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संरक्षक, अन्तिम सहायक के रूप में कार्य, बैंक ऑफ इंग्लैंड का अन्तिम सहायक के रूप में कार्य, समाशोधन गृह के रूप में कार्य, साख-नियंत्रण का कार्य, निष्कर्ष ।
23. साख का नियंत्रण 227-231
(Credit Control)
प्राक्कथन, साख-नियंत्रण की आवश्यकता, साख-नियंत्रण के उद्देश्य, साख-नियंत्रण की नीति की सफलता की शर्तें, साख-नियंत्रण के तरीके ।
24. बैंक-दर का सिद्धांत 232-240
(The Theory of Bank Rate)
बैंक-दर का अर्थ, बैंक-दर के सिद्धांत का विकास, बैंक दर नीति का सिद्धांत, हार्द्रे की विचारधारा, केन्स की विचारधारा, 1914 ई० के बाद बैंक-दर नीति, बैंक-दर के महत्त्व में कमी के कारण, मुद्रा-बाजार की नीति में महान् परिवर्तन, आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन, साख-नियंत्रण के अन्य सप्रवाहिक साधनों का अधिकाधिक प्रयोग, सस्ती मुद्रा नीति का समावेश, बैंक-दर के महत्त्व में पुनः वृद्धि, अर्द्ध-विकसित देशों में बैंक-दर नीति ।
25. खुले बाजार की नीति 241-247
(Open Market Operation)
खुले बाजार कार्यक्रम का अर्थ, खुले बाजार कार्यक्रम का विकास, खुले बाजार की नीति का सिद्धांत, खुले बाजार की नीति की सफलता की शर्तें, खुले बाजार की नीति का क्षेत्र, बैंक ऑफ इंग्लैंड की खुली-बाजार-नीति, फेडरल रिजर्व प्रणाली की खुली बाजार-नीति, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की खुली बाजार-नीति, बैंकों के नए कोष के अनुपात में परिवर्तन ।

26. गुणात्मक नियंत्रण के तरीके 248-253
(Methods of Qualitative or Selective Credit Control)
गुणात्मक नियंत्रण का अर्थ एवं उद्देश्य, गुणात्मक नियंत्रण के विभिन्न तरीके—साख की रेशनिंग के प्रत्यक्ष तथैके-नैतिक दबाव, उपभोक्ता की साख का नियंत्रण, प्रचार, शेयर बाजार के ऋण को सीमा में परिवर्तन करना, निष्कर्ष ।
27. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया 254-266
(Reserve Bank of India)
रिजर्व बैंक की स्थापना-विधान, प्रवन्ध, संगठन, रिजर्व बैंक के कार्य, साख-नियंत्रण, साख-नियंत्रण की नीति के अप्रभावपूर्ण होने के कारण, रिजर्व बैंक एवं कृषि-साख, रिजर्व बैंक औद्योगिक वित्त, रिजर्व बैंक के कार्यों का मूल्यांकन ।
28. बैंकों का राष्ट्रीयकरण 267-272
(Nationalisation of Banks)
प्राक्कथन, केन्द्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण, केन्द्रीय बैंक के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण—राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क—कार्य-समन्वय-सम्बन्धी तर्क, एकीकरण-सम्बन्धी तर्क, मुद्रीकरण-सम्बन्धी तर्क, समाजीकरण-सम्बन्धी तर्क, व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में तर्क, निष्कर्ष ।
29. भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण 273-286
(Nationalisation of Commercial Banks in India)
प्राक्कथन, भारत में व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क, बैंकों का सामाजिक नियंत्रण, चौदह बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य, बैंकों के राष्ट्रीयकरण को सफल कैसे बनाया जाय ?, राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रगति ।
- खण्ड 3 : मौद्रिक एवं वित्तीय नीति
30. मौद्रिक नीति 289-305
(Monetary Policy)
प्राक्कथन, मौद्रिक नीति का आरोप, मौद्रिक-नीति के उद्देश्य-विनिमय-दर का स्थिरत्व, मूल्य-तल को स्थिर रखना, कीरे-कीरे बड़बेताला मूल्य-तल, तटस्थ मुद्रा, मौद्रिक नीति एवं पूर्ण रोजगार, मौद्रिक-नीति एवं आर्थिक विकास, अतिन विचार, अर्द्ध-विकसित देशों के लिए मौद्रिक-नीति, अर्द्ध-विकसित देशों के लिए मौद्रिक नीति की सीमाएँ ।
31. सस्ती मुद्रा नीति 306-310
(Cheap Money Policy)
प्राक्कथन, सस्ती मुद्रा-नीति का अर्थ, निम्न सूद की दर के पक्ष में तर्क, सस्ती मुद्रा-नीति के विपक्ष में तर्क, व्यवहार में सस्ती मुद्रा-नीति ।
32. प्रशुल्क नीति 311-317
(Fiscal Policy)
प्राक्कथन, राजकीय बजट तथा आर्थिक क्रियाएँ, प्रशुल्क नीति के उद्देश्य—प्रशुल्क नीति तथा आर्थिक विकास, प्रशुल्क नीति एवं आर्थिक स्थायित्व, प्रशुल्क नीति एवं आर्थिक समानता, मौद्रिक एवं प्रशुल्क नीतियों में सम्बन्ध ।

33. प्रशुल्क नीति एवं पूर्ण रोजगार (Fiscal Policy and Full Employment) 318-324-

पूर्ण रोजगार के सम्बन्ध में प्रमुख नीति का प्रतिष्ठित मत, केन्स के विचार, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए प्रशुल्क नीति-सार्वजनिक व्यय तथा पूर्ण रोजगार, करारोपण एवं पूर्ण रोजगार, सार्वजनिक ऋण तथा पूर्ण रोजगार, निष्कर्ष ।

34. मुद्रा-स्फीति एवं मुद्रा-संकुचन का कारण एवं निदान (Inflation and Deflation Causes and Cure) 325-337

प्राक्कथन, मुद्रा-स्फीति का अर्थ, मुद्रा-स्फीति के विभिन्न रूप, मुद्रा-स्फीति के कारण, मुद्रा-स्फीति के परिणाम, मुद्रा-स्फीति का नियंत्रण, मुद्रा-संकुचन का अर्थ, मुद्रा-संकुचन के कारण, मुद्रा-संकुचन के परिणाम, मुद्रा-संकुचन का नियंत्रण, मुद्रा-संस्फीति एवं मुद्रा-विस्फीति ।

35. केन्स का सामान्य सिद्धांत (Keynes' General Theory) 338-357

प्राक्कथन, केन्स एवं प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र, रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत, प्रभावपूर्ण माग का सिद्धांत, प्रभावपूर्ण माग के निर्धारक तत्व, उपभोग प्रवृत्ति, विनियोग की प्रेरणा या विनियोग क्रिया, पूँजी की सीमांत क्षमता, ब्याज की दर, विनियोग एवं उपभोग में सम्बन्ध, आय एवं व्यय में सम्बन्ध, गुणक, गति बद्धक सिद्धांत, जेनरल थियरी का व्यावहारिक महत्त्व ।

खण्ड 4 : अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणालियाँ एवं सस्थाएँ

36. (1) स्वर्ण-मान (Gold Standard) 358-381

प्राक्कथन, स्वर्ण-मान क्या है? स्वर्ण-मान के विभिन्न रूप, स्वर्ण-चलन मान—विशेषताएँ, स्वर्ण-चलन मान के लाभ, स्वर्ण चलन मान के दोष, स्वर्ण धातु मान—विशेषताएँ, स्वर्ण-धातु मान के लाभ, स्वर्ण-धातु मान के दोष, स्वर्ण-विनिमय मान—विशेषताएँ, स्वर्ण-विनिमय मान के गुण, स्वर्ण-विनिमय मान के दोष, स्वर्ण-मान के कार्य अथवा उद्देश्य, स्वर्ण मान के लाभ, स्वर्ण-मान की हानियाँ, अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान की संचालन विधि, दोनों विश्व युद्धों के बीच का स्वर्ण-मान, स्वर्ण-मान के सफल संचालन के लिए आवश्यक शर्तें—स्वर्ण-मान के पतन के कारण, स्वर्ण का भविष्य—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष में स्वर्ण का महत्त्व, निष्कर्ष ।

37. (2) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (International Monetary Fund) 382-398

प्राक्कथन, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्थापना, मुद्रा कोष एवं केन्द्रीय बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के उद्देश्य, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के साधन एवं पूँजी, कोष की व्यवस्था एवं संगठन, मुद्रा-कोष एवं विनिमय स्थायित्व, समता-दर में परिवर्तन, मुद्रा-कोष एवं विनिमय-नियंत्रण, मुद्रा-कोष के लेन-देन, अल्प मुद्राएँ, वायु के सावनों की तरलता, मुद्रा-कोष के कार्य, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष में स्वर्ण का स्थान, स्वर्ण-प्रमाण एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष में अन्तर, कोष की व्यवस्था एवं संगठन, मुद्रा-कोष के वास्तविक कार्य, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की आजीवनारम्भक समीक्षा, भारत एवं मुद्रा-कोष, अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या, विनियम आहरण अधिकार, बनेर योजना ।

38. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकासार्थ बैंक
(International Bank For Reconstruction and Development)
प्राक्कथन, अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के उद्देश्य, विश्व बैंक की पूंजी एवं इसके साधन, बैंक की पूंजी में वृद्धि, बैंक की व्यवस्था, बैंक का कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के कार्यों की समीक्षा, बैंक तथा अ विकसित एवं अर्द्ध-विकसित देश, बैंक की व्यवस्था, भारत एवं अन्तर्राष्ट्रीय बैंक । 399-408
39. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त-निगम एवं अन्तर्राष्ट्रीय विकास-संघ
प्राक्कथन, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अन्तर्राष्ट्रीय विकास-संघ । 409-410
40. अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या एवं विशेष आहरण अधिकार
(Problems of International Liquidity & S. D. R.)
प्राक्कथन, अन्तर्राष्ट्रीय तरलता का अर्थ, अन्तर्राष्ट्रीय तरलता के साधन, अन्तर्राष्ट्रीय तरलता का महत्त्व, तरल शोषों की पर्याप्तता, अन्तर्राष्ट्रीय तरलता में किस प्रकार वृद्धि की जाय ? विशेष आहरण अधिकार क्या है ? एस० डी० आर० योजना की विशेषताएँ, विकासशील देश एवं विशेष आहरण अधिकार, विशेष आहरण अधिकार की आलोचना । 411-420
41. विदेशी विनिमय (W)
(Foreign Exchange) 421-437
विदेशी विनिमय का अर्थ, विदेशी विनिमय-बाजार, विनिमय की दर—विनिमय की दर का अर्थ, विनिमय की दर का निर्धारण, विदेशी मुद्रा की मांग के कारण, विनिमय-दर की समता, स्वर्ण मान वाले देशों में विनिमय-दर, टक-समता का निर्धारण, टक-समता में परिवर्तन और अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा वाले देशों में विनिमय की दर, क्रय-शक्ति-साम्य सिद्धांत (Purchasing Power Parity Theory) —परिभाषा, व्याख्या, क्रय-शक्ति साम्य सिद्धांत की आलोचनाएँ, भुगतान-संतुलन का सिद्धान्त ।
42. विनिमय-नियंत्रण (W)
(Exchange Control) 438-448
विनिमय-नियंत्रण का अर्थ, विनिमय-नियंत्रण के उद्देश्य—अधिमूल्यन, अवमूल्यन, विनिमय-दर में होनेवाले परिवर्तनों को रोकना, विनिमय-नियंत्रण, के तरीके,—हस्तक्षेप, विनिमय-प्रतिबन्ध, विनिमय-नियंत्रण का वाणिज्य पर प्रभाव, विनिमय-सरकारी काय, जर्मनी का विनिमय-प्रतिबन्ध, परीक्षा तरीके, भारत में विनिमय-नियंत्रण, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-क्रोध तथा विनिमय-स्थायित्व ।
- खण्ड 5 : अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (S)
(International Trade)
42. (क) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की शत एवं लाभ
(Terms of International Trade) 451-463
प्राक्कथन, आन्तरिक एवं विदेशी व्यापार में समानता, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृथक् सिद्धांत की आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्पादन-व्यय का अन्तर, उत्पादन व्यय में पूर्ण अन्तर, समान अन्तर, उत्पादन-व्यय में तुलनात्मक अन्तर, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ की मात्रा के निर्धारक तत्त्व, व्यापार की शत, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के गुण एवं दोष ।

42. (ख) तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त (The Theory of Comparative Costs) 464-474

तुलनात्मक लागत का प्रतिष्ठित सिद्धान्त, रिकार्डों के सिद्धान्त में मिल द्वारा सशोधन, तुलनात्मक लागत के प्रतिष्ठित सिद्धान्त में आधुनिक सुधार, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धान्त, शास्त्रीय सिद्धान्त से श्रेष्ठ ।

42. (ग) भुगतान-संतुलन (Balance of Payments) 475-481

व्यापार-संतुलन एवं भुगतान-संतुलन में अन्तर, भुगतान-संतुलन का महत्त्व, भुगतान-संतुलन की मरि, भुगतान-संतुलन का साम्य, भुगतान-संतुलन में असमानता के कारण, भुगतान-संतुलन की असमानता को सुधारने के तरीके, भुगतान-संतुलन की विपक्षता को दूर करने के उपाय ।

42. (घ) स्वतन्त्र व्यापार बनाम संरक्षण (Free Trade VS Protection) 485-496

स्वतन्त्र व्यापार एवं संरक्षण में अन्तर, स्वतन्त्र व्यापार के सिद्धान्त का विकास, इंग्लैंड स्वतन्त्र व्यापार का नेता, संरक्षण की नीति का विकास, स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में तर्क, संरक्षण के पक्ष में तर्क, संरक्षण के विपक्ष में तर्क, संरक्षण प्रदान करने के तरीके ।

खण्ड 5 : भारतीय चलन एवं बैंकिंग प्रणाली का विकास एवं समस्याएँ

43. भारतीय चलन का इतिहास (History of the Indian Currency) 499-515

प्रारम्भिक इतिहास, 1835 ई० का भारतीय टर्कन अधिनियम एवं रजतमान, रजत-मान का पतन, हॉगल कमिटी, 1892 ई०, फाउलर कमिटी, 1898 ई०, स्वर्ण-विनिमय मान, स्वर्ण-विनिमय मान के गुण एवं दोष, 1913 ई० का चैम्बरलेन आयोग, प्रथम विश्व-युद्ध में भारतीय मुद्रा-प्रणाली, बैंकिंगटन स्मिथ कमिटी, हिल्टर यंग आयोग, मुद्रा-मान का प्रश्न, विनिमय की दर, स्टैबिलिटी विनिमय मान, स्वर्ण एवं रजत का निर्यात, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना, भारतीय पत्र-मुद्रा—प्रथम महायुद्ध का भारतीय पत्र-मुद्रा पर प्रभाव, पत्र-मुद्रा की वर्तमान प्रणाली, द्वितीय महायुद्ध और भारतीय मुद्रा, साम्राज्य डॉलर कोष, पीड-पावना, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष एवं भारतीय मुद्रा, रुपये का अवमूल्यन—1949 ई० में भारतीय रुपये के अवमूल्यन का प्रभाव, 1966 ई० में रुपये का अवमूल्यन, पंचवर्षीय योजनाओं में भारतीय मुद्रा ।

44. भारतीय रुपये का अवमूल्यन (Devaluation of the Indian Rupee) 516-522

अवमूल्यन का अर्थ, अवमूल्यन के उद्देश्य, 1949 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन, 1966 ई० में अवमूल्यन, भारतीय रुपये के अवमूल्यन के लिए उत्तरदायी परिस्थितियाँ, अवमूल्यन के सभावित प्रभाव—निर्यात पर प्रभाव, आयात पर प्रभाव, आन्तरिक मूल्य-तल पर प्रभाव ।

45. भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का विकास (Development of the Banking System in India) 523-529

प्रथम महायुद्ध तक बैंकिंग व्यवस्था का विकास, 1913-17 ई० का बैंकिंग-संरक्षक, बैंकों के टूटने के कारण, दोनों महायुद्धों के बीच वाले समय में बैंकों का विकास, द्वितीय महायुद्ध काल में बैंकिंग व्यवस्था, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के दोष तथा इसे सुदृढ़ बनाने के उपाय, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, जीवन बीमा निगम, बैंकों का सामाजिक नियन्त्रण प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण ।

46. **स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया** 530-534
(State Bank of India)

इम्पीरियल बैंक, स्टेट बैंक की पूँजी, प्रबन्ध, स्टेट बैंक के कार्य, केन्द्रीय बैंकिंग-सम्बन्धी कार्य, व्यावसायिक बैंक सम्बन्धी कार्य, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की प्रगति, स्टेट बैंक एवं ग्रामीण साक्ष, लघु उद्योगों को सहायता, निष्कर्ष ।

47. **भारत में मिश्रित पूँजी वाले बैंक (व्यावसायिक बैंक)** 535-540
(Joint Stock Banks in India)

प्राक्कथन, भारत में व्यावसायिक बैंकों के कार्य, व्यावसायिक बैंकों के विकास में कठिनाइयाँ एवं दोष, व्यावसायिक बैंकों के दोषों को दूर करने के सुझाव ।

खण्ड 6 : राष्ट्रीय आय

48. **राष्ट्रीय आय** 543-557
(National Income)

राष्ट्रीय आय की परिभाषा, प्रो० मार्शल के विचार, मार्शल के विचारों की आलोचना, पीगू के विचार, पीगू के विचारों की आलोचना, फिशर के विचार, फिशर के विचारों की आलोचना, राष्ट्रीय आय के अध्ययन का महत्त्व, राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक प्रगति, भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान, विभिन्न उद्योगों एवं सेवाओं से प्राप्त आय, अन्य देशों से तुलना, राष्ट्रीय आय समिति, पञ्चवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय आय, दीर्घकालीन प्रत्याशा, निष्कर्ष ।

खण्ड 7 : राजस्व

49. **राजस्व परिचय** 561-568
(Public Finance Introduction)

प्राक्कथन, राजस्व की परिभाषा, राजस्व की विषय सामग्री, राजस्व के मुख्य विभाग, वैयक्तिक वित्त-व्यवस्था एवं राजकीय वित्त व्यवस्था में अन्तर, राजस्व का क्षेत्र, अद्ध विकसित देशों में राजस्व ।

50. **अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत** 569-575
(The Principle of Maximum Social Advantage)

प्राक्कथन, अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत की व्याख्या, अधिकतम सामाजिक कल्याण की जाँच के आधार, सिद्धांत की सीमाएँ अथवा व्यावहारिक कठिनाइयाँ, श्रीमती हिक्स के विचार ।

51. **सार्वजनिक व्यय** 576-583
(Public Expenditure)

प्राक्कथन, आधुनिक समय में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण, सार्वजनिक व्यय के सिद्धान्त, सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण ।

52. **सार्वजनिक व्यय के आर्थिक प्रभाव** 584-587
(Economic Effects of Public Expenditure)

प्राक्कथन, सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर प्रभाव, सार्वजनिक व्यय का वितरण पर प्रभाव, आनुपातिक प्रगतिशील एवं प्रतिगामी व्यय, अन्य प्रभाव ।

53. **सार्वजनिक आय के विभिन्न साधन** 588-594
(Sources of Public Revenue)

प्राक्कथन, सार्वजनिक आय के विभिन्न साधन-कर, राजकीय रूपति एवं उद्योग, फीस, विशेष-निर्धारण, शीमत, जुर्माना एवं दण्ड, उपहार एवं अनुदान, सार्वजनिक आय का वर्गीकरण ।

54. **करारोपण के सिद्धांत** ✓ 595-602
(Principles of Taxation)

करारोपण के उद्देश्य, आदम रिमथ के कर के सिद्धांत, समानता या योग्यता का सिद्धांत, निश्चितता का सिद्धांत, सुविधा का सिद्धांत, मितव्ययिता का सिद्धांत, करारोपण के अन्य सिद्धान्त, उत्पादकता का सिद्धांत, लोच का सिद्धांत, सरलता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, एक अच्छी कर प्रणाली के गुण, एक-कर तथा बहु-कर प्रणाली ।

55. **कर-निर्धारण में समानता अथवा न्याय की समस्या** 603 609
(Principle of Justice or Equity in Taxation) ✓

प्राक्कथन, वित्तीय सिद्धांत, सेवा के मूल्य का सिद्धांत, कर-दान योग्यता का सिद्धांत, कर-दान क्षमता, कर-दान क्षमता क्या है ? कर-दान क्षमता के निर्धारक तत्व ।

56. **करों का वर्गीकरण** 610-620
(Classification of Taxes) ✓

प्राक्कथन, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष करों के गुण-दोष, अप्रत्यक्ष करों के गुण-दोष, आनुपातिक, प्रगतिशील एवं प्रतिगामी कर प्रगतिशील करों के गुण दोष, अर्द्ध-विकसित देशों में प्रगतिशीलता का सिद्धांत, विशिष्ट कर तथा मूल्यानुसार कर ।

57. **करारोपण के आर्थिक प्रभाव** 621 624
(Economic Effects of Taxation)

प्राक्कथन, करारोपण का उत्पादन पर प्रभाव, करारोपण का धन के वितरण पर प्रभाव, करारोपण का उपभोग पर प्रभाव, करारोपण एवं आर्थिक स्थायित्व ।

58. **कर का भार या करापात का सिद्धांत** ✓ 625 631
(Theory of Incidence of Taxation)

प्राक्कथन, कर-दवाव, कर भार और कर विवर्तन में अन्तर, कर-दवाव के अध्ययन का महत्व कर विवर्तन के सिद्धांत, कर-व्ययकरण सिद्धांत, प्रसार सिद्धांत, आधुनिक विचार, कर भार वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति की लोच पर निर्भर करता है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में कर भार, एकाधिकार की स्थिति में कर-भार एवं स्वामान्पन्न वस्तुएँ आयात तथा निर्यात करों का भार, आय-कर का भार, विक्री-कर का भार ।

59. **सार्वजनिक ऋण** 632-639
(Public Debt)

सार्वजनिक ऋण क्या है ? सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत ऋण में अन्तर, सार्वजनिक ऋण रिज रिज परिस्थितियों में न्यायमगत है ? सार्वजनिक ऋण के लाभ एवं दोष, सार्वजनिक ऋणों का वर्गीकरण, आन्तरिक एवं बाह्य, उत्पादक एवं अनुत्पादक ऋण, सार्वजनिक ऋण को कम करने या चुकाने के तरीके ।

60. **भारतीय वित्त-व्यवस्था** 640-655
(Indian Finance)
 केन्द्र एवं राज्यों के बीच आय के साधनों का वितरण, नये संविधान के वित्तीय उपबन्ध, प्रथम वित्त आयोग, द्वितीय वित्त आयोग, तृतीय वित्त आयोग, चतुर्थ वित्त आयोग, पंचम वित्त आयोग, षष्ठ वित्त आयोग, केन्द्र एवं राज्यों के बीच आय के वितरण की वर्तमान स्थिति ।
61. **केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों का आय-व्यय** 656-668
(Revenue & Expenditure of Central & State Govt.)
 केन्द्रीय सरकार की वित्त-व्यवस्था, 1975-76 ई० के बजट-सम्बन्धी अनुमान, केन्द्रीय सरकार के आय-व्यय का विवरण, केन्द्रीय सरकार की आय के प्रमुख साधन, केन्द्रीय सरकार के व्यय की प्रमुख मदें, राज्यों की वित्त-व्यवस्था, बिहार सरकार की आय एवं व्यय के साधन ।
- परिशिष्ट** **Important University Questions** 669-698
-

"Money is one of the most fundamental of all Man's inventions. Every branch of knowledge has its fundamental discovery. In mechanics, it is the wheel; in science fire; in politics the vote. Similarly, in economics, in the whole commercial side of Man's social existence, money is the essential invention on which all the rest is based"—*Crowther*.

* कुछ स्मरणीय उद्धरण *

1. "Money is that by the delivery of which debt-contracts and price-contracts are discharged and in the shape of which a store of general purchasing power is held" —Keynes.
2. "It is impossible for an economic system of any complexity to function with any reasonable degree of efficiency without a price mechanism" —Lerner.
3. "Thus money, which is a source of so many blessings to mankind, becomes also, unless we control it, a source of peril and confusion." —Robertson.
4. "Thus inflation is unjust and deflation is inexpedient; of the two perhaps deflation is the worse, because it is worse in an impoverished world to provoke unemployment than to disappoint the rentier." —Keynes.
5. "The modern tendency in economic thinking is, indeed, to discard the old notion of quantity of money as a determinant of the value of money."
6. "It is not true, as is often alleged, that the cash balance equation is merely the quantity theory in new algebraic dress." —Hansen.

अध्याय : 1

मुद्रा का आविष्कार

(The Invention of Money)

प्राक्कथन :—मानव एक चेतनशील प्राणी है। प्रारम्भ से ही वह उन वस्तुओं की खोज में रहा है जिनसे उसका जीवन बन सके। मुद्रा का आविष्कार भी मनुष्य के इन्ही प्रयासों का परिणाम है। मुद्रा के आविष्कार का इतिहास प्राग्भिक मानव की मानसिक शक्तियों का एक अत्यन्त रोचक अध्ययन प्रस्तुत करता है जिनकी सहायता से वह उन वस्तुओं का उपभोग करने में भी सफल हुआ जिनका वह प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन नहीं कर पाता था। मुद्रा का आविष्कार मानव जाति के व्यावसायिक जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। यदि सच पूछा जाय तो मुद्रा के विकास का इतिहास एक तरह से मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है।¹ मानव-सभ्यता के विकास के प्रारम्भ में उत्पादन-व्यवस्था स्वावलम्बन के आधार पर आधारित थी। मनुष्य अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं अपने-आप या अपने परिवार के सदस्यों की सहायता के द्वारा कर लिया करता था। किन्तु आर्थिक जीवन में विकास के साथ-साथ मानव की आवश्यकताएँ भी बढ़ती गयीं जिससे वह अपनी सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं अपने आप करने में असमर्थ सिद्ध होने लगा। वास्तव में, आवश्यकताओं में वृद्धि के कारण कोई भी मनुष्य उन सारी वस्तुओं, जिनके उपभोग की उसे भिन्न-भिन्न समय में जरूरत होती थी, को उत्पन्न करने में स्वयं असमर्थ सिद्ध होने लगा। ऐसी स्थिति में सभ्यता के विकास के प्रारम्भ में, प्रारम्भिक मानव, जिसका जीवन अत्यंत सरल एवं जिसकी आवश्यकताएँ अत्यन्त सीमित थी, अपने उपभोग एवं आवश्यकता की संतुष्टि के लिए एक-आध वस्तुओं को जिनका वह स्वयं उत्पादन नहीं कर सकता था, दूसरों से बल-प्रयोग अथवा चोरी करके प्राप्त करता था। किन्तु शीघ्र ही उसने यह अनुभव किया कि वस्तुओं को प्राप्त करने का यह तरीका निश्चय ही अवाञ्छनीय था। साथ ही, ऐसे उपायों के प्रयोग से समाज में सदा एक प्रकार की अव्यवस्था बनी रहती थी जो निश्चित तरीके से जीवन-निर्वाह के अनुकूल नहीं थी। अतएव, ऐसी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अन्य उपायों की खोज की जाने लगी। खोज के इसी क्रम में वस्तु-विनिमय प्रणाली (barter) का आविष्कार हुआ। किसी एक वस्तु का अन्य वस्तु के साथ प्रत्यक्ष रूप से आदान-प्रदान (बगैर किसी माध्यम के) को वस्तु-विनिमय कहते हैं। (The act of direct exchange of one commodity for another without the mediation of money is known as barter) धीरे-धीरे प्रारम्भिक समाज में कुछ मनुष्यों ने आवश्यकता से अधिक एक-आध वस्तुओं का उत्पादन प्रारम्भ किया। ऐसी परिस्थिति में वह जिसके पास किसी एक वस्तु (जैसे मछली) की आवश्यकता से अधिक मात्रा थी तथा उसे किसी अन्य वस्तु (जैसे फल) की आवश्यकता होती थी, ऐसे व्यक्ति को दूँडने लगा जिसे मछली की आवश्यकता थी तथा जिसके पास आवश्यकता से अधिक मात्रा में फल था जिसे देकर वह मछली लेने को तैयार था।

1. "The development of money is, in a way, an epitome of the history of civilization."

वास्तव में, वस्तु-विनिमय प्रणाली (Barter System) केवल ऐसी व्यवस्था के लिए ही उपयुक्त थी जिसमें मनुष्य की आवश्यकताएँ अत्यन्त सीमित तथा साधारण प्रकार की होती थी। अतएव, जैसे-जैसे सामाजिक संगठन का रूप बदलते गया एव मानवीय आवश्यकताएँ बढ़ने लगी तथा श्रम-विभाजन के लाभों का अनुभव किया जाने लगा, वैसे-वैसे वस्तु-विनिमय प्रणाली को कठिनाइयाँ और अधिक अनुभव की जाने लगी।

वस्तु-विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ (The Inconveniences of the Barter System)

इस प्रकार मानव के व्यावसायिक जीवन के प्रारम्भ में वस्तु-विनिमय प्रणाली का ही प्रचलन था। शिकारी अपने मांस या चमड़े का प्रत्यक्ष रूप से किसान के चावल, गेहूँ या चने के साथ विनिमय करता था। धीरे-धीरे ये दोनों अपने-अपने सामानों का ग्रामीण कलाकारों के सामानों से विनिमय करने लगे। वस्तु विनिमय प्रणाली के फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण शक्ति उसी वस्तु के निर्माण तथा उत्पादन में लगाने लगा जिसमें वह सर्वाधिक कुशल था। इस प्रकार इस प्रणाली से विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिला जिससे वस्तुओं की मात्रा तथा गुण में पर्याप्त सुधार हुआ।

किन्तु, मनुष्य ने शीघ्र ही यह अनुभव किया कि वस्तु विनिमय प्रणाली व्यापार के लिए बहुत ही असुविधाजनक थी। इस प्रणाली के अन्तर्गत मनुष्य को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था इस बात का अन्दाजा केमरोन द्वारा वर्णित "All Across Africa" नामक पुस्तक के निम्न बयान से लगाया जा सकता है "सईद के पास एक नौका थी, किन्तु उसका कारिन्दा नौका के प्रयोग के बदले में हाथी दाँत के रूप में अपना पारितोषिक चाहता था जो मेरे पास नहीं था। परन्तु शीघ्र ही मुझे मालूम हुआ कि मोहम्मद इब्न साहिब नामक एक व्यक्ति के पास हाथी दाँत था जो उसके बदले में कपड़ा चाहता था। परन्तु मेरे पास कपड़ा भी नहीं था जिससे मोहम्मद इब्न साहिब का होना हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं सिद्ध हुआ। थोड़ी देर बाद मुझे यह मालूम हुआ कि मोहम्मद इब्न गरीब नामक एक व्यक्ति के पास कपड़ा था जिसके बदले में वह तार चाहता था जो सौभाग्यवश मेरे पास था। इब्न गरीब को तार देने पर उसने मुझे कपड़ा दिया जिसे इब्न साहिब को देकर हमने हाथी दाँत प्राप्त किया तथा जिसे सईद के कारिन्दा को देकर नदी पार करने के लिए नौका प्राप्त की।"¹ इस प्रकार वस्तु-विनिमय प्रणाली की कई कठिनाइयाँ हैं जिनके परिणामस्वरूप धीरे-धीरे यह प्रथा अत्यधिक असुविधाजनक सिद्ध होने लगी।

वास्तव में, वस्तु-विनिमय प्रणाली की निम्नांकित प्रमुख कठिनाइयाँ हैं —

(i) आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव (Lack of a double coincidence of wants) — वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई इस बात को लेकर होती है कि यदि हमें किसी वस्तु विशेष की आवश्यकता है तो हमें किसी ऐसे व्यक्ति को ढूँढना पड़गा जिसके पास हमारी आवश्यकता की वस्तु हो और साथ ही जो उस वस्तु के बदले में हमारे पास की वस्तु को लेने के लिए तैयार हो। (A man must find another man who both has what he wants and wants what he has) उदाहरण के लिए, राम के पास चावल

1. Lt Cameron "All Across Africa" Quoted by Foster and Catchings
"Money"—P 35

है जिसके बदले वह कपडा चाहता है, तो उसे ऐसे व्यक्ति को ढूँढना होगा जिसके पास कपडा हो और जो कपडे के बदले में चावल लेने के लिए तैयार हो। किन्तु वास्तविक जीवन में इस प्रकार का संयोग बहुत कठिनाई से दिखलाई देता है। अफिरा में एक कहावत है जिसके अनुसार किसी यात्री को एक नाव की आवश्यकता थी। नाववाला व्यक्ति नाव के बदले गाय चाहता था, किन्तु उस यात्री के पास गाय नहीं थी। अतः, वह दूसरे आदमी के पास गया जिसके पास गाय थी और जो गाय के बदले में कपडा चाहता था। यात्री 'के पास कपडा था जिससे उसने गाय प्राप्त की और गाय के बदले में नाव का उपयोग किया। इस प्रकार आवश्यकताओं की दोहरी अनुरूपता के अभाव में विनिमय के कार्य में निरसदेह अत्यधिक कठिनाई होती है तथा इसका क्षेत्र बिल्कुल सकुचित हो जाता है। एक छोटे से समाज में, जहाँ वस्तुओं की संख्या सीमित होती है, इस प्रकार के विनिमय में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती, किन्तु व्यवसाय की उन्नति तथा श्रम-विभाजन एवं विनिमय-योग्य पदार्थों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ यह कठिनाई भी निरन्तर बढ़ती ही जाती है।

मुद्रा इस कठिनाई को दूर करती है। वास्तव में, "आजकल क्रय-विक्रय के कार्य में मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है।" (Money serves as a medium of exchange) अब चावल का कपडे के साथ प्रत्यक्ष रूप में विनिमय नहीं होता। चावल को बेच कर मुद्रा प्राप्त की जाती है और इस प्रकार प्राप्त मुद्रा से कपडा खरीदा जाता है। मुद्रा एक ऐसी वस्तु के रूप में कार्य करती है जिसे सभी व्यक्ति सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के बदले में स्वीकार करना चाहते हैं। अतएव, आजकल प्रत्येक क्रय-विक्रय में मुद्रा विनिमय की दर निश्चित करने के साथ-साथ मध्यस्थ का कार्य भी करती है।

(ii) मूल्य के सर्वमान्य मापक का अभाव (Lack of a common denominator of value) — वस्तु-विनिमय प्रणाली की दूसरी प्रधान कठिनाई मूल्य के एक सर्वमान्य मापक के अभाव से सम्बन्धित है। इस प्रणाली में मूल्य का कोई एक सर्वमान्य मापक (Common measure of value) नहीं होता। इससे दो वस्तुओं के बीच विनिमय की शर्तों के निर्धारण में असुविधा होती है। दूसरे शब्दों में, वस्तु-विनिमय प्रणाली में वस्तुओं की बदला-बदली के पारस्परिक अनुपात को निश्चित करने में कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए, एक विबन्टल गेहूँ के बदले में कितना मीटर कपडा दिया जाय, एक धर्रे के बदले में कितना बेल्ला दिया जाय, इत्यादि की जानकारी प्राप्त करना इस प्रणाली में निश्चय ही बहुत कठिन कार्य था। व्यापार की दो चार प्रचलित वस्तुओं के विनिमय की शर्तों के निर्धारण में भले ही कोई कठिनाई नहीं हो, किन्तु मूल्य के सर्वमान्य मापक के अभाव में सैकड़ों अन्य छोटी बड़ी वस्तुओं के विनिमय या व्यापार निश्चित करना निश्चय ही बहुत कठिन है। ध्यावहारिक जीवन में प्रत्येक मनुष्य को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनेक वस्तुओं के विनिमय की आवश्यकता पड़ती है अतएव इन सभी वस्तुओं की दरों को याद रखना जनसाधारण के लिए बहुत कठिन हो जाता है। मुद्रा के प्रयोग द्वारा वस्तु-विनिमय प्रणाली की इस कठिनाई को दूर किया जाता है। आज सभी वस्तुओं अथवा सेवाओं के मूल्य को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है अतएव इनमें अब किन्हीं दो वस्तुओं के विनिमय की दर सुगमतापूर्वक निश्चित हो जाती है। उदाहरण के लिए, एक रुपये में 5 किलो गेहूँ, 8 किलो चावल अथवा 10 मीटर कपडा मिलता है। इतना जान लेने के बाद गेहूँ, चावल अथवा कपडा के विनिमय की शर्तों को निश्चित करने में कोई कठिनाई नहीं रह जाती।

मुद्रा के प्रयोग द्वारा वस्तु-विनिमय प्रणाली की इस कठिनाई को भी दूर किया जाता है। मुद्रा के दो प्राथमिक कार्यों (Primary functions) में यह एक है। मुद्रा हिसाब-किताब में इकाई का कार्य करती है। (Money serves as a unit of account) यह मूल्य के उस माप दण्ड की तरह है जिसकी सहायता से अन्यान्य पदार्थों की तुलना की जाती है। (It acts as a yardstick or standard measure of value to which all other things can be compared) आज भी व्यापार में प्रत्यक्ष विनिमय का प्रचलन है—गेहूँ के बदले चावल, चावल के बदले में केला तथा केले के बदले चमड़ा। किन्तु अब विनिमय की शर्तें मुद्रा को आधार मानकर ही निश्चित की जाती हैं।

(iii) सह-विभाजन के साधन का अभाव (Lack of Divisibility) :—यह सामान्य अनुभव की बात है कि कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिन्हें विभाजित करने से उनकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है। अतएव वस्तु विनिमय प्रणाली में जब कभी इस प्रकार की अविभाजित वस्तुओं के बदले में दूसरी बहुत-सी वस्तुओं को प्राप्त करना होता है तो इसमें बहुत अधिक कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के पास एक घोड़ा है जिसके बदले वह चावल, कपड़ा तथा दूध लेना चाहता है। ऐसी स्थिति में उसे ऐसे व्यक्ति को ढूँढना होगा जिसके पास ये सारी वस्तुएँ मौजूद हों और जो इन वस्तुओं के बदले में घोड़ा लेना चाहता हो। वास्तविक जीवन में इस प्रकार के व्यक्ति को ढूँढने में बहुत ही कठिनाई होगी। साथ ही, छोटे-बड़े टुकड़े में विभाजित कर भी इन तीनों वस्तुओं को प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से घोड़े की उपयोगिता विल्कुल समाप्त हो जायगी। ऐसी स्थिति में विनिमय का कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें दो कठिनाइयाँ हैं—(क) दो असामान्य मूल्य की वस्तुओं के विनिमय का अनुपात कैसे निश्चित होगा?, तथा (ख) मूल्य एवं उपयोगिता में कमी साथे-साथे वस्तुओं का समखंडन कैसे किया जाय?

मुद्रा इस कठिनाई को भी दूर करती है। अब घोड़ा वाला व्यक्ति घोड़ा बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है जिससे वह चावल, कपड़ा तथा दूध तीनों वस्तुएँ सुगमतापूर्वक प्राप्त कर सकता है।

(iv) मूल्य-सचय की सुविधा का अभाव (Lack of store of value) : वस्तु-विनिमय प्रणाली की एक प्रमुख कठिनाई मूल्य-सचय की सुविधा का अभाव है। इस पद्धति में वही व्यक्ति सबसे अधिक धनो माना जायगा जिसके पास आवश्यक वस्तुओं, जैसे—अनाज, कपड़ा, जानवर, दूध आदि का सबसे बड़ा भण्डार हो। किन्तु वस्तुओं के रूप में मूल्य-सचय का कार्य निश्चय ही बहुत कठिन है क्योंकि किसी वस्तु को अधिक दिनों तक सचय करने में बहुत सारी असुविधाएँ होती हैं।

मुद्रा के आविष्कार ने वस्तु-विनिमय प्रणाली की इस कठिनाई को भी दूर कर दिया है। मुद्रा ने धन की प्राप्ति एवं सुरक्षा का कार्य बहुत ही सरल बना दिया है। अब लोग मुद्रा के रूप में ही मूल्य-सचय का कार्य करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती। साथ ही, मुद्रा के द्वारा आवश्यकता की सारी वस्तुएँ भी सुगमतापूर्वक प्राप्त की जा सकती हैं। अतएव, मुद्रा के रूप में धन-सचय के कार्य बहुत सुगमतापूर्वक किया जाता है।

(v) भविष्य के भुगतान में कठिनाई (Difficulties of future Payments) — वस्तु-विनिमय प्रणाली की एक प्रधान समस्या यह है कि इसके अंतर्गत उधार का लेन-देन संभव नहीं है, क्योंकि भविष्य में वस्तुओं के मूल्य में निरन्तर उतार चढ़ाव होते रहता है। वस्तुओं

की उत्पत्ति में अत्यधिक उतार-चढ़ाव के कारण इनके पारस्परिक मूल्यों में भी अत्यधिक परिवर्तन होते हैं जिससे भविष्य के लेन-देन के कार्य में कठिनाई होती है।

किन्तु मुद्रा ने इस कठिनाई को भी दूर कर दिया है। आजकल भविष्य में लेन-देन का कार्य मुद्रा के रूप में किया जाता है; क्योंकि मुद्रा के मूल्य में अल्प वस्तुओं के मूल्यों की अपेक्षा कम परिवर्तन होता है।

वस्तु-विनिमय प्रणाली की अमुविधाएँ निम्नांकित तालिका से अधिक स्पष्ट हो जाती हैं

वस्तु-विनिमय प्रणाली की अमुविधाएँ

आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव	मूल्य के सर्वमान्य मापक का अभाव	सह-विभाजन के साधन का अभाव	मूल्य-सचय की सुविधा का अभाव	भविष्य के भुगतान की कठिनाई
-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------------

वस्तु-विनिमय प्रणाली की इन कठिनाइयों को एक रोचक श्लोक एक फ़ामीसी गायिका के उदाहरण से मिलती है जिसने एक ऐसे द्वीप में अपनी कला का प्रदर्शन किया था जहाँ पर मुद्रा का प्रचलन नहीं था। मुद्रा के प्रयोग के अभाव में उसे फलों और पशुओं के रूप में पुरस्कार प्राप्त हुआ। किन्तु जब इन पशुओं ने सभी फलों को खा लिया तो गायिका को इन्हें जीवित रखने के लिए और भी कई प्रदर्शन करने पर विवश होना पड़ा। इस प्रकार गायिका को बहुत अधिक अमुविधा हुई और उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वस्तु-विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों के कारण ही वह धनवान नहीं बन सकी।

वस्तु-विनिमय प्रणाली की उक्त कठिनाइयों के कारण धीरे-धीरे समाज में मुद्रा का विकास हुआ एवं मौद्रिक विनिमय (Money Exchange) की प्रणाली अपनायी गयी। मुद्रा का आविष्कार मानव की उपलब्धियों में महानतम है। क्राउथर (Crowther) के शब्दों में, “मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक प्रधान स्थान रखता है। ज्ञान की प्रत्येक शाखा में एक मौलिक आविष्कार होता है। यन्त्र शास्त्र (Mechanics) में चक्र (Wheel) का, विज्ञान में अग्नि का और राजनीति में मत (Vote) का जो स्थान है, वही स्थान मानव के आर्थिक जीवन में मुद्रा का है। मानव के सामाजिक जीवन का व्यावसायिक पक्ष पूर्णतः मुद्रा पर आधारित है।”

[Money is one of the most fundamental of all Man's inventions. Every branch of knowledge has its fundamental discovery. In mechanics, it is the wheel, in science fire, in politics, the vote. Similarly, in economics, in the whole commercial side of Man's social existence money is the essential invention on which all the rest is based.]¹ - Crowther

मुद्रा का विकास (The Evolution of Money)

वस्तु-विनिमय प्रणाली की उपरोक्त अमुविधाओं को मुद्रा के प्रयोग के द्वारा दूर किया जाता है। किन्तु विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा सर्वप्रथम कहाँ और कब से प्रयोग में आयी, यह

1, Crowther : An Outline of Money,

बतलाना सम्भव नहीं है। इतिहासकारों के अनुसार अति प्राचीन काल में दक्षिणी महासागर के राष्ट्रों के रहनेवाले पत्थरों की मुद्रा का व्यवहार करते थे। प्राचीन भारत में ऋग्वेद के युग में शायद की मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। अन्य स्थानों में भी बहुत प्राचीन समय में विभिन्न वस्तुओं को मुद्रा के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। किन्तु कुछ विद्वानों के अनुसार मुद्रा का विकास सिक्कों की ढलाई की कला से प्रारम्भ होता है। सुप्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस (Herodotus) के अनुसार सिक्कों का प्रयोग सर्वप्रथम ईसा से छ-सात सौ वर्ष पूर्व लीडिया (Lydia) में हुआ था। सिक्कों की ढलाई की कला के विकास के साथ ही-साथ मुद्रा की राजकीय धारणा का भी प्रादुर्भाव हुआ। इससे व्यवस्थित मुद्रा (managed money) के विकास का कार्य सुगम हो गया। आजकल तो प्रायः सभी देशों में अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा (Inconvertible Paper Currency) का प्रचलन है। फिर भी, इंग्लैंड एवं समुक्त राज्य अमेरिका जैसे प्रगतिशील राष्ट्रों में आज पत्र-मुद्रा की अपेक्षा चेक (Cheque) का ही अधिक प्रयोग किया जाता है।

इस प्रकार सम्पत्ता के अन्य मूलभूत तत्वों की तरह मुद्रा भी एक अत्यन्त प्राचीन तत्व है जिसमें मानव-सम्पत्ता में विकास के साथ-साथ क्रमिक रूप से विकास होते जाया हैं। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री केम्स (Keynes) के अनुसार 'इसके मूल उस समय कुहासों से ढँके थे जबकि वर्ष पिछल रही थी किन्तु उनका विस्तार बहुत पहले मानव इतिहास के अन्तर्ग्लेशियल युग के स्वर्गिक मध्यान्तरात्रस्था में, जब मानव-मस्तिष्क नयी नयी बातों को सोचने के लिए स्वतन्त्र था, अतलाटिक के किसी द्वीप अथवा मध्य एशिया के किसी भाग में पाया जा सकता है।' (Money, like certain other essential elements in civilization, is a far more ancient institution than we were brought to believe some few years ago. Its origins are lost in the mists when the ice was melting and may well stretch back into the paradisaic intervals in human history of the interglacial periods, when the weather was delightful and the mind free to be fertile of new ideas in the islands of the Hesperides or some Atlantics or Eden of Central Asia)¹

किन्तु मुद्रा की प्रकृति को समझने के लिए इसके विकास के विभिन्न स्तरों का अध्ययन अनिवार्य हो जाता है। मुद्रा के विकास के इतिहास में हमें स्पष्ट रूप से निम्नांकित चार स्तर देखने को मिलने हैं—

1. प्रथम स्तर वस्तु मुद्रा (Commodity Money)—मुद्रा विकास के प्रारम्भ में समाज में अत्यधिक प्रचलित किसी वस्तु को विनिमय का माध्यम मानकर विनिमय का कार्य किया जाता था। इस प्रकार शिकारी युग (Hunting Age) में खाल या चमड़ा, पशुपालन युग (Pastoral Age) में कोई पशु, जैसे—गाय या बकरी तथा कृषि युग (Agricultural Age) में किसी अनाज को विनिमय का माध्यम मानकर विनिमय का कार्य किया जाता था। प्रो. म्यूलर (F W Mueller) के अनुसार कुछ वर्ष पूर्व तक "कैनाडा के हडसन खाड़ी के क्षेत्र में मूल्य निर्धारण के लिए खालों का प्रयोग किया जाता था। ग्रीक सम्पत्ता के प्रारम्भ में बैल विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किये जाते थे। आज भी, दक्षिणी सूडान में दिनका चरवाहा जाति के लोग अपनी सम्पत्ति को शाय, बैल तथा बकरियों के रूप में आँकते हैं। इसी प्रकार अमेरिका के मेरीलैंड

नामक प्रदेश में 1932 ई० में मकई को वैधानिक मुद्रा घोषित किया गया था।" मुद्रा के विकास का यह प्रथम चरण है जिसे वस्तु-मुद्रा (Commodity Money) का स्तर कहा जाता है।

किन्तु किसी वस्तु को मुद्रा के रूप में व्यवहार करने में बहुत-सारी कठिनाइयाँ हैं। बकरी मुद्रा (goat money) के उदाहरण द्वारा इन कठिनाइयों को अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। सभी बकरियों का रूप-रंग, आकार-प्रकार तथा वजन एक समान नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति अपना अनाज 25 बकरियों के मूल्य पर बेचता है और यदि उसे खरीददार की बकरियों के झुण्ड में से चुन-चुन कर दुबली-पतली तथा रोगी बकरियाँ दी जाती हैं तो वह अपने-आपको ठगा हुआ समझेगा। इसके अतिरिक्त बकरी मुद्रा के साथ और भी बहुत-सी कठिनाइयाँ हैं। बकरी या किसी अन्य वस्तु को मचय करने के लिए बहुत अधिक स्थान की आवश्यकता पड़ती है। इनकी रखवाली भी करनी होती है जिससे ये कहीं खो न जायें अथवा किसी जंगली जानवर का शिकार न बन जायें। साथ ही, बकरियों को कोई बीमारी हो जाने से मनुष्य का धन अकारण ही घट सकता है। इसी प्रकार इनके प्रजनन के मौसम में समाज में मुद्रा की बहुत अधिक प्रचुरता भी हो सकती है। अतएव, किसी वस्तु को मुद्रा मानकर विनिमय का कार्य करने में बहुत-सारी कठिनाइयाँ हैं।¹

2. द्वितीय स्तर : धात्विक मुद्रा (Metallic Money) :—पर यदि पशु तथा अन्य किसी वस्तु को मुद्रा मानने से विनिमय के कार्य में कठिनाई होती है, तो कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिन्हें मुद्रा मानकर विनिमय का कार्य सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। अन्य वस्तुओं की अपेक्षा धातुओं में मुद्रा बनाने की योग्यता या क्षमता अधिक पायी जाती है; क्योंकि इनका आदान-प्रदान सुगमतापूर्वक हो सकता है, इनकी गिनती भी अपेक्षाकृत सुगम होती है, इन्हें रखने के लिए बहुत कम स्थान की आवश्यकता पड़ती है तथा इनकी रखवाली पर विशेष ध्यान नहीं देना पड़ता। साथ ही, पृथ्वी के गर्भ में धातुओं का जितना भंडार है उसका एक बहुत छोटा अंश ही प्रतिवर्ष बाहर निकाला जा सकता है। इससे धातुओं का किसी वषर् प्राचुर्य तथा किसी वषर् अभाव नहीं होने पाता। इन्हीं कारणों से मुद्रा-विकास के द्वितीय चरण में धातुओं को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। इसे धात्विक मुद्रा (Metallic money) का स्तर भी कहते हैं।

मुद्रा के रूप में ताँबा, लोहा, काँसा, सोना, चाँदी आदि सभी धातुओं का बारी-बारी से प्रयोग हुआ है। किन्तु अन्य धातुओं की अपेक्षा सोना एवं चाँदी का मुद्रा के रूप में अपेक्षाकृत अधिक समय तक प्रयोग हुआ है। अतएव यहाँ पर बहुमूल्य धातुओं एवं मुद्रा के सम्बन्ध की व्याख्या अधिक रोचक होगी।

मुद्रा के रूप में बहुमूल्य धातुएँ (Precious metals as money) :—ज्योंही मुद्रा का आविष्कार हुआ, जनमावरण इसे सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु समझने लगा। चूँकि मुद्रा के द्वारा सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य किया जा सकता है, यानी मुद्रा धन-प्राप्ति का साधन है,

1 वस्तु मुद्रा की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए केम्स से युगन्डा (अफ्रीका) में काम करने वाले एक पदाधिकारी के अनुभवों का उदाहरण दिया है। 'A District Commissioner in Uganda today where goats are the customary native standard, tells me that it is a part of his official duty to decide, in case of dispute, whether a given goat is or is not too old or too scarggy to constitute a standard goat for the purpose of discharging a debt.'—A Treatise on Money Vol I. P. 13,

इसलिए इसे सर्वोत्तम संग्रहणीय पदार्थ भी समझा जाने लगा। साथ ही, जनसाधारण में यह धारणा कार्य करने लगी कि चूंकि मुद्रा सभी प्रकार की धन-प्राप्ति का साधन है, अतएव मुद्रा-पदार्थ में स्वकीय बहुमूल्यता होनी चाहिए। आज भी यदि किसी साधारण व्यक्ति ने यह पूछा जाय कि मुद्रा को कीमती बनानेवाला तत्व क्या है तो वह यही कहेगा कि उसकी बहुमूल्यता ही उसकी कीमत है और तब यह पूछा जाय कि लोग कागज के रट्टी टुकड़े को मुद्रा के रूप में क्यों स्वीकार करते हैं तो वह कहेगा कि इसके पीछे रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के उतने ही मूल्य चुकाने की गारन्टी है।

किन्तु, यह सोचना बिल्कुल निराधार है क्योंकि यदि मूल्य से ही कोई वस्तु सुयोग्य मुद्रा पदार्थ होती तो प्रत्येक समाज में सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु को ही मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता। परन्तु ऐसा कभी नहीं हुआ है। मूल्यवान रत्न, जैसे हीरा, माणिक तथा मोती आदि धातुओं से सर्वदा अधिक बहुमूल्य माने जाते रहे हैं। किन्तु मुद्रा के रूप में इनका किसी समय भी प्रयोग नहीं किया गया है। धातुओं में से भी सोना चांदी से अधिक बहुमूल्य है, किन्तु सिक्कों के रूप में चांदी का ही अत्यधिक प्रचलन रहा है। इसका कारण क्या है? ध्यानपूर्वक देखने से यह स्पष्ट होता है कि अधिक मूल्यवान पदार्थों को मुद्रा के रूप में प्रयोग करना अनुविधाजनक है। उदाहरण के लिए, यदि हमें एक रोट्टी लेनी हो जिसका मूल्य केवल कुछ पैसा ही है, तो हमें इनके लिए सोने का बना इतना छोटा-सा सिक्का देना पड़ेगा जिसको हम देख नहीं सकते या यदि कहीं रख दें तो खो जाय। इस प्रकार बहुमूल्य धातुओं की मुद्रा होने पर छोटे-छोटे लेन-देन के कार्य में भी बहुत अधिक असुविधा होती है। यही कारण है कि ओसत मूल्य वाले धातुओं को ही सिक्कों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हीरा, माणिक तथा मोती मूल्यवान रत्नों को मुद्रा के लिए अनुपयुक्त इस कारण से समझा गया कि वे बहुत अधिक मूल्यवान थे, यानी बहुत अधिक दुर्लभ थे। अतएव, "मुद्रा पदार्थ को दुर्लभ तो होना चाहिए, किन्तु अत्यधिक परिमाण में नहीं।" (The money substance must, therefore, be scarce but not too scarce) क्योंकि अत्यधिक दुर्लभ होने से छोटे-छोटे लेन-देन के कार्य में प्रयोग करने में बहुत अधिक असुविधा होती है। साथ ही, इसे बहुत सुलभ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा होने से इसका प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा में करना पड़ेगा। यही कारण है कि लोहा का प्रयोग मुद्रा के रूप में कभी नहीं हुआ है। अब, हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि मुद्रा पदार्थ के चुनाव में उसकी सतुलित दुर्लभता (Precise degree of scarcity) प्रमुख है न कि उसका मूल्य और चूंकि धातुओं में अन्य कारणों से भी मुद्रा बनने की योग्यता बहुत अधिक है, अतः मुद्रा-पदार्थ के लिए सबसे अच्छी धातु नहीं होगी जो दुर्लभ हो, किन्तु बहुत अधिक नहीं। यही कारण है कि धातुओं में सोना एव चांदी को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था और प्लेटिनम (जो बहुत अधिक दुर्लभ है) तथा लोहा (जो बहुत अधिक सुलभ है) को मुद्रा पदार्थ के लिए नहीं चुना गया।

किन्तु क्या दुर्लभ वस्तुएँ बहुमूल्य नहीं होती? मौद्रिक इतिहास के अधिकांश भाग में यह बात सही थी, किन्तु आज यह सही नहीं रही। क्योंकि आज पत्र मुद्रा (Paper money) के रूप में समाज ने एक ऐसे मुद्रा पदार्थ का आविष्कार किया है जो बहुमूल्य नहीं हुए वगैर भी दुर्लभ है। जाली नोट बनाये जाने के विरुद्ध कानून होने के कारण नोट दुर्लभ हैं, किन्तु जिस कागज पर ये नोट छपते हैं, वह दुर्लभ नहीं है। नोटों की दुर्लभता उसे सुयोग्य मुद्रा-पदार्थ बनाती है किन्तु उनकी मूल्यहीनता उनके मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट नहीं उत्पन्न करती।

3. तृतीय स्तर: सिक्के (Coins) :- इस प्रकार मुद्रा-विकास के द्वितीय चरण में सोना एवं चाँदी आदि धातुओं को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। किन्तु प्रारम्भिक काल में धातुओं को मुद्रा के रूप में प्रयोग करने में भी दो प्रमुख दोष थे। पहला दोष यह था कि जन-साधारण के लिए धातु के सभी टुकड़ों को पहचानना बहुत अधिक कठिन था। साथ ही, हर समय धातुओं के सभी टुकड़ों की जाँच करना भी संभव नहीं था। दूसरा दोष यह था कि धातुओं को सुविधानुसार छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित करना भी कठिन था। उदाहरण के लिए, यदि कोई दो आँस सोने के मूल्य के बराबर एक घोड़ा लेता है तो उसे सोने के एक पासे में से दो आँस सोना काटकर देने में निस्संदेह बहुत अधिक कठिनाई होगी। धात्विक मुद्रा की इन कठिनाइयों को सिक्कों (Coins) के आविष्कार के द्वारा दूर किया गया। धीरे-धीरे, देश के राजा ने मुद्रा जारी करने का कार्य अपने हाथों में ले लिया। अब राजा द्वारा बहुत अधिक परिमाण में एक निश्चित वजन तथा उत्तमता (a standard weight and fineness) के विभिन्न प्रकार के सिक्के जारी किये जाने लगे। इन सिक्कों की प्रामाणिकता के लिए राजा उन पर मुहर लगवा देता था। जब तक जनता को राजा की शक्ति एवं ईमानदारी पर विश्वास था तब तक ये निस्संदेह चलते रहते थे। यह मुद्रा-विकास का तृतीय चरण है।

सिक्कों की ढलाई का कार्य कब से प्रारम्भ हुआ, यह कहना निश्चय ही बहुत कठिन है। फिर भी ईसाभे लगभग 700 वर्ष पूर्व लीडिया (Lydia) में संभवतः सर्वप्रथम सिक्कों का प्रयोग किया गया था। सिक्कों के इतिहास के साथ-साथ हम मौद्रिक विकास के इतिहास के उम स्तर पर पहुँच गये जिसके बाद सदियों तक मुद्रा-निर्माण की रीति में बहुत कम परिवर्तन अथवा विकास हुआ।

4. चतुर्थ स्तर. पत्र-मुद्रा (Paper Money) :- मुद्रा विकास के इतिहास में सिक्कों के बाद पत्र-मुद्रा का आविष्कार हुआ। वास्तव में, मुद्रा के आविष्कार के बाद मुद्रा के इतिहास में पत्र-मुद्रा का विकास सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटना है। किन्तु पत्र-मुद्रा का विकास भी क्रमिक (gradual) रूप में हुआ। अतएव पत्र-मुद्रा के विकास में भी हमें स्पष्ट रूप से निम्नांकित चार स्तर देखने को मिलते हैं :-

(क) लिखित प्रमाण-पत्र (Written evidences of Command over money) — धातु के सिक्कों के भी दो प्रमुख दोष थे। पहला दोष यह था कि इन्हें बहुत अधिक मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में असुविधा होती थी। साथ ही, इनके सदा चोरी हो जाने की आशंका भी बनी रहती थी। अतएव प्राचीन काल में व्यापारी दूर-दूर के स्थानों से सिक्के ले जाने के बजाय मुद्रा की विद्यमानता के लिखित प्रमाण-पत्र (written evidences of their command over money) को ही ले जाते होंगे। व्यापारी अपने क्षेत्र के किसी प्रमुख व्यक्ति या किसी बड़े व्यापारी के यहाँ अपना रुपया जमा करते थे जो उन्हें रुपये की विद्यमानता का एक लिखित प्रमाण-पत्र देता था जिसके आधार पर व्यापार किया जाता था। ये लिखित प्रमाण-पत्र स्वयं मुद्रा नहीं, बरन मुद्रा के अस्थायी स्थानापन्न (temporary substitutes) थे। इनके भूलने अथवा चोरी हो जाने पर कोई हानि नहीं होती थी, क्योंकि रुपया व्यापारी के पास ज्यों-का-त्यों जमा रहता था और उस व्यापारी के हस्ताक्षर के बाद ही मिलता था। इस प्रमाण-पत्र पर यह लिखा रहता था कि अमुक व्यक्ति ने अमुक रकम उसके यहाँ जमा की है और वह वायदा करता है कि उस रकम से व्यापारी के पावनेदार (creditor) को उनके पावने के अनुसार देगा। पत्र-

मुद्रा के विकास का यह प्रथम चरण है। इस स्तर तक यह लिखित प्रमाण-पत्र मुद्रा का केवल एक अस्थायी स्थानापन्न (substitute) है।

(ख) मुद्रा की तरह प्रयोग—आगे चलकर यह लिखित प्रमाण पत्र धीरे-धीरे मुद्रा की तरह व्यवहृत किया जाने लगा। अब यह पत्र किसी खास व्यक्ति एवं रकम के लिए जारी नहीं करके छोटी-छोटी सुविधाजनक रकमों के लिए किसी भी साने वाले (bearer) के नाम जारी किया जाने लगा। उदाहरण के लिए, यदि राम ने अपने महाजन के यहाँ 280 रुपये जमा किये तो इतनी रकम का एक ही प्रमाण-पत्र जारी करने के बजाय महाजन 2 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये इत्यादि चूकाने के कई प्रमाण-पत्र जारी करने लगा जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति इतनी रकम प्राप्त कर सकता था। अब इस कागज को लाने वाला ही इसका वास्तविक अधिकारी समझा जाने लगा। यह कागज पूर्ण रूप से आज के बैंक नोट की तरह हो गया। आज भी रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा जारी किये गये प्रत्येक नोट पर यह लिखा रहता है कि "मैं नोट के वाहक द्वारा माँग करने पर इसमें अतिरिक्त रकम देने का वायदा करता हूँ।" (I promise to pay the bearer on demand the sum of Rs ten, five or two) यह पत्र-मुद्रा के विभास का द्वितीय चरण है। अब आधुनिक बैंक नोट का आगमन तो हो गया, किन्तु फिर भी यह बैंक में जमा की गयी रकम की रसीद के अतिरिक्त और कुछ नहीं थी। अभी इसे प्राप्त करनेवाला मुद्रा नहीं समझकर मुद्रा का अधिकार मान ही समझता था। अतएव, इसे प्राप्त करने के बाद वह यथाशीघ्र इसे नुनाने का प्रयास करता था।

(ग) जमा की रकम से अधिक की पत्र-मुद्रा—जब बैंक-नोटों का प्रचार क्रमशः बढ़ने लगा तब धीरे-धीरे इन्हे मुद्रा का स्थानापन्न नहीं समझकर स्वयं मुद्रा समझा जाने लगा। अब बैंक-नोट का प्रयोग एक से अधिक लेन-देन के कार्य में किया जाने लगा। उदाहरण के लिए, राम ने अपने बैंक से नोट लिया जिसे उसने अपने होटल वाले को दिया। होटल वाले ने अपने मजदूर को दिया, मजदूर ने उसी से कपड़ा खरीदा और इस प्रकार नोट का प्रयोग एक से अधिक भूगतान के कार्य में किया जाने लगा। बैंक के लिए यह बड़ा ही महत्वपूर्ण था। इसका परिणाम यह हुआ कि बैंक जितना नोट जारी करता था, उनमें से केवल कुछ ही लौटकर भूगतान के लिए आते थे, शेष तो ही चलते रहते थे। इससे बैंक ने यह अनुभव किया कि यदि उसका व्यापार पर्याप्त साक्ष्य वाला है, तो उसके द्वारा जारी किये गये नोट का केवल एक छोटा अंश ही हर समय नकद मुद्रा की मांग के लिए आता है और उस छोटे अंश के बदले भी नकद रुपया देने के बजाय नये नोट ही दे देता है। इस अनुभव के आधार पर बैंक ने, जितनी उनके पास नकद मुद्रा होती थी, उससे अधिक मूल्य के नोट जारी करना प्रारम्भ किया। उदाहरण के लिए, यदि बैंक वाले ने यह देखा कि उसके द्वारा जारी किये गये 100 रुपये के नोटों में से केवल 5 रुपये के नोट ही मांग के लिए आते हैं और बाजार में चलते रहते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि अपना कारोबार चालू रखने के लिए बैंक को अपने चालू नोटों का 5 प्रतिशत भाग ही नकद मुद्रा के रूप में, अपने पास रखना आवश्यक है। अधिक निश्चिन्त रहने के लिए यदि बैंक अपने पास 10 प्रतिशत तक भी नकद मुद्रा रखता है, तो इसका अर्थ यह है कि 100 रुपये के मूल्य के नोट जारी करने के लिए बैंक को अपने पास केवल 10 रुपये नकद मुद्रा के रूप में रखना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, यदि बैंक के पास 10 रुपये नकद मुद्रा के रूप में है तो इसके आधार पर वह 100 रुपये तक की पत्र-मुद्रा जारी कर सकता है। यह पत्र-मुद्रा के विकास का तृतीय और सर्वाधिक

महत्वपूर्ण चरण है। यहाँ बैंक-नोट केवल मुद्रा के स्थानापन्न ही नहीं होकर मुद्रा की पूर्ति की वृद्धि में भी सहायक होने लगे हैं।

(घ) केन्द्रीय बैंक को पत्र-मुद्रा जारी करने का एकाधिकार—बैंक-नोट 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में इसी स्थिति में थे, किन्तु प्रारम्भ में बैंक नोटों का बहुत अधिक दुरुपयोग हुआ जिससे जनसाधारण में इनकी लोकप्रियता कम होने लगी। लोग यह सोचने लगे कि जब बैंक बिना किसी पूँजी के पत्र-मुद्रा बना लेते हैं तो वे निश्चय ही बहुत अधिक खतरनाक हैं। बैंकों ने भी अपनी इस अपूर्व शक्ति का दुरुपयोग कर अपनी पूँजी से कई गुना अधिक के नोट छापना प्रारम्भ कर दिया। परिणाम यह हुआ कि अधिकांश बैंक भाग होने पर भी चालू नोटों का एक छोटा अंश भी पूरा नहीं कर सके। कई बैंकों के सम्बन्ध में जब यह बात प्रकट हुई कि उन्होंने अपनी पूँजी से अधिक के नोट जारी किया है, तो सभी घबड़ाकर अपने नोटों को भुनाने के लिए आने लगे जिससे विवश होकर बैंक को अपना कारोबार बन्द करना पड़ा। इससे कई बैंक फेल कर गये तथा बैंक-नोट भी बदनाम हो गये। अतएव सरकार को बाध्य होकर इस स्थिति में हस्तक्षेप करना पड़ा। वास्तव में, इस प्रकार की दुर्व्यवस्था नहीं होने पर भी सरकार बक नोट जैसे महत्वपूर्ण आविष्कार, जो मुद्रा की पूर्ति में कई गुना वृद्धि कर समाज में भयातक उपलब्ध-पुल उत्पन्न कर सकता था, की ओर से कैसे उदासीन रह सकती थी। अतएव प्रायः सभी देशों में बैंक नोटों पर नियन्त्रण-सम्बन्धी कानून बनाये गये। इन कानूनों के द्वारा बैंक-नोटों की मात्रा को बैंकों की पूँजी एवं जमा के अनुपात में सीमित करने का प्रयत्न किया गया। धीरे-धीरे पत्र-मुद्रा जारी करने का एकाधिकार किसी एक बैंक को, जो आगे चलकर केन्द्रीय बैंक (Central Bank) के नाम से विख्यात हो गया, दिया जाने लगा। उदाहरण के लिए, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड एवं भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपने देश में पत्र-मुद्रा जारी करने का पूर्ण एकाधिकार है। इतना ही नहीं, समय व्यतीत होने के साथ-साथ इन नोटों को वैधानिक मुद्रा (Legal Tender) भी घोषित किया जाने लगा। इससे कानून के द्वारा इन्हे मुद्रा का पद प्राप्त हो गया। सर्वप्रथम, 1833 ई० में बैंक ऑफ इंग्लैंड के नोटों को कानूनी मुद्रा घोषित किया गया और आज तो विश्व के प्रायः सभी देशों में पत्र-मुद्रा को वैधानिक मुद्रा का पद प्राप्त है। इस प्रकार बैंक-नोट अपने विकास के अन्तिम स्तर पर मुद्रा का केवल स्थानापन्न नहीं रहकर स्वयं मुद्रा हो गये। फिर भी बहुत दिनों तक जनसाधारण बैंक नोटों को तब तक सुरक्षित एवं सुदृढ़ नहीं समझता था जब तक कि वे स्वर्ण-मुद्रा में परिवर्तित नहीं हो।

अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा (Inconvertible Paper Money) —प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक विश्व के प्रायः अधिकांश देशों में स्वर्ण-मुद्रा का प्रचलन था। अतएव उस समय तक बैंक नोट स्वर्ण-मुद्रा में परिवर्तित थे। किन्तु, युद्ध के समय परिवर्तन की सुविधा (Convertibility) को स्थगित कर दिया गया। पुनः 1925 ई० में जब इंग्लैंड तथा अन्य देशों में स्वर्ण-मान को अपनाया गया तो बैंक नोटों को स्वर्ण-मुद्रा में परिवर्तित करने की व्यवस्था की गयी। किन्तु इस बीच पत्र-मुद्रा के सम्बन्ध में लोगों की हिचक धीरे-धीरे समाप्त हो रही थी जिससे जनसाधारण कागजी मुद्रा को लेकर सतुष्ट होने लगा, क्योंकि इसके द्वारा सभी अक्षेपित वस्तुएँ तथा सेवाएँ प्राप्त की जा सकती हैं। आज तो सभी देशों में कागजी नोटों को अपरिवर्तनीय (Inconvertible) घोषित कर दिया गया है। इन नोटों के बदले में स्वर्ण अथवा स्वर्ण-मुद्रा नहीं प्राप्त की जा सकती है। इस नोटों पर आज भी इनके जारी करनेवाले के भुगतान का वायदा (Promise to Pay) अंकित रहता है, किन्तु अब इसका कोई अर्थ नहीं रह गया है। अब तो ये बैंक नोट कागज

के एक टुकड़े के अतिरिक्त और कुंघ भी नहीं हैं, इनका कोई अपना मूल्य (intrinsic value) नहीं रह गया है। आज यदि कोई व्यक्ति केन्द्रीय बैंक के पास नोट भुनाने के लिए ले जायगा, तो बैंक अपने छपे हुए बायदे की पूर्ति दूसरा नोट अथवा कागज के दूसरे टुकड़े को देकर ही कर सकता है।

पत्र-मुद्रा के विकास का यह चौथा एवं अन्तिम स्तर है। इस स्तर पर पत्र-मुद्रा ने पूर्ण-रूपेण मुद्रा का स्थान ग्रहण कर लिया। आज बहुमूल्य धातुओं का युग समाप्त हो गया। अब इनके सिक्के प्रचलन में नहीं रह गये। आज सर्वत्र पत्र-मुद्रा का ही साम्राज्य है और सिक्के पत्र-मुद्रा रूपी सेनापति के सिपाही बनकर रह गये हैं।

चेक (Cheque)—किन्तु पत्र-मुद्रा के विकास से ही मुद्रा के विकास का इतिहास समाप्त नहीं हो जाता। अभी एक प्रकार की मुद्रा का वर्णन सेप रह गया है—वह है 'चेक' (Cheque)। साधारण ढंग से देखने से यह जान पड़ता है कि चेक अन्य प्रकार की मुद्रा से सर्वथा भिन्न है, किन्तु ध्यानपूर्वक देखने से यह पता चलेगा कि आधारभूत सिद्धान्तों में यह पत्र-मुद्रा का ही एक रूप है। कागजी नोटों के विकास के प्रारम्भिक चरण में एक सुविधा यह थी कि ये मुद्रा नहीं थीं, बरन् मुद्रा होने का केवल दावा था। अतएव चोरी जाने अथवा खो जाने के भय से निरन्तर होकर लोग इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। किन्तु यथेहीं कागजी नोटों ने मुद्रा का पद प्राप्त कर लिया त्योंही उनसे यह सुविधा आती रही। चेक के आविष्कार ने पत्र-मुद्रा को इस कठिनाई को भी दूर किया है।

बैंक नोट एक आई० ओ० यू० (I. O. U.—मैं आपका ऋणी हूँ) का पत्र है जिस पर पाबनेदार (Creditor) का नाम अंकित नहीं रहता। यह इस बात का प्रमाण है कि इस नोट के जारी करनेवाले को बैंक से इतने रुपये पावने हैं। चेक भी ठीक इसी प्रकार का कार्य करता है। राम यदि 100 रुपये अपने बैंक में जमा करता है तो बैंक उसे नोट नहीं देकर उतनी रकम राम के नाम जमा कर लेता है। यदि राम इस 100 रुपये को श्याम को देना चाहता है तो वह अपने बैंक के नाम एक चेक लिखेगा जिसके द्वारा वह अपने बैंक को इस बात का आदेश देता है कि उतनी रकम उस चेक पानेवाले व्यक्ति को दे दी जाय जिसके द्वारा उसकी रकम राम के खाते से श्याम के खाते में चली जायगी। इस प्रकार चेक भी ठीक बैंक नोट की ही तरह कार्य करते हैं। किन्तु बैंक नोट एवं चेक में कुछ महत्वपूर्ण अन्तर भी हैं। चेक में तीन पक्षों का नाम अंकित रहता है। यह एक निश्चित रकम का होता है तथा निश्चित अवधि के पश्चात् एक बार के सेव-बेन में ही समाप्त हो जाता है। परन्तु बैंक कोई मुद्रा नहीं है, यह केवल वास्तविक मुद्रा को हस्तांतरित करने का एक साधन-मात्र है। वास्तविक मुद्रा बैंक में जमा के रूप में रहती है। यदि चेक के पीछे बैंक जमा नहीं हो तो इसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। अतएव, बैंक जमा (Bank Deposit) की ही मुद्रा का नाम देना अधिक उपयुक्त होगा। इस प्रकार बैंक नोट एवं बैंक जमा में एक महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि जहाँ तक बैंक नोट का सम्बन्ध है, यह एक कागज के टुकड़े पर अंकित रहता है और उस कागज के एक हाथ से दूसरे हाथ में हस्तांतरण के साथ-साथ उस ऋण का भी हस्तांतरण होते रहता है।

बैंक के आविष्कार ने ऋण के लेन-देन के कार्य को बहुत ही सुगम कर दिया है। किन्तु चेक का विकास अभी पूर्ण नहीं हुआ है, यह अभी अपने विकास के तृतीय चरण में ही है। अभी चेक को कानूनी ग्राह्य (Legal Tender) मुद्रा का पद नहीं प्राप्त हुआ है जिससे किसी भी व्यक्ति को चेक लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। साथ ही, बैंक का जमा परिवर्तनीय

है। केन्द्रीय बैंक अपने नोटों पर अंकित अदायगी के अपने वायवे को पूरा करने से इनकार भी कर सकता है। किन्तु, कोई दूसरा बैंक अपने जमा की अदायगी से इनकार नहीं कर सकता। यह इसकी अदायगी किसी कानूनी ग्राह्य मुद्रा के रूप में करने के लिए बाध्य होता है। अतएव चेक का विकास अभी पूर्ण नहीं हुआ है। यदि किसी समय देश के सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर इन्हें राज्य के तत्वावधान में एक संस्था के रूप में परिणत कर दिया जाय तो ऐसी स्थिति में इनका जमा कानूनी ग्राह्य तथा अपरिवर्तनीय दोनों हो सकता है और इस प्रकार चेक के विकास का क्रम भी पूरा हो जायगा।

निष्कर्ष :- इस प्रकार मुद्रा का वर्तमान रूप सदियों के क्रमिक विकास का परिणाम है। मुद्रा का आविष्कार मानव की विभिन्न उपलब्धियों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्राउथर (Crowther) ने इस सम्बन्ध में ठीक ही लिखा है कि "आज हमें यह आविष्कार बहुत साधारण जान पड़ता है। जिस विचार से प्रेरित होकर लम्बाई की माप के लिए मीटर का, तौल की माप के लिए 'ग्राम' का तथा तापक्रम की माप के लिए डिग्री का आविष्कार हुआ था, उसी विचार को मूल्य के क्षेत्र में भी प्रयोग किया गया। लेकिन उस समय यह निस्संदेह एक महत्वपूर्ण आविष्कार था...किन्तु निस्संदेह यह एक आविष्कार था, क्योंकि उस समय सरल वस्तु विनिमय प्रणाली से मौद्रिक प्रणाली की ओर कदम उठाने में मनुष्य को अत्यधिक सजग रह कर अपनी तक-शक्ति का सहारा लेना पड़ा होगा।"¹

विशेष अध्ययन सूची

1. J. M. Keynes : A Treatise on Money, Vo 1, Chapter 1.
2. Crowther : An Outline of Money, Chapter 1.
3. Marshall : Money, Credit and Commerce, Book I, Chapter 1.
4. Halm, G. N. : Monetary Theory, Chapter 1.

1, "To us this invention seems very simple. It is merely the application to the sphere of value of the same idea that has produced the foot or the meter to measure length, the pound or gram to measure weight, the degree to measure temperature and so forth. But at the time, it was doubtless the invention, perhaps, of some lazy genius who found himself oppressed by the task of calculating how many bushels of corn should exchange for one tiger skin, if three bushels of corn were equal to five bananas, twenty bananas to one goat and twenty goats to one tiger-skin. And it undoubtedly was an invention; it needed the conscious reasoning power of Man to make the step from simple barter to money accountancy." Geoffrey Crowther : *An Outline of Money*, P. 23

अध्याय : 2

मुद्रा की परिभाषा एवं कार्य

(Definition and Functions of Money)

मुद्रा की परिभाषा (Definition of Money) — मुद्रा क्या है? यद्यपि हम सभी मुद्रा के व्यवहार से पूर्णरूपेण परिचित हैं तथापि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर कम ही व्यक्ति दे सकते हैं। 'साधारणतः', मुद्रा का अर्थ धातु के बने सिक्को से समझा जाता है। किन्तु मुद्रा के सम्बन्ध में इस प्रकार की धारणा निश्चय ही अत्यधिक सकुचित है। मुद्रा के विकास के अध्ययन के क्रम में हम दख चुके हैं कि बकरी, गाय, गेहूँ, चमड़ा, पर्यर, कौड़ी, लोहा, चाँदी एवं कागज आदि का समय-समय पर मुद्रा के रूप में प्रयोग हुआ है। किन्तु, आज विश्व के किसी भी देश में सोने अथवा चाँदी के सिक्को का प्रचलन नहीं है। आजकल प्रायः 90 या 95 प्रतिशत भुगतान पत्र-मुद्रा अथवा चेक के द्वारा ही होता है।

भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की परिभाषा विभिन्न प्रकार से दी है। इन परिभाषाओं का अध्ययन इन्हें निम्नांकित तीन वर्गों में विभाजित करके किया जा सकता है :-

- (1) सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएँ (General Acceptability Definitions),
- (2) कार्यवाहक अथवा वर्णनात्मक परिभाषाएँ (Functional or Descriptive Definitions), तथा
- (3) वैधानिक परिभाषाएँ (Legalistic Definitions)।

(1) सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएँ (General Acceptability Definitions) — इस वर्ग में उन परिभाषाओं को रखा जाता है जो मुद्रा की सामान्य स्वीकृति के गुण पर आधारित हैं। इस वर्ग की परिभाषाओं में मार्शल, केन्स, राबर्टसन तथा एली आदि की परिभाषाएँ आती हैं। सर्वप्रथम तो प्रो० राबर्टसन (Robertson) के अनुसार 'मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं के मूल्य अथवा अन्य व्यापारिक दायित्वों के भुगतान में व्यापक रूप से ग्रहण की जाती है।' (Money is a commodity which is used to denote anything which is widely accepted, in payment of goods, or in discharge of other kinds of business obligations) किन्तु राबर्टसन द्वारा दी गयी मुद्रा की उपर्युक्त परिभाषा मुद्रा के केवल एक गुण - वस्तुओं तथा सेवाओं के बदल सर्वमान्यता के गुण—को ही धरती है, अतएव यह अधूरी है।

केन्स (Keynes) ने भी इसी प्रकार से मुद्रा की परिभाषा दी है इसके अनुसार "मुद्रा वह वस्तु है जिसके द्वारा ऋण-सविदा (Debt contracts) एवं मूल्य सविदा (Price contracts) का भुगतान किया जाता है एवं जिनके रूप में सामान्य क्रय-शक्ति का संचय किया जाता

1. मुद्रा का अंगरेजी पर्यायवाची शब्द Money है जो लैटिन भाषा के Moneta शब्द से बना है। मोनेटा देवी जूनो का प्रारम्भिक नाम था जिन्हे इटली में स्वर्ण की बेनी माना जाता था तथा इनके मन्दिर में ही सिक्को की वसाई का कार्य किया जाता था। अतएव देवी जूनो के मन्दिर में जिस मुद्रा का निर्माण होता था उसे भी मोनेटा कहा जाने लगा और बाद में इसी को Money कहा गया।

है।" (Money is that by the delivery of which debt-contracts and price-contracts are discharged and in the shape of which a store of general purchasing power is held.)

इसी प्रकार मार्शल (Marshall) के अनुसार "मुद्रा के अन्तर्गत वे सारी वस्तुएँ सम्मिलित की जाती हैं जो किसी समय अथवा स्थान में वस्तुओं को क्रय करने और खर्च करने में बिना सदेह अथवा विज्ञेय जाँच-पड़ताल के वगैर सामान्यतः प्रचलित रहती हैं।" [Money includes all those things which are (at any time or place) generally current without doubt or special enquiry as a means of purchasing commodities or services and of defraying expenses.]

सेलिगमैन (Seligman) के अनुसार भी "मुद्रा वह है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो।" (Money is one thing that possesses general acceptability.)

इसी प्रकार एली (Ely) के अनुसार "मुद्रा के अन्तर्गत वे सारी वस्तुएँ आती हैं जिन्हें समाज में सर्वग्राह्यता प्राप्त हो।" (Money consists of all those things which, within a society, are of general acceptability.)

इस प्रकार उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि मुद्रा के इस वर्ग की सभी परिभाषाओं में मुद्रा की एक प्रमुख विशेषता, सामान्य स्वीकृति या सर्वग्राह्यता (General acceptability) पर ही अधिक जोर दिया गया है। दूसरे शब्दों में, इन परिभाषाओं के अनुसार "मुद्रा के अन्तर्गत उन सभी वस्तुओं को रखा जाता है जो दैनिक क्रय-विक्रय, लेन-देन तथा ऋणों के भुगतान में निःसंकोच स्वीकार की जाती हैं।" मुद्रा की ये परिभाषाएँ अत्यन्त सरल तथा संक्षिप्त रूप में मुद्रा का रूप प्रकट करती हैं किन्तु इनके अनुसार चेक, बिल एवं ड्राफ्ट आदि भी मुद्रा के अन्तर्गत आ जाते हैं क्योंकि अमेरिका तथा इंग्लैंड जैसी उन्नत बैंकिंग व्यवस्था वाले देशों में इनका बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है, परन्तु ध्यानपूर्वक विचार करने से स्पष्ट होता है कि चेक तथा ड्राफ्ट वास्तव में मुद्रा नहीं हैं। इंग्लैंड तथा अमेरिका जैसे देशों में भी चेक आदि का प्रयोग केवल सुविधा के लिए ही किया जाता है। चेक बैंक जमा (Bank Deposit) के आधार पर जारी किये जाते हैं, अतः ये बैंक जमा के प्रतिनिधि मात्र हैं, स्वयं मुद्रा नहीं हैं। फिर भी, मुद्रा की तरह इनका महत्त्व होने के कारण इन्हें बैंक-मुद्रा (Bank money) या साक्ष-मुद्रा (Credit money) कहा जाता है।

(2) कार्यवाहक अथवा वर्णनात्मक परिभाषाएँ (Functional or Descriptive Functions) :—दूसरे वर्ग की परिभाषाओं में वे परिभाषाएँ आती हैं जो मुद्रा के कार्यों का विशेष रूप से वर्णन करती हैं। अतः इन्हें कार्यवाहक अथवा वर्णनात्मक परिभाषाएँ कहा जाता है। इनमें निम्नांकित उल्लेखनीय हैं :—

क्राउथर (Crowther) के अनुसार "मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः सर्वग्राह्य हो तथा साथ ही जो मूल्य-मापन एवं मूल्य-संचय का कार्य करती हो।" (Anything that is generally acceptable as a means of exchange and at the same time acts as a measure and as a store of value is called money.—Crowther.)

प्रो० हार्टले विदर्स (Hartley Withers) की परिभाषा भी इसी प्रकार से है :—“मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो।” (Money is what money does.) यह परिभाषा मु० मी० सं०—2

बहुत अधिक विस्तृत इसलिये है कि इसके अनुसार मुद्रा क अन्तर्गत वे सारी वस्तुएँ आती हैं जिनका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है। अतएव, इसके अनुसार सिक्को तथा पत्र मुद्रा के अतिरिक्त चेक, विनिमय बिल एव हुंडी आदि भी मुद्रा के अन्तर्गत आ जाते हैं।

वाकर (Walker) के अनुसार "मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं के मूल्य अथवा ऋणों के भुगतान में स्वतन्त्रतापूर्वक हस्तांतरित होती रहती है, जो भुगतान करने वाले व्यक्ति के चरित्र अथवा साख के पता लगाये बगैर ही स्वीकार की जाती है, और जो व्यक्ति इसे प्राप्त करता है वह इसका उपयोग स्वयं नहीं कर इसे किसी-न किसी समय विनिमय द्वारा स्थानांतरित कर देता है।" (Money is that which passes freely from hand to hand in full payment of goods or in final discharge of indebtedness being accepted equally without reference to the character or credit of the person tendering it and without any intention on the part of the person receiving it himself to consume it or otherwise use it than by passing it on sooner or later in exchange)

वाकर की परिभाषा के अनुसार भी चेक (Cheque) तथा हुंडी आदि मुद्रा के अन्तर्गत नहीं आते क्योंकि इनके देनेवाले की साख की जांच किये बगैर इन्हें कोई स्वीकार नहीं करता। इससे स्पष्ट है कि मुद्रा का विशेष गुण इनकी सर्वग्राह्यता है और वूँकि चेक एव विनिमय बिल में यह गुण वर्तमान नहीं है, अतएव इन्हें मुद्रा नहीं कहा जा सकता।

प्रो० कोल (Cole) के अनुसार "मुद्रा त्रय शक्ति है कोई भी वस्तु जिससे अन्य वस्तुएँ खरीदी जा सकती हैं।" (Money is purchasing power something which buys other things) प्रो० कोल ने चेक एव विनिमय बिलों को मुद्रा की श्रेणी में नहीं रखा है। इस प्रकार इनके अनुसार मुद्रा एव त्रय-शक्ति पर्यापवाची शब्द हैं।

कोलबर्न (Coulborn) के अनुसार "मुद्रा वह है जो मूल्य-मापन तथा भुगतान का साधन है।" (Money may be defined as the means of valuation and of payment—Coulborn) कोलबर्न की परिभाषा के अनुसार मुद्रा के अन्तर्गत वे सारी वस्तुएँ आती हैं जो मूल्य-मापन तथा भुगतान के साधन के रूप में प्रयोग की जाती हैं।

इसी प्रकार ट्रेसकोट (Trescott) के अनुसार 'मुद्रा का कार्य करनेवाली प्रत्येक वस्तु चाहे वह धातु, सिक्का, सिगरेट अथवा सापियों की माला ही क्यों न हो, मुद्रा है।' (Whatever serves as money is money, whether it be a metal, coin, cigarette or a string of shells)

उपरोक्त परिभाषाओं में मुद्रा के कार्यों का वर्णन दिया गया है। दूसरे शब्दों में, मुद्रा क्या है इसका उत्तर मुद्रा के कार्यों के वर्णन के द्वारा दिया गया है। नाउथर, कोलबर्न आदि द्वारा दी गयी परिभाषाओं के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापन, भुगतान के साधन तथा मूल्य सचय के आधार का कार्य करती है। कोलबर्न ने विनिमय के माध्यम तथा मूल्य मापन को मान्यता प्रदान की है तो नाउथर ने इन श्रेणियों के भुगतान तथा सचय का आधार भी माना है। दूसरी ओर, ट्रेसकोट इन लोगों से भी एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। इनके अनुसार मुद्रा का कार्य करनेवाली प्रत्येक वस्तु चाहे वह धातु, सिक्का अथवा सिगरेट ही क्यों न हो, मुद्रा है। इस प्रकार मुद्रा की इन परिभाषाओं में मुद्रा के कार्यों का ही वर्णन किया गया है। दूसरे शब्दों में, मुद्रा की परिभाषा का जानने के लिए इसके कार्यों का वर्णन अनिवार्य

है। जतन यह कहा जा सकता है कि ये विचार मुद्रा के कार्यों का वर्णन करते हैं, मुद्रा की परिभाषा नहीं प्रस्तुत करते। साथ ही, इनमें मुद्रा की प्रमुख विशेषताओं—सर्वग्राह्यता, जनता का विश्वास आदि की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया है।

(3) वैधानिक परिभाषाएँ (Legalistic Definitions).—सामान्य स्वीकृति तथा वर्णनारम्भक परिभाषाओं का एक प्रधान दोष यह है कि इनमें मुद्रा की वैधानिक मान्यता को कोई स्थान नहीं दिया गया है, किन्तु आधुनिक समय में कोई भी वस्तु शासकीय स्वीकृति के द्वारा मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं की जाती।

अतः, वैधानिक दृष्टिकोण से भी मुद्रा की परिभाषाएँ दी जाती हैं। ये परिभाषाएँ मुद्रा के राजकीय सिद्धांत (State Theory of Money) पर आधारित हैं। इस वर्ग की परिभाषाओं में प्रो० नैप (Knapp) तथा हाट्ट्रे (Hawtrey) की परिभाषाएँ श्रेष्ठ हैं। वैधानिक विचार के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे सरकार द्वारा मुद्रा घोषित किया जाता है तथा जिसे स्वीकार करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति बाध्य होता है। नैप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा हो जाती है। दूसरे शब्दों में, नैप के अनुसार “मुद्रा राजकीय नियमों की सृष्टि है।” (Money is created by the imprimature of law). नैप के अनुसार, “कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है।” (Anything which is declared money by the state, becomes money). यानी नैप के शब्दों में राजकीय नियम किसी वस्तु को मुद्रा घोषित करते हैं और कानून के बल पर सम्पूर्ण समाज में इसे सर्वमान्य बनाते हैं। इस प्रकार राज्य मुद्रा की वैधानिक मान्यता को सुरक्षित बनाता है। किन्तु नैप (Knapp) की परिभाषा में कुछ दोष स्पष्टतः नजर आते हैं। सर्वप्रथम तो नैप ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मुद्रा की स्वीकृति केवल सरकारी घोषणा एवं शक्ति पर ही नहीं, बल्कि जनता के विश्वास पर भी निर्भर करती है। जब कभी सरकार द्वारा घोषित मुद्रा पर से जनता का विश्वास समाप्त हो जाता है तो लोग इसे मानने के लिये तैयार नहीं होते। प्रथम महायुद्ध के बाद जर्मनी में इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से भी इस परिभाषा में कुछ दोष बतलाये जाते हैं, किन्तु इन सबके बावजूद हर एक देश की भौतिक व्यवस्था उत्तरोत्तर मुद्रा की राजकीय धारणा की ओर ही अग्रसर होती जा रही है।

इस प्रकार मुद्रा की विभिन्न परिभाषाएँ दी जाती हैं। इन परिभाषाओं से मुद्रा के निम्नांकित दो तत्त्व स्पष्ट हो जाते हैं :—सर्वप्रथम तो मुद्रा की एक प्रमुख विशेषता इसकी सामान्य स्वीकृति (General acceptability) है। मुद्रा होने के लिए किसी वस्तु में सामान्य स्वीकृति का गुण होना आवश्यक है। नहत-सी वस्तुएँ केवल किसी खास कार्य के लिए स्वीकार्य

* मुद्रा की कुछ अन्य परिभाषाएँ इस प्रकार हैं :—

1. “An article that has the function of common measure for the valuation of other goods is called money. The primary and fundamental function of money is to secure as the basis of a scale of reckoning by which the values of exchangeable commodities can be determined.” (Gustav Cassel—*The Theory of Social Economy*, p 4.)

2. “We understand, therefore, by the term ‘money’ the complex of those objects which in a given economic area and in a given economic system have as their normal purpose the facilitation of economic intercourse or the transfer of values between economic individuals.” (Karl Helfferich : *Money*, Vol 1. p. 281)

होती है, किन्तु उन्हें सभी वस्तुओं के मूल्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः वे मुद्रा नहीं हैं। इसका दूसरा तत्व यह है कि कोई भी वस्तु जो सर्वमान्य हो, मुद्रा हो सकती है। वृद्ध से लेखकों ने केवल उन्हीं वस्तुओं को मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है जो कानूनी रूप से मुद्रा घोषित की गयी हो। इस दृष्टिकोण से बैंक-जमा मुद्रा नहीं है क्योंकि इसे कानूनी मान्यता नहीं प्राप्त है। फिर भी, बैंक जमा (Bank Deposit) का भी उसी तरह प्रयोग किया जाता है तथा इसका आर्थिक व्यवस्था पर ठीक उसी प्रकार से प्रभाव पड़ता है जिस प्रकार से बैंक-नोट का। अतएव, ये दोनों मुद्रा हैं। अर्थशास्त्र के विचार्यों के लिए इन दोनों में वस्तुतः कोई अन्तर नहीं है।

अतः मुद्रा का एक प्रधान गुण सामान्य स्वीकृति है। उक्त सारे गुणों के आधार पर मुद्रा की एक सरल परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है—“कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के सामान्य मापक, ऋण के भुगतान के मापदण्ड और अर्घ के संचय के साधन के रूप में स्वतन्त्र, विस्तृत तथा सामान्यतया सर्वग्राह्य हो, मुद्रा कहलाती है।” कोई भी पदार्थ, जिसमें उक्त लिखित सारे गुण हो, मुद्रा हो सकता है। मुद्रा के लिए अपने-आप में मूल्यवान होना कोई आवश्यक नहीं है। इस प्रकार मुद्रा-पदार्थ का रूप कुछ भी हो सकता है और वास्तविकता भी यही है कि विभिन्न स्थान तथा विभिन्न काल में अलग-अलग वस्तुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग हुआ है।

मुद्रा के कार्य

(Functions of Money)

वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल में मनुष्य की आवश्यकताएँ बहुत कम थी इसलिए विनिमय की आवश्यकता भी बहुत ही कम पड़ती थी किन्तु जैसे-जैसे मानवीय आवश्यकताएँ बढ़ती गयी, वैसे-वैसे श्रम-विभाजन का विस्तार होता गया और श्रम-विभाजन के साथ-साथ विनिमय एवं मुद्रा का महत्त्व भी उत्तरोत्तर बढ़ता गया। मुद्रा आधुनिक समाज में बहुत-से कार्यों को सम्पन्न करती है। अतएव, मुद्रा की प्रकृति की जानकारी के लिए इसके कार्यों की पूर्ण जानकारी आवश्यक है। साधारणतया मुद्रा के चार कार्यों पर ही अत्यधिक जोर दिया जाता है। वे हैं (क) विनिमय का माध्यम (Medium of exchange), (ख) मूल्य का मापक (Standard measure of value), (ग) स्थगित भुगतान का मान (Standard of deferred Payment), तथा (घ) मूल्य का संचय (Store of value)।¹ किन्तु आजकल अर्थशास्त्रियों द्वारा मुद्रा के और भी बहुत-से कार्य बतलाये जाते हैं। मुद्रा के इन विभिन्न कार्यों का अध्ययन हम इन्हें निम्नांकित तीन वर्गों

3. Money is “anything that is commonly used and generally accepted as a medium of exchange or as a standard of value.” (R. P Kent: *Money and Banking, Fourth Edition, p. 4.*)

4. Ely defines money as “anything that passes freely from hand to hand as a medium of exchange and is generally received in final discharge of debts” (*Elementary Principles of Economics*)

5. Hart and Kenen have defined money as that property with which the owner can pay off a definite amount of debt with certainty and without delay’ — *Money, Debt and Economic Activity-Third Edition, p. 4.*

1. Money is a matter of functions four,
A medium, a measure, a standard and store.

में विभाजित करके करेंगे :—

- (1) प्राथमिक कार्य (Primary Functions);
- (2) गौण कार्य (Secondary Functions), तथा
- (3) आकस्मिक कार्य (Contingent Functions) ।

(1) प्राथमिक कार्य (Primary Functions) :—मुद्रा के प्राथमिक कार्य वे कार्य हैं जिन्हें मुद्रा आर्थिक विकास की प्रत्येक अवस्था में करती है । इन कार्यों को मुद्रा के मौलिक कार्य (Original functions) अथवा मुख्य कार्य भी कहा जाता है । मुद्रा के निम्नांकित दो प्राथमिक कार्य हैं :—

- (क) विनिमय का माध्यम (Medium of Exchange), तथा
- (ख) मूल्य-मापन की इकाई (Unit of Account) ।

(क) विनिमय का माध्यम (Medium of exchange) :—मुद्रा का सर्वप्रमुख कार्य यह है कि यह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है । (Money serves as a medium of exchange) आज की आर्थिक व्यवस्था विनिमय पर ही आधारित है और विनिमय का कार्य मुद्रा को माध्यम मानकर किया जाता है । इस रूप में मुद्रा सबसे अधिक तरल साधन (liquid asset) है । मुद्रा के आविष्कार के पहले समाज में वस्तु-विनिमय प्रणाली का प्रचलन था जिसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप में एक-दूसरे के साथ विनिमय होता था । किन्तु वस्तु-विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के अभाव (Lack of double coincidence of wants) में विनिमय के कार्य में बहुत अधिक कठिनाई होती थी । मुद्रा वस्तु-विनिमय प्रणाली की इस कठिनाई को दूर करती है । अब विनिमय का कार्य मुद्रा को माध्यम मानकर किया जाता है । पहले वस्तु अथवा सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त की जाती है और तब इस प्रकार से प्राप्त मुद्रा से आवश्यकता की अन्य वस्तुएँ प्राप्त की जाती हैं । अतएव, मुद्रा ने विनिमय के कार्य को बहुत ही सरल तथा सहज बना दिया है, किन्तु इस कार्य को सम्पादित करने के लिए मुद्रा का सर्वप्राप्त्य होना नितांत आवश्यक है । (Money must be generally acceptable) सर्वप्राप्त्य होने के कारण सभी व्यक्ति मुद्रा को किसी कठिनाई के बिना ही स्वीकार कर लेते हैं । सभी इस बात को जानते हैं कि चूंकि मुद्रा में सामान्य अर्थ-शक्ति (General Purchasing Power) निहित है, अतएव इसके द्वारा वे अपनी आवश्यकता की मारी वस्तुएँ भी सुगमतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं । इस प्रकार मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है ।

(ख) मूल्य का मापक या मूल्य मापन की इकाई (Standard of Value or Unit of Account) :—मुद्रा का दूसरा प्रमुख कार्य यह है कि यह मूल्य-मापन की इकाई का कार्य करती है । (Money serves as unit of account.) मुद्रा मूल्य का मापक है । जिस प्रकार से किसी स्थान की लम्बाई-चौड़ाई को मीटर से, वजन को बिंदल या किलो से मापा जाता है, ठीक उसी प्रकार से किमी वस्तु के मूल्य को मुद्रा के द्वारा मापा जाता है । मुद्रा के अभाव में मूल्य का कोई सामान्य मापक नहीं था जिससे वस्तुओं का मूल्य एक-दूसरे के सम्बन्ध में व्यक्त करना पड़ता था । इससे विनिमय में अनुपात को निश्चित करने में बहुत अधिक कठिनाई होती थी । किन्तु आज हरेक वस्तु अथवा सेवा का मूल्य मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है जिससे विनिमय में अनुपात को निश्चित करने में कोई कठिनाई नहीं होती । मुद्रा को मूल्य के मापक के रूप में प्रयोग करने में आर्थिक गणना का कार्य बहुत ही सुगम हो जाता है ।

उपभोक्ता को इमते अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ खरीदने में सुगमता होती है तथा इनकी माँग के अनुसार ही उत्पादन भी वस्तुओं का उत्पादन करता है। व्यवस्थापन उत्पादन के साधनों का मूल्य जानता है जिससे वह उत्पादन का संगठन सर्वोत्तम तरीके से करता है। इस प्रकार मुद्रा का मूल्य-मापक के रूप में कार्य आर्थिक व्यवस्था के लिए नितांत महत्त्वपूर्ण है।

विनिमय के माध्यम तथा मूल्य-मापन के कार्यों का आपसी सम्बन्ध (Inter-relationship Between Medium of Exchange and Unit of Account) :- मुद्रा के उपरोक्त दो प्राथमिक कार्य हैं। मुद्रा के इन दोनों प्राथमिक कार्यों में बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। वास्तव में, मुद्रा के ये दोनों कार्य एक ही समय पर तथा साथ-साथ सम्पन्न किये जाते हैं। यह विलुक्त स्पष्ट है क्योंकि किसी भी वस्तु अथवा सेवा के विनिमय के पूर्व उसका मूल्य जानना आवश्यक है। जबतक विनिमय की जानेवाली वस्तु का मूल्य मुद्रा के रूप में नहीं व्यक्त किया जाता तब तब मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब दूकानदार यह बतला देता है कि चावल 100 रुपये प्रति क्विंटल है तभी ग्राहक यह निश्चित करता है कि उसे कितना चावल खरीदना है। इस प्रकार पहले वस्तुओं का मूल्य मुद्रा के रूप में आँका जाता है, तत्पश्चात् निश्चित अनुपात पर वस्तुओं की बदला-बदली की जाती है। अतएव मूल्य-मापन के बाद ही विनिमय की गिया प्रारम्भ होती है।

इसी प्रकार वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य-मापन सदा उसी वस्तु के रूप में होता है जो विनिमय का माध्यम हो। उदाहरण के लिए, भारत में रुपया विनिमय का माध्यम है, अतएव वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य रुपये के रूप में ही व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार जर्मनी में मार्क, जापान में येन, रूस में रबल, ब्रिटेन में पाउंड तथा अमेरिका में डॉलर विनिमय के माध्यम हैं, अत इन देशों में वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य भी इन्हीं के रूप में व्यक्त किया जाता है।

(2) गौण कार्य (Secondary Functions) — मुद्रा के गौण कार्यों के अन्तर्गत उनके अपेक्षाकृत कम महत्त्व के कार्य आते हैं। ये कार्य समाज के आर्थिक विकास के साथ-साथ दृष्टि-गोचर होते हैं। इन कार्यों की उत्पत्ति भी मुद्रा के प्राथमिक कार्यों से ही होती है, अतएव, इन्हें गौण व्यक्त सहायक या वही-रुर्मा व्युत्पादित कार्य (Derived Functions) भी कहा जाता है। मुद्रा के गौण कार्य निम्नांकित हैं —

- (क) विलम्बित भुगतान का मान (Standard of deferred payment),
- (ख) मूल्य-संचय (Store of value), तथा
- (ग) क्रय-शक्ति का हस्तांतरण (Transfer of Purchasing Power)।

(क) विलम्बित भुगतान का मान (Standard of deferred payment) — मुद्रा का पहला गौण कार्य यह है कि यह विलम्बित भुगतान के मान का कार्य करती है। आधुनिक युग में भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए उधार लेने अथवा देने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे शब्दों में, आज के व्यवसाय में साल का सर्वाधिक महत्त्व है। ऋण के लेन-देन का कार्य मुद्रा के माध्यम से ही होता है। वस्तुओं के रूप में ऋण के लेन-देन के कार्य में कठिनाई होती है। अतएव आज इस कार्य के लिए एक प्रामाणिक वस्तु के रूप में मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। मुद्रा में कुछ ऐसी विशेषताएँ होती हैं जो इसे इस कार्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बना देती हैं। सर्वप्रथम तो अन्य वस्तुओं की अपेक्षा मुद्रा के मूल्य में बहुत कम परिवर्तन होता है। इससे ऋण के लेन-देन में दोनों पक्षों को हानि-दाने की संभावना नहीं रहती। साथ ही, मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण भी पाया जाता है जिससे इसे सभी स्वीकार करते हैं। अन्य वस्तुओं की अपेक्षा मुद्रा में टिका-

अपन भी अधिक होता है। इन सारी विशेषताओं के परिणामस्वरूप मुद्रा इस कार्य के लिए बहुत ही उत्तम होती है। मुद्रा के इस कार्य का आधुनिक युग में बहुत अधिक महत्त्व है। इससे समाज में उधार लेने अथवा देने की व्यवस्था को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला है जिससे समाज का इतने बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास सम्भव हुआ है।

(ख) मूल्य का संचय (Store of value)—मुद्रा मूल्य अथवा क्रय-शक्ति के संचय का भी साधन है। वस्तु-विनिमय प्रणाली के अन्तर्गत मूल्य-संचय के साधन का अभाव था जिससे उस समय लोगों को अपनी वचत का संचय वस्तुओं के रूप में ही करना पड़ता था किन्तु वस्तुओं के रूप में मूल्य-संचय में बहुत अधिक असुविधा होती है। साथ ही, वस्तुओं को बहुत दिनों तक संचय नहीं किया जा सकता है। मुद्रा इस कठिनाई को भी दूर करती है। आज मूल्य का संचय मुद्रा के रूप में किया जाता है और चूँकि इसमें सामान्य क्रय-शक्ति (General purchasing power) पायी जाती है, अतः इससे कभी भी आवश्यकतानुसार वस्तुएँ तथा सेवाएँ प्राप्त की जा सकती हैं।

मूल्य-संचय (Store of value) के रूप में मुद्रा का कार्य आजकल बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है क्योंकि आर्थिक विकास के लिए बहुत अधिक मात्रा में पूँजी की आवश्यकता पड़ती है और पूँजी का निर्माण (capital formation) वचत पर ही निर्भर करता है। इस प्रकार मुद्रा मूल्य अथवा क्रय-शक्ति के संचय का सर्वाधिक उपयुक्त साधन है।

(ग) क्रय-शक्ति का हस्तांतरण (Transfer of Purchasing Power)—मुद्रा का एक आवश्यक कार्य क्रय शक्ति का हस्तांतरण भी है। वास्तव में, विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करने के ही कारण मुद्रा मूल्य के हस्तांतरण का सर्वोत्तम साधन बन गयी है। आर्थिक विकास के साथ-ही-साथ विनिमय के क्षेत्र का निरंतर विस्तार होते जा रहा है। इससे वस्तुओं का क्रय-विक्रय दूर-दूर तक होने लगा है। इस कार्य के लिए क्रय-शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान में हस्तांतरित करने की आवश्यकता भी उत्पन्न हुई। मुद्रा इन कार्य को भी अत्यधिक सफलतापूर्वक सम्पन्न करती है।

(3) आकस्मिक कार्य (Contingent Functions) प्रो० किनले (Kinley) ने मुद्रा के आकस्मिक कार्यों का वर्णन किया है। किनले के अनुसार उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त आर्थिक दृष्टि से उन्नत देशों में मुद्रा चार अन्य कार्यों को भी सम्पन्न करती है। इन कार्यों को मुद्रा के आकस्मिक कार्य कहा जाता है। आर्थिक जीवन के विकास की प्रारम्भिक अवस्था में मुद्रा इन कार्यों को सम्पन्न नहीं करती थी, किन्तु आधुनिक समय में हरेक उन्नत देश में यह इन कार्यों को सम्पन्न करती है। प्रो० किनले (Kinley) के अनुसार मुद्रा के ये चार आकस्मिक कार्य इस प्रकार हैं —

(1) मुद्रा साख के आधार का कार्य करती है (Money serves as a basis of credit) :—वर्तमान युग में साख के महत्त्व से हम पूर्णरूपेण परिचित हैं। आज 'साख-पत्रों' (Credit instruments) का प्रयोग मुद्रा की ही तरह होता है। मुद्रा साख-पत्रों का आधार है, यानी मुद्रा के आधार पर ही साख-पत्रों को जारी किया जाता है। बैंक तथा अन्य संस्थाएँ जिस साख का सृजन करती हैं, वह मुद्रा पर ही आधारित है। उदाहरण के लिए, जब कोई बैंक नोट जारी करता है अथवा बैंक जमा (Bank Deposit) का सृजन करता है, तब वह अपने प्राहकों को मांग को पूरा करने के लिए कुछ नकद मुद्रा (Cash reserve) अपने पास रखता


है। पर्याप्त मात्रा में नकद मुद्रा नहीं रहने पर अपने ग्राहकों की माग को पूरा करने में वह अममर्थ होता है जिससे बैंक की साल समाप्त हो जाती है। स्पष्ट है कि मुद्रा साल के आधारे का कार्य करती है।

(ii) मुद्रा सामाजिक आय के वितरण में सहायता प्रदान करती है (Money facilitates the distribution of social income)—वर्तमान युग में उत्पादन का कार्य सामूहिक रूप से किया जाता है। उत्पादन विभिन्न साधनों के सहयोग से होता है। अतः ये सब साधन मिल कर जिस वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन करते हैं, उसे राष्ट्रीय लाभांश (National Dividend) कहा जाता है। इस राष्ट्रीय लाभांश का पुनः उत्पादन के विभिन्न साधनों के बीच वितरण किया जाता है। मुद्रा इस सामाजिक आय अथवा राष्ट्रीय लाभांश के वितरण के कार्य को सुलभ बनाती है। मुद्रा के प्रयोग द्वारा सभी साधनों के उचित मूल्य की आंका जाता है और पुनः मुद्रा के रूप में ही इनका इन साधनों के बीच वितरण किया जाता है। किन्तु ने इस सम्बन्ध में ठीक ही कहा है कि "Without money, or its equivalent, the apportionment of the product among the various producers would be impossible in a state of highly specialised labour, for otherwise each would have, to get in kind everything that he helped to produce"

(iii) मुद्रा सभी प्रकार के धन अथवा पूँजी को एक सामान्य रूप प्रदान करती है (Money gives a general form to capital) :—आज के युग में धन अथवा पूँजी को मुद्रा के रूप में ही रखा जाता है। इससे पूँजी की तरलता (Liquidity) एवं गतिशीलता (mobility) में वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में, इससे पूँजी का लाभपूर्ण तरीके से उपयोग सम्भव होता है। मुद्रा के प्रयोग द्वारा ही यह सब सम्भव हुआ है।

(iv) मुद्रा उपभोक्ताओं को उनकी आय से सम-सीमांत उपयोगिता प्राप्त करने में भी सहायक होती है (Money helps the consumers to attain equal-marginal utility from their income) :—मुद्रा के प्रयोग से ही उपभोक्ता अपनी आय से अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करता है। इसकी सहायता से वह अपनी आय का सामान्यीकरण करता है तथा इसे विभिन्न मर्दों में इस प्रकार से व्यय करता है कि व्यय की सभी मर्दों से समान उपयोगिता प्राप्त हो। इस प्रकार मुद्रा की सहायता से उपभोक्ता अपनी आय से अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त कर पाता है। उत्पादन के क्षेत्र में भी मुद्रा के प्रयोग से सभी साधनों की सीमांत उत्पादकता (Marginal productivity) को बराबर करने में सुविधा मिलती है जिससे उत्पादन अधिकतम होता है। इस प्रकार ये मुद्रा के आकस्मिक कार्य हैं। मुद्रा के इन कार्यों को आकस्मिक इसलिए कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति मुद्रा के प्राथमिक कार्यों, विनिमय के माध्यम तथा मूल्य-मापन की इकाई से ही होती है।

मुद्रा के उपरोक्त कार्यों को निम्नांकित तालिका से भी अधिक स्पष्ट किया जा सकता है—



इस प्रकार मुद्रा अनेक महत्वपूर्ण कार्य करती है। राष्ट्र के आर्थिक विकास के साथ-साथ मुद्रा के इन कार्यों का महत्व भी उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है।

विशेष अध्ययन-सूची

1. Crowther : An Outline of Money, chapter I.
2. D. H. Robertson : Money, chapter I.
3. J. M. Keynes : A Treatise on Money, chapter I
4. L. V. Chandler : The Economics of Money and Banking, chapter I.

अध्याय : 3

आर्थिक जीवन में मुद्रा का महत्त्व

(Importance of Money in Economic life)

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में मुद्रा का महत्त्व (Role of the Money in Classical Economics) :- आधुनिक मानव के आर्थिक जीवन में मुद्रा का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। किन्तु प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों (Classical Economists) ने अपने विचारों में मुद्रा को कोई महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं प्रदान किया था। इन लोगों के अनुसार अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा विलकुल अनावश्यक तथा महत्त्वहीन वस्तु थी। आदम स्मिथ (Adam Smith) जो प्रतिष्ठित सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे, ने मुद्रा की निष्पक्षता को स्पष्ट करने के लिए इसकी तुलना उस सड़क से की जो जो स्वयं घास की एक पत्ती का भी उत्पादन नहीं कर सकती थी। इन लोगों के अनुसार मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करके समाज में उत्पादन तथा वितरण की प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बनाने में सहायक सिद्ध होनी है।

इस प्रकार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचारों में मुद्रा का कोई महत्त्व नहीं था। उदाहरण के लिए, सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मिल (John Stuart Mill) के अनुसार मुद्रा का समाज की अर्थ-व्यवस्था में कोई महत्त्व नहीं है। मुद्रा सामाजिक अर्थ-व्यवस्था में माड़ी के पाँचवें पहिये की तरह है जो वस्तुतः अनावश्यक है। सामाजिक अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा की महत्त्वहीनता की चर्चा करते हुए मिल लिखते हैं कि "समाज में मुद्रा के प्रयोग से मूल्य के उन नियमों पर, जो वस्तु-विनिमय प्रणाली में भी लागू होते हैं, कोई अंतर नहीं आता। सामाजिक अर्थ-व्यवस्था में, वस्तुतः मुद्रा से अधिक महत्त्वहीन वस्तु कोई नहीं है। यदि समाज में इसका कोई उपयोग है तो यह यह है कि इससे केवल धम तथा समय की बचत होती है। यह वास्तव में उस मशीन की तरह है जिससे किसी भी उस कार्य को जिसे इसकी सहायता के बगैर करने में देर तथा अनुभव होता है, शीघ्र तथा सुविधा के साथ किया जाता है। दूसरी सब मशीनों की तरह अर्थ-व्यवस्था पर इसका उस समय तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता जबतक कि यह अव्यवस्थित नहीं हो जाय।"¹

इस प्रकार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा का उत्पादन एवं रोजगार पर प्रायः कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मुद्रा तो केवल विनिमय का माध्यम है। अतएव अधिक-से-अधिक यह दिन-प्रतिदिन के लेन-देन में स्फूर्ति उत्पन्न कर सकती है। इनके अनुसार, "मुद्रा एक रैपर है जिसमें बाँधकर वस्तुएँ आपके पास आती हैं।" (Money is a wrapper in which goods

1. "It must be evident, however, that the mere introduction of a particular mode of exchanging things for one another by first exchanging a thing for money and then exchanging the money for something else, makes no difference in the essential character of transactions. There cannot, in short, be intrinsically a more insignificant thing in the economy of society than money, except in the character of a contrivance of saving time and labour. It is a machine for doing quickly and commodiously, what would be done, though less quickly and commodiously without it, and like many other types of machinery, it only exerts a distinct and independent influence of its own when it gets out of order" — J. S. Mill : *The Principles of Political Economy*,

come to you), यानी "मुद्रा आर्थिक जीवन-रूपी शरीर द्वारा धारण किये गये वस्त्र की तरह है।" (Money is the garment wrapped round the body of economic life) दूसरे शब्दों में, मुद्रा एक प्रकार का आवरण है जिसमें लिपट कर वस्तुएँ बाजार में आती हैं। इनके अनुसार सभी प्रकार के लेन-देन वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में होते हैं। मुद्रा तो इस क्रिया के संचालन का केवल माध्यम-मात्र है। अतएव जब लोग मुद्रा की इच्छा करते हैं तो वे वास्तव में वस्तुओं तथा सेवाओं की इच्छा करते हैं जिन्हें मुद्रा के द्वारा क्रय किया जा सकता है।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण में दोष—मुद्रा के प्रति प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की इस प्रकार की उपेक्षा का प्रधान कारण उनका यह विश्वास था कि मुद्रा सदा सहज ढंग से कार्य करती है और इसके अन्वयस्थित होने तथा अर्थ-व्यवस्था पर स्वतंत्र प्रभाव डालने की संभावनाएँ बहुत ही कम रहती हैं। उनका यह तर्क था कि दीर्घकाल में मुद्रा की पूर्ति का इसकी मांग से स्वतः समायोजन हो जाता है। इन अर्थशास्त्रियों का सर्वाधिक प्रधान दोष यह था कि इन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि लोग केवल वस्तुओं तथा सेवाओं को क्रय करने के लिए ही मुद्रा की मांग नहीं करते, वरन् नवद मुद्रा को परिक्ल्पना के उद्देश्य से भी अपने पास रखते हैं। ज्योहि परिक्ल्पना के उद्देश्य से मुद्रा की मांग को मुद्रा की मांग का एक प्रमुख कारण माना जाता है, 'से' का सुप्रसिद्ध नियम¹ मौद्रिक अर्थ-व्यवस्था के अतगत क्रियाशील नहीं रह जाता क्योंकि लोग मुद्रा की मांग केवल वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने के लिए ही नहीं करते, वरन् इसलिए भी करते हैं कि मुद्रा के स्वामित्व को अन्य कारणों से भी महत्वपूर्ण समझा जाता है। इस प्रकार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की विचारधारा आजकल के अर्थशास्त्रियों को मान्य नहीं है। वास्तव में, आजकल हम मुद्रा के प्रयोग के बहुत अधिक अग्रस्त हो गये हैं।

आजकल समाज में मुद्रा का एक प्रधान कार्य सामान्य आर्थिक क्रियाओं का नियमन तथा सामाजिक सुधारों को संभव बनाना भी है। दूसरे शब्दों में, मुद्रा अब महत्वहीन नहीं रहकर समाज में आर्थिक तथा सामाजिक सुधारों के साधन के रूप में कार्य कर रही है। जिस प्रकार विचार विनिमय के लिए लेखन तथा मुद्रण का महत्व है, ठीक उसी प्रकार वस्तुओं के विनिमय के लिए मुद्रा अनिवार्य है। "वास्तव में विनिमय की वर्तमान प्रणाली सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं से इस प्रकार घुलमिल गयी है कि यदि इसे अचानक नष्ट कर दिया जाय तो जीवन की अधिकांश अन्वयार्थ सामान्य हो जायेंगी। इसके अधिकांश सुप्रभाव, जिन्हें सामान्यतः मुद्रा के विचारों से सम्बन्धित नहीं किया जाता है, का लोप हो जायगा तथा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के दृष्टिकोण तथा भावनाएँ जो मुद्रा द्वारा उत्पन्न सम्पर्क पर आधारित हैं, अधिकांशतः नष्ट हो जायेंगी।"²

इससे आधुनिक आर्थिक जीवन में मुद्रा का महत्व स्पष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, किसी देश की मौद्रिक व्यवस्था उस देश की आर्थिक प्रगति का भी द्योतक होती है। वास्तव में, किसी देश का आर्थिक विकास उसकी विनिमय व्यवस्था का कारण एव परिणाम दोनों ही होता है किन्तु विनिमय-व्यवस्था भी औद्योगिक मण्डल के अनुसार परिवर्तित होती है।

1 "Supply creates its own demand"

2 "So interwoven with all phases of the life of the society is the modern system of exchange that were suddenly destroyed, much that is best in civilised life would be swept away, much of its noblest influences which are commonly thought of as far removed from contact with thoughts of money, would vanish."

अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 'Evolution of Modern Capitalism' में हॉब्सन (J. A. Hobson) ने ठीक ही लिखा है कि "यात्रिक प्रणाली के अन्तर्गत उत्पादन की विधियों में परिवर्तन के अनुरूप ही भौतिक प्रणाली बदलती तथा पेशेवादी होती चली जाती है। उत्पादन एवं वितरण की वर्तमान प्रणाली में मुद्रा की राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय प्रवृत्ति तथा साख के विस्तृत आकार का अधिक महत्त्व इसका प्रमाण है। वास्तव में, सम्पूर्ण औद्योगिक आन्दोलन को ही वित्तीय अथवा भौतिक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है।" (Corresponding to the changes of productive methods under mechanical machinery, we should find the rapid growth of a complex monetary system reflecting in its international and national character, in its elaborate structure of credit, the leading characteristic of which we find in modern productive and distributive industry. The whole industrial movement might be regarded from financial or monetary point of view)

आर्थिक जीवन में मुद्रा का महत्त्व

(Importance of Money in Economic Life)

इस प्रकार वर्तमान समय में मानव के आर्थिक जीवन में मुद्रा का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान हो गया है। वास्तव में, जीवन के हर क्षेत्र में आबकान मुद्रा का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो गया है। जीवन का आर्थिक पहलू है अथवा राजनीतिक, व्यापार हो या कृषि, युद्ध हो या शांति, आज के युग में मुद्रा ही सब कुछ है। मुद्रा के बगैर हमारा सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन वस्तुतः उचित रूप से चल ही नहीं सकता। प्रो० ए० सी० एल० डे० के अनुसार "मुद्रा इतनी महत्त्वपूर्ण एवं सार्थक हो गयी है कि मुद्रा के कार्यों एवं दुष्कार्यों का अध्ययन ही अर्थशास्त्र के अध्ययन का प्रमुख अंग हो गया है।" अतएव मानव के आर्थिक जीवन में मुद्रा का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। वस्तुतः, मुद्रा हमारी आर्थिक क्रियाओं की प्रेरक शक्ति है। इमने न केवल वर्तमान समय के बड़े पैमाने के उत्पादन को ही सम्भव बनाया है, वरन् इससे आधुनिक रहन-सहन के स्तर को प्रभावित करने वाली विभिन्न वस्तुओं के विनिमय एवं वितरण की सुविधा भी प्रदान की है। रॉबर्टसन (Robertson) का इस सम्बन्ध में निम्नांकित कथन विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है :— "भौतिक अर्थ-व्यवस्था की उपलब्धि समाज को यह पता लगाने में सहाय्य होती है कि लोग क्या और कितनी मात्रा में चाहते हैं और इसलिए इन बातों के निर्णय में भी सहयोग देती है कि समाज को कितनी-कितनी वस्तुओं का तथा कितनी मात्रा में उत्पादन करना चाहिए जिससे कि समाज की सीमित उत्पादन-शक्ति का अधिकतम उपयोग हो सके। यह समाज के प्रत्येक सदस्य को यह विश्वास दिलाती है कि रोजगार के उपलब्ध साधनों में उन्हें अधिकतम उपयोग एवं भौतिक आनन्द प्राप्त हो सकेगा—यह उसे भाङ्गे की साड़ी पर आवश्यकता से अधिक यात्रा न करने एवं इसके बदले में चार्ली चंपलिन के हंसमुख चेहरे को देखने का अवसर प्रदान करती है। संक्षेप में, मुद्रा समाज में भिन्न-भिन्न वस्तुओं पर व्यक्ति की आय के वितरण को इन प्रकार से सम्भव बनाती है जिससे कि उपभोक्ता को अधिकतम संतोष प्राप्त हो सके।" (The existence of a monetary economy helps the society to discover what people want and how much they want it and so to decide what shall be produced and in what quantities, and to make best use of its limited productive power. And it helps each member of the

society to ensure that the means of enjoyment to which he has access yield him the greatest amount of actual enjoyment which is within his reach; it gives him the chance of not surfeiting himself with bus rides, or stinting himself unduly of the countenance of Charlie Chaplin.)¹ मार्शल (Marshall) ने भी मुद्रा के महत्व की व्याख्या करते हुए बतलाया है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। इनके अनुसार आधुनिक आर्थिक व्यवस्था की प्रधान विशेषता प्राचीन प्रथाओं के आधार पर निश्चित होनेवाले दायित्वों के स्थान पर वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य का मुद्रा के द्वारा निर्धारण है। संक्षेप में, मौद्रिक अर्थ-व्यवस्था के कारण ही आधुनिक समाज में आर्थिक स्वतन्त्रता का जन्म हुआ है। इसीलिए, कहा जाता है कि 'मुद्रा वस्तुतः पूँजीवाद का प्रतीक है।' (Money is the symbol of capitalism)

इससे आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा का महत्व बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। हमारी अधिकार आर्थिक क्रियाएँ मुद्रा की प्राप्ति एवं व्यय से ही सम्बन्धित हैं। इस भौतिक युग में हमारी सफलता एवं असफलता भी मुद्रा के रूप में ही मापी जाती है। इतना ही नहीं, हमारे निर्णय भी मौद्रिक इकाइयों से सम्बन्धित होते हैं। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री पीगू (Pigou) का यह कथन सत्य ही जान पड़ता है कि "आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा-रूपी वस्त्र धारण किये हुए है।" (In the modern world, industry is closely enfolded in the garment of money.) दूसरे शब्दों में, "मुद्रा आधुनिक युग में एक ऐसा केन्द्र बन गयी है जिसके चारों ओर अर्थशास्त्र का सम्पूर्ण विज्ञान चक्कर काटता है।"

इस प्रकार मुद्रा आधुनिक आर्थिक जीवन के प्रत्येक अंग को प्रभावित करती है। यह व्यापारियों को उनका पूर्ण समय अपने कार्य-व्यापार में लगाने की सुविधा प्रदान करती है। मुद्रा की महायता में ही उत्पादकगण कच्चे पदार्थ एवं अन्य सामान खरीदते हैं तथा आवश्यक श्रमिकों, विशेषज्ञों एवं प्रबन्धकों आदि की सेवाएँ प्राप्त करते हैं किन्तु मुद्रा का महत्व व्यापार तथा व्यापारियों तक ही सीमित नहीं रहता, वरन् कुशल गृह-परिचर्या को भी अपने पारिवारिक बजट बनाने में मुद्रा में सहायता मिलती है। इसमें वे एक निश्चित आय से अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करने में समर्थ होती हैं। मुद्रा समाज के असह्य उपभोक्ताओं को दुर्लभ साधनों में मितव्ययिता-पूर्ण प्रयोग करने के लिए भी प्रेरित करती है। मौद्रिक व्यवस्था पर आधारित मूल्य-प्रणाली के द्वारा ही समाज के करोड़ों व्यक्तियों के अनग-बलग निर्णयों के बीच समन्वय स्थापित हो पाता है। मूल्य-प्रणाली ही समाज के उत्पादक साधनों के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के बीच वितरण तथा पुनर्वितरण को प्रभावित करती है।

किन्तु इतना ही नहीं, मुद्रा का प्रयोग गैर-आर्थिक क्षेत्रों में भी किया जाता है। डेवेनपोर्ट (Devenport) ने इस तथ्य की व्याख्या बड़े ही रोचक शब्दों में की है—“वर्तमान समय में सभी आर्थिक तुलनाएँ मुद्रा के आधार पर ही की जाती हैं, कला, नैतिकता अथवा सौंदर्य के आकाश पर नहीं।” लोग किसी वाणिज्य-व्यवसाय में केवल जोखिका प्राप्त करने के उद्देश्य से ही नहीं, वरन् मौद्रिक रूप में धन प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रवेश करते हैं। मुद्रा प्राप्त करके सफलता प्राप्त करना ही किसी व्यक्ति की योग्यता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण माप है। कोई व्यक्ति महान् कलाकार या महान् डॉक्टर है अथवा नहीं यह उसकी आय पर

निर्भर करता है।" इससे स्पष्ट है कि मौद्रिक मापदण्ड अमौद्रिक क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्येक दिशा में आधुनिक जीवन मुद्रा के द्वारा प्रभावित होता है। यहाँ तक कि प्रायः सभी राजनैतिक एवं सामाजिक समस्याएँ तथा अन्तर्राष्ट्रीय उत्थान भी मुद्रा पर ही आधारित हैं। मुद्रा के इस महत्त्व को ध्यान में रखकर ही ट्रेसकोट ने कहा है कि, "यदि मुद्रा हमारी अर्थ-व्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त-स्रोत तो अवश्य ही है।" (If money is not the heart of our economic system, it can certainly be considered its bloodstream—Trescott)

आर्थिक प्रणाली के नियन्त्रक के रूप में मुद्रा का महत्त्व

(Importance of Money as the Regulator of the Economy)


आर्थिक प्रणाली के नियन्त्रक के रूप में भी मुद्रा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। आर्थिक जीवन में निरन्तर भुगतान होते रहता है। उपभोक्ता जिस मुद्रा से अपनी उपभोग की वस्तु खरीदता है, वह क्रमशः फुटकर व्यापारी, थोक व्यापारी तथा निर्माता के पास पहुँच कर पुनः लगान, मजदूरी, व्याज तथा लाभ आदि के रूप में व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के पास आ जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस मुद्रा का एक भाग सरकार के पास कर के रूप में भी पहुँचता है। किन्तु इसका अधिकांश भाग समाज में भी इसी प्रकार से निरन्तर चक्कर लगाते रहता है। इसे मुद्रा का वृत्ताकार प्रवाह (Circular Flow of Money) कहा जाता है। मुद्रा के इस वृत्ताकार प्रवाह का निरन्तर अबाध गति में चलते रहना देश की आर्थिक व्यवस्था को चलायमान बनाये रखने के लिए अनिवार्य है। ज्योंही इसमें किसी प्रकार की रुकावट अथवा बाधा उत्पन्न होती है त्योंही सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था असंतुलित हो जाती है। उदाहरण के लिए, 1929-32 ई० की भयानक आर्थिक मन्दी के समय विश्व के पूँजी-बाजारों में अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी थी जिसके परिणामस्वरूप विश्व को भयानक आर्थिक मन्दी का सामना करना पड़ा था।

मन्दी के समय समाज में व्यापक बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे मुधारने में मौद्रिक ऋणों का प्रयोग बड़े पैमाने पर तथा सफलतापूर्वक किया जाता है। ऐसे समय में साधारणतया मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि की जाती है और यह वृद्धि अर्थ-व्यवस्था को मन्दी के दल-दल से बाहर निकालती है तथा उत्पादन एवं रोजगारी की मात्रा में वृद्धि करने में सहायक होती है। उदाहरण के लिए, 1929-32 ई० की आर्थिक मन्दी को दूर करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने न्यू-डील की नीति का अनुसरण किया था जिसके परिणाम बहुत ही आश्चर्यजनक सिद्ध हुए थे।

इस प्रकार आधुनिक समाज की आर्थिक क्रियाओं के नियमन एवं नियन्त्रण में मौद्रिक प्रवाह का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान आर्थिक प्रणाली में हर एक व्यक्ति किसी-न-किसी प्रकार से उत्पादन के कार्य में सहयोग प्रदान करता है तथा उपभोक्ता के रूप में कुछ वस्तुओं का उपभोग करता है। उत्पादन के विभिन्न साधन—भूमि, श्रम, पूँजी तथा व्यवस्था समाज में उत्पादन की विभिन्न इकाइयों—शेतों, कारखानों, रेलों, तारखरों तथा सरकारी दफ्तरों में काम करते अपने श्रम को बेचते हैं, और इसके बदले में उन्हें लगान, मजदूरी, व्याज तथा मुनाफा के रूप में कुछ आय प्राप्त होती है। इसी आय से वे अपने उपभोग के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय करते हैं। इस प्रकार उपभोक्ता के रूप में मनुष्य जो व्यय करता है वह उत्पादक के पास पहुँच जाता है जिससे वे उत्पादन के विभिन्न साधनों को क्रय करते हैं। इस प्रकार मुद्रा का वृत्ताकार प्रवाह

संसाधन में आय-व्यय के रूप में निरन्तर प्रवाहित होते रहता है और जब तक मुद्राएँ रूप से चलते जाते हैं तब तक आर्थिक क्रियाओं का क्रम भी व्यवस्थित रूप में चलते रहता है।

निम्नांकित चित्र द्वारा अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा के वृत्ताकार प्रवाह का महत्व स्पष्ट हो जाता है :-



उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि जब तक अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह अस्त-व्यस्त नहीं होता तब तक समाज की आर्थिक क्रियाओं—उपभोग तथा उत्पादन का क्रम भी मुद्राएँ रूप में चलते रहता है। परन्तु ज्योंही इस वृत्ताकार प्रवाह में कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है त्योंही अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है। मुद्रा के इस वृत्ताकार प्रवाह में व्यवस्था दो प्रकार की होती है—या तो इसका आकार कम हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप मन्दी उत्पन्न होती है अथवा इसका परिमाण अधिक हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप तेजी का सृजन होता है। तेजी तथा मन्दी दोनों का ही समाज के आर्थिक जीवन पर अनुचित प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार मुद्रा वस्तुमान आर्थिक व्यवस्था को बहुत हद तक नियंत्रित करती है।

आयोजित अथवा समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा

(Money in a Planned or Socialist Economy)

दो प्रकार के समाज दो विरोधी आर्थिक व्यवस्थाएँ—पूँजीवादी अथवा अनियोजित अर्थ-व्यवस्था (Capitalist or Unplanned Economy) तथा समाजवादी अथवा आयोजित अर्थ-व्यवस्था (Socialist or planned Economy) पायी जाती हैं। इनमें से पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था वाले देशों में उत्पादन की शक्तियों का प्रयोग अधिकतम वैयक्तिक लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। इसके विपरीत रूस एवं चीन जैसे केन्द्रीय आयोजित अर्थ-व्यवस्था (Centrally planned Economy) वाले देशों में उत्पादन के साधनों का प्रयोग अधिकतम सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। इन दोनों प्रकार की आर्थिक व्यवस्थाओं में इस मौलिक अन्तर के परिणामस्वरूप इनमें मुद्रा के महत्व में भी अन्तर पाया जाता है। पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा एवं मूल्य का अत्यधिक महत्व है। मुद्रा पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था की पुरी है, जिसके चारों ओर सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था चक्कर काटती है। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार मूल्य एवं मुद्रा पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत श्रमिकों के शोषण के साधन रहे हैं। अतएव 1921 से 1923 ई० के बीच जब रूस युद्धकालीन साम्यवाद (War Communism) के प्रयोग से गुजर रहा था,

तो वहाँ से मूल्य एव मुद्रा को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था। किन्तु इससे कठिनाइयाँ बढ़ गयी, अतएव जब 1924 ई० में लेनिन ने अपनी नयी आर्थिक नीति (New Economic Policy) का आरम्भ किया तो पुनः मुद्रा एव मूल्य को अपनाया गया। ट्रॉट्स्की (Trotsky) के अनुसार भी आयोजित अर्थ-व्यवस्था के लिए मुद्रा एव मूल्य आवश्यक तथा अनिवार्य हैं। ट्रॉट्स्की के निम्न बयान से यह स्पष्ट हो जाता है: 'सरकारी कार्यालयों द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावों की आर्थिक उपयुक्तता व्यापारिक गणनाओं के आधार पर ही आँकी जा सकती है और ठोस मौद्रिक इकाई के बगैर व्यापारिक गणना से केवल गड़बड़ी उत्पन्न होगी।' (The blueprints produced by offices must demonstrate their economic expediency through commercial calculation. Without a firm monetary unit commercial accounting can only increase the chaos—1. D Trotsky, *Soviet Economy in Danger.*) इससे समाजवादी अथवा आयोजित अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा का महत्व बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है।

कुछ विचारकों के अनुसार आयोजित अथवा समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में जहाँ कि उपभोग की स्वतन्त्रता को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाता है, मुद्रा अनावश्यक एव बेकार हो जाती है। किन्तु इस प्रकार की धारणा वास्तव में भ्रममूलक है। प्रो० लर्नर (Lerner) ने इस में ठीक ही कहा है कि "किसी भी प्रकार की पेचीदी अर्थ-व्यवस्था के लिए मूल्य-प्रणाली के बगैर समुचित कुशलता के साथ कार्य करना सम्भव नहीं है।" (It is impossible for an economic system of any complexity to function with any reasonable degree of efficiency without a price-mechanism) ¹ जार्ज हॉलम (George Halm) ने भी समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा के महत्व की चर्चा करते हुए यह बतलाया है कि यदि उत्पादन के लक्ष्य अधिनायक के द्वारा निर्धारित किये जायें, तो भी इन लक्ष्यों के अनुसार आर्थिक साधनों का भिन्न-भिन्न उपयोगों के बीच वितरण मूल्य यंत्र के द्वारा ही निश्चित होगा क्योंकि मूल-यंत्र के द्वारा रोजगार के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में इनकी तुलनात्मक उपयोगिता का अन्दाजा लगाया जा सकता है। (Even if the aims of production should be determined by a dictator, the allocation of resources according to these aims would have to be the result of the working of pricing process by means of which it is possible to compare the usefulness of the available resources in different fields of employment).²

आयोजित अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन मुनाफा के उद्देश्य से नहीं, बरन् देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एव एक निश्चित योजना के आधार पर किया जाता है। केन्द्रीय योजनाधिकारी द्वारा उत्पादन के विभिन्न साधनों का विभिन्न उद्योगों के बीच वितरण किया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था मुद्रा के अभाव में भी चल सकती है, किन्तु इसके संचालन में बहुत-सी कठिनाइयाँ होंगी तथा अर्थ-व्यवस्था में संतुलन प्राप्त करना प्रायः असम्भव हो जायगा। अतएव आयोजित अर्थ-व्यवस्था से मुद्रा एव मूल्य को बिल्कुल समाप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की व्यवस्था को भी मुद्रा रूप में चलाने के लिए मूल्य-मापन की इकाई (Unit of

1. A. P. Lerner *Economic Theory and Socialist Economy*, Review of Economic Studies vol. 2 p. 55

2. G. N. Halm—*Monetary Theory*, p. 13

Account) एवं विनिमय के माध्यम (Medium of Exchange) की आवश्यकता पड़ती है। अतएव आयोजित अर्थ-व्यवस्था में भी मुद्रा का प्रयोग विनिमय के माध्यम एवं मूल्यमापन की इकाई के रूप में किया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादन तथा आय को मुद्रा की इकाई के रूप में आँका जाता है। मजदूरी मुद्रा के रूप में चुकायी जाती है तथा उपभोक्ता की वस्तुएँ (Consumer's goods) भी मुद्रा से ही खरीदी जाती हैं। यद्यपि रूसी आर्थिक योजनाएँ वास्तविक उत्पादन के लक्ष्यों के रूप में तैयार की जाती हैं, परन्तु इसके साथ-ही-साथ प्रत्येक योजना का वित्तीय प्रति-रूप भी तैयार किया जाता है। इस प्रकार आयोजित अर्थ-व्यवस्था में भी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, किन्तु साधारणतया केवल मूल्य मापन की इकाई एवं विनिमय के माध्यम के रूप में ही। संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि समाजवादी अथवा आयोजित अर्थ-व्यवस्था में भी मुद्रा का महत्त्व है और यह महत्त्व सदा बना रहेगा।

निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि "सामाजिक अर्थ-व्यवस्था सदा मौद्रिक व्यवस्था रही है और शायद भविष्य में भी सदा रहेगी।" (Social economy has always been and probably will remain a monetary economy.)

मुद्रा के गुण एवं अवगुण

(The Merits and Drawbacks of Money)

मुद्रा के कार्यों के अध्ययन से आधुनिक युग में इसका महत्त्व बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। वास्तव में, मुद्रा बहुत हद तक आधुनिक आर्थिक व्यवस्था का निर्देशक है। मार्शल (Marshall) ने ठीक ही कहा है कि "मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर सम्पूर्ण अर्थशास्त्र का विज्ञान चक्कर काटता है।" (Money is the pivot around which the whole Economic science clusters) अतएव मुद्रा के सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त करने के पूर्व इसके गुण एवं दोषों की विवेचना आवश्यक हो जाती है।

मुद्रा के लाभ (Advantages of Money)—सर्वप्रथम हम मुद्रा के गुणों की विवेचना करेंगे। वास्तव में, मुद्रा के व्यवहार से हम इतने अधिक अभ्यस्त हो गये हैं कि इसके गुणों की व्याख्या करने के लिए हमें शायद थोड़ी बहुत कल्पना का सहारा लेना पड़ेगा। पिछले कुछ वर्षों में, विशेषतः दोनो महायुद्धों के बीच वाले समय में, विश्व के अनेक देशों में जनता स्वस्थ एवं सम्पन्न मुद्रा-प्रणाली के लाभों से वंचित रही जिससे लोगों को अब यह अनुभव हो गया है कि अन्वयस्थित मुद्रा-प्रणाली कितनी अधिक असुविधाजनक होती है तथा उसके परिणाम कितने अधिक घातक होते हैं। वास्तव में, मुद्रा के निम्नलिखित मुख्य लाभ हैं—

(1) मुद्रा हमारी आर्थिक क्रियाओं की प्रेरक शक्ति है—ध्यानपूर्वक विचार करने से यह स्पष्ट होगा कि मुद्रा हमारी समस्त आर्थिक क्रियाओं का प्रेरणा-स्रोत है। मानव के सम्पूर्ण आर्थिक क्रिया-कलाप मुद्रा-प्राप्ति के उद्देश्य से ही किये जाते हैं। कोई उद्योगपति, व्यापारी अथवा किसान मौद्रिक आय की प्राप्ति के उद्देश्य से ही अपना उद्योग प्रारम्भ करता है। उत्पादन के विभिन्न साधनों का विभिन्न उपयोगों के बीच वितरण भी अधिक मौद्रिक पुरस्कार की भावना में ही प्रभावित होता है। जिन उपयोगों में इन्हे अधिक पुरस्कार प्राप्त होता है, वही वे कार्य करते हैं। मारादा यह है कि मुद्रा अर्जन की भावना सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में बाधक है।

(2) उपभोक्ता को मुद्रा से लाभ (The Advantages of Money to man as a Consumer)—मनुष्य को उपभोक्ता के रूप में मुद्रा के प्रयोग में निम्नांकित प्रमुख लाभ हैं—

(a) आय का समुचित उपयोग—प्रो० रॉबर्टसन (Robertson) के शब्दों में, “मुद्रों की पहली सबसे बड़ी सफलता इस बात में है कि इसने उपभोक्ता के रूप में मनुष्य की क्रय-शक्ति का सामान्यीकरण (generalised purchasing power) कर दिया है जिससे समाज के प्रति वह अपनी स्वयं भावना जिस रूप में उचित समझे उस रूप में व्यक्त कर सकता है। इससे मनुष्य अपनी आय को विभिन्न मदी में इस प्रकार से व्यय करता है जिससे कि उसे अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त हो सके।”

(b) विविध वस्तुओं की उपलब्धि—मुद्रा से उपभोक्ता के रूप में हमें विविध वस्तुओं की उपलब्धि में सहायता मिलती है। मुद्रा के अभाव में मनुष्य को उसके कार्यों के फलस्वरूप वस्तुओं के रूप में ही मजदूरी प्राप्त होती है। किन्तु, वस्तुओं के द्वारा मनुष्य अपनी इच्छा की सभी वस्तुएँ तथा सेवाएँ प्राप्त करने में असमर्थ सिद्ध होता है। इतना ही नहीं, मौद्रिक-व्यवस्था के अन्तर्गत यह जानने में भी सुविधा होती है कि लोगों की क्या और कितनी आवश्यकताएँ हैं। इससे यह भी सुगमतापूर्वक मालूम हो जाता है कि क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन करना चाहिए। इस प्रकार समाज की उत्पादन-शक्ति के सर्वोत्तम उपयोग में भी मुद्रा से सुविधा प्राप्त होती है। अतएव, मुद्रा समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए तृप्ति या आनन्द के जितने साधन उसे उपलब्ध हैं उनसे अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है।

किन्तु, सर्वाधिक तृप्ति अथवा आनन्द की उपलब्धि के इस अवसर से कोई व्यक्ति कहीं तक लाभ उठा सकता है यह उसकी खर्च करने की विवेक-शक्ति पर निर्भर करता है। कुछ व्यक्ति अपनी आय से सर्वाधिक लाभ उठाने के अवसर का उपयोग करते हैं, किन्तु कुछ पाई-पाई का हिसाब रखना नहीं पसन्द करते। किन्तु प्रत्येक स्थिति में मनुष्य अपनी भौतिक आय को खर्च करने के अधिकार को अत्यधिक महत्व देता है। आयोजित अर्थ-व्यवस्था में भी एक अंश तक इस प्रकार की स्वतन्त्रता अवश्य ही देनी पड़ती है। इस प्रकार सारांश यह है कि यदि एक निदिष्ट उत्पादन-शक्ति अथवा व्यक्तिगत सतोप की अधिकतम बनाना है तो मुद्रा की आवश्यकता मूलभूत रूप में बनी रहेगी।

(2) उत्पादक को मुद्रा से लाभ (The Advantages of money to producer):—मुद्रा का दूसरा प्रमुख लाभ यह है कि यह उत्पादक के नाते मनुष्य का ध्यान उसके कार्य-व्यापार एवं उत्पादन पर केन्द्रित करने में सहायता प्रदान करती है जिससे कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होती है और फलस्वरूप समाज की वास्तविक आय भी बढ़ती है। मुद्रा निम्नलिखित तरीकों से उत्पादन-शक्ति में सहायता प्रदान करती है:—

(a) श्रम-विभाजन एवं विशिष्टीकरण :—मुद्रा के परिणामस्वरूप ही इतने बड़े पैमाने पर श्रम-विभाजन एवं विशिष्टीकरण (Division of labour and specialization) संभव हो पाया है। रॉबर्टसन (Robertson) के अनुसार “श्रम-विभाजन एवं विशिष्टीकरण” जिस पर आधुनिक आर्थिक संरचना आधारित है उस समय असम्भव होंगे जब कि प्रत्येक व्यक्ति अपने समय और शक्ति का एक बड़ा भाग अपनी उत्पन्न की गयी वस्तुओं के बदले उपभोग की वस्तुओं की बदला-बदली के द्वारा प्राप्त करने लगता हो।”

(b) बड़े पैमाने पर उत्पादन (Large Scale Production) :—मुद्रा के प्रयोग से ही बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो पाया है। इसका कारण स्पष्ट है। आज प्रत्येक मनुष्य किसी एक ही कार्य अथवा व्यवसाय में अपना पूरा समय लगाता है और एक ही कार्य को लगातार करने से उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है जिससे उत्पादन का पैमाना भी बढ़ता है।

(ग) उत्पत्ति के साधनों को एकत्र करने में सहायता :—आज उत्पादन का कार्य बहुत बड़े पैमाने पर होता है तथा इसमें बहुत अधिक समय लगता है। इसी बीच कच्चा पदार्थ खरीदने तथा मजदूरों को मजदूरी चुकाने आदि कार्य मुद्रा के द्वारा ही किये जाते हैं। एच० जी० मोल्टन का इस सम्बन्ध में निम्नांकित कथन विशेष रूप से उल्लेखनीय है, “उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को एकत्र करने के लिए मुद्रा निश्चित रूप से आवश्यक है। अपने कारखाने के निर्माण के लिए व्यापारी मुद्रा से ही आवश्यक सामग्री खरीदता है। उपकरणों को खरीदने में भी वह मुद्रा का ही प्रयोग करता है। मुद्रा के आधार पर ही गणना करके वह विश्व के बाजारों में निर्माण कार्य में प्रयुक्त होनेवाले कच्चे पदार्थों को प्रतियोगी मूल्यों पर खरीदने में सफल होता है तथा मुद्रा की सहायता से ही वह आवश्यक श्रमिकों, प्रबन्धकों एवं विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त करता है।

(घ) व्यवसायों का विभेदीकरण (Differentiation) भी मुद्रा के कारण ही हुआ है। इस प्रकार आधुनिक उत्पादन-व्यवस्था बहुत कुछ मुद्रा पर ही आधारित है। आधुनिक उत्पादन व्यवस्था के विकास में अन्य आवश्यक साधनों की अपेक्षा मुद्रा का स्थान किसी प्रकार भी गौण नहीं है।

(4) मुद्रा से ऋण एवं अग्रिम (Loans and advances) के लेन-देन में भी सुविधा होती है—मुद्रा का तीसरा लाभ यह है कि मुद्रा के द्वारा सभी प्रकार के ऋण तथा अग्रिम के भुगतान में सहायता मिलती है। आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में ऋण के लेन-देन का बहुत अधिक महत्व है। आज का युग तो मुख्य रूप से साख्त पर ही आधारित है। मजदूरी भी वस्तुतः एक प्रकार का अग्रिम भुगतान ही है क्योंकि वस्तुओं के तैयार होने तथा बाजार में पहुँचने में पूरा समय लगता है। इस बीच मजदूरों को जीविका के लिए कुछ देना अति अनिवार्य हो जाता है। मुद्रा के फलस्वरूप ही एक वस्तु का व्यापारी किसी दूसरी वस्तु के व्यापारी के साथ अग्रिम लेन-देन में सुगमता का अनुभव करता है। जनता की बचत के विनियोग एवं ऋण लेन-देन के सम्बन्ध में भी साधारणतया यही बात पायी जाती है। मुद्रा के परिणामस्वरूप ही इतने बड़े पैमाने पर बचत सम्भव हो पायी है। इसके अभाव में वस्तुओं के रूप में बचत करनी होती जिसमें बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतएव मुद्रा ऋण एवं अग्रिम के लेन-देन के कार्य को सुगम बनाकर भी आधुनिक समाज को महत्वपूर्ण सेवा करती है।

(5) मुद्रा और औद्योगिक प्रगति.—औद्योगीकरण के क्षेत्र में भी मुद्रा ने अकथनीय सहयोग प्रदान किया है। वास्तव में, औद्योगीकरण के इस युग में उद्योग-धन्धों की सकलता पूँजी की मात्रा पर निर्भर करती है और बड़ी मात्रा में पूँजी जमा करना मुद्रा के द्वारा ही सम्भव हो पाया है। अतः प्रो० पीगू (Piggou) ने इस सम्बन्ध में ठीक ही कहा कि “आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा-रूपी वस्त्र धारण किये हुए हैं।”

(6) मुद्रा वर्तमान भौतिक उन्नति का साधन है.—मुद्रा का एक लाभ यह भी है कि यह मानव समुदाय की भौतिक उन्नति का सबसे बड़ा कारण है। आधुनिक भौतिक सम्यता के विकास में मुद्रा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हाथ रहा है। मुद्रा ने वस्तु विनिमय-प्रणाली की सारी कठिनाइयों को दूर कर विनिमय के कार्य को बहुत ही सुगम बना दिया है। भौतिक-विनिमय के विकास से मनुष्य की अधिक-से-अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि सम्भव हुई और इस प्रकार बृहत् पैमाने के उद्योगों के विकास के साथ-साथ मानव-समाज भौतिक उन्नति की ओर अग्रसर होने लगा है।

(7) मुद्रा ने मानव के सामाजिक उत्थान में भी सहयोग प्रदान किया है :—मुद्रा ने वर्तमान सामाजिक जीवन के विकास में भी अकथनीय सहयोग प्रदान किया है। जब श्रमिकों को वस्तुओं के रूप में मजदूरी मिलती थी, तो इससे उन्हें बहुत अधिक क्षति होती थी। वे अपने इच्छानुसार वस्तुओं तथा सेवाओं को प्राप्त नहीं कर पाते थे। साथ ही, वे अपने इच्छानुसार स्थान तथा व्यवसाय का परिवर्तन भी नहीं कर पाते थे। किन्तु मुद्रा के रूप में मजदूरी मिलने के कारण वे आज इस सम्बन्ध में पूर्णतः स्वतन्त्र बन गये हैं। निकॉलसन ने इस सम्बन्ध में ठीक ही कहा है कि "विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा के प्रयोग ने महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुधार के साधन के रूप में कार्य किये हैं।" (The extension of the use of money as a medium of exchange was the means of affecting great social reform.)

इस प्रकार आधुनिक समाज में मुद्रा के बहुत अधिक लाभ हैं। मुद्रा ने मानवीय आवश्यकताओं के प्रत्यक्ष तथा परोक्ष सन्तोष, श्रम-विभाजन एवं वित्तिष्ठीकरण पूँजी एवं श्रम की गतिशीलता तथा उत्पादन के साधनों के संग्रह में अधिकाधिक सहायता प्रदान किया है। मुद्रा के कारण ही आज मानव समाज का इतने बड़े पैमाने पर आर्थिक एवं भौतिक विकास सम्भव हो सका है। पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था तो मुख्य रूप से मुद्रा पर आधारित है। समाजवादी आर्थिक व्यवस्था में भी मुद्रा का प्रयोग व-म-से-कम लेखे की इकाई (Unit of account) के रूप में अनिवार्य है। अतएव मुद्रा सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था की गति का केन्द्र-बिन्दु है।

मुद्रा के दोष

(Disadvantages of Money)

किन्तु जहाँ मुद्रा के इतने अधिक लाभ हैं, वहाँ इसके बहुत-सारे दोष भी हैं। अतएव यह कहा जाता है कि जहाँ मुद्रा ने मानव-जीवन को सरल एवं सुगम बनाया है, वहाँ इसने लालच एवं मोह उत्पन्न करके मनुष्य में शोषण की प्रवृत्ति को भी जन्म दिया है। वास्तव में, मुद्रा से समाज को निम्नलिखित हानियाँ हैं :—

(1) उधार देने और बचाने पर मुद्रा का आवरण (The monetary veil over lending and saving) :—हम देख चुके हैं कि मुद्रा का एक प्रमुख लाभ यह है कि इससे सभी प्रकार के ऋण तथा अग्रिम के भुगतान में सहायता मिलती है। प्रो० रॉबर्टसन (Robertson) के अनुसार मुद्रा का यह लाभ इसके एक बहुत बड़े दोष का कारण हो जाता है। उधार देने और बचाने की नियाएँ मुद्रा के आवरण से ढँकी हैं और इस आवरण के पीछे यथावत जो कुछ होता है वह प्राम्य इससे भिन्न होता है जो आम तौर पर होता हुआ दिखाई देता है। कभी-कभी मुद्रा-प्रणाली इस प्रकार कार्य करती है कि लोगों की उधार देने और बचाने की इच्छा बिल्कुल निष्क्रिय हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप हजारों की सख्या में लोग बेकार हो जाते हैं और इस प्रकार सम्पूर्ण औद्योगिक व्यवस्था ही निष्क्रिय एवं विमूढ़ होने लगती है।

(2) अत्यधिक पूँजीयन तथा अत्यधिक उत्पादन को प्रोत्साहन (Encouragement to over-capitalisation and over-production) :—मौद्रिक अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत ऋण के लेन-देन में सुविधा के कारण उद्योगपतियों को सुगमता से ऋण मिल जाता है। इस प्रवृत्ति से उद्योग तथा व्यवसाय में अत्यधिक पूँजीयन तथा अत्यधिक उत्पादन होता है जिससे सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था ही अस्त-व्यस्त हो जाती है।

(3) मुद्रा के मूल्य में स्थायित्व नहीं रहता (The Value of money is not stable) :—मुद्रा का दूसरा प्रधान दोष यह है कि सामान्य परिस्थितियों में इसका मूल्य स्थायी-

नहीं रहता और विशेष परिस्थितियों में तो इसमें बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं। मुद्रा का मूल्य (Value of Money) क्या है इसका हम आगे विस्तारपूर्वक विवेचन करेंगे। किन्तु, यहाँ पर यह जानना पर्याप्त होगा कि मुद्रा का मूल्य मुद्रा की वह शक्ति है जिसके द्वारा इच्छित वस्तुएँ अथवा सेवाएँ खरीदी जा सकती हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का समाज के विभिन्न वर्गों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इन परिवर्तनों का उद्योग-धन्धो, व्यापार, कृषि एवं रोजगार आदि पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक जीवन में अनिश्चितता उत्पन्न होती है जो उद्योग, व्यवसाय एवं व्यापार की उन्नति के लिए अनुपयुक्त सिद्ध होती है। इससे धन एवं आय के वितरण की विषमता भी बढ़ती है।

(4) सम्पत्ति एवं आय के वितरण में विषमता (Inequality in the distribution of income and wealth) :—मुद्रा का एक सर्वाधिक प्रमुख दोष यह है कि इससे समाज में धन एवं आय के वितरण की विषमता बढ़ती है। मुद्रा ने बड़े पैमाने पर मूल्य-सचय के कार्य को सुलभ बनाया है। पूँजीवादी आर्थिक प्रणाली का उद्गम मुद्रा के कारण ही हुआ है। इस प्रणाली में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तिओं का अधिकार रहता है जिसे धनी वर्ग अधिक धनी तथा निर्धन वर्ग अधिक निर्धन होते जा रहा है। धन एवं आय के वितरण की यह विषमता यदा-कदा सामाजिक तथा राजनीतिक असन्तोष का कारण भी बन जाती है।

निष्कर्ष :—इस प्रकार मुद्रा के उपरोक्त सारे दोष हैं। इनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मुद्रा के बहुत-सारे अणुण भी हैं, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम मुद्रा का परित्याग कर सकते हैं। वास्तव में, मुद्रा के उपरोक्त दोष मनुष्य स्वभाव के दोष हैं। यदि कोई व्यक्ति रुपया उधार लेकर अपव्यय करता है, अनावश्यक वस्तुओं का उत्पादन करता है अथवा सरकार मुद्रा-प्रसार करती है तो इनके लिए मुद्रा को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? मुद्रा साधन है, साध्य नहीं। अतएव इसका सदुपयोग तथा दुरुपयोग दोनों ही हो सकते हैं। वास्तव में, समुचित नियंत्रण द्वारा इसके दोषों को दूर किया जा सकता है। अतएव, रॉबर्टसन (Robertson) के शब्दों में, “इस प्रकार मुद्रा जो मानवता के लिए कितनी ही दृष्टियों से वरदान है, नियन्त्रण के अभाव में हमारे लिए सकट एवं अशांति का कारण भी हो सकती है।” (Thus money which is a source of so many blessings to man-kind becomes also, unless we control it, a source of peril and confusion) सारांश यह है कि मुद्रा पर समुचित नियन्त्रण आवश्यक है, क्योंकि जैसा कि सुप्रसिद्ध ब्रिटिश बैंकर एवं अर्थशास्त्री बेजहॉट (Bagehot) ने कहा है, “मुद्रा का नियन्त्रण इसलिए आवश्यक है कि यह अपने आपको व्यवस्थित नहीं कर सकती।” (Money must be managed because it cannot manage itself) किन्तु मौद्रिक व्यवस्था पर किस प्रकार का नियन्त्रण रखना चाहिए, इस सम्बन्ध में आगे चलकर विचार किया जायगा।

मुद्रा की वास्तविक प्रकृति

[मुद्रा स्वयं कुछ नहीं बनाना, यह तो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण से सम्बन्धित प्रक्रियाओं में चिकनाई देनेवाली एवं सामाजिक न्याय प्राप्त करनेवाली वस्तु की तरह है। (Money itself creates nothing, it is a lubricant of the real economic process of production and distribution of goods and services and a means of obtaining social justice)]

आज के भौतिकवादी युग में मुद्रा सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु मानी जाती है। अतएव, कहा जाता है कि मुद्रा ही सब कुछ बनाती है, यानी "Money makes the mare go." दूसरे शब्दों में, मुद्रा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। यद्यपि आर्थिक दृष्टिकोण से मुद्रा का महत्त्व इससे अधिक ही है, परन्तु केवल मुद्रा को इतना अधिक महत्त्व नहीं प्रदान किया जा सकता, क्योंकि मुद्रा का स्वयं का कोई मूल्य, यानी इसका कोई स्वकीय मूल्य नहीं होता। मुद्रा तो एक साधन है जिसके द्वारा विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय किया जाता है। दूसरे शब्दों में, मुद्रा स्वयं लक्ष्य नहीं है, बरन लक्ष्य-प्राप्ति का साधन-मात्र है। मानव जीवन का साध्य अथवा लक्ष्य तो अधिक-से-अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर अधिकतम सन्तोष प्राप्त करना होता है। मुद्रा इसी साध्य की पूर्ति में मनुष्य की सहायता करती है, क्योंकि आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए मुद्रा के द्वारा ही वस्तुएँ एवं सेवाएँ प्राप्त की जाती हैं। मुद्रा प्रत्यक्ष रूप से हमारी किसी भी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकती। सम्भव है किसी एक कंजूस व्यक्ति को मुद्रा के संग्रह करने से सन्तोष प्राप्त हो, किन्तु एक ऐसा समय आता है जब वह भी मुद्रा से ऊब जाता है। इस सम्बन्ध में एक लालची राजा की दंतकथा प्रसिद्ध है जिसने भगवान् से यह वरदान माँगा कि जिस चीज को वह छूए वही सोने में बदल जाय। भगवान् से वरदान पाने पर राजा बहुत खुश हुआ परन्तु शीघ्र ही यह वरदान उसके लिए अभिशाप सिद्ध हो गया। खाने-पीने की कोई चीज भी, जिन्हें वह हाथ से छूता सोना हो जाती थी। यहाँ तक कि जब उसने अपनी लड़की को छूकर प्यार किया तो वह भी सोने की प्रतिमा बन गयी। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती कि पदार्थ के रूप में मुद्रा हमारी किसी भी आवश्यकता की सन्तुष्टि नहीं कर सकती। हाँ, चूँकि मुद्रा में क्रय-शक्ति निहित रहती है। इसलिए हम इससे सभी वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीद सकते हैं। इस सम्बन्ध में ठीक ही कहा जाता है कि "We cannot eat gold but cannot even eat without gold" अतः मुद्रा की साध्य समझना एक बहुत बड़ी भूल है।

इस प्रकार मुद्रा की कोई स्वकीय उपयोगिता नहीं है। समाज में मुद्रा की जो माँग है वह इसलिए कि इसके द्वारा वस्तुएँ तथा सेवाएँ प्राप्त की जा सकती हैं। अतः, जबतक किसी वस्तु में क्रय-शक्ति रहती है तबतक मनुष्य इसे अपने पास रखना चाहता है। उदाहरण के लिए, आज यदि पाँच रुपये के नोट का चलन अर्धघ घोषित कर दिया जाय तो इस पाँच रुपये के नोट की क्रय-शक्ति समाप्त हो जायगी और कोई भी व्यक्ति इसे अपने पास रखना न चाहेगा। वेस्टन (Weston) ने भी लिखा है, "मुद्रा एक प्रमाण-पत्र है जो कि मनुष्यों को अपने पास वस्तुओं के संग्रह करने का अधिकार प्रदान करता है।"

मुद्रा स्वयं किसी वस्तु का निर्माण नहीं करती बरन् उत्पादन करने में सहायता पहुँचाती है। जिस प्रकार मशीन के पुर्जों में चिकनाई या तेल देते रहने में मशीन मुचाब रूप से चलती रहती है उसी प्रकार मुद्रा के प्रयोग में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की क्रियाएँ सरल हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता कि "मुद्रा स्वयं कुछ नहीं बनाती, वह तो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण से सम्बन्धित क्रियाओं में चिकनाई देनेवाली और सामाजिक न्याय प्राप्त करानेवाली वस्तु है।"

मुद्रा उत्पादन एवं वितरण की क्रियाओं को किस प्रकार से सुगम बनाती है?— यह देखने के उपरान्त कि मुद्रा की कोई स्वकीय उपयोगिता नहीं है, अब हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि मुद्रा किस प्रकार उत्पादन एवं वितरण की क्रियाओं को सुगम बनाती

है। सर्वप्रथम हम वस्तुओं एव सेवाओं की उत्पादन-प्रक्रिया को देखेंगे। मुद्रा उत्पादन-प्रक्रिया में अनेक प्रकार से सहायता प्रदान करती है, जैसे,—

- (1) मुद्रा के कारण ही श्रम विभाजन एव विशिष्टीकरण संभव होता है।
- (2) मुद्रा से ही बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका है।
- (3) मुद्रा से उत्पत्ति के साधनों को एकत्र करने में भी सहायता मिलती है।
- (4) मुद्रा से कच्ची सामग्री को प्रय करने में सुविधा होती है।
- (5) मुद्रा की सहायता से वस्तुओं की भावी मांग का अनुमान लगाया जा सकता है।
- (6) मुद्रा की सहायता से ही पूँजी की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई है।

इसी प्रकार मुद्रा वितरण से सम्बन्धित वार्थिक क्रियाओं को भी सरल बनाती है। आधुनिक युग में उत्पादन सामूहिक रूप से होता है, जिसमें उत्पत्ति के अनेक साधनों का योगदान रहना है। उनके सामूहिक योग से जो वस्तुएँ तैयार की जाती हैं उन्हें बाजार में मुद्रा के बदले में बेचा जाता है और फिर विप्रेय से प्राप्त सम्पूर्ण राशि को उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के बीच बाँट दिया जाता है। ये सब बातें मुद्रा द्वारा भी सम्भव हो सकी हैं।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मुद्रा स्वयं उत्पत्ति एव वितरण नहीं करती वरन उत्पत्ति एव वितरण में सहायता प्रदान करती है। अतः मुद्रा का महत्व केवल उसके कार्यों के फलस्वरूप है किन्तु यह वास्तव में स्वयं अनुत्पादक है जैसा कि चैण्डलर (Chandler) ने कहा है कि "Money is sterile in that by itself it can produce nothing useful but it has a very high indirect productivity owing to its ability to facilitate exchange and specialisation"

विशेष अध्ययन सूची

- | | |
|------------------|---|
| 1 Crowther | <i>An Outline of Money, Chapter I</i> |
| 2 J M Keynes | <i>A Treatise on Money, Vol I, Chapter I</i> |
| 3 Coulborn | <i>A Discussion of Money, Chapter I, V</i> |
| 4 D H Robertson | <i>Money, Chapter, I</i> |
| 5 Marshall | <i>Money, Credit and Commerce, Book I Chapter I</i> |
| 6 George N. Halm | <i>Monetary Theory, Chapter I</i> |



अध्याय : 4

मुद्रा का वर्गीकरण

(Classification of Money)

मुद्रा के विभिन्न रूप (Different kinds of Money) :- मुद्रा का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है किन्तु इनमें निम्नलिखित तीन प्रमुख हैं :-

- (1) धात्विक मुद्रा एवं पत्र-मुद्रा (Metallic Money and Paper Money),
- (2) वास्तविक मुद्रा एवं हिसाब की मुद्रा (Money Proper and Money of Accounts), तथा
- (3) विधि-ग्राह्य मुद्रा एवं ऐच्छिक मुद्रा (Legal Tender Money and Voluntary Money) ।

अब इनका निम्न विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है :-

(1) धात्विक मुद्रा एवं पत्र-मुद्रा

(Metallic Money and Paper Money)

सर्वप्रथम तो मुद्रा दो प्रकार की होती है—(क) धात्विक मुद्रा (Metallic Money), तथा (ख) पत्र-मुद्रा (Paper Money) । मुद्रा का यह वर्गीकरण मुद्रा-पदार्थ (Money commodity) के आधार पर किया जाता है । मुद्रा के विकास के साथ-साथ इसके भिन्न-भिन्न रूप होते गये । सर्वप्रथम तो जब मानव समाज ने मुद्रा का व्यवहार करना प्रारम्भ किया तो समाज में सर्वाधिक प्रचलित किसी वस्तु को इस कार्य के लिए चुना गया । उदाहरण के लिए, चारागाह-समाज में कोई पशु, शिकारी समाज में चमड़ा तथा कृषि-प्रधान समाज में कोई अनाज इत्यादि । मुद्रा-विकास के इतिहास के इस स्तर को वस्तु-मुद्रा (Commodity Money) कहा गया है । किन्तु, आज इन वस्तुओं का विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है । आधुनिक युग में मुद्रा केवल दो ही वस्तुओं की बनी होती है—धातु एवं कागज । प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक मुद्रा मुख्यतः सोने एवं चाँदी-जैसी बहुमूल्य धातुओं की बनी होती थी, यानी सोने एवं चाँदी के सिक्के का ही प्रचलन था । किन्तु, आजकल ये सर्वथा चलन में नहीं हैं । धात्विक मुद्रा के अन्तर्गत आजकल सर्वत्र केवल गिल्ट, ताँबा, अल्मुनियम एवं अन्य हीन वस्तुओं के सिक्कों का ही प्रचलन है । आज प्रत्येक देश की मौद्रिक व्यवस्था में धात्विक मुद्रा का महत्त्व बहुत कम हो गया है तथा मुख्यतः पत्र-मुद्रा ही प्रचलन में है ।

अब इन दोनों प्रकार की मुद्राओं का निम्नांकित विवरण प्रस्तुत किया जाता है—

(i) धात्विक मुद्रा (Metallic Money) :- धात्विक मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें धातु के बने सिक्के प्रचलन में रहते हैं । उदाहरण के लिए, सोना, चाँदी अथवा टाम्बा के सिक्के । धात्विक मुद्रा भी दो प्रकार की होती है :-

(क) प्रामाणिक या पूर्णकाय सिक्के (Standard or Full-bodied Coins), एवं

(ख) सांकेतिक सिक्के (Token Coins) ।

(क) प्रामाणिक अथवा पूर्णकाय सिक्के (Standard or Full-bodied Coins)—

प्रामाणिक अथवा पूर्णकाय सिक्के सोने अथवा चाँदी के बने हुए होते हैं । ये सिक्के एक निश्चित

वजन एवं शुद्धता (definite weight and fineness) के होते हैं। इस प्रकार के सिक्को की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता यह है कि इनकी अंकित कीमत (Face value) इनके आंतरिक मूल्य (Intrinsic value) के बराबर होती है।

प्रामाणिक अथवा पूर्णकाय सिक्को की निम्नांकित प्रमुख विशेषताएँ हैं —

- (i) प्रामाणिक अथवा पूर्णकाय सिक्का देश का प्रधान सिक्का होता है। इसी सिक्के के रूप में देश के अन्दर सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत आंकी जाती है।
- (ii) इस प्रकार के सिक्के अपरिमित विधि-ग्राह्य (Unlimited Legal Tender) होते हैं।
- (iii) प्रामाणिक सिक्को का अंकित मूल्य (Face value) इनके आंतरिक मूल्य (Intrinsic value) के बराबर होता है। यदि इन सिक्को को गला कर धातु के रूप में भी बेचा जाय तो इससे कोई हानि नहीं होगी। इसीलिए इन्हें पूर्णकाय सिक्के (Full-bodied Coins) भी कहा जाता है।
- (iv) प्रामाणिक सिक्को का टक्का अथवा इनकी ढलाई स्वतन्त्र (Free Coinage) होती है।

इस प्रकार प्रामाणिक सिक्को की उपरोक्त सारी विशेषताएँ हैं। 1931 ई० के पूर्व जब इंग्लैंड में स्वर्ण-मान का प्रचलन था, ब्रिटिश सर्वोच्च वहाँ का प्रामाणिक सिक्का था। भारत में इस प्रकार का प्रायः कोई सिक्का नहीं था, फिर भी महारानी विक्टोरिया के समय में जो रुपया प्रचलन में था उसमें 16 आने मूल्य के बराबर चाँदी रहती थी।

(ख) सांकेतिक सिक्के (Token Coins) — इस प्रकार के सिक्को को गौण अथवा सहायक सिक्के (Subsidiary coins) भी कहते हैं। इन सिक्को का अंकित मूल्य (Face value) इनके आंतरिक मूल्य (Intrinsic value) से अधिक रहता है। अतएव इन सिक्को को गलाकर बेचने से हानि होती है।

सांकेतिक सिक्को की निम्नांकित प्रमुख विशेषताएँ हैं —

- (i) सांकेतिक सिक्के परिमित कानूनी-ग्राह्य (Limited legal tender) होते हैं। इन्हें एक बार से एक निश्चित मात्रा से अधिक में लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ, आजकल भारत में 25 पैसे तक के सिक्को के लिए यह सीमा 20 रुपये की है।
- (ii) इनका अंकित मूल्य (Face value) इनके आंतरिक मूल्य (Intrinsic value) से अधिक रहता है।
- (iii) इनकी स्वतन्त्र ढलाई (Free coinage) नहीं होती।
- (iv) सांकेतिक सिक्के साधारणतः गौण अथवा सहायक सिक्को (Subsidiary coins) के रूप में कार्य करते हैं।

क्या भारतीय रुपया प्रामाणिक है ? — अब प्रश्न यह है कि भारतीय रुपया प्रामाणिक सिक्का है अथवा सांकेतिक सिक्का। भारत में 1835 से 180 ग्रैन वजन का रुपया चालू किया गया जिसमें 163 ग्रैन शुद्ध चाँदी थी। रुपये का यह स्वल्प 1943 ई० तक ज्यो-का-त्यो रहा। किन्तु वर्तमान समय में इसमें चाँदी की मात्रा विलकुल नहीं होती। अतः आज यह प्रामाणिक सिक्का नहीं है।

पत्र-मुद्रा (Paper Money)

आजकल संसार के प्रायः सभी देशों में कागज की बनी हुई मुद्रा का प्रचलन है। प्रत्येक देश की मुद्रा का अधिकांश भाग पत्र-मुद्रा के रूप में पाया जाता है। अतएव आज के युग को पत्र-मुद्रा का युग भी कहा जाता है। पत्र-मुद्रा जारी करने के लिए कुछ रकम सुरक्षित कोष (Reserve Fund) में जमा करनी होती है। पत्र-मुद्रा को प्रादिष्ट मुद्रा (Fiat money) भी कहा जाता है। इसकी प्रधान विशेषता यह है कि यद्यपि इसका वास्तविक अथवा आंतरिक मूल्य बहुत कम अथवा कुछ भी नहीं होता, इसका अंकित मूल्य बहुत अधिक हो सकता है। साथ ही, यह मुद्रा सरकार के बदले में किसी चलन अधिकारी के द्वारा ही जारी की जाती है। केन्स ने प्रादिष्ट मुद्रा के सम्बन्ध में कहा है कि "प्रादिष्ट मुद्रा प्रतिनिधि अथवा साकेतिक मुद्रा होती है जो सामान्यतः कागज की बनी हुई होती है तथा जिसकी चलन में निकासी राज्य द्वारा की जाती है, परन्तु जो स्वयं वैधानिक रूप से किसी अन्य वस्तु में परिवर्तनीय नहीं होती है तथा जिसका वास्तविक रूप में कोई निश्चित मूल्य नहीं होता।"¹

सुरक्षित कोष के आधार पर पत्र-मुद्रा को निम्नांकित तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है :—

- (i) प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा (Representative Paper Money),
- (ii) परिवर्तनीय पत्र-मुद्रा (Convertible Paper Money), तथा
- (iii) अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा (Inconvertible Paper Money)।

(i) प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा (Representative Paper Money) :—जब किसी पत्र-मुद्रा के पीछे उसके मूल्य के बराबर, यानी 100 प्रतिशत तक सोना अथवा चाँदी सुरक्षित कोष (Reserve Fund) के रूप में रखा जाता है तो इसे प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा कहते हैं। इस प्रकार की पत्र-मुद्रा वस्तुतः स्वर्ण अथवा चाँदी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है, अतएव इसे प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा की संज्ञा दी जाती है। हिल्टन-यंग समीक्षण ने स्वर्ण पाठ प्रमाण-पत्रों (Gold Bullion Certificates) के रूप में इसी प्रकार की पत्र-मुद्रा को अपनाने की सिफारिश की थी, किन्तु इसे अपनाया नहीं गया।

प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा के गुण (Merits of Representative Paper Money) :—
प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा के निम्नलिखित प्रमुख गुण हैं :—(i) जनता का विश्वास :—इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें जनता का विश्वास रहता है क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर इस प्रकार के नोटों को स्वर्ण अथवा चाँदी में बदला जा सकता है।
(ii) बहुमूल्य धातुओं की बचत :—जब सोने अथवा चाँदी के सिक्के प्रचलन में रहते हैं तो इसमें घिसावट के कारण बहुमूल्य धातुओं की हानि होती है, परन्तु इनके बदले पत्र-मुद्रा का प्रचलन होता है तो इससे बहुमूल्य धातुओं की बचत होती है। (ii) मुद्रा-स्फीति (Inflation) की सम्भावना नहीं रहती :—इस प्रकार की प्रणाली में मुद्रा की मात्रा को बढ़ाने के लिए ठीक

1. "Fiat money is representative money (something the intrinsic value of the material substance of which is divorced from its monetary face value)—now generally made of paper except in the case of small denomination which is created and issued by the state, but is not convertible by law into anything other than itself, and has no fixed value in terms of an objective standard."

उतने ही मूल्य का सोना अथवा चाँदी सुरक्षित कोप में रखना पड़ता है। इसमें मुद्रा की मात्रा सीमित होती है। इस प्रणाली में मुद्रा-स्फूर्ति का भय नहीं रहता।

प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा के दोष (Defects of the Representative Paper Money)— किन्तु प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा प्रणाली के उपरोक्त गुणों के साथ-साथ इनके निम्नलिखित दोष भी हैं :—

(क) सर्वप्रथम तो यह प्रणाली बेवेलोचदार होती है — इस प्रणाली में सोना अथवा चाँदी की मात्रा को बढ़ाये बर्गर मुद्रा की मात्रा को नहीं बढ़ाया जा सकता है। अतएव यह प्रणाली बिल्कुल बेवेलोचदार होती है। इसलिये राष्ट्रीय सकट आदि के समय इस प्रणाली को स्थगित करना पड़ता है।

(ख) इस प्रणाली में बहुत सा स्वर्ण योही बेकार पड़ा रहता है — इस प्रणाली में नोटों के मूल्य के बराबर सोना अथवा चाँदी सुरक्षित कोप में रखना पड़ता है। इससे बहुत-सा सोना अथवा चाँदी यो ही बेकार पड़ा रहता है। साथ ही, निर्यन्त देश इस प्रणाली को नहीं अपना सकते हैं।

(11) **परिवर्तनीय पत्र-मुद्रा (Convertible Paper Money)** — इस प्रकार की पत्र-मुद्रा में नोटों को प्रधान सिक्कों अथवा स्वर्ण में बदलने की सुविधा रहती है, अतएव इसे परिवर्तनीय पत्र मुद्रा (Convertible Paper Money) कहते हैं। इस प्रकार की पत्र-मुद्रा को जारी करने का आधार यह होता है कि जितनी पत्र-मुद्राएँ जारी की जाती हैं वे कभी एक ही समय में मुताने के लिए नहीं आती। इसकी निम्नलिखित प्रधान विशेषताएँ हैं —

(क) इस प्रकार की पत्र-मुद्रा के पीछे स्वर्ण अथवा चाँदी को सुरक्षित कोप में रखा जाता है, किन्तु नोटों के मूल्य से कम के सिक्के ही रखे जाते हैं।

(ख) नोटों के बदले में कोई भी व्यक्ति इच्छानुसार खजाने से सोना अथवा चाँदी प्राप्त कर सकता है।

(ग) सरकार विदेशी भुगतान (Foreign Payments) के लिए भी सोना अथवा चाँदी का कोप रखती है।

(घ) सुरक्षित कोप का एक भाग पूर्णकाय सिक्कों (Standard Coins), साकेतिक सिक्कों (Token Coins) तथा प्रतिभूतियों (Securities) के रूप में रखा जाता है।

(ङ) सरकार एक पूर्व निर्दिष्ट दर पर स्वर्ण अथवा चाँदी बेचने के लिए सर्वदा तैयार रहती है।

परिवर्तनीय पत्र-मुद्रा के गुण (Merits of Convertible Paper Money) — परिवर्तनीय पत्र मुद्रा के निम्नलिखित प्रधान गुण हैं — (1) जनता का विश्वास — चूँकि इस प्रकार की पत्र-मुद्रा के पीछे बहुमूल्य धातुओं का कोप (Metallic Reserve) रहता है तथा सरकार नोट के बदले सोना एव चाँदी देने की गारन्टी देती है, अतएव इसमें जनता का विश्वास बना रहता है। (2) बहुमूल्य धातुओं की बचत — इस प्रणाली में स्वर्ण एव चाँदी को सुरक्षित कोप में रखकर इससे कई गुना अधिक तक की मुद्रा जारी की जा सकती है। इस प्रकार इस प्रणाली में बहुमूल्य धातुओं की बचत होती है (3) यह मुद्रा प्रणाली लोचदार होती है— इस प्रणाली में थोड़े से धात्विक कोप के आधार पर अधिक मुद्रा जारी भी जाती है जिससे इस प्रकार की मुद्रा प्रणाली बहुत ही लोचदार होती है।

परिवर्तनीय पत्र मुद्रा के दोष (Defects of Convertible Paper Money) :— किन्तु उपरोक्त गुणों के साथ-साथ इस प्रणाली में निम्नांकित दोष भी पाये जाते हैं — (1) इस प्रणाली में प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा की अपेक्षा जनता का विश्वास कम होता है— इसका कारण

यह है कि इस प्रणाली में घात-प्रतिघात बहुमूल्य धातु को सुरक्षित कोष में नहीं रखा जाता है जिससे जनता का इसमें विश्वास कम रहना है। विश्वास की इस कमी का कभी-कभी बहुत ही घातक परिणाम होता है जिससे संकट-काल में मुद्रा-प्रणाली को बनाये रखना बिल्कुल कठिन हो जाता है। (ii) इसमें अत्यधिक मुद्रा-प्रसार का भय बना रहता है—इस प्रकार की मुद्रा-प्रणाली में सरकार बिना सोचे-समझे बहुत अधिक मात्रा में मुद्रा जारी कर सकती है क्योंकि इसमें नोटों के मूल्य के बराबर बहुमूल्य धातुओं को सुरक्षित कोष में नहीं रखना पड़ता है। इससे एक ओर तो जनता का पत्र-मुद्रा पर-से-विश्वास समाप्त हो जाता है तथा दूसरी ओर भीषण स्फीति (inflation) उत्पन्न हो जाने की आशंका बनी रहती है।

प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात् संसार के अधिकांश देशों में इसी प्रकार की मुद्रा-प्रणाली अपनायी गयी। 1925 ई० में इंग्लैंड एव फ्रांस ने इसी प्रणाली को अपनाया। 1927 ई० में हिल्टन यंग आयोग (Hilton Young Commission) की सिफारिशों के आधार पर भारतीय पत्र-मुद्रा को भी परिवर्तनीय पत्र-मुद्रा प्रणाली बना दिया गया। इसके अन्तर्गत स्वर्ण की कीमत 21 रु० 7 आ० 10 पैसे प्रति तोला निश्चित की गयी जिस दर पर सरकार द्वारा पत्र-मुद्रा के बदले सोना देने की गारंटी दी गयी, किन्तु सरकार की सुविधा के लिए यह घात लगा दी गयी थी कि कोई भी व्यक्ति सरकारी खजाने से एक बार में 400 तोला से कम सोना नहीं खरीद सकता था। किन्तु 1931 ई० में स्वर्ण-मान के पतन के बाद यह प्रणाली भारत से समाप्त हो गयी।

(iii) अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा (Inconvertible Paper Money) :—किन्तु आजकल प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा एव परिवर्तनीय पत्र-मुद्रा का केवल सैद्धान्तिक महत्त्व ही रह गया है। वास्तविक जीवन में आज विश्व के प्रायः सभी देशों में अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा (Inconvertible Paper Money) का ही प्रचलन है। इस प्रकार की पत्र-मुद्रा को किसी भी धातु में बदला नहीं जा सकता। इसके चलन का आधार केवल सरकार की साख ही होती है। प्रारम्भ में इस प्रकार की पत्र-मुद्रा को केवल युद्ध अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संकट के समय में जारी किया जाता था, किन्तु आजकल तो इस प्रकार की पत्र-मुद्रा का विश्व में सर्वत्र प्रचलन है।

अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा की निम्नांकित प्रमुख विशेषताएँ हैं :—

(क) इस प्रकार की पत्र-मुद्रा के पीछे साधरणतया किसी प्रकार का धात्विक कोष (Metallic Reserve) नहीं रखा जाता है। केवल सरकारी प्रतिभूतियों (Govt. Securities) तथा ट्रेजरी बिल्ल (Treasury Bills) आदि के आधार पर ही यह मुद्रा जारी की जाती है।

(ख) सरकार पत्र-मुद्रा को सोने अथवा चादी में बदलने की गारंटी नहीं देती है।

(ग) कागज के नोट असीमित विधि-प्राह्य (Unlimited Legal Tender) होते हैं।

अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा के गुण (Merits of Inconvertible Paper Money) :— अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा के निम्नलिखित प्रधान गुण हैं—(1) बहुमूल्य धातुओं की वृद्धि :—इस प्रकार की पत्र-मुद्रा में बहुमूल्य धातुओं की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इन्हें जारी करने के लिए न तो धात्विक कोष की आवश्यकता पड़ती है और न इन्हें बहुमूल्य धातुओं में बदला ही जा सकता है। साथ ही, विधि-प्राह्य होने के कारण द्रव्य के प्रायः सभी कार्यों को समुचित रूप से करती है। (ii) यह प्रणाली लोचदार होती है।—चूँकि इसका बहुमूल्य धातुओं से कोई सम्बन्ध नहीं होता, अतएव सरकार इसे आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में जारी कर सकती है। इस प्रकार यह मुद्रा-प्रणाली पूर्णतया लोचदार होती है।

अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा के दोष (Defects of Inconvertible Paper-money) — उपरोक्त गुणों के साथ-साथ अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा प्रणाली के निम्नलिखित दोष भी हैं—(1) मुद्रा-स्फीति (Inflation) का भय — इस पत्र-मुद्रा प्रणाली का सर्वाधिक प्रमुख दोष यह है कि इसमें मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने का कोई साधन नहीं होता। इससे मुद्रा-स्फीति उत्पन्न होने की आशंका बनी रहती है जिसका समाज के आर्थिक जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। (ii) विदेशी विनिमय की कठिनाइयाँ — इस प्रकार की पत्र-मुद्रा का स्वर्ण से कोई सम्बन्ध नहीं होता, अतएव इससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा उत्पन्न होती है।

पत्र-मुद्रा के गुण एवं अवगुण

(Merits and Demerits of Paper-Money)

आज विश्व क किसी भी देश में सोने अथवा चाँदी के सिक्कों का प्रचलन नहीं है। आधुनिक युग पत्र-मुद्रा का युग है। आज सर्वत्र पत्र-मुद्रा का ही साम्राज्य है और सिक्के पत्र-मुद्रा रूपी सेनापति के केवल सिपाही बन कर रह गये हैं। अतएव इस स्तर पर पत्र-मुद्रा के गुण एवं दोषों की व्याख्या आवश्यक है।

पत्र-मुद्रा के लाभ (Merits of Paper money) — पत्र-मुद्रा के निम्नलिखित प्रमुख लाभ हैं :—

(1) पत्र-मुद्रा से बहुमूल्य धातुओं की बचत होती है :— पत्र-मुद्रा के उपयोग से धातु के सिक्कों की आवश्यकता नहीं रह जाती, जिससे सोने-चाँदी जैसी बहुमूल्य धातुओं की बचत होती है। इन धातुओं का उपयोग औद्योगिक तथा कलात्मक कार्यों में होता है। पत्र-मुद्रा के इस लाभ के कारण आदम स्मिथ (Adam Smith) ने इसकी तुलना आकाश मार्ग से की है जिससे सामान ले जाने का कार्य भी होता है और नीचे की भूमि का उपयोग अन्न आदि उत्पन्न करने में किया जाता है।

(2) पत्र-मुद्रा में वहनीयता (Portability) होती है — मूल्य के अनुपात में पत्र-मुद्रा का वजन प्रायः नगण्य होता जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में बहुत अधिक सुविधा होती है। उदाहरण के लिए, 100 रुपये के सिक्कों की अपेक्षा 100 रुपये के नोट का वजन बहुत ही कम होता है। इस प्रकार पत्र-मुद्रा में वहनीयता का गुण बहुत अधिक पाया जाता है। यही कारण है कि बड़े-बड़े व्यावसायिक भूगतान में भी इसका प्रयोग सुविधाजनक होता है।

(3) पत्र-मुद्रा में मितव्ययिता (Economy) पायी जाती है — पत्र-मुद्रा को जारी करने में कोई विशेष व्यय नहीं करना पड़ता है। अतएव सरकार के लिए बहुत सस्ती एवं मितव्ययी प्रणाली होती है। इसके विपरीत धातु के सिक्कों को ढालना बहुत अधिक खर्चीला होता है। इसमें धातुओं को खानों से निकालने, उन्हें पलाने, साफ करने तथा ढालने आदि में बहुत व्यय करना पड़ता है। इस प्रकार पत्र-मुद्रा के उपयोग से समाज में बहुत अधिक श्रम एवं पूँजी की बचत होती है जिसका उपयोग विकास के अन्य कार्यों में किया जा सकता है।

(4) पत्र-मुद्रा से देश की मुद्रा-प्रणाली लोचदार (Elastic) हो जाती है — पत्र-मुद्रा का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि इसकी मात्रा में आवश्यकतानुसार शीघ्रतापूर्वक परिवर्तन किया जा सकता है। सोने अथवा चाँदी के सिक्कों को घटाना या बढ़ाना इस प्रकार सुगम नहीं है क्योंकि सोने और चाँदी, का उत्पादन एवं स्टॉक विश्व में सीमित है। अतएव इनकी मात्रा में आवश्यकतानुसार परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। इस प्रकार पत्र-मुद्रा से देश की मुद्रा प्रणाली अत्यधिक लोचदार हो जाती है।

(5) देश की सरकार के लिए पत्र-मुद्रा सस्ती एवं सुविधाजनक होती है :- पत्र-मुद्रा को जारी करने का व्यय कम होता है। इससे यह सरकार के लिए धारितिक मुद्रा की अपेक्षा सस्ती होती है। साथ ही, युद्ध आदि सकटकालीन परिस्थितियों में सरकार अधिक पत्र-मुद्रा जारी कर बजट को संतुलित बना देती है। द्वितीय युद्ध के समय अधिकांश देशों की सरकार ने इसी तरीके को अपनाया था। पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार ने भी इसी तरीके को अपनाया है। इस प्रकार पत्र-मुद्रा देश की सरकार के लिए सस्ती एवं सुविधाजनक होती है।

पत्र-मुद्रा के दोष (Demerits of Paper Money) :- पत्र-मुद्रा के उपरोक्त गुणों के साथ-साथ इसके निम्नांकित दोष भी हैं :-

(1) **अत्यधिक मुद्रा-प्रसार की सम्भावना :-** पत्र-मुद्रा को सरकार अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मात्रा में जारी कर सकती है क्योंकि इसे जारी करने के लिए धातुओं की आवश्यकता नहीं पड़ती।¹ इससे सदा चलनाधिक्य की आशंका बनी रहती है। चलनाधिक्य का परिणाम समाज के लिए बहुत ही भयावह होता है। इसके फलस्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होती है तथा भीषण मुद्रा-स्फीति (inflation) की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी-कभी तो इसके फलस्वरूप नोटों का मूल्य नहीं के बराबर हो जाता है, जैसा कि प्रथम महायुद्ध के बाद जर्मनी में हुआ था ऐसी स्थिति में जनता भी इन नोटों को स्वीकार करने में हिचकती है।

(2) **पत्र-मुद्रा के चलन का क्षेत्र सीमित होता है :-** किसी एक देश की पत्र-मुद्रा का प्रचलन केवल उस देश की सीमा के अन्तर्गत ही होता है। विदेशी इन्हें स्वीकार नहीं करते। इससे विदेशी व्यापार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार पत्र-मुद्रा का एक प्रधान दोष यह है कि यह न तो अन्तर्राष्ट्रीय है और न इस प्रकार की हो ही सकती है।

(3) **पत्र-मुद्रा नाशवान होती है :-** पत्र-मुद्रा के सदा फट जाने अथवा गल जाने की आशंका बनी रहती है। वैसे तो नोट निर्गमन अधिकारी इस प्रकार के नोटों को वापस लेने का आश्वासन देते हैं, फिर भी इनमें जनता को बहुत अधिक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। अतएव पत्र-मुद्रा के प्रयोग में बहुत अधिक सावधानी से काम लेना पड़ता है।

(4) **साधारणतया पत्र-मुद्रा का मूल्य अनिश्चित एवं अस्थिर हुआ करता है :-** चूंकि पत्र-मुद्रा की मात्रा में सरकार बिना किसी कठिनाई के आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकती है, अतएव इसके मूल्य में घोर परिवर्तन (Heavy fluctuations) हुआ करते हैं। इस प्रकार पत्र-मुद्रा का मूल्य अनिश्चित होता है।

(5) **पत्र-मुद्रा से सभी प्रकार की परिकल्पना (Speculation) को प्रोत्साहन मिलता है :-** पत्र-मुद्रा की अनिश्चितता के परिणामस्वरूप ही पूँजीवादी देशों में व्यापार-चक्र (Trade cycles) की उत्पत्ति होती है। यही कारण है कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने पत्र-मुद्रा को एक प्रकार का सामाजिक धोखा बतलाया है।

(6) **पत्र-मुद्रा का आंतरिक मूल्य (Intrinsic value) कुछ भी नहीं होता :-** पत्र-मुद्रा का सर्वाधिक प्रमुख दोष यह है कि इसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। अतएव पत्र-मुद्रा

1: अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा (Inconvertible Paper money) को जारी करने के लिए बहुमूल्य धातुओं के कोष की आवश्यकता नहीं पड़ती और आजकल चूंकि विरल के प्राय सभी देशों में इसी प्रकार की पत्र-मुद्रा प्रचलन में है, अतएव सरकार बिना किसी हकान्त के अपने हकान्तानुसार पत्र-मुद्रा जारी कर सकती है।

के विमुद्रोकरण (Demonetization) होने पर पदायं के रूप में इसका कोई मूल्य शेष नहीं रह जाता। इस प्रकार पत्र-मुद्रा वास्तविक मुद्रा नहीं कही जा सकती। इसका मूल्य सरकार अथवा निर्गमन अधिकारी की साक्ष पर ही आधारित रहता है।

निष्कर्ष —पत्र-मुद्रा के उपरोक्त सभी गुण एव दोष हैं किन्तु इसके गुण एव दोषों के अध्ययन के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि पत्र-मुद्रा के अधिकांश दोष सरकार अथवा निर्गमन अधिकारी के हैं जो इस पर उचित नियन्त्रण नहीं रख पाते। पत्र-मुद्रा में स्वयं कोई कुराई नहीं है। वास्तव में, समुचित नियंत्रण द्वारा पत्र-मुद्रा को देश के आर्थिक विकास एवं जन कल्याण का एक साधन बनाया जा सकता है।

(2) वास्तविक मुद्रा तथा हिसाब की मुद्रा

(Actual Money or Money Proper and Money of Accounts)

सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री केन्स (Keynes) ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक (A Treatise on Money) में हिसाब की मुद्रा (Money of Accounts) तथा वास्तविक मुद्रा (Money Proper) में भी अन्तर किया है।

वास्तविक मुद्रा (Money Proper) —जो मुद्रा देश के भीतर यथायंत् प्रचलन (Circulation) में रहती है उसे वास्तविक मुद्रा कहते हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय में वास्तविक मुद्रा ही विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। सभी प्रकार के भूतलान इसी प्रकार की मुद्रा के रूप में किये जाते हैं तथा त्रय-शक्ति अथवा मूल्य का सचय (Store of value) भी वास्तविक मुद्रा के रूप में किया जाता है। देश के भीतर जितने प्रकार की मुद्राएँ प्रचलन में होती हैं, सभी वास्तविक मुद्रा कहलाती हैं। उदाहरण के लिए, भारत में 1 पैसा से 1 रुपया तक के सिक्के तथा 1 रुपया से 1000 रुपये तक के कागजी नोट वास्तविक मुद्रा हैं। केन्स (Keynes) ने इस प्रकार की मुद्रा को वास्तविक मुद्रा (Money Proper), सेलिगमैन ने मुख्य-मुद्रा (Real Money) तथा बेन्हम (Benham) ने चलन की इकाई (Unit of Currency) का नाम दिया है।

हिसाब की मुद्रा (Money of Accounts) —हिसाब की मुद्रा से हमारा अभिप्राय उस मुद्रा से है जिसका प्रयोग हिसाब-किताब रखने में किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जिस मुद्रा का प्रयोग लेन-देन करने, कीमत तथा त्रय-शक्ति को सूचित करने एवं ऋण की मात्रा को प्रकट करने के लिए किया जाता है उसे हिसाब की मुद्रा कहते हैं। केन्स (Keynes) ने इसे हिसाब की मुद्रा (Money of accounts) तथा सेलिगमैन (Seligman) ने इसे आदर्श मुद्रा (Ideal Money) का नाम दिया है। केन्स के अनुसार "हिसाब की मुद्रा वह है जिसके रूप में ऋण, वस्तुओं का मूल्य और त्रय-शक्ति आदि व्यवहृत की जाती है।" (Money of Accounts is that in which debts, prices and general purchasing power are expressed) ¹

साधारणतया, किसी देश में जो मुद्रा विनिमय के माध्यम एवं मूल्य-सचय का कार्य करती है वही मूल्य-मापन अथवा हिसाब किताब रखने के काम में भी आती है। किन्तु कभी-कभी,

¹ Keynes A Treatise on Money, Vol 1. P 3. केन्स ने वास्तविक मुद्रा तथा हिसाब की मुद्रा में निम्न प्रकार से अन्तर किया है "We may elucidate the distinction between money proper and money of accounts by saying that the money of accounts is the description or the title and proper money is the thing that answers to the description. Now if the same thing always answered to the same description, the distinction would have no practical interest."

विशेषतः आर्थिक सकट के समय में वास्तविक मुद्रा (Money Proper) तथा हिसाब-किताब की मुद्रा (Money of Accounts) भिन्न-भिन्न भी हो सकती हैं। उदाहरणार्थ 1923 ई० में जर्मनी की वास्तविक मुद्रा के रूप में जर्मन मार्क (German mark) प्रचलित था जबकि हिसाब-किताब की मुद्रा (Money of Accounts) फ्रैंक तथा डॉलर (Dollar) थे। भारत में भी दशमिक मुद्रा प्रणाली को अपनाने के पूर्ण हिसाब-किताब रुपये, आने और पाई में रखा जाता था जबकि पाई नामक सिक्के का प्रचलन कभी का समाप्त हो चुका था। इसी प्रकार अमेरिका में भी 1963 ई० तक हिसाब-किताब स्वर्ण डॉलर के रूप में रखा जाता था, जबकि इस प्रकार की मुद्रा का प्रचलन कभी का समाप्त हो गया इससे स्पष्ट है कि वास्तविक मुद्रा एवं हिसाब की मुद्रा में अन्तर भी हो सकता है। वास्तव में, वात यह है कि हिसाब की मुद्रा देश की प्रचलित मुद्रा का सैद्धांतिक रूप है एवं वास्तविक मुद्रा उसका व्यावहारिक रूप है। यह सम्भव है कि व्यावहारिक जीवन में मुद्रा का रूप बदल जाय, किन्तु सैद्धांतिक जीवन में हिसाब किताब में उसका पुराना रूप ही चलता रहे।

(3) विधि ग्राह्य मुद्रा तथा ऐच्छिक मुद्रा

(Legal Tender Money and Voluntary Money)

कुछ अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की सामान्य स्वीकृति (General acceptability) को महत्त्व देते हुए मुद्रा का वर्गीकरण (क) विधि-ग्राह्य (Legal Tender) और (ख) ऐच्छिक मुद्रा (Voluntary or Optional Money) के रूप में किया है।

(क) विधि-ग्राह्य मुद्रा (Legal Tender Money) :—विधि ग्राह्य मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे भुगतान के साधन के रूप में कानूनन स्वीकार किया जाता है। दूसरे शब्दों में, इसे वैधानिक मुद्रा भी कहते हैं। इस प्रकार की मुद्रा के रूप में सभी तरह के भुगतान का कार्य किया जाता है, चाहे वह वस्तुओं अथवा सेवाओं के मूल्य से सम्बन्धित हो या ऋणों के भुगतान से। सरकार एक कानून के द्वारा यह घोषित कर देती है कि अमुक सिक्के अथवा अमुक नोट भुगतान के कायम आयोगों। इससे उन्हें कानूनी मुद्रा का पद प्राप्त हो जाता है और कोई भी व्यक्ति लेन-देन के सिलसिले में इन्हें स्वीकार करने से इन्कार नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करने से वह दण्ड का भागी होता है।

विधि-ग्राह्य (Legal Tender Money) भी निम्नांकित दो प्रकार की होती है।—

(1) अपरिमित विधि-ग्राह्य मुद्रा (Unlimited Legal Tender Money) —इस प्रकार की मुद्रा किसी भी सीमा तक एक समय में किसी भुगतान के लिए कानूनन स्वीकार की जाती है। कोई भी व्यक्ति अपरिमित मात्रा में भी इस प्रकार की मुद्रा को लेने से इन्कार नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए भारत में रुपये एवं 50 पैसे के सिक्के तथा सभी कागजी नोट अपरिमित विधि-ग्राह्य (Unlimited Legal Tender) मुद्रा हैं।


(2) परिमित विधि-ग्राह्य मुद्रा (Limited Legal Tender Money) —इसके विपरीत जिस मुद्रा को एक बार के भुगतान में एक निश्चित सीमा से अधिक लेने के लिए वाध्य नहीं किया जा सकता हो उसे परिमित विधि ग्राह्य मुद्रा कहते हैं। सरकार द्वारा इस प्रकार की मुद्रा की अनिवार्य स्वीकृति की सीमा निश्चित कर दी जाती है। इन्हें एक बार के भुगतान में इस सीमा से अधिक लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को वाध्य नहीं किया जा सकता है। उदाहरणार्थ भारत में 25 पैसे तक के सिक्के 25 रुपये तक ही विधि-ग्राह्य (Legal Tender) होते हैं।

(ख) ऐच्छिक मुद्रा (Voluntary or Optional Money) —ऐच्छिक मुद्रा वह मुद्रा

होती है जिसे स्वीकार करने के लिए कानूनन किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार की मुद्रा को कानूनी मुद्रा (Legal Money) का पद नहीं प्राप्त रहता है। इस प्रकार की मुद्रा को भुगतान के रूप में स्वीकार करना या न करना व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। चेक, बैंक नोट, हण्डी, विनिमय बिल (Bills of Exchange) तथा प्रतिज्ञा-पत्र (Promissory notes) आदि ऐच्छिक मुद्रा के उदाहरण हैं। साधारणतया लोग इन्हें भुगतान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, किन्तु इन्हें स्वीकार करना या न करना देनेवाले की साध (Credit) पर निर्भर करता है।

मुद्रा का उपरोक्त वर्गीकरण निम्नांकित तालिका से अधिक स्पष्ट हो जाता है :-

मुद्रा का वर्गीकरण



अच्छे मुद्रा-पदार्थ के गुण

(Qualities of a good Money Material)

मुद्रा के विकास के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि मानव के आर्थिक विकास के विभिन्न स्तर पर विभिन्न वस्तुओं का विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग हुआ है। उदाहरण के लिए, शिकारी युग (Hunting stage) में खाल, गर, चमड़ा, पशुपालन युग में जोरों वस्तु, जैसे—गाय या बकरा तथा कृषि युग (Agricultural stage) में किसी वस्तु को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। धीरे-धीरे अनुभव के आधार पर इन पदार्थों के दोष स्पष्ट होने लगे, अतएव बहुमूल्य वस्तुओं को मुद्रा-पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। वास्तव में, अच्छे मुद्रा-पदार्थ के लिए निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है :- (1) सर्वग्राह्यता (Universal Acceptability), (2) परिचयता या सुज्ञयता (Cognizability), (3) वहनीयता (Protability), (4) विभाज्यता (Divisibility), (5) अविनाशिता या टिकाऊपन (Indestructibility), (6) मूल्य का स्थिरत्व (Stability of value), (7) एकरूपता (Homogeneity), तथा (8) तरलता या ढलाऊपन (Malleability),¹। इस प्रकार अच्छे मुद्रा-पदार्थ के लिए उक्त सारे

1. अच्छे मुद्रा पदार्थ के उक्त सारे गुणों को एक शब्द "CUP-DISH-M" द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इसमें प्रत्येक अक्षर मुद्रा-पदार्थ के एक गुण को व्यक्त करता है—जैसे—“C—Cognizability U—Universal acceptability P—Protability, D—Divisibility, I—Indestructibility, S—Stability of value, H—Homogeneity तथा M—Malleability.”
मु० मौ० सं—4

गुणों का होना आवश्यक है। अब इनका निम्न विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है :-

(1) सर्वग्राह्यता (Universal Acceptability) — मुद्रा-पदार्थ में सर्वमान्यता का गुण होना नितान्त आवश्यक है। मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, अतएव इसे सर्वमान्य होना चाहिए। प्रायः वही वस्तु सर्वमान्य होती है जो मुद्रा के अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी प्रयोग में लायी जाती हो। इस दृष्टिकोण से सोना एव चाँदी सर्वोत्कृष्ट मुद्रा-पदार्थ हैं क्योंकि उन्हें सभी व्यक्ति सर्वदा लेने के लिए तैयार रहते हैं। कागज भी इस दृष्टिकोण से अच्छा मुद्रा-पदार्थ नहीं है क्योंकि इसका आन्तरिक मूल्य (Intrinsic value) प्रायः नगण्य होता है किन्तु विधि-ग्राह्य (Legal Tender) बना देने से यह सर्वमान्य हो जाता है।

(2) परिचयता या मुझेयता (Cognizability) — मुद्रा-पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसके बने सिक्को को पहचानने में कोई कठिनाई नहीं हो। दूसरे शब्दों में, मुद्रा-पदार्थ ऐसा होना चाहिए कि जिसके आकार, रंग एव आवाज से ही लोग सुगमतापूर्वक उसे पहचान सकें। ऐसे पदार्थों के बने सिक्को में धोखेबाजी की बहुत कम सम्भावना रहती है। जब तक मुद्रा-पदार्थों में यह गुण वर्तमान न होगा तब तक उसकी बनी मुद्रा को सामान्य स्वीकृति प्राप्त नहीं होगी जिससे विनिमय के कार्य में असुविधाएँ एव कठिनाइयाँ होंगी। सोना एव चाँदी में यह गुण विशेष रूप से पाया जाता है। आजकल तो सिक्के तथा पत्र-मुद्रा के निर्माण में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(3) वहनीयता (Portability) — मुद्रा-पदार्थ में वहनीयता, यानी एव स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने की सुविधा के गुण का होना भी आवश्यक है। मुद्रा जो हम एक ही स्थान में सग्रह कर नहीं रखते, वरन् समय समय पर हमें इसका हस्तांतरण एव स्थानान्तरण भी करना पड़ता है। वहनीयता के लिए थोड़े आकार में अधिक मूल्य (Large value in small bulk) होना चाहिए। जानवर अथवा अनाज में वहनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, अतः उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में बहुत अधिक कठिनाई होती थी परन्तु सोना एव चाँदी में यह गुण विशेष मात्रा में पाया जाता है क्योंकि इनके एक छोटे टुकड़े में भी बहुत अधिक मूल्य रहता है। पत्र-मुद्रा में वहनीयता का गुण विशेष रूप से पाया जाता है। अतएव इसे एक स्थान से दूसरे स्थान में सुगमतापूर्वक तथा कम ही खर्च में भेजा जाता है।

(4) विभाज्यता (Divisibility) — मुद्रा-पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसे छोटे-छोटे टुकड़ों में सुगमतापूर्वक विभाजित किया जा सके। विनिमय के कार्य में हम केवल बड़ी बड़ी वस्तुओं का ही लेन-देन नहीं करते, वरन् छोटी-छोटी वस्तुओं के लेन-देन की भी आवश्यकता पड़ती है। अतएव मुद्रा पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसके मूल्य एव उपयोगिता में कमी लाये बगैर ही उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जा सके। इस दृष्टिकोण से ही हीरा को एक अच्छा मुद्रा-पदार्थ नहीं कहा जा सकता, यद्यपि यह एक बहुमूल्य पदार्थ है क्योंकि टुकड़ा-टुकड़ा करने से इसकी कीमत कम हो जाती है। इसके विपरीत सोना एव चाँदी में यह गुण विशेष मात्रा में पाया जाता है क्योंकि समान कीमत एव समान वजन के इनके टुकड़े किये जा सकते हैं एव सभी टुकड़ों की सामूहिक कीमत पूरे घातु की कीमत के बराबर होती है।

(5) अविनाशिता या टिकाऊपन (Indestructibility) — मुद्रा-पदार्थ टिकाऊ होना चाहिये। वे वस्तुएँ जो क्षीय नष्ट हो जाती हैं अच्छी मुद्रा हो सकती हैं क्योंकि ऐसी मुद्रा मूल्य के संचय (Store of value) का कार्य नहीं कर सकती। अतएव क्रय-शक्ति के संचय के कार्य के लिए मुद्रा-पदार्थ का टिकाऊ होना अनिवार्य है। अन्य अथवा पत्र में यह गुण नहीं पाया

जाता है, अतएव ये अच्छे मुद्रा-पदार्थ नहीं बन सकते। इसके विपरीत सोना-चाँदी में यह गुण बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है जिससे इनके बने सिक्कों में घिसावट वगैरह भी बहुत कम होती है।

(6) मूल्य की स्थिरता (Stability of value) —मुद्रा-पदार्थ में मूल्य की स्थिरता (Stability of value) के गुण का होना भी आवश्यक है। यदि मुद्रा-पदार्थ का मूल्य स्वयं बहुत अधिक परिवर्तनशील होगा तो वह मुद्रा के अनेक कार्यों, जैसे—मूल्य-मापन की इकाई (Unit of account), विलम्बित देन का भुगतान (Standard of deferred payment) तथा मूल्य-संचय (Store of value) के कार्यों का अच्छी तरह से सम्पादन नहीं कर सकता। यदि मुद्रा-पदार्थ के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने लगेगा तो लोग इसे छिपाने, गलाने या संचित करने लग जायेंगे जिससे चलन में मुद्रा का अभाव होने लगेगा। सोना एव चाँदी का चलन मुद्रा के रूप में बहुत अधिक समय तक रहा है क्योंकि दूसरे पदार्थों की अपेक्षा इनके मूल्य में परिवर्तन होता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि विश्व में ये दोनों पदार्थ एक सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं और इनकी पूर्ति में वृद्धि अथवा कमी बहुत अधिक कठिनाई से की जा सकती है। कृषि-पदार्थ अथवा खाद्यान्न अच्छी मुद्रा नहीं हो सकते क्योंकि इनके मूल्य शीघ्र कमी या वृद्धि होती है। इस प्रकार मुद्रा-पदार्थ में मूल्य के स्थायित्व का गुण होना अनिवार्य है।

(7) एकरूपता (Homogeneity) —मुद्रा-पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसके सभी टुकड़ों में एकरूपता हो, यानी समान मूल्य के सभी टुकड़ों का वजन एव मूल्य एक समान होना चाहिए। यदि इन टुकड़ों को पुनः गलाकर मिला दिया जाय तो उस ठोस वस्तु का वजन एव मूल्य भी सभी टुकड़ों के सम्मिलित वजन एव मूल्य के बराबर ही होना चाहिए। ऐसा होने से मुद्रा की सभी इकाइयाँ एक प्रकार की होती हैं जिससे लेन-देन में कोई भी व्यक्ति इन्हें अस्वीकार नहीं कर सकता। सोने अथवा चाँदी में यह गुण विशेष मात्रा में पाया जाता है। अतएव मवेशी, अन्न तथा लोहा की अपेक्षा ये मुद्रा के लिए अधिक उत्तम होते हैं।

(8) ढलाऊपन या शीघ्र द्रव्यता (Malleability) —मुद्रा-पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसे सुगमतापूर्वक गलाकर किसी भी रूप एव वजन के सिक्के तैयार किये जा सकें। साथ ही सिक्कों पर किसी प्रकार का मुहरें अथवा छाप आसानी से लगायी जा सकें जिससे जाली सिक्कों के चलन को रोकने में सुविधा होगी। गलाकर सिक्के तैयार करने से इसके मूल्य में भी किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। अतएव द्रव्य-स्वभाव में तो बहुत अधिक मुलायम और न बहुत अधिक कड़ा ही होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से भी सोना एव चाँदी द्रव्य-पदार्थ के लिए उत्तम हैं जबकि हीरा अथवा काँच अच्छे नहीं हैं।

इस प्रकार एक अच्छे मुद्रा पदार्थ में उपरोक्त सभी गुणों का होना अनिवार्य है। निम्नांकित चार्ट द्वारा इन्हें अधिक सुगमतापूर्वक स्पष्ट किया जा सकता है —

अच्छे मुद्रा-पदार्थ के गुण

सर्वश्राव्यता परिचयता वहनीयता विभाज्यता टिकाऊपन मूल्य की स्थिरता एकरूपता ढलाऊपन
इन गुणों के अध्ययन में हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि सोने एव चाँदी में उपरोक्त सभी गुण अन्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक मात्रा में पाये जाते हैं। यही कारण है कि विश्व में एक बहुत लम्बे समय तक इन पदार्थों का मुद्रा के रूप प्रयोग हुआ है। ताँबा एव गिल्ट का प्रयोग भी मुद्रा के रूप में बहुत समय से किया जा रहा है, किन्तु इन धातुओं में मुद्रा-पदार्थ के सभी

गुण पर्याप्त मात्रा में नहीं पाये जाते हैं, अतएव इनका प्रयोग मुख्यतः सांकेतिक सिक्कों के रूप में ही होते आये हैं। आजकल पत्र-मुद्रा का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसमें परिचयता, वहनीयता आदि गुण तो विशेष रूप में पाये जाते हैं, किन्तु इसमें भी आंतरिक मूल्य एवं टिकाऊपन आदि का अभाव है।

ग्रेशम का नियम

(Grasham's Law)

सर टॉमस ग्रेशम (Sir Thomas Grasham) ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के आर्थिक सलाहकार थे। ग्रेशम ने चलन की मुद्रा के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण नियम का प्रतिपादन किया था जिसे ग्रेशम का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जब किसी देश में दो प्रकार की मुद्राएँ एक ही साथ प्रचलन में रहती हैं जिनमें से एक को अच्छा तथा दूसरी को बुरा कहा जा सकता है, तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर निकाल देगी। इसी प्रवृत्ति को ग्रेशम का नियम कहते हैं। ग्रेशम के शब्दों में, "खराब मुद्रा में अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर निकाल देने की प्रवृत्ति पायी जाती है।" (Bad money tends to drive good money out of circulation) मार्शल (Marshall) ने इस नियम की व्याख्या इस प्रकार से की है : "An inferior currency, if not limited in quantity, will drive out the superior currency" वास्तव में, ग्रेशम का नियम, वास्तविक जीवन के अनुभवों पर आधारित है तथा यह सदा क्रियाशील होता है। रजत एवं स्वर्णमान के अन्तर्गत यह विशेष रूप से क्रियाशील होता था। जब मौद्रिक व्यवस्था में कुछ सिक्के पुराने, धिसे हुए तथा कम वजन के होते हैं जब कि अन्य सिक्के पूरे वजन के होते हैं तो लोग पुराने सिक्कों को ही केवल चलन में रखते हैं तथा नये सिक्कों को अपने पास रखते हैं। इसका कारण यह है कि कानूनन दोनों प्रकार के सिक्के एक ही समान मूल्य के हैं किन्तु एक नये सिक्के में पुराने सिक्कों की अपेक्षा अधिक धातु पायी जाती है। द्वि-धातुमान (Bi-metallicism) में तो ग्रेशम का नियम विशेष रूप से लागू होता था। जब किसी भी देश में एक ही साथ दो धातु के सिक्के चालू रहते हैं तो इनके बीच विनिमय की वैधानिक दर निश्चित कर दी जाती है। किन्तु कभी कभी इनमें से किसी एक के मूल्य में परिवर्तन के कारण इनके प्रचलित विनिमय अनुपात तथा वैधानिक विनिमय में अन्तर हो जाता है। ऐसी स्थिति में लोग महँगी धातु के सिक्के को गलाकर धातु के रूप में बदल लेते हैं और उसे बाजार में बेचकर उससे सस्ती धातु के सिक्के प्राप्त कर लेते हैं। इससे कम ही मूल्य के सिक्के प्रचलन में रह जाते हैं।

विशेष अध्ययन-सूची

1. Klynnes A Treatise on Money, Ch I
2. Coulborn A Discussion of Money, Ch. I & II

अध्याय : 5

बैंकों की प्रकृति एवं कार्य

(The Nature and Functions of Banks)

प्राक्कथन — पिछले प्रायः चार अध्यायों में “बैंक” शब्द का प्रकरणवश कई बार जिक्र किया गया है। वास्तव में आधुनिक युग में, मुद्रा-सम्बन्धी किसी प्रकार के भी विवेचन में बैंक शब्द का जिक्र अति स्वाभाविक है, क्योंकि आधुनिक औद्योगिक समाज में मुद्रा की कुल पूर्ति का एक बहुत बड़ा भाग ‘बैंक जमा’ (Bank Deposit) का ही होता है। अतएव मुद्रा के सम्बन्ध में विवरण के पूर्व बैंकों की प्रकृति एवं कार्य (nature and functions of banks) की व्याख्या आवश्यक हो जाती है, क्योंकि इन्होंने समाज में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाकर मौद्रिक अधिकारियों का कार्य धीरे धीरे बहुत हल्का कर दिया है और इन प्रकार ये वर्तमान सामाजिक अर्थ-व्यवस्था की धुरी बन गये हैं।

बैंकों का विकास (Origin of Banks) — बैंक शब्द ‘बैंको’ (Banco) से निकाला है। ‘बैंको’ (Banco) शब्द का प्रचलन सर्वप्रथम इटली के वेनिस (Venice) नामक नगर में प्रथम बैंकिंग-गृह की स्थापना के पश्चात् हुआ था। उस समय इटली में बैंको (Banco) शब्द का अर्थ बैंक पर बैठकर द्रव्य बदलना होता था। वास्तव में, प्राचीन काल में भारत तथा अन्यान्य देशों में सुनार या सर्राफ (Goldsmith) लोग द्रव्य बदलने का कार्य करते थे। इस कार्य के लिए ये लोग अपने पास देश-विदेश के सिक्कों को रखते थे ताकि मुद्रा-परिवर्तन के लिए आनेवाले व्यक्तियों को ये इच्छानुसार मुद्रा दे सकें। कुछ लोगों के अनुसार अंग्रेजी भाषा का बैंक शब्द बैंक (Bank) से बना है, किन्तु Bank को भी इटालियन भाषा में Banco ही कहा जाता है।

सुप्रसिद्ध विद्वान क्रॉउथर (Crowther) के अनुसार आधुनिक बैंकों के हमें तीन पूर्वज स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं—सर्वप्रथम तो वह व्यापारी अथवा महाजन (merchant) है जिसकी ऊँची और विश्वस्त ख्याति अपना साज उन पत्रों को जारी करने की योग्यता प्रदान करती थी जिन्हें विश्व भर में मुद्रा का अधिकार-पत्र समझा जाता था।

आधुनिक बैंकर का दूसरा पूर्वज ऋण देनेवाला (Money-Lender) है। ऋण लेने तथा देने का कार्य शायद उतना ही प्राचीन है जितनी कि मुद्रा। (Lending and borrowing are almost as old as money itself), प्राचीन, समाज में भी, कुछ व्यक्ति ऐसे होते थे जो धन बचाकर जमा कर लेते थे और कुछ ऐसे होते थे जो इसके अभाव में रहते थे। इस प्रकार ऋण के लेन-देन का कार्य अति प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। पहले ऋण देने वाला अपनी पूँजी से ही कार्य करता था, किन्तु धीरे धीरे समाज के अन्य व्यक्ति भी अपनी अतिरिक्त वस्तु को उसके पास इस कार्य के लिए देने लगे। ऋण देने वाला इस कार्य के लिए विशेष रूप से अनुभवी होता था, अतः उसके इस कार्य से दोनों को लाभ होता था। आधुनिक बैंकर भी अपने इस पूर्वज की तरह यह कार्य करता है। यह अपने ग्राहकों का रुपया जमा के रूप में ग्रहण करता है और दूसरे व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार ऋण के रूप में देता है।

आधुनिक बैंकर का तीसरा पूर्वज सुनार या सर्राफ (Goldsmith) है। बैंक केवल जमा लेने तथा ऋण देने तक ही अपने कार्य को सीमित नहीं रखते बल्कि ये समाज की कुल मुद्रा की पूर्ति की वृद्धि में भी सहायक होते हैं। इस कार्य को इन लोगों ने सुनारों से प्राप्त किया है।

जब समाज में बैंको का प्रचलन नहीं हुआ था तब लोग अपने सोना अथवा चाँदी को मुनारों के पास उनकी तिजोरी में सुरक्षित रखने के लिए रखते थे जिसके बदले मुनार उन्हें एक रसीद दिया करते थे। धीरे-धीरे यही रसीद मुद्रा की तरह चलने लगी। लोग ऋण के लेन देन में वास्तविक सोना अथवा चाँदी का प्रयोग नहीं कर इन्हीं रसीदों से अपना काम चला लेते थे। जैसे-जैसे मुनार या सर्राफों की ख्याती बढ़ती गयी, वे रसीदों बैंक नोट की तरह चलने लगी। साथ ही, वे रसीदों भी अब बिकने लगी। मुनार को केवल अब इस बात की खबर देनी पड़ती थी कि अमुक व्यक्ति ने जो मोना उसके पास जमा किया था यह उसने अपने महाजन को दे दिया और उस सोने की अब महाजन के नाम जमा कर लिया जाय। इसी से चेक का जन्म हुआ। और, मुनार ने जब यह अनुभव किया कि जितना सोना वह जमा लेता है तथा जितनी रसीद जारी करता है, वह सम्पूर्ण एक ही बार में लौटाने के लिए नहीं आती तब उसने जमा किये गये सोना अथवा चाँदी से अधिक की रसीदें जारी करना प्रारम्भ किया। इस प्रकार मुद्रा-सृजन (Creation of money) का एक तरीका निकाला। आधुनिक बैंकर भी इसी प्रकार बैंक जमा अथवा बैंक मुद्रा का सृजन करता है।

इस प्रकार आधुनिक बैंकर अपने इन तीनों पूर्वजों की विशेषताओं से युक्त है। व्यापारी की तरह आज भी यह विदेशी व्यापार में सहायता प्रदान करता है तथा विनिमय बिल आदि पत्रों को जारी करता एवं भुनाता है। ऋण देनवालों की तरह ग्राहकों का जमा अपने पास रखता है और उसी के आधार पर ग्राहकों को कर्ज भी देता है एवं मुनार अथवा सर्राफों की तरह मुद्रा अथवा जमा का सृजन भी करता है।

आधुनिक तरीके का सबसे पहला बैंक 1401 ई० में स्पेन के बार्सिलोना नामक नगर में स्थापित हुआ था। तत्पश्चात् 1607 ई० में हॉलैंड में 'बैंक ऑफ एमस्टरडम' एवं जर्मनी में 1603 ई० में बैंक ऑफ हैम्बर्ग की स्थापना हुई। सत्रहवीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति (Industrial Revolution) के साथ-साथ एक नये युग का शुभारंभ हुआ। सामुद्रिक यातायात में विकास के साथ-साथ व्यापार का बहुत विस्तार हुआ। नये-नये उपनिवेशों की खोज की जाने लगी जिसके लिए बहुत अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता पड़ती थी। उपनिवेशों को लेकर यूरोप के प्रमुख देशों में एक होड़-सी लग गयी थी और सभी देश अपने-अपने व्यापार के विस्तार के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न करने को तैयार थे। ऐसी स्थिति में वैश्विक व्यवस्था का विकास भी अति स्वाभाविक था। अतएव सत्रहवीं एवं अठारहवीं शताब्दी में यूरोप में बैंकिंग का विकास बहुत तेजी से प्रारम्भ हुआ। 1694 ई० में इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड (Bank of England) की स्थापना हुई जिससे आधुनिक बैंकिंग प्रणाली को एक वैज्ञानिक रूप मिला। उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक नोट जारी करने का कार्य पूर्ण रूप से सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक के हाथ में आ गया था। इन शताब्दियों के अन्त तक चेक प्रणाली ने भी वैज्ञानिक रूप धारण कर लिया था। जब 1835 ई० के विधान के अनुसार इंग्लैंड में बैंको का संगठन मिश्रित पूँजी की कम्पनियों (Joint Stock Companies) के आधार पर किया जाने लगा तो बैंको के विकास को और भी बल मिला क्योंकि इन कम्पनियों का संगठन सीमित दायित्व (Limited Liability) के आधार पर होता है। इस प्रकार बैंक धीरे-धीरे विकास की ओर उन्मुख होते गये और आज तो इनका इतना अधिक विकास हुआ है कि ये आर्थिक एवं व्यावसायिक जीवन का एक प्रमुख अंग बन गये हैं।

बैंक की परिभाषा

बैंक क्या है ? यद्यपि हम सभी अपने दैनिक जीवन में बैंक शब्द से पूर्णरूपेण परिचित हैं, फिर भी यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देना कुछ कठिन है। वास्तव में, बैंक शब्द की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है। यही कारण है कि विभिन्न विद्वानों ने बैंक शब्द की भिन्न-भिन्न परिभाषाएँ दी हैं। इनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएँ इस प्रकार हैं—

प्रो० सेयर्स (R. S. Sayers) के अनुसार “बैंक वह सस्था है जिसके ऋणों को दूसरे व्यक्तियों के पारस्परिक भुगतान में विस्तृत रूप से मान्यता प्राप्त हो।” (Banks are institutions, whose debts usually referred to as bank deposits, are commonly accepted in final settlement of other people's debts)¹ प्रो० सेयर्स द्वारा दी गयी इस परिभाषा में केवल बैंक के जमा पर जोर दिया गया है, अतएव यह स्पष्ट है कि यह परिभाषा बैंक के अन्य तत्वों अथवा कार्यों की विवेचना नहीं करती।

1949 ई० के भारतीय बैंकिंग कम्पनी अधिनियम (Indian Banking Companies Act) में बैंक की परिभाषा इस प्रकार से दी गयी है, “बैंक या बैंकिंग कम्पनी वह कम्पनी है जो उधार देने अथवा विनियोग करने के लिए जनता से जमा के रूप में मुद्रा स्वीकार करती है जो माग पर अथवा किसी अन्य प्रकार से चेक, ड्राफ्ट, आदेश आदि द्वारा शोधनीय होते हैं।” (The accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from public repayable on demand or otherwise and withdrawable by cheque, draft, order or otherwise—The Indian Banking Companies Act, 1949) बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम के अनुसार कोई भी सस्था अपने नाम के आगे बैंक, बैंकर अथवा बैंकिंग शब्द का प्रयोग तभी कर सकती है जबकि उसमें उपरोक्त सारी बातें पायी जाती हो।

इसी प्रकार किन्ले (Kinley) के अनुसार, “बैंक एक ऐसी सस्था है जो ऋण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को रुपया उधार देती है जिन्हें इसकी आवश्यकता रहती है और जिनके पास व्यक्ति-विशेष अपने अतिरिक्त रुपये को जमा करते हैं।” (Bank is an establishment which makes to individuals such advances of money as may be required and safely made and to which individuals entrust money when not required by them for use—Kinley) किन्ले की परिभाषा में बैंक के केवल उधार देने अथवा देने की बात का ही जिक्र है। इसमें बैंक के अन्य कार्यों का वर्णन नहीं किया गया है।

हार्ट (H. L. Hart) ने बैंक की परिभाषा इस प्रकार से दी है —“बैंकर वह व्यक्ति है जो अपने साधारण व्यवसाय के अन्तर्गत लोगों का रुपया जमा के रूप में प्राप्त करता है और जिसे वह उन जमा करने वाले व्यक्तियों के चेकों का भुगतान कर चुकाता है।” (A banker is one who, in ordinary course of his business, receives money which he pays by honouring cheques of persons from whom or on whose account he receives it) इस परिभाषा में भी अन्य परिभाषाओं की तरह बैंक के सभी कार्यों का विवरण नहीं दिया गया है।

इस प्रकार बैंक की कुछ प्रमुख परिभाषाओं का वर्णन ऊपर किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त बैंक की और भी बहुत-सी परिभाषाएँ दी गयी हैं। किन्तु इन परिभाषाओं के अध्ययन

से स्पष्ट हो जाता है कि इनमें परिभाषा के स्थान पर वचन को ही अधिक महत्त्व दिया गया है। प्रत्येक लेखक ने परिभाषा देते समय बैंक के कार्यों को दिखलाने का ही प्रयास किया है। इससे इन परिभाषाओं को समझना कठिन हो जाता है। अतएव बैंक की एक सरल परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है—“बैंक वह सस्था है जो मुद्रा एव साख का व्यापार करती है।” (Bank is an institution which deals in money and credit)*

आधुनिक बैंको के कार्य एव सेवाएँ

(Functions and Services of Modern Banks)

आधुनिक बैंको के कार्यों को हम निम्नांकित तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं—

- (1) प्राथमिक कार्य (Primary Functions)
- (2) सामान्य उपयोगिता सम्बन्धी कार्य (General Utility Functions), तथा
- (3) एजेंसी सम्बन्धी कार्य (Agency Functions)।

* बैंक की कुछ अन्य परिभाषाएँ इस प्रकार हैं—

वाल्टर लीफ (Walter Leaf) ने बैंक की परिभाषा इस प्रकार से दी है—“बैंक वह व्यक्ति अथवा संस्था है जो हर समय जमा के रूप में द्रव्य लेने को तैयार हो, जिन्हें वह उनके (depositors) चेक द्वारा वापस करता हो।” (A Banker is an institution or individual who is always ready to receive money on deposits to be returned against the cheques of their depositors)

इस प्रकार विलियम एम बोगेन (Willis and Bogen) के अनुसार “By Banking in the most general sense is meant the business of receiving conserving and utilising the funds of the community or any special section of it”—Willis and Bogen, Investment Banking p

जान पैगेट (John Paget) ने अधिक विस्तृत रूप से बैंक की परिभाषा देने का प्रयास किया है। इनके अनुसार कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था तब तक बैंकर कहलाने का अधिकारी नहीं होगा जब तक कि (i) वह जमा के रूप में मुद्रा स्वीकार नहीं करता हो (ii) खातू खाते (Current Account) में रुपया नहीं प्राप्त करता हो (iii) चेकों के निर्गमित करने तथा अपने ऊपर लिखे गये चेकों के मुगलान का कार्य न करता हो, (iv) अपने ग्राहकों की ओर से सादे अथवा रेखांकित (Crossed) चेकों को एकत्र करने का कार्य न करता हो और पुन कहा जा सकता है कि उक्त सभी कार्यों के करने पर भी कोई व्यक्ति अथवा संस्था तब तक बैंक नहीं कहला सकता है जबतक कि निम्नांकित शर्तें पूरी न करता हो (1) बैंकिंग उसका शास्त्र व्यवसाय नहीं हो, (2) वह अपने आप को बैंकर समझता हो और जनता भी उसी तरह से समझती हो, (3) इस प्रकार के व्यवसाय से घनोपार्जन का इरादा हो और (4) यह उसका मुख्य व्यवसाय हो। [No one and no body, corporate and otherwise can be a banker who does not —(i) take deposit accounts, (ii) take current accounts, (iii) issue and pay the cheques drawn upon himself, (iv) collect cheques crossed and uncrossed for his customers, and it might be said that even if all the above functions are performed by a person or a body corporate, he or it may not be a banker or bank, unless he or it fulfils the following conditions —(i) banking is his or its known occupation, (ii) he or it may profess to be a banker and the public takes him or it as such, (iii) has an intention of earning by doing so, and (iv) this business is not subsidiary

—John Paget

अब इनका पृथक-पृथक निम्न विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है—

(1) प्राथमिक कार्य (Primary Functions)—आधुनिक बैंको के निम्नलिखित दो प्राथमिक कार्य हैं—

(क) जमा ग्रहण करना (Acceptance of Deposits), तथा

(ख) ऋण प्रदान करना (Advancing of Loans) ।

(क) जमा ग्रहण करना (Acceptance of Deposits) —आधुनिक बैंको का एक महत्त्वपूर्ण कार्य अपने ग्राहकों से जमा के रूप में मुद्रा प्राप्त करना है। समाज के अधिकांश व्यक्ति अथवा सस्था अपनी आय का एक अंश बचाकर रखते हैं। इनमें से कुछ व्यक्ति अथवा सस्था तो अपनी बचत को स्वयं उत्पादक कार्यों में लगाते हैं, किन्तु जिनकी बचत अत्यन्त अल्प मात्रा में होती है अथवा बचाने वाले में व्यावसायिक जालिम उठाने की क्षमता नहीं होती, तो ये अपनी बचत को चोरी हो जाने के भय से अथवा व्याज कमाने के लिए किसी बैंक में जमा करते हैं। बैंक में रुपया जमा करने वाले को उचित लाभ के अतिरिक्त यह व्यवस्था भी होती है कि यह सुविधानुसार अपनी रकम को वापिस ले सकते हैं। बैंक के लिए भी इस प्रकार का जमा विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी के आधार पर ऋण आदि देकर बैंक अपने लाभ का एक प्रमुख भाग प्राप्त करता है।

बैंक प्रायः तीन प्रकार से जमा प्राप्त करते हैं—

(i) स्थायी जमा (Fixed deposit)—स्थायी जमा खाते में रुपया एक निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है। इस खाते से मुद्रा इस निश्चित अवधि के अन्दर नहीं निकाली जा सकती है। अतएव इस प्रकार के जमा को सावधि जमा (Time deposit) भी कहा जाता है। इस प्रकार के जमा पर बैंक आकषक व्याज देते हैं। वास्तव में, अब सभी प्रकार के जमा की अपेक्षा इस पर व्याज की दर भी अधिक होती है। बैंक के लिए भी स्थायी जमा खाते में रुपया प्राप्त करना अधिक लाभदायक होता है क्योंकि ऐसे जमा के भुगतान के लिए वह एक निश्चित अवधि तक निश्चित हो जाता है।

(ii) चालू जमा (Current Account) —चालू जमा खाते (Current Deposit) में रुपया जमा करने वाला अपनी ढूँढा के अनुसार रुपया जमा कर सकता है अथवा निकाल सकता है। इस पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं रहता। इस प्रकार का जमा व्यापारियों तथा बड़ी-बड़ी सस्थाओं के लिए विशेष सुविधाजनक होता है क्योंकि इस खाते में से वे दिन में कई बार भी चेक द्वारा रुपया निकाल सकते हैं। इसे Demand deposit भी कहा जाता है। साधारणतः बैंक इस प्रकार के जमा पर नाम-मात्र का व्याज (Nominal rate of interest) देते हैं, किन्तु कुछ विशेष परिस्थितियों में वे चेक द्वारा रुपया निकालने की सुविधा एवं प्रबन्ध के लिए ग्राहकों से कुछ मामूली रकम (incidental charges) भी वसूल करते हैं।

(iii) सचयी जमा (Savings Deposit) —इस प्रकार का खाता छोटी छोटी रकम वालों के लिए विशेष सुविधाजनक होता है। बैंक सचयी जमा खाते (Savings Bank account) में जमा की गयी रकम पर मामूली व्याज (Moderate rate of interest) देता है। इस प्रकार के खाते में रुपया जमा करने वाला जब चाहे रुपया जमा कर सकता है, किन्तु रुपया निकालने का अधिकार सीमित रहता है। रुपया प्रायः हफ्ते में एक या दो बार ही निकाला जा सकता है, वह भी एक निश्चित रकम से अधिक नहीं। इस प्रकार सचयी जमा खाता निश्चित एवं कम आय

वाले व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाजनक होता है। साथ ही, यह इस वर्ग के लोगों में रूपया, बचाने की आदत को भी प्रोत्साहित करता है।

(ख) ऋण प्रदान करना (Advancing of Loans) — आधुनिक बैंको का दूसरा महत्त्वपूर्ण प्राथमिक कार्य अपने ग्राहको को ऋण प्रदान करना है। बैंक अपने ग्राहको को बहुधा उत्पादक कार्यों के लिए कर्ज देते हैं। कर्ज लेने वालों से ये ब्याज भी वसूल करते हैं जो इनके लाभ का एक प्रमुख साधन है। बैंको के ऋण देने (Advancing of loans) के सम्बन्ध में एक प्रमुख बात यह है कि बैंक अपने ग्राहको को नकद रूपसे कर्ज नहीं देते। कर्ज की रकम प्रायः कर्ज लेने वाले के नाम उसके खाते में जमा कर दी जाती है। ऋणी समय-समय पर आवश्यकता-नुसार अपने खाते में से रूपया निकालकर अपना कार्य करता है। बैंक के इस कर्ज देने की प्रक्रिया से ही जमा का सृजन (Creation of deposit) होता है जिसका आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में बहुत अधिक महत्त्व है। बैंको के लाभ का अधिकांश भाग ऋण देने से ही प्राप्त होता है, अतएव बैंकिंग व्यवसाय की सफलता भी बहुत कुछ ऋणो की समुचित व्यवस्था पर ही निर्भर करती है।

बैंक साधारणतया निम्नांकित प्रकार से ऋण प्रदान करते हैं —

(1) नकद साख (Cash Credit) — नकद साख (Cash Credit) व्यवस्था के अन्तर्गत बैंक अपने ग्राहको को ऋण-पत्र (Bonds), व्यापारिक माल (Commercial goods) अथवा अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों (Securities) के आधार पर ऋण प्रदान करते हैं। इस प्रकार के ऋण में ऋण की रकम को एक बार में निकालना आवश्यक नहीं है। ऋणी अपनी सुविधानुसार ऋण की रकम को निकालते रहता है। जब बैंक व्यापारिक माल की जमानत पर ऋण देता है तो वह इस माल को अपने गोदाम में जमा कर देता है और ऋण की समूची के पश्चात् छोड़ता है। इस प्रकार का ऋण हमारे देश के व्यापारियों में अत्यधिक प्रचलित है।

(ii) अधिविकर्ष (Overdraft) — जब कभी भी कोई बैंक अपने ग्राहक को उसके खाते में जमा की गयी रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा प्रदान करता है तो इसे अधिविकर्ष की सुविधा कहते हैं। इसके अन्तर्गत पाह्क के चालू खाते में जितनी रकम जमा रहती है उससे अधिक रकम निकालने की सुविधा बैंक देता है। इस अधिक रकम के लिए बैंक अपने ग्राहक से उचित जमानत (Security) लेता है। साथ ही, इस प्रकार के ऋण पर बैंक सूद बहुत अधिक लेता है। अधिविकर्ष की सुविधा अल्पकाल के लिए ही दी जाती है। अधिविकर्ष एव नकद साख-प्रणाली में एक महत्त्वपूर्ण अन्तर यह है कि जबकि नकद साख प्रणाली के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति ऋण ले सकता है, अधिविकर्ष की सुविधा बैंक में जमा रखनेवाले केवल कुछ प्रमुख ग्राहको को ही वह प्रदान करता है।

(iii) विनिमय बिलों को भुनाना (Discounting of Bills of Exchange) — बैंक द्वारा व्यापारियों को ऋण देने का यह एक अत्यधिक प्रचलित एव महत्त्वपूर्ण तरीका है। बैंक विनिमय बिलों (Bills of Exchange) अथवा अन्य व्यापारिक बिलों को भुना कर भी व्यापारियों को कर्ज देता है। इस प्रकार का ऋण अल्पकालीन होता है। बैंक विनिमय बिलों को भुनाने में बट्टा (Discount) लेता है। बट्टा की दर (Rate of discount) बिलों की परिपक्वता की अवधि (Time of Maturity) तथा बिल से सम्बन्धित व्यापारियों की साख पर निर्भर करती है। आजकल व्यापार में अधिकांश सौदे उधार किये जाते हैं परन्तु विक्रता अथवा उत्पादक अनिश्चित काल तक माल उधार नहीं दे सकता, अतएव वह खरीददार के

नाम एक विनिमय बिल जारी करता है और खरीदार उसे स्वीकार करता है। अब विक्रेता उस बिल को अपने पास बहुत समय तक नहीं रखकर अपने बैंक से भुना लेता है। बैंक उस बिल से बट्टा की रकम को काटकर शेष रकम भनाने वाले व्यापारी को दे देता है। जब बिल की अवधि पूरी हो जाती है तब उस पर अंकित रकम बैंक खरीदार से प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार बैंक के फजं देने का यह भी प्रमुख तरीका है।

(iv) ऋण एवं अग्रिम (Loans and advances) —जब ऋण एक पूर्ण निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है तो इसे ऋण अथवा अग्रिम कहते हैं। जब तक इस प्रकार के ऋण का पूर्णतया भुगतान नहीं हो जाता तबतक इसका अन्त नहीं समझा जाता है। इस प्रकार के ऋण के लिए बैंक उचित जमानत (Security) लेता है। इस पर ब्याज की दर भी बहुत अधिक रहती है क्योंकि यह एक सम्बन्धी अवधि के लिए दिया जाता है।

(2) सामान्य उपयोगिता-सम्बन्धी कार्य (General Utility Functions) :— उपरोक्त दोनो प्राथमिक कार्यों के अतिरिक्त आधुनिक बैंक बहुत-से अन्य कार्यों का भी सम्पादन करते हैं जिन्हें सामान्य उपयोगिता-सम्बन्धी कार्य कहा जाता है। इनमें निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :—

(क) बैंक नोट जारी करना.—प्राचीनकाल में बैंकों का यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य था। प्रत्येक बैंक अपने निजी नोट जारी करने थे किन्तु आजकल यह अधिकार देश के केवल केन्द्रीय बैंक (Central Bank) को ही प्राप्त है। उदाहरण के लिए, भारत में पत्र-मुद्रा जारी करने का अधिकार केवल रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (Reserve Bank of India) तथा इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड (Bank of England) को ही प्राप्त है।

(ख) साख-प्रमाण-पत्रों तथा अन्य साख-पत्रों को जारी करना (To issue letters of credit and other credit instruments) —आधुनिक बैंकर अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए बहुत प्रकार के साख पत्रों को भी जारी करते हैं। ये अपने ग्राहकों के लिए साख-प्रमाण-पत्र (Letter of credit) एवं यात्रियों के चेक (Travellers cheque) जारी करते हैं जिनकी सहायता से ये व्यापारी विदेशों से भी सुगमतापूर्वक माल उधार खरीदते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के साख-पत्रों को जारी करके आधुनिक बैंक वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय एवं आदान-प्रदान में सहायता पहुँचाते हैं।

(ग) विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय (Dealings in Foreign Exchange) —आधुनिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए विदेशी विनिमय के क्रय-विक्रय का कार्य भी करते हैं और इस प्रकार ये विदेशी व्यापार में बहुत अधिक सहायक होते हैं। विदेशी विनिमय-सम्बन्धी कार्य साधारणतया एक विशेष प्रकार के बैंक जिन्हें विदेशी विनिमय बैंक कहा जाता है, करते हैं। किन्तु हमारे देश में कुछ प्रमुख व्यापारिक बैंक भी इन कार्यों को सम्पन्न करते हैं। इस प्रकार आधुनिक बैंक अपने ग्राहकों की विदेशी विनिमय सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सहायक होते हैं।

(घ) मूल्यवान वस्तुओं तथा आभूषणों की सुरक्षा (Safe custody of precious materials and ornaments) —बैंक ग्राहकों के आभूषण एवं अन्य मूल्यवान वस्तुएँ तथा कागज आदि सुरक्षित रखने की भी सुविधा प्रदान करता है। बैंक इस कार्य के लिए एक तिजोरी (Safe deposit vault) रखते हैं जिनकी ताली ग्राहकों के ही पास होती है। ग्राहक इस तिजोरी में अपने बहुमूल्य सामानों को रखते हैं।

(च) व्यापारिक सूचना तथा आँकड़े आदि एकत्र करना (Compilation of Statistics) :—कुछ प्रमुख बैंक व्यापारिक सूचना तथा आँकड़े आदि एकत्र करने का कार्य भी करते हैं। इन आँकड़ों को वे अपने ग्राहकों को प्रदान करते हैं जिससे उन्हें व्यापार में सुविधा होती है।

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त आधुनिक बैंक सामान्य उपयोगिता सम्बन्धी कई अन्य कार्य भी सम्पन्न करते हैं। ये अपने ग्राहकों का रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने (Remittance) की सुविधा कम ही खर्च में प्रदान करते हैं। सरदार तथा अन्य तस्वीरों के ऋणों का अभिगोपन (Underwriting) भी करते हैं तथा अपने ग्राहकों को धन-सम्बन्धी आवश्यक परामर्श भी प्रदान करते हैं।

(3) एजेंसी सम्बन्धी कार्य (Agency Functions) —उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त आधुनिक बैंक अपने ग्राहकों के एजेंट के रूप में कुछ कार्य सम्पन्न करते हैं। इन कार्यों को एजेंसी-सम्बन्धी कार्य कहा जाता है। एजेंसी-सम्बन्धी कार्यों के अन्तर्गत बैंक के निम्नांकित कार्य प्रमुख हैं :—

(क) चेक तथा अन्य साख-पत्रों के भुगतान को एकत्र करना —बैंक अपने ग्राहकों के चेक तथा अन्य साख-पत्रों का भुगतान एकत्र करते हैं। ये अपने ग्राहकों के हिस्से (Shares) आदि पर हुए लाभ को भी एकत्र करते हैं।

(ख) प्रतिभूतियों का ऋण-विक्रय (Sale and Purchase of securities) —बैंक अपने ग्राहकों के आदेशानुसार उनके लिए प्रतिभूतियों का ऋण-विक्रय भी करते हैं। इससे ग्राहकों को बहुत अधिक सुविधा होती है।

(ग) बैंक अपने ग्राहकों की ओर से बीमा कम्पनियों के प्रीमियम (Premiums) भी चुकाते हैं। इसके अतिरिक्त बैंक अपने ग्राहकों के आदेशानुसार किराये, ऋण की किस्तें, आय-कर (Income tax) तथा व्याज आदि भी चुकाते हैं।

(घ) प्रतिनिधि की तरह कार्य करना (To act as Attorney) —बैंक अपने ग्राहकों की ओर से मुस्तार-आम अथवा प्रतिनिधि (Attorney) की तरह भी कार्य करते हैं।

इस प्रकार आधुनिक बैंकर उपरोक्त सारे कार्यों एवं सेवाओं को सम्पन्न करते हैं। आधुनिक बैंकों के कार्यों के विवरण आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में इनका महत्त्व ब्रिक्कुल स्पष्ट हो जाता है। बैंक अपने ग्राहकों के लिए व्यापार तथा व्यवसाय-सम्बन्धी प्रायः सभी कार्य करते हैं। ये जनसाधारण में धन-संचय की आदत उत्पन्न करते हैं, संचित धन को उत्पादन के कार्य में लगाते हैं, व्यापारियों को ऋण प्रदान कर व्यवसाय की अभिवृद्धि में सहायता प्रदान करते हैं तथा अपने ग्राहकों की अनेक प्रकार की सेवाएँ करते हैं। बैंक के इन कार्यों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आधुनिक आर्थिक व्यवस्था के विकास के लिए बैंकों का समुचित विकास नितांत आवश्यक है।

विशेष अध्ययन सूची

- | | |
|---------------|---------------------------------|
| 1. Crowther | An Outline of Money, Chapter 2. |
| 2. Sayers | Modern Banking, Chapter 1 |
| 3. R. P. Kent | Money and Banking, Chapter 9 |

अध्याय : 6

बैंक जमा का सृजन

(The Creation of Bank Deposit)

बैंक जमा अथवा साख का महत्त्व (Importance of Bank Deposit) — आधुनिक समय में किसी देश की मुद्रा की कुल पूर्ति के दो निर्मायक तत्व हैं—(क) चलन की मुद्रा (Currency or pocket book money), एव (ख) बैंक जमा (Bank deposit or Cheque Book money)। चलन की मुद्रा में भी दो प्रकार की मुद्रा सम्मिलित रहती है—(i) सिक्के (coins) जो सरकारी टकसालों में ढाले जाते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे देश में एक रुपया, पचास पैसे, पचीस पैसे, दस पैसे, पाँच पैसे आदि के सिक्के प्रचलन में हैं। (ii) पत्र-मुद्रा (Paper money) — जो आजकल प्रायः सभी देशों में केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है। हमारे देश में भी एक रुपये के नोटों के अतिरिक्त, जो कि भारत सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी की जाती हैं, अन्य सभी प्रकार की पत्र-मुद्रा जारी करने का कार्य देश के केन्द्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (Reserve Bank of India) द्वारा ही किया जाता है।

व्यावसायिक बैंकों का एक प्रमुख कार्य बैंक-जमा अथवा साख का सृजन (Creation of Bank deposit or credit) भी है। इसीलिए सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो० डेयर्स (Deyers) ने कहा कि "बैंक केवल मुद्रा जमा करने वाली सस्था ही नहीं है, वरन् एक अर्थ में मुद्रा का निर्माण करनेवाली सस्था भी है।" (Banks are not merely purveyors of money, but in an important sense also manufacturers of money) किन्तु आखिर बैंक जमा है क्या? बैंक जमा बैंक के पास किसी व्यक्ति अथवा सस्था का ऋण है। (Bank deposit is simply debt of a Bank to an individual or corporation) आज के युग में बैंक-जमा का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। औद्योगिक दृष्टि से विकसित राष्ट्रों की मुद्रा की कुल पूर्ति में बैंक-जमा, जिसे कभी-कभी बैंक मुद्रा (Bank money) भी कहते हैं, की अत्यधिक प्रधानता रहती है। निम्नांकित तालिका से सितम्बर, 1966 ई० में ग्रेट ब्रिटेन की कुल मुद्रा की पूर्ति में बैंक जमा के महत्त्व का अन्दाजा¹ लगता है —

	(दस लाख पाँड में)
(1) सिक्के तथा नोट जो प्रचलन में थे (Coins and Notes in circulation)	2,173
(2) बैंक-जमा (Bank Deposit)	9,317
कुल (Total)	11,490

उपरोक्त तालिका से ग्रेट ब्रिटेन की मौद्रिक व्यवस्था में बैंक-जमा का महत्त्व विल्कुल स्पष्ट हो जाता है। समुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य विकसित राष्ट्रों में भी बैंक-जमा का इसी प्रकार से अत्यधिक महत्त्व है। इन देशों में दैनिक भूगतान के कार्य में बैंक जमा का बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। अब तो भारत-जैसे अर्द्ध-विकसित देशों में भी इसका महत्त्व दिन-प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है।

1. 5 जनवरी 1973 को भारत में प्रचलन में सिक्के तथा पत्र-मुद्रा की मात्रा 4957.4 करोड़ तथा बैंक-जमा (Deposit money with the Public) 3697.3 करोड़ रुपये थी, यानि बैंक जमा कुल मुद्रा की पूर्ति का प्रायः 4 प्रतिशत भाग था।

बैंक-जमा सृजन के तरीके

(Methods of Creation of Bank Deposit)

व्यावसायिक बैंक जमा अथवा साख का सृजन निम्नांकित तरीकों से करता है :-

- (1) अपने ग्राहकों से नकद रूपया जमा के रूप में प्राप्त कर;
- (2) अपने ग्राहकों को ऋण देकर; तथा
- (3) प्रतिभूतियों, कम्पनी के हिस्सों एवं ऋण-पत्रों अथवा अन्य प्रकार की सम्पत्तियों को खरीद कर।

(1) नकद मुद्रा जमा के रूप में स्वीकार कर. — अपने ग्राहकों से नकद मुद्रा जमा के रूप में प्राप्त कर व्यावसायिक बैंक बैंक-जमा का सृजन करते हैं। ग्रहक बैंक में नकद मुद्रा अधिक सुरक्षित रहने या चेक के द्वारा भुगतान की सुविधा के उद्देश्य से जमा करते हैं। जब कोई भी व्यक्ति बैंक के यहाँ नकद मुद्रा के रूप में जमा करता है तो वह बैंक का साधन (asset) हो जाता है। इसके बदले बैंक अपने ग्राहक के खाते में उतनी ही रकम जमा कर लेता है जिससे उसके दायित्व में भी वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के जमा को प्राथमिक जमा (Primary deposit) कहा जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इससे समाज की कुल मुद्रा की पूर्ति में कोई वृद्धि नहीं होती, केवल मुद्रा ग्राहक के हाथ से निकल कर बैंक के हाथ में चली जाती है। किन्तु इस प्रकार के जमा का महत्व इस बात में है कि इसी नकद जमा के आधार पर बैंक ऋण देकर अथवा प्रतिभूतियों एवं अन्य प्रकार की सम्पत्ति को खरीद कर और अधिक जमा का सृजन करता है।

(2) अपने ग्राहकों को ऋण देकर :- बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देकर भी साख अथवा जमा का सृजन करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि बैंक किसी व्यक्ति को 100 रुपये का ऋण देता है तो वह अपनी तिजोरी खोलकर उसे 100 रुपये नकद मुद्रा के रूप में नहीं देता। वह ऋण की रकम ऋणी के खाते में जमा कर लेता है। ऋणी उम रकम को अपनी सुविधानुसार बैंक द्वारा खर्च करता है। बैंक को ऋण देने का यही तरीका सर्वाधिक प्रचलित है। इस प्रकार से ऋण देने के परिणामस्वरूप बैंक जमा (Bank Deposit) में वृद्धि होती है। अतः यह कहा जाता है कि बैंक का " प्रत्येक ऋण जमा का सृजन करता है।" (Every loan creates a deposit) यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि बैंक का जमा बैंक दायित्व (Liability) होता है। बैंक का यह दायित्व मुद्रा का कार्य करता है, अतएव 100 रुपये के ऋण से मुद्रा की कुल पूर्ति में 100 रुपये की वृद्धि होती है। इस प्रकार बैंक अपने दायित्व को बढ़ाकर ही अपने ग्राहकों को ऋण देता है। इसके बदले में ऋणी का ऋण चुकाने का फायदा बैंक के पास रहता है तथा उसे उम ऋण पर व्याज भी मिलता है। साथ ही, बैंक ऋणी से ऋण की जमानत के रूप में कुछ साधन भी लेता है। जो भी हो, ऋण देने के परिणामस्वरूप बैंक जमा का सृजन होता है एवं बैंक का दायित्व भी बढ़ जाता है। इस प्रकार एक ओर तो बैंक अपने ऊपर दावे (claims) का सृजन करता है, तो दूसरी ओर बैंक का दावा उन व्यक्तियों पर हो जाता है जिन्हें वह ऋण देता है। और, इन दावों के विनिमय से ही बैंक मुद्रा का सृजन होता है। (The process of creation of bank deposit is essentially an exchange of claims) इन दावों के विनिमय का आर्थिक महत्व इस बात में है कि बैंक के ऊपर का दावा, यानी बैंक का दायित्व, मुद्रा की तरह है जिसका प्रयोग सामान्य क्रय-शक्ति (General purchasing power) के रूप में किया जा सकता है, किन्तु वह ऋण, जिससे रकम का विनिमय होता है, मुद्रा नहीं है।

(3) सरकार प्रतिभूतियों किसी कम्पनी के हिस्से एवं ऋण-पत्रों अथवा अन्य सम्पत्ति खरीद कर :—किन्तु केवल ऋण देकर ही बैंक जमा का सृजन नहीं करते। जब कभी कोई बैंक किसी व्यक्ति से 100 रुपये की प्रतिभूतियाँ (securities) अथवा किसी कम्पनी के हिस्से एवं ऋण-पत्र आदि खरीदता है तो वह बेचनेवाले को 100 रुपये की रकम नकद मुद्रा के रूप में नहीं देकर उतनी रकम बेचने वाले के खाते में जमा कर लेता है। इससे भी बैंक के जमा में 100 रुपये की वृद्धि होती है। इसके लिए यह कोई आवश्यक नहीं कि विक्रेता उसी बैंक का ग्राहक हो क्योंकि यदि वह व्यक्ति उस बैंक विशेष का ग्राहक नहीं भी है तो वह अपने 100 रुपये के चेक को किसी बैंक में ही जमा करेगा। इसमें भी बैंक के कुल जमा में वृद्धि होगी।

इससे बैंक के बलपत्र (Balance sheet) के दोनों ओर में निम्न प्रकार से परिवर्तन हो जाता है—

दायित्व (Liabilities)	₹०	साधन (Assets)	₹०
जमा (Deposit) —	100	विनियोग (Investment)	100

प्रतिभूतियों अथवा किसी कम्पनी के हिस्से की खरीद के सम्बन्ध में जो बात पायी जाती है, बैंक द्वारा किसी भी अन्य प्रकार की सम्पत्ति अथवा जायदाद के त्रय के सम्बन्ध में भी ठीक वही है। जब बैंक कोई मकान, जमीन या किसी अन्य प्रकार की सम्पत्ति की खरीदता है तो वह चेक द्वारा ही उसका भुगतान करता है। इससे बैंक के जमा की रकम बढ़ जाती है। वास्तव में, बैंक ऐसी स्थिति में है कि वह अपने आई० ओ० यू० (I. O U) को देकर अपनी आवश्यकता की कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकता है क्योंकि बैंक के आई० ओ० यू० (I. O U.) मुद्रा की तरह मान्य होते हैं।

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि बैंक जिस जमा अथवा साख का सृजन करता है वह उसका दायित्व (Liability) होता है क्योंकि उतनी रकम उसे अपने जमा करने वाले को चरानी पड़ती है। इस प्रकार बैंक जमा बैंक का दायित्व है किन्तु बैंक अपने दायित्व को इस प्रकार क्यों बढ़ाना चाहता है ? इसका कारण यह है कि बैंक एक लाभ कमानेवाली संस्था है। (Bank is a profit-seeking institution) इसका संचालन अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से ही किया जाता है और बैंक अपने ग्राहकों को कर्ज देकर ही अपने लाभ का अधिकतम भाग प्राप्त करता है। बैंक अपने दायित्व को बढ़ाने में इस बात पर ध्यान रखता है कि उसके दायित्व उसके साधनों (assets) से पूर्णतः प्रेरित हो। जमा अथवा साख-सृजन के पूर्व बैंक अपने ग्राहकों से जमानत के रूप में कुछ साधन (assets) लेता है। इस प्रकार बैंक साधनों की वृद्धि कर ही साख का सृजन करते हैं और इन साधनों से ही बैंक अपने मुनाफे का अधिकतर भाग प्राप्त करते हैं।

इस प्रकार बैंक साधनों (assets) के आधार पर ही जमा अथवा साख का सृजन करता है। बैंक के साधन (assets) कई प्रकार के होते हैं जिनमें निम्नलिखित विशेष रूप से प्रमुख हैं —

- (क) नकद मुद्रा (Cash),
- (ख) ऋण एवं अग्रिम (Loans and advances)
- (ग) बट्टा की गयी बिलें (Bills Discounted), तथा
- (घ) विनियोग (Investment)

नकद मुद्रा जमा के रूप में प्राप्त कर भी बैंक-जमा का सृजन करता है। जब कोई

ग्राहक बैंक के यहाँ नकद मुद्रा के रूप में जमा करता है तो वह बैंक का साधन (Asset) हो जाता है। इसके बदले बैंक अपने ग्राहक के खाते में उतनी रकम जमा कर लेता है जिससे उसके दायित्व में भी वृद्धि हो जाती है। निम्नांकित उदाहरण से इसे अधिक स्पष्ट किया जा सकता है—

दायित्व (Liabilities)	₹०	साधन (Assets)	₹०
जमा (Deposit)	100	बैंक के पास नकद मुद्रा (Cash in hand)	100

बैंक जमा का सृजन बैंक द्वारा ऋण एवं अग्रिम (Loans and advances) देकर भी किया जाता है। ऋण देने के लिए बैंक ऋणी से कुछ undertaking लेता है तथा जमानत के रूप में प्रतिभूतियों को भी रखता है। इसके बदले ऋण की रकम ऋणी के खाते में जमा कर दी जाती है जिसे वह अपनी सुविधाओं में चेक द्वारा निकाल कर प्रयोग कर सकता है। इसके फल-स्वरूप बैंक का दायित्व बढ़ जाता है और चूँकि बैंक का दायित्व मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है, अतएव इससे मुद्रा की पूर्ति भी बढ़ जाती है। साथ ही, इससे बैंक के साधनों में भी वृद्धि होती है। निम्नांकित उदाहरण से यह अधिक स्पष्ट हो जाता है —

दायित्व (Liabilities)	₹०	साधन (Assets)	₹०
जमा (Deposit, & credit-balances of clients)	100	ऋण (Loans to clients)	100

बैंक ऋण के ऊपर अपने ग्राहकों से एक निश्चित दर पर ब्याज भी लेता है जो उसके लाभ का एक प्रधान होता है।

अधिविकल्प (Overdraft) के आधार पर ऋण देने तथा बैंक-मुद्रा के सृजन का तरीका बहुत ही सरल है। इसमें बैंक अपने ग्राहक को उसकी जमा की गयी रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा प्रदान करता है। इस सुविधा के लिए वह अपने ग्राहकों से जमानत के रूप में प्रतिभूतियों (Securities) को लेता है ताकि ग्राहक द्वारा समय पर रूपया नहीं चुकाये जाने पर वह इन प्रतिभूतियों को बेचकर अपनी रकम प्राप्त कर सके। बैंक अपने ग्राहक के खाते में अधिविकल्प की रकम को जमा कर देता है और ग्राहक अपने सुविधानुसार चेक द्वारा निकाल कर इसे खर्च करता है। इस सुविधा के लिए बैंक अपनी ग्राहकों से सूद भी वसूल करता है। इस प्रकार अधिविकल्प से भी बैंक-जमा का सृजन होता है। इस रकम का प्रयोग वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय में किया जा सकता है अतएव इससे मुद्रा की पूर्ति में भी वृद्धि होती है। एक निश्चित समय के बाद जब ग्राहक अधिविकल्प की रकम चुका देता है तो उसका ऋण समाप्त हो जाता है और बैंक-जमा की रकम में भी कमी हो जाती है।

विनिमय बिलों (Bills of Exchange) को बढ़ा कर भी बैंक जमा का सृजन करता है। जब कोई बैंक अपने ग्राहकों के बिलों का बढ़ा करता है तो वह बिल को साधन के रूप में प्राप्त करता है जिसके बदले में वह अपने ग्राहक के खाते में बढ़े की रकम जमा करता है। इस प्रकार इससे बैंक के साधन एवं दायित्व (Assets and liabilities) दोनों में वृद्धि होती है। निम्नांकित उदाहरण से यह अधिक स्पष्ट होता है —

दायित्व (Liabilities)	₹०	साधन (Assets)	₹०
जमा (Deposit)	100	बढ़ा की गयी बिलें (Bills discounted)	100

विनिमय बिलों को बढ़ा करने से बैंक को कमीशन के रूप में लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार बैंक जब कभी सरकारी प्रतिभूतियों अथवा किसी कम्पनी के हिस्से एवं ऋण पत्रों

(Shares and debentures) को खरीदता है तो वह उसका भुगतान करने उपर बैंक के द्वारा करता है, यानी मरकारी प्रतिभूतियों एवं हिरतों के बढ़ने में उतनी रकम बेचने वाले के नाम जमा कर देता है। इसके फलस्वरूप भी बैंक के साधन एवं दायित्व में समान रूप से वृद्धि होती है। मकान तथा जमीन आदि खरीदने पर भी ऐसा होता ही है।

इस प्रकार व्यावसायिक बैंक विभिन्न तरीकों से जमा अथवा साख का सृजन करते हैं। बैंक-जमा (Bank deposit) व्यावसायिक बैंकों का दायित्व (Liability) है जिसका सृजन वह अपने साधनों (Assets) में वृद्धि कर ही करता है, बैंक के इस कार्य का महत्व इस बात में है कि समाज में इसके जमा (Bank deposit) का प्रयोग मुद्रा की तरह होता है, अतएव इसने फलस्वरूप देश की मुद्रा की कुल पूर्ति में वृद्धि ही होती है।

बैंकों के जमा अथवा साख-सृजन की शक्ति की सीमाएँ (Limitations on the Powers of Banks to create Credit)

अब हमें यह देखना आवश्यक है कि बैंक किस सीमा तक जमा अथवा साख का सृजन कर सकते हैं? हम यह जानते हैं कि बैंक एक लाभ कमाने वाली संस्था है। (Bank is a profit-seeking institution.) अतएव अपने लाभ की मात्रा को अधिकतम बनाने के लिए ये अधिकतम साधनों में ऋण देकर अपने साधनों की वृद्धि का प्रयत्न करते हैं। इन्हीं साधनों से बैंकों के नाम का अधिकांश भाग प्राप्त होता है। अतएव बैंक अधिक-से-अधिक मात्रा में जमा का सृजन करना चाहता है। किन्तु साख अथवा जमा की वृद्धि के परिणामस्वरूप देश की मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है जिसका मूल्य-तल, उत्पादन एवं रोजगार आदि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। किन्तु बैंक अनिश्चित मात्रा में साख का निर्माण नहीं कर सकते। केन्स का इस सम्बन्ध में यह कथन बखूब महत्वपूर्ण है : "यद्यपि बैंक साख की सृष्टि करते हैं फिर भी साख-सृजन की मात्रा अनिश्चित एवं मनमानी नहीं होती।" (Although the bankers create credit, the amount in which they create is not arbitrary and unlimited. It is governed on the one hand by the requirements of trade and on the other by the state of their reserve.) वास्तव में, बैंकों के जमा अथवा साख-सृजन की शक्ति की निम्नांकित सीमाएँ हैं जिसे वे मनमाने तौर पर जमा अथवा साख का सृजन नहीं कर सकते :—

1. नकद कोष का अनुपात (Percentage of Cash Reserve to total liabilities) :—साख अथवा जमा-सृजन की पहली सीमा नकद कोष का अनुपात है। प्रत्येक बैंक को अपने कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत भाग नकद कोष (Cash Reserve) के रूप में रखना पड़ता है। एक छोटे नकद कोष के आधार पर साख के विराट् भवन का निर्माण होता है। (It is thus on a small cash foundation, a vast superstructure of credit is built up.) हम यह देख चुके हैं कि बैंक जिस मुद्रा का सृजन करता है वह बैंक का दायित्व भी है। अपने इस दायित्व को पूरा करने के लिए बैंक को सदा तत्पर रहना पड़ता है। साख का सृजन इस बात पर आधारित है कि बैंक जितना जमा का सृजन करता है, उसका एक छोटा भाग ही भुगतान के लिए बैंक के पास किसी एक समय में आता है। प्रतिदिन बैंक के कुछ ग्राहक अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए बैंक से कुछ नकद मुद्रा की मांग करते हैं। इस प्रकार की मांग बैंक के कुल जमा का एक बहुत ही छोटा भाग होता है। किन्तु अपने ग्राहकों की इस मांग को पूरा करने के लिए बैंक को सदा तत्पर रहना पड़ता है। इस उद्देश्य से बैंक अपने कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत, साधारणतया 8 से 10 प्रतिशत भाग नकद कोष (Cash Reserve) के रूप में

में रखता है। यह बैंकिंग व्यवसाय की सफलता के लिए अनिवार्य है क्योंकि बैंक का सम्पूर्ण कारोबार ही उसकी साख, उसके प्रति जनता के इस विश्वास पर निर्भर करता है कि बैंक के पास नकद मुद्रा की माग की पूर्ति के लिए पर्याप्त शक्ति एव साधन है। जब तक बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में नकद कोष रहता है तब तक उसकी अदायगी की क्षमता पर कोई संदेह नहीं करता। किन्तु जब नकद कोष की रकम एक निश्चित अनुपात से कम होने लगती है तो जमा करनेवाले आशंकित हो जाते हैं जिससे वे भ्रगतान के लिए धावा बोलना प्रारम्भ कर देते हैं। इससे बैंक के टूट जाने की नौबत आ जाती है। इसके कलस्वरूप प्रत्येक बैंक एक निश्चित अनुपात में नकद कोष अपने पास सदा रखता है। साख-निर्माण की इस सीमा का अविकसित देशों (Under-developed countries) में, जहाँ बैंकिंग प्रथा के अधिक विकसित न होने के कारण व्यक्ति-बैंको को बैंक में जमा करने के बजाय भुना कर नकद मुद्रा प्राप्त करना चाहते हैं, अधिक महत्व है।

नकद कोष का अनुपात निम्नांकित बातों पर निर्भर करता है :-

(क) देश में नकद मुद्रा की मात्रा (The total amount of cash in the country),

(ख) नकद मुद्रा की वह मात्रा, जो जनता अपने पास रखना चाहती है (The amount of cash which the public wishes to hold), तथा

(ग) जमा एव नकद कोष का न्यूनतम अनुपात जो बैंक सुरक्षित समझते हैं (The minimum percentage of cash to deposit which the banks consider safe)।

(क) देश में नकद मुद्रा की मात्रा (The total amount of cash in the country) .—साख अथवा बैंक जमा का सृजन नकद मुद्रा के आधार पर ही किया जाता है।

डॉ० कॉफ़ ने इस सम्बन्ध में ठीक ही कहा है कि "Credit system is just like an inverted pyramid based on the slender neck of cash reserves" अर्थात् जिस देश में नकद मुद्रा की मात्रा जितनी ही अधिक होगी उस देश में उतनी ही अधिक मात्रा में साख का सृजन ही सकेगा। नकद मुद्रा के अन्तर्गत पत्र-मुद्रा तथा सिक्के आते हैं, किन्तु विद्व के प्राय सभी देशों में आजकल पत्र-मुद्रा की ही प्रधानता है। पत्र-मुद्रा केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है। जब केन्द्रीय बैंक पत्र-मुद्रा अधिक मात्रा में जारी करता है तो इससे बैंक के नकद कोष में वृद्धि हो जाती है जिससे ये साख का प्रसार करने लगते हैं। इसके विपरीत जब केन्द्रीय बैंक पत्र-मुद्रा की मात्रा को कम करता है तो बैंक का नकद जमा की रकम भी कम हो जाती है जिससे वे सख का संकुचन करने लगते हैं। इस प्रकार देश में उपलब्ध नकद मुद्रा की कुल मात्रा भी बैंकों के साख-सृजन की शक्ति को प्रभावित करती है।

(ख) नकद मुद्रा की वह मात्रा जो जनता अपने पास रखना चाहती है (The amount of cash which the public wishes to hold) .—नकद कोष का अनुपात नकद मुद्रा की उस मात्रा पर जो जनता अपने पास रखना चाहती है, निर्भर करता है। यह जनसंख्या एव जनता की मौद्रिक तथा बैंकिंग आदतों (Monetary and banking habits of the public) पर निर्भर करता है। जनसंख्या में कमी अथवा वृद्धि होने से नकद मुद्रा की माग में भी कमी अथवा वृद्धि होती है। जनता की बैंकिंग एव मौद्रिक आदतों का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। जब किसी देश में बैंक तथा अन्य साख-पत्रों की अपेक्षा लोग नकद मुद्रा का ही अधिकाधिक प्रयोग करते हैं तो बैंक के पास नकद मुद्रा की कमी हो जाती है जिससे वे अधिक साख का सृजन नहीं कर सकते। इसके विपरीत जिस देश में छोटे-छोटे लेन-देन के कार्यों के लिए भी बैंक

आदि का ही अधिक प्रयोग किया जाता है, वहाँ लोग अपने पास नकद मुद्रा कम रखना चाहेंगे जिससे बैंको के पास नकद जमा की रकम अधिक हो जायगी जिसके आधार पर वे अधिक जमा का सृजन कर सकेंगे। इस प्रकार जनता की मौद्रिक तथा बैंकिंग-सम्बन्धी आदतें भी बैंकों के जमा-सृजन की शक्ति को प्रभावित करती हैं।

(ग) जमा एव नकद कोष का न्यूनतम अनुपात जो बैंक सुरक्षित समझते हैं (The minimum percentage of cash to deposit which the banks consider safe).—बैंक जमा एव नकद कोष का अनुपात बहुत कुछ बैंको पर निर्भर करता है। बैंक अपने अनुभव के आधार पर यह जानता है कि जमा एव नकद कोष का एक न्यूनतम अनुपात रखना उसके लिए हर हालत में सुरक्षित होगा और प्रत्येक बैंक उसी अनुपात में अपने यहाँ नकद मुद्रा रखने का प्रयत्न करता है। कुछ देशों में इस अनुपात का निर्णय बैंको की मर्जी पर छोड़ दिया जाता है, किन्तु कुछ देशों में इसके लिए कानून द्वारा एक खास अनुपात निश्चित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, वर्तमान समय में समुच्च राज्य अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक से संबंधित सभी सदस्यों बैंको को अपने सावधि जमा (Time Deposit) का 6 प्रतिशत तथा मांग जमा (Demand Deposit) का 13 से 17.5 प्रतिशत तक बैंको की स्थिति (Location) के अनुसार नकद कोष के रूप में रखना पड़ता है।¹ किन्तु अधिकांश देशों में इस प्रकार की कोई कानूनी व्यवस्था नहीं पायी जाती है। वहाँ बैंक स्वयं इस सीमा को निश्चित करते हैं। उदाहरण के लिए, इंग्लैंड के बैंक अपने कुल जमा का प्रायः 8 प्रतिशत भाग नकद मुद्रा के रूप में रखते हैं। किन्तु, साधारणतया बैंक समृद्धि तथा अभिवृद्धि के समय में कम अनुपात में मुद्रा रख कर भी अपना कार्य चला लेते हैं परन्तु मन्दी के समय अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए अधिक अनुपात में नकद मुद्रा रखना ही श्रेयस्कर समझते हैं।

बैंकों के नकद कोष का अनुपात उपरोक्त सारी बातों पर निर्भर करता है। इस प्रकार बैंक जमा अथवा साख के सृजन में नकद कोष (Cash Reserve) का इतना अधिक महत्त्व है कि कोई भी बैंक अपने नकद कोष को कुल जमा की रकम के एक निश्चित प्रतिशत भाग से कम नहीं होने देता है। अतएव पर्याप्त मात्रा में नकद कोष रखने की आवश्यकता से बैंक के स्वेच्छानुसार साख सृजन की शक्ति पर कुछ रोक लग जाती है। साधारणतः बैंक के पास शाये हुए एक नकद रुपये से वह प्रायः 10 या 12 रुपये तक जमा का सृजन कर सकता है और 1 रुपया नकद के चले जाने से उतनी ही रकम को कम करना पड़ता है।

2. जमानत की प्रकृति (Nature of Securities) :—बैंको को साख सृजन की शक्ति पर दूसरा नियंत्रण उस कार्य-प्रणाली के द्वारा होता है जिसके द्वारा जमा का सृजन होता है। बैंक कुछ सम्पत्ति अथवा साधन प्राप्त कर ही जमा का सृजन करते हैं। प्रत्येक सम्पत्ति एक प्रकार का धन है। इस प्रकार बैंक प्रायः सभी ऋण किसी-न-किसी प्रकार की जमानत लेकर ही देते हैं। किन्तु बैंक सभी प्रकार के धन को जमानत के रूप में स्वीकार नहीं करते। जमानत के रूप में वे कुछ खास प्रकार के साधनों (assets) को ही लेते हैं। इन सम्बन्ध में उनके समक्ष कुछ सामान्य सिद्धान्त होते हैं जिनके आधार पर ही वे किसी प्रकार के साधन को जमानत के रूप में स्वीकार करते हैं। जहाँ बैंक बिना किसी जमानत के कर्ज देता भी है वहाँ ऋणी की व्यक्तिगत रूप से कमाने की क्षमता देखी जाती है जो एक प्रकार में धन ही है। इस प्रकार यह कहा जाता

1. रिजर्व सिटी बैंको को अपने कुल मांग जमा (Demand deposit) का 17.5 प्रतिशत भाग तथा छोटे-छोटे शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्र के बैंको को 13 प्रतिशत भाग नकद मुद्रा के रूप में रखना पड़ता है।

है कि, "बैंक शून्य से जमा का सृजन नहीं करते, वे केवल किसी प्रकार के धन की मुद्रा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं।" (Banks do not create credit out of thin air, they merely transmute other forms of wealth into money) बैंक किसी मूल्य-हीन सम्पत्ति को भी धन के रूप में नहीं बदल सकते। अतएव वे केवल अचल सम्पत्ति को चल (या तरल) सम्पत्ति या धन में बदलते हैं। बैंक के इस कार्य का महत्व इस बात में है कि वह अचल सम्पत्ति, जो बैंक जमानत के रूप में स्वीकार करता है, मुद्रा नहीं है, किन्तु बैंक का आई० ओ० यू० जो बैंक उसके बदले में देता है, मुद्रा है।

3. प्राथमिक जमा की मात्रा :—बैंक जमा अथवा साख-सृजन की सीमा प्राथमिक जमा की मात्रा से निर्धारित होती है क्योंकि प्राथमिक जमा ही साख के आधार का कार्य करता है। प्राथमिक जमा की आधारशिला पर ही बैंक-जमा अथवा साख की सारी इमारत टिकी हुई होती है। (The bank cash is the lever with which the whole gigantic system is manipulated) मुद्रासिद्ध अर्थशास्त्री केन्स (Keynes) ने बैंक-जमा के निर्माण में प्राथमिक जमा के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि "जिस सीमा तक कोई बैंक ऋण देकर बिना किसी कठिनाई के गौण जमा अथवा साख का सृजन कर सकता है; वह सीमा जनता से नग्न मुद्रा के रूप में प्राप्त प्राथमिक जमा की मात्रा पर निर्भर करती है।" (The rate at which the bank can with safety actively create deposits by lending and investing has to be in a proper relation to the rate at which is passively creating them against the receipt of liquid resources from its depositors)¹

4. केन्द्रीय बैंक की साख-नीति—आधुनिक समय में प्रत्येक देश को बैंकिंग व्यवस्था के शीर्ष पर एक केन्द्रीय बैंक रहता है जिसकी नीति सदस्य बैंकों के साख-सृजन की नीति एवं सीमा को निर्धारित करती है। केन्द्रीय बैंक साख-नियन्त्रण के विभिन्न प्रत्यक्ष (Direct) तथा परोक्ष (Indirect) तरीकों को अपनाता है जिनमें बैंक दर (Bank rate), खुले बाजार की क्रियाएँ (open market operations), नकद कोष के अनुपात में परिवर्तन (Variations in the cash reserve ratio) इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन तरीकों का सविस्तार विवरण इस पुस्तक में आगे किया गया है। अतएव बैंकों के जमा अथवा साख-सृजन की शक्ति केन्द्रीय बैंक के साख-नियन्त्रण की नीति के द्वारा भी प्रभावित होती है।

इस प्रकार बैंकों के साख अथवा जमा-सृजन की शक्ति उक्त लिखित बातों पर निर्भर करती है। इन सीमाओं के परिणामस्वरूप बैंक स्वच्छन्दतापूर्वक जमा का सृजन नहीं कर सकते। इस सम्बन्ध में क्रॉथर (Crowther) का निम्नांकित कथन अत्यंत सत्य जान पड़ता है: "बैंक जमा जिस ढंग से अस्तित्व में आता है, इसके लिए सृजन शब्द शायद ही उपयुक्त है और इसका प्रयोग सम्बन्धित सीमाओं को ध्यान में रखे बगैर कभी नहीं करना चाहिए।" (Creation is thus hardly an exact description of the method by which bank money comes into existence and it should never be used without the qualifications that have been discussed being born in mind.)

विशेष अध्ययन-सूची

1. Crowther : An Outline of Money, Chapter II
2. Sayers : Modern Banking, Chapter I.
3. Kurihara : Monetary Theory and Public Policy.

अध्याय : 7

मुद्रा का मूल्य (Value of Money)

मुद्रा के मूल्य का अर्थ (Meaning of Value of Money)—अर्थशास्त्र में मूल्य की धारणा विनियम से सम्बन्धित है। किसी वस्तु का मूल्य दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जो उसके बदले में प्राप्त की जा सकती है। (The value anything is what can be obtained in exchange for it.) उदाहरण के लिए, यदि एक बिब० चावल के बदले में दो बिब० गेहूँ मिलता हो तो कहा जायगा कि एक बिब० चावल का मूल्य दो बिब० गेहूँ है। किन्तु आजकल वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य प्रायः मुद्रा के रूप में ही व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार मुद्रा वस्तुओं तथा सेवाओं के सामान्य मूल्य-मापक (Common denominator) का कार्य करती है। मुद्रा के रूप में जब वस्तुओं तथा सेवाओं का विनियम-मूल्य व्यक्त किया जाता है तो उसे कीमत (Price) कहते हैं। परन्तु मुद्रा का मूल्य क्या है? अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है, किन्तु मुद्रा के मूल्य को मुद्रा के रूप में व्यक्त करना कुछ विचित्र-सा जान पड़ता है।

अतएव मुद्रा के मूल्य को व्यक्त करने के लिए उन वस्तुओं तथा सेवाओं का सहारा लेना पड़ता है, जिन्हें हम मुद्रा से खरीद सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य मुद्रा के रूप में आँका जाता है, उसी प्रकार मुद्रा का मूल्य वस्तुओं तथा सेवाओं के उस समूह से व्यक्त कर सकते हैं जिसे उसकी एक इकाई द्वारा खरीदा जा सकता है और वस्तुओं के-उस समूह को विस्तृत वस्तु-समूह (Comprehensive Composite commodity) कह सकते हैं। प्रो० रॉबर्टसन (Robertson) के अनुसार “मुद्रा के मूल्य से हमारा अभिप्राय वस्तुओं की उस मात्रा से है जो सामान्य रूप से मुद्रा की एक इकाई के द्वारा विनियम में प्राप्त होती है।” (By value of money, we mean the amount of things in general which will be given in exchange for unit of a money—Robertson) इस प्रकार मुद्रा का-मूल्य उसकी क्रय-शक्ति, यानी मुद्रा जो खरीद सकती है, (The value of money is its purchasing power i. e. what it will buy.) उदाहरण के लिए, यदि एक रुपया में 3 किलोग्राम गेहूँ या 1 किलोग्राम चावल या आधा बिब० कोयला मिलता है तो यह कहा जायगा कि एक रुपय का मूल्य है 1 किलोग्राम चावल या आधा बिबटल कोयला या 3 किलोग्राम गेहूँ। इस प्रकार मुद्रा का मूल्य उसकी सामान्य क्रय-शक्ति (General purchasing power) है। सामान्य क्रय-शक्ति से वस्तुओं एवं सेवाओं की उस मात्रा का बोध होता है जो सामान्य रूप से मुद्रा की एक इकाई से खरीदी जा सकती है।

केन्स (Keynes) के अनुसार भी “बिना विशेष स्थिति में मुद्रा की क्रय-शक्ति वस्तुओं तथा सेवाओं की उस मात्रा पर निर्भर करती है जो मुद्रा की एक इकाई से खरीदी जा सकती है। अतएव इसकी माप मूल्य-तलों के द्वारा ही किया जाता है।” (Since the purchasing power of money in a given context depends upon the quantity of goods and services which a unit of money will purchase, it follows that it can be measured by the price of a commodity made up of the various individual goods and

services in proportion to or corresponding to their importance as objects of expenditure)¹

सामान्य मूल्य-तल (General Price-Level)—इस प्रकार मुद्रा का मूल्य उसकी क्रय-शक्ति है, यानी वे वस्तुएं तथा सेवाएँ हैं, जिन्हें मुद्रा की एक इकाई खरीद सकती है। इरविंग फिशर (Irving Fisher) के अनुसार, "मुद्रा की क्रय शक्ति मूल्य-स्तर के ठीक विपरीत है, अतएव इसका अध्ययन मूल्य-स्तरों के समान ही होता है।" (The purchasing power of money is the reciprocal of the level of prices, so that the study of Purchasing power of money is identical with the study of price-level)² इससे स्पष्ट है कि वस्तुओं का मूल्य जितना ही ऊँचा होगा मुद्रा का मूल्य उतना ही निम्न होगा। किन्तु समाज में बहुत प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय-विनय होता है। इन सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में मुद्रा के मूल्य को व्यक्त करने में बहुत अधिक कठिनाई होगी। अतएव प्रश्न यह होता है कि किन-किन वस्तुओं या सेवाओं के रूप में मुद्रा का मूल्य व्यक्त किया जाय। इस प्रश्न का समाधान सामान्य मूल्य-स्तर (General Price-level) से प्राप्त होता है, यानी मुद्रा का मूल्य किसी एक वस्तु अथवा सेवा के रूप में व्यक्त नहीं करके वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य मूल्य-स्तर के रूप में व्यक्त किया जाता है। मुद्रा के मूल्य तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य मूल्य-तल (General Price-level) में ठीक विपरीत (Inverse) सम्बन्ध है। जब सामान्य मूल्य तल बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य घटता है और जब सामान्य मूल्य-तल घटता है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ता है।

किन्तु सामान्य मूल्य-तल की धारणा स्वतः उलझी हुई है। अतः इसे व्यक्त करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संसार में सभी वस्तुओं विनिमय के व्यवहार में नहीं आती, अतएव उनका मूल्य हम नहीं जान सकते। शेष वस्तुओं के बाजार भी कई प्रकार के होते हैं—जैसे थोक बाजार, खुदरा बाजार, इत्यादि। कुछ वस्तुएँ थोक बाजार में बेची जाती हैं, अतएव इस बाजार में इनकी कीमत खुदरा बाजार से निम्न होती है। साथ ही, देश के भिन्न-भिन्न भागों में भी कीमतों में विभिन्नता पायी जाती है जिससे मुद्रा की क्रय-शक्ति में विभिन्नता होने लगती है। बहुत सी वस्तुओं के मूल्य के सम्बन्ध में उचित आँकड़े भी प्राप्त नहीं रहते। इन कठिनाइयों के कारण मुद्रा के मूल्य को व्यक्त करने में भी कठिनाई होने लगती है।

इसीलिए 'मुद्रा का मूल्य' वाक्यांश का बिना किसी निश्चित मानदंड (Standard) अथवा अभिप्राय के प्रयोग तथ्यहीन जान पड़ता है। साधारणतया इसके निम्नलिखित मानदंड (Standard) होते हैं :—

- 1 मुद्रा का थोक मूल्य (Wholesale value of Money);
- 2 मुद्रा का फुटकर मूल्य (Retail value of Money), तथा
- 3 मुद्रा का श्रम मूल्य (Labour value of Money)।

1 मुद्रा का थोक मूल्य (Wholesale value of Money)—मुद्रा का थोक मूल्य वह मूल्य है, जो थोक बाजार में वस्तुओं के प्रचलित मूल्यों के आधार पर तैयार किया जाता है। दूसरे शब्दों में, "मुद्रा के थोक मूल्य का अभिप्राय वस्तुओं तथा सेवाओं की उस मात्रा से है जो कि थोक बाजार में मुद्रा की एक इकाई के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार के मूल्य को

1. Keynes, J. M : A Treatise on Money.

2. Irving Fisher : The Purchasing Power of Money.

एकन करने में कोई कठिनाई नहीं होती। साधारणतया, मुद्रा के इसी मूल्य की अधिक चर्चा होती है और जब यह वाक्यांश बिना किसी निश्चित मानदण्ड के प्रयोग के किया जाता है तो उसका अभिप्राय सदा मुद्रा के शोक मूल्य से होता है।

2. मुद्रा का दूसरा मूल्य फुटकर मूल्य (Retail value of Money) है। मुद्रा का यह मूल्य साधारण परिवार के दैनिक उपयोग में आनेवाली वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय से सम्बन्धित है। किन्तु इस प्रकार के मूल्य को एकन करने में कठिनाई होती है क्योंकि इस प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य में स्थान-स्थान और कभी-कभी तो दूकान-दूकान में भी विभिन्नता पायी जाती है। अतएव प्रत्येक वस्तु के मूल्य का औसत निकालने के लिए बहुत प्रकार की दर और मूल्यों को एकन करना पड़ता है।

3 मुद्रा का तीसरा मूल्य श्रम मूल्य (Labour value of Money) किसी व्यक्ति या व्यवसायी के लिए श्रम की वह मात्रा है जो इसकी एक इकाई के द्वारा प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार के मूल्य को मजदूरी के आधार पर निश्चित किया जाता है। किन्तु इस प्रकार के मूल्य को एकन करने में भी अनेक कठिनाइयाँ हैं। साधारणतया श्रम विभिन्न प्रकार का होता है जिससे मजदूरी की दर में भी घोर विषमता पायी जाती है।

मुद्रा के उक्त तीनों मूल्य अधिक प्रचलित मूल्य हैं। इनके अतिरिक्त मुद्रा के मूल्य और भी कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे विनियोग सम्बन्धी मूल्य (Investment standard), अन्तर्राष्ट्रीय माप (International standard) इत्यादि। विनियोग प्रमाण में मुद्रा के मूल्य को विनियोग में आनेवाली वस्तुओं के रूप में व्यक्त किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाण के अन्तर्गत मुद्रा के मूल्य को उन वस्तुओं के मूल्य के रूप में व्यक्त करते हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त होती हैं।

इस प्रकार मुद्रा के मूल्य को उचित रूप में परिभाषित करना बहुत ही कठिन कार्य है। मुद्रा के मूल्य को इसकी सामान्य ऋण-शक्ति के रूप में व्यक्त करने की कठिनाई के कारण ही इसे विशेष प्रकार से व्यक्त किया जाता है। मुद्रा के इन विभिन्न प्रकार के मूल्यों का मौद्रिक नीति के निर्धारण में भी बहुत अधिक महत्त्व है। इनमें आपस में बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध भी है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि इनमें सदा समान रूप से परिवर्तन होता है। मुद्रा के मूल्य को इन विभिन्न रूपों में व्यक्त करने से मुद्रा की श्रय-शक्ति की धारणा में वास्तविकता आ जाती है।

मुद्रा के मूल्य-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्न.—मुद्रा के मूल्य की विवेचना के पश्चात् अगले तीन अध्यायों में हम मुद्रा के मूल्य से सम्बन्धित निम्नांकित तीन महत्त्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे :—

1. मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन की माप (Measurement of changes in the Value of Money),
2. मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव (Effects of changes in the Value of Money on different classes of the Society); तथा
3. मुद्रा के मूल्य का निर्धारण (Determination of the Value of Money)।

विशेष अध्ययन-सूची

1. Crowther : An Outline of Money, Chapter III
2. Robertson : Money, Chapter II

अध्याय . 8

निर्देशांक

(Index Number)

प्रावकथन — मुद्रा का मूल्य उसकी क्रय-शक्ति है। किन्तु इसका मूल्य स्थायी नहीं रहता, वरन् इसमें सदा परिवर्तन होते रहते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन के परिणामस्वरूप वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य में सदा परिवर्तन होते रहते हैं। मुद्रा का मूल्य कम हो जाने पर वस्तुओं का मूल्य अधिक हो जाता है तथा मुद्रा का मूल्य अधिक हो जाने पर वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य कम हो जाता है। इस प्रकार मुद्रा एवं वस्तुओं के मूल्य में ठीक विपरीत सम्बन्ध है। चूंकि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य पर भी पड़ना है, अतएव इसकी माप आज बहुत अधिक व्यावहारिक महत्त्व का विषय बन गयी है। इसे एक गणितीय विधि के द्वारा मापा जाता है जिसे निर्देशांक (Index Number) कहते हैं।

निर्देशांक किसे कहते हैं ? (Meaning of Index Number) — निर्देशांक (Index Number) मुद्रा के मूल्य में किसी दो समय के बीच हुए परिवर्तनों को मापने की एक गणितीय विधि है। (Index Number is a statistical device to measure the changes in the value of Money) दूसरे शब्दों में, निर्देशांक मूल्य-स्तर की वे सहाय्यें हैं जिनके द्वारा मुद्रा की क्रय-शक्ति के परिवर्तनों को मापा जाता है। वास्तव में, निर्देशांक एक तालिका के रूप में अभिवृद्ध की गयी मूल्य स्तर की वे सहाय्यें हैं जिनके द्वारा दो समयों के बीच मुद्रा के सामान्य मूल्य-स्तर में परिवर्तनों की तुलनात्मक माप की जाती है। सेक्रिट (Secrist) के अनुसार, "निर्देशांक अथवा एक ऐसी शृंखला है जिसके द्वारा किसी भी तथ्य के समय-समय के अथवा स्थान-स्थान के परिवर्तनों का मापन किया जाता है।"

प्रायः ऐसा देखा जाता है कि ए-ही समय में कुछ वस्तुओं का मूल्य घटता है तो कुछ का बढ़ता है एवं कुछ वस्तुओं का ज्यों-का-यों रहना है। किन्तु वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के परिवर्तन का औसत (average) निकालने से इनके मूल्य में परिवर्तन की सामान्य प्रवृत्ति का अन्दाजा लगता है। निर्देशांक सामान्य मूल्य तल (General Price-level) में हुए इस प्रकार के औसत परिवर्तनों को बतलाता है। इसमें मुद्रा के मूल्य में भी परिवर्तन का अन्दाजा लगाया जाता है। यदि निर्देशांक में वृद्धि हो रही है तो इसका अर्थ यह है कि सामान्य मूल्य-तल (General Price-level) ऊँचा होते जा रहा है, यानी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य भी केन्द्रीय प्रवृत्ति बढ़ने की ओर है और मुद्रा का मूल्य कम हो रहा है, यानी मुद्रा की एक इकाई के बदल अब कम ही वस्तुएँ तथा सेवाएँ प्राप्त होगी। इसके विपरीत यदि निर्देशांक घटता जा रहा है तो इसका अर्थ यह है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में घटने की प्रवृत्ति है एवं मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है, यानी मुद्रा की प्रत्येक इकाई से अब सामान्यतः अधिक वस्तुएँ प्राप्त होगी।

निर्देशांक का निर्माण

(Compilation of Index Number)

निर्देशांक के निर्माण (Compilation) में भाधारणतया निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना पड़ता है —

1. आधार वर्ष का चुनाव (Selection of the Base Year) :- निर्देशांक के निर्माण में सर्वप्रथम हमें एक आधार वर्ष (Base Year) का चुनाव करना पड़ता है। जिस प्रकार किसी स्थान की ऊँचाई समुद्र-तल के घाटातल के रूप में व्यक्त की जाती है, ठीक उसी प्रकार मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन को जानने के लिए भी एक आधार वर्ष की आवश्यकता पड़ती है। किन्तु मूल्य-तल के परिवर्तन को जानने के लिए समुद्र-तल की तरह कोई मान्य रेखा नहीं है, अतएव हरेक निर्देशांक तैयार करने वाला अपना अलग-अलग आधार वर्ष चुनता है। यो तो कोई भी वर्ष आधार वर्ष का कार्य कर सकता है, फिर भी आधार वर्ष के चुनाव में कुछ सावधानी से कार्य लेना पड़ता है। सर्वप्रथम तो आधार वर्ष एक सामान्य वर्ष (normal year) होना चाहिए। सामान्य वर्ष का तात्पर्य यह है कि वह वर्ष राजनीतिक एवं आर्थिक घटनाओं से मुक्त होना चाहिए। वास्तव में, प्रत्येक युग में कुछ विशेष आर्थिक एवं राजनीतिक प्रवृत्तियाँ कार्यशील रहती हैं और जो वर्ष इन प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता हो, वही आदर्श आधार वर्ष का कार्य कर सकता है। आधार वर्ष के चुनाव में दूसरी बात यह है कि आधार वर्ष किसी युग की चरम सीमा होता है जहाँ से आर्थिक एवं राजनीतिक प्रवृत्तियों के प्रवाह दूसरी दिशा में मोड़ लेते हैं। अतएव आधार वर्ष एक जलविभाजक की तरह है जो दो आर्थिक युगों का मध्यस्थल होता है। इन बातों को ध्यान में रख कर आधार वर्ष का चुनाव किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आधार वर्ष में हम आर्थिक स्थिति को स्थिर मान लेते हैं। वास्तव में, इस कार्य के लिए कुछ वर्ष विशेष रूप से प्रिय हो गये हैं। उदाहरण के लिए, 1914, 1929, 1939 इत्यादि। इसका कारण यह है कि इन वर्षों के बाद विश्व में कुछ महान् परिवर्तन हुए हैं जिनके कारण मुद्रा का मूल्य अन्य वर्षों से भिन्न हो जाता है, जैसे 1914 ई० से प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ हुआ, 1929 ई० से भयानक आर्थिक मन्दी प्रारम्भ हुई तथा 1939 ई० में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ जिसके बाद मूल्य-तल में भयानक वृद्धि हुई। भारत में आज निर्देशांक तैयार करने के लिए साधारणतया 1951 ई० को ही आधार वर्ष माना जाता है क्योंकि इस वर्ष की सहायता से योजना के पूर्व तथा पंचवर्षीय योजनाओं के समय के मूल्यों के परिवर्तन को सुगमतापूर्वक जाना जा सकता है।

2. वस्तुओं एवं सेवाओं का चुनाव (Selection of commodities and services) :- आधार वर्ष के निर्धारण के बाद वस्तुओं एवं सेवाओं का चुनाव करना पड़ता है। मुद्रा का द्रुत आधुनिक समाज में इतनी अधिक वस्तुओं एवं सेवाओं का भ्रय-विक्रय किया जाता है कि निर्देशांक तैयार करने में इन सारी वस्तुओं पर विचार करना केवल कठिन ही नहीं, बरन् असम्भव-सा हो जाता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं को चुन लिया जाता है। वस्तुओं के चुनाव में इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है कि चुनी हुई वस्तु एक-एक वस्तु समूह का प्रतिनिधित्व करनी हो, यानी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के साथ पूरे समूह की वस्तु का मूल्य घटना बढ़ता हो। वस्तुओं का चुनाव बड़े कुछ निर्देशांक बनाने के उद्देश्य पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी विशेष वर्ग के रहन-सहन का निर्देशांक (Cost of Living Index number) तैयार करना चाहते हैं तो हमें उस वर्ग के उपयोग में आने वाली वस्तुओं को चुन पड़ेगा। वस्तुओं के चुनाव में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्देशांक में हम जितनी ही अधिक वस्तुओं को सम्मिलित कर सकेंगे, निर्देशांक उतना ही अधिक यथार्थ होगा। किन्तु अधिक वस्तुओं को शामिल करने में कठिनाई होती है, अतएव सुविधा की दृष्टि से 40-50 वस्तुओं को शामिल करने ही अधिक उचित होता है। फिशर (Fisher) का इस सम्बन्ध में यह विचार है कि "जब तक निर्देशांक में 20 से अधिक वस्तुओं को सम्मिलित

नहीं किया जाता तब तक इसकी कोई विशेष व्यावहारिक उपयोगिता नहीं होती। यदि यह सख्या 50 तक हो तो और अच्छी बात है। 50 के बाद सख्या अधिक करने से जो लाभ प्राप्त होता है, वह उस परेशानी की तुलना में कम होता है जो कि अधिक सख्या के अंकन करने के कारण उत्पन्न होती है और 200 के पश्चात् तो सख्या में वृद्धि से कोई विशेष लाभ भी प्राप्त नहीं होता है।¹ सोअर बैंक के निर्देशांक में 37 वस्तुओं, ब्रिटिश बोर्ड ऑफ ट्रेड के निर्देशांक में 150 एव अमेरिकन ब्यूरो ऑफ लेबर के निर्देशांक में 550 वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है।

(3) वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों का सकलन (Collection of prices of Commodities and Services) — प्रतिनिधि वस्तुओं के चुनाव के बाद दोनों वर्षों (आधार वर्ष एवं जिस वर्ष के लिए निर्देशांक तैयार किया जाता है) में इन वस्तुओं के प्रचलित मूल्यों का सफलन करना पड़ता है। मूल्य-सकलन में भी बहुत अधिक कठिनाई होती है क्योंकि अधिकांश देशों में मूल्य-सकलन का कोई उचित साधन उपलब्ध नहीं है। साथ ही, मूल्य-सकलन का कार्य बहुत खर्चीला होता है, अतएव यह सरकार के द्वारा ही समुचित रूप से किया जा सकता है। उचित मूल्य जानने के लिए कई स्थानों से मूल्य एकत्र करना पड़ता है। थोक मूल्य (wholesale) एवं फुटकर मूल्य (retail) दोनों दो प्रकार के होते हैं। थोक मूल्य को जानना फुटकर मूल्य को अपेक्षा अधिक सरल होता है। किन्तु निर्देशांक तैयार करने में किस प्रकार के मूल्य को काम में लाना चाहिए यह निर्देशांक के उद्देश्य पर ही निर्भर करता है।

(4) मूल्यों को प्रतिशत में दिखलाना² (To Represent the prices in percentage) — निर्देशांक को साधारणतया सैकड़ों के रूप में ही व्यक्त किया जाता है। प्रत्येक वस्तु अथवा सेवा के मूल्य को आधार वर्ष में 100 मान लिया जाता है तथा निर्देशांक निकालने वाले वर्ष का मूल्य आधार के प्रतिशत में दिखलाया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आधार वर्ष में चावल की कीमत 2 रुपये प्रति वि० है तो इसके लिए 100 मान लिया जाता है और यदि निर्देशांक तैयार करने वाले वर्ष में 10 रुपये प्रति वि० है तब इस वर्ष के मूल्य को $\frac{10 \times 100}{2} =$

500 से निरूपित किया जायगा। इसे मूल्यानुपात (Price-relatives) कहते हैं। इस प्रकार दोनों वर्षों के मूल्यानुपातों को अलग अलग जोड़ कर और वस्तुओं की सख्या से भाग देकर इनका औसत निकाला जाता है।

उदाहरण के तौर पर, नीचे एक साधारण निर्देशांक (Simple Index Number) तैयार किया जाता है —

1. "Seldom are index number of much value unless they consist of more than twenty commodities and 50 is a much better number. After 50 the improvement obtained from increasing the number of commodities is gradual and it is doubtful if the gain from increasing the number beyond two hundred is ordinarily worth the extra trouble and expense." Irving Fisher : The Making of Index Number, p 340

2. यद्यपि औसत निकालने की अनेक विधियाँ प्रचलित हैं परन्तु निर्देशांक के निर्माण में दो विधियाँ—
 (1) साधारण या अंकगणितीय (Arithmetical), एवं रेखागणितीय (Geometrical) का ही विशेषतः प्रयोग किया जाता है। अंकगणितीय प्रणाली के अन्तर्गत सभी औसत संख्याओं को जोड़ कर योगफल वस्तुओं की संख्या से विभाजित किया जाता है और रेखागणितीय विधि के अनुसार औसत निकालने के लिए सब संख्याओं से गुणा करके गुणनफल को वस्तुओं की मात्रा के समान मूल्य निकाल लिया जाता है। अतः अंकगणित के लिए, यदि तीन संख्याएँ हैं तो तीनों को गुणा करके जो संख्या प्राप्त होती है उसका घनमूल (cube root) निकाल लेते हैं।

साधारण निर्देशांक
(Simple Index Number)

	वस्तुएँ (Commodities)	आधार वर्ष—1961 (Base year)		निर्देशांक तैयार करने का वर्ष (The year of compilation)—1975	
		मूल्य (Price)	मूल्यानुपात (Price-re- latives)	मूल्य (Price)	मूल्यानुपात (Price re- latives) _t
1	चावल	4/-प्रति बिन्ड०	100	24/-प्रति बिन्ड०	600
2	गेहूँ	5/-प्रति बिन्ड०	100	20/ प्रति बिन्ड०	400
3	कपड़ा	2/ प्रति मी०	100	6/ प्रति बिन्ड०	300
4	चाय	4/ प्र०कि०ग्रा०	100	2/-प्र०कि०ग्रा०	50
5	कोयला	1/ प्रति बिन्ड०	100	3/-प्रति बिन्ड०	300
			5)500		5)1650
			100		330

उपरोक्त निर्देशांक से यह स्पष्ट है कि 1961 ई० में सामान्य मूल्य स्तर (General price-level) का निर्देशांक 100 था, तो 1975 ई० में यह 330 है। इस प्रकार निर्देशांक आधार वर्ष की अपेक्षा ऊँचा है। इसका अर्थ यह है कि सामान्य मूल्य-तल (General Price-level) में आधार वर्ष की तुलना में 1975 ई० में 230 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी मुद्रा के मूल्य में 230 प्रतिशत की कमी हुई। इसी प्रकार से साधारण निर्देशांक (Simple Index Number) तैयार किये जाते हैं।

भारशील निर्देशांक

(Weighted Index Number)

उपरोक्त निर्देशांक साधारण निर्देशांक (Simple Index Number) का एक उदाहरण है। साधारण निर्देशांक इस मान्यता पर तैयार किया जाता है कि इसमें समाविष्ट सभी वस्तुएँ एक समान महत्त्व की होती हैं। किन्तु वास्तविक जीवन में किसी उपभोक्ता के लिए सभी वस्तुओं का महत्त्व एक समान नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल के मूल्य में वृद्धि से चाय के मूल्य में वृद्धि की अपेक्षा उपभोक्ता अधिक प्रभावित होगा क्योंकि उसकी आय का एक बहुत बड़ा भाग चावल पर खर्च होता है। यदि चावल के मूल्य में 100 प्रतिशत की वृद्धि हो जाय और चाय के मूल्य में 100 प्रतिशत की कमी हो जाय तो साधारण निर्देशांक ज्या-का-ज्यो रहेगा, किन्तु वास्तविक

विक्र रूप में उपभोक्ता इससे बहुत अधिक प्रभावित होगा। इस प्रकार चूँकि साधारण निर्देशांक में सभी वस्तुओं को एक समान महत्त्व दिया जाता है, अतएव इससे मूल्य-तल में परिवर्तन का ठीक ठीक अनुमान नहीं लगता। साधारण निर्देशांक (Simple Index Number) के इस दोष को भारशील निर्देशांक (Weighted Index Number) के निर्माण के द्वारा दूर किया जाता है।

भारशील निर्देशांक (Weighted Index Number) में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को उनके महत्त्व के अनुसार सम्मिलित किया जाता है। उपभोग की वस्तुओं का महत्त्व या भार (weight) उनके ऊपर खर्च की गयी राष्ट्रीय आय के अनुपात से निश्चित किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय 100 रुपये है, जिसे पाँच वस्तुओं पर निम्न प्रकार से खर्च किया जाता है—चावल पर 35 रुपये, गेहूँ पर 30 रुपये, कपड़े पर 20 रुपये, चाय पर 10 रुपये एवं कीयला पर 5 रुपये। अब इनका महत्त्व इसी अनुपात में होगा : यानी कीयले का 1, चाय का 2, कपड़े का 4, गेहूँ का 6 तथा चावल का 7। इसी आधार पर भारशील निर्देशांक बनाया जाता है।

उपरोक्त उदाहरण के आधार पर भारशील निर्देशांक तैयार किया जाता है —

	वस्तुएँ (Commodities)	भार (Weight)	आधार वर्ष—1961 (Base year)		निर्देशांक तैयार करने के वर्ष (Year of compilation)—1975	
			मूल्य (Price)	मूल्यानुपात (भारित)	मूल्य (Price)	मूल्यानुपात (भारित)
1	चावल	7	4/ प्र० वि०	700	24/प्र० वि०	4200
2	गेहूँ	6	5/-प्र० वि०	600	20/प्र० वि०	2400
3	कपड़ा	4	2/-प्र० मी०	400	6/प्र० मी०	1200
4	चाय	2	4/-प्र० कि० ग्रा०	200	2/प्र० कि० ग्रा०	100
5	कीयला	1	1-प्र० वि०	100	3/प्र० वि०	300
		20		20/2000		20/8200
				100		410

इस उदाहरण में भारशील निर्देशांक (Weighted Index number) 410 है जबकि साधारण निर्देशांक केवल 330 ही था। इससे स्पष्ट है कि साधारण निर्देशांक की अपेक्षा भारशील निर्देशांक मूल्य-तल में परिवर्तन को अधिक सही तरीके से व्यक्त करता है।

निर्देशांक बनाने की कठिनाइयाँ

(Difficulties in Construction of Index Number)

निर्देशांक (Index Number) के निर्माण में हमें सामान्य रूप से निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है —

1 आधार वर्ष के चुनाव (Selection of Base Year) सम्बन्धी कठिनाई — निर्देशांक (Index Number) के निर्माण में आधार वर्ष का चुनाव बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। आधार वर्ष की तुलना से ही हम किसी अपेक्षित वर्ष में मूल्य तल में हुए परिवर्तनों का अध्ययन

करते हैं। आधार वर्ष के चुनाव के सम्बन्ध में पहले भी व्याख्या की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में पहली कठिनाई यह है कि एक ही वर्ष सदा आधार वर्ष (Base year) का कार्य नहीं करता। समय-समय पर आर्थिक तथा राजनीतिक घटनाओं में परिवर्तन के कारण आधार वर्ष भी बदलते रहता है। आधार वर्ष का चुनाव निर्देशांक बनाने के उद्देश्य पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आधार वर्ष के चुनाव में इस बात पर ध्यान देना पड़ता है कि इसे एक साधारण एव सामान्य (Normal) वर्ष होना चाहिए, यानी असाधारण घटनाओं से सर्वथा रहित होना चाहिए। ऐसे वर्ष के चुनाव में निस्संदेह कठिनाई होती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए कुछ देशों में पाँच वर्षों के मूल्य स्तर का औसत लेकर आधार वर्ष माना जाता है। उदाहरणार्थ, इकोनोमिस्ट के निर्देशांक 1945-50 ई० के मूल्यों के औसत को आधार मानकर तैयार किये जाते हैं।

2. प्रतिनिधि वस्तुओं के चुनाव (Selection of Representative Commodities) सम्बन्धी कठिनाई :—निर्देशांक के निर्माण में वस्तुओं का चुनाव भी महत्वपूर्ण है। वस्तुओं का चुनाव निर्देशांक के उद्देश्य के अनुसार ही करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि निर्देशांक श्रमिकों के रहन-सहन के स्तर को जानने के लिए बनाया जाता हो तो इसमें श्रमिकों के प्रयोग में आनेवाली वस्तुओं को रखा जायगा। इसके विपरीत यदि निर्देशांक का उद्देश्य जन-साधारण के रहन-सहन का स्तर मापना करना होता है, तो इसके लिए जन-साधारण के उपभोग में आनेवाली वस्तुओं का चुनाव करना पड़ता है। वास्तव में वस्तुओं का चुनाव इस प्रकार से होना चाहिए जिससे कि निर्देशांक के उद्देश्य की पूर्ति में सहायता मिले। वस्तुओं के चुनाव में इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आधार तथा अपेक्षित वर्ष में इनके आकार-प्रकार, गुण एव स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हो। वस्तुओं के मूल्यों की तुलना करते समय यह सदा ध्यान में रखना चाहिए कि आधार वर्ष के समान गुण एव स्वभाववाली वस्तुओं की तुलना अपेक्षित वर्ष के समान गुण एव स्वभाव वाली वस्तुओं से ही की जाय, क्योंकि समय में अन्तर के साथ साथ वस्तुओं के गुण एव स्वभाव में भी अन्तर पड़ने लगता है। साथ ही, किसी एक वर्ष द्वारा उपभोग की जानेवाली वस्तुओं में भी समय एव परिस्थितियों के साथ-साथ विभिन्नता आती रहती है। उदाहरण के लिए, आज से 10 वर्ष पूर्व भारत में लोग बिजली का बहुत कम प्रयोग करते थे, किन्तु आज इसका प्रयोग बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया है। वस्तुओं के चुनाव में इन सारी बातों को ध्यान में रखना होता है।

3. मूल्य-संकलन (Collection of Prices) सम्बन्धी कठिनाई.—वस्तुओं के मूल्यों के संकलन में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वस्तुओं के मूल्य मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं—द्योक मूल्य (Wholesale prices) एव फुटकर मूल्य (Retail prices)। निर्देशांक के निर्माण में किस मूल्य को लिया जाय यह निर्देशांक बनाने के उद्देश्य पर निर्भर करता है। द्योक मूल्य प्राप्त करने में कोई विघ्न कठिनाई नहीं होती, किन्तु यदि निर्देशांक रहन-सहन के स्तर में अन्तर को जानने के लिए है, यानी Cost of Living Index Number है तो फुटकर मूल्यों को ही लेना होगा। किन्तु फुटकर मूल्यों को जानने में बहुत अधिक कठिनाई होती है। विभिन्न स्थानों में एक ही वस्तु का फुटकर मूल्य अलग-अलग होता है। दो समय के बीच तो इनके मूल्य को जानना और भी कठिन होता है। इसलिए इस प्रकार के निर्देशांक बहुधा अधूरे रह जाते हैं तथा आर्थिक स्थिति के परिवर्तनों को पूरा-पूरा वर्णन करने में असमर्थ सिद्ध होते हैं।

4. वस्तुओं के भार (weight) की निश्चित करने में कठिनाई :—निर्देशांक बनाने में एक प्रमुख कठिनाई विभिन्न वस्तुओं के भार (weight) की निश्चित करने की है। निर्देशांक

मे हम जितनी वस्तुओं का समावेश करते हैं उन सभी वस्तुओं का महत्त्व एक समान नहीं रहती। कुछ वस्तुएँ उपभोक्ता के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण होती हैं तो कुछ कम। अतएव वस्तुओं को हम उनके महत्त्व के अनुसार भार देना पड़ता है। किन्तु इनका सापेक्षिक महत्त्व निश्चित करना एक कठिन कार्य है। विभिन्न व्यक्तियों के लिए एक ही वस्तु का महत्त्व भी भिन्न-भिन्न होता है। इतना ही नहीं, एक वस्तु का एक व्यक्ति के लिए भी विभिन्न समयों पर विभिन्न महत्त्व होता है। साथ ही, मनुष्य की रूचियों में परिवर्तन के अनुसार वस्तुओं का महत्त्व भी बदलते रहता है। अतएव वस्तुओं के महत्त्व अथवा भार (weight) का निर्धारण बहुत प्रत्यक्ष के बावजूद अधिकांशतः काल्पनिक ही होता है।

5 औसत निकालने की कठिनाई — निर्देशक तैयार करने में एक प्रमुख कठिनाई औसत निकालने की कठिनाई भी है। किम तरीके से औसत निकाला जाय—अकगणितीय पद्धति या रेखागणितीय पद्धति से। औसत निकालने की रीति में परिवर्तन करने से एक ही मूल्य से अलग-अलग सूचक अंक प्राप्त होते हैं। अतएव यह कार्य भी एक कठिन कार्य है।

7 समय में अन्तर के साथ साथ वस्तुओं का समूह भी बदलते रहता है — निर्देशक के निर्माण में एक प्रमुख कठिनाई यह है कि जब हम दो ऐसे वर्षों की तुलना करते हैं जिनके बीच का अन्तर बहुत बड़ा है, तो बहुत-सी नयी वस्तुएँ उपभोग में आती हैं तथा पुरानी वस्तुएँ उपभोग से उठ जाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि 1939 ई० एव 1975 ई० के बीच जनसाधारण के रहन सहन के स्तर की तुलना के लिए निर्देशक बनाया जाय, तो सम्भव है कि 1975 ई० में जन-साधारण के उपभोग में कितनी वस्तुएँ इस प्रकार की मिलेंगी जिनका 1939 ई० में बिल्कुल पता नहीं था। उदाहरण के लिए नायलॉन (Nylon) की साड़ी और मोजे का प्रयोग आजकल जन साधारण के द्वारा किया जाता है, किन्तु 1939 ई० में इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं होता था। आदत, अभिरुचि, आविष्कार एव आय में परिवर्तन के परिणामस्वरूप कोई नई वस्तु प्रयोग में आती है तो कोई वस्तु प्रयोग से उठ जाती है। मूल्य में कमी के कारण भी उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाता है तो किसी का घटाता है जैसे—मूल्य अधिक होते के कारण धो के स्थान पर डालडा का प्रयोग। इस कठिनाई को दूर करने के लिए मार्शल (Marshall) ने श्रृंखलाकारी निर्देशकों (Chain Index Numbers) निर्माण करने की युक्ति बतलायी है जिसके द्वारा दो वर्षों के मूल्यों की तुलना बीच के वर्षों के मूल्यों के साथ कर सकते हैं। किन्तु यह पद्धति भी सुगम नहीं है। इसमें भी अनेक कठिनाइयाँ हैं।

निकषप — उक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का ठीक-ठीक माप कठिन है। मार्शल (Marshall) ने इस सम्बन्ध में ठीक ही कहा है कि “मुद्रा की क्रय-शक्ति का ठीक-ठीक माप न तो केवल असम्भव है अपितु अविचारणीय भी है।” (A perfectly exact measure of the purchasing power of money is not only unattainable but even unthinkable — Marshall) किन्तु पुन जैसा कि राबर्टसन (Robertson) का कहना है, “मुद्रा के मूल्य के परिवर्तन की उचित माप न तो सैद्धांतिक दृष्टि से सम्भव है न व्यावहारिक दृष्टि से ही। फिर भी, इसमें कोई संदेह नहीं कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होता है और यदि पर्याप्त सावधानी से काय लिया जाय तो कुछ व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए इसकी माप बहुत हद तक ठीक हो सकती है।” (The conclusion then is that neither in practice nor perhaps in theory, it is possible to measure accurately the changes in the value of money. Nevertheless, there is no

doubt that value of money changes, and if sufficient care is taken, measures accurate enough for some practical purposes can be found and used.) अतएव उपरोक्त दोषों के रहते हुए भी व्यावहारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्देशांक का निर्माण बहुत हद तक ठीक है।

अधिकांश प्रमुख देश आजकल फुटकर मूल्यों के निर्देशांक प्रकाशित करते हैं जो मुद्रा के उपभोग मूल्य के मापक माने जाते हैं। किन्तु मुद्रा के विनिमय मूल्यों में परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें मुख्यतः वस्तुओं के थोक मूल्यों के निर्देशांक पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। आजकल प्रायः अधिकांश देशों में भारतीय निर्देशांक (Weighted Index Number) तैयार किये जाते हैं। इनमें विभिन्न वस्तुओं को उनके सापेक्षिक महत्त्व के अनुसार भार दिया जाता है। साधारणतः, एक निश्चित समय में विभिन्न वस्तुओं पर जिस अनुपात में खर्च किया जाता है उसी के अनुसार इनका भार भी निश्चित किया जाता है। समय-समय पर इस भार में परिवर्तन भी होता है।

निर्देशांक के विभिन्न प्रकार

(Different Types of Index Number)

मुद्रा का मूल्य विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। इनमें प्रत्येक के अनुसार मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन को जानने के लिए एक विशेष प्रकार का निर्देशांक तैयार किया जाता है। इस तरह, साधारणतया निर्देशांक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं :-

1. थोक मूल्यों के निर्देशांक (Wholesale price Index Number),
2. उपभोग या जीवन-निर्वाह निर्देशांक (Consumption or Cost of Living Index Number),
3. श्रमिक निर्देशांक (Working Class Index Number),
4. विनियोग निर्देशांक (Investment Index Number), तथा
5. अन्तर्राष्ट्रीय निर्देशांक (International Index Number)।

अब इनका निम्न विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है—

1. थोक मूल्यों के निर्देशांक (Wholesale Index Number) :- इस प्रकार के निर्देशांक वस्तुओं के थोक मूल्यों के आधार पर तैयार किये जाते हैं। ये बहुत ही लोकप्रिय होते हैं क्योंकि वस्तुओं के थोक मूल्य को प्राप्त करने में विशेष कठिनाई नहीं होती। अतएव मुद्रा की कय-शक्ति में परिवर्तनों को मापने के लिए साधारणतया इन्हीं निर्देशांकों को तैयार किया जाता है। अमेरिका में इस प्रकार के निर्देशांक तैयार करने में 550 वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है तथा इनके मूल्यों का भार भी वैज्ञानिक ढंग से निश्चित किया जाता है। भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार द्वारा बनाये गये निर्देशांक में भी वस्तुओं के थोक मूल्यों को ही सम्मिलित किया जाता है तथा इसमें सम्मिलित वस्तुओं को निम्नांकित चार वर्गों में विभाजित किया जाता है—(क) खाद्यान्न तथा अन्य कृषि-पदार्थ, (ख) औद्योगिक कच्चे-पदार्थ, (ग) अर्द्ध-निर्मित वस्तुएँ, तथा (घ) निर्मित वस्तुएँ।

2. उपभोग या जीवन-निर्वाह निर्देशांक (Consumption or Cost of Living Index Number) — इस प्रकार के निर्देशांक उपभोग में आने वाली वस्तुओं के मूल्य-तल के आधार पर तैयार किये जाते हैं। इस प्रकार के निर्देशांक बनाने में उपभोग में आनेवाली सभी प्रमुख वस्तुओं तथा सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है और वैज्ञानिक तरीकों से इनका भार

भी निश्चित किया जाता है। किन्तु विभिन्न वस्तुओं के खुदरा मूल्य में देश के भिन्न-भिन्न भागों में विभिन्नता के कारण इस प्रकार के निर्देशांक बनाने में कठिनाइयाँ होती हैं।

3. श्रमिक वर्ग का जीवन-निर्वाह-व्यय निर्देशांक (Working Class Cost of Living Index Number):—इस प्रकार के निर्देशांक श्रमिकों के उपभोग में आनेवाली वस्तुओं के खुदरा मूल्यों के आधार पर तैयार किये जाते हैं। इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ ट्रेड द्वारा श्रमिकों के जीवन-निर्वाह व्यय को जानने के लिए इसी प्रकार का निर्देशांक तैयार किया जाता है। हिन्दुस्तान में भी श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour) द्वारा प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों में रहनेवाले श्रमिकों के लिए इसी प्रकार के निर्देशांक तैयार किये जाते हैं।

4. विनियोग निर्देशांक (Investment Index Number) :—इस प्रकार के निर्देशांक पूंजीगत वस्तुओं (Capital goods) के मूल्य में होनेवाले परिवर्तनों को जानने के लिए तैयार किये जाते हैं। इस प्रकार विनियोग निर्देशांक विनियोग-सम्बन्धी वस्तुओं के न्य करने में मुद्रा की क्रय-शक्ति में हुए परिवर्तनों को व्यक्त करते हैं।

5. अन्तर्राष्ट्रीय निर्देशांक (International Index Number) :—अन्तर्राष्ट्रीय निर्देशांक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में आनेवाली वस्तुओं के मूल्य-तल के आधार पर तैयार किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में आने वाली विभिन्न वस्तुओं को इनमें सम्मिलित किया जाता है तथा देश के व्यापार में इनके महत्त्व के अनुसार इनका भार निश्चित किया जाता है। इस प्रकार के निर्देशांक बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। इनके द्वारा किसी देश के व्यापार की शर्तों (Terms of the trade) की अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता का अन्दाजा लगता है। साथ ही, विदेशी विनिमय के सिद्धांत में भी इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है।

उपरोक्त निर्देशांकों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के निर्देशांक भी होते हैं, जैसे—आय-सम्बन्धी निर्देशांक (Income Index Number), आर्थिक स्थिति सम्बन्धी निर्देशांक, इत्यादि।

निर्देशांकों की उपयोगिता

(Advantages of Index Number)

निर्देशांकों का व्यावहारिक जीवन में बहुत अधिक महत्त्व है। इनसे सामान्यतया निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं :—

1. मुद्रा की क्रय-शक्ति में परिवर्तन का ज्ञान (Knowledge of changes in the purchasing power) :—निर्देशांकों का सर्वाधिक प्रमुख लाभ यह है कि इनके द्वारा समय-समय पर मुद्रा की क्रय-शक्ति में हुए परिवर्तनों को जाना जा सकता है। हमारे समाज में मुद्रा का स्थान प्रधान है, अतएव इस प्रकार की जानकारी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्त्वपूर्ण होती है।

2. जीवन-स्तर का तुलनात्मक अध्ययन (Comparative study of Living standard) :—श्रमिकों तथा साधारण नागरिकों के जीवन-स्तर में समय-समय में हुए परिवर्तनों को जानने के लिए भी यह एक प्रमुख साधन है। इस उद्देश्य से एक विशेष प्रकार का निर्देशांक जीवन-निर्वाह सम्बन्धी-निर्देशांक (Cost of Living Index Number) तैयार किया जाता है जिसके द्वारा विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों के जीवन-स्तर में हुए परिवर्तनों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है।

3. व्यापारियों के लिए उपयोगी (Advantageous to Businessmen) :— निर्देशांक उत्पादक तथा व्यापारी वर्ग के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनकी सहायता से उन्हें मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन तथा सामान्य आर्थिक स्थिति का अन्दाजा लगता है। उत्पादक तथा व्यापारी मूल्य में परिवर्तन के अनुसार ही अपने उत्पादन तथा व्यापार की योजना तैयार करते हैं।

4. सरकार की मौद्रिक नीति के निर्धारण में सहायता (Useful in determination of the Monetary policy) :—सरकारी मौद्रिक नीति के निर्धारण में भी इससे सहायता मिलती है। जब वस्तुओं के मूल्य-तल में हास से उत्पादन कम होने लगता है तथा व्यापारिक मन्दी की शुरुआत हो जाती है तो इसका प्रभाव समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों पर विभिन्न प्रकार से पड़ता है। सरकार इन्हें दूर करने के लिए उचित नीति अपनाती है। इस प्रकार सूचनांक कौमत्त में परिवर्तनो का संकेत कर सरकार को अपनी आर्थिक नीति निर्धारित करने में सहायता पहुँचाते हैं।

5. मजदूरी के निर्धारण में उपयोगिता (Utility in the determination of wages) :—जीवन-निर्वाह व्यय के सूचनांक (Cost of living Index Number) से मजदूरी को मजदूरी के निर्धारण में पर्याप्त सहायता मिलती है। इनके द्वारा मजदूरी के मजदूरी-सम्बन्धी षगडो का निपटारा होता है। सामान्यतः, मजदूरी, पारिश्रमिक या वेतन के निर्धारण में नीचे लिखी बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है—

(i) वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन के कारण मजदूरी के रहन-सहन के व्यय में परिवर्तन;

(ii) समय-परिवर्तन के परिणामस्वरूप रहन-सहन के स्तर में परिवर्तन; जैसे—फैशन, रीति-रिवाज, आदत, वैज्ञानिक वस्तुओं के आविष्कार, रथानापन्न वस्तुओं के आविष्कार इत्यादि के कारण लोगों के रहन-सहन के स्तर में परिवर्तन, और

(ii) एक न्यूनतम रहन-सहन का स्तर बनाये रखना। उपरोक्त बातों का ज्ञान जीवन-निर्वाह के व्यय के सूचनांक तैयार करने से ही प्राप्त हो सकता है।

इस प्रकार निर्देशांक का व्यावहारिक जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्रो० फिशर (Fisher) का इस सम्बन्ध में निम्नांकित कथन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, “वस्तुओं के मूल्य-स्तर को स्थायी रखने तथा व्यापार में स्थिरता एवं स्थायित्व लाने के लिए निर्देशांक बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। इनकी सहायता से आर्थिक, व्यापारिक तथा वित्त-सम्बन्धी सभी समस्याओं को समझने में सुगमता होती है।”

विशेष अध्ययन-सूची

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Irving Fisher | : The Making of Index Number, |
| 2. Geoffrey Crowther | : An Outline of Money, Chapter III. |
| 3. C. N. Halm | : Economics of Money and Banking, Chapter IX. |



अध्याय : 9

मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन (Changes in the Value of Money)

प्रावचन — मुद्रा की एक प्रधान विशेषता यह है कि इसका मूल्य कभी स्थायी नहीं रहता, इसमें सदा परिवर्तन होते रहते हैं। हम जानते हैं कि मुद्रा का मूल्य इसकी क्रय-शक्ति है। इसके मूल्य में परिवर्तन को हम सामान्य मूल्य-तल (General Price-level) में परिवर्तन के द्वारा व्यक्त करते हैं। मुद्रा के मूल्य एवं सामान्य मूल्य-तल में ठीक विपरीत सम्बन्ध है। जब सामान्य मूल्य-तल (General Price level) में वृद्धि होती है तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, यानी मुद्रा की प्रत्येक इकाई अब पहले की अपेक्षा कम ही वस्तुएँ तथा सेवाएँ खरीद सकती है। इसके विपरीत जब सामान्य मूल्य-तल में कमी होती है, तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, यानी मुद्रा की प्रत्येक इकाई अब पहले की अपेक्षा अधिक वस्तुएँ तथा सेवाएँ खरीद सकती है। आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा के मूल्य में एक चक्र (Cycle) की तरह सदा परिवर्तन होते रहता है। मुद्रा-स्फीति (Inflation) एवं मुद्रा-अपस्फीति (Deflation) इस चक्र के दो पक्ष हैं। आउथर के अनुसार “मुद्रा-स्फीति (Inflation) वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य घटता है तथा वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है।” (Inflation is a state in which the value of money is falling & the prices are rising) इसके विपरीत “मुद्रा-अवस्फीति (Deflation) वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तथा वस्तुओं का मूल्य घटता है।” (Deflation is a state in which the value of money is rising & the prices are falling) मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का समाज पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है।

मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन के प्रभाव के अध्ययन के पूर्व मूल्य-तल (Price-level) के आचरण के सम्बन्ध में थोड़ी बहुत जानकारी अनिवार्य है। मूल्य-तल में परिवर्तन को निर्देशांक (Index Number) के द्वारा आंकते हैं। किन्तु यदि एक ही साथ विभिन्न वस्तुओं के मूल्य भिन्न-भिन्न दिशाओं में जाते हों, यानी एक साथ कुछ घटते एवं कुछ बढ़ते हों तो निर्देशांक से हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते। ऐसी स्थिति में, निर्देशांक केवल एक गणित की सख्या मान ही रह जाता है। जब केवल अधिकांश पदार्थों के मूल्य एक साथ एवं एक ही दिशा में परिवर्तित होते हों, तभी निर्देशांक से हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं, यानी हम यह कह सकते हैं कि मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हुई है या कमी। वास्तविक जीवन में अधिकांश वस्तुओं के मूल्य एक सीमा तक एक ही साथ बढ़ने या घटने हैं किन्तु इनका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य सदा एक ही दिशा में घटता या बढ़ता है। कुछ वस्तुओं के मूल्य विपरीत दिशा में भी जाते हैं, किन्तु इसे अपवादस्वरूप ही समझना चाहिए। ऐसा किसी विशेष कारण से ही होता है, जैसे किसी आविष्कार या किसी फसल का कम या अधिक होना इत्यादि। अतएव अधिकांश पदार्थों के मूल्य में एक साथ तथा एक ही दिशा में परिवर्तन होता है। इसके स्पष्ट है कि सभी पदार्थों के मूल्य में कोई दायित्व समभाव रूप से व्याप्त है जिसके फलस्वरूप इनमें एक साथ तथा एक ही दिशा में परिवर्तन होता है। यह दायित्व स्वयं मुद्रा है, किन्तु यह निष्कर्ष

1 मुद्रा-स्फीति (Inflation) एवं मुद्रा-अवस्फीति (Deflation) का सविस्तार विवरण इस पुस्तक में आगे चल कर एक पृथक् अध्याय में किया गया है।

मुद्रा की प्रकृति को नया रूप देता है। हम देख चुके हैं कि मुद्रा का प्रमुख उद्देश्य विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करना है। इस रूप में मुद्रा को मध्यस्थ तथा निष्क्रिय रह कर मनुष्य के इशारे पर कार्य करना चाहिए था, किन्तु ऐसा नहीं होता। मुद्रा निष्क्रिय नहीं रह कर स्वयं सक्रिय हो जाती है, जिससे मुद्रा का मूल्य केवल एक गणित-मान ही नहीं रहकर वास्तविक रूप धारण कर लेता है। मुद्रा की केवल इस निष्पक्ष रहने की विफलता के कारण ही आधुनिक समाज में अनेक मौद्रिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

किन्तु यद्यपि अधिकांश वस्तुओं के मूल्य एक समय एक ही दिशा में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति रखते हैं, तथापि इससे यह नहीं सोचना चाहिए कि इनमें सदा एक समान परिवर्तन होता है। इसके विपरीत विभिन्न पदार्थों के मूल्यों के परिवर्तन में बहुत अन्तर पाया जाता है। उदाहरण के लिए, कच्चे पदार्थ (Raw materials), जिनमें सट्टेबाजी अधिक होती है, के मूल्य बहुत अधिक परिवर्तनशील होते हैं। इसका कारण यह है कि इनके उत्पादन की मात्रा में सुगमता से तथा शीघ्रतापूर्वक परिवर्तन करना कठिन है। इसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के खनिज एवं कृषि पदार्थ आते हैं। कच्चे मालों की अपेक्षा निमित्त वस्तुओं (manufactured goods) की कीमत में कम एवं धीरे-धीरे परिवर्तन होता है। इसका कारण यह है कि इनकी मात्रा एवं कीमत का निर्धारण व्यापारियों तथा व्यापारिक संस्थाओं के हाथ में रहता है। साथ ही, इनके निर्माण-सम्बन्धी बहुत-से खर्च लगभग स्थायी रहते हैं, अतएव व्यापारीगण अपनी वस्तुओं को घाटे पर बेचना पसन्द नहीं करते। इन सब कारणों से निमित्त वस्तुओं के मूल्य में अपेक्षाकृत कम परिवर्तन होता है। मजदूरी (wages) में तो इनसे भी कम परिवर्तन होता है। मजदूरी घटाना साधारणतः बहुत कठिन और अप्रिय कार्य है। आजकल प्रायः सभी देशों में श्रमिक संघों (Trade Unions) के संगठन के कारण मजदूरी में किसी प्रकार की कटौती बहुत कठिन हो गयी है। मजदूरी की अपेक्षा वेतन में तो और भी धीरे-धीरे परिवर्तन होता है। इसके साथ-साथ प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे मूल्य भी होते हैं जो ठके पर निश्चित होते हैं, जैसे मकान का भाड़ा, दीर्घकालीन ऋण पर ब्याज, जीवन बीमा का प्रीमियम इत्यादि। अतएव मूल्य तल में परिवर्तन के फलस्वरूप इस प्रकार के मूल्य में प्रायः कोई परिवर्तन नहीं होता।

इससे यह स्पष्ट है कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन के परिणामस्वरूप सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में एक समान परिवर्तन नहीं होता। फलस्वरूप मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का समाज के विभिन्न वर्गों पर विभिन्न प्रकार से प्रभाव पड़ता है।

मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव

(Effects of Changes in the Value of money on Different Classes of the Society)

मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप सभी वस्तुओं अथवा सेवाओं के मूल्य में एक समान परिवर्तन नहीं होता। यदि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन से सभी लेन-देन समान रूप से प्रभावित होते तो इसका समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरणार्थ, यदि मूल्य में परिवर्तन के परिणामस्वरूप समाज के सभी व्यक्तियों की वास्तविक आय दुगुनी हो जाय तो इससे समाज का कोई भी व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा। किन्तु वास्तविक जीवन में ऐसा कभी नहीं होता। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन से सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य में समान रूप से परिवर्तन नहीं होता, अतएव समाज के विभिन्न वर्गों पर इसका प्रभाव भिन्न-भिन्न रूप से पड़ता है।

मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का समाज की आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव प्रदानतः दो प्रकार से पड़ता है :—

- (1) धन के वितरण (Distribution of Wealth) के द्वारा, तथा
- (2) धन के उत्पादन (Production of Wealth) एवं साधनों की रोजगारी (Employment of Resources) के द्वारा।

मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का धन के वितरण पर प्रभाव

(Changes in the Value of Money as affecting
Distribution of Wealth)

सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री केन्स (Keynes) ने अपनी पुस्तक 'A Tract on Monetary Reform'¹ में मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन के प्रभाव के अध्ययन के लिए समाज को निम्नलिखित तीन वर्गों में विभाजित किया है.—(i) विनियोगी वर्ग (Investing Class), (ii) व्यापारी वर्ग (Business Class), तथा (iii) श्रमिक वर्ग (Earning Class)। परन्तु अध्ययन की सुविधा के लिए हम एक चतुर्थ वर्ग के अध्ययन पर जोर दे सकते हैं और वह है (iv) कृषक वर्ग (Agriculturist Class)। किन्तु यह स्मरण रहे कि समाज के इन विभिन्न वर्गों को पूर्णतया एक दूसरे से पृथक् नहीं किया जा सकता है। फिर भी, अध्ययन की सुविधा के लिए मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन हम इन चार वर्गों के लिए पृथक्-पृथक् रूप से करेंगे।

(i) विनियोगी वर्ग (Investing Class).—आधुनिक पूँजीवादी व्यवस्था के विकास में विनियोगी वर्ग ने निस्सन्देह महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है। विनियोगी वर्ग यह है जो उद्योग एवं व्यवसाय में अपने धन का विनियोजन (Investment) कर उससे प्राप्त आय के द्वारा अपना जीवन बसर करता है। उन्नीसवीं शताब्दी में पश्चिम के राष्ट्रों में इस प्रकार के एक सुदृढ़ वर्ग का उदय हुआ जो अपनी दक्षता के विनियोग से ही आय प्राप्त करता था। इस वर्ग की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि इसकी आय दीर्घकाल तक प्रायः स्थायी रहती है। व्यवसाय के लाभ एवं हानि तथा मूल्य में वृद्धि एवं कमी से इनका कोई सम्बन्ध नहीं होता।

विनियोगी वर्ग (Investing Class) की मुद्रा-स्फीति (Inflation), यानी मुद्रा के मूल्य में कमी से घाटा होता है, क्योंकि मुद्रा-स्फीति के परिणामस्वरूप इनके विनियोग की रकम का वास्तविक मूल्य (Real value) कम हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि ऋण देने के समय 100 रुपये से 100 क्विन्टल चावल खरीदा जा सकता था, मुद्रा-स्फीति के कारण कुछ समय बाद उसी 100 रुपये से केवल 25 क्विन्टल अथवा इससे भी कम चावल ही खरीदा जाता हो, तो इससे स्पष्ट है कि मुद्रा के मूल्य में कमी के कारण विनियोग की गयी रकम का वास्तविक मूल्य घट कर केवल एक-चौथाई या इससे भी कम हो गया है। साथ ही, इस वर्ग की आय स्थायी होती है, अतएव मुद्रा-स्फीति के परिणामस्वरूप इनकी वास्तविक आय (Real Income) भी बहुत कम हो जाती है। इस प्रकार मुद्रा-स्फीति (Inflation) विनियोगी वर्ग अथवा महाजन के लिए हानिकारक तथा ऋणी (Debtors) वर्ग के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। ठीक इसके विपरीत मुद्रा-अवस्फीति (Deflation) अथवा मुद्रा के मूल्य में वृद्धि विनियोगी वर्ग के लिए लाभदायक होती है क्योंकि मुद्रा के मूल्य में वृद्धि से इसके विनियोग की रकम का वास्तविक मूल्य बढ़ जाता है, अतः इनकी वास्तविक आय (Real Income) भी बढ़ जाती है। इस प्रकार

अवस्फीति विनियोगी वर्ग के लिए लाभदायक तथा ऋणी (Debtors) वर्ग के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। यही कारण है कि अवस्फीति के समय ऋण का बोझ इतना अधिक हो जाता है कि इसका भुगतान करना ऋणियों के लिए कठिन हो जाता है।

(ii) व्यापारी एवं उत्पादक वर्ग (Business Class) —व्यापारी एवं उत्पादक वर्ग के अन्तर्गत खान एवं कारखानों के मालिक, व्यापारी तथा अन्य प्रकार के उत्पादक सम्मिलित हैं। मुद्रा-स्फीति (Inflation) अथवा मूल्य-तल में वृद्धि से व्यापारियों को लाभ होता है। (A period of rising prices acts as a stimulus to enterprise and is beneficial to businessmen—Keynes) मुद्रा-स्फीति (Inflation) अथवा मुद्रा के मूल्य में कमी से व्यापारीयण कई कारणों से लाभान्वित होते हैं। सर्वप्रथम, तो मुद्रा-स्फीति के समय जिस गति से मूल्य-तल में वृद्धि होती है उस गति से उत्पादन व्यय में वृद्धि नहीं होती। इनके कुछ खर्च, जैसे—फिराया, सूद या ब्याज आदि तो प्रायः स्थायी ही रहते हैं। मजदूरी में भी बहुत धीरे-धीरे वृद्धि होती है। अतएव व्यापारी एवं उत्पादकों के लिए मुद्रा-स्फीति (Inflation) लाभदायक सिद्ध होती है। ऐसी स्थिति में व्यापारियों के लाभ का एक और प्रमुख कारण है। वर्तमान समय में उत्पादन के कार्य में सदा कुछ समय लगता है। व्यापारी प्रायः चार-पाँच महीने पहले ही कच्चा माल तथा यन्त्रादि खरीदते हैं और चूँकि मुद्रा-स्फीति के समय मूल्य में निरन्तर वृद्धि होने की प्रवृत्ति पायी जाती है, अतएव जबतक वस्तुएँ अन्तिम रूप से तैयार होकर निकलती हैं, तबतक इसके मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि हो गयी रहती है। इस प्रकार मुद्रा-स्फीति से व्यापारियों को अप्रत्याशित लाभ (Windfall gains) होता है। मूल्य-तल में वृद्धि के परिणामस्वरूप इनके ऋण का वास्तविक मूल्य (Real value) भी बहुत घट जाता है। इसके चलते भी इन्हें बहुत अधिक लाभ होता है।

किन्तु, यद्यपि मुद्रा स्फीति (Inflation) से व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को अप्रत्याशित लाभ होता है, फिर भी इस अप्रत्याशित लाभ के परिणामस्वरूप ये अत्यधिक बचन भी हो जाते हैं। केन्स (Keynes) के शब्दों में "यदि मुद्रा के मूल्य में कमी विनियोग को हतोत्साहित करती है तो यह व्यापारियों को बचन भी करती है।" (If the fall in the value of money discourages investment, it also discredits enterprise.) इसका कारण स्पष्ट है। उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से मूल्य में अतिशय वृद्धि का मुख्य कारण व्यापारियों एवं उद्योगपतियों का अत्यधिक मुनाफा ही होता है। व्यापारी भी सदा अपने इस अप्रत्याशित लाभ को बनाये रखने की बात सोचते रहते हैं। इन सब कारणों से मुद्रा-स्फीति, यानी मुद्रा के मूल्य में कमी से ये पूर्णरूपेण मुनाफाखोर (Profiteer) बन जाते हैं।

इसके विपरीत मुद्रा-अवस्फीति (Deflation), यानी मुद्रा के मूल्य में वृद्धि का व्यापारियों एवं उद्योगपतियों पर ठीक इसके विपरीत प्रभाव पड़ता है—अप्रत्याशित लाभ की जगह इन्हें अत्यधिक हानि होने लगती है। इसका कारण यह है कि अवस्फीति के समय वस्तुओं की माग कम हो जाती है जिससे इनके पास बिना बिके हुए माल का भंडार बढ़ने लगता है। इनके बहुत शारे खर्च प्रायः स्थायी ही रहते हैं। मजदूरी में भी बहुत कम कमी होती है। अतएव इन्हें मुद्रा के मूल्य में वृद्धि से अत्यधिक हानि होती है। इस अत्यधिक हानि से द्रुतकारा पाने के लिए व्यापारीयण अपने पास कल्प-से-कल्प माल का भंडार रखना चाहते हैं। इससे व्यावसायिक क्रिया-शीलता घट होने लगती है जिससे बहुत अधिक साधन बेकार हो जाते हैं। इस प्रकार विस्फीति में मुनाफाखोरी (Profiteering) की जगह बेकारी की समस्या प्रमुख हो जाती है।

(iii) श्रमिक वर्ग (Earning Class) :—श्रमिक वर्ग पर मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या करने के पूर्व इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि "मजदूरी में मूल्य-तल की अपेक्षा कम परिवर्तन होना है यानी मजदूरी मदा कीमतों से पीछे रहती है।" (Wages always tend to lag behind the prices.) अतएव मुद्रा-स्फीति (Inflation), यानी मुद्रा के मूल्य में कमी के समय जिस गति में मूल्य-तल में वृद्धि होती है उस गति में मजदूरी में वृद्धि नहीं होती। परिणामस्वरूप मुद्रा-स्फीति के समय मजदूरों की वास्तविक मजदूरी (Real-wages) कम हो जाती है। इसके विपरीत विस्फीति (Deflation), यानी मुद्रा के मूल्य में वृद्धि के समय मजदूरी की दर में बहुत कम कमी होती है। आजकल तो श्रमिक-संघों (Trade Unions) के प्रभाव से मजदूरी की दर में कमी करना और भी कठिन हो गया है। अतएव विस्फीति के समय श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी (Real Wages) में वृद्धि हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि श्रमिक वर्ग के लिए मुद्रा के मूल्य में कमी, यानी मुद्रा-स्फीति (Inflation) हानिकारक तथा अवस्फीति (Deflation) लाभदायक सिद्ध होती है।

किन्तु, इस प्रकार का निष्कर्ष वास्तविकता से बहुत दूर है। मुद्रा-अवस्फीति श्रमिकों के लिए लाभदायक अवश्य जान पड़ती है, किन्तु अवस्फीति के समय औद्योगिक क्रियाशीलता मन्द पड़ जाती है जिससे रोजगार के साधनों में कमी होने लगती है। अतएव मुद्रा-अवस्फीति के समय बेकारी की समस्या उग्र रूप धारण कर लेती है जिसका श्रमिक वर्ग पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। अतएव कहा जाता है कि अवस्फीति में केवल वे ही श्रमिक लाभान्वित होते हैं जो अपनी रोजी को बनाये रखते हैं। इसके विपरीत मुद्रा-स्फीति के समय औद्योगिक क्रियाशीलता बहुत बढ़ जाती है जिससे रोजगार के साधनों में बहुत अधिक वृद्धि होती है। अतएव इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि श्रमिक वर्ग के लिए मुद्रा स्फीति का समय ही उत्तम होता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि श्रमिक वर्ग सामूहिक रूप से मुद्रा-स्फीति से लाभान्वित होते हैं क्योंकि औद्योगिक क्रियाशीलता में वृद्धि के कारण इस समूह रोजगार के अवसरों में अत्यधिक वृद्धि होती है। इससे श्रमिकों की बेकारी का सामना नहीं करना पड़ता। इसके विपरीत मुद्रा-अवस्फीति (Deflation) का समय इनके लिए हानिकारक होता है क्योंकि ऐसी स्थिति में औद्योगिक क्रियाशीलता में कमी के कारण रोजगार के साधनों का अभाव हो जाता है जिससे बहुत-से श्रमिक योहि बेकार हो जाते हैं।

(iv) कृषक वर्ग (Agriculturists) —किसानों पर मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव ठीक व्यापारियों की ही तरह पड़ता है। अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कृषि-पदार्थों के मूल्य में बहुत तीव्र तथा अधिक मात्रा में परिवर्तन होता है। अतएव मुद्रा-स्फीति (Inflation), यानी मुद्रा के मूल्य में कमी से किसान अत्यधिक लाभान्वित होते हैं, क्योंकि इनकी वस्तुओं का मूल्य बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है, किन्तु लगान, मजदूरी तथा अन्य औद्योगिक पदार्थ जिन पर वे अपनी आय खर्च करते हैं, के मूल्य में अपेक्षाकृत कम वृद्धि होती है। अतएव मुद्रा स्फीति से किसानों को लाभ होता है। इसके विपरीत मुद्रा विस्फीति (Deflation) का किसानों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। विस्फीति के समय किसानों की वस्तुओं के मूल्य में इनके अन्य खर्चों की अपेक्षा बहुत तेजी से कमी होती है। इन प्रकार से मुद्रा के मूल्य में ह्रास, यानी मुद्रा स्फीति (Inflation) का समय किसानों के लिए लाभदायक तथा मुद्रा के मूल्य में वृद्धि यानी मुद्रा-विस्फीति (Deflation) का समय किसानों के लिए हानिकारक सिद्ध होता है।

इस प्रकार उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि "मुद्रा-स्फीति समाज में धन के वितरण को इस प्रकार से प्रभावित करती है जिससे कि विनियोगी वर्ग को हानि होती है, व्यापारी एवं कृषक वर्ग को लाभ होता है और जो वर्तमान औद्योगिक युग में [मजदूरों के लिए भी लाभदायक होता है।" (Inflation redistributes wealth in a manner very injurious to the investor, very beneficial to the businessmen, and probably in modern industrial conditions, beneficial on the whole to the earner.)¹ मुद्रा-विसफीति (Deflation) का समाज में धन के वितरण पर ठीक इसके विपरीत प्रभाव पड़ता है।

मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का उत्पादन पर प्रभाव

(Changes in the Value of Money as affecting Production)

मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का धन के उत्पादन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था में धन का उत्पादन पूँजीपतियों द्वारा व्यक्तिगत लाभ के प्रयोजन से किया जाता है। ये अधिकतम लाभ के उद्देश्य से ही उत्पादन करते हैं। मुद्रा-स्फीति (Inflation), यानी मूल्य-तल में वृद्धि व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। इससे उद्योग-धन्यो को प्रोत्साहन मिलता है। अतएव मूल्य-तल में वृद्धि के समय औद्योगिक क्रियाशीलता में वृद्धि होती है—उत्पादन अधिक होता है तथा व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को अप्रत्याशित लाभ (windfall gains) प्राप्त होता है। औद्योगिक क्रियाशीलता में वृद्धि के परिणामस्वरूप रोजगार के साधनों में भी वृद्धि होती है तथा श्रमिकों को अधिकाधिक मात्रा में रोजगार मिलता है। इन प्रकार मूल्य तल में वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में, देश के आर्थिक विवास एवं उत्पादन में वृद्धि के दृष्टिकोण से मूल्य-तल में वृद्धि एक अच्छी चीज है।

मुद्रा-अपस्फीति (Deflation), यानी मूल्य-तल में ह्रास का उत्पादन पर ठीक इसके विपरीत प्रभाव पड़ता है। मूल्य-तल में ह्रास की सम्भावना को देखकर नुकसान से बचने के लिए व्यापारी तथा उद्योगपति उत्पादन की मात्रा को घटाना प्रारम्भ कर देते हैं। इससे औद्योगिक क्रियाशीलता मन्द पड़ने लगती है, रोजगार के अवसरों में कमी होने लगती है, और इस प्रकार बहुत अधिक श्रमिक यही वेकार हो जाते हैं। इससे वस्तुओं एवं सेवाओं की माग में कमी होती है, फलतः मूल्य-तल में और अधिक कमी होने लगती है। इस कमी का पुनः उत्पादन एवं रोजगार के साधनों पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार मुद्रा-अवस्फीति एक विषैला कुचक्र (Vicious Circle) का रूप धारण कर लेती है जिसमें मूल्य, उत्पादन एवं रोजगार में निरन्तर कमी होती जाती है। इस प्रकार मूल्य-तल में कमी से उत्पादन हतोत्साहित होता है।

इस प्रकार मुद्रा-स्फीति समाज के कुछ वर्गों के लिए लाभदायक तथा कुछ वर्गों के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। उदाहरण के लिए, स्थायी आय वाले वर्ग पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। मुद्रा स्फीति के कारण इस वर्ग की वास्तविक आय बहुत ही कम हो जाती है। मध्यम वर्ग भी इससे बहुत अधिक प्रभावित होता है। केमरर (Kemmerer) के अनुसार "मध्यम वर्ग जो अपने कड़े परिश्रम एवं बचाने की आदत द्वारा अपने ऋणों की शिक्षा एवं बीमारी तथा वृद्धावस्था का सामना करने के उद्देश्य से बचत का सचय करता है, मुद्रा स्फीति के दिनों में अपने को गम्भीर स्थिति में पाता है। आय की तुलना में रहन-सहन का खर्च बहुत बढ़ जाता है, सारी बचत समाप्त हो जाती है। कठिन परिश्रम, स्वतन्त्रता एवं बचाने की आदत हाँठ देवता के समान

हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में मध्यम वर्ग पर निराशा एव असफलता के झूठे बादल छा जाते हैं।" (The middle class, however, which by hard work and thrift has built up a fund of savings to its children to provide a livelihood for times of sickness and for old age finds itself in desperate situation in a time of serious inflation. The cost of living rises disproportionately to income, savings are wiped out, and hard work, independence and thrift seem to be the false God. Under such conditions, the middle class is overwhelmed by a sense of futility and desperation.) वास्तव में, मुद्रा-स्फीति के सबसे बड़े शिकार मध्यम वर्ग के वे लोग होते हैं जो हर समाज की आधारशिला होते हैं। मुद्रा-स्फीति के कारण ही प्रथम महायुद्ध के बाद वाले समय में जर्मनी आदि देशों में मध्यम वर्ग प्रायः समाप्त हो ही गया था।

आर्थिक कठिनाइयों के अतिरिक्त मुद्रा-स्फीति से व्यक्तियों का नैतिक पतन भी होता है। समाज में धन एव आय के अन्यायपूर्ण तरीके में पुनर्वितरण के द्वारा मुद्रा-स्फीति जनता में सरकार तथा नैतिकता के प्रति अविश्वास उत्पन्न कर देती है। समाज में जिन लोगों की आय तथा सम्पत्ति मुद्रा-स्फीति के कारण समाप्त हो जाती है वे सरकार के कट्टर विरोधी बन जाते हैं। मुद्रा-स्फीति से लोगों का नैतिक पतन भी हो जाता है। इसी कारण प्रथम महायुद्ध के बाद जर्मनी में गम्भीर नैतिक पतन की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। जर्मनी में उन दिनों लोगों में इतना अधिक नैतिक पतन हो गया था कि पुरुष स्त्रियों के वस्त्र पहनकर बर्लिन के नाच-घरों में पुलिस अफसरों से अलौकिक बचावर नाचा करने थे। बर्लिन की नवयुवतियाँ अपने सोंबों की धर्म-शास्त्रीय ढंग से व्याख्या करती थीं। सोलह वर्ष की उम्र तक पवित्र कुमारी रहना उन दिनों बर्लिन में लज्जाजनक समझा जाता था। अतएव प्रत्येक लड़की अपने दूषित अनुभवों को बताने में गर्व का अनुभव करती थी। (Young girls bragged proudly of their perversions to be sixteen and under the suspicion of virginity would have been considered disgrace in any school of Berlin at that time. Every girl wanted to tell of her adventures and the more exotic, the better.)

—Quoted by S. K. Murarjan.

इस प्रकार मुद्रा-स्फीति में यद्यपि ऋणी, उत्पादक तथा व्यापारी वर्ग लाभान्वित होता है, फिर भी विनियोग एव सङ्ग्रहण वर्ग को इससे बहुत अधिक हानि होती है। मुद्रा-स्फीति के कारण इनके विनियोग का वास्तविक मूल्य कम हो जाता है। साथ ही, धर्मिक तथा नौकरी पेशे-वालों को मुद्रा-स्फीति के कारण अधिक कठिनाइयों का सामना करना पडा है। इसमें सन्देह नहीं कि मुद्रा-स्फीति के कारण रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है जिससे अधिक-से-अधिक मात्रा में धर्मियों को रोजगार मिला है, किन्तु फिर भी मुद्रा के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के कारण इनकी वास्तविक आय बहुत कम हो जाती है जिससे इन्हे कठिनाइयों का सामना करना पडता है।

मुद्रा-अवस्फीति के प्रभाव ठीक इसके विपरीत होते हैं। मुद्रा-अवस्फीति मानव समाज के लिए कितना कष्टदायक हो सकता है, यह 1930 ई० एव बाद की भयानक आर्थिक मन्दी से स्पष्ट हो जाता है। मुद्रा-अवस्फीति के समय आर्थिक क्रियाशीलता मन्द पड जाती है और आर्थिक क्रियाशीलता में मन्दी के कारण बहुत-से लोग बेकार पड जाते हैं। तीसरा की भयानक मन्दी के निम्नतम छोर पर समुक्त राज्य अमेरिका में प्रायः 15 करोड़ व्यक्ति बेकार थे। करोड़ों अमेरिका निवासी किसी भी मजदूरी पर काम करने के लिए मारे-मारे फिरते थे जबकि प्रायः सभी व्यावसायिक भावनों में 'No Help Wanted' का बोर्ड टंगा पाते थे। संसार के सभी देशों में प्रायः यह बात थी और, जैसा कि हम जानते हैं बेकारी मानव समुदाय का सबसे बड़ा दुस्मन है। बेकारी के समय उत्पादन कम हो जाता है जिससे लोगों की कार्य-क्षमता घट जाती है। इतना

नहीं, बेकार व्यक्ति देश-द्रोही बनकर देश एवं समाज की हानि भंग कर सकता है। बेकारी के इस आर्थिक परिणाम के अतिरिक्त मुद्रा-अवस्फीति के भयानक राजनीतिक, नैतिक एवं सामाजिक परिणाम भी होते हैं। इहीलिए केन्स (Keynes) ने तो यहाँ तक कहा था कि बेकार व्यक्तियों को यदि समाज उत्पादक कार्य नहीं प्रदान कर सकता है तो अनुवादक कार्य में लगाना भी बेकारी की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। इसलिए उनके विचार में दिन भर गड़बे खोदना तथा सायं काम उसे भर देना, यद्यपि बिल्कुल अनुत्पादक कार्य है, फिर भी बेकारी की तुलना में वही अधिक अच्छा है।

मुद्रा-अवस्फीति का सबसे बुरा परिणाम व्यापारियों तथा किसानों पर पड़ता है। मूल्य-तल में निरन्तर ह्रास के कारण सदा व्यापारियों को हानि की सम्भावना बनी रहती है। इसलिए वे उत्पादन कम अथवा बन्द कर देते हैं। किसान तो इसमें बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। कृषि-पदार्थों के मूल्य में सबसे अधिक एवं शीघ्रता के साथ कमी होती है। इसमें किसानों को सबसे अधिक हानि होती है। श्रमिकों को भी उत्पादन में कमी से बेकारी का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार मुद्रा-अवस्फीति का समाज के विभिन्न वर्गों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। मुद्रा-अवस्फीति के समय देश की राष्ट्रीय आय कम होने लगती है जिससे लोगों की जायिक कठिनाइयाँ बहुत बढ़ जाती हैं।

निष्कर्ष : मुद्रा-स्फीति अन्यायपूर्ण (Inflation is unjust) और मुद्रा-अवस्फीति अयुक्तिसंगत (Deflation is inexpedient) :—उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि मुद्रा-स्फीति एवं अवस्फीति दोनों के अपने-अपने पृथक्-पृथक् गुण एवं दोष हैं। मुद्रा-स्फीति, यानी मूल्य-तल में वृद्धि कुछ व्यक्तियों तथा वर्गों के लिए अन्यायपूर्ण होती है। विनियोगी वर्ग पर इसका विशेष रूप से बुरा प्रभाव पड़ता है, अतएव यह दबत की भावना को समाप्त कर देती है। इन्हीं कारणों से प्रो० वकील (C. N. Vakil) ने मुद्रा-स्फीति की तुलना एक ऐसे डाकू से की है जो अदृश्य (Invisible) होते हुए भी, एक ही समय सम्पूर्ण राष्ट्र को लूटता है।¹ इसके विपरीत मुद्रा-अवस्फीति, यानी मूल्य-तल में कमी से वृत्तिहीनता (unemployment) में वृद्धि होती है तथा औद्योगिक क्रियाशीलता मंद पड़ जाती है। अतएव मन्दी श्रमिकों, व्यापारियों एवं उद्योगपतियों तथा किसानों के लिए अनुपयुक्त सिद्ध होती है। इस प्रकार मुद्रा-स्फीति तथा अवस्फीति दोनों देश की आर्थिक-क्रियाओं के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री केन्स (Keynes) के अनुसार 'यदि मुद्रा-स्फीति अन्यायपूर्ण (unjust) है तो मुद्रा-अवस्फीति अयुक्तिसंगत (inexpedient), किन्तु इन दोनों में मुद्रा-अवस्फीति (Deflation) ही अधिक बुरी है क्योंकि इसमें वृत्तिहीनता (unemployment) में वृद्धि होती है। और आज के युग में वृत्तिहीनता को प्रथम देना विनियोगी वर्ग को नाखुश रखने के बजाय कहीं अधिक बुरा है।' (Thus Inflation is unjust and Deflation is inexpedient. Of the two perhaps deflation is the worse; because it is worse in an impoverished world to provoke unemployment than to disappoint the rentier) किन्तु, इसका अर्थ यह नहीं कि हम इन दोनों में से किसी एक को अच्छा समझते हैं। वास्तव में, दोनों ही वर्तमान आर्थिक व्यवस्था के लिए हानिकारक हैं, अतएव इन्हें दूर करना ही अति उपयुक्त होगा।

1. "Inflation may be compared to robbery. Both deprive the victims of their possession with the difference that the robber is visible, inflation is invisible, the robber's victim may be one or few at a time, the victims of inflation are the whole nation, the robber may be dragged to a court of Law, inflation is legal."—Prof. C. N. Vakil.

अध्याय : 10

मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त

(The Quantity Theory of Money)

प्राक्कथन — पिछले अध्याय में मुद्रा के मूल्य की परिभाषा दी गयी है। यह भी बतलाया गया है कि मुद्रा के मूल्य में समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं जिन्हें हम निर्देशांक (Index Number) की सहायता से माँकते हैं। साथ ही, इस बात की भी व्याख्या की गयी है कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का समाज के विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अतएव अब यहाँ मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए।

परिमाण सिद्धान्त का प्राचीन रूप¹ — मुद्रा के मूल्य निर्धारण के सिद्धान्तों में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धान्त मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त (Quantity Theory of Money) रहा है। इस सिद्धान्त की व्याख्या हम प्राचीन समय में भी पाते हैं। लॉक (Locke)², ह्यूम (Hume) तथा कैंटिलियन (Cantillon) आदि बणिक्वादी (Mercantilist) लेखकों ने सर्वप्रथम इसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या की है। परिमाण सिद्धान्त के प्राचीन रूप के अनुसार मुद्रा का मूल्य मुद्रा के परिमाण पर आधारित था। (The value of money depended upon its quantity or supply) दूसरे शब्दों में, इस सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का एकमात्र कारण मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन था। ह्यूम के अनुसार यदि मुद्रा की मात्रा की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो तो मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन के अनुसार मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होता है। किन्तु इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन के अनुसार मूल्य-तल में सदा आनुपातिक परिवर्तन होता है। यह परिमाण सिद्धान्त का कठोर (Rigid) रूप है।

सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जॉन स्टुअर्ट मिल (J S Mill) ने इस सिद्धान्त की व्याख्या इस प्रकार से की है "अन्य बातों के समान रहने पर, मुद्रा का मूल्य उसकी मात्रा के विपरीत दिशा में परिवर्तित होता है। मुद्रा की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि मुद्रा के मूल्य को उसी अनुपात में घटाती है और मुद्रा की मात्रा की प्रत्येक कमी उसे उसी

1. मुद्रा के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में निम्नलिखित तीन सिद्धान्त दिये गये हैं :-

(क) मुद्रा का वस्तु सिद्धान्त (Commodity theory of Money),

(ख) मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त (Quantity theory of Money),

(ग) आय अथवा बचत एवं निवेश का सिद्धान्त (Income or Saving and Investment Theory)।

मुद्रा के वस्तु सिद्धान्त (Commodity Theory) के अनुसार, मुद्रा का मूल्य उस पदार्थ, जिसकी मुद्रा बनी हुई होती है, के मूल्य के अनुसार निर्दिष्ट होता है। वास्तव में, वस्तु सिद्धान्त की यह मान्यता है कि मुद्रा किसी पदार्थ की बनी हुई होती है और मन्ना की प्रत्येक इकाई का मूल्य उसमें निहित वस्तु के मूल्य पर ही निर्भर करता है। किन्तु जब मुद्रा सोने तथा चाँदी का बनी हुई होती थी तो यह बात निरर्थक ही सत्य थी, किन्तु आज के पत्र मुद्रा के युग में यह बिलकुल अन्वयवाहरिक जान पड़ती है।

2. कुछ लेखकों के अनुसार जान लॉक (John Locke) ने सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से इस सिद्धान्त को ग्राह्यता की थी। किन्तु अन्य अर्थशास्त्री, जिनमें जैकब वाइनर (Jacob Viner) का नाम उल्लेखनीय है, के अनुसार लॉक के पूर्व भी इस सिद्धान्त की व्याख्या कई अर्थशास्त्रियों ने की थी।

अनुपात में बढ़ाती है।" (The value of money, other things being the same, varies inversely as its quantity, every increase of quantity lowers the value and every diminution raising it in ratio exactly equivalent)

किन्तु परिष्कृत रूप में अर्थशास्त्रियों ने परिमाण सिद्धान्त¹ की व्याख्या दो महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोणों से की है —

- (1) आदान-प्रदान दृष्टिकोण (Transaction Approach), जिसके प्रतिपादक प्रो० 'इरविंग फिशर' (Prof Irving Fisher) हैं, तथा
- (2) मुद्रा संचयन दृष्टिकोण (Cash Balance Approach) जिसकी व्याख्या इगलैंड के कुछ सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों—मार्शल, पीगू, केन्स तथा रॉबर्टसन आदि ने की है। इसे परिमाण सिद्धान्त का 'कैम्ब्रिज संस्करण' (Cambridge Version) भी कहते हैं।

सर्वप्रथम परिमाण सिद्धान्त के आदान-प्रदान दृष्टिकोण (Transaction approach) की व्याख्या की जायगी।

परिमाण सिद्धान्त का आदान-प्रदान रूप

(The Transaction Type of Quantity Theory)

किसी वस्तु का मूल्य उस वस्तु की मांग (Demand) एवं पूर्ति (Supply) पर निर्भर करता है। अन्य वस्तुओं की तरह मुद्रा का मूल्य भी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति पर निर्भर करता है। किन्तु इस सम्बन्ध में मुद्रा एवं अन्य वस्तुओं में एक विशेष अन्तर यह है कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन सभी वस्तुओं के मूल्य को प्रभावित करता है। यदि मुद्रा की मांग में पूर्ति की अपेक्षा अधिक वृद्धि हो, तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जायगा, यानी सामान्य मूल्य-तल (General Price-Level) कम हो जायगा। किन्तु इस सिद्धान्त की विस्तारपूर्वक विवेचना के पूर्व मुद्रा की पूर्ति एवं मांग के सम्बन्ध में जानकारी आवश्यक है।

मुद्रा की पूर्ति (Supply of Money) — अब प्रश्न यह है कि मुद्रा की पूर्ति क्या है? किसी विशेष समय में मुद्रा की पूर्ति का तात्पर्य समाज में प्रचलित मुद्रा (Money in circulation) की कुल मात्रा से है। मुद्रा की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि सिक्के एवं कागजी नोटों की ही हम मुद्रा नहीं कहते, बल्कि इससे अन्तर्गत उन सभी पदार्थों को भी रखा जाता है जो लेन देन के भूगतान के रूप में स्वीकार किये जाते हैं। अतएव वर्तमान समय में मुद्रा की पूर्ति (Supply of Money) या मुद्रा के परिमाण (Quantity of money) के अन्तर्गत निम्नलिखित तीन प्रकार की मुद्राओं का समावेश रहता है—(i) सिक्के (Coins), (ii) कागजी नोट (Paper notes), एवं (iii) बैंक जमा (Bank Deposit) केवल चालू जमा (Demand deposit) जिसके आधार पर चेक जारी किये जाते हैं। किन्तु यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि मुद्रा

1 मासिग के अनुसार— Double the quantity of money and other things being equal, prices will be twice as high as before and the value of money one half. Halve the quantity of money and other things being equal, prices will be one half of what they were before and the value of money double" —Tausiug

इसी प्रकार विटसेल के अनुसार—"The value of purchasing power of money varies in inverse proportion to its quantity, so that an increase or decrease in the quantity of money, other things being equal will cause a proportionate decrease or increase in its purchasing power in terms of other goods, and thus a corresponding increase or decrease in all commodity prices"—Wicksell

की पूर्ति के अन्तर्गत किसी विशेष समय में केवल प्रचलन में मुद्रा (Money in circulation) की मात्रा की ही गणना होती है।

यह तो किसी नियत तिथि या समय में मुद्रा की पूर्ति हुई। किन्तु यदि हम किसी दिने हुए समय में, जैसे एक वर्ष में मुद्रा की पूर्ति की जानना चाहते हैं, तो हमें एक नयी बात पर ध्यान देना होगा। हम जानते हैं कि मुद्रा की प्रत्येक इकाई किसी दिने हुए समय में एक से अधिक बार व्यवहृत होती है। सिक्के बैंक नोट एवं बैंक जमा, सभी किसी एक ही वार्षिक को करके एक व्यक्ति के पास टहर नहीं जाने बरन तीव्रता में एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे तथा दूसरे से तीसरे के हाथ में आते-जाते रहते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक रुपये के नोट में 'क' ने चावल खरीदा, उसी का प्रयोग चावल वाले ने गेहूँ खरीदने में किया, गेहूँ वाला उससे साबुन तथा साबुनवाला उससे तेल खरीदता है। इस प्रकार यदि एक रुपये का नोट 20 बार प्रयोग किया जाय, तो वह बीस रुपये का सामान खरीदता है। मुद्रा की एक इकाई औसत रूप से एक दिने हुए समय में बितनी बार व्यवहृत होती है उसे मुद्रा का भ्रमण प्रवाह (Velocity of circulation) कहते हैं। अतएव यदि हम यह जानना चाहें कि कुल अदायगियों में कितनी मुद्रा का प्रयोग हुआ तो उसका जवाब होगा = कुल मुद्रा का योग \times मुद्रा का भ्रमण-प्रवाह। दूसरे शब्दों में, एक दिने समय में, जैसे एक वर्ष में, मुद्रा की कुल पूर्ति बराबर होती है 'कुल मुद्रा के योग \times मुद्रा के भ्रमण-प्रवाह के'। मुद्रा के कुल योग को हम 'M' तथा इसके भ्रमण-प्रवाह को 'V' के द्वारा व्यक्त करते हैं। इस प्रकार किसी दिने गये समय, जैसे एक वर्ष के अन्तर्गत मुद्रा की कुल पूर्ति बराबर है 'MV' के। प्रो० रॉबर्टसन (Robertson) ने पहले प्रकार की मुद्रा की पूर्ति को निष्क्रिय मुद्रा या 'बैठी हुई मुद्रा' (Money Sitting) तथा दूसरे प्रकार की मुद्रा की पूर्ति को 'सक्रिय मुद्रा' या 'उड़ती हुई मुद्रा' (Money on the wings) कहा है।

मुद्रा की माग (Demand for Money)—परिमाण सिद्धान्त के आदान-प्रदान दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा की माग इसलिए की जाती है कि मुद्रा विनिमय के माध्यम (medium of exchange) का कार्य करती है। मुद्रा की कोई स्वीकृत उपयोगिता नहीं है, अतः मुद्रा की माग खास मुद्रा के लिए नहीं की जाती। मुद्रा की माग इसलिए की जाती है कि इसमें आम त्रय-शक्ति (general purchasing power) निहित रहती है, इसका प्रयोग हम दूसरी वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने के लिए करते हैं। अतएव किसी देश में एक निश्चित अवधि के अन्तर्गत मुद्रा की माग वहाँ त्रय की जानेवाली वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा पर निर्भर करती है। इसे त्रय विषय की कुल मात्रा (Total Volume of Transaction) कहा जा सकता है जिसे 'T' के द्वारा हम व्यक्त करेंगे। किन्तु प्रत्येक वस्तु अथवा सेवा का त्रय-विषय एक निश्चित मूल्य पर होता है। अतएव मुद्रा की कुल माग को जानने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मात्रा के साथ-साथ इनके मूल्यों को भी जानना होगा। वस्तुओं तथा सेवाओं के औसत मूल्य को 'P' के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार 'PT' मुद्रा की कुल माग हुई।

मौशर का समीकरण—माग एवं पूर्ति के इस सम्बन्ध को फिशर (Fisher) ने एक समीकरण (equation) के रूप में रखा है। जब कोई वस्तु विक्रीत है, तो उसका विनिमय मुद्रा की कुछ इकाइयों से होता है। अत्र यदि एक वर्ष के अन्दर दिवनेवाली सभी वस्तुओं की एक सूची तैयार की जाय तो यह कहा जा सकता है कि कुल विक्री की हुई वस्तुओं का मूल्य बराबर है उसने बिक्रय में दी गयी कुल मुद्रा के योग के। दूसरे शब्दों में,

दी गयी मुद्रा का कुल योग = बिक्री की गयी वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के योग के ।

दी गयी मुद्रा का कुल योग 'MV' है, तथा बिक्री की गयी वस्तुओं के मूल्य का योग 'PT' है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि—

$$MV = PT$$

यानी, $P = \frac{MV}{T}$

यह प्रो० इरविंग फिशर (Irving Fisher) द्वारा दिया गया समीकरण है जो मुद्रा के मूल्य-निर्धारण के सम्बन्ध में प्रमुल रहा है। उपरोक्त समीकरण में :—

M = समाज में प्रचलित मुद्रा की सम्पूर्ण राशि (Total quantity of money of all kinds in circulation);

V = मुद्रा का भ्रमण-प्रवाह (Velocity of circulation of money), यानी एक दिने हुए समय में औसत रूप से मुद्रा की प्रत्येक इकाई जितनी बार व्यवहृत होती है वह;

P = वस्तुओं एवं सेवाओं का औसत मूल्य (Average price per unit of T), तथा T = क्रय-विक्रय की कुल मात्रा (Total Physical volume of Transactions)।¹

इस प्रकार इस समीकरण के दो अंग हुए। एक अंग सम्पूर्ण मौद्रिक व्यय को बतलाया है जिसे मुद्रा की सम्पूर्ण राशि (Total Quantity of money) में उगके औसत भ्रमण-प्रवाह (Velocity of circulation) से गुणा करने पर प्राप्त किया जाता है। इसे 'MV' के द्वारा व्यक्त किया जाता है। समीकरण का दूसरा अंग कुल क्रय-विक्रय की गयी वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है जिसे T, यानी वस्तुओं की कुल मात्रा (Total physical Volume of Transaction)-को P, यानी इनके औसत मूल्य (Average price per unit of

1. इसे इस प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है—

$$\text{मूल्य-स्तर } (P) = \frac{\text{प्रचलित मुद्रा की कुल राशि } (M) \times \text{मुद्रा का भ्रमण-प्रवाह } (V)}{\text{क्रय-विक्रय की मात्रा } (T)}$$

प्रो० फिशर (Fisher) के इस समीकरण का एक दूसरा समबद्धित रूप भी दिया जाता है जो इस प्रकार से है :—

$$MV + M'V' = PT$$

यानी $P = \frac{MV + M'V'}{T}$

इसमें M = नकद मुद्रा (सिक्के तथा पत्र मुद्रा) की कुल मात्रा,

V = नकद मुद्रा (सिक्के तथा पत्र-मुद्रा) का भ्रमण-प्रवाह,

M' = बैंक जमा ((Bank deposit) या साख-मुद्रा,

V' = इस प्रकार की मुद्रा के भ्रमण-प्रवाह को स्थित करता है;

P = वस्तुओं एवं सेवाओं का औसत मूल्य, तथा

T = क्रय-विक्रय की कुल मात्रा को दिखाता है।

किन्तु सुविधा की दृष्टि से हम M के अन्तर्गत नकद-मुद्रा एवं बैंक जमा दोनों प्रकार की मुद्रा के योग (M + M'), को रख सकते हैं जिसके औसत भ्रमण-प्रवाह को V के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है।

पर प्राप्त किया जाता है। इसे 'P T' के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यद्यपि 'MV = PT' यानी क्रय-विक्रय की जानेवाली वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सम्पूर्ण मौद्रिक व्यय के बराबर है, एक स्वयंसिद्ध (Tru sm) है, फिर भी इसी समीकरण की सहायता से कुछ महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।

मान लिया कि किसी समय में पहले की अपेक्षा मूल्य-तल (P) दुगुना हो गया है तो इस समीकरण के अनुसार इसके तीन में से कोई एक या संयुक्त रूप से तीनों कारण अवश्य होंगे —

- (क) या तो मुद्रा का परिमाण अवश्य ही दुगुना हो गया होगा (The quantity of money must have doubled),
- (ख) या भ्रमण-प्रवाह दुगुना हो गया होगा (The velocity of circulation must have doubled),
- (ग) या लेन-देन का परिमाण आधा हो गया होगा (The physical volume of transaction must have been halved)।

इस प्रकार यह समीकरण यह बतलाना है कि मूल्य-तल (P) एवं मुद्रा का परिमाण (M) तथा इसके भ्रमण-प्रवाह (V) एक ही दिशा में बदलते हैं। अन्य बातों के यथावत् रहने पर, यदि M अथवा V में वृद्धि होगी तो P में भी वृद्धि होगी। इसके विपरीत मूल्य-तल (P) एवं लेन-देन के परिमाण (T) विपरीत दिशा में बदलते हैं। अन्य बातों के यथावत् रहने पर यदि T बढ़ जाता है तो P अवश्य कम हो जायगा। दूसरे शब्दों में, "यह कहा जा सकता है कि मूल्य-तल (P) में मुद्रा (M) एवं इसके भ्रमण-प्रवाह (V) से सीधा तथा लेन-देन के कुल परिमाण (T) के विपरीत सम्बन्ध है।" [The general level of prices (P) varies directly with the quantity of money (M) and its velocity of circulation (V) and inversely with the volume of goods and services (T) to be purchased with it.]

फिशर के समीकरण की मान्यताएँ

(Assumptions)

किन्तु, प्रो० फिशर का यह सिद्धान्त कुछ मान्यताओं पर आधारित है जिनमें निम्नांकित उल्लेखनीय हैं —

(1) अल्पकाल में 'T' एवं 'V' स्थायी रहते हैं — सर्वप्रथम मान्यता या यह है कि प्रो० फिशर (Fisher) के अनुसार 'T' एवं 'V' अल्पकाल में प्रायः स्थायी (Constant) रहते हैं। 'T' मुख्यतः उत्पादन के परिमाण पर निर्भर करता है। किन्तु उत्पादन के परिमाण में अल्पकाल में बहुत कम परिवर्तन होता है। इसका कारण यह है कि उत्पादन के परिमाण में वृद्धि उत्पादन के तरीकों में सुधार, नये-नये आविष्कार एवं उत्पादन के साधनों की कार्य-कुशलता में वृद्धि आदि पर निर्भर करती है जिनमें अल्पकाल में प्रायः कोई परिवर्तन नहीं होता। अतएव प्रो० इरविंग फिशर (Irving Fisher) ने यह मान लिया है कि अल्पकाल में 'T' प्रायः स्थायी (constant) रहता है।

इसी प्रकार 'V', यानी मुद्रा का भ्रमण-प्रवाह भी अल्पकाल में प्रायः स्थायी रहता है। मुद्रा का भ्रमण-प्रवाह कुछ संस्थागत कारणों (Institutional factors), जैसे लोगों की व्यावसायिक एवं मौद्रिक आदतों (Business and monetary habits) देश, का आर्थिक विकास, जनसंख्या, लोगों की अभिरुचियों तथा बैंकिंग की सुविधा आदि पर निर्भर करता है। अल्पकाल

में इन सभी बातों में प्रायः कोई परिवर्तन नहीं होता। अतएव फिशर के इसी आधार यह मान लिया है कि 'V' अल्पकाल में प्रायः स्थायी (constant) रहता है।

इस प्रकार प्रो. फिशर (Fisher) के अनुसार 'V' एवं 'T' अल्पकाल में प्रायः स्थायी रहते हैं।

(ii) 'M', 'V' एवं 'T' स्वतन्त्र इकाइयाँ हैं —साथ ही, फिशर ने यह भी मान लिया है कि 'M', 'V' एवं 'T' स्वतन्त्र इकाइयाँ (Independent variables) हैं यानी एक का दूसरे पर प्रायः कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिशर के अनुसार M भी एक स्वतन्त्र इकाई है। इस पर दूसरे में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

(iii) मूल्य-स्तर, यानी 'P' एक निष्क्रिय शक्ति (Passive element) है —इस सिद्धांत की एक अन्य मान्यता यह भी है कि मूल्य-स्तर P एक निष्क्रिय शक्ति है—अर्थात् मुद्रा की मात्रा एवं अन्य तत्वों की मात्रा में परिवर्तन का मूल्य स्तर पर तो प्रभाव पड़ता है, किन्तु मूल्य-स्तर में परिवर्तन का मुद्रा की मात्रा एवं अन्य तत्वों पर प्रायः कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिशर इस बात को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि "समीकरण में मूल्य-स्तर सामान्यतः एक निष्पक्ष तथा निष्क्रिय तत्व है यह स्वयं समीकरण के दूसरे तत्वों से निर्धारित होता है किन्तु दूसरे तत्वों पर अपना कोई प्रभाव नहीं डालता।" (The price-level is normally the one absolutely passive element in the equation of exchange, It is controlled solely by the other elements and causes antecedents of them, but exerts no control over them)¹


(iv) बैंक जमा (M) तथा मुद्रा की मात्रा (M) में एक निश्चित सम्बन्ध होता है —फिशर के अनुसार उद्योग वस्तुओं के विकास की दृष्टि में बैंक जमा, यानी M तथा प्रचलन में मुद्रा की मात्रा, यानी M का सदा एक निश्चित अनुपात होता है।

इस प्रकार V एवं T को अल्पकाल में अपरिवर्तनीय, निश्चित एवं समान मानकर फिशर मुद्रा की मात्रा (M) एवं मूल्य तल (P) के बीच एक प्रकार का सीधा एवं आनुपातिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं। अतः फिशर (Fisher) का यह निष्कर्ष है कि 'P' यानी मूल्य तल में परिवर्तन मुद्रा के परिमाण (M) के परिवर्तन का परिणाम है। दूसरे शब्दों में, 'M' में परिवर्तन 'P' को प्रभावित करते हैं। इससे स्पष्ट है कि मुद्रा के परिमाण (M) में परिवर्तन के परिणाम-स्वरूप मूल्य-तल (Price-level) में सीधा आनुपातिक (Directly proportional) तथा मुद्रा के मूल्य (Value of money) में प्रतिअनुपाती (Inversely Proportional) परिवर्तन होता है। मूल्य-तल (P) एवं मुद्रा की मात्रा (M) के सम्बन्ध की व्याख्या करते हुए स्वयं प्रो. फिशर लिखते हैं कि 'मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने का एक सामान्य प्रभाव यह होता है कि सामान्य मूल्य स्तर में भी ठीक उसी अनुपात में वृद्धि हो जाती है। परिमाण सिद्धांत के इस सत्य में कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन समान परिस्थितियों में, मूल्यों में आनुपातिक परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, किसी प्रकार रूकावट व बाधा नहीं उत्पन्न होती है।' [One of the normal effects of an increase in the quantity of money is an exactly proportional increase in the level of prices. We find nothing to interfere with the truth of the quantity theory that variations in money (M) produce normally proportional changes in prices.]²

1 Irving Fisher—The Purchasing Power of Money, p 172

2 Irving Fisher—The Purchasing Power of Money

चित्र द्वारा स्पष्टीकरण :- मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त, जो कि मुद्रा की मात्रा एवं सामान्य मूल्य-तल में प्रत्यक्ष व आनुपातिक सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास करता है, को निम्नांकित रेखा-चित्र से अधिक स्पष्ट किया जा सकता है ।-



निम्नांकित चित्र में मुद्रा की मात्रा, जो समाज में प्रचलन में है (M) को अ म रेखा पर तथा सामान्य मूल्य-तल (P) को अ प रेखा पर दिखाया गया है। जब चलन में मुद्रा की मात्रा अ म¹ रहती है तो मूल्य-तल अ प¹ हो जाता है। जब मुद्रा की मात्रा अ म¹ से बढ़कर अ म² हो जाती है, तो मूल्य-तल अ प¹ से बढ़कर अ प² हो जाता है। यहाँ पर अ प¹ एवं अ प² में ठीक वही सम्बन्ध है जो अ म¹ एवं अ म² में है, यानी यदि अ म², अ म¹ का दुगुना है, तो अ प² भी अ प¹ का दुगुना होगा। इसी प्रकार यदि मुद्रा की मात्रा अ म¹ से घट कर अ म³ हो जाती है, तो मूल्य-तल भी घटकर अ प¹ से अ प³ हो जाता है, अर्थात् जब मुद्रा की मात्रा पहले से घट कर आधी हो जाती है तो मूल्य-तल भी आधा हो जाता है। चित्र में क, ख एवं ग बिन्दुओं को मिला देने से P M रेखा प्राप्त होती है जो कि मुद्रा की मात्रा एवं मूल्य तल में सीधा एवं आनुपातिक सम्बन्ध को व्यक्त करती है।

इस प्रकार फिशर का समीकरण विश्लेषण का एक अक्षर है। इस समीकरण के अनुसार मूल्य-तल (P) के तीन प्रत्यक्ष अथवा तात्कालिक निर्धारक तत्व हैं—M, V एवं T। मूल्य-तल (P) M एवं V के साथ एक दिशा में तथा T के साथ विपरीत दिशा में बदलता है। किन्तु मूल्य-तल के ये तीनों निर्धारक तत्व स्वयं बहुत-सी शक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं। वास्तव में, ये ही शक्तियाँ मुद्रा के मूल्य के निर्धारण में भी कार्य करती हैं। अतएव कहा जाता है कि "मुद्रा के मूल्य के वास्तविक निर्धारक तत्व इस समीकरण में नहीं बरन् इसके पीछे पाये जाते हैं।" (The ultimate determinants of the value of money are to be found behind the equation of exchange and not in it) किन्तु यदि हम इन सभी शक्तियों अथवा तत्वों का पृथक् पृथक् रूप से विवेचन करने लगे तो विश्लेषण अत्यन्त ही जटिल हो जायगा। अतएव, फिशर के समीकरण का महत्त्व इस बात में है कि यह मुद्रा के मूल्य को निर्धारित करने वाली शक्तियों को हमारे समक्ष कुछ इकाइयों के रूप में व्यक्त करता है। किन्तु, फिर भी इन इकाइयों के पीछे कार्य करनेवाली शक्तियों अथवा तत्वों का सक्षिप्त विवेचन अधिक लाभदायक सिद्ध होगा।

M, यानी मुद्रा की पूर्ति के निर्धारक तत्त्व

(Determinants of M, the Money Supply)

आधुनिक समय में 'M', यानी मुद्रा की कुल मात्रा के दो निर्मायक तत्त्व हैं—(1) राजकीय मुद्रा, यानी सिक्के तथा पत्र मुद्रा जो प्रचलन में रहते हैं, और (2) बैंक जमा (केवल चालू जमा जिमें पर चेक जारी किये जा सकते हैं)। इन दोनों की संयुक्त राशि ही किसी समय में किसी देश की मुद्रा की कुल पूर्ति कहलाती है।

अब इस मुद्रा की पूर्ति (M) के निम्नलिखित प्रमुख निर्धारक तत्त्व हैं —

- (i) मौद्रिक आधार का आकार (The size of the monetary base),
- (ii) नकद मुद्रा एवं चालू जमा जो समाज अपने पास रखना चाहता है, तथा
- (iii) बैंक के जमा एवं नकद कोष का अनुपात।

मुद्रा की पूर्ति के निर्धारक तत्त्वों में मौद्रिक आधार का आकार अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हम देख चुके हैं कि किसी देश का मौद्रिक संगठन एक उलट कर रहे हुए पिरामिड (inverted pyramid) के आकार का होता है जो बहुत ही नाजुक मौद्रिक आधार पर अवलम्बित रहता है। इस मौद्रिक आधार का निर्माण बहुमूल्य धातुओं से होता है जिसमें स्वर्ण का स्थान प्रधान होता है। स्वर्ण की मात्रा में वृद्धि होने से सम्पूर्ण मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है। आधुनिक समय में राजकीय मुद्रा के अन्तर्गत पत्र-मुद्रा की ही प्रधानता रहती है और पत्र-मुद्रा की मात्रा स्वर्ण आदि बहुमूल्य धातुओं से घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित रहती है। इस प्रकार स्वर्ण की मात्रा बढ़ने से पत्र-मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है और पत्र-मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से व्यावसायिक बैंकों के नकद कोष में भी वृद्धि होती है जिससे बैंक मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है।

किन्तु मुद्रा की पूर्ति तथा मौद्रिक आधार में कोई निश्चित आनुपातिक सम्बन्ध नहीं स्थापित किया जा सकता। वास्तव में, इनका सम्बन्ध इस बात पर निर्भर करता है कि समाज अपनी आय का कौन सा भाग नकद मुद्रा के रूप में तथा कौन-सा भाग चालू जमा के रूप में रखना चाहता है तथा बैंक जमा एवं नकद कोष का अनुपात क्या है। जिस समाज में नकद भुगतान की अपेक्षा चेक के द्वारा भुगतान की प्रधानता रहती है, वहाँ पर एक दिये हुए मौद्रिक आधार पर मुद्रा की पूर्ति अधिक होती है। इसका कारण स्पष्ट है। यदि नकद मुद्रा के रूप में एक रुपये का प्रयोग किया जाता है तो यह एक रुपये का कार्य करता है, किन्तु यदि एक रुपये को बैंक में जमा कर दिया जाता है तो बैंक इसके आधार पर कई रुपये का, साधारणतया 8 से 10 गुना तक, बैंक-मुद्रा का सृजन करता है। अतएव यदि लोग अपनी मुद्रा का अधिकांश भाग बैंक-जमा के रूप में रखना चाहते हैं तो इससे बैंकों के नकद कोष के परिमाण में भी वृद्धि होती है जिससे वे अधिक मात्रा में जमा का सृजन कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि लोग अपनी मुद्रा का अधिकांश भाग अपने पास नकद मुद्रा के रूप में धारण करना चाहते हैं तो इससे बैंकों के पास नकद मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है जिससे वे कम ही परिमाण में जमा का सृजन कर सकते हैं।

मुद्रा के परिमाण का एक प्रधान निर्धारक तत्त्व बैंकों के जमा तथा नकद कोष का अनुपात (height of the ratio between bank reserves and deposits) भी है। यदि यह अनुपात अधिक है तो बैंक एक दिये नकद कोष के आधार पर कम ही मात्रा में जमा का सृजन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि यह अनुपात 10 प्रतिशत है तो एक रुपये का 10 रुपये के बैंक जमा के आधार का कार्य कर सकता है। बैंक मुद्रा एवं नकद कोष का यह अनुपात भारत तथा संयुक्त

राज्य अमेरिका में विधान के द्वारा निश्चित होता है, किन्तु इंग्लैंड जैसे अन्य देशों में यह रिवाज द्वारा निश्चित होता है।

इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति उपरोक्त सभी तथ्यों द्वारा निर्धारित होती है। किन्तु इनके अतिरिक्त आधुनिक समय में मुद्रा की पूर्ति के निर्धारक तत्वों में सरकार की मौद्रिक तथा राजस्व नीति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उदाहरण के लिए, मदी के समय में देश की आर्थिक व्यवस्था में विश्वास की सृष्टि के लिए सस्ती मुद्रा नीति (cheap money policy) को अपनाया जाता है। साथ ही, सरकार ऐसे समय में स्वयं अपने खर्च को बढ़ा देती है और इस बड़े हुए खर्च की पूर्ति बैंक तथा अन्य संस्थाओं से ऋण लेकर की जाती है। इसके विपरीत, मुद्रा-स्फीति में जब मुद्रा का प्रसार बहुत अधिक हो जाता है तो मौद्रिक एवं राजस्व नीति के सम्मिलित प्रयोग द्वारा इसे रोकने का प्रयास किया जाता है। ऐसे समय में मौद्रिक नीति के आधार पर व्याज की दर को बढ़ाकर मुद्रा की माँग को कम करने का प्रयास किया जाता है तथा राजस्व के नीति के द्वारा नये-नये करों को लगाकर अतिरिक्त श्रय-शक्ति को बाजार में पहुँचाने के पूर्व ही आर्थिक व्यवस्था से खींच लिया जाता है। इससे स्पष्ट है कि मुद्रा के परिमाण पर मौद्रिक नीति एवं राजस्व नीति का भी प्रभाव पड़ता है।

मुद्रा के भ्रमण-प्रवाह (v) के निर्धारक तत्व

(Determinants of the Velocity of Circulation of Money)

किसी दिये हुए समय में मुद्रा की कुल पूर्ति को जानने के लिए चलन में मुद्रा की कुल मात्रा, यानी M में उसके भ्रमण-प्रवाह, यानी V से गुणा करना पड़ता है। V, यानी मुद्रा का भ्रमण-प्रवाह निम्न बातों पर निर्भर करता है :—

1. देश में साख एवं वित्तीय व्यवस्था का विकास,
2. समाज में बचत तथा उपभोग की स्थिति,
3. समाज में भ्रूगतान की प्रणाली;
4. आय पाने तथा व्यय करने के समय के बीच का अन्तर, तथा
5. भविष्य की आय एवं मूल्य के सम्बन्ध में अनुमान।

मुद्रा का भ्रमण-प्रवाह मुख्य रूप से समाज में साख एवं वित्तीय व्यवस्था के विकास तथा जनता द्वारा इनके प्रयोग पर निर्भर करता है। जिन देशों में पर्याप्त मात्रा में साख एवं वित्तीय व्यवस्था का विकास नहीं हुआ रहता है, वहाँ लोग अपनी बचत को बैंक अथवा अन्य साधनों में विनियोग करने के बजाय मुख्यतः अपने पास नकद मुद्रा के रूप में ही रखते हैं। साथ ही, इन प्रकार के समाज में ऋण आदि प्राप्त करने की कठिनाइयों के कारण भविष्य की अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए लोग अधिक मात्रा में संचित करके रखना चाहते हैं। इन कारणों से इस प्रकार के समाज में मुद्रा का भ्रमण-प्रवाह बहुत कम होता है। इसके विपरीत अत्यधिक विकसित साख एवं वित्तीय व्यवस्थावाले देशों में मुद्रा का भ्रमण-प्रवाह अत्यधिक होता है क्योंकि विकसित साख एवं वित्तीय-व्यवस्था के कारण लोग अपनी अतिरिक्त मुद्रा को अपने पास संचित कर रखने के बजाय विनियोग करना ही अधिक लाभप्रद समझते हैं।

समाज में लोगों की बचत तथा उपभोग की स्थिति भी मुद्रा के भ्रमण-प्रवाह को प्रभावित करती है। एक विकसित साख एवं वित्तीय व्यवस्था वाले देश में लोग यदि अधिक मात्रा में बचते हैं तो मुद्रा को संचित करके रखते हैं जिससे इसका भ्रमण-प्रवाह कम होता है। इसके

विपरीत यदि लोग अपनी आय का अधिकांश भाग उपभोग पर व्यय करते हैं, तो इससे मुद्रा का भ्रमण-प्रवाह अपेक्षाकृत अधिक होता है।

मुद्रा का भ्रमण-प्रवाह समाज में भुगतान की प्रणाली पर भी निर्भर करता है। यदि लोगो को उनके कार्य के लिए दैनिक मजदूरी दी जाती है, तो वे इसका उपयोग प्रतिदिन अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदने में करते हैं जिससे मुद्रा का भ्रमण-प्रवाह अधिक होता है। किन्तु जब भुगतान साप्ताहिक होता है, तो भ्रमण-प्रवाह पहले की अपेक्षा कम होता है और इसके विपरीत यदि भुगतान मासिक अथवा वार्षिक होता है, तो मुद्रा का भ्रमण प्रवाह और भी कम होता है क्योंकि आय पाने तथा उसे व्यय करने के समय में बहुत अधिक अन्तर होता है जिससे क्रय शक्ति के रूप में लोगो को अपने पास अधिक मात्रा में मुद्रा का संचय करना पड़ता है।

मुद्रा का भ्रमण-प्रवाह भविष्य की आय तथा मूल्य के सम्बन्ध में लोगो के अनुमान पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि लोग कुछ कारणों से ऐसा अनुभव करते हैं कि भविष्य में उनकी आय में वृद्धि होगी तथा मूल्य-तल भी बढ़ेगा, तो मुद्रा का भ्रमण-प्रवाह अधिक होगा क्योंकि ऐसे आशावाद के समय में लोग अपनी आय को नकद मुद्रा के रूप में संचित करने के बजाय उसे शीघ्रातिशीघ्र खर्च करना ही अधिक उपयुक्त समझते हैं। इसके विपरीत यदि लोग किसी कारणवश ऐसा समझते हैं कि भविष्य में उनकी आय में कमी होगी अथवा मूल्य-तल में ह्रास होगा, तो मुद्रा का भ्रमण-प्रवाह कम हो जायगा क्योंकि ऐसी स्थिति में लोग अपनी सम्पूर्ण आय को खर्च करने के बजाय उसका अधिकांश भाग नकद मुद्रा के रूप में संचित करना ही अधिक उचित समझते हैं। इस प्रकार भविष्य के सम्बन्ध में लोगो के अनुमान भी मुद्रा के भ्रमण-प्रवाह को अधिक प्रवाहित करते हैं।

क्रय-विक्रय (T) के परिमाण के निर्धारक तत्त्व

(Determinants of T, the Physical Volume of Trade)

इस प्रकार किसी विशेष समय में किसी देश का कुल मौद्रिक व्यय M एवं V के अनुसार बदलता है। किन्तु मूल्य-तल (P) केवल निरपेक्ष रूप से कुल व्यय द्वारा ही प्रभावित नहीं होता, वरन् सम्पूर्ण मौद्रिक व्यय तथा कुल क्रय-विक्रय के परिमाण के सम्बन्ध पर निर्भर करता है। अतएव मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करने वाला तीसरा प्रधान तत्त्व क्रय-विक्रय का परिमाण (T) है।

अब स्वयं क्रय-विक्रय का परिमाण निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है —

1. वस्तुओं तथा सेवाओं के सभावित उत्पादन को निश्चित करने वाले तत्त्व :-

(क) जनसंख्या का आकार, उसका स्वास्थ्य एवं उसकी उत्पादन क्षमता,

(ख) देश का क्षेत्रफल तथा प्राकृतिक साधनों की स्थिति,

(ग) पूंजीगत वस्तुओं की पूर्ति, तथा

(घ) वैज्ञानिक अनुभव एवं ज्ञान।

2 उत्पादन के साधनों के रोजगार की स्थिति,

3. चालू वस्तुओं तथा सेवाओं के हस्तान्तरित होने की संख्या—

(क) विशिष्टीकरण की मात्रा।

(ख) व्यवसाय का ढाँचा।

4 वस्तु-विनिमय की स्थिति।

किसी देश में वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा उस देश की उत्पादन-क्षमता पर निर्भर करती

है और उत्पादन क्षमता वहाँ पर उत्पादन के साधनों, यानी श्रम, प्राकृतिक साधन, पूँजी तथा व्यवस्था की मात्रा एवं गुण आदि पर निर्भर करती है। जहाँ पर ये साधन अधिन मात्रा में उपलब्ध होंगे, वहाँ पर वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा भी अधिक होगी। जिस देश की जनसंख्या, विशेषतः कार्यशील जनसंख्या, जितनी ही अधिक होगी तथा उसका स्वास्थ्य जितना ही अच्छा होगा उस देश की उत्पादन-शक्ति उतनी ही अधिक होगी। इसी प्रकार उत्पादन क्षमता देश के भौगोलिक क्षेत्रफल तथा प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता पर भी निर्भर करती है। साथ ही, पूँजी तथा वैज्ञानिक ज्ञान आदि भी उत्पादन-क्षमता को प्रभावित करते हैं।

किन्तु किसी देश में उत्पादन की मात्रा केवल उत्पादन के साधनों के परिमाण पर ही निर्भर नहीं करती; बल्कि इन साधनों के उचित उपयोग पर भी निर्भर करती है। यदि किसी देश के पास प्राकृतिक साधनों तथा जनसंख्या की प्रचुरता हो, फिर भी यदि इन्हें उचित कार्य में नहीं लगाया जाय तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं हो सकता। अतएव उत्पादन के परिमाण को निश्चित करने में साधनों के प्रयोग अथवा रोजगार की स्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, किसी देश में मन्दों में बहुत से साधन बेकार हो जाते हैं जिससे उत्पादन कम हो जाता है। इसके विपरीत तेजी के समय में साधनों के रोजगार की स्थिति में बहुत कुद्द सुधार हो जाता है जिससे उत्पादन की मात्रा भी बढ़ जाती है।

परन्तु किसी देश में क्रय-विक्रय का परिमाण केवल उत्पादन के परिमाण पर ही नहीं; बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि उत्पादित वस्तु की इकाई अन्तिम उपभोग के पूर्व कितनी बार हस्तांतरित होती है। वास्तव में, यह दो बातों पर निर्भर करता है—विशिष्टीकरण की स्थिति तथा व्यावसायिक संगठन का ढाँचा। विशिष्टीकरण अधिक होने से प्रत्येक व्यक्ति किसी सम्पूर्ण वस्तु का उत्पादन नहीं करके उस वस्तु की केवल एक छोटी इकाई का ही उत्पादन करता है, जिससे वस्तुओं का विनिमय अधिक होता है और विशिष्टीकरण की प्रचुरता उसी स्थिति में होती है जबकि देश की आर्थिक व्यवस्था प्रतियोगिता के आधार पर संगठित हो क्योंकि ऐसी स्थिति में अत्यधिक संख्या में फर्म उत्पादन तथा व्यापार करते हैं। इससे क्रय-विक्रय यानी व्यापार का परिमाण भी अधिक होता है। इसके विपरीत, एकाधिकार के अन्तर्गत फर्मों की संख्या कम रहती है जिससे व्यापार का परिमाण भी कम होता है।

क्रय-विक्रय अथवा व्यापार के परिमाण को प्रभावित करनेवाला अन्तिम तथ्य वस्तु-विनिमय की स्थिति है। आधुनिक समाज में भी, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में एक निश्चित सीमा के अन्तर्गत वस्तु-विनिमय का प्रचलन पाया जाता है। जिस समाज में वस्तु-विनिमय की जितनी ही अधिक प्रधानता होगी, वहाँ मुद्रा के द्वारा क्रय-विक्रय का परिमाण उतना ही कम होगा।

फिशर के सिद्धान्त की आलोचनाएँ

(Criticisms of Fisher's Theory)

किन्तु आधुनिक अर्थशास्त्री न तो मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की सत्यता में विश्वास करते हैं, न उसकी व्यावहारिक उपयोगिता में ही। वास्तव में, आजकल इस सिद्धान्त की विभिन्न आलोचनाएँ दी जाती हैं जिनमें निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं—

1. अवास्तविक मान्यताएँ :—सर्वप्रथम फिशर (Fisher) का सिद्धान्त कई अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। इनमें पहली मान्यता यह है कि अल्पकाल में 'V' एवं 'T' में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी अल्पकाल में ये प्रायः स्थायी रहते हैं। किन्तु ऐसा कहना युक्ति-

सगत नहीं है। आलोचकों के अनुसार 'V' एवं 'T' में केवल दीर्घकाल में ही नहीं, वरन् अल्प-काल में भी परिवर्तन होता है तथा इनमें परिवर्तन का प्रभाव मूल्य-तल (P) पर भी पड़ता है। तेजी के समय मुद्रा का भ्रमण-प्रवाह (Velocity of Circulation) बहुत बढ़ जाता है तथा मन्दी के समय घट जाता है। उदाहरण के लिए, 1923-24 ई० में जर्मनी की मुद्रा मार्क का भ्रमण-प्रवाह साधारण काल की अपेक्षा कई गुना अधिक हो गया था। जर्मनी में उस समय मूल्य-स्तर मुद्रा के पूर्व की अपेक्षा कई लाख गुना बढ़ गया था। यद्यपि मूल्य-तल में इस अतिथय वृद्धि का कारण मुद्रा की मात्रा में वृद्धि था, किन्तु इसमें भी बड़ा कारण मुद्रा के भ्रमण-प्रवाह में अत्यधिक वृद्धि थी। जर्मन मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी के साथ कम हो रहा था, अतएव प्रत्येक व्यक्ति मार्क को यथासक्ति दीर्घ खर्च कर उससे मुक्ति प्राप्त करना चाहता था। इसी प्रकार साधारणतः अधिकांश मन्दी का कारण मुद्रा की मात्रा में कमी नहीं हाकर भ्रमण-प्रवाह में ही कमी होती है। 'T' में भी इस तरह परिवर्तन होते रहता है। महीने के समय औद्योगिक क्रियाशीलता बढ़ जाती है जिससे लेन देन के परिमाण (volume of transactions) में भी वृद्धि होती तथा मन्दी के समय औद्योगिक क्रियाशीलता में कमी होने के कारण इसमें कमी आ जाती है।

परिमाण सिद्धान्त की दूसरी मान्यता यह है कि M, V, एवं T, तीनों स्वतन्त्र इकाइयाँ (Independent variables) हैं, यानी एक का दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना। परन्तु यह मान्यता भी वृष्टिपूर्ण है। वास्तव में, ये बिल्कुल स्वतन्त्र इकाइयाँ हैं। इनमें से एक में परिवर्तन का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। उदाहरणार्थ, यदि M को बढ़ा दिया जाय तो इससे V एवं T अवश्य ही प्रभावित होंगे। इस प्रकार यह कहना कि M, V एवं T एक दूसरे से स्वतन्त्र इकाइयाँ (Independent variables) हैं, युक्तिसंगत नहीं है।

2 परिमाण सिद्धान्त यह नहीं स्पष्ट करता कि M में परिवर्तन का P पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है — परिमाण सिद्धान्त की एक प्रमुख आलोचना यह है कि यह मूल्य-तल में परिवर्तन की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप में नहीं बतलाता है। यह केवल मुद्रा के परिमाण एवं मूल्य तल के पारस्परिक सम्बन्ध का उल्लेख करता है, किन्तु यह नहीं बतलाता कि मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन का मूल्य-तल पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। केन्स (Keynes) आदि अर्थशास्त्रियों ने इसके चलते इस सिद्धान्त की कड़ी आलोचना की है। केन्स के अनुसार "मौद्रिक सिद्धान्तों की स्वाभाविक समस्या द्रव्य की कुल मात्रा एवं इसके बदले में मिलनेवाली वस्तुओं में केवल स्थायी समीकरण स्थापित करना ही नहीं है, बरन इस प्रकार के सिद्धान्त का मुख्य कार्य तो इस समस्या के विभिन्न तरयों की इस प्रकार से व्याख्या करना है जिससे कि मूल्य-तल के निर्धारण के सम्पूर्ण कारण स्पष्ट हो जायें।" इस सम्बन्ध में एक अन्य विद्वान् का यह कथन निश्चय ही सत्य है कि "It does not throw light on the route by which money comes to influence the price level"

3 मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त व्यवसाय चक्र के कारणों की सम्यक् रूप से व्याख्या नहीं करता (The Quantity Theory is an imperfect guide to the causes of Trade cycle) — मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि यह व्यवसाय चक्र के कारणों की सम्यक् रूप से व्याख्या नहीं करता। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार, जिसमें हाट्ट्रे (Hawtrey) आदि प्रमुख हैं, व्यवसाय चक्र एक विगुप्त मौद्रिक तत्त्व है। (Trade cycle is a purely monetary phenomenon) इनके अनुसार मुद्रा के परिमाण में वृद्धि के परिणाम-स्वरूप तेजी (Boom) तथा कर्मा के परिणामस्वरूप मन्दी (Slump) का सृजन होता है। किन्तु आधुनिक समय में व्यवसाय-चक्र को केवल मौद्रिक तत्त्व ही नहीं समझा जा सकता। मन्दी एवं

तेजी के कारणों के विद्वलेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल मुद्रा प्रसार से ही तेजी एव मुद्रा-सकुचन से ही मदी का सजन नहीं होता ।

तेजी एव मन्दी के कारणों के विद्वलेषण से यह स्पष्ट होता है कि तेजी आरम्भ होने के पहले समाज में लोगों के भविष्य के सम्बन्ध में अनुमान (future expectations) ही बस जाते हैं। उदाहरण के लिए तेजी के समय भविष्य अधिक आशावादी जान पड़ने लगता है जिससे उत्पादक अत्यधिक लाभ की आशा करने लगते हैं। फलस्वरूप उत्पादन, रोजी एव आय में वृद्धि होती है। इन सबके सम्मिलित प्रभाव के फलस्वरूप मूल्य में भी वृद्धि होने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इससे समाज में औद्योगिक क्रियाशीलता बढ़ जाती है जिसे कायम रखने के लिए बैंक अतिरिक्त मुद्रा का सजन करते हैं। अतएव इससे स्पष्ट है कि मुद्रा के परिमाण में वृद्धि तेजी का कारण नहीं, वरन् इसका परिणाम है। इसलिए फ्राउथर ने मुद्रा की तुलना ग्रामोफोन के गवर्नर से की है। गवर्नर का कार्य ग्रामोफोन की चाल को बढ़ाना या घटाना है, चाल की सृष्टि करना नहीं। चाल की सृष्टि करना स्प्रिंग का कार्य है। (It is not the governor of the gramophone but the spring that causes the actual movement) यदि गवर्नर को 78 प्रति मिनट के सवेत वाले स्थान पर रख दें तो ग्रामोफोन का प्लेट इसमें अधिक नहीं घूम सकता। किन्तु प्लेट को चलानेवाला गवर्नर नहीं वरन् स्प्रिंग है। यदि स्प्रिंग को लपेटा न जाय तो गवर्नर को चाहे 80 पर भी बंधो न रहें परन्तु प्लेट नहीं घुमेगा। अधिक व्यवस्था में मुद्रा का भी ठीक वही स्थान है। मुद्रा तेजी (Boom) की सृष्टि नहीं कर सकती यद्यपि यह इसकी गति को नियन्त्रित करती है। यदि बैंक अतिरिक्त मुद्रा का सजन करना बन्द कर दें तो तेजी समाप्त हो सकती है, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि अधिक मुद्रा की सृष्टि के द्वारा ये तेजी आरम्भ कर सकते हैं। तेजी (Boom) वास्तव में आय एव रोजगारी में वृद्धि के परिणामस्वरूप ही होती है।

इसी प्रकार मदी की सृष्टि भी मुद्रा के परिमाण को घटा कर नहीं की जा सकती है। यदि इस प्रकार की बात होती तो मदी (Slump) का निराकरण भी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करके सुगमतापूर्वक किया जा सकता था। किन्तु प्रायः ऐसा नहीं होता। 1929-33 ई० की भयानक आर्थिक मदी में अधिकांश देशों की सरकारों ने मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए सस्ती मुद्रा नीति (Cheap money policy) को अपनाया किन्तु इसका तत्कालीन परिणाम कुछ भी नहीं हुआ। अमेरिका की सरकार ने मदी के निराकरण के लिए बैंकों के नकद कोष के आधार को बहुत अधिक बढ़ा दिया था, किन्तु इसका मूल्य स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पुनरुत्थान वास्तव में बहुत समय बाद में आरम्भ हुआ जिसमें पुनः सशस्त्रीकरण का सर्वाधिक प्रमुख हाथ था। इससे मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की सीमा स्पष्ट हो जाती है। उक्त मन्दी में अमेरिका की सरकार ने मुद्रा की पूर्ति को बहुत बढ़ाया। किन्तु जिस अनुपात में मुद्रा का परिमाण (M) बढ़ाया जाता था इसका भ्रमण-प्रभाव (Velocity of circulation), यानी 'V' उतना ही कम होते जाता था। इसका कारण यह था कि समाज में अतिरिक्त मुद्रा की मात्रा का सर्वथा अभाव था। अतएव बहुत सी मुद्रा योही बैंकों के पास बेकार पटी रहती थी। जमता इस बड़ी हुई मुद्रा को प्रयोग में लाना नहीं चाहती थी। वास्तव में, सरकार अथवा भौद्रिक अधिकारी केवल मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा सकते हैं किन्तु उस बड़ी हुई मुद्रा का प्रयोग जनता के हाथ में ही है। फ्राउथर (Crowther) ने इसे एक खंवर उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है। किसी घोड़े को पानी पीने से रोका जा सकता है किन्तु उसे पानी के पास ले जाकर भी, यदि प्यास न हो तो पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। (The horse can evidently be stopped from drinking, but no

amount of leading him to water, will make him drink if he is not thirsty.—Crowther.)

अतएव, परिमाण सिद्धान्त व्यवसाय चक्र के कारणों का एक-मात्र परिपूर्ण सिद्धान्त नहीं है। (The Quantity Theory is, therefore, an imperfect guide to the causes of trade cycle.) मुद्रा की कमी के कारण पुनरुत्थान (recovery) की स्थिति मन्दी की स्थिति में बदल जा सकती है। किन्तु यही इसका सम्पूर्ण कारण नहीं है तथा मुद्रा की मात्रा में ह्रास के वगैर भी मन्दी की गुरुआत हो सकती है। वास्तव में, यह समाज में मुद्रा की मांग पर निर्भर करता है।

किन्तु मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त मूल्य-तल में दीर्घकालीन परिवर्तनों की व्याख्या कर सकता है। फ्राउथर ने इसे स्पष्ट करने के लिए 1820 से 1 14 ई० के बीच 96 वर्षों में मूल्य-तल में हुए परिवर्तनों का संहारा लिया है। उक्त ९६ वर्षों की अवधि में मूल्य-तल में कुल चार बार परिवर्तन हुए थे। उस समय मुद्रा स्वर्ण पर आधारित थी। अतएव मूल्य-तल में परिवर्तन भी स्वर्ण की पूर्ति में कमी एवं वृद्धि पर अवलम्बित रहता था। सोने की नयी खानों के पता लगने के कारण स्वर्ण का उत्पादन जब बढ़ जाता तो मूल्य-तल (price-level) भी बढ़ने लगता था। इससे स्पष्ट है कि मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन से ही इसके मूल्य में परिवर्तन होता था। इस प्रकार मूल्य-तल में दीर्घकालीन परिवर्तनों की व्याख्या इसके आधार पर की जा सकती है, किन्तु अल्पकालीन परिवर्तनों की व्याख्या में यह बहुत सहायक नहीं सिद्ध होता। निस्संदेह कुछ अल्पकालीन परिवर्तनों की व्याख्या भी इसके द्वारा की जा सकती है—जैसे दोनों विश्व-युद्धों के समय में मूल्य-तल में वृद्धि का मुख्य कारण मुद्रा का अत्यधिक प्रसार ही था। फिर भी, अन्तिम रूप से कहा जा सकता है कि मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त व्यवसाय-चक्र की सम्यक् रूप से व्याख्या नहीं कर सकता।

4. परिमाण सिद्धान्त में मुद्रा की पूर्ति पर बहुत अधिक जोर दिया गया है (Quantity Theory has laid more emphasis on the supply of money) :—कुछ आलोचकों की राय में परिमाण सिद्धान्त मांग एवं पूर्ति के सामान्य सिद्धान्त का ही एक संशोधित रूप है, किन्तु, इन लोगों के मतानुसार इसमें मुद्रा की पूर्ति पर अधिक जोर दिया गया है, मानो यही मूल्य में परिवर्तन का प्रधान एवं एकमात्र कारण हो। इसी कमी को दूर करने के लिए केन्स ने अपनी पुस्तक 'General Theory' में मुद्रा की मांग का वास्तविक रूप बतला कर मूल्य और मुद्रा के सिद्धान्तों का सामंजस्य किया है और इस प्रकार परिमाण सिद्धान्त के दोषों को दूर करने का प्रयास किया है।

5. मूल्य-स्तर (P) की धारणा स्पष्ट नहीं है :—परिमाण सिद्धान्त के आदान-प्रदान रूप (Transaction type) की प्रमुख आलोचना यह है कि जिस 'P' की जोर यह संबंध करता है उसकी धारणा सुलझी नहीं है। 'P' की धारणा इतनी जटिल है कि इससे कुछ भी निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हो सकता। 'P' सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य का औसत है, अतएव यह एक मोल-मटोल चीज है। फिर भी 'P' को कई भागों में विभाजित कर इस कमी को दूर किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, यदि T में दो प्रकार की वस्तुएँ सम्मिलित हैं तो दोनों तरह की वस्तुओं पर पृथक्-पृथक् रूप में विचार किया जायगा। ऐसा करने से पूरा समीकरण इस प्रकार का हो जायगा :—

$$MV = PT$$

$$\text{अथवा } MV = P_1 T_1 + P_2 T_2 + \dots$$

इस प्रकार सामान्य मूल्य-तल को विभिन्न भागों में विभाजित करके प्रत्येक तरह की वस्तु के मूल्य को निश्चित किया जा सकता है।

6. यह सिद्धान्त मुद्रा के दीर्घकालीन मूल्य का विश्लेषण करता है —मूल्य के शास्त्रीय सिद्धान्त की ही तरह मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त मुद्रा के दीर्घकालीन मूल्य का विश्लेषण करता है। मूल्य का शास्त्रीय सिद्धान्त भी इसी मान्यता पर आधारित था कि दीर्घकाल में मांग तथा पूर्ति की अवस्थाएँ अपरिवर्तनीय हैं, अतएव दीर्घकाल में प्रत्येक वस्तु के मूल्य की गति उसकी मांग तथा पूर्ति के संतुलन की ओर रहती है। मुद्रा के मूल्य के विश्लेषण में इस धारणा के प्रयोग करने पर इनका रूप इस प्रकार होता है — यदि मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन हो, किन्तु V एवं T पूर्ववत् रहे तो दीर्घकाल में 'P' में समानुपातिक परिवर्तन होगा। इसी प्रकार यदि किसी कारणवश M , यानी मुद्रा के परिमाण में वृद्धि हो जाय, तो इस बड़ी हुई मुद्रा को सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था में फैलाने में पर्याप्त समय लगता है अतएव दीर्घकाल के बाद ही इन बड़ी हुई मुद्रा से सभी मूल्य-तल प्रभावित होंगे। इस पर व्यंग्य करते हुए केन्स ने ठीक ही कहा है कि 'किन्तु दीर्घकाल में हम सभी मर जाते हैं।' (In the long run we are all dead)¹ और मृत्यु के बाद कोई भी ऐसी समस्या नहीं रहती जिसके अध्ययन के लिए हमें मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की सहायता की आवश्यकता पड़े। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन की सभी समस्याएँ अल्पकालीन होती हैं और इस प्रकार की समस्याओं को इस सिद्धान्त की सहायता से मुलज्ञाया नहीं जा सकता। क्रॉउथर (Crowther) ने इस समीकरण के वास्तविक महत्त्व के सम्बन्ध में अपना विचार इस प्रकार से व्यक्त किया है "मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त के पक्ष में अधिक-से-अधिक हम यह कह सकते हैं कि दीर्घकाल में मुद्रा के परिमाण वा मूल्य तल पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किन्तु व्यवसाय-चक्र के अल्पकाल में यह मूल्य-तल को प्रभावित कर सकता है अथवा नहीं भी और यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसकी मात्रा में परिवर्तन इसके भ्रमण-प्रवाह के द्वारा नष्ट हो जाते हैं अथवा नहीं।"² कोलबोर्न (Coulbourn) ने भी इस सिद्धान्त की आलोचना करते हुए कहा है कि 'मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त केवल एक दीर्घकालीन घटना का विचार है।' (The quantity theory is a concept of long-run phenomena)

7. मूल्य-तल (P) केवल समीकरण में सम्मिलित तत्वों से ही प्रभावित नहीं होता (The price level does not entirely depend upon factors included in the equation of exchange) —वास्तव में, कुछ गैर-मौद्रिक तत्वों का भी मूल्य-तल पर प्रभाव पड़ता है। फिर भी सम्भवतः इन सम्बन्ध में यह सोचते थे कि M , V एवं T के अतिरिक्त कुछ ऐसे गैर-मौद्रिक तत्व भी हैं जो मूल्य-तल को प्रभावित करते हैं। इन गैर-मौद्रिक तत्वों के अ-

1. "It may be in the long run But this long run is a misleading guide to current affairs In the long run, we are all dead Economists set themselves, too easy, too useless a task if in tempestuous seasons, they can only tell us that when the storm is long past, the ocean is flat again"—Keynes 'A Tract on Monetary Reform, P. 10

2. "The most we can say for the quantity theory is that quantity of money in existence seems to be the dominant influence on the price-level on the average of long periods But in the short period of trade cycle it may or may not control the movement of prices And whether it does or does not, depend on whether or not changes in the quantity of money are offset by changes in the velocity of its circulation"—Crowther: An Outline of Money, p. 128

रंत फिशर ने मानवीय आवश्यकताओं, उद्योगों का विकेंद्रीकरण, यातायात की सुविधाओं में विस्तार आदि को चर्चा की है। (...the volume of trade will be increased, and therefore, the price-level correspondingly by the differentiation, of human want; by diversification of industry; and by facilitation of transport. The velocities of circulation will be increased, and therefore, also the price-level increased by improvident habits, the use of book credit and by rapid transportation.)¹

8. फिशर का समीकरण मुद्रा के केवल एक ही कार्य-विनिमय के माध्यम (Medium of exchange) पर जोर देता है :—यह सत्य है कि समाज में लोग मुद्रा की चाह मुख्यतः इसलिए करते हैं कि इसके द्वारा अग्य वस्तुओं तथा सेवाओं का त्रय किया जा सकता है, किन्तु विनिमय के माध्यम के अतिरिक्त मुद्रा समाज में एक और महत्वपूर्ण कार्य का भी संपादन करती है और वह है मूल्य का संचय (Store of value)। मानव अपनी आर्थिक क्रियाओं का संपादन केवल अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए ही नहीं करता, वरन् वह अपने भविष्य की सुरक्षा पर जोर देता है और भविष्य की सुरक्षा के लिए धन का संचय आवश्यक है। मुद्रा ने धन के संचय के कार्य को अधिक सुगम बना दिया है। वर्तमान समय में तो मुद्रा के इस कार्य का महत्व बहुत बढ़ गया है। इस सम्बन्ध में केन्स ने भी यह कहा है कि मुद्रा का महत्व इस बात में है कि यह वर्तमान तथा भविष्य के बीच एक शृंखला का कार्य करती है। किन्तु फिशर के समीकरण में मुद्रा के इस आवश्यक कार्य पर ध्यान नहीं दिया गया है।

9 मूल्य-स्तर पर कुछ अमौद्रिक घटनाओं का भी प्रभाव पड़ता है :—मूल्य-स्तर केवल मुद्रा की मात्रा पर ही निर्भर नहीं करता, वरन् यह स्वयं बहुत मारे अमौद्रिक तत्वों पर भी निर्भर करता है जिनकी व्यापार परिमाण निदान के अंतर्गत नहीं की गयी है।

इस प्रकार परिमाण सिद्धान्त की बहुत सारी आलोचनाएँ दी जाती हैं। वास्तव में, यह सिद्धान्त अपूर्ण, कल्पित एवं दोषपूर्ण है। यह व्यापार-चक्र के कारणों की सम्यक् रूप से व्याख्या नहीं करता। दीर्घकाल में मुद्रा की मात्रा एवं मूल्य स्तर में कार्य-कारण का सम्बन्ध हो सकता है, किन्तु अल्पकाल में तो व्यापार की स्थिति में परिवर्तन मुद्रा के मूल्य तथा मात्रा में परिवर्तन का कारण है, उसका परिणाम नहीं। इसलिए आर्थिक विचार धारा की आधुनिक प्रवृत्ति मुद्रा के परिमाण को इसके मूल्य के निर्धारक तत्व के रूप में नहीं मानने का रही है। (The modern tendency in economic thinking is indeed, to discard the old notion of quantity of money as a determinant of the value of money.)

मुद्रा की मात्रा व्यापार के स्तर का कारण नहीं वरन् परिणाम है और जैसा कि बगले कुछ अवधारणों से हम देखेंगे मुद्रा का मूल्य मुद्रा की मात्रा के बजाय कुछ व्यय पर निर्भर करता है।

परिमाण सिद्धान्त में सत्यता का अंश :—उपरोक्त-आलोचनाओं से स्पष्ट है कि फिशर का सिद्धान्त अपूर्ण, कल्पित एवं द्रुष्टिपूर्ण है। किन्तु इन मारी आलोचनाओं के बावजूद मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त में कुछ सत्यता का अंश अवश्य है। प्रो० फिशर (Fisher) ने अपने सिद्धान्त की सत्यता को सिद्ध करने के लिए बहुत-सारे उदाहरण भी दिये हैं। 19 वीं सदी में जबकि विश्व के अधिकांश देशों में सोने एवं चांदी की प्रचलन था, मूल्य में परिवर्तन सोने अथवा चांदी में होनेवाले परिवर्तनों से प्रत्यक्ष सम्बन्धित थे। उदाहरणार्थ, 1849 ई० में आस्ट्रेलिया तथा 1896 ई० में

दक्षिणी अफ्रीका में सोने की खानों के पता चलने से सोने के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप सम्पूर्ण विश्व में मूल्य-स्तर में वृद्धि हुई। फिंशर के अनुसार ही जब स्पेनिस खोज करने वालों को अमेरिका में चाँदी की खानों का पता चला तो उन्होंने यूरोप को चाँदी भेजना प्रारम्भ कर दिया जिससे यूरोप महाद्वीप के प्रायः सभी देशों में मूल्य-तल बढ़ गया। इसी प्रकार प्रथम महायुद्ध एवं युद्धोत्तर काल में जर्मनी में पत्र-मुद्रा के अत्यधिक प्रसार से वहाँ मूल्य-तल में बहुत अधिक वृद्धि (hyper-inflation) हुई। इसी प्रकार कैमरर ने अपनी पुस्तक "Money and Credit Instruments in their Relation to General Prices" में 1879 से 1898 के अध्ययन के आधार पर परिमाण सिद्धान्त को व्यावहारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध किया है तथा कैसेल ने "Money and Foreign Exchange after 1914" में थोड़ा एवं फुटकर मूल्यों के निर्देशकों की 1914-1920 के बीच पत्र मुद्रा की मात्रा से तुलना करके यह सिद्ध किया है कि मूल्य-तल में वृद्धि एवं चलन में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि में एक स्पष्ट सम्बन्ध है।

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन से इसके मूल्य में परिवर्तन होता है, किन्तु फिर भी इनमें कोई सख्यात्मक सम्बन्ध (Quantitative co-relation) नहीं स्थापित किया जा सकता। संभवतः, फिंशर का विचार भी इस प्रकार का कोई सम्बन्ध स्थापित करने का नहीं था। समीकरण का प्रयोग तो उन्होंने केवल इस सामान्य प्रवृत्ति को व्यक्त करने के लिए किया था। वास्तव में, मुद्रा के परिमाण एवं मूल्य तल पर इतनी अधिक शक्तियों का प्रभाव पड़ता है कि इनमें निश्चित रूप से किसी प्रकार का परिमाणात्मक सम्बन्ध स्थापित करना सम्भव नहीं है।

विशेष अध्ययन-सूची

- | | |
|------------|--|
| 1 Fisher | The Purchasing Power of Money |
| 2 Crowther | An Outline of Money, Chapter III. |
| 3 Chandler | Introduction to Monetary Theory, Chapters II and III |
| 4 Halm | Monetary Theory, Chapter II |
| 6 Hansen | Monetary Theory and Fiscal Policy |

अध्याय : 11

परिमाण सिद्धान्त का कैम्ब्रिज रूप

(Cambridge Version of the Quantity Theory of Money)

अथवा

मुद्रा-संचयन दृष्टिकोण

(Cash Balance Approach)

प्राक्कथन —परिमाण सिद्धान्त का आदान-प्रदान रूप (Transaction type of Quantity Theory) समुक्त राज्य अमेरिका में अभी भी बहुत अधिक लोकप्रिय है। किन्तु यूरोप, विशेषतः इङ्ग्लैंड में अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धान्त के एक दूसरे रूप—मुद्रा-संचयन दृष्टिकोण (Cash Balance Approach) का प्रतिपादन किया। इसे परिमाण सिद्धान्त का कैम्ब्रिज रूप (Cambridge Version of the Quantity Theory) भी कहते हैं। इसका प्रतिपादन मार्शल (Marshall), पीगू (Pigou) तथा रावर्टसन (Robertson) जैसे इङ्ग्लैंड के कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने किया था। किन्तु परिमाण सिद्धान्त के इन दोनों रूपों में कोई मौलिक विरोध नहीं है। वास्तव में, इनके प्रतिपादकों के अनुसार ये दोनों सिद्धान्त तथा इनके समीकरण आपस में परस्परानुवर्ती (Inter changeable) हैं।

किन्तु कैम्ब्रिज विचारधारा के अर्थशास्त्रियों के अनुसार इनकी व्याख्या आदान-प्रदान रूप (Transaction approach) से कई दृष्टिकोण में थोड़ा है। सर्वप्रथम तो इसका विश्लेषण मांग एवं पूर्ति के प्रसिद्ध सिद्धान्त के रूप में किया गया है। अतएव इससे मौद्रिक सिद्धान्त को मूल्य के सामान्य सिद्धान्त से सम्बन्धित करने में सुविधा होती है। द्वितीयतः, यह सिद्धान्त मूल्य के निर्धारण में उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत मांग को बहुत अधिक महत्त्व देता है और आधुनिक समय में मूल्य-निर्धारण की समस्या में भी उपभोक्ताओं की मांग पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। इस लिए यह सिद्धान्त आधुनिक मूल्य सिद्धान्त के बहुत समीप है। इन कारणों से यह सिद्धान्त अधिक सतोषजनक बतलाया जाता है।

मुद्रा संचयन दृष्टिकोण (Cash Balance Approach) के अनुसार मुद्रा का मूल्य मुद्रा की मांग एवं मुद्रा की पूर्ति दो बातों पर निर्भर करता है। किसी विशेष समय में मुद्रा का मूल्य उसी बिन्दु पर निर्दिष्ट होता है जहाँ पर उसकी मांग एवं पूर्ति दोनों बराबर होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का कारण मुद्रा की पूर्ति या उसकी मांग में परिवर्तन है। यदि मुद्रा की मांग पूर्ववत् रहे, किन्तु उसकी पूर्ति में वृद्धि हो जाय तो मुद्रा के मूल्य में कमी होगी तथा मूल्य-स्तर में वृद्धि होगी। इसी प्रकार यदि मुद्रा की पूर्ति पूर्ववत् रहे, किन्तु मांग में वृद्धि हो जाय तो मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होगी, यानी मूल्य स्तर में कमी होगी। इस प्रकार इस सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा का मूल्य उसकी मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है, अतएव यहाँ पर मूल्य के इन दोनों निर्धारक तत्वों का विश्लेषण अनिवार्य है।

मुद्रा की पूर्ति (The Supply of Money) —जहाँ तक मुद्रा की पूर्ति का सम्बन्ध है, इसकी सविस्तार व्याख्या परिमाण सिद्धान्त के आदान-प्रदान रूप के अन्तर्गत की गयी है। यहाँ केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि मुद्रा की पूर्ति के अन्तर्गत सिक्के, पत्र-मुद्रा एवं बैंक-जमा सभी सम्मिलित हैं।

मुद्रा की मांग (The Demand for Money) :—किसी दिये हुए समय में किसी समाज में मुद्रा की मांग वहाँ के व्यक्तियों की कुल मांग के योग के बराबर होती है। मुद्रा की मांग का तात्पर्य मुद्रा की उस मात्रा से है जो प्रत्येक व्यक्ति अथवा फर्म क्रय-शक्ति के रूप में अपने पास अथवा अपने बैंक में संचित करके रखना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साधन एवं अपनी वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं एवं अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए इतनी मात्रा में मुद्रा का संचय करता है जिससे कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। वास्तव में, जैसा कि हमलोग जानते हैं, मुद्रा का तीन तरीके से प्रयोग हो सकता है :—(क) उपभोग की वस्तुओं (Consumption goods) के त्रय में प्रयोग, (ख) पूँजी-विनियोग (Investment) के रूप में प्रयोग, तथा (ग) त्रय-शक्ति के रूप में संचय। त्रय-शक्ति के रूप में अधिक मुद्रा का संचय सुविधाजनक अवश्य होता है किन्तु इससे व्यक्ति अथवा फर्म को कुछ असुविधा भी होती है क्योंकि इस प्रकार से संचित मुद्रा के द्वारा वह या तो उपभोग की वस्तुएँ खरीद सकता है जिससे उसे संतुष्टि प्राप्त होती या विनियोग कर सकता है जिससे उसे अधिक आय प्राप्त हो सकती है। अतएव इन बातों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक व्यक्ति अथवा फर्म मुद्रा के संचय की मात्रा निर्दिष्ट करता है। अपनी आय का कौन-सा भाग नकद मुद्रा के रूप में रखा जाय, इस बात का निर्णय करने में प्रत्येक व्यक्ति अथवा फर्म उस सुविधा अथवा लाभ जो मुद्रा की नकद रूप में रखने के कारण प्राप्त होता है उसकी तुलना उस हानि से करता है जो उसके विनियोग नहीं करने से होती है।

मार्शल (Marshall) ने इसकी व्याख्या निम्न प्रकार से की है :—“In every state of society, there is some fraction of their income which people find it worth while to keep in the form of currency it may be a fifth or a tenth, or a twentieth. A large command of resources in the form of currency renders their business easy and smooth and puts them at an advantage in bargaining but, on the other hand, it locks up in a barren form the resources that might yield an income or gratification if invested say, in extra furniture; or a money-income, if invested in extra machinery or cattle. A man fixes the appropriate fraction after balancing one against another the advantages of a further ready command and the disadvantages of putting more of his resources into a form in which they yield him no direct income or other benefit”¹

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि मुद्रा के रूप में त्रय-शक्ति का संचय किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति एक निर्दिष्ट अवधि में वस्तुओं तथा सेवाओं को क्रय करने के लिये त्रय-शक्ति का संचय करता है। अतएव मुद्रा की मांग को निर्धारित करने में मूल्य-तल का प्रमुख स्थान है। मूल्य-तल ऊँचा रहने पर मुद्रा की मांग अधिक होगी तथा नीचा रहने पर मुद्रा की मांग कम होगी।

समाज की कुल मुद्रा की मांग निर्धारित करने में व्यापार के परिमाण का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जिस समाज में व्यापार का परिमाण (Magnitude of trade in goods, services and securities) अधिक होगा वहाँ मुद्रा की मांग भी अधिक होगी। किन्तु मुद्रा की मांग केवल व्यापार के परिमाण पर ही निर्भर नहीं करती। व्यापार के परिमाण के साथ-साथ मुद्रा की मांग के निर्धारण में समय की उस अवधि का भी महत्वपूर्ण स्थान है जिसे ध्यान में रख कर प्रत्येक व्यक्ति अथवा फर्म मुद्रा का संचय करता है। यदि व्यापार का परिमाण उकी-का-र्यों रहे तो समय

को इस अवधि के अधिक रहने से मुद्रा की माग अधिक होगी तथा कम रहने से मुद्रा की माग भी कम होगी। समय को इस अवधि को एक वष के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि यह अवधि एक महीने की है तो यह $\frac{1}{12}$ क बराबर होगी, यदि दो महीने की है तो $\frac{1}{6}$ होगी। इसे अर्थशास्त्रियों ने 'k' के द्वारा व्यक्त किया है। इस प्रकार 'k' समय की वह अवधि है जिसे ध्यान में रखकर ऋण-शक्ति के रूप में मुद्रा का संचय किया जाता है।

स्पष्ट है कि 'k' एवं 'V' में घनिष्ट सम्बन्ध है। वास्तव में 'k' और 'V' में ठीक विपरीत सम्बन्ध है, यानी $k = \frac{1}{V}$, या $V = \frac{1}{k}$ के। एक उदाहरण द्वारा इस अधिक स्पष्ट

किया जा सकता है। मान लिया कि कोई समाज अपने दो महीने के व्यय के बराबर मुद्रा रखना चाहता है तो $k = \frac{1}{6}$ होगा और प्रतिवर्ष कुल व्यय मुद्रा की कुल पूर्ति का 6 गुना होगा, यानी V प्रतिवर्ष 6 होगी। चूंकि k एवं V में विपरीत सम्बन्ध है, अतएव k के निर्धारक तत्त्व भी प्रायः वे ही हैं जो V को निर्धारित करते हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परिमाण सिद्धात के कैम्ब्रिज रूप (Cambridge Version) या Cash Balance Approach के अनुसार किसी समाज में मुद्रा की माग व्यापारिक सौदों की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है (फिस्कर के अनुसार मुद्रा की माग व्यापारिक सौदों की मात्रा पर निर्भर करती है), बल्कि यह जनता के मुद्रा-संचय की आदत पर निर्भर करती है। जनता सदा अपनी आय का एक भाग नकद मुद्रा के रूप में अपने पास रखना चाहती है। फिस्कर एवं कैम्ब्रिज विचारधारा में यह विल्कुल मौलिक अन्तर है।

कैम्ब्रिज समीकरण (Cambridge Equations)

मुद्रा-संचयन दृष्टिकोण (Cash Balance Approach) के समर्थकों में मार्शल (Marshall), पीगू (Pigou) तथा राबर्टसन (Robertson) आदि कैम्ब्रिज विचारधारा के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। इन लोगों ने इसे स्पष्ट करने के लिये अपना-अपना अलग-अलग समीकरण (Equation) प्रस्तुत किया है। किन्तु इन सभी ने मुद्रा की माग को 'k' से ही व्यक्त किया है।

मार्शल का समीकरण मार्शल का समीकरण इस प्रकार से है —

$$M = kY$$

इसमें M = मुद्रा की मात्रा,
Y = मौद्रिक आय, तथा

k = वास्तविक आय का वह अंश जो जनता नकद मुद्रा के रूप में अपने पास रखना चाहती है।

अब, यदि M में वृद्धि हो एवं k पूर्ववत् रहे तो Y में भी वृद्धि होगी एवं मूल्य-स्तर उठी अनुपात में बढ़ेगा। इसके परिणामस्वरूप k में भी वृद्धि होगी तथा मूल्य-स्तर नीचे आकर माग एवं पूर्ति में एक नया सन्तुलन स्थापित करेगा।

राबर्टसन का समीकरण :— राबर्टसन (Robertson) का समीकरण इस प्रकार से है —

$$M = KTP$$

$$\text{या } P = \frac{M}{KT}$$

जिसमें M = जनता के पास मुद्रा का कुल परिमाण,

K = समय की वह अवधि (जिसे एक वर्ष के अनुपात में व्यक्त किया जाता है) जिसे ध्यान में रख कर क्रय-शक्ति के रूप में मुद्रा का संचय किया जाता है। [The length of the period (expressed as a fraction of a year) over whose transaction purchasing power is held in the form of money];

T = व्यापार का कुल परिमाण (The physical volume of trade to be affected with money during the year), तथा

P = व्यापार के अन्तर्गत सम्मिलित वस्तुओं का मूल्य (The Price-level of things included in T)।

यह समीकरण इस बात को बतलाता है कि मुद्रा की पूर्ति (M) बराबर है उन वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य के जिनके लिए मुद्रा के रूप में क्रय-शक्ति का संचय किया जाता है (KTP)। इससे स्पष्ट है कि ' P ' मुद्रा की पूर्ति (M) तथा क्रय-शक्ति के रूप में मुद्रा की मांग (K) द्वारा प्रभावित होती है। यदि M , यानी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी तो जनता के पास जो वास्तविक मुद्रा होगी वह वांछित मुद्रा से अधिक होगी। इस अतिरिक्त मुद्रा के फलस्वरूप वे अधिक मुद्रा व्यय कर सकते हैं जिसके फलस्वरूप उत्पादन, आय एवं रोजी में वृद्धि होगी या इस अतिरिक्त मुद्रा का प्रयोग लोग प्रतिभूतियाँ आदि खरीदने में कर सकते हैं जिससे प्रतिभूतियों का मूल्य बढ़ जायगा एवं सूद की दर भी घट जायगी। सूद की दर में कमी से पूँजी के विनियोग में वृद्धि होगी जिससे रोजगार एवं आय में वृद्धि होगी तथा इससे व्यापार के परिमाण में वृद्धि होगी। इससे मुद्रा-संचय की प्रवृत्ति भी तीव्र हो जायगी। इस प्रकार जनता के पास अतिरिक्त मुद्रा वांछित मुद्रा के बराबर हो जायगी तथा नये मूल्य-तल पर माँग एवं पूर्ति के बीच समतुल्य स्थापित हो जायगा।

इस समीकरण को फिशर के समीकरण के रूप में भी सुगमतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है। चूँकि $K = \frac{1}{V}$,

$$\text{अतएव } M = KTP$$

$$\text{या } M = \frac{1}{V} \cdot TP$$

$$\text{या } MV = PT$$

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि फिशर एवं कैम्ब्रिज विचारधारा में मुख्य अन्तर 'मुद्रा की माँग' (Demand for money) की धारणा की व्याख्या में ही है। फिशर के अनुसार मुद्रा की माँग शीघ्र व्यय करने के लिए (Demand for money to spend) की जाती है जबकि कैम्ब्रिज विचारधारा के अनुसार मुद्रा की माँग मुद्रा को धारण करने के लिए (Demand for money to hold) की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अपना फर्म सदा अपने आय का एक भाग क्रय शक्ति के रूप में संचय करके रक्षना चाहता है। अतएव इस प्रकार की माँग व्यक्ति तथा फर्म के इसी प्रकार के निर्णय पर निर्भर करती है।

प्रो० पीगू (Pigou) का समीकरण :—कैम्ब्रिज विचारधारा के प्रो० पीगू (A. C. Pigou) ने अपना समीकरण निम्न प्रकार से दिया है :—

$$P = \frac{M}{KR}, \text{ जिसमें,}$$

P = मुद्रा की एक इकाई का मूल्य;

K = वास्तविक आय का वह अनुपात जो मुद्रा के रूप में रखा जाता है,

R = देश की कुल वास्तविक आय; तथा

M = प्रचलित मुद्रा की मात्रा।

इसे एक उदाहरण द्वारा इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है—मान लिया कि वास्तविक आय (R) 25,00,000 है और वास्तविक आय का वह अनुपात है जो मुद्रा के रूप में

रखा जाता है (K) $\frac{60}{100}$ है और मुद्रा की प्रचलित मात्रा (M) 30,00,000 रुपया है तो मुद्रा का मूल्य, यानी

$$\begin{aligned} \text{मुद्रा की क्रय शक्ति} &= \frac{25,00,000 \times 60}{100} \\ &= \frac{15,00,000}{30,00,000} \end{aligned}$$

$= \frac{1}{2}$, अर्थात् एक रुपये का मूल्य 2 इकाई है।

अब हम जाते हैं कि मुद्रा का मूल्य सामान्य मूल्य-स्तर के ठीक विपरीत होता है।

इसलिए यदि सामान्य मूल्य-स्तर के लिए P लिखें तो $P = \frac{M}{KR}$

$$= \frac{30,00,000}{25,00,000 \times \frac{60}{100}} = 2 \text{ रुपया प्रति इकाई।}$$

अब यदि यह मान लें कि किसी कारणवश मुद्रा की माग कम हो जाती है अर्थात्

$K = \frac{60}{100}$ से घटकर $K = \frac{20}{100}$ हो जाता है तो इसका परिणाम क्या होता है? निश्चित है

कि R में अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इस प्रकार इसका अर्थ यह होगा कि मूल्य-स्तर बढ़ेगा, मुद्रा की माग कम हो जायगी अर्थात् वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय बढ़ गया है, परन्तु वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति स्थिर है। इसलिए मूल्य-स्तर बढ़ेगा अर्थात् मुद्रा की क्रय-शक्ति घटेगी जो निम्न समीकरण से स्पष्ट है :—

$$\frac{30,00,000}{25,00,000 \times \frac{20}{100}} = \frac{30,00,000}{5,00,000} = 6 \text{ रुपया प्रति इकाई।}$$

पौगू का कहना है कि यदि K एवं R को स्थिर मान लिया जाय तो समीकरण से एक आयताकार हाइपरबोला (Rectangular Hyperbola) वक्र प्राप्त होगा। सरल भाषा में इसका अभिप्राय यह है कि मुद्रा की माग की मूल्य सापेक्षता अथवा लोच (Price elasticity of demand for money) सम्पूर्ण वक्र पर इकाई अथवा एक है। दूसरे शब्दों में, इसका तात्पर्य

यह है कि मुद्रा की ऋय-शक्ति घटकर आधी हो जाने पर मुद्रा की माग दुगुनी और मुद्रा की ऋय-शक्ति बढ़कर दुगुनी हो जाने पर मुद्रा की माग आधी हो जाती है। अर्थात् जिस अनुपात में मुद्रा की ऋय-शक्ति घटती है (या बढ़ती है) उसी अनुपात में मुद्रा की मांग भी बढ़ती (या घटती) है। यदि मुद्रा की ऋय शक्ति में 10 प्रतिशत की वृद्धि हो जाय तो मुद्रा की माग में 10 प्रतिशत की कमी हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि मुद्रा की ऋय-शक्ति को मुद्रा की माग द्वारा गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह समान अथवा स्थिर रहता है।

किन्तु केन्स ने कई बातों को लेकर पीगू के समीकरण की आलोचना की है। केन्स के अनुसार सर्वप्रथम तो प्रो० पीगू ने बचत एवं विनियोग में होने वाले परिवर्तनों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। द्वितीयतः, मुद्रा के दो प्रधान कार्यों-विनियोग वा माध्यम एवं मूल्य-संचय के कार्य में से पीगू ने केवल मूल्य संचय के कार्य का वर्णन किया है जबकि किशोर ने विनियोग के माध्यम वाले कार्य को अधिक महत्त्व प्रदान किया है। और अन्ततः पीगू ने प्रसाधनों (Resources) एवं प्रचलित आय (Current Income) को एक ही समान समझ लिया है जो अनुचित है।

केन्स की मुद्रा की माग की धारणा (Keyne's Concept of Demand for Money)—मुद्रा-संचय दृष्टिकोण (Cash Balance Approach) के समर्थकों में मार्शल, पीगू¹ एवं रॉबटसन इत्यादि कैम्ब्रिज विचारधारा के अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने इस सिद्धांत के अलग-अलग समीकरणों का प्रयोग किया है। किन्तु इन सभी लोगों ने मुद्रा की माग को k से ही व्यक्त किया है।

कैम्ब्रिज विचारधारा में माग की धारणा केन्स के मुद्रा संचय की प्रवृत्ति (Liquidity preference) की धारणा से बहुत कुछ भिन्न-जुलती है। केन्स (Keynes) के अनुसार मुद्रा की माग का तात्पर्य मुद्रा-संचय की प्रवृत्ति से है। केन्स के अनुसार मुद्रा संचय की प्रवृत्ति निम्न-लिखित तीन उद्देश्यों पर निर्भर करती है —

- (1) ऋय-विक्रय का उद्देश्य (Transaction motive),
- (2) सुरक्षा का उद्देश्य (Precautionary motive), तथा
- (3) परिकल्पना का उद्देश्य (Speculative motive)।

(1) ऋय-विक्रय का उद्देश्य (Transaction motive) — प्रत्येक व्यक्ति या फर्म अपने पास अपनी आय का एक अंश नकद मुद्रा के रूप में रखता है जिससे वह अपने रोज-रोज की ऋय-विक्रय सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ खर्चा रोज ही रहता है, लेकिन आमदनी नियत तिथि पर ही प्राप्त होती है। आय एवं व्यय की इस खाई को ढकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अथवा फर्म ऋय विक्रय तथा विनियोग के उद्देश्य (Transaction motive) से अपनी आय का एक भाग नकद मुद्रा के रूप में रखता है।

(2) सुरक्षा का उद्देश्य (Precautionary motive) — मुद्रा संचय का दूसरा उद्देश्य सुरक्षा सम्बन्धी उद्देश्य (Precautionary motive) का है। प्रत्येक व्यक्ति अथवा फर्म सुरक्षा अथवा सावधानी की दृष्टि से भी अपनी आय का एक भाग नकद मुद्रा के रूप में अपने पास रखता है। इस प्रकार आकस्मिक खर्च की पूर्ति के लिए जो नकद मुद्रा रखी जाती है उसे सुरक्षा सम्बन्धी उद्देश्य से रखी गयी मुद्रा कहते हैं। इस प्रकार की मुद्रा का परिमाण व्यक्ति अथवा फर्म की प्रकृति तथा शेयर बाजार के विकास की स्थिति आदि बातों पर निर्भर करता है।

1 देखें A C Pigou The Value of Money, in 'The Quarterly Journal of Economics' 1917-18, P. 38 65

(3) परिकल्पना का उद्देश्य (Speculative motive)—परिकल्पना (Speculation) के उद्देश्य से भी व्यक्ति अथवा फर्म सदा अपने पास कुछ नकद मुद्रा रखते हैं। इस प्रकार की मुद्रा भविष्य में शेयर अथवा प्रतिभूतियों आदि के मूल्य में होनेवाले परिवर्तनों से लाभ उठाने के लिए रखा जाती है।

इस प्रकार के स क अनुसार मुद्रा की मांग उक्त तीनों उद्देश्यों के लिए की जाती है। किन्तु मांग के अनुसार मुद्रा की मांग प्रधानतया बाण क परिमाण से ही निर्धारित होती है। इनक अनुसार मुद्रा की मांग केवल क्रय विक्रय के उद्देश्य से की जाती है। इस प्रकार मार्शल ने मुद्रा की मांग की व्याख्या में सुरक्षा एवं परिकल्पना-सम्बन्धी उद्देश्यों पर ध्यान नहीं दिया था। अतएव, इनका विश्लेषण मुद्रा की मांग का सही चित्र नहीं उपस्थित करता। अतएव, यद्यपि फिशर की अपेक्षा मार्शल ने मुद्रा की मांग को अधिक सन्तोषप्रद ढंग से व्याख्या की है तथापि मांगल की व्याख्या पूर्ण नहीं कही जा सकती।

फिशर एवं कैम्ब्रिज विचारधारा में अन्तर

(Distinction between Fisher's and Cambridge Approach)

हम यह देख चुके हैं कि फिशर (Fisher) एवं रॉबर्टसन के समीकरण आपस में परस्पर-निवर्तनी (Inter changeable) हैं, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि ये दोनों विचारधाराएँ एक हैं। वास्तव में, इन दोनों में कुछ मौलिक अन्तर हैं। इनमें निम्नांकित तल्लेखनीय हैं —

सर्वप्रथम तो फिशर की विचारधारा की अपेक्षा कैम्ब्रिज विचारधारा के अन्तर्गत मुद्रा की मांग पर अधिक जोर दिया गया है। फिशर के अनुसार P , यानी मूल्य तल मुद्रा के परिमाण से निश्चित होता है किन्तु मार्शल तथा कैम्ब्रिज विचारधारा के अन्य अर्थशास्त्रियों के अनुसार P यानी मूल्य-तल जनता की मुद्रा की मांग (k) में परिवर्तन होने से अधिक प्रभावित होता है। इस प्रकार कैम्ब्रिज विचारधारा के अन्तर्गत मुद्रा की मांग को अत्यधिक महत्व दिया गया है।

द्वितीयत, फिशर का समीकरण P का वह चित्र उपस्थित करता है जो क्रय-विक्रय के समाप्त होने के बाद (Transaction ex post) उत्पन्न होता है जबकि कैम्ब्रिज समीकरणों में ' P ' का क्रय विक्रय के पूर्व का चित्र (Transaction ex-ante) उपस्थित होता है। इन दोनों में दूसरा ही अधिक उपयोगी है क्योंकि पहले से सम्पूर्ण क्रिया समाप्त होने के बाद का चित्र भ्रमलता है। अतएव, यह अधिक उपयोगी नहीं है क्योंकि प्रायः प्राप्त करनेवाला इस बात की जानकारी चाहता है कि उसकी मुद्रा क्या और कितना खरीद सकती है। इसका चित्र हमें कैम्ब्रिज विचारधारा से ही प्राप्त होता है।

तृतीयत, फिशर के समीकरण में मुद्रा के भ्रमल-प्रवाह (V) पर जोर दिया गया है जबकि कैम्ब्रिज समीकरण में नकद शेष (Cash balance) (k) पर जोर दिया गया है। एक में मुद्रा की गति का महत्त्व है और दूसरे में मुद्रा की स्थिरता का। दूसरे शब्दों में, कैम्ब्रिज समीकरण में स्थावर मुद्रा (Flat money) पर ध्यान दिया गया है, जबकि फिशर के समीकरण में जगम मुद्रा (Round money) पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। रॉबर्टसन ने इन दोनों समीकरणों के अन्तर को स्पष्ट करते हुए कहा है कि कैम्ब्रिज समीकरणों का सम्बन्ध बैठी हुई मुद्रा (Money sitting) से है और फिशर के समीकरण का सम्बन्ध उड़ती हुई मुद्रा (Money on the wings) से है। संक्षेप में फिशर के समीकरण में द्रव्य की बहाव (Flow) के रूप में महत्त्व दिया गया है, किन्तु कैम्ब्रिज समीकरण में मुद्रा को कोष (Stock) के रूप में महत्त्व दिया गया है।

किन्तु इन अन्तरों के बावजूद कुछ अर्थशास्त्रियों का यह विचार है कि फिशर एवं कैम्ब्रिज विचारधारा में कोई मौलिक विभेद नहीं है। इनके अनुसार ये दोनों समीकरण एक ही सिद्धांत के दो रूप हैं, परन्तु इस सम्बन्ध में केन्स का यह विचार है कि फिशर एवं कैम्ब्रिज समीकरणों में समानता नहीं है, क्योंकि कैम्ब्रिज समीकरण के मूल्य-स्तार (P) का सम्बन्ध केवल उपयोग की वस्तुओं से है किन्तु फिशर के समीकरण में P सामान्य मूल्य-तल से सम्बन्धित है। मुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैन्सन (Hansen) के अनुसार भी "मार्शल का मुद्रा-संचयन समीकरण (Cash

Balance Equation) फिशर के समीकरण से पूर्णतया भिन्न है। अतएव, यह कहना उचित नहीं है कि नकद संचयन समीकरण केवल परिमाण सिद्धान्त का नया बीजगणितीय रूप है।" (The Marshallian version of the Quantity theory, i. e. $M=kY$ represents a fundamentally new approach to the problem of money and prices. It is not true, as is often alleged, that the cash balance equation is merely the quantity theory in a new algebraic dress Hansen)

कैम्ब्रिज समीकरणों की आलोचनाएँ (Criticisms of the Cambridge version)

किन्तु यद्यपि कैम्ब्रिज समीकरण फिशर के समीकरण की तुलना में अधिक उत्तम है, परन्तु यह भी पूर्णतया दोषमुक्त नहीं है। वास्तव में, मुद्रा-संचयन दृष्टिकोण के विरुद्ध भी बहुत सारी आलोचनाएँ दी जाती हैं जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं :—

(1) सर्वप्रथम तो यह एक पूर्ण मौद्रिक सिद्धान्त नहीं है जिसके द्वारा अर्थ-व्यवस्था में मूल्यों की प्रावैगिक प्रवृत्ति का अध्ययन किया जा सके। वास्तव में, कैम्ब्रिज समीकरण इस प्रावैगिक विश्व की जटिल एवं पेशीदी आर्थिक समस्याओं की व्याख्या करने में पूर्णतया असमर्थ है।

(2) इस सिद्धान्त के विरुद्ध दूसरी आलोचना यह दी जाती है कि "यह मुद्रा की माग के सभी निर्धारक तत्वों की व्याख्या नहीं करता।" यह परिकल्पना के उद्देश्य (Speculative motive) से ली गयी मुद्रा की माग पर कोई ध्यान नहीं देता किन्तु इसका मुद्रा की कुल माग के निर्धारण में विवेक महत्त्व है। इस प्रकार इस दृष्टिकोण ने अन्तर्गत भी मुद्रा की माग की धारणा अधूरी है।

(3) तीसरी आलोचना यह है कि चूँकि परिमाण सिद्धान्त के आदान-प्रदान रूप की तरह मुद्रा-संचयन दृष्टिकोण भी M एवं T को दिया हुआ मानता है, अतः इसके विरुद्ध भी वे सारी आलोचनाएँ दी जा सकती हैं जो परिमाण सिद्धान्त के आदान-प्रदान रूप के विरुद्ध दी जाती हैं।

(4) चौथी आलोचना यह है कि मुद्रा-संचयन दृष्टिकोण प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के रोजगार सिद्धान्त (Classical theory of Employment) पर आधारित है जो सर्वथा अमान्य है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने यह मान लिया था कि जमता की सम्पूर्ण माग सर्वदा इतनी रहती है जिससे कि समाज में पूर्ण रोजगार की स्थिति कायम हो जाती है, किन्तु यह धारणा वास्तव में गलत है। जब समाज में पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं रहती है तो ऐसी स्थिति में मुद्रा के परिमाण में वृद्धि होने से मूल्य-तल पर क्या प्रभाव पड़ता है यह केवल माग के परिवर्तन पर ही नहीं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि माग में परिवर्तन से उत्पादन एवं रोजगार में किस प्रकार वृद्धि होती है और इनमें वृद्धि का पारिश्रमिक एवं अन्य लागतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि मुद्रा के परिमाण में वृद्धि होने से उत्पादन में वृद्धि हो, किन्तु इसके साथ-ही-साथ पारिश्रमिक एवं अन्य लागतों में भी वृद्धि हो, तो मूल्य-तल में भी वृद्धि की प्रवृत्ति शायी जायगी, किन्तु कैम्ब्रिज विचारधारा में इस प्रकार के विश्लेषण का अभाव है। इसका कारण यह है कि इन लोगों ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के रोजगार-सम्बन्धी सिद्धान्त को स्वीकार किया है यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो मुद्रा का सिद्धान्त मूल्य एवं रोजगारी के सिद्धान्त का ही एक अंग है, किन्तु कैम्ब्रिज विचारधारा के अर्थशास्त्रियों ने इस दृष्टिकोण से इस प्रश्न पर विचार नहीं किया। आगे चलकर केन्स ने इस कमी को दूर करने का सफल प्रयास किया।

कैम्ब्रिज समीकरण में केन्स (Keynes) द्वारा संशोधन

या

केन्स का वास्तविक शेष समीकरण (Keynes' Real Balance Equation)

कैम्ब्रिज समीकरण में संशोधन करके केन्स ने अपनी पुस्तक "A Tract on Monetary

Refroms' में परिमाण सिद्धान्त का एक दूसरा समीकरण प्रस्तुत किया। इस समीकरण को केन्स का वास्तविक शेष समीकरण (Real Balance Equation) भी कहा गया है। केन्स का यह समीकरण निम्न प्रकार से है :—

$$n = P[K + rK^1] \quad -$$

$$\text{या } P = \frac{n}{K + rK^1}$$

इस समीकरण में n = चलन में मुद्रा की कुल मात्रा,

P = उपभोग की एक इकाई का मूल्य या उपभोक्ता वस्तुओं का मूल्य,

K = उपभोग की इकाइयों की मात्रा जिनके लिए मुद्रा के रूप में क्रय-शक्ति का संचय किया जाता है,

r = बैंक के जमा एवं नकद कोष का अनुपात, तथा

K^1 = उपभोग का इकाइयों की वह मात्रा जिनके लिए साल-मुद्रा के रूप में क्रय-शक्ति का संचय किया जाता है।

केन्स के समीकरण में साल-मुद्रा की भी आवश्यक स्थान दिया गया है। यह समीकरण मुद्रा-संचयन की प्रवृत्ति (Liquidity preference) पर आधारित है जिसका प्रयोग केन्स ने व्याज की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में किया है। केन्स के अनुसार चूंकि जनता के अपने पास नकद मुद्रा रखने की आदत में अल्पकाल में परिवर्तन नहीं होता, अतएव, K , K^1 एवं r वस्तुतः स्थिर रह जाते हैं। अतएव, वस्तु की कीमत (P) में परिवर्तन मुद्रा की मात्रा (n) में परिवर्तन के अनुसार ही होता है।

ध्यानपूर्वक विचार करने से यह स्पष्ट होगा कि फिशर तथा केन्स के समीकरणों में कोई मौलिक विभेद नहीं है। वास्तव में, ये दोनों समीकरण एक ही वस्तु के दो अलग-अलग दृष्टिकोणों को बतलाते हैं। केन्स का समीकरण मुद्रा की मात्रा पर ध्यान देता है जिसे जनता किसी निश्चित समय में अपने पास नकद-मुद्रा के रूप में भविष्य के लेन-देन के लिए रखना चाहती है। दूसरी ओर, फिशर का समीकरण मुद्रा की उस मात्रा पर ध्यान देता है जो किसी निश्चित समय में समाज के लेने देन के लिए आवश्यक समझी जाती है। इस प्रकार केन्स एक नियन समय (Point of time) की ओर संकेत करता है जबकि फिशर समय की एक अवधि (Period of time) की ओर संकेत करता है।

फिशर के समीकरण की तरह केन्स के समीकरण की सहायता से भी मुद्रा की क्रय-शक्ति का पता लगाना कठिन है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से तो यह समीकरण फिशर की अपेक्षा अधिक सही प्रतीत होता है, किन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण से यह अनुपयुक्त है। केन्स ने स्वयं अपने समीकरण के दोषों पर प्रकाश डाला है। इनके अनुसार P केवल उपभोग की इकाइयों के मूल्य तल की माप करता है। इसका अर्थ यह है कि मुद्रा केवल उपभोग की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए ही रखी जाती है, किन्तु यह विचार सत्य नहीं है क्योंकि द्रव्य का संचय अन्य व्यापारिक एवं व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी किया जाता है। अतएव, P का सम्बन्ध केवल उपभोग की वस्तुओं से ही नहीं, बल्कि सामान्य मूल्य-तल से होना चाहिए।

विशेष अध्ययन-सूची

1. Keynes : A Treatise on Money, Vol I—Chapters X and XIV
2. Crowther : An Outline of Money, Chapters III and IV
3. Chandler : An Introduction to Monetary Theory, Chapters II to IV
4. Halm : Monetary Theory, Chapter II
5. Robertson : Money, Chapter II
6. Hansen : Monetary Theory and Fiscal Policy, Chapters III, VI and IX.
7. Coulborn : An Introduction to Money, Chapter VI.

परिमाण सिद्धान्त के मूल दोष (Main Defects of the Quantity Theory).— मुद्रा के मूल्य-निर्धारण के सम्बन्ध में हमने पिछले अध्याय में परिमाण सिद्धान्त का अध्ययन किया है, किन्तु परिष्कृत रूप में भी इस सिद्धान्त के दो प्रमुख दोष हैं। सर्वप्रथम तो इस सिद्धान्त में मुद्रा के परिमाण (Quantity of Money) पर बहुत अधिक जोर दिया गया है मानो यही आर्थिक परिवर्तनों का प्रधान एवं एक मात्र कारण हो, किन्तु इस प्रकार की धारणा बिल्कुल भ्रामक है। उत्पादन एवं मूल्य-तल में अल्पकालीन परिवर्तनों (Short-term fluctuations of prices and production) की व्याख्या के सम्बन्ध में तो यह धारणा बिल्कुल ही भ्रामक है। अतएव, पिछले अध्याय में हम इस निष्कर्ष पर आये हैं कि परिमाण सिद्धान्त मूल्य-तल के दीर्घकालीन परिवर्तनों की व्याख्या करने में सहायक भले ही हो व्यवसाय-चक्र के अल्पकालीन परिवर्तनों की व्याख्या करने में यह बिल्कुल ही सहायक नहीं होता।

परिमाण सिद्धान्त का दूसरा प्रमुख दोष यह है कि यह मूल्य तल पर बहुत अधिक ध्यान देता है, मानो आर्थिक व्यवस्था का यह सर्वाधिक प्रमुख तत्व हो। निस्सन्देह मूल्य तल में परिवर्तनों का आर्थिक व्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि औद्योगिक त्रियाशीलता में जो कुछ भी परिवर्तन होते हैं, वे सभी मूल्य तल में परिवर्तन के ही परिणाम हैं। दूसरे शब्दों में, यह सोचना कि मूल्य-तल में परिवर्तन ही व्यवसाय-चक्र (Trade cycle) का एक मात्र कारण है, बिल्कुल भ्रामक है। वास्तव में मूल्य तल का व्यवसाय चक्र पर और व्यवसाय-चक्र का मूल्य-तल पर प्रभाव पड़ता है। दोनों एक-दूसरे के कारण एवं परिणाम हैं। इन दोनों को प्रभावित करनेवाली एक तीसरी शक्ति है जिसे आय (Income) कहते हैं।

आय का प्रभाव — आय सिद्धान्त के समर्थकों के अनुसार वर्तमान आर्थिक एवं मौद्रिक संगठन में आय का प्रधान स्थान है, मुद्रा के परिमाण का नहीं। इस सिद्धान्त के सबसे बड़े समर्थक केन्स (Keynes) महोदय हैं।¹ मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का सम्बन्ध असत मूल्य से है, आय, उत्पत्ति एवं रोजगार से नहीं। परिमाण सिद्धान्त के अनुसार वास्तविक आय उत्पादन के साधनों की मात्रा एवं योग्यता (Quantity and efficiency of the factors of production) पर निर्भर करती है। इसके समर्थकों के अनुसार पूर्णजीवाद् के अन्दर कोई स्वतः व्यवस्थापित शक्ति (Self adjusting force) काम करती है जो पूर्ण रोजगार (Full employment) की स्थिति बनाये रखती है। ऐसी स्थिति में मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन का प्रभाव केवल मूल्य तल पर पड़ता है, उत्पत्ति एवं रोजगार पर नहीं। किन्तु आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मूल्य-तल का भाव तथा रोजगारी से बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। ये कुल व्यय (Total expenditure) पर आधारित हैं जिस पर परिमाण सिद्धान्त में कोई विचार नहीं किया गया है। अतएव, वास्तव में मुद्रा के परिमाण की तुलना में कुल व्यय ही अधिक महत्वपूर्ण है।²

1 केन्स के मुद्रा के मूल्य सिद्धान्त को मुद्रा का आय सिद्धान्त (The Income Theory of Money) भी कहा जाता है, किन्तु केन्स के बहुत पहले ही इस सिद्धान्त का प्रारम्भ हो चुका था। वास्तव में, इस सिद्धान्त का जिक्र टूके (Tooke), विंकेसेल (Wickesell), अफ्हालियन (Aftalion) शुम्पेटर (Shumpeter), हाट्ट्रे (Hawtrey) तथा रॉबर्टसन (Robertson) जैसे सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के लेखों में मिलता है।

2 "The quantity of money is a secondary factor as compared with the volume of expenditure. The notion that the quantity of money is a causative factor in the state of business has given way to regarding it as a consequence. Changes in the level of prices are not the most important phenomenon of the economic system and we hold today that it is a lack of spending, a lack of income rather than a lack of money that produces a depression. The quantity of money, in short is not a dominant cause of the fluctuations of prices and is a very imperfect guide to the causes of trade cycle" — *Fandlay Sherris*.

कुल व्यय के परिमाण का प्रभाव रोजगारी, उत्पादन एवं कीमत सभी पर पड़ता है। हम यह जानते हैं कि एक व्यक्ति का व्यय दूसरे व्यक्ति की आय है। बिना किसी के व्यय किये दूसरे को आय नहीं प्राप्त होती। किसी समाज में कुल व्यय उत्पादन के सिलसिले में किया गया वह खर्च है जो उत्पादन के साधनों को अंततोगत्वा भाय के रूप में प्राप्त होता है। (Total expenditure are outlays made in the process of production, and these outlays are received by the factors of production, thus they become, in the period in question, income at factor cost) अतएव, मुद्रा के आय सिद्धांत की व्याख्या निम्न समीकरण के रूप में की जा सकती है -

$$P = \frac{Y}{O}$$

जिसमें P=मूल्य-तल (Price-level),

Y=मौद्रिक आय का परिमाण (Level of money income), और

O=उत्पादन अथवा वास्तविक आय का परिमाण (Level of output or Real income) का सूचक है।

मुद्रा के आय सिद्धांत की विवेचना के पूर्व हमके विकास का सक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण अनिवार्य है।

टूक के विचार

(Tooke on Income Theory)

भाय सिद्धांत का सबप्रथम समर्थन टूक ने अपनी पुस्तक "An Enquiry into the Currency Principle" में किया था।¹ टूक के अनुसार "मूल्य का निर्धारण मुद्रा के परिमाण द्वारा नहीं बरन आय द्वारा होता है। दूसरे शब्दों में, वस्तुओं का मूल्य मुद्रा के परिमाण पर निर्भर नहीं करता, बरन् मुद्रा का परिमाण कीमतों का परिणाम होता है।" (The prices of commodities do not depend upon the quantity of money, but that on the contrary, the amount of circulating medium is a consequence of prices) जिस प्रकार किसी वस्तु की पूर्ण उत्पादन व्यय द्वारा निश्चित होती है उसी प्रकार कुल मौद्रिक आय, जो उपभोग की वस्तुओं पर खर्च की जाती है, मांग की सीमा को निश्चित करती है। इससे यह निष्कर्ष-निवृत्ता है कि भाय का स्तर ही उपभोग की वस्तुओं की मांग को निर्धारित करता है। (It is the level of income that determines the effective demand for consumers' goods) इसी से कीमत भी निश्चित होती है।² इस प्रकार आय की मात्रा उपभोग की वस्तुओं पर किये जाने वाले व्यय को निर्धारित करती है।

टूक (Tooke) ने अपने सिद्धान्त में मांग पर ऊँची मजदूरी के प्रभाव की भी व्याख्या की है। इनके अनुसार ऊँची मजदूरी का प्रभाव दो तरफा होता है। (Wages cut both ways) दूसरे शब्दों में मजदूरी मांग तथा व्यय दोनों को प्रभावित करती है। एक ओर तो ऊँची मजदूरी से मांग बढ़ती है और दूसरी ओर ऊँची मजदूरी का अर्थ है लागत में वृद्धि। जबतक कार्यकुशलता नहीं होती तब तक उत्पादन-व्यय में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तुओं की पूर्ति बढ़ेगी जिससे मूल्य-तल में भी वृद्धि होगी।

1. Thomas Tooke—'An Enquiry into the Currency Principle,' 1814—pp 109-124

2 समीकरण के रूप में इसे इस प्रकार भी दिया जा सकता है $P_0 = \frac{D_0}{O_0}$

जिसमें P_0 = उपभोग की वस्तुओं का मूल्य,

D_0 = उपभोग की वस्तुओं की कुल मांग, तथा

O_0 = उपभोग की वस्तुओं की कुल पूर्ति।

विकसेल के विचार

(Wicksell's Analysis of the Income Theory of Money)

आय सिद्धान्त की व्याख्या विकसेल नामक स्वीडन के एक अर्थशास्त्री ने भी की है। उसने टूक के सिद्धान्त को अपने मुद्रा एव मूल्य सिद्धान्त का आधार माना, किन्तु विकसेल एव टूक के सिद्धान्तों में आय के निर्धारण में सूद के महत्त्व को लेकर मतभेद है। विकसेल के अनुसार आय का घटना या बढ़ना अथवा स्थायी रहना वास्तविक ब्याज दर (Natural rate of interest) एव मौद्रिक ब्याज दर या बाजार की दर (Market rate of interest) पर निर्भर करता है। जब वास्तविक ब्याज की दर मौद्रिक ब्याज की दर के बराबर होती है तो आय स्थायी होगी। यही विकसेल के मौद्रिक सतुलन की धारणा है। जब बाजार की दर वास्तविक ब्याज-दर से अधिक होगी तो बचत विनियोग की अपेक्षा अधिक होगी जिससे आय में कमी होगी। इस प्रकार परिणामस्वरूप मूल्यों में उत्तरोत्तर ह्रास होते जायगा। इसके विपरीत जब बाजार दर वास्तविक ब्याज-दर से कम होगी तो बचत की अपेक्षा विनियोग अधिक होगा। इससे आय में वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप मूल्य-तल में भी वृद्धि होगी।¹

किन्तु विकसेल (Wicksell) के सिद्धान्त की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि उसने आय के निर्धारण में केवल एक ही तत्त्व विनियोग पर अत्यधिक जोर दिया है तथा उपभोग जो एव दूसरा महत्त्वपूर्ण तत्त्व है, की अपेक्षा की है। साथ ही, उसने विनियोग को ब्याज की दर पर बिल्कुल आश्रित समझा है। अतएव विनियोग को प्रभावित करने में बैंक की शक्ति को अत्यधिक महत्त्व दिया है। विकसेल ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि कभी कभी विनियोग को प्रभावित करने में ब्याज की दर बिल्कुल असफल हो जाती है। विकसेल के सिद्धान्त का दूसरा प्रधान दोष यह है कि इसने गुणक (Multiplier) पर, जिसका आय एव मूल्य तल पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, ज़रा भी ध्यान नहीं दिया।

अफ्तालियन के विचार

(Aftalian on Income Theory)

1925 ई० में अफ्तालियन (Aftalian) ने एक समीकरण की सहायता से आय सिद्धान्त की विशद विवेचना प्रस्तुत की। इनका समीकरण है—

$$R=PQ$$

जिसमें R=मौद्रिक आय (Money Income),

P=मूल्य-तल (Price-Level), तथा

Q=कुल उत्पादन (Total Production) है।

उक्त समीकरण के आधार पर अफ्तालियन ने यह निष्कर्ष निकाला कि मूल्य-तल में परिवर्तन मौद्रिक आय एव वास्तविक आय के पारस्परिक सम्बन्ध पर अवलम्बित है। (Price fluctuation depends upon the respective movements of the money income in relation to the real income) यदि मौद्रिक आय में वृद्धि हो किन्तु वास्तविक आय ज्यों की त्यों रहे या कम हो जाय, तो मूल्य-तल में वृद्धि होगी।

अफ्तालियन (Aftalian) के अनुसार आय सिद्धान्त (Income Theory) का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आधुनिक मूल्य सिद्धान्त के बहुत समीप है। मौद्रिक आय में परिवर्तन का वस्तुओं की माग एव पूर्ति के परिवर्तन पर भी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार आय का सिद्धान्त माग एव मूल्य तल के निर्धारण में परिमाण सिद्धान्त की तरह मानवीय आधरण की अपेक्षा नहीं करता।

किन्तु टूक (Tooke) की तरह अफ्तालियन (Aftalian) भी आय के निर्धारक तत्वों की व्याख्या नहीं करता। वास्तव में, उसका प्रधान उद्देश्य व्यवसाय चक्र की व्याख्या करना था।

1 'A fall in the rate of interest below normal will cause the general level of prices to rise and in the same way a rise in the rate of interest above the normal will result in a continuous fall in the prices of goods and services.'

प्राच्युक्तिक पूँजीवादी-व्यवस्था में इसका प्रमुख कारण उत्पादन एवं उपभोक्ता की मात्रा में सामंजस्य स्थापित करने की कठिनाई है।

केम्स के मौद्रिक सिद्धान्त

(Keynes' Theory of Money)

उक्त तीनों अर्थशास्त्रियों की व्याख्या का सर्वाधिक प्रमुख दोष यह था कि इन्होंने आय के निर्धारक तत्वों का विश्लेषण नहीं किया था। इसके विशद विवेचन का श्रेय सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री लांड केम्स को है, किन्तु केम्स के मौद्रिक सिद्धान्त को समझने के पूर्व इसके विकास का ऐतिहासिक विवेचन अनिवार्य है। केम्स के मौद्रिक विचारों की शुरुआत उसकी पुस्तक 'A Tract on Monetary Reforms' से होती है। परिमाण सिद्धान्त के दोषों की व्याख्या करते हुए केम्स ने वास्तविक शेष समीकरण (Real Balances Equation) का निर्माण किया था। इस समीकरण की व्याख्या पिछले अध्याय में की गयी है, किन्तु केम्स (Keynes) का यह दृष्टिकोण भी परिमाण सिद्धान्त की तरह दोषपूर्ण है। अतएव, अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक "A Treatise on Money" में उन्होंने अपने मौद्रिक सिद्धान्तों में मौलिक परिवर्तन का समावेश किया। केम्स के अनुसार, "मौद्रिक सिद्धान्त का मुख्य उद्देश्य केवल मुद्रा की मात्रा एवं इसके बदले में मिलनेवाली वस्तुओं में स्थायी समीकरण स्थापित करना ही नहीं है बल्कि इस प्रकार के सिद्धान्त का मुख्य उद्देश्य तो इस समस्या के विभिन्न तत्वों की इस प्रकार से व्याख्या करना है जिससे कि मूल्य-तल के परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाय।"¹

केम्स के मौलिक समीकरण

(Keynes' Fundamental Equations)

उक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए केम्स ने मूल्य के निर्धारक तत्वों की व्याख्या का प्रयास किया है। इन्होंने मुद्रा के मूल्य का विश्लेषण तीन प्रकार की वस्तुओं के रूप में किया है—

- (1) उपभोग की वस्तुएँ (Consumption goods);
- (2) कुल उत्पादन (Total Output), एवं
- (3) विनियोग की वस्तुएँ (Investment goods)।

इस प्रकार केम्स ने निम्नलिखित मौलिक समीकरण (Fundamental Equations)² दिया है :—

(1) पहला मौलिक समीकरण —

E = समाज की कुल मौद्रिक आय (Total Money Income of the Community),
 I' = इस आय का वह भाग जो विनियोग की वस्तुओं के उत्पादन से प्राप्त होता है। अतएव I' नवीन पूँजी-विनियोग की लागत का मापक है (I' measures the cost of production of new investment goods); इसीलिये

$E - I' =$ वर्तमान उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन की लागत (Cost of production of current output of Consumption goods);

1. "The real balances Equation was given as $n = p(K + rK')$ in his 'A Tract on Monetary Reform' published in 1924. Six Years later appeared Keynes's Treatise on Money in two Volumes. The Fundamental Equations have been discussed in chapter 10 (Vol. I) of the Treatise."

2. "The fundamental problem of the monetary theory is not merely to establish identities or statistical equations relating to the turnover of monetary instruments to the turnover of things traded for money. The real task of such a theory is to treat the problem dynamically, analysing the different elements involved in such a manner as to exhibit the causal process by which the price-level is determined and the method of transition from one position of equilibrium to another."—Keynes—'A Treatise on Money' Vol. I

3. Keynes—A Treatise on Money—Vol. 1, Ch.—10.

S=बचत की मात्रा, इसलिए

E—S=आय का वह भाग जो वर्तमान उपभोग की वस्तुओं पर व्यय किया गया है (Current expenditure of income on consumption goods),

पुनः O=कुल उत्पादन (Total output of goods),

R=उपभोग की वस्तुओं एवं सेवाओं का परिमाण (The volume of liquid consumption goods and services),

C=पूँजी विनियोग में हुई शुद्ध वृद्धि (Net increment of investment),

अतएव $O = R + C$,

पुनः P=उपभोग की वस्तुओं का मूल्य तल (Price level of liquid consumption goods),

PR=उपभोग की वस्तुओं पर किया गया व्यय (current expenditure on Consumption goods),

तथा $\frac{EC}{O} = I'$ = नवीन पूँजी-विनियोजन के उत्पादन का व्यय (Cost of Production of new investment)।

अब चूँकि उपभोग की वस्तुओं पर किया जाने वाला कुल व्यय समाज की कुल आय एवं इसकी बचत के अन्तर के बराबर होता है, अतएव

$$PR = E - S = \frac{E}{O} (R + C) - S = \frac{E}{O} R + I - S$$

$$\text{या } P = \frac{E}{O} + \frac{I - S}{R}$$

केन्स का यह पहला मौलिक समीकरण (Fundamental Equation) है। इससे स्पष्ट है कि उपभोग की वस्तुओं का मूल्य स्तर दो बातों पर निर्भर करता है -

(क) $\frac{E}{O}$, यानी उत्पादन की प्रत्येक इकाई की लागत। केन्स ने इसे उत्पादन के साधनों का पारिथमिक (Efficiency earnings) कहा है।

(ख) $\frac{I - S}{R}$, यानी नये पूँजी-विनियोग के लागत व्यय एवं बचत में सम्बन्ध।

यदि $I = S$, यानी नयी पूँजी के विनियोजन का खर्च बचत के बराबर है, तो

$$\frac{I - S}{R} = 0 \text{ (Zero)}, \text{ यानी शून्य होगा। ऐसी स्थिति में उपभोग की वस्तुओं का मूल्य}$$

वस्तु की एक इकाई के उत्पादन के लागत व्यय के बराबर होगा।

केन्स के अनुसार दीर्घकाल में उपभोग की वस्तुओं का मूल्य तल $\frac{E}{O}$ वस्तुओं की एक इकाई के उत्पादन के लागत व्यय पर निर्भर करता है, किन्तु छल्पकाल में यह नये पूँजी विनियोजन तथा बचत के सम्बन्ध के अनुसार बदलते रहता है।

(2) दूसरा मौलिक समीकरण

यदि P = नये विनियोग की वस्तुओं का मूल्य स्तर (The Price-level of new investment goods),

π = सम्पूर्ण उत्पादन का मूल्य तल (The Price-level of output as a whole),
और $I = P C$ = नवीन विनियोग की वस्तुओं के मूल्य के बराबर (The value of increment of new investment goods),

$$\begin{aligned} \text{इसलिए } \pi &= \frac{PR + P'C}{O} \\ &= \frac{(E - S) + I}{O} \\ &= \frac{E}{O} + \frac{I - S}{O} \end{aligned}$$

यह केन्स का दूसरा मौलिक समीकरण (Second Fundamental Equation) है। इस समीकरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि कुल उत्पादन का मूल्य-तल निम्नांकित दो तत्त्वों पर निर्भर करता है—

(क) $\frac{E}{O}$, यानी उत्पादन की प्रति इकाई का लागत-व्यय तथा

(ख) $\frac{I - S}{O}$ यानी, नये पूँजी-विनियोजन के मूल्य तथा बचत के सम्बन्ध पर।

इस प्रकार केन्स (Keynes) के अनुसार दीर्घकाल में कुल उत्पादन का मूल्य-तल वस्तु की एक इकाई के लागत-व्यय $\left(\frac{E}{O}\right)$ पर निर्भर करता है, किन्तु अल्पकाल में यह नये पूँजी-विनियोजन एवं बचत के सम्बन्ध के अनुसार बदलते रहता है :-

पुनः मान लिया कि Q_1 = उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन एवं विक्रय से प्राप्त लाभ (The amount of the profit on the production and sale of consumption goods);

Q_2 = विनियोग की वस्तुओं के उत्पादन एवं विक्रय से प्राप्त लाभ (The profit on investment goods),

और Q = कुल लाभ (Total profit),

$$\therefore Q_1 = P \cdot R - \frac{E}{O} \cdot R$$

$$= E - S - (E - I')$$

$$= E - S - E + I'$$

$$= I' - S$$

अतएव, उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन एवं विक्रय से प्राप्त मुनाफा

= विनियोग की वस्तुओं की लागत - बचत

पुनः चूँकि $Q_2 = I - I'$

और $Q = Q_1 + Q_2$

$$\therefore Q = I - S$$

यानी सम्पूर्ण उत्पादन से प्राप्त मुनाफा = विनियोग की वस्तुओं की कीमत - बचत।

यदि $I = S$ तो सम्पूर्ण उत्पादन की कीमत स्थायी रहेगी क्योंकि ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण उत्पादन पर प्राप्त मुनाफा शून्य के बराबर होगा और सम्पूर्ण उत्पादन में परिवर्तन नहीं होगा।

यदि $I > S$ से अधिक है तो उपभोग की वस्तुओं पर लाभ होगा जिससे इनके उत्पादन में वृद्धि होगी। उत्पादन में यह वृद्धि मूल्य-स्तर में वृद्धि उत्पन्न कर देगी जिससे $\frac{E}{O}$, यानी उत्पादन की लागत में वृद्धि होने लगेगी। इसके विपरीत यदि $I < S$ से कम है तो उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन और विक्रय से हानि होगी जिससे मूल्य-तल में ह्रास की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जायगी। अतएव उपभोक्ता की वस्तुओं एवं सम्पूर्ण उत्पादन की वस्तुओं के मूल्य की स्थायी बनाने के लिए यह

आवश्यक है कि $I' = S$ और $I = S$ और इनसे प्राप्त मुनाफा शून्य के बराबर हो जिससे इनका मूल्य $\frac{E}{O}$, यानी उत्पादन की लागत के बराबर हो।

नये पूँजी विनियोजन का मूल्य बचत से अधिक होने का अर्थ यह है कि उत्पादको को आकस्मिक लाभ हो रहा है। अतः वे उत्पादन में वृद्धि करेंगे जिससे माय में वृद्धि होगी तथा मूल्य तल बढ़ेगा। इसके विपरीत नये पूँजी-विनियोजन का मूल्य बचत से कम होने पर उत्पादको को हानि होगी। फलतः वे उत्पादन में कमी करेंगे, जिससे आय घटेगी एवं मूल्य-तल भी कम होगा।

केन्स (Keynes) ने अपने इस विश्लेषण में विकसेल (Wicksell) की मौद्रिक व्याज दर एवं वास्तविक व्याज-दर की धारणा को अपनाया है। इनके अनुसार मौद्रिक एवं वास्तविक व्याज की दर को समान रख कर मौद्रिक अधिकारी मूल्य-तल को स्थायी बना सकते हैं क्योंकि ऐसी स्थिति में पूँजी-विनियोजन एवं बचत बराबर होंगे जिससे लाभ शून्य होगा। लाभ शून्य रहने से उत्पादन के बढ़ने या घटने की प्रेरणा का सर्वथा अभाव रहेगा एवं कीमतें भी स्थायी होंगी।

केन्स के मौलिक समीकरणों की आलोचना

यद्यपि केन्स के मौलिक समीकरण मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की अपेक्षा अधिक उत्तम हैं, फिर भी ये सर्वथा दोष रहित नहीं हैं। वास्तव में, केन्स (Keynes) का उक्त विश्लेषण निम्नांकित कारणों से दोषपूर्ण है—इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि इस विश्लेषण में केन्स का मुख्य उद्देश्य मूल्य-तल की जांच करना है किन्तु मूल्य-तल के प्रधान निर्धारक तत्त्व रोजगारी एवं आय है जिन्हें वह कोई महत्त्व नहीं देता। साथ ही, केन्स की आय की धारणा भी बिल्कुल सही है। केन्स की इस विचारधारा का सबसे बड़ा दोष पूँजी-विनियोजन तथा बचत में विषमता की धारणा को लेकर है। मौलिक समीकरणों में इस बात पर अधिक जोर दिया गया है कि कीमतों में परिवर्तन का कारण पूँजी-विनियोजन एवं बचत की विषमता है। इससे स्पष्ट है कि यदि इस विषमता को दूर किया जाय तो मूल्य-तल बहुत हद तक स्थायी रहेगा, किन्तु वास्तव में यह धारणा बिल्कुल गलत है। पूँजी-विनियोजन एवं बचत में समानता होते हुए भी यदि आर्थिक व्यवस्था रोजगारी के बहुत निम्न-स्तर पर हो, तो ऐसी स्थिति में अवस्थिति की प्रवृत्ति तीव्र रहेगी जिससे मूल्य-तल में हास होगा। इसी प्रकार इन दोनों में समानता होते हुए भी यदि आर्थिक व्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति हां तो इससे मूल्य तल में वृद्धि की प्रवृत्ति पायी जायगी।

केन्स (Keynes) स्वयं अपने मौलिक समीकरणों के दोषों को नहीं भूले थे। इन दोषों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने अपनी पुस्तक 'A Treatise on Money' में ही लिखा है कि ये "सारे समीकरण केवल विधिवत् एकरूपता एवं सिद्ध-वचन हैं जो स्वयं अपने-आप कुछ नहीं बतलाते और इस प्रकार मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के ही मित्र रूपों के समान हैं।" (All these equations are purely formal, they are mere identities, truisms which tell us nothing in themselves. In this respect, they resemble all other versions of the Quantity Theory of Money)।¹ इसी प्रकार आगे केन्स अपने समीकरण के दोषों पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि "दसवें अध्याय के समीकरण स्वयं एकरूपता के चिह्न होने के कारण वास्तविकता की दृष्टि से अन्य समीकरणों की तुलना में उत्तम नहीं हैं। इन समीकरणों के तत्त्वों की सुगमता-पूर्वक वर्तमान ज्ञान की सहायता से निर्धारित भी किया जा सकता है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि केन्स के मौलिक समीकरणों का कोई व्यावहारिक महत्त्व नहीं है। ये केवल मानसिक व्यायाम (mental gymnastic) के साधन मात्र हैं। क्लेन ने भी मौलिक समीकरणों के सम्बन्ध में प्रायः इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया है। इनके अनुसार मौलिक समीकरण फिगर के समीकरण ($MV = PT$) के साधन हैं जो किसी मौलिक आर्थिक आचरण की विवेचना नहीं करते। (The Fundamental equations were merely definitions. They were on a level with other famous equations in economics such as $MV = PT$ which do not tell us anything about fundamental economic behaviour — Klein—Keynesian Revolution)

जेनरल थियरी (General Theory) में केन्स के विचार

इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि केन्स ने अपनी पुस्तक 'A Treatise on Money' में जिस मौद्रिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया था वह शास्त्रीय (Classical) विचारधारा के बहुत समीप था। उसने आगे चलकर अपनी पुस्तक 'General Theory' में अपने विचारों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। स्वयं अपने मौद्रिक सिद्धांतों की आलोचना करते हुए केन्स ने अपनी पुस्तक 'General Theory' में लिखा है कि—

"When I began to write my *Treatise on Money*, I was still moving along the traditional lines of regarding the influence of money as something so to speak separate from general theory of supply and demand. When I finished it, I had made some progress towards pushing monetary theory back to becoming a theory of output as a whole. But my lack of emancipation from preconceived ideas showed itself in what now seems to me to be the outstanding fault of the theoretical parts of that work, that I failed to deal thoroughly with the effects of changes in the level of output. My so-called 'Fundamental Equations' were an instantaneous picture taken on the assumption of a given output. They attempted to show how, assuming the given output, forces could develop which involved a profit-disequilibrium, and this required a change in the level of output. But the dynamic development, as distinct from the instantaneous picture was left incomplete and extremely confused"¹

इस प्रकार अपनी पुस्तक 'General Theory' में केन्स (Keynes) ने अपने मौद्रिक सिद्धांतों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। इसमें इन्होंने मुद्रा के सिद्धांत एवं मूल्य के सामान्य सिद्धांत में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। जिस प्रकार किसी वस्तु का मूल्य उसकी मांग, लागत व्यय एवं उत्पादन पर निर्भर करता है, ठीक उसी प्रकार मूल्य-तल पर मुद्रा का जो प्रभाव पड़ता है वह मांग, लागत व्यय एवं उत्पादन के माध्यम से होता है। इस सिद्धांत के अनुसार, सामान्य मूल्य तल अर्थात् उत्पादन के साधनों के पारिश्रमिक एवं उत्पादन के परिमाण पर निर्भर करता है। (The general price level depends partly on the rate of remuneration of the factors of production which enter into marginal cost and partly on the scale of output) अतएव, मुद्रा के परिमाण में वृद्धि का मूल्य-तल पर जो प्रभाव पड़ता है वह निम्नांकित तीन बातों से जाना जा सकता है —

1. मुद्रा के परिमाण में वृद्धि के फलस्वरूप सम्पूर्ण मांग किस प्रकार से प्रभावित होती है।
2. सम्पूर्ण मांग में परिवर्तन होने से मजदूरी की इकाई में कहीं तक परिवर्तन होता है?, तथा
3. सम्पूर्ण मांग में परिवर्तन रोजगार (Employment) से किस प्रकार प्रभावित होता है?

मुद्रा के परिमाण में वृद्धि का अर्द्ध बेकारी (Under-employment) की स्थिति में जो प्रभाव पड़ता है उसका विश्लेषण केन्स ने निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर किया है —

- (क) मुद्रा के परिमाण में वृद्धि के अनुपात में ही सम्पूर्ण मांग के परिमाण में वृद्धि होती है।
- (ख) जब तक साधन बेकार रहते हैं, वे एक निश्चित एवं समान पारिश्रमिक पर कार्य करने के लिए तैयार हैं। अतएव बेकारी की स्थिति में मजदूरी में वृद्धि नहीं होती जिससे उत्पादन का खर्च प्रायः समान रहता है तथा
- (ग) बेकार साधन एक दूसरे के बदले लगे जा सकते (Inter-changeable and perfectly substitutable) हैं, उत्पादन की वृद्धि के साथ-साथ लागत में वृद्धि

नहीं होती क्योंकि उत्पादन समान उत्पत्ति (Constant return) की स्थिति में होता है।

अतएव, बेकारी की स्थिति में मुद्रा के परिमाण में वृद्धि का कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में मुद्रा की वृद्धि न समाज की सम्पूर्ण मांग एवं रोजगारी में उसी अनुपात में वृद्धि होती है, कि तु पूरा रोजगार की स्थिति में मुद्रा के परिमाण में वृद्धि होने से मजदूरी एवं कीमतों में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं होती। केन्स के शब्दों में, 'जबतक बेरोजगारी रहती है रोजगारी उसी अनुपात में बढ़ती है जिस अनुपात में मुद्रा के परिमाण में वृद्धि होती है और पूरा रोजगारी की स्थिति में मूल्य में मुद्रा की मात्रा के अनुपात में वृद्धि होती है। (So long as there is unemployment employment will change in the same proportion as the quantity of money and when there is full employment, prices will change in the same proportion as the quantity of money.)'¹

किन्तु वास्तव में आर्थिक व्यवस्था में ये सब चीजें इतनी सुगमतापूर्वक नहीं हो जाती। पूर्ण रोजगार की स्थिति के पूर्व ही मुद्रा के परिमाण में वृद्धि के फलस्वरूप मूल्य-तल में भी वृद्धि हो सकती है। साथ ही, उत्पादन के सभी साधन एकजातीय (Homogeneous) नहीं होते। अतएव उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुछ साधन तो पूर्ण रोजगारी की स्थिति में पहुँच जायेंगे और दूसरे साधन बेकार ही रह जायेंगे। रोजगारी में वृद्धि के साथ साथ श्रमिक सघों की ताकत भी बढ़ने लगेगी जिससे मजदूर ऊँची मजदूरी की मांग करने लगेंगे और उत्पादकों को इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इस प्रकार बेकारी की स्थिति में भी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के फल स्वरूप सम्पूर्ण मांग तथा रोजगारी में समान अनुपात में वृद्धि नहीं होती। केन्स (Keynes) के ही शब्दों में बेकारी की स्थिति में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणामस्वरूप बेकारी की स्थिति में मूल्यों के विलकुल स्थायी रहने एवं रोजगार की स्थिति में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के अनुपात में ही मूल्य तल में वृद्धि होने के बजाय हम वास्तव में यह पाते हैं कि बेरोजगारी में वृद्धि के साथ साथ मूल्यों में धीरे धीरे वृद्धि होती है।² (Thus instead of constant prices in conditions of unemployment, and of prices rising in proportion to the quantity of money in conditions of full employment, we have in fact a condition of prices rising gradually as employment increases)

बेकारी की स्थिति में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से समाज की सम्पूर्ण मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसका विश्लेषण निम्न प्रकार से किया जाता है —

- (क) मुद्रा सचय की प्रवृत्ति पर इसका प्रभाव (Effects on Liquidity Preference),
- (ख) पूँजी की सीमांत उत्पादकता (Marginal productivity of capital) एवं विनियोग पर इसका प्रभाव तथा
- (ग) विनियोग गुणक का परिमाण (Size of Investment multiplier) एवं उपभोग।

बेकारी की स्थिति में यदि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से मुद्रा सचय की प्रवृत्ति (Liquidity preference) में कोई वृद्धि नहीं हो तो व्याज की दर बहुत कम हो जायगी, किन्तु यदि मुद्रा सचय की प्रवृत्ति में समानुपातिक वृद्धि हो, तो व्याज की दर प्रवृत्त ही रहेगी। मुद्रा के परिमाण में वृद्धि के फलस्वरूप यदि मुद्रा सचय की प्रवृत्ति में कमी हो तो व्याज की दर में कमी होगी। इससे विनियोग को प्रोत्साहन मिलेगा। विनियोग में वृद्धि होने से मांग में वृद्धि होगी। विनियोग में वृद्धि के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण मांग में वृद्धि होगी यह विनियोग गुणक के परिमाण (Size of the Investment multiplier) पर निर्भर करता है। यदि विनियोग गुणक का परिमाण बहुत कम है तो सम्पूर्ण मांग में बहुत कम वृद्धि होगी। इसके फलस्वरूप रोजगार में भी बहुत कम वृद्धि होगी।

मुद्रा के परिमाण में वृद्धि विनियोग को प्रोत्साहित करती है जिससे अतिरिक्त आय एवं

1 Keynes' General Theory of Employment Interest and Money p 296

2 Keynes' -General Theory p 296



रोजगारी की सृष्टि होती है। इस अतिरिक्त आय एवं रोजगारी में वृद्धि के फलस्वरूप अन्य उद्योगों की वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि होती है। इससे सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था प्रभावित होती है। इस प्रकार समाज की कुल मांग में प्रारम्भिक विनियोग की प्रयत्ना कई गुना अधिक वृद्धि होती है। प्रारम्भिक विनियोग के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण आय में वृद्धि जिसे गुणक (Multiplier) के द्वारा व्यक्त किया जाता है, दो बातों पर निर्भर करती है— (क) उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, तथा (ख) मुद्रा-संचय की प्रवृत्ति। यदि आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति में भी वृद्धि हो, तो गुणक का परिमाण बहुत अधिक होगा। उदाहरण के लिए, यदि प्रारम्भिक विनियोग का परिमाण 1 हो और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति $\frac{4}{5}$ (यानी अतिरिक्त आय का $\frac{4}{5}$ भाग उपभोग में व्यय किया जाता हो) तो—

$$\text{गुणक} = \frac{1}{1 - \frac{4}{5}} = \frac{1}{\frac{1}{5}} = 5$$

इसके विपरीत यदि आय में वृद्धि के साथ साथ मुद्रा-संचय की प्रवृत्ति में भी वृद्धि होती हो, यानी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति में कमो हो तो गुणक का परिमाण भी कम होगा। यदि मुद्रा-संचय की प्रवृत्ति $\frac{1}{5}$ (यानी लोग अपनी आय का $\frac{1}{5}$ भाग अपने पास रखते हैं) तो गुणक पांच होगा और यदि मुद्रा संचय की प्रवृत्ति $\frac{1}{4}$ है तो गुणक 4 होगा। दूसरे शब्दों में, मुद्रा-संचय की प्रवृत्ति एवं गुणक में ढीक विपरीत (Reciprocal) सम्बन्ध है।

इस प्रकार बेकारी की स्थिति में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से राष्ट्र की आय एवं रोजगारी में वृद्धि होती है। राष्ट्र की आय एवं रोजगारी में वृद्धि उस मांग की वृद्धि पर निर्भर करता है जो अतिरिक्त मुद्रा की सृष्टि से प्रोत्साहित होती है। साथ ही, आय एवं रोजगार में वृद्धि के साथ-साथ कीमतों में भी वृद्धि की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। इसके विभिन्न कारण हैं— सर्वप्रथम तो उत्पादन की सीमांत लागत बढ़ने लगती है। साथ ही कुछ साधन सीमित होने हैं जिससे वे भी अधिक ही पूर्ण रोजगार की स्थिति में पहुँच जाते हैं। इससे उत्पादन की वृद्धि में भौतिक कठिनाई होने लगती है। कीमतों में वृद्धि का एक प्रमुख कारण थमिकों के पारिभ्रमिक में भी वृद्धि है।



बेकारी की स्थिति में मुद्रा के परिमाण में वृद्धि के फलस्वरूप मांग में जो वृद्धि होती है उसने उत्पादन, रोजगारी, मजदूरी एवं मूल्य-तल किस प्रकार से प्रभावित होने हैं इसकी व्याख्या निम्नलिखित चित्रों के द्वारा भी की जा सकती है—



उपरोक्त चित्र A में OD रेखा पर Effective demand तथा OO' रेखा पर उत्पादन (output) दिखाया गया है। चित्र से यह स्पष्ट है कि प्रभावपूर्ण मांग (Effective demand) में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप पहले उत्पादन में तेजी से वृद्धि होती है, किन्तु आगे चलकर यह वृद्धि धीरे-धीरे होने लगती है।

इसी प्रकार चित्र B में OD रेखा पर Effective demand तथा ON रेखा पर रोजगारी (Employment) दिखाया गया है। चित्र से स्पष्ट है कि Effective demand में वृद्धि के फलस्वरूप पहले रोजगारी (Employment) में बहुत तेजी से वृद्धि होती है, किन्तु जैसे-जैसे पूर्ण

रोजगारी (Full employment) की स्थिति आती जाती है, वैसे-वैसे रोजगार में प्रभावपूर्ण माग की अपेक्षा कम वृद्धि होती है।



इसी तरह चित्र C में OD रेखा पर Effective demand तथा OP रेखा पर मूल्य-तल (Price level) दिखाया गया है। चित्र से स्पष्ट है कि Effective demand में वृद्धि के फलस्वरूप पहले तो मूल्य-तल में कम वृद्धि होती है, किन्तु जैसे-जैसे पूर्ण रोजगार की स्थिति निकट आती जाती है, मूल्य-तल में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होती जाती है।

इसी प्रकार चित्र D में OD रेखा पर Effective demand तथा OW रेखा पर मजदूरी (Wages) को दिखाया गया है। चित्र से स्पष्ट है कि effective demand में वृद्धि के परिणामस्वरूप पहले मजदूरी में कम वृद्धि होती है, किन्तु जैसे-जैसे पूर्ण रोजगार की स्थिति निकट आती जाती है, वैसे-वैसे मजदूरी में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होती जाती है।

इसके विपरीत पूर्ण रोजगारी (Full employment) की स्थिति में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से अल्पकाल में उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि नहीं होती तथा मजदूरी में समानुपातिक वृद्धि होने लगती है। इन सबके परिणामस्वरूप अविस्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

विशेष अध्ययन-सूची

1. Keynes : A Treatise on Money, Vol. I Chs. X and XIV.
2. Keynes : A General Theory of Employment, Interest and Money, Chapter, XXI
3. Crowther : An Outline of Money, Chapters II and IV.
4. G. N. Halm : Monetary Theory, Chapter III
5. A. H. Hansen : Monetary Theory and Fiscal Policy, Chapters III, VI and XI
6. K. K. Kurihara : Monetary Theory and Fiscal Policy, Chapter IV.

अध्याय : 13

बचत एवं विनियोग सिद्धान्त

(Saving and Investment Theory)

प्राक्कथन बचत एवं विनियोग सिद्धान्त (Saving and Investment Theory) मुख्यतः केन्स (Keynes) के नाम से सम्बन्धित है। मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त (Quantity Theory of Money) के आलोचकों के अनुसार यह सिद्धान्त मूल्य तल में परिवर्तन के क्रम की स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं करता, किन्तु बचत एवं विनियोग सिद्धान्त के समर्थकों के अनुसार इस सिद्धान्त की सहायता से मूल्य-तल तथा इसके परिवर्तन के कारणों की पूर्ण रूप से व्याख्या की जा सकती है।

किसी देश की कुल आय (Total Income) वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने में व्यय की जाती है। वस्तुएँ दो प्रकार की होती हैं—एक तो क्षणिक या तत्काल उपभोग की वस्तुएँ जिन्हें चालू वस्तुएँ (Current goods) कहते हैं तथा दूसरी वे जो उत्पादन के कार्य में प्रयोग की जाती हैं जिन्हें टिकाऊ वस्तुएँ (Durable goods) कहा जाता है। इन्हीं दो प्रकार की वस्तुओं को खरीदने में समाज की सम्पूर्ण आय को व्यय किया जाता है। जो व्यय चालू वस्तुओं के क्रय में किया जाता है उसे उपभोग (Consumption) कहते हैं तथा जो व्यय टिकाऊ वस्तुओं के खरीदने में किया जाता है उसे बचत (Savings) कहा जाता है। जो आय किसी प्रकार की वस्तुओं पर व्यय नहीं की जाती है, उसे भी सचय अथवा बचत (Saving) कहते हैं। इस प्रकार बचत दो प्रकार की हुई—(1) नकद बचत (Saving in cash) तथा (2) वस्तु सचय (Saving in goods)। वस्तु-सचय (Saving in goods) को विनियोग (Investment) भी कहा जा सकता है।

इस प्रकार बचत (Saving) आय (Income) एवं उपभोग (Consumption) के अन्तर को बतलाती है, यानी $Saving = Income - Consumption$ । क्रॉथर (Crowther) के शब्दों में 'किसी व्यक्ति को बचत उसकी आय का वह भाग है जो उपभोग पदार्थों पर व्यय नहीं की जाती है।' (A man's saving is that part of his income which is not spent on consumption goods) इसी प्रकार "विनियोग (Investment) आय का वह भाग है जो पूँजीगत वस्तुओं पर व्यय किया जाता है।" किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था के स्थायित्व तथा विकास के लिए सम्पूर्ण बचत अथवा उसके अंशगत भाग का विनियोग अति आवश्यक है।

बचत एवं विनियोग के पारस्परिक सम्बन्ध का अध्ययन कई दृष्टिकोण से किया गया है जिनमें निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं—

- (1) प्रतिष्ठित दृष्टिकोण,
- (2) स्वीडन के अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण,
- (3) रॉबर्टसन का दृष्टिकोण, तथा
- (4) केन्स का दृष्टिकोण।

प्रतिष्ठित दृष्टिकोण (Classical Approach) — प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थ व्यवस्था में सदा पूर्ण रोजगार की स्थिति की प्रवृत्ति बत मान रहती है। इस कारण प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह मान्यता थी कि 'पूर्ति स्वयं अपने लिए मांग का निर्माण करती है।' (Supply creates its own demand) दूसरे शब्दों में उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ मांग में भी समानुपातिक वृद्धि होती है जिससे इसमें कमी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, यानी जो कुछ भी समाज में उत्पन्न होगा उसकी वित्री भी अवश्य ही हो जायगी।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार समाज में बचत सूद की दर से प्रभावित होती है। बचत बढ़ने से सूद की दर में कमी होती है। इसी प्रकार विनियोग भी व्याज की दर से प्रभावित होता है। व्याज की दर में कमी से विनियोग को प्रोत्साहन मिलता है। अतएव, इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार यदि समाज में आय की वृद्धि के साथ-साथ बचन में वृद्धि होती है तो इसके परिणामस्वरूप व्याज की दर में कमी होगी। व्याज की दर में कमी से विनियोग में वृद्धि होगी तथा इस प्रकार बचत एवं विनियोग में समानता स्थापित हो जायगी एवं समाज में पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो जायगी। इस प्रकार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार अथ व्यवस्था में सन्तुलन की स्थिति पूर्ण रोजगार की स्थिति है जिसमें बचत एवं विनियोग में सूद की दर के द्वारा समानता स्थापित हो जाती है।

किन्तु, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की यह धारणा स्वीकार नहीं की जा सकती। वास्तव में, इस प्रकार की धारणा कई आवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है जिन्हें हम वास्तविक जीवन में स्वीकार नहीं कर सकते। सर्वप्रथम तो, उन लोगों ने यह समझा था कि समाज में विनियोग के असीम अवसर वर्तमान हैं। अतएव, समाज में जो बचत होती है उसका विनियोग निश्चित रूप से किया जाता है, किन्तु इस प्रकार की धारणा वस्तुतः गलत है। वास्तव में, सम्पूर्ण बचन का विनियोग नहीं हो सकता है। जब पूँजी की सीमांत उत्पादकता बहुत कम होती है, तो बचत को लोग विनियोग नहीं करना चाहते। साथ ही, बचत की वृद्धि से सूद की दर में कमी हो, यह भी आवश्यक नहीं है। साधारणतः यह देखा जाता है कि बचत समाज की आय पर निर्भर करती है। जब आय बढ़ती है तो बचत भी बढ़ती है और व्याज की दर में भी वृद्धि होती है। व्याज की दर में वृद्धि से विनियोग में बचत के अनुपात में वृद्धि नहीं होती। इससे पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त नहीं होती तथा अर्थ-व्यवस्था पूर्ण रोजगार से कम ही बिन्दु पर सन्तुलन की स्थिति में आ जाती है।

साथ ही, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की यह धारणा कि विनियोग केवल सूद की दर पर अवलम्बित है, पूर्ण रूप से सही नहीं है। वास्तव में, विनियोग पूँजी की सीमान्त उत्पादकता तथा व्याज की दर के पारस्परिक सम्बन्ध पर निर्भर करता है, किन्तु इन अर्थशास्त्रियों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। इन लोगों के अनुसार समाज की आय में वृद्धि का क्रम यह है कि पहले बचत में वृद्धि होती है, बचत में वृद्धि होने से सूद की दर में कमी होती है और विनियोग बढ़ता है एवं आय भी बढ़ती है, किन्तु आय में वृद्धि की यह धारणा सही नहीं है। बचत एवं विनियोग समाज की आय के निर्धारक तत्त्व नहीं हैं। आय का निर्धारण अन्य विभिन्न तत्त्वों द्वारा होता है जिनमें उपभोग की प्रवृत्ति, पूँजी की सीमान्त उत्पादकता, मुद्रा-संचय की प्रवृत्ति एवं मुद्रा की राशि इत्यादि उल्लेखनीय हैं। बचत एवं विनियोग तो स्वयं समाज में उपभोग एवं विनियोग की प्रवृत्ति से निर्धारित होने हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की राय थी कि यदि कोई व्यक्ति बचन करता है तो वह समाज के पूँजी निर्माण में सहायता देता है, किन्तु इस प्रकार की धारणा वास्तव में प्रत्येक स्थिति में ठीक नहीं है। यदि समाज की बचत में वृद्धि होती है तो वस्तुओं की मांग कम हो जाती है और यदि बचत के परिणामस्वरूप विनियोग में वृद्धि नहीं होती तो सम्भव है कि समाज की आय में बचत के फलस्वरूप कमी ही होगी।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा व्याज की दर को अनावश्यक रूप से महत्व दिया गया है। साथ ही, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह विचार कि केवल पूर्ण रोजगार की स्थिति में ही बचत एवं विनियोग की समानता प्राप्त होती है, सही नहीं है। विनियोग एवं बचत में अर्थ व्यवस्था की कई अवस्थाओं में समानता हो सकती है।

स्वीडन के अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण—स्वीडन के अर्थशास्त्रियों में विनसेल तथा ओह्लिन ने मुख्य रूप से बचत एवं विनियोग के प्रश्न पर विचार किया है। इन्होंने आय, बचत एवं विनियोग आदि धारणाओं का निम्नांकित दो अर्थों में प्रयोग किया है—(1) वास्तविक (Ex-post), तथा (2) प्रत्याशित (Ex-ante)।

इनके नास्तविक विचार (Ex-post) के अनुसार बचत तथा विनियोग भूतकाल की वास्तविक चीजें समझी जाती हैं। केन्स की तरह स्वीडन के अर्थशास्त्री बचत एवं विनियोग को वास्तविक

रूप में परिभाषित कर उन्हें सदा बराबर मानते हैं। इनके अनुसार बचत एव विनियोग दोनों ही $Y-C$ के बराबर हैं। इनमें Y कुल आय तथा C उपभोग है।

प्रत्याशित दृष्टि से (*Ex ante*) आय, बचत एव विनियोग वास्तविक दृष्टिकोण से बिल्कुल भिन्न हैं। प्रत्याशित दृष्टि से आय, विनियोग एव बचत का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति या फर्म भविष्य में आनेवाले समय को ध्यान में रखकर वर्तमान में इनके सम्बन्ध में क्या अनुमान रखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति भविष्य में किसी विशेष आय की आशा करता है जिसका एक भाग वह उपभोग पर व्यय करने की योजना बनाता है तथा दूसरा भाग बचत के रूप में रखने की योजना तैयार करता है। इसी प्रकार उत्पादक भी भविष्य में वस्तुओं की कीमत के सम्बन्ध में कुछ विशेष अनुमान लगाते हैं और ब्याज की दर उत्पादन व्यय तथा समाज की माग का अनुमान कर विनियोग की योजना तैयार करते हैं। इस प्रकार इन सभी व्यक्तियों एव फर्मों की अनुमानित आय, अनुमानित बचत तथा अनुमानित विनियोग को प्राप्त किया जा सकता है।

अतः इस बात की कल्पना कि आयोजित बचत एव आयोजित विनियोग सदा बराबर होते हैं उचित नहीं है, क्योंकि आयोजित बचत एव आयोजित विनियोग दोनों दो वर्ग के व्यक्तियों के हाथ में हैं, किन्तु जब समय व्यतीत हो जाता है तो वास्तविक बचत वास्तविक विनियोग के बराबर हो जाती है। यदि आयोजित विनियोग एवं आयोजित बचत में समानता नहीं है तो वास्तविक आय प्रत्याशित आय से भिन्न होगी। इसी प्रकार वास्तविक विनियोग भी प्रत्याशित विनियोग एव वास्तविक बचत प्रत्याशित बचत से भिन्न होगी। इनके अन्तर को हम अप्रत्याशित आय, अप्रत्याशित विनियोग तथा अप्रत्याशित बचत कहेंगे। यदि आयोजित विनियोग आयोजित बचत से अधिक है तो वास्तविक आय अनुमानित आय से अधिक होगी। वास्तविक आय एव अनुमानित आय के अन्तर को हम अप्रत्याशित आय कहेंगे और आयोजित बचत तथा अप्रत्याशित आय का योगफल वास्तविक विनियोग के बराबर होगा। इस प्रकार वास्तविक विनियोग एव वास्तविक बचत बराबर होंगे, क्योंकि बचत में अप्रत्याशित आय की मात्रा के बराबर वृद्धि हुई है।

इस प्रकार इतलोगो के अनुसार प्रत्याशित (*Ex-ante*) दृष्टिकोण से बचत तथा विनियोग में असमानता हो सकती है, किन्तु वास्तविक (*Ex-post*) दृष्टिकोण से दोनों ही सदा समान होते हैं।

स्वीडेन के अर्थशास्त्रियों की बचत एव विनियोग की धारणा की भी कई कारणों से आलोचना की गयी है। इतलोगों ने भी बचत एव विनियोग की ब्याज की दर पर भ्रूलम्बित माना है। किन्तु, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं यह धारणा पूर्णतः सही नहीं है। इतना ही नहीं, बचत एवं विनियोग में सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया की भी इनकी व्याख्या सतोपजनक नहीं है। साथ ही, उनलोगो ने इस बात की भी कल्पना नहीं की है कि बचत का व्यवहार भी आय पर निर्भर करता है। इससे इनके विश्लेषण में सन्निहित बचत की तालिका एव विनियोग की तालिका की धारणा भी सूद की दर पर ही निर्मित की गयी थी, आय के आचार पर नहीं। यह धारणा में सही नहीं है। इसके अतिरिक्त बचत एव विनियोग के असमान होने से ही समाज को सम्पूर्ण माग भी प्रभावित होती है और समाज की सम्पूर्ण माग के प्रभावित होने से आय एव रोजगारी में भी परिवर्तन होते हैं। स्वीडेन के अर्थशास्त्रियों ने इस प्रकार के विश्लेषण का भी अभाव है।

रॉबर्टसन का दृष्टिकोण

बचत एव विनियोग के सम्बन्ध में प्रो० रॉबर्टसन (*Robertson*) ने भी अपना विचार व्यक्त किया है। इनके अनुसार बचत एव विनियोग में असमानता रहती है जिसका आर्थिक व्यवस्था पर बहुत ही गम्भीर प्रभाव पड़ता है। ये विश्लेषण की एक विशेष विधि को अपनाते हैं जिसे समय विश्लेषण (*Period analysis*) कहते हैं। इस विचारधारा के अनुसार आय का प्रवाह अबाध नहीं होता। व्यक्ति को माग की आय तब ही खर्च की जा सकती है। व्यक्ति की आज की आय को वे उराजित आय कहते हैं जो कल व्यय-साध्य आय होगी। आज की व्यय-साध्य आय मु० मौ० सं०—9

एक दिन पहले की उपाजित आय है, या दूसरे शब्दों में, आज की उपाजित आय कल ही व्यय-साध्य आय हो सकती है। अतएव, किसी खास दिन की बचत उस दिन की व्यय-साध्य आय एव उसी दिन के उपभोग पर किये गये व्यय के अन्तर के बराबर होती है। किसी खास दिन का विनियोग उस दिन मये विनियोग की वस्तुओं पर किया गया वास्तविक व्यय होता है। अतएव, विनियोग बचत से बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि आय से प्राप्त बचत के अतिरिक्त अन्य साधनों से भी विनियोग का होना सम्भव है। यह अतिरिक्त विनियोग बैंक मुद्रा अथवा पूर्व संचित धन से हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप किसी खास दिन की उपाजित आय एक दिन पूर्व की उपाजित आय से अधिक होती है और इसलिए उस दिन की व्यय-साध्य आय से भी अधिक होगी। इसलिए जब विनियोग बचत से अधिक होता है तो किसी विशेष दिन की उपाजित आय व्यय साध्य आय से अधिक होती है और मुद्रा-स्फोति को सृष्टि करती है, किन्तु इसके विपरीत जब बचत विनियोग से अधिक है तो आज की उपाजित आय एक दिन की उपाजित आय से कम होगी और इसलिए आज की व्यय-साध्य आय से भी कम होगी। इसके परिणामस्वरूप अपस्फोति की सृष्टि होगी।

इस प्रकार बचत एव विनियोग के सम्बन्ध में प्रो० रॉबर्टसन की यही धारणा है। रॉबर्टसन ने आय को मौद्रिक अर्थ में लिया है जिसका अर्थ है सम्पूर्ण खरीद-विक्री का मौद्रिक मूल्य, किन्तु केन्स ने आय का प्रयोग दूसरे ही अर्थ में किया है। इनके अनुसार आय का अर्थ है उत्पादित वस्तुओं का मूल्य जिसका रॉबर्टसन के विश्लेषण में बिल्कुल प्रभाव है। इस तरह रॉबर्टसन का बचत एव विनियोग सम्बन्धी विश्लेषण भी सतोपजनक नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन्होंने बचत, उपभोग एव आय की व्याख्या समय की दृष्टि से की है, किन्तु इसमें कार्य-कारण का सम्बन्ध स्थापित किया गया है। यदि ऐसा सम्बन्ध स्थापित किया गया होता, तो बचत एव विनियोग को आय के ऊपर आधारित समझा जाता, किन्तु इस प्रकार की बात हम रॉबर्टसन के दृष्टिकोण में नहीं पाते हैं।

केन्स का दृष्टिकोण

केन्स के प्रारम्भिक विचार :—बचत एव विनियोग के सम्बन्ध में केन्स के पहले तथा बाद के विचारों में बहुत अन्तर है। अपनी पुस्तक 'A Treatise on Money' में केन्स ने विकसेल के विचारों को अपनाया था। इनके अनुसार जब वास्तविक ब्याज की दर (Natural rate of interest) बाजार-दर (Market rate) के बराबर होती है तो बचत एव विनियोग बराबर होते हैं और यह मौद्रिक सतुलन (Monetary equilibrium) की स्थिति होती है जब बाजार दर (market rate) वास्तविक ब्याज की दर से कम होती है तो विनियोग बचत से अधिक होगा। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन, रोजगारी तथा मूल्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए, हम मान लें कि देश की कुल आय 2000 रुपये है जिसका $\frac{1}{3}$ भाग उपभोग किया जाता है तथा $\frac{2}{3}$ भाग, यानी 500 रुपये बचत होती है। अब, यदि किसी कारणवश विनियोग के प्रति लोग अधिक आकर्षित हो जायें और 600 रुपये विनियोग में व्यय हो तो इसका अर्थ यह होगा कि विनियोग बचत से अधिक होगा। विनियोग की वृद्धि के दो कारण हो सकते हैं—(1) उपभोग पुराने सचय का 100 रुपये विनियोग में लगायेंगे, या (2) मुद्रा या साख-पत्र की मात्रा में वृद्धि से अतिरिक्त विनियोग की रकम प्राप्त होगी। इसके फलस्वरूप द्वितीय वर्ष की आय में वृद्धि हो जायगी [आय = 1500 रुपये उपभोग की वस्तु से + 600 रुपये विनियोग की वस्तुओं से = 2100 रुपये हो जायगी]। इससे पूंजीगत वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। अतएव, इन वस्तुओं के उत्पादक अधिक साधनों को लगायेंगे जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। इससे उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादक भी अपना उत्पादन बढ़ायेंगे। इस प्रकार रोजगार में वृद्धि होगी जिससे आय बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा एव तेजी (Boom) का सृजन होगा।

इसके ठीक विपरीत जब बाजार दर वास्तविक ब्याज की दर (Natural rate of Interest) से अधिक होगी तो विनियोग बचत से कम होगा। विनियोग कम होने से आय कम होगी, आय कम होने से वस्तुओं की मांग कम होगी, रोजगार कम होगा, उत्पादन कम होगा और इस प्रकार मूल्य-तल में कमी होगी एव मन्दी (Slump) का सृजन होगा।

केन्स के बाद के विचार :—किन्तु, बाद में केन्स ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 'General

'Theory' में अपने इन विचारों का विल्कुल परित्याग कर दिया तथा इस प्रश्न पर एक नये दृष्टिकोण से विचार किया। इसमें इन्होंने बचत एवं विनियोग के समान होने के विचार का समर्थन किया। इनके पारस्परिक सम्बन्ध के विश्लेषण से उन्होंने आय एवं रोजगार के निर्धारण के प्रश्न पर प्रकाश डाला एवं यह विचार व्यक्त किया कि बचत एवं विनियोग के पारस्परिक सम्बन्धों के प्रभाव से समाज की सम्पूर्ण मांग प्रभावित होती है जिससे आय एवं रोजगार प्रभावित होते हैं। इस प्रकार से केन्स ने इनके विश्लेषण के द्वारा अर्थ-व्यवस्था की कार्य-प्रणाली को स्पष्ट करने का प्रयास किया। केन्स के विचारों में बचत एवं विनियोग के विश्लेषण का सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था की कार्य-प्रणाली में विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रो० कुरिहारा (Kurihara) ने शब्दों में "The Keynesian Saving and Investment schedules are to general equilibrium analysis what the Marshallian supply and demand curves are to partial equilibrium analysis" जिस प्रकार से किसी वस्तु के खरीदने और बेचने की प्रवृत्ति में उस वस्तु का सतुलन मूल्य निर्धारित होता है, उसी प्रकार बचत एवं विनियोग के पारस्परिक सम्बन्धों से सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए आय का स्तर निर्धारित होता है।

केन्स ने बचत एवं विनियोग को दो दृष्टिकोणों से समान माना है—

- (1) हिसाब-किताब के दृष्टिकोण से समानता (Accounting or Statistical equality), तथा
- (2) कार्य सम्बन्धी समानता (Functional equality)।

जब हम किसी खास अवधि में किसी राष्ट्र की आय की गणना करते हैं तो वास्तविक बचत एवं विनियोग को सदैव बराबर मानते हैं। ऐसी स्थिति में बचत एवं विनियोग की समानता इनकी परिभाषाओं से स्पष्ट होती है। बचत वर्तमान आय एवं उपभोग का अन्तर है। इसी प्रकार विनियोग आय का वह अंश है जो उपभोग के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर व्यय किया जाता है। अतएव इस दृष्टि से बचत एवं विनियोग बराबर होते हैं।

उनके अनुसार

- $Y =$ कुल आय (Total Income),
- $I =$ विनियोग (Investment),
- $S =$ बचत (Saving) तथा
- $C =$ उपभोग (Consumption)।

- ∴ $Y = C + I$, यानी कुल आय = उपभोग + विनियोग
- अथवा $I = Y - C$, यानी विनियोग = कुल आय — उपभोग
- $S = Y - C$, यानी बचत = कुल आय — उपभोग
- $I = S$, यानी विनियोग = बचत।

अतएव, उपरोक्त समीकरण के अनुसार विनियोग एवं बचत प्रत्येक स्थिति में बराबर होते हैं। उक्त समीकरण के अनुसार सम्पूर्ण समाज की आय (Y) उपभोग की वस्तुओं (C) तथा विनियोग की वस्तुओं (I) के उत्पादन से प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में, $Y = C + I$ । किन्तु, Y का वह भाग जो उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन द्वारा प्राप्त किया जाता है, आय की उस मात्रा के बराबर होता है जो उपभोग की वस्तुओं पर व्यय किया जाता है, क्योंकि इन दोनों में वास्तव में कोई अन्तर नहीं होता। इसी प्रकार I मुद्रा की उस मात्रा को दिखलाता है जो पूँजीगत वस्तुओं पर व्यय की जाती है। इससे स्पष्ट है कि समाज की कुल बचत S को $Y - C$ के बराबर होना चाहिए और चूंकि I भी $Y - C$ के बराबर है, अतएव, $S = I$, अर्थात् बचत एवं विनियोग दोनों बराबर होंगे।

अतः केन्स की इन परिभाषाओं में स्पष्ट है कि बचत एवं विनियोग सदा बराबर होते हैं।

हिंसाय की दृष्टि से विनियोग एव बचत की समानता का तात्पर्य यह है कि जबतक अर्थ व्यवस्था में विनियोग करने की इच्छा और क्षमता तथा बचत करने की इच्छा में समता नहीं होगी, उत्पादको को उत्पादन एव रोजगारी में परिवर्तन करना पड़ेगा। ऐसा करके ही वे अपने मुनाफे को अधिकतम बना सकते हैं, अथवा अपनी हानि को कम से कम कर सकते हैं। ऐसा वे तबतक करते रहेंगे जबतक कि अर्थ व्यवस्था संतुलन बिन्दु पर नहीं पहुँच जाती जबकि बचत एव विनियोग में समानता हो जाती है।

बचत और विनियोग की कार्य-सम्बन्धी समानता (Functional Equality) के दृष्टिकोण से बचत की सूची (Saving schedule) और विनियोग की सूची की धारणा अपनायी जाती है। इसके अन्तर्गत बचत एव विनियोग की सूची का निर्माण भी आय के ही आधार पर किया जाता है। समाज की बचत समाज की आय पर निर्भर करती है तथा विनियोग भी आय पर ही निर्भर करता है। समाज की आय में परिवर्तन के द्वारा इसमें समानता स्थापित की जाती है। इस प्रकार यद्यपि बचत एव विनियोग दोनों एक-दूसरे से बिल्कुल स्वतन्त्र प्रवृत्तियाँ हैं, किन्तु इन दोनों में आय के द्वारा ही समानता स्थापित की जाती है। दूसरे शब्दों में, बचत एव विनियोग दोनों समाज पर निर्भर करते हैं तथा इनमें समानता आय के द्वारा ही लायी जाती है। कुरिहारा के शब्दों में "This functional equality of saving and investment is the final result of a process of adjustment between the savings and investment variables in relation to the income variable"

बचत एव विनियोग की निम्नांकित सूची से इसे अधिक स्पष्ट किया जा सकता है—

बचत की सूची (Saving Schedule)		विनियोग की सूची (Investment Schedule)	
बचत	आय	विनियोग	आय
50	500	45	500
40	400	40	400
20	200	20	200

इस प्रकार बचत एव विनियोग में समानता आय के परिणाम से ही स्थापित की जाती है। यदि किसी समय समाज की बचत समाज के विनियोग से अधिक हो, तो समाज की आय में कमी की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। इसका कारण स्पष्ट है। बचत के अधिक हो जाने से प्रभावपूर्ण माँग में कमी होगी, प्रभावपूर्ण माँग में कमी से उत्पादन और रोजगार में कमी होगी जिससे आय में कमी होगी और आय में कमी होने से बचत में भी कमी होगी और इस प्रकार बचत एवं विनियोग में पुनः समानता स्थापित होगी। इस प्रकार यदि विनियोग बचत से अधिक है तो इसके परिणामस्वरूप प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि होगी और प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि से उत्पादको को लाभ होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी और इससे रोजगार और आय में वृद्धि होगी और आय बढ़ने से बचत में भी वृद्धि होगी और इस प्रकार संतुलन की एक ऐसी स्थिति कायम होगी जिसमें बचत एव विनियोग पुनः बराबर हो जायेंगे।

इस प्रकार केन्स के अनुसार बचत एव विनियोग में समानता आय के माध्यम से उत्पन्न होती है। इसके पारस्परिक सम्बन्ध में परिवर्तन होने से आय में परिवर्तन होता है और आय में परिवर्तन का अन्तिम परिणाम यह होता है कि इन दोनों में समानता स्थापित होती है। इसलिए, केन्स के अनुसार बचत एव विनियोग का सिद्धान्त सम्पूर्ण माँग के सिद्धान्त का ही एक दूसरा रूप है। समाज की सम्पूर्ण माँग उपभोग और विनियोग से बनती है। यदि विनियोग पूर्ववत् हो और उपभोग में वृद्धि हो तो इसका तात्पर्य है बचत में कमी और विनियोग का बचत से अधिक होना। अतः इससे सम्पूर्ण माँग बढ़ेगी जिसके फलस्वरूप आय एव रोजगार में वृद्धि होगी, किन्तु आय में वृद्धि होने से बचत में भी वृद्धि होगी और पुनः बचत और विनियोग में समानता स्थापित हो जायगी। इसके विपरीत यदि विनियोग पूर्ववत् हो और उपभोग में कमी आ जाय तो इससे बचत

में वृद्धि होगी और सम्पूर्ण माग में कमी हो जायगी। इसके परिणामस्वरूप आय में कमी होगी और आय में कमी होने से बचत कम होगी और पुनः बचत एवं विनियोग एक समान हो जायेंगे।

केन्स ने यह बतलाया कि रोजगारी के विभिन्न स्तरों पर बचत एवं विनियोग में समानता हो सकती है। उदाहरण के लिए, बेकारी की स्थिति में, पूर्ण रोजगारी की स्थिति में तथा पूर्ण रोजगारी में अधिक की स्थिति में। अतएव यह आवश्यक नहीं कि बचत एवं विनियोग की समानता से समाज में पूर्ण रोजगार की स्थिति ही स्थापित हो जाय। साथ ही, उन्होंने यह भी बतलाया कि बचत एवं विनियोग में सामंजस्य व्याज की दर में परिवर्तन से नहीं, वरन् आय में परिवर्तन से स्थापित होता है।

बचत एवं विनियोग-सिद्धान्त की परिमाण-सिद्धान्त से तुलना

(Comparison between Saving and Investment Theory and the Quantity Theory of Money)

अब यहाँ बचत एवं विनियोग सिद्धान्त (Saving and Investment Theory) की मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त (Quantity Theory of Money) से तुलना आवश्यक है। बचत एवं विनियोग का सिद्धान्त मौद्रिक प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ ऐसी बातों को बतलाता है जिसकी व्याख्या परिमाण सिद्धान्त द्वारा नहीं की जा सकती है। वास्तव में, इनमें निम्नांकित प्रधान अन्तर हैं

(1) सर्वप्रथम तो, बचत एवं विनियोग सिद्धान्त से यह ज्ञात होता है कि क्यों मुद्रा की कमी द्वारा तेजी (Boom) रोकनी जा सकती है किन्तु अधिक मुद्रा के सृजन के द्वारा समुत्थान नहीं प्रारम्भ किया जा सकता (Shortage of money can always stop a boom, but plethora of money cannot start recovery)—हम जानते हैं कि नए की रकम द्वारा ही विनियोग में वृद्धि की जाती है। अतएव, यदि बैंक ऋण न दें अथवा बहुत अधिक व्याज लें तो विनियोग में वृद्धि कठिन हो जायगी। इससे बचत की तुलना में विनियोग कम होने लगेगा जिससे मन्दी (Depression) की सृष्टि होने लगेगी। हम यह भी जानते हैं कि विनियोग में केवल इसलिए वृद्धि नहीं की जाती कि मुद्रा उपलब्ध है अथवा सस्ती है, वरन् इसमें वृद्धि लाभ की प्रत्याशा पर निर्भर करती है। यदि भविष्य में लाभ की प्रत्याशा नहीं दिखायी पड़े तो चाहे मुद्रा कितनी भी सस्ती क्यों न हो विनियोग में वृद्धि नहीं होगी। अतएव मन्दी के समय जब भविष्य के प्रति व्यापारियों में आम निराशा व्याप्त रहती है, तो बड़ी हुई मुद्रा विनियोग को नहीं बढ़ा सकती। यहाँ पुनः प्रामोकोन के गवर्नर की उपमा दी जा सकती है। यह प्रामोकोन की चाल को एक सीमा से अधिक बढ़ने नहीं देता, किन्तु धन हो जाने पर यह प्रामोकोन को चालू नहीं कर सकता। इसी प्रकार मुद्रा का सृजन मन्दी को रोकने में केवल तभी कुछ हद तक सफलीभूत हो सकता है जब इसके फलस्वरूप विनियोग में वृद्धि हो और विनियोग में वृद्धि भविष्य के लिए लाभ की प्रत्याशा पर निर्भर करती है।

(2) बचत एवं विनियोग सिद्धान्त (Saving and Investment Theory) परिमाण सिद्धान्त की अपेक्षा मुद्रा के भ्रमण-प्रवाह (Velocity of circulation) पर अधिक प्रकाश डालता है—परिमाण सिद्धान्त से हम केवल इतना जान सकते थे कि V लोगों की इस इच्छा पर निर्भर करती है कि वे अपनी सम्पत्ति का कौन सा भाग नकद मुद्रा के रूप में रखना चाहते हैं। जब नकद मुद्रा की इच्छा बढ़ती है, तो V भी बढ़ती है और जब घटती है तो V भी घटती है। परिमाण सिद्धान्त इनमें परिवर्तन के कारणों की व्याख्या नहीं करता, किन्तु बचत एवं विनियोग सिद्धान्त की सहायता से हम इसकी व्याख्या भी कर सकते हैं। जब लोग बचाते हैं तो वे अपनी सम्पत्ति का अधिक भाग नकद मुद्रा के रूप में रखना चाहते हैं तथा जब वे विनियोग करते हैं तो वे अपनी सम्पत्ति को मुद्रा के रूप में कम करके टिकाऊ (durable) वस्तुओं के रूप में अधिक रखते हैं। अतएव, जब बचत विनियोग से अधिक होती है, तो इसका तात्पर्य यह है कि वे अपनी सम्पत्ति का अधिकांश नकद मुद्रा के रूप में रखना चाहते हैं जिससे मुद्रा के भ्रमण-

प्रवाह (Velocity of circulation) में कमी होती है और जब विनियोग बचत से अधिक होता है तो ठीक इसके विपरीत प्रभाव पड़ता है।

किन्तु, ऐसा मान लेना कि लोग अपनी मुद्रा का प्रयोग या तो वस्तु खरीदने या नकद मुद्रा के रूप में रखने में करेंगे ठीक नहीं है, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति अपनी अतिरिक्त मुद्रा से प्रायः प्रतिभूतियों का क्रय करते हैं तथा मुद्रा की कमी होने पर इनका विक्रय करते हैं। इस प्रकार की प्रतिभूतियों की मात्रा उनकी ब्याज की दर पर निर्भर करती है, क्योंकि ब्याज की दर कम होने पर लोग नकद मुद्रा रखना ही अधिक पसन्द करेंगे। अतएव, लोगों की मांग केवल तरलता अधिमान (Liquidity preference) पर ही निर्भर नहीं करती, वरन् प्रतिभूतियों की ब्याज दर से भी प्रभावित होती है। जनता प्रतिभूतियों की ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए अपने साधनों का जो भाग तरल रूप में रखना चाहती है उसके लिए L तथा कुल मुद्रा की मात्रा के लिए M का प्रयोग किया जायगा। अब मान लिया जाय कि किसी कारणवश M , यानी मुद्रा का परिमाण L से कम हो गया है। ऐसा दो कारणों से हो सकता है— (1) या तो केन्द्रीय बैंक ने साल मुद्रा की मात्रा को कम कर दिया होगा, या (2) लोगों का तरलता अधिमान (Liquidity preference) बढ़ गया होगा। दूसरे शब्दों में, या तो 'M' कम हो गया होगा या L बढ़ गया होगा। ऐसी स्थिति में सभी अपनी प्रतिभूतियों को बेचने का प्रयत्न करेंगे। इससे प्रायः प्रतिभूतियों का मूल्य कम हो जायगा और ब्याज बढ़ जायगी। ब्याज बढ़ने से लोग पुनः अपनी मुद्रा से प्रतिभूतियों की खरीदना प्रारम्भ कर देंगे जिससे L कम होकर पुनः M के बराबर हो जायगा। यदि M की मात्रा L से अधिक हो जाती है तो M की मात्रा में कमी अवश्य होगी अन्यथा ब्याज की दर में कमी हो जायगी जिससे विनियोग करना लाभदायक नहीं रह जायगा और इस प्रकार L बढ़कर M के बराबर हो जायगा।

इस प्रकार वास्तविक प्रचलन में मुद्रा का परिमाण, जनता की मुद्रा-धारण की प्रवृत्ति एवं प्रतिभूतियों की सूद की दर में एक त्रिकोणात्मक सम्बन्ध है जिसे समीकरण के रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है—

$$M = L/r$$

जिसमें M = प्रचलन में मुद्रा का परिमाण (Volume of money actually in existence),
 L साधन का वह भाग जिसे जनता तरल-मुद्रा के रूप में रखना चाहती है (Proportion of its resources that the public desire to hold in liquid form) एवं
 r = सूद की दर (Rate of interest) है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मुद्रा के परिमाण (M) में परिवर्तन का मूल्य-तल (P) से सीधा कार्य-कारण का सम्बन्ध नहीं है, वरन् यह एक सरिलिप्त (Complex) सम्बन्ध है। यदि L में कोई परिवर्तन नहीं हो तो 'M' में परिवर्तन का प्रभाव पहले सूद की दर पर पड़ता है। इससे बचत एवं विनियोग का सम्बन्ध प्रभावित होता है जिससे पुनः प्रायः रोजगारी एवं मूल्यतल प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार की प्रतिक्रिया 'L' में परिवर्तन होने से (जबकि 'M' प्रायः स्थायी रहता है) होती है। अतएव, स्पष्ट है कि परिमाण सिद्धांत एक बहुत सरल सिद्धांत है। इससे इन सारी बातों की जानकारी नहीं होती, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि परिमाण सिद्धांत अशुद्ध है। वस्तुतः यह सिद्धांत बिल्कुल सही है। बचत एवं विनियोग का सम्बन्ध केवल अल्पकाल में रोजगार एवं मूल्य-तल को प्रभावित करता है। यदि बचत विनियोग से अधिक हो जाय तो मूल्य सतुलन-बिन्दु (Equilibrium level) से कम होने लगेगा। इसके विपरीत यदि बचत विनियोग से कम हो जाय तो मूल्य सतुलन-बिन्दु से अधिक होने लगेगा, किन्तु मूल्य वा सतुलन-बिन्दु स्वयं मुद्रा के परिमाण से निर्धारित होता है। (The equilibrium level itself is atleast determined by the quantity of money in existence) गेहूँ का मूल्य 15 रुपये प्रति क्वि० के इर्द-गिर्द रहता है किन्तु यह 15 रुपये प्रति क्वि० अथवा 150 रुपये प्रति क्वि० नहीं हो सकता, क्योंकि मुद्रा का परिमाण सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की तुलना में इतना ही है कि मूल्य 15 रुपये प्रति क्वि० के आस-पास में रहे। तेजी के समय में मुद्रा की मात्रा में समानुपातिक परिवर्तन के बगैर भी मूल्य बढ़ सकता है अथवा मन्दी में इसमें कमी हो सकती

है, किन्तु मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन के बगैर यह स्थायी रूप से अधिक या कम नहीं हो सकता। क्रॉथर (Crowther) के शब्दों में "मुद्रा का परिमाण-सिद्धांत समुद्र के सामान्य तल को मापता है तथा बचत एवं विनियोग का सिद्धान्त उसके ज्वार-भाटे के वेग को मापता है।" (*The Quantity Theory of Money explains, as it were, the average level of the sea, the Saving and Investment Theory explains the violence of the tides.*)

विशेष अध्ययन-सूची

1. Crowther : An Outline of Money, Chapter V.
2. Keynes : A Treatise on Money, Vol-I. Chapter XIV.
3. Keynes : The General Theory of Employment, Interest and Money, Chapter 21.
4. Kurihara : Monetary Theory and Public Policy, Chapter IV.



"...business cycle is nothing more than a rhythmic fluctuation in the overall level of employment, income and output"—Dillard.

प्राक्कथन :— विश्व में आर्थिक प्रगति की गति सदैव एक समान नहीं रहती। आर्थिक विकास की दोर में समय-समय पर विनियोग, उत्पादन तथा रोजगार के स्तर में उच्चावचन होते रहते हैं। विश्व के आर्थिक इतिहास के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि अतीत में ऐसे काल भी थे जबकि लगातार कई वर्षों तक विश्व में आर्थिक क्रियाओं का स्तर बिलकुल मंद रहा था। मंदी की इन अवस्थाओं के तत्काल पूर्व अथवा तत्काल पश्चात् इन अर्थ-व्यवस्थाओं में आर्थिक समृद्धि का भी अनुभव किया था जबकि उत्पादन, रोजगार तथा कीमत सभी में वृद्धि हुई थी। इस प्रकार आर्थिक विकास के क्रम में मंदी तथा समृद्धि की अवस्थाएँ एक चक्र की तरह निरन्तर आती रही हैं।

पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता तेजी एवं मंदी, समृद्धि तथा अवनति का बारी-बारी से होना है। इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि इसके विकास में स्थायित्व नहीं रहता। इसमें सदा तेजी (Boom) के बाद मंदी (Slump) एवं मंदी के बाद तेजी ज्वार-भाटा (Ebb and flow) की तरह आते रहते हैं। मूल्य तल एवं रोजी में ये परिवर्तन अस्त-व्यस्त रूप में नहीं बरन् नियमित रूप से एक चक्र की तरह आते रहते हैं। किसी विशेष समय में पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था की प्रवृत्ति प्रसार की ओर होती है जिसमें आय, उत्पादन एवं रोजगारी में वृद्धि होती है। अर्थशास्त्र में इसी प्रवृत्ति को तेजी (Boom) कहते हैं किन्तु यह प्रवृत्ति सीमित होती है और एक विरोध बिन्दु पर तेजी (Boom) के पहुँच जाने के बाद आर्थिक व्यवस्था की प्रवृत्ति वहाँ से पतन की ओर होती है जिसे मंदी (Slump or Depression) कहते हैं जिसमें आय, रोजगार एवं कीमतों का स्तर गिर जाता है। इसी प्रवृत्ति को अर्थशास्त्र में व्यापार-चक्र कहते हैं।

व्यापार-चक्र का अर्थ (Meaning of Trade Cycle)—व्यापार-चक्र की विभिन्न परिभाषाएँ दी गयी हैं जिनमें निम्नांकित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं—

सुप्रसिद्ध विद्वान हेबरलर (Haberler) के अनुसार 'आर्थिक व्यवस्था में ज्वार-भाटे की तरह तेजी एवं मंदी के सृजन को ही व्यापार-चक्र कहते हैं।' (The Business cycle, in the general sense, may be defined as an alternation of the period of prosperity and depression, of good and bad trade—Haberler.)

इसी प्रकार केन्स (Keynes) के अनुसार, "व्यापार-चक्र उत्तम व्यापारकाल, जिसमें मूल्यों में वृद्धि एवं बेरोजगारी में कमी होती रहती है तथा खराब व्यापारकाल, जिसमें कि मूल्य में ह्रास एवं बेरोजगारी बढ़ती रहती है को मिलाकर बनता है।" (A trade cycle is composed of periods of good trade characterised by rising prices and low unemployment percentages alternating with periods of bad trade characterised by falling prices and high unemployment percentages.)

1. J. M. Keynes—A Treatise On Money; Vol—1. केन्स ने आगे चलकर अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक "The General Theory of Employment, Interest and Money" में व्यापार-चक्र की व्याख्या निम्न प्रकार से की है— "By a cyclical movement, we mean that as a system progresses in e.g. the upward direction, the forces propelling it upwards at first gather force and have a cumulative effect on one another but gradually lose their strength until at a certain point they tend to be replaced by forces operating in the opposite direction; which in turn gather force for a time and accentuate one another, until they too, having reached their maximum develop-

मुद्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री माइकेल (W. G. Mitchell) के अनुसार, "व्यापार चक्र उस प्रकार के उच्चावचनो को कहते हैं जो ऐसे राष्ट्रों की समग्र आर्थिक क्रियाओं में पाये जाते हैं जो अपना कार्य मुख्यतः व्यावसायिक संस्थानों के आधार पर संगठित करते हैं। व्यवसाय के अन्तर्गत एक ही समय में बहुत-सी आर्थिक क्रियाओं में विस्तार होता है जिसके पश्चात् सामान्य सुस्ती, संकुचन तथा पुनरुत्थान की अवस्थाएँ आती हैं जो अगले व्यापार-चक्र की विस्तार-अवस्था में मिला जाती हैं। परिवर्तनों का यह क्रम आवर्त्तीय होते हुए भी सामयिक नहीं होता।" (Business cycles are a type of fluctuation found in the aggregate economic activity of nations that organise their work mainly in business enterprises. A cycle consists of expansions occurring at about the same time in many economic activities, followed by similarly general recessions, contraction and revivals which merge with the expansion phase of the next cycle. This sequence of changes is recurrent but not periodic.)¹

माइकेल की उपरोक्त परिभाषा के आधार पर व्यापार-चक्र की निम्नलिखित प्रधान विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं—

- (1) व्यापार-चक्र का तात्पर्य उन उतार-चढ़ावों से है जो सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में विद्यमान रहते हैं।
- (ii) व्यापार चक्र का सम्बन्ध केवल उन उतार-चढ़ावों से है जो व्यावसायिक जगत में होते हैं।
- (iii) ये उतार-चढ़ाव नियमित रूप से तथा आवर्त्तीय होते हैं।

इसी प्रकार हाट्ट्रे (Hawtrey) के अनुसार, "व्यापार-चक्र उस विशेष प्रकार की क्रांति को कहते हैं जिसके अन्तर्गत एक दिशा में हुए परिवर्तन दूसरी दिशा में होनेवाले परिवर्तनों को जन्म देते हैं।" (In the case of business cycle, "an excess of movement in one direction tends to bring into operation not only its own remedy but a stimulus to an excess movement in the other direction")

इसी प्रकार प्रो० हेन्सन (Hansen) के अनुसार "चक्र" शब्द का तात्पर्य घटनाओं के ऐसे निश्चित क्रम से है जिनका पुनरावर्तन होते रहता है। जब यह चक्र व्यावसायिक क्षेत्र में परिवर्तित होता है तो उसे व्यापार चक्र कहा जाता है।"² (The Business cycle is peculiarly a manifestation of the industrial segment of the economy from which prosperity or depression is redistributed to other groups in the highly inter-related modern society)

ment, wane and give place to their opposite. We do not, however, merely mean by a cyclical movement that upward and downward tendencies once started, do not persist for ever in the same direction but are ultimately reversed. We mean also that there is some recognisable degree of regularity in the time sequence and direction of the upward and downward movements

1 W G Mitchell Business Cycles The Problem and Its Setting


2 व्यापार चक्र की कुछ अन्य परिभाषाएँ इस प्रकार से हैं—

प्रो० बेन्हम (Benham) के अनुसार "Trade cycle refers to a period of prosperity followed by a period of depression"

इसी प्रकार टिंबरगेन (Tinbergen) के अनुसार, "Business cycle is the inter-play between erratic shocks and an economic system able to perform cyclical adjustment movements to such shocks"

इस प्रकार व्यापार-चक्र से हमारा तात्पर्य पूँजीवादी देशों में आर्थिक क्रियाओं के उतार-चढ़ाव से है जो पर्याप्त निश्चित अवधि के पश्चात् बार-बार आते रहते हैं। संक्षेप में, विस्तार की एक प्रवृत्ति तथा संकुचन की एक प्रवृत्ति को मिलाकर व्यापार-चक्र (Trade-cycle) कहते हैं।

अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन परिवर्तन (Short term and Long term fluctuations):—यदि किसी एक शताब्दी में मूल्य-तल के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाय तो इससे स्पष्ट होगा कि ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं—पहला अल्पकालीन परिवर्तन (Short-term fluctuations) है जो सात से दस वर्षों तक का होता है। इसका चक्र अभी व्यापार-चक्र के अन्तर्गत किया जा चुका है। दूसरे प्रकार का परिवर्तन दीर्घकालीन परिवर्तन (Long term fluctuations) है। यह लम्बे समय का, प्रायः चात्तीस से साठ वर्षों तक का होता है तथा कई अल्पकालीन परिवर्तनों को मिलाकर बनता है। यदि उन्नीसवीं शताब्दी में मूल्य स्तर के परिवर्तनों को देखा जाय तो जान पड़ेगा कि 1814 ई० से मूल्य-तल में निम्न गति (Down swing) प्रारम्भ हुई जो 1849 ई० तक चली। इसे मूल्य ह्रास का काल कह सकते हैं। पुनः 1849 ई० से मूल्य



उन्नीसवीं शताब्दी में मूल्य-तल में उच्चावचन (सन् 1900 ई० = 100)

की उर्ध्वगति (Up-swing) प्रारम्भ हुई जो 1873 ई० तक रही। इसे मूल्य-वृद्धि का काल कह सकते हैं। इसके बाद पुनः 1874 ई० से निम्नगति प्रारम्भ हुई जो 1896 ई० तक चली और 1896 से उर्ध्वगति (Up-swing) प्रारम्भ हुई जो 1920 ई० तक रही। ऊपर के चित्र में उन्नीसवीं शताब्दी में मूल्य-स्तर के इन परिवर्तनों को दिखाया गया है। चित्र में स्पष्ट है कि एक दीर्घ-कालीन परिवर्तन कई अल्पकालीन परिवर्तनों को मिलाकर बनता है।¹

मूल्य तल में एक तीसरे प्रकार का परिवर्तन भी बतलाया जा सकता है जो और भी लम्बी अवधि, जैसे—प्रायः एक शताब्दी का होता है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि मूल्यों की औसत प्रवृत्ति प्रत्येक शताब्दी में वृद्धि की ही रहती है। इस प्रकार मूल्य-तल पर किसी भी समय तीन तरह के शक्ति-समूहों का दबाव पड़ता है। प्रथमतः, तो प्रत्येक शताब्दी में मूल्य-तल में परम्परागत रूप से बढ़ने, यानी मुद्रा के मूल्य में घटने की प्रवृत्ति पायी जाती है। द्वितीयतः, दीर्घकालीन उच्चावचन (Long term fluctuations) की प्रवृत्ति है। इस प्रकार का सम्पूर्ण दीर्घकालीन चक्र (Long term cycle) प्रायः आधी शताब्दी तक चलता है। तृतीयतः, व्यापार-चक्र सात-आठ वर्षों का होता है। मूल्य में इन तीनों प्रकार के परिवर्तनों से प्रत्येक का किसी-न किसी उद्देश्य से अन्वेषण ही महत्त्व है, किन्तु व्यावहारिक नीति के उद्देश्य से व्यापार-चक्र की जो ह्रास वृद्धि है वही सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसके दो कारण हैं—सर्वप्रथम तो, यही व्यापार-चक्र बेकारी, उत्पादन की कमी तथा सामाजिक उथल-पुथल एवं अन्याय्य बुराइयों का प्रमुख कारण है और दूसरा

1. कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार व्यापार-चक्र तीन प्रकार के होते हैं—तीन से साठ वर्षों का लघु-चक्र (Short cycle), सात से ग्यारह वर्षों का मध्यम-चक्र (Intermediate cycle), तथा सैतालीस से साठ वर्षों का दीर्घ-चक्र (Long cycle)।

कारण यह है कि दीर्घकालीन परिवर्तन (Long-term movements) भी इसी व्यापार-चक्र पर आधारित रहते हैं। अतएव, व्यापार-चक्र एव मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन के विश्लेषण में हमारा ध्यान मुख्य रूप से व्यापार-चक्र की अल्पकालीन गति पर ही केन्द्रित रहेगा।

व्यापार चक्र की विशेषताएँ

(Characteristics of Trade Cycle)

व्यापार-चक्रों के क्रम के अध्ययन से उनकी निम्नांकित विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं -

(1) नियमितता (Regularity) .— व्यापार-चक्र की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि यह एक चक्र के समान निरंतर रूप से चलते रहता है। दूसरे शब्दों में, विस्तार एव संकुचन एक दूसरे के उपरान्त नियमित रूप से आते रहते हैं। व्यापार-चक्र का एक क्रम 7 से 10 वर्ष तक चलता है और उसके पश्चात् तत्काल ही दूसरा क्रम प्रारम्भ हो जाता है। इस क्रम में भले ही इतनी स्पष्ट नियमितता न हो, परन्तु स्थूल रूप में यह सर्वथा सत्य है। प्रो० टॉमस (Thomas) के अनुसार "19वीं शताब्दी के अन्त तथा 20वीं शताब्दी के प्रथम भाग में यह अच्छे एव बुरे व्यापार का समय इस नियमितता से हुआ कि लोगों ने एक व्यापार-चक्र की अवधि को 7 से लेकर 10 वर्ष तक मान लिया है।"

(2) समक्रमिकता (Synchronism) .— व्यापार-चक्र की दूसरी विशेषता यह है कि यह प्रायः सभी व्यवसायों तथा उद्योगों को एक साथ प्रभावित करता है। यदि तेजी का दौर प्रारम्भ होता है तो सभी क्षेत्रों में प्रायः तेजी-ही-तेजी वृद्धिगोचर होती है और मदीकाल में सर्वत्र मदी ही-मदी व्याप्त रहती है। इस प्रकार की समक्रमिकता के दो प्रधान कारण हैं—सर्वप्रथम तो, अधिकांश व्यवसाय एक-दूसरे से सम्बन्धित होते हैं, अतः एक में परिवर्तन का प्रभाव दूसरे पर निश्चित रूप से पड़ता है। द्वितीय कारण सर्वथा मनोवैज्ञानिक है। एक उद्योग अथवा व्यवसाय में मदी आते ही अन्य उद्योगों अथवा व्यवसायों में लोग व्यक्ति भी संशुभित हो जाते हैं और इस तरह-धीरे-धीरे सम्पूर्ण आर्थिक वातावरण क्रमशः अविश्वास से ग्रस्त हो जाता है और अन्ततोगत्वा सकट की स्थिति उत्पन्न कर देता है। मदी तथा तेजी एक राष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहते बल्कि सम्पूर्ण व्यावसायिक जगत में भी ही व्याप्त हो जाते हैं।

(3) सर्वव्यापी प्रकृति (International in character)—व्यापार-चक्रों की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि एक देश से प्रारम्भ होने पर भी शीघ्र ही ये सम्पूर्ण विश्व में फैल जाते हैं। इसका कारण स्पष्ट है। विदेशी व्यापार तथा विनिमय के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण देशों की अर्थ-व्यवस्थाएँ इस प्रकार एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि किसी एक देश में व्याप्त तेजी अथवा मदी का प्रभाव दूसरे देशों पर पड़ना बिल्कुल स्वाभाविक है।

(4) विभिन्न क्षेत्रों पर इनका प्रभाव अलग-अलग तरीके से पड़ता है—व्यापार-चक्र से आर्थिक जीवन के सभी अंग समान रूप से प्रभावित नहीं होते। वास्तविकता यह है कि औद्योगिक पदार्थों की अथवा कृषि-पदार्थों के मूल्य में शीघ्र तथा तेजी से परिवर्तन होते हैं। औद्योगिक पदार्थों के अन्तर्गत भी पूँजीगत सामान बनाने वाले उद्योगों पर व्यापार-चक्रों का अत्यधिक व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार मदी तथा तेजी का समाज के विभिन्न वर्गों पर भी समान रूप से प्रभाव नहीं पड़ता। इसके परिणामस्वरूप लाभ से प्राप्त आय अल्प होती से प्राप्त आय की अपेक्षा अधिक घटती बढ़ती है।

(5) अन्य विशेषताएँ अमेरिकी आर्थिक परिषद् (American Economic Association) ने व्यापार-चक्र की निम्नांकित अन्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला है,

- (i) कुल विक्रय की अपेक्षा तैयार माल पर किया गया व्यय अधिक घटता है।
- (ii) कुल उत्पादन और कुल रोजगार में परिवर्तन के अनुपात में ही मुद्रा के परिमाण तथा उसकी चलन गति में भी परिवर्तन होता है।
- (iii) कृषि-पदार्थों की कीमत अत्यधिक लचीली होती है किन्तु निर्मित वस्तुओं की कीमतें अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ होती हैं।
- (iv) अन्य स्रोतों से प्राप्त आय की तुलना में लाभ से प्राप्त आय अधिक परिवर्तनशील होती है।

व्यापार-चक्र की प्रवस्थाएँ

(Phases of Trade Cycle)

तेजी और मन्दी का चक्र निरन्तर रूप से चलते रहता है। मूल्य में कभी एक समय में वृद्धि होती है तो दूसरे समय में कमी। इसी प्रकार रोजगार कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। अतः, कोई एक ऐसा बिन्दु निश्चित नहीं किया जा सकता जहाँ से व्यापार-चक्र की शुरुआत होती है। फिर भी, व्यापार चक्र की विभिन्न प्रवस्थाओं के अध्ययन के लिए कोई एक बिन्दु निश्चित करना पड़ता है। प्रो० हेबर्लर (Heberlar) के अनुसार, एक प्रामाणिक व्यापार-चक्र की निम्नांकित चार प्रवस्थाएँ होती हैं—

- (क) उर्ध्वगति (Up swing—Prosperity, expansion, boom),
- (ख) सकट (Down-turn, crisis),
- (ग) निम्नगति (Down-swing—depression, slump, contract on), तथा
- (घ) समुत्थान (Up-turn—recovery, revival)।


इस प्रकार एक प्रामाणिक व्यापार-चक्र (Standard cycle) की उपरोक्त चार प्रवस्थाएँ हैं। उर्ध्वगति (Up-swing) में भी तीन प्रक्रम हैं—समुत्थान (recovery), पूर्ण रोजगार (full employment) तथा महँगी या तेजी (inflation or boom)। इसके विपरीत निम्नगति (Down swing) में केवल दो प्रक्रम हैं—सकट (crisis) तथा सस्ती या मन्दी (Depression or slump)। किन्तु सभी व्यापार-चक्रों का इन सभी प्रक्रमों से होकर गुजरना कोई आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए, कभी-कभी पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राये वगैरे ही तेजी सकट की स्थिति में बदल सकती है या मन्दी के समय में तनिक उत्थान के बाद भी पुनः मन्दी आ सकती है।

सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री शुम्पीटर (Schumpeter) ने व्यापार-चक्र की निम्नांकित चार प्रवस्थाओं का वर्णन किया है—

- (1) समृद्धि की स्थिति (the Prosperity phase),
- (2) सुस्ती की स्थिति (the Recession phase),
- (3) मन्दी की स्थिति (the Depression phase), तथा
- (4) समुत्थान की स्थिति (the Revival or recovery phase)।

वास्तव में, ध्यानपूर्वक विचार करने पर व्यापार चक्र की निम्नांकित चार प्रवस्थाएँ स्पष्ट होती हैं—(क) तेजी अथवा अभिवृद्धि की स्थिति (Boom) (ख) सुस्ती या प्रवरोध की स्थिति (Recession), (ग) मन्दी या अवसाद की स्थिति (Depression) तथा (घ) पुनरुद्धार (Revival or Recovery) की स्थिति। -

निम्नांकित चित्र से ये चारों अवस्थाएँ स्पष्ट हो जाती हैं—



अब इन चारों प्रवस्थाओं का निम्न विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है—

(क) तेजी अथवा अभिवृद्धि (Boom)—व्यापार चक्र की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रवस्था अभिवृद्धि अथवा तेजी है। समृद्धि की स्थिति में आर्थिक क्रियाओं का स्तर आदर्शतम बिन्दु पर होता है तथा उत्पादन के साधन पूर्ण रोजगार की स्थिति में होते हैं। इस स्तर में अनैच्छिक बेकारी बिल्कुल नहीं होती। हाँ, कुछ हद तक ऐच्छिक एवं धर्मशास्त्रिक बेकारी (voluntary and frictional unemployment) वर्तमान रह सकती है। इस अवधि में मूल्य, मजदूरी तथा आय का स्तर बहुत ही उच्च होता है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सर्वत्र एक प्रकार का आशावाद वर्तमान रहता है। अतएव व्यवसायी बैंक से बहुत बड़े पैमाने पर उधार लेते हैं, किन्तु जैसे-जैसे समृद्धि अपनी चरमावस्था पर पहुँचने लगती है अर्थ-व्यवस्था में कई प्रकार की कठिनाइयाँ (bottlenecks) उत्पन्न होने लगती हैं रोजगार अपनी सीमा पर पहुँच जाता है जिससे इसमें और वृद्धि सम्भव नहीं हो पाती। व्यवसायी अतिरिक्त साधनों को प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतियोगिता करने लगते हैं। इससे साधनों के पारिधमिक में बहुत वृद्धि हो जाती है। मजदूरी में वृद्धि तो इतनी अधिक होती है कि इसे कार्य कुशलता के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। बैंक भी अपने उधार की दरों में बहुत वृद्धि करने लगते हैं।

सक्षेप में, तेजी अथवा अभिवृद्धि की निम्नांकित प्रधान विशेषताएँ हैं—

- (1) विनियोग की अधिकता,
- (2) सभी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि, ऊँचा उत्पादन व्यय एवं ऊँचे लाभ,
- (3) सर्वत्र अत्यधिक आशावाद की विद्यमानता,
- (4) मूल्य की तुलना में मजदूरी में कम वृद्धि के कारण वास्तविक मजदूरी में कमी, अतएव, श्रम-सघो की कार्यवाहियों का विस्तार तथा अधिक हड़ताएँ।
- (5) सट्टेबाजी की अधिकता, तथा
- (6) बैंकों द्वारा दिये जानेवाले ऋणों का विस्तार।

परिणाम यह होता है कि उत्पादन-व्यय बहुत बढ़ जाता है। उत्पादन-व्यय बढ़ने से मूल्य बढ़ता है। -

(ख) अवरोध या सुस्ती (Recession)—किन्तु तेजी अथवा अभिवृद्धि की स्थिति में ही इसके विनाश के बीज मौजूद रहते हैं जिसके परिणामस्वरूप धीरे-धीरे कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगती हैं। धीरे-धीरे मूल्य अत्यधिक बढ़ जाते हैं जिससे उपभोक्ता इस बड़े हुए मूल्य के फलस्वरूप कम खर्च करने लगते हैं। इससे बिज्री कम हो जाती है तथा व्यापारी अपनी वस्तुओं के सग्रह को समाप्त करने का प्रयास करने लगते हैं। इससे मूल्य गिरने लगते हैं, मूल्य गिरने से व्यापारियों को हानि होने लगती है अतः वे उत्पादन कम करते हैं। उत्पादन कम होने से रोजगार कम होने लगता है और इस प्रकार सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था सकट की ओर अग्रसर होने लगती है और समृद्धि धीरे-धीरे सुस्ती में बदल जाती है। व्यवसाय में आशावाद की जगह सर्वत्र निराशावाद की भावना व्याप्त हो जाती है तथा व्यापारी भविष्य के सम्बन्ध में अत्यधिक आशंकित हो जाते हैं। समृद्धि काल में स्थापित कई उद्योग बंद होने लगते हैं। साधन का सकुचन होता है तथा व्यवसाय में प्रचार बिल्कुल बंद हो जाता है। समृद्धि-काल में वस्तुओं के लिए दिये गये बहुत से आर्डर रद्द किये जाने लगते हैं तथा मजदूर बेकार रहने लगते हैं। मूल्य में अतिशय कमी नजर आने लगती है तथा अर्थ-व्यवस्था में सर्वत्र विश्वास का मकट (Crisis of confidence) नजर आने लगता है। लोग अपनी आय को तरल रूप में रखना ही अधिक पसंद करते हैं। बेरोजगारों से आय, व्यय, मूल्य, लाभ तथा व्यावसायिक क्रियाशीलता में कमी आने लगती है। पूँजी-बाजार में स्थिति धीरे-धीरे अव्यवस्थित हो जाती है।

सक्षेप में, अवरोध या सुस्ती की निम्नांकित प्रधान विशेषताएँ हैं—

- (1) व्यवसाय का परिमाण घटने लगता है,
- (2) परिणामस्वरूप, उत्पादन, आय, विनियोग एवं रोजगार घटने लगते हैं,

(3) कीमतें, मजदूरी एव उत्पादन-व्यय में कमी होने लगती है, तथा

(4) व्यावसायिक क्षेत्र में भविष्य के प्रति सर्वत्र निराशावाद पाया जाने लगता है।

(ग) मन्दो (Depression)—व्यापार चक्र की मदी की स्थिति में अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन तथा रोजगार के स्तर में गिरावट आने लगती है। इस स्तर में समृद्धि की तुलना में मूल्य तथा मजदूरी में भारी गिरावट आ जाती है तथा मूल्यों का सापेक्षित ढींचा भी अस्त-व्यस्त हो जाता है। यद्यपि उपभोक्ता पदार्थों के मूल्य में भारी कमी के कारण रोजगार प्राप्त श्रमिकों की वास्तविक आय बढ़ जाती है, किन्तु बेरोजगार की समस्या के प्रचलन होने के कारण अधिकांश श्रमिकों को किसी भी कीमत पर काम नहीं मिल पाता। कृषि पदार्थों तथा निर्यात वस्तुओं के मूल्य में भारी गिरावट के कारण किसानों तथा व्यवसायियों को बहुत अधिक हानि होती है। बैंक के ऋणों की मांग में कमी होने लगती है जिससे व्याज की दर भी निम्न हो जाती है। संक्षेप में, समृद्धि की स्थिति के ठीक विपरीत, मदी की स्थिति में घोर निराशावाद सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था में व्याप्त हो जाता है।

मदी की स्थिति में अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में मौद्रिक आय बहुत कम हो जाती है। कृषि पदार्थों तथा कच्चे मालों की कीमत में अधिक ह्रास के कारण किसानों की मौद्रिक आय में अपेक्षाकृत अधिक ह्रास होता है। उद्योग-धन्वों के अन्तर्गत निर्माण उद्योगों, जैसे—मोटर कार, रेफ्रिजरेटर, बिजली के पंखे, सिलाई मशीन आदि के उत्पादन में भारी गिरावट आ जाती है जबकि उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग अपेक्षाकृत कम प्रभावित होते हैं।

संक्षेप में, मदी अथवा अवसादकाल की निम्नांकित प्रमुख विशेषताएँ हैं—

- (1) व्यवसाय निष्क्रिय हो जाता है, जिससे विनियोग कम हो जाते हैं तथा उत्पादन निम्नतम स्तर पर पहुँच जाता है,
- (2) आय एवं रोजगार निम्नतम स्तर पर रहते हैं,
- (3) मजदूरी, कीमतें आदि सभी में गिरावट दिखलाई पड़ने लगती है,
- (4) भविष्य के सम्बन्ध में अधिक निराशा सर्वत्र व्याप्त हो जाती है, तथा
- (5) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी अपने न्यूनतम स्तर पर हो जाता है।

(घ) समुत्थान की स्थिति (Revival)—व्यापार चक्र की मदी की स्थिति के ठीक बाद समुत्थान (Recovery or Revival) की स्थिति आती है। इस स्थिति में मदी की अपेक्षा अर्थ-व्यवस्था में सुधार की स्थिति दिखलाई पड़ने लगती है। आर्थिक जीवन में पुनः आशावाद के लक्षण दिखायी पड़ने लगते हैं तथा रोजगार एवं उत्पादन की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होने लगता है। रोजगार एवं उत्पादन में वृद्धि से वास्तविक आय में भी वृद्धि होने लगती है। समाज में विनियोग की मात्रा में धीरे-धीरे वृद्धि होने लगती है तथा व्यापारी बैंक-संख का बड़े पैमाने पर प्रयोग करने लगते हैं। समाज में व्यावसायिक क्रियाशीलता में वृद्धि होने के कारण मुद्रा के अमूल्य-प्रवाह में धीरे-धीरे वृद्धि होने लगती है। पूँजीगत तथा निर्माण-उद्योगों में भी तरक्की होने लगती है तथा इसका प्रभाव कृषि पर भी अच्छा पड़ता है।

इस प्रकार समुत्थान की स्थिति में सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था ऊपर की ओर बढ़ने लगती है तथा आर्थिक जीवन में एक नयी आशा सर्वत्र दिखलाई पड़ने लगती है। संक्षेप में, समुत्थान अथवा पुनरुद्धार की स्थिति की निम्नांकित प्रमुख विशेषताएँ हैं—

- (1) व्यावसायिक क्षेत्र में बढ़ता हुआ उत्पाद, विश्वास तथा आशा,
- (2) विनियोग में लगातार वृद्धि,
- (3) उत्पादन में लगातार वृद्धि,
- (4) मजदूरी, कीमत तथा लाभ में निरंतर वृद्धि,

- (5) बैंक के ऋण में निरन्तर वृद्धि, तथा
(6) रोजगार एवं आय में निरन्तर वृद्धि ।

इस सम्बन्ध में शुम्पीटर के द्वारा प्रस्तुत व्यापार-चक्र की चारों प्रवस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान है । इनके अनुसार समृद्धि की स्थिति में रोजगार में वृद्धि होती है, किन्तु जैसे-जैसे अर्थ-व्यवस्था शिखर बिन्दु के समीप पहुँचती है रोजगार में वृद्धि की गति मंद पड़ने लगती है । सुस्ती की स्थिति में रोजगार के स्तर में तीव्र गति से गिरावट होने लगती है । जब अर्थ-व्यवस्था चरम बिन्दु को प्राप्त हो जाती है तो दूसरे प्रथम निचले भाग की शुरुआत होती है । इस भाग में भी दो स्थितियाँ होती हैं किन्तु प्रथम स्थिति मदी की स्थिति होती है जिसमें रोजगार में अत्यन्त तीव्र गति से गिरावट होती है, परन्तु जैसे-जैसे अर्थ-व्यवस्था में समुत्थान की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होने लगती है, रोजगार में पुनः वृद्धि की प्रवृत्ति प्रारम्भ हो जाती है ।

व्यापार-चक्र की विभिन्न स्थितियों की मुख्य विशेषताओं को पृष्ठ 141 की तालिका के द्वारा अधिक स्पष्ट किया जा सकता है ।

व्यापार-चक्र के कारण

(Causes of Trade-Cycle)

व्यापार-चक्र के कारण एवं इनके समाधान के उपायों के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में मौलिक विभेद हैं । कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार व्यापार-चक्र प्राकृतिक कारणों से होता है तो कुछ लोगों के अनुसार व्यापार-चक्र एक मौद्रिक प्रवृत्ति है । दूसरी ओर, मार्क्सवादियों के अनुसार व्यापार-चक्र पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था के मौलिक असन्तुलन का परिणाम है । इसका कारण पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत उत्पादन के साधन तथा श्रम का समाज के कुछ व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित होना है । इससे अमिक-वर्ग के पास क्रय-शक्ति का उत्तरोत्तर हास होने लगता है जिससे न्यून उपभोग (Under-consumption) की समस्या की सृष्टि होती है तथा मदी की शुरुआत होती है । इस प्रकार मार्क्सवादियों के अनुसार व्यापार-चक्र पूँजीवाद की एक आवश्यक विशेषता है । अतएव, पूँजीवाद को समाप्त किये वगैरे इसका निराकरण नहीं हो सकता ।

हिक्स (Hicks) ने इस समस्या का एक पृथक् दृष्टिकोण से विवेचन किया है । इनके अनुसार तेजी (Boom) की प्रवृत्ति इस कारण होती है कि विनियोग की वृद्धि से आर्थिक व्यवस्था की प्रगति अत्यधिक तीव्र हो जाती है । प्रसार की यह प्रवृत्ति विनियोग में वृद्धि के साथ-साथ निरन्तर बढ़ती ही जाती है और एक विशेष उच्चतम बिन्दु पर जाकर रुक जाती है, क्योंकि इसके बाद विनियोग एवं उपभोग में वृद्धि रुक जाती । इसके बाद मन्दी (Depression) की शुरुआत होती है । मन्दी भी एक निम्नतम बिन्दु पर आकर रुक जाती है, क्योंकि उपभोग तथा विनियोग में अपरिमित कमी नहीं हो सकती । अतएव, समुत्थान के साथ-साथ पुनः तेजी की प्रवृत्ति की शुरुआत होती है । इस प्रकार आर्थिक व्यवस्था में तेजी एवं मन्दी का सृजन ही व्यापार-चक्र है ।

व्यापार-चक्र के विभिन्न सिद्धांत

(Different Theories of Trade-Cycle)

व्यापार-चक्र के विभिन्न कारणों के आधार पर इसकी व्याख्या के लिए भिन्न भिन्न अर्थ-शास्त्रियों द्वारा अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किये गये हैं । मोटे तौर पर इन सिद्धान्तों को मौद्रिक तथा गैर-मौद्रिक सिद्धान्तों (Monetary and non-monetary theories) के रूप में विभाजित किया जा सकता है । इस प्रकार हॉट्टे (Hawtrey) के अनुसार, व्यापार-चक्र एक विगुद्ध मौद्रिक घटना है तो तुगन-बेरोनोव्स्की (Tugan-Baronovsky) के अनुसार यह न्यून उपभोग (under consumption) का परिणाम है । शुम्पीटर (Schumpeter) के अनुसार यह पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में समय-समय पर होनेवाली नवीन प्रक्रियाओं (innovations) का परिणाम है तो हॉंगक के अनुसार यह अत्यधिक मौद्रिक विनियोग (monetary over-investment) से उत्पन्न होता है । मिचेल (Mitchel) के अनुसार, व्यापार-चक्र एक निरन्तर जारी रहनेवाली प्रक्रिया है जिसकी प्रत्येक अवस्था अपने पूर्व की अवस्था से उत्पन्न होती है तो केन्स के अनुसार व्यापार-चक्र पूँजी की सीमांत उत्पादकता में चक्रीय परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होता है । साराण यह है कि भिन्न-भिन्न अर्थशास्त्रियों ने व्यापार-चक्र की व्याख्या अलग-अलग कारणों से की है ।

विशेषताएँ (Characteristics)	मन्दी की स्थिति (Depression)	समुत्थान की स्थिति (Revival)	समृद्धि की स्थिति (Prosperity)	मूल्य की स्थिति (Recession)
1. रोजगार	अत्यन्त निम्न	धीरे-धीरे वृद्धि होने लगती है	प्रथिक होता है	एकाएक कमी हो जाती है
2. औद्योगिक उत्पादन	अत्यन्त निम्न	धीरे-धीरे वृद्धि होने लगती है	अधिक होता है	कम हो जाता है
3. मजदूरी की दर	अत्यन्त निम्न	वृद्धि होने लगती है	अधिक, किन्तु मूल्य-तल से पीछे	कम, किन्तु मूल्य-तल से पीछे रहते हैं
4. मूल्य	प्रत्यन्त निम्न	वृद्धि होने लगती है	प्रथिक होते हैं	तेजी से गिरते हैं
5. बैंक ऋण	अत्यन्त निम्न	वृद्धि होने लगती है	अधिक होते हैं	एकाएक बन्द कर दिये जाते हैं
6. बैंक-कीप (reserves)	अधिक मात्रा होती है	कमी होने लगती है	कम मात्रा होती है	एकाएक वृद्धि हो जाती है
7. बैंक-दर	कम होती है	नीची होती है	वृद्धि होने लगती है	ऊँची होती है
8. उत्पादन व्यय	कम होता है	वृद्धि होने लगती है	अधिक होती है	कम हो जाता है
9. साम	प्रायः समाप्त हो जाता है	वृद्धि होने लगती है	अधिक होते हैं	समाप्त हो जाते हैं
10. व्यवसायों का बन्द होना	बहुत अधिक होता है	कम मात्रा में होती है	बहुत कम होता है	वृद्धि हो जाती है
11. स्ट्रैबजी	बहुत कम होती है	बढ़ने लगती है	अत्यधिक मात्रा में होती है	कम मात्रा में होती है
12. बन्तुओं का स्टॉक	कम होता है	बढन लगता है	अधिक होता है	कमी होने लगती है
13. सावना	निराशावादी	आशा की भलक विद्यमान हो जाती है	आशावादी होती है	सन्देह व भय क, सावना विद्यमान होती है

व्यापार-चक्र के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किये गये हैं जिनमें से कुछ प्रमुख सिद्धान्त निम्नांकित हैं —

- 1 जनवायु-सम्बन्धी सिद्धान्त (The Climatic Theory)
- 2 हाट्ट्रे का व्यापार-चक्र सम्बन्धी मौद्रिक सिद्धान्त (Monetary Theory of Trade cycle);
- 3 हॉब्सन का अति-बचत सिद्धान्त (The Over-saving Theory of Hobson),
- 4 केन्स का सिद्धान्त (Keynes's Theory),
- 5 मकड़ी-जाला सिद्धान्त (The Cobweb Theory),
- 6 हॉयक का व्यापार-चक्र सम्बन्धी सिद्धान्त (Hayek's Theory),
- 7 शुम्पेटर का नवीन क्रिया-सम्बन्धी सिद्धान्त (Schumpeter's Innovation Theory), तथा
- 8 हिक्स का सिद्धान्त (Hick's Theory)

अब इन विभिन्न सिद्धान्तों की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है—

1 जलवायु सम्बन्धी सिद्धान्त (The Climatic Theory)

व्यापार-चक्र का जलवायु-सम्बन्धी सिद्धान्त सबसे प्राचीन सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के प्रतिपादकों में जेवन्स (Williams Stanley Jevons) का नाम उल्लेखनीय है जिसने Sunspot theory के नाम से इनका प्रतिपादन किया था। इस सिद्धान्त के अनुसार सूर्य में समय-समय पर, प्रायः 10 या 11 वर्षों के चक्र में जो चिह्न अथवा घबरे प्रकट होते हैं उनसे जलवायु बहुत अधिक प्रभावित होती है और जलवायु फसल को प्रभावित करती है। खराब जलवायु से फसलें खराब होती हैं और खराब फसल से व्यावसायिक क्रियाशीलता मंद पड़ जाती है। अच्युती जलवायु का आर्थिक क्रियाओं पर ठीक इसके विपरीत प्रभाव पड़ता है। हाल ही में, मुप्रसिद्ध अमरीकी अर्थशास्त्री मूर Moore ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि समुक्त राज्य के प्रमुख कृषि-प्रदेशों में वर्षों एक निश्चित चक्र के अनुसार होती है। इनके अनुसार वर्षों का यह चक्र व्यापार-चक्र का एक प्रधान कारण है। जेवन्स के अनुसार जलवायु में यह परिवर्तन ठीक समय पर तथा नियमित रूप से होते हैं जिसके परिणामस्वरूप देश में मंदी एवं तेजी की दशाएँ नियमित रूप से आती रहती हैं।

आलोचना :—किन्तु, आजकल इस सिद्धान्त का कोई विशेष महत्त्व नहीं है। इसकी निम्नांकित आलोचनाएँ दी जाती हैं :—

- (1) वास्तव में, यह एक भ्रम तक सत्य है कि कृषि का प्रभाव उद्योग एवं व्यापार पर पड़ता है, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि व्यापार चक्र केवल जलवायु में परिवर्तनों का ही परिणाम है।
- (2) यदि इस सिद्धान्त को सत्य भी माना जाय तो व्यापार-चक्र को कृषि-प्रधान देशों में अधिक माना में विद्यमान होना चाहिए किन्तु वास्तविकता इससे ठीक भिन्न ही है।
- (3) जलवायु-सम्बन्धी परिवर्तनों की सहायता से व्यापार-चक्र के विभिन्न चरणों को ठीक तरह से नहीं समझाया जा सकता।

2 हाट्ट्रे का व्यापार-चक्र सम्बन्धी मौद्रिक सिद्धान्त (Hawtrey's Monetary Theory of Trade Cycle)

व्यापार-चक्र के विभिन्न सिद्धान्तों में व्यापार चक्र का मौद्रिक सिद्धान्त विशेष रूप से उल्लेखनीय है। व्यापार-चक्र के मौद्रिक सिद्धान्त के सबसे बड़े समर्थक प्रो० आर० जी० हाट्ट्रे (Hawtrey) रहे हैं। इनके अनुसार व्यापार-चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक प्रवृत्ति है। (Trade cycle is a purely monetary phenomenon.) दूसरे शब्दों में, मुद्रा के प्रवाह में परिवर्तन ही आर्थिक मं० मौ० सं०—10

व्यवस्था में परिवर्तनों का कारण है, यानी इसी के चलते तेजी तथा मन्दी (Boom and slump) का सृजन होता है। (Changes in the flow of money are the exclusive and sufficient causes of the changes in the economic activity, of alternate phases of prosperity and depression, of good and bad trade conditions) मुद्रा के प्रवाह में प्रसार से वस्तुओं की माग में वृद्धि होती है, इससे व्यापार में वृद्धि होती है, उत्पादन एवं रोजगार बढ़ता है, आय बढ़ती है तथा वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है। इसके ठीक विपरीत मुद्रा का प्रवाह जब सञ्चित होता है तो वस्तुओं की माग में कमी होती है। इससे व्यापार मन्द हो जाता है, उत्पादन एवं रोजगार घटता है आय घटती है तथा वस्तुओं का मूल्य भी कम हो जाता है।

हॉट्ट्रे (Hawtrey) के अनुसार, मुद्रा का प्रवाह उपभोक्ताओं के व्यय से निश्चित होता है। वस्तुओं की माग भी इसी के द्वारा निश्चित होती है। किन्तु, उपभोक्ता अपनी आय का एक भाग उपभोग की वस्तुओं के साथ-साथ विनियोग पर भी व्यय करते हैं। उपभोक्ता के सम्पूर्ण व्यय का सर्वाधिक प्रमुख निर्धारक तत्त्व मुद्रा की कुल मात्रा है। मुद्रा की कुल मात्रा में कमी होने से अपस्फीति का सृजन होता है जिससे आर्थिक व्यवस्था में मन्दी की सृष्टि होती है। मुद्रा की मात्रा में कमी होने से माग में कमी होती है। इससे उत्पादक अनुमानित मूल्य पर अपनी वस्तुओं को नहीं बेच पाते। इससे उनके पास वस्तुओं का स्टॉक जमा होने लगता है। अतएव, ये उत्पादन कम करने लगते हैं जिससे बेरोजगारी में वृद्धि होती है। इसके परिणामस्वरूप आय में कमी होती है। इस प्रकार मुद्रा की मात्रा में कमी से मन्दी की सृष्टि होती है। इसके ठीक विपरीत मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से अधिस्फीति का जन्म होता है जिससे तेजी (Boom) की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से माग में वृद्धि होती है जिससे वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगती है। फलस्वरूप, उत्पादन बढ़ने लगते हैं जिससे रोजगारी बढ़ती है एवं आय में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से तेजी का सृजन होता है, अतएव हॉट्ट्रे (Hawtrey) के अनुसार व्यापार-चक्र अधिस्फीति तथा अपस्फीति का प्रतिरूप है।

आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में समाज में मुद्रा की कुल राशि का एक बहुत बड़ा भाग बैंक-जमा का होता है। अतएव, अधिस्फीति एवं अपस्फीति की सृष्टि में बैंकों का भी प्रधान हाथ है। दूसरे शब्दों में व्यापार-चक्र का बैंकों की मुद्रा सृजन की नीति से घनिष्ठ सम्बन्ध है और बैंकों की मुद्रा सृजन की नीति पर केन्द्रीय बैंकों की बैंक-दर नीति का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

बैंकों की मुद्रा-सृजन की नीति पर केन्द्रीय बैंक की बैंक दर का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, इस सम्बन्ध में हमारे समझ दो प्रधान मत हैं—(1) हॉट्ट्रे का विचार, तथा (2) केन्स का विचार। हॉट्ट्रे के अनुसार बैंक-दर में परिवर्तन का प्रभाव पहले मल्पकालीन मुद्रा-बाजार की दर पर पड़ता है। जब केन्द्रीय बैंक बैंक दर में वृद्धि करता है, तो बाजार-दर में भी इसके साथ-साथ वृद्धि होती है। बाजार-दर में वृद्धि होने से व्यापारियों (जो बैंकों से कर्ज लेकर वस्तुओं का स्टॉक जमा करते हैं) का व्यय बढ़ जाता है। इससे वे उत्पादकों के यहाँ से वस्तुएँ खरीदना बन्द कर देते हैं। इसके फलस्वरूप ये उत्पादन कम कर देते हैं जिससे बेरोजगारी घट जाती है, आय में कमी होने लगती है तथा वस्तुओं का मूल्य भी घटने लगता है। इस प्रकार हॉट्ट्रे के अनुसार बैंक-दर में वृद्धि से मन्दी का सृजन होता है। ठीक इसके विपरीत जब बैंक-दर घट जाती है तो बाजार-दर भी घट जाती है। इससे व्यापारियों का खर्च कम हो जाता है, उन्हें मुनाफा होने लगता है जिससे वे उत्पादकों से अधिक वस्तुएँ खरीदने लगते हैं। इससे उत्पादक उत्पादन में वृद्धि करते हैं जिसमें रोजगार एवं आय में वृद्धि होती है तथा मूल्य-तल भी बढ़ने लगता है। इस प्रकार अधिस्फीति की सृष्टि होती है।

इस प्रकार हॉट्ट्रे (Hawtrey) के अनुसार बैंक-दर में परिवर्तन होने से व्यापारियों की बैंक-मुद्रा की माग में परिवर्तन होता है और बैंक मुद्रा की राशि में परिवर्तन होने से कुल व्यय भी प्रभावित होता है। इसीसे मन्दी अथवा तेजी की सृष्टि होती है। इस प्रकार हॉट्ट्रे के अनुसार व्यापार-चक्र की समस्या पूर्णतया मौद्रिक समस्या है। अतएव, मुद्रा के प्रवाह को स्थायी बनाकर आर्थिक व्यवस्था में स्थायित्व प्रदान किया जा सकता है। किन्तु, मुद्रा की प्रति की स्थायी बनाना इतना सुगम नहीं है। हॉट्ट्रे ने व्यापार-चक्र के निदान के लिए केन्द्रीय बैंक एवं अन्य बैंकों को उत्तरदायी ठहराया है, क्योंकि ये अपने कार्यों से मुद्रा के प्रवाह को स्थायी बना सकते हैं। मुद्रा के

प्रवाह को स्थायी बनाने का अर्थ मुद्रा को पूर्ण राशि को नियन्त्रित करना नहीं है। मुद्रा के प्रवाह का तात्पर्य यहाँ पूर्ण व्यय से है जिसमें उपभोग-जनित एवं उत्पादन-जनित दोनों प्रकार के व्यय शामिल हैं। अतएव, मौद्रिक नीति का प्रधान उद्देश्य उत्पादन के साधनों को स्थायी बनाना होना चाहिए, क्योंकि उत्पादन के साधन ही वस्तुओं के मूल्य तल को प्रभावित करते हैं।

आलोचनाएँ :—किन्तु, हॉट्टे के इस सिद्धान्त की बहुत अधिक आलोचना हुई है। इनमें निम्नान्वित उल्लेखनीय हैं :—

(1) आलोचकों की राय में ऐसा मान लेना कि व्यापार-चक्र एक मौद्रिक-प्रवृत्ति है तथा इसके कारण एवं निदान दोनों ही मौद्रिक हैं, उचित नहीं जान पड़ता। उदाहरण के लिए, 1929-30 ई० की भयानक आर्थिक मन्दी के समय मौद्रिक नीति द्वारा मन्दी की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया गया तथा इस उद्देश्य से सस्ती मुद्रा-नीति (Cheap Money Policy) अपनायी गयी थी। इस प्रकार की नीति के फलस्वरूप बैंक-दर में बहुत अधिक कमी की गयी जिससे बाजार-दर में बहुत अधिक कमी हुई, किन्तु इस नीति का कोई तात्कालिक परिणाम नहीं हुआ तथा समुत्थान की प्रवृत्ति बहुत बाद में प्रारम्भ हुई जिसका मुख्य कारण सशस्त्रीकरण था, मौद्रिक नीति नहीं।

(2) इस सिद्धान्त से यह ज्ञात नहीं होता कि उपरोक्त वस्तुओं की तुलना में पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन में अत्यधिक घट-बढ़ क्यों होता है।

(3) हॉट्टे के अनुसार यदि बैंक अपनी साख-मुद्रा की नीति को इस प्रकार आयोजित करें कि अग्र-व्यवस्था में विनिमय-माध्यम की पूर्ति स्थिर रहे तो व्यापार-चक्र समाप्त किया जा सकता है, किन्तु ऐसा सम्भव नहीं है, क्योंकि विनिमय माध्यम को स्थिर रखना कठिन है। यदि ऐसा हो भी तो केवल ऐसा करने से व्यापार-चक्र की घटना समाप्त नहीं हो सकती।

अतएव, आधुनिक समय में व्यापार-चक्र के मौद्रिक सिद्धान्त का महत्त्व बहुत कम हो गया है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मुद्रा वास्तव में किसी विशेष आर्थिक प्रवृत्ति का कारण नहीं बरन् परिणाम है। तेजी की स्थिति में अधिस्फीति बहुत बाद में शुरू होती है। तेजी की प्रवृत्ति काफी बढ जाने के कारण मूल्य में वृद्धि शुरू होती है जिससे अधिकाधिक मुद्रा की मांग होती है। इस प्रकार मन्दी में भी अधिस्फीति मांग में कमी के कारण होती है। अतएव, मुद्रा मन्दी का कोई विशेष कारण नहीं है। इससे स्पष्ट है कि व्यापार-चक्र को एक मौद्रिक प्रवृत्ति समझना उचित नहीं है। किन्तु, इसका तात्पर्य यह नहीं कि आर्थिक प्रवृत्तियों के पीछे मुद्रा का कोई भी हाथ नहीं है। मुद्रा एवं मौद्रिक नीति का आज भी इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण स्थान है, किन्तु इसे व्यापार-चक्र का एक-मात्र कारण समझना उचित नहीं है। (Monetary theory emphasises one important variable but leaves too much unexplained)

3. प्रो० हॉब्सन का अति-बचत सिद्धान्त (The Over-Saving Theory of Hobson)

व्यापार-चक्र के अति बचत सिद्धान्त के प्रतिपादन का श्रेय प्रो० जे० ए० हॉब्सन (J. A. Hobson) को है। इस सिद्धान्त के प्रमुखतः व्यापार-चक्रों का अस्तित्व आय के विषम वितरण के कारण है। हॉब्सन के तर्क का क्रम इस प्रकार है—समाज में दो वर्गों के लोग रहते हैं—धनी वर्ग तथा निर्धन वर्ग। समाज की कुल आय का एक विशाल भाग धनियों को प्राप्त होता है जो अपनी समस्त आय को उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं करते, बरन् इसका एक बड़ा भाग अपने लिए बचा लेते हैं और इसका उपयोग नहीं करते हैं। इसके दो परिणाम होते हैं—एक ओर तो उत्पादित वस्तुओं के एक भाग का उपभोग नहीं हो पाता और दूसरी ओर अधिक विनियोग से उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती चली जाती है। परिणामतः, एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें समस्त उत्पादित वस्तुओं की लामपूर्ण कीमतों पर नहीं बेचा जा सकता। इससे लाम घटता है और लाभ के घटने के कारण धनिकों की आय घटती है। आय कम हो जाने पर बचत भी कम हो जाती है जिससे विनियोग भी कम हो जाता है। इसका प्रभाव यह होता है कि उत्पादित की मात्रा घट जाती है और उपभोग एवं उत्पत्ति की मात्रा लगभग बराबर हो जाती है जिसके

फलस्वरूप कीमतें तथा लाभ बढ़ने लगते हैं। प्रवृत्त पुनः घटिको की प्राप्य बढ़ती है, वचत बढ़ती है, विनियोग की मात्रा बढ़ जाती है और पूर्व वरिणत क्रम का पुनरावर्तन हो जाता है।

आलोचनाएँ — किन्तु, इस सिद्धान्त की भी विभिन्न आलोचनाएँ दी जाती हैं जिनम निम्नांकित उरनेखनीय हैं—

(क) यह सिद्धान्त अवसाद की दशाओ के उत्पन्न होने एव फैलने के कारणों को केवल आशिक रूप से बतलाता है।

(ख) इस सिद्धान्त से व्यापार-चक्र की सामयिकता (Periodicity) का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता।

(ग) इस सिद्धान्त का यह तर्क कि वचत की उपलब्धि से विनियोग में वृद्धि हो जाती है, ठीक नहीं है, क्योंकि विनियोग तो भविष्य में वस्तु की अधिक माप या भविष्य में एक लाभप्रद बाजार की आशा से किया जाता है। यदि भविष्य में लाभ प्राप्त होने की आशा नहीं है, तो वचत होने पर भी विनियोग को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।

4. केन्स का सिद्धान्त

(The Theory of Keynes)

वेन्स (Keynes) ने व्यापार चक्र की पृथक रूप से व्याख्या नहीं की है, फिर भी, अपनी पुस्तक "The General Theory of Employment, Interest and Money" में उन्होंने इस बात पर बहुत अधिक प्रकाश डाला है। केन्स ने अपनी General Theory में रोजगारी (Full employment) के निर्धारक तत्त्वों तथा उसमें वृद्धि या हास के कारणों की व्याख्या की है और जैसा कि हम जानते हैं पूर्ण रोजगारी एव उत्पत्ति में चक्रीय हास-वृद्धि (Cyclical Fluctuations) को ही व्यापार-चक्र कहते हैं। (Business cycle is nothing more than a rhythmic fluctuation in the overall level of income output and employment) केन्स के अनुसार पूर्ण रोजगारी निम्नलिखित तीन तत्त्वों पर निर्भर करती है:—

(क) पूँजी की सीमान्त उत्पादकता (Marginal Efficiency of Capital),

(ख) तरलता अधिमान (Liquidity Preference), तथा

(ग) उपभोग की प्रवृत्ति (Propensity to consume)।

व्यापार-चक्र के भी उक्त तीनों प्रमुख कारण हैं, किन्तु पूँजी की सीमांत उत्पादकता में हास-वृद्धि ही इनमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। केन्स के अनुसार व्यापार-चक्र की क्रियाशीलता का मुख्य कारण पूँजी की सीमांत उत्पादकता में होनेवाले उतार चढ़ाव हुआ करते हैं।¹ केन्स के शब्दों में, 'व्यापार चक्र की आवश्यक प्रकृति, विशेषतः समय-तर की नियमितता जिसके कारण इसे एक चक्र कहा जाता है, की गतिशीलता का मुख्य कारण पूँजी की सीमांत क्षमता में परिवर्तन ही है। पूँजी की सीमांत उत्पादकता में जिस प्रकार उतार चढ़ाव आते हैं व्यापार चक्र भी उसी प्रकार चलता है।' (The essential character of the trade cycle and especially the regularity of time sequence and of duration which justifies us in calling it a cycle, is mainly due to the way in which the marginal efficiency of capital fluctuates. The trade cycle is best regarded as being occasioned by a cyclical change in the marginal efficiency of capital though complicated and often aggravated by associated changes in other significant short period variables of the economic system)

केन्स की व्याख्या सङ्कट (Crisis) की स्थिति से प्रारम्भ होती है। बहुत-से अर्थशास्त्रियों के अनुसार सङ्कट का कारण वैक मुद्रा का अति सङ्कुचन तथा तेजी में व्याज दर में वृद्धि की प्रवृत्ति है। केन्स इस बात को स्वीकार करता है कि व्याज दर बढ़ने से सङ्कट बढ़ जाता है या उससे

1 'Fluctuations in the economic activity are caused by fluctuations in the rate of investment. And fluctuations in the rate of investment are caused mainly by fluctuations in the marginal efficiency of capital.'


कमी-कमी सकट प्रारम्भ भी हो सकता है, किन्तु सकट का मुख्य कारण पूँजी की सीमात क्षमता में कमी, यानी प्रत्याशित मुनाफे की दर में कमी है। व्याज की दर में वृद्धि उसके बाद होती है पहले नहीं। केन्स के शब्दों में "Liquidity preference, except those manifestations of it, which are associated with increasing trade and speculation, does not increase until after the collapse in the marginal efficiency of Capital"

किन्तु, पूँजी की क्षमता (यानी प्रत्याशित मुनाफे की दर) केवल पूँजी की वर्तमान गति एवं उत्पादन-व्यय पर ही निर्भर नहीं करती, वरन् पूँजी-निर्माण से भावी आय की वर्तमान प्रत्याशा (Current expectation) पर भी निर्भर करती है। जब प्रत्याशित मुनाफे की दर प्रचलित व्याज की दर से अधिक होती है, तो अधिक पूँजी का निर्माण होता है और जब कम होती है, तो पूँजी का निर्माण भी कम होने लगता है। किन्तु भविष्य अनिश्चित एवं भ्रंशाल होता है। अतएव, प्रत्याशित मुनाफे में आकस्मिक एवं मयावह उल्थावचन (Fluctuations) होते रहते हैं। कमी-कमी व्यापारियों के लिए भविष्य अत्यधिक आशाजनक जान पड़ता है, तो कमी निराशा-जनक। महँगी के अन्तिम चरण में व्यापारी भविष्य के विषय में इतना अधिक आशावादी होते हैं कि उत्पादन-व्यय एवं व्याज की दर में वृद्धि के बावजूद वे नयी पूँजी का विनियोग करते हैं। अतएव, शीघ्र ही पूँजी की पूर्ति में अतिशय वृद्धि होने से भविष्य के विषय में उहे सन्देह होने लगता है जिससे पूँजी-बाजार में सकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रत्याशित मुनाफे की दर में कमी होने से उद्योग की प्रवृत्ति में भी कमी आने लगती है और इस प्रकार मदी और तीव्र होने लगती है।

एक बार मन्दी आ जाने पर समुत्थान भी बहुत धीरे-धीरे होता है। इसका कारण यह है कि एक बार जब व्यावसायिकों में निराशा तथा भय का संचार हो जाता है तो उनमें शीघ्र आशा का संचार करना कठिन हो जाता है। केन्स के अनुसार मन्दी की अवधि दो बातों पर निर्भर करती है—(क) स्थायी पूँजी के औसत जीवन पर, तथा (ख) तरल पूँजी के वहन व्यय पर। जब स्थायी पूँजी घिस जाती है और अतिरिक्त स्टॉक की खपत हो जाती है तब नयी पूँजी की मांग एवं निर्माण पुनः शुरू होने लगता है जिससे समुत्थान की शुरुआत होती है।

सर्वप्रथम, केन्स ने व्यापार-चक्र की इसी प्रकार से व्याख्या की है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि केन्स ज सिद्धान्त व्यापार चक्र के सभी पहलुओं की सतोपप्रद ढंग से व्याख्या नहीं करता, फिर भी, केन्स के सिद्धान्त की, व्यापार-चक्र के अन्य सिद्धान्तों से, तुलना की जा सकती है। केन्स यह नहीं मानता कि व्यापार-चक्र एक मौद्रिक प्रवृत्ति है या इसके लिए केवल मौद्रिक उपचार ही पर्याप्त है। फिर भी, वह मानता है कि मन्दी के निवारण के लिए सस्ती मुद्रा-नीति (Cheap money policy) सहायक हो सकती है या बैक-मुद्रा के अधिक संचयन से महँगी मन्दी के रूप में बदली जा सकती है। इस प्रकार केन्स का सिद्धांत पीगू (Pigou) के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से मिलता जुलता है। पीगू के अनुसार व्यापार-चक्र का कारण व्यापारियों में बारी-बारी से आशा एवं निराशा का संचार होता है। जब व्यवसायिकों में आशावाद का संचार होता है, तो तेजी होती है और निराशावाद का संचार होता है तो मन्दी होती है। केन्स भी इसी प्रकार मानता है कि व्यापार चक्र का कारण आशावाद एवं निराशावाद की भूलों का बारी-बारी से होना है, किन्तु व्यापार-चक्र का कारण केवल व्यापारियों की चञ्चल प्रवृत्ति ही नहीं है। इस प्रकार केन्स के मन्दी का सिद्धांत व्यापार-चक्र के न्यून-उपभोग (under-consumption) के सिद्धान्त से मिलता-जुलता है। इसके अनुसार बेकारी का कारण न्यून-उपभोग या अति-बचत (over-saving) है। केन्स मानता है कि मन्दी का एक कारण न्यून-उपभोग है और यह भी मानता है कि बिना धन के समान वितरण के बेकारी को दूर करना कठिन है किन्तु इन दोनों सिद्धान्तों में अन्तर है। केन्स के अनुसार विनियोग की प्रवृत्ति से बचत की प्रवृत्ति अधिक होने पर मन्दी तथा कम होने पर तेजी होती है। यदि बचत विनियोग के बराबर हो, तो व्यापार चक्र नहीं होगा। न्यून-उपभोग के सिद्धान्त में बेकारी का एक मात्र उपाय धन का समान वितरण माना गया है। केन्स भी धन के समान वितरण के पक्ष में है, किन्तु इसे वह भ्रामक उपाय मानता है। केन्सीय सिद्धान्त एवं न्यून-उपभोग में यही मौलिक अन्तर है।

केन्स के अनुसार, व्यापार-चक्र की क्रियाशीलता के कारणों को निम्न चार्ट द्वारा अधिक स्पष्ट किया गया है—



आलोचनाएँ (Criticisms) .— इसमें कोई सदेह नहीं कि केन्स का सिद्धान्त व्यापार-चक्र की सतोपजनक तरीके से व्याख्या करता है, किन्तु फिर भी, इसे दोषरहित नहीं कहा जा सकता। वास्तव में, इसके विरुद्ध निम्नांकित प्रमुख आलोचनाएँ दी जाती हैं—

(1) केन्स के सिद्धान्त के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक व्यवस्था को दो प्रमुख शक्तियाँ प्रभावित करती हैं—पहली ब्याज की दर और दूसरी पूँजी की सीमान्त उत्पादकता। केन्स के अनुसार ब्याज की दर में पर्याप्त मात्रा में कमी के द्वारा अर्थ-व्यवस्था को मन्दी से मुक्त किया जा सकता है। किन्तु, वास्तव में ब्याज की दर का विनियोग पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। बेन्हम (Benham) का इस सम्बन्ध में निम्नांकित कथन सत्य व बिल्कुल समीप है 'साहसों अपने पुराने व्यवसाय में तभी वृद्धि अथवा नये व्यवसाय को तभी स्थापित करने का प्रयास करते हैं जबकि वे भविष्य में माँग में वृद्धि की आशा करते हैं जिससे वे अपने अर्थिक उत्पादन को अधिक मूल्य पर बेचकर अधिक लाभ कमा सकते हैं।' {Entrepreneurs will expand their business or start new ones only if they expect demand for their product to increase or the cost of making and selling them to diminish sufficiently for them to sell a greater output than before at a profit}। क्राउथर (Crowther) के अनुसार भी ब्याज की दर का विनियोग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। क्राउथर ने ब्याज की नीची दर को पानी तथा साहसों को छोड़े से उपमा देते हुए लिखा है कि छोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है, किन्तु यदि वह प्यासा नहीं है तो पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

(2) द्वितीयत, केन्स के अनुसार पूँजी की सीमान्त उत्पादकता का विनियोगी वर्ग पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। किन्तु, केन्स इस बात की व्याख्या नहीं करते कि पूँजी की सीमान्त उत्पादकता किन-किन बातों पर निर्भर करती है। केन्स के अनुसार यह मुख्य रूप से विनियोजकों की मनोभावना (Psychology) पर निर्भर करती है। यदि यह सत्य है तो यह कहा जा सकता है कि केन्स का सिद्धान्त पूँजी के व्यापार चक्र के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त के ही समान है। (Keynes' theory in a way is essentially a psychological theory and like other psychological theories it does not explain the real factors that cause changes in the business expectations)

(3) तृतीयत, मन्दी एवं बेरोजगारी के निराकरण के लिए कॅंस ने सरकार द्वारा नियंत्रित विनियोग की नीति का समर्थन किया है, किन्तु आलोचकों के अनुसार यदि इस नीति को स्वीकार कर लिया जाय तो सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था उन सरकारी अधिकारियों के हाथ में चली जायगी जो न तो पूर्णतः विवेकशील होते हैं और न उन्हें पूर्ण ज्ञान ही रहता है। वास्तव में, ग्रेट ब्रिटेन में केन्स के इस उपचार को काम में लाया गया था जिसमें उसे अत्यधिक हानि उठाानी पड़ी थी।

(4) अंततः, केन्स का सिद्धान्त यह बतलाने में भी असमर्थ है कि व्यापार-चक्र बार-बार एक नियत समय पर ही क्यों आते हैं तथा उनका एक नियत मार्ग क्यों बना हुआ है ?

किन्तु, उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद यह कहा जा सकता है कि व्यापार-चक्र के सिद्धान्त में केन्स का योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहा है।

5. मकड़ी जाला सिद्धान्त (The Cobweb Theory)

वर्तमान शताब्दी के तीसरा दशक में विकसित कौबवेब सिद्धान्त चक्रीय उच्चावचनों की गत्यात्मक व्याख्या प्रस्तुत करता है। इसके पूर्व विकसित व्यापार-चक्र के सभी सिद्धान्त स्वीतिक प्रकृति के थे तथा ये अर्थ-व्यवस्था की गतियों के अध्ययन की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे किन्तु, यह सिद्धान्त समायोजन प्रक्रिया की गत्यात्मक व्याख्या का एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। यद्यपि कौबवेब सिद्धान्त शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1934 ई० में प्रो० काल्डोर ने किया था तथापि इस सिद्धान्त का प्रतिपादन लगभग एक ही समय तीन प्रमुख अर्थशास्त्रियों—हेनरी स्लज (Henry Schultz), टिबरजेन (Tinbergen) तथा हायर हनौ (Arthur Hanau) ने किया था। यह सिद्धान्त समय अन्तराल की धारणा पर आधारित है। -

इस सिद्धान्त के अनुसार माग की बदलती हुई परिस्थितियाँ, जो मूल्य-परिवर्तन के रूप में व्यक्त होती हैं, में समायोजन शीघ्र नहीं होकर कुछ समय बाद होता है। पूर्ण का माग के साथ समायोजन होने में जो समय लगता है उसे 'lag' कहते हैं। इस प्रकार समय की किसी अवधि t में उपलब्ध कुल पूर्ति की मात्रा इसके पूर्व की अवधि t-1 में प्रचलित मूल्य का परिणाम होती है जबकि माग की मात्रा इसकी t अवधि में प्रचलित मूल्य का परिणाम होती है। सारांश यह है कि मूल्य में परिवर्तन का पूर्ति पर प्रभाव शीघ्र नहीं पड़कर कुछ समय बाद में पड़ता है।

इस सिद्धान्त के प्रयोग का प्रधान क्षेत्र कृषि-पदार्थ हैं जिनकी पूर्ति को घटाने या बढ़ाने में थोड़ा समय लगना है। बहुत सी फसलें वर्ष में एक बार तैयार होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि दिसम्बर-में कपास की कीमत बढ़ जाय तो इसकी पूर्ति को शीघ्र नहीं बढ़ाया जा सकता, वरन् इसके क्षेत्र में अगले मौसम में वृद्धि कर ही इसकी पूर्ति बढ़ायी जा सकती है। ऐसी स्थिति में 1909 ई० में कपास की पूर्ति उम मूल्य पर निर्भर करेगी जो 1968 ई० में प्रचलित थी। प्रो० टिम्बरजेन ने इस सिद्धान्त को उन टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन पर प्रयुक्त किया है जिनकी पूर्ति को दीर्घ गर्भावधि के कारण माग के अनुसार पर्याप्त समय के बाद ही समायोजित किया जा सकता है।

कौबवेब निम्नांकित तीन प्रकार के होते हैं—(i) अनुबद्ध मकड़ी जाले (Continuous cobwebs), (ii) केन्द्राभिमुख मकड़ी-जाले (Converging cobwebs), तथा (iii) केन्द्र-विचलन मकड़ी-जाले (Diverging cobwebs)। अनुबद्ध मकड़ी जाले में मूल्य तथा उपज के सामयिक उतार-चढ़ाव सतुलन के चारों ओर समान स्तर पर स्वयं को बुझाते हैं। केन्द्राभिमुख अथवा एक केन्द्र पर मिलनवाले मकड़ी के जाले की स्थिति में यदि अर्थ-व्यवस्था कभी अपने मूल्य की स्थिति से हट जाती है तो इसमें उच्चावचनों के क्रम के द्वारा पुनः सतुलन की स्थिति प्राप्त करने की प्रवृत्ति पायी जाती है। इसमें प्रत्येक उच्चावचन अपने पूर्व के उच्चावचन की अपेक्षा छोटा होता है। ऐसा तब होता है जबकि पूर्ति चक्र माग चक्र की अपेक्षा अधिक ढालुवाँ होती है। इसके विपरीत केन्द्र से विचलित होनेवाले मकड़ी जाले की स्थिति तब उत्पन्न होती है जबकि किसी का एणवश अर्थ-व्यवस्था एक बार अपनी सतुलन की स्थिति से हट जाती है तो यह सतुलन को पुनः प्राप्त करने के स्थान पर अधिक उतार चढ़ावों से फँस जाने के कारण सतुलन की स्थिति से अधिकधिक दूर हटती जाती है। ऐसा उस समय होता है जबकि माग-चक्र पूर्ण चक्र की अपेक्षा अधिक ढालुवाँ होती है।

आलोचनाएँ —किन्तु, व्यापार-चक्र क अन्य सिद्धान्तों की तरह इस सिद्धान्त की भी कुछ अपनी त्रुटियाँ हैं। सर्वप्रथम तो, यह सिद्धान्त केवल तभी लागू होता है जबकि (i) मूल्य उपलब्ध पूर्ति के द्वारा निर्धारित होने हैं, (ii) जबकि उत्पादन केवल मूल्य के द्वारा निर्धारित होता है जैसा कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में होता है, तथा (iii) जबकि उत्पादन में एक निश्चिन्त समय के पूर्व परिवर्तन सम्भव नहीं है। यह सिद्धान्त इस अनास्तविक मान्यता पर आधारित है कि 1969 ई० में किसान जिस फसल की खेती करता है उसकी मात्रा 1968 ई० में प्रचलित कीमत

पर निर्भर करती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि 1969 ई० में किसी फसल की हेतों के पूर्व किसान 1968 ई० में इसके प्रचलित मूल्य को ध्यान में रखता है, किन्तु इसके अतिरिक्त वह और भी कई बातों को ध्यान में रखता है। इतना ही नहीं, इस सिद्धान्त से यह भी स्पष्ट होता है कि एक बार सन्तुलन भंग हो जाने पर चक्रों का एक कमी नहीं समाप्त होनेवाला चिचसिमा प्रारम्भ हो जाता है। किन्तु, वास्तव में हम इस बात को नहीं पाते। अनुभव से यह स्पष्ट है कि स्थिर प्रकार के मकड़ी के जाले में भी किसान लाभ तथा हानि का अनुभव करता है।

इस प्रकार इस सिद्धान्त के विरुद्ध भी बहुत सारी आलोचनाएँ दी जाती हैं, किन्तु इन आलोचनाओं के बावजूद कृषि-पदार्थों के मूल्य में उच्चावचनों की व्याख्या के लिए यह सिद्धान्त विशेष महत्त्व का है।

6. हैयक (Hayek) का व्यापार-चक्र-सम्बन्धी सिद्धान्त

(Hayek's Theory of Trade Cycle)

प्रो० हैयक ने व्यापार-चक्र के अधिक विनियोग सिद्धान्त (Over-Investment Theory of Trade cycle) का प्रतिपादन किया है। यह सिद्धान्त भी मुद्रा की ब्याज-दर पर ही आधारित है। प्रो० हैयक के अनुसार व्यापार-चक्र अर्थ व्यवस्था में अधिक विनियोग के परिणामस्वरूप, जो बैंको द्वारा कम ब्याज की दर पर अधिक साख-निर्माण के कारण होता है, उत्पन्न होते हैं। उनके अनुसार जब बाजार की ब्याज-दर (Market rate of interest) वास्तविक ब्याज की दर (natural rate of interest) से कम अथवा अधिक होती है तो अर्थ व्यवस्था में क्रमशः तेजी (boom) अथवा मन्दी का सृजन होता है। जब बाजार की ब्याज-दर वास्तविक ब्याज की दर से कम होती है तो अर्थ-व्यवस्था में विनियोग की मात्रा कुल उपलब्ध ऐच्छिक बचत की मात्रा की तुलना में अधिक हो जाती है। कुल उपलब्ध ऐच्छिक बचत एवं विनियोग के इस अन्तर को बैंको द्वारा साख-मुद्रा के निर्माण से पूरा किया जाता है। जैसे-जैसे समाज में कुल विनियोग की मात्रा समाज में कुल ऐच्छिक बचत की मात्रा से अधिक होती जाती है, बचत तथा विनियोग की असमानता में वृद्धि होती जाती है और बैंक बचत की कमी को ऋणों एवं अग्रिमों के द्वारा पूरा करते हैं। इस प्रकार साख-निर्माण की प्रक्रिया तबतक चलती रहती है जबतक कि बैंको के साख निर्माण की सीमा समाप्त नहीं हो जाती। इस सीमा के बाद बैंक साख का निर्माण करना बन्द कर देते हैं जिससे विनियोग की गति सहसा समाप्त हो जाती है तथा मन्दी प्रारम्भ हो जाती है। इस प्रकार हैयक के अनुसार व्यापार-चक्र उत्पादन की प्रक्रियाओं की लम्बाई (Lengthening) अथवा छोटाई (Shortening) का परिणाम होता है जो स्वयं साख की मात्रा पर निर्भर करता है।

किन्तु हैयक के सिद्धान्त की भी आलोचना की जाती है। इस सिद्धान्त का सर्वाधिक प्रमुख दोष यह बतलाया जाता है कि इसके द्वारा हम यह नहीं समझ पाते कि मन्दी की असाधारण स्थिति तथा पूर्ण रोजगार एक दूसरे से किस प्रकार सम्बन्धित है। साथ ही, हैयक के अनुसार ब्याज की दर आर्थिक व्यवस्था में अस्थिरता को जन्म देती है, किन्तु ऐसा कहना सदा उचित नहीं जँचता।

7. शुम्पीटर का सिद्धान्त या नवीन प्रक्रिया सिद्धान्त

(Schumpeter's Theory Or The Innovation Theory)

प्रो० शुम्पीटर ने नये परिवर्तनों को व्यापार-चक्र का कारण माना है।¹ इसके अनुसार

1. शुम्पीटर के सिद्धान्त का सार उनके निम्नांकित कथन से स्पष्ट हो जाता है—“The booms consist in the carrying out of innovations in the industrial and commercial organism. By innovations, I understand such changes of the combination of the factors of production as cannot be affected by infinitesimal steps or variations on the margin. They consist primarily in changes in methods of production and transportation, or in changes in industrial organisation, or in the production of a new article, or in opening up of new markets or of new sources of material. The recurring periods of prosperity of the cyclical movements are the form that progress takes in a capitalistic society.”

अर्थ-व्यवस्था में सदा कुछ नवीन प्रक्रियाएँ (Innovations) उत्पन्न होती हैं जो व्यापार-चक्र की जननी कही जा सकती हैं (Innovations are the originating cause of cyclical movements in a capitalistic society)। ये प्रक्रियाएँ निम्नलिखित पाँच प्रकार की होती हैं :—

1. नवीन उत्पादन का प्रारम्भ,
2. उत्पादन की नवीन विधियों का अपनाया जाना,
3. नये बाजार की प्राप्ति,
4. उत्पादन के किसी नये साधन का विकास तथा
5. व्यापार सगठन के रूप में परिवर्तन।

उपरोक्त नवीन प्रक्रियाओं में से प्रत्येक प्रक्रिया के कारण व्यापारिक सस्थाओं के आर्थिक तथा व्यापारिक अनुमान भी परिवर्तित हो जाते हैं जिससे व्यापार की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है और इन सभी परिवर्तनों के कारण उत्पादन-व्यय में भी परिवर्तन होता है। इसके फल-स्वरूप उत्पादक तथा व्यापारियों को उत्पादन-चक्र में बहुत-से परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है जिससे उनकी मांग चक्र की अन्तिम रूप-रेखा ही अनिश्चित हो जाती है। इस प्रकार शुम्पीटर के अनुसार प्रत्येक नवीन प्रक्रिया अर्थ-व्यवस्था में कुछ असंगुलन उत्पन्न कर देती है जिससे उस प्रणाली को पुनः किसी नये संतुलन की स्थिति पर सामंजस्य में लाना पड़ता है। नवीन प्रक्रिया के प्रभावों की व्याख्या एक पूर्ण रोजगारवाली अर्थ-व्यवस्था के आधार पर किया जा सकता है। अब मानलिया कि नवीन प्रक्रिया अर्थ-व्यवस्था में किसी नये उत्पादन के रूप में वर्तमान है, तब इन नये उद्योगों के लिए नयी-नयी मशीनों तथा माज-मज्जा आदि की आवश्यकता होगी। यह उसी समय सम्भव है जबकि अन्य उद्योगों में उत्पादन की मात्रा कम की जाय, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता ही मान्यता के कारण उत्पादन के साधनों की प्रत्येक इकाई को पूर्ण रोजगार प्राप्त है। अतएव, इससे उत्पादन के साधनों की मांग बढ़ जायगी, मांग बढ़ने से इनका पारितोषिक बढ़ जायगा और पारितोषिक बढ़ने से पुराने उद्योगों में भी उत्पादन व्यय बढ़ जायगा। साथ ही पुराने उद्योग की वस्तुओं की पूंति भी कम हो जायगी, क्योंकि इनमें उत्पादन के साधनों की मात्रा कम हो जाने से इनके उत्पादन की मात्रा कम हो जायगी। दूसरी ओर, उत्पादन के साधनों के पारितोषिक में वृद्धि होने से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जायगी जिससे वे अधिक मात्रा में खर्च करने के लिए तैयार होंगे जिससे पुरानी वस्तुओं की मांग बढ़ जायगी। इस प्रकार पुरानी वस्तुओं की मांग में वृद्धि तथा पूंति में कमी होने से इनकी कीमत बढ़ जायगी जिससे इनका उत्पादन अत्याधिक लाभशायक हो जायगा। इससे उत्पादन बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है तथा मूल्य में वृद्धि होती है और इस प्रकार तेजे (boom) की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, किन्तु कुछ समय बाद जब नयी वस्तुएँ बाजार में आती हैं तो वे पुरानी वस्तुओं से प्रतियोगिता करने लगती हैं। उपभोक्ता अपनी आय का एक अंश नयी वस्तुओं के उपभोग पर भी व्यय करने लगता है। इससे पुरानी वस्तुओं की मांग घट जाती है जिससे इन उद्योगों में उत्पादन के साधनों की मांग भी कम हो जाती है और बाजार में मन्दी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसका नयी वस्तुओं की मांग पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस तरह कुछ ही समय बाद सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में मन्दी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

उपरोक्त विवेचन से शुम्पीटर के व्यापार-चक्र के सिद्धांत की निम्नांकित विशेषताओं का पता चलता है :—

- (i) नव प्रवर्तन व्यापार चक्र का मौलिक कारण है।
- (ii) जब उपक्रमी व्यवसाय में नव-प्रवर्तनों को प्रयुक्त करने के लिए विनियोग करते हैं तो व्यापार चक्र का श्रीगणेश होता है।
- (iii) नव प्रवर्तन के लिए वित्त-प्राप्ति ढंठ द्वारा ऋण लेकर किया जाता है।
- (iv) नव-प्रवर्तन निरंतर रूप में वर्तमान नहीं रहता, वरन् समय-समय पर भारी व्यय के रूप में होता है जिससे व्यापार-चक्र निरंतर नहीं होकर अनियमित रूप से आते हैं।
- (v) शुम्पीटर के सिद्धान्त में साम्य की घारणा का अत्याधिक महत्त्व है। साम्य की आदर्श अवस्था से ही समृद्धि का प्रारम्भ होता है।

(vi) प्रत्येक नया साम्य आर्थिक व्यवस्था को विकास की एक नयी और उच्चतर प्रवृत्त्या पर ला देता है।

(vii) और, इस प्रकार व्यापार-चक्र अपने को चक्रीय प्रक्रिया के रूप में व्यक्त करता है।

आलोचनाएँ :—किन्तु, व्यापार-चक्र के अन्य सिद्धांतों की तरह शुम्पीटर का सिद्धांत भी दोषपूर्ण है। अतः इसकी निम्नांकित आलोचनाएँ दी जाती हैं :—

(1) शुम्पीटर के अनुसार केवल नव-प्रवर्तन ही व्यापार चक्र के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है और अन्य बातें गौण हो जाती हैं, परन्तु वास्तविकता यह नहीं है। वास्तव में, नव-प्रवर्तन व्यापार-चक्र के कई कारणों में से केवल एक है।

(2) इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए हैक ने ठीक ही कहा है कि व्यापार-चक्र की पेचीदी घटना को केवल नवीन प्रक्रियाओं के आधार पर ही नहीं समझाया जा सकता। वास्तव में, अर्थ-व्यवस्था में मंदी केवल नवीन प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न अस्थिरता पर ही नहीं, बरन् अन्य कारणों पर भी निर्भर करती है।

(3) शुम्पीटर का सिद्धान्त दो निम्नलिखित दोषपूर्ण मान्यताओं पर आधारित है—(क) अर्थ-व्यवस्था में साधनों की पूर्ण रोजगारी, (ख) बैंक-साख के द्वारा नवीन परिवर्तनों के लिए सम्पूर्ण धन-राशि की प्राप्ति, किन्तु जैसा कि हम जानते हैं समाज में पूर्ण रोजगार की स्थिति केवल विशेष परिस्थितियों में ही पायी जाती है। साथ ही, इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि नव-प्रवर्तन के लिए वित्त बैंकों से प्राप्त नहीं किया जाता, बैंक तो केवल अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं।

(4) शुम्पीटर के अनुसार किसी देश की आर्थिक प्रगति कुछ उपक्रमियों की योग्यता का परिणाम है, परन्तु सिद्धान्त से यह स्पष्ट नहीं होता कि योग्यता जैसे मानवीय तत्त्व को चक्रीय रूप किस प्रकार प्रदान किया जा सकता है।

इससे स्पष्ट है कि शुम्पीटर का सिद्धान्त व्यापार-चक्र की सही रूप से व्याख्या नहीं कर सकता, किन्तु शुम्पीटर के सिद्धान्त में निम्नांकित दो बातें तथ्ययुक्त हैं—(क) सर्वप्रथम तो, नव-परिवर्तन विकास की प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग है तथा (ख) द्वितीयतः, आर्थिक विकास में व्यापारियों का योगदान अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है।

8. हिक्स का सिद्धान्त

(Hick's Theory)¹

हिक्स (Hicks) की सुप्रसिद्ध पुस्तक 'A contribution to the theory of trade cycles' सन् 1950 ई० में प्रकाशित हुई। इसमें उसने व्यापार-चक्र के एक नये सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रो० हिक्स के अनुसार व्यापार-चक्र गुणक (Multiplier) तथा तीव्र गतिशीलता (Acceleration) के मिश्रित प्रभावों के कारण उत्पन्न होते हैं। (Cyclical fluctuations can be attributed to the combined effects of multiplier action and the principle of acceleration)। हिक्स के शब्दों में विनियोग दो प्रकार के होते हैं—(क) स्वतः (Autonomous) तथा (ख) प्रोत्साहित (Induced)। इनमें से पहले प्रकार का विनियोग उत्पादन में परिवर्तनों से स्वतन्त्र होता है। Autonomous investment consists of these types of investments which are independent of changes in output.) हिक्स ने इस प्रकार के विनियोग को एक निश्चित दर पर बढ़ते हुए माना है जिससे सारी प्रणाली प्रगतिशील सतुलन की स्थिति में रहती है, बशर्ते कि इसके सतुलन के मार्ग में कोई रुकावट नहीं हो। इसके विपरीत प्रोत्साहित विनियोग वह होता है जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। (Induced investment consists of those types of investment which are induced by changes in output) वास्तव में, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि से इस प्रकार के विनियोग को प्रोत्साहन मिलता है। यह तीव्र गतिशीलता का सिद्धान्त (Principle of Acceleration) है।

1—हिक्स ने 1950 में प्रकाशित अपनी 'A Contribution to the Theory of the Trade Cycles' नामक पुस्तक में व्यापार-चक्र के एक नये सिद्धान्त की व्याख्या की है।

विनियोग का मात्रा एव द्राव्यिक आय-स्तर (Level of money income) में बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है जिससे कि विनियोग की मात्रा द्राव्यिक आय पर निर्भर करती है। अतः स्वतः विनियोग की मात्रा के अनुसार द्राव्यिक आय का एक निश्चित स्तर होता है और आय तथा विनियोग का यह अनुपात गुणक (multiplier) एव तीव्र गतिशीलता के सिद्धान्त (acceleration principle) का निष्पत्तिक होता है। इससे स्पष्ट है कि द्राव्यिक आय में ठीक उसी दर से वृद्धि होती है जिस दर से स्वतः विनियोग की दर में वृद्धि होती है।

अब, मानलिया कि किसी कारणवश, जैसे किसी नये आविष्कार के कारण, स्वतः विनियोग की दर में वृद्धि हो गयी है और थोड़ी देर के पश्चात् इस वृद्धि के समाप्त हो जाने पर विनियोग अपनी पुरानी जगह पर आ जाता है, किन्तु प्रोत्साहित विनियोग अधिक ही बना रहेगा और उस पर आधारित उत्पादन की मात्रा भी बढ़ती ही जायगी। ऐसा तबतक होता है जबतक कि यह अधिकतम सीमा तक नहीं पहुँच जाय। इससे अधिक इगमें वृद्धि नहीं हो सकती। एक बार अधिकतम सीमा तक पहुँचने के थोड़ी देर बाद ही इसे एक भटक से दूर होना पड़ता है और इस प्रकार पुनः इसकी गतिविधि नीचे की ओर हो जाती है। [When the path has encountered the ceiling, it must (after a little) bounce up from it and begin to move in a downward direction.] हिक्स के अनुसार यह नीचे की ओर की गति-विधि अनिवार्य है, क्योंकि उत्पादन की मात्रा अधिकतम सीमा से अधिक नहीं बढ़ सकती। अतएव, प्रोत्साहित विनियोग, जो इस दर पर उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के कारण सम्भव हुआ था, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि बनाये रखने में समर्थ नहीं हो सकता और इस कारण उत्पादन नीचे की ओर मुड़ने लगता है और एक बार जहाँ उत्पादन में कमी प्रारम्भ हुई तो इसकी गतिविधि अधिकधिक बढ़ती ही जाती है। हिक्स के अनुसार ऐसा मौद्रिक तथ्यों के कारण हो होता है। ज्योंही उत्पादन में नीचे की ओर आने की प्रवृत्ति प्रारम्भ होती है, त्योही वस्तुओं का बेचना कठिन हो जाता है। इससे एक के बाद दूसरे फर्म शोधन दिवालिया होने लगते हैं, लोगों की तरलता पसन्दगी बढ़ जाती है जिसका साख-निर्माण पर पतिकूल प्रभाव पड़ता है। साख-निर्माण में कठिनाई से व्यापारिक गतिविधियाँ और भी कम हो जाती हैं और यह कमी निम्नतम सीमा तक पहुँच जाती है। इस प्रकार मन्दी (depression) की स्थिति भी बहुत ही विगड जाती है।

(क) मौद्रिक नीति (Monetary Policy),

(ख) तटकर नीति (Fiscal Policy) तथा

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय उपाय (International Measures)।

आलोचना :- किन्तु, हिक्स के सिद्धान्त की भी कई कारणों से आलोचना की जाती है। प्रो० कालडोर (Kaldor) के अनुसार हिक्स के व्यापार-चक्र के सिद्धान्त की सबसे बड़ी कमजोरी गतिशीलता के सिद्धान्त (Principle of Acceleration) का प्रयोग है जो स्वयं एक अपूर्ण सिद्धान्त है। अतः इससे किसी ठोस व्याख्या की आशा नहीं की जा सकती।

व्यापार-चक्र के निदान

(Remedies of Trade Cycle)

व्यापार-चक्र अर्थिक व्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न कर सकट की स्थिति ला देता है जो समाज के हितों के लिए घातक सिद्ध होता है। पहले इस बात की व्याख्या की जा चुकी है कि तेजी (Boom) की स्थिति में व्यापारियों एव कूपकों की बहुत अधिक लाभ होता है, किन्तु निश्चित आयवालों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार मन्दी (Slump) की स्थिति में व्यापारियों एव किसानों को अत्यधिक हानि होती है तथा बेकारी के कारण श्रमिकों को भी भीषण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सारांश यह है कि व्यापार-चक्र समाज के विभिन्न वर्गों को मित्र-भित्त रूप में प्रभावित करता है। इस अर्थिक अव्यवस्था के कारणों को दूर करने के ई प्रयत्न किये गये हैं, किन्तु अभी इस सम्बन्ध में बहुत ही कम सफलता मिल पाई है। इसके कई कारण हैं—जैसे मन्दी की मूसीबतों को मन्दी की समाप्ति के बाद व्यक्ति तथा सरकार पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के कारण भूल जाते हैं जिससे वे मन्दी के निराकरण के प्रयासों में ढिलाई कर देते हैं। द्वितीयतः, श्रमिकों एव उनके प्रतिनिधि तथा राहसी इस कठिन समस्या

को भली प्रकार समझने का प्रयास नहीं करते हैं। और अन्ततः सभी प्रकार के व्यापार-चक्र में कुछ न-कुछ नवीनता अवश्य होती है जिससे समस्या का उचित निदान प्राप्त नहीं हो पाता।

फिर भी, व्यापार चक्र को रोकने अथवा इनके प्रभावों को कम करने के लिए मित मित व्यक्तियों द्वारा अनेक सुझाव दिये गये हैं जिनमें निम्नांकित उल्लेखनीय हैं—

(1) मौद्रिक नीति (Monetary Policy) .—इसके निदान के रूप में सबसे अधिक मौद्रिक नीति (Monetary Policy) का प्रयोग किया जाता है। मौद्रिक नीति के अन्तर्गत ऋण, सूद की दर, मौद्रिक प्रमाण (Monetary Standard), सार्वजनिक ऋण तथा इसके प्रवन्ध से सम्बन्धित बैंकिंग तथा साख-नीति (Banking and Credit Policy) सम्मिलित हैं। यह साख की मात्रा (Volume of Credit base) को प्रभावित करता है। साख-नीति में परिवर्तन करके केन्द्रीय बैंक साख की मात्रा तथा मुद्रा की पूर्ति कम या अधिक कर सकता है। इस प्रकार सामान्य मूल्य-स्तर (General level of prices) और आर्थिक क्रिया (Economic activity) को भी प्रभावित किया जा सकता है। यह कार्य बैंक दर (Bank Rate) तथा खुले बाजार की क्रियाओं (Open Market operations) द्वारा सम्पादित किया जाता है। तेजी काल में बैंक-दर में वृद्धि कर दी जाती है जिससे साख-विस्तार पर रोक लग जाती है। परिणामस्वरूप, व्यापारिक क्रिया (Business activity) भी मन्द पड़ने लगती है।

मन्दीकाल (Depression) में सस्ती मुद्रा नीति (Cheap Money policy) अपनायी जा सकती है ताकि विनियोग प्रोत्साहित हो सके तथा पुनर्जीवन (Recovery) को बल मिल सके।

साख-नियन्त्रण के दो उपाय हैं—

- (1) परिमाण-मक नियन्त्रण (Quantitative control) तथा
- (ii) गुणात्मक नियन्त्रण (Qualitative control)।

परिमाण-मक नियन्त्रण का उद्देश्य साख की मात्रा में कमी और वृद्धि करना होता है। यह नियन्त्रण बैंक के सुरक्षित कोष को प्रभावित करके किया जा सकता है। गुणात्मक नियन्त्रण में बैंक यह निर्धारित करता है कि किस कार्य के लिए ऋण प्रदान किया जाय और किस कार्य के लिए न दिया जाय।

बहुत दिनों तक मौद्रिक नीति को महत्त्व मिलता रहा परन्तु इस नीति की कुछ सीमाएँ हैं। इनकी सफलता कुछ मान्यताओं पर निर्भर करती है। यह आवश्यक नहीं होता कि बैंक-दर कम या अधिक होने में अन्य बैंक भी अपने सूद की दर कम या अधिक कर दें। आजकल बैंक अधिकतर अपने ही साधनों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए, केन्द्रीय बैंक की बैंक-दर नीति का अधिक प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। देश में तेजीकाल के समय बैंक दर अधिक होने पर भी साख की मात्रा अधिक होने के कारण बैंक माल अधिक प्रदान करते हैं। इसके विपरीत मन्दीकाल में सूद की दर कम होने पर भी कोई मुद्रा उधार लेने के लिए तैयार नहीं होता ('The horse may be taken to water but it may refuse to drink')। अतएव मात्र मौद्रिक नीति का सहारा लेना उपयुक्त नहीं है।

(2) मूल्य-नियन्त्रण (Price Control) . कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार मूल्य-नियन्त्रण (Price Control) की नीति के द्वारा व्यापार-चक्र की समस्या का निदान किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने से लान पर नियन्त्रण करके व्यापारियों को व्यापार के आकार में वृद्धि करने से रोका जा सकता है, परन्तु यह देखने में आया है कि मूल्यों में किसी प्रकार की वृद्धि हुए बिना भी व्यापारी अपने व्यापार के पैमाने में वृद्धि कर लेते हैं।

(3) बेरोजगारी बीमा की व्यवस्था —कुछ अर्थशास्त्रियों ने विचार में व्यापक-चक्र को रोकने के लिए बेरोजगारी को रोकना चाहिए। ऐसा करने के लिए आवश्यक है कि सरकार बेरोजगारी बीमा की एक व्यापक योजना अपनाये। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक देश की सरकार को एक बेरोजगारी कोष स्थापित करना चाहिए जिसके द्वारा मन्दीकाल में श्रमिकों को वेतन दिया जा सके। निम्नोद्देश्य यह योजना सैद्धांतिक दृष्टि में तो ठीक दिखायी पड़ती है परन्तु इसे व्यावहारिक रूप देते समय अनेक प्रकार की प्रशासनिक एवं वित्तीय कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं।

(4) प्रशुल्क नीति (Fiscal Policy) . आर्थर स्मिथिस (Arthur Smithies) के

अनुसार "प्रशुल्क नीति वह नीति है जिसमें सरकार अपने व्यय तथा आगम के कार्यक्रमों को राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार पर इच्छित प्रभाव डालने एवं अवाञ्छित प्रभावों को रोकने के लिए प्रयुक्त करती है।" (Fiscal Policy is a policy under which government uses its expenditure and revenue programmes to produce desirable effects and to avoid undesirable effect on national income production and employment) तीसा वी भयानक मंदी के पश्चात् व्यापार-चक्रों के निदान के उद्देश्य से प्रशुल्क नीति (Fiscal Policy) की प्रयोग में लाया जाने लगा है। इंग्लैंड में स्वर्गीय लार्ड केन्स तथा अमेरिका में प्रो० हैनसन इस नीति के मुख्य समर्थक रहे हैं। इस नीति के अन्तर्गत सरकार मंदी की अवधि में अधिक मात्रा में व्यय करके वैकारी समाप्त करने की चेष्टा करती है। मंदीकाल में सरकार सड़कें, पार्क बाँध, अस्पताल इत्यादि समाज कल्याण से सम्बन्धित सार्वजनिक कार्यों पर अधिक व्यय आरम्भ कर देती है। इसके विपरीत तेजी की स्थिति में सरकार अपने व्यय में भारी मात्रा में कमी करके भू-सूच्यो, उत्पादन एवं रोजगार इत्यादि में स्थिरता लाने का प्रयत्न करती है। इस प्रकार मंदी के समय में आय से अधिक व्यय एवं तेजी के समय में आय की तुलना में कम व्यय करके सरकार अर्थ-व्यवस्था में स्थिरता स्थापित करने का प्रयत्न करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वर्गीय राष्ट्रपति रूजवेल्ट के प्रशासनकाल में तीसा ने प्रारम्भ में अपनायी गयी न्यु डील (New Deal) की नीति तथा फ्रांस का ब्लम प्रयोग (Blum Experiment) इस नीति के प्रयोगों के वास्तविक उदाहरण हैं। इन देशों में इस प्रकार के कार्य करने के कारण व्यापार, उत्पादन एवं रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ और अर्थ-व्यवस्था पूर्ण रोजगार की दिशा में उन्नति करने लगी थी।

प्रशुल्क-नीति के अन्तर्गत करों के परिवर्तन के द्वारा भी निजी व्यय को प्रभावित करके राष्ट्रीय आय एवं रोजगार को प्रभावित किया जा सकता है। जब सरकार इस उद्देश्य से कोई नया कर लगाती है या पुराने करों में वृद्धि करती है तो जनता के पास खर्च के लिए कम ही रकम बच जाती है। इससे उपभोग व्यय कम होता है तथा कुल व्यय में कमी होनी है जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय एवं रोजगार में कमी आती है। यदि अर्थ-व्यवस्था में पहले से ही तेजी की स्थिति है तो करों की वृद्धि से स्थितिगत परिस्थितियों को कम करने में सहायता मिलती है। इसके विपरीत मंदी निराकरण के उद्देश्य से सरकार करों में कमी कर लोगों के पास खर्च करने योग्य आय को बढ़ाती है। इससे इनके कुल उपभोग-आय में वृद्धि होती है जिससे राष्ट्रीय आय एवं रोजगार में वृद्धि होती है तथा अपस्फीतिजनक परिस्थितियाँ समाप्त होती हैं।

परन्तु, प्रशुल्क नीति के प्रयोग के सम्बन्ध में कई कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। सर्वप्रथम तो, यह आवश्यक है कि सरकारी व्यय का प्रभाव निजी उद्योग तथा अर्थ-व्यवस्था पर खराब नहीं पड़ना चाहिए। इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि सरकार को केवल समाज-कल्याण के कार्यों पर ही व्यय करना चाहिए जिससे कि सरकारी व्यय का व्यक्तिगत क्षेत्र में विनियोग पर बुरा प्रभाव न पड़े। द्वितीयत, अधिक व्यय को सम्भव बनाने के लिए अतिरिक्त आय इस प्रकार से प्राप्त हो जानी चाहिये जिससे कि समाज में व्यक्तियों की आय पर इसका कोई बुरा प्रभाव न पड़े।

(5) विनियोजन नीति (Investment Policy) :—व्यापार-चक्रों की गति एवं तीव्रता की नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा देश में विनियोगों के नियन्त्रण का मुद्दा दिया जाता है। विनियोग नियंत्रण से उपमोक्षा एवं पूँजीगत वस्तुओं का उत्पादन एक सीमा के अन्तर्गत रहना है जिससे मूल्य में अत्यधिक ह्रास की आशंका नहीं उत्पन्न होती और इसीलिए प्रसार की स्थिति नहीं आने पाती। शुष्मिटी का इस सम्बन्ध में यह सुझाव है कि अत्यन्त समृद्धिकाल में सरकार का विनियोजन नहीं करना चाहिये। इसके विपरीत अवसाद अथवा सिकट की स्थिति में सरकार को सड़कों, नहरों तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों में अत्यधिक मात्रा में पूँजी लगानी चाहिए। प्रो० हैनसन ने भी अवसाद का अन्त करने के लिए दीर्घकालीन निर्माण की योजनाएँ कार्यान्वित करने का सुझाव दिया है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि व्यापार चक्र जैसी पेचीली समस्या के निदान का कोई एक सरल उपाय नहीं है। वास्तव में, यह बहुत ही गम्भीर समस्या है। हैनसन (A H Hansen) के विचारानुसार "व्यापार-चक्र वर्तमान अर्थ-व्यवस्था की एक ऐसी विचित्र विशेषता

है कि इस पर नियन्त्रण करना कोई सरल कार्य नहीं है। व्यापार-चक्र उन्नतशील एवं प्रवैगिक समाज की ऐसी निहित विशेषता है जिसकी उपस्थिति का मुख्य कारण अर्थ-व्यवस्था में विनियोग क्रिया के आकार में होनेवाले निरन्तर परिवर्तन हैं। ये परिवर्तन उस समय भी विद्यमान रहेंगे जबकि अर्थ-व्यवस्था की स्वस्थ अवस्था हो जायगी।” (The business cycle is an unruly behaviour characteristic of the modern economy. It will be no easy task to bring it under control. And it is not a pathological behaviour pattern. It is an inherent characteristic of a dynamic progressive society which can only be understood by analysing the factors underlying the intermittent surges of investment activity. These will occur, more or less, even though the society is healthy with respect to such structural arrangements as tax structure, wage-price balance, industrial relations etc.)¹ गत कुछ वर्षों में जब-जब व्यापार-चक्र की घटना विद्यमान हुई है, तब तब मौद्रिक एवं प्रशुल्क नीतियों का एक साथ प्रयोग किया गया है तथा इसमें सफलता भी मिली है। काले मार्क्स जैसे कुछ विचारक तो पूँजीवादी व्यवस्था में व्यापार-चक्रों के उतार-चढ़ाव को बिल्कुल अनिवार्य मानते हैं। अतएव, इनके अनुसार इस बुराई को दूर करने का सबसे उपयुक्त उपाय यह है कि पूँजीवादी व्यवस्था का ही अन्त कर दिया जाय।

वास्तव में, ध्यानपूर्वक विचार करने से सामान्यतः इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि “विश्व को इस अभिशाप से मुक्त करने के लिए एक-मात्र सप्रभाविक उपाय समाजीकृत उत्पादन व्यवस्था (Socialised Production) है जिसमें निजी लाभ के स्थान पर सामाजिक हित अथवा लाभ पर अधिक ध्यान दिया जाता है।”

विशेष अध्ययन-सूची

1. Crowther : An Outline of Money, Chapter III
2. Keynes : The General Theory of Employment Interest and Money, Chapter-XXII.
3. Halm : Economics of Money and Banking, Chapters XXXIV and XXXV.
4. Hansen : Fiscal Policy and Business Cycles.

—: o —

1. A H Hansen Monetary Theory and Fiscal Policy.

बैंकिंग सम्बन्धी कुछ स्मरणीय उद्धरण

- 1 Credit may be defined "as the right to receive payment or the obligation to make payment on demand at some future time on account of the immediate transfer."
- 2 "Bank is an establishment which makes to individuals such advances of money as may be required and safely made and to which individuals entrust money when not required by them for use" —*Kinley*
- 3 "Adventure is the life of commerce, but caution, if not timidity is the essence of modern banking." —*Bagehot*
- 4 "A central bank is a bank regulating the volume of currency and credit" —*Bank of International Settlements*
5. "Clearing house is a general organisation of banks of a given place having as its main purpose the offsetting of cross obligation in the form of cheques" —*Tausling*
6. "The money market is the collective name given to various firms and institutions that deal in various grades of near money" —*Crowther*

अध्याय : 15

व्यावसायिक बैंकों का संगठन

(Organisation of Commercial Banks)

प्राक्कथन — आज के औद्योगिक युग में बैंको का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये आधुनिक समाज की कई प्रवार से सेवा करते हैं जिनकी व्याख्या हम पहले ही कर चुके हैं। बैंको की इन सवाभो का हमारे आर्थिक जीवन में इतना अधिक महत्व है कि उन्हें आधुनिक आर्थिक व्यवस्था की घुरी कहा गया है। वास्तव में, बैंकिंग व्यवस्था समाज के आर्थिक जीवन का एक प्रमुख अंग है।

विभिन्न देशो की बैंकिंग प्रणाली में बहुत अन्तर पाया जाता है, किन्तु गत् कुछ वर्षों से प्रत्येक देश की बैंकिंग प्रणाली एक खास पद्धति की ओर विकसित हो रही है। इसे केन्द्रीय-बैंकिंग प्रणाली (Central Banking System) कहते हैं। आजकल विश्व के प्राय सभी देशो की बैंकिंग प्रणाली का संगठन इसी ओर अग्रसर हो रहा है। इस प्रणाली के निम्नलिखित तीन मुख्य अंग हैं :-

- (1) केन्द्रीय बैंक (Central Bank),
- (2) व्यावसायिक बैंक (Commercial Bank), तथा
- (3) अन्य सहायक संस्थाएँ जो केवल किसी खास प्रकार की साख का व्यवसाय करती हैं। (Other ancillary institutions dealing in certain restricted types of credit)।

केन्द्रीय बैंक एवं व्यावसायिक बैंकों में, वास्तव में, कुछ मौलिक भेद हैं। सर्वप्रथम तो, प्रत्येक देश में एक ही केन्द्रीय बैंक होता है, जैसे—रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (Reserve Bank of India) भारत का तथा बैंक ऑफ इंग्लैंड (Bank of England) ग्रेट ब्रिटेन का केन्द्रीय बैंक है। इसकी कुछ शाखाएँ भी हो सकती हैं किन्तु इसकी संस्था बहुत ही कम होती है। इसके विपरीत व्यावसायिक बैंक अनेक होते हैं। द्वितीयत, व्यावसायिक बैंक एक मुनाफा कमानेवाली संस्था (Profit-seeking institution) होता है। अतएव, इस प्रकार के बैंको का मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है किन्तु केन्द्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं, बरन् देश की मौद्रिक एवं आर्थिक नीति को कार्यान्वित करना होता है। तृतीयत व्यावसायिक बैंक जनता के साधारण बैंकिंग-सम्बन्धी कार्यों को करते हैं, किन्तु केन्द्रीय बैंक का जनता से प्रायः कोई सम्पर्क नहीं होता। इसका कार्य देश की बैंकिंग व्यवस्था, को नियन्त्रित करना होता है।

शाखा एवं एकक बैंकिंग प्रणाली

(Branch and Unit Banking System)

संगठन के दृष्टिकोण से विश्व में दो प्रकार की बैंकिंग प्रणालियाँ पायी जाती हैं :-

- (1) शाखा बैंकिंग प्रणाली (Branch Banking System) तथा,
- (2) एकक बैंकिंग प्रणाली (Unit Banking System)।

(1) शाखा बैंकिंग प्रणाली (Branch Banking System) .—शाखा बैंकिंग-पद्धति में एक बैंक की बहुत-सी शाखाएँ (Branches) होती हैं जो सम्पूर्ण देश में या देश के एक बहुत बड़े भाग में विस्तृत होती हैं। प्रो० सेयर्स (Sayers) के अनुसार, "अधिकांश देशों में व्यावसायिक बैंक एक बहुत बड़ी संस्था है जिसकी बहुत सारी शाखाएँ होती हैं जो देश के भिन्न भिन्न भागों में विस्तृत होती हैं।" (The typical commercial bank in most countries is a very large institution having a large number of branches scattered over much, if not all over the country.) इस प्रकार की प्रणाली का अग्रगण्य इंग्लैंड की बैंकिंग प्रणाली है। गल्लेडके 'च महान' (Big Five)—(1) मिडलैंड बैंक (Midland Bank), (2) वेस्ट मिन्सटर बैंक (Westminster Bank), (3) बर्कलेज बैंक (Barclays Bank), (4) लॉयड बैंक (Lloyds Bank), तथा (5) नेशनल प्रोविडेंसियल बैंक (National मु० मो० सं० —11

Provincial Bank) की शाखाएँ देश भर में फैली हुई हैं। भारत की बैंकिंग प्रणाली का संगठन भी मुख्यतः शाखा बैंकिंग प्रणाली के आधार पर ही हुआ है। भारत में भी पाँच प्रमुख व्यावसायिक बैंकों के अन्तर्गत स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया (State Bank of India), सेंट्रल बैंक ऑफ इन्डिया (Central Bank of India), पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank), एलाहाबाद बैंक (Allahabad Bank), तथा बैंक ऑफ बड़ोदा (Bank of Baroda) की शाखाएँ देश भर में विस्तृत हैं।

(2) एकक बैंकिंग प्रणाली (Unit Banking System) :— इसके विपरीत एकक बैंकिंग प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें बैंकों की कोई शाखा नहीं होती या यदि होती भी है तो एक निश्चित क्षेत्र में ही सीमित रहती है। (In the unit banking system, bank's operations are confined in general to a single office though some have branches limited to a small part of the country.) इस प्रकार की प्रणाली का अमुआ समुक्त राज्य अमेरिका की बैंकिंग प्रणाली है। वहाँ बैंकों का कार्य मुख्यतः एक ही कार्यालय तक सीमित रहता है, यद्यपि कुछ राज्यों में बैंकों को एक सीमित क्षेत्र में शाखाएँ खोलने का अधिकार भी रहता है। वहाँ की शाखाएँ सम्पूर्ण देश में नहीं रह सकती। इस पर वानूनी प्रतिबन्ध है। अमेरिका के विभिन्न राज्यों तथा सघ के पृथक्-पृथक् बैंकिंग अधिनियम हैं, किन्तु शाखा खोलने के सम्बन्ध में राज्य तथा सघ दोनों के कानूनों द्वारा प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। अमेरिका में इस प्रकार के कानूनी प्रतिबन्ध का मुख्य कारण बैंकिंग के क्षेत्र में मौद्रिक एकाधिकार (Money Trust) की स्थापना का भय है। इसी भय से अमेरिका-निवासी प्रारम्भ से ही शाखा बैंकिंग प्रणाली की स्थापना के विरुद्ध हैं। यही कारण है कि वहाँ पर शाखा बैंकिंग का विकास नहीं हो पाया है। समुक्त राज्य अमेरिका में एकक बैंकिंग प्रणाली की प्रधानता का अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1946 ई० में अमेरिका में कुल 14,000 व्यावसायिक बैंक थे जबकि इनकी शाखाओं की संख्या देश भर में चार हजार से भी कुछ कम ही थी।

शाखा एवं एकक बैंकिंग प्रणाली के गुण एवं दोष -

(Merits and Demerits of Branch and Unit Banking System)

शाखा एवं एकक बैंकिंग प्रणाली के गुण-दोषों की विवेचना के पूर्व इस बात की जानकारी आवश्यक है कि इन दोनों प्रणालियों के बीच वाद-विवाद का सम्बन्ध बड़े पैमाने तथा छोटे पैमाने के व्यवसाय अथवा केन्द्रीकरण एवं विवेन्द्रीकरण जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक प्रश्न से है जिसके सम्बन्ध में तर्कों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुँचना बहुत ही कठिन है। वास्तव में, इन दोनों प्रणालियों के अपने-अपने पृथक्-पृथक् गुण एवं दोष हैं।

शाखा बैंकिंग प्रणाली के गुण (Merits of the Branch Banking System) :— सर्वप्रथम, शाखा बैंकिंग प्रणाली के गुणों की विवेचना की जायगी। शाखा बैंकिंग प्रणाली के निम्नलिखित प्रधान गुण हैं :—

1. शाखा बैंकिंग-प्रणाली में बड़े पैमाने के उत्पादन एवं श्रम-विभाजन के सभी लाभ प्राप्त होते हैं :— शाखा बैंकिंग प्रणाली वृहत् प्रमाप उद्योग की तरह है। इस प्रणाली में बैंक का कारोबार बहुत बड़े पैमाने पर होता है। अतएव, इसे बड़े पैमाने के व्यवसाय से होनेवाले प्रायः सभी लाभ प्राप्त होते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर बैंक का संगठन होने के कारण इस प्रणाली

1. अब ये सभी बैंक राष्ट्रीयकृत होने के कारण राजकीय क्षेत्र के अन्तर्गत आ गये हैं।

2. "The debate over unit and branch banking is really a part of those large controversies—which are not solely economic but are for a large part political and sociological, over large scale business versus small scale business, or over centralisation versus decentralisation. Arguments have not ever succeeded in settling these issues either one way or the other, nor does the actual experience point unerringly in one direction. Here as elsewhere society has to fashion its instruments of economic organisation empirically and through reasonable responses to particular situations, for neither abstract wisdom nor the lesson of experience can help in with readymade solutions."

में श्रम-विभाजन एवं विशिष्टीकरण का उपयोग भी सम्भव हो पाता है। इसमें बैंक अपने विभिन्न कार्यों के सम्पादन के लिए विशेषज्ञों को रख सकता है। इस प्रणाली में कोई व्यक्ति केवल जमा पर ध्यान देता है, तो कोई कर्मचारियों की नियुक्ति पर, कोई नकद जमा देखता है, गी कोई कर्ज आदि की व्यवस्था करता है। इसमें व्यवस्थापन में विशिष्टीकरण सम्भव हो पाता है। इस प्रकार शाखा बैंकिंग-प्रणाली में कार्य-सम्पादन का व्यय बहुत कम होता है। इसके विपरीत एकक बैंकिंग-प्रणाली लघु-प्रमाण व्यवसाय की तरह होती है। अतएव, इसमें श्रम-विभाजन एवं विशिष्टीकरण के लाभ सम्भव नहीं हो पाते। इसलिए, इस प्रणाली में कार्य-सम्पादन का व्यय अपेक्षाकृत अधिक पड़ता है।

2 शाखा बैंकिंग प्रणाली में अपेक्षाकृत कम ही नकद कोष (Less Cash Reserve) रखना पड़ता है :- आधुनिक युग में बैंको की सफलता बहुत कुछ पर्याप्त मात्रा में नकद कोष पर निर्भर करती है। शाखा बैंकिंग प्रणाली में बैंको की शाखाएँ देश भर में विस्तृत रहती हैं, अतएव, इस प्रणाली में कोई बैंक कम मात्रा में नकद मुद्रा रखकर भी अपना कार्य चला सकता है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर बैंक की एक शाखा से रुपया दूसरी शाखा में सुगमतापूर्वक हस्तान्तरित किया जा सकता है। इस प्रकार शाखा बैंकिंग प्रणाली में नकद कोष की मितव्ययिता (Economy of cash reserves) का गुण पाया जाता है, किन्तु एकक बैंकिंग पद्धति में शाखाएँ नहीं होने के कारण (या कम होने के कारण) बैंको को अपने कार्य-सम्पादन के लिए अधिक मात्रा में नकद जमा रखना पड़ता है, किन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका में Correspondent Banking system की प्रथा के द्वारा एकक बैंकिंग प्रणाली की यह असुविधा भी बहुत हद तक दूर हो जाती है। इसके अनुसार वहाँ के छोटे-छोटे बैंक अपने बास-पास के बड़े-बड़े बैंको से तथा ये बड़े बड़े बैंक न्यूयार्क एवं सिकागो जैसे प्रधान व्यावसायिक केन्द्र के बैंको से अपना सम्बन्ध रखते हैं।

3 शाखा बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा को स्थानान्तरित (Remittance of money) करने की सुविधा रहती है :- शाखा बैंकिंग पद्धति में एक स्थान से दूसरे स्थान में मुद्रा का स्थानान्तरण मत्सा, शीघ्र एवं सरल होता है, क्योंकि एक शाखा केवल दूसरी शाखा की सलाह देकर ही यह कार्य सुगमतापूर्वक कर सकती है। एकक बैंकिंग प्रणाली को यह सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है, किन्तु अमेरिका के बैंक पिछले कुछ वर्षों से Correspondent Banking प्रणाली के द्वारा अपने ग्राहकों को यह सुविधा प्रदान करते हैं। फिर भी, एकक बैंकिंग पद्धति में मुद्रा के स्थानान्तरण का व्यय अपेक्षाकृत अधिक पड़ता है, क्योंकि जब कोई बैंक किसी दूसरे बैंक के पास अपना कोष इस कार्य के लिए रखता है तो उस पर कोई मुनाफा नहीं मिलता।

4. शाखा बैंकिंग प्रणाली में जोखिम का भौगोलिक वितरण (Geographical distribution of risks) सम्भव हो पाता है :- शाखा बैंकिंग पद्धति का एक प्रमुख लाभ जोखिम का भौगोलिक वितरण है। आजकल किसी देश की आर्थिक व्यवस्था अत्यधिक गतिशील होती है तो जिससे तेजी तथा मन्दी (Booms and Depression) का सृजन होता है। साधारण मन्दी का शाखा एवं एकक दोनों प्रकार की बैंकिंग प्रणालियों पर प्रायः एक समान प्रभाव पड़ता है, किन्तु कभी-कभी यह देखा जाता है कि फँशन तथा रुचि आदि में परिवर्तन एवं कुछ अन्य कारणों से कुछ खास उद्योग मन्दी से बहुत अधिक ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में मन्दी से प्रभावित उद्योग का स्थानीयकरण विशेष रूप से हुआ हो तो उस उद्योग-विशेष के क्षेत्र में स्थित सभी एकक बैंको को बहुत ही हानि उठानी पड़ती है, किन्तु शाखा बैंकिंग प्रणाली के साथ ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस प्रणाली में बैंको की शाखाएँ सम्पूर्ण देश में विस्तृत रहती हैं। अतएव, एक शाखा ग्रयवा स्थान की हानि का दूसरी शाखा व्यवसाय स्थान के लाभ से समायोजन (Adjustment) किया जा सकता है।

5. शाखा बैंकिंग प्रणाली में कर्जदारों की साख के सम्बन्ध में जानकारी सुगम होती है :- शाखा बैंकिंग पद्धति में बैंक की शाखाएँ सम्पूर्ण देश में विस्तृत रहती हैं जिससे कर्जदारों की साख एवं आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में बैंको की पूरी जानकारी रहती है। साथ ही, यदि कोई बैंक किसी ग्राहक को कर्ज देने से इन्कार करना चाहता है तो स्थानीय व्यवस्थापक प्रधान कार्यालय पर इसकी जिम्मेदारी टालकर सुगमतापूर्वक यह कार्य कर सकता है।

शाखा बैंकिंग प्रणाली के दोष (Demerits of Branch Banking System) :- इस प्रकार एकक बैंकिंग प्रणाली की तुलना में शाखा बैंकिंग प्रणाली के बहुत-से लाभ हैं, मतः यह

निश्चय ही श्रेयस्कर है, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि शाखा बैंकिंग प्रणाली के केवल लाभ-ही-लाभ हैं, दोष बिल्कुल नहीं है। वास्तव में, शाखा बैंकिंग प्रणाली के निम्नलिखित दोष भी हैं—

(1) शाखा बैंकिंग प्रणाली में बड़े पैमाने के उत्पादन के प्रायः सभी दोष पाये जाते हैं :—इस सम्बन्ध में भी आदम स्मिथ का यह प्रमुख कथन कि "श्रम-विभाजन बाजार के आकार से सीमित होता है" (*Division of labour is limited by the extent of the market*) बिल्कुल सही जान पड़ता है। एक निश्चित आकार से बड़ा होने के बाद शाखा बैंकिंग प्रणाली में प्रबन्ध, निरीक्षण एवं नियन्त्रण की अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में, शाखा बैंकिंग प्रणाली में विशालकाय उद्योगों के प्रायः सभी दोष पाये जाते हैं।

(2) शाखा बैंकिंग प्रणाली एक व्ययपूर्ण प्रणाली है :—इस प्रकार की प्रणाली में प्रत्येक शाखा की स्थापना पर अलग-अलग बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है। साधारणतः, यह देखा जाता है कि एक ही स्थान में सभी बैंक अपनी-अपनी शाखाओं की स्थापना करना चाहते हैं। इससे इस प्रणाली में बैंकिंग सेवाओं का अनावश्यक रूप से दुहराव होता है। शाखाओं की संख्या बढ़ने से नियन्त्रण का कार्य कठिन हो जाता है।

(3) शाखा बैंकिंग प्रणाली प्रतियोगी विकास को प्रोत्साहित करती है—प्रत्येक नगर तथा क्षेत्र में सभी बैंक अपनी-अपनी अलग-अलग शाखाएँ रखना चाहते हैं। इससे इनके बीच प्रतियोगिता घनीभूत (*Cut-throat Competition*) हो जाती है। इस प्रकार की प्रतियोगिता एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली के विकास के लिए मुख्यतः हानिकारक सिद्ध होती है।

(4) शाखा बैंकिंग प्रणाली से मौद्रिक क्षेत्र में एकाधिकार की प्रवृत्ति को भी अनावश्यक प्रश्रय मिलता है :—पूँजी के अत्यधिक केन्द्रित होने से आर्थिक सत्ता कुछ थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित हो जाती है जिससे समाज की बहुत बड़ी हानि होती है।

(5) शाखा बैंकिंग प्रणाली में लोच (*elasticity*, एवं प्रारम्भण की प्रेरणा का अभाव (*Lack of Initiative*) पाया जाता है :—शाखा बैंकिंग प्रणाली में बैंक का प्रधान कार्यालय शाखाओं के कार्य-क्षेत्र एवं ग्राहकों से अधिक दूर स्थित रहता है जिससे शाखाओं पर उचित नियन्त्रण नहीं रह पाता। साथ ही, किसी शाखा का मैनेजर भी प्रधान कार्यालय की अनुमति के बगैर कोई प्रमुख निर्णय नहीं ले सकता। इससे आवश्यक कार्यों में भी अति विलम्ब होता है।

एकक बैंकिंग प्रणाली के गुण (Merits of the Unit Banking System) :—किन्तु, एकक बैंकिंग प्रणाली के भी कुछ गुण हैं। शाखा बैंकिंग प्रणाली को तुलना में एकक बैंकिंग प्रणाली के निम्नलिखित प्रमुख लाभ हैं :—

(1) एकक बैंकिंग प्रणाली में बैंक व्यवस्थापक स्थानीय परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित रहता है :—एकक बैंकिंग प्रणाली में एक बैंक अपने कार्य को एक क्षेत्र-विशेष में ही सीमित रखता है जिससे वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों एवं समस्याओं से वह पूर्ण रूप से परिचित रहता है। अतएव, अपने ग्राहकों की साक्ष-प्रियता (*Creditworthiness*) के सम्बन्ध में भी उसे व्यक्तिगत जानकारी रहती है। इससे कर्ज प्रादि देने में वे अपने व्यक्तिगत अनुभव से लाभान्वित होते हैं।

(2) एकक बैंकिंग प्रणाली में प्रबन्ध एवं नियन्त्रण की सुविधा होती है :—एकक बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत बैंक का कार्य बहुत छोटे पैमाने पर होता है। अतएव, लघु-प्रमाण व्यवसाय की तरह इसमें भी प्रबन्ध एवं नियन्त्रण की सुविधा पायी जाती है। व्यवस्थापक के व्यक्तिगत निरीक्षण में ही सम्पूर्ण कार्य होता है जिससे किसी भी प्रकार की बरबादी नहीं हो पाती, किन्तु शाखा बैंकिंग प्रणाली में बैंक का कार्य बहुत बड़े पैमाने पर होने के कारण व्यक्तिगत निरीक्षण एवं सहयोग की भावना का बिल्कुल अभाव पाया जाता है।

(3) एकक बैंकिंग प्रणाली को छोटे पैमाने के व्यवसाय के प्रायः सभी लाभ प्राप्त होते हैं।

(4) एकक बैंकिंग प्रणाली बैंकिंग व्यवसाय के क्षेत्र में एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोकती है। इसका प्रधान कारण यह है कि इसमें बैंकों का संघटन बहुत ही छोटे पैमाने पर होता है।

(5) एकक बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत अकुशल बैंक अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं।

एकक बैंकिंग प्रणाली के दोष (Demerits of the Unit Banking System) —
एकक बैंकिंग प्रणाली के निम्नलिखित प्रधान दोष भी हैं —

(1) एकक बैंकिंग प्रणाली में जोखिम के भौगोलिक वितरण (Geographical distribution of risks) का अभाव पाया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि स्थानीय मन्दी अथवा अन्य कठिनाइयों के कारण बहुत से बैंको के टूट जाने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है।

(2) एकक बैंकिंग प्रणाली में व्यवसाय का आकार छोटा होने के कारण बैंको के प्रबन्ध में कुशलता एवं कार्य-विधि सम्बन्धी सुधार लाने में भी कठिनाई होती है।

(3) एकक बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत बैंको के पास साधनों का अभाव रहता है जिसके परिणामस्वरूप ये स्थानीय आर्थिक विकास में यथोचित सहयोग नहीं प्रदान कर सकते हैं।

(4) एकक बैंकिंग प्रणाली में नकद मुद्रा के हस्तांतरण में भी असुविधा होती है।

निष्कर्ष —इस प्रकार इन दोनों प्रकार की प्रणालियों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि यद्यपि इन दोनों के अपने-अपने पृथक्-पृथक् गुण एवं दोष हैं, फिर भी, एकक बैंकिंग प्रणाली की अपेक्षा शाखा बैंकिंग प्रणाली ही अधिक उत्तम है। अतएव आधुनिक जगत में बैंकिंग विकास की प्रवृत्ति शाखा बैंकिंग प्रणाली के विकास की ओर ही रही है। अमेरिका में वहाँ की विशेष निजी परिस्थितियों के कारण शाखा पद्धति का विकास नहीं हो सकता, किन्तु इसके अतिरिक्त विश्व के प्राय सभी देशों में व्यावसायिक बैंको का संगठन मुख्यतः इंग्लैंड की बैंकिंग प्रणाली, यानी शाखा बैंकिंग पद्धति के संगठन के आधार पर ही हो रहा है। इस सम्बन्ध में प्रो० सेयर्स (Sayers) का निम्नांकित कथन विशेष रूप से उल्लेखनीय है "In all these ways, the economies of large scale organization have undoubtedly been extending in banking during recent decades"

भारत एवं शाखा बैंकिंग प्रणाली (India and the Branch Banking System) —
अब प्रश्न यह है कि भारत के लिए इनमें से कौन-सी प्रणाली अधिक उपयुक्त होगी। एकक एवं शाखा बैंकिंग प्रणालियों के गुण एवं दोषों के विवेचन से यह स्पष्ट है कि भारत के लिए भी शाखा बैंकिंग प्रणाली ही श्रेयस्कर होगी। अतएव कुछ वर्षों से हमारे देश में भी बैंकिंग विकास की प्रवृत्ति शाखा बैंकिंग प्रणाली की ओर ही रही है किन्तु देश के विभिन्न भागों में भाषा, रीति रिवाज तथा रहन सहन आदि की विभिन्नता के कारण बैंक शाखाओं की स्थापना में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। फिर भी जून 1974 ई० के अन्त में देश में कुल 73 अनुसूचित बैंक (Scheduled Banks) थे जिनकी शाखाओं की संख्या 16,936 थी। इनमें से राजकीय क्षेत्र के बैंको की 13,741 शाखाएँ थी। इनमें केवल स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तथा इसके सहायकों की कुल 4,724 शाखाएँ थी तथा 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों की 9,017 शाखाएँ थी। इससे स्पष्ट है कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था भी मुख्यतः शाखा बैंकिंग प्रणाली की ओर ही उन्मुख है।

विभिन्न देशों में व्यावसायिक बैंकों का संगठन

व्यावसायिक बैंको के सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त करने के पूर्व कुछ प्रमुख देशों में इनके संगठन के विषय में जानकारी आवश्यक है।

इंग्लैंड—इंग्लैंड के व्यावसायिक बैंको के विकास का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। 18वीं शताब्दी के प्रारम्भ में वहाँ व्यावसायिक बैंको का संगठन बहुत छोटे पैमाने पर हुआ था। उस समय प्राय सभी बैंको को नोट छापने का अधिकार प्राप्त था। बैंक ऑफ इंग्लैंड भी उस समय एक ज्वायंट-स्टॉक बैंक ही था। नोट छापने के अधिकार के कारण बहुत सारे बैंको की स्थापना हुई किन्तु इनकी कार्य-प्रणाली पर उचित नियंत्रण के अभाव में यदा कदा अधिस्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी जिससे बैंको को सफ़ट का सामना करना पड़ता था। इनमें से 1825 ई० का बैंकिंग सफ़ट बहुत ही प्रमुख था जिसमें बहुत-से बैंक फेल कर गये। आर्थिक सफ़ट के समय जनता का बैंको पर से विश्वास समाप्त हो जाता था जिससे लोग अपने जमा की मांग के लिए

बैंको के पास टूट पड़ते थे। अतएव, 1826 ई० में बैंक ऑफ इंग्लैंड के चार्टर में कुछ संशोधन हुआ। इसके बाद अनेक ज्वायंट स्टॉक बैंको की स्थापना की जाने लगी जिनकी शाखाएँ देश भर में खुलने लगी। इस प्रकार 1834 ई० में वेस्टमिन्सटर, 1836 ई० में लंदन ज्वायंट-स्टॉक बैंक तथा 1839 ई० में यूनिवर्सल बैंक की स्थापना हुई। इन बैंको की शाखाओं का विस्तार सम्पूर्ण देश में हो गया। अतएव, बहुत-से छोटे-छोटे बैंक भी आपस में मिलन लगे। इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी का समय इंग्लैंड के बैंकिंग विकास के इतिहास में एकीकरण एव केन्द्रीकरण (Consolidation and Centralization) का समय था। इसी प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप इंग्लैंड में पंच-महान् (Big-Five) बैंकों की स्थापना हुई जिनके नाम इस प्रकार से हैं—(1) मिडलैंड बैंक (Mid Land Bank), (2) लॉयड बैंक (Lloyds Bank), (3) बर्कलेज बैंक (Barclays Bank) (4) वेस्टमिन्सटर बैंक (Westminster Bank) तथा (5) नेशनल प्राविन्सियल बैंक (National Provincial Bank)। इन बैंको के प्रधान कार्यालय लंदन में हैं तथा इनकी शाखाएँ सम्पूर्ण देश में विस्तृत हैं। साथ ही, इनकी शाखाएँ विश्व के प्रायः सभी प्रमुख व्यावसायिक केन्द्रों में भी पायी जाती हैं। इस प्रकार ये बैंक आजकल अन्तर्राष्ट्रीय सस्था की तरह हो गये हैं। इन पंच महान् बैंको के अतिरिक्त इंग्लैंड में अन्य प्रमुख बैंक भी हैं जिनमें यूनिवर्सल बैंक लिमिटेड, डिस्ट्रिक्ट बैंक लिमिटेड, मैनचेस्टर बैंक लिमिटेड आदि उल्लेखनीय हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका (U S A)—संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यावसायिक बैंको का संगठन दूसरे आधार पर ही हुआ है। वहाँ व्यावसायिक बैंको को सदस्य बैंक (Member banks) कहा जाता है। अमेरिका में सच एव राज्य सरकारों के अलग अलग बैंकिंग कानून हैं। जो बैंक संधीय कानून के आधार पर संगठित किये गये हैं उन्हें राष्ट्रीय बैंक (National Bank) तथा जो राज्यों के कानून के अन्तर्गत संगठित किये गये हैं उन्हें राज्य बैंक (State Bank) कहते हैं। 1946 ई० के अन्त में अमेरिका में कुल प्रायः 14,000 व्यावसायिक बैंक थे जिनमें से 500 राष्ट्रीय बैंक तथा 9000 राज्य बैंक थे। सच एव राज्य दोनों के कानूनों में बैंको द्वारा शाखाएँ स्थापित करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, किन्तु इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों के कानूनों में अंतर है। एक ओर तो कैलिफोर्निया में राज्य की सीमा के अंतर्गत कहीं भी शाखाएँ खोली जा सकती हैं तो दूसरी ओर विस्कॉन्सिन (Wisconsin) आदि राज्यों में शाखा खोलने की बिल्कुल मनाही है। तात्पर्य यह है कि किसी भी हालत में कोई बैंक अपने राज्य की सीमा के बाहर कोई शाखा नहीं स्थापित कर सकता। इस प्रकार 1946 ई० में कुल 5000 राष्ट्रीय बैंको की केवल 1770 शाखाएँ तथा 9000 राज्य बैंको की प्रायः 2200 शाखाएँ थी। शाखा खोलने के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध होने के कारण अमेरिका में बैंको ने होल्डिंग कम्पनी, चेन अथवा ग्रुप के रूप में आपस में सम्बन्ध स्थापित किया है जिससे ये शाखा बैंकिंग पद्धति के बहुत कुछ लाभ प्राप्त कर पाते हैं।

इस प्रकार अमेरिका एव इंग्लैंड की बैंकिंग प्रणाली में मौद्रिक अन्तर बैंको के संगठन को लेकर ही है। इंग्लैंड में बैंको का संगठन शाखा बैंकिंग प्रणाली (Branch Banking System) के आधार पर हुआ है जिसमें देश के बैंकिंग व्यवसाय का बहुत बड़ा भाग पंचमहान् बैंको के हाथ में है। इसके विपरीत अमेरिका में एकक बैंकिंग प्रणाली (Unit Banking System) के आधार पर बैंको का संगठन हुआ है जिसमें बैंकों की शाखाएँ बहुत कम एक एक निश्चित क्षेत्र के अन्तर्गत ही सीमित हैं। अमेरिका में इस प्रकार के बैंको की प्रधानता का मुख्य कारण मौद्रिक आधिकार (Money trust) के विरुद्ध प्रचलित धारणा है।

फ्रांस (France)—फ्रांस में 1716 ई० में प्रथम बैंक की स्थापना हुई जो नोट जारी करने जमा प्राप्त करने तथा बिलों को बट्टा करने का कार्य करता था, किन्तु अत्यधिक मात्रा में नोट जारी करने के कारण 1720 ई० में यह टूट गया। दूसरा बैंक 1776 ई० में स्थापित हुआ जो 1793 ई० में फेल कर गया। इसके बाद 1800 ई० में नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। फ्रांस की बैंकिंग प्रणाली में बैंक ऑफ फ्रांस का प्रारम्भ से ही बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। फ्रांस का सबसे प्रधान बैंक क्रेडिट लियोनास (Credit Lyonnais) है जिसकी प्रायः 1400 शाखाएँ फ्रांस तथा अन्य देशों में विस्तृत हैं। इसके बाद सोसाइटी जनरल (The Society General) है। इस बैंक की भी प्रायः 1400 शाखाएँ हैं। फ्रांस में दो प्रकार के बैंक पाये जाते हैं—(क) बैंक ऑफ डिस्काउंट (Bank of Discount) तथा (ख) बैंक डि एफेयर्स (Bank D' Affairs)।

द्वितीय महायुद्ध के बाद फ्रांस की बैंकिंग प्रणाली में बहुत अधिक सुधार हुआ है। बहुत-से छोटे-छोटे बैंक बड़े-बड़े बैंको में मिला दिये गये हैं। साथ ही, बैंको की पूंजी एव जमा में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। यहाँ के बैंको ने अभिनवीकरण (Rationalisation) की प्रणाली को अपनाकर अपनी व्यवस्था एव हिसाब-किताब रखने की प्रणाली में भी सुधार किया है।

जर्मनी (Germany) :—जर्मनी में फ्रेडरिक द्वितीय ने बैंक ऑफ प्रसा की स्थापना की। पहले यह बैंक मुख्यतः नोट जारी करने का कार्य करता था, किन्तु 1847 ई० में इसने साधारण बैंकिंग-सम्बन्धी कार्यों को करना भी प्रारम्भ किया। 1875 ई० में रीस बैंक (Reichs Bank) की स्थापना हुई जिसका मुख्य उद्देश्य देश की बैंकिंग व्यवस्था का पुनर्गठन था। इसके अलावा जर्मनी में और भी बहुत प्रकार के बैंक थे। 1929 ई० की मन्दी के बाद जर्मनी के बैंको में आपस में मिलकर सघ (amalgamation) कायम करने की प्रवृत्ति बहुत तीव्र हो गयी जिसके फल-स्वरूप बहुत-से बैंक आपस में मिल गये। सघ की प्रवृत्ति केवल जर्मनी के बैंको में ही नहीं बरन् वहाँ की सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था में ही व्याप्त है। साथ ही, इससे केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति भी बलवती होती गयी जिससे सम्पूर्ण जर्मनी के बैंक उत्तरोत्तर बर्लिन (Berlin) में केन्द्रित होते गये।

भारत की बैंकिंग प्रणाली का संक्षिप्त विवरण

भारतीय बैंकिंग प्रणाली के दो मुख्य अंग हैं—(1) आधुनिक बैंकिंग संस्थाएँ जिनकी स्थापना पश्चिमी देशों की बैंकिंग प्रणाली के आधार पर हुई है, तथा (2) देशी बैंक (Indigenous Bank) जिनके अन्तर्गत देशी महाजन एव साहूकार इत्यादि आते हैं। आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं के अन्तर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (Reserve Bank of India) जो भारत का केन्द्रीय बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (State Bank of India) एव अन्य 14 राष्ट्रीयकृत बैंक, विनिमय बैंक (Exchange Bank) तथा भारतीय ज्वायंट स्टॉक बैंक (Indian Joint Stock Bank) प्रमुख हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना 1 अगस्त, 1935 ई० को हुई थी। यह भारत का केन्द्रीय बैंक (Central Bank) है। रिजर्व बैंक की स्थापना के पूर्व इम्पीरियल बैंक (Imperial Bank) केन्द्रीय बैंक के बहुरज्ज्वल कार्यों को सम्पन्न करता था, किन्तु जुलाई 1955 ई० में ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ तथा कुछ अन्य बैंको को मिलाकर एक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (State Bank of India) की स्थापना की गयी। इस समय यह देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है तथा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के सहयोग में कार्य करता है। भारत की बैंकिंग व्यवस्था में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है।

इसी प्रकार 19 जुलाई, 1969 को भारत सरकार ने 50 करोड़ रुपये से अधिक जमावाले 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंको का राष्ट्रीयकरण किया। इन बैंको का भी देश की बैंकिंग व्यवस्था में अब विशिष्ट स्थान हो गया है।

विनिमय बैंक (Exchange Banks) :—मुख्यतः विदेशियों के हाथ में हैं तथा इनका कार्य विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना है। इन बैंको की शाखाएँ अधिकांशतः बम्बई तथा कलकत्ता में हैं, यद्यपि कुछ शाखाएँ दिल्ली, मद्रास एव कानपुर में भी स्थित हैं। विनिमय बैंको के अन्तर्गत लॉयड बैंक (Lloyds Bank), नेशनल बैंक ऑफ इण्डिया (National Bank of India), मरकैंटाइल बैंक ऑफ इण्डिया (The Mercantile Bank of India) तथा चार्टर्ड बैंक ऑफ इण्डिया, ऑस्ट्रेलिया एण्ड चाइना (The Chartered Bank of India, Australia and China) विशेष महत्त्व के हैं। इन बैंको का मुख्य कार्य विदेशी व्यापार को आर्थिक सहायता पहुँचाना है। विदेशी व्यापार को ये दो तरीकों से सहायता प्रदान करते हैं—(1) देश के आयात

1. ज्वायंट स्टॉक बैंक से भारत में व्यावसायिक बैंको का बोध होता है।

2. राष्ट्रीयकृत बैंको के नाम इस प्रकार से हैं—(1) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, (2) बैंक ऑफ इण्डिया, (3) पंजाब नेशनल बैंक (4) बैंक ऑफ बड़ोदा, (5) युनाइटेड कॉमर्सियल बैंक, (6) कौनारा बैंक, (7) युनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया, (8) डेना बैंक (9) डिडिबैंक बैंक, (10) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, (11) रलाहाबाद बैंक, (12) इण्डिया बैंक, (13) बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तथा (14) इण्डियन ओवरसीज बैंक।

एवं निर्यात के लिए अग्र्य प्रदान कर, तथा (2) देश के भीतर से बन्दरगाहों तक तथा बन्दरगाहों से देश के अन्दर तक व्यावसायिक वस्तुओं को लाने एवं ले जाने में आर्थिक सहायता प्रदान कर। भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रायः इनका एकाधिकार है, किन्तु देश के उद्योग-धन्धों को भी ये वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।

भारतीय ज्वारंट स्टॉक या व्यावसायिक बैंक दो भी प्रकार के होते हैं—(क) अनुसूचित बैंक (Scheduled Banks), तथा (2) असूचित बैंक (Non Scheduled Banks)। 50 लाख रुपये से अधिक पूँजीवाले बैंक जो रिजर्व बैंक के सदस्य होते हैं अनुसूचित बैंक कहलाते हैं तथा जो रिजर्व बैंक के सदस्य नहीं होते वे असूचित बैंक कहे जाते हैं। अनुसूचित बैंक (Scheduled Bank) व्यावसायिक बैंक के प्रायः सभी कार्यों को करते हैं। ये जनता से जमा प्राप्त करते हैं तथा ऋण देने का कार्य भी करते हैं। जून, 1974 ई० में अनुसूचित बैंकों का कुल जमा दायित्व (Deposit liability) 10,969 करोड़ रुपये था। इसमें चालू जमा 4,721 करोड़ रुपये तथा स्थायी जमा 6,248 करोड़ रुपये था। इस प्रकार कुल जमा में, चालू जमा (Demand Deposit) 45 प्रतिशत तथा स्थायी जमा (Time deposit) 61 प्रतिशत था। जून, 1974 ई० में देश में कुल 73 अनुसूचित बैंक (Scheduled Banks) थे जिनकी कुल शाखाओं की संख्या 16,936 थी। इसमें सबसे अधिक शाखाएँ स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तथा उसके सहायकों की हैं। राष्ट्रीयकरण के पूर्व, 18-7-69 को स्टेट बैंक तथा इसके सहायकों की कुल 2,46- तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों की 4,133 शाखाएँ थी जो बड़कर जून 1974 में क्रमशः 4724 तथा 9,017 हो गयी। इस प्रकार इस अवधि में यानी जून, 1974 तक इनकी शाखाओं की संख्या में बहुत प्रगति वृद्धि हुई। वास्तव में पाँच वर्षों के अन्तर्गत स्टेट बैंक तथा 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल 7,146 नयी शाखाओं की स्थापना की गयी। इनमें से अधिकांश शाखाएँ ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थापित की गयी हैं।

राष्ट्रीयकरण के पूर्व तथा 1971 ई० के अन्त तक अनुसूचित बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों का वितरण निम्न प्रकार¹ से था.—

उद्देश्य	जून, 1969 में ऋण की मात्रा (करोड़ रुपये में)	प्रतिशत	दिसम्बर, 1971 प्रतिशत (ऋण की मात्रा करोड़ रु० में)	प्रतिशत
1. बड़े तथा मध्यम पैमाने के उद्योग एवं धोक व्यापार	2,661	78.3	3,584	70.9
2. खाद्यान्न प्राप्ति के लिए	293	7.0	365	7.2
3. कृषि	188	5.5	395	7.8
4. लघु उद्योग	286	8.4	545	10.8
5. अग्र्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तथा खुदरा व्यापार	31	0.8	163	3.3
	3399	100.0	5,052	100.0

राष्ट्रीयकरण के बाद से राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि, लघु उद्योगों तथा निर्यात व्यापार को अधिक साक्ष की सुविधा प्रदान करने पर जोर दिया जा रहा है जो उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, किन्तु अब भी इस क्षेत्र में यथोचित प्रगति नहीं देख पड़ रही है।

असूचित बैंकों (Non-Scheduled Banks) का मुख्य कार्य ऋण प्रदान करना है। ये अधिकशत उपभोग-सम्बन्धी कार्यों के लिए ही ऋण देते हैं। ऋण प्रदान करते समय ये जमानत भी लेते हैं। 1951 ई० में असूचित बैंकों की कुल संख्या 474 थी जो घटकर 1974 में केवल 9 हो गयी। इनकी शाखाएँ 1951 में 1504 से घटकर 1974 में केवल 122 रह गयीं।

भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का दूसरा प्रमुख अंग यहाँ के स्वदेशी बैंकर (Indigenous Bankers) हैं। ज्वारंट-स्टॉक बैंकों का सम्बन्ध शहरी से रहता है। इनकी शाखाएँ गाँवों में बहुत कम रहती हैं। भारतीय गाँवों में स्वदेशी बैंकों की संस्थाएँ पायी जाती हैं जो लेन-देन का कार्य करती हैं। ये संस्थाएँ दो प्रकार की होती हैं—(1) स्वदेशी बैंकर (Indigenous Bankers) तथा (2) महाजन अथवा साहिकार (Money-lenders)। इन दोनों प्रकार की संस्थाओं में मुख्य

अन्तर केवल इसी बात को लेकर है कि स्वदेशी बैंकर जनता से जमा भी प्राप्त करते हैं, किन्तु महाजन अथवा साहूकार केवल अपनी पूँजी के बल पर ही कार्य करते हैं। स्वदेशी बँकरो का प्रकार भी विभिन्न प्रकार का होता है। छोटी छोटी सस्थाओं से लेकर कहीं कहीं पर ये बड़ी-बड़ी सस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं जिनकी तुलना कुछ अनुसूचित बैंको से भी की जा सकता है। स्वदेशी बैंकर प्रायः कुछ विशेष जाति अथवा सम्प्रदाय के लोग होते हैं, जैसे—मुल्तानी, आगा, चेष्टी मारवाडी इत्यादि। किन्तु इन विभिन्न प्रकार के बैंको के कार्यों में एकत्पता नहीं पायी जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा इनके कार्यों में सामंजस्य लाने तथा इन्हें संगठित रूप देने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न किये गये, किन्तु इन्हें अभी तक संगठित रूप नहीं दिया जा सका है।

बैंकों का समाशोधन-गृह

(Banker's Clearing House)

व्यावसायिक बैंको का एक प्रमुख कार्य एक व्यक्ति का जमा दूसरे व्यक्ति के नाम हस्ता-तरित करना होता है। जब इस प्रकार के हस्तातरण से सम्बन्धित विभिन्न व्यक्ति एक ही बैंक के ग्राहक रहते हैं तब तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होती किन्तु, साधारणतः यह देखा जाता है कि हस्तातरण से सम्बन्धित विभिन्न व्यक्ति विभिन्न बैंको से सम्बन्धित रहते हैं जिसके फलस्वरूप सभी बैंक एक दूसरे के ऋणी हो जाते हैं। बैंको के इस प्रकार के आपसी ऋण के समझौते के लिए इंग्लैंड के कुछ प्रमुख व्यावसायिक बैंको ने मिलकर लन्दन तथा अन्य प्रमुख केन्द्रों में समाशोधन-गृह (Banker's Clearing House) की स्थापना की है। लन्दन के समाशोधन-गृह के दो विभाग हैं—पहला (City Financial District) जो शहर से सम्बन्धित लेन-देन के कार्यों का ब्योरा रखता है तथा दूसरा साधारण (General) जो अग्र जगहों के बैंको के लेन-देन का ब्योरा रखता है।

बैंक के आपसी लेन-देन का पूरा ब्योरा समाशोधन-गृह अपने पास रखता है तथा इनका समझौता इनके बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखे हुए जमा के हस्तातरण से किया जाता है। प्रत्येक बैंक का जमा बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रहता है। अतएव, जब एक बैंक दूसरे बैंक का ऋणी होता है तो पहले बैंक के जमा में से उतनी रकम काट कर दूसरे बैंक के नाम में जमा कर दी जाती है। बैंको के आपसी ऋण का समझौता इसी प्रकार से होता है।

भारत के प्रमुख नगरों में भी इसी आधार पर समाशोधन-गृहों का संगठन किया गया है जिससे बैंको के आपसी लेन-देन के कार्य में सुगमता होती है।

विशेष अध्ययन सूची

- | | | |
|----------------|---|---------------------------------|
| 1. Sayers | : | Modern Banking, Chapter I |
| 2. Crowther | : | An Outline of Money, Chapter II |
| 3. India, 1974 | : | Chapter XV |

अध्याय : 16

व्यावसायिक बैंकों का स्थिति-विवरण या तल-पट

(Balance Sheet of a Commercial Bank)

बैंक के तल-पट का अर्थ (Meaning of the Balance-sheet of a Bank) :—किसी व्यावसायिक संस्था के लिए उसके तल पट का बड़ा महत्व है। वास्तव में, "किसी संस्था का तल-पट उस संस्था की सम्पत्ति एवं दायित्व का विवरण होता है।" (Balance sheet is a statement of assets and liabilities.) इस प्रकार के विवरण से किसी संस्था की आर्थिक स्थिति का अन्दाजा लगता है। पों तो प्रत्येक व्यावसायिक संस्था के लिए तल-पट का बहुत अधिक महत्व है, किन्तु व्यावसायिक बैंकों के लिए इस प्रकार के विवरण का और भी अधिक महत्व है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक बैंक का कारोबार सम्पत्ति एवं दायित्व को समतुल्य करना होता है। दूसरे शब्दों में बैंक मुख्यतः देना पावना का ही व्यापारी होता है। अतएव, इसके तल-पट से ही इसकी वास्तविक स्थिति का अन्दाज लगता है। यदि आप किसी इस्पात के कारखाने की जाँच करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको यह देखना होगा कि उस कारखाने में कितना इस्पात तैयार होता है। तब कारखाने की मशीनें आदि की स्थिति की जाँच करनी होगी। कारखाने के तल-पट की जाँच की बात तो सबसे बाद में आयगी। किन्तु यदि आप किसी व्यावसायिक बैंक की स्थिति के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं तो सर्वप्रथम यह जानना होगा कि बैंक की सम्पत्ति (Assets) कितनी है और उसकी देनदारी (Liabilities) कितनी है? इस प्रकार बैंक के सम्पूर्ण व्यवसाय का निचोड़ उसके तल-पट में ही रहता है।

प्रत्येक तल-पट (Balance-sheet) के दो पक्ष होते हैं—बायें पक्ष में दायित्व या देनदारी (Liabilities) को दिखलाया जाता है तथा दायें पक्ष में सम्पत्ति (Assets) को दिखलाया जाता है। तल-पट के दोनों पक्ष सदा बराबर होते हैं जिसे तल-पट का सन्तुलन (Balancing of the Balance-sheet) कहा जाता है। नीचे व्यावसायिक बैंक के एक तल-पट (Balance-sheet) का नमूना दिया जाता है।

व्यावसायिक बैंक के तल-पट का एक नमूना

(Specimen of the Balance-Sheet of a Commercial Bank)

दायित्व (Liabilities)	रकम।	सम्पत्ति (Assets)	रकम
1. पूँजी (Capital)	1 नकद (Cash in hand) या केन्द्रीय बैंक के पास जमा (Balance with the Central Bank)
2. संचित कोष (Reserves)	2. अग्रिम-विवरण एवं अल्पकालीन ऋण (Money at call and short Notice)
3 जमा (Deposit) (a) Demand Deposit (b) Time Deposit	3. बट्टा की गयी बिलें (Bills discounted)
4. ग्राहकों के लिए स्वीकृतियाँ (Acceptances for Customers)	4. अग्रिम एवं ऋण (Advances and Loans)
5. लाभ-अनुभव लेखा (Profit and Loss Account)	5. विनियोग (Investments)
		6. ग्राहकों की देय स्वीकृतियाँ (Customers' Acceptances)	
		7 मकान, जमीन आदि (Land and Buildings etc)	
	कुल 	कुल

अब तल-पट के दोनों पक्षों की विभिन्न मदों (items) का विश्लेषण किया जायगा।

व्यावसायिक बैंकों का दायित्व

(Liabilities of Commercial Banks)

तल-पट की बायी ओर बैंक का दायित्व दिखलाया जाता है। बैंक के दायित्व की तरफ का भाग अपेक्षाकृत अधिक सरल होता है। इसमें साधारणतया निम्नांकित मदें रहती हैं।—

(1) पूँजी (Capital) :— दायित्व पक्ष में पहली मद पूँजी की होती है। प्रत्येक बैंक को कार्य संचालन के लिए प्रारम्भ में कुछ पूँजी की आवश्यकता पड़ती है। भारतीय बैंकिंग कम्पनी अधिनियम Indian Banking Companies Act के अनुसार प्रत्येक बैंक को अपने कार्य-संचालन के लिए एक निश्चित मात्रा में पूँजी रखनी पड़ती है। बैंक की स्थापना के समय ही प्रत्येक बैंक इस बात को स्पष्ट कर देता है कि उसे कितनी पूँजी की आवश्यकता पड़ेगी। इसे बैंक की अधिकृत पूँजी (Authorised Capital) कहते हैं। यह पूँजी एक निश्चित रकम के हिस्से (Shares) में विभाजित रहती है। इसमें जितनी पूँजी के हिस्से बैंक जारी करता है, उसे निर्गमित पूँजी (Issued Capital) कहते हैं। इस निर्गमित पूँजी में से जितनी पूँजी के हिस्से जनता द्वारा खरीदे जाते हैं उसे प्राथित पूँजी (Subscribed Capital) कहते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि बैंक अपने सम्पूर्ण हिस्सों की तमाम रकम एक ही समय नहीं माँग लेता। अतएव, प्राथित पूँजी का वह भाग जिसका वास्तव में भुगतान किया जाता है उसे परिदत्त पूँजी (Paid-up Capital) कहते हैं। बैंक अपने तल-पट में इन सभी प्रकार की पूँजियों को अलग-अलग दिखलाता है। बैंक की पूँजी उसका दायित्व (Liability) इसलिए होती है कि यह पूँजी हिस्सेदारों की होती है। अतएव, बैंक इतने के लिए अपने हिस्सेदारों का देनदार होता है। 1949 ई० के भारतीय बैंकिंग कम्पनी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक बैंक के लिए यह आवश्यक है कि उसकी कुल अधिकृत पूँजी का 50 प्रतिशत भाग प्राथित पूँजी होनी चाहिए और इसका 50 प्रतिशत भाग परिदत्त पूँजी होनी चाहिए।

(2) संचित कोष (Reserves) — प्रत्येक बैंक अपने सम्पूर्ण लाभ को अपने हिस्सेदारों के बीच नहीं बाँटकर उसका एक अथवा संचित कोष (Reserves) के रूप में आक्रासिक हानि (Unforeseen losses) वगैरह के लिए रखता है।¹ इस कोष का उपयोग साधारणतः प्रतिवर्ष हिस्सेदारों को दिये जानेवाले लाभ को एक समान बनाने में किया जाता है। 1949 ई० में भारतीय बैंकिंग कम्पनी अधिनियम (Indian Banking Companies Act, 1949) के अनुसार बैंकों के संचित कोष की रकम अनिवार्य रूप से उनकी परिदत्त पूँजी के बराबर होनी चाहिए। संचित कोष बैंक का दायित्व होता है, क्योंकि इसका निर्माण अतिरिक्त लाभ (Undistributed Profit) के द्वारा किया जाता है जिसके वास्तविक हकदार बैंक के हिस्सेदार ही होते हैं।

(3) जमा (Deposit) — व्यावसायिक बैंकों का प्रमुख कार्य ग्राहकों के धन को जमा के रूप में स्वीकार करना होता है। इनके दायित्व पक्ष का सर्वाधिक प्रमुख मद जमा ही है। बैंक कई प्रकार के जमा ग्रहण करते हैं—चालू जमा (Demand Deposit), स्थायी जमा या सावधि जमा (Time Deposit) तथा बचत जमा (Saving deposit)। 1949 ई० के बैंकिंग कम्पनी अधिनियम के अनुसार बैंकों को अब विभिन्न प्रकार के जमा को अलग-अलग दिखलाना पड़ता है। ग्राहकों द्वारा इस प्रकार जमा के रूप में प्राप्त रकम के आधार पर ही बैंक अपना कारोबार चलाते हैं। बैंक अपने जमा का एक निश्चित प्रतिशत भाग नकद मुद्रा के रूप में अपने पास रखते हैं और शेष लाभ कमाने के लिए विनियोग करते हैं। जमा बैंकों का दायित्व इसलिए होता है कि यह ग्राहकों का धन है और बैंक इतनी रकम के लिए अपने ग्राहकों के देनदार होते हैं।

(4) ग्राहकों की स्वीकृतियाँ (Acceptances for customers) :— बैंक अपने ग्राहकों के चेक तथा अन्य साख-पत्रों को एकत्र करने (Collection) के लिए स्वीकार करता है। इस प्रकार के पत्रों की रकम सग्रहण के बाद ग्राहकों के खातों में जमा कर दी जाती है। चूँकि इन साख-पत्रों

1. इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुछ बैंक अपनी आर्थिक स्थिति को सुधर बनाने के लिए एक गुप्त संचित कोष (Secret Reserve Fund) का सृजन भी करते हैं। इस प्रकार के संचित कोष का निर्माण बैंक अपने तल पट पर नहीं दिखलाते, बल्कि अपनी स्वामी सम्पत्ति, जैसे—माल आदि के मूल्य को उनके वास्तविक मूल्य से कम दिखला कर करते हैं।

की रकम ग्राहको की होती है, जो जब चाहें तब इन्हे वापिस ले सकते हैं, अतएव, बैंक के लिए यह रकम भी देय होती है।

(5) लाभ-अलाभ खाता (Profit and Loss Account) — बैंक अपने लाभ को इस मद में दिखलाता है। चूंकि बैंक का लाभ उसके हिस्सेदारों के बीच वितरित किया जाता है, अतएव, यह बैंक का दायित्व है। इस प्रकार बैंक का लाभ भी उसका दायित्व होता है।

व्यावसायिक बैंकों के साधन या सम्पत्ति

(Assets of Commercial Banks)

तलपट की दायी ओर बैंक के साधन या सम्पत्ति का ब्योरा दिया जाता है। बैंक के लिए उसकी सम्पत्ति का बहुत अधिक महत्त्व है। बैंक की सम्पत्ति या साधनों के विस्तार से यह स्पष्ट हो जाता है कि बैंक ने अपनी पूंजी का विनियोग किस प्रकार से किया है, उसके पास पर्याप्त मात्रा में नकद मुद्रा है या नहीं आदि। तलपट में विभिन्न साधनों को उनकी तरलता (Liquidity) के क्रम में निम्न प्रकार से दिखलाया जाता है।

(1) नकद एवं केन्द्रीय बैंक के पास जमा (Cash in hand and with the Central Bank) — प्रत्येक बैंक अपनी देनदारी के भुगतान के लिए अपने पास तथा केन्द्रीय बैंक के साथ कुछ नकद मुद्रा रखता है। नकद जमा रखने के पीछे साधारणतया दो प्रवृत्तियाँ कार्य करती हैं—(क) जमा करनेवालों के जमा की रक्षा, तथा (ख) व्यावसायिक बैंकों की कार्यवाही पर केन्द्रीय बैंक का नियंत्रण स्थापित करना। भिन्न-भिन्न देशों में नकद मुद्रा के अनुपात में विभिन्नता पायी जाती है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड के व्यावसायिक बैंक साधारणतया अपने कुल दायित्व का 8 प्रतिशत भाग नकद कोष के रूप में रखते हैं जिसमें से 4 प्रतिशत वे अपने पास तथा 4 प्रतिशत बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ रखते हैं। अन्य देशों में कानून द्वारा बैंकों को अपने कुल जमा दायित्व का एक निश्चित प्रतिशत भाग नकद मुद्रा के रूप में रखना पड़ता है। अमेरिका में सदस्य बैंकों को अपने स्थायी जमा (Time Deposit) का 5 प्रतिशत तथा चालू जमा (Demand Deposit) का 12, 18 एवं 22 प्रतिशत भाग उनकी स्थिति के अनुसार फेडरल रिजर्व बैंक के पास जमा रखना पड़ता है। भारत में भी वर्तमान समय में अनुसूचित बैंकों (Scheduled Banks) को अपने सभी प्रकार के जमा दायित्व का औसत रूप से 3 प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है। इस प्रकार बैंकों को अपने कुल दायित्व का एक निश्चित प्रतिशत भाग नकद मुद्रा के रूप में रखना पड़ता है। नकद जमा से इन्हे अपने ग्राहकों के दायित्व के भुगतान में सुविधा होती है तथा बैंक किसी भी प्रकार के खतरे का सामना कर सकता है। अतएव, नकद कोष को बैंक की सुरक्षा का प्रथम अस्त्र (First line of defence of a Bank) कहा जाता है, किन्तु यह बैंकों के लिए लाभदायक नहीं सिद्ध होता। नकद कोष बैंक का सबसे अधिक तरल साधन समझा जाता है।

(2) अभियाचित एव अल्पकालीन ऋण (Money at call and short notice) — बैंकों के साधन या सम्पत्ति की दूसरी मद अभियाचित एव अल्पकालीन ऋण (Money at call and short notice) है। प्रत्येक बैंक कुछ ऋण अति अल्पकाल के लिए तथा कुछ ऋण इस शर्त पर देता है कि उसका भुगतान सूचना पाते ही कर दिया जायगा। तरलता के दृष्टिकोण से नकद कोष के बाद इसी प्रकार के ऋण का स्थान आता है। इस प्रकार का ऋण साधारणतया 24 घंटों से लेकर 15 दिनों तक के लिए दिया जाता है। इस प्रकार का ऋण बैंकों की सुरक्षा की दृष्टि से दूसरा अस्त्र (Second line of defence) समझा जाता है। इस प्रकार का ऋण साधारणतया मुद्रा-बाजार की विभिन्न सत्पाओं, जैसे बट्टा-गृहों (Discount Houses), बिल दलालों (Bill Brokers) तथा शेयरों दलालों (Stock Brokers) को 1 प्रतिशत से 1/2 प्रतिशत ब्याज की दर पर संचित प्रतिभूतियों के आधार पर दिया जाता है। ये विभिन्न सत्पाएँ व्यावसायिक बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेकर अपना कार्य करती हैं। इनके ऋणों के भुगतान के लिए ये सदा तैयार रहती हैं। लन्दन, न्यूयार्क आदि स्थानों में सुविकसित मुद्रा-बाजार हैं जिनसे वहाँ के व्यावसायिक बैंकों को अल्पकालीन विनियोग में बहुत अधिक सुविधा होती है, किन्तु भारत में सुविकसित मुद्रा-बाजार का अभाव है, अतएव व्यावसायिक बैंकों के अल्पकालीन विनियोग के लिए यहाँ पर विस्तृत क्षेत्र का अभाव पाया जाता है।

(3) बट्टा की गयी बिलों (Bills Discounted) :— बैंक के साधनों में बट्टा की गयी बिलों (Bills Discounted) का तीसरा स्थान है। बैंक विनियम या ट्रेजरी बिलों (Treasury Bills) को भुनाने का कार्य भी करते हैं। यह बैंको के विनियोग का एक प्रमुख साधन है, किन्तु बिलों के खरीदने में बैंक कई बातों को ध्यान में रखते हैं। ये प्रायः दीर्घकालीन हुण्डियाँ नहीं खरीदते, क्योंकि ऐसी हुण्डियों के मूल्य में सदा बहुत अधिक परिवर्तन होने की आशंका बनी रहती है। बैंक साधारणतः उन्हीं हुण्डियों को खरीदते हैं जिनकी अवधि प्रायः समाप्त होने (Bills nearing maturity) की रहती है। साथ ही, ये प्रथम श्रेणी के बिलों अथवा प्रतिभूतियों (First class Commercial papers) में ही अपना धन लगाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के बिलों की सृष्टि वास्तविक व्यापार के कार्यों के संचालन से होती है। अतएव, ये स्वतः शोधनीय (Self-liquidating) होती हैं। बैंक निम्न-निम्न समय पर समाप्त होनेवाले बिलों को खरीदते हैं। ये इन बिलों में इस प्रकार से धन लगाते हैं कि एक के बाद दूसरे बिल का मुग्तान होता रहे जिससे किसी भी समय बैंक को नकद रुपये की कमी नहीं होने पाये। बैंक साधारणतया 'मुद्रा-बाजार' से ही बिलों को खरीदते हैं। मुद्रा बाजार प्रारम्भ में बिलों को खरीद कर अपने पास रखता है और जब उनकी अवधि निकट आने लगती है तो उन्हें व्यावसायिक बैंको के पास भुनाने के लिए ले जाता है। व्यावसायिक बैंको के लिए बिल भी तरलता के दृष्टिकोण से एक उत्तम साधन हैं, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर ये इन्हीं बिलों के आधार पर केन्द्रीय बैंक से रुपया प्राप्त करते हैं, किन्तु भारत में सुसंगठित बिल बाजार के अभाव में यहाँ के बैंक इस मद में बहुत कम विनियोग करते हैं। इस प्रकार जबकि विदेशों में बैंक अपनी कार्यशील पूँजी का 25 से 30 प्रतिशत भाग इस मद में लगाते हैं, भारत के बैंक इस मद में अपनी कार्यशील पूँजी का केवल 2 से 3 प्रतिशत भाग ही लगाते हैं।

(4) अग्रिम एवं ऋण (Advances and Loans) :— बैंक के साधनों में चौथा महत्त्वपूर्ण स्थान ऋण एवं अग्रिम (Loans and Advances) का है। ऋण साधारणतः अधिविकल्प (Overdraft) के रूप में दिया जाता है। ऋण अथवा अग्रिम साधारणतया ऊँची ब्याज की दर (10% से 1 % वार्षिक ब्याज) पर दिये जाते हैं। अतएव, ये बैंको की आय के प्रमुख साधन हैं। अतः बैंक के साधनों में ऋणों का बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान रहता है, किन्तु तरलता के दृष्टिकोण से ऋण का बहुत कम महत्त्व है। बैंक साधारणतः व्यापारियों को व्यापार संचालन के लिए एक साल तक की अवधि के लिए कज देते हैं। ऋण देने के पूर्व ये ऋण की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही, ऋण के लिए उचित जमानत भी लेते हैं।

(5) विनियोग (Investment) :— बैंक का पाँचवाँ प्रमुख साधन विनियोग (Investment) है। इसका तात्पर्य बैंक के उस विनियोग से है जो वे शेयर बाजार में व्यापारिक या औद्योगिक संस्थानों के हिस्से या ऋण-पत्रों अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में करते हैं। विनियोग बैंको के लिए विशेष आवश्यक नहीं होता, क्योंकि इसमें जोखिम की मात्रा बहुत अधिक तथा तरलता (Liquidity) बहुत कम रहती है। साधारणतः बैंक इन्हीं ऋण एवं अग्रिम (Loans and Advances) का पूरक समझते हैं। जब ऋण एवं अग्रिम की माग कम होती है तो बैंक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से ऋण-पत्र या सरकारी प्रतिभूतियों में अपना साधन लगाते हैं, किन्तु सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर व्यावसायिक बैंको की केन्द्रीय बैंक से-सहायता मिलने में बहुत अधिक मुविधा होती है।

(6) ग्राहकों की देय स्वीकृतियाँ (Liabilities of the customers for Acceptances) :— इस मद में उन बिलों अथवा साक्ष-पत्रों को दिखलाया जाता है जिन्हें बैंक ने अपने ग्राहकों की ओर से स्वीकार किया है। सम्पत्ति या साधन (Assets) के अन्तर्गत ग्राहकों की देय स्वीकृतियाँ (Liabilities of the customers for acceptances) का समतुलन दायित्व (Liabilities) के अन्तर्गत ग्राहकों की स्वीकृतियों (Acceptances of customers) से हो जाता है। अतएव, इसका कोई विशेष महत्त्व नहीं है।

(7) मकान, जमीन, फर्नीचर इत्यादि (Land, Buildings and other furnitures of the Bank) :— बैंक की सम्पत्ति या साधन (Assets) के अन्तर्गत अन्तिम मद मकान, फर्नीचर इत्यादि का होता है। बैंक का यह साधन बिलकुल तरल नहीं होता; क्योंकि इन्हें सुगमता-

पूर्वक तथा बिना किसी हानि के नकद मुद्रा के रूप में परिवर्तित करने में कठिनाई होती है। इस प्रकार के साधन बैंक के मृत-साधनो (Dead assets) के समान होते हैं।

इस प्रकार व्यावसायिक बैंक के तल-तट (Balance sheet) के अध्ययन से बैंक की वास्तविक स्थिति का अन्दाजा चलता है। तल-पट के दोनों पक्षों में साधन या सम्पत्ति के पक्ष का ही अधिक महत्त्व है, क्योंकि बैंक अपने ग्राहकों से धन जमा के रूप में ग्रहण करता है और उसी के विनियोग द्वारा वह अपना लाभ उपार्जित करता है। साधन पक्ष की विभिन्न मदों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि बैंक अपने साधनों को उनकी तरलता के क्रम में दिखलाता है। इस प्रकार नकद कोप बैंक का सबसे अधिक तरल साधन है, अतएव, इसे वह सबसे पहले दिखाता है। इसके बाद अभियाचित या अल्पकालीन ऋण (Loans at call and short notice), बट्टा की गयी बिल्लें (Bills discounted), अग्रिम तथा ऋण (Loans and Advances) एवं विनियोग (Investment) को दिखलाता है।

बैंक की आर्थिक स्थिति का अन्दाजा उनके साधनों के इन विभिन्न मदों में वितरण से स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार बैंक के तल-पट का अध्ययन बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण है।

विशेष अध्ययन-सूची

- | | |
|-------------|-----------------------------------|
| 1. Sayers | Modern Banking, Chapters 1 & 2. |
| 2. Crowther | : An Outline of Money, Chapter 2. |



अध्याय : 11

व्यावसायिक बैंकों के साधनों का वितरण

(Distribution of the Assets of Commercial Banks)

बैंक के साधनों के वितरण का आर्थिक महत्त्व (The economic significance of the Distribution of the Assets of a Bank. — व्यावसायिक बैंक एक लाभ कमानेवाली संस्था (Profit-seeking institution) है। अतएव, इसका मुख्य उद्देश्य अपने हिस्सेदारों के लिए अधिकतम लाभ कमाना होता है। अपने धन को लाभप्रद तरीके से विनियोग कर ही यह लाभ कमाता है। इन साधनों से बैंक को जितनी ही अधिक आय प्राप्त होगी, बैंक को, उतना ही अधिक मुनाफा प्राप्त होगा, किन्तु बैंक को इस बात पर भी ध्यान रखना होता है कि वह अपने साधनों का विनियोग इस प्रकार से करे कि किसी भी समय अपने ग्राहकों की मांग होने पर सुगमतापूर्वक उसका भुगतान किया जा सके, क्योंकि व्यावसायिक बैंक अपने साधनों का अधिकांश भाग अपने ग्राहकों से जमा के रूप में ही प्राप्त करता है। इस प्रकार बैंक ऋण का व्यवसायी है, यानी दूसरों के रुपये का व्यापारी होता है। अतः उसे अपने ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए हर समय तत्पर रहना पड़ता है। बैंक का व्यापार जनता के विश्वास (Confidence) पर आधारित है। यदि किसी भी समय बैंक अपने ग्राहकों की मांग का भुगतान नहीं कर सकेगा, तो उस पर से जनता का विश्वास समाप्त हो जायगा। ऐसी स्थिति में बैंक की आर्थिक स्थिति अच्छी होने पर भी उसे अपना व्यापार बन्द करना पड़ेगा। अतएव, अपने ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए बैंक को सदा अपने साधनों की तरलता (Liquidity of assets) पर भी ध्यान देना होता है। लाभ एवं तरलता के साथ-साथ बैंक को अपने साधनों की सुरक्षा (Safety) पर भी ध्यान देना पड़ता है। सुरक्षा पर ध्यान नहीं देने से बैंक का जीवन ही सकट में पड़ सकता है। अतएव, विनियोग करते समय बैंक अपने साधनों की सुरक्षा पर बहुत अधिक ध्यान देता है। इस उद्देश्य से बैंक अपने सम्पूर्ण साधनों को एक ही दिशा में या एक ही व्यवसाय में नहीं लगाता वरन् उन्हें भिन्न-भिन्न मदों में लगा कर अपने खतरे को कम करने का प्रयास करता है।

इस प्रकार अपने साधनों के विनियोग में बैंक को बहुत अधिक सावधानी एवं दूरदर्शिता से काम लेना पड़ता है। इस सम्बन्ध में सुप्रसिद्ध विद्वान बैजहॉट (Bagehot) का निम्नलिखित कथन विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है “साहस व्यापार का जीवन है परन्तु सावधानी, न कि भीरुता आधुनिक बैंकिंग का सार है।” (Adventure is the life of commerce, but caution, if not timidity, is the essence of modern banking) इस प्रकार व्यावसायिक बैंकों को अपने साधनों के वितरण में सदा अति सावधानी से कार्य लेना पड़ता है।

व्यावसायिक बैंकों के सिद्धान्त

(Principles of Commercial Banking)

वास्तव में, व्यावसायिक बैंक अपने साधनों के वितरण में कुछ सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हैं। इन सिद्धान्तों के आधार पर ही वे अपने धन का विनियोग करते हैं। इन्हें व्यावसायिक बैंकों के विनियोग के सिद्धान्त भी कहते हैं। ये सिद्धान्त निम्नलिखित हैं —

(क) साधनों की तरलता (Liquidity of assets),

(ख) लाभदायकता (Profitability), एवं

(ग) साधनों की सुरक्षा (Safety of assets)।

(क) साधनों की तरलता (Liquidity of Assets) — व्यावसायिक बैंकों का सर्वाधिक प्रधान उद्देश्य अपने हिस्सेदारों के लिए अधिकतम लाभ का उपार्जन करना होता है। बैंक अपने साधनों के विनियोग से ही लाभ प्राप्त करता है, किन्तु बैंक का अस्तित्व जनता के विश्वास पर निर्भर करता है। जनता बैंक जमा को मुद्रा की ही तरह समझती है। जनता का बैंक पर विश्वास इन बातों पर आधारित होता है कि बैंक में उनके जमा को नकद मुद्रा में परिवर्तित करने की क्षमता सदा रहेगी। अतएव बैंक का मुनाफा जमा के बदले नकद मुद्रा देने की क्षमता पर निर्भर करता है। “जमा के बदले नकद मुद्रा देने की क्षमता को ही तरलता कहते हैं।”

(Liquidity is the ability of a bank to satisfy demands for cash in exchange for deposits) इस प्रकार लाभ कमाने के लिए बैंक को जनता का विश्वास बनाये रखना आवश्यक है और विश्वास बनाये रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में साधनों की तरलता अनिवार्य होती है।

बैंक का सर्वाधिक तरल साधन नकद जमा (Cash Reserve) है। बैंक के पास जितना ही अधिक नकद जमा होगा, उतनी ही शीघ्रतापूर्वक वह अपने ग्राहकों की माग को पूरा कर सकता है, किन्तु नकद जमा एक निष्क्रिय साधन है, बैंक को इससे कोई भी लाभ नहीं होता। इस कारण यदि बैंक अपने नकद जमा को बढ़ा कर अपनी तरलता बहुत बढ़ा देता है तो इससे उसका लाभ बहुत कम हो जायगा। अतएव, कोई भी बैंक एक निश्चित मात्रा से अधिक नकद मुद्रा अपने पास नहीं रख सकता। मुनाफा कमाने के लिए बैंक को कुछ घन अपेक्षाकृत कम तरलसाधनों (Imperfectly Liquid Assets) के रूप में, यानी तरल होने के साथ साथ जो लाभदायक भी हों, लगाना होता है। इस प्रकार वे साधनों के अन्तर्गत अभियाचित ए अल्पकालीन ऋण (Loans at call and short notice) तथा (Bills) आदि महत्त्वपूर्ण हैं।

नकद मुद्रा के बाद बैंक के वे ही साधन सबसे अधिक तरल समझे जाते हैं जिनमें निम्नलिखित दो गुणों का समावेश रहता हो—(1) विनिमय साध्यता (Shiftability) एवं (2) बिना किसी क्षति के विनिमय-साध्यता (Shiftability without loss)। अपने ग्राहकों की माग को पूरा करने के लिए प्रत्येक बैंक को अपने घन का कुछ भाग इस प्रकार के साधनों में लगाना पड़ता है जिन्हें वह शीघ्र ही नकद मुद्रा में परिवर्तित कर सके, किन्तु नकद मुद्रा में परिवर्तन बिना किसी क्षति के होना चाहिए। तरलता के ये दो गुण हैं और जब बैंक अपने साधन को तरल रखने का प्रयास करता है तो वह इन बातों पर समान रूप से ध्यान देता है। इस अर्थ में नकद जमा के बाद अभियाचित एवं अल्पकालीन ऋण (Loans at call and short notice) ही बैंक का सर्वाधिक तरल साधन है। अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियों एवं उच्च कोटि के गैर-सरकारी पत्रों (Commercial papers) में भी ये दोनों गुण पर्याप्त मात्रा में वर्तमान हैं। बैंक इन्हें मुद्रा बाजार में बेचकर नकद मुद्रा प्राप्त कर सकता है अथवा केन्द्रीय बैंक के पास ले जाकर इन्हें पुनः बट्टा करा सकता है। दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूतियाँ विनिमय साध्य होती हैं, क्योंकि इन्हें भी मुद्रा बाजार में बेचकर नकद मुद्रा प्राप्त की जा सकती है किन्तु इस प्रकार की प्रतिभूतियों में सदा हानि की सम्भावना बनी रहती है। अतः बैंक के लिए यह बहुत ही कम तरल साधन है। इसी प्रकार बैंक के ऋण एवं अधिम (Loans and Advances) तथा विनियोग (Investment) भी तरल नहीं हैं, क्योंकि इनमें तरलता के उपयुक्त दोनों गुणों का अभाव पाया जाता है।

किन्तु, विनिमय साध्यता का एक दूसरा पहलू भी है। कोई भी एक बैंक अपने साधनों को किसी दूसरे बैंक या अन्य व्यक्तियों के हाथ बेचकर सुगमतापूर्वक इन्हें नकद मुद्रा में परिवर्तित कर सकता है, किन्तु यदि किसी देश के सभी बैंक अपने अपने साधनों को एक ही समय नकद मुद्रा में परिवर्तित करना चाहे, तो वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उतनी नकद मुद्रा देश में ही नहीं। अतएव, यदि बैंक जमा के बदले मुद्रा की माग किसी एक बैंक तक ही सीमित नहीं होकर सम्पूर्ण बैंकिंग व्यवस्था में विस्तृत हो जाय तो विनिमय साध्यता में निश्चय ही कठिनाई होगी। जिस देश में व्यावसायिक बैंकों का सघन जितना ही अधिक सुदृढ होता है, वहाँ मुद्रा की माग उतनी ही अधिक व्यापक एवं विस्तृत होती है। इस प्रकार की सकट की स्थिति में केन्द्रीय बैंक ही अन्तिम सहायक (Lender of the Last Resort) के रूप में व्यावसायिक बैंकों की सहायता करता है। अतएव, किसी भी साधन की विनिमय-साध्यता (Shiftability) तय करने में बैंक इस बात पर ध्यान रखता है कि वह साधन केन्द्रीय बैंक के लिए स्वीकार्य है या नहीं। आवश्यकता पड़ने पर व्यावसायिक बैंक हड़ियों या प्रतिभूतियों को केन्द्रीय बैंक के पास पुनः बट्टा के लिए देता है, किन्तु केन्द्रीय बैंक सभी तरह की हड़ियों को स्वीकार नहीं कर सकता। यह साधारणतया सरकारी प्रतिभूतियों (Treasury Bills) एवं उच्च कोटि के व्यापारिक पत्रों (Commercial papers) को, जो केन्द्रीय बैंक द्वारा निर्धारित आवश्यक शर्तों की पूर्ति करते हैं, ही स्वीकार करता है। अतएव, व्यावसायिक बैंक सदा इस बात पर ध्यान देता है कि वह उन्हीं साधनों को स्वीकार करे जो केन्द्रीय बैंक द्वारा स्वीकार्य हों। इस प्रकार विनिमय-साध्यता के अन्तर्गत इस बात का भी महत्त्व है कि वह साधन केन्द्रीय बैंक द्वारा स्वीकार्य है अथवा नहीं। अतएव, सरकारी हड़ियाँ

(Treasury Bills) एवं उच्च कोटि के अल्पकालीन व्यापारिक पत्र, जो केन्द्रीय बैंक की शर्तों को पूरा करते हैं, अत्यधिक तरल होते हैं।

इस प्रकार बैंक के तरल साधनों में नकद कोष के बाद अभियाचित एवं अल्पकालीन ऋण तथा बट्टा किये गये बिलों का ही स्थान है, किन्तु तरलता का अर्थ यह नहीं कि बैंक अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति को नकद मुद्रा में एक बार परिवर्तित कर सकता है। इस प्रकार तरलता एक सापेक्षिक तरल है। इसका अभिप्राय यह है कि खतरे की स्थिति में बैंक अपनी सभी देन को शीघ्र चुका सकता है।

(ख) लाभदायकता (Profitability) : अपने साधनों के वितरण में व्यावसायिक बैंक अपने लाभ पर भी ध्यान देता है; क्योंकि यह एक लाभ कमानेवाली संस्था (Profit-seeking institution) है और इसके लाभ का अधिकतर भाग उसके विनियोग से ही प्राप्त होता है। अतएव, बैंक को अपने धन का विनियोग इस प्रकार से करना चाहिए कि उसे उनसे एक अच्छी और स्थायी आय प्राप्त हो सके, किन्तु नकद जमा से उसे कोई लाभ नहीं मिलता। अभियाचित एवं अल्पकालीन ऋण (Loans at call and Short notice) से भी लाभ-लाभ की ही आय प्राप्त होती है। इसका कारण यह है कि इस प्रकार के ऋण लेनेवालों को इसमें सुविधा बहुत कम मिलती है जिससे वे अधिक व्याज नहीं देते। अतएव, बैंक को अपना शेष धन इस प्रकार के साधनों में लगाना पड़ता है जिससे कि उसे अच्छी आय प्राप्त हो सके, किन्तु इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि बैंक अपने धन से जितना ही अधिक आय प्राप्त करने का प्रयास करेगा उतनी ही कम संभावना उसके रुपये के शीघ्र वापस लौटने की रहेगी। दूसरे शब्दों में, बैंक लाभ पर जितना ही अधिक ध्यान देगा तरलता से वह उतनी ही दूर हटता जायगा। धार्य के दृष्टिकोण से विनियोग (Investment) बैंक का सर्वश्रेष्ठ साधन है, किन्तु इनके बाजार भावों में परिवर्तन आदि के कारण सदा पूर्ण की हानि की संभावना भी बनी रहती है। ऋण एवं अग्रिम (Loans and advances) के सम्बन्ध में भी यही बात है। इन पर बैंक का कोई अधिकार नहीं होता; क्योंकि इनकी वापसी ऋणी की इच्छा पर निर्भर करती है। अतएव, इनकी वापसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस प्रकार इन साधनों से बैंक को अधिक लाभ अवश्य होता है, किन्तु इनमें तरलता नहीं होती।

इस प्रकार तरलता (Liquidity), यानी शीघ्र नकद मुद्रा वापिस करने की योग्यता एवं लाभदायकता (Profitability) दोनों दो विपरीत तत्त्व हैं। (Liquidity and profitability are two opposite considerations) वास्तव में, जो साधन जितना ही अधिक तरल होता है वह उतना ही कम लाभदायक होता है। उदाहरण के लिए, नकद जमा पूर्णतः तरल साधन है परन्तु इससे कोई आय नहीं प्राप्त होती। दूसरी ओर कुछ ऐसे साधन, जैसे ऋण एवं अग्रिम (Loans and advances) हैं जिनसे आय अधिक होती है, किन्तु जो बिल्कुल तरल नहीं होते। व्यावसायिक बैंक को अपने साधनों के वितरण में इन दोनों उद्देश्यों पर समान रूप से ध्यान देना पड़ता है। "अतएव सफल बैंक-व्यवसाय का रहस्य इस बात में है कि बैंक अपने साधनों को विभिन्न मद्दों में इस प्रकार से वितरित करे कि तरलता एवं लाभदायकता के दोनों विपरीत तत्त्वों के बीच उचित संतुलन स्थापित किया जा सके।" (The secret of successful banking business is to distribute resources between the various forms of assets in such a way as to get a sound balance between the opposite considerations of liquidity and profitability.) दूसरे शब्दों में, बैंक को अपने साधनों का वितरण इस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि उसके पास ग्राहकों की माँग की पूर्ति के लिए सदा पर्याप्त मात्रा में नकद मुद्रा बनी रहे तथा साथ-ही-साथ लाभ भी पर्याप्त हो।

(ग) साधनों की सुरक्षा (Safety of assets) :— तरलता एवं लाभदायकता के साथ-साथ बैंक अपने साधनों की सुरक्षा पर भी सदा ध्यान देता है। सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखने से बैंक का व्यवसाय किसी भी समय संकटमय हो सकता है। सुरक्षा की बलि पर बैंक को लाभ के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। अपने साधनों की सुरक्षा बनाये रखने के लिए बैंक को साधारणतया कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना पड़ता है। सर्वप्रथम तो बैंक को अपना तमाम धन किसी एक ही मु० मो० सं०—12

व्यक्ति या व्यवसाय मे नहीं लगाना चाहिए। (A bank should not lay all its eggs in the same basket) ऐसा करने से बैंक अपने अस्तित्व के लिए किसी खास व्यक्ति अथवा उद्योग विशेष पर विशेष रूप से आश्रित हो जाता है। साथ ही, बैंक को ऋण देने से पहले ऋणी के आचरण एव सात् के सम्बन्ध मे पूरा जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। ऋण बिना उचित जमानत के नहीं देनी चाहिए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अल्पकालीन ऋण ही सदा उत्तम होते हैं। अतएव बैंकों को दीर्घकालीन ऋण मे अपने साधनों का बड़ा भाग नहीं लगाना चाहिए।

निष्कर्ष — व्यावसायिक बैंक उक्त सिद्धान्तों के आचार पर ही अपने साधनों का वितरण करते हैं। बैंक अपने धन को प्रायः 6 साधनों मे लगाता है—नकद मुद्रा (Cash), भ्रमियाचित एव अल्पकालीन ऋण (Call Loans), बिल, सरकारी प्रतिभूतियाँ, ऋण एव विनियोग। इनमे से सरकारी प्रतिभूतियों का चलन मुख्य रूप से द्वितीय महायुद्ध के समय से ही प्रारम्भ हुआ है। निम्नलिखित तालिका से भिन्न भिन्न समय में इंग्लैण्ड के बैंकों के धन का विभिन्न मदों में आदर्श वितरण स्पष्ट हो जाता है —

बैंक के धन का विभिन्न साधनों के बीच वितरण (प्रतिशत में) ¹

मदें	1929 का आदर्श वितरण ²	1938 मे वितरण	1946 मे वितरण
नकद	11	11	11
अभियाचित ऋण	—	7	6
बिल	15	12.5	9
ट्रेजरी डिपोजिट रसीद	—	—	31
विनियोग	12	29	26
ऋण	55	44	18

उपर्युक्त तालिका से बैंक के धन का विभिन्न मदों मे वितरण स्पष्ट हो जाता है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि 1938 एव 1946 ई० के बीच साधनों के वितरण मे कुछ अन्तर हुआ है। 1946 ई० मे बैंकों के कुल धन का प्रायः दो तिहाई भाग किसी न किसी रूप मे सरकारी ऋण एव प्रतिभूतियों मे लगाया गया था। नकद मुद्रा के अन्तगत केन्द्रीय बैंक के पास जमा किया गया धन तथा उसी बैंक के नोटों की रकम थी। इसी प्रकार भ्रमियाचित ऋण (Call loans) के अन्तर्गत भी मुद्रा बाजार को सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत पर दिया गया ऋण है। विभिन्न प्रकार की सम्पत्ति से प्राप्त आय मे भी इसी प्रकार से विभजना पायी जाती है।

उक्त तालिका से इंग्लैण्ड के व्यावसायिक बैंकों के साधनों का वितरण स्पष्ट होता है। अन्य देशों मे भी बैंक अपने साधनों का वितरण प्रायः इसी आचार पर करते हैं। प्रत्येक देश मे बैंक के साधनों मे नकद मुद्रा बिल ऋण एव विनियोग का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। सभी बैंक अपने पास सदा कुछ नकद मुद्रा रखते हैं कुछ बिल रखते हैं, क्योंकि इनमे विनिमय-साध्यता (Shiftablety) बहुत अधिक पायी जाती है, अधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ऋण देते हैं तथा विनियोग (विशेषतः, सरकारी प्रतिभूतियों) मे भी अपने धन को लगाते हैं।

बैंक के ऋणों की मांग मे परिवर्तन

(Changes in the Demand for Bank Loans)

किन्तु, आधुनिक समय मे व्यावसायिक बैंकों की कायवाही मे कुछ विशेष प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं। इनमे से एक प्रमुख प्रवृत्ति गत कुछ वर्षों से बैंकों के ऋण (advances) की मांग मे कमी की प्रवृत्ति है। प्रो० सेयर्स (Sayers) के अनुसार ³ बैंकों के ऋण की मांग में इस कमी के निम्नलिखित पाँच प्रमुख कारण हैं —

- 1 इन ऋणों का जोड़ 100 नई है क्योंकि इनमें बैंक के सभी प्रकार के साधन सम्मिलित नहीं हैं।
- 2 उक्त वितरण 1929 ई० में इंग्लैण्ड के किसी बड़े बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा बैंकों के लिए आदर्श वितरण के तौर पर बताया गया था।

- (क) औद्योगिक केन्द्रीकरण (Industrial Integration),
- (ख) बैंक-साख पर आधारित उद्योगों का सापेक्षिक पतन,
- (ग) साख-सम्बन्धी विविध सस्याओं का विकास (Growth of specialised credit institutions),
- (घ) शेयर बाजार का विकास (Development of stock market), तथा
- (च) फुटकर व्यापार में नकद भुगतान की वृद्धि (Increase in cash payment in retail trade)।

औद्योगिक केन्द्रीकरण से फर्म का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। बड़े फर्म के कोष में छोटे फर्म की अपेक्षा बहुत कम परिवर्तन होता है, अतएव, इन्हें ऋण (advance) की कम ही आवश्यकता पड़ती है। साथ ही, ये अधिविकल्प (overdraft) की सुविधा का छोटे फर्मों की अपेक्षा बहुत कम प्रयोग करते हैं। प्रत्येक फर्म अपत्याशित खर्च के लिए कुछ जमा अपने पास रखता है। बड़े फर्म का कोष अपेक्षाकृत अधिक होता है जिससे उसका काम उसके साधनों से ही चल जाता है। जिस फर्म का आकार जितना ही बड़ा होता है मुद्रा की मांग में मौसमी परिवर्तनों से वह उतना ही कम प्रभावित होता है। अतएव बड़े फर्म को कम ऋण की आवश्यकता पड़ती है।

बैंक के ऋणों (advances) में कमी का दूसरा प्रधान कारण ऐसे व्यवसायों का पतन है जो अपनी कार्याशील पूँजी के लिए मुख्यतः बैंको पर निर्भर करते थे। यह प्रवृत्ति इंग्लैंड की अपेक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में अधिक प्रबल रही है। इन देशों में कृषि मुख्यतया बैंक साख पर आधारित थी, किन्तु वर्तमान समय में कृषि की साख-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ विविध सस्याओं की स्थापना हुई है जिनमें भूमि-बन्धक बैंक (Land Mortgage Bank) प्रधान हैं। साथ ही, आजकल प्रत्येक देश की आर्थिक व्यवस्था में सार्वजनिक उद्योगों (Public utilities) एवं निर्माण तथा खनिज उद्योगों का महत्त्व बढ़ता जा रहा है जो बैंक साख पर बहुत कम निर्भर करते हैं। ऐसे उद्योग शेयर-बाजार (Stock-market) का प्रयोग कर अपनी पूँजी का अधिकांश भाग प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार बैंक साख पर आश्रित उद्योगों का पतन बैंक के ऋण की मांग में कमी का एक प्रमुख कारण है।

शेयर बाजारों के विकास का भी उद्योगों की ऋण की मांग पर प्रभाव पड़ा है। शेयर बाजारों में कम्पनियाँ अपने हिस्सों को बेच कर पर्याप्त मात्रा में पूँजी प्राप्त कर लेती हैं, अतएव, आजकल की अरुद्धी कम्पनियाँ अपनी पूँजी की आवश्यकताओं के लिए बैंको पर आश्रित नहीं होकर नये शेयर अथवा ऋण पत्र जारी कर ही अपना कार्य चला लेती हैं।

बैंकों के ऋणों की मांग में कमी का सर्वाधिक प्रमुख कारण खुदरा व्यापार में नकद भुगतान की प्रथा का प्रचलन है। इससे फुटकर व्यापारियों को बहुत कम ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है जिससे बैंक के ऋणों की मांग में बहुत कमी हो गयी है।

बैंकों के ऋणों की मांग में कमी के परिणामस्वरूप वर्तमान समय में व्यावसायिक बैंकों के समक्ष एक समस्या उपस्थित हो गयी है। इसके फलस्वरूप इनकी आय में बहुत कमी हो गयी है जिससे बैंकों में आपसी प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गयी है। साथ ही, इसका इंग्लैंड के बैंकों के संगठन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। अब ये विभिन्न प्रकार से अपनी आय में वृद्धि का प्रयत्न करते हैं, किन्तु जैसा कि हम जानते हैं उनकी आय में वृद्धि का क्षेत्र बहुत ही सीमित है।

इस प्रकार 'आजकल व्यावसायिक बैंकों के समक्ष तरलता के अभाव की समस्या नहीं, बरन् तरलता के आधिक्य की समस्या है।' (The problem in modern commercial banking is not of liquidity but of excess of liquidity) पहले बैंक अपने कुल साधनों का 60 प्रतिशत भाग ऋण (advance) तथा 30 प्रतिशत भाग तरल साधन के रूप में रखते थे, किन्तु द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद बैंक के तरल साधन प्रायः 50 प्रतिशत हो गये हैं तथा ऋण का अनुपात बहुत ही कम हो गया है। व्यावसायिक बैंकों के तरल साधनों में इस वृद्धि का मुख्य कारण द्वितीय महायुद्ध के बाद सरकारी प्रतिभूतियों का आधिक्य है। सरकारी प्रतिभूतियों के लिए बहुत विस्तृत बाजार है। मुद्रा-बाजार में भी इन्हीं का आधिक्य है अतएव, व्यावसायिक बैंक ने भी इन्हें अधिकाधिक मात्रा में खरीदना प्रारम्भ कर दिया है। अतिरिक्त तरलता का प्रभाव

व्यावसायिक बैंको पर यह पडा है कि उनके पास ऋण की सृष्टि की अपरिमित सम्भावनाएँ हैं, क्योंकि ऋण की सृष्टि तरल प्रसाधनों के बल पर ही होती है। यही कारण है कि इंग्लैंड एव अमेरिका में आज अधिस्फीति की स्थिति वर्तमान है।

इस प्रकार व्यावसायिक बैंको की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन का प्रभाव सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था पर पडा है। इसके फलस्वरूप 1951 ई० के नवम्बर से इंग्लैंड की सरकार ने नयी मौद्रिक नीति अपनायी है जिसके अनुसार समय-समय पर बैंक-दर में परिवर्तन किया जाता है। साथ ही, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 5 अरब पौंड की ट्रेजरी बिलों को खरीद कर इनके बदले में दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को जारी किया है। इससे बैंक के साधन घट कर प्राय 32 प्रतिशत हो गये। साथ ही, इनके नकद कोषों में भी कमी हुई। इस प्रकार इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप ब्रिटिश बैंकिंग-प्रणाली धीरे-धीरे अपनी प्राचीन स्थिति में लौट रही है।

विशेष अध्ययन सूची

1. Sayers Modern Banking.
2. R P Kent . Money & Banking
3. Crowther : An Outline of Money, Chapter II

अध्याय : 18

साख-पत्र

(Credit Instrument)

साख क्या है ? (What is Credit ?) — हिन्दी शब्द 'साख' का पर्यायवाची अंगरेजी शब्द क्रेडिट (Credit) है जो लैटिन के 'क्रेडो' (Credo) शब्द से बना है जिसका अर्थ "मैं विश्वास करता हूँ" (I believe) है। अतएव, साख शब्द का अर्थ है, 'विश्वास' (Confidence)। साधारणतया 'साख' शब्द का प्रयोग बहुत विस्तृत अर्थ में किया जाता है, किन्तु अर्थ-शास्त्र में साख शब्द का अर्थ है भुगतान को स्थगित करना। (Credit means postponement of payment.) साख को धीरे धीरे कई प्रकार से परिभाषा दी जाती है। साख वर्तमान समय में दिये गये माल के बदले माँगने पर या किसी निश्चिन्त भावी तिथि पर भुगतान प्राप्त करने का अधिकार या भुगतान देने का दायित्व है। प्रो० जी० डी (Gide) के अनुसार, "साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो कुछ समय बाद भुगतान करने पर पूरा हो जाता है।" (Credit is an exchange which is complete after the expiry of a certain period of time after payment) प्रो० टॉमस (Thomas) ने साख की परिभाषा इस प्रकार से दी है— "साख शब्द से किसी व्यक्ति की उस शोधनक्षमता तथा देनदारी के विश्वास का बोध होता है जिसके परिणामस्वरूप उस व्यक्ति पर विश्वास कर उसे मुद्रा, वस्तुएँ अथवा अन्य कोई बहुमूल्य पदार्थ सौंपा जाता है।" (The term credit is now applied to that belief in a man's probability and solvency which will permit of his being entrusted with something of value belonging to another whether that something consists of money, goods, services or even credit itself as when one may entrust the use of his good name and reputation)

इसी प्रकार प्रो० कोल (Cole) के अनुसार, "साख उस क्रय-शक्ति को कहते हैं जो धन के द्वारा प्राप्त नहीं होती, वरन् वित्तीय सस्थाओं द्वारा उस जमा की रकम का जो उनके पास रखी होती है, प्रयोग करने के उद्देश्य से उपलब्ध की जाती है" (Credit is purchasing power not derived from income, but created by financial institutions either as an offset to idle income held by depositor in the banks or as a net addition to the total amount of purchasing power.)¹

प्रो० किन्ले (Kinley) के अनुसार, "साख से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिससे वह किसी अन्य व्यक्ति को भविष्य में भुगतान की प्रतिज्ञा पर अपनी आर्थिक वस्तुएँ समर्पित करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार साख ऋणी का एक गुण अथवा शक्ति है।" (By credit, we mean the power which one person has to induce another to put economic goods at his disposal for a time on promise of future payment. Credit is thus an attribute or power of the borrower.)

इस प्रकार "साख एक प्रकार का विनिमय-कार्य है जिसमें कोई ऋणदाता (Creditor) किसी ऋणी (Debtor) को वर्तमान समय में कुछ वस्तुएँ अथवा मुद्रा इस विश्वास पर प्रदान करता है कि कुछ समय बाद वह उसे वापिस कर देगा।"

साख के आवश्यक तत्त्व (Essential elements of Credit) — साख के कुछ आवश्यक तत्त्व हैं, यानी किसी व्यक्ति की साख कुछ विशेष बातों पर निर्भर करती है। इनमें निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं —

(1) विश्वास (Confidence) — साख का आधार विश्वास है। जबतक किसी व्यक्ति को इस बात का विश्वास नहीं हो जाय कि वर्तमान में जो वह वस्तु अथवा मुद्रा देता है वह धन

1 S E Thomas : Elements of Economics, P 398

2. G. D. H Cole—Money—Its Present & Future P 208.

चलकर लौटा दिया जायगा तबतक वह उधार देने का विचार भी नहीं करेगा। इस प्रकार विश्वास साख का परभावश्यक तत्व है।

(2) चरित्र.—साधारणतया ऋणी (debtor) का चरित्र भी उसकी साख वा एक महत्त्वपूर्ण आधार होता है। यदि किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह स्याति है कि भूतकाल में उसने सारे ऋण लौटा दिये हैं तो वर्तमान समय में उसे ऋण मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति का चरित्र इस सम्बन्ध में सन्देहात्मक है, तो उसे उधार या साख मिलने में सदा कठिनाई होगी।

(3) चुकाने की क्षमता (Capacity to repay) —साख का एक महत्त्वपूर्ण तत्व ऋणी (debtor) के भुगतान की क्षमता भी है। ऋणदाता किसी व्यक्ति को उधार तब देता है। जब उसे उस व्यक्ति के भुगतान की क्षमता (Capacity to repay) पर पूर्ण विश्वास हो। इस प्रकार किसी व्यक्ति की साख उस व्यक्ति के भुगतान करने की क्षमता पर निर्भर करती है।

(4) पूँजी एवं सम्पत्ति (Capital and Wealth) —बड़ी बड़ी रकम ऋण के रूप में प्राप्त करने के लिए साधारणतः किसी व्यक्ति को बैंक आदि पर निर्भर करना पड़ता है जो पूँजी या सम्पत्ति की जमानत के बगैर उधार नहीं देते। अतएव, जिस व्यक्ति के पास जितनी ही अधिक पूँजी अथवा सम्पत्ति होती है, उसे उतना ही अधिक ऋण मिल सकता है।

इस प्रकार साख के उक्त चार आवश्यक तत्व हैं। दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति की साख उसके प्रति विश्वास, उसके चरित्र, ऋण चुकाने की क्षमता तथा उसकी पूँजी एवं सम्पत्ति पर निर्भर करती है। इस सम्बन्ध में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि किसी व्यक्ति को साख या उधार देते समय साख की राशि एवं साख की अवधि का उल्लेख अनिवार्य है। साख की राशि एवं अवधि के उल्लेख के बगैर साख के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।

विभिन्न प्रकार के साख-पत्र

(Different Kinds of Credit Instruments)

साख पत्र से हमारा आशय उन साधनों से है जिनका उपयोग साख-मुद्रा के रूप में किया जाता है। ये वे पत्र हैं जिनके आधार पर साख अथवा ऋण का ग्राहान-प्रदान होता है। वे वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय-विक्रय में विनिमय के माध्यम का कार्य करते हैं। अतएव, साख-पत्र (Credit instrument) ठीक मुद्रा की ही तरह कार्य करते हैं, किन्तु मुद्रा एवं साख-पत्रों में एक प्रमुख अन्तर यह है कि जबकि मुद्रा, यानी सिक्के अथवा पत्र मुद्रा कानूनी ग्राह्य (Legal Tender) होते हैं साख-पत्रों को कानूनी मान्यता नहीं प्राप्त रहती है। अतएव, साख पत्रों को लेन-देन के कार्य में स्वीकार करने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, इनकी ग्राह्यता ऐच्छिक होती है।

साख पत्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं —

(1) चेक (Cheque) —चेक सर्वाधिक प्रचलित साख पत्र है। यह एक प्रकार का लिखित आदेश है जो बैंक में रुपया जमा करनेवाला अपने बैंक को देता है कि उसमें लिखित रकम उसमें लिखित व्यक्ति या उसके आदेश प्राप्त व्यक्ति या धारक (bearer) को दी जाय। (A cheque is an order on a bank to pay a stated sum of money to the person named as the payee or to his order or to the bearer of the cheque) इण्डियन निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ऐक्ट (Indian Negotiable Instrument Act) के अनुसार 'चेक बैंक में रुपया जमा करनेवाले व्यक्ति का अपने बैंक के लिए लिखित आदेश है जिसमें वह बैंक को यह आदेश देता है कि चेक में अंकित रकम उसमें लिखित व्यक्ति या उसके आदेश प्राप्त व्यक्ति अथवा उसके धारक (bearer) को मांगने पर दे दे।'

चेक सदा किसी एक बैंक को लिखा जाता है जिससे इसका भुगतान मांगने पर उसे शीघ्र ही करना होता है। इसके सामान्यतया तीन पक्ष होते हैं।— (i) चेक जारी करनेवाला या ग्राहता (Drawer), (ii) ग्राह्यार्थी (Drawee), यानी वह जिसे आदेश दिया जाता है, तथा (iii) बादाता (Payee) यानी वह जिसको कि चेक का भुगतान किया जाता है।

चेक की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं :—(1) चेक एक लिखित आदेश होता है, (2) यह सदा किसी बैंक विशेष के ऊपर ही लिखा जाता है; (3) चेक का भुगतान बगैर किसी शर्त के होता है; (4) उसमें भुगतान की रकम का स्पष्ट रूप से उल्लेख रहता है; (5) बैंक को इसका भुगतान मागने पर शीघ्र ही करना होता है। इसकी भुगतान इसमें निर्देशित व्यक्ति अथवा उसके आदेश-प्राप्त व्यक्ति अथवा चेक के वाहक (bearer) को दिया जाता है, (6) इस पर इसके जारी करनेवाले व्यक्ति, यानी आहर्ता का हस्ताक्षर होता है : इस प्रकार चेक एक प्रकार का विनिमय बिल है जो किसी बैंक पर लिखा जाता है तथा माग करने पर जिसका भुगतान किया जाता है। (A cheque is a Bill of Exchange drawn on a banker payable on demand.)

चेक सामान्यतया तीन प्रकार के होते हैं :—(i) बेयरर या वाहक चेक (Bearer cheque)—यह वह चेक है जिसका भुगतान निर्देशित व्यक्ति अथवा ऐसे व्यक्ति को जो इसे बैंक में प्रस्तुत करता है शोथनीय होता है। इस प्रकार के चेक पर आदाता (Payee) का हस्ताक्षर आवश्यक नहीं, यद्यपि बैंक सुरक्षा के दृष्टिकोण से हस्ताक्षर ले लेता है। इस प्रकार का चेक पूर्णतया हस्तान्तरणीय (Transferable) होता है। (ii) आदेशित चेक (Order cheque) :—आदेशित चेक वह चेक है जिसका भुगतान चेक में अंकित व्यक्ति को ही मिल सकता है। इस प्रकार के चेक को भुनाने के लिए आदाता का हस्ताक्षर अनिवार्य होता है (iii) रेखांकित चेक (Crossed Cheque) :—यह वह चेक है जिस पर बायी ओर चेक के ऊपर हिस्से में दो आड़ी रेखाएँ खींचकर 'And co.' या 'Not Negotiable' शब्द लिखा रहता है। रेखांकित चेक का भुगतान किसी भी व्यक्ति को नकद मुद्रा में प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार के चेक का भुगतान किसी व्यक्ति के खाते में ही जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। रेखांकित चेक भी दो प्रकार के होते हैं :—(क) साधारण रेखांकित चेक (General crossed cheque) —इस प्रकार के चेक पर केवल दो खड़ी रेखाएँ ही अंकित रहती हैं तथा उनके बीच में 'And co' अथवा 'Not negotiable' शब्द लिखा रहता है। (ख) विशेष रेखांकित चेक (Special crossed cheque) —इस चेक पर रेखांकन के साथ-साथ भुगतान लेनेवाले बैंक का भी नाम रहता है। इस प्रकार के रेखांकन का लाभ यह है कि इसमें चेक विशेष रूप से सुरक्षित हो जाता है।

(2) विनिमय बिल (Bills of Exchange) :—भारतीय विनिमय-साध्य विपत्र अधिनियम (Indian Negotiable Instruments Act) के अनुसार, 'विनिमय बिल एक लिखित पत्र है जिसमें लिखनेवाले की ओर से बिना-कोई शर्त लगाये किसी व्यक्ति को इस प्रकार का आदेश रहता है कि वह उस व्यक्ति को अथवा उसके आदेशानुसार इस पत्र को प्रस्तुत करनेवाले को इसमें लिखित रकम का भुगतान कर दे।' (A Bill of Exchange is an instrument in writing containing an 'unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument) प्रत्येक विनिमय बिल के तीन पक्ष होते हैं—(i) आहर्ता (Drawer or Maker), यानी वह व्यक्ति जो बिल किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर लिखता है और लिखकर उसकी स्वीकृति के लिए भेज देता है, (ii) आहार्य (Drawee or Acceptor), यानी वह व्यक्ति जिस पर कि बिल लिखा जाता है एवं जो इसे स्वीकार करता है, तथा (iii) आदाता (Payee) :—वह व्यक्ति जिसे बिल का भुगतान मिलता है। जब आहर्ता (Drawer) ही भुगतान प्राप्त करनेवाला व्यक्ति होता है तो बिल के केवल दो ही पक्ष हो जाते हैं : आहर्ता (Drawer) एवं आहार्य (Drawee)।

विनिमय बिल दो प्रकार के होते हैं :—(1) देशी विनिमय बिल (Inland Bills of Exchange) :—जब बिल किसी देश के ही व्यापारी पर लिखा जाता है तो उसे देशी विनिमय बिल कहते हैं। इस प्रकार के बिल के आहर्ता (Drawer) एवं आहार्य (Drawee) दोनों एक ही देश के होते हैं। (2) विदेशी विनिमय बिल (Foreign Bills of Exchange) :—यह किसी दूसरे देश के व्यापारी पर लिखा जाता है, यानी आहर्ता तथा आहार्य दोनों में से कोई एक विदेशी होता है।

विनिमय बिल की निम्नांकित प्रमुख विशेषताएँ हैं :—(i) यह एक बिना शर्त लिखित

आदेश होता है। यह ऋणदाता (Creditor) द्वारा ऋणी (Debtor) के ऊपर लिखा जाता है। (ii) विनियम बिल पर इसे जारी करनेवाले (Drawer) का हस्ताक्षर रहता है। इसके बाद यह आहार्यी (Drawee) को भेज दिया जाता है जो इस पर अपनी स्वीकृति देता है। कोई भी विनियम बिल स्वीकृति के बिना विनियम साध्य या वैध नहीं होता। (iii) बिल पर भुगतान की रकम अंकित रहती है। (iv) बिल साधारणतया 90 दिन का होता है। इसके बाद तीन दिन और रियायत (Days of Grace) के रूप में मिलता है, किन्तु कभी-कभी दर्शनी बिल (Demand Bill), मागने पर भुगतान किये जानेवाले बिल ग्राहक भी लिखे जाते हैं।

विनियम बिल का व्यापारिक जगत में बहुत अधिक महत्त्व है। इनसे व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को निम्नांकित लाभ प्राप्त होते हैं—(i) इसकी सहायता से कोई भी व्यवसायी बिना नकदी भुगतान किये ही माल खरीद सकता है तथा बिल की अवधि समाप्त होने के पूर्व तक माल बेच कर धन प्राप्त कर लेता है जिससे समय आ जाने पर ऋणदाता बिल का भुगतान करता है। ऋणदाता के लिए भी यह सुविधाजनक होता है, क्योंकि वह इसकी अवधि के प्रहले भी इसे भुना सकता है या बेच सकता है, (ii) विनियम बिल के प्रयोग से विदेशी व्यापार में एक देश से दूसरे देश में बहुमूल्य धातुओं को भेजने में व्यय आदि की बचत होती है। दूसरी ओर निर्यात करनेवाले (Exporters) को इसमें यह लाभ होता है कि उसे अपने देश की मुद्रा में ही भुगतान मिल जाता है। (iii) बैंक तथा विनिधोक्ताओं के लिए विनियम बिल विनिधोय का एक अत्यन्त सरल साधन प्रस्तुत करता है, क्योंकि बिलों की अवधि साधारणतया 90 दिनों की होती है जिसके बाद इनका भुगतान मिल जाता है।

(3) प्रतिज्ञा-पत्र या स्वका (Promissory Note) — भारतीय विनियम साध्य-विपत्र अधिनियम (Indian Negotiable Instruments Act) के अनुसार “प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित पत्र होता है जिसमें इसके लिखनेवाला, इसमें अंकित रकम, इसमें लिखे हुए व्यक्ति या पक्ष को या उसके वाहक को बिना किसी शर्त के देने की प्रतिज्ञा करता है।” इस प्रकार के प्रतिज्ञा-पत्र में केवल दो पक्ष होते हैं—एक लिखनेवाला और दूसरा स्वका पानेवाला। प्रतिज्ञा पत्र तीन प्रकार के होते हैं—(i) बैंक प्रतिज्ञा-पत्र (Bank promissory Note) — यह देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है जिसका भुगतान इसके वाहक की मांग पर तुरत किया जाता है। उदाहरण के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (Reserve Bank of India) द्वारा जारी किये गये पाँच रुपये या दस रुपये के नोट। (ii) करेंसी प्रतिज्ञा-पत्र (Currency Promissory Note) — इस प्रकार के प्रतिज्ञा-पत्र सरकार अथवा मौद्रिक अधिकारी (Monetary authority) द्वारा जारी किये जाते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में 1 रुपये के नोट भारत सरकार के वित्त-विभाग द्वारा जारी किये जाते हैं। बैंक प्रतिज्ञा पत्र एवं करेंसी प्रतिज्ञा पत्र में मुख्य रूप से अन्तर यही है कि बैंक प्रतिज्ञा-पत्र केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी किये जाते हैं जबकि करेंसी प्रतिज्ञा-पत्र मौद्रिक अधिकारी अथवा सरकार द्वारा जारी किये जाते हैं। (iii) व्यावसायिक प्रतिज्ञा पत्र (Commercial Promissory Note) यह व्यापारियों अथवा निजी बैंकों द्वारा जारी किये जाते हैं। इस प्रकार का प्रतिज्ञा-पत्र विनियम बिल की ही तरह होता है। य तब केवल इतना ही है कि प्रतिज्ञा पत्र (Promissory Note) देनदार (Debtor) द्वारा लिखा जाता है। जबकि विनियम बिल देनदार (Creditor) द्वारा लिखा जाता है और वह उसे देनदार (Debtor) के पास उसकी स्वीकृति के लिए भेज देता है।

(4) हुण्डो (Hundi) — यह भारत में प्रचलित एक विशेष प्रकार का साधन-पत्र है। हुंडी स्थानीय भाषा में लिखी जाती है तथा इसका प्रचलन स्थानीय रीति रिवाज पर निर्भर करता है। देशी बैंकर, व्यापारियों तथा अन्य सस्थाओं द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। विनियम बिलों की तरह इन पर भी टिकट लगाया जाता है। इस प्रकार हुंडी साधारणतया विनियम बिलों की ही तरह होती है। हुंडियाँ कई प्रकार की होती हैं। इनमें दो दर्शनी हुण्डो एवं मुहती हुण्डो ही अधिक प्रचलित हैं। दर्शनी हुंडी का भुगतान माँग पर शीघ्र किया जाता है, किन्तु मुहती हुंडी का भुगतान हुंडी में अंकित एक निश्चित समय के बाद ही किया जाता है। इनके अतिरिक्त हुंडियाँ और भी कई प्रकार की होती हैं जैसे देनदार हुंडी जिनका भुगतान हुण्डो प्रस्तुत करनेवाले व्यक्ति को दिया जाता है तथा सहयोग हुंडी जिसका भुगतान किसी प्रतिष्ठित व्यापारी को ही हो सकता है।

(5) **बैंक ड्राफ्ट (Bank Draft) :**— बैंक ड्राफ्ट एक ऐसा साख-पत्र है जिसमें विनिमय बिल एवं चेक दोनों के गुण पाये जाते हैं। बैंक-ड्राफ्ट वह पत्र है जो एक बैंक अपनी किसी दूसरी शाखा पर या किसी अन्य बैंक पर लिखता है और उसे आज्ञा देता है कि उस पत्र में अंकित रकम उसमें अंकित व्यक्ति को या उसके आदेश-प्राप्त व्यक्ति को दे दी जाय। भुगतान की दृष्टि से बैंक ड्राफ्ट भी ठीक चेक की तरह होता है। इस प्रकार बैंक ड्राफ्ट के द्वारा सुगमतापूर्वक तथा कम व्यय में ही रूपया एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजा जा सकता है। ड्राफ्ट देशी तथा विदेशी दोनों प्रकार का होता है।

(6) **साख-प्रमाण-पत्र (Letter of Credit) :**— साख प्रमाण-पत्र किसी व्यक्ति, फर्म अथवा बैंक द्वारा जारी किया गया एक ऐसा पत्र है जिसमें वह किसी अन्य व्यक्ति, फर्म अथवा बैंक से इस बात की प्रार्थना करता है कि पत्र में अंकित व्यक्ति को निश्चित अवधि के अन्दर साख प्रदान कर दे। इस प्रकार का प्रमाण-पत्र भी साधारणतया बैंको द्वारा ही जारी किया जाता है। ये प्रमाण पत्र दो प्रकार के होते हैं — (1) **साधारण साख प्रमाण-पत्र (Ordinary Letter of Credit)** — यह साधारणतया एक फर्म अथवा एक बैंक के नाम ही लिखा जाता है। (2) **चलायमान साख-पत्र (Circular Letter of Credit) :**— इस प्रकार का साख-प्रमाण पत्र एक ही साथ कई बैंको की विभिन्न शाखाओं तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को लिखा जाता है। साख-पत्रों के आधार पर ऋण नकद अथवा विनिमय बिल दोनों के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार दी गयी ऋण की रकम साख-पत्र ही पीठ पर अंकित कर दी जाती है।

(7) **यात्री धनादेश या यात्रियों का चेक (Traveller's Cheque)**— इस प्रकार के चेक यात्रियों के प्रयोग के लिए जारी किये जाते हैं। इस प्रकार के चेक को प्रस्तुत कर यात्री जारी करनेवाले बैंक की किसी भी शाखा अथवा सम्बन्धित बैंक से रूपया ले सकता है। प्रत्येक चेक पर उसकी रकम अंकित रहती है। चेक जारी करनेवाला बैंक उस पर यात्री का हस्ताक्षर करा लेता है। भुगतान करनेवाले बैंक के समक्ष भी यात्री को हस्ताक्षर करना होता है। इस प्रकार हस्ताक्षर मिला कर बैंक प्रस्तुतकर्ता को इसके आधार पर चेक में अंकित रकम प्रदान करता है। इस प्रकार के चेक के खो जाने से रुपये की हानि का कोई भय नहीं रहता है।

(8) **पुस्तकीय साख (Book Credit)** पत्र कोई व्यापारी अपना माल उधार बेचता है अथवा कोई बैंक ऋण देता है तो ये उधार दी गयी रकम को अपने खाते में अंकित करते हैं। इस प्रकार के ऋण को पुस्तकीय साख कहते हैं। इस प्रकार पुस्तकी में अंकित साख को वैधानिक रूप में भी उधार मान लिया जाता है। आधुनिक व्यावसायिक युग में पुस्तकीय साख का बहुत अधिक महत्त्व है, क्योंकि आधुनिक व्यापार का एक बहुत बड़ा मांग आजकल इसी प्रकार के साख पर आधारित है। पुस्तकीय साख व रूप में दिये गये ऋणों का बहुत कुछ साधारणतया आपसी ऋणों के समायोजन (Adjustment) से ही भुगतान हो जाता है। इसके बाद जो शेष बचता है उमका भुगतान नकदी मुद्रा के रूप में किया जाता है।

उपरोक्त साख पत्रों के अतिरिक्त और भी बहुत प्रकार के साख-पत्र प्रचलित हैं जिनमें सरकारी वृद्धिर्षा या ट्रेजरी बिल (Treasury bill), अनुग्रह बिल (Accommodation bill), तथा ऋण-पत्र (Debentures) आदि उल्लेखनीय हैं।

साख के कार्य एवं उपयोगिता

(Function and Utility of Credit)

आधुनिक व्यावसायिक युग में साख का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था में तो साख का और भी अधिक महत्त्व है। यही कारण है कि इसे आधुनिक औद्योगिक प्रणाली का हृदय एवं उद्योग (Heart of modern industrial system) तथा व्यापार का रक्त (the life blood of business) कहते हैं। डैनियल वेबस्टर (Daniel Webster) के अनुसार, "साख-मुद्रा ने सत्तार को समृद्ध बनाने में विश्व की सारी छानों की तुलना में हजार गुना अधिक काम किया है। साख मुद्रा ने धर्म को कार्य बनने के लिए प्रोत्साहन दिया है, उत्पादन तथा वस्तुकारों में वृद्धि की है, समुद्र पर व्यापार की स्थापना किया है तथा सत्तार के प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक जाति को एक-दूसरे के समीप लाकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा मित्रता

की भावना को जन्म दिया है।" (Credit has done more—a thousand times more—to enrich nation than all the mines of the world. It has excited labour, stimulated manufactures, pushed commerce on every sea and brought every nation, every kingdom and every small tribe among the race of men to be known to all the rest.) वास्तव में, साख आधुनिक व्यावसायिक जगत की विभिन्न प्रकार से सेवा करता है। साख के इन कार्यों के आधार पर इसके बहुत से लाभ बतलाये जाते हैं जिनमें निम्नांकित विशेष रूप में उल्लेखनीय हैं :—

(1) पूँजी उत्पादन-शक्ति में वृद्धि :—साख पूँजी में गतिशीलता उत्पन्न करके उसकी उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करता है। इसके फलस्वरूप समाज की निष्क्रिय या अनुपयोगी पूँजी का उन व्यक्तियों के पास हस्तांतरण हो जाता है जो इसे उत्पादन के कार्य में लगाकर देश तथा समाज की महत्वपूर्ण सेवा करते हैं। इस प्रकार साख पूँजी को गतिशील बना कर इसकी उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करता है।

(2) बहुमूल्य धातुओं की बचत :—साख के आधार पर ही साख पत्रों का निर्माण होता है जिनके प्रचलन से बहुमूल्य धातुओं की बचत होती है। व्यापारी वर्ग भुगतान का कार्य प्रायः साख-पत्रों के द्वारा ही करते हैं। इससे पत्र-मुद्रा के प्रयोग में भी बचत होती है।

(3) विनिमय के माध्यम में वृद्धि :—साख-पत्रों का विनिमय माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे विनिमय के माध्यम में वृद्धि होती है जिससे व्यापार एवं व्यवसाय में सुविधा होती है। साथ ही, इससे बहुमूल्य धातुओं के उपयोग में भी बचत होती है।

(4) देश के आर्थिक विकास में सहायता :—साख के प्रयोग से देश के आर्थिक विकास में बहुत अधिक सहायता मिलती है। उधार लेने की सुविधा से व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को नये-नये क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही, जब किसी व्यवसायी की वस्तु की माग असाधारण समय में बढ़ जाती है तो वह उधार लेकर अपने व्यवसाय को बढ़ा सकता है। इस प्रकार साख की सुविधा आर्थिक, व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक उन्नति का प्रतीक होती है।

(5) मुद्रा-प्रणाली में लोच :—साख का निर्माण प्रायः बैंकों द्वारा किया जाता है। ये व्यापार एवं व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुरूप इसका विस्तार अथवा संकुचन करते हैं। इससे देश की मुद्रा प्रणाली में लोच आती है।

(6) बचत एवं पूँजी के संयोग को प्रोत्साहन मिलता है :—साख से बचत तथा पूँजी के संचय को प्रोत्साहन मिलता है। बैंक तथा अन्य साख संस्थाएँ जनता से उनकी छोटी-छोटी बचतों को जमा के रूप में ग्रहण करती हैं। इससे लोगों में बचत की आदत को प्रोत्साहन मिलता है जिससे पूँजी का संचय बढ़ता है।

(7) भुगतान में सुविधा :—बड़ी-बड़ी राशियों के भुगतान में साख-पत्र अधिक सुरक्षित, सस्ते एवं सुविधाजनक होते हैं। विनिमय बिल तथा बैंक ड्राफ्ट जैसे साख-पत्रों से तो विदेशी भुगतान में भी सहायता मिलती है। इस प्रकार साख-पत्रों से भुगतान में सुविधा होती है।

(8) मूल्यों में स्थिरता :—सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक साख पर समुचित नियंत्रण रखते हैं जिससे देश के मूल्य-स्तर में स्थिरता आती है। यह देश के लिए निश्चय ही बहुत अधिक लाभ-दायक सिद्ध होता है।

(9) सकटकालीन परिस्थितियों का सुगमतापूर्वक सामना किया जा सकता है :—साख की सहायता से सरकार अथवा व्यक्ति को सकटकालीन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक धन प्राप्त होता है जिससे इन कठिनाइयों को सुगमतापूर्वक दूर किया जा सकता है।

उक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में साख एवं साख-पत्रों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। इनके प्रयोग से देश एवं समाज का बहुत बड़ा आर्थिक कल्याण होता है।

साख की हानियाँ

(Disadvantages of Credit)

साख के उपरोक्त गुणों के साथ साथ इनके बहुत सारे दोष भी हैं। इनका दुर्गुणयोग होने से देश एव समाज को बहुत अधिक हानि की संभावना रहती है। यही कारण है कि इसे अच्छा सेवक किन्तु बुरा स्वामी कहा जाता है। (Credit is good ascervant but a bad master) दूसरे शब्दों में, मुद्रा की ही तरह समुचित नियंत्रण के अभाव में साख-मुद्रा अनेक गंभीर परिणामों का कारण बन सकती है। (Thus like money, credit too, if left uncontrolled might do in calculable harm to the community where it seeks to serve) किन्तु इसके निम्न-लिखित दोष भी हैं :—

(1) साख के अत्यधिक प्रसार तथा संकुचन का भय —साख का सबसे बड़ा दोष यह है कि तेजी के समय इसका अत्यधिक प्रसार तथा मंदी के समय अत्यधिक संकुचन हो जाता है जिससे मुद्रा स्फीति एव विस्फाति की प्रवृत्तियों को बल मिलता है। इस प्रकार समय-समय पर साख के संकुचन अथवा प्रसार के व्यापार में अनिश्चितता घा जाती है तथा आर्थिक स्थिति अस्त-व्यस्त हो जाती है। इससे देश एव समाज को अत्यधिक क्षति होती है।

(2) अपव्यय की सम्भावना —साख-व्यवस्था के कारण समाज में ऋण मिलने में सुगमता होती है जिससे अपव्यय को प्रोत्साहन मिलता है। इससे धीरे-धीरे समाज का नैतिक स्तर नीचे गिर जाता है। इसलिए, यह कहा जाता है कि साख प्रणाली तभी तक अच्छी होती है जबतक इस पर मनुष्य का नियंत्रण रहता है। परन्तु जब यह इत्रयं मनुष्य पर विजय प्राप्त कर लेती है तो यह बुरी स्वामिनी ग्रहित के रूप में देश के आर्थिक जीवन को दूषित कर देती है।

(3) अयोग्य तथा अकुशल व्यापारियों को प्रथय,—साख के द्वारा सरकार, व्यापारी एव उद्योगपति अपनी अयोग्यता को छुपाने में सफल होते हैं। ऋण द्वारा पूँजी प्राप्त कर ये सुगमतापूर्वक अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं, किन्तु जरा सा आर्थिक उथल पुथल होने पर ये सकट में फँस जाते हैं जिससे इनके व्यक्तिगत अहित के साथ साथ सम्पूर्ण समाज का भी अहित होता है।

(4) आर्थिक असमानता में वृद्धि (Increase in Economic inequality) — साख के प्रचलन से पूँजी के संचय को बल मिलता है। इससे धीरे-धीरे समाज का अर्थिक घन कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित हो जाता है जिससे आय एव घन के वितरण में घोर असमानता फैलने लगती है। इससे एकाधिकारी प्रवृत्तियों को भी बल मिलता है। अधिकांश धन एव आर्थिक शक्ति कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित हो जाने से समाज में अशांति भी बढ़ती है।

(5) उत्पादनाधिक्य (Problem of Over production) की समस्या —देश में साख के अत्यधिक प्रसार से उत्पादन में भी अत्यधिक वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप कभी-कभी उत्पादन इतना अधिक हो जाता है कि उत्पादनाधिक्य (Over production) की समस्या उत्पन्न हो जाती है जिससे समाज का सम्पूर्ण आर्थिक जीवन ही अस्त-व्यस्त हो जाता है।

इस प्रकार उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि यद्यपि साख से समाज को बहुत लाभ प्राप्त होते हैं, फिर भी, इससे समाज को हानि भी हो सकती है। (Like all useful and delicate instruments Credit is dangerous when abused) किन्तु साख समाज के लिए हानिकारक तब ही सिद्ध होता है जब इसका दुर्गुणयोग किया जाता है। वास्तव में, साख व्यवस्था के समुचित नियंत्रण द्वारा इसके बहुत सारे दोषों को दूर किया जा सकता है। अतएव, साख के समुचित नियंत्रण की व्यवस्था अनिवार्य है।

विशेष अध्ययन सूची

- 1 G D H Cole Money . Its Present & Future
- 2 G N Halm : Economics of Money and Banking

अध्याय : 19

लन्दन तथा न्यूयार्क मुद्रा-बाजार

(London and New York Money Market)

मुद्रा-बाजार का अर्थ (Meaning of Money Market) — प्रत्येक देश की बैंकिंग प्रणाली का स्वरूप आजकल केन्द्रीय बैंक के नियन्त्रण में अत्यन्त सुसंगठित एवं केन्द्रित होता जा रहा है, किन्तु इस प्रकार की बैंकिंग प्रणाली के संगठन में कुछ ऐसी समस्याओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है जो बैंकों के आस-पास में रहकर मुद्रा के लेन देन का कार्य करती हैं। इसी प्रकार की समस्याओं को सम्मिलित रूप से मुद्रा-बाजार कहते हैं। मुद्रा अथवा साख के लेन देन का आज प्रत्येक देश की आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। मुद्रा अथवा साख का लेन-देन दो प्रकार का होता है—अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन। उस बाजार में जहाँ मुद्रा अथवा साख का अल्पकालीन लेन देन होता है। मुद्रा बाजार (Money Market) कहते हैं तथा जहाँ पर दीर्घकालीन लेन देन होता है उसे पूँजी-बाजार (Capital Market) या शेयर-बाजार (Stock Market) कहते हैं। विश्व के अधिकांश देशों में व्यावसायिक बैंकों का सम्बन्ध मुख्यतः मुद्रा बाजार से ही रहता है, क्योंकि ये बहुधा अपने अतिरिक्त धन को मुद्रा बाजार की विभिन्न समस्याओं को अल्पकाल के लिए प्रदान करते हैं। अन्य बाजारों की तरह मुद्रा-बाजार भी यथार्थ होते हैं तथा इनकी कार्यवाही को हम लन्दन के Lombard Street तथा न्यूयार्क के Wall Street में देख सकते हैं।

मुद्रा बाजार की भी विभिन्न परिभाषाएँ दी जाती हैं। इनमें से निम्नांकित परिभाषाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं —

सर्वप्रथम तो, श्री फे० सी० चर्क के अनुसार "विस्तृत अर्थ में मुद्रा-बाजार शब्द के अन्तर्गत सभी प्रकार के पदसाग्री की वित्तीय व्यवस्था सम्बन्धी सम्पूर्ण यन्त्र-आते हैं, किन्तु प्रचलित अर्थ में मुद्रा-बाजार का प्रयोग अल्पकालीन ऋणों के लेन देन तक ही सीमित है, अर्थात्, मुद्रा-बाजार शब्द को एक ऐसे बाजार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहाँ पर अल्पकालीन राशियों का क्रय-विक्रय होता है।"


इसी प्रकार सुप्रसिद्ध विद्वान क्रॉडथर (Crowther) के अनुसार "उन फर्मों या संस्थाओं को सामूहिक रूप से मुद्रा बाजार कहते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के मुद्रा-सुलभ पत्रों (Near Money) का व्यापार करती हैं।" (The Money Market is the collective name given to various firms and institutions that deal in various grades of near money.)

इसी तरह रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (Reserve Bank of India) के एक प्रकाशन के अनुसार 'मुद्रा बाजार अल्पकालीन मौद्रिक परिसम्पत्ति के क्रय विक्रय का केन्द्र है। यह उधार लेनेवालों की अल्पकालीन ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा उधार देनेवालों को पर्याप्त मात्रा में तरलता प्रदान करता है। यह वह स्थान है जहाँ पर वित्तीय संस्थाओं तथा व्यक्तियों की निवेश-योग्य अतिरिक्त पूँजी को सरकार, संस्थाएँ अथवा व्यक्ति आदि ऋण देनेवाले बोझों लगाकर खरीदते हैं।" (A money market is the centre for dealings mainly of short term character in monetary assets, it meets the short term requirements of borrowers and provides liquidity to the lenders. It is the place where short term surplus investible fund at the disposal of financial and other institutions and individuals are bid by borrower, again comprising institutions and individuals and also the Government itself.)

मुद्रा बाजार का संगठन (Organisation of Money Market) — मुद्रा बाजार के दो पक्ष होते हैं — (क) विक्रेता अथवा ऋणदाता, एवं (ख) क्रेता अथवा ऋण लेनेवाले। इन

दोनों पक्षों में विश्व के भिन्न-भिन्न बाजारों में भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लोग तथा सम्पादन रहती हैं। मुद्रा अथवा साख के विक्रेता का आशय उन ऋणदाता तथा ऋणरता सस्य श्रो से है जो मुद्रा उधार देती हैं तथा मुद्रा के क्रेता का अभिप्राय उन ऋणियों व्यापारियों एवं उद्योगपतियों से है जो ऋण उधार लेते हैं।

मुद्रा बाजार में कुछ खास प्रकार के साख-पत्रों के आधार पर लेन-देन का कार्य होता है। ये ऐसे प्रामाणिक अल्पकालीन ऋण एवं साख-पत्र होते हैं जिनके सम्बन्ध में ऋणी तथा ऋण-दाताओं के बीच व्यक्तिगत सम्बन्ध का कोई मद्दत नहीं होता। दोनों पक्षों में यहाँ प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होकर दत्ताओं तथा व्यावसायियों के माध्यम से सम्बन्ध होता है। इनके चार मुख्य अंग होते हैं—(क) वाणिज्य पत्र-बाजार (Commercial Paper market), (ख) बैंक स्वीकृति बाजार (Banker's Acceptances market), (ग) अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार (Short-term treasury bill market), तथा (घ) अविलम्ब राशि बाजार (Call Money market)। मुद्रा बाजार के इन चारों अंगों में बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध होता है जो निम्नांकित चित्र से स्पष्ट होता है :—



मुद्रा-बाजार का समूह विल्कुल औपचारिक होता है। इसका कोई एक निश्चित स्थान नहीं होता। ऋणी, ऋणदाताओं तथा व्यापारियों के बीच लेन देन से सम्बन्ध वास्तविक टेलिफोन, तार तथा पत्र आदि के द्वारा होता है। इस प्रकार मुद्रा बाजार के सदर्भ में 'बाजार' शब्द का प्रयोग केवल उस व्यवस्था को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है जो अल्पकालीन लेन-देन से सम्बन्धित दोनों पक्षों, यानी क्रेताओं एवं विक्रेताओं को एक-दूसरे के समीप लाने में सहायक सिद्ध होता है।

मुद्रा-बाजार का आर्थिक महत्त्व (Economic Importance of Money Market) : मुद्रा बाजार की सेवाएँ वर्तमान समय में बैंकिंग तथा वित्तीय सस्वाभों, व्यवसाय एवं सरकार-सर्क्षों में, सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था के रोज ब रोज के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए अति आवश्यक है। कारण स्पष्ट है। मुद्रा बाजार के माध्यम से ही उधारकर्ताओं तथा उधार-दाताओं के बीच शीघ्र सम्पर्क स्थापित हो पाता है तथा इनके बीच बड़ी मात्रा में अल्पकालीन लेन देन समभव होता है। मुद्रा बाजार के माध्यम से ही व्यावसायिक बैंक अल्पकालीन अवधि के लिए अपनी अतिरिक्त रकम को ऋण के रूप में प्रदान कर लाभ वमाते हैं। व्यावसायिक बैंकों का प्रधान कार्य अपने ग्राहकों की रकम को जमा करना तथा माग होने पर उन्हें वापिस करना होता है। अतएव, अपने ग्राहकों की माग को पूरि के लिए उन्हें सदा अपने कुछ साधनों को पर्याप्त मात्रा में तरल बनाये रखना पडता है। व्यावसायिक बैंक मुद्रा बाजार में अपने अतिरिक्त साधनों को इस प्रकार से विनियोग करते हैं कि आवश्यकता पडने पर उन्हें शीघ्र, सुगमता से तथा बर्गर किसी हानि के बापिस ले सके हैं। इस प्रकार ये अपने साधनों की तरलता को बनाये रखने में समर्थ होते हैं तथा माग भी प्राप्त करते हैं। बड़े व्यावसायिक बैंकों के लिए इस सुविधा का बड़ा ही

महत्त्व है। इतना ही नहीं, मुद्रा-बाजार के कारण ही व्यापारी वर्ग को भी अपने पास बहुत अधिक मात्रा में नकद मुद्रा संचित करके रखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती।

मुद्रा-बाजार के माध्यम से व्यावसायिक जगत को सुगमता तथा शीघ्रता से भुगतान करने की सुविधा भी प्राप्त होती है। चेक तथा तार द्वारा बड़ी-बड़ी मात्रा में धनराशि का स्थानान्तरण सम्भव होता है। इतना ही नहीं, मुद्रा-बाजार का अत्यन्त कुशल माध्यम द्वारा मौद्रिक अधिकारी मन्दी की स्थिति में अर्थ-व्यवस्था में अधिक साल-मुद्रा का संचार करते हैं तथा तेजी की स्थिति में अर्थ-व्यवस्था से साल की मात्रा को निकाल लेते हैं। कारण यह है कि मुद्रा-बाजार अर्थ-व्यवस्था का एक अमिन्न अंग होता है तथा इसके विकास में महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा-बाजार का इतना महत्त्वपूर्ण स्थान है कि मुद्रा-बाजार में जो भी घटना घटती है, सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था पर उमका प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, तीसा की मीषण मन्दी की शुरुआत अमेरिका में वालस्ट्रीट के पतन के साथ ही प्रारम्भ हुई थी किन्तु अर्थ व्यवस्था का भी मुद्रा-बाजार पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जब अर्थ व्यवस्था पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य करती है तो मुद्रा-बाजार में कोष की मांग भी बहुत अधिक होती है। अविकसित देशों में एक सुविकसित मुद्रा-बाजार के अभाव में निजी क्षेत्र को पर्याप्त मात्रा में अल्पकालीन कोष प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

अब लन्दन तथा न्यूयार्क मुद्रा-बाजारों के संगठन के सम्बन्ध में निम्न विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है : -

लन्दन मुद्रा-बाजार

(London Money Market)

लन्दन का मुद्रा बाजार¹ विश्व का प्रमुख एवं सबसे प्राचीन मुद्रा-बाजार है। इसे बहुराज्य London Discount Market कहते हैं। बहुत दिनों तक विश्व में इसका स्थान प्रायः अद्वितीय था। आज भी लन्दन के मुद्रा-बाजार का विश्व में प्रमुख स्थान है। लन्दन मुद्रा-बाजार में अल्पकालीन कोष के लेन-देन के लिए विभिन्न प्रकार के उधारकर्ता तथा उधारदाता टेलीफोन के आधार पर लेन देन का कार्य करते हैं। इसमें लेन-देन का कार्य मुख्यतः Lombard Street में किया जाता है।

लन्दन मुद्रा-बाजार की निर्णायक सस्याएँ (Constituents of the London Money Market) .—प्रत्येक देश के मुद्रा बाजार में वहाँ के केन्द्रीय बैंक एवं व्यावसायिक बैंकों का महत्त्वपूर्ण स्थान रहता है। केन्द्रीय बैंक तो मुद्रा बाजार का आधार ही होता है। यह मुद्रा की पूर्ति का प्रधान साधन तथा मौद्रिक व्यवस्था का नियन्त्रक होता है। लन्दन मुद्रा बाजार में भी ऋणदाता के रूप में बैंक ऑफ इंग्लैंड (Bank of England) तथा वहाँ के व्यावसायिक बैंकों का प्रधान स्थान है। मुद्रा-बाजार व्यावसायिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देने का प्रधान क्षेत्र है। वास्तव में, यह व्यावसायिक बैंकों के साधनों की तरलता (liquidity of assets) को बनाये रखने में बहुत अधिक सहायता प्रदान करता है। केन्द्रीय तथा व्यावसायिक बैंक के अतिरिक्त विदेशी बैंकों (Foreign Banks) का भी लन्दन मुद्रा बाजार में प्रमुख स्थान है।

बैंक ऑफ इंग्लैंड, लन्दन के व्यावसायिक बैंकों तथा विदेशी बैंकों के अतिरिक्त लन्दन मुद्रा-बाजार में निम्नलिखित चार विशेष प्रकार की सस्याएँ बट्टा करने एवं ऋण देने का कार्य करती हैं :—

- (1) स्वीकृति गृह (Acceptance Houses),
- (2) बट्टा गृह (Discount Houses),
- (3) बिल ब्रोकर (Bill Brokers) तथा
- (4) प्रचलित दलाल (Running Brokers)।

1. "The London Money Market is a distinctive part of the British Banking system. It consists of 12 discount houses and its principal function is to marry the needs of lenders of money for short period with those of the borrowers of such money." Britain. An Official Handbook, 1968.

(1) स्वीकृति गृह (Acceptance Houses) —ये एक विशेष प्रकार की सस्थाएँ हैं जो अपने ग्राहकों की हुडियो अथवा विनिमय बिलों (Bills of Exchange) पर अपनी मुहर लगाकर उन्हें विनिमय-साध्य बनाती हैं। इन्हें Merchant Banker's भी कहा जाता है। साधारणतः, मुद्रा बाजार में हुडियो अथवा विनिमय बिलों के आधार पर ही लेन देन का कार्य किया जाता है। किन्तु मुद्रा-बाजार में कोई फर्म हुडि अथवा बिल का बट्टा (discount) करने के लिए तब तक तैयार नहीं होता जब तक कि उससे सम्बन्धित दोनों पक्षों की साख के विषय में उसे पूरी जानकारी न हो। ऐसी स्थिति में व्यापारियों को स्वीकृति-गृह से सहायता मिलती है। स्वीकृति गृह (Acceptance Houses)¹ उनसे इस कार्य के लिए कुछ कमीशन लेकर उनकी हुडियों के भुगतान की गारण्टी देते हैं। विदेशियों के बिलों की गारण्टी इनके बैंकों के माध्यम से प्रदान की जाती है। इस गारण्टी से बिल विनिमय-साध्य हो जाते हैं और कोई भी बट्टा गृह उन्हें खरीदने के लिए तत्पर हो सकता है।

स्वीकृति-गृह के पास विशाल पूँजी होती है, अतएव, जिन विनिमय बिलों पर ये अपनी स्वीकृति प्रदान कर देते हैं उनका भुगतान निश्चित हो जाता है। वास्तव में, स्वीकृति गृह की उच्च साख के कारण इनके द्वारा स्वीकृत विनिमय बिल उच्च कोटि के माने जाने लगते हैं, किन्तु पिछले कुछ वर्षों से विनिमय बिलों की मात्रा में कमी के कारण स्वीकृति गृहों का व्यापार बहुत घट गया है।

(2) बट्टा-गृह (Discount Houses) —ये ऐसी सस्थाएँ हैं जो हुडियो अथवा विनिमय बिलों को बट्टा (discount) करने का कार्य करती हैं। बट्टा-गृह इस कार्य के लिए व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेते हैं। इंग्लैंड के व्यावसायिक बैंकों के 'Loans at Call and Short Notice' का अधिकांश भाग इन्हीं बट्टा गृहों को दिया गया ऋण होता है। लन्दन मुद्रा-बाजार में तीन बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ² बट्टा गृह (Discount Houses) के नाम से विख्यात हैं। ये कम्पनियाँ व्यापारियों से उनकी हुडियो अथवा बिलों को खरीद कर उन्हें पूँजी प्रदान करती हैं। बट्टा-गृह देवी तथा विदेशी दोनों प्रकार के बिलों को खरीद कर राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। ये खरीदी गयी हुडियों को सदा अपने पास नहीं रखते, बल्कि जब उनकी अवधि समाप्त (nearing maturity) होने की रहती है, तो उन्हें व्यावसायिक बैंकों के हाथ बेच देते हैं। व्यावसायिक बैंक इन हुडियों को उनकी अवधि समाप्त होने के समय तक अपने पास रखते हैं।

(3) बिल ब्रोकर्स (Bill Brokers) —ये लन्दन मुद्रा बाजार की कुछ छोटी छोटी कम्पनियाँ हैं जिनका कार्य बहुत कुछ बट्टा गृहों की ही तरह होता है। इनकी सस्था प्रायः काल प्रायः नई है। ये पहले मुख्य रूप से सामंदायिक अथवा व्यक्तिगत व्यवसाय के आधार पर संगठित थे, किन्तु आजकल इनका संगठन समुक्त पूँजी की कम्पनियों के आधार पर हुआ है। ये स्वयं अपने लिए बिल अथवा हुडि खरीदने के साथ साथ बाहरी बैंकों एवं अन्य ग्राहकों के लिए भी हुडियाँ खरीदने तथा ऋण की व्यवस्था करने में सहायता प्रदान करते हैं।

(4) प्रचलित दलाल (Running Brokers) इनके अतिरिक्त लन्दन मुद्रा-बाजार में तीन या चार छोटी छोटी सस्थाएँ हैं जो हुडियों के खरीदने का कार्य करती हैं, किन्तु इनका मुख्य व्यवसाय बाहरी बैंकों तथा अन्य ग्राहकों के एजेंट के रूप में कार्य करना है। अतएव, उन्हें प्रचलित दलाल (Running Brokers) भी कहा जाता है।

लन्दन मुद्रा बाजार की कार्य प्रणाली (Working of the London Money Market) —बट्टा-गृहों का प्रमुख कार्य बैंकों तथा अन्य सस्थाओं से अल्पकालीन ऋण लेकर उसी

1 इसके साथ ही साथ स्वीकृति गृह (Acceptance Houses) अन्य प्रकार के वित्तीय कार्यों का अंशदान भी करते हैं। उदाहरण के लिए, ये बड़े बड़े ऋण लेनेवाली फर्मों के लिए ऋण प्राप्त करने की व्यवस्था करते हैं। इन्हें साधारणतया 'Merchant Bankers' भी कहा जाता है। लन्दन के प्रमुख स्वीकृति गृहों में Barings, Rothschilds Erlangers आदि के नाम चर्खेखनीय हैं।

2 लन्दन की तीन बड़ी बड़ी कम्पनियाँ जो बट्टा गृह का कार्य करती हैं उनके नाम इस प्रकार हैं—
The Union The National and Alexanders

के आधार पर विनिमय बिलों को खरीदना और उन्हें अपने पास रखना है। (The typical and traditional work of a discount house is to borrow money from the banks and other institutions with money to lend on short terms and use that money to buy and hold bills of exchange) ये इंग्लैंड के व्यावसायिक बैंकों के अतिरिक्त विदेशी बैंकों तथा दूसरे प्रकार के ऋणदाताओं से भी रक्या उधार लेते हैं। व्यावसायिक बैंक से ये बहुत अभियाचित एव अल्पकालीन ऋण (Loans at call and short notice) प्राप्त करते हैं। वास्तव में, व्यावसायिक बैंकों के अल्पकालीन ऋण का प्रधान साधन मुद्रा-बाजार ही है। इस प्रकार लन्दन मुद्रा-बाजार इंग्लैंड के व्यावसायिक बैंकों के साधनों की तरलता को बनाए रखने में बहुत हद तक सहायक होता है। मुद्रा बाजार बिल अथवा हुडियो को खरीदने के लिए व्यावसायिक बैंक अथवा अन्य इसी प्रकार की संस्थाओं से मुद्रा उधार लेता है। इनके लाभ का प्रधान साधन इन ऋणों को प्राप्त करने का स्वर्ण तथा बट्टा की दर (rate of discount) का अन्तर है। बट्टा-गृह व्यावसायिक बैंकों से अभियाचित ऋण (call loans) भी लेते हैं जिनके लिए इन्हें बहुत कम ब्याज देना पड़ता है, किन्तु ये भिन्न-भिन्न दरों पर बिलों को खरीदते हैं। इस प्रकार ये बिलों खानों की दर बहुत अधिक रखते हैं। अभियाचित या अल्पकालीन ऋण साधारणतः चौबीस घण्टे की अवधि के लिए लिया जाता है, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि मुद्रा बाजार उन्हें प्रति चौबीस घण्टे के बाद लौटा देता है। वास्तव में, इस प्रकार के ऋण को रोज-रोज renew कराया जाता है।

किन्तु, जब सभी बैंक मुद्रा-बाजार से अपने-अपने ऋणों की माग करने लगेंगे तो ऐसी स्थिति में मुद्रा-बाजार क्या करेगा? मुद्रा-बाजार इनके ऋणों को लौटाने के लिए कहां से इतनी अधिक मात्रा में मुद्रा प्राप्त करेगा? कुछ बिलों की अवधि प्रतिदिन पूरी होती है, अतएव, मुद्रा बाजार नयी बिलों को नहीं खरीद कर कुछ मुद्रा इस प्रकार प्राप्त कर सकता है। किन्तु इतनी मुद्रा पर्याप्त नहीं होती। ऐसी स्थिति में लन्दन के मुद्रा-बाजार को बैंक ऑफ इंग्लैंड का सहारा लेना पड़ता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड (Bank of England) इन्हें सहायता देने के लिए सदा तत्पर रहता है, किन्तु यह इन्हें एक निश्चित मूल्य पर ही सहायता देता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड मुद्रा बाजार के बिलों का पुन बट्टा (Re-discount) साधारणतया बैंक दर (Bank rate) के आधार पर करता है। बैंक-दर (Bank rate) वह दर है जिसपर केन्द्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों के विनिमय बिलों का बट्टा करता है। बैंक-दर मुद्रा-बाजार की बट्टा-दर से साधारणतया अधिक रहती है जिससे कि मुद्रा बाजार केवल आवश्यकता पड़ने पर ही केन्द्रीय बैंक से सहायता की माग करेगा। अतएव, मुद्रा-बाजार अपने बट्टा दर को बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्वीकृति दर से कम नहीं रखता। इस प्रकार बैंक ऑफ इंग्लैंड मुद्रा-बाजार की बट्टा-दर पर अपना नियंत्रण रखता है। दूसरे शब्दों में, मुद्रा-बाजार की दर बैंक-दर का अनुसरण करती है।

साथ ही, बैंक ऑफ इंग्लैंड सभी प्रकार के बिलों का बट्टा नहीं करता। यह केवल उन्हीं बिलों के आधार पर ऋण अथवा सहायता देता है जो इसके द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों को पूरी करते हैं। साधारणतया विनिमय बिलों में भी बैंक केवल उन्हीं बिलों को स्वीकार करता है जिन पर दो अच्छे ब्रिटिश हस्ताक्षर हों जिनमें से एक किसी स्वीकृति गृह (Acceptance house) का होना चाहिए। अतएव, मुद्रा-बाजार भी इसी प्रकार के बिलों को खरीदना अधिक पसन्द करता है।

मुद्रा-बाजार विनिमय बिलों को साधारणतया उनकी अवधि समाप्त होने के समय तक अपने पास नहीं रखता, वरन् इन्हें व्यावसायिक बैंकों के हाथ बेचता है। लन्दन के व्यावसायिक बैंक स्वयं व्यापारियों में विनिमय बिलों का क्रय नहीं करते। ये मुद्रा-बाजार से ही थोक-के थोक बिलों को एक साथ खरीदते हैं। ये एक ही साथ परिवर्ध होनेवाली हुडियों को नहीं खरीदते। व्यावसायिक बैंक तरलता के दृष्टिकोण से विनिमय बिलों को इस प्रकार क्रय करते हैं कि कुछ बिलों की अवधि प्रति सप्ताह पूरी होती है। बट्टा गृह (Discount houses) विनिमय बिलों को उनकी परिपक्वता (maturity) की अवधि के अनुसार चुन कर व्यावसायिक बैंकों के पास से जाते हैं और इन्हें पुन बट्टा (Re-discount) कर मुद्रा प्राप्त कर लेते हैं। बिलों की अवधि पूरी होने पर यदि इसे स्वीकार करनेवाला भुगतान देने से इन्कार करता है तो भुगतान के लिए बट्टा-गृह ही उत्तरदायी होता है। व्यावसायिक बैंक इन बिलों को उनकी अवधि पूरी होने के समय तक अपने पास

रखते हैं। बैंक साधारणतया दो महीने से अधिक की अवधि के बिल नहीं खरीदते। ऐसी स्थिति में बट्टा-गृहो का कार्य विनिमय बिलों को एक महीने या इससे कुछ अधिक समय तक अपने पास रखना है और बाद में इन्हे किसी व्यावसायिक बैंक में हाथ बेच देना है। जब बिल की अवधि समाप्त होने लगती है तो इनके बट्टा की दर भी अपेक्षाकृत कम हो जाती है। इस प्रकार बट्टा-गृह जिस दर पर विनिमय बिलों का क्रय करते हैं तथा जिस दर पर व्यावसायिक बैंकों के हाथ बेचते हैं, इन दोनों का अन्तर ही इनके लाभ का प्रधान साधन होता है। एक उदाहरण द्वारा इसे अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। मान लिया कि 3 महीने की बट्टा-दर 4 प्रतिशत वार्षिक तथा दो महीने की दर 3 प्रतिशत वार्षिक है। अतएव, इस दर पर कोई बट्टा-गृह किसी 100 रुपये के बिल को 99 रुपये पर खरीदता है और 1 महीने के बाद इसे 99 $\frac{1}{2}$ रुपये पर किसी व्यावसायिक बैंक के हाथ बेच देता है। इस प्रकार 1 महीने तक 100 रुपये के बिलों को रख कर बट्टा-गृह $\frac{1}{2}$ रुपये प्राप्त कर लेता है। यह 6 प्रतिशत वार्षिक दर के बराबर है। बट्टा-गृह की आय का यही प्रधान साधन है। इस प्रकार लन्दन मुद्रा-बाजार व्यावसायिक बैंकों के विनिमय के लिए एक महत्वपूर्ण तरल साधन प्रदान करता है।

लन्दन मुद्रा-बाजार में लेन-देन का कार्य निम्नांकित पत्रों के आधार पर किया जाता है —

- (1) विनिमय बिल (Bills of Exchange),
- (2) ट्रेजरी बिल (Treasury Bill) तथा
- (3) अन्य अल्पकालीन सरकारी ऋण-पत्र अथवा प्रतिभूतियाँ (Other short-dated Govt. bonds or securities)।

(1) विनिमय बिल (Bills of Exchange).—विनिमय बिल एक प्रकार का व्यावसायिक पत्र है जिसका प्रयोग व्यावसायिक आदान-प्रदान के लिए किया जाता है। सेयर्स (Sayers) के अनुसार “विनिमय बिल वस्तुओं के ऐसे क्रय-विक्रय, जिनके पूरा होने में समय लगता है, के लिए सुविधापूर्वक तरीके से प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन है।” (The Bill of exchange is a device for securing in a convenient form and with clearly understood legal safeguards, the financing of a transaction that takes sometime to complete) क्रॉवथर (Crowther) के अनुसार, “विनिमय बिल एक लिखित पत्र है जिसमें एक निश्चित रकम को एक निश्चित तिथि के बाद जो कमी भी तीन महीने से अधिक नहीं होना, चुकाने का वायदा अंकित रहता है।” (A Bill of Exchange is a document bearing the promise of a firm of the highest standing in the city of London to pay a stated sum on a stated day, which is never more than three months off) प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक लन्दन के मुद्रा-बाजार में विनिमय बिलों का विशेष महत्व था। लेन-देन का कार्य अधिकशतः विनिमय बिलों के आधार पर ही किया जाता था, किन्तु प्रथम महायुद्ध के बाद लन्दन मुद्रा-बाजार में विनिमय बिलों का महत्व कम होना लगा। विनिमय बिलों के महत्व में इस कमी के कई कारण हैं जिनमें युद्ध के बाद विदेशी मुद्रातान के अत्यन्त कम प्रचलन, इंग्लैंड के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी तथा ट्रेजरी बिलों की सहाय में अतिवृद्धि आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

(2) ट्रेजरी बिल (Treasury Bill) :—प्रथम महायुद्ध के बाद से लन्दन मुद्रा-बाजार में एक नयी तरह की हुण्डियों अथवा बिलों का समावेश हुआ जिसे सरकारी हुण्डो या ट्रेजरी बिल (Treasury Bill) कहते हैं। ट्रेजरी बिल ब्रिटिश सरकार का एक प्रतिज्ञा-पत्र है। (The Treasury Bill is a mere promissory note of the British Government.) ब्रिटिश सरकार बाजार में इस प्रकार की हुण्डियों को जारी कर मुद्रा प्राप्त करती है। सरकार इन हुण्डियों के द्वारा 91 दिन (या 63 दिन) बाद एक निश्चित रकम देने का वायदा करती है। इस बिल पर मुद्रा प्राप्त करनेवाले का नाम लिखने के लिए स्थान रिक्त रहता है, किन्तु नाम नहीं रहने पर इसका भुगतान वाहक को ही किया जाता है। ब्रिटिश सरकार का प्रतिज्ञा पत्र होने के कारण इन बिलों को विनिमय-साध्यता बहुत अधिक होती है। सरकार अपनी चालू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समय समय पर ट्रेजरी बिल जारी कर मुद्रा प्राप्त करती है। सरकार के लिए इस मु० मो० सं०—13

प्रकार से ऋण प्राप्त करना दीर्घकालीन ऋण की अपेक्षा अधिक सस्ता पड़ता है। साथ ही, इसमें खपया सगानेवालो के लिए भी यह सुविधाजनक होता है, क्योंकि इस प्रकार के बिलों में विनिमय-साध्यता की मात्रा बहुत अधिक होती है। केन्द्रीय बैंक के लिए भी ट्रेजरी बिल एक आदर्श पत्र का कार्य करता है, क्योंकि इनकी जमानत पर यह व्यावसायिक बैंकों को सुविधापूर्वक ऋण देने का कार्य करता है।

ट्रेजरी बिल (Treasury Bill) दो प्रकार से जारी किये जाते हैं :—

(क) सरकारी विभागों के हाथ बेचकर (Tap method), एव

(ख) खुले बाजार में बेचकर (Tender method)।

सरकारी विभागों के हाथ जब सरकार हुण्डियाँ बेचती है तो इसे (Tap method) कहते हैं। सरकारी विभागों के अतिरिक्त इस प्रकार के ट्रेजरी बिल खरीदने वाली सत्पारों में विनिमय सगकारी कोष (Exchange Equalization Account) विशेष रूप में उल्लेखनीय हैं। Tender method के अनुसार ट्रेजरी बिलों का विक्रय खुले बाजार में लदन के बैंकों, बट्टा-गृहों तथा दलालों के हाथ किया जाता है। इस प्रकार के खुले बाजार में हुण्डियाँ प्रायः प्रति सप्ताह 20 करोड़ पौंड से 30 करोड़ पौंड तक की जारी की जाती हैं। जिस दिन ट्रेजरी बिल जारी की जाती है उस दिन उन्हें 'गर्म बिल' (Hot Bill) कहते हैं। इस प्रकार के बिलों की माँग साधारण ग्राहकों द्वारा की जाती है। बैंक गर्म बिलों को अपने ग्राहकों के लिए खरीदते हैं। जब बिल सात दिन से अधिक के हो जाते हैं, तो कोई भी बैंक इन्हें खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, किन्तु ट्रेजरी बिल साधारणतया 3-4 सप्ताह तक बट्टा-गृहों के पास रहते हैं जिसके बाद व्यावसायिक बैंक इन्हें उत्सुकतापूर्वक खरीदते हैं।

(3) अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियाँ (Short-dated Govt Bonds or Securities) — महान् आर्थिक मंदी के समय से विनिमय बिलों की मात्रा में बहुत कमी हो गयी। साथ ही, ट्रेजरी बिलों पर भी मुद्रा बाजार को प्राप्त होनेवाला लाभ बहुत कम हो गया। इससे मुद्रा-बाजार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति में बट्टा-गृहों ने अल्पकालीन सरकारी ऋण पत्रों को खरीदना प्रारम्भ कर दिया। प्रथम युद्ध के बाद सरकार ने अपने बढ़ते हुए खर्चों को पूरा करने के लिए 1 वर्ष, 2 वर्ष अथवा 5 वर्ष के बहुत-से अल्पकालीन ऋण-पत्रों को जारी करना प्रारम्भ किया। जैसे-जैसे इन ऋण-पत्रों की अवधि समाप्त होती है, वे मुद्रा-बाजार के लिए सुयोग्य पत्र बनते जाते हैं। बट्टा-गृह (Discount houses) ऐसे ऋण-पत्रों को खरीदते हैं जिनकी अवधि प्रायः समाप्त होने में बहुत कम समय रह जाता है। इस प्रकार के ऋण-पत्रों पर मुद्रा-बाजार को एक निश्चित मात्रा में लाभ प्राप्त होता है।

किन्तु प्रथम विश्व युद्ध के बाद विनिमय बिलों की मात्रा में कमी आने लगी। इंग्लैंड के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी तथा अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान के अन्य तरीकों के प्रयोग के कारण राष्ट्रीय हुण्डियों की मात्रा में बहुत कमी आ गयी। पहले मुद्रा-बाजार में विनिमय बिलों के आधार पर ही लेन-देन का कार्य होता था, किन्तु युद्ध के बाद इनकी मात्रा में कमी आ गयी। अतएव, युद्ध के बाद लदन मुद्रा-बाजार में एक नयी तरह की हुंडी, जिसे ट्रेजरी बिल अथवा सरकारी हुण्डी कहा जाता है, का समावेश हुआ। ट्रेजरी बिलों का महत्त्व धीरे धीरे बहुत बढ़ गया, किन्तु जब महान् आर्थिक मंदी के समय ट्रेजरी बिलों पर प्राप्त होनेवाले लाभ की सीमा बहुत कम हो गयी तो बट्टा-गृहों (Discount houses) ने अल्पकालीन सरकारी ऋण-पत्रों (Short term Govt Bonds) को खरीदना प्रारम्भ किया। युद्ध के समय तथा बाद में भी सरकार द्वारा इस प्रकार के बहुत-से अल्पकालीन ऋण-पत्र जारी किये गये थे। इन ऋण-पत्रों की अवधि जब समाप्त होने को होती है तो बट्टा-गृह इन्हें खरीदते हैं। प्रारम्भ में, मुद्रा-बाजार की यह प्रवृत्ति बहुत खतरनाक समझी जाती थी। व्यावसायिक बैंक तथा बैंक ऑफ इंग्लैंड इस प्रकार के ऋण-पत्रों के आधार पर बट्टा-गृहों को ऋण नहीं देते थे, किन्तु जब 1945 ई० के बाद सरकार बहुत अधिक मात्रा में इस प्रकार के ऋण-पत्रों को जारी करने लगी तब उन्हें बट्टा-गृह भी खरीदने लगे और इससे सरकार के दृष्टिकोण से भी अच्छा समझा जाने लगा। मुद्रा-बाजार के इस कार्य के सम्बन्ध में सबसे बड़ी कठिनाई यह समझी जाती थी कि बिलों की अपेक्षा ऋण-पत्रों में तरलता की मात्रा कम होती थी। अतएव, अवधि समाप्त होने के पहले यदि बट्टा-गृह बेचना चाहें तो उन्हें अधिक हानि की सम्भावना बनी रहती थी। अतएव, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इस प्रकार के क्रय-विक्रय के

लिए बट्टा-गृहों की पूंजी के आघार को सबल बनाने का सुझाव दिया। फनस्वरूप, छोटे-छोटे बट्टा-गृह बड़े-बड़े बट्टा-गृहों के साथ मिल गये और इस प्रकार आजकल लन्दन मुद्रा-बाजार के किसी भी बट्टा-गृह की पूंजी 10 लाख पाउंड से कम नहीं है।

आजकल बैंक ऑफ इंग्लैंड भी बट्टा-गृहों को एक सीमा के भीतर इस प्रकार के ऋण-पत्र खरीदने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करता। बट्टा-गृहों के लिए यह सीमा उसकी कुल पूंजी के 10 गुना के बराबर निश्चित हो गयी है। दूसरे शब्दों में, बट्टा-गृह अपनी कुल पूंजी के 10 गुना तक अल्पकालीन ऋण-पत्र खरीद सकते हैं। आजकल तो इस प्रकार के ऋण-पत्रों के प्राधार पर बैंक ऑफ इंग्लैंड भी इन्हें ऋण देता है।

अब प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से लंदन मुद्रा-बाजार के इस कार्य का क्या महत्त्व है? वास्तव में बट्टा-गृहों के इस नये कार्य का बड़ा ही महत्त्व है। ये अपने इस कार्य से सरकार की महत्त्वपूर्ण सेवा करते हैं। दीर्घकालीन ऋण-पत्र जैसे जैसे परिपक्वता के निकट आते जाते हैं, वैसे-वैसे विनियोजकों (Investors) के लिए इनका महत्त्व कम होते जाता है, क्योंकि ये (विनियोजक) अपनी मुद्रा की दीर्घकालीन ऋण-पत्रों में विनियोग करना ही अधिक पसन्द करते हैं। इसलिए सरकार को एक ऐसी सत्त्वा की आवश्यकता होती है जो इस प्रकार के ऋण-पत्रों को खरीद सके। अतएव, मुद्रा-बाजार इस प्रकार के ऋण-पत्रों को खरीद कर सरकार की महत्त्वपूर्ण सेवा करते हैं। इस प्रकार वर्तमान स्थिति में लन्दन मुद्रा-बाजार द्वारा बैंकों से अल्पकालीन कर्ज, जिसे बैंक बिल्कुल तरल समझते हैं, के आघार पर इस कार्य का सम्पादन इंग्लैंड की प्राथिक व्यवस्था के लिए विशेष महत्त्वपूर्ण है। (Given all these circumstances, it is very convenient to have such an adaptable and financially elastic institution as the London discount market to hold the bonds on the basis of funds that the banks like to regard as almost as liquid as cash—Sayers)

इस प्रकार इंग्लैंड की मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था में लंदन मुद्रा-बाजार वहाँ के व्यावसायिक बैंकों के साधन को तरल बनाने में बहुत अधिक सहायक होता है। साथ ही, मुद्रा-बाजार बैंक ऑफ इंग्लैंड तथा व्यावसायिक बैंकों में सम्बन्ध भी स्थापित करता है। इंग्लैंड के व्यावसायिक बैंक सीधे बैंक ऑफ इंग्लैंड से कर्ज नहीं प्राप्त कर सकते। आवश्यकता पड़ने पर ये मुद्रा-बाजार को दिये गये अपने ऋणों की मांग करते हैं और इन्हें लौटाने के लिए मुद्रा बाजार बैंक ऑफ इंग्लैंड से ऋण लेता है। इस प्रकार मुद्रा-बाजार के माध्यम से बैंकों के साधनों की तरलता बढ़ती है।

लन्दन मुद्रा-बाजार के अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व में कमी (Decline in the International importance of the London Money Market) — प्रथम विश्व-युद्ध के बाद से लंदन मुद्रा-बाजार के महत्त्व में महान् परिवर्तन हुए हैं। प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक लन्दन का मुद्रा-बाजार विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन का एक प्रधान केन्द्र था तथा सभी अन्तर्राष्ट्रीय विलों की खरीद-बिक्री लन्दन मुद्रा-बाजार में ही होती थी, किन्तु प्रथम महायुद्ध के बाद विश्व के अन्य केन्द्रों, जैसे—न्यूयार्क, पेरिस तथा एमस्टर्डम आदि स्थानों में भी मुद्रा-बाजार का विकास होने लगा। इन केन्द्रों में भी अन्तर्राष्ट्रीय हण्डियों की खरीद-बिक्री प्रारम्भ हो गयी। इन देशों में मुद्रा-बाजार की स्थापना का प्रधान कारण केन्द्रीय बैंकिंग प्रणाली का विकास था, क्योंकि इन देशों में केन्द्रीय बैंकों ने अपनी मौद्रिक नीति के सफल संचालन के लिए सुसंगठित मुद्रा-बाजार की स्थापना को आवश्यक समझा। इससे लन्दन मुद्रा-बाजार के अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व में धीरे-धीरे कमी आने लगी। लंदन मुद्रा बाजार के अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व में कमी का एक दूसरा कारण भी था। प्रथम महायुद्ध के पूर्व विश्व के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में इंग्लैंड की प्रधानता था, किन्तु युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में इसका हिस्सा बहुत ही कम हो गया। इसके परिणामस्वरूप इसके अन्तर्राष्ट्रीय विनियोग में भी बहुत कमी आ गयी। इन सबका प्रभाव भी लन्दन मुद्रा-बाजार के अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व पर पड़ा।

लंदन मुद्रा-बाजार में आधुनिक समय में परिवर्तन

(Recent Changes in the London Money Market)

पिछले कुछ वर्षों में, विशेषतः 1960 ई० के बाद से लन्दन मुद्रा बाजार की कार्य-प्रणाली

में कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। पहले लंदन मुद्रा-बाजार में केवल बिलो तथा अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियाँ का ही क्रय-विक्रय किया जाता था, किन्तु आजकल परम्परागत बट्टा बाजार (Discount market) के अतिरिक्त लंदन मुद्रा-बाजार में तीन नये प्रकार के बाजारों—(1) यूरो-डॉलर बाजार (Euro-dollar Market), (2) स्थानीय सरकारों का बाजार (Local authorities market); तथा (3) अन्तर-बैंक बाजार (Inter-Bank market) का भी विकास हुआ है।

इनमें से पहले यूरो-डॉलर बाजार (Euro-dollar Market) का विकास हुआ। यह अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में लंदन के पुन. द्रुतगति से विकसित होने का परिणाम है। लंदन में ऐसे व्यक्ति, फर्म अथवा बैंक अधिकाधिक मात्रा में हैं जिनका डॉलर के रूप में न्यूयार्क अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी अन्य स्थान के बैंक में धन जमा होता है। अब डालर चाहनेवाले विदेशी से लंदन में आकर इनमें डालर खरीदते हैं। इतना ही नहीं, 1960 वाले दशक से लंदन में स्थित अमेरिकन बैंक 25 हजार डॉलर से अधिक के यूरो-डालर पत्र (Euro-dollar Certificates) जारी करते हैं। दूसरे प्रकार का बाजार स्थानीय सरकारों का बाजार (Local authorities Market) है जिसका विकास 1956 ई० के बाद से हुआ तथा पिछले दशक में लंदन मुद्रा-बाजार में इसकी लेन-देन सर्वाधिक हो गयी। इसमें कम-से-कम 50 हजार पाँड का लेन-देन होता है। इस प्रकार का कर्ज साधारणतया सात दिनों के लिए दिया जाता है। तीसरे प्रकार का बाजार अन्तर-बैंक बाजार (Inter-Bank market) है। यह विभिन्न बैंकों के बीच लेन-देन के लिए बाजार है। (This is a market for lending and borrowing between banks) इसमें लंदन समाप्तोद्योग-गृह से बाहर के बैंक ही हिस्सा लेते हैं। लंदन में इस प्रकार के 100 से भी अधिक बैंक हैं जो इस प्रकार के लेन-देन में शामिल होते हैं। इस प्रकार के बाजार के विकास से बट्टा-बाजार को निश्चित रूप से शक्ति उठानी पडी है। इतना ही नहीं, वर्तमान समय में ट्रेजरी बिलो की सख्या में कमी का भी मुद्रा-बाजार पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडा है।

न्यूयार्क का मुद्रा-बाजार

(New York Money Market)

न्यूयार्क के मुद्रा-बाजार का विकास प्रथम महायुद्ध के बाद हुआ। यह लन्दन मुद्रा-बाजार से पूर्णतया भिन्न है। यह अल्पकालीन ऋण के लिए विश्व में अपने ढंग का अकेला संगठित बाजार है। न्यूयार्क के मुद्रा-बाजार में लन्दन मुद्रा-बाजार की तरह स्वीकृति-गृह (Acceptance houses) एवं बट्टा-गृह (Discount houses) नहीं हैं। वहाँ का मुद्रा-बाजार व्यापारियों के एक छोटे से समूह के हाथ में है जिनमें पाँच प्रमुख बैंक तथा इनके अतिरिक्त लगभग 12 अन्य संस्थाएँ अथवा व्यक्ति हैं जो न्यूयार्क के वाल स्ट्रीट (Wall Street) में केन्द्रित हैं। इनका सम्बन्ध मुख्यतः अल्पकालीन सरकारी ऋणियों से रहता है। अमेरिकन बैंकिंग प्रणाली में सदस्य बैंकों का वहाँ के केन्द्रीय बैंक, यानी फेडरल रिजर्व सिस्टम (Federal Reserve System) से सीधा सम्पर्क रहता है। सदस्य बैंक आवश्यकता पडने पर सीधे फेडरल रिजर्व बैंक से सहायता अथवा ऋण ले सकते हैं। इस प्रकार की बात इंग्लैंड की बैंकिंग प्रणाली में नहीं पायी जाती है। इस प्रकार स्वीकृति-गृहों एवं बट्टा गृहों के अभाव में न्यूयार्क मुद्रा-बाजार में सदस्य बैंकों की ही प्रधानता रहती है।

न्यूयार्क मुद्रा-बाजार¹ में लेन-देन का कार्य निम्नलिखित साधनों के आधार पर होता है :—

1. न्यूयार्क मुद्रा बाजार के संगठन के सम्बन्ध में विशेष जानकारों Robert V. Roosa के निम्न बयान से प्राप्न होता है—“The New York Money market is a network of telephone lines linking themselves with the Federal Reserve Banks, the five great dealer banks, and about a dozen non-bank dealers, clustered in Wall Street, but also linking them with other dealers in securities, a variety of miscellaneous financial institutions and with the larger banks throughout the country.” Robert V. Roosa—Federal Reserve Operations in Money and Government Securities Markets.

- (1) व्यावसायिक पत्र (Commercial Papers),
- (2) विनिमय बिल (Bills of Exchange),
- (3) शेयर बाजार को दिया जानेवाला ऋण, तथा
- (4) ट्रेजरी सर्टिफिकेट (Treasury certificates)।

(1) व्यावसायिक पत्र (Commercial Papers)—यह न्यूयार्क मुद्रा-बाजार में लेन-देन का एक प्राचीन एवं अतीव साधन है। यह एक प्रकार का अल्पकालीन प्रतिज्ञा पत्र (Short-term Promissory Note) है जिसे कुछ व्यवसायी विशेष स्थिति में अल्पकालीन ऋण प्राप्त करने के लिए जारी करते हैं। इस प्रकार के पत्रों की अवधि साधारणतया तीन महीने से लेकर छ महीने तक की होती है। कोई सदस्य-बैंक इस प्रकार के पत्र को तभी खरीदता है जब उसे उस फर्म विशेष की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त रहती है। साधारणतया जब कोई सदस्य-बैंक व्यावसायिक पत्र (Commercial paper) खरीदता है तो वह उसे उसकी परिपक्वता की अवधि तक अपने पास रखता है, किन्तु इन पत्रों को फेडरल रिजर्व बैंक से पुनः बट्टा मो कराय जा सकता है। बट्टा कराने की सुविधा व्यावसायिक पत्र की परिपक्वता की अवधि पर निर्भर करती है। इस प्रकार व्यावसायिक पत्रों की प्रधानता न्यूयार्क मुद्रा-बाजार की एक प्रमुख विशेषता है। लन्दन में इस प्रकार का कोई साधन नहीं है, किन्तु न्यूयार्क मुद्रा-बाजार में भी व्यावसायिक पत्रों का अब उतना महत्त्व नहीं रह गया है, यद्यपि पिछले कुछ वर्षों से पुनः इनके महत्त्व में वृद्धि हो रही है।

(2) विनिमय बिल—न्यूयार्क मुद्रा-बाजार में विनिमय बिलों के आधार पर भी लेन-देन का कार्य होता है। विनिमय बिलों को खरीद कर बैंक जिस साल की गृष्टि करते हैं उसे Banker's Acceptances कहते हैं। इस प्रकार की बात लन्दन मुद्रा-बाजार में नहीं पायी जाती है। लन्दन मुद्रा बाजार में व्यावसायिक बैंक बट्टा-गृहों से विनिमय बिलों का क्रय करते हैं, किन्तु अमेरिका में बट्टा-गृहों (Discount houses) के अभाव में सदस्य-बैंक सीधे व्यापारियों से ही विनिमय बिलों को खरीदते हैं। अतएव, विनिमय-बिलों की तरलता को धारणा लन्दन की अपेक्षा न्यूयार्क में भिन्न है। बट्टा-गृहों के अभाव में विनिमय-बिल वास्तव में उतने तरल नहीं रह जाते हैं। न्यूयार्क मुद्रा-बाजार में 1920 ई० से 1929 ई० तक Banker's Acceptances का महत्त्व बहुत अधिक था, किन्तु आजकल इनका महत्त्व पुनः बहुत कम हो गया है।

(3) शेयर बाजार को दिया जानेवाला ऋण—अमेरिका में लन्दन मुद्रा-बाजार जैसा मुद्रा-बाजार नहीं होने के कारण वहाँ के सदस्य बैंक मुद्रा-बाजार को अल्पकालीन ऋण (Loans at Call and Short Notice) नहीं दे सकते। ऐसी स्थिति में यहाँ के बैंक शेयर बाजार को अल्पकालीन ऋण (Call Loans) देते हैं। अमेरिका में बैंक भी कम्पनियों के हिस्से में अपनी पूँजी लगाते हैं। वहाँ के बैंकों के विनियोग (Investment) का प्रविकाश भाग शेयर-बाजार को दिये जानेवाले ऋण का ही होता है। इस प्रकार इस ऋण में भी दोनों मुद्रा-बाजारों में बहुत विभिन्नता पायी जाती है, किन्तु शेयर-बाजार को दिये जानेवाले ऋण का अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। शेयर-बाजार को दिये गये ऋण को सट्टे-बाजी में प्रयुक्त किया जाता है जिससे इस प्रकार का ऋण वहाँ की बैंकिंग तथा आर्थिक व्यवस्था को अस्थायी बना देता है। उदाहरण के लिए, 1924 ई० में 1929 ई० के बीच अमेरिका में हुई तेजी शेयर बाजार की प्रतिभूतियों की तेजी थी जिसके लिए वहाँ के बैंक बहुत हद तक उत्तरदायी थे, किन्तु शेयर बाजार को उस तेजी का आधार बिल्कुल खोसला था जिससे 1929 ई० में इसका एक-एक अन्त हो गया तथा महान् आर्थिक मन्दी का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए, अमेरिकी सरकार ने 1933 ई० में शेयर-बाजार को दिये जानेवाले ऋणों पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इस प्रतिबन्ध के अनुसार कोई भी बैंक शेयर-बाजार की प्रतिभूतियों के मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत से अधिक कर्ज नहीं दे सकता। यह प्रतिशत समय-समय पर फेडरल रिजर्व सिस्टम द्वारा निश्चित किया जाता है।

(4) ट्रेजरी सर्टिफिकेट (Treasury Certificates)—ये लन्दन मुद्रा-बाजार के ट्रेजरी बिल (Treasury bills) के ठीक समान हैं। इनके द्वारा सरकार अल्पकालीन कर्ज प्राप्त करती है। न्यूयार्क में बैंक तथा मुद्रा-बाजार की सन्ध्याएँ ट्रेजरी सर्टिफिकेट को खरीद कर सरकार को अल्पकालीन ऋण प्रदान करती हैं। यहाँ के ट्रेजरी बिल भी लन्दन मुद्रा-बाजार के ट्रेजरी बिलों

की ही तरह होते हैं। ये टेन्डर मेयड द्वारा साप्ताहिक आघार पर तीन महीने की अवधि के लिए जारी किये जाते हैं। इनका अधिकांश भाग, लगभग दो-तिहाई भाग, न्यूयार्क में ही खरीद लिया जाता है। एक बार जारी करने के बाद ट्रेजरी बिलो में सक्रिय बाजार रहता है।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र के रूप में न्यूयार्क मुद्रा-बाजार—1914 ई० के बाद न्यूयार्क मुद्रा-बाजार का विश्व के वित्तीय केन्द्र के रूप में विकास प्रारम्भ हुआ और द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात् इसने सफलतापूर्वक लन्दन मुद्रा-बाजार के विश्व नेतृत्व की चुनौती दी है। इस अवधि में न्यूयार्क मुद्रा-बाजार के अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र के रूप में विकसित होने के निम्नांकित प्रधान कारण हैं—

(i) 1933 ई० में फेडरल रिजर्व व्यवस्था (Federal Reserve System) की स्थापना से अमेरिका की मौद्रिक सस्याओं को बहुत अधिक शक्ति प्राप्त हुई।

(ii) 1914-1918 के प्रथम विश्वयुद्ध तथा 1920 वाले दशक के मौद्रिक संकटों ने यूरोप के अनेक मुद्रा-बाजारों के महत्त्व को कम कर दिया, किन्तु अमेरिका इनसे मुस्यत. अप्रभावित ही रहा।

(iii) संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वर्ण का बड़े पैमाने पर अन्तर्गमन हुआ जिससे डॉलर की शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि हुई।

(iv) इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय महायुद्ध के दौरान एक सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक राष्ट्र के रूप में सामने आया।

(v) और अन्ततः, इस अवधि में संयुक्त राज्य अमेरिका ने बड़े पैमाने पर पूंजीगत साधन एकत्र कर लिये थे जिनका वह दूसरे देशों में निर्यात करने लगा। साथ ही, द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका एक महान् ऋणदाता के रूप में विश्व में प्रकट हुआ। इसी बीच न्यूयार्क में ऐसी वित्तीय सस्थाओं का तेजी से विकास हुआ जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के लेन-देन को सभालना प्रारम्भ किया। इनके अतिरिक्त इस स्थिति के लिए निम्नांकित कारण भी उत्तरदायी हैं (1) अमेरिका में इस अवधि में सरकार द्वारा कार्यान्वित विशाल सहायता कार्यों के कारण सरकारी लेन-देन में भारी वृद्धि हुई। (ii) अविश्वसित तथा अर्द्ध विकसित देशों को बड़े पैमाने पर अमेरिकी सहायता प्रदान करने के कारण इस अवधि में बड़े पैमाने पर अमेरिकी पूंजी का विदेशों में प्रवाह प्रारम्भ हुआ। (iii) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सस्थाएँ जैसे—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-बाजार, विश्व बैंक आदि के रूप में भी इस अवधि में पर्याप्त विस्तार हुआ।

इस प्रकार आजकल न्यूयार्क मुद्रा-बाजार का बहुत तेजी से विकास हो रहा है। इस मुद्रा-बाजार में लेन-देन की मात्रा भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। यहाँ पर बैंक तथा अन्य सस्थाओं में न्यूयार्क के बैंकों से अतिरिक्त नकद मुद्रा (Spare Cash) प्राप्त करने की होड़-सी लगी रहती है, किन्तु लन्दन मुद्रा-बाजार में इस प्रकार की प्रवृत्ति का सर्वथा अभाव है। वहाँ बट्टा-गृह ही बैंकों से इस प्रकार की मुद्रा को ऋण के रूप में ले लिया करते हैं, किन्तु संयुक्त-राज्य अमेरिका के भौगोलिक विस्तार तथा वहाँ की बैंकिंग व्यवस्था के सगठन में विभिन्नता के कारण यह प्रवृत्ति सदा वर्तमान रहेगी।

किन्तु, लन्दन एव न्यूयार्क मुद्रा-बाजारों में उक्त विभिन्नताओं के बावजूद वर्तमान समय में इनमें बहुत कुछ समानता भी होती जा रही है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में विल बाजार का विकास किया जा रहा है और बैंक शेयर-बाजार को कम ऋण दे रहे हैं। इसी प्रकार वर्तमान समय में इंग्लैंड में भी बैंक अपने साधनों का प्रयोग शेयर बाजार को दिये जानेवाले ऋणों में कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि इन दोनों बाजारों में एकरूपता की प्रवृत्ति का धीरे-धीरे विकास हो रहा है।

विशेष अध्ययन-सूची

1. Crowther
2. Sayers

- : An Outline of Money, Chapter II
: Modern Banking, Chapter III

अध्याय : 20

भारतीय मुद्रा-बाजार

(Indian Money Market)

मुद्रा बाजार का अर्थ (Meaning of Money Market) :—पिछले अध्याय में इस बात की व्याख्या की गयी है कि मुद्रा के लेन-देन दो प्रकार के होते हैं—(क) अल्पकालीन लेन-देन (Short term lending and borrowing) तथा (ख) दीर्घकालीन लेन-देन (Long term lending and borrowing)। जिस बाजार में मुद्रा के अल्पकालीन लेन-देन का कार्य होता है उसे मुद्रा-बाजार (Money market) तथा जहाँ पर दीर्घकालीन लेन-देन का कार्य होता है उसे पूँजी बाजार (Capital market) कहते हैं। दूसरे शब्दों में, मुद्रा बाजार में अल्पकालीन ऋण का लेन-देन होता है जबकि पूँजी बाजार में भ्रशो, ऋण-पत्रों तथा अन्य दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय होता है।

— मुद्रा बाजार को कई प्रकार से पारिभाषित किया गया है। इनमें निम्नांकित उल्लेखनीय हैं :—

फेडरल रिजर्व बैंक के एक प्रकाशन के अनुसार 'मुद्रा-बाजार ऐसी मौद्रिक परि-सम्पत्तियों के लेन-देन के लिए सक्रिय बाजार है जिन्हें वित्तीय संस्थाएँ सामान्य व्यवसाय के अन्तर्गत अपनी-अपनी आर्थिक स्थिति को यथेष्ट तरल बनाये रखने के लिए रखती हैं।'

इसी प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक प्रकाशन के अनुसार 'मुद्रा-बाजार अल्प-कालीन मौद्रिक परि-सम्पत्तियों के क्रय-विक्रय का केन्द्र है। यह उधार लेनेवालों की अल्प-कालीन ऋण-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करता तथा ऋणदाताओं को तरलता प्रदान करता है।'

इसी प्रकार डॉ० सेन के अनुसार 'मुद्रा बाजार का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसमें व्यावसायिक विनिगम बिलों, अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियाँ, एव बैंकर्स स्वीकृतियाँ इत्यादि के आधार पर अल्पकालीन ऋण के लेन-देन का कार्य होता है।'

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 'मुद्रा-बाजार का अभिप्राय उस समस्त क्षेत्र से होता है जहाँ पर मुद्रा तथा साख के क्रय-विक्रय करनेवाले परस्पर एक-दूसरे के सम्पर्क में रहकर अल्पकाल के लिए मुद्रा अथवा साख का क्रय-विक्रय करते हैं।'


भारतीय मुद्रा-बाजार की प्रधान विशेषताएँ (Main Features of the Indian Money Market) :— भारतीय मुद्रा-बाजार की प्रमुख विशेषता इसकी द्विधासिता (Dichotomy) है, यानी इसे स्पष्ट रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। (1) प्राथमिक अथवा समाहित मुद्रा-बाजार तथा, (2) देशी अथवा असमाहित मुद्रा-बाजार। आधुनिक मुद्रा-बाजार के अन्तर्गत रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक तथा अन्य 14 राष्ट्रीयकृत बैंक, मिश्रित पूँजीवाले बैंक तथा सहकारी बैंक आदि आते हैं। इनके अतिरिक्त जीवन बीमा निगम, औद्योगिक वित्त निगम, युनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया आदि विभिन्न सरकारी एव अर्द्ध-सरकारी वित्तीय संस्थाएँ भी ऋण देने का कार्य करती हैं। दूसरी ओर, देशी मुद्रा-बाजार में देशी महाजन तथा साहूकार आदि आते हैं। इस प्रकार भारतीय मुद्रा-बाजार लन्दन तथा न्यूयार्क मुद्रा-बाजार से पूर्णतया भिन्न है। इसका कारण स्पष्ट है। उन देशों में केन्द्रीय बैंक का सम्पूर्ण मुद्रा-बाजार पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण रहता है, किन्तु भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का सम्पूर्ण मुद्रा-बाजार पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण नहीं है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ स्वदेशी बैंकर तथा महाजनों की ही प्रधानता है जिन पर रिजर्व बैंक का अभी तक प्रभावपूर्ण नियन्त्रण नहीं हो पाया है। रिजर्व बैंक की स्थापना के पूर्व मुद्रा-बाजार के इन दोनों भागों में बिल्कुल कोई सम्पर्क नहीं था, किन्तु स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना से अब मुद्रा-बाजार के इन दोनों भागों की दूरी धीरे-धीरे कम होती जा रही है।

भारतीय मुद्रा-बाजार की निर्मायक संस्थाएँ (Constituents of the Indian Money Market).—मुद्रा-बाजार के भी दो पक्ष होते हैं—(क) विक्रता अथवा ऋणदाता, एव (ख) क्रेता अथवा ऋण लेनेवाले। इन दोनों पक्षों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के व्यक्ति तथा संस्थाएँ आती हैं।

भारतीय मुद्रा-बाजार की निम्नलिखित प्रमुख निर्मायक संस्थाएँ हैं —

(क) **ऋणदाता (Lenders)** :—भारतीय मुद्रा-बाजार के ऋणदाताओं को निम्नांकित तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है :—

भारतीय मुद्रा-बाजार के ऋणदाता



मुद्रा-बाजार में संगठित क्षेत्र के ऋणदाताओं में निम्नलिखित प्रधान हैं—(i) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, (ii) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तथा अन्य 14 राष्ट्रीयकृत बैंक, (iii) मिश्रित पूंजीवाले बैंक, (iv) विनिमय बैंक, तथा v) जीवन बीमा निगम, औद्योगिक वित्त निगम, युनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया आदि जैसी वित्तीय संस्थाएँ। संगठित मुद्रा-बाजार में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का केन्द्रीय स्थान है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 ई० को हुई थी। इसकी स्थापना के पूर्व देश में असंगठित मुद्रा-बाजार का अभाव था। रिजर्व बैंक के बाद स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तथा अन्य 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों का स्थान है। अमेरिका की ही तरह भारत में भी मिश्रित पूंजीवाले बैंकों का रिजर्व बैंक से सीधा सम्पर्क है। इसी प्रकार सहकारी क्षेत्र (Co-operative Sector) में सहकारी बैंक एव सहकारी साख समितियाँ आदि आती हैं। पिछले कुछ वर्षों से सहकारी साख समितियों तथा बैंकों की कार्यवाही का भी पर्याप्त मात्रा में विस्तार हुआ है। तृतीय क्षेत्र यानी असंगठित क्षेत्र (Unorganised sector) में स्वदेशी बैंक एव साहूकार आदि आते हैं। स्वदेशी बैंक तथा महाजन भी कई प्रकार के होते हैं। इनके लेन-देन की प्रथा भी अन्य संस्थाओं से सर्वथा भिन्न होती है। ये भिन्न-भिन्न स्थानों तथा भिन्न-भिन्न व्यक्तियों से पृथक् पृथक् दर से सौद भी वसूलते हैं। देश में मुद्रा तथा साख की पूर्ति में, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में, आज भी इन बैंकों की ही प्रधानता है।

(ख) **ऋण लेनेवाले (Borrowers)** — भारतीय मुद्रा-बाजार में ऋण लेनेवालों के अन्तर्गत निम्नांकित संस्थाएँ प्रधान हैं — (i) केन्द्रीय सरकार, (ii) राज्य तथा स्थानीय सरकारें, (iii) व्यापारी एव उद्योगपति, तथा (iv) कृषक।

भारतीय मुद्रा-बाजार के विभिन्न अंग — भारतीय मुद्रा-बाजार में विनिमय बिलों, प्रतिज्ञा-पत्रों, कम्पनियों के हिस्से तथा ऋण-पत्रों, अल्पकालीन प्रतिभूतियों एव नकद मुद्रा के आधार पर लेन-देन का कार्य होता है। दूसरे शब्दों में, भारतीय मुद्रा बाजार में निम्नांकित उप-बाजार (Sub-markets) हैं —

(1) **माँग पर देय ऋणों का बाजार (The call money market)**—यह संगठित भारतीय मुद्रा-बाजार का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार के ऋणों का लेन-देन विशेष रूप से बैंकों के बीच अपनी अस्थायी जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है। ऐसे ऋण ऋणदाता की माँग पर देय होते हैं। अन्य बैंकों की अपेक्षा विदेशी विनिमय बैंक ऐसे ऋण अधिक लेते हैं, क्योंकि वे अपने पास अधिक मात्रा में नकद कोष नहीं रखते। माँग पर देय ऋणों की व्याज की दर सामान्यतः प्रतिशत से 3 प्रतिशत के बीच रहती है।

(2) **अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार (Short-term Government Securities Market)**—द्वितीय महायुद्ध तक भारतीय मुद्रा-बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की मात्रा बहुत कम थी और केवल इम्पीरियल बैंक (अब स्टेट बैंक) तथा अन्य कुछ बैंक ही सरकारी ट्रेजरी बिल्स एव अन्य सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदते थे। अब मिश्रित पूंजीवाले बैंक, सहकारी बैंक, बीमा कम्पनियाँ तथा जन-साधारण, सभी लोग अपने घन को अल्पकालीन सरकारी प्रति-

भूतियो मे अधिक विनियोजित करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया सरकारी प्रतिभूतियो का सबसे बड़ा धारक है। यह सरकारी प्रतिभूतियो का क्रय-विक्रय भी करता है।

(3) समपार्श्विक ऋण-बाजार (Collateral Loan Market) — भारतीय मुद्रा-बाजार का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग समपार्श्विक ऋण बाजार है। इसमे विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक बैंक सम्मिलित रहते हैं जो अल्पकाल के लिए अधिविकल्प, नकद साख या प्रत्यक्ष ऋण समपार्श्विक प्रतिभूतियो (जैसे—सरकारी प्रतिभूतियाँ, कम्पनियो, के ऋण-पत्र, स्टॉक आदि) की जमानत के आधार पर देते हैं। स्टॉक ब्रोकर स्टॉक और बॉण्ड के आधार पर बहुधा इन ऋणो को खरीदते हैं।

(4) बिल बाजार (Bill Market) — भारत मे सगठित बिल-बाजार का संबंध अभाव रहा है यद्यपि समी बड़े-बड़े बैंक अपने व्यापारियो को बिलो को भुनाने (Discount) की सुविधा प्रदान करते हैं। सन् 1952 से ही रिजर्व बैंक ने एक बिल बाजार योजना प्रारम्भ की है। फिर भी, देश मे अभी तक सुसगठित बिल बाजार स्थापित नहीं हो पाया है।

भारतीय मुद्रा बाजार के मुख्य दोष

(Main Defects of the Indian Money Market)

किन्तु, भारतीय मुद्रा बाजार अनेक दोषो से परिपूर्ण है। इन दोषो के कारण इसकी तुलना लन्दन तथा न्यूयार्क जैसे सुसगठित मुद्रा बाजारो से नहीं की जा सकती। संक्षेप मे, भारतीय मुद्रा-बाजार के निम्नलिखित प्रमुख दोष हैं—

(1) समुचित सगठन का अभाव—भारतीय मुद्रा-बाजार सही अर्थो मे सगठित नहीं है। इसके विभिन्न अंगो मे परस्पर सगठन एवं सहयोग का अभाव है। भारतीय मुद्रा-बाजार के दो प्रधान अंग हैं—आधुनिक मुद्रा बाजार तथा देशी मुद्रा-बाजार। इन दोनो की कार्य-प्रणाली मे भी अत्यधिक विभिन्नता पायी जाती है। आधुनिक मुद्रा-बाजार मे रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, भारतीय व्यावसायिक बैंक तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाएँ तथा देशी मुद्रा-बाजार मे देशी महाजन एवं साहूकार इत्यादि आते हैं। मुद्रा बाजार के इन दोनो अंगो मे पारस्परिक सहयोग का अभाव है। एक दूसरे को अपना प्रतिद्वन्दी मानता है। देशी महाजन एवं साहूकार की कार्यविधियो पर अभी तक रिजर्व बैंक वा कोई प्रभावपूर्ण नियंत्रण नहीं हो पाया है। देश के वृहत् आकार, मातापित के साधनो के अभाव बैंकिंग की सुविधाओ की अपर्याप्तता तथा साधनो मे गतिशीलता के अभाव आदि भी सगठित मुद्रा-बाजार के विकास मे बाधक सिद्ध हो रहे हैं। देश के विभिन्न भागो मे व्याज-दर मे समानता नहीं पायी जाती है। बैंक-दर मे परिवर्तन का प्रभाव भी बाजार दर पर बहुधा नहीं पड़ता है। इस प्रकार उचित सगठन एवं सहयोग के अभाव मे भारतीय मुद्रा-बाजार वा ढाँचा बहुत ढीला-डाला है।

(2) ब्याज की दरों में विभिन्नता—भारतीय मुद्रा-बाजार का दूसरा प्रधान दोष बाजार के मित्त-मित्त भागो मे ब्याज की दरों मे विभिन्नता है। केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति के अनुसार ब्याज की दरें $\frac{3}{4}$ % से लेकर 10 प्रतिशत तक होती हैं। बैंक-दर, व्यावसायिक बैंको की ब्याज-दर तथा महाजनों की ब्याज-दरों मे कोई सम्बन्ध नहीं है। सबकी ब्याज-दरें अलग-अलग रहती हैं। कभी-कभी तो विभिन्न व्यक्तियो के लिए भी ब्याज की दरों मे विभिन्नता पायी जाती है। बाजार दरों मे विभिन्नता के कारण ऋण पत्रों के मूल्यो मे उच्चावचन होने लगते हैं जिनका वाणिज्य एवं उद्योग पर बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ता है। लन्दन मुद्रा बाजार के विभिन्न अंगो मे सहयोग होने के कारण वहाँ ब्याज की दरें बैंक दर का अनुकरण करती ह, किन्तु भारतीय मुद्रा बाजार मे इस प्रकार की बात नहीं पायी जाती है।

(3) सुविकसित एवं सुसगठित बिल-बाजार का अभाव—विकसित मुद्रा-बाजार के लिए एक सुविकसित बिल-बाजार का होना नितात आवश्यक है, किन्तु भारत मे अभी तक एक सुसगठित एवं सुव्यवस्थित बिल-बाजार का अभाव है। इसके कई कारण हैं जिनमे निम्न-लिखित प्रमुख हैं—

(1) बैंक बहुधा अपने धन को प्रथम शेणी की प्रतिभूतियो मे ही लगाते हैं, यानी अपनी सम्पत्ति को अत्यधिक तरल साधन के रूप मे रखना अधिक पसन्द करते हैं।

(ii) भारत में स्वीकृति-गृहों (Acceptance Houses) का अभाव है जिससे बिल से सम्बन्धित व्यापारियों को आर्थिक स्थिति का समुचित ज्ञान नहीं हो पाता ।

(iii) बिलों को पुनः नट्टा करनेवाली संस्थाओं का भी देश में अभाव है, लेकिन रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद यह कठिनाई दूर हो गयी है ।

(iv) बिलों की विविधता भी एक सुव्यवस्थित बिल-बाजार के मार्ग में कठिनाई उपस्थित करती है । भारत में बिल एवं हुटियाँ विभिन्न स्थानों में विभिन्न भाषाओं में लिखी जाती हैं । साथ ही, इनके रूप एवं प्रकृति में भी विभिन्नता पायी जाती है ।

(v) ट्रेजरी बिलों की अधिकता—देश में राज्य एवं केन्द्रीय सरकारें अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 30 से 90 दिनों की अवधि के ट्रेजरी बिल जारी करती हैं । इन बिलों में विनियोग अधिक सुरक्षित समझा जाता है तथा इनमें तरलता की मात्रा भी बहुत अधिक होती है ।

उपरोक्त सभी कारणों से भारत में सगठित बिल-बाजार का अभाव है जिसका प्रभाव मुद्रा-बाजार पर भी पड़ता है ।

(4) मुद्रा-बाजार में धन का अभाव (Paucity of Loanable funds)—भारतीय मुद्रा-बाजार का एक प्रमुख दोष माँग की तुलना में धन की पूर्ति का अभाव है । इसके विभिन्न कारण हैं जैसे—विनियोग एवं बैंकिंग व्यवस्था का अतिक्रमण होना, समय-समय पर बैंकों के फेल होने से जनता का इनके प्रति अविश्वास तथा जनता में बैंकिंग आदतों का अभाव आदि प्रमुख हैं । वास्तव में, हमारे देश में जनसाधारण बैंकों में अपना रुपया जमा करने में हिचकते हैं । ये अपनी बचत को छपाकर (Hoarding) रखते हैं जिससे मुद्रा बाजार में धन का अभाव हो जाता है । भारतीय मुद्रा-बाजार में धन के अभाव का एक प्रमुख कारण देश की निर्धनता भी है ।

(5) मुद्रा की माँग में मौसमी परिवर्तन (Seasonal variations in the demand for Loans)—भारत में मुद्रा-बाजार का एक प्रधान दोष मुद्रा की माँग में मौसमी परिवर्तन भी है । व्यापार के खास-खास मौसम में मुद्रा की माँग में वृद्धि हो जाती है, किन्तु पूर्ति में अनुसूचित वृद्धि नहीं होने के कारण बाजार में कठिनाई होने लगती है । इसके फलस्वरूप ब्याज की दरों में भी वृद्धि होती है । इस प्रकार मुद्रा की माँग में मौसमी परिवर्तन हुआ करता है । यह मुद्रा-बाजार का एक प्रमुख दोष है ।

(6) देशी बैंकर्स तथा महाजनों की अधिकता (Abundance of money-lenders and indigenous bankers)—भारतीय मुद्रा-बाजार में देशी बैंकर्स तथा महाजनों की अधिकता है । इन पर रिजर्व बैंक का किसी प्रकार का भी नियंत्रण नहीं है । देशी बैंकर्स पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होने के कारण ये मुद्रा-बाजार को अपनी कार्यवाहियों से यदा-कदा लुप्त-व्यस्त कर डालते हैं । अतः देशी बैंकर्स तथा महाजनों की अधिकता के कारण भी भारतीय मुद्रा-बाजार में बहुत सारे दोष उत्पन्न हो गये हैं ।

(7) विशिष्ट साल-सम्बन्धी संस्थाओं का अभाव—भारत में कृषि, उद्योग तथा व्यापार आदि की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में विशिष्ट साल-सम्बन्धी संस्थाओं जैसे—मूँमि-वन्धक बैंक, औद्योगिक बैंक, सहकारी बैंक तथा बट्टा-गृह (Discount houses) आदि का अभाव है ।

(8) समाशोधन गृहों का अभाव (Lack of Clearing houses) भारत में कुछ प्रमुख नगरों को छोड़कर अन्यत्र समुचित ढंग से व्यवस्थित समाशोधन गृहों का अभाव पाया जाता है जिससे बैंकों को अपने दायित्व को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में नकद मुद्रा रखनी पड़ती है । यह भारतीय मुद्रा-बाजार का एक प्रधान दोष है ।

भारतीय मुद्रा-बाजार के दोषों को दूर करने के सुझाव

(Suggestions to remove the defects of the Indian Money Market)

भारतीय मुद्रा-बाजार में सगठन का अभाव है, किन्तु देश में सुसगठित आर्थिक व्यवस्था के निर्माण के लिए एक सुव्यवस्थित मुद्रा-बाजार की स्थापना अति आवश्यक है । इसके लिए

समय-समय पर बहुत-सी समितियों तथा आयोगों ने विभिन्न प्रकार के सुझाव प्रस्तुत किये हैं जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं —

(1) लाइसेंसदार भण्डार-गृहों का निर्माण (Establishment of Licensed warehouse) —अन्य देशों की तरह भारत में भी बैंकों को लाइसेंसदार भण्डार-गृहों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रांतीय सरकारें इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं। इन्हीं भण्डार गृहों में रखी गयी वस्तुओं की जमानत पर बैंक सुविधापूर्वक ऋण दे सकते हैं।

(2) हुण्डियों का प्रमाणीकरण (Standardization of Hundies) —देश के भिन्न भिन्न भागों में मापा तथा स्थानीय रीति रिवाजों में विभिन्नता के कारण हुण्डियों में भी विभिन्नता पायी जाती है। इससे लेन-देन के कार्य में कठिनाई होती है। इन हुण्डियों का प्रमाणीकरण भी आवश्यक है। अतः इनके प्रमाणीकरण की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे मुद्रा-बाजार में कठिनाई नहीं होने पाये।

(3) साख-पत्रों के पुनः बट्टा कराने (Re discounting) की सुविधा का विस्तार— देश में साख-पत्रों के समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही, मुदती हुण्डियों एवं अन्य साख पत्रों के आधार पर ऋण देने की व्यवस्था होनी चाहिए। रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक तथा अन्य 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों को बिलों के पुनः बट्टा के लिए सभी सम्भव सुविधाएँ देनी चाहिए।

(4) देशी बैंकों का रजिस्ट्रेशन तथा इनके कार्यों पर नियन्त्रण — हमारे देश में आज भी साख-व्यवस्था के अन्तर्गत देशी बैंकर्स तथा महाजनो का स्थान प्रमुख है, किन्तु इन पर रिजर्व बैंक का किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं रहता है। अतः देश में मुद्रा बाजार के समुचित सगठन के लिए देशी बैंकर्स तथा महाजनो पर समुचित नियन्त्रण आवश्यक है। रिजर्व बैंक द्वारा इनके कार्यों पर नियन्त्रण होना चाहिए।

(5) समाशोधन गृहों का पुनर्गठन (Re-organization of Clearing Houses) — मुद्रा बाजार के विकास में समाशोधन-गृहों का भी विशेष महत्त्व है, किन्तु भारत में समाशोधन-गृहों का बहुधा स्थानीय स्तर पर सगठन होता है जिससे मुद्रा-बाजार के विकास में कठिनाई होती है। अतः समाशोधन गृहों का यूरोपीय-गृहों के आधार पर सगठन होना चाहिए।

(6) स्वीकृति गृहों तथा बट्टा-गृहों की स्थापना (Establishment of Acceptance houses and Discount houses) — भारतीय मुद्रा-बाजार के विकास के लिए लन्दन तथा न्यूयार्क मुद्रा बाजार की तरह यहाँ पर भी स्वीकृति-गृहों तथा बट्टा-गृहों की स्थापना की जानी चाहिए। ये स्थापनाएँ सभी प्रकार के व्यापारिक बिलों तथा हुण्डियों की स्वीकृति तथा बट्टे का कार्य करेंगी।

(7) बट्टा दरों में कमी (Reduction in Discount Rates) — देश में बिलों को लोकप्रिय बनाने के लिए बैंकों को अपनी कटौती की दरों में यदासम्भव कमी करनी होगी।

(8) स्टाम्प कर में कमी (Reduction in Stamp Tax) — बिलों को जनसाधारण में लोकप्रिय बनाने के लिए इनके स्टाम्प-करों में कमी अनिवार्य है।

(9) सरकार द्वारा बचत को प्रोत्साहन — मुद्रा-बाजार में अधिक मात्रा में कोष की व्यवस्था के लिए सरकार को जनसाधारण में बचत को प्रोत्साहित करने की नीति अपनानी चाहिए।

उक्त उपायों द्वारा भारतीय मुद्रा बाजार के दोषों को दूर किया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों से, विशेषतः रिजर्व बैंक की स्थापना तथा इसके राष्ट्रीयकरण के बाद से, मुद्रा-बाजार के उपरोक्त दोषों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है तथा इसमें कुछ सफलता भी प्राप्त हुई है। 14 बड़े-बड़े व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण से भी इसमें कुछ सहायता की आशा है। फिर भी इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

भारत में बिल बाजार

(Bill Market in India)

बिल बाजार का अर्थ (Meaning of Bill Market) — बिल बाजार का तात्पर्य एक ऐसे बाजार या स्थान अथवा क्षेत्र से होता है जहाँ हुण्डियों तथा व्यापारिक बिलों के आधार

पर ऋण दिया जाता है और हुण्डियो एव बिलो के क्रय-विक्रय तथा कटौती (Discount) का कार्य किया जाता है। साधारणतया, व्यापारी अथवा उद्योगपति बिल बाजार में हुण्डियो या बिलो के विक्रेता होते हैं, क्योंकि इन्हें ऋण की आवश्यकता होती है और बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएँ इन बिलो को खरीदती हैं। किसी भी देश में संगठित मुद्रा-बाजार के विकास तथा साव-यत्र के सुविधापूर्वक संचालन के लिए एक सुसंगठित बिल बाजार का होना आवश्यक है, परन्तु भारत में अभी तक इस प्रकार के बिल बाजार का पर्याप्त मात्रा में विकास नहीं हो पाया है।

रिजर्व बैंक की बिल बाजार योजना (Bill Market Scheme of the Reserve Bank of India).—जनवरी, 1952 ई० में रिजर्व बैंक ने देश में बिल-बाजार के विकास के लिए एक योजना प्रस्तुत की। इस योजना के अनुसार स्टेट बैंक भीड़वाले मौसम में जायज व्यापार के लिए जारी की गयी बिलो अथवा हुण्डियो के आधार पर करैसी विभाग से ऋण प्राप्त कर सकता है।

रिजर्व बैंक की बिल-बाजार योजना की निम्नांकित प्रधान विशेषताएँ हैं :—

(1) बिल पर ऋण देना — इस योजना के अन्तर्गत रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंको को अवधि प्रतिज्ञा-पत्री अथवा अन्तर्देशीय बिलो की जमानत पर ऋण देने की व्यवस्था की है।

(2) बिल की अवधि :—जिन अन्तर्देशीय बिलो की जमानत पर ऋण दिया जाता है उनका भुगतान 90 दिनों में होना चाहिए।

(3) ऋण देने की रीति :—(अ) इस योजना के अन्तर्गत जो भी बैंक ऋण लेना चाहता है उसे रिजर्व बैंक के बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास या कानपुर में से किसी कार्यालय के पास अपना आवेदन पत्र भेजना पड़ता है। (ब) इसके साथ मान्य बिलो (90 दिनों वाले प्रतिज्ञा-पत्र या बिल) को भी भेजना पड़ता है, जिनपर कम-से-कम दो अच्छा हस्ताक्षर (एक अनिवार्य रूप से किसी अनुसूचित बैंक का) होना चाहिए। आवश्यक जाँच-पड़ताल के बाद यदि रिजर्व बैंक को सतोष हो जाता है तो वह ऋण दे देता है, परन्तु रिजर्व बैंक द्वारा उधार दी गई राशि उस रकम से अधिक नहीं हो सकती जो मदस्य बैंक किसी अन्य व्यापारी को ऋण के रूप में देगा।

(4) ऋण देने की नीति : रिजर्व बैंक इस आधार पर ऋण देने के लिए केवल पर्याप्त जमानत का ही ध्यान नहीं रखता, किन्तु बैंक की कार्य पद्धति की भी जाँच करता है।

(5) ऋण की शर्तें — प्रारम्भ में इस योजना के अन्तर्गत केवल उन्हीं अनुसूचित बैंको को ऋण देने की व्यवस्था की गयी थी जिनके पास 10 करोड़ रुपये या इससे अधिक जमा (Deposits) था। आगे चलकर जून 1953 से इस योजना के अन्तर्गत उन बैंको को भी सम्मिलित कर लिया गया जिनका जमा कम-से-कम 5 करोड़ रुपये था। बाद में इस योजना के अन्तर्गत सभी बैंको को इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए बिलो के आधार पर दिये गये ऋण पर रिजर्व बैंक बैंक-दर से $\frac{1}{2}$ प्रतिशत कम सूद की दर लेता था। साथ ही, रिजर्व-बैंक कर्ज लेनेवाले लोगों के बिलो के स्टाम्प का आधा भाग स्वयं वहन करता था।

बिल-बाजार के विकास पर इस कार्य क्रम का अच्छा प्रभाव पड़ा है। अक्टूबर, 1958 ई० से रिजर्व बैंक ने निर्यात प्रोत्साहन के उद्देश्य से निर्यात बिलो को भी इसके अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया।

विशेष अध्ययन-सूची

1. R. B. I : Reserve Bank of India : Functions and Working
2. Rao, S. K. : 'The Indian Money Market.

अध्याय : 21

केन्द्रीय बैंकिंग

(Central Banking)

केन्द्रीय बैंक का आशय (Meaning of Central Bank) :—केन्द्रीय बैंक का देश की बैंकिंग एवं मौद्रिक व्यवस्था में प्रधान स्थान होता है। यह सरकार का एक अंग (Organ of the Government) है जो सरकार के अधिकांश वित्तीय कार्यों का सम्पादन करता है। इन्हीं वित्तीय कार्यों के सम्पादन के सिलसिले में यह मौद्रिक एवं बैंकिंग सस्थाओं की कार्य-प्रणाली को इस प्रकार से नियंत्रित करता है जिससे कि सरकार की आर्थिक नीति सफलीभूत हो सके।

इस प्रकार केन्द्रीय बैंक का देश की मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था में केन्द्रीय स्थान होता है। प्रो० केन्ट के अनुसार "केन्द्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है जिसे जनहित में मुद्रा के परिमाण में विस्तार तथा संकुचन का कार्य दिया गया हो।" (It may be defined as an institution charged with the responsibility of managing the expansion and contraction of money in the interest of the general public welfare.) वास्तव में, केन्द्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है जो देश की आर्थिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए देश की साख एवं केन्द्रीय नीति का नियमन एवं निर्देशन करता है। केन्द्रीय बैंक का देश की मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था में केन्द्रीय स्थान होता है। इसीलिए, विल रोजर्स (Will Rogers) ने कहा है कि "There have been three great inventions since the beginning of time : fire, the wheel and the central banking." वर्तमान समय में प्रायः सभी देशों में केन्द्रीय बैंक देश की सरकार के स्वामित्व के अन्तर्गत कार्य करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रो० सेमुयलसन (Samuelson) ने केन्द्रीय बैंक की परिभाषा इस प्रकार से दी है : "केन्द्रीय बैंक एक ऐसा बैंक है जिसे देश की सरकार अपने लेन-देन के कार्य करने, व्यावसायिक बैंकों को नियंत्रित करने तथा राष्ट्र की मुद्रा को पूर्ण एवं साख-व्यवस्था के नियंत्रण में सहयोग देने के लिए स्थापित करती है।" (A central bank is a bank that the Government sets up to handle its transactions to co-ordinate and control the commercial banks and, most important, to help and control the nation's money and credit conditions)

विकास :—यद्यपि केन्द्रीय बैंकिंग व्यवस्था का विकास बहुत पहले से ही प्रारम्भ हो चुका था, फिर भी, बीसवीं शताब्दी के पूर्व तक इनके सम्बन्ध में कोई स्पष्ट धारणा नहीं हो सकी थी। अधिकांश प्राचीन देशों में कोई एक बैंक धीरे-धीरे नोट जारी करने तथा सरकार के बैंक की हैसियत से केन्द्रीय बैंक का स्थान ग्रहण कर रहा था। अधिकांश प्राचीन केन्द्रीय बैंकों की स्थापना पहले ही की जा चुकी थी। उदाहरण के लिए, 1656 ई० में रीस बैंक ऑफ स्वीडन (Rerhs Bank of Sweden) तथा 1694 ई० में बैंक ऑफ इंग्लैण्ड की स्थापना हुई थी। इसी प्रकार 1800 ई० में बैंक ऑफ फ्रांस (Bank of France), 1857 ई० में जर्मनी के रीस बैंक (Reichs Bank) तथा 1860 ई० में रूस के बैंक ऑफ रसा (Bank of Russia) की स्थापना हुई, किन्तु

1. केन्द्रीय बैंक की कुछ अन्य परिभाषाएँ इस प्रकार से हैं :—

- (a) Bank of International Settlement के अनुसार : "The central bank is the bank to which has been entrusted the duty of regulating the volume of credit and currency in the country."
- (b) Vera Smith के अनुसार : "The central banking is a banking system in which a single bank has either a complete or a residuary monopoly of note issue."
- (c) Klesh and Elkin के अनुसार : "A central bank is that bank the essential duty of which is maintenance of stability of the monetary standard."

बैंक ऑफ इंग्लैंड ने सर्वप्रथम 1844 ई० में केन्द्रीय बैंक के रूप में कार्य करना प्रारम्भ किया। प्रारम्भ में इन बैंकों को केन्द्रीय बैंक नहीं कह कर उन्हें साधारणतया नोट जारी करनेवाला बैंक (Bank of Issue) या राष्ट्रीय बैंक (National Bank) कहा जाता था, किन्तु धीरे-धीरे इन बैंकों ने केन्द्रीय बैंक के अन्य कार्यों का भी सम्पादन प्रारम्भ किया जिससे देश की मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था में इनका केन्द्रीय स्थान हो गया और इस प्रकार ये केन्द्रीय बैंक कहलाने लगे। इस प्रकार वर्तमान केन्द्रीय बैंकों में ब्रिटेन का बैंक ऑफ इंग्लैंड (Bank of England) तथा स्वीडन का रीच बैंक (Reichs Bank of Sweden) सबसे प्राचीन केन्द्रीय बैंक हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड (Bank of England) विश्व में पहला बैंक है जिसने केन्द्रीय बैंक के कार्यों एवं अधिकारों को ग्रहण किया। अतएव, विश्व में केन्द्रीय बैंकिंग व्यवस्था के विकास में इस बैंक ने अग्रगण्य का कार्य किया है। अन्य देशों के केन्द्रीय बैंकों की स्थापना इसके बाद में हुई।

यद्यपि उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक यूरोप के अधिकांश देशों में केन्द्रीय बैंकों की स्थापना हो चुकी थी, किन्तु बहुत-सारे नये देशों में तबतक केन्द्रीय बैंक स्थापित नहीं किये गये थे। 1913 ई० में संयुक्त राज्य अमेरिका की केन्द्रीय बैंकिंग प्रणाली (Federal Reserve System) की स्थापना हुई जो 12 फेडरल रिजर्व बैंकों का एक सघ है जो अपने अपने क्षेत्र में प्रायः स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। 1920 ई० में ब्रूसेल्स (Brussels) के अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सम्मेलन (International Financial Conference) में इस आशय का एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि जिन देशों में केन्द्रीय बैंक नहीं हैं वहाँ इनकी स्थापना के लिए यथाशीघ्र प्रयास करना चाहिए। परिणामस्वरूप कुछ ही समय में विश्व के प्रायः सभी देशों में एक-एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना हुई। भारत में भी 1935 ई० में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (Reserve Bank of India) की स्थापना हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (International Monetary Fund) की स्थापना से भी अफ्रिका तथा एशिया के नये-नये देशों में केन्द्रीय बैंकिंग के विकास में अधिक सहायता मिली है।

निम्न सूची¹ से अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सम्मेलन (International Financial Conference) के पश्चात् विश्व के प्रमुख देशों में केन्द्रीय बैंकिंग के विकास के सम्बन्ध में मन्दाजा लगता है —

स्थापना का वर्ष	केन्द्रीय बैंक का नाम
1921	(i) South African Reserve Bank
1922	(i) Reserve Bank of Peru (re-organised in 1931 as Central Reserve Bank of Peru) (ii) Bank of Latvia (iii) Bank of Lithuania
1923	(ii) Bank of Republic of Columbia
1924	(i) National Bank of Hungary (ii) Bank of Poland (iii) Bank of Danzig (iv) Commonwealth Bank of Australia and Bank of the Republic of Uruguay were converted into Central Bank
1925	(i) National Bank of Albania (ii) National Bank of Czechoslovakia (iii) Central Bank of Chile (iv) Central Bank of Guatemala

स्थापना का वर्ष	केन्द्रीय बैंक का नाम
1927	(1) Central Bank of Equador
1928	(1) Central Bank of China
1929	(11) National Bank of Iceland converted into Central Bank
1931	(1) Central Bank of Bolivia
1932	(1) Central Bank of the Turkish Republic
1932	(1) Bank of Mexico
1934	(1) Reserve Bank of New Zealand
	(11) Central Reserve Bank of Salvador
1935	(1) Bank of Canada
	(11) Reserve Bank of India
	(111) Central Bank of the Argentine Republic
1936	(1) Bank of the Republic of Paraguay
1937	(1) National Bank of Costa Rica
1939	(1) Central Bank of Venezuela
1941	(1) National Bank of Afganistan
	(11) National Bank of Nicaragua
1942	(1) Central Bank of Ireland
	(11) Bank of Thailand
	(111) State Bank of Ethiopia
1945	(1) Central Bank of Poland
1947	(1) Central Bank of Dominion Republic
1948	(1) State Bank of Pakistan
	(11) Union Bank of Burma
	(111) Central Bank of Phillipines
	(1111) National Bank of Cuba
1949	(1) National Bank of Iraq
1950	(1) Central Bank of Ceylon
	(11) Central Bank of Honduras
1952	(1) Central Bank of Belgian Congo
	(11) Bank of Issue of Associated State of Indo China
1954	(1) Bank of Israel
1957	(1) Bank of Ghana
1958	(1) Central Bank of Malaya
1959	(1) Central Bank of the State of West Africa.
1960	(1) Bank of Sudan
1962	(1) Bank of Jamaica
1963	(1) Central Bank of Algeria
1965	(1) Bank of Lebanon

केन्द्रीय एवं व्यावसायिक बैंकों में प्रधान अन्तर (Main points of Distinction between Central and Commercial Banks) — केन्द्रीय बैंक और व्यावसायिक बैंकों की कार्य प्रणाली में बहुत अन्तर है। केन्द्रीय बैंक का देश की मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था में केन्द्रीय स्थान होता है। इसका उद्देश्य देश की बैंकिंग व्यवस्था का इस प्रकार से नियंत्रण करना है जिससे कि सरकारी मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन में सुविधा हो सके। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक की कार्य-प्रणाली व्यावसायिक बैंकों से सर्वथा भिन्न होती है। सर्वप्रथम तो, व्यावसायिक बैंकों की तरह

केन्द्रीय बैंक का उद्देश्य अधिकतम मुनाफा कमाना नहीं होता है। इसका प्रधान उद्देश्य देश में आर्थिक स्थायित्व की स्थापना के लिए समुचित मौद्रिक नीति का कार्यान्वयन है। इस उद्देश्य से देश की सम्पूर्ण मौद्रिक प्रणाली पर इसका नियन्त्रण अनिवार्य हो जाता है। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक का देश के व्यावसायिक बैंकों पर नियमन एवं नियन्त्रण रहता है। देश की मौद्रिक नीति को सुचारु रूप से कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय बैंक साधारणतया राज्य के नियन्त्रण में रहता है।

द्वितीयतः, केन्द्रीय बैंक देश की मुद्रा का उद्गम होता है। आजकल प्रायः प्रत्येक देश में पत्र-मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार केन्द्रीय बैंक को ही प्राप्त है। अतएव, केन्द्रीय बैंक पर सरकार का नियन्त्रण अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में दो विचार नहीं हो सकते, किन्तु प्रश्न यह है कि सरकार एक केन्द्रीय बैंक में वास्तविक सम्बन्ध क्या होना चाहिए? सर्वप्रथम तो, यह कहा जा सकता है कि केन्द्रीय बैंक की व्यवस्था सरकारी विभाग की तरह की जा सकती है, किन्तु ऐसा होने से बैंक के दिन-प्रति-दिन के कार्य में अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप होने लगेगा जिससे बैंक की कार्य-क्षमता में कमी आ जायेगी तथा केन्द्रीय बैंक सरकार के हाथ की कठपुतली बन जायेगा। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि केन्द्रीय बैंक पर राज्य का सामान्य नियन्त्रण रहे, किन्तु इसकी व्यवस्था स्वतन्त्र रूप से होनी चाहिए। आजकल अधिकांश देशों में राज्य एवं केन्द्रीय बैंक का सम्बन्ध प्रायः इसी प्रकार का है। केन्द्रीय बैंक साधारणतया राज्य के स्थायित्व तथा नियन्त्रण के अन्तर्गत रहता है, किन्तु इसकी व्यवस्था स्वतन्त्र रूप से की जाती है। राज्य केन्द्रीय बैंक के मुनाफे में भी हिस्सा बँटाता है तथा इसके संचालक-मण्डल की नियुक्ति में राज्य का हाथ रहता है, किन्तु राज्य द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत बैंक स्वतन्त्रतापूर्वक अपना कार्य करता है। इस प्रकार माण्टेग्यू नार्मन (Montague Norman) के शब्दों में, "राज्य एक केन्द्रीय बैंक का सर्वाधिक उचित सम्बन्ध वही है जिसमें राज्य एवं बैंक दोनों की नीति में उचित सामंजस्य हो।" भिन्न-भिन्न देशों में केन्द्रीय बैंक के ढाँचे में विभिन्नता पायी जाती है किन्तु आधुनिक युग में सर्वत्र केन्द्रीय बैंक प्रायः सार्वजनिक संस्था के रूप में कार्य करते हैं तथा इनकी व्यवस्था भी स्वतन्त्र रूप से की जाती है।

अब, विश्व के कुछ प्रमुख देशों के केन्द्रीय बैंकों का निम्न विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है :-

बैंक ऑफ इंग्लैंड

(Bank of England)

बैंक ऑफ इंग्लैंड ग्रेट-ब्रिटेन का केन्द्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1694 ई० में पार्लियामेंट के एक विशेष कानून के अनुसार मिश्रित पूँजी की कम्पनी के आधारे पर हुई थी, किन्तु 1946 ई० के बैंक ऑफ इंग्लैंड ऐक्ट (Bank of England Act) के अनुसार इसका राष्ट्रीयकरण किया गया तथा राज्य ने इसकी सम्पूर्ण पूँजी ले ली। तब से यह एक सार्वजनिक संस्था के रूप में कार्य करता है। इस बैंक की व्यवस्था के लिए एक गवर्नर, एक डिप्युटी गवर्नर तथा 16 डाइरेक्टर्स होते हैं जिनकी नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन द्वारा की जाती है। गवर्नर तथा डिप्युटी गवर्नर की नियुक्ति पाँच वर्षों के लिए तथा डाइरेक्टर्स की नियुक्ति चार वर्षों के लिए होती है। इनमें से प्रतिवर्ष चार डाइरेक्टर्स विमुक्त हो जाते हैं।

आजकल बैंक की वास्तविक व्यवस्था का कार्य इसके गवर्नर, डिप्युटी गवर्नर तथा चार पूर्णकालिक संचालकों (Full time executive directors) द्वारा किया जाता है। बैंक की कार्यवाही की जिम्मेवारी गवर्नर के हाथ में है, किन्तु प्रमुख निर्णयों के लिए बैंक को अपने बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स पर आश्रित रहना पड़ता है। आवश्यक परामर्श के लिए एक ट्रेजरी कमिटी (Committee of the Treasury) रहती है जिसमें गवर्नर, डिप्युटी गवर्नर तथा पाँच डाइरेक्टर्स रहते हैं। बैंक की कार्यवाही में इस कमिटी का स्थान सर्वाधिक प्रमुख है, किन्तु पूर्णकालिक संचालकों की नियुक्ति के बाद से इसके महत्त्व में कुछ कमी आ गयी है। गवर्नर, डिप्युटी गवर्नर तथा संचालकों

1. " ... the policy of the Bank and the policy of the Govt. should at all times be in harmony, in as complete harmony as possible. I look upon the Bank as having the unique right to offer advice and to press such advice even to the point of nagging, but always of course, subject to the supreme authority of the Government."—Montague Norman, Governor of the Bank of England.

के रूप में वे ही व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं जिन्हें केन्द्रीय बैंकिंग की कार्यवाही के सम्बन्ध में पर्याप्त अनुभव प्राप्त रहता है।

बैंक ऑफ इंग्लैंड एक कॉरपोरेशन है जिसकी शक्तियों का नियंत्रण इसके चाटर द्वारा होता है। चाटर के अनुसार बैंक को बहुत ही व्यापक अधिकार प्राप्त है। साथ ही, बैंक के नियंत्रण में ट्रेजरी का भी प्रमुख हाथ है। 1916 ई० के अधिनियम के अनुसार ट्रेजरी को बैंक की कार्यवाही के सम्बन्ध में निम्नलिखित अधिकार दिये गये हैं —

- (क) समय-समय पर ट्रेजरी बैंक ऑफ इंग्लैंड के मन्तव्य की राय से बैंक का ऐसा आदेश दे सकती है जो जनहित के लिए आवश्यक हो, तथा
- (ख) ट्रेजरी द्वारा दिये गये आदेशों को ध्यान में रखते हुए बैंक ऑफ इंग्लैंड के कार्य बक के चाटर्स के अनुसार इसके बोर्ड द्वारा नियंत्रित किये जायेंगे।

1946 ई० के अधिनियम में इस प्रकार की भी व्यवस्था की गयी है जिसके अनुसार बैंक अपने मुनाफे का एक निश्चित प्रतिशत मांग ट्रेजरी को देगा। इस अधिनियम की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता यह है कि इसके अनुसार बैंक ऑफ इंग्लैंड को वहाँ के व्यावसायिक बैंकों की कार्यवाही के नियंत्रण के सम्बन्ध में कानूनी अधिकार दिये गये हैं। इसके पूर्व ऐसा करने के लिए बैंक को केवल नैतिक दबाव पर ही निर्भर करना पड़ता था। अब, बैंक ऑफ इंग्लैंड किसी भी बैंक से किसी खास विषय के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकता है अथवा ट्रेजरी के आदेश से उस बैंक से ऐसी सिफारिश कर सकता है तथा आदेश दे सकता है जिसके अनुसार बैंक को दी गयी सिफारिशें कार्यान्वित हों, किन्तु व्यावसायिक बैंकों को नियंत्रित करने की इसकी शक्ति को निम्नलिखित दो सीमाएँ हैं—(1) ऐसा करने के लिए उसे ट्रेजरी से आदेश लेना पड़ता है, तथा (2) बैंक ऑफ इंग्लैंड किसी बैंक की पूरी कार्यवाही के बारे में ही आदेश दे सकता है।

इस प्रकार बैंक ऑफ इंग्लैंड अब किसी भी बैंक को उसकी कार्यवाही के सम्बन्ध में आदेश दे सकता है। उदाहरण के लिए, यह किसी बैंक को एक निश्चित परिमाण में नकद कोष रखने के लिए आदेश दे सकता है या किसी खास उद्योग को कर्ज देने में अधिक सुविधा देने का आदेश दे सकता है किन्तु किसी प्रकार के आदेश देने के लिए बैंक को ट्रेजरी का समर्थन रहना अनिवार्य है। ट्रेजरी का समर्थन रहने पर केन्द्रीय बैंक के रूप में बैंक ऑफ इंग्लैंड के अधिकार बहुत ही व्यापक हैं, किन्तु यद्यपि बैंक ऑफ इंग्लैंड को बहुत ही व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त हैं फिर भी, यह मुख्यतः अपने प्रभाव के उपयोग के लिए नैतिक दबाव (Informal communication and persuasion) का ही प्रयोग करता है। इस उद्देश्य से बैंक ने दो समितियाँ बनायी हैं—एक चेयरमैन की समिति तथा दूसरी जेनरल मैनेजरो की समिति जिनके साथ समय-समय पर परामर्श के द्वारा बैंक अपने प्रभाव का उपयोग करता है। इसी प्रकार स्वीडिश-गृह समिति तथा मुद्रा बाजार-परिषद् हैं जिनके द्वारा बैंक मुद्रा-बाजार की कार्यवाही पर भी अपना प्रभाव डालता है।

बैंक ऑफ इंग्लैंड की वर्तमान विशेषता यह है कि यह पहले की तरह आजकल कोई विस्तृत वार्षिक विवरण नहीं प्रकाशित करता। इसका वर्तमान वार्षिक विवरण अन्य केन्द्रीय बैंकों से सर्वथा भिन्न रहता है। इसका प्रधान कारण इंग्लैंड के अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान की विषयना (Unfavourable Balance of Payments) है। ऐसी स्थिति में बैंक द्वारा देश की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में विवरण प्रकाशित करने का अर्द्धा प्रभाव नहीं पड़ सकता है।

द्वितीय महायुद्ध के बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड तथा ब्रिटिश बैंकिंग के क्षेत्र में दो नयी प्रवृत्तियों का सूत्रपात हुआ है—सब-प्रथम व्यावसायिक बैंक तथा बैंक ऑफ इंग्लैंड के बीच अब प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित होना शुरू हो गया है जिनमें मरकरी हुडियी के आचार पर व्यावसायिक बैंकों ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से प्रत्यक्ष रूप से महायुद्ध लेना प्रारम्भ कर दिया है।

द्वितीयतः, बैंक ऑफ इंग्लैंड व्यावसायिक बैंकों तथा मुद्रा बाजार की समस्याओं को बैंक-दर पर सहायता देने के लिए सदा तत्पर रहता है।

फेडरल रिजर्व प्रणाली

(The Federal Reserve System)

सयुक्त राज्य अमेरिका का केन्द्रीय बैंक 12 रिजर्व बैंकों की एक सम्मिलित प्रणाली है जिसे फेडरल रिजर्व प्रणाली (Federal Reserve System) कहते हैं। यह अपने दम की एक अनोखी प्रणाली है। इस प्रणाली की स्थापना अनेक आर्थिक संकटों के बाद 1913 ई० के एक अधिनियम के अनुसार हुई तथा इनमें 1914 ई० में अपना कार्य प्रारम्भ किया।

अमेरिका की फेडरल रिजर्व प्रणाली में 12 फेडरल रिजर्व बैंक हैं। प्रत्येक फेडरल रिजर्व बैंक का कार्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित रहता है। इस उद्देश्य से सम्पूर्ण देश को 12 फेडरल रिजर्व डिस्ट्रिक्ट में विभाजित किया गया है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक रिजर्व बैंक रहता है। इस समय इन 12 रिजर्व बैंकों की भी कई शाखाएँ हैं। नीचे की सारिणी में फेडरल रिजर्व डिस्ट्रिक्ट, फेडरल रिजर्व बैंक तथा उनकी शाखाओं का विवरण दिया जाता है।—

FEDERAL RESERVE DISTRICTS, FEDERAL RESERVE BANK AND THEIR BRANCHES

Federal Reserve District Number	District Banks	Head Office
1	Federal Reserve Bank of Boston	Boston
2	Federal Reserve Bank of New York Branches Buffalo New York	New York
3	Federal Reserve Bank of Philadelphia	Philadelphia
4	Federal Reserve Bank of Cleveland Branches Cincinnati Ohio, Pittsburgh, Pennsylvania	Cleveland
5	Federal Reserve Bank of Richmond Branches : Baltimore, Maryland, Charlotte, North Carolina	Richmond
6	Federal Reserve Bank of Atlanta Branches Birmingham, Alabama, Nashville, Tennessee Jacksonville, Florida, New Orleans, Louisiana	Atlanta
7	Federal Reserve Bank of Chicago Branches : Detroit, Michigan	Chicago
8	Federal Reserve Bank of St. Louis Branches Little Rock, Arkansas, Louisville, Kentucky, Memphis, Tennessee	St. Louis
9	Federal Reserve Bank of Minneapolis Branches Helena, Montana	Minneapolis
10.	Federal Reserve Bank of Kansas City Branches Denver Colorado, Oklahoma City, Oklahoma Omaha Nebraska	Kansas City
11.	Federal Reserve Bank of Dallas Branches El Paso, Texas Houston, San Antonio, Texas	Dallas
12.	Federal Reserve Bank of San Francisco Branches : Los Angeles California Portland Oregon, Salt Lake City, Utah, Seattle Washington	San Francisco

इन रिजर्व बैंकों की पूंजी प्रत्येक क्षेत्र के सदस्य बैंकों द्वारा दी गयी है। प्रत्येक सदस्य बैंक (Member Bank) द्वारा उसकी कुल परिदत्त पूंजी एव जमा के 3 प्रतिशत के बराबर

पूँजी प्रदान की गयी है। 30 अप्रैल, 1963 ई० को फेडरल रिजर्व बैंक की कुल सम्पत्ति 546 बिलियन डालर थी। सदस्य बैंक इन बैंकों के 1/3 भाग डायरेक्टरों का भी चुनाव करते हैं और इस प्रकार रिजर्व बैंक की कार्य-प्रणाली पर इनका प्राथिक नियन्त्रण रहता है, किन्तु केन्द्रीय बैंकिंग-सम्बन्धी सभी महत्त्वपूर्ण कार्य एक केन्द्रीय सस्था, फेडरल रिजर्व प्रणाली के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हाथ में रहता है। अतएव, बैंक की कार्यवाही के संचालन में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में समुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 7 सदस्य रहते हैं। इनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में सीनेट की स्वीकृति अनिवार्य होती है। इनकी नियुक्ति 14 वर्षों के लिए की जाती है। इनमें एक चेयरमैन तथा एक उप-चेयरमैन रहते हैं जिनकी नियुक्ति सीनेट की स्वीकृति से राष्ट्रपति 14 वर्षों के लिए करता है। इस केन्द्रीय सस्था का देश की सम्पूर्ण बैंकिंग व्यवस्था पर नियन्त्रण होता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का प्रधान कार्यालय वाशिंगटन में है।

बोर्ड निम्नांकित तीन प्रमुख कार्यों को सम्पन्न करता है —

- (1) यह फेडरल रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बैंकिंग-सम्बन्धी कार्यों को नियन्त्रित करता है,
- (2) यह फेडरल रिजर्व बैंक के संचालन की देख रेख करता है, तथा
- (3) सम्पूर्ण देश के वित्तीय कार्यों पर नियन्त्रण रखता है।

फेडरल रिजर्व बैंक अपने कुल लान में से अधिक से अधिक 6 प्रतिशत भाग हिस्सेदारों के बीच वितरित करते हैं। शेप लान में से कुछ फेडरल ट्रेजरी को दिया जाता है और शेप सुरक्षित कोष में जमा कर दिया जाता है।

फेडरल रिजर्व बैंक तथा बैंक ऑफ इंग्लैंड में अन्तर (Distinction between Federal Reserve Bank & Bank of England)—इस प्रकार फेडरल रिजर्व प्रणाली तथा बैंक ऑफ इंग्लैंड में कुछ महत्त्वपूर्ण अन्तर हैं। सर्वप्रथम तो, बैंक ऑफ इंग्लैंड की सम्पूर्ण पूँजी अब सरकार की है जबकि फेडरल रिजर्व प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक रिजर्व बैंक की पूँजी उस क्षेत्र विशेष के सदस्य बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है। फेडरल रिजर्व प्रणाली में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की नियुक्ति एक बार में 14 वर्षों के लिए की जाती है जबकि बैंक ऑफ इंग्लैंड के डायरेक्टरों की नियुक्ति केवल 4 वर्षों के लिए की जाती है। साथ ही बैंक ऑफ इंग्लैंड पर फेडरल रिजर्व प्रणाली की अपेक्षा ट्रेजरी का नियन्त्रण कुछ अधिक है। इस प्रकार दोनों देशों के केन्द्रीय बैंकों में उपरोक्त महत्त्वपूर्ण अन्तर हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया'

(Reserve Bank of India)

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया भारत का केन्द्रीय बैंक है। 1 अप्रैल, 1935 ई० से इस बैंक ने कार्य आरम्भ किया। भारत में बहुत पहले से ही एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना का प्रयास किया जा रहा था। उदाहरण के लिए, 1926 ई० में हिल्टन-यंग आयोग ने देश में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया था, किन्तु 1935 ई० के पूर्व इस प्रकार के बैंक की स्थापना नहीं की जा सकी।

प्रारम्भ में इस बैंक की स्थापना एक हिस्सेदारों के बैंक के रूप में हुई थी। इसकी पूँजी 5 करोड़ रुपये थी जो 100 रुपये के 5 लाख हिस्सों में विभाजित थी। उस समय भी केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके गवर्नर तथा डिप्युटी गवर्नर की नियुक्ति की जाती थी, किन्तु बैंक के केन्द्रीय महत्त्व तथा विश्व के अन्य देशों में केन्द्रीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बढ़ती हुई मांग के कारण 1948 ई० के Reserve Bank (Transfer to Public Ownership) Act के अनुसार इसकी सम्पूर्ण पूँजी केन्द्रीय सरकार द्वारा ले ली गयी। सरकार ने 100 रुपये के प्रति हिस्से के लिए 118 रु० 10 आने मुआवजे के रूप में दिया था। इस अधिनियम के अनुसार बैंक के डायरेक्टर, गवर्नर तथा डिप्युटी गवर्नर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

अन्य देशों के केन्द्रीय बैंक—प्राजकल विश्व के प्राय सभी प्रमुख देशों में केन्द्रीय बैंक पाये जाते हैं। बैंक ऑफ फ्रांस (Bank of France) फ्रांस का केन्द्रीय बैंक है। 1945 ई० तक

1 रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का विस्तृत विवरण आगे चलकर एक पृथक् अध्याय में दिया गया है।

बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरह यह भी एव हिस्सेदारों वा बैंक था और इसके गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति फ्रांस सरकार द्वारा की जाती थी, परन्तु *four h Republic* के समय से यह बैंक पूर्णरूपेण सरकारी नियन्त्रण के अन्तगत आ गया है।

प्रथम महायुद्ध के बाद 1920 ई० के अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सम्मेलन (*International Financial Conference*) के सुझावों के अनुसार बहुत सारे देशों में, जिनमें केन्द्रीय बैंक नहीं थे, केन्द्रीय बैंक की स्थापना की गयी। इस प्रकार 1920 ई० में दक्षिण अफ्रिका में *South African Reserve Bank*, 1924 ई० में आस्ट्रेलिया में *Commonwealth Bank of Australia*, 1935 ई० में न्यूजीलैंड में *Reserve Bank of Newzealand*, 1935 ई० में कनाडा में *Bank of Canada* तथा भारत में *Reserve Bank of India* आदि की स्थापना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनमें से अधिकांश बैंकों की स्थापना प्रारम्भ में निजी हिस्सेदारों के बैंक के रूप में की गयी थी, किन्तु आजकल जनमत केन्द्रीय बैंकों के सार्वजनिक स्वामित्व एव नियन्त्रण के पक्ष में ही है। द्वितीय महायुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (*International Monetary Fund*) की स्थापना से अफ्रिका, दक्षिण एशिया तथा लैटिन अमेरिका के नये देशों में भी केन्द्रीय बैंकिंग व्यवस्था के विकास में बहुत अधिक सहायता प्राप्त हुई है।

विशेष अध्ययन-सूची

1. Crowther : *An Outline of Money*, Chapter II
2. Sayers : *Modern Banking*, Chapter IV.
3. De Kock : *Central Banking*, Chapter I
4. R. B. I : *Reserve Bank of India Functions and Working*

अध्याय : 22

केन्द्रीय बैंक के कार्य

(Functions of Central Bank)

केन्द्रीय बैंक के कार्य (Functions of the Central Bank) :—केन्द्रीय बैंक देश की मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था का प्रधान है। इसका प्रधान कार्य देश के व्यावसायिक बैंकों को नियन्त्रित कर मौद्रिक नीति को कार्यान्वित करना है। चूंकि केन्द्रीय बैंक देश की मौद्रिक व्यवस्था का अग्रजा होता है, अतएव, इसके कार्यों का प्रभाव देश की सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है।

साधारणतया, आधुनिक समय में केन्द्रीय बैंक निम्नांकित प्रमुख कार्यों को सम्पन्न करता है¹ :

- (1) पत्र-मुद्रा जारी करने का कार्य (Regulation of Paper Currency),
- (2) सरकार के बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार के रूप में कार्य (Banker, Agent and Adviser of the State),
- (3) बैंकों के बैंक के रूप में कार्य (Banker's Bank),
- (4) देश की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा के सरक्षक एवं व्यवस्थापक के रूप में कार्य (The custody and management of the Nation's Reserves of International currencies),
- (5) अन्तिम सहायक के रूप में कार्य (Lender of the last resort);
- (6) बैंकों के समाप्तोद्यम-गृह के रूप में कार्य (The Settlement of Clearance Balances between the Banks), तथा
- (7) साख-नियन्त्रण का कार्य (The control of credit)।

किसी देश का केन्द्रीय बैंक साधारणतया उपरोक्त सारे कार्यों को सम्पन्न करता है, किन्तु इनमें से कौन-सा कार्य केन्द्रीय बैंक के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण है, यह कहना बहुत ही कठिन है। वास्तव में, केन्द्रीय बैंक का कोई भी एक कार्य इतना अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है जिसे इसकी विशेषता के रूप में दर्शाया जा सके। अतएव, भिन्न-भिन्न अर्थशास्त्री इसके भिन्न-भिन्न कार्यों को महत्त्व देते हैं। उदाहरण के लिए प्रो० हॉट्ट्रे (Hawtrey) के अनुसार केन्द्रीय बैंक की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता 'अन्तिम सहायक के रूप में' (Lender of the last resort) उसका कार्य है। इनके अनुसार नोट जारी करने का कार्य बैंक के अन्तिम सहायक के रूप में कार्य सम्पन्न करने में सहायक होता है। दूसरी ओर, वेरा स्मिथ (Vera Smith) के अनुसार केन्द्रीय बैंक का प्रधान

1. सुप्रसिद्ध विद्वान डे कॉक (De Cock) के अनुसार केन्द्रीय बैंक निम्नांकित सात कार्यों का सम्पादन करता है :—

- (a) The regulation of currency in accordance with the requirements of business and the general public, for which purpose it is granted either the sole right of note issue or at least a partial monopoly thereof;
- (b) The performance of general banking and agency services for the state;
- (c) The custody of the cash reserves of the commercial banks;
- (d) The custody and management of the nation's reserves of international currencies,
- (e) The granting of accommodation, in the form of discounts as collateral advances to commercial banks bill-brokers and dealers, or other financial institutions and the general acceptance of the responsibility of lender of the last resort,
- (f) The settlement of clearance balances between the banks and
- (g) The control of credit in accordance with the needs of business and with a view to carrying out the broad monetary policy adopted by the state.

कार्य पत्र-मुद्रा जारी करना है। इसके अनुसार बैंक के अन्य कार्यों का उद्गम पत्र-मुद्रा जारी करने के कार्य से ही हुआ है। इसी प्रकार कीश एवं एलकिन (Kich and Elkin) के अनुसार केन्द्रीय बैंक का प्रधान कार्य देश के मुद्रा-मान के स्थायित्व को बनाये रखना है तथा जॉन्सी (Jauncey) के अनुसार केन्द्रीय बैंक का प्रधान कार्य समाशोधन-गृह के रूप में कार्य करना है। (Clearing is the main operation of the Central Banking) इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के विधान में केन्द्रीय बैंक की परिभाषा उस बैंक के रूप में दी गयी है जिसका प्रधान कार्य देश की मुद्रा एव साख की मात्रा को नियन्त्रित करना है। सारांश यह है कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने केन्द्रीय बैंक के विभिन्न कार्यों को प्रधानता दी है। वास्तव में, केन्द्रीय बैंक के उपर्युक्त सभी कार्य महत्त्वपूर्ण हैं। अतएव, प्रायः सभी देशों के केन्द्रीय बैंक इन सारे कार्यों को सम्पन्न करते हैं।

अथ, केन्द्रीय बैंक के इन प्रमुख कार्यों को एक-एक करके विस्तारपूर्वक विवेचना की जाती है :—

1 पत्र-मुद्रा जारी करने का कार्य

(Regulation of Paper Currency)

पत्र-मुद्रा जारी करने के कार्य का विकास Evolution of the Issue Function) — केन्द्रीय बैंक का प्रधान कार्य देश की आवश्यकताओं के अनुसार पत्र-मुद्रा जारी करना है। आजकल ससार के प्रायः सभी देशों में पत्र-मुद्रा जारी करने का एकाधिकार केन्द्रीय बैंक को ही प्राप्त है। केन्द्रीय बैंक का यह सर्वाधिक प्रधान कार्य है। डिंकॉर्न के अनुसार वास्तव में केन्द्रीय बैंकिंग व्यवस्था का विकास पत्र-मुद्रा जारी करने के अधिकार के साथ ही प्रारम्भ होता है। यही कारण है कि बहुत समय तक इन बैंकों को Bank of Issue कहा जाता था। (The privilege of the note issue was almost everywhere associated with the origin of and development of central banks. In fact, until the beginning of the Twentieth century, they were generally known as Bank of issue)

पहले नोट जारी करने का कार्य साधारणतया देश के सभी बैंकों द्वारा किया जाता था, किन्तु धीरे-धीरे पत्र-मुद्रा के अत्यधिक प्रसार तथा बैंकों की सख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप पत्र-मुद्रा में अनुरूपता की आवश्यकता प्रबल होने लगी। अतएव, सरकार ने इस कार्य को देश के किसी एक बैंक के हाथ सुपुर्द करना ही उचित समझा। सर्वप्रथम, 1814 ई० में बैंक ऑफ इंग्लैंड को नोट जारी करने का एकाधिकार प्राप्त हुआ। इसके बाद 1818 ई० में फ्रांस में, 1870 ई० में जर्मनी में तथा 1897 ई० में स्वीडन में नोट जारी करने का अधिकार केन्द्रीय बैंकों को दिया गया और आजकल तो प्रायः प्रत्येक देश में पत्र-मुद्रा जारी करने का एकाधिकार वहाँ के केन्द्रीय बैंक को ही प्राप्त है। पत्र-मुद्रा जारी करने का कार्य किसी एक बैंक के हाथ में देने से देश की मुद्रा-प्रणाली में एकस्यता (Uniformity) आती है। साथ ही, केन्द्रीय बैंक के हाथ में पत्र-मुद्रा जारी करने का एकाधिकार रहने से राज्य प्रत्यक्ष रूप से इसकी देख-भाल करता है। इसके अतिरिक्त अन्य कारणों से भी पत्र-मुद्रा जारी करने का कार्य केन्द्रीय बैंक को देना अधिक उचित समझा गया है। केन्द्रीय बैंक को नोट जारी करने का एकाधिकार रहने से व्यावसायिक बैंकों के साख-सृजन की शक्ति को सुचारु रूप से नियंत्रण कर सकते हैं, मुद्रा के आन्तरिक एवं बाह्य मूल्य को स्थायी बनाये रख सकते हैं तथा इनके नोटों के प्रति जनता का विश्वास भी अधिक रहता है। इस कार्य को सरकारी विभाग द्वारा नहीं सम्पन्न कर केन्द्रीय बैंक द्वारा इसलिए सम्पन्न किया जाता है कि इतिहास में बहुत-से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब कि सरकार ने पत्र-मुद्रा की राशि में अत्यधिक वृद्धि कर दी थी जिसके फलस्वरूप जनता को मयकर मुद्रा-स्फीति के दुष्परिणामों का शिकार होना पड़ा था। अतएव, पत्र-मुद्रा जारी करने के कार्य को एक ऐसी सस्या के जिम्मे देना अधिक उचित समझा गया जो देश के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सके।

पत्र-मुद्रा जारी करने के सिद्धान्त

(Principles of Note-Issue)

पत्र-मुद्रा जारी करने के निम्नलिखित दो सिद्धान्त हैं :—

(क) करेसी या मुद्रा-सिद्धान्त (Currency Principle); तथा

(ख) बैंकिंग सिद्धान्त (Banking Principle) ।

(क) करेंसी या मुद्रा-सिद्धान्त (Currency Principle) .—इस सिद्धान्त के अनुसार पत्र-मुद्रा जारी करने के लिए नोटों की मात्रा के बराबर स्वर्ण सुरक्षित कोष में रखना पड़ता है । दूसरे शब्दों में, पत्र मुद्रा के पीछे 100 प्रतिशत स्वर्ण एव चाँदी को आड़ में रखना पड़ता है । इस प्रणाली में नोटों का प्रसार एव सकुचन धात्विक निधि की मात्रा पर निर्भर करता है । यह सिद्धान्त इस मान्यता पर भी आधारित है कि पत्र-मुद्रा जारी करने का उद्देश्य बहुमूल्य धातुओं के सिक्कों के प्रयोग को कम करना है जिससे समाज को विनिमय का एक सुविधाजनक माध्यम प्राप्त हो सके तथा मूल्यदान धातुओं की डिमाण्ड में भी वृद्धि हो । इस प्रकार इस सिद्धान्त में सुरक्षा एव नोटों के प्रति जनता के विश्वास को अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है ।

करेंसी अथवा मुद्रा-सिद्धान्त के गुण (Merits of The Currency Principle),— नोट जारी करने के करेंसी अथवा मुद्रा सिद्धान्त में सामान्यतः निम्नलिखित गुण पाये जाते हैं —

(1) जनता का विश्वास — इस प्रणाली में चूँकि नोटों के पीछे 100 प्रतिशत सोना सुरक्षित कोष में रहता है तथा नोट बहुमूल्य धातुओं में सदा परिवर्तनीय (convertible) होते हैं, अतएव, इस प्रणाली में जनता का विश्वास बहुत अधिक रहता है । (ii) सुरक्षा — इस प्रणाली में सुरक्षा की मात्रा भी अधिक पायी जाती है । इसमें सोने अथवा चाँदी के आधार पर ही पत्र-मुद्रा जारी की जा सकती है । अतएव, इसमें अत्यधिक मुद्रा-प्रसार की सम्भावना नहीं रहती ।

करेंसी अथवा मुद्रा-सिद्धान्त के दोष (Defects of the Currency Principle, — किन्तु, उपरोक्त गुणों के साथ-साथ इस प्रणाली के निम्नलिखित दोष भी हैं — (1) लोच का अभाव—इस प्रणाली में पत्र-मुद्रा की मात्रा पूर्णतः स्वर्ण अथवा चाँदी पर आधारित रहती है, अतएव, इसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन नहीं लाया जा सकता । दूसरे शब्दों में, इस प्रकार की मुद्रा-प्रणाली में लोच का अभाव पाया जाता है । (2) अमितव्ययी — इस सिद्धान्त पर आधारित मुद्रा प्रणाली में अमितव्ययिता का दोष भी पाया जाता है । इसका कारण यह है कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में स्वर्ण एव चाँदी योही सदा बेकार पड़े रहते हैं ।

(ख) बैंकिंग सिद्धान्त (Banking Principle) पत्र मुद्रा जारी करने का दूसरा सिद्धान्त बैंकिंग सिद्धान्त है । इसमें पत्र-मुद्रा जारी करने के लिए 100 प्रतिशत स्वर्ण अथवा चाँदी के कोष की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसमें प्रचलित नोटों की मात्रा का एक निश्चित प्रतिशत भाग ही धात्विक कोष के रूप में रखना पड़ता है । यह सिद्धान्त इस बात पर जोर देता है कि मुद्रा द्वारा विनिमय के माध्यम का कार्य सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए मुद्रा-प्रणाली में लोच का होना अनिवार्य है ।

बैंकिंग सिद्धान्त के गुण (Merits of the Banking Principle, :-पत्र मुद्रा जारी करने के इस सिद्धान्त में निम्नलिखित गुण पाये जाते हैं — (1) इस प्रणाली में अत्यधिक मात्रा में लोच पायी जाती है — बैंकिंग सिद्धान्त पर आधारित मुद्रा-प्रणाली का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण गुण यह है कि इसमें लोच की मात्रा बहुत अधिक पायी जाती है । इसमें देश की व्यापारिक एव औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुसार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन लाया जा सकता है । (ii) बहुमूल्य धातुओं के उपयोग में वृद्धि — इस प्रणाली में चूँकि नोट जारी करने के लिए शत-प्रतिशत स्वर्ण अथवा चाँदी को सुरक्षित कोष में नहीं रखना पड़ता है, अतएव इसमें बहुमूल्य धातुओं के उपयोग में वृद्धि होती है ।

बैंकिंग सिद्धान्त के दोष (Defects of the Banking Principle) .—किन्तु, बैंकिंग सिद्धान्त के उपरोक्त गुणों के साथ-साथ इसके निम्नलिखित दोष भी हैं—**चलनाधिक्य का भय (Danger of over-issue)** — चूँकि इस सिद्धान्त के अनुसार नोट जारी करने के लिए 100 प्रतिशत धात्विक कोष की आवश्यकता नहीं रहती अतएव, इस सिद्धान्त पर आधारित मुद्रा प्रणाली में सदा चलनाधिक्य का भय बना रहता है । (ii) सुरक्षा में कमी — इस प्रणाली में कम ही धात्विक कोष के आधार पर पत्र-मुद्रा का प्रचलन किया जाता है, अतएव, इसमें सुरक्षा की कमी रहती है ।

दोनों में कौन-सा सिद्धान्त अच्छा है ? — आधुनिक युग में यह निर्णय करना कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से दोनों में कौन सा सिद्धान्त अच्छा है, कठिन नहीं क्योंकि चलन, सिद्धान्त

के आधार पर पत्र-मुद्रा प्रणाली का निर्माण करना तो आज के विश्व में सम्भव ही नहीं है। स्वर्ण-कोपो की कमी तथा विभिन्न देशों के बीच स्वर्ण के अ समान वितरण के कारण नोटों के लिए 100 प्रतिशत सोने की ग्रांड प्रदान करना सम्भव नहीं है। चांदी के साथ भी प्रायः यही बात पायी जाती है। साथ ही, इस प्रणाली में लोच का अभाव पाया जाता है। इस कारण आजकल वैकिंग सिद्धान्त के आधार पर ही सर्वत्र पत्र-मुद्रा-प्रणाली का निर्माण किया गया है। ऐसी प्रणाली में धात्विक निधि तथा अन्य साधनों की व्यवस्था करके सुरक्षा का गुण भी प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में, एक आदर्श मुद्रा-प्रणाली वहीं होगी जिसमें सुरक्षा तथा लोच दोनों ही के गुण वर्तमान ही और जो साथ-ही-साथ व्यावहारिक भी हो। समुचित नियंत्रण द्वारा वैकिंग सिद्धान्त में ये सभी गुण प्राप्त किये जा सकते हैं और यही कारण है कि वर्तमान समय में सार के सभी देशों में पत्र-मुद्रा जारी करने का कार्य इस सिद्धान्त के आधार पर ही होता है।

नोट जारी करने की रीतियाँ

(Methods of Note-Issue)

नोट जारी करने की निम्नलिखित पाँच प्रमुख रीतियाँ हैं —

- (i) निश्चित या आंशिक अरक्षित निर्गम-प्रणाली (Fixed or Partial Fiduciary System),
- (ii) अधिकतम अरक्षित निर्गम-प्रणाली (Fixed Maximum Fiduciary System),
- (iii) आनुपातिक निधि-प्रणाली (Proportional Reserve System),
- (iv) वह आनुपातिक पद्धति जिसमें न्यूनतम स्वर्ण-निधि रहती है Proportional system with a minimum gold reserve, तथा
- (v) न्यूनतम निधि-प्रणाली (Minimum Reserve System)।

(1) निश्चित अथवा आंशिक अरक्षित निर्गम प्रणाली (Fixed or Partial Fiduciary System) — इस प्रणाली की कभी-कभी आंशिक अरक्षित प्रणाली (Partial Fiduciary issue) भी कहा जाता है। पत्र-मुद्रा जारी करने की इस प्रणाली में एक निश्चित मात्रा तक नोट बगैर किसी प्रकार के धात्विक कोप के ही जारी किये जा सकते हैं, परन्तु इस निश्चित मात्रा से अधिक पत्र-मुद्रा के पीछे 100 प्रतिशत धात्विक कोप रखना पड़ता है। जो पत्र-मुद्रा बिना किसी धात्विक कोप के निकाली जाती है उसके पीछे सरकारी प्रतिभूतियों की ग्रांड होती है और ऐसे निर्गम को अरक्षित निर्गम (Fiduciary issue) कहा जाता है। इस प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य पत्र-मुद्रा के स्वर्ण में परिवर्तनशीलता को बनाये रखना होता है। सन् 1844 ई० के बैंक चार्टर एक्ट के अनुसार इंग्लैंड में यही प्रणाली अपनायी गयी थी जिसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड को 140 लाख पौ० की कीमत के नोट बिना धात्विक कोप के जारी करने का अधिकार दिया गया था, परन्तु स्वर्ण-कोपो की कमी और मुद्रा-प्रसार की आवश्यकता के कारण ऐसे निर्गम की मात्रा को सन् 1928 ई० में बढ़ाकर 26 करोड़ पौंड तथा 1931 ई० में 30 करोड़ पौंड कर दिया गया। जापान तथा नार्वे में भी कुछ संशोधनों के साथ इसी प्रणाली को अपनाया था। 1861 और 1920 ई० के बीच भारत में भी पत्र-मुद्रा जारी करने की यह प्रणाली प्रचलित थी।

गुण-दोष :— इस प्रणाली का मुख्य लाभ यह है कि इसमें सुरक्षा की मात्रा बहुत अधिक होती है। साथ ही, इसमें नोटों के स्वर्ण में परिवर्तनशीलता सदा बनी रहती है। इसके अतिरिक्त पत्र-मुद्रा के अति निर्गम का भय नहीं रहता, क्योंकि अरक्षित रकम से अधिक के नोट जारी करने के लिए समान कीमत का स्वर्ण कोप में रखना पड़ता है। जनता का विश्वास भी इस प्रकार की पत्र-मुद्रा प्रणाली के प्रति बहुत अधिक रहता है किन्तु इसमें भी कुछ दोष हैं। इस प्रणाली का मुख्य दोष इसमें लोच का अभाव है। इस प्रणाली में राष्ट्रीय सकल के समय अधिक मुद्रा जारी करने के लिए या तो विदेशों से सोना मगाना पड़ता है जो लगभग असम्भव ही होता है या इस प्रणाली के नियमों को तोड़ना पड़ता है जिससे इसके प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है। इंग्लैंड में इस प्रणाली के इतिहास से यह स्पष्ट है कि उम देश को समय समय पर अरक्षित निर्गम की मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तन करने पड़े हैं और अनेक बार इससे सम्बन्धित नियमों

को भी तोड़ना पडा है। इसके अतिरिक्त यह प्रणाली अस्थिर-पथी भी होती है और केवल उ-ही देशों में सफल हो सकती है जहाँ पर्याप्त मात्रा में स्वर्ण हो तथा जहाँ साख-मुद्रा का इतना अधिक प्रसार हो कि इसके उपयोग के कारण चलन की मात्रा में समय-समय पर भारी परिवर्तन नहीं होता हो। इंग्लैंड में इसकी सफलता का मुख्य कारण यही रहा है।

(ii) अधिकतम अरक्षित निर्गम प्रणाली (Fixed Maximum Fiduciary System) इस प्रणाली के अन्तर्गत विधान द्वारा पत्र-मुद्रा की एक अधिकतम मात्रा निश्चित कर दी जाती है तथा इस निर्धारित सीमा से अधिक मोटा जारी नहीं किया जा सकता चाहे उसके लिए 100 प्रतिशत स्वर्ण-कोपों की व्यवस्था ही क्यों न हो। इस प्रकार इस प्रणाली में बिना किसी स्वर्ण-कोप के ही पत्र-मुद्रा जारी की जा सकती है। इस प्रणाली में अरक्षित निर्गम की अधिकतम सीमा निश्चित करने में अति सावधानी से कार्य लेना पड़ता है। देश की वाणिज्यिक तथा व्यावसायिक आवश्यकताओं का ठीक-ठीक अनुमान लगाकर देश में चलन की मात्रा निश्चित की जाती है। अरक्षित निर्गम की अधिकतम मात्रा साधारणतया इतनी रखी जाती है जिससे कि देश की चलन-सम्बन्धी साधारण आवश्यकताएँ बिना किसी कठिनाई के पूरी होती रहे। इन आवश्यकताओं में परिवर्तन होने से समय-समय पर अधिकतम अरक्षित निर्गम की मात्रा में भी परिवर्तन किया जाता है।

सन् 1928 ई० तक फ्रांस में ही यह प्रणाली प्रचलित थी। बाद में इंग्लैंड तथा जापान में तथा 1939 ई० और 1941 ई० के पश्चात् नही प्रणाली अपनायी गयी।

गुण दोष — इस प्रणाली का सबसे बड़ा गुण यह है कि स्वर्ण-कोप अनावश्यक रूप में खजानों में बन्द करके रखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वर्ण-निधि की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वर्ण निधि की मात्रा वाणिज्यिक बैंक की स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाता है। दूसरा गुण यह है कि सरकार सोच-समझकर देश की व्यापारिक तथा वाणिज्यिक आवश्यकताओं के अनुसार पत्र-मुद्रा की अधिकतम सीमा निश्चित करती है। इनसे मुद्रा-प्रणाली में आवश्यक लोच बनी रहती है और चलनाधिक्य का भय भी नहीं रहता, किन्तु यह प्रणाली भी दोषों में मुक्त नहीं है। सरकार यदा-कदा इसका दुर्लभयोग कर सकती है। केवल भाग प्राप्त करने के लिए निश्चित अधिकतम अरक्षित सीमा का विस्तार किया जा सकता है जिससे चलन की मात्रा व्यापार और व्यवसाय की आवश्यकताओं से अधिक हो जाती है और चलनाधिक्य के सभी परिणाम दृष्टि-गोचर होन लगते हैं। इस प्रणाली में मुद्रा प्रसार के विरुद्ध किसी प्रकार की रूढ़ि नहीं है। इस प्रकार इस प्रणाली में मौद्रिक अस्थिरता की सम्भावना सदा बनी रहती है।

(iii) अनुपातिक निधि प्रणाली (Proportional Reserve System) — इस पद्धति में नोटों की सम्पूर्ण मात्रा के पीछे एक निश्चित प्रतिशत में धात्विक कोप रखना पड़ता है। यह प्रतिशत नियम द्वारा निश्चित किया जाता है, जैसे—30% अथवा 40%। पत्र-मुद्रा के जिस अंश के पीछे स्वर्ण निधि नहीं होती है, उसकी ग्राहक में सरकारी प्रतिभूतियाँ रखी जाती हैं। इस प्रकार कुल पत्र-मुद्रा का एक निश्चित प्रतिशत ही धात्विक कोप के रूप में रखा जाता है। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् यह पद्धति बहुत अधिक लाभप्रिय हुई थी। सन् 1928 ई० में फ्रांस ने निश्चित अधिकतम अरक्षित प्रणाली का परिवर्तन कर इसी पद्धति को अपनाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरल रिजर्व सिस्टम में भी इसी पद्धति को अपनाया है। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर सन् 1927 ई० में भारत सरकार ने भी इसे अपनाया और सन् 1934 ई० के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में इसे स्थान दिया गया था। इस पद्धति में सोने तथा चाँदी की निधि का अनुपात सभी देशों में एक समान नहीं है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 40 प्रतिशत है किन्तु आस्ट्रेलिया कनाडा इत्यादि देशों में यह केवल 25 प्रतिशत मात्र ही है।

गुण-दोष — इस प्रणाली का प्रमुख गुण इसकी लोच है। यदि पत्र-मुद्रा के पीछे 25% स्वर्ण-निधि रखी जाती है तो खजाने में एक मोने के सिक्के से ही चार कागज के नोट निकाले जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर धात्विक कोप का प्रतिशत घटाकर पत्र-मुद्रा का आवश्यक विस्तार भी किया जा सकता है परन्तु इस पद्धति के भी अनेक दोष हैं। इसमें मुद्रा का विस्तार करना तो सरल होता है, परन्तु मुद्रा-संकुचन में कठिनाई होती है। अरक्षित निधि में सोने वा एक सिक्का निकालने पर तीन-चार नोटों को रद्द करना पड़ता है, जबकि अन्य प्रणालियों

मे ऐसी स्थिति मे केवल एक नोट को अलग कर देने से ही काम चल जाता है। दूसरे, इस प्रणाली में भी अत्यधिक मात्रा में सोना बेकार सुरक्षित-कोषों में बन्द पड़ा रहता है। साथ ही, इसमें नोटों की परिवर्तनशीलता को बनाये रखने में कठिनाई होती है। इस सम्बन्ध में व्यावहारिक कठिनाई यह है कि एक रुपये के भूगतान में एक सोने का मित्रा दिया जाता है परन्तु एक तिक्के के निकल जान के कारण सोने की मात्रा कानूनी अनुपात से कम रह जाती है। इन प्रकार इस पद्धति में नोटों की परिवर्तनशीलता केवल सैद्धांतिक ही रहती है।

(iv) वह आनुपातिक पद्धति जिसमें न्यूनतम स्वर्ण-निधि रहती है (Proportional System with a Minimum Gold Reserve) यह आनुपातिक निधि पद्धति का ही एक संशोधित रूप है। इस पद्धति में भी नोटों की कुल मात्रा का एक निश्चित अनुपात स्वर्ण एव बहु मूल्य धातुओं तथा प्रतिभूतियों की निधि के रूप में रखा जाता है, परन्तु इस रीति की विशेषता यह है कि इसमें धातु-निधि वा एक निश्चित एव न्यूनतम भाग तो धातु के रूप में रखा जाता है और शेष विदेशी प्रतिभूतियों (Foreign Securities) के रूप में रखा जाता है। इस विधि में सोने एव चाँदी की जो मात्रा देश में रखी जाती है उसकी मात्रा निश्चित होती है और इसमें किसी भी समय कमी नहीं आने पाती। इस पद्धति का प्रधान गुण सोने की बचत है। साथ ही, इसमें आनुपातिक निधि पद्धति के प्राय सभी लाभ भी प्राप्त होते हैं। इसमें लोच है, मितव्ययिता है तथा परिवर्तनशीलता का भी गुण पाया जाता है परन्तु इसमें वे सब दोष भी पाये जाते हैं जो आनुपातिक निधि पद्धति में पाये जाते हैं।

(v) न्यूनतम-निधि प्रणाली (Minimum Reserve System) — इस पद्धति में कानून द्वारा धात्विक निधि की एक न्यूनतम मात्रा निश्चित कर दी जाती है। मुद्रा संचालक वा कर्तव्य केवल इतना होता है कि वह इस निश्चित कोमत की धात्विक निधि को अपने पास बनाये रखे। इसके पश्चात् पत्र-मुद्रा की निकासी की मात्रा पर किसी भी प्रकार का नियन्त्रण नहीं रहता है। कम-से कम निधि रखकर बैंक कितनी भी मात्रा में पत्र मुद्रा छाप सकते हैं। 1956 ई० के बाद भारत में भी इस प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रणाली में लोच, मितव्ययिता तथा परिवर्तनशीलता आदि के गुण वर्तमान रहते हैं, परन्तु यह प्रणाली केवल अमिवृद्धि (Prosperity) काल में ही सफल होती है। सकटकाल में उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होने पाती।

पत्र मुद्रा जारी करने की कौन-सी रीति सबसे अच्छी है? (Which is the best System of note-issue?) पत्र मुद्रा जारी करने के विभिन्न तरीकों की व्याख्या ऊपर की जा चुकी है। इनमें से प्रत्येक तरीके के अपने अपने गुण एव दोष दोनों हैं। अतएव इस निर्णय पर पहुँचना कि इनमें कौन-सी प्रणाली अच्छी है निश्चय ही बहुत कठिन है। वास्तव में, अच्छी पत्र मुद्रा प्रणाली वही है जिसमें निम्नलिखित गुण पाये जाते हैं—(क) लोच, (ख) मितव्ययिता, (ग) चलना धिक्क पर रोक तथा (घ) परिवर्तनशीलता। एक अच्छी पत्र मुद्रा प्रणाली में इन सारे गुणों का समावेश अनिवार्य है। किसी प्रणाली में ये गुण पाये जाते हैं या नहीं यह कहना कुछ कठिन जान पड़ता है। वास्तव में, नोट निर्गम को कोई भी प्रथा किसी देश के लिए सदा अच्छी नहीं कही जा सकती। किसी विशेष साग में किसी देश में पत्र मुद्रा जारी करने की कौन-सी प्रणाली अपनायी जाय, यह उस समय उस देश में स्वर्ण की मात्रा, मुद्रा बाजार की स्थिति, व्यावसायिक आवश्यकताएँ तथा जनता के स्वभाव आदि पर निर्भर करती है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि नोट जारी करने की वही प्रथा सबसे अच्छी है जिसमें सरकार द्वारा नोटों की अधिकतम सीमा तथा स्वर्ण-निधि की न्यूनतम मात्रा तय कर दी जाती है। नोटों की अधिकतम मात्रा एव स्वर्ण निधि की न्यूनतम मात्रा में देश की व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार सरकार समय समय पर परिवर्तन भी कर सकती है।

भारत में पत्र मुद्रा जारी करने की प्रणाली (System of note issue in India) — भारत में पहले आनुपातिक निधि पद्धति (Proportional Reserve System) के आधार पर ही पत्र मुद्रा जारी की जाती थी। इस पद्धति के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को कुल पत्र मुद्रा की मात्रा के 40 प्रतिशत भाग स्वर्ण अथवा विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में रखना पड़ता था, किन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्पादन में विदेशी विनिमय की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ी जिससे विदेशी प्रतिभूतियों के कोष में कमी आने लगी। अतएव, रिजर्व बैंक के विभाग में

1956 ई० में एक सशोधन किया गया जिसके अनुसार आनुपातिक निधि पद्धति की जगह न्यूनतम निधि प्रणाली (Minimum Reserve System) को अपनाया गया। न्यूनतम निधि प्रणाली का अन्तर्गत आजकल (Reserve Bank of India Second Amendment Act,) 1957 के अनुसार नोट जारी करने के लिए कम से-कम 200 करोड़ रुपये के मूल्य का स्वर्ण तथा विदेशी प्रतिभूतियों की रचना अनिवार्य है। इसमें से कम-से-कम 115 करोड़ मूल्य का स्वर्ण अवश्य होना चाहिए। इसी आधार पर भारत में आजकल पत्र-जारी करने का कार्य किया जाता है।

2. केन्द्रीय बैंक का सरकार के बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार के रूप में कार्य (The Central Bank as the Government's Banker, Agent and Adviser)

केन्द्रीय बैंक प्रायः सभी देशों में सरकार के बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक देश में सरकार को किसी बैंक के साथ अपना कारोबार रखना पड़ता है। अतएव, प्रारम्भ से ही सरकार ने नोट जारी करनेवाले बैंक (Bank of Issue) के साथ ही अपना कारोबार रखना उचित समझा। इस प्रकार प्राचीन केन्द्रीय बैंक बहुत पहले से ही सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करते थे। वास्तव में, केन्द्रीय बैंक का यह कार्य उसके नोट जारी करने के कार्य से बहुत कुछ सम्बन्धित है।

सरकार के बैंकर के रूप में केन्द्रीय बैंक सरकारी विभागों, प्रान्तीय एवं स्थानीय सरकारों तथा विभिन्न परिपदों एवं निगमों का जमा अपने पास रखता है। सरकार की सम्पूर्ण आय केन्द्रीय बैंक में सरकार के नाम से जमा हो जाती है जिसमें से सरकार समय समय पर आवश्यकतानुसार खर्च करती है। केन्द्रीय बैंक सरकार को मन्दी, युद्ध तथा अन्य आर्थिक कठिनाइयों के समय ऋण भी प्रदान करता है। यह सरकार को आवश्यकतानुसार विदेशी मुद्रा भी प्रदान करता है। सरकार के बैंकर के रूप में केन्द्रीय बैंक ठीक उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार व्यावसायिक बैंक साधारण जनता के बैंकिंग सम्बन्धी कार्यों को सम्पन्न करते हैं। सरकारी कोष का लेखा जोखा साधारणतया सरकारी खजाने (Treasury) के द्वारा रखा जाता है। केन्द्रीय बैंक सरकारी जमा पर सरकार को कोई व्याज नहीं देता है।

सरकार का केन्द्रीय बैंक के साथ जमा रखना केवल सरकार के लिए ही सुविधाजनक तथा भ्रतव्ययी नहीं होता बल्कि यह इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि वित्तीय एवं मौद्रिक मामला में घनिष्ठ सम्बन्ध है। सरकार के वित्तीय कार्यों का देश की मौद्रिक प्रणाली पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रायः प्रत्येक देश में सरकार का आय व्यय अन्य संस्थाओं या व्यक्तियों से बहुत अधिक होता है। यदि जनता सरकार को ऋण अथवा कर देती है तो इसका अर्थ यह होता है कि केन्द्रीय बैंक के साथ व्यावसायिक बैंकों का जमा घट जाता है और सरकार का जमा बढ़ जाता है। इससे सम्पूर्ण मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था प्रभावित होती है। सरकारी व्यय का भी देश के आर्थिक जीवन पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार सरकार के वित्तीय कार्यों इतने महत्वपूर्ण हैं कि सरकार को सदा केन्द्रीय बैंक से परामर्श लेना पड़ता है।

केन्द्रीय बैंक सरकार के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। एजेंट के रूप में यह सरकार के विभिन्न प्रकार के कार्यों को सम्पन्न करता है, जैसे बैंक सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करता है, इन पर मूद की रकम चुकाता है, सरकार के आदेशानुसार विदेशी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है, इत्यादि। केन्द्रीय बैंक विदेशों में सरकार के बदले ऋण प्राप्त करता है, सरकार की ओर से द्रव्य का हस्तांतरण (Remittance) करता है, सरकारी ऋणों की व्यवस्था, उनका हिंसाय वितात्र तथा भुगतान आदि करता है। केन्द्रीय बैंक सरकार की ये सारी सेवाएँ निशुल्क करता है। यह सरकार के सलाहकार (Adviser) के रूप में भी कार्य करता है। प्रत्येक देश में सरकार आवश्यक मौद्रिक एवं वित्तीय मामलों में केन्द्रीय बैंक से सलाह भी लेती है। भारत में भी रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों के बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार के रूप में कार्य करता है।

सरकार के बैंकर के रूप में केन्द्रीय बैंक का कार्य आजकल विशेष महत्वपूर्ण हो गया है। राष्ट्र के आर्थिक कल्याण एवं देश की मौद्रिक नीति को सफल बनाने के लिए बैंक-मुद्रा पर

नियन्त्रण अनिवार्य है जिसका उत्तरदायित्व केन्द्रीय बैंक पर ही है। साथ ही, सरकार द्वारा कर वसूलने तथा व्यय करने का प्रभाव सम्पूर्ण मुद्रा-बाजार पर पड़ता है। अतएव, सरकार एवं केन्द्रीय बैंक के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध वा होना राष्ट्र के आर्थिक कल्याण के लिए प्रति आवश्यक है, किन्तु कभी-कभी सरकार केन्द्रीय बैंक से अधिक मात्रा में ऋण लेना प्रारम्भ करती है; क्योंकि सरकार के लिए यह ऋण-प्राप्ति का सबसे सुगम साधन है। इससे मुद्रा स्फीति का सृजन होता है। इतिहास में इस प्रकार की मुद्रा-स्फीति के बितने ही उदाहरण मिलते हैं। द्वितीय युद्ध में तो विभिन्न देशों में केन्द्रीय बैंकों ने सरकार को इस प्रकार का बहुत अधिक ऋण प्रदान किया था। युद्ध-काल में विभिन्न देशों की सरकारों ने ऋण प्राप्त करने के लिए मुद्रा-बाजार में प्रतिभूतियों को चलाया जिसका प्रथम भाग केन्द्रीय बैंक ने ही खरीदा। केन्द्रीय बैंकों के तल-पट Balance Sheet के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि द्वितीय युद्ध के बाद से केन्द्रीय बैंक के साधनों (Assets) में सरकार को दिये गये ऋण या बैंक द्वारा खरीदी गयी सरकारी प्रतिभूतियों का प्रतिशत बहुत अधिक है। 1933 ई० में यह बैंक ऑफ इंग्लैंड (Bank of England) के पूरे-साधनों का 98.3 प्रतिशत भाग तथा बैंक ऑफ फ्रांस (Bank of France) का 81.1 प्रतिशत भाग था। अन्य देशों में भी युद्ध के बाद केन्द्रीय बैंक साधनों में इसी प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। दूसरे देशों की तरह भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (Reserve Bank of India) ने सरकार को ऋण देकर या सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद कर सरकार के बजट के घाटे को पूरा किया है जिसकी वजह से रिजर्व बैंक के साधनों में भी सरकारी प्रतिभूतियों अथवा सरकार को दिये गये ऋण का महत्वपूर्ण स्थान हो गया। संयुक्त-राज्य अमेरिका में पहले फेडरल रिजर्व बैंक प्रत्यक्ष रूप से सरकार से प्रतिभूतियों को नहीं खरीद सकते थे किन्तु युद्ध के समय यहाँ भी यह प्रतिबन्ध हटा दिया गया। 1943 ई० में फेडरल रिजर्व बैंक के कुछ साधनों का 35 प्रतिशत भाग सरकारी प्रतिभूतियों तथा सरकारी ऋणों का था। इस प्रकार युद्ध आदि अवसरों पर सरकार केन्द्रीय बैंक में अधिक कज लेती है। इसका देश की वैकिंग व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है तथा केन्द्रीय बैंक सरकार की राजस्व नीति को कठपुतली बन जाता है। यह प्रवृत्ति आर्थिक व्यवस्था के लिए निश्चय ही हानिकारक होती है। वास्तव में, केन्द्रीय बैंक को अपनी नीति के अनुसार ही कुछ हद तक स्वतन्त्र छोड़ देना ही अधिक उचित है।

इस प्रकार केन्द्रीय बैंक का राज्य के बैंकर, एजेंट तथा सहायकार के रूप में कार्य आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। वास्तव में, सरकार एवं केन्द्रीय बैंक का हित पारस्परिक है तथा इनके कर्तव्य एवं दायित्व भी एक दूसरे के पूरक हैं। राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में सरकार को केन्द्रीय बैंक की सलाह (Respect sympathy and advice) माननी चाहिए तथा देश की वैकिंग एवं मौद्रिक व्यवस्था की धुरी के रूप में कार्य करने की हेतियत से केन्द्रीय बैंकों को भी सरकार से इन चीजों की आशा रखनी चाहिए।

3. बैंकों के बैंक के रूप में कार्य

(The Central Bank as the Banker's Bank)

प्रत्येक देश में केन्द्रीय बैंक 'बैंकों के बैंक' (Banker's Bank) के रूप में भी कार्य करता है। देश के सभी बैंक केन्द्रीय बैंक के साथ अपना वैकिंग-सम्बन्धी कारोबार रखते हैं। अतएव, केन्द्रीय बैंक का अन्य बैंकों में प्रायः यही सम्बन्ध होता है जो एक साधारण बैंक का अपने ग्राहकों से।

सर्वप्रथम तो, प्रत्येक देश में व्यावसायिक बैंकों को अपने कुल जमा दायित्व का एक निश्चित प्रतिशत भाग केन्द्रीय बैंक के भाय जमा करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न तरीके अपनाये गये हैं। अधिकांश देशों के व्यावसायिक बैंकों के साथ यह एक प्रकार का रिवाज (Convention) सा हो गया है। उदाहरण के लिए, इंग्लैंड में व्यावसायिक बैंक अपने कुल साधनों (Assets) का प्रायः प्रतिशत भाग नकद मुद्रा के रूप में रखते हैं जिसका प्रायः भाग वे बैंक ऑफ इंग्लैंड (Bank of England) के पास जमा कर देते हैं किन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत में इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था (Statutory provision) की गयी है जिसके अनुसार बैंकों को अपने कुल बालू एवं स्थायी जमा का एक निश्चित प्रतिशत भाग

केन्द्रीय बैंक के पास जमा करना पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में बैंको को उनकी स्थिति (Location) के अनुसार अपने चालू जमा (Demand Deposit) का 12 18 एवं 22 प्रतिशत तथा स्थायी जमा (Time Deposit) का 5 प्रतिशत भाग वहाँ के केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ता है। भारत में भी 1962 ई० के एक सशोधन के अनुसार सभी अनुसूचित बैंको को भारत स्थित अपनी सभी देनदारियों का 3 प्रतिशत भाग ग्रीसल रूप से रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ता है। इसके पहले इन्होंने अपने स्थायी जमा (Time Deposit) का 2 प्रतिशत भाग तथा चालू जमा (Demand Deposit) का 5 प्रतिशत भाग नकद मुद्रा के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के साथ जमा करना पड़ता था।

अब सुविधा तथा पारस्परिक लाभ के उद्देश्य से प्रत्येक देश में व्यावसायिक बैंक अपने नकद कोष का एक निश्चित प्रतिशत भाग केन्द्रीय बैंक के पास जमा करते हैं। इस प्रकार सभी बैंको द्वारा केन्द्रीय बैंक के पास नकद मुद्रा रखने से देश का नकद कोष का केन्द्रीयकरण हो जाता है। डि कॉक के अनुसार, केन्द्रीय बैंक में नकद मुद्रा का यह केन्द्रीकरण देश की अर्थ-व्यवस्था को पर्याप्त मात्रा में शक्ति प्रदान करता है।" (The centralisation of cash reserves in the Central Bank is a source of great strength to the banking system of any country) इस प्रणाली से बहुत-सादे लाभ भी हैं। केन्द्रीभूत नकद कोष एवं इसकी विशालता अधिक लोचपूर्ण सार्व व्यवस्था के निर्माण में सहायक होती है। साथ ही जब सम्पूर्ण देश के बैंको का नकद कोष एक ऐसी सस्था में एकत्र हो जाता है जिसका प्रधान उद्देश्य राष्ट्र के आर्थिक कल्याण में वृद्धि करना है, तो इसका वित्तीय अथवा मौसमी सकटों के समय प्रभावपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। बैंको के नकद कोष के केन्द्रीभूत होने से इसके प्रयोग में भी बचत होती है। यदि सम्पूर्ण देश के बैंको का नकद कोष एक जगह एकत्र नहीं होकर सभी बैंको के साथ अलग-अलग रहता तो आवश्यकता पड़ने पर उस कोष को एकत्र कर किसी राष्ट्रीय सकट का सामना करने में निस्सन्देह कठिनाई होती। इस प्रकार नकद कोष का यह केन्द्रीकरण देश की बैंकिंग व्यवस्था के लिए निश्चय ही बहुत लाभदायक है। सदस्य बैंको के नकद कोष के फेडरल रिजर्व बैंक में केन्द्रीकरण के सम्बन्ध में बर्गस (Burgess) ने ठीक ही कहा है कि सदस्य बैंकों के पास से फेडरल रिजर्व बैंक के पास नकद-मुद्रा का हस्तान्तरण केवल उसकी (नकद कोष) स्थिति में ही परिवर्तन नहीं है, वरन् यह सुरक्षित कोष की प्रकृति एवं प्रभावोत्पादकता में भी परिवर्तन है जिससे वे अपने मौलिक कार्य को अधिक सुचारु रूप सम्पन्न करते हैं।" (The shift of reserves from the vaults of the member-banks to the vaults of the Federal Reserve Bank was not simply a change in its physical location but that it made change in the character and effectiveness of the reserve and enabled them to serve more adequately their original purpose)

बैंको के जमा पर केन्द्रीय बैंक कोई व्याज नहीं देता, किन्तु केन्द्रीय बैंक के पास जमा रखने से व्यावसायिक बैंको को बहुत अधिक सुविधा होती है। इससे प्रत्येक बैंक कम ही कोष रखकर सुगमतापूर्वक अपना कार्य चला सकता है। दूसरे शब्दों में, केन्द्रीय बैंक के पास जमा रखने से व्यावसायिक बैंको के साधनों की तरलता में वृद्धि होती है। इसके अभाव में इन्हें अपने पास बराबर अधिक कोष रखना पड़ता है। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक के पास कम ही कोष रखकर व्यावसायिक बैंक बहुत कम धन में तरलता प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर ये केन्द्रीय बैंक से सहायता प्राप्त कर नकद कोष को मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं। इस प्रकार इस व्यवस्था से देश की मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था में लोच का समावेश होता है। साथ ही व्यावसायिक बैंको के सुरक्षित कोष के अनुपात में परिवर्तन लाकर केन्द्रीय बैंक देश एवं समय की आवश्यकताओं के अनुसार मुद्रा में भी परिवर्तन लाता है।

'बैंको के बैंक' के रूप में केन्द्रीय बैंक केवल व्यावसायिक बैंको का सुरक्षित कोष ही अपने पास नहीं रखना बरन यह बैंको को सकट में बचने का अन्तिम उत्तरदायित्व भी ग्रहण करता है। केन्द्रीय बैंक अपने इस उत्तरदायित्व को अन्तिम सहायक (Lender of the last resort) के रूप में पूरा करता है। यह भी केन्द्रीय बैंक का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है।

4 देश की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा के कोष का संरक्षक

(Custodian of the Nation's Reserves of International Currencies)

केन्द्रीय बैंक का एक प्रधान कार्य देश की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के संरक्षक के रूप में कार्य करना है। आजकल किसी भी राष्ट्र के कोष के दो महत्वपूर्ण अंग हैं राष्ट्रीय कोष एवं अन्तर्राष्ट्रीय कोष। राष्ट्रीय कोष के अन्तर्गत बहुमूल्य धातुओं का कोष रहता है। इसे धात्विक कोष भी कहा जाता है। यह राष्ट्रीय कोष देश की सम्पूर्ण मौद्रिक व्यवस्था के आधार का कार्य करता है। इसी आधार पर प्रत्येक देश में पत्र मुद्रा जारी करने का कार्य किया जाता है। केन्द्रीय बैंक को पत्र मुद्रा जारी करने के लिए एक विशिष्ट अनुपात में स्वर्ण-कोष रखना आवश्यक होता है। राष्ट्रीय कोष की प्रथा का आरम्भ पत्र-मुद्रा के प्रचलन के साथ हुआ। पहले मान करने पर पत्र मुद्रा को स्वर्ण में परिवर्तित करना पड़ता था। अतएव, मौद्रिक अधिकारियों को पत्र-मुद्रा जारी करने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वर्ण सुरक्षित कोष में रखना पड़ता था, किन्तु स्वर्ण-मान के पतन के बाद अब नोटों को स्वर्ण में परिवर्तित नहीं किया जाता है। आज भी प्रायः प्रत्येक देश में केन्द्रीय बैंक को पत्र-मुद्रा जारी करने के लिए स्वर्ण कोष आवश्यक रूप से रखना पड़ता है। स्वर्ण मान के समय में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दोनों कोष एक साथ रखे जाते थे, किन्तु आजकल प्रत्येक देश ने अपना अन्तर्राष्ट्रीय कोष अपने राष्ट्रीय कोष से पृथक् कर लिया है। इसका कारण यह है कि आजकल किसी देश की आंतरिक मौद्रिक व्यवस्था धात्विक कोष के अभाव में भी सुचारु रूप से चल सकती है। इससे आंतरिक कोष का आजकल बहुत कम महत्व हो गया है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए स्वर्ण एवं वैदेशिक मुद्रा के कोष का निर्माण प्रति आवश्यक है। इसी कोष के द्वारा केन्द्रीय बैंक देश की विनिमय-दर के अस्थायी परिवर्तनों को दूर करने का प्रयास करता है।

वर्तमान समय में स्वर्ण तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं के कोष के समुचित नियंत्रण का महत्व बढ़ते जा रहा है, क्योंकि किसी भी देश के विपरीत व्यापारिक सतुन (Unfavourable balance of payment) को इसी के द्वारा ठीक किया जाता है। साथ ही, आजकल पत्र-मुद्रा जारी करने के लिए भी बहुत सारे देशों में विदेशी मुद्रा के कोष को आठ के रूप में रखा जाता है। भारत में सी रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को पत्र-मुद्रा जारी करने के लिए सदा स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा के 200 करोड़ रुपये का कोष रखना पड़ता है जिसमें कम-से-कम 15 करोड़ रुपये कीमत का स्वर्ण आवश्यक होना चाहिए। अतएव, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा के कोष का महत्व आजकल बहुत अधिक हो गया है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (International Monetary Fund) की स्थापना ने विदेशी भुगतान की कठिनाइयों को कुछ सुगम अवश्य बना दिया है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर कोई भी देश इस कोष से कर्ज लेकर अपने विदेशी भुगतान की प्रतिकूलता को कम कर सकता है। फिर भी, प्रत्येक देश में केन्द्रीय बैंक एक विशिष्ट रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा के कोष को कायम रख रहे हैं, जिसका प्रयोग वे देश की मुद्रा के विदेशी विनिमय की दर में स्थायित्व (Exchange stability) के लिए करते हैं।

5 अन्तिम सहायक के रूप में कार्य

(Lender of the last Resort)

केन्द्रीय बैंक का एक प्रधान कार्य व्यावसायिक बैंकों तथा मुद्रा बाजार की विभिन्न सस्याओं के लिए अन्तिम ऋण-दाता अथवा सहायक के रूप में कार्य करना है। (Central Bank acts as the lender of the last resort) इसका तात्पर्य यह है कि जब मुद्रा बाजार अथवा व्यावसायिक बैंकों को ऋण-प्राप्ति का कोई दूसरा साधन नहीं रह जाता तो ऐसी स्थिति में केन्द्रीय बैंक अन्तिम सहायक के रूप में इन्हें सहायता प्रदान करता है। अन्तिम सहायक के रूप में केन्द्रीय बैंक का कार्य केन्द्रीय बैंक के नोट जारी करने के अधिकार से ही विकसित हुआ है। केन्द्रीय बैंक को प्रत्येक देश में नोट जारी करने का एकाधिकार प्राप्त होता है। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक देश की मुद्रा का उद्गम है। साथ ही, यह अपने देश के राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कोष का भी संरक्षक होता है। व्यावसायिक बैंक भी अपने कोष का एक निश्चित प्रतिशत भाग इसके साथ रखते हैं। इसलिए, केन्द्रीय बैंक का यह नैतिक दायित्व हो जाता है कि वह देश की औद्योगिक

एव व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त मात्रा में पत्र-मुद्रा जारी करे। केन्द्रीय बैंक उद्योग एव व्यापार की आवश्यकताओं की पूर्ति व्यावसायिक बैंकों तथा मुद्रा-बाजार की सहायता के माध्यम से ही करता है। अतएव, केन्द्रीय बैंक को हर समय व्यावसायिक बैंकों की जायज आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी तत्पर रहना पड़ता है।

व्यावसायिक बैंकों को अपने ग्राहकों की नकद मुद्रा की मांग के भुगतान के लिए कभी-कभी अधिक मात्रा में मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। खास-खाम अवसरों पर, जैसे—कर देने के लिए अथवा फसल तैयार होने के समय जनता बैंकों से अधिक मुद्रा की मांग करती है। ऐसी स्थिति में जब व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों की मांग की पूर्ति अपने साधनों से नहीं कर सकता है तो वह केन्द्रीय बैंक से सहायता की मांग करता है। केन्द्रीय बैंक को ऐसी स्थिति में इन्तिम सहायक के रूप में व्यावसायिक बैंकों की अनिवार्य रूप से सहायता करनी पड़ती है, किन्तु केन्द्रीय बैंक सहायता माँगनेवाले बैंक की स्थिति, यानी उसके साधन एव दायित्व के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से जाँच कर लेता है तथा उसके विनियम विलो अथवा हुण्डियों को पुनः बट्टा (Re-discount) कर सहायता प्रदान करता है।

केन्द्रीय बैंक का यह कार्य उसके पुनः बट्टा करने (Re-discount) के कार्य से सम्बन्धित है। पुनः बट्टा करने (Re-discount) का अर्थ यह होता है कि व्यावसायिक बैंक या मुद्रा-बाजार की अन्य सहायक आवश्यकता पड़ने पर व्यापारिक विलो को केन्द्रीय बैंक के हाथ देकर (Re-discount) मुद्रा प्राप्त करती है, किन्तु पुनः बट्टा करने की सुविधा प्रदान करने में केन्द्रीय बैंक कई बातों पर ध्यान रखते हैं। सर्वप्रथम तो, केन्द्रीय बैंक केवल उच्च कोटि की अल्पकालीन व्यापारिक विलो को ही स्वीकार करता है। ऐसे विल उत्पादन या व्यापार की क्रियाओं से प्रसूत होने हैं और इन कारण स्वतः शोष्य (Self-liquidating) समझे जाते हैं। अतएव केन्द्रीय बैंक इस कारण ऐसे विलों को ही अधिक पसन्द करते हैं। इनमें भी वे उन्हीं विलों को अधिक चाहते हैं जिनकी अवधि बहुत समीप रहती है। इससे व्यापारिक बैंक भी ऋण देने में केवल स्वतः शोष्य पत्र (Self-liquidating paper) और अल्पकालीन व्यापारिक विलो को ही प्राथमिकता प्रदान करते हैं। केन्द्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को अनिवार्य रूप से यह सुविधा केवल इसलिए प्रदान नहीं करता है कि ऐसा कर वह देश के उद्योग और व्यापार की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, किन्तु इसमें उसका मोक्षिक व्यवस्था पर नियंत्रण बढ जाता है।

किन्तु, प्रथम महायुद्ध के बाद विशेषतः 1929-30 ई० की व्यावसायिक मन्दी के समय में व्यापारिक विलों का महत्त्व कम होने लगा तथा सरकारी हुण्डियों (Treasury bill) का महत्त्व बढने लगा है। केन्द्रीय बैंक इस प्रकार की सरकारी हुण्डियों को बट्टा कर ऋण अथवा सहायता देने के लिए सदा तत्पर रहता है। केन्द्रीय बैंक पुनः बट्टा (Re-discount) की सुविधा बैंक-दर (Bank rate) पर प्रदान करता है जो बाजार दर से साधारण सदा ऊँची रहती है। इंग्लैण्ड में सस्ती मुद्रा-नीति (Cheap Money Policy) के समावेश के बाद बैंक दर 2 प्रतिशत कर दी गयी थी किन्तु बैंक ऑफ इंग्लैण्ड ऋण देने के लिए 2 प्रतिशत से अधिक सूद वसूल करता था। ऐसा करने का प्रधान उद्देश्य यह था कि व्यावसायिक बैंक केवल आवश्यकता पड़ने पर ही केन्द्रीय बैंक से सहायता की मांग करें। इस प्रकार केन्द्रीय बैंकों को पुनः बट्टा करने तथा ऋण देने के लिए व्यापक अधिकार का होना अनिवार्य है, किन्तु साधारण समय में केन्द्रीय बैंक को ऋण प्रथम बट्टा करने के लिए आनेवाले विलों के चुनाव में उदार नीति का अनुसरण नहीं करना चाहिए जिससे असामान्य समय के लिए पर्याप्त रकम वच जायगा (Thus while the Central bank should have wide re-discounting and lending powers it should in normal times be restrictive rather than liberal in its qualitative requirements as to bills eligible for re-discounts and loans so that a safe margin would be available for abnormal times)

केन्द्रीय बैंक का अन्तिम सहायक (Lender of the last resort) के रूप में कार्य सम्पूर्ण बैंकिंग व्यवस्था के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1873 ई० में सुप्रसिद्ध ब्रिटिश बैंकर तथा जर्जशास्त्री वेजहॉट ने किया था। प्रारम्भ में केन्द्रीय बैंक इस कार्य को दृढ़ निश्चय के साथ सम्पन्न करते थे। हॉट्ट्रे (Hawtrey) के अनुसार 'बैंक ऑफ इंग्लैण्ड' (Bank of England) पहले बहुधा विश्व के साथ इस कार्य को सम्पन्न करता था। वास्तव में,

धीरे-धीरे विभिन्न बैंकिंग संकटों के बाद ही बैंक ने इस कार्य को अपन उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार किया और आजकल तो यह कार्य केन्द्रीय बैंक का इतना महत्वपूर्ण कार्य हो गया है कि यह केन्द्रीय बैंकिंग की एक आवश्यक विशेषता बन गया है। (It has come to be regarded as sine qua non of Central Banking केन्द्रीय बैंक आजकल अपने अन्तिम सहायक के रूप में कार्य को बहुत अधिक महत्त्व देते हैं) वास्तव में, इससे आज विश्व के प्रायः सभी देशों में बैंकिंग व्यवस्था बहुत अधिक सबल हो गयी है।

बैंक ऑफ इंग्लैंड का अन्तिम सहायक के रूप में कार्य :— बैंक ऑफ इंग्लैंड ने उन्नीसवीं सदी के मध्य में लन्दन के मुद्रा-बाजार द्वारा लायी गयी पुनः वट्टा (Re discount) कर मुद्रा बाजार को सहायता देना प्रारम्भ किया, किन्तु प्रारम्भ में ऐसा करने में वह बहुत अधिक क्रिफ्त से काम लेता था। कई आर्थिक संकटों के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि मुद्रा-बाजार को स्थायी रूप देने के लिए अन्तिम सहायक के रूप में उसका कार्य अनिवार्य है। बेग्हाट (Beg-hot) ने अपनी पुस्तक Lombard Street में इस बात की निष्कर्षित की कि बैंक ऑफ इंग्लैंड का अन्तिम सहायक के रूप में कार्य उसके लिए अनिवार्य होना चाहिए। उसके बाद से इंग्लैंड की बैंकिंग प्रणाली में ऐसी परिवर्तनाएँ बन गयी हैं जिनके कारण बैंक ऑफ इंग्लैंड कभी भी मुद्रा बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने से इन्कार नहीं कर सकता, किन्तु इंग्लैंड की प्रथा कुछ विचित्र-सी है। वहाँ के व्यावसायिक बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास स्वयं Re-discounting की सुविधा या ऋण के लिए नहीं जाकर मुद्रा बाजार के माध्यम से अपना सम्पर्क रखते हैं। इसलिए, आवश्यकता पड़ने पर ये मुद्रा-बाजार को दिये गये अपने अल्पकालीन ऋणों को वापिस लेने लगते हैं जिससे बाध्य होकर मुद्रा-बाजार को बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास सहायता के लिए जाना पड़ता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड उन्हें बैंक-दर पर सहायता देता है जो साधारणतया बाजार-दर से अधिक रखी जाती है। इसका प्रभाव बाजार दर पर भी पड़ता है।

किन्तु, द्वितीय महायुद्ध के बाद इस क्षेत्र में दो नयी प्रवृत्तियों का समावेश हुआ है। पहली प्रवृत्ति यह है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड और व्यावसायिक बैंकों में प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित होना शुरू हो गया है। द्वितीय महायुद्ध के समय सरकारी ऋणियों की सहायता बहुत बढ़ गयी और बैंकों ने इन्हे बहुत अधिक परिमाण में खरीदना प्रारम्भ कर दिया। इससे मुद्रा बाजार में सरकारी ऋणियों की प्रधानता हो गयी। इनकी सूद की दर भी बहुत कम थी और उन्हें निम्न-स्तर पर कायम रखने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड के लिए यह आवश्यक हो गया कि उन्हें स्वीकार कर उनके बदले में सात की सृष्टि करे। अतः व्यावसायिक बैंकों ने भी सरकारी ऋणियों के धारापर बैंक ऑफ इंग्लैंड से प्रत्यक्ष रूप में सहायता प्रारम्भ किया।

दूसरी प्रवृत्ति को Open backdoor method कहते हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड व्यावसायिक बैंकों तथा मुद्रा-बाजार को बैंक दर पर सहायता देने के लिए सदा तत्पर रहता है किन्तु इस दर के बाजार-दर से अधिक रहने के कारण बाजार-दर भी प्रवश्य ही बढ़ जाती है। अतएव, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक ऐसी प्रथा प्रारम्भ की जिसके अनुसार प्रतिनिधि व्यावसायिक बैंकों एवं मुद्रा बाजार के बिलों को बाजार-दर पर स्वीकार कर उन्हें सहायता देने लगा। इस प्रकार मुद्रा-बाजार को बाजार-दर पर ही सहायता प्राप्त हो जाती है। साथ ही, बाजार दर भी स्थायी रहती है। अतः बाजार-दर पर ही बैंक तथा मुद्रा बाजार को इस प्रकार की सहायता मिलती है जिसे Open backdoor method कहा जाता है।

1913 ई० में जब अमेरिका में Federal Reserve System की स्थापना हुई तो सदस्य बैंकों को पुनः वट्टा (Re discounting) की सुविधा देकर उनकी सहायता करना इसका महत्वपूर्ण कार्य समझा गया, किन्तु यह केवल सरकारी ऋणियों या व्यापारिक बिलों का (Re discount) कर ही ऐसा कर सकता था। फेडरल रिजर्व बैंक पर प्रारम्भ में ऋण अथवा अप्रिम देने के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगा दिया गया था, किन्तु 19१9 ई० की सनानक मन्त्री के समय से यह प्रतिबन्ध हटा लिया गया और रिजर्व प्रणाली को यह पूरा अधिकार दिया गया कि आवश्यकता पड़ने पर यह बैंकों को अल्पकालीन सहायता Temporary accommodation) प्रदान करे। फेडरल रिजर्व बैंक बैंकों के Acceptances की स्वीकार कर ही उन्हें सहायता दे रहा है जो बहुत कुछ इंग्लैंड की Re-discounting प्रणाली के समान है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी भारत के अनुसूचित बैंको (Scheduled Banks) के अन्तिम सहायक के रूप में आधिक सकट के समय में ऋण देकर इन्हे सकट से बचाता है।

6. समाशोधन-गृह के रूप में कार्य

(To act as Clearing House)

प्रत्येक देश में केन्द्रीय बैंक व्यावसायिक बैंको के समाशोधन-गृह (Clearing house) के रूप में भी कार्य करता है। यह केन्द्रीय बैंक का एक प्रधान कार्य है। केन्द्रीय बैंक यह कार्य केवल परम्परागत (Convention) ग्रथवा सुविधा के दृष्टिकोण से ही करता है। इस कार्य में उनकी स्थिति बहुत हद तक सहायक होती है, क्योंकि देश के सभी व्यावसायिक बैंको के नकद कोष का एक अंग इसके साथ जमा रहता है जिसके द्वारा बैंको के आपसी ऋणों का भुगतान सुगमतापूर्वक हो जाता है।

समाशोधन-गृह एक ऐसी संस्था है जो बैंको को पारस्परिक भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। प्रो० टॉसिंग (Tausing) के अनुसार, "समाशोधन गृह किसी स्थान के बैंकों का एक ऐसा सामान्य संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य बैंकों द्वारा निर्मित परस्पर दायित्व (Cross obligations) का निपटारा या भुगतान करना होता है।" (Clearing house is a general organisation of banks of a given place having for its main purpose, the off-setting of cross obligations in the form of cheques) केन्द्रीय बैंक प्रायः प्रत्येक देश में समाशोधन गृह का कार्य करता है। केन्द्रीय बैंक के इस कार्य से व्यावसायिक बैंक बहुत ही लाभान्वित होते हैं। इससे बैंको का आपसी भुगतान बहुत सरल होता है तथा मुद्रा के उपयोग में भी मितव्ययिता होती है। इस प्रकार बैंक का यह कार्य सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था को सबल बनाता है। विल्स (Wills) के शब्दों में, "केन्द्रीय बैंक द्वारा समाशोधन की सुविधा प्रदान करने से केवल नकद मुद्रा तथा पूँजी के प्रयोग में मितव्ययिता ही नहीं होती, वरन् इससे किसी भी समय देश की तरलता की मात्रा का पता चल जाता है जिसके सम्बन्ध में केन्द्रीय बैंक को रोज-ब-रोज की जानकारी रखना आवश्यक हो जाता है।" (A system of clearing organised and solidified by the Central Bank is not only a means of economising cash and capital but is also a means of testing at any time the degree of liquidity which the community is maintaining, a matter which is essential for the Central Bank to know from day-to-day Wills) साथ ही, इससे केन्द्रीय बैंक किसी बैंक विशेष की कार्यवाही के सम्बन्ध में भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक का यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य है।

7. साख-नियन्त्रण का कार्य

(Control of the Credit-Structure)

केन्द्रीय बैंक का एक प्रधान कार्य देश में साख-मुद्रा का नियमन एवं नियन्त्रण करना है। (Central Bank regulates and controls the credit structure of the country) साख मुद्रा का प्राधुनिक औद्योगिक एवं व्यावसायिक व्यवस्था में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह समाज की विभिन्न प्रकार से सेड़ा करती है, किन्तु कमी कमी उचित नियमन के अभाव में इससे समाज को अत्यधिक हानि भी होती है। साख-मुद्रा का सृजन व्यावसायिक बैंको के हाथ में है। ये अत्यधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से कमी-कमी अपने साख-मृजन की शक्ति का दुरुपयोग भी करते हैं जो आर्थिक व्यवस्था के लिए निरसदेह हानिकारक मिश्र होता है। अतएव, साख-मुद्रा का नियमन एवं नियन्त्रण से देश की आर्थिक व्यवस्था को सबल बनाने के लिए अति आवश्यक है, और चूंकि केन्द्रीय बैंक देश की मौद्रिक एवं आर्थिक व्यवस्था का अगुजा होता है, अतएव साख के नियमन एवं नियन्त्रण का कार्य इसी के जिम्मे रहना चाहिए। इस प्रकार साख नियन्त्रण का कार्य केन्द्रीय बैंक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

अगले कुछ अध्यायों में साख-नियन्त्रण के विभिन्न उद्देश्यों एवं तरीकों का सविस्तार व्याख्या की जायगी।

निष्कर्ष—प्रत्येक देश में केन्द्रीय बैंक साधारणतया उपरोक्त सारे कार्यों को सम्पन्न करता है। किन्तु, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि केन्द्रीय बैंक केवल उक्त सारे कार्यों को ही सम्पन्न करते हैं। वास्तव में, आज के युग में केन्द्रीय बैंक के कार्यों का निरन्तर विस्तार हो रहा है। आधुनिक युग में केन्द्रीय बैंक का क्या कार्य होना चाहिए इसकी व्याख्या भारतीय चलन एवं वित्त आयोग (Royal Commission on Indian Currency and Finance) के समस्त बैंक ऑफ इंग्लैंड के तत्कालीन गवर्नर के निम्न बयान से स्पष्ट हो जाता है—‘केन्द्रीय बैंक को पत्र-मुद्रा जारी करने का अधिकार, विधि-प्राह्य मुद्रा (Legal Tender Currency) का प्रसार अथवा इसे चलन से हटाने का एकाधिकार होना चाहिए इसके पास सरकार के सभी कोष रहने चाहिए, यह देश के सभी बैंकों एवं उनकी शाखाओं के सभी शेष-धन (Balances) का धारक (Holder) होना चाहिए, इसे सरकार का एक ऐसा एजेंट होना चाहिए जिसके द्वारा सरकार की समस्त देशी एवं विदेशी आर्थिक नियाएँ सम्पन्न की जा सकें, केन्द्रीय बैंक का यह भी कर्तव्य होना चाहिए कि देश की मुद्रा के आन्तरिक एवं बाह्य मूल्य में यथासम्भव स्थायित्व बनाये रखते हुए चलन प्रणाली में उपयुक्त विस्तार एवं संकुचन करे, सकट-काल एवं अनावश्यकता के समय के द्रीय बैंक को एक ऐसा स्रोत होना चाहिए जो सरकारी प्रतिभूतियों (Securities) या अन्य रवीकृत (Approved) अल्पकालीन प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण प्रदान कर सके या जो अन्याय विपत्रों (Bills) का पुनः बट्टा (Rediscount) करके अग्रिम के रूप में साख प्रदान कर सके।’ इस कथन से केन्द्रीय बैंक के समस्त कार्यों का बोध हो जाता है।

विशेष अध्ययन-सूची

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| 1. De Kock | Central Banking, Chapters I to VII |
| 2. Sayers | Modern Banking Chapter V |
| 3. Crowther | An Outline of Money, Chapter II |
| 4. Kisch and Elkin | Central Banks |

अध्याय : 23

साख का नियन्त्रण

(Credit Control)

प्राक्कथन :—साख का नियमन एव नियन्त्रण केन्द्रीय बैंक का एक प्रधान कार्य है। साधारणतः, यह कहा जाता है कि केन्द्रीय बैंक वा यह कार्य इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि इसके अन्य सभी कार्यों का सूत्रपात इसी कार्य से हुआ है। वास्तव में, केन्द्रीय बैंक के अन्य सभी कार्य उसके साख नियन्त्रण-सम्बन्धी कार्य से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक देश की मौद्रिक व्यवस्था में बैंक मुद्रा, यानी साख का महत्व आजकल बहुत बढ़ गया है। बैंक-मुद्रा (Bank Deposit) या साख-भूजन का कार्य व्यावसायिक बैंक करते हैं। इसकी राशि में परिवर्तन का देश की आर्थिक स्थिति पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, अतएव मौद्रिक नीति के सफल संचालन के लिए इन पर केन्द्रीय बैंक वा समुचित नियन्त्रण अनिवार्य हो जाता है। केन्द्रीय बैंक द्वारा साख-नियन्त्रण का अर्थ साख की पूर्ति को देश की औद्योगिक एव व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार समुचित रूप से समायोजित करना है क्योंकि व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार साख की पूर्ति नहीं रहने से मूल्य-तल प्रभावित होता है।

साख-नियन्त्रण की आवश्यकता (Need for control of credit) :—वर्षों पूर्व से ही आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में साख के मूलन एव वितरण के नियन्त्रण की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। इसका प्रधान कारण यह है कि आधुनिक समय में देश के अधिकांश मौद्रिक एवं व्यावसायिक मुक्तानों में साख का बहुत बड़ा पैमाने पर प्रयोग किया जाता है, अतएव साख का देश की आर्थिक स्थिति पर अच्छा तथा बुरा दोनों ही प्रकार का प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि आधुनिक आर्थिक व्यवस्था मुद्रा पर नहीं आधारित होकर मुख्य रूप से साख पर ही आधारित है। साख की मात्रा में परिवर्तन के फलस्वरूप मुद्रा की क्रय-शक्ति (Purchasing power of money) एव व्यावसायिक क्रियाशीलता (Business activities) में परिवर्तन होता है और चूंकि मुद्रा का क्रय-शक्ति एव व्यावसायिक क्रियाशीलता में परिवर्तन का आर्थिक जीवन के विभिन्न अंगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, अतएव साख का नियन्त्रण देश के आर्थिक कल्याण के लिए आवश्यक समझा जाता है। वास्तव में, गत तीस-पैंतीस वर्षों में मुद्रा की क्रय शक्ति एव व्यावसायिक क्रियाशीलता में परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न आर्थिक एव सामाजिक अव्यवस्था ने साख के नियमन एव नियन्त्रण के महत्व को और भी बड़ा दिया है। यही कारण है कि विश्व के प्रायः सभी देशों में केन्द्रीय बैंक का देश की साख-व्यवस्था पर किसी-न-किसी प्रकार का नियन्त्रण अवश्य पाया जाता है।

आधुनिक समय में चलन की मात्रा का नियमन (Regulation of Currency) भी बहुत हद तक साख के नियन्त्रण से ही सम्बन्धित है। अधिकांश केन्द्रीय बैंकों के विधान में तो इस प्रकार की व्यवस्था पायी जाती है। उदाहरणार्थ, बैंक ऑफ कनाडा (Bank of Canada) के विधान में बैंक का प्रमुख कार्य 'साख एव चलन का नियन्त्रण' (To regulate credit and currency) तथा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (Reserve Bank of India) के विधान में चलन एव साख-प्रणाली वा देश के आर्थिक हितों के अनुसार नियमन (Generally to operate the credit and currency system of the country to its advantages) आदि की व्यवस्था की गयी है।

साख-नियन्त्रण के उद्देश्य

(Objectives of Credit Control)

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि साख-नियन्त्रण की आवश्यकता के सम्बन्ध में आज सभी व्यक्ति एकमत हैं, किन्तु साख-नियन्त्रण के उद्देश्य (Objectives of Credit Control), यानी साख का नियन्त्रण किस उद्देश्य से होना चाहिये, इस सम्बन्ध में आज भी विभिन्न मत पाये जाते हैं।

साख-नियन्त्रण के साधारणतया निम्नलिखित तीन उद्देश्य बतलाये जाते हैं :—

- (क) विनिमय-दर को स्थायी बनाना (Stabilization of the Rate of Exchange);
- (ख) मूल्य-तल को स्थायी बनाना (Price-stabilization), तथा

(ग) आय एव रोजगार के उच्च स्तर पर आर्थिक स्थायित्व (Economic stabilization at a high level of income and employment) ।

अब साख-नियन्त्रण के इन विभिन्न उद्देश्यों का निम्न विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है—

(क) विनिमय-दर को स्थायी बनाना (Stabilization of the Rate of Exchange) — साख-नियन्त्रण की नीति का प्रधान उद्देश्य विनिमय दर को स्थायी बनाना भी हो सकता है, क्योंकि विनिमय दर के स्थायित्व का देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, प्रथम महायुद्ध के पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण प्रमाण का प्रधान उद्देश्य विनिमय दर को स्थायी बनाना था। अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान न विभिन्न देशों की मुद्राएँ सोने की बनी या स्वर्ण पर आधारित होती थी, अतः उनकी विनिमय-दरों में स्थायित्व रहता था।

इस प्रकार 1931 ई० के पूर्व साख-नियन्त्रण की नीति का प्रधान उद्देश्य विनिमय दर को स्थायी बनाना था। विनिमय दर के स्थायित्व पर उस समय अधिक जोर दिया जाता था। इसका प्रधान कारण उस समय लोगों के बीच इस प्रकार की धारणा का प्रचलन था कि अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास (International confidence) एवं अधिकतम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, जो विश्व के अधिकतम आर्थिक कल्याण के लिए आवश्यक समझे जाते थे, के लिए विनिमय दर को स्थायी बनाना बिल्कुल अनिवार्य है। आज भी बहुत-से बैंकर तथा अर्थशास्त्री इस प्रकार की बात सोचते हैं किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान (International Gold Standard) के अन्तर्गत किसी भी राष्ट्र को आर्थिक नीति के मामले में स्वतन्त्रता नहीं थी। अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान के सफल संचालन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सतुलन की स्थिति को कायम रखना आवश्यक था। अतएव असतुलन की स्थिति उत्पन्न होने पर मूल्य-तल में परिवर्तन लाकर इसे सुधारने का प्रयत्न करना पड़ता था। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान के अन्तर्गत विदेशी विनिमय की दर में स्थायित्व राष्ट्रीय स्थायित्व की वेदी पर ही प्राप्त किया जाता था। स्वर्ण-मान के अन्तर्गत जब स्वर्ण बाहर जाने लगता था तो देश के मुद्रा अधिगारों को मुद्रा-संकुचन तथा जब स्वर्ण बाहर से आने लगता था तो मुद्रा-प्रसार करना पड़ता था। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान स्वतः प्रचलित (Automatic) होता था। इसे कार्यान्वित करने में केन्द्रीय बैंक प्रायः निष्क्रिय ही रहता था। इससे स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान के अन्तर्गत विनिमय दर के स्थायित्व पर ही अधिक ध्यान दिया जाता था।

(ख) मूल्य-तल को स्थायी बनाना (Price Stabilisation) — आधुनिक समय में, विशेषतः अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान के पतन के बाद से, साख-नियन्त्रण की नीति का प्रधान उद्देश्य आन्तरिक मूल्य-तल को स्थायी बनाना (Price Stabilisation) समझा जाता है। मूल्य तल को स्थायी बनाना कई कारणों से लाभदायक है। इससे देश के राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है, आर्थिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है और इस प्रकार राष्ट्र के आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि होती है।

अधिकांश अर्थशास्त्रियों की राय में साख-नियन्त्रण की नीति का प्रधान उद्देश्य मूल्य तल का स्थायित्व होना चाहिए क्योंकि आन्तरिक मूल्य-तल में स्थायित्व देश के आर्थिक कल्याण के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। इन लोगों के अनुसार मूल्य-तल में परिवर्तन का देश के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका देश के उत्पत्ति कार्यों तथा आर्थिक सम्बन्ध पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे इसका प्रभाव विभिन्न देशों के आर्थिक जीवन पर भी पड़ता है। साथ ही, विनिमय-दर का स्थायित्व देश की आर्थिक व्यवस्था को दूसरे देशों की मौद्रिक नीति पर आश्रित बना देता है। मूल्य-तल में स्थायित्व के द्वारा इन आर्थिक तथा सामाजिक दुष्परिणामों को रोका जा सकता है। इतना ही नहीं मूल्य तल के स्थायित्व तथा विनिमय दर में आवश्यकतानुसार परिवर्तन की नीति अपनाने से विदेशी मौद्रिक नीति पर निर्भरता को भी समाप्त किया जा सकता है। अतएव केन्द्रीय बैंक के साख-नियन्त्रण की नीति का प्रधान उद्देश्य मूल्य तल को स्थायी बनाना होना चाहिए। केन्द्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति द्वारा मूल्य-तल को प्रभावित कर सकता है। 1931 ई० में स्वर्ण-मान के पतन के बाद से ग्रैंट ब्रिटेन तथा अधिकांश देशों ने इसी प्रकार की मौद्रिक नीति का अनुकरण किया था जिसका प्रधान उद्देश्य मूल्य तल का स्थायित्व था।

(ग) आय एवं रोजगार को उच्च स्तर पर स्थायी बनाना (Economic stabilisation at a high level of income and employment)—किन्तु यदि केन्द्रीय बैंक मूल्य तल अथवा विनिमय-दर को स्थायी बनाने में सफल भी हो जाता है, तो इससे आर्थिक स्थायित्व (Economic stability) नहीं स्थापित हो सकता है। आर्थिक स्थायित्व के लिए आय एवं रोजगार के स्तर को स्थायी बनाना अनिवार्य है। अतएव आजकल बहुत सारे अर्थशास्त्री इस विचार के हैं कि मौद्रिक अधिकारियों का प्रधान उद्देश्य व्यापार चक्र के परिवर्तनों को यथासम्भव कम कर आर्थिक व्यवस्था को आय एवं रोजगार के उच्च स्तर पर स्थायी बनाना होना चाहिए। इसके अनुसार मूल्य-तल एवं विनिमय-दर को स्थायी बनाना भी वांछनीय है, किन्तु य उद्देश्य इसके सहायक के रूप में ही हैं। अतएव वर्तमान समय में प्रायः प्रत्येक देश की साख एवं मौद्रिक नीति का प्रधान उद्देश्य आय एवं रोजगारी के उच्चतम स्तर पर आर्थिक स्थायित्व हो गया है। सर्वोप में, यह कहा जा सकता है कि राष्ट्र के आर्थिक कल्याण के उद्देश्य से सापेक्षिक आर्थिक स्थायित्व आवश्यक है। अतएव ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन आदि देशों ने भी अपनी मौद्रिक एवं साख नीति के प्रधान उद्देश्य के रूप में इसी उद्देश्य को अपनाया है।

किन्तु इस सम्बन्ध में "आधुनिक प्रवृत्ति एक ऐसी मौद्रिक एवं साख नीति के अनु-करण की है जिसमें विनिमय दर के स्थायित्व एवं उच्चतम स्तर पर रोजगारी तथा वास्तविक आय को बनाये रखने के दोनों उद्देश्यों में उचित समन्वय स्थापित किया जा सके।" (The most recent tendency in official monetary circles is to combine the objectives of international exchange stability with that of promoting and maintaining high levels of employment and real income)। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (International Monetary Fund) की स्थापना ने इस प्रकार के समन्वय के कार्य को बहुत सुगम बना दिया है। मुद्रा-कोष सम्बन्धी समझौते के अनुसार प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र को अपनी मुद्रा की विनिमय-दर को स्थायी बनाना अनिवार्य है। सदस्य-राष्ट्र मौलिक असंतुलन (Fundamental disequilibrium) का समाधान मुद्रा-कोष से कर्ज लेकर या इसकी अनुमति से अपनी मुद्रा के अवमूल्यन द्वारा कर सकते हैं। इस प्रकार मुद्रा कोष की स्थापना से साख एवं मौद्रिक नीति के इन दोनों उद्देश्यों में सामंजस्य स्थापित करने में अत्यधिक सुविधा हुई है।

साख नियंत्रण की नीति की सफलता की शर्तें

(Conditions Essential for the Success of Credit Control Policy)

केन्द्रीय बैंक के साख-नियन्त्रण की नीति की सफलता निम्नलिखित शर्तों पर आधारित है—

(1) केन्द्रीय बैंक का सम्पूर्ण मुद्रा-बाजार पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण होना चाहिए। मुद्रा बाजार की विभिन्न सस्थाओं को, जो साख अथवा मुद्रा के व्यापारी के रूप में कार्य करती हैं, केन्द्रीय बैंक से सम्बन्ध अनिवार्य है। सम्पूर्ण बाजार पर नियन्त्रण नहीं रहने से केन्द्रीय बैंक को साख-नियन्त्रण के कार्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (Reserve Bank of India) का देशी बैंकर एवं महाजन (Indigenous banks), जो भारतीय मुद्रा बाजार के एक प्रधान अंग हैं, पर प्रायः कोई नियन्त्रण नहीं है। ऐसी स्थिति में यहाँ साख नियन्त्रण के कार्य में रिजर्व बैंक को कठिनाई होती है।

(2) साख-नियन्त्रण की नीति की सफलता के लिए देश में एक सुसंगठित मुद्रा-बाजार का होना अत्यन्त आवश्यक है। सुसंगठित मुद्रा-बाजार में विभिन्न प्रकार की सस्थाएँ कार्य करती हैं जिनका केन्द्रीय बैंक से निकटतम सम्पर्क रहना है, किन्तु सुसंगठित मुद्रा-बाजार की स्थापना केवल उन्हीं देशों में सम्भव है जिनका राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों बहुत अधिक विकसित स्थिति में हो तथा इसके आन्तरिक मुग्तान में विनिमय-विलो का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता हो।

(3) साख-नियन्त्रण की नीति की सफलता आर्थिक एवं मौद्रिक क्षेत्र में केन्द्रीय बैंक की स्थिति एवं नेतृत्व पर निर्भर करती है। इसके लिए केन्द्रीय बैंक में जतना का पूरा-पूरा

विश्वास होना चाहिए। साथ ही, केन्द्रीय बैंक एवं व्यावसायिक बैंको में परस्पर अधिक सहयोग की भावना का होना भी अनिवार्य है, अन्यथा साख-नियन्त्रण के कार्य में कठिनाई होगी।

(4) केन्द्रीय बैंक को साख-नियन्त्रण के सम्बन्ध में विस्तृत वैधानिक अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए जिससे वह विभिन्न बैंको की क्रियाओं को नियन्त्रित कर सके। इसलिए नये-नये केन्द्रीय बैंको को इस सम्बन्ध में विस्तृत अधिकार दिये गये हैं, जिससे इन्हे व्यावसायिक बैंको की क्रियाओं को नियन्त्रित करने में बहुत अधिक सुविधा प्राप्त होती है।

साख-नियन्त्रण के तरीके

(Methods of Credit Control)

साख नियन्त्रण के दो पक्ष हैं — (1) परिमाणात्मक (Quantitative) तथा (2) गुणात्मक (Qualitative)। परिमाणात्मक तरीको का सम्बन्ध साख के परिमाण एवं उनकी कीमत के नियन्त्रण से है। पहले यह आम धारणा थी कि साख का परिमाणात्मक नियन्त्रण ही पर्याप्त है, क्योंकि साख के परिमाण के नियन्त्रण से ही उसके उपयोग एवं व्यवहार का भी नियन्त्रण हो जाता है। यदि व्यावसायिक बैंक उत्पादन एवं वाणिज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साख की सृष्टि करें और केन्द्रीय बैंक उत्पादन एवं वाणिज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायता दे तो खूद व-खूद गुणात्मक नियन्त्रण भी हासिल हो जाता है, किन्तु, धीरे धीरे मौद्रिक क्षेत्र के अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि साख का केवल परिमाणात्मक नियन्त्रण ही पर्याप्त नहीं है। इससे साख के दुरुपयोग की सम्भावनाएँ उत्पन्न होती हैं और व्यावसायिक बैंक अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से ही साख का सृजन करते हैं। इसका कभी कभी देश के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में बैंको ने शेयर-बाजार को कर्ज देकर 1924-29 ई० के बीच शेयर बाजार (Stock Exchange) की तेजी (Boom) की सृष्टि की जिससे साख का दुरुपयोग हुआ और जिसके परिणामस्वरूप वाल स्ट्रीट का महान सड़क (Wall Street crash) उपस्थित हुआ।

अतएव परिमाणात्मक नियन्त्रण के साथ साथ साख का गुणात्मक नियन्त्रण भी अनिवार्य है। इस प्रकार की नीति का उद्देश्य यह है कि साख का प्रयोग उन्हीं कार्यों के लिए हो जिन्हे केन्द्रीय बैंक स्वीकार्य समझता हो। अतः, गुणात्मक नियन्त्रण को सफल बनाने के लिए केन्द्रीय बैंक साख की सृष्टि विशेष कार्यों के लिए ही मान्य समझता है और जो बैंक इस रास्ते पर नहीं चलते उन्हें यह सहायता नहीं प्रदान करता है। इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक देश में केन्द्रीय बैंक की शक्तियों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। गुणात्मक नियन्त्रण के तरीको का अमेरिका में विशेष रूप से प्रयोग हुआ है।

केन्द्रीय बैंक साख नियन्त्रण के लिए साधारणतया निम्नलिखित तरीको का प्रयोग करता है —

(क) परिमाणात्मक नियन्त्रण के तरीके (Methods of Quantitative Control) — परिमाणात्मक नियन्त्रण के निम्नलिखित प्रधान तरीके हैं —

- (1) बैंक दर नीति (Bank Rate Policy);
- (2) खुले बाजार की क्रियाएँ (Open Market Operation) तथा
- (3) व्यावसायिक बैंको के नकद कोष के अनुपात में परिवर्तन (Variations in Cash Reserve Ratio of Commercial Banks)।

(ख) गुणात्मक नियन्त्रण के तरीके (Methods of Qualitative Control) — इनमें निम्नलिखित प्रधान हैं :—

- (4) साख की रेशनिंग (Rationing of Credit),
- (5) प्रत्यक्ष कार्य (Direct Action),
- (6) नैतिक दबाव (Moral Persuasion),
- (7) प्रचार (Publicity),

(8) शेयर-बाजार के ऋण की सीमा में परिवर्तन करना (Regulation of margin requirements of Stock Exchange Securities), तथा

(9) उपभोक्ता-साख का नियन्त्रण (Regulation of Consumer's Credit) ।

केन्द्रीय बैंक साधारणतया साख नियन्त्रण के लिए उक्त तरीकों का प्रयोग करता है ।¹ इनमें से प्रथम श्रेणी के तीन तरीके परिमाणात्मक नियन्त्रण के तरीके (Methods of Quantitative control) तथा द्वितीय श्रेणी के छह तरीके गुणात्मक नियन्त्रण के तरीके (Methods of Qualitative Control) हैं । परिमाणात्मक तरीकों का उद्देश्य साख के परिमाण एवं उनकी कीमत का नियन्त्रण करना होता है, क्योंकि साख के परिमाण में परिवर्तन का मूल्य-तल एवं राष्ट्रीय आय पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, किन्तु गुणात्मक नियन्त्रण का उद्देश्य साख के प्रयोग को नियन्त्रित करना होता है । इससे सुव्यस्थित आर्थिक व्यवस्था की सृष्टि होती है ।

विशेष अध्ययन-सूची

- | | |
|-------------|---------------------------------------|
| 1. De Kock | • Central Banking, Chapter VIII |
| 2. Crowther | An Outline of Money, Chapters II & VI |
| 3. Sayers | Modern Banking, Chapter V |



1 सुप्रसिद्ध विद्वान् डी काक (De Kock) के अनुसार केन्द्रीय बैंक साख नियन्त्रण के निम्नांकित तरीकों का प्रयोग करता है—

- (i) The lowering or raising of their discount and interest rates with a view to lowering or raising money rates generally and encouraging the expansion or contraction of credit
- (ii) The buying or selling of securities or bills of exchange in the open market with a view to putting additional funds into the market or withdrawing funds therefrom and thus expanding or contracting credit
- (iii) The rationing of credit is an alternative or in addition to raising discount and interest rates
- (iv) The taking of 'direct action' either in the form of coercive measures against any offending bank or other financial institutions or in the form of directives issued to banks generally concerning their lending and investment operations in order to assist the central bank in controlling the quantity of credit as well as securing a better qualitative distribution of credit
- (v) The lowering or raising of minimum cash reserves to be maintained by the commercial banks as an additional means of enabling the central bank to expand or contract their capacity to create credit
- (vi) The imposition of minimum secondary reserve requirements to be maintained by the commercial banks in the form of Government securities and other specified assets in order to restrict their capacity to extend credit for general business purposes
- (vii) The regulation of the terms and conditions under which credit repayable in instalments may be granted for purchasing or carrying consumer's durable goods as a means of exercising some direct control over the volume of outstanding consumer credit
- (viii) The regulation of margin requirements in connection with purchases of stock exchange securities, as an instrument for exercising some direct control over the volume of credit used in the security markets, and
- (ix) The use of moral persuasion and publicity to achieve the desired objectives.

अध्याय : 24

बैंक-दर का सिद्धान्त

(The Theory of Bank Rate)

बैंक-दर का अर्थ (Meaning of the Bank Rate) — बैंक दर वह दर है जिस पर केन्द्रीय बैंक व्यावसायिक बैंको अथवा मुद्रा बाजार की प्रथम सस्थाओं के बिलों का पुनः बट्टा (Rediscount) करता है। (Bank rate is the rate at which the Central Bank rediscounts Bills of Exchange of Commercial Banks or other institutions) अतएव बैंक-दर को बट्टा दर (Discount Rate) भी कहा जाता है। बैंक-दर बाजार-दर से साधारणतया ऊँची रहती है।¹ बैंक-दर को ऊँचा रखन का कारण यह है कि व्यावसायिक बैंक तथा मुद्रा-बाजार केवल सवटकाल में ही केन्द्रीय बैंक से सहायता की मांग करें। जब बैंक दर बाजार दर से कम होगी, तब व्यावसायिक बैंक केन्द्रीय बैंक की सहायता को अपनी पूँजी के रूप में प्रयुक्त करने लगेंगे। इसका देश की वैनिंग व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, केन्द्रीय बैंक व्यावसायिक बैंक अथवा मुद्रा बाजार की अन्य सस्थाओं के केवल अन्तिम ऋण-दाता (Lender of the Last Resort) के रूप में ही कार्य करता है अर्थात् जब इन सस्थाओं को किसी दूसरे साधन से ऋण नहीं मिल पाता, तभी य केन्द्रीय बैंक के पास सहायता के लिए जाती है। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय बैंक एक प्रकार से दण्ड (Penalising rate) के रूप में इनसे बाजार दर से कुछ अधिक दर वसूल करता है।

बैंक दर के सिद्धान्त का विकास (Evolution of the Bank-Rate Policy) — बैंक ऑफ इंग्लैंड (Bank of England) पहला केन्द्रीय बैंक था जिसने साव नियन्त्रण के साधन के रूप में बैंक दर का प्रयोग प्रारम्भ किया। इसने बैंक दर का प्रयोग इन कार्य के लिए सबसे प्रथम 1839 ई० में किया था और पुनः 1847, 1857 एवं 1865 ई० के सवट के समय इसका प्रयोग किया गया। इस समय यह बैंक धीरे धीरे मुद्रा बाजार के अन्तिम ऋण दाता (Lender of the Last Resort) के रूप में कार्य करने के दायित्व को ग्रहण कर रहा था। इसका तात्पर्य यह था कि बैंक ऑफ इंग्लैंड कठिनाई अथवा सवट के समय मुद्रा-बाजार एवं व्यावसायिक बैंकों की सहायता की मांग को पूरा करने के लिए हर समय तैयार रहता था। धीरे-धीरे अन्य देशों के केन्द्रीय बैंकों ने भी इस तरीके को अपनाया प्रारम्भ किया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने उक्त सवटों के समय बैंक दर के प्रयोग से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला था — (क) बैंक दर की सफलता के लिए यह अनिवार्य है कि इसका प्रयोग किसी प्रवृत्ति के आरम्भ से ही हो क्योंकि मन्दी अथवा तेजी के बहुत दूर तक आने वढ जाने पर बैंक दर का प्रयोग साधारणतया विफल सिद्ध होता है। (ख) बैंक दर सामान्यतया बाजार दर से ऊँची रहनी चाहिए। इससे वे केन्द्रीय बैंक की सहायता केवल सवट-काल में ही अन्य बैंकों को उपलब्ध हो सकती है।

1 यहाँ बैंक दर एवं बाजार दर में अन्तर को समझ लेना आवश्यक है। बैंक दर (Bank-rate) केन्द्रीय बैंक की वह दर है जिस पर बैंक व्यावसायिक बैंकों के बिलों का पुनः बट्टा करता है। इसके विपरीत बाजार दर (Market rate) वह दर है जिस पर व्यावसायिक बैंक अथवा मुद्रा बाजार की अन्य सस्थाएँ मुद्रा बाजार में प्रथम श्रेणी के विनिमय बिलों का बट्टा (Discount) करती हैं, अथवा व्यावसायिक सस्थाओं को उनकी प्रतिभूतियों अथवा अन्य किसी अमानत के आधार पर ऋण या अधिम देती हैं।

2 बैंक दर सम्बन्धी सिद्धांत को व्याख्या 1802 ई० में ही हेनरी थॉर्टन (Henry Thornton) ने इन शब्दों में की थी। In order to ascertain how far the desire of obtaining loans at the Bank may be expected at any time to be carried we must enquire into the quantum of profit likely to be derived from borrowing there under the existing circumstances This is to be judged of by considering two points First the amount of interest to be paid on the sum borrowed & secondly on the mercantile or other gain to be obtained by the employment of the borrowed capital We may therefore consider this question as turning principally on a comparison of the rate of interest which the bank takes with the current rate of mercantile profits

प्रथम महायुद्ध के पूर्व, जब विश्व के अधिकांश देशों में स्वर्ण प्रमाण का प्रचलन था, साख-नियन्त्रण के लिए बैंक-दर का बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता था। वास्तव में, बैंक-दर का प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान के एक आवश्यक सहयोगी के रूप में किया जाता था। अतएव, 1914 ई० के पूर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड तथा अन्य केन्द्रीय बैंक बैंक-दर का बहुत अधिक प्रयोग करते थे, किन्तु प्रथम युद्ध के बाद जब अधिकांश देशों ने स्वर्ण-प्रमाण को पुनः अपनाया, तो बैंक-दर के प्रयोग में बहुत कमी आ गयी। कनलिट कमिटी (Cunliff Committee) ने स्वर्ण-मान को सफल बनाने के लिए बैंक-दर के प्रयोग को अति आवश्यक बतलाया था, किन्तु व्यवहार में धीरे-धीरे साख-नियन्त्रण के रूप में बैंक-दर का प्रयोग विफल सिद्ध होने लगा। 1929 ई० की मयानक आर्थिक मन्दी एवं बाद में स्वर्ण-मान के पतन के पश्चात् केन्द्रीय बैंकों ने सस्ती मुद्रा नीति (Cheap Money Policy) को अपनाया जिससे बैंक-दर का प्रयोग एवं महत्व बहुत कम हो गया, किन्तु 1951 ई० से पुनः बैंक ऑफ इंग्लैंड ने साख नियन्त्रण एवं मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए बैंक दर का प्रयोग प्रारम्भ किया है। भारत में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने 1951 ई० से अपनी बैंक-दर में पुनः समय समय पर परिवर्तन करना प्रारम्भ किया तथा 1971 ई० तक इसकी बैंक दर में लगभग 14 बार परिवर्तन हो चुके हैं। इस प्रकार 1951 ई० के बाद पुनः बैंक-दर का प्रयोग किया जाने लगा है।

बैंक-दर नीति का सिद्धान्त

(Theory underlying the Bank-Rate Policy)

स्वर्ण प्रमाण के अन्तर्गत-साख नियन्त्रण के प्रधान साधन के रूप में बैंक-दर का सिद्धान्त इस बात पर आधारित था कि केन्द्रीय बैंक की बैंक दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप बाजार की मुद्रा-दर में भी लगभग समान दर से परिवर्तन होता है और बाजार की मुद्रा दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप मुद्रा एवं साख की माँग एवं पूर्ति तथा पूँजी के अन्तर्राष्ट्रीय प्रवाह (International flow of capital) में परिवर्तन से आंतरिक मूल्य-तल, उत्पादन-व्यय, उत्पादन तथा व्यापार में अपेक्षित रूप से समायोजन (Adjustment) होगा जिससे भुगतान संतुलन (Balance of payment) की व्यवस्था ठीक हो जायगी।

जब केन्द्रीय बैंक बैंक दर में वृद्धि करता है तो इसके परिणामस्वरूप बाजार की व्याज-दर भी बढ़ जाती है। इससे ऋण लेना महंगा तथा कम लाभदायक हो जाता है जिसके परिणाम-स्वरूप पूँजी की माँग में कमी हो जाती है, साख का संकुचन होता है एवं मूल्य तल तथा मजदूरी कम हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप देश में साख का संकुचन होता है। इसके विपरीत जब केन्द्रीय बैंक अपनी बैंक-दर को घटाता है तो इसका परिणाम यह होता है कि बाजार की व्याज दरों में भी कमी आ जाती है जिसके परिणामस्वरूप ऋण लेना सस्ता एवं लाभदायक हो जाता है। इससे साख का प्रसार होता है। वास्तव में, बैंक दर में परिवर्तन देश की आर्थिक स्थिति के सूचक का कार्य करता है। यदि केन्द्रीय बैंक अपनी बैंक दर में वृद्धि करता है तो यह खतरे का सूचक होता है तथा बैंक दर में कमी से यह स्पष्ट होता है कि देश अपनी अमिवृद्ध की स्थिति से दूर है, अतएव विनियोग अधिक किया जा सकता है।¹

इस प्रकार बैंक दर में परिवर्तन का देश की आर्थिक व्यवस्था पर निम्न प्रकार से प्रभाव पड़ता है —

(1) साख संकुचन एवं प्रसार — बैंक दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप बाजार की मुद्रा-दर में भी परिवर्तन होता है जिससे मुद्रा एवं साख की माँग प्रभावित होती है। जब बैंक-दर में वृद्धि होती है तो बाजार में व्याज की दरें भी बढ़ जाती हैं जिससे ऋण लेना लाभदायक नहीं रह जाता, अतएव व्यापारी ऋण की माँग कम कर देते हैं जिससे साख का संकुचन होता है। इसके

1 "A rise in the discount rate may be compared to the amber coloured light of warning of the robot system of finances or as the danger signal of the redlight warning for the business community of rocks ahead on the way in which they are engaged. A fall in the discount rate, on the other hand, may be regarded as the green light indicating that the coast is clear and the ship of commerce may proceed on her way with caution."

विपरीत जब बैंक-दर में कमी होती है तो बाजार की दरें भी घट जाती हैं जिससे व्यापारियों के लिए ऋण लेना लाभदायक हो जाता है। इसके फलस्वरूप साख का प्रसार होता है।

(2) **आंतरिक मूल्य-तल एवं मजदूरी पर प्रभाव** :—बैंक-दर में वृद्धि के परिणाम-स्वरूप बाजार की व्याज दरों में भी वृद्धि हो जाती है जिससे व्यापारी ऋण लेना कम कर देते हैं। इससे उत्पादन कम होता है तथा औद्योगिक एवं व्यापारिक कार्यों में स्थितिलता आ जाती है। इससे आंतरिक मूल्य-तल एवं मजदूरी में भी कमी आने लगती है। इसके विपरीत बैंक-दर में कमी के परिणामस्वरूप बाजार-दर में भी कमी आ जाती है जिससे व्यापारियों के लिए ऋण लेना लाभदायक हो जाता है तथा व्यापारी अधिक ऋण लेने लगते हैं। इससे औद्योगिक एवं व्यापारिक कार्यों को प्रोत्साहन मिलता है तथा आंतरिक मूल्य-तल एवं मजदूरी में धीरे-धीरे वृद्धि होने लगती है।

(3) **विनिमय-दर पर प्रभाव** :—बैंक-दर में परिवर्तन का विनिमय-दर पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बैंक दर में वृद्धि से बाजार की दरों में भी वृद्धि हो जाती है, जिससे देश में बाहर से विदेशी पूँजी आने लगती है। इसके फलस्वरूप देश का भुगतान-सन्तुलन अनुकूल (Favourable balance of payments) हो जाता है तथा विदेशी विनिमय की दर भी अनुकूल हो जाती है। इसके विपरीत जब बैंक-दर में कमी होती है तो व्याज की दरें भी कम हो जाती हैं जिससे देश की पूँजी का विदेशों की ओर प्रवाह होने लगता है। इसके फलस्वरूप देश का भुगतान सन्तुलन विपक्ष में होने लगता है तथा विनिमय की दर प्रतिकूल होने लगती है।

(4) **पूँजी के अन्तर्राष्ट्रीय प्रवाह पर प्रभाव** :—बैंक-दर में परिवर्तन का प्रभाव पूँजी के अन्तर्राष्ट्रीय प्रवाह (International flow of Capital) पर भी पड़ता है। बैंक दर में बढ जाने से बाजार की व्याज-दर भी बढ जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि इस बढी हुई व्याज-दर से लाभ उठाने के लिए बाहर से अल्पकालीन पूँजी बहुत अधिक मात्रा में आने लगती है। इसके विपरीत जब बैंक-दर कम हो जाती है तो व्याज की दरें भी कम हो जाती हैं जिससे अल्पकालीन पूँजी देश से बाहर जाने लगती है। इस प्रकार बैंक-दर में वृद्धि या कमी से अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी का प्रवाह भी प्रभावित होता है।

बैंक दर नीति की सफलता की शर्तें (Conditions for the success of Bank rate policy).—इस प्रकार स्पष्ट है कि बैंक-दर नीति की सफलता के लिए निम्नांकित शर्तों का होना आवश्यक है—

(i) **बैंक-दर में परिवर्तन का व्याज की अन्य दरों पर प्रभाव** :—केन्द्रीय बैंक की बैंक-दर का बाजार की मुद्रा एवं साख की अन्य दरों पर तत्काल प्रभाव पड़ना चाहिए, विशेषतः उस समय जबकि इसका उद्देश्य साख का सकुचन करना होता है।

(ii) **अर्थ-व्यवस्था में पर्याप्त मात्रा में लोच का होना** :—देश की आर्थिक व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में लोचदार होनी चाहिए जिससे मुद्रा एवं साख की दरों में परिवर्तन से मूल्य, मजदूरी, लगान, उत्पादन एवं व्यवसाय सभी स्पष्ट रूप से प्रभावित हो सकें।

(iii) **पूँजी के अन्तर्राष्ट्रीय प्रवाह (International Flow of Capital) पर किसी प्रकार का कृत्रिम नियन्त्रण नहीं होना चाहिए।**

(iv) **विनियोगी वर्ग की मनोवृत्ति**—बैंक दर की सफलता विनियोगी वर्ग की मनोवृत्ति पर भी निर्भर करती है। व्याज की दर में वृद्धि होने पर भी यदि व्यापारी बहुत अधिक मात्रा में लाभ की आशा करते हैं तो बैंक दर में वृद्धि से भी साल का सकुचन नहीं होगा। इसके विपरीत मन्दी काल में यदि व्यापारी अथवा विनियोगी वर्ग की मनोवृत्ति निराशावादी है तो बैंक-दर में बहुत अधिक कमी करने पर भी वे ऋण के लिए तत्पर नहीं होते। इस प्रकार स्वयं-प्रमाण के अन्तर्गत बैंक-दर में परिवर्तन का देश की सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता था।

किन्तु बैंक-दर का अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है इस सम्बन्ध में हमारे समक्ष दो महत्वपूर्ण विचारधाराएँ हैं—(1) पहली विचारधारा प्रो० हॉट्ट्रे (Hawtrey) की है जिसका प्रतिपादन उन्होंने 'Art of Central Banking' एवं 'A Century of Bank Rate' नामक अपनी पुस्तकों में किया है। (2) दूसरी विचारधारा केन्स (Keynes)

की है जिसका प्रतिपादन उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 'A Treatise on Money' में किया है। इन दोनों विचारधाराओं में मतभेद यह है कि हॉट्ट्रे (Hawtrey) के अनुसार बैंक-दर का प्रभाव अल्पकालीन विनियोग, यानी कार्यशील पूँजी (Working Capital) के माध्यम से पड़ता है, जबकि केन्स (Keynes) के अनुसार इसका प्रभाव अचल पूँजी (Fixed Capital) के माध्यम से पड़ता है। केन्स के अनुसार बैंक-दर पहले मुद्रा-बाजार की अल्पकालीन दरों को प्रभावित करती है। इससे पूँजी-बाजार की दीर्घकालीन दर प्रभावित होती है और इस प्रकार अचल पूँजी की माग के प्रभावित होने से उत्पादन एवं आय दोनों प्रभावित होते हैं, किन्तु ध्यानपूर्वक विचार करने से यह स्पष्ट होगा कि वास्तव में इन दोनों विचारधाराओं में कोई मौलिक विभेद नहीं है। ये दोनों एक ही समस्या के अलग-अलग पक्षों पर जोर देती हैं। अतएव, इन्हें बहुत हद तक एक-दूसरे का पूरक समझना चाहिए।

हॉट्ट्रे (Hawtrey) की विचारधारा:—हॉट्ट्रे के अनुसार व्यापारी (Trader) ही सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु है। उसका कार्य उपभोक्ताओं की माग का अन्दाजा लगा कर उत्पादन एवं माग में समायोजन स्थापित करना है। व्यापारियों की माग के अनुसार ही उत्पादक उत्पादन की मात्रा निर्धारित करते हैं।

प्रत्येक व्यापारी अपने पास वस्तुओं का भंडार रखता है जिसकी मात्रा भंडार रखने के खर्च पर निर्भर करती है। यदि खर्च अधिक होगा तो वे भंडार कम रखेंगे और यदि खर्च कम होगा तो वे भंडार अधिक रखेंगे। इस प्रकार हॉट्ट्रे के अनुसार प्रत्येक व्यापारी की वस्तुओं के भंडार रखने की माग लोचदार होती है। वस्तुओं के भंडार को रखने में यों तो वृद्धि से खर्च है, किन्तु इनमें प्रधान खर्च सूद है, क्योंकि प्रत्येक व्यापारी बैंक से ऋण लेकर ही भंडार रखता है। जब बैंक के ब्याज की दर बढ़ जाती है तो व्यापारियों को बैंक से ऋण लेने का नर्वच बढ़ जाता है, अतः वे कम ही वस्तुओं का भंडार रखने लगते हैं तथा उत्पादकों को वे कम ही वस्तुओं के लिए आदेश देते हैं। इससे उत्पादक उत्पादन कम करने लगते हैं, जिससे आय एवं रोजगार कम हो जाता है और मन्दी की सृष्टि होती है जो उत्तरोत्तर तीव्रतर होती जाती है। इसके विपरीत जब बैंक दर में कमी के फलस्वरूप सूद की दर में कमी होने लगती है तो व्यापारियों को बैंकों से कर्ज लेना सस्ता पड़ता है। इससे ये अधिक भंडार रखना प्रारम्भ कर देते हैं तथा उत्पादकों को अधिक वस्तुओं के लिए आदेश देते हैं। इससे उत्पादक अपना उत्पादन बढ़ाते हैं जिससे आय एवं रोजगार में वृद्धि होती है तथा तेजी की सृष्टि होती है जो उत्तरोत्तर तीव्र होती जाती है।

इस प्रकार हॉट्ट्रे (Hawtrey) के अनुसार बैंक दर कार्यशील पूँजी (Working Capital) की माग को प्रभावित कर ही तेजी अथवा मन्दी की सृष्टि करता है जिससे मुद्रा एवं साख का प्रसार अथवा संकुचन होता है, किन्तु हॉट्ट्रे के सिद्धान्त की अर्थशास्त्रियों ने बड़े आलोचना की है। केन्स (Keynes) ने हॉट्ट्रे की आलोचना करते हुए यह बतलाया है कि बैंक-दर पूँजी बाजार की दीर्घकालीन सूद की दर को प्रभावित कर अचल पूँजी (Fixed Capital) की माग को प्रभावित करता है जिससे तेजी अथवा मन्दी की सृष्टि होती है। साथ ही, हॉट्ट्रे का सिद्धान्त इस भाव्यता पर आधारित है कि सूद व्यापारी (Trader) के खर्च का सर्वाधिक प्रमुख भाग है, किन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। साथ ही, व्यापारियों की माग भी विलकुल लोचदार नहीं होती। जब तेजी अथवा मन्दी अपनी चरम सीमा पर होती है, तो ऐसी स्थिति में व्यापारियों की माग विलकुल लोचहीन होती है। तेजी की स्थिति में व्यापारियों की इतना अधिक मुनाफा होता है कि सूद की दर बढ़ने पर भी वे वस्तुओं की माग कम नहीं करते। इसके विपरीत मन्दी के समय हानि की सम्भावना इतनी अधिक रहती है कि सूद की दर में कमी होने पर भी वे अपनी माग में वृद्धि नहीं करते। अतएव, हॉट्ट्रे (Hawtrey) का सिद्धान्त वास्तविकता से बहुत दूर है।

केन्स की विचारधारा —दूसरी ओर केन्स (Keynes) के अनुसार बैंक-दर विनियोग को प्रभावित कर आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। इसके अनुसार विनियोग का अर्थ है अचल पूँजी (Fixed Capital) का उत्पादन। अचल पूँजी में वृद्धि या कमी दो बातों पर निर्भर करती है—(क) पूँजी की सम्भावित उत्पादकता (Prospective yield of capital), एवं (ख) ब्याज की दर। यदि पूँजी की सम्भावित उत्पादकता (Prospective yield of capital) सूद की दर से अधिक होनी तो विनियोजकों को मुनाफा होगा एवं अचल पूँजी की माग बढ़ेगी। इसके

विपरीत, जब सम्भावित उत्पादकता सूद की दर से कम होगी तो विनियोजकों को हानि होगी एवं अचल पूँजी की मांग कम होगी।

अब हमें यह देखना है कि बैंक-दर दीर्घकालीन पूँजी की दर को किस प्रकार से प्रभावित करती है। बैंक-दर में वृद्धि के परिणामस्वरूप मुद्रा-बाजार की दरों में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि केन्द्रीय बैंक बैंक दर को मुद्रा-बाजार में ही क्रियाशील करते हैं। अल्पकालीन मुद्रा-बाजार की दरों में वृद्धि होने से दीर्घकालीन पूँजी-बाजार में पूँजी लगाना अब अपेक्षाकृत कम आकर्षक होगा। अतएव, लोग पूँजी-बाजार में अपनी प्रतिभूतियों को बेचकर अपने धन को बैंकों के साथ रखना प्रारम्भ कर देंगे। साथ ही, जिन व्यक्तियों अथवा 'फर्मों' ने अल्पकालीन मुद्रा-बाजार से ऋण लेकर अपनी कार्यशील पूँजी प्राप्त की है, वे भी अपनी प्रतिभूतियों को बेचकर इन्हें वापस करने का प्रयास करेंगे। व्यावसायिक बैंक भी अपनी प्रतिभूतियों को बेचना प्रारम्भ कर देंगे। इन प्रवृत्तियों का सम्मिलित प्रभाव यह होगा कि दीर्घकालीन पूँजी-बाजार से मुद्रा का प्रवाह मुद्रा बाजार की ओर होने लगेगा। इससे पूँजी-बाजार में बोप का अभाव हो जायगा जिससे सूद की दर में भी वृद्धि होगी। इसके विपरीत बैंक-दर कम हो जाने पर मुद्रा बाजार से मुद्रा का प्रवाह पूँजी बाजार की ओर होगा। पूँजी बाजार में बोप की अधिकता होने से सूद की दर कम हो जायगी।

पूँजी-बाजार की सूद की दर में परिवर्तन का प्रभाव उद्योगों की अचल पूँजी की मांग पर पड़ता है। अचल पूँजी की मांग व्यवसायी निम्नांकित दो उद्देश्यों से करते हैं—(1) उत्पादन के साधनों में विस्तार के लिए, तथा (2) पुराने यन्त्रों को बदल कर नये-नये यन्त्र लगाने के लिए। पूँजी बाजार में सूद की दर बढ़ने से उधार लेना उत्पादकों के लिए बहुत महंगा पड़ता है जिससे ये पूँजी की मांग कम कर देंगे हैं। इससे पूँजीगत उद्योगों में उत्पादन कम हो जाता है तथा वहाँ के बहुत से श्रमिक बेकार हो जाते हैं। इसका देश की आय एवं रोजगार पर प्रभाव पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था में आर और रोजगार बहुत कम हो जाता है। इस प्रकार मन्दी की सृष्टि होती है। इसके विपरीत सूद की दर कम होने से पूँजीगत उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप इन उद्योगों में आय एवं रोजगारी में वृद्धि होती है। इसका प्रभाव सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है जिससे तेजी की सृष्टि होती है।

किन्तु केन्स की यह विवेचना भी कुछ महत्त्वपूर्ण शर्तों पर आधारित है। सर्वप्रथम तो बैंक-दर पूँजी-बाजार की दीर्घकालीन दरों को उनी स्थिति में प्रभावित करती है जबकि इसके लिए समुचित वातावरण हो। उदाहरण के लिए, यदि जनता का अनुमान है कि बैंक-दर में परिवर्तन बहुत क्षणिक है तो ऐसी अवस्था में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतएव, केन्स (Keynes) की विवेचना इस बात पर आधारित है कि बैंक दर की सफलता के लिए अनुकूल जनमत का होना नितांत आवश्यक है।

1914 ई० के बाद बैंक-दर नीति (Bank Rate Policy since 1914)

प्रथम विश्व-युद्ध के पूर्व तक विश्व में स्वर्ण-प्रमाण का प्रचलन था। स्वर्ण-प्रमाण के अन्तर्गत बैंक-दर नीति का बहुत घड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता था, किन्तु युद्ध प्रारम्भ होने के साथ-साथ 1914 ई० में स्वर्ण-प्रमाण की स्थिति खत्म कर दिया गया, किन्तु इसके बावजूद 1914 ई० के बाद भी केन्द्रीय बैंकों ने साख-नियन्त्रण के इस साधन का प्रयोग किया। उदाहरण के लिए, 1914 ई० के अगस्त में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपनी बैंक-दर को बहा कर 10 प्रतिशत कर दिया। एक सप्ताह के बाद इसे घटा कर 5 प्रतिशत कर दिया गया, किन्तु 1914 ई० के बाद साख-नियन्त्रण के अन्य साधनों के प्रचलन से सामान्यतः बैंक दर का महत्त्व बहुत कम हो गया।

बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपनी बैंक दर में समय समय पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी परिवर्तन किया। 1925 ई० में जब स्वर्ण मान पुनः अपनाया गया तब बैंक-दर के महत्त्व में कुछ वृद्धि अवश्य हुई, किन्तु 1931 ई० में स्वर्ण मान के पतन के बाद से इसका महत्त्व विल्कुल घट गया। यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बैंक-दर में 1845 से 1900 ई० के बीच 160 बार तथा 1901 से 1914 ई० के बीच 66 बार परिवर्तन किया था वहाँ 1919 ई० से 1932 ई० के बीच बैंक दर में केवल 34 बार ही परिवर्तन किया गया। उसमें भी केवल

1931 एवं 1932 ई० में 10 बार परिवर्तन किया गया। अन्य केन्द्रीय बैंकों के साथ भी प्रायः यही बात थी। 1919 ई० से 1932 ई० के बीच बैंक ऑफ फ्रांस ने अपनी बैंक-दर में 17 बार तथा फेडरल रिजर्व बैंक ने 34 बार परिवर्तन किया था।

बैंक-दर के महत्व में कमी के कारण

(Causes of Decline in the Significance of the Bank-Rate)

प्रथम युद्ध के पूर्व बैंक-दर साख्त-नियन्त्रण का एक प्रधान साधन था, किन्तु युद्ध के बाद साख्त-नियन्त्रण के अन्य साधनों की अपेक्षा बैंक-दर का महत्व धीरे-धीरे कम होना लगा और स्वर्ण मान के पतन के बाद से विशेषतः द्वितीय महायुद्ध के समय में, साख्त-नियन्त्रण के साधन के रूप में बैंक दर का महत्व विलुप्त हो गया। (The importance of the discount rate as an instrument of credit control tended to decline absolutely as well as relatively to other methods of credit control, and that since the worldwide suspension of the gold standard and particularly since the outbreak of the world war II, discount rate policy as such has been completely relegated to the background by other factors)

बैंक-दर के महत्व में इस कमी के बहुत-से कारण हैं जिनमें निम्नांकित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :—

- (1) मुद्रा-बाजार की स्थिति में महान् परिवर्तन (Radical changes in money-market conditions),
- (2) आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन (Changes in the economic structure);
- (3) साख्त नियन्त्रण के अन्य संप्रवाहिक साधनों का अर्थव्यवस्था में प्रयोग, तथा
- (4) सस्ती मुद्रा-नीति (Cheap money policy) का समावेश।

अब इनका निम्न विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है —

1. मुद्रा-बाजार की स्थिति में महान् परिवर्तन (Radical changes in money market conditions) :— प्रथम महायुद्ध के बाद मुद्रा-बाजार की स्थिति में सामूहिक परिवर्तन देखे गये। चालू ऋण के आधार पर ऋण लेने की प्रथा के अधिक प्रचलित होने के कारण व्यावसायिक बिलों का महत्व बहुत कम हो गया। साथ ही, विभिन्न प्रकार के नियन्त्रण के कारण विदेशी व्यापार की मात्रा भी कम होनी लगी जिससे विदेशी बिलों का परिमाण बहुत ही कम हो गया। साथ ही, युद्ध के बाद सरकारी ऋण्डियों (Treasury Bills) तथा अन्य अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियों (Other Short Term Govt Bonds) की सख्या मुद्रा-बाजार में बढ़ने लगी। युद्ध के परिणामस्वरूप सरकारी खर्चों तथा ऋण की मात्रा में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई, अतः उन्हें पूरा करने के लिए सरकारी ऋण्डियों का प्रयोग किया जाने लगा। इन सबके परिणामस्वरूप मुद्रा-बाजार की बनावट में बहुत बड़ा परिवर्तन जान पड़ने लगा तथा इनमें केन्द्रीय बैंक की अपेक्षा ईजरी का महत्व बढ़ने लगा।

इसके अतिरिक्त विश्व में लन्दन मुद्रा-बाजार का अन्तर्राष्ट्रीय महत्व भी कम होने लगा। युद्ध के पश्चात् सस्तर के बहुत-सारे देशों में भी मुद्रा बाजार की स्थापना होने लगी। इसी बीच न्यूयार्क के मुद्रा-बाजार का अन्तर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ रहा था। साथ ही, दूसरे केन्द्रों, जैसे—बर्लिन, रोम, स्टॉक होम तथा टोकियो आदि में भी मुद्रा बाजार स्थापित किये जा रहे थे। इन सबका लन्दन मुद्रा-बाजार के समतल पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा तथा बैंक-दर की नीति भी धीरे-धीरे असफल सिद्ध होने लगी।

2. आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन (Changes in the economic structure) :— प्रथम विश्व-युद्ध के बाद प्रत्येक देश की आर्थिक व्यवस्था में लोच की मात्रा धीरे-धीरे समाप्त होने लगी। किन्तु बैंक-दर की नीति की सफलता की एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि देश की आर्थिक व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में लोचपूर्ण होनी चाहिए। आर्थिक व्यवस्था में लोच के अभाव में बैंक-दर में परिवर्तन का प्रभाव मजदूरी, मूल्य एवं उत्पादन आदि पर नहीं पड़ेगा जिससे बैंक-दर नीति का अपेक्षित प्रभाव नहीं हो सकेगा। प्रथम युद्ध के बाद, विशेषतः 1929 ई० की मन्दी के बाद से

प्रत्येक देश ने आर्थिक नियोजन के आधार पर अपनी अर्थ-व्यवस्था को सुसंगठित बनाने का प्रयास किया जिससे आर्थिक जीवन के प्रत्येक अंग पर राज्य का नियन्त्रण बढ़ने लगा। ऐसी स्थिति में बैंक-दर की अपेक्षा साख-नियन्त्रण के अन्य प्रत्यक्ष तरीकों का महत्त्व बहुत बढ़ गया। इस प्रकार आर्थिक व्यवस्था में लोच के अभाव के कारण भी बैंक-दर की नीति प्रभावपूर्ण नहीं रह गयी। इस सम्बन्ध में वेजमैन (Wage-mann) ने ठीक ही कहा है कि 'किसी देश की आर्थिक व्यवस्था में मूल्य, मजदूरी एवं यातायात पर जितना ही अधिक नियन्त्रण होगा तथा राज्य का व्यवसाय के क्षेत्र में जितना ही अधिक हस्तक्षेप बढ़ेगा, वही सौद की दर का प्रभाव उतना ही कम होगा।' (*The more an economy is regulated in terms of prices, wages, transport charges, and the more the Government extends its influence over business, the more the influence of interest declines*) इस प्रकार लोचपूर्ण आर्थिक व्यवस्था के अभाव में बैंक-दर का विफल होना अति स्वाभाविक है।

3 साख-नियन्त्रण के अन्य प्रभावपूर्ण साधनों का अधिकाधिक प्रयोग.—साख-नियन्त्रण के अन्य साधनों के अधिकाधिक प्रयोग (जैसे-सुला बाजार कार्यक्रम, प्रत्यक्ष कार्यावाही, नैतिक दबाव तथा व्यावसायिक ढीको के नकद कोष के अनुपात में परिवर्तन आदि), जो साख के नियन्त्रण के लिए अधिक प्रत्यक्ष एवं प्रभावपूर्ण समझे जाते थे, कारण भी बैंक दर का प्रयोग कम किया जाने लगा। साख-नियन्त्रण के इन विभिन्न तरीकों का अगले अध्याय में सविस्तार वर्णन किया गया है।

4 सस्ती मुद्रा-नीति (Cheap Money Policy) का समावेश —साख नियन्त्रण के साधन के रूप में बैंक दर के महत्त्व में कमी का अन्तिम तथा सर्वाधिक प्रमुख कारण सस्ती मुद्रा-नीति का समावेश है। 1932 ई० के बाद विश्व के प्राय सभी देशों ने अपनी मौद्रिक नीति के रूप में सस्ती मुद्रा-नीति को अपनाया। सस्ती मुद्रा-नीति के अर्पनाये जाने के कई कारण थे जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं—

- (i) स्वर्ण के मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप सभी देशों में केन्द्रीय बैंक के स्वर्ण-कोष का मूल्य घट गया जिससे मुद्रा-प्रसार हुआ।
- (ii) सरकार की मौद्रिक आवश्यकताओं में युद्ध तथा अन्य कारणों से अत्यधिक वृद्धि हो गयी जिसे पूरा करने के लिए साख एवं चलन की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि हुई, तथा
- (iii) मन्दी की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रत्येक देश की नीति विनियोग को प्रोत्साहित करने की हो गयी।

सस्ती मुद्रा-नीति उद्योग-धन्धे एवं व्यवसाय के लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकती है, किन्तु इसे कायम रखने में केन्द्रीय बैंक को साख का अत्यधिक प्रसार करना पड़ता है। उस नीति को सफल बनाने के लिए बैंक-दर बहुत कम रखी जाती है। अतएव, सस्ती मुद्रा-नीति अर्पनाये जाने के कारण बैंक-दर इतनी कम रखी जाने लगी कि इसमें परिवर्तन का कोई महत्त्व नहीं रह गया।

इस प्रकार प्रथम महायुद्ध के बाद, विशेषतः अन्तर्-राष्ट्रीय स्वर्ण मान के पतन एवं भयानक आर्थिक मन्दी के बाद से, साख नियन्त्रण के साधन के रूप में बैंक-दर का महत्त्व बिलकुल कम हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व यह साख-नियन्त्रण का प्रधान साधन था। वास्तव में, स्वर्ण-मान का यह एक आवश्यक सहयोगी माना जाता था। इसीलिए मँकलगत समिति ने बैंक दर को एक सुन्दर एवं नाजुक अस्त्र (Beautiful and delicate instrument) बतलाया था, किन्तु दोनों विश्व-युद्धों के बीचवले समय में विश्व को यह अनुभव हुआ कि बैंक दर वास्तव में एक सुन्दर एवं नाजुक अस्त्र न होकर एक कुण्ठित एवं ढोला-डाला (Halting and clumsy) तरीका हो गया है।

किन्तु यद्यपि आज की आर्थिक कठोरता (economic rigidity and complexity) एवं मौद्रिक तरलता (Monetary liquidity) के युग में बैंक-दर पहले की अपेक्षा कम प्रभावपूर्ण अवश्य हो गयी है, फिर भी साख नियन्त्रण के साधन के रूप में आज भी यह महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकती है। अन्तर-राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (International Monetary Fund) की स्थापना तथा सदस्य-राष्ट्रों का अपनी मुद्रा की विनिमय-दर को स्थायी बनाने के दायित्व से बैंक-दर का महत्त्व पुनः कुछ अवश्य बढ़ गया है।

बैंक-दर के महत्त्व में पुनः वृद्धि

(Increase in the Importance of the Bank-rate)

गत कुछ वर्षों से विभिन्न देशों के केन्द्रीय बैंक अपनी बैंक-दर में पुनः परिवर्तन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, सितम्बर, 1951 ई० में बैंक ऑफ इंग्लैण्ड ने अपनी बैंक-दर को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 2½ प्रतिशत तथा नवम्बर 1951 ई० में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने अपनी बैंक-दर को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 3½ प्रतिशत कर दिया। बैंक ऑफ इंग्लैण्ड की बैंक-दर में इस वृद्धि के कई कारण थे, किन्तु इसका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण इंग्लैण्ड के भुगतान सतुलन (Balance of Payments) में सतुलन स्थापित करना तथा मुद्रा-स्फीति के दबाव को कम करना था। इस प्रकार नवम्बर, 1951 ई० के बाद से बैंक-दर के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। बैंक-दर के इस पुनः प्रयोग को कुछ लेखकों ने 'Re-discovery of Money' कहा है।

1956-57 ई० एवं 1957-58 ई० में विश्व के अधिमान प्रमुख देशों में आर्थिक नियन्त्रण के लिए बैंक-दर में परिवर्तन किया गया। अधिकांश देशों में बैंक दर में वृद्धि की गयी। उदाहरण के लिए 16 मई, 1957 ई० को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने अपनी बैंक-दर को 3½ प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया। बैंक-दर में इस वृद्धि के कई कारण थे जिनमें निम्नलिखित विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण थे—(क) मुद्रा-स्फीति के दबाव को रोकना, (ख) विनियोग के प्रसार को सीमित करना, तथा (ग) अन्तर्राष्ट्रीय शोधन-तुला में सतुलन स्थापित करना। 8 मार्च, 1962 ई० को बैंक ऑफ इंग्लैण्ड ने अपनी बैंक-दर को पुनः 6 प्रतिशत से घटाकर 5½ प्रतिशत कर दिया। इसका प्रधान कारण यह बताया गया कि इसके पूर्व इंग्लैण्ड की बैंक-दर जापान के अतिरिक्त अन्य सभी प्रमुख देशों की केन्द्रीय बैंक की बैंक-दर से अधिक थी। पुनः 21 मार्च, 1962 ई० को बैंक ऑफ इंग्लैण्ड ने अपनी बैंक-दर 5½ प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया। इसी प्रकार 3 जनवरी, 1963 ई० को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने अपनी बैंक-दर को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 4½ प्रतिशत तथा 25 सितम्बर, 1964 ई० को 5 प्रतिशत कर दिया। 17 फरवरी, 1965 ई० को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने अपनी बैंक-दर को बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया। बैंक ऑफ इंग्लैण्ड ने जून, 1966 ई० में अपनी बैंक-दर को बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया था। पुनः 1969 के प्रारम्भ में इसने अपनी बैंक-दर को बढ़ाकर 8 प्रतिशत तथा मार्च, 1970 में इसे घटाकर 7½ प्रतिशत कर दिया। इसी प्रकार 2 मार्च, 1968 को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने अपनी बैंक-दर को 6 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया। बैंक-दर में यह कमी बैंकों द्वारा सस्ती दर पर साख को उपलब्ध बनाने के लिए की गयी थी जो अर्थ-व्यवस्था को सुस्ती (Recession) से निकालने के लिए अनिवार्य समझी गयी थी। 8 जनवरी, 1971 ई० को बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए साख-संकुचन के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने अपनी बैंक-दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया और 30 मई, 1973 ई० को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने देश में मुद्रा-स्फीति के बढ़ते हुए दबाव को रोकने के लिए बैंक-दर को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया। पुनः 23 जुलाई, 1974 को इसने बैंक-दर को 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया। अभी तक रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की बैंक दर इतनी अधिक कभी भी नहीं थी। इससे स्पष्ट है कि बैंक-दर का प्रयोग पुनः आजकल बढ़ने लगा है। वास्तव में, अधिकांश विकसित अर्थ-व्यवस्था वाले देशों में बैंक-दर पुनः मौद्रिक नियन्त्रण का एक महत्त्वपूर्ण साधन बन रही है। जुलाई, 1973 को बैंक ऑफ इंग्लैण्ड ने अपनी बैंक दर को बढ़ाकर 11.5 प्रतिशत कर दिया। इस प्रकार का कदम यूरोप में ब्याज की दर को सबसे ऊँची बनाना है जिससे विदेशों से पर्याप्त मात्रा में कोष प्राप्त करके और इस प्रकार पौंड के समक्ष मदी के रकट को टाला जा सके। किन्तु, यद्यपि बैंक दर के प्रयोग में पुनः वृद्धि हो रही है, फिर भी इसकी सफलता के मार्ग में कितनी ही बाधाएँ हैं जिससे यह अपने प्राचीन महत्त्व को नहीं प्राप्त कर सका है।

अर्द्ध-विकसित देशों में बैंक दर-नीति (Bank Rate Policy in und r-developed countries)—अविकसित तथा अर्द्ध-विकसित देशों में ती निम्नांकित कारणों से बैंक-दर नीति अधिक प्रभावपूर्ण नहीं हो सकती। इनमें निम्नांकित कारण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं—

(1) अविकसित देशों में मुद्रा-बाजार तथा पूँजी बाजार में उचित सामंजस्य का अभाव

पाया जाता है। अतएव, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन व्याज की दरों का एक-दूसरे पर प्रायः कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

- (2) इन देशों में व्यापारिक बिलों का बहुत ही कम प्रचार रहता है। सुविकसित बिल बाजार का भी इनमें अभाव पाया जाता है।
- (3) साथ ही इन देशों में बैंकिंग एवं साख-सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहता है।
- (4) इन देशों में बैंक के कोषों की माँग कम रहती है।

किन्तु अधिकांश अविकसित राष्ट्रों की स्थिति में अब धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। इन देशों में भी बिल बाजार को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। बैंकिंग सम्बन्धी सुविधाएँ भी बढ़ रही हैं तथा व्यावसायिक बैंक सहायता के लिए धीरे-धीरे केन्द्रीय बैंकों पर आश्रित होने लगे हैं। इससे यह आशा की जाती है कि इन देशों में भी साख नियन्त्रण के साधन के रूप में बैंक दर के प्रयोग में वृद्धि होगी।

विशेष अध्ययन सूची

- | | |
|------------|---|
| 1 Do Kock | Central Bank ng, Chapters IX and X |
| 2 Sayers | Modern Ba king, Chapter IX |
| 3 Crowther | An Outline of Money, Chapter VI |
| 4. R B I | Reserve Bank of India Functions and Working |



अध्याय : 25

खुले बाजार की नीति

(Open Market Operation)

खुले बाजार कार्यक्रम का अर्थ (Meaning of Open Market Operation)— प्रथम विश्व-युद्ध के पूर्व साख-नियंत्रण के साधन के रूप में बैंक-दर वा विस्तृत रूप में प्रयोग किया जाता था। किन्तु युद्ध-काल के पूर्व भी जर्मनी तथा कुछ अन्य देशों में इस कार्य के लिए खुले-बाजार की नीति का प्रयोग किया जाने लगा था। परन्तु भारत में, साख-नियंत्रण के इस साधन को प्रथम-युद्ध के बाद ही वैज्ञानिक रूप मिला। सुप्रसिद्ध विद्वान डी कॉक (De Kock) के अनुसार विस्तृत अर्थ में "खुले बाजार की नीति का तात्पर्य केन्द्रीय बैंक द्वारा बाजार में किसी भी प्रकार के बिलों अथवा प्रतिभूतियों का क्रय या विक्रय तथा संकीर्ण अर्थ में इसका तात्पर्य केन्द्रीय बैंक द्वारा केवल सरकारी प्रतिभूतियों—दीर्घकालीन अथवा छल्पकालीन का क्रय एवं विक्रय है।" (In the wider sense, open market operations may be held to cover the purchase or sale by the Central Bank in the market of any kind of paper in which it deals—whether Govt. securities or other securities. But in the narrower sense, open market operation has come to be applied only to the purchase or sale of Government securities, both long-term and short-term.)

खुले बाजार कार्यक्रम का विकास (Evolution of Open Market Operation)— 1914 ई० के पूर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड (Bank of England) मुख्यतः साख-नियंत्रण के लिए बैंक-दर वा ही प्रयोग करता था, किन्तु उस समय भी कभी-कभी मुद्रा बाजार में अधिक या कम तरलता होने के कारण बैंक तरलता की मात्रा को नियोजित करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की प्रतिभूतियों का क्रय एवं विक्रय करता था। 1914 ई० के पूर्व जर्मनी में रिश बैंक (Reichs Bank) भी अतिरिक्त मुद्रा की मात्रा को कम करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करता था। किन्तु युद्ध के पूर्व खुले बाजार की नीति का वैज्ञानिक रूप में विकास नहीं हो पाया था। 1920 ई० के बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड एवं फेडरल रिजर्व बैंक ने इस कार्यक्रम का प्रयोग करना प्रारम्भ किया, किन्तु उस समय भी इसे मुख्यतः बैंक-दर के पूरक के रूप में ही प्रयोग किया जाता था। वस्तुतः 1931 ई० में स्टर्लिंग-मान की समाप्ति के बाद से बैंक-दर के महत्त्व में कमी हो गयी तथा खुले बाजार की नीति का स्वतन्त्र रूप से प्रयोग किया जाने लगा।

खुले बाजार कार्यक्रम के अधिकाधिक प्रयोग एवं महत्त्व के कई कारण थे जिनमें निम्नलिखित विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं— (क) सर्वप्रथम तो प्रथम महायुद्ध एवं युद्धोत्तर काल में यह अनुभव हुआ कि इस तरीके की सहायता से सरकार के आर्थिक साधनों में पर्याप्त रूप से वृद्धि की जा सकती है। (ख) दूसरा कारण बैंक-दर के महत्त्व में ह्रास या जिसके परिणामस्वरूप साख-नियंत्रण के एक नये एवं अधिक प्रभावीपूर्ण तरीके की आवश्यकता जान पड़ने लगी। (ग) तीसरा कारण मुद्रा-बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की मात्रा में वृद्धि के कारण खुले बाजार कार्यक्रम के प्रयोग के क्षेत्र में वृद्धि थी। (घ) युद्ध तथा युद्धोत्तर काल में सरकार की आवश्यकताओं में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई जिससे मौद्रिक नीति के रूप में सस्ती मुद्रा-नीति (Cheap Money Policy) का समावेश हुआ। सस्ती मुद्रा-नीति के समावेश के सन्तत इसका महत्त्व और भी बढ़ गया, क्योंकि बैंक-दर को निम्न स्तर पर स्थायी बनाने के लिए केन्द्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद कर बैंक-मुद्रा का प्रसार करने लगे।

खुले बाजार की नीति का सिद्धांत

(Principle Underlying the Open Market Operations)

केन्द्रीय बैंक के साख-नियन्त्रण के साधन के रूप में खुले बाजार की नीति का सिद्धांत यह है कि केन्द्रीय बैंक देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा में वृद्धि या कमी के लिए मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियों का प्रयुक्त अथवा विक्रय करता है। प्रतिभूतियों के अय-विक्रय करने से व्यावसायिक बैंकों का नकद कोष प्रभावित होता है। इसका प्रभाव उनकी साख-सृजन की शक्ति पर भी पड़ता है। जब केन्द्रीय बैंक साख की मात्रा को कम करना चाहता है तो वह मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय करने लगता है। प्रतिभूतियों व्यावसायिक बैंक अथवा जनता के लोग खरीदते हैं। दोनों हालतों में बैंकों का नकद कोष कम हो जाता है, क्योंकि प्रतिभूतियों के मूल्य का भुगतान व्यावसायिक बैंकों के ऊपर बैंक के द्वारा ही होता है। नकद कोष में कमी होने से इनकी साख सृजन की शक्ति भी घट जाती है। अतएव सुरक्षा का स्थान कर व्यावसायिक बैंक साख का सञ्चय करने लगते हैं। इसके विपरीत, जब केन्द्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों का प्रयुक्त करता है तो इनके फलस्वरूप व्यावसायिक बैंकों के नकद कोष की मात्रा में भी वृद्धि होती है जिससे उनके साख सृजन की शक्ति बढ जाती है। फलस्वरूप वे साख का अधिक प्रसार करते हैं।

इस प्रकार खुले बाजार की नीति द्वारा केन्द्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों के नकद कोष की मात्रा में परिवर्तन लाकर उनके साख-सृजन की शक्ति को प्रभावित करता है। इससे सूद की दर भी प्रभावित होती है जिसके फलस्वरूप मूल्य, लागत एवं उत्पादन सभी प्रभावित होते हैं। अतएव खुले बाजार की नीति साख-नियन्त्रण का एक प्रधान साधन है। किन्तु बैंक-दर एवं खुले-बाजार की नीति में प्रधान अन्तर यह है कि जबकि बैंक-दर का साख एवं मुद्रा पर अप्रत्यक्ष तरीके से प्रभाव पड़ता है, खुले बाजार कार्यक्रम का मुद्रा एवं साख तथा सूद की दर पर प्रत्यक्ष एवं तत्काल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार खुली बाजार नीति साख-नियन्त्रण का एक अधिक प्रत्यक्ष एवं व्यापक तरीका है बशर्ते कि देश में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन प्रतिभूतियों के लिए एक सुविकसित मुद्रा-बाजार हो। (Open market operations represent, therefore, a more direct as well as a more comprehensive instrument of credit control, provided that there are broad and active market in the short and long term securities in which the Central Bank can legitimately deal)

खुली बाजार-नीति (Open market operation) तथा पुन. बट्टा करने (rediscounting) के परिणाम प्राय. मिला मिलते होते हैं। व्यावसायिक बैंक अथवा बट्टा गृहों को पुन बट्टा की सुविधा केन्द्रीय बैंक, बैंक-दर (Bank-Rate) पर प्रदान करता है। इसके परिणामस्वरूप बाजार की सूद-दर भी प्राय. बढ जाती है जिससे बैंक-मुद्रा का प्रसार रुक जाता है किन्तु खुली बाजार-नीति के अन्तर्गत सूद की दर में वृद्धि किये वर्गर ही केन्द्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों के नकद कोष में वृद्धि या कमी करते हैं।

खुले बाजार की नीति की सफलता की शर्तें

खुली बाजार-नीति का उद्देश्य केवल बैंक-मुद्रा अथवा साख का नियन्त्रण करना ही नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य मूल्य-तल एवं व्यावसायिक क्रियाशीलता को स्थायी बनाना (Stabilisation of price level and business activity) भी होता है। अतएव इस कार्यक्रम की सफलता के लिए निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं—

(1) खुली बाजार-नीति के परिणामस्वरूप चलन में मुद्रा, की मात्रा (Quantity of money in circulation) एवं व्यावसायिक बैंकों के नकद कोष (Cash reserves) में उसी अनुपात में अन्तर पड़ना चाहिए जिस अनुपात में केन्द्रीय बैंक की खुली बाजार की नीति का उद्देश्य हो।

(2) व्यावसायिक बैंक अपने नकद कोष में परिवर्तन के अनुरूप अपने ऋण तथा विनियोग में परिवर्तन करने के लिए तैयार हो।

(3) बैंक-मुद्रा की मात्रा में साख के आधार एवं सूद की दर में परिवर्तन के अनुरूप ही परिवर्तन होना चाहिए।

(4) प्रतिभूतियों की मांग तथा पूंति सदा वत्तमान रहनी चाहिए—मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियों की मांग तथा पूंति सदा वत्तमान नहीं रहने से केन्द्रीय बैंक की खुली बाजार-नीति सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती।

(5) मुद्रा-बाजार पूर्णतः दिकस्त होना चाहिए—केन्द्रीय बैंक की खुली बाजार-नीति तभी सफल हो सकती है जबकि देश में सुविकसित मुद्रा तथा पूंजी बाजार हो जिसे कि केन्द्रीय बैंक जब चाहे तभी अपनी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर सके।

खुले बाजार की नीति की सफलता के मार्ग में कठिनाइयाँ—यद्यपि सामान्य रूप से उक्त उद्देश्यों में इस प्रकार के सम्बन्ध की प्रवृत्ति पायी जाती है, फिर भी खुली बाजार नीति की सफलता के मार्ग में कई कठिनाइयाँ हैं जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं—

सर्वप्रथम तो कभी-कभी प्रतिकूल कारणों के चलते चलन की मात्रा एवं व्यावसायिक बैंकों के नकद कोष में केन्द्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों के श्रय विक्रय के अनुपात में परिवर्तन नहीं भी होता है। उदाहरण के लिए, पूंजी के बहिर्प्रवाह (Out-flow of Capital) या अन्य कारणों से प्रतिकूल भुगतान सतुलन (Unfavourable Balance of Payments) या छुपा कर रखने (Hoarding) के लिए नोटों की मांग आदि के कारण केन्द्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों के श्रय वा बैंक मुद्रा के प्रसार पर वित्कूल प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसके ठीक विपरीत प्रतिभूतियों के विक्रय का प्रभाव अनुकूल भुगतान सतुलन (Favourable Balance of Payments) या छुपी हुई नोटों के चलन में आने के कारण वित्कूल प्रभावहीन हो सकता है। कभी कभी तो बैंक ऑफ इंग्लैंड अथवा फेडरल रिजर्व बैंक ने स्वर्ण अथवा पूंजी के अन्तर्प्रवाह अथवा बहिर्प्रवाह (Inflow and out flow) को प्रभावहीन बनाने के लिए इस नीति का उपयोग किया है। अतएव इस सम्बन्ध में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि केन्द्रीय बैंक द्वारा इसके वास्तविक प्रभाव का पूरा अन्दाजा नहीं लगता।

दूसरी कठिनाई यह है कि व्यावसायिक बैंक भी अपने नकद कोष की मात्रा में परिवर्तन के अनुसार अपने जमा अथवा साख में परिवर्तन नहीं करते हैं। अतएव, नकद कोष में परिवर्तन के फलस्वरूप साख की मात्रा में समानुपातिक परिवर्तन नहीं होता है। बहुत सी मौद्रिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप व्यावसायिक बैंक बड़ी हुई नकद मुद्रा का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं करते या जब इनका कोष कम हो जाता है तो साख में कमी नहीं करते। इन प्रकार ऐसी स्थिति में केन्द्रीय बैंक की खुली-बाजार नीति बहुधा असफल सिद्ध हो जाती है।

किन्तु, केवल व्यावसायिक बैंक ही कभी-कभी अपने बड़े हुए नकद कोष का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं करते, वरन यदा-कदा ऐसा भी होता है कि उत्सुक तथा योग्य ऋण (Willing and deserving borrowers) की भी कमी रहती है। उदाहरण के लिए, राजनीतिक अथवा आर्थिक अनिश्चितता के समय साहसी जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं होते। अतएव ऐसी स्थिति में साधारण सूद की दर पर भी ये ऋण लेने के लिए तैयार नहीं होते। मन्दी के समय भी यदि केन्द्रीय बैंक इस नीति के सहारे बैंकों के कोष में प्रसार कर बैंक मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करना चाहे तो बैंक मुद्रा की मांग में कमी के कारण इस प्रसार में निषेध ही बहुत कठिनाई होगी।

खुले बाजार की नीति का क्षेत्र

(Scope of Open Market Operations)

केन्द्रीय बैंक की खुले बाजार नीति का वहाँ तक इन प्रतिगामी कारणों के विच्छेद प्रयोग किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। हॉट्ट्री (Hawtrey) के अनुसार केन्द्रीय बैंक इस नीति के द्वारा गैर-मौद्रिक कारणों को प्रभावहीन बना सकता है, किन्तु इनके अनुसार खुली बाजार-नीति का प्रयोग बैंक दर के साथ होना चाहिये। दूसरी ओर केन्स (Keynes) तथा अन्य अर्थशास्त्री इस विचार के हैं कि यदि खुली बाजार नीति का सावधानी-पूर्वक वृहत तरीके से प्रयोग किया जाय तो यह बैंक दर के वगैर भी अनेकित सफलता हासिल कर सकती है वशात् कि राज्य की विनियोग नीति अथवा सार्वजनिक कार्यों को इसके पूरक के रूप में प्रयोग किया जाय। (Open Market Operations, undertaken extensively and skillfully)

could achieve the purpose without a discount rate policy if they were supplemented by State organisation of investment or falling this compensatory planning of public works.)

खुली-बाजार-नीति के व्यापक प्रयोग के लिए अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूतियों का विस्तृत बाजार होना अति आवश्यक है। साथ ही, जिन सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर केन्द्रीय बैंक खुली बाजार की नीति का अनुकरण करता है उनका देश के वित्तीय संगठन में केन्द्रीय स्थान होना चाहिये। अभी तक विश्व में लन्दन तथा न्यूयार्क ही ऐसे केन्द्र हैं जहाँ पर यह बात पायी जाती है। यही कारण है कि इस तरीके का सफलतापूर्वक एवं बड़े पैमाने पर प्रयोग केवल बैंक ऑफ इंग्लैंड तथा अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा ही किया जा सकता है। इस प्रकार किसी देश में खुली-बाजार-नीति के प्रयोग की सीमा उस समय वहाँ की आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों, वहाँ के लोगों की प्रवृत्ति, बैंकिंग व्यवस्था की बनावट, केन्द्रीय बैंक के अनुभव, योग्यता एवं इच्छा, सांख्यिक वित्त की स्थिति, केन्द्रीय बैंक तथा व्यावसायिक बैंकों, के सहयोग की मात्रा तथा प्रतिभूतियों के बाजार के विस्तार आदि पर निर्भर करती है।

बैंक ऑफ इंग्लैंड की खुली-बाजार-नीति (Open Market Operations of the Bank of England :—1918 ई० से अब तक बैंक ऑफ इंग्लैंड की खुली-बाजार नीति के प्रयोग के निम्नलिखित उद्देश्य रहे हैं :—

(1) बैंक दर को प्रभावशाली बनाना या बैंक दर में परिवर्तन के लिए वातावरण तैयार करना :— बैंक ऑफ इंग्लैंड जब बैंक मुद्रा में कमी लाने की नीति को अपनाता है तो इसके लिए वह बैंक-दर में वृद्धि कर उसे अधिक प्रभावपूर्ण बनाना चाहता है। इस उद्देश्य से वह मुद्रा-बाजार में बिलों को बेचता है जिससे बैंकों के नकद बोध में कमी आ जाती है। इससे व्यावसायिक बैंक अपने बोध की पूर्ति के लिए मुद्रा-बाजार में दिये गये अल्पकालीन ऋण को वापस लेते हैं। इससे मुद्रा बाजार में मुद्रा की कमी हो जाती है जिससे बाध्य होकर बट्टा गृहों को बैंक ऑफ इंग्लैंड की शरण लेनी पड़ती है। बैंक ऑफ इंग्लैंड (Bank of England) इन्हें बैंक दर पर सहायता देता है जो बाजार दर से अधिक होती है। इस प्रकार बाजार-दर अधिक हो जाती है।

(2) सरकारी कोष में प्रवाह, विशेषतः मौसमी प्रवाह (Seasonal movement) से मुद्रा बाजार में उत्पन्न अशुभ-व्यवस्था को रोकना — सरकारी कोष में मौसमी प्रवाह को प्रभावहीन बनाने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड प्रत्येक दिसम्बर में जब क्रिसमस के लिए नकद मुद्रा की मांग बहुत बढ़ जाती है, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदकर बैंकों के बोध में वृद्धि करता है तथा पुनः जनवरी में इन्हें बेच कर नोटों की मात्रा को कम करता है। इस प्रकार इसे चुकाने के मौसम में भी बैंक इस प्रकार की प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय द्वारा मुद्रा बाजार में सरकारी बोध के प्रवाह से होनेवाली अव्यवस्था को रोकता है।

(3) स्वर्ण के अन्तर्प्रवाह (In flow) अथवा अर्हिप्रवाह (out-flow) को रोकना — स्वर्ण अथवा पूँजी के प्रवाह को प्रभावहीन बनाने के लिए भी बैंक इस नीति का प्रयोग करता है। जब दूसरे देश से स्वर्ण अथवा पूँजी देश में आने लगती है तो इससे बैंकों के कोष में वृद्धि होती है। जिससे मुद्रा प्रसार को प्रोत्साहन मिलता है। इसके विपरीत स्वर्ण अथवा पूँजी बाहर जाने से मुद्रा की राशि में कमी होती है जिससे मुद्रा-सकुचन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। अतएव देश की मौद्रिक-व्यवस्था को इसके प्रभाव से मुक्त करने के लिए भी बैंक ऑफ इंग्लैंड खुले बाजार की नीति का अनुसरण करता है।

(4) सरकार की ऋण नीति को पुष्टि करना :— युद्ध आदि के समय सरकार को विशेष रूप से अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता पड़ती है जिससे वह प्रतिभूतियों के आधार पर बाजार से ऋण लेती है। अतएव ऐसी स्थिति में बैंक ऑफ इंग्लैंड सरकार की ऋण-सम्बन्धी नीति को प्रोत्साहित करने के लिए खुली बाजार नीति के द्वारा अनुकूल वातावरण तैयार करता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड प्रतिभूतियों को खरीदकर बैंक के कोष में वृद्धि करता है जिससे बैंकों को अधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

(5) उद्योग एवं वाणिज्य को प्रोत्साहित करने अथवा मुद्रा के लिए सरली मुद्रा नीति की स्थिति को कायम करने के लिए।—सस्ती मुद्रा नीति का समावेश 1929-32 ई० की भयानक आर्थिक मन्दी के बाद हुआ है। इस मुद्रा नीति की सफलता के लिए भी बैंक ऑफ इंग्लैंड खुले बाजार कार्यक्रम के द्वारा मुद्रा प्रसार की स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड (Bank of England) से जनता सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद कर मुद्रा प्रसार की नीति को सफल बनाती है।

फेडरल रिजर्व प्रणाली की खुली बाजार नीति (Open Market Operations of the Federal Reserve System)—संयुक्त राज्य अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खुली-बाजार नीति का प्रयोग किया है—

(i) बैंक-दर को प्रभावशाली बनाने अथवा इसमें परिवर्तन लाने के लिए अनुकूल वातावरण की सृष्टि करने के लिए.—अमेरिका में खुली बाजार की नीति का प्रयोग बहुत ही विस्तारपूर्वक किया गया है। वहाँ पर इस नीति के उद्देश्य एव क्षेत्र भी बहुत अधिक व्यापक रहे हैं। इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड मुद्रा बाजार में बिलों के क्रय-विक्रय के द्वारा अल्पकालीन सूद दर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। परन्तु दीर्घकालीन पूँजी-बाजार की दर पर इसका अप्रत्यक्ष रूप से ही प्रभाव पड़ता है, किन्तु अमेरिका में Federal Reserve System मुद्रा बाजार एवं पूँजी-बाजार में प्रतिभूतियों (Securities) के क्रय-विक्रय द्वारा दोनों प्रकार की दरों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जब Federal Reserve System बाजार की सूद की दर को बढ़ाना चाहता है तो इस उद्देश्य से वह मुद्रा की कमी की सृष्टि करता है जिसके लिए वह बिलों को बेचता है और जब बाजार-दर में वृद्धि हो जाती है तो बैंक-दर को भी अन्त में बढ़ा दिया जाता है।

(ii) सरकारी ऋण के प्राप्ति से उत्पन्न मौद्रिक अव्यवस्था को रोकने के लिए :— इस सम्बन्ध में बैंक ऑफ इंग्लैंड (Bank of England) एवं फेडरल रिजर्व सिस्टम (Federal Reserve System) के कार्य प्रायः एक समान हैं।

(iii) रक्षण एवं अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी के प्रवाह (Flow) से मुद्रा-व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाने के लिए भी बैंक ऑफ इंग्लैंड की ही तरह फेडरल रिजर्व सिस्टम भी खुली-बाजार की नीति का प्रयोग करता है।

(iv) आर्थिक स्थायित्व कायम रखने के लिए—जब मूल्य तल की प्रवृत्ति नीचे की ओर जाने की होती है एवं मन्दी की स्थिति की शुरुआत हो रही है तो इसे रोकने के लिए फेडरल रिजर्व बैंक बाजार में बिलों को खरीद कर मुद्रा-प्रसार करते हैं और सूद की दर को निम्न स्तर पर कायम रखकर उत्पादन एवं विनिर्माण को प्रोत्साहित करते हैं। इसके विपरीत अधि-स्फीति की प्रवृत्ति के प्रारम्भ में ये बिलों को बेचकर मुद्रा में कमी लाकर उसे रोकने का प्रयत्न करते हैं।

इस प्रकार अमेरिका में खुली-बाजार नीति ज्यादा व्यापक रूप में प्रयुक्त हो रही है क्योंकि वहाँ इसका उद्देश्य व्यापार चक्र विरोधी (anti cyclical) हो गया है। वहाँ के सभी रिजर्व बैंक एक ही समान नीति का अनुसरण करते हैं क्योंकि Open Market Committee के सरक्षण में उनके कार्यों में एकरूपता रखने की कोशिश की जाती है।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की खली बाजार-नीति (Open Market Operations of the Reserve Bank of India) :—भारतीय रिजर्व बैंक खुली-बाजार-नीति का प्रयोग बैंक दर को प्रभावपूर्ण बनाने अथवा बैंक-दर और बाजार-दर के अन्तर को कम करने के लिए करते आया है। द्वितीय विश्व-युद्ध के पूर्व रिजर्व बैंक इस नीति का बहुत ही कम प्रयोग करता था, किन्तु युद्ध एवं युद्धोत्तरकाल में बैंक की खली-बाजार-नीति का प्रयोग अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। उस समय से बैंक की इस नीति का प्रधान उद्देश्य सरकारी ऋण के लिए समुचित वातावरण तैयार करना था। युद्ध के बाद साल के प्रसार के लिए बैंक ने प्रतिभूतियों को खरीदना प्रारम्भ कर दिया, परन्तु 1957 ई० के मध्य से पुनः बैंक ने प्रतिभूतियों को बेचना भी प्रारम्भ कर दिया है।

किन्तु, भारत में अभी संघटित मुद्रा एवं बिल-बाजार के अभाव में इस नीति को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने में बहुत अधिक कठिनाई होती है।

बैंको के नकद कोष के अनुपात में परिवर्तन

(Variation in the Cash Reserve Ratio)

साख-नियन्त्रण के इस साधन का सर्वप्रथम 1933 ई० में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रयोग किया गया था। आजकल तो यह साख नियन्त्रण का एक प्रधान साधन हो गया है तथा विश्व के प्रायः सभी देशों में केन्द्रीय बैंक साख नियन्त्रण के इस तरीके का प्रयोग करते हैं।

आजकल व्यावसायिक बैंको को प्रायः सभी देशों में अपने कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत भाग केन्द्रीय बैंक के पास सुरक्षित कोष (Reserve Fund) के रूप में रखना पड़ता है। इसके बाद जो रकम बैंक के पास शेष नकद कोष (Cash Reserve) के रूप में रह जाती है उसी के आधार पर वे साख के सृजन का कार्य करते हैं। बहुत-सारे देशों में इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था है जिसके अनुसार व्यावसायिक बैंको को अपने कुल जमा दायित्व का एक निश्चित प्रतिशत भाग नकद कोष के रूप में केन्द्रीय बैंक के पास जमा रखना पड़ता है। उदाहरण के लिए, 1970 ई० से अमेरिका में सदस्य बैंको को अपने कुल चालू जमा (Demand Deposit) का बड़े-बड़े नगरों में 17 $\frac{1}{2}$ प्रतिशत तथा छोटे-छोटे नगरों में 13 प्रतिशत भाग बैंको की स्थिति के अनुसार तथा स्थायी जमा (Time Deposit) का 6 प्रतिशत भाग नकद जमा के रूप में फेडरल रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। भारत में भी व्यावसायिक बैंको को पहले अपने चालू जमा (Demand Deposit) का 5 प्रतिशत एवं स्थायी जमा (Time Deposit) का 2 प्रतिशत रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के पास नकद कोष के रूप में जमा रखना पड़ता था, किन्तु 1962 ई० के संशोधन के अनुसार अब सभी अनुसूचित बैंको को अपने कुल जमा दायित्व का औसत रूप से 3 प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के पास नकद मुद्रा के रूप में जमा करना पड़ता है।

केन्द्रीय बैंक व्यावसायिक बैंको के सुरक्षित कोष के अनुपात में परिवर्तन लाकर देश में साख की मात्रा में आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकता है। जब केन्द्रीय बैंक व्यावसायिक बैंको के सुरक्षित कोष के अनुपात में वृद्धि करता है, तो इससे बैंको को केन्द्रीय बैंक के पास अधिक रकम जमा करनी पड़ती है जिससे इनके नकद कोष की मात्रा कम हो जाती है और नकद कोष में कमी के कारण इनके साख-नियन्त्रण शक्ति भी घट जाती है। इसके विपरीत, जब केन्द्रीय बैंक इस वैधानिक अनुपात को घटा देता है तो व्यावसायिक बैंको को कम ही सुरक्षित कोष रखना पड़ता है जिससे इनके नकद कोष की मात्रा बढ़ जाती है और इसके परिणामस्वरूप इनकी साख-नियन्त्रण की शक्ति भी बढ़ जाती है। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक इस तरीके को अपनाकर भी साख का नियन्त्रण करता है।

बैंको के नकद कोष के अनुपात में परिवर्तन का प्रयोग सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया, वहाँ 1933 ई० के फेडरल रिजर्व ऐक्ट में एक संशोधन के अनुसार फेडरल रिजर्व बोर्ड को यह अधिकार दिया गया कि वह सकलकाल में प्रेसिडेंट की अनुमति लेकर सदस्य बैंको के नकद-कोष के अनुपात में परिवर्तन ला सकता है। 1935 ई० के बैंकिंग ऐक्ट के अनुसार फेडरल रिजर्व बोर्ड के इस अधिकार को स्थायी बना दिया गया जिसके अनुसार प्रेसिडेंट की अनुमति के बगैर ही निश्चित सीमाओं के अन्दर यह सदस्य बैंकों के नकद-कोष के अनुपात में परिवर्तन कर सकता है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार थी—1917 ई० के कानून के अनुसार नकद-कोष का अनुपात जो निश्चित हुआ था उसे न्यूनतम कोष समझा गया। उसमें परिवर्तन उसके दुगुना तक हो सकता है। साथ ही, बोर्ड इसका प्रयोग सभी बैंको के साथ समान रूप से करेगा। विभिन्न बैंकों के कोषों को भिन्न-भिन्न रूपों में नहीं बदला जा सकता है। साथ ही, इस शक्ति का उपयोग फेडरल रिजर्व बोर्ड हानिकारक मुद्रा प्रसार या मुद्रा-सकुचन को रोकने के लिए ही करेगा।

इस प्रकार के अधिकार केन्द्रीय बैंको को अन्य देशों में भी दिये गये हैं। किन्तु बैंको की इस नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि व्यावसायिक बैंक सदा अपनी जमा-राशि में नकद कोष के अनुपात में परिवर्तन करने के लिए तैयार हों। किन्तु कभी-कभी व्यावसायिक बैंक ऐसा नहीं करते। उदाहरण के लिए, तेजी के समय अत्यधिक मुनाफे के लोभ से नकद-कोष कम

1. 29 जन, 1973 को नकद जमा के प्रतिशत को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत तथा 22 सितम्बर, 1973 से 7 प्रतिशत कर दिया गया। इस अतिरिक्त जमा की रकम को कम-से कम एक वर्ष के लिए रखना पड़ेगा तथा इसपर रिजर्व बैंक 4*75 प्रतिशत वार्षिक व्याज चुकायागा—R B 1. Bulletin

रहने पर भी बैंक अधिक साख का सृजन करते हैं। इसके विपरीत मन्दी में नकद कोष की मात्रा बढ़ने पर भी वे अपनी जमा की राशि में कोई वृद्धि नहीं करते। इतना होने पर भी यह कहा जा सकता है कि साख-नियन्त्रण के साधन के रूप में यह तरीका बैंक दर तथा खुले-बाजार की नीति की अपेक्षा अधिक प्रत्यक्ष एवं प्रभावपूर्ण है, किन्तु इसका प्रयोग केवल असाधारण समय में ही होना चाहिए।

विशेष अध्ययन-सूची

- | | |
|-------------|--|
| 1. De Kock | : Central Banking, Chapter, XI & XII. |
| 2. Sayers | : Modern Banking, Chapter V. |
| 3. R. B. I. | : Reserve Bank of India : Functions & Working, |
-

गुणात्मक नियंत्रण के तरीके

(Methods of Qualitative or Selective Credit Control)

गुणात्मक नियंत्रण का अर्थ एवं उद्देश्य (Meaning and Objectives of Qualitative Control) :—साख-नियंत्रण के जिन तरीको [बैंक दर, खुले बाजार की नीति तथा नवद-कीप के अनुपात में परिवर्तन] की विछले दो अध्यायो में ब्याख्या की गयी है। वे परिमाणात्मक नियंत्रण (Quantitative Control) के तरीके हैं जिनका उद्देश्य साख के परिमाण को नियंत्रित करना है। विछले प्राय 100 वर्षों से साख नियंत्रण के इसी पक्ष की प्रधानता रही है। किन्तु साख-नियंत्रण का एक दूसरा पक्ष भी है वह है गुणात्मक नियंत्रण (Qualitative or Selective Control)। महान् आर्थिक मदी के बाद से विश्व में साख-नियंत्रण के इस तरीके का प्रयोग किया जा रहा है। “किसी निश्चित उद्देश्य अथवा आर्थिक जीवन की किसी विशेष शाख के लिए साख का नियंत्रण गुणात्मक नियंत्रण कहा जाता है।” (The regulation of credit for specific purposes or branches of economic activity is termed as qualitative or selective credit control) गुणात्मक साख-नियंत्रण का आधार यह है कि कमी कमी स्वल्प साख की स्थिति में किसी खास कार्य के लिए साख प्राप्त करना इतना सुगम हो जाता है कि उस विशेष क्षेत्र में साख का अनुचित प्रसार हो जाता है अथवा परिकल्पना-सम्बन्धी क्रियाओं की अधिकता हो जाती है जिससे सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था का स्थायित्व ही खतरे में आ जाता है। ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से साख का नियंत्रण अनुचित होता है, किन्तु उस विशेष दिशा में साख के प्रसार पर नियंत्रण अधिक अनिवार्य हो जाता है। (The basis of qualitative control is that, consistently with a general credit situation appropriate to a healthy economic system, credit may be so easy to obtain for some purposes that demand expands unduly in particular directions, or speculative activities are over-excited and endanger the stability of the whole economy. A general restriction of credit in such circumstances is undesirable, yet something must be done in particular directions) कमी-कमी मुद्रा-प्रसार की स्थिति में जब सामान्य परिमाणात्मक नियंत्रण धीमतापूर्वक अथवा पर्याप्त जोर के साथ काम नहीं कर सकता है, तो गुणात्मक नियंत्रण के तरीको को इसके पूरक के रूप में भी अपनाया जाता है।

इस प्रकार साख-नियंत्रण के गुणात्मक तरीको का महत्त्व दिन प्रति-दिन बढ़ता जा रहा है। इनका प्रधान उद्देश्य उचित एवं अपेक्षित आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहित तथा अनुचित आर्थिक क्रियाओं को हतोत्साहित करना होता है। उचित एवं अनुचित क्रियाओं का आधार स्थायी नहीं होकर देश की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति के अनुसार बदलते रहता है। वास्तव में, 1929-32 ई० की महान् आर्थिक मन्दी के बाद विश्व के अधिकांश देश योजनाकरण के आधार पर अपने आर्थिक विकास में लगे हुए हैं। आयोजित आर्थिक व्यवस्था (Planned economy) में साख-नियंत्रण के इस तरीके का महत्त्व बहुत बढ़ जाता है।

गुणात्मक नियंत्रण के विभिन्न तरीके

(Different Methods of Selective or Qualitative Credit Control)

अतएव आजकल विभिन्न देशों में केन्द्रीय बैंक गुणात्मक नियंत्रण के तरीको का स्वतन्त्र रूप से या परिमाणात्मक तरीको के पूरक के रूप में प्रयोग करते हैं। वास्तव में, गत कुछ वर्षों के अनुभव से यह स्पष्ट हो गया है कि परिमाणात्मक नियंत्रण के तरीको के साथ-साथ प्रयोग करने पर गुणात्मक नियंत्रण के तरीके अधिक प्रभावपूर्ण एवं सकल सिद्ध होते हैं।

साख के गुणात्मक नियंत्रण के निम्नांकित प्रधान तरीके हैं :—

- (1) साख की रैशनिंग (Credit rationing);
- (2) प्रत्यक्ष तरीका (Direct action),

- (3) नैतिक दबाव (Moral persuasion);
- (4) उपभोक्ता की साख का नियन्त्रण (Regulation of Consumer's credit);
- (5) प्रचार (Publicity); तथा
- (6) शेयर बाजार के ऋण की सीमा को निर्धारित करना (Changes in the marginal requirements of stock market loans)।

अब इन तरीकों का पृथक्-पृथक् निम्न विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है :—

1. साख की रैशनिंग (Credit Rationing)

साख की रैशनिंग गुणात्मक नियन्त्रण का प्रधान तरीका है। इस तरीके को अपनाते से केन्द्रीय बैंक का देश की बैंकिंग व्यवस्था पर अधिकार बढ जाता है। यह सर्वविदित है कि केन्द्रीय बैंक देश के व्यावसायिक बैंको तथा मुद्रा-बाजार की संस्थाओं के अन्तिम ऋणदाता (Lender of the last resort) के रूप में कार्य करता है। अन्तिम ऋणदाता के रूप में केन्द्रीय बैंक जब अन्य बैंको की मांग को पूर्ण रूप से पूरा नहीं कर सकता राशन कर दे या उधार दी जानेवाली रकम पर कुछ प्रतिबंध लगाये तब बैंको को ऋण प्रदान करने की राशि कम हो जाने से उनकी साख सृजन की शक्ति भी कम हो जाती है। केन्द्रीय बैंक की इस नीति को साख की रैशनिंग (Credit Rationing) कहते हैं। साख की रैशनिंग केन्द्रीय बैंक निम्नलिखित तरीकों से कर सकता है :—

- (i) किसी बैंक के पुनः भुनाने (rediscounting) की सुविधा को बिल्कुल समाप्त कर, या
- (ii) किसी बैंक के पुनः भुनाने की सीमा को नियन्त्रित कर (restricting the rediscount limit), या
- (iii) विभिन्न बैंक द्वारा विभिन्न उद्योगों को दिये जाने वाले साख के ग्रन्थश (quota) को निश्चित करके।

साख की रैशनिंग की नीति सर्वप्रथम तो उस समय प्रयोग में लायी जाती है जबकि देश की आर्थिक व्यवस्था आर्थिक नियोजन के आधार पर संगठित रहती है जिससे उत्पादन, बचत एवं विनियोग आदि पर राज्य का नियन्त्रण रहता है। आर्थिक नियोजन की नीति में विभिन्न उद्योगों को उनके महत्त्व के अनुसार प्रोत्साहन दिया जाता है। अतः केन्द्रीय बैंक इस स्थिति में अन्य बैंको को यह आदेश देता है कि वे योजना अधिकारियों द्वारा निर्धारित उद्योगों के महत्त्व के अनुसार ही इन्हें साख प्रदान करें। इस प्रकार के आदेश का मुख्य उद्देश्य आवश्यक उद्योगों को ऋण आदि के रूप में प्रोत्साहन देकर उनके विकास को प्रोत्साहित करना होता है, जिससे देश में सुव्यवस्थित साख-व्यवस्था का निर्माण हो सके। द्वितीयतः, युद्ध के समय भी युद्ध सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय बैंक साख की रैशनिंग करता है।

साख-नियन्त्रण के साधन के रूप में साख की रैशनिंग का तरीका अन्य तरीकों से अधिक प्रत्यक्ष एवं प्रभावपूर्ण होता है। अतः इसके प्रयोग द्वारा मौद्रिक नीति को अधिक प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। किन्तु इस नीति को कार्यान्वित करने में केन्द्रीय बैंक को निम्नांकित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है :—

- (1) सर्वप्रथम, तो उसे विभिन्न उद्योगों की साख-सम्बन्धी आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर उसी आधार पर विभिन्न बैंको को साख सृजन का आदेश देना पड़ता है।
- (2) सभी बैंको के लिए, यदा-कदा, अलग अलग कोटा निर्धारित करना पड़ता है।
- (3) इससे व्यावसायिक बैंको की स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है क्योंकि वे केवल पूर्ण निश्चित भवों में ही रूपमा उधार दे सकते हैं।
- (4) इसके अन्तर्गत व्यापार की उन्नति साख मुद्रा की मात्रा से सीमित हो जाती है।
- (5) अन्ततः, प्रजातान्त्रिक देशों में इस रीति के प्रयोग में कठिनाई भी होती है, क्योंकि ऐसे देश में आर्थिक व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण भाग अनियन्त्रित रहता है। यही

कारण है कि इंग्लैंड आदि देशों में यह तरीका उतनी सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाया है।

2. प्रत्यक्ष तरीका

(Direct Action)

केन्द्रीय बैंक कभी-कभी साल नियन्त्रण के साधन के रूप में प्रत्यक्ष तरीके (Direct Action) का भी प्रयोग करता है। इसके अनुसार केन्द्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों की अपनी नीति का अनुसरण करने के लिए बाध्य करता है। जो बैंक केन्द्रीय बैंक द्वारा निर्धारित नीति के विरुद्ध कार्य करते हैं उनके विरुद्ध केन्द्रीय बैंक सीधी कार्रवाई (Direct Action) करता है जिसके अनुसार यह इन बैंकों को पुनः भुगतान (Rediscounting) की सुविधा देना बन्द कर देता है या यदि कोई बैंक केन्द्रीय बैंक से बहुत अधिक परिमाण में सहायता लेना है तो केन्द्रीय बैंक उसे पुनः भुगतान की सुविधा देना बन्द कर देता है या यदि पुनः भुगतान की सुविधा देना भी है तो बैंक दर (Bank Rate) स ऊँची दर पर ही देता है। इन सब कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप व्यावसायिक बैंकों को बाध्य होकर केन्द्रीय बैंक की नीति का अनुसरण करना पड़ता है, किन्तु इस नीति की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि

- (क) केन्द्रीय बैंक को पर्याप्त मात्रा में शक्ति होनी चाहिए,
- (ख) मुद्रा-बाजार में उसका पूरा नेतृत्व हो, एवं
- (ग) अन्य बैंकों के साथ सहयोग का वातावरण कायम हो।

संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरल रिजर्व सिस्टम को इस सम्बन्ध में बहुत विस्तृत अधिकार दिये गये हैं। वहाँ इस तरीके का बहुत व्यापक रूप से प्रयोग किया गया है। फेडरल रिजर्व बोर्ड प्रत्येक सदस्य बैंक की सम्पत्ति (assets) एवं दायित्व (liabilities) की स्थिति की जाँच के बाद यदि किसी बैंक की नीति को देश के आर्थिक हित के लिए हानिकारक समझता है तो उसके विरुद्ध प्रत्यक्ष तरीके का प्रयोग कर सकता है। 1945 ई० में बैंक ऑफ इंग्लैंड को भी इस प्रकार का अधिकार दिया गया था कि वह ट्रेजरी (Treasury) की अनुमति से किसी बैंक की स्थिति के सम्बन्ध में जाँच कर सकता है। भारतीय बैंकिंग कम्पनीज विधान, 1949 ई० (Indian Banking Companies Act, 1949) के अनुसार रिजर्व बैंक को भी अन्य बैंकों की स्थिति की जाँच कर इन्हें अनुकूल नीति के अनुसरण का आदेश देने का अधिकार मिला है।

किन्तु गुणात्मक नियन्त्रण के लिए प्रत्यक्ष कार्य का तरीका सतोपजनक एवं प्रभावशाली नहीं है। इसके निम्नांकित प्रधान कारण हैं :—

- (1) इसमें शक्ति (force) की मात्रा निहित होने के कारण बहुधा इसका परिणाम अनुकूल नहीं होता।
- (2) व्यावसायिक बैंक भी साल के वास्तविक प्रयोग के सम्बन्ध में बहुधा अनभिज्ञ रहते हैं तथा आवश्यक एवं कम आवश्यक उद्योगों में अन्तर नहीं कर सकते।
- (3) अनुचित नियन्त्रण एवं हस्तक्षेप के कारण व्यावसायिक बैंकों का पूर्ण एवं ऐच्छिक सहयोग मिलना भी बन्द हो जाता है।

अतः प्रत्यक्ष तरीके की नीति का प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों के अन्तर्गत ही किया जाना चाहिए।

3. नैतिक दबाव

(Moral Suasion)

नैतिक दबाव भी गुणात्मक नियन्त्रण का एक प्रधान तरीका है। इस नीति के अनुसार केन्द्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों की स्थिति की जाँच के बाद उन्हें अनुकूल परामर्श देता है। इस प्रकार यह भी प्रत्यक्ष कार्यवाही से बहुत कुछ मिलता-जुलता है। अन्तर केवल इतना ही है कि इसमें शक्ति (force) का प्रयोग नहीं होता, अतएव केन्द्रीय एवं अन्य बैंकों के बीच सद्भावना बनी रहती है। नैतिक दबाव के प्रयोग से केन्द्रीय बैंक सुगमतापूर्वक व्यावसायिक बैंकों का ऐच्छिक एवं सक्रिय सहयोग प्राप्त करने में समर्थ होता है, जो केन्द्रीय बैंक की नीति की सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक है।

इस प्रकार नैतिक दबाव की नीति की सफलता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है —

- (i) केन्द्रीय बैंक का मुद्रा-बाजार एवं व्यावसायिक बैंकों पर पूरा पूरा अधिकार होना चाहिए,
- (ii) उसे इस सम्बन्ध में पर्याप्त अधिकार प्राप्त होना चाहिए,
- (iii) देश में सुविकसित एवं सुसंगठित मुद्रा-बाजार होना चाहिए, तथा
- (iv) केन्द्रीय बैंक एवं अन्य बैंकों के बीच सहयोग एवं सद्भावना का वातावरण होना चाहिए ।

साख नियन्त्रण के रूप में इस साधन का प्रयोग अधिकांश केन्द्रीय बैंकों द्वारा किया जाता है। ग्रेट-ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी तथा स्विडन आदि देशों में केन्द्रीय बैंकों को इस तरीके के उपयोग में बहुत अधिक सुविधा होती है। इन देशों में केन्द्रीय बैंक को बैंकिंग एवं मौद्रिक व्यवस्था का समझने की प्रयासों हो गयी है जिससे इन देशों में केन्द्रीय बैंक का बैंकिंग व्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। किन्तु सयुक्त राज्य अमेरिका में बैंकों की सत्या अधिक होने के कारण इस नीति के कार्यान्वयन में कठिनाई होती है। भारत में भी रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने नैतिक दबाव (Moral suasion) का प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए, सितम्बर, 1949 ई० में भारतीय रुपये के प्रवमूल्यन (Devaluation of the Indian Rupee) के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर ने देश के प्रमुख बैंकों की एक बैठक में इस बात की सिफारिश की थी कि उन्हें परि-कल्पना-सम्बन्धी कार्यों के लिए उधार देना बन्द कर देना चाहिए। इसी प्रकार जून, 1957 ई० में भी रिजर्व बैंक ने सभी व्यावसायिक बैंकों को उद्योगों को दी जानेवाली सहायता में किसी प्रकार की कमी लाये बगैर अग्रिम (Advances) की मात्रा को कम करने पर जोर दिया था। इस उद्देश्य से बैंकों को कृपि-पदायों की जमानत पर ऋण देने से मना किया गया था।

किन्तु साख-नियन्त्रण के साधन के रूप में नैतिक दबाव की नीति को सदा अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त होती है। क्लार्क (Clark) के निम्नांकित कथन से यह स्पष्ट है — "Persuasion as a means of credit control has not been successful. It is true that it may exercise a restraining influence, but at times the forces making for expansion have proved to be too powerful for warning without any 'teeth' in them to be effective."

4. उपभोक्ता साख का नियन्त्रण (Regulation of Consumer's Credit)

द्वितीय युद्ध काल में सर्वप्रथम इस तरीके का प्रयोग सयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था, किन्तु आज यह साख नियन्त्रण का एक प्रधान साधन बन गया है। युद्ध के समय बहुत-सी वस्तुओं की मांग अधिक हो जाती है जिससे इनके मूल्य में वृद्धि होने लगती है तथा मुद्रा-स्फीति का दबाव बढ़ता है। अतएव सयुक्त राज्य अमेरिका में 9 अगस्त, 1941 ई० के एक विधेय आदेश द्वारा बोर्ड ऑफ गवर्नर को यह अधिकार दिया गया कि वे आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के क्रय पर प्रतिबन्ध लगा सकते हैं जिससे इन वस्तुओं की मांग न बढ़ने पाये और मुद्रा-स्फीति को प्रोत्साहन न मिले।

उपभोक्ता की साख के नियन्त्रण की नीति के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक ऐसा नियम बनाता है जिसके अनुसार उपभोक्तियों को थोड़ा-थोड़ा करके साख की सुविधा (Installment credit) दी जाती है। इस प्रकार के ऋण का एक भ्रश नकद मुद्रा के रूप में भी दिया जाता था जिससे साख का निर्माण एक-निश्चित सीमा से अधिक नहीं होने पाये। युद्ध के बाद भी इस तरीके का प्रयोग मुद्रा स्फीति को रोकने तथा आर्थिक स्थायित्व को कायम रखने के लिए किया जाता है। अन्य देशों में भी इस तरीके का प्रयोग बढ रहा है।

5 प्रचार

(Publicity)

साख नियन्त्रण के साधन के रूप में प्रचार वा भी प्रयोग केन्द्रीय बैंकों द्वारा किया जाता है। इस नीति का आधार यह है कि किसी भी नीति की सफलता इसके पक्ष में सप्रमाविक जन-

मत (Effective public opinion) तैयार करने पर निर्भर करती है। अतएव विज्ञापन तथा प्रचार की नीति के द्वारा केन्द्रीय बैंक अपनी नीति के प्रति सप्रभावीक जनमत (Effective public opinion) तैयार करता है। साथ ही, समय समय पर मुद्रा-बाजार की स्थिति उद्योग, व्यवसाय, व्यापार एवं आयात-निर्यात इत्यादि के सम्बन्ध में आँकड़े एवं विवरण प्रकाशित कर मुद्रा-बाजार पर अपना प्रभाव स्थापित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस तरीके का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। वहाँ प्रत्येक रिजर्व बैंक अपनी-अपनी स्थिति के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रकाशित करते हैं। जर्मनी के रिजर्व बैंक (Reichsbank) द्वारा भी इस तरीके का प्रयोग किया जाता है। भारत में भी रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया प्रतिमाह अपनी स्थिति के सम्बन्ध में एक विस्तृत विवरण प्रकाशित करता है।

किन्तु, साख नियन्त्रण के इस साधन के वास्तविक प्रभाव के सम्बन्ध में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसका कारण यह है कि कुछ केन्द्रीय बैंक इसे साख-नियन्त्रण का एक प्रति साधारण साधन समझते हैं जबकि दूसरे इस पर विशेष महत्त्व देते हैं। उदाहरण के लिए बर्गस (Burgess) ने तो इसके सम्बन्ध में यह विचार प्रकट किया है कि "यह तरीका दीर्घकाल में वित्तीय स्थायित्व स्थापित करने में बेहद दर भयना खरी बाजार नीति की तरह ही महत्वपूर्ण हो सकता है।" इस कथन में कहीं तक सत्यता है, यह कहना भ्रमी कठिन है। किन्तु इतना अवश्य है कि भविष्य में इस तरीके का साख-नियन्त्रण के साधन के रूप में महत्त्व और भी अधिक होगा।

6. शेयर बाजार के ऋण की सीमा में परिवर्तन करना

(Changes in the Margin Requirements of Stock Market Loans)

साख-नियन्त्रण का यह तरीका भी अपेक्षाकृत नया है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। इस नीति का प्रयोग प्रतिभूतियों में सट्टे के लिए प्रयोग की जानेवाली साख की राशि पर नियन्त्रण के लिए किया जाता है। व्यावसायिक बैंक प्रतिभूतियों (Securities) में सट्टेबाजी के लिए ऋण देते हैं। अतएव सट्टेबाजी के लिए सीमित मात्रा में ही ऋण एवं साख मिल सके, इस उद्देश्य से केन्द्रीय बैंक की व्यावसायिक बैंकों द्वारा उक्त कार्यों के लिए दिये जाने-वाले ऋणों के सम्बन्ध में नियम बनाने के अधिकार दिये गये हैं। इस प्रकार उक्त रीति का प्रयोग मुख्यतः सट्टेबाजी के लिए दी जानेवाली साख पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिए ही किया जाता है। इस रीति के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को समय-समय पर प्रतिभूतियों में सट्टेबाजी के लिए दी जानेवाले ऋण की सीमा (Margin) के सम्बन्ध में आदेश देता है जिससे बैंक के ऋणों में जोखिम नहीं होने पाये। केन्द्रीय बैंक ऋण की सीमा (Margin Requirements) में समय-समय पर परिवर्तन करके ऐसे कार्यों के लिए साख के अत्यधिक प्रयोग पर रोक लगा देता है ताकि ऐसे कार्यों के लिए नियन्त्रित मात्रा में ही साख मिल सके। यह पद्धति निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है—

- (i) जब मार्जिन बढ़ा दी जाती है तो विनियोग योग्य धन को सट्टेबाजी से हटाकर उत्पादन सम्बन्धी कार्यों में लगाया जाने लगता है। (High margin Requirement diverts investible funds from speculative to productive lines)
- (ii) सीमा बढ़ा देने से व्यावसायिक बैंकों की साख-सृजन की शक्ति सीधे जाती है। (High margin requirements reduce the volume of credit created by commercial bank)
- (iii) सीमा बढ़ा देने से परिकल्पनात्मक लाभ की आशा कम हो जाती है। (High Margin Requirement reduce the prospect of making speculative profit)

संयुक्त राज्य अमेरिका में इस तरीके का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। यहाँ फेडरल रिजर्व बोर्ड को इस सम्बन्ध में बहुत ही व्यापक अधिकार दिये हैं जिनके अनुसार ये प्रतिभूतियों की सीमा में आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकते हैं। बोर्ड ने 1936 ई० में यह सीमा प्रति-

भूतियों के मूल्य के 55% रखा था, किन्तु 1938-39 ई० में इसे घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया। पुनः 1946 ई० की अधिरक्षित के समय इसे बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया। 1947 ई० में बोर्ड ने पुनः इसे घटाकर 75 प्रतिशत कर दिया। इस प्रकार साख-नियन्त्रण के साधन के रूप में इस तरीके का समुक्त राज्य अमेरिका में बहुत अधिक प्रयोग हुआ है।

निष्कर्ष :- इस प्रकार साख के गुणात्मक नियन्त्रण के विभिन्न तरीके हैं जिनका प्रयोग केन्द्रीय बैंक समय-समय पर अपनी आवश्यकतानुसार करता है। किन्तु यह कहना कि इनमें से कौन-सा तरीका सबसे अधिक उपयुक्त है, कठिन है। वास्तव में, साख-नियन्त्रण की कौन-सी प्रणाली बन्ध अपनायी जानी चाहिये, इस सम्बन्ध में निर्णय देश की आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। वास्तविकता तो यह है कि केन्द्रीय बैंक प्रायः उक्त सभी तरीकों का आवश्यकतानुसार समुचित एवं सन्तुलित उपयोग कर देश में साख का गुणात्मक नियन्त्रण करते हैं। साथ ही, साख के नियन्त्रण के इन दोनों तरीकों—परिमाणात्मक एवं गुणात्मक नियन्त्रण को प्रायः एक-दूसरे के पूरक के रूप में प्रयोग करना चाहिये क्योंकि वृत्तमान उदित आर्थिक व्यवस्थाओं में केवल किसी एक पद्धति के प्रयोग से साख-व्यवस्था का समुचित एवं प्रभावपूर्ण नियन्त्रण सम्भव नहीं है। अतएव देश की आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार साख नियन्त्रण के विभिन्न तरीकों के उचित समन्वय के द्वारा साख-नियन्त्रण के उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिये।

विशेष अध्ययन सूची

1. De Kock : Central Banking, Chapter XIII.
2. Sayers : Modern Banking, Chapter IX.

अध्याय : 27

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया

(Reserve Bank of India)

रिजर्व बैंक की स्थापना.—मुद्रा एवं बैंकिंग व्यवस्था में स्थायित्व लाने के उद्देश्य से भारत में केन्द्रीय बैंक (Central Bank) की आवश्यकता का अनुभव लोगों को बहुत पहले से ही हो रहा था। किन्तु 1935 ई० के पूर्व तक देश में इस प्रकार की किसी भी सस्था की स्थापना नहीं की जा सकी थी। 1913 ई० में चेम्बरलेन आयोग (Chamberlain Commission) के सदस्य के रूप में लाई केन्स (Keynes) ने भारतीय केन्द्रीय बैंक के विधान का एक खाका तैयार किया था। किन्तु इसी बीच 914 ई० में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण बन्स के प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई भी विचार नहीं किया जा सका। सन् 1920 ई० में दुसेल्स की अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-परिषद् (International Economic Conference) ने स्वर्ण मान की पुनर्स्थापना के लिए इस आशय का एक प्रस्ताव स्वीकार किया था कि जिस देश में केन्द्रीय बैंक नहीं है वहाँ इसकी स्थापना शीघ्र ही की जानी चाहिए। भारत में, स्वर्ण मान की सफलता के लिए केन्द्रीय बैंक की स्थापना अनिवार्य थी। अतः इस कमी को दूर करने के लिए 1920 ई० में भारत सरकार ने तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर एक इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना की। किन्तु इम्पीरियल बैंक प्रधानतया एक व्यावसायिक बैंक था जिसे केन्द्रीय बैंक के कुछ ही कार्य दिये गये थे, अतएव यह केन्द्रीय बैंक की कमी को पूरा नहीं कर सका। 1926 ई० में हिल्टन यंग आयोग (Hilton Young Commission) ने मौद्रिक एवं साख व्यवस्था के समुचित संचालन एवं नियंत्रण के लिए एक स्वतन्त्र केन्द्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया था जिसकी प्रमुख विशेषताएँ रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की योजना में सम्मिलित की गयीं। केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति ने भी 1930 ई० में भारत में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया। इन सब सिफारिशों एवं सुझावों के साथ ही देश की बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना ने भी रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना में तात्कालिक सहयोग प्रदान किया। इन सब प्रयत्नों के फलस्वरूप 1934 ई० में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम पारित हुआ तथा 1 अप्रैल, 1935 ई० से रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया भारत का केन्द्रीय बैंक है। इसकी स्थापना के पूर्व केन्द्रीय बैंकिंग सम्बन्धी कुछ कार्यों को इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया सम्पन्न करता था।

विधान (Constitution)—रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ऐक्ट के अनुसार 1935 ई० में हुई। इसकी अधिकृत पूंजी (Authorised Capital) 5 करोड़ रुपये थी जिसे 100-100 रुपये के 5 लाख हिस्सों में विभाजित किया गया था। बैंक की संचालन-शक्ति कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित होने से बचाने के लिए सम्पूर्ण देश को पाँच क्षेत्रों—बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली तथा रंगून में विभाजित कर दिया गया था। परन्तु इस प्रकार की व्यवस्था होने हुए भी कुछ ही वर्षों में हस्तांतरण के द्वारा धीरे-धीरे अधिकार हिस्से बम्बई में ही केन्द्रित हो गये। अतः मार्च 940 ई० में रिजर्व बैंक के विधान में एक आवश्यक संशोधन किया गया, जिसके द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की गयी कि किसी भी व्यक्ति के पास बैंक के 20 000 रुपये से अधिक के हिस्से नहीं हो सकते। यदि किसी व्यक्ति के पास इससे अधिक रकम के हिस्से हो जायेंगे तो उसका नाम अगधारियों की सूची से पृथक् कर दिया जायगा।

किन्तु सरकार का यह प्रयत्न भी बैंक के हिस्सों को बम्बई क्षेत्र में केन्द्रित होने से नहीं रोक सका। अतः अन्ततः Reserve Bank of India (Transfer to Public Ownership)

Act, 1948 के अनुसार 1 जनवरी, 1949 ई० को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। सरकार ने हिस्सेदारों को प्रति एक सौ रुपये के लिए 118 रु० 10 आ० मुद्रावजा देकर सभी हिस्से स्वयं खरीद लिया। इस प्रकार 1 जनवरी, 1949 ई० से यह बैंक पूर्णतया सरकारी बैंक के रूप में कार्य कर रहा है, किन्तु राष्ट्रीयकरण के पलस्वरूप बैंक के विधान एवं कार्यवाही में केवल नाम मात्र के लिए ही परिवर्तन किये गये हैं।

रिजर्व बैंक का प्रबन्ध (Management of the Reserve Bank) :— बैंक के कार्यों का संचालन एक केन्द्रीय संचालन मण्डल (Central Board of Directors) द्वारा होता है जिसके 15 सदस्य होते हैं तथा जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। इनमें एक गवर्नर (Governor) तथा तीन डिप्युटी गवर्नर (Deputy Governors), चार स्थानीय मण्डलों से मनोनीत संचालक, भारत सरकार द्वारा मनोनीत 6 संचालक तथा एक सरकारी कर्मचारी होते हैं। सरकारी कर्मचारी को मतदान का अधिकार नहीं होता। केन्द्रीय संचालक मण्डल की बैठक साल में कम-से-कम छ बार तथा प्रत्येक तीन महीने में एक बार अवश्य होती है। बोर्ड ने अपने कुछ अधिकार एक समिति को दे दिये हैं जो साधारणतया प्रति सप्ताह बैठती है।

चारों क्षेत्रों— बम्बई, बलुक्ता, मद्रास तथा दिल्ली में स्थानीय प्रबन्ध के लिए चार स्थानीय मण्डल (Local Boards) हैं। प्रत्येक मण्डल में केन्द्रीय सरकार द्वारा 4 वर्षों के लिए नियुक्त 5 सदस्य होते हैं। ये मण्डल केन्द्रीय संचालन मण्डल के आदेशानुसार कार्य करते हैं तथा केन्द्रीय संचालक मण्डल को आवश्यकतानुसार प्रमुख विषयों पर परामर्श देते हैं।

रिजर्व बैंक का गवर्नर केन्द्रीय संचालक परिषद् का अध्यक्ष तथा बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। बैंक के तीन डिप्युटी गवर्नरों के जिम्मे बैंक के कुछ विभाग के कार्य हैं। गवर्नर तथा डिप्युटी गवर्नर की कार्यविधि एक बार में पाँच वर्षों से अधिक नहीं हो सकती है। यह उनकी नियुक्ति के समय केन्द्रीय सरकार के द्वारा निश्चित की जाती है। किन्तु इनकी पुनः नियुक्ति भी की जा सकती है।

संगठन (Organisation) :— बैंक ऑफ इण्डिया के समान ही रिजर्व बैंक के भी दो प्रमुख विभाग हैं :— (1) चलन विभाग (Issue Department) जिसका प्रमुख कार्य पत्र-मुद्रा जारी करना तथा उसकी जमानत के रूप में विधान द्वारा निश्चित सुरक्षित कोष की व्यवस्था करना है। (2) बैंकिंग विभाग (Banking Department)—जिसका निर्माण 1 जुलाई, 1950 ई० को हुआ था। यह अनुसूचित बैंकों के कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत नकद मुद्रा के रूप में अपने पास रखता है। इसके अतिरिक्त यह सरकार के बैंकर तथा देश के अ्य बैंकों के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। इसके अतिरिक्त देश में कृषि-साख की समुचित व्यवस्था के लिए रिजर्व बैंक का एक पृथक कृषि साख विभाग (Agricultural Credit Department) भी है। यह विभाग कृषि-साख सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करता है।

रिजर्व बैंक के कार्य


(Functions of the Reserve Bank)

रिजर्व बैंक भारत का केन्द्रीय बैंक है। अतः यह केन्द्रीय बैंक के प्रायः सभी कार्यों को सम्पन्न करता है। वास्तव में, रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य देश की मौद्रिक व्यवस्था को इस प्रकार से नियन्त्रित करना है जिससे कि देश में आर्थिक स्थायित्व में वृद्धि हो। (The primary function of the Reserve Bank is to regulate the monetary system of the country so as to promote the maintenance of economic stability and to assist the growth of the economy within its framework) इसके कार्यों को दो विभागों में विभाजित किया जा सकता है—

- (क) केन्द्रीय बैंकिंग-सम्बन्धी कार्य, तथा
- (ख) साधारण बैंकिंग-सम्बन्धी कार्य।

रिजर्व बैंक के कार्यों का सक्षिप्त विवरण निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाता है—

रिजर्व बैंक के कार्य



(क) केन्द्रीय बैंकिंग सम्बन्धी कार्य (Central Banking Functions of the Reserve Bank of India)—रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के केन्द्रीय बैंकिंग-सम्बन्धी निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं—

(1) पत्र-मुद्रा जारी करना (Issue of Paper-money)—देश में पत्र मुद्रा (एक रुपये के नोट के अतिरिक्त) जारी करने का एक-मात्र अधिकार रिजर्व बैंक को ही प्राप्त है। इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए बैंक का एक पृथक विभाग है जिसे चलन विभाग (Issue Department) कहते हैं। बैंक के नोटों में जनता का विश्वास बनाये रखने के लिए रिजर्व बैंक को पहले कुल निगमित नोटों के मूल्य का 40 प्रतिशत भाग स्वर्ण मुद्राओं, स्वर्ण-पाटों एवं विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में रखना पड़ता था। इनमें 21 रुपये के आठ पाई प्रति तोले के हिसाब से कितनी भी समय बैंक के पास कम से कम 40 करोड़ रुपये का स्वर्ण रखना अनिवार्य था। इस प्रकार रिजर्व बैंक द्वारा आनुपातिक निधि पद्धति (Proportional Reserve System) के आधार पर नोट जारी करने का कार्य प्रायः 20 वर्षों तक चलता रहा। किंतु देश के प्रायोजित आर्थिक विकास के लिए अब अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ने लगी जिसके फलस्वरूप नोट जारी करने की इस पद्धति में भी सशोधन की आवश्यकता पड़ी। अतः रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (सशोधन अधिनियम 1956 जो 6 अक्टूबर, 1956 ई० में लागू हुआ, के अनुसार आनुपातिक निधि पद्धति के स्थान पर एक न्यूनतम कोष (Minimum Reserve) प्रणाली को अपनाया गया, जिसमें 400 करोड़ रुपये की विदेशी प्रतिभूतियाँ तथा 115 करोड़ रुपये के स्वर्ण मुद्रा एवं स्वर्णपाट यानी कुल मिलाकर 515 करोड़ रुपये के न्यूनतम कोष को आवश्यक बनाया गया। साथ ही, बैंक के पास स्वर्ण का मूल्य, जो पहले 21 रुपये 3 पाई के हिसाब से तय किया जाता था, बढ़ा कर 62 रुपये 50 पैसे प्रति तोला कर दिया गया। आगे चलकर रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (द्वितीय सशोधन) अधिनियम, 1957 ई० के अनुसार विदेशी प्रतिभूतियाँ, स्वर्ण-मुद्रा एवं पाट के न्यूनतम कोष की रकम को घटाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया गया जिसमें कम-से-कम 115 करोड़ रुपये की स्वर्ण मुद्रा एवं स्वर्ण पाट का होना अनिवार्य था। साथ ही, इस सशोधन के अनुसार केन्द्रीय सरकार की पूर्ण अनुमति से रिजर्व बैंक विदेशी प्रतिभूतियों के कोष को पूर्णतया अप्रभाप्त भी कर सकता है, किन्तु ऐसी हालत में कम से-कम 115 करोड़ रुपये की स्वर्ण-मुद्रा एवं स्वर्ण पाटों का होना विलकुल आवश्यक है।

(2) सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना (Acting as Banker to the Govt) — रिजर्व बैंक केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के सभी बैंकिंग-सम्बन्धी कार्यों को भी सम्पन्न करता है। यह इनसे जमा के रूप में रकम प्राप्त करता है तथा इनके आदेशानुसार इनका भुगतान भी करता है। सरकार ही जो रकम इसके यहाँ जमा की जाती है उस पर यह कोई ब्याज नहीं देता। यह सरकार के लिए ऋण एकत्र करता तथा उसके भुगतान (Borrowing and refunding) एवं प्रवर्धन की भी व्यवस्था करता है। रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करता है एवं विदेशी विनिमय का भी प्रवर्धन करता है। इस बैंक में सरकारी बैंक के रूप में बहुत सफलतापूर्वक कार्य किया है। जिस स्थान में रिजर्व बैंक की शाखाएँ नहीं हैं वहाँ स्टेट बैंक इस बैंक के एजेंट के रूप में सरकार के बैंकिंग-सम्बन्धी कार्यों को सम्पन्न करता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष एवं विश्व-बैंक में भारत सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। आवश्यक वित्तीय मामलों, जैसे नये ऋणों को जारी करने, कृषि-साख, औद्योगिक वित्त तथा नियोजन एवं आर्थिक विकास-सम्बन्धी सूचनाओं के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक सरकार को आवश्यक परामर्श भी देता है।

(3) बैंको के बैंक के रूप में कार्य करना (Acting as Banker's Bank) — रिजर्व बैंक देश के बैंको के बैंक के रूप में भी कार्य करता है। यह उन पर नियन्त्रण रखता है तथा उनका पथ-प्रदर्शन भी करता है। बैंकिंग व्यवसाय आरम्भ करने से पूर्व किसी भी बैंक को रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी पड़ती है। इसी प्रकार नयी शाखाओं की स्थापना के पूर्व भी रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी पड़ती है। देश के सभी अनुसूचित बैंको (Scheduled Banks) को अपने कुल जमा दायित्व का औसत रूप से 3 प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ता है। 1956 ई० के एक संशोधन के अनुसार रिजर्व बैंक को चालू जमा राशि के लिए नकद कोष की रकम को 5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक तथा सावधि राशि के लिए 2 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक करने का अधिकार प्राप्त है। रिजर्व बैंक इस जमा राशि से बैंको के अन्तिम ऋणदाता (Lender of the Last Resort) के रूप में आर्थिक सकटकाल में इन्हें ऋण देकर फेल होने से बचाता है। यह बैंक दर (Bank rate) तथा खुले बाजार की नीति (Open Market Operation) द्वारा बैंको की साख नीति पर भी नियन्त्रण रखता है। साथ ही, इनके समाशोधन-गृह (Clearing House) का भी कार्य करता है।

(4) विदेशी विनिमय पर नियन्त्रण — रिजर्व बैंक का एक प्रमुख कार्य मुद्रा के बाह्य मूल्य में स्थायित्व लाना है। इस उद्देश्य से रिजर्व बैंक अधिकतर देशों की मुद्रा का कोष अपने पास रखता है तथा जनता की माँग के अनुसार इनका क्रय विक्रय करता है। सन् 1946 में भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष का एक सदस्य बन गया जिसके अनुसार अब रुपये का मूल्य स्वर्ण के रूप में एक तोला सोना 62 रुपये 50 पैसे निश्चित किया गया। इसी दर से बैंक उन सभी देशों की मुद्राओं का क्रय विक्रय करता है जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के सदस्य हैं। बैंक विदेशी मुद्राओं का क्रय-विक्रय उन्हीं दरों पर कर सकता है जिन्हें केन्द्रीय सरकार समय समय पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के परामर्श से निश्चित करती है। रिजर्व बैंक एक निश्चित मात्रा से कम मूल्य की विदेशी मुद्रा का सौदा नहीं करता है, किन्तु रिजर्व बैंक का विशेष सम्बन्ध स्टर्लिंग से ही है। भारत स्टर्लिंग क्षेत्र का एक सदस्य है, अतः यहाँ के विदेशी लेन-देन का कार्य मुख्यरूपेण स्टर्लिंग के माध्यम से ही होते हैं। आजकल भारत के कुल विदेशी लेन-देन का प्रायः 70 प्रतिशत भाग स्टर्लिंग में, 10 प्रतिशत भाग डॉलर में तथा शेष रुपये के रूप में होता है। रिजर्व बैंक 1 शि० 1 पैसे प्रति रुपये की दर से स्टर्लिंग खरीदता तथा 1 शि० की दर से इसका विक्रय करता है। युद्ध तथा अन्य परिस्थितियों में मुद्रा के बाह्य मूल्य में स्थायित्व लाने के लिए बैंक सरकारी नीति के अनुसार विभिन्न तरीकों से विनिमय नियन्त्रण भी करता है।

(5) साख नियन्त्रण (Credit Control) — रिजर्व बैंक का एक प्रमुख कार्य साख की मात्रा का नियन्त्रण करना है। साख नियन्त्रण का उद्देश्य साख की मात्रा का व्यवसाय की साख-सम्बन्धी मांग के साथ समायोजन करना है। देश की साख की मात्रा व्यावसायिक बैंको की साख-नीति पर निर्भर करती है। अतः साख-नियन्त्रण का अर्थ बैंको की साख नीति पर नियन्त्रण मु० मो० सं०—17

रखना है। बैंक-दर में परिवर्तन, खुले बाजार की नीति तथा अन्य वैधानिक प्रधिकारों के उपयोग द्वारा रिजर्व बैंक साख का नियन्त्रण करता है। साख का मूजन बैंकों के नकद जमा पर भी निर्भर करता है। अतः साख-नियन्त्रण का प्रमुख जरिया बैंकों के नकद जमा कोष को नियन्त्रित करना है। जब रिजर्व बैंक साख को मात्रा में वृद्धि चाहता है तो इसे बैंकों के नकद जमा कोष में वृद्धि का प्रयत्न करना पड़ता है तथा साख की मात्रा में कमी करने के लिए बैंकों के नकद जमा-कोष को घटाने का प्रयत्न करना पड़ता है।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया साख-नियन्त्रण के उद्देश्य से निम्नांकित तरीकों को काम में लाता है —

(1) बैंक दर (Bank rate) — बैंक-दर वह दर है जिसपर रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देता है अथवा उनके प्रथम श्रेणी के विनिमय बिलों को पुनः बट्टा (Re discount) करता है। बैंक दर-नीति द्वारा साख नियन्त्रण तब ही प्रभावशाली होता है जबकि देश की बैंकिंग सत्थाएँ आर्थिक सकट के समय अपने बिलों के पुनः मुगतान के लिए केन्द्रीय बैंक पर आश्रित रहती हो। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की बैंक-दर नीति आरम्भ से ही अधिक सफल नहीं हो सकी है और आज भी यह बहुत प्रभावपूर्ण (Effective नहीं है। इसका प्रधान कारण देश के विभिन्न स्थानों पर ब्याज की दर में विभिन्नता है। इसके अतिरिक्त भारत में बैंक-दर की नीति के अधिक सप्रभाविक नहीं होने के दो अन्य कारण हैं—(क) देश में मुद्रा-प्रसार के कारण मुद्रा की वाहुल्यता है जिससे व्यावसायिक बैंकों तथा अन्य बैंकों को बहुत अधिक मात्रा में जनता से जमा-राशि प्राप्त हो जाती है। इसके फलस्वरूप देश की बैंकिंग सत्थाएँ साख-निर्माण तथा आर्थिक सहायता के लिए रिजर्व बैंक पर बहुत कम निर्भर करती हैं। (ख) भारत में रिजर्व बैंक तथा देश की अन्य बैंकिंग सत्थाओं में घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं पाया जाता है। (ग) देश में एक सुसंगठित बिल-बाजार (Organised Bill Market) का अभाव है।

रिजर्व बैंक की बैंक दर 1938 ई० से नवम्बर, 1951 ई० तक 3% रही, परन्तु नवम्बर 1951 में यह 3½% हो गयी। पुनः 1957 ई० में इसे बढ़ाकर 4% कर दिया गया। बैंक-दर की इस वृद्धि के फलस्वरूप देश में ब्याज की अन्य दरों में भी वृद्धि हो गयी जिससे द्वितीय युद्ध-काल में अपनायी गयी सस्ती मुद्रा नीति (Cheap Money Policy) का अन्त हुआ तथा सन् 1951 ई० से दुर्लभ मुद्रा नीति (Dear Money Policy) का प्रारम्भ हुआ। सस्ती मुद्रा-नीति के बहुत-सारे गुण हैं जिनकी व्याख्या इस पुस्तक में आगे की गयी है। किन्तु इसके बहुत-सारे दोष भी हैं जिनके फल-स्वरूप धीरे-धीरे इसका परित्याग किया जाने लगा। देश की पञ्चवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पूँजी-निर्माण की गति में वृद्धि अनिवार्य है और इसके लिए दुर्लभ मुद्रा-नीति का अनुकरण भी आवश्यक हो जाता है। अतः, रिजर्व बैंक में बैंक-दर को बढ़ाकर अथवा दुर्लभ मुद्रा नीति को अपनाकर देश की पूँजी निर्माण की गति में वृद्धि की है विदेशी पूँजी को आकर्षित करने की परिस्थितियाँ उत्पन्न की हैं, मुद्रा-स्फीति पर रोक लगायी है विदेशी व्यापार की विपक्षता को दूर करने का प्रयत्न किया है तथा बैंकों को असौमित मात्रा में ऋण प्रदान करने की नीति को नियन्त्रित किया है इत्यादि। इस प्रकार बैंक दर में इस वृद्धि के कारण ऋण का देना कम हो गया तथा बहुत से ऋण वापिस किये गये।

सितम्बर, 1960 ई० में बैंक-दर को 4 प्रतिशत पर स्थायी रख कर कोटिबद्ध उधार दान दरों (Graded Lending Rates) की नयी योजना चालू की गयी। पुनः 2 जनवरी, 1963 से रिजर्व बैंक ने अपनी बैंक-दर को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 4½ प्रतिशत तथा सितम्बर 1964 ई० में 5 प्रतिशत कर दिया। 1963 ई० की संशोधित उधार नीति के अनुसार अनुसूचित बैंक अपने कुल वैधानिक जमा (Statutory Deposits) का 75 प्रतिशत भाग तक बैंक-दर पर रिजर्व बैंक से उधार ले सकता है। इसमें अधिक 75 प्रतिशत तक उधार लेने के लिए उसे बैंक-दर से 1 प्रतिशत अधिक दर पर ब्याज चुकाना पड़ता है। यदि अनुसूचित बैंकों द्वारा प्राप्त ऋण की रकम आधार-मूल कोटा (Basic quota) के 150 प्रतिशत से अधिक हो जाय तो इस अतिरिक्त ऋण की रकम के लिए बैंक दर से 1½ प्रतिशत से अधिक ब्याज चुकाना पड़ता है। इस प्रकार अनुसूचित बैंकों को उधार देने के लिए रिजर्व बैंक की विभिन्न दरें कर दी गयीं। पुनः 17 फरवरी 1965 ई० को रिजर्व बैंक ने अपने बैंक-दर को बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया। फरवरी, 1971 में रिजर्व बैंक ने अपने बैंक-दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत किया। आगे चलकर, मई 1973 में देश में

मुद्रा-स्फीति के बढ़ते हुए दबाव को रोकने के लिए बैंक-दर को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत तथा जुलाई, 1974 में 9 प्रतिशत कर दिया गया है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की बैंक-दर का पुनः सन् 1951 ई० के बाद प्रयोग किया जाने लगा है तथा इसमें पर्याप्त सफलता भी मिली है।

(ii) खुले बाजार की क्रियाएँ (Open Market Operations) :-केन्द्रीय बैंक अपनी बैंक-दर नीति को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए खुले बाजार की नीति को अपनाते हैं। खुले बाजार की नीति का अर्थ केन्द्रीय बैंक द्वारा मुद्रा-बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों तथा प्रथम श्रेणी के बिलों एवं प्रतिज्ञा-पत्रों का साख-नियन्त्रण के उद्देश्य से क्रय-विक्रय है। रिजर्व बैंक को भी अन्य केन्द्रीय बैंकों की तरह खुले बाजार की क्रियाओं का अधिकार दिया गया है ताकि वह भी इस नीति द्वारा अपनी बैंक-दर नीति को अधिक प्रभावपूर्ण बना सके। गत वर्षों में सदस्य बैंक आवश्यकता के समय रिजर्व बैंक को असीमित मात्रा में सरकारी प्रतिभूतियाँ (Govt. Securities) बेचकर धन प्राप्त कर लिया करते थे जिससे साख का प्रसार हो जाता करता था, परन्तु 1951 ई० में रिजर्व बैंक ने अपनी इस नीति में भी परिवर्तन कर दिया और यह घोषणा कर दी कि वह बैंक की सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकारी प्रतिभूतियों अथवा ऋण-पत्र नहीं खरीदेगा वरन् वह बैंक-दर पर स्वीकृत ऋण-पत्रों के आधार पर ही केवल ऋण देगा। रिजर्व बैंक की खुले बाजार की क्रियाओं की नीति में इस परिवर्तन के निम्नलिखित लाभ हुए— (क) बैंक-दर पहले की अपेक्षा अधिक प्रभावपूर्ण हो गया, (ख) मुद्रा की पूर्ति में लोच आ गयी, क्योंकि व्यस्त व्यावसायिक काल में बैंक ऋण-पत्रों के आधार पर रिजर्व बैंक से ऋण ले लेते हैं और इस प्रकार की दशाओं का अन्त हो जाने पर ये रिजर्व बैंक को ऋण की राशि लौटा देते हैं और अपने ऋण-पत्र वापिस कर लेते हैं; तथा (ग) इस नीति से रिजर्व बैंक का देश की विभिन्न वैकिंग सत्याओं पर सप्रभाविक नियन्त्रण स्थापित हो गया है।

परन्तु, रिजर्व बैंक की उक्त नीति के निम्नलिखित दोष भी हैं :—(अ) खुले बाजार की क्रियाओं का गुप्त रहना अनिवार्य है, परन्तु रिजर्व बैंक की उपयुक्त नीति से ये क्रियाएँ अब गुप्त नहीं रह सकती हैं। (आ) जब रिजर्व बैंक ऋण-पत्रों का स्वयं क्रय-विक्रय करता था, उस समय ऋण-पत्रों के मूल्य में बहुत स्थिरता रहती थी, परन्तु रिजर्व बैंक की मुद्रा-नीति के परिवर्तनों से अब ऋण-पत्रों का मूल्य भी बहुत कम हो गया। यह स्पष्ट है कि सरकारी ऋण-पत्रों के मूल्य में इस प्रकार का परिवर्तन सर्वथा अनुचित ही है। (इ) उक्त परिवर्तित नीति बैंकों के लिए अत्यधिक महंगी, असुविधाजनक तथा कष्टदायक है। अतः सम्भव है कि इस प्रकार की नीति से देश में एक सुसंगठित मुद्रा-बाजार के विकास में बाधा पड़े।

फिर भी, रिजर्व बैंक खुले बाजार की क्रियाओं का बड़े पमाने पर प्रयोग करता है तथा 1970-71 में इस नीति के अंतर्गत 84.1 करोड़ की प्रतिभूतियों का विक्रय किया था।

(iii) नकद कोषों के अनुपात में परिवर्तन (Variations in the Cash Reserve Ratio) —अन्य केन्द्रीय बैंकों की तरह रिजर्व बैंक को भी देश के विभिन्न बैंकों की जमा राशि पर नियन्त्रण करने का अधिकार है। 1934 ई० के रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ऐक्ट के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित बैंक (Scheduled Bank) को अपनी मांग जमा (Demand Liabilities) का 5% और स्थायी जमा (Time Liabilities) का 2% रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ता था। अब तो 1949 ई० के वैकिंग कम्पनीज ऐक्ट के अनुसार अन्य प्रकार के बैंकों को भी रिजर्व बैंक प्रथम अपने पास उक्त प्रतिशत में नकद जमा रखनी पड़ती है ताकि देश में साख का केवल उचित मात्रा में ही निर्माण हो सके, परन्तु आलोचकों का यह मत है कि उक्त व्यवस्था में बैंक बैंकों का रिजर्व बैंक के पास या स्वयं बैंकों के पास नकद कोष समस्त दायित्वों का एक निश्चिन प्रतिशत के रूप में रहता है, इसलिए रिजर्व बैंक द्वारा नकद कोष में परिवर्तन से साख-नियन्त्रण की नीति अधिक प्रभावशाली एवं सफल नहीं हो सकी है। इसका कारण स्पष्ट है। देश की वैकिंग सत्याएँ अपने कोष जन से ही पर्याप्त मात्रा में साख-निर्माण का कार्य कर लेती हैं और उन्हें इस कार्य को करने के लिए रिजर्व बैंक पर अधिक निर्भर नहीं रहना पड़ता।

नकद कोष के अनुपात में परिवर्तन को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए 1956 ई० में रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन द्वारा जिसके अनुसार रिजर्व बैंक को अनुसूचित बैंकों के नकद

बोप के अनुपात में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान की गयी। इस अधिनियम के अनुसार रिजर्व बैंक को अनुसूचित बैंकों के नकद कोष के अनुपात में चालू जमा (Demand Deposit) के सम्बन्ध में 5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक तथा स्थायी जमा (Time Deposit) के 2 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक करने का अधिकार दिया गया।

अब रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया सशोधित अधिनियम 1962 ई० के अनुसार, जो 15 सितम्बर 1962 ई० से लागू है, अनुसूचित बैंकों को अपने सभी प्रकार के जमा दायित्व का 3 प्रतिशत भाग नकद मुद्रा के रूप में रिजर्व बैंक के पास जमा करना अनिवार्य बना दिया गया है। रिजर्व बैंक आवश्यकतानुसार इसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक कर सकता है। मुद्रा-स्फीति के बढ़ते हुए दबाव को रोकने के लिए जून, 1973 ई० से न्यूनतम जमा की रकम को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

साखनियन्त्रण के गुणात्मक तथा प्रत्यक्ष तरीके

(Selective and Direct Methods of Credit Control)

साख-नियन्त्रण के उपर्युक्त तीनों सामान्य अथवा परिमाणात्मक तरीकों (General or Quantitative methods) के अतिरिक्त रिजर्व बैंक अधिक प्रत्यक्ष अथवा गुणात्मक नियन्त्रण के निम्नलिखित तरीकों को भी कार्य में लाता है — /

(iv) प्रत्यक्ष कार्यवाही (Direct Action) — रिजर्व बैंक की प्रत्यक्ष कार्यवाही द्वारा साख-नियन्त्रण की नीति सन् 1949 ई० के बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम के पास हो जाने पर कुछ प्रभावपूर्ण हो सकी है। इस अधिनियम के द्वारा रिजर्व बैंक को बैंकिंग कम्पनीज के नियन्त्रण के हेतु कुछ विशेष प्रकार के अधिकार मिल गये हैं। अब यह बैंक किसी भी बैंक को विशेष प्रकार के लेन-देन करने से रोक सकता है। यह किसी भी बैंक को किसी मामले में सलाह दे सकता है। यह किसी भी बैंक का निरीक्षण करके उसे अपना निरीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन भेज सकता है तथा उस पर विचार करने के लिए बैंक के संचालकों की बैठक बुला सकता है। किसी भी बैंक को उसकी कार्य-प्रणाली के दोषों को सुधारने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये सुझावों का पालन करने के लिए भी वह आदेश दे सकता है। इस प्रकार रिजर्व बैंक प्रत्यक्ष कार्यवाही द्वारा भी साख का नियन्त्रण कर सकता है। 1956 ई० से बैंक ने अपने इस अधिकार का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया है। उदाहरण के लिए, मई से सितम्बर 1956 ई० के बीच रिजर्व बैंक ने घान तथा चावल पर अग्रिम को कम करने के सम्बन्ध में बहुत सारे आदेश दिये। तब से ममय-समय पर रिजर्व बैंक इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी करता है। यद्यपि रिजर्व बैंक को अनुसूचित तथा असूचित दोनों प्रकार के बैंक को साख-सम्बन्धी क्रियाओं के नियमन का अधिकार प्राप्त है फिर भी, शासन-सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण अभी तक बैंक ने केवल अनुसूचित बैंकों को ही इस आशय के आदेश दिये हैं।

(v) साख की रेशनिंग (Rationing of Credit) — सन् 1949 ई० के बैंकिंग कम्पनी अधिनियम द्वारा रिजर्व बैंक को यह अधिकार मिल गया है कि वह देश-हित में समस्त बैंकों की अथवा किसी एक बैंक की ऋण नीति निर्धारित कर सकता है और इस प्रकार निर्धारित नीति का पालन सब बैंकों अथवा सम्बन्धित सस्याओं को करना पड़ता है। इतना ही नहीं, रिजर्व बैंक को यहाँ तक अधिकार है कि वह अन्य बैंकों को आदेश दे सकता है कि वे केवल अमुक बायों के लिए ही ऋण भी अमुक व्याज की दर पर दें। चूँकि बैंकिंग सस्याओं को रिजर्व बैंक के इन आदेशों का पालन पूर्णतया करना पड़ता है, इसलिए रिजर्व बैंक की साख रेशनिंग द्वारा साख-नियन्त्रण की नीति अत्यधिक प्रभावपूर्ण एवं सफल रही है।

(vi) प्रचार तथा नैतिक दबाव की नीति (Methods of Publicity and Moral Persuasion) — चूँकि रिजर्व बैंक का देश की बैंकिंग सस्याओं से अभी तक बहुत अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सका है, इसलिए वह प्रचार द्वारा साख-नियन्त्रण की नीति को नहीं अपनाता है, परन्तु रिजर्व बैंक देश की बैंकिंग सस्याओं पर अपना नैतिक प्रभाव डालने में थोड़ा बहुत सफल अवश्य हुआ है और वह इस नीति द्वारा ही बैंकों के अनेक दोषों को दूर कर रहा है। उदाहरण के लिए, सितम्बर, 1949 ई० में रुपये के अत्यल्पव्यय के अवसर पर रिजर्व बैंक के गवर्नर

ने देश के सभी प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलायी जिसमें उन्होंने बैंकों से सट्टा अथवा फाटका की क्रियाओं के लिए अग्रिम ऋ देने तथा बैंकों के सहयोग का अनुरोध किया। उसका परिणाम बहुत ही आशाजनक हुआ। इसी प्रकार जून, 1957 ई० में बैंक के गवर्नर ने सभी बैंकों को पत्र द्वारा अपने-अपने अग्रिमों में कमी करने का सुझाव दिया। दिसम्बर, 1961 ई० में रिजर्व बैंक के गवर्नर ने पत्र द्वारा अनुसूचित बैंकों से अपने कॉपी में वृद्धि का अनुरोध किया। इस प्रकार रिजर्व बैंक देश के व्यावसायिक बैंकों को समय-समय पर समझा-बुझा कर प्रभाव डालने का प्रयास करता है जिसमें उसे अभी तक पर्याप्त सफलता मिल पायी है।

इस प्रकार साख-नियन्त्रण के लिए रिजर्व बैंक उपरोक्त सभी तरीकों को काम में लाता है। निम्नांकित तालिका द्वारा ये तरीके अत्यधिक स्पष्ट हो जाते हैं।—

साख-नियन्त्रण के तरीके

परिमाणात्मक नियन्त्रण के तरीके

बैंक-दर (नवम्बर, 1951 ई० तक 3 प्रतिशत, इसके बाद साढ़े तीन प्रतिशत तथा - जुलाई, 1974 ई० बढ़ाकर नव प्रतिशत किया गया)

खुले बाजार की क्रियाएँ (विशेष रूप से 1951 ई० के बाद प्रयोग में लायी गयी है)

नकद कोष के अनुपात में परिवर्तन— (956 ई० के स्रोतों के अनुसार इस सम्बन्ध में बैंक को बहुत ही विस्तृत अधिकार प्राप्त हुआ है)

गुणात्मक नियन्त्रण के तरीके

प्रत्यक्ष कार्य-वाही (1956 ई० से इस शक्ति का प्रयोग प्रारम्भ किया गया है)

साख की रैशनिंग (1949 ई० के एक्ट के द्वारा बैंक को यह अधिकार प्राप्त है)

नैतिक प्रभाव (सर्वप्रथम सितम्बर, 1949 में प्रयोग किया)

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की साख नियन्त्रण की नीति के अप्रभावपूर्ण होने के कारण (Causes of ineffectiveness of the Credit-Control Policy of the Reserve Bank of India) — उक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक के पास साख-नियन्त्रण के बहुत से साधन हैं, परन्तु अनुभव से यही पता चलता है कि इतने अधिक साधनों के होते हुए भी रिजर्व बैंक देश में साख एवं मुद्रा के नियन्त्रण में बहुत अधिक सफल नहीं हो पाया है। इसके निम्नांकित प्रधान कारण हैं।—

(क) एक सुविकसित बिल बाजार का अभाव :— देश में अभी तक एक सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित मुद्रा-बाजार तथा बिल-बाजार का अभाव है जिसमें साख-नियन्त्रण के उद्देश्य से रिजर्व बैंक की बैंक-दर की नीति प्रभावपूर्ण नहीं हो पायी है।

(ख) देश के आर्थिक ढाँचे में लोच का अभाव — देश में अमिकों की मजदूरी तथा वस्तुओं के मूल्यों के सम्बन्ध में अनेक नियन्त्रण पाये जाते हैं जिनके परिणामस्वरूप देश का आर्थिक ढाँचा लोचदार नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक की कोई भी साख-युजन-नीति बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं हो सकती है।

(ग) स्थदेशी बैंकिंग व्यवस्था पर रिजर्व बैंक के नियन्त्रण का अभाव रिजर्व बैंक अभी तक देशी बैंकों पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं स्थापित कर सका है। इस प्रकार चूँकि रिजर्व बैंक का भारतीय मुद्रा-बाजार के एवं बहुत ही महत्त्वपूर्ण अंग पर कोई नियन्त्रण नहीं हो पाया है, इसलिए, यह अपनी साख एवं मुद्रा-नीति के संचालन में बहुत सफल नहीं हो सका है।

(घ) व्यावसायिक बैंकों के पास नकद कोष का वाहुल्य — भारत में द्वितीय मुद्रोत्तर काल में अत्यधिक मुद्रा-प्रसार के कारण बैंकों के पास बहुत अधिक मात्रा में नकद मुद्रा जमा हो

गयी। इससे समस्त दायित्वों का एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास या अपने पास नकद के रूप में रखने के बाद भी इनके पास इतनी रकम रह जाती है कि साल-सृजन के लिए इन्हें रिजर्व बैंक पर आश्रित नहीं रहना पड़ता है।

इस प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के साल-नियन्त्रण की नीति अभी तक मुख्यतः अप्रभावपूर्ण ही रही है।

(6) अन्य केन्द्रीय बैंकिंग-सम्बन्धी कार्य.—रिजर्व बैंक केन्द्रीय बैंकिंग-सम्बन्धी कुछ अन्य कार्य भी करता है, जो निम्न प्रकार हैं।—

(अ) कृषि वित्त व्यवस्था —प्रारम्भ से ही रिजर्व बैंक ने कृषि-कार्यों के लिए वित्त की सुविधा प्रदान करने के लिए कृषि-साल विभाग की स्थापना कर दी थी। इस विभाग के निम्न कार्य निर्धारित किये गये हैं —(क) कृषि-साल से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में अनुसंधान करना, (ख) कृषि-साल के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक, राज्य सहकारी बैंक व अन्य बैंकों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना है।

(ब) औद्योगिक वित्त व्यवस्था —इसी प्रकार औद्योगिक साल प्रदान करनेवाली विभिन्न सस्थाओं की स्थापना में भी रिजर्व बैंक सक्रिय सहयोग प्रदान करता है। इनमें औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्तीय निगम तथा औद्योगिक बैंक आदि उल्लेखनीय हैं।

(स) बैंकिंग सम्बन्धी प्रशिक्षण —बैंकिंग सम्बन्धी प्रशिक्षण की सुविधा के लिए रिजर्व बैंक ने 1954 ई० में एक बैंकिंग ट्रेनिंग कालेज की स्थापना की है जहाँ विभिन्न बैंकों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

(द) आर्थिक सूचनाएँ और आँकड़े एकत्र करना एवं उन्हें प्रकाशित करना — रिजर्व बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य मुद्रा, साल, कृषि-उत्पादन, लाभांश, व्याज की दरें व मुद्रा बाजार आदि विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में अनुसंधान करना, आँकड़ों को संग्रह करना और उन्हें प्रकाशित करना है। यह कार्य बैंक के 'शोध एवं सांख्यिकी विभाग' द्वारा सम्पादित किया जाता है।

(य) समाशोधन-गृह का कार्य —रिजर्व बैंक देश का केन्द्रीय बैंक होने के कारण सदस्य बैंकों के लिए समाशोधन-गृह के कार्य भी सम्पन्न करता है।

(र) मुद्रा का स्थानान्तरण —रिजर्व बैंक मुद्रा और कोष को एक स्थान से दूसरे स्थान में मजने का कार्य भी सम्पन्न करता है।

(7) साधारण बैंकिंग-सम्बन्धी कार्य (Ordinary Banking Functions of the Reserve Bank) —रिजर्व बैंक के साधारण बैंकिंग-सम्बन्धी कार्य निम्नांकित हैं :—

(i) जमा स्वीकार करना —रिजर्व बैंक केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय सरकारी, पोर्ट ट्रस्ट एवं अन्य बैंकों तथा व्यक्तियों से बिना व्याज निक्षेप (Deposit) स्वीकार करता है, किन्तु यह निजी व्यक्तियों का जमा स्वीकार नहीं करता।

(ii) व्यापारिक एवं वाणिज्यिक बिलों का क्रय-विक्रय करना—रिजर्व बैंक भारत में भुगतान किये जानेवाले व्यापारिक एवं वाणिज्यिक बिलों तथा प्रतिज्ञा-पत्रों को खरीदता, बेचता तथा पुनः कटौती भी करता है, बशर्त कि ये बिल 90 दिन से अधिक की अवधि की न हों।

(iii) कृषि-बिलों का क्रय-विक्रय—यह बैंक भारत में भुगतान होनेवाले अधिक-से अधिक 15 महीने की अवधि के कृषि-बिलों का क्रय-विक्रय एवं पुनः कटौती (Re-discount) करता है।

(iv) ऋण देना—यह बैंक सरकार तथा बैंकों को 'मांग पर भुगतान' किया जानेवाला ऋण अथवा अधिक-से अधिक 90 दिन की अवधि के लिए ऋण देता है। यह ऋण स्वीकृत प्रति-भूतियों, बैंकों के ऋण-पत्रों तथा सोना, चाँदी आदि की जमानत पर दिया जाता है, किन्तु यह निजी व्यक्तियों को ऋण नहीं प्रदान करता।

(v) विदेशी प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय—रिजर्व बैंक भारत के बाहर अन्य देशों की उन प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय कर सकता है जिनका भुगतान खरीदने की तारीख से 10 वर्षों के प्रदर हो जाता है।

(vi) मूल्यवान धातुओं का क्रय-विक्रय—रिजर्व बैंक सोने चाँदी व सोने के सिक्कों के क्रय-विक्रय का कार्य भी करता है।

(vii) अन्य देशों के बैंकों से व्यवहार—रिजर्व बैंक अपने कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (I M F) के सदस्य राष्ट्रों के केन्द्रीय बैंकों के साथ खाता खोल सकता है, उनसे एजेन्सी सम्बन्ध बना सकता है, उनके एजेन्ट के रूप में कार्य कर सकता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से लेन-देन कर सकता है।

रिजर्व बैंक एवं कृषि-साख

(Reserve Bank and Agricultural Credit)

रिजर्व बैंक का एक प्रमुख कार्य कृषि साख की समुचित व्यवस्था करना है। इस उद्देश्य से ही बैंक का एच पृथक् कृषि-साख विभाग (Agricultural Credit Department) है। प्रारम्भ में रिजर्व बैंक के इस विभाग का कार्य केवल कुछ विवरणों के प्रकाशन मात्र तक ही सीमित था। इसलिए इसकी कड़ी आलोचना की गयी, लेकिन पिछले दस वर्षों में बैंक ने इस कमी को दूर करने का प्रयत्न किया है। इस विभाग को निम्नांकित कार्य सौंपे गए—

(1) इसका सर्वप्रथम कार्य कृषि साख-सम्बन्धी प्रश्नों का अध्ययन करना तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति करना है।

(2) द्वितीयत यह केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों एवं प्रादेशिक सहकारी बैंकों को कृषि-साख के विकास के सम्बन्ध में उचित परामर्श देता है।

(3) तृतीयत रिजर्व बैंक प्रान्तीय सहकारी संस्थाओं को ग्रहणीय प्रतिभूतियों एवं प्रान्तीय सहकारी बैंकों तथा भूमि बन्धक बैंकों के प्रतिज्ञापत्रों के आधार पर अधिक से अधिक 90 दिनों के लिए ऋण देता है। विशेष परिस्थितियों में इन विलों की अवधि 9 महीने तक बढ़ा दी जाती है। कुछ दिन पहले से यह सीमा 14 महीने कर दी गयी है। रिजर्व बैंक प्रान्तीय सहकारी संस्थाओं को भी व्यावसायिक बैंकों की शर्तों पर ऋण देता है। सहकारी संस्थाओं के लिए ब्याज की दर बैंक-दर बढ़ने पर डेढ़ प्रतिशत ही रखी गयी। रिजर्व बैंक ने 1954 ई० में सहकारी बैंकों को कृषि-कार्य के लिए सहायता प्रदान करने के लिए 16 करोड़ रुपये का ऋण दिया था। कृषि-साख की समुचित व्यवस्था के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट 1951 तथा 1953 ई० में संशोधन किये। 1949-50 ई० में ग्रामीण बैंकिंग जाँच-समिति की सिफारिशों के आधार पर विलों की परिपक्वता का समय 9 महीने से बढ़ाकर 15 महीने तक कर दिया गया तथा सहकारी संस्थाओं से कम ब्याज की दर भी जाने लगी। 1956 ई० में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट के संशोधन का एक-मात्र उद्देश्य कृषि-साख का विस्तार ही था। इस संशोधन के फलस्वरूप रिजर्व बैंक कृषि-कार्य के लिए 15 महीने से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए 5 करोड़ रुपये तक ऋण दे सकता है। राज्य सरकार, सहकारी समितियों तथा बैंकों के माध्यम से यह रकम कृषकों को दी जायगी जो इसे कुर्जों खुदवाने, ट्रैक्टर एवं कृषि के लिए अन्य वैज्ञानिक औजार खरीदने तथा छोटे-मोटे बाँधों के द्वारा सिंचाई की सुविधा का प्रबन्ध करने के लिए प्रयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक को सहकारी बैंकों के अधिपत्रों को पुनः बढ़ा करने तथा छोटे छोटे उद्योगों के उत्पादन एवं वितरण सम्बन्धी कार्यों के लिए प्रायिक सहायता देने की भी अनुमति मिल गयी है।

अखिल भारतीय ग्रामीण साख-सर्वेक्षण समिति (All India Rural Credit Survey Committee) की सिफारिशों के आधार पर सन् 1955 ई० में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में संशोधन किया गया जिसके अनुसार रिजर्व बैंक के अन्तर्गत कृषि साख से सम्बन्धित निम्नलिखित दो कोषों की स्थापना की गयी—

(क) पहला कोष राष्ट्रीय कृषि-साख (दीर्घकालीन) कोष [National Agricultural Credit (Long Term Operation) Fund] है। इस कोष की स्थापना 3 फरवरी, 1956 ई० को हुई थी। इस कोष में सरकार ने प्रारम्भ में 10 करोड़ रुपये जमा के रूप में दिया और प्रगति 5 वर्षों तक रिजर्व बैंक इस कोष में 5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष जमा करने को था। इस क्रम से 1960-61 ई० तक इस कोष में 35 करोड़ रुपये हो जाने की आशा थी। इस कोष की

स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों से की गयी है—(i) इस कोष में से राज्य सरकारों को सहकारी साख-संस्थाओं की हिस्सा पूँजी में लगाने के लिए 20 वर्षों तक की अवधि के लिए ऋण दिया जायगा। (ii) साथ ही, इस कोष में राज्य सहकारी बैंकों को कृषि-कार्य के लिए .5 महीने से 5 वर्ष की अवधि तक के लिए मध्यकालीन ऋण देने की व्यवस्था है, तथा (iii) इसमें से भूमि वन्धक बैंकों को 20 वर्षों तक के लिए दीर्घकालीन ऋण दिया जायगा। जून 1972 तक इस कोष के पास कुल 209 करोड़ रुपये की रकम जमा हो गयी थी।

(ख) दूसरा कोष राष्ट्रीय कृषि साख (स्थापित्व) कोष [National Agricultural Credit Stabilization Fund] है जिसकी स्थापना 30 जून, 1956 ई० को हुई थी। इस कोष में रिजर्व बैंक प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपया जमा करेगा। इस कोष की रकम में से राज्य-सहकारी बैंकों को 15 महीने से लेकर 5 वर्ष तक के लिए मध्यकालीन कर्ज दिया जायगा। जून, 1972 तक इस कोष में 45 करोड़ रुपये की रकम जमा हो गयी थी।

इससे यह स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक कृषि-साख सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए अत्यधिक प्रयत्नशील है। इसके प्रयत्नों के फलस्वरूप देश में कृषि-साख की व्यवस्था में उत्तरोत्तर सुधार होता जा रहा है। रिजर्व बैंक की कृषि-साख सम्बन्धी नीति के सम्बन्ध में दो बातें महत्वपूर्ण हैं—सर्वप्रथम तो अबतक रिजर्व बैंक ने कृषि को केवल अल्पकालीन ऋण ही प्रदान किया है। वास्तव में, वैधानिक रूप में मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन साख रिजर्व बैंक के क्षेत्र से परे है। किन्तु भूमि वन्धक बैंकों के ऋण-पत्रों को खरीद कर यह परोक्ष रूप से दीर्घकालीन साख प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा, यह है कि अभी तक रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गयी सुविधाओं का, मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आन्ध्र तथा मंसूर जैसे राज्यों में ही, जहाँ पर सहकारिता आन्दोलन का विकास हुआ है, पूर्ण रूप से प्रयोग किया जा सका है। अन्य राज्यों में अभी तक रिजर्व बैंक की गारंटी पर ही कृषि-साख प्रदान किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि कृषि-साख सम्बन्धी सहायता को प्राप्त करने के लिए सहकारिता आन्दोलन का विकास अनिवार्य है। इतना ही नहीं रिजर्व बैंक ने कृषि पुनर्वित्त निगम की स्थापना में भी सहयोग प्रदान किया है।

रिजर्व बैंक एवं औद्योगिक वित्त

(Reserve Bank and Industrial Finance)

रिजर्व बैंक आजकल देश में औद्योगिक सस्यानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहा है। इस उद्देश्य से 1957 ई० में एक औद्योगिक वित्त-विभाग (Industrial Finance Department) की स्थापना की गयी। हमारे देश में पूँजी का अभाव है जिससे द्रुतगति से औद्योगीकरण के कार्य में निरस्तन्द्ह कठिनाई उपस्थित होती है। अतः औद्योगीकरण की आवश्यकताओं को देखते हुए देश में उद्योग-सम्बन्धी को दीर्घ एवं मध्यकालीन कर्ज प्रदान करनेवाली संस्थाओं की स्थापना अनिवार्य हो जाती है। इस उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने इस प्रकार की बहुत-सी संस्थाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है जिनमें औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation), राज्य वित्तीय निगम (State Financial Corporations) तथा औद्योगिक विकास बैंक (Industrial Development Bank) इत्यादि प्रमुख हैं। बैंक ने इन संस्थाओं की हिस्सा-पूँजी का एक अंश प्रदान किया है तथा वह इन्हीं आवश्यकतानुसार उधार की सुविधा भी प्रदान करता है। लघु उद्योगों को ऋण एवं सहायता प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक ने सरकार की ओर से जुलाई, 1960 ई० से एक प्रत्याभूति योजना (Guarantee scheme) चालू की है जिसके अन्तर्गत यह एक निर्धारित मात्रा तक अन्य बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों के भुगान की गारंटी लेती है। पहले यह योजना केवल 22 जिलों में लागू की गयी थी, किन्तु वर्तमान समय में यह सर्वत्र लागू है। इसके अन्तर्गत एपेक्स सहकारी बैंकों (Apex Co-operative Banks) द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये सभी प्रकार के ऋण भी आते हैं। इस प्रकार रिजर्व बैंक औद्योगिक साख के क्षेत्र में भी आजकल महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

देश के आर्थिक विकास के साथ-साथ रिजर्व बैंक के कार्यों की सीमा भी बढ़ती जा रही है। यह बैंक आजकल बहुत प्रकार के विकास-सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन कर रहा है। साख-

व्यवस्था के नियमन के साथ-साथ रिजर्व बैंक आज देश में एक ऐसी बैंकिंग व्यवस्था के विकास में लीन है जो वाणिज्य-व्यवसाय के अतिरिक्त कृषि एवं उद्योग-धन्धों के विनाश में भी समुचित सह-योग प्रदान कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति में यह पर्याप्त सफल भी रहा है। साथ ही, यह सरकार को वार्षिक एवा वित्तीय मामलों में परामर्श भी देता है। बैंक को इस कार्य का महत्त्व भी आज दिन-प्रति-दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों, सहकारी समितियों, समुक्त पूँजी कंपनियों तथा विदेशी व्यापार आदि के सम्बन्ध में झकड़ें एकत्र करता है तथा समय-समय पर इनका प्रकाशन भी करता है। इस प्रकार रिजर्व बैंक के कार्यों की सीमा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है।

रिजर्व बैंक के कार्यों का मूल्यांकन

(An Appraisal of the Functions of the Reserve Bank of India)

अब हमें यह देखना है कि रिजर्व बैंक अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कहीं तक सफल रहा है ? रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल, 1935 ई० में हुई थी। इसकी स्थापना के पूर्व देश में कोई केन्द्रीय बैंक नहीं था। केन्द्रीय बैंक के अभाव में देश का मुद्रा-बाजार पूर्णतया असंगठित था तथा बैंकिंग व्यवस्था का भी पर्याप्त विकास नहीं हो पाया था। अतः रिजर्व बैंक की स्थापना से बहुत-सी आशाएँ थी। रिजर्व बैंक अबतक अपने जीवन-काल के प्रायः 38 वर्ष पूरा कर चुका है। इस अवधि में इसने निरसन्देह देश में एक दृढ़ एवं सुव्यवस्थित बैंकिंग व्यवस्था के विकास में सहयोग प्रदान किया है। रिजर्व बैंक ने सफलतापूर्वक देश में पत्र-मुद्रा जारी करने का कार्य किया है। इसने सस्ती मुद्रा-नीति (Cheap Money Policy) का अनुसरण कर भारतीय उद्योग, कृषि एवं वाणिज्य की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति की है। 1951 ई० तक बैंक-दर 3 प्रतिशत थी। 1951 ई० में इसे बढ़ाकर 3½ प्रतिशत कर दिया गया। पुनः 1957 ई० में इसे बढ़ाकर 4 प्रतिशत तथा 1963 ई० में 4½ प्रतिशत कर दिया गया। मई, 1973 ई० में बैंक-दर को बढ़ाकर 7 प्रतिशत जनवरी, 1974 में 9 प्रतिशत कर दिया जो पिछले सभी वर्षों से अधिक है। रिजर्व बैंक ने देश की बैंकिंग व्यवस्था को भी विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान किया है। बहुत से व्यावसायिक बैंकों को आर्थिक संकट में अन्तिम ऋणदाता (Lender of the Last Resort) के रूप में सहायता प्रदान कर इसने उन्हें फल होने से बचाया है। औद्योगिक वित्त-व्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करने में भी रिजर्व बैंक बहुत प्रयत्नशील रहा है। बैंक के इन प्रयत्नों के फलस्वरूप ही देश में औद्योगिक वित्त-निगम (Industrial Finance Corporation), राज्य वित्तीय निगम (State Financial Corporations), पुनर्वित्त निगम (Re-finance Corporation), औद्योगिक विकास बैंक (Industrial Development Bank) तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाएँ स्थापित हो सकी हैं। ये संस्थाएँ उद्योग-धन्धों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती हैं। कृषि-साल के सहायताार्थ बैंक का कृषि-सहाय विभाग प्रारम्भ से ही प्रयत्नशील रहा है, किन्तु हाल के संशोधन के फलस्वरूप बैंक कृषि सहाय की व्यवस्था में और भी अधिक प्रयत्नशील हो गया है। रिजर्व बैंक ने भारत एवं राज्य सरकारों के लिए सरकारी ऋण की व्यवस्था भी की है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष से सम्बन्ध स्थापित कर बैंक ने रुपये के बाह्य मूल्य को भी स्थायी बनाने का प्रयत्न किया है-। इस प्रकार रिजर्व बैंक ने केन्द्रीय बैंक के प्रायः सभी कार्यों को पर्याप्त सफलता के साथ सम्पन्न किया है।

किन्तु, रिजर्व बैंक के कार्यों की कई कार्रगों से आलोचना भी की जाती है। इसके विरुद्ध साधारणतया निम्नलिखित आरोप लगाये जाते हैं :—

(1) रुपये के आन्तरिक मूल्य में अस्थिरता (Instability in the internal value of the Rupee).—रिजर्व बैंक समय के आन्तरिक मूल्य को स्थायी बनाने में प्रायः असफल रहा है। द्वितीय महायुद्ध के समय देश में मुद्रा की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि हुई जिससे मुद्रा के मूल्य में बहुत हास हुआ तथा मूल्य-तल में पर्याप्त वृद्धि हुई। इसका देश की आर्थिक व्यवस्था पर बड़ा ही घातक प्रभाव पड़ा है, किन्तु इसके लिए हम केवल रिजर्व बैंक को ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। इसके लिए सरकार तथा तत्कालीन परिस्थितियाँ भी बहुत हद तक उत्तरदायी थी।

(2) सुव्यवस्थित मुद्रा-बाजार एवं वित्त-बाजार का अभाव :—प्रायः यह कहा जाता है कि रिजर्व बैंक देश में एक सुसंगठित मुद्रा एवं वित्त-बाजार की स्थापना में असफल रहा है।

देश में मुद्रा-बाजार के समुचित विकास के लिए यह बाजार के विभिन्न अंगों में यथेष्ट सहयोग नहीं उत्पन्न कर सका है। अपने जीवन-काल के प्रायः 38 वर्षों के बाद भी यह देशी बैंकिंग प्रणाली से प्रभावपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने में प्रायः असफल रहा है। इसी प्रकार बिलों के पुनः भुगतान (Re-discount) की सुविधा प्रदान करने में भी प्रायः असफल रहा है। भारतीय मुद्रा-बाजार के विभिन्न हिस्सों से प्रचलित व्याज की दरों में भी अब तक समानता नहीं पायी है। इस प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के विभिन्न प्रयत्नों के परिणामस्वरूप देश में अभी तक समुचित बिल-बाजार का विकास नहीं हो पाया है।

(3) कृषि-साख (Agricultural Credit) की समुचित व्यवस्था का अभाव :— रिजर्व बैंक के विरुद्ध यह भी कहा जाता है कि यह देश कृषि-साख की समुचित व्यवस्था को प्रोत्साहित नहीं कर सका है। भारत में कृषि साख प्रदान करने के प्रमुख साधन—महाजन तथा साहूकार—की क्रियाओं को अभी-तक बैंक नियंत्रित नहीं कर सका है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ग्रामीण साख-सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर बैंक ने कृषि-साख को अधिक प्रोत्साहित करना प्रारम्भ कर दिया है किन्तु फिर भी, अब तक इस क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य करने की आवश्यकता है।

इस प्रकार रिजर्व बैंक के कार्यों के विरुद्ध बहुत-सारी आलोचनाएँ दी जाती हैं किन्तु इन सारी आलोचनाओं के बावजूद देश में आर्थिक स्थायित्व के युग का संचार करने में बैंक ने निस्संदेह बड़ा ही महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है। रिजर्व बैंक ने समय-समय पर अपने कार्यों द्वारा देश की आर्थिक-व्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करने का सफल प्रयास किया है। आशा की जाती है कि भविष्य में देश के आर्थिक हित में बैंक और अधिक उपयोगी कार्य करेगा।

विशेष अध्ययन सूची

1. Reserve Bank of India : Functions and Working
2. Reserve Bank of India : Reports on Currency and Finance.
3. S. K. Basu : A Survey of Contemporary Banking Trends, Chapters XII to XIV
4. K. N. Raj : Monetary Policy of the Reserve Bank of India.

अध्याय : 28

बैंकों का राष्ट्रीयकरण

(Nationalisation of Banks)

प्राक्कथन :—प्राधुनिक युग में किसी देश के आर्थिक जीवन में बैंकों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। अतः विभिन्न देशों में समय-समय पर इनके राष्ट्रीयकरण की भाग होती रही है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न के दो प्रमुख पहलू हैं —

(क) केन्द्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation of the Central Bank), तथा

(ख) व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation of Commercial Banks)।

हस्त या इसी प्रकार के अन्य समाजवादी देशों में सभी प्रकार के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है। इंग्लैंड, फ्रांस आदि मुक्त अर्थ व्यवस्थावाले देशों में केवल केन्द्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है, किन्तु व्यावसायिक बैंकों का नहीं। इसके विपरीत समुक्त राज्य अमेरिका में किसी भी प्रकार के बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है। अतएव, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दृष्टिकोण से वर्तमान समय में विश्व के विभिन्न देशों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है — प्रथम श्रेणी में वे देश आते हैं जिनमें सभी प्रकार के बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, द्वितीय श्रेणी में वे देश आते हैं जिनमें केवल केन्द्रीय बैंक या एक-आध व्यावसायिक बैंक का ही राष्ट्रीयकरण हुआ है तथा तृतीय श्रेणी में वे देश आते हैं जिनमें किसी भी प्रकार के बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है।

केन्द्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation of the Central Bank) — जहाँ तक केन्द्रीय बैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है, अब प्रायः सभी इस बात से सहमत हैं कि अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए केन्द्रीय बैंक जैसी महत्वपूर्ण संस्था पर राज्य का स्वामित्व एवं नियन्त्रण विलकुल अनिवार्य है; केन्द्रीय बैंक प्रारम्भ से ही महत्वपूर्ण कार्यों को करते आ रहे हैं। इनका प्रधान उद्देश्य देश की मौद्रिक नीति को कार्यान्वित करना है। व्यावसायिक बैंकों की तरह अधिकतम मुनाफा कमाना नहीं चाहते। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक के कार्यों पर सरकारी नियंत्रण के सम्बन्ध में विद्वानों तथा राजनीतिज्ञों में अब कोई मतभेद नहीं है। मतभेद केवल इसी बात को लेकर है कि सरकारी नियंत्रण के साथ-साथ सरकारी स्वामित्व भी हो या नहीं। वास्तव में, यह प्रश्न व्यावहारिक है सैद्धांतिक नहीं। यदि केन्द्रीय बैंक पर सरकारी नियंत्रण विलकुल प्रभावपूर्ण हो तो राज्य के स्वामित्व की कोई आवश्यकता नहीं, किन्तु अपूर्ण नियंत्रण की स्थिति में केन्द्रीय बैंक पर राज्य का स्वामित्व अधिक आवश्यक हो जाता है।

फिर भी, केन्द्रीय बैंक के राष्ट्रीयकरण के पक्ष एवं विपक्ष में बहुत-सारे तर्क दिये जाते हैं जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं —

केन्द्रीय बैंक के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क (Arguments in favour of Nationalisation of Central Bank) — केन्द्रीय बैंक के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में साधारणतया निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं :—

(i) अधिकतम जन-कल्याण की प्राप्ति के लिए केन्द्रीय बैंक पर राज्य का स्वामित्व अनिवार्य है। केन्द्रीय बैंक का प्रधान कार्य राज्य की मौद्रिक नीति को कार्यान्वित करना है जिससे इसके कार्यों का देश की सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अतएव, आर्थिक दृष्टि से ऐसी महत्वपूर्ण संस्था पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व विलकुल अनिवार्य है।

(ii) आर्थिक नियोजन तथा पूर्ण रोजगारी (Full employment) के उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी केन्द्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण अनिवार्य है। आजकल प्रत्येक देश की आर्थिक नीति का प्रधान उद्देश्य आय के उच्च स्तर पर पूर्ण रोजगारी की स्थापना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोग आर्थिक नियोजन का अवलम्बन कर रहे हैं। योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में साधनों की आवश्यकता पड़ती है। और, वैसे कि हम जानते हैं केन्द्रीय बैंक से ही प्रत्येक देश में मुद्रा का उद्गम होता है। अतएव, इसके राष्ट्रीयकरण से विकास के लिए साधन प्राप्त किया जा सकता है।

(iii) बैंक के कार्य में इससे अधिक कुशलता आ जायगी — जब केन्द्रीय बैंक पूर्ण रूप से सरकारी प्रबन्ध एव नियन्त्रण में रहेगा तो वह अपने कार्यों को अधिक क्षमता के साथ कर सकता है। अतएव कार्य-कुशलता के दृष्टिकोण से भी केन्द्रीय बैंको का राष्ट्रीयकरण आवश्यक हो जाता है।

(iv) लाभ का उपयोग राष्ट्रीय हित में हो सकता है — केन्द्रीय बैंक अपने कार्यों से, जिन पर साधारणतया इसका एकाधिकार होता है विभिन्न प्रकार से लाभ प्राप्त करता है। राष्ट्रीयकरण के समर्थकों की यह राय है कि बैंक का यह लाभ हिस्सेदारों के बीच नहीं बाँट कर इसका प्रयोग जन-कल्याण में होना चाहिए। यह तभी हो सकता है जबकि बैंक का राष्ट्रीयकरण हो जाता है।

(v) केन्द्रीय बैंक के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के कारण भी इसका राष्ट्रीयकरण आवश्यक हो जाता है — केन्द्रीय बैंक के अधिकांश कार्यों का राज्य की नीति से सम्बन्ध होता है, जैसे—सरकार के आय-व्यय का हिसाब रखना, सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था करना, पत्र-मुद्रा जारी करना इत्यादि। इन महत्वपूर्ण कार्यों को करने से इसका प्रभाव देश की सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था पर पड़ेगा। अतएव केन्द्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण आवश्यक हो जाता है।

केन्द्रीय बैंक के राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में तर्क (Arguments against Nationalisation of Central Bank) — केन्द्रीय बैंक के राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में साधारणतया निम्नांकित तर्क दिये जाते हैं —

(1) सरकारी स्वामित्व के अन्तर्गत रहने से बैंक के कार्यों का संचालन ठीक-ठीक नहीं होता है — केन्द्रीय बैंक के कार्य इतने अधिक जटिल होते हैं कि इन्हें विशेषज्ञों द्वारा ही सम्पन्न किया जा सकता है। प्रजातन्त्र के अन्तर्गत चुने हुए मंत्रियों को इसकी कार्यवाही के सम्बन्ध में समुचित जानकारी नहीं रहती है। अतएव इससे बैंक के कार्यों में अकुशलता की आशंका रहती है, किन्तु वास्तव में यह तक बिल्कुल तथ्यहीन जान पड़ता है, क्योंकि सरकारी स्वामित्व के अन्तर्गत भी बैंकों की वास्तविक कार्यवाही इससे स्थायी कर्मचारियों के हाथ में ही रहती है जो इस कार्य में बहुधा दक्ष रहा करते हैं।

(ii) सरकारी कर्मचारियों की अकुशलता — केन्द्रीय बैंक के राष्ट्रीयकरण से बैंक पूज्यतया सरकारी कर्मचारियों के हाथ में आ जाता है जिनकी तरफकी प्रायः उनकी नौकरी की अवधि के अनुसार होती है। इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय बैंक का कार्य कुशलतापूर्वक नहीं सम्पन्न किया जाता है किन्तु हिस्सेदारों का बैंक रहने से कर्मचारियों की तरफकी या नौकरी इनकी कार्य कुशलता पर निर्भर करती है। अतएव, वे बहुत सोच विचार कर तथा परिश्रम से बैंक का कार्य करते हैं। अतः जब केन्द्रीय बैंक व्यक्तिगत हाथों में रहता है तब यह व्यावसायिक सिद्धान्तों (Sound Business Principles) का अच्छे प्रकार से पालन करता है और बैंक के कर्मचारी भी अधिक कुशलता से कार्य करते हैं।

(iii) कार्यों में विलम्ब होने लगता है — सरकारी स्वामित्व के अन्तर्गत आ जाने से बैंक के कार्यों में विलम्ब (Red Tapisism) होने लगता है। किसी साधारण-सी बात के सम्बन्ध में भी निम्न वेने में अनावश्यक रूप से देर होती है, परन्तु वैयक्तिक स्वामित्व के अन्तर्गत किसी समस्या के सम्बन्ध में निर्णय अति शीघ्रता से लिया जाता है जिससे इसके कार्यों में अनावश्यक विलम्ब नहीं हो पाता।

(iv) राजनीतिक दलों का प्रभाव — केन्द्रीय बैंक के कार्यों का देश की आर्थिक व्यवस्था पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। केन्द्रीय बैंक के राष्ट्रीयकरण से इस बात की आशंका रहती है कि कहीं ये इन राजनीतिक दलों के हाथ की कठपुतली न बन जायें जिससे ये देश के आर्थिक कल्याण के लिए सुचारु रूप से कार्य करने में असमर्थ हो जायें।

केन्द्रीय बैंक के राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में दिये जानेवाले तर्क बहुधा अयुक्तिसंगत जान पड़ते हैं। वास्तव में, आयोगित जय व्यवस्था के अन्तर्गत उत्पादन विनियोग एव बचत सभी पर सरकार का नियन्त्रण अनिवार्य है। इससे साथ ही, मुद्रा की सम्पूर्ण राशि पर नियन्त्रण भी अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण अति आवश्यक हो जाता है। यही

कारण है कि आजकल विश्व में केन्द्रीय बैंक के राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए, 1936 ई० में डेनमार्क तथा न्यूजीलैंड के केन्द्रीय बैंक 1938 ई० में, कनाडा के केन्द्रीय बैंक, 1945 ई० में आस्ट्रेलिया के केन्द्रीय बैंक, 1946 ई० में इंग्लैंड तथा फ्रांस के केन्द्रीय बैंक एवं 1949 ई० में भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण हुआ। इनमें से कनाडा के अतिरिक्त अन्य सभी देशों में केन्द्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण मुआवजा देकर किया गया है।

व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण

(Nationalisation of Commercial Banks)

व्यावसायिक बैंक के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क (Arguments in favour of Nationalisation of Commercial Banks) -- व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में बहुत-से महत्वपूर्ण तर्क दिये जाते हैं जिनमें साधारणतया प्रो० सेयर्स (Sayers) द्वारा दिये गये निम्नांकित तर्क विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं --

- (1) कार्य-क्षमता-सम्बन्धी तर्क (Efficiency issue),
- (2) एकीकरण सम्बन्धी तर्क (Integration issue),
- (3) मुद्राकरण-सम्बन्धी तर्क (Monetisation issue) तथा
- (4) समाजीकरण-सम्बन्धी तर्क (Socialisation issue)।

(1) कार्य-क्षमता-सम्बन्धी तर्क (Efficiency issue) -- व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह दिया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक निजी बैंकों की अपेक्षा अधिक कार्य-कुशल होते हैं। निजी बैंकों द्वारा उधार तथा बैंक-जमा के वितरण के कार्य न्यूनतम व्यय पर नहीं किये जाते हैं। साथ ही, आपस की प्रतिस्पर्धा के कारण इनकी आवश्यकता से अधिक जालाएँ होती हैं जिससे इनका व्यवस्थापन-सम्बन्धी व्यय भी बहुत अधिक होता है। इसके विपरीत, राष्ट्रीयकृत बैंकों में नयी नयी शाखाओं की स्थापना में आपसी प्रतिस्पर्धा नहीं होगी जिससे इनका व्यवस्थापन-व्यय अपेक्षाकृत कम होता है। इस प्रकार यह कहा जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का व्यवस्थापन-व्यय अपेक्षाकृत कम होगा।

किन्तु, प्रो० सेयर्स (Sayers) आदि विद्वानों की राय में निजी बैंक कम कार्य कुशल नहीं होते। साथ ही, इनके व्यवस्थापन व्यय में कटौती की भी बहुत कम गुंजाइश रहती है। निजी बैंकों की जालाएँ आवश्यकता से अधिक अवश्य होती हैं, किन्तु इनका नियंत्रण अच्छी तरह से होता है। वास्तव में बैंकों की व्यवस्था के लिए योग्य एवं विशेषज्ञ बैंकरो की आवश्यकता होती है। इंग्लैंड आदि देशों में इस प्रकार के योग्य संचालक पर्याप्त संख्या में पाये जाते हैं। इन देशों में व्यावसायिक बैंक न अधिक मुनाफा कमाने पर जोर देते हैं, न इनका उत्पादन व्यय ही अधिक होता है, किन्तु भारत में योग्य बैंक संचालकों का अभाव है। साथ ही भारत में सरकारी प्रबन्ध अपनी अनुकूलता के लिए पुरजात है। अतएव, अच्छे एवं सुयोग्य बैंक संचालकों का अभाव में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस हद तक लाभप्रद होगा, यह कहना बहुत ही कठिन है। वास्तव में, भारत जैसे देश में बैंकों के अच्छे कानून में अधिक महत्वपूर्ण स्थान अच्छे बैंकरो का है।

(2) एकीकरण-सम्बन्धी तर्क (Integration Issue) :- केन्द्रीय बैंक का प्रधान कार्य देश की मौद्रिक नीति को कार्यान्वित करना है, यह तभी सम्भव है जबकि केन्द्रीय बैंक का देश के व्यावसायिक बैंकों पर समुचित नियंत्रण रहे। किन्तु प्रत्येक देश में व्यावसायिक बैंकों की संख्या बहुत अधिक होती है। इससे इन असरय एवं बिखरे हुए व्यावसायिक बैंकों पर नियंत्रण का कार्य बहुत ही कठिन हो जाता है। साथ ही व्यावसायिक बैंक केन्द्रीय बैंक का नेतृत्व सदा सहर्ष स्वीकार नहीं करते। इनमें कोई संदेह नहीं कि व्यावसायिक बैंकों पर नियंत्रण रखने के लिए केन्द्रीय बैंक के पास बहुत-से अस्त्र मौजूद रहते हैं, फिर भी, नियंत्रण के कार्य में बहुत अधिक कठिनाई होती है। अतएव, केन्द्रीय बैंकों के नियंत्रण को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए भी व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण अनिवार्य है। राष्ट्रीयकरण से व्यावसायिक बैंकों की संख्या

बहुत कम है। जायगी जिससे मौद्रिक नीति को कार्यान्वित करने का कार्य निश्चय ही बहुत सुगम हो जायगा। भारत में भी व्यावसायिक बैंको की सत्था बहुत अधिक है। इनके अतिरिक्त सैकड़ों स्वदेशी बैंकर्स हैं जिन पर केन्द्रीय बैंक का प्रायः कोई नियन्त्रण नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में मौद्रिक नीति को कार्यान्वित करने में बहुत कठिनाई होती है। यदि राष्ट्रीयकरण के द्वारा इन बैंको का सम्मिश्रण कर दिया जाय तो नियन्त्रण का कार्य बहुत ही सुविधाजनक हो जायगा।

इस प्रकार व्यावसायिक बैंको के राष्ट्रीयकरण से इनका एकीकरण होगा जिससे इनके नियन्त्रण एव मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन का कार्य बहुत ही सुगम हो जायगा।

(3) मुद्राीकरण-सम्बन्धी तर्क (Monetisation Issue).—मुद्रा सृजन के कार्य पर प्रारम्भ से ही राज्य का विशेषाधिकार रहा है। अतएव, मुद्रा के सृजन का लाभ राज्य को ही प्राप्त होना चाहिए जो इसे जन-हित के कार्यों में व्यय करेगा। हम जानते हैं कि ब्राज के युग में व्यावसायिक बैंको का जमा नकद मुद्रा की ही तरह प्रयोग किया जाना है। इतना ही नहीं, इंग्लैंड तथा अमेरिका-जैसे आर्थिक दृष्टि से विकसित राष्ट्रों में मुद्रा की कुल पूँति का एक बहुत बड़ा भाग व्यावसायिक बैंको के जमा का है। व्यावसायिक बैंक, बैंक जमा के सृजन द्वारा ही अपने लाभ का एक बहुत बड़ा भाग प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीयकरण के समर्थकों का यह कहना है कि बैंक-जमा पर राष्ट्रीय स्वामित्व होना चाहिए तथा इनका लाभ निजी बैंको के हिस्सेदारों को नहीं प्राप्त होकर स्वयं सरकार एव समाज को प्राप्त होना चाहिए।

अतएव, मुद्राीकरण के आधार पर मौ-व्यावसायिक बैंको के राष्ट्रीयकरण का तर्क दिया जाता है। वास्तव में, बैंको के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में यह सर्वाधिक प्रमुख तर्क है। निजी नियन्त्रण में व्यावसायिक बैंको को छोड़ने से मौद्रिक क्षेत्रों में भी एकाधिकार (Money Trust) की स्थापना की सम्भावना रहती है। उदाहरण के लिए, इंग्लैंड के बैंकिंग व्यवसाय का एक बहुत बड़ा भाग वहाँ के पंच महान् (Big Five) बैंको के हाथों में है। ये आपस में मिलकर अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से मौद्रिक क्षेत्र में एकाधिकार की स्थापना कर सकते हैं। बैंको के राष्ट्रीयकरण के द्वारा इस प्रवृत्ति को समाप्त किया जा सकता है।

(4) समाजीकरण-सम्बन्धी तर्क (Socialisation Issue).—जिस देश में उद्योग-धन्धों का राष्ट्रीयकरण हो रहा है वहाँ व्यावसायिक बैंको को पूँजीपतियों के हाथ में छोड़ना युक्तिसंगत नहीं है। इससे समाजीकरण (Socialisation) की क्रिया में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि साधारणतः यह देखा जाता है कि निजी व्यवसाय के अन्तर्गत के बैंक राष्ट्रीय उद्योग-धन्धों को उधार देने में आनाकानी करते हैं। अतएव, ऐसी स्थिति में व्यावसायिक बैंको का पहले ही राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। प्रो० सेयर्स (Sayers) ने इस सम्बन्ध में बहुत ही ठीक कहा है कि ऐसे देशों में व्यावसायिक बैंको के राष्ट्रीयकरण के उचित समय में सम्बन्ध में विवाद है न कि निजी व्यावसायिक बैंको बनाम राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंक के सम्बन्ध में। जो देश समाजीकरण के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं वहाँ तो आज अथवा कल सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण निश्चय ही होगा। अतएव, प्रश्न केवल इतना ही है कि व्यावसायिक बैंको का राष्ट्रीयकरण पहले किया जाय या बाद में। वास्तव में, यदि निजी व्यावसायिक बैंक राष्ट्रीयकरण के मार्ग में बाधा पहुँचा रहे हों तो इनका राष्ट्रीयकरण पहले ही कर लेना चाहिए।

किन्तु प्रश्न यह है कि व्यावसायिक बैंक ऐसा क्यों करेंगे? आजकल तो व्यावसायिक बैंक अपने जमा का अधिकांश भाग, प्रायः 70 प्रतिशत भाग तक, सरकारी प्रतिभूतियों में ही लगाते हैं। इस अर्थ में सभी व्यावसायिक बैंक प्रायः सरकारी बैंक ही हो गये हैं। अतएव, राष्ट्रीय उद्योगों को उधार देने में ये क्यों आनाकानी करेंगे। साथ ही इनके राष्ट्रीयकरण से कोई हानि भी नहीं होगी वरन् इससे राष्ट्रीय ऋण कम हो जायगा। फ्रांस में तो सरकार ने केवल केन्द्रीय बैंक का ही राष्ट्रीयकरण नहीं किया है, वरन् वहाँ के चार प्रमुख व्यावसायिक बैंको का भी राष्ट्रीयकरण किया है। भारत में भी 1955 ई० में इम्पीरियल बैंक जो यहाँ का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक था, का तथा 1969 में 14 अन्य बड़े-बड़े व्यावसायिक बैंको का राष्ट्रीयकरण किया गया।

इस प्रकार व्यावसायिक बैंको के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में उक्त सारे तर्क दिये जाते हैं। इन्हीं तर्कों के आधार पर राष्ट्रीयकरण के समर्थक व्यावसायिक बैंको का राष्ट्रीयकरण चाहते हैं।

व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में तर्क

(Arguments against Nationalisation of Commercial Banks)

दूसरी ओर, व्यावसायिक बैंको के राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में भी बहुत सारे तर्क दिये जाते हैं जिनमें निम्नांकित प्रमुख हैं—

(1) व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाने पर वे ऋण देने में पक्षपात करेंगे—राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में यह कहा जाता है कि राज्य के हाथ में बैंको के चले जाने से ये ऋण देने में पक्षपात करने लगेंगे। ऋण देना एक राजनीतिक विषय हो जायगा और राज्य कुछ उद्योगों को प्रोत्साहन देकर एव कुछ को न देकर इनके बीच एक प्रकार से विभेद का व्यवहार करेगा, किन्तु इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि आर्थिक नियोजन में साख का वितरण सार्वजनिक महत्त्व के अनुसार होता है। ऐसी व्यवस्था में योजना के लिए पर्याप्त परिमाण में वित्त का होना आवश्यक है। आर्थिक नियोजन में भिन्न-भिन्न उद्योगों में विभेद भी आवश्यक हो जाता है। आवश्यक उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाता है, किन्तु यह राष्ट्र के आर्थिक कल्याण के लिए होता है। इसके पीछे कोई अन्य उद्देश्य कार्य नहीं करता। अतएव, आयोजित अर्थ-व्यवस्था में व्यावसायिक बैंको के ऊपर राज्य का स्वामित्व होना नितांत आवश्यक है।

प्रायः यह भी कहा जाता है कि राज्य के स्वामित्व में होने से ये सिर्फ बड़े उद्योगों को ही प्रोत्साहन देंगे। इस कारण छोटे उद्योगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, किन्तु वास्तव में ऐसा तर्क युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता। बैंको के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में बहुधा वे ही लोग हैं जो बड़े उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। राज्य के नियन्त्रण में रहने से बैंक छोटे-छोटे उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देंगे, क्योंकि ऐसा कर राज्य पूर्ण रोजगारी की स्थिति प्राप्त करना चाहता है।

(2) राष्ट्रीयकरण से आर्थिक सकट उत्पन्न होगा—व्यावसायिक बैंको के राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि राष्ट्रीयकरण से देश में पूँजी की कमी हो जायगी। यहाँ से पूँजी बाहर जाने लगेगी, किन्तु इस तक में कोई तथ्य नहीं जान पड़ता। बैंको का राष्ट्रीयकरण आयोजित अर्थ व्यवस्था में ही होगा और आयोजित अर्थ व्यवस्था में सरकार पूँजी को बाहर नहीं जाने देगी।

(3) रुपया जमा करनेवालों का हित सुरक्षित नहीं रहेगा—इसके विपक्ष में तीसरी बात यह कही जाती है कि राष्ट्रीयकरण से रुपया जमा करनेवालों (Depositors) का हित सुरक्षित नहीं रह सकेगा। दूसरे शब्दों में, बैंक निजी व्यक्तियों के हाथ में रहकर ही अपने जमा करनेवालों के हितों की रक्षा कर सकते हैं। साथ ही, यह कहा जाता है कि राष्ट्रीयकरण से जमा का रहस्य (Secrecy) भंग हो जायगा, किन्तु यह तर्क भी युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता। वास्तव में, बैंको पर राज्य का स्वामित्व होने से जमा करनेवालों का हित ज्यादा सुरक्षित रह सकेगा। साथ ही, राज्य के स्वामित्व में आ जाने से बैंक ज्यादा साहसपूर्ण तरीके से कार्य कर सकेंगे जिससे देश का विशेष रूप से आर्थिक कल्याण हो सकेगा।

निष्कर्ष—इस प्रकार व्यावसायिक बैंको के राष्ट्रीयकरण के पक्ष तथा विपक्ष में दिये जानेवाले विभिन्न तर्कों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आयोजित आर्थिक व्यवस्था में व्यावसायिक बैंको का राष्ट्रीयकरण अधिक उचित होगा, किन्तु जैसा कि कोल (G D H Cole) महोदय का कहना है, “जब बिना बैंको के राष्ट्रीयकरण के ही आर्थिक नियोजन की आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से साख के वितरण को नियन्त्रित किया जा सके तो ऐसी स्थिति में बैंको का राष्ट्रीयकरण आवश्यक नहीं है।” किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि बैंको का राष्ट्रीयकरण आवश्यक नहीं है। वास्तव में, पुनः कोल महोदय के शब्दों में ही “योजना के सफल संचालन एव सस्ती दर पर साख की पूर्ति के लिए यह अत्यन्त ही वाछनीय है।” और, पुनः जैसा कि नोल ने कहा है, “यदि व्यावसायिक बैंक एक सार्वजनिक समस्या की तरह व्यवहार नहीं करते हो तब तो ऐसी स्थिति में आयोजित आर्थिक व्यवस्था के अन्तर्गत इनका राष्ट्रीयकरण अत्यावश्यक हो जाता है।” (The socialisation of Banks will be absolutely

necessary unless the banks act as if they had been socialised even if they have not been.)

किन्तु, केवल बैंको के राष्ट्रीयकरण से ही योजनाकरण का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए बैंको के राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण आवश्यक है। यही कारण है कि रूस जैसी समाजवादी आर्थिक व्यवस्थावाले देशों में, जिनका आर्थिक विकास योजनाकरण के आधार पर हुआ है उद्योग-घटो के साथ-ही-साथ केंद्रीय तथा व्यावसायिक दोनों प्रकार के बैंको का राष्ट्रीयकरण किया गया है।

1969 ई० में देश के 4 बड़े-बड़े व्यावसायिक बैंको का राष्ट्रीयकरण कर भारत सरकार भी इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है।

विशेष अध्ययन-सूची

1. Sayers : Modern Banking.
2. G. D. H. Cole : Money : Its Present and Future



अध्याय : 29

भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण

(Nationalisation of Banks in India)

प्राक्कथन .—स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद से ही भारत में व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग की जा रही है। 1954-55 ई० में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति द्वारा समाजवादी ढाँचे की सामाजिक व्यवस्था (Socialist Pattern of Society) के आदर्श को अपनाने के बाद तो राष्ट्रीयकरण की मांग को और भी बल मिला। राष्ट्रीयकरण की इस बढ़ती हुई मांग के परिणामस्वरूप ही 1949 ई० में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (Reserve Bank of India) का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा 1955 ई० में इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया (Imperial Bank of India) का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा अन्य 12 बैंकों को मिलाकर एक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (State Bank of India) की स्थापना की गयी, किन्तु इससे भी व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग में कोई कमी नहीं आयी। परिणामस्वरूप अक्टूबर, 1967 ई० में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति के जव्वनपुर अधिवेशन में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर तत्कालीन वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने यह घोषणा की कि फिलहाल देश के व्यावसायिक बैंकों का सामाजिक नियन्त्रण (Social control) किया जायगा और दो वर्षों में यदि सामाजिक नियन्त्रण की नीति सफल नहीं होगी तो व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

किन्तु, सामाजिक नियन्त्रण के बाद भी व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग जोर पकड़ती ही गयी और अन्ततः 19 जुलाई, 1969 को एक अध्यादेश द्वारा भारत सरकार ने 50 करोड़ रुपये से अधिक जमावाले देश के 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया।

अब भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष तथा विपक्ष के विभिन्न तर्कों की व्याख्या की जायगी।

भारत में व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क

(Arguments for Nationalisation of Commercial Banks in India)

भारत में व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में समय समय पर विभिन्न तर्क दिये जाते रहे हैं जिनमें निम्नांकित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :—

(1) **जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा (Safeguarding the interest of depositors)** — व्यावसायिक बैंकों का एक प्रमुख कार्य जनता की वचतों को जमा के रूप में स्वीकार करना है। जनसाधारण सुरक्षा अथवा व्याज कमाने के उद्देश्य से ही अपनी बचतों को बैंकों में जमा करते हैं, किन्तु व्यावसायिक बैंक यथा कदा इनके जमा का दुरुपयोग करते हैं जिसके परिणामस्वरूप समय-समय पर बहुत से बैंकों को अपना कार्य ही बन्द करने के लिए विवश होना पड़ता है तथा जनता का जमा डूब जाता है। उदाहरण के लिए, भारत में 1913 से 1954 के बीच के बैंक-संघट्ट की अवधि में 1597 बैंक जिनकी कुल परिदत्त पूँजी 19.56 करोड़ रुपये थी, फेल कर गये। इसी प्रकार 1903 से 1960 के बीच 86 बैंक, जिनकी कुल परिदत्त पूँजी 1.24 करोड़ रुपये तथा कुल जमा 3.37 करोड़ रुपये था, बन्द हो गये। इससे स्पष्ट है कि निजी नियन्त्रण के अन्तर्गत के बैंकों में जमाकर्ताओं का हित सदा सुरक्षित नहीं रहता। देश में डालमिया जैन के नियन्त्रण के अन्तर्गत की कम्पनियों की कार्यवाही की जाँच के लिए नियुक्त विद्वान बोस प्रायोग का भी यह निष्कर्ष था कि इस वर्ग की कम्पनियों की सभी राष्ट्र-विरोधी तथा समाज विरोधी क्रियाओं में किसी-न-किसी बैंक का अवयव ही सहयोग था। अतः, जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण अनिवार्य है। जमा बीमा विनियम (Deposit Insurance

Corporation) को स्थापना से छोटे-छोटे जमाकर्ताओं के हित तो सुरक्षित हो गये हैं, किन्तु 10,000 रुपये से अधिक के जमा अग्री भी असुरक्षित ही हैं।

(2) निजी बैंकों द्वारा साख के अत्यधिक सृजन से स्फीति को बल मिला है (Overexpansion of credit by privately owned commercial banks has greatly added to the inflationary pressure) :— भारत में व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में बहुधा यह तर्क भी प्रस्तुत किया जाता है कि निजी नियन्त्रण के अन्तर्गत के व्यावसायिक बैंक अधिकाधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से साख का अनुचित सृजन करते हैं जिससे देश में स्फीति-जनक प्रवृत्तियों को और बल मिलता है। डा० ज्ञानचन्द (Gyanchand) ने अपनी पुस्तक 'The Meance of Inflation' में इसकी चर्चा करते हुए लिखा है कि "The credit which the banks provide are not merely loans of the savings which is deposited with them by their clients...Even the loans which are made from savings give the banks enormous power over the surplus resources of the country which should not be used according to the discretion of self-appointed directors and not unosten in their own interest and that of their business friends But as currency and credit differ only in form and not in substance as instruments of exchange, the privately owned institutions are an important source of money supply and exercise this function as stated above without due regard for the interests of the community"

निस्सन्देह रिजर्व बैंक के नियन्त्रण के वावजूद व्यावसायिक बैंक अधिकाधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे वगैर ही अनुचित तरीके से साख का सृजन करने में सफल हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में बड़े-बड़े उद्योगपतियों तथा व्यावसायियों को तो असीमित मात्रा में ऋण प्राप्त हो जाता है, किन्तु जिन्हें वित्त की वास्तविक रूप से आवश्यकता होती है, वे इसमें वंचित हो रह जाते हैं। वास्तव में, पिछले कुछ वर्षों में, अधिष लाभ तथा आर्थिक शक्ति प्राप्त करने के लोभ में व्यावसायिक बैंकों द्वारा अनियोजित तरीके से साख के प्रसार से देश में स्फीतिजनक प्रवृत्तियाँ विशेष रूप से प्रभावित हुई हैं और इतने नियन्त्रित करने से रिजर्व बैंक की साख-नीति वस्तुतः प्रभावहीन रही है।

(3) आर्थिक सत्ता का सकेन्द्रण (Concentration of economic power) :— भारत में प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का स्वामित्व कुछ प्रमुख औद्योगिक गृहों के हाथ में है जिन्हें इन बैंकों द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर ऋण तथा अग्रिम सदा प्राप्त होते हैं। इन औद्योगिक गृहों के प्रतिनिधि प्रमुख व्यावसायिक बैंकों के संचालन-मण्डल के सदस्य होते हैं। इस प्रकार Interlocking of Directorship के द्वारा ये अपने उद्योगों के लिए वित्त प्राप्त करने में समर्थ हो पाते हैं। प्रत्येक बैंक उसी उद्योग को अधिकाधिक ऋण प्रदान करता है जिसमें उसके संचालकों का हित निहित रहता है। यही समाज में आर्थिक शक्ति तथा सत्ता के अनुचित सकेन्द्रण का प्रचलन कारण है। उदाहरण के लिए, 1965 ई० के अन्त में बैंकों के कुल अग्रिम का 88.7 प्रतिशत भाग केवल उद्योग तथा वाणिज्य को दिया गया था। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी इस प्रकार का विचार व्यक्त किया है। अवाछनीय ढंग से बैंकों के जमा का प्रयोग करने से सकेन्द्रण देखने को यदा-बदा मिलता है।

किन्तु, इस प्रकार का तर्क सर्वथा उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि देश में आर्थिक सकेन्द्रण के लिए सरकार की योजना-सम्बन्धी प्राथमिकताएँ, लाइसेंस नीति तथा आयात-निर्यात नीति भी कम उत्तरदायी नहीं हैं। साथ ही यह कहना भी तथ्ययुक्त नहीं है कि बैंकों ने अपने हितोवाली या ऐसे फर्मों में अपने धन का अधिकांश भाग लगाया है जिनमें वे निजी दिलचस्पी रखते हैं। उदाहरण के लिए, 1966 ई० में देश के 20 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों ने कुल 1472 करोड़ रुपये प्रथम के रूप में दिये थे जिनमें 1322 करोड़ रुपये यानी कुल अग्रिम का प्रायः 89.9 प्रतिशत भाग ऐसे फर्मों को दिया गया था जिनमें इसके संचालकों का कोई हित निहित नहीं था। निम्नलिखित तालिका से यह अधिक स्पष्ट हो जाता है :—

1966 में निजी क्षेत्र के 20 बड़े बड़े बैंकों के अग्रिम का वितरण

बैंदें	अग्रिम (करोड रु० में)	कुल अग्रिम का प्रतिशत
1. वे अग्रिम जिनमें निदेशको का हित निहित है	50	3.4
2. वे अग्रिम जिनमें निदेशको का नाम-मात्र का हित है	99	6.7
3. वे अग्रिम जिनमें निदेशको का कोई हित नहीं है	1323	89.9
कुल	1472	100.0

दूसरी ओर इस संदर्भ में अधिक दिलचस्प बात यह है कि स्टेट बैंक ने 1966 में अपने कुल अग्रिम का 24 प्रतिशत भाग अपने निदेशको तथा उनसे सम्बन्धित फर्मों को दिया था।

(4) बैंकिंग सेवाओं के नियोजित विस्तार (Planned expansion of Banking services) के लिए :- देश में बैंकिंग सेवाओं के नियोजित विस्तार के लिए भी व्यावसायिक बैंको का राष्ट्रीयकरण आवश्यक बतलाया जाता है। देश की प्रायः 82 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी बैंको का विस्तार बिल्कुल नहीं हुआ है। साथ ही, भिन्न-भिन्न राज्यों में बैंकिंग सम्बन्धी सेवाओं के विस्तार में विषमता पायी जाती है। महाराष्ट्र, बर्माटक, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल तथा केरल आदि राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा बैंकिंग-सम्बन्धी सुविधाओं का अधिक विस्तार हुआ है। यह इस बात से स्पष्ट है कि जबकि केरल में औसत रूप से प्रति 58 वर्गमील में एक बैंक है, जम्मू एवं कश्मीर में प्रति 615½ वर्गमील तथा उड़ीसा में 1075 वर्गमील में एक बैंक है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग-सम्बन्धी सेवाओं के विस्तार की भी बहुत अधिक आवश्यकता है, किन्तु इस अल्पकाल में बहुत ही कम लाम की आशा रहती है। अतः राष्ट्रीयकरण के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का समुचित विस्तार सम्भव नहीं है।

(5) आर्थिक विकास की योजनाओं में सहयोग के लिए :- बैंको के राष्ट्रीयकरण से देश की जनता का भारतीय बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बढेगा जिससे बैंकों की जमा-राशि में अधिक वृद्धि की सम्भावना है। इससे भारत सरकार को धन प्राप्त का एक ऐसा साधन प्राप्त होगा जिसमें निरन्तर वृद्धि होती जायगी। स्पष्टतः इससे आर्थिक विकास की पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन में अधिक सहायता की आशा की जाती है।

किन्तु, इस प्रकार का तर्क बिल्कुल तथ्यहीन जान पड़ता है क्योंकि निजी क्षेत्र के बैंक भी छोटी-छोटी बचतों को एत्र करके म राजकीय क्षेत्र के बैंको से पीछे नहीं हैं। साथ ही, इनका जमा भी अनुत्पादक कार्यों में नहीं लगाया गया है।

(6) महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए ऋण-प्राप्ति में सुविधा - भारतीय बैंको पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि ये बड़े-बड़े उद्योगों तथा महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक इकाइयों को ही ऋण प्रदान करते हैं। कृषि, लघु उद्योग तथा नियत व्यापार, जिनका देश की अर्थ व्यवस्था में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है, के लिए साह्य प्रदान करने में वे कोई विशेष रुचि नहीं दिखाते।

इस तर्क में सत्य की मात्रा अधिक अवश्य जान पड़ती है जैसा कि राष्ट्रीयकरण के पूर्व इनके ऋणों के वितरण की निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है -

ऋण-प्राप्ति के क्षेत्र	कुल ऋण का प्रतिशत
-1 उद्योग	64.3
2. व्यापार	24.4
3. वित्तीय संस्थाएँ	3.3
4. कृषि	0.2
5 लघु उद्योग	4.6
6 व्यवसाय	0.6
7. विविध	2.6
	<hr/>
	कुल 100.0

इस प्रकार स्पष्ट है कि बैंकों के कुल ऋण का केवल 0.2 प्रतिशत कृषि तथा 4.6 प्रतिशत लघु उद्योगों को प्राप्त हुआ है। इन क्षेत्रों की अवहेलना का एक कारण यह भी है कि इनमें जोखिम की मात्रा बहुत अधिक पायी जाती है। केवल राष्ट्रीयकृत बैंक ही इतना अधिक जोखिम वहन कर सकते हैं। अतः कृषि लघु उद्योग तथा निर्यात व्यापार को अधिकाधिक सहायता प्रदान करने के लिए भी व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण आवश्यक बतलाया जाता है।

भारत में व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में तर्क

(Arguments against Nationalisation of Commercial Banks in India)

इसके विपरीत कुछ लोग भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण को सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण से हितकर नहीं मानते। व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में ये बहुधा निम्नांकित तर्क प्रस्तुत करते हैं —

(1) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को व्यावसायिक बैंकों के नियन्त्रण के सम्बन्ध में जो ही बहुत व्यापक अधिकार प्राप्त हैं — भारतीय बैंकिंग अधिनियम के अन्तर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, जो देश का केन्द्रीय बैंक है, को देश के व्यावसायिक बैंकों के नियन्त्रण एवं नियंत्रण के सम्बन्ध में अत्यन्त व्यापक अधिकार प्रदान किये गये हैं। सामाजिक नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत तो रिजर्व बैंक को और भी व्यापक अधिकार प्रदान किये गये थे। रिजर्व बैंक द्वारा इन अधिकारों को समुचित रूप से प्रयोग करने पर व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। रिजर्व बैंक के ये अधिकार निम्नांकित विवरण से अधिक स्पष्ट हो जाते हैं—

(क) व्यवस्थापन पर नियन्त्रण (Control over management)—रिजर्व बैंक किसी भी बैंक के अध्यक्ष अथवा किसी निदेशक को हटा सकता है, निदेशक मंडल में अपना प्रतिनिधि (Nominee) रख सकता है तथा प्रमुख कार्याधिकारी की नियुक्ति में भी हस्तक्षेप कर सकता है।

(ख) निरीक्षण (Supervision)—रिजर्व बैंक किसी भी बैंक के खाते का पूर्ण रूप से निरीक्षण कर सकता है तथा किसी नूतन को सुधारने का आदेश दे सकता है। साथ ही, एक करोड़ से अधिक के सभी अधिम के लिए व्यावसायिक बैंकों को रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है।

(ग) बैंकों के विस्तार पर नियन्त्रण (Regulation over expansion of Banks)—रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना कोई भी बैंक कोई नयी शाखा नहीं खोल सकता। इसी प्रकार यह छोटे-छोटे बैंकों को मध्यम अथवा बड़े आकार के बैंकों से मिलाने का आदेश भी दे सकता है।

(घ) साख्त-नियन्त्रण (Credit control)—रिजर्व बैंक को साख्त-नियन्त्रण के सम्बन्ध में भी व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। इसे जमा तथा ऋण पर व्याज की दरों को निर्दिष्ट करने का अधिकार प्राप्त है। 1972 ई० के एक सर्वेक्षण के अनुसार व्यावसायिक बैंकों को अपने कुल जमा का कम से कम 27 प्रतिशत मात्र तरल साधन के रूप में रखना पड़ता है। इसमें सरकारी प्रतिभूतियाँ भी सम्मिलित हैं।

सारांश यह है कि बैंकिंग व्यवसाय के क्षेत्र में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का प्रभावपूर्ण नियन्त्रण नहीं हो। ऐसी स्थिति में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण लगभग अनावश्यक सा ही प्रतीत होता है।

(2) कुल जमा का एक बहुत बड़ा भाग पहले से ही राजकीय क्षेत्र में विद्यमान है—यह तक देना कि व्यावसायिक बैंको के राष्ट्रीयकरण से सरकार को जमा के रूप में एक बहुत बड़ी रकम प्राप्त होगी विहकुल तथ्यहीन है। वास्तव में, देश के व्यावसायिक बैंको के कुल जमा का एक बहुत बड़ा भाग पहले से ही स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तथा इसके सहायक बैंको के हाथ में है। इनके अतिरिक्त पोस्ट ऑफिस बचत बैंक-व्यवस्था हैं, जिसके द्वारा सरकार जनता की बचतों का एक बड़ा भाग एकाग्र करती है। 31 मार्च 1966 को कुल पोस्टल जमा 611 करोड़ रुपये था। इनके अतिरिक्त राजकीय क्षेत्र में औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्तीय निगम, औद्योगिक विकास बैंक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया तथा जीवन बीमा निगम आदि हैं जिनके द्वारा पूँजी बाजार का एक बहुत बड़ा भाग सरकारी क्षेत्र में चला जाता है। यदि सत्थानिक वित्त के क्षेत्र में जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation) के कार्यों को भी ध्यान में रखा जाय तो इससे सरकारी क्षेत्र का महत्त्व बहुत ही बढ़ जाता है। इनके द्वारा सरकार बहुत हद तक निजी क्षेत्र को नियन्त्रित करने में समर्थ है।

(3) राष्ट्रीयकरण से सम्पूर्ण शक्ति एक केन्द्रीय संस्था के हाथ में केन्द्रित हो जायगी जिसके निर्णय सभी के लिए बाध्य होंगे। दूसरे शब्दों में, इससे एक बहुत ही छोटे वर्ग के व्यक्तियों के हाथ विशाल जायिक शक्ति का सकेन्द्रण हो जायगा। इससे जमाकर्ताओं तथा ऋण लेनेवालों को नीकरसाही के इशारे पर चलना होगा। दूसरे शब्दों में, इससे लोग एक प्रकार के Post Office Socialism का अनुभव करेंगे। राष्ट्रीयकरण से लोचपूर्णता तथा प्रयोजन एवं उद्योग के लिए क्षेत्र के बहुत ही सीमित हो जाने की भी सम्भावना है।

(4) यह कहना भी सत्य नहीं है कि व्यावसायिक बैंक देनदा अपने संसालकों तथा इनसे सम्बन्धित कम्पनियों को ही कर्ज तथा अग्रिम प्रदान करते हैं। वास्तव में, इनके ऋण तथा अग्रिम पर रिजर्व बैंक का प्रभावपूर्ण नियन्त्रण होता है तथा बैंको को अपने तत्पट में इन्हें दिखलाना पड़ता है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन प्रकार का अग्रिम धोई बहुत बड़ा भी नहीं है। उदाहरण के लिए, 1966 ई० में निजी क्षेत्र के 20 प्रमुख अधिसूचित बैंको के कुल जमा का केवल 11 प्रतिशत भाग संचालकों तथा इनसे सम्बन्धित कम्पनियों में था जबकि राजकीय क्षेत्र के बैंको द्वारा 26 प्रतिशत भाग उनके संचालकों तथा उनसे सम्बन्धित कम्पनियों को दिया गया था।

(5) व्यावसायिक बैंको के राष्ट्रीयकरण से इनकी कुशलता में भी कमी आ जायगी—इस प्रकार का तर्क जीवन बीमा निगम तथा अन्य राजकीय संस्थाओं की कार्यवाही के घाघार पर प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार की अकुशलता का एक प्रमाण जीवन बीमा निगम के विनियोग से मिल सकता है। निगम द्वारा लाखों रुपये अवाञ्छनीय ढंग से विनियोजित किये गये थे। हरिदास मुद्रा का मुचदमा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।

(6) कृषि तथा लघु उद्योगों के लिए धन—व्यावसायिक बैंको के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में सर्वाधिक प्रधान तर्क यह दिया जाता है कि ये कृषि तथा लघु उद्योग के लिए ऋण नहीं प्रदान करते, किन्तु इस प्रकार का आरोप बहुधा युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि लघु उद्योगों तथा कृषि को ऋण प्रदान करना एक बड़ा ही कठिन कार्य है। सर्वप्रथम लघु उद्योगों का उदाहरण लिया जाय। लघु उद्योगों को कर्ज चुकाने की शक्ति (Credit worthiness) के सम्बन्ध में पता लगाना बड़ा ही कठिन कार्य है। साथ ही, इसी आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में पता लगाना भी बड़ा ही कठिन कार्य है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बैंको को सदा तरलता एवं सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही ऋण देना पड़ता है, क्योंकि बैंक अपने जमाकर्ताओं की रकम के Trustees होते हैं।

व्यावसायिक बैंको द्वारा कृषि को ऋण प्रदान करना तो और भी कठिन कार्य है। कृषि के क्षेत्र में ऋण प्रदान करने की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में बिजरे हुए लगभग 6 करोड़ व्यक्तिगत किसानों को ऋण देने की है जो बहुधा जीवन-निर्वाह स्तर पर कृषि का कार्य करते हैं। इनमें से अधिकांश नी जेतें धनाधिक है। इन किसानों को ऋण प्रदान करना व्यावसायिक बैंको के लिए व्यावहारिक नहीं जान पड़ता। कृषि तथा किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए सहायरी संस्थाएँ पिछले 60-65 वर्षों से विशेष रूप से कार्य करती हैं, किन्तु सहकारिता आन्दोलन भी

अपने उद्देश्य की पूर्ति में मुख्यतः असफल हो रहा है। अतः किसानों की साख्त-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहकारिता आन्दोलन को ही सबल आधार प्रदान करना नितान्त आवश्यक है।

बैंकों का सामाजिक नियन्त्रण

(Social Control of Commercial Banks)

देश में व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बढ़ती हुई मांग का परिणामस्वरूप अक्टूबर, 1967 ई० में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने अपने अधिवेशन में बैंकों के सामाजिक नियन्त्रण के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पारित किया।

किन्तु, बैंकों के सामाजिक नियन्त्रण का आशय क्या है? प्रो० जी० डी० एच० कोल (G. D. H. Cole) जैसे कुछ लेखकों के अनुसार बैंकों के सामाजिक नियन्त्रण का तात्पर्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण अथवा समाजीकरण है, किन्तु भारतीय संदर्भ में समाजीकरण तथा राष्ट्रीयकरण पर्यायवाची शब्द नहीं है। वास्तव में, जब कि व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का आशय सरकार द्वारा बैंकों के स्वामित्व तथा नियन्त्रण दोनों से है, सामाजिक नियन्त्रण का तात्पर्य कुछ सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा अधिकाधिक मात्रा में बैंकों का नियमन एवं नियंत्रण है। इस नीति के अन्तर्गत बैंकों का स्वामित्व इनके हिस्सेदारों के ही हाथ में रहेगा तथा इनकी व्यवस्था इनके द्वारा चुने गये संचालकमंडल के द्वारा ही की जायगी, किन्तु सरकार को इनके लिए एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया जो एक प्रोफेसनल बैंकर होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति के प्रस्ताव के अन्तर्गत सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या निम्न प्रकार से की गयी थी : "Social control means greater participation of banks with effective state guidance in the mobilization of deposits and distribution of credit to the socially desirable sectors of the economy" इसके अनुसार सामाजिक नियंत्रण के अन्तर्गत निम्नांकित बातों का समावेश आवश्यक है.—(क) बैंकों में बैंकिंग-सम्बन्धी आदतों के प्रसार तथा बचत को एकत्र करने के उद्देश्य से प्रामाण्य क्षेत्रों में बैंकों का अधिकाधिक प्रसार, (ख) कृषि, लघु उद्योग तथा निर्यात के लिए प्राथमिकता के आधार पर ऋण प्रदान करना, (ग) विकास-सम्बन्धी योजनाओं के अनुरूप बैंकों का विकास जिससे ये योजना के लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक हो सकें, तथा (घ) साख्त के अत्यधिक संकेन्द्रण को रोकना।

बैंकों का सामाजिक नियंत्रण-सम्बन्धी विधेयक, 1967 - बैंकों को सामाजिक नियंत्रण के अन्तर्गत लाने के उद्देश्य से 23 दिसम्बर 1967 को श्री मोरारजी देसाई ने संसद् के समक्ष एक विधेयक प्रस्तुत किया जो 1968 ई० में कानून बन गया था तथा 1 फरवरी, 1969 से लागू किया गया। इस विधेयक के अन्तर्गत बैंकों पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण के लिए निम्नांकित कदम उठाने की व्यवस्था थी.—

(1) सर्वप्रथम तो, प्रत्येक बैंक के लिए एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा जो बैंक व्यवसायी (Professional banker) होगा। उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। उसकी नियुक्ति अथवा बर्खास्तगी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की पूर्ण अनुमति आवश्यक होगी।

(2) बैंकों के संचालक मंडल में कम-से-कम दो निर्देशक ऐसे होंगे जिन्हें कृषि, लघु उद्योग तथा सहकारिता के सम्बन्ध में व्यावहारिक अनुभव हो।

1 दिसम्बर, 1967 में संसद् में सामाजिक नियंत्रण सम्बन्धी नीति की व्याख्या करते हुए श्री मोरारजी देसाई ने निम्नांकित विचार व्यक्त किया था— "Our fundamental aim within the framework of democratic socialism, is to regulate our social and economic life or to attain the optimum growth rate for our economy and to prevent at the same time any monopolistic trend concentration of economic power and misdirection of resources. The banking system is an important intermediary through which the savings of the community are channelised, and is a key constituent of our economic life. We are all agreed that its policies and practices must serve the basic social and economic objectives."

(iii) कोई भी बैंक अपने निदेशकों तथा उद्योगों को जिनमें उनका हित निहित हो श्रद्धा नहीं प्रदान करेगा ।

(iv) लगातार बैंकिंग अधिनियम तथा रिजर्व बैंक के निर्देशों का उल्लंघन करनेवाले बैंक के सम्पूर्ण कारोबार को रिजर्व बैंक अपने हाथ में ले सकता है ।

(v) एक राष्ट्रीय साख-परिषद् (National Credit Council) की स्थापना की व्यवस्था थी जिसके 25 सदस्य होंगे । वित्त मन्त्री इसके अध्यक्ष होंगे । रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, वित्त मन्त्रालय के सचिव तथा कृषि-पुनर्वित्त निगम के अध्यक्ष के अतिरिक्त इसके 20 अन्य सदस्य होंगे जो विभिन्न हितों के विशेषज्ञ होंगे । इस परिषद् का मुख्य कार्य बैंको के लिए साख-वितरण के सम्बन्ध में व्यापक नीति का निर्धारण तथा विभिन्न साख-संस्थाओं की साख-सम्बन्धी नीति में समन्वय करना होगा ।

इस प्रकार सामाजिक नियंत्रण की नीति के अंतर्गत बैंको पर अधिक प्रभावपूर्ण नियंत्रण की व्यवस्था की गयी थी । साथ ही, सरकार द्वारा इस सदर्भ में एक राष्ट्रीय बैंकिंग नीति की भी घोषणा की गयी । इस राष्ट्रीय बैंकिंग नीति में निम्नांकित पाँच बातों का समावेश था —

- (i) जमाकर्ताओं का हित सुरक्षित होना चाहिए ।
- (ii) देश में मौद्रिक स्थायित्व बना रहना चाहिए ।
- (iii) बैंकिंग नीति का प्रधान उद्देश्य आर्थिक विकास के क्रम में सहायता प्रदान करना होना चाहिए ।
- (iv) साधनों के वितरण में प्राथमिक क्षेत्रों का प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।
- (v) साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग होना चाहिए ।

इस प्रकार कुल मिलाकर सामाजिक नियंत्रण की नीति देश के प्राथिक हित को ध्यान में रखकर तैयार की गयी थी । इससे आर्थिक विकास के क्षेत्र में बैंको से महत्वपूर्ण सहयोग की आशा की जाती थी ।

चौदह बड़े व्यावसायिक बैंको का राष्ट्रीयकरण

(Nationalisation of 14 Major Commercial Banks)

किन्तु, सामाजिक नियंत्रण की नीति भी राष्ट्रीयकरण के हिमायतियों की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकी तथा बैंको के राष्ट्रीयकरण की मांग निरंतर जारी रही । 1969 में काँग्रेस महासमिति के बगलौर अधिवेशन में सामाजिक नियंत्रण की कटु आलोचना हुई । तत्कालीन गृह मंत्री चौहान ने इसकी आलोचना करते हुए यह बिचार व्यक्त किया था कि ' राष्ट्रीयकरण के बगैर सामाजिक नियंत्रण का कोई अर्थ नहीं होता तथा सामाजिक नियंत्रण के बगैर राष्ट्रीयकरण एक प्रपंच मात्र है ।' (Soc a' control without nationalisation has no meaning and nationalisation without Social control could be a fraud)

अतः अभी सामाजिक नियंत्रण नीति की स्पष्टी भी नहीं सूख पायी थी कि 19 जुलाई, 1969 को एक अध्यादेश द्वारा भारत सरकार ने 50 करोड़ रुपये से अधिक जमावाले निम्नांकित 14 बैंको का राष्ट्रीयकरण किया —

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| (1) सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, | (2) बैंक ऑफ इण्डिया |
| (3) पंजाब नेशनल बैंक, | (4) बैंक ऑफ बड़ौदा, |
| (5) युनाइटेड कमर्शियल बैंक | (6) कानारा बैंक, |
| (7) युनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया | (8) डेना बैंक, |
| (9) सिटिकेट बैंक, | (10) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, |
| (11) इलाहाबाद बैंक, | (12) इण्डियन बैंक, |
| (13) बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तथा | (14) इण्डियन ओवरसीज बैंक । |

इस प्रकार सरकार ने एक कलम से 2742 करोड़ रुपये के अन्रिक्त जमा पर अपना अधिकार कर लिया । स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तथा इसके सहायकों के साथ साथ इन चौदह बैंकों

को मिलाकर सरकार का अब कुल बैंक जमा के 85 प्रतिशत से भी अधिक भाग पर नियन्त्रण स्थापित हो गया है ।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा करते हुए प्रधान मंत्री ने अपने एक प्रसारण में यह एलान किया कि बैंकिंग व्यवस्था जैसी सस्था, जिसका राष्ट्र के करोड़ों निवासियों के जीवन से अत्यधिक घनिष्ठ रूप में सम्बन्ध है को, अधिक व्यापक सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित होना चाहिए तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करना चाहिए । इसीलिए यह भाग की जाती रही कि बड़ बड़े बैंकों पर केवल सामाजिक नियन्त्रण ही नहीं होना चाहिए बरन् इन्हें सरकारी स्वामित्व के अन्तगत लाना चाहिए । प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण जनता की बचत को एकत्र करने तथा उसे उत्पादक कार्यों में लगानेवाली सस्थाओं को राजकीय स्वामित्व के अन्तर्गत लाने की ओर पहला कदम है ।” (The nationalisation of major commercial banks is a significant step in the process of public control over the principal institution for the mobilisation of peoples' savings and canalising them towards productive purposes)

राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य (Objectives of Nationalization) —भारत सरकार द्वारा प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण के निम्नांकित प्रधान उद्देश्य हैं —

(1) अथ व्यवस्था के विकास को तीव्रतर बनाना (Accelerating the pace of the growth of the Economy) — इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीयकरण के बाद प्रमुख क्षेत्रों में बैंक-साख के प्रवाह में वृद्धि की जायगी । साथ ही, अबतक के उपेक्षित क्षेत्रों में भी इसके प्रवाह में वृद्धि होगी । इस प्रकार आर्थिक विकास की गति तीव्र होगी जिसका निघनता तथा बेरोजगारी की समस्या पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा और साथ ही, समाज में धनी तथा निर्धन वर्गों के बीच विषमता में भी कमी होगी ।

(2) देश में बचत को अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से एकत्र करना तथा इसे देश की सामाजिक एवं आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुसार प्रयोग में लाना (To mobilise more effectively the country's savings and to channelise them in conformity with nation's social and economic priorities) सम्भव होगा ।

(3) बैंकों पर से चन्द व्यक्तियों के नियन्त्रण को समाप्त करना (Removal of control over banks by a few) ।

(4) कृषि लघु उद्योग तथा निर्यात व्यापार के लिए पर्याप्त मात्रा में साख की व्यवस्था (Provision of adequate credit for agriculture, small industries and export) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के द्वारा सम्भव होगी ।

(5) बैंकों की व्यवस्था को पेशेवर व्यवस्थापकों के हाथ सुपुर्द करना (The giving of a professional bent to bank management) ।

(6) नये साहसोद्यमियों के वर्ग को प्रोत्साहित करना (To encourage and foster the growth of progressive new entrepreneurs) ।

(7) ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग-सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार (To extend banking facilities in unbanked and under banked centres especially in rural areas) ।

1 बंगलोर अधिवेशन में बैंकों के राष्ट्रीयकरण को तत्कालीन परिस्थितियों में अनावश्यक बतलाते हुए सरकारी रूप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने एक पत्र लिखते हैं निम्नांकित विचार व्यक्त किया था " Mere nationalisation will not provide more resources Banks are the custodians of people's savings and it is only natural that they exercise a degree of care in deploying the funds entrusted to them while at the same time making credit available according to national priorities No bank, whether in public or private sector, can abandon the test of viability of credit transactions The experiment of social control is a continuing one It aims at socialization of credit without nationalisation of banking "

(8) बैंक के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की समुचित सुविधा तथा सेवा की शर्तों में सुधार (The provision of adequate training as well as reasonable terms of services for the bank staff)।

25 जुलाई, 1969 को ससद् में इस सम्बन्ध में एक विधेयक पारित हुआ जो आगे चलकर अधिनियम बन गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की समान मूल्य के आधार पर 75 करोड़ रुपये मुआवजा देने की व्यवस्था थी। मुआवजे की रकम प्रतिज्ञा-पत्र या शेयर सर्टिफिकेट के रूप में दी जायगी जो 10 वर्षों के बाद परिपक्व होगे। साथ ही, इन पर 4½ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी चुकाई जायगी। किन्तु, विदेशों में स्थित इन बैंकों की शाखाओं के सम्बन्ध में यह लागू नहीं होगा, यदि उन देशों के कानून के अनुसार सरकारी बैंकों को वहाँ काम काज करने की इजाजत नहीं है।

किन्तु, बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम को कुछ लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी तथा सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत से राष्ट्रीयकरण को दो आधार पर अवैध करार किया - सर्व-प्रथम तो सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सरकार ने केवल इन 14 बैंकों के प्रति भेद-भाव (H stile discrimination) किया था। द्वितीयत, इस अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजे की रकम भी अपर्याप्त थी। घत बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में पुन एक नया विधेयक लाना पड़ा जिसमें इन त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया गया। इस नये अधिनियम में बैंकों को अधिक मुआवजा दिया गया। साथ ही, भेद-भाव की भावना को सनाप्त करने के लिए यह व्यवस्था की गयी कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के संचालक अथवा हिस्सेदार भी नये बैंकिंग व्यवसाय की स्थापना कर सकते हैं।

राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध तर्क (Arguments against Nationalisation) :—अब यह प्रश्न है कि क्या बैंको का राष्ट्रीयकरण उचित है तथा इससे आर्थिक विकास के क्षेत्र में यथोचित सहयोग प्राप्त हो सकता है? वास्तव में, भारत सरकार द्वारा प्रमुख बैंकों के इस राष्ट्रीयकरण की कई कारणों से आलोचना की गयी है। इनमें निम्नांकित उल्लेखनीय हैं :—

(1) राजनीतिक निर्णय (Political decision) — 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय जिस पृष्ठभूमि तथा जितनी जल्दीबाजी में लिया गया उसे देखकर इसे राजनीतिक निर्णय ही कहा जा सकता है। वास्तव में, कांग्रेस के दोनो गुटों के पारस्परिक मतभेद के फलस्वरूप सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए ही ऐसा कदम उठाया था। यह इस बात से स्पष्ट है कि डिसेम्बर, 1963 में भारत सरकार ने एक बैंकिंग आयोग (Banking Commission) की नियुक्ति की थी। किन्तु इसकी सिफारिशों के पूर्व ही बैंका का राष्ट्रीयकरण कर देना राजनीतिक निर्णय ही कहा जा सकता है।

(2) राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व — राष्ट्रीयकरण से बैंकों की व्यवस्था में राजनीतिज्ञों के प्रभुत्व में वृद्धि की आशा की जाती है। जिस प्रकार से देश का सहकारिता आन्दोलन पराजित राजनीतिज्ञों का काम क्षेत्र बन गया है उसी प्रकार सत्तारूढ़ दल बैंकों के संचालक मंडल में भी अपने लोगों को रखना प्रारम्भ कर दगा। देश के राजकीय क्षेत्र के प्राय सभी उद्योगों के साथ यही बात पायी जाती है और बैंकों का संचालन राजनीतिज्ञों के हाथ में आने से पुन बैंकों की समग्र सत्ता कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रीयकरण हो जायगा जो समाजवादी अर्थ-व्यवस्था के लिए निश्चय ही हानिकारक सिद्ध होगा।

(3) नौकरशाही का प्रभुत्व — राष्ट्रीयकृत बैंकों के संचालन में उसी लाल फीतेगाही तथा कागजी कार्यवाही के प्रभावपूर्ण होने की आशा है जो अन्य सरकारी संस्थाओं तथा वित्तीय कार्यालयों में पायी जाती है। इससे राष्ट्रीयकरण का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जायगा।

(4) क्षेत्रीय सर्कीयता — राष्ट्रीयकरण के अन्तर्गत एक प्रमुख समस्या इस बात को लेकर भी उत्पन्न हो गयी है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के संचालक मंडलों में राज्य सरकारों का कितना प्रतिनिधित्व हो? कुछ राज्य सरकारों ने तो यह मांगना भी प्रारम्भ कर दिया है कि बैंकों द्वारा उनके क्षेत्र में संप्रहीत राशि उन्हीं राज्यों में विनियोग की जाय। इस प्रकार की मांग देश की एकता तथा क्षेत्रीय समतुलन की भावना के विपरीत है। यदि इसे स्वीकार कर लिया गया तो

असम, उड़ीसा, बिहार तथा जम्मू-कश्मीर जैसे पिछड़े हुए राज्यों के विकास में इससे कोई भी सुविधा नहीं प्राप्त होगी।

(5) छोटे-छोटे हितों का प्रतिनिधित्व भी साख के सिद्धांत के विरुद्ध है :—राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बैंको के संचालक मंडल में छोटे-छोटे हितों के प्रतिनिधित्व की जो भाग की जाती है वह भी स्वस्थ नहीं है। इससे संचालक मंडल में बहुधा ऐसे व्यक्ति आ जायेंगे जिन्हें बैंको की वास्तविक कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं रहती, अतः इस सम्बन्ध में भी आदर्श की जगह व्यावहारिकता को कसौटी मानना चाहिये।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण को सफल कैसे बनाया जाय ?

इस प्रकार व्यावसायिक बैंको के राष्ट्रीयकरण की बटु भ्रालोचना की जाती है, किन्तु अब तो इनका राष्ट्रीयकरण एक वास्तविकता बन गया है। अतः अब प्रश्न यह है कि व्यावसायिक बैंको के राष्ट्रीयकरण को सफल कैसे बनाया जाय ? वास्तव में, भारतीय बैंको का राष्ट्रीयकरण सरकार तथा बैंक कर्मचारियों के लिए एक चुनौती है। यदि राष्ट्रीयकरण से जनता को अधिक सुविधाएँ नहीं मिलेंगी तथा कृषि, लघु उद्योग एवं निर्यात को अधिवाधिक मात्रा में सहायता नहीं प्राप्त होगी तो राष्ट्रीयकरण के विरोधियों की धारणाएँ सही ही निकलेंगी। अतः राष्ट्रीयकरण को सफल बनाने के लिए निम्नांकित प्रयत्नों को अपनाना अनिवार्य है :—

(1) बैंक कर्मचारियों की मनोवृत्ति में परिवर्तन :—सर्वप्रथम तो, राष्ट्रीयकरण की सफलता बैंक कर्मचारियों की मनोवृत्ति में आमूल परिवर्तन पर निर्भर करती है। अभी तक बैंक कर्मचारी अपने को जनता का सेवक नहीं समझते जिससे देश में बेकॉम-सम्बन्धी सेवाएँ बहुत ही कम लोकप्रिय हो पायी हैं। वास्तव में, अब बैंक कर्मचारियों को इस धारणा पर कार्य करना चाहिए कि 'ग्राहक ही राजा है' (Customer is the king) तथा कोई भी ग्राहक छोटा नहीं है (No Customer is small)। इस उद्देश्य से बैंक कर्मचारियों के लिए स्थान-स्थान पर प्रत्यास्मरण कार्यक्रमों (Refresher Courses) की व्यवस्था की जानी चाहिए जिनमें इन्हें जनसेवा की मूल भावना की प्रेरणा दी जानी चाहिये।

(2) जमा-संग्रह पर जोर — बैंको के कर्मचारियों की मनोवृत्ति में परिवर्तन के साथ-साथ राष्ट्रीयकृत बैंको की जमा में वृद्धि के लिए भी विशेष प्रयत्नों का आयोजन करना चाहिए। इस उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में इन बैंको को अपनी शाखाओं का विस्तार करना चाहिए। कृषि से देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 50 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। साथ ही, आयोजित विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछड़े प्रायः 20 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में अरबों रुपये की पूँजी लगी हुई है, फिर भी, कृषक-परिवार कुल बचतों का केवल 2-3 प्रतिशत भाग ही संग्रह करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंको की शाखाओं के विस्तार, में 'एक कर्मचारी कार्यालय' (One man office) तथा 'चलते-फिरते बैंको' (Mobile banks) से भी बहुत अधिक सहायता मिल सकती है। सतोष का विषय है कि राष्ट्रीयकरण के बाद नयी शाखाओं की स्थापना में ग्रामीण तथा अर्द्ध शहरी क्षेत्रों को ही प्राथमिकता दी जा रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंको के विस्तार में बहुत अधिक सहायता मिल रही है।

(3) लघु उद्योगों को वित्त :—भारत में प्रायः 1-2 लाख लघु औद्योगिक संस्थान हैं जिनमें कोई 29 लाख व्यक्ति नियोजित है तथा जो समस्त निर्माण क्षेत्र का लगभग 52 प्रतिशत भाग समान तैयार करते हैं। अतः राष्ट्रीयकृत बैंको का लघु उद्योगों के विकास में भी उदारतापूर्वक साख प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार के उद्योगों को लगभग 400-500 करोड़ रुपये के वार्षिक साख की आवश्यकता है। बैंको को इतनी मात्रा में इन्हें वित्त प्रदान करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसके प्रतिरिक्त इन्हें तकनीकी सहायता भी प्रदान करनी चाहिए।

(4) कृषि के लिए वित्त :—भारत में व्यावसायिक बैंको के विरुद्ध बहुधा यह शिकायत भी की जाती है कि ये कृषि तथा किसानों को ऋण नहीं प्रदान करते। 1968 ई० में प्रमुख अधि सूचित बैंको के कुल विनियोग का केवल 0.2 प्रतिशत भाग ही कृषि को दिया गया था। अतः राष्ट्रीयकृत बैंको को कृषि के लिए वित्त प्रदान करने की विशेष व्यवस्था करनी चाहिये। ग्रामीण साख-सर्वेक्षण समिति (1969) ने अपने प्रतिवेदन में यह विचार व्यक्त किया था कि 1973-74 तक

ग्रामीण साक्ष के लिए लगभग 4*00 करोड़ रुपये की वार्षिक रकम की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय-कृत बैंको को इसका एक बड़ा भाग स्वयं पूरा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसा करने में इन्हे किसी विशेष प्रकार की कठिनाई नहीं होगी।

(5) निर्यात (Export), देश के आर्थिक विकास के लिए निर्यात-सम्बन्धी उद्योगों पर अधिक जोर देना आवश्यक है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्यात में 7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का आयोजन है जिसके परिणामस्वरूप निर्यात की कुल मात्रा के 1968-69 में 134 करोड़ रुपये से बढ़कर 1973-74 में 1900 करोड़ रुपये तथा 1980-82 तक 3010 करोड़ रुपये होने की आशा है। निर्यात में इतनी अधिक वृद्धि के लिए निर्यात-सम्बन्धी उद्योगों को विशेष सहायता की आवश्यकता है। राष्ट्रीयकृत बैंको को इस सम्बन्ध में वित्त, तकनीकी सलाह तथा विक्रय-सम्बन्धी मार्ग-प्रदर्शन की व्यवस्था करनी चाहिए। वास्तव में, पश्चिमी देशों के बैंको की तरह भारतीय बैंको को भी विदेशी बाजारों में सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथक् विभागों की स्थापना की जानी चाहिये तथा निर्यातको को इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करनी चाहिए।

(6) सरकारी नीति (Government Policy) .—व्यावसायिक बैंको को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सरकार द्वारा निर्धारित विकास की योजनाओं तथा प्राथमिकताओं की जानकारी रखनी चाहिए। इन्हे अपनी व्यापक नीति का निर्धारण इन्हीं योजनाओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए। ऐसा करने से ही देश के आर्थिक विकास में ये राष्ट्रीयकृत बैंक सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

(7) राष्ट्रीयकृत बैंकों को क्षेत्रीय निगमों में संगठित किया जाना चाहिए—बैंको के राष्ट्रीयकरण को सफलीभूत बनाने के लिए इनके सगठन में आमूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, किन्तु सभी राष्ट्रीयकृत बैंको को मिलाकर एक सगठन का निर्माण कार्यकुशलता की दृष्टि से उत्तम नहीं होगा। जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation) की कार्यवाही से यह बिल्कुल स्पष्ट है। बैंकिंग आयोग ने भी इन्हें चार-पाँच क्षेत्रीय निगमों के रूप में संगठित कर देने का सुझाव दिया है। इन क्षेत्रीय निगमों को अपने-अपने रोज-व-रोज के कार्यों के सम्पादन में पर्याप्त स्वतन्त्रता रहनी चाहिए। ऐसा करने से राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है।

(8) बैंकों की सेवाओं में सुधार—भारतीय बैंको की सेवाएँ अभी तक अत्यन्त निम्न कोटि की रही हैं। इससे जनसाधारण को बैंको से अपना कारोबार रखने में कठिनाइयों का अनुभव होता है। अतः बैंको की सेवाओं में सुधार की प्रबल आवश्यकता है। इसके लिए बैंक कर्मचारियों के चुनाव की प्रणाली को अधिक वैज्ञानिक रूप देना होगा। साथ ही, कर्मचारियों के लिए दैनिक न्यूनतम कार्यक्रम निर्धारित कर देना चाहिए और कर्मचारियों की स्थिति के सम्बन्ध में समय-समय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए विधेय समितियाँ तथा आयोगों का सगठन करना चाहिए।

इस प्रकार उपरोक्त उपायों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंको की कार्यवाही को अधिक सुलभ बनाकर इन्हें देश के आर्थिक विकास के लिए लाभदायक बनाया जा सकता है। वास्तव में, राष्ट्रीयकरण कोई रामबाण औपधि नहीं है, अतः इसे सफल बनाने के लिए बैंकिंग-सम्बन्धी नीतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने होंगे तथा इनका दृढ़ता के साथ पालन करना होगा अन्यथा विकास का क्रम गतिशील होने के बजाय स्थिर हो जायगा तथा जनता का बैंको पर से विश्वास ही समाप्त हो जायगा। घट आशा है कि रिजर्व बैंक के नेतृत्व में राष्ट्रीयकृत बैंक ऐसी क्रांतिकारी नीतियों का कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन करेंगे जिससे देश के आर्थिक विकास में ये यथोचित सहयोग प्रदान कर सकें।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रगति

(Progress of Nationalised Banks)

जुलाई, 1959 में 14 बड़े बड़े व्यावसायिक बैंको का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद इन बैंको की कार्यवाही में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, व्यावसायिक बैंको के भौगोलिक वितरण

में सुधार हुआ है, शाखाओं का द्रुतगति से विस्तार हुआ बड़े पैमाने पर जमा का एकत्रीकरण हुआ तथा प्राथमिक क्षेत्र को दिये जानेवाले साख को मात्रा में भी तीव्र गति से वृद्धि हुई है।" (There has been a considerable expansion in the geographical and functional coverage of the commercial Banks, with massive branch expansion, large scale deposit mobilization and a significant rise in credit extended to priority sectors) निम्नांकित विवरण से यह स्पष्ट है :—

(1) नयी शाखाएँ (New Branches) - राष्ट्रीयकरण के बाद राष्ट्रीयकृत बैंको ने नयी शाखाओं की स्थापना में विशेष रूप से अभिरूचि दिखाना प्रारम्भ कर दिया है। शाखाओं की स्थापना में मुख्यतः ग्रामीण तथा ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बैंक की सुविधा नहीं है की प्रधानता दी जाती है। जून, 1969 में 14 बैंको की कुल 4,133 शाखाएँ थी जो बढ़कर जून 1972 तक कुल 7,189 तथा जून, 1973 में 8109 शाखाएँ हो गयी, यानी राष्ट्रीयकरण के प्रथम चार वर्षों में प्रायः इन 14 बैंको की 3976 नयी शाखाएँ स्थापित की गयीं। इनमें से 2924 नयी शाखाएँ ग्रामीण एवं अर्द्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की गयीं हैं।

शाखाओं की संख्या में वृद्धि से जहाँ जून 1969 में देश में प्रति 65000 जनसंख्या पर बैंक की एक शाखा थी वहाँ पर जून, 1974 में प्रति 32 हजार जनसंख्या पर बैंक की एक शाखा हो गयी। नयी शाखाओं की स्थापना में अधिकसित राज्यों को प्राथमिकता दी गयी जिसके परिणामस्वरूप प्रति बैंक शाखा औसत जनसंख्या क्रम में जून, 1969 में 98,000 से घटकर जून, 1974 में 79,000, बिहार में 2,0,0700 से घटकर 84,000 उड़ीसा में 2,12,000 से घटकर 86,000 तथा त्रिपुरा में 2,76,000 में घटकर 86,000 हो गयी। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में 1969 में कुल शाखाओं का 22.4 भाग था जो बढ़कर जून, 1973 में 36.2 प्रतिशत हो गया।

(ii) कृषि, लघु उद्योग तथा अन्य उपेक्षित क्षेत्रों को अधिक ऋण :—राष्ट्रीयकरण के पूर्व व्यावसायिक बैंक कृषि, लघु उद्योग, फुटकर व्यापार तथा निर्यात आदि को केवल नाम-मात्र की सहायता प्रदान करते थे, किन्तु राष्ट्रीयकरण के बाद इन उपेक्षित क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता प्रदान की जा रही है। जून, 1969 में इन बैंको द्वारा कृषि तथा अन्य उपेक्षित क्षेत्रों को बैंको के कुल ऋण का केवल 14.5 प्रतिशत ऋण दिया गया था। इसका प्रतिशत बढ़कर जून, 1970 में 21.3 प्रतिशत, 1971 में 22 प्रतिशत, जून, 1972 में 23 प्रतिशत तथा सितम्बर, 1973 में 25 प्रतिशत हो गया। 1971 तथा 1972 में उपेक्षित क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋण में प्रगति केवल नाम मात्र की हुई है। इसके लिए राष्ट्रीयकृत बैंको के प्रबन्धकों का कहना है कि ऋणों की गुणात्मक वृद्धि पर अधिक जोर होने के कारण इसमें वम ही वृद्धि दिखनायी दे रही है, किन्तु इस प्रकार की व्याख्या की किसी भी तरह सतोपजनक नहीं माना जा सकता। वास्तव में, पहले इन प्राथमिक क्षेत्रों (Primary sectors) की ऋण-सम्बन्धी आवश्यकताओं का अनुमान लगा लेना चाहिए और तब इन बैंको को ऋण देने की प्रक्रिया के सरलीकरण द्वारा इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करना चाहिए। 'Lead Bank' योजना से इन क्षेत्रों में बहुत अधिक सहायता की आशा की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत अबतक देश के कुल 337 जिलों में से 270 जिलों का सर्वेक्षण पूरा किया गया है तथा इनमें 100 जिलों में जिला स्तर पर परामर्शदात्री समितियों की स्थापना की गयी है, किन्तु इस सम्बन्ध में सर्वाधिक प्रबल आवश्यकता अबतक के इस उपेक्षित क्षेत्र के ऋण देने की प्राथमिकता को यथामतन सरल बनाने की है।

कृषि तथा अन्य उपेक्षित क्षेत्रों को दिये जानेवाले ऋण में वृद्धि का अन्दाजा ऋणों व्यक्तियों के खातों (Borrower's account) की सहाय में वृद्धि में भी लगता है। जून, 1969 में इस वर्ग के खातों की संख्या 2.6 लाख थी जो बढ़कर जून, 1970 में 9.3 लाख, जून, 1971 में 11.9 लाख तथा दिसम्बर 1972 में 17.3 लाख हो गयी।

इस अर्थ में कृषि-क्षेत्र को दिये गये ऋण में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। जून, 1969 में इन बैंको का कृषि तथा किसानों के पास बकाया ऋण केवल 38 करोड़ रुपये था, यह बढ़कर जून, 1974 में 332 करोड़ रुपये हो गया। गहन कृषि-विकास के लिए रिजर्व बैंक की योजना के अनुसार इन

बैंकों ने Village adoption scheme के अन्तर्गत कुछ-कुछ गाँवों को चुनकर कार्य करना भी प्रारम्भ किया है।

(iii) जमा में वृद्धि—राष्ट्रीयकरण के बाद राष्ट्रीयकृत बैंको के जमा की राशि में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, जून 1969 से जून, 1973 के बीच की अवधि में सभी व्यावसायिक बैंको की जमा राशि 4646 करोड़ रुपये से बढ़कर 9018 करोड़ रुपये हो गयी। इस प्रकार 4 वर्षों में कुल जमा में 4372 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। इसमें से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको की जमा राशि 3698 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। केवल 14 राष्ट्रीयकृत बैंको की जमा राशि में 2421 करोड़ की वृद्धि हुई। इस अवधि में राष्ट्रीयकृत बैंको की जमा राशि में वृद्धि का अनुपात क्रमशः 15.3 प्रतिशत, 17.5 प्रतिशत तथा 22.5 प्रतिशत था।¹ स्पष्ट है कि इस अवधि में मूल्य-नल में वृद्धि के बावजूद बैंक जमा में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

इस प्रकार राष्ट्रीयकरण के बाद राष्ट्रीयकृत बैंको ने निस्संदेह पर्याप्त प्रगति की है, किन्तु इनके बावजूद वैश्व-सम्बन्धी सेवाओं के वितरण की क्षेत्रीय विषमता में अभी तक बहुत ही कम कमी हुई है। परिणामस्वरूप, आज भी भिन्न-भिन्न राज्यों में बैंकिंग सम्बन्धी सेवाओं का वितरण एक समान नहीं है। भिन्न-भिन्न राज्यों में बैंको की शाखाओं का विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट है :—

विभिन्न राज्यों में शाखाओं का वितरण तथा प्रति कार्यालय जनसंख्या²

राज्य	बैंक कार्यालयों की संख्या		प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या (हजार में)	
	30 जून, 1969	30 जून, 1974	30 जून, 1969	30 जून, 1974
आन्ध्रप्रदेश	567	1234	71	35
बसम	74	184	198	719
बिहार	273	672	207	84
गुजरात	752	1436	34	19
हरियाणा	172	310	57	26
हिमाचल प्रदेश	42	159	80	22
जम्मू एवं काश्मीर	35	164	114	28
केरल	601	163	35	18
मध्यप्रदेश	343	820	116	51
महाराष्ट्र	118	2005	44	25
मणिपुर	2	9	479	119
मेघालय	7	18	41	56
कर्नाटक	756	1621	38	18
नागालैंड	2	71	205	74
उड़ीसा	106	255	212	86
पंजाब	346	869	42	16
राजस्थान	354	743	70	35
तमिलनाडु	1060	1784	37	23
त्रिपुरा	5	18	276	85
उत्तरप्रदेश	717	1683	129	53
पश्चिमी बंगाल	504	987	87	45
केन्द्रशासित प्रदेश	392	725	—	—
कुल भारत	8262	16,936	65	32

1 Economic Survey 1972-73, p. 6.

2. Annual Report and Trend and Progress of Banking in India, R. B. I. Bulletin Aug. 1974.

विशेष अध्ययन-सूची

1. Sayers : Modern Banking.
 2. N. Kumar : Bank Nationalisation in India.
 3. The Economic Times, Bombay, 21st to 30th June, 1969.
 4. Govt of India - Report of the Banking Commission, 1972.
-

"Money must be managed because it does not manage itself."

--Walter Bagehot

"Stable prices are as harmful and inequitable as rapidly rising or rapidly falling prices."

*** मौद्रिक एवं वित्तीय नीति-सम्बन्धी कुछ स्मरणीय उद्धरण ***

- 1 ' By the term monetary policy is meant the measures that are undertaken to influence the public spending when such measures operate through the changes in the rate of interest, the supply of currency and other forms of cash and the availability of credit "
2. "The low interest rate is more expedient than wage reduction for solving the problem of mass unemployment "
- 3 "Exclusive reliance upon monetary policy as the means to cope with inflation is a dangerously one-sided weapon A many sided attack on the problem is needed '
4. "Inflation is a state in which the value of money is falling, i e , prices are rising "
- 5 "Deflation is a state in which the value of money is rising, i e , prices are falling "

अध्याय : 30

मौद्रिक नीति

(Monetary Policy)

प्राक्कथन :—अभी तक इस पुस्तक में मुद्रा के सम्बन्ध में इस बात की व्याख्या की गयी है कि मुद्रा आधुनिक समाज की किस प्रकार से सेवा करती है, इसके मूल्य में क्यों परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन का व्यापार एवं उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब अगले कुछ अध्यायों में मुद्रा के अन्तरोष्णाय स्वरूप की व्याख्या की जायगी। किन्तु अन्तरोष्णाय स्वरूप की व्याख्या के पूर्व इस बात की जानकारी अनिवार्य है कि किसी देश की मौद्रिक नीति क्या होनी चाहिए ? मुद्रा से आधुनिक समाज को इतने अधिक लाभ हैं कि कोई भी आधुनिक समाज मुद्रा के बगैर चल नहीं सकता। किन्तु मुद्रा के इन विभिन्न लाभों के साथ-साथ इसके कुछ प्रमुख दोष भी हैं। मूल्य-तल में परिवर्तन (Fluctuations of price-level) और व्यवसाय-चक्र की मन्दी एवं तेजी (ebbs and flow of trade-cycle), जो कम-से-कम आंशिक रूप से मुद्रा की विद्यमानता के परिणाम हैं, मुद्रा के इन दोषों में प्रमुख हैं। मुद्रा के इन दोषों को दूर करने के लिए एक समुचित मौद्रिक नीति की आवश्यकता पड़ती है।

मौद्रिक नीति का अर्थ (Meaning of Monetary Policy)—मौद्रिक नीति का तात्पर्य उन उपायों से है जो जनता के व्यय को प्रभावित करने के उद्देश्य से अपनाये जाते हैं तथा जो उपाय ब्याज की दर, मुद्रा की पूर्ति तथा साख-नियन्त्रण के माध्यम से कार्य करते हैं। (By the term monetary policy is meant the measures that are undertaken to influence the public spending when such measures operate through changes in the rate of interest, the supply of currency and other forms of cash and the availability of credit) दूसरे शब्दों में, अर्थ-व्यवस्था में किसी विशेष आर्थिक उद्देश्य (जैसे मूल्य-तल की स्थिरता, विनिमय दर का स्थायित्व, पूर्ण रोजगार इत्यादि) की पूर्ति के लिए मुद्रा एवं साख की मात्रा के प्रसार अथवा संकुचन के प्रबंध को मौद्रिक नीति कहते हैं। प्रो० हेरी जॉनसन (Harry G Johnson) के अनुसार, 'मौद्रिक नीति का तात्पर्य बैंक की उस नीति से है जिसके द्वारा केन्द्रीय बैंक सामान्य आर्थिक नीति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुद्रा की पूर्ति को नियन्त्रित करता है।'¹ इसी प्रकार सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री पॉल एंज़िग (Paul Einzig) के अनुसार "मौद्रिक नीति के अन्तर्गत वे सब मौद्रिक नियंत्रण तथा उपाय आते हैं जिनका उद्देश्य मौद्रिक प्रणाली को प्रभावित करना होता है।"² प्रो० केन्ट (Kert) के अनुसार भी मौद्रिक नीति वह नीति है जिसके अन्तर्गत परिचालन में मुद्रा की मात्रा के प्रसार एवं संकुचन की व्यवस्था की जाती है ताकि कोई महत्त्वपूर्ण उद्देश्य जैसे पूर्ण रोजगार प्राप्त किया जा सके।

मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त (Quantity Theory of Money) के अनुसार मुद्रा की मात्रा में कमी एवं वृद्धि का समाज के व्यय पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से समाज का कुल व्यय बढ़ जाता है जिससे मूल्य-तल में वृद्धि की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इसके विपरीत मुद्रा की मात्रा में कमी से उपभोग व्यय कम हो जाता है जिससे वस्तुओं का मूल्य भी कम हो जाता है। किन्तु, वास्तव में, मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का यह विश्लेषण सही नहीं है। मुद्रा का समाज की आर्थिक व्यवस्था पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है इसकी सम्यक् व्याख्या वस्तुतः परिमाण सिद्धान्त नहीं कर पाता है।

सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री केन्स (Keynes) के अनुसार मुद्रा का प्रभाव समाज पर तीन प्रकार के प्रभावों से पड़ता है जो मुद्रा की सम्पूर्ण मांग को निश्चित करते हैं—(1) मुद्रा-नचय की

1. Harry G. Johnson 'Monetary Theory & Policy, American Economic Review, 1962, p 346

2. Paul Einzig : Monetary Policy : Ends and Means, p. 50.

प्रवृत्ति (Liquidity preference), (2) विनियोग (Investment), तथा (3) उपभोग (Consumption) ।

मुद्रा की माग मुद्रा-सचय की प्रवृत्ति (Liquidity Preference) से प्रभावित होती है। यदि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो, किन्तु मुद्रा सचय की प्रवृत्ति भी पहले से अधिक बढ़ जाय, तो सूद की दर स्थायी रहेगी तथा मुद्रा की माग में कोई वृद्धि नहीं होगी। इससे सामान्य मूल्य-तल भी प्रभावित होगा।

इसी प्रकार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से विनियोग (Investment) भी प्रभावित होता है। सूद की दर कम होने से विनियोग प्रोत्साहित होता है जिससे आय एवं रोजगार में वृद्धि होती है। इसके विपरीत मुद्रा की माग स्थायी होने से सूद की दर कम होती है जिससे सम्पूर्ण माग में समान अनुपात में ही वृद्धि होती है।

मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से उपभोग (Consumption) भी प्रभावित होता है। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से उपभोग (Consumption) में वृद्धि होती है और उपभोग में वृद्धि से सम्पूर्ण माग में वृद्धि होती है जिससे आय एवं रोजगारी में वृद्धि होती है। बेकारी की स्थिति में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि का विनियोग को प्रोत्साहित किया जाता है जिससे उद्योगों में अतिरिक्त आय एवं रोजगारी की सृष्टि होती है। इससे अन्य उद्योगों की वस्तुओं की माग बढ़ती है जिससे उनमें प्रसार होता है और इस प्रकार समाज की माग उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है तथा आय एवं रोजगारी में कई गुनी अधिक वृद्धि होती है। जो अतिरिक्त आय एवं रोजगारी प्राथमिक विनियोग (Primary Investment) के फलस्वरूप बढ़ती है, उसने आय एवं रोजगारी में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। इन दोनों के इस परिमाणत्मक सम्बन्ध को केन्स ने गुणक (Multiplier) कहा है। एक उदाहरण द्वारा इसे अधिक स्पष्ट किया जा सकता है—मान लिया कि प्रारम्भ में एक लाख रुपये के विनियोग से 100 मनुष्यों को रोजगार मिलता है, किन्तु अन्त में विनियोग की इस क्रिया के फलस्वरूप 1000 आदमियों को रोजगार मिल जाता है। अतएव यहाँ पर इन दोनों का परिमाणत्मक सम्बन्ध, यानी गुणक (multiplier) 10 हुआ। इस प्रकार विनियोग में वृद्धि के परिणामस्वरूप अन्ततोगत्वा समाज की सम्पूर्ण आय एवं रोजगारी किस अनुपात में बढ़ेगी यह गुणक द्वारा निर्धारित होता है। यदि गुणक (multiplier) का परिमाण कम है, तो आय एवं रोजगार में कम वृद्धि होगी और यदि अधिक है तो अधिक वृद्धि होगी।

इस प्रकार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि एवं कमी का समाज की आय एवं रोजगारी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, अतएव मौद्रिक नीति (Monetary policy) का समाज के जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है।

मौद्रिक नीति के उद्देश्य

(Objectives of the Monetary Policy)

समाज की आय एवं रोजगारी पर मौद्रिक नीति का बहुत ही गम्भीर प्रभाव पड़ता है। अतएव इसके उद्देश्यों की विवेचना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। साधारणतया, मौद्रिक नीति के निम्नांकित प्रधान उद्देश्य हो सकते हैं —

- (1) विदेशी विनिमय-दर का स्थायित्व (Stability of Exchange Rates),
- (2) मूल्य-तल को स्थायी बनाना (Price Stability),
- (3) धीरे-धीरे बढ़ने वाला मूल्य-तल (A gently rising price-level),
- (4) तटस्थ-मुद्रा Neutral money),
- (5) पूर्ण रोजगार के स्तर पर आर्थिक व्यवस्था का स्थायित्व (Economic stability at the level of full employment) तथा
- (6) आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना (Encouraging Economic Development)।

मौद्रिक नीति के उक्त सारे उद्देश्य हैं। किन्तु इन विभिन्न उद्देश्यों में वर्तमान समय में मौद्रिक नीति के अन्तिम दो उद्देश्य, यानी देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना तथा पूर्ण

रोजगारी के स्तर पर आर्थिक व्यवस्था को स्थायी बनाना ही विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। अब एक-एक करके मौद्रिक नीति के इन विभिन्न उद्देश्यों को निम्नलिखित व्याख्या की जा रही है।—

(1) विदेशी विनिमय-दर का स्थायित्व (Stability of Exchange Rates)

बुद्ध लेखको के अनुसार मौद्रिक नीति वा उद्देश्य विदेशी विनिमय-दर का स्थायित्व होना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान (International Gold Standard, के अन्तर्गत विभिन्न देशों की मुद्राओं की विनिमय दरें स्थायी रहती थी, यदि उनमें कुछ परिवर्तन भी होता था, तो वह स्वर्ण बिन्दुओं (Gold points) तक ही सीमित रहता था जिनकी सीमा रोने के आयात निर्यात व्यय पर निर्भर करती थी। पर स्वर्ण-मान के अन्तर्गत कोई राष्ट्र स्वतंत्र रूप से आन्तरिक आर्थिक एवं मौद्रिक नीति का अनुकरण नहीं कर सकता था। दूसरे शब्दों में स्वर्ण-मान में अन्तर्राष्ट्रीय सतुलन की प्राप्ति मूल्य-तल एवं आय के स्तर में परिवर्तन के द्वारा ही होती थी। किन्तु तीसरा की महान् आर्थिक मंदी के सकट तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान के पतन के बाद से मौद्रिक नीति के उद्देश्य के रूप में आन्तरिक आर्थिक स्थायित्व को प्रधानता दी जाने लगी क्योंकि इससे कोई भी राष्ट्र स्वतंत्र आर्थिक नीति का अनुसरण कर ही देश में आर्थिक स्थायित्व कायम कर सकता था।

अब विनिमय-दर में अत्यधिक परिवर्तन भी कई कारणों से देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। प्रथमतः, विनिमय दर में सदा परिवर्तन से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अनिश्चितता आ जाती है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बहुत हानि होती है। इस अनिश्चितता के कारण विदेशी व्यापार में बहुत अधिक हानि होती है तथा इससे विदेशी व्यापार-प्रधान देशों की आय एवं रोजगार के स्तर भी स्थायी नहीं रह पाते हैं। द्वितीयतः विनिमय-दर के परिवर्तन से आयात एवं निर्यात की वस्तुओं की कीमतों में भी परिवर्तन होता है जिसका प्रभाव आन्तरिक मूल्य-तल एवं उत्पादन व्यय पर पड़ता है। साथ ही, विनिमय दरों में परिवर्तन होने से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रायः सभी वस्तुएँ प्रभावित होती हैं जिससे सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था का आकार ही प्रभावित होता है। तृतीयतः, विनिमय दरों में उन्मुक्त रूप से परिवर्तन होने से एक देश से दूसरे देश में पूँजी का प्रवाह बढ़ जाता है जिससे मुद्रा-संचय की प्रवृत्ति (Liquidity preference of money) में असाधारण रूप से वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप स्वर्ण संचय की प्रवृत्ति भी उत्पन्न होती है। इससे मूद्र की दर बढ़ जाती है, विनियोग में कमी आती है तथा बेकारी उत्पन्न होती है। चतुर्थतः, विनिमय-दर में अत्यधिक परिवर्तन का एक बुरा प्रभाव यह भी है कि इससे दीर्घकालीन विदेशी विनियोग को बाधा पहुँचती है। इससे विनिमय नियंत्रण के विभिन्न तरीकों को अपनाए की आवश्यकता पड़ती है। फलस्वरूप कोई अपनी मुद्रा का अधिमूल्यन (Over valuation) करता है तो कोई देश इसका अवमूल्यन (Devaluation) करता है।

इस प्रकार विनिमय-दर में अत्यधिक परिवर्तन आर्थिक व्यवस्था के लिए हानिकारक होते हैं, किन्तु बिल्कुल स्थायी विनिमय-दर भी आर्थिक व्यवस्था को स्थायी बना देती है। इस प्रकार अत्यधिक परिवर्तनशील विनिमय-दर तथा बिल्कुल स्थायी विनिमय दर दोनों ही अमान्य हैं। ऐसी स्थिति में विनिमय-दर के सम्बन्ध में एक ऐसी नीति का अनुसरण करना चाहिए जिसमें विनिमय दर को स्थायी तो रखा जाय किन्तु भूगतान सतुलन (Balance of Payment) में मौलिक असंतुलन (fundamental disequilibrium) को ठीक करने के लिए अवमूल्यन (devaluation) अथवा अधिमूल्यन (Over-valuation) द्वारा इसमें परिवर्तन लाया जा सके। अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान के अन्तर्गत विनिमय-दर को स्थायी तो रखा जाता था, किन्तु कभी अपस्फीति एवं बेकारी की सृष्टि कर, तो कभी अस्फीति के द्वारा। दूसरे शब्दों में, स्वर्ण प्रमाण के अन्तर्गत भूगतान-सतुलन में सतुलन को प्राप्ति होती थी किन्तु आन्तरिक आर्थिक स्थायित्व की दृष्टि पर। अतएव इस सम्बन्ध में सबसे सुन्दर नीति वही होगी जिसके अनुसार विनिमय-दर को स्थायी तो रखा जाय किन्तु साथ ही-साथ मौलिक असंतुलन को स्थिति में परिवर्तन की व्यवस्था भी हो। अत्र प्रश्न यह है, कि विनिमय-दर को किस स्तर पर स्थायी बनाया जाय? विनिमय-दर तभी स्थायी हो सकती है जब इसे सतुलन दर (Equilibrium rate) के समान रखा जाय। रैगनर नर्सके (Ragnar Nurske) के अनुसार "सतुलन-दर (Equilibrium rate) विनिमय की वह दर है,

जिससे किसी निश्चित समय में देश की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा के कोप में परिवर्तन लाये बगैर ही भुगतान का सतुलन किया जा सके।" (The Equilibrium Rate of Exchange is the rate over a certain period which maintains the balance of payment in equilibrium without any net change in the international currency reserves) किन्तु कोई भी दर किसी देश के लिए बराबर सतुलन की दर नहीं हो सकती। इसमें देश की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के अनुसार सदा परिवर्तन लाने की आवश्यकता होगी, नहीं तो मौलिक असतुलन की सृष्टि होगी जिससे विनिमय-दर में परिवर्तन करना पड़ेगा।

इस प्रकार विनिमय-दर के सम्बन्ध में सबसे उपयुक्त नीति लोचपूर्ण विनिमय-दर की प्रणाली (System of flexible Exchange rate) होनी चाहिए। लोचपूर्ण विनिमय दर की प्रणाली वह प्रणाली है जो सुगमतापूर्वक व्यवस्थित हो सके तथा आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के फलस्वरूप जिसमें सुगमतापूर्वक सामंजस्य लाया जा सके। किन्तु, विनिमय-दर में लोच व्यवस्थित (managed exchange flexibility) होनी चाहिए।

फिर भी, व्यावहारिक रूप में सतुलित विनिमय-दर की प्राप्ति में बहुत अधिक कठिनाइयाँ हैं। प्रायः यह कहा जाता है कि विनिमय बाजार में माग एवं पूर्ति की शक्तियों के उन्मुक्त रूप से कार्यशील होने से जहाँ माग पूर्ति के बराबर होगी वही सतुलन-दर की प्राप्ति हो जायगी।

किन्तु इसका तात्पर्य यह है कि ऐसी स्थिति में माग एवं पूर्ति के अल्पकालीन प्रभाव से विनिमय दर में सदा परिवर्तन होते रहेगा। इस प्रकार सतुलन-दर (Equilibrium Rate) की धारणा की तरह सतुलित विनिमय-दर की धारणा भी है जिसे व्यावहारिक जीवन में प्राप्त करने में बहुत अधिक कठिनाई होती है।

(2) मूल्य-तल को स्थायी बनाना

(Price Stability)

हम सभी यह जानते हैं कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने से मूल्य-तल में भी परिवर्तन होता है। मूल्य तल में परिवर्तन का समाज के विभिन्न वर्गों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। हम यह भी देख चुके हैं कि स्फीति एवं अपस्फीति दोनों बुरी चीजें हैं। अतएव बहुत-से लोग इस विचार के हैं कि मौद्रिक नीति का सर्वोत्तम उद्देश्य मूल्य तल का स्थायित्व होना चाहिए। 1924 ई० से 1929 ई० के बीच फेडरल रिजर्व बोर्ड की नीति का भी यही प्रधान उद्देश्य था। कैसल (Cassel) तथा प्रारम्भ में केन्स (Keynes) का भी यही विचार था। इन लोगों के अनुसार देश की मौद्रिक नीति का प्रधान उद्देश्य मूल्य तल की स्थिरता होनी चाहिए, क्योंकि मूल्य-तल में अस्थिरता से मुद्रा-स्फीति तथा अपस्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे देश में आर्थिक एवं सामाजिक अशान्ति उत्पन्न होती है। मूल्य-तल में वृद्धि उपभोक्ताओं तथा विनियोजकों दोनों ही के लिए हानिकारक होती है। इसके विपरीत मूल्य तल में हास से भी बेरोजगारी फैलती है। साथ ही मूल्य में अस्थिरता स्वभाव में सचयी होती है, अर्थात् एक बार आरम्भ होने के बाद धीरे-धीरे बढ़ती ही जाती है और कुछ समय बाद देश तथा समाज के लिए एक बड़िन समस्या बन जाती है। जो लोग मूल्य तल के स्थायित्व के उद्देश्यों का समर्थन करते हैं उनके अनुसार मुद्रा के मूल्य को स्थायी बनाना बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि मुद्रा के मूल्य को स्थायी बनाकर सामान्य मूल्य तल को भी स्थायी बनाया जा सकता है।

किन्तु मौद्रिक नीति के इस उद्देश्य को कार्यान्वित करने में कई सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं जिनमें निम्नांकित प्रमुख हैं —

(क) सर्वप्रथम तो यह जानने में कठिनाई है कि किस मूल्य तल को स्थायी बनाया जाय। हम जानते हैं कि मुद्रा की इकाई का सामान्य मूल्य उसकी क्रय-शक्ति के रूप में ही जाना जाता है और उसे हम वस्तुओं एवं सेवाओं के उस समुदाय से व्यक्त करते हैं जिसे मुद्रा की एक इकाई खरीद सकती है। किन्तु किस मूल्य-तल को स्थायी बनाया जाय? मूल्य तल विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे—थोक मूल्य (Wholesale Price), खुदरा मूल्य (Retail Price) एवं श्रम मूल्य। अब प्रश्न यह है कि इनमें से किस प्रकार के मूल्य-तल को स्थायी बनाया जाय? थोक मूल्य का

निर्देशांक उपभोक्ता की क्रय-शक्ति का सच्चा परिचायक नहीं होता। इसी प्रकार खुदरा मूल्य अथवा अन्न-मूल्य भी मुद्रा को क्रय-शक्ति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन नहीं करते हैं। वास्तव में, मुद्रा के मूल्य को व्यक्त करने में बहुत-सी सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं जिससे मूल्य-तल को स्थायी बनाने में हमारे समक्ष कोई मूल्य आधार (Objective criterion) नहीं रह जाता। मूल्य-तल के स्थायित्व (Price stabilisation) के सम्बन्ध में यह पहली प्रमुख कठिनाई है। किन्तु इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह कहा जाता है कि सामान्य मूल्य के बदले कुछ खास वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य स्तर को ही स्थायी बनाया जाय क्योंकि सामान्य मूल्य-तल (General price level) की सृष्टि भी कई विशेष मूल्य-तल (Particular price-level) के योग से होती है।

(ख) इस सम्बन्ध में दूसरी बात यह है कि मूल्य में परिवर्तन बेकारी का कारण नहीं बनता इसका परिणाम होता है। वास्तव में, मूल्य तथा व्यापार में परिवर्तन का कारण बचत की अपेक्षा विनियोग में परिवर्तन होता है। साथ ही, मूल्य-तल के स्थायी रहने पर भी मुनाफा-स्फीति (Profit-inflation) अथवा मुनाफा-अपस्फीति (Profit deflation) हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी आविष्कार अथवा थम की निपुणता में वृद्धि के कारण उत्पादन-व्यय कम हो जाय तो मूल्य को स्थायी रखने से मुनाफा-स्फीति (Profit-inflation) की सृष्टि होगी। इसी प्रकार अन्य कारणों के परिणामस्वरूप यदि उत्पादन-व्यय में वृद्धि हो जाय तो अपस्फीति एवं बेकारी को प्रोत्साहन मिलेगा।

(ग) इस सम्बन्ध में एक कठिनाई यह भी है कि मूल्य-तल में होनेवाले सभी परिवर्तन का अर्थ अथवा परभाव पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरे शब्दों में, मूल्य-तल में अस्थायी अथवा मौसमी परिवर्तन सदा अव्यवस्था के कारण नहीं उत्पन्न होते। वास्तव में, मूल्य-तल के कुछ परिवर्तन अव्यवस्था में वृद्धि करते हैं और कुछ मुधारक भी होते हैं, किन्तु मूल्य-तल के जो परिवर्तन मुधारक होते हैं उन्हें रोचना बाध्य नहीं होगा।

इनके अतिरिक्त जैसा कि हाँक (Hayek) महोदय ने कहा है कि "मौद्रिक नीति के लिए औसत मूल्य-तल में परिवर्तन की अपेक्षा सापेक्षिक मूल्य-तल में परिवर्तन (Relative Price Changes) ही अधिक महत्वपूर्ण हैं।" ऐसा हो सकता है कि औसत मूल्य-तल स्थायी हो, किन्तु सापेक्षिक मूल्य-तल स्थायी नहीं हो। उदाहरण के लिए, मजदूरी में भिन्न-भिन्न तरह से वृद्धि हो सकती है, या उपभोग की वस्तुओं एवं विनियोग-जन्य सामानों के मूल्य में भी भिन्न-भिन्न तरह से परिवर्तन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कुछ उपभोग की वस्तुओं के मूल्य स्थायी हो, कुछ के बढ़ रहे हो तथा कुछ वस्तुओं के मूल्य घट रहे हों या उपभोग की वस्तुओं की अपेक्षा विनियोग की वस्तुओं के मूल्य में कम या अधिक वृद्धि या कमी हो रही हो। इस प्रकार से सापेक्षिक मूल्य स्थायी नहीं रहने का उत्पादन एवं वितरण दोनों पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही, इससे समाज के विभिन्न वर्गों में असंतोष एवं संघर्ष की सृष्टि हो सकती है तथा आर्थिक व्यवस्था के आधार में भी परिवर्तन हो सकता है। अतएव औसत मूल्य-तल की अपेक्षा सापेक्षिक मूल्य-तल को स्थायी बनाना ही अधिक महत्वपूर्ण है। साधारणतः, यह देखा जाता है कि स्फीति (Inflation) एवं अपस्फीति (Deflation) के समय औसत मूल्य तल ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनमें सामान्य मूल्य-तल के साथ एक ही दिशा में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पायी जाती है। किन्तु ऐसी स्थिति में भी विशेष मूल्यों में एक ही तरह के परिवर्तन नहीं होते, कुछ मूल्य अधिक अनुपात में बढ़ते हैं तो कुछ कम अनुपात में। अतएव ऐसी स्थिति में सापेक्षिक मूल्य-तल ही महत्वपूर्ण है।

आर्थिक व्यवस्था में साधारणतया निम्नलिखित प्रकार के मूल्य ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं:—(1) उपभोग की वस्तुओं के मूल्य, (2) विनियोग की वस्तुओं के मूल्य, (3) मजदूरी की दर, तथा (4) प्रतिभूतियों के मूल्य अथवा सूद की दर। अतएव सापेक्षिक मूल्य तल को स्थायी रखने के लिए इन्हीं के पारस्परिक सम्बन्धों को स्थायी रखना अधिक बाध्य है।

(घ) मूल्य तल को स्थायी रखने के सम्बन्ध में एक कठिनाई इस बात को लेकर भी है कि मूल्य-तल को किस प्रकार से स्थायी बनाया जाय। यदि वनसह्यता, तकनीक तथा मुद्रा के भ्रमण-प्रवाह में परिवर्तन हो तो सिर्फ मुद्रा के परिमाण को स्थायी रखकर ही मूल्य-तल को

स्वायी नहीं बनाया जा सकता। अतएव कुछ प्रयंशास्त्री मुद्रा के परिमाण को स्थिर रखने के बजाय मौद्रिक आय को स्थिर रखने के पक्ष में हैं और चूंकि मौद्रिक आय में मजदूरी की ही प्रधानता है, अतएव मौद्रिक आय को स्थायी रखने का तात्पर्य है मजदूरी को स्थायी बनाना। इस प्रकार मुद्रा की मात्रा को स्थिर रखने के बजाय मौद्रिक आय को स्थिर रखना ही अधिक वाछनीय है। साथ ही, चूंकि मांग आय पर निर्भर करती है इसलिए बेकारी को दूर करने के लिए या मूल्य के स्थायित्व के लिए मुद्रा की मात्रा को स्थायी रखने के बजाय मौद्रिक आय को स्थायी रखना ही अधिक उपयुक्त है। किन्तु केवल मौद्रिक आय को स्थायी रखकर ही बेकारी का निराकरण तथा मूल्य का स्थायित्व नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि मौद्रिक आय का एक ही हिस्सा उपभोग पर व्यय किया जाता है, अतएव बचत के विनियोग से अधिक या कम होने पर इसमें परिवर्तन होता है। इसलिए मूल्य-तल को स्थायी रखने के लिए मौद्रिक आय को स्थायी बनाने की अपेक्षा कुल उत्पादन-व्यय को स्थायी रखना ही अधिक आवश्यक है। किन्तु इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केवल मौद्रिक नीति ही पर्याप्त नहीं है बल्कि वित्तीय नीति (Fiscal Policy) के कुल उत्पादन-व्यय को स्थायी नहीं रखा जा सकता।

उपरोक्त कठिनाइयों के कारण आजकल मौद्रिक नीति के उद्देश्य के रूप में मूल्य-तल के स्थायित्व पर जोर नहीं दिया जाता है। द्वितीय महायुद्ध के समय एव युद्धोत्तर काल में पूर्ण रोजगार (Full employment) की स्थिति से तेजी की मृट्टि हुई जिससे मूल्य-तल के स्थायित्व के उद्देश्य का व्यावहारिक महत्त्व बिल्कुल ममाप्त हो गया। साथ ही, अधिकांश अर्थशास्त्री इस राय के भी हैं कि 'स्थायी मूल्य-तल भी तेजी से बढ़ने अथवा घटनेवाले मूल्य-तल की तरह हानिकारक होते हैं।' (Stable prices are as harmful and inequitous as rapidly rising or rapidly falling prices) कहा भी जाता है कि स्थिर कीमते देश में जायिक निधिलता या गतिहीनता (Economic stagnation) का परिचायक होती है। प्रो० हॉयक (Hayek) ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि यह नीति एक प्रगतिशील समाज की वास्तविक आवश्यकताओं को भूला देती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मूल्य-तल के सभी परिवर्तनों का अर्थ-व्यवस्था पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। किन्तु यह नीति इस अवास्तविक मान्यता पर आधारित है कि मूल्य-तल के सभी परिवर्तन जायिक विकास एवं स्थिरता के लिए घातक सिद्ध होते हैं। साथ ही, यह भी कोई आवश्यक नहीं कि स्थायी मूल्य-तल से मौद्रिक अस्त-व्यस्तता के सारे कारणों का निराकरण किया ही जा सके। इस प्रकार, आजकल मौद्रिक नीति के उद्देश्य के रूप में मूल्य-तल की स्थिरता पर जोर नहीं दिया जा सकता है।

(3) धीरे-धीरे बढ़ने वाला मूल्य-तल (A gently rising Price-level)

कुछ लेखकों के अनुसार मौद्रिक नीति का उद्देश्य मूल्य-तल का स्थायित्व नहीं होकर धीरे-धीरे बढ़ने वाला मूल्य-तल (A gently rising price-level) होना चाहिए। इन लोगों के अनुसार स्थायी मूल्य तल (Stable Prices) भी तेजी से बढ़ने वाले या तेजी से घटने वाले मूल्य-तल की ही तरह हानिकारक होते हैं। पूँजीवाद में उत्पादन मुनाफा के लिए होता है। मुनाफा मूल्य तथा उत्पादन व्यय के अन्तर को कहते हैं। जब मूल्य में वृद्धि होती है तो उत्पादन व्यय ठीक उसी अनुपात में नहीं बढ़ता, क्योंकि लगान, मजदूरी तथा व्याज प्रायः पूर्व निश्चित होते हैं। अतएव मूल्य बढ़ने से मुनाफा बढ़ता है और मुनाफा बढ़ने से उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि होती है। इस प्रकार धीरे-धीरे बढ़ने वाले मूल्य-तल का एक दूसरा लाभ भी है। इस प्रकार के मूल्य-तल ने कारण मुद्रा का मूल्य कम होता है। इससे कर्ज का बोझ हल्का होता है। मूल्य में वृद्धि में निरस्पन्देह वास्तविक मजदूरी कम होती है, किन्तु अनेक बेकारों को दर दर भारते-फिरते रहने से क्या यह अच्छा नहीं है कि कारखाना मजदूरों से भरा रहे, मने ही कुछ मजदूर असंतुष्ट हों। यह भी ठीक है कि मूल्य तल में वृद्धि से मुनाफा में अधिक वृद्धि नहीं होती, किन्तु मुनाफा में जो थोड़ी-बहुत वृद्धि होती रहती है उसका उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है।

किन्तु मौद्रिक नीति के इस उद्देश्य में भी निम्नांकित दो प्रमुख त्रुटियाँ हैं :—

(क) सर्वप्रथम तो यदि सभी व्यक्ति मूल्य-तल में वृद्धि की आशा करें तो उत्पादन-व्यय में भी मूल्य के अनुपात में वृद्धि होगी। इनसे मुनाफा में कोई वृद्धि नहीं होगी।

(ख) इस नीति की दूसरी वृत्ति यह है कि साक्ष की स्वाभाविक अस्थिरता के कारण मूल्य में यह वृद्धि धीरे धीरे नहीं होकर द्रुतगति से होगी जिससे स्फीति की प्रवृत्ति के स्थायी होने की सम्भावना हो जाती है। अतएव मौद्रिक नीति का यह उद्देश्य भी युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता।

(4) तटस्थ मुद्रा-नीति

(Neutral Money Policy)

हॉयक (Hayek) एवं ऑस्ट्रियन स्कूल के अन्य अर्थशास्त्री व्यवसाय-चक्र के निराकरण के लिए तटस्थ मुद्रा (Neutral Money) की नीति के पक्ष में हैं। मूल्य तल का स्थायित्व एवं तटस्थ मुद्रा की नीति में इस बात को लेकर समता है कि इन दोनों में औद्योगिक व्यवस्था के अन्तर्गत मुद्रा के कार्य को निष्क्रिय बनाने का प्रयत्न किया जाता है। मूल्य-स्थायित्व की नीति के अन्तर्गत सामान्य मूल्य-तल को स्थायी बनाकर मुद्रा के मूल्य को स्थायी बनाया जाता है, जबकि तटस्थ-मुद्रा की नीति के अन्तर्गत मुद्रा के सापेक्षिक मूल्य-तल की रचना को अस्त-यस्त करने से रोकने का प्रयास किया जाता है। दूसरे शब्दों में, तटस्थ-मुद्रा की नीति का उद्देश्य मुद्रा की राशि का एक विशेष तरह से नियन्त्रण करना है जिससे मुद्रा का उत्पादन, मूल्य एवं रोजगार आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़े।

तटस्थ मुद्रा की नीति का सिद्धान्त यथेष्टकारिता (Laissez-faire) के विचार पर आधारित है। इस नीति के अनुसार मुद्रा का कार्य केवल वित्तीय के माध्यम के रूप में कार्य करता है, मूल्य तल के निर्धारण का नहीं। दूसरे शब्दों में, मुद्रा तटस्थ तब रहती है जब वह सापेक्षिक मूल्य (relative values) के सम्बन्ध को विवृत नहीं करे। इस नीति के अनुसार मुद्रा की राशि का एक विशेष प्रकार से नियन्त्रण होना चाहिए जिसमें वस्तुओं के उत्पादन, उसके क्रय विक्रय तथा मूल्य पर मुद्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़े। इस विचारधारा के अर्थशास्त्रियों के अनुसार मूल्य में परिवर्तन के कारणों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—वस्तु-पक्ष एवं मुद्रा-पक्ष। मूल्य में परिवर्तन वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन के परिणामस्वरूप होते हैं। यह मूल्य-परिवर्तन के कारणों का वस्तु पक्ष हुआ। मूल्य-तल में परिवर्तन का दूसरा कारण मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन है जिसे मुद्रा-पक्ष कहते हैं। पहले प्रकार का कारण बाह्यीय है, दूसरे प्रकार का नहीं, यानी मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन के अनुसार मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यही तटस्थ मुद्रा की धारणा है। इस नीति के समर्थकों के अनुसार देश के प्राथमिक मापनों का विभिन्न उत्पादक कार्यों के बीच इस प्रकार से वितरण होना चाहिए कि मुद्रा का वितरण पर अच्छा प्रभाव बुरा कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। मुद्रा के निर्माण तथा मर्यापति में अर्थ-व्यवस्था में वास्तविक माप तथा पूर्ति की समानता भंग हो जाती है। वास्तव में, ये अर्थ-व्यवस्था में व्याकुलता उत्पन्न करने-वाले ऐसे मौद्रिक कीटाणु हैं जो अतटस्थ मुद्रा-नीति के द्वारा आर्थिक शरीर में प्रवेश करते हैं।” (Creation as well as destruction of money spoil the equivalence of the total supply and demand, they are disturbing monetary germs injected into economic body by a monetary policy which is not neutral)¹

किन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि मुद्रा की राशि को स्थायी रखकर तटस्थ मुद्रा की नीति के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में समाज के लिए यदि मुद्रा की मात्रा स्थायी रहे, किन्तु इसके प्रमाण-प्रवाह (velocity of circulation) में वृद्धि हो जाय तो इससे कार्यशील मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं की कीमत भी बढ़ जायगी। इसके विपरीत यदि मुद्रा की मात्रा स्थिर रहे और इसका प्रमाण प्रवाह भी कम हो जाय तो इससे कार्यशील मुद्रा की पूर्ति कम हो जायगी जिससे मूल्य-तल भी कम हो जायगा। अतएव यदि मौद्रिक अधिकारी मुद्रा की मात्रा को स्थायी रखें तो इससे मुद्रा तटस्थ नहीं रह सकती। अतएव यह धारणा कि मुद्रा की मात्रा को स्थायी बनाकर मुद्रा को तटस्थ बनाया जा सकता है, निश्चित ही अयुक्तिसंगत है।

1. तटस्थ मुद्रा नीति को सविस्तार व्याख्या प्रो० हॉयक (F A Hayek) की सुप्रसिद्ध पुस्तक 'Prices and Production' में की गयी है।

2. G. N. Halm Monetary Theory, P. 123.

इसी प्रकार यदि देश में वैज्ञानिक उन्नति हो, उत्पादन के साधनों में वृद्धि हो एवं सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था प्रगतिशील हो तो ऐसी स्थिति में भी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि नहीं करने से महान् अपस्फीति (deflation) का सृजन होगा। उदाहरण के लिए, यदि अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों में पिछले 100 वर्षों में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि ही नहीं की गयी होती तो इससे महान् अपस्फीति (deflation) का सृजन हुआ रहता। इसका अनुमान इसी बात से सुगमतापूर्वक लगाया जा सकता है कि इस समय में इन देशों में पिछले सौ वर्षों की अपेक्षा मुद्रा की पूर्ति में कई गुनी वृद्धि हुई है। अतएव मुद्रा की तटस्थता का अर्थ मुद्रा की मात्रा को स्थायी रखना नहीं है। वास्तव में, जनसंख्या की वृद्धि एवं आर्थिक प्रगति के अनुसार मुद्रा की राशि में वृद्धि ही इस प्रकार की मौद्रिक नीति का कार्यक्रम हो सकता है।

किन्तु तटस्थ मुद्रा की नीति के सम्बन्ध में विभिन्न शक्तों को निर्धारित करना बिल्कुल कठिन हो जाता है। यदि इस बात को मान भी लिया जाय कि पूर्ण रोजगारी की स्थिति प्राप्त हो गयी है तो भी मौद्रिक अधिकारियों को मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन की व्यवस्था करनी होगी तथा उत्पादन के गहन एवं विस्तृत विस्तार में अंतर करना होगा। (To distinguish between extensive and intensive expansion of production) यदि कार्यक्षमता में वृद्धि के परिणामस्वरूप मूल्य-तल में कमी हो जाय तो इसके लिए अधिक मुद्रा की मात्रा को स्थायी रखना होगा, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक मुद्रा की व्यवस्था करनी होगी, एकाधिकार के मूल्य पर ध्यान देना होगा तथा सापेक्षिक मूल्य तल में महान् परिवर्तन को रोकने के लिए मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करनी होगी। साथ ही, इससे स्पष्ट है कि व्यावहारिक रूप में तटस्थ मुद्रा की नीति के आदर्श को प्राप्त करना कठिन है। वास्तव में, तटस्थ मुद्रा नीति के दोनो उद्देश्यों-मुद्रा की मात्रा की स्थिरता तथा मूल्यों की स्थिरता परस्पर-विरोधी लक्ष्य हैं। यह नीति अवास्तविक है तथा आज के प्रवैश्विक विश्व में लागू नहीं हो सकती। वास्तव में, अनियंत्रित अर्थव्यवस्था में तटस्थ मुद्रा का आदर्श नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसकी प्राप्ति सिर्फ पूर्णतः आयोजित आर्थिक व्यवस्था (fully planned economy) में ही सम्भव है। आयोजित अर्थ-व्यवस्था में समाज की मांग, वस्तुओं का उत्पादन, समाज की आय, उत्पादन-व्यय, ऋत एवं विनियोग सभी पर नियंत्रण रहता है। साथ ही इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था में मजदूरी, मुद्रा की मात्रा एवं कीमतें भी नियंत्रित रहती हैं। अतएव इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था में समाज की आय एवं उत्पादन में परिवर्तन के अनुसार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करना बहुत सुगम है। इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि आयोजित अर्थ-व्यवस्था में ही तटस्थ मुद्रा की नीति का अनुसरण किया जा सकता है।

(5) मौद्रिक नीति एवं पूर्ण रोजगारी

(Monetary Policy and Full-employment)

आधुनिक समय में मौद्रिक नीति का प्रधान उद्देश्य पूर्ण रोजगारी की प्राप्ति एवं इसी स्तर पर देश की आर्थिक व्यवस्था को स्थायी बनाना है। किन्तु इस उद्देश्य की विवेचना के पूर्व हमें यह देखना होगा कि पूर्ण रोजगारी (Full employment) का अर्थ क्या है? साधारणतया पूर्ण-रोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जिसमें देश में उत्पादन के सभी उपलब्ध साधन - भूमि, श्रम एवं पूंजी आदि कार्यरत रहते हैं। किन्तु सभी उपलब्ध साधनों के कार्यरत रहने पर भी यह आवश्यक नहीं कि राष्ट्र की आय अधिकतम हो। उत्पादन के सभी साधन एक-दूसरे के पूरक होते हैं, किन्तु वे सर्वत्र एक ही परिमाण में उपलब्ध नहीं होते। अतएव उत्पादन एवं रोजगारी में अर्थ-व्यय वृद्धि होती है, ल्यों-ल्यों सीमित परिमाण में उपलब्ध साधन शीघ्र ही पूर्ण रोजगारी की स्थिति में पहुँच जाते हैं। किन्तु अधिक मात्रा में उपलब्ध साधन कुछ परिमाण में बेकार रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में उत्पादन में वृद्धि कठिन हो जाती है क्योंकि कुछ आवश्यक साधन केवल सीमित मात्रा में ही उपलब्ध रहते हैं। अतएव सभी बेकार साधनों को कार्यरत किया जाय तो भी उत्पादन में इनका संयोग ऐसा होगा जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय अधिकतम नहीं हो सकती। इससे स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय उच्चतम तभी होती है जब उत्पादन के सभी साधनों का एक आदर्श संयोग (Ideal Combination) रहता है। अतएव पूर्ण-रोजगारी की स्थिति में भी कुछ साधन बेकार रह सकते हैं।

प्रतिष्ठित ग्रथशास्त्रियों के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में पूर्ण रोजगारी की प्रवृत्ति कार्य करती है, अतएव जो भी साधन बेकार रहते हैं वे स्वेच्छापूर्वक बेकार रहते हैं। किन्तु इन्होंने मन्दी घाटी के समय में जो अनैच्छिक बेकारी (Involuntary unemployment) रहती है उसकी व्याख्या नहीं की है। वास्तव में, मन्दी के समय साधनों की अनैच्छिक बेकारी वर्तमान रहती है, यानी बहुत से साधन कार्य करने के लिए इच्छुक रहते हैं, किन्तु मांग नहीं रहने के कारण उन्हें बेकार रहने के लिए विवश होना पड़ता है। पूर्ण रोजगारी के अन्तर्गत इस प्रकार की अनैच्छिक बेकारी वर्तमान नहीं रहती। पूर्ण रोजगारी की स्थिति में केवल ऐच्छिक बेकारी (Voluntary unemployment) तथा आर्थिक सघर्षों की बेकारी (Frictional unemployment) ही पायी जाती है। आर्थिक सघर्षों की बेकारी (Frictional unemployment) आर्थिक व्यवस्था के परिवर्तनशील होने के कारण उत्पन्न होती है। प्रो० सरनर के अनुसार "पूर्ण रोजगार का तात्पर्य उस अवस्था से है जबकि प्रचलित दर पर बिना किसी विशेष असुविधा के कार्य के लिए इच्छुक व्यक्तियों को कार्य मिल जाता है।"

इस प्रकार पूर्ण-रोजगारी की धारणा उस आर्थिक व्यवस्था की धारणा को कहते हैं जिसमें साधनों के आवर्त सयोग से राष्ट्र की प्राय उच्चतर स्तर पर हो, किन्तु इस प्रकार की व्यवस्था में कुछ साधन बेकार भी रह सकते हैं। किन्तु इनमें अनैच्छिक बेकारी नहीं होनी चाहिये। प्राणुनिक समय में राष्ट्री की मौद्रिक एवं आर्थिक नीति का प्रधान उद्देश्य पूर्ण रोजगारी (Full-employment) की प्राप्ति करना तथा इसी स्तर पर आर्थिक स्थायित्व की स्थापना है। इस प्रकार मौद्रिक नीति के इस उद्देश्य के निम्नलिखित दो पहलू हैं :—

- (क) साधनों की बेकारी को दूर करना एवं पूर्ण-रोजगारी की स्थिति उत्पन्न करना, तथा
- (ख) पूर्ण-रोजगारी के स्तर पर देश की आर्थिक व्यवस्था को स्थायी बनाना।

किन्तु अब हमें यह देखना है कि पूर्ण-रोजगारी किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? केन्स (Keynes) के अनुसार रोजगार में वृद्धि समाज की सम्पूर्ण सक्रिय मांग द्वारा निर्धारित होती है। समाज की सम्पूर्ण सक्रिय मांग के दो निर्मायक तत्त्व हैं :

- (क) उपभोग की वस्तुओं (Consumer's goods) की मांग, तथा
- (ख) उत्पादन की वस्तुओं (Producer's goods) की मांग ;

इस विवरण से स्पष्ट है कि रोजगार में कमी का कारण समाज की सम्पूर्ण सक्रिय मांग में कमी है। अतएव पूर्ण-रोजगारी के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समाज की सम्पूर्ण मांग को एक विशिष्ट स्तर पर लाना होगा। इस स्तर से मांग कम होने पर बेकारी की समस्या उत्पन्न होगी। समाज की सम्पूर्ण मांग में वृद्धि के लिए उपभोग एवं विनियोग में वृद्धि करनी होगी। किन्तु कमी-कमी कुछ साधनों की बेकारी इस कारण भी होती है कि उनके पूरक साधनों का अभाव रहता है जिससे उत्पादन में वृद्धि करने में भौतिक कठिनाई होती है। अतएव बेकारी की समस्या के समाधान के लिए मांग में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन की भौतिक कठिनाइयों को भी दूर करने का प्रयत्न करना होगा। उत्पादन में वृद्धि की भौतिक कठिनाइयों को आर्थिक पुनर्गठन (Economic re-organisation) के द्वारा दूर किया जा सकता है। किन्तु मौद्रिक नीति का सम्बन्ध सम्पूर्ण मांग को प्रभावित करने से ही है, आर्थिक पुनर्गठन के उद्देश्य से किये जानेवाले प्रयत्नों का मौद्रिक नीति से प्राय कोई सम्बन्ध नहीं होता।

सम्पूर्ण मांग में वृद्धि के लिए उपभोग एवं विनियोग दोनों में वृद्धि करनी होगी। इनमें वृद्धि से उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति (Marginal propensity to consume) प्रभावित होती है। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कई बातों से प्रभावित होती है जिनमें राष्ट्र की आय प्रधान है। अतएव मौद्रिक नीति द्वारा उपभोग की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। इसके साथ ही विनियोग में वृद्धि सूद की दर (Rate of interest) एवं पूँजी की सीमांत उत्पादकता (Marginal efficiency of capital) पर भी निर्भर करती है। सूद की दर के सीमांत उत्पादकता से कम होने पर विनियोग प्रोत्साहित होता है और अधिक होने पर विनियोग हतोत्साहित होता है। इससे स्पष्ट है कि सूद की दर को निम्न स्तर पर रख कर [जिसे सस्ती मुद्रा-नीति (Cheap money policy) कहते हैं] विनियोग में वृद्धि की जा सकती है।

किन्तु, यहाँ पर यह कहना अनिवार्य है कि केवल मुद्रा-प्रसार एव उपभोग तथा सूद की दर में कमी से विनियोग में वृद्धि नहीं हो सकती। इसके लिए यह अनिवार्य है कि केन्द्रीय एव व्यावसायिक बैंक जिस अतिरिक्त मुद्रा की सृष्टि करते हैं उसका समाज में संचालन हो। ऐसा होने से सम्पूर्ण माँग प्रभावित होगी तथा रोजगार के साधनों में भी वृद्धि होगी। केन्स (Keynes) का इस सम्बन्ध में निम्नांकित कथन अधिक महत्वपूर्ण जान पड़ता है :—“If the treasury were to fill old bottles with bank notes, bury them at suitable depths in disused coal mines which are then filled up to surface with town-rubbish and leave it to private enterprise to dig the notes up again, there need be no more unemployment”

मन्दी की स्थिति में, जब बेकारी की समस्या अत्यधिक प्रबल रहती है तो उपभोग की अपेक्षा विनियोग में ही अधिक कमी होती है। ऐसी स्थिति में विनियोग में वृद्धि के द्वारा ही उपभोग को प्रभावित किया जा सकता है। किन्तु मन्दी (Depression) की स्थिति में केवल मुद्रा-प्रसार एव सस्ती मुद्रा-नीति से ही विनियोग को प्रोत्साहन नहीं मिलता क्योंकि उत्पादकों को सम्पूर्ण भविष्य ही अन्धकारमय जान पड़ता है जिससे वे शीघ्र विनियोग में वृद्धि नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को अपने विनियोग में वृद्धि करनी पड़ती है, और सरकार वित्तीय नीति (Fiscal Policy) के प्रयोग द्वारा ही अपने विनियोग में वृद्धि करती है।

रोजगार के साधनों में वृद्धि के लिए वित्तीय नीति का प्रयोग सामारणतया घाटे की वित्त-व्यवस्था (Deficit Financing) के रूप में किया जाता है। घाटे की वित्त-व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार अपने खर्च में वृद्धि करती है। इस अधिक खर्च की पूर्ति केन्द्रीय तथा व्यावसायिक बैंकों द्वारा अतिरिक्त मुद्रा का सृजन कर की जाती है। वित्तीय व्यवस्था में इस अतिरिक्त मुद्रा के प्रवेश करने से सूद की दर में कमी हो जाती है जिससे विनियोग में वृद्धि होती है। इससे उपभोग भी प्रभावित होता है। घाटे की वित्त-व्यवस्था के द्वारा सरकार अपने विनियोग में वृद्धि कर बेकार साधनों को कार्य में लगाती है जिससे इन उद्योगों में रोजगार की वृद्धि होती है। इस प्रकार इन साधनों की आय में वृद्धि होती है जिससे इनकी अन्य वस्तुओं की माँग बढ़ती है और परिणामस्वरूप अन्य उद्योगों में भी रोजगार बढ़ता है। इससे कुछ समय के बाद राष्ट्रीय आय एव रोजगार दोनों में पर्याप्त वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय एव रोजगार में वृद्धि होने के फलस्वरूप विनियोग में वृद्धि की जो प्रवृत्ति होता है उसे त्वरण (Acceleration) कहा जाता है और सरकारी विनियोग के परिणामस्वरूप जो अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होता है एव अन्त में इससे फलस्वरूप सम्पूर्ण रोजगार में जो वृद्धि होती है, इन दोनों के परिणामस्वरूप सम्बन्ध को गुणक (multiplier) कहते हैं। उदाहरणार्थ, सरकारी विनियोग के परिणामस्वरूप यदि 100 आदमियों को रोजगार मिले और इसके फलस्वरूप समाज में अन्ततः कुल 1600 आदमियों को रोजगार मिल जाय तो ऐसी

स्थिति में गुणक $\frac{1000}{100} = 10$ होगा।

इस प्रकार सरकारी विनियोग में वृद्धि के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय एव रोजगार में किस गति से वृद्धि होती है यह गुणक के परिमाण पर निर्भर करता है। गुणक का परिमाण समाज की सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति (Marginal propensity to consume) पर निर्भर करता है। यदि सरकारी विनियोग की वृद्धि के फलस्वरूप जिस आय का सृजन होता है उसका अधिकांश भाग उपभोग में खर्च हो एव संचय की प्रवृत्ति बिल्कुल वर्तमान न हो तो ऐसी स्थिति में माँग में उलरोत्तर वृद्धि होने से आय एव रोजगार में अधिक वृद्धि होगी। इस कारण गुणक का परिमाण बहुत अधिक होगा। इसके विपरीत यदि अतिरिक्त आय का अधिकांश भाग संचय होने लगे तो इससे माँग एव रोजगार में बहुत कम वृद्धि होगी जिससे गुणक का परिमाण भी कम होगा।

किन्तु घाटे की वित्त-व्यवस्था (Deficit financing) की नीति की कुछ महत्वपूर्ण सीमाएँ भी हैं। सर्वप्रथम तो इसका प्रयोग केवल अल्पकालीन नीति के रूप में ही होना चाहिए जिससे आर्थिक व्यवस्था की शिथिलता समाप्त हो जाय एव निजी विनियोग को प्रोत्साहन मिले। जिस अनुपात में निजी विनियोग में वृद्धि हो उसी अनुपात में सरकार को अपने विनियोग में कमी करनी चाहिए। किन्तु घाटे की वित्त-व्यवस्था के द्वारा निजी विनियोग को कितना प्रोत्साहन मिल रहा है,

यह ग्राहक एवं त्वरण (acceleration) के परिमाण पर निर्भर करता है। इनका परिमाण कम होने से निजी विनियोग में कम वृद्धि होती है जिससे घाटे की वित्त-व्यवस्था को बहुत समय तक चलाना पड़ता है। साथ ही, यदि निजी विनियोग में प्रसार शीघ्र ही रुक जाय और इसके परिणामस्वरूप आर्थिक व्यवस्था का प्रसार भी रुक जाय तो ऐसी स्थिति में घाटे की वित्त-व्यवस्था को प्रायः स्थायी रूप देना पड़ता है। किन्तु इनसे सरकारी ऋण में भी वृद्धि होती है जिससे अधिस्फीति की सृष्टि की प्रवृत्ति होती है।

घाटे की वित्त-व्यवस्था (Deficit financing) का परिमाण यदि प्रारम्भ में बहुत अधिक है तो इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करना अनिवार्य हो जाता है। इसमें निजी विनियोग की मात्रा में कमी आने की सम्भावना रहती है। इसके विपरीत यदि प्रारम्भ में घाटे की वित्त-व्यवस्था की मात्रा कम है तो उसका विनियोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए यह कहा जाता है कि घाटे की वित्त-व्यवस्था से पूर्ण रोजगार की प्राप्ति नहीं हो सकती, इससे रोजगार में केवल वृद्धि की प्रवृत्ति उत्पन्न की जाती है। साथ ही, घाटे की वित्त-व्यवस्था की नीति की सफलता के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि इससे समाज में आशावादी मनोवृत्ति की सृष्टि हो तथा विनियोग के लिए भी पर्याप्त रूप से अवसर वर्तमान हो।

आधुनिक समय में बेकारी की समस्या का समाधान मौद्रिक एवं वित्तीय दोनों प्रकार की नीतियों के प्रयोग के द्वारा किया जाता है। वास्तव में, अकेले मौद्रिक नीति इस क्षेत्र में सफलीभूत नहीं हो सकती। मौद्रिक नीति से ध्याज की दर को नियन्त्रित किया जा सकता है किन्तु सूद की दर के अतिरिक्त विनियोग पूँजी की सीमात उत्पादन-क्षमता (Marginal efficiency of Capital) पर भी निर्भर करता है जिसका मुनाफा से बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। और, चूँकि-मौद्रिक नीति मुनाफा को नियन्त्रित नहीं कर सकती, अतएव केवल मौद्रिक नीति के प्रयोग से विनियोग में वृद्धि सम्भव नहीं है। इसीलिए बेकारी की समस्या के समाधान में मौद्रिक एवं वित्तीय दोनों ही नीतियों का सम्मिलित प्रयोग अति अनिवार्य है।

साथ ही, पूर्ण रोजगारी की स्थिति में आर्थिक स्वायत्तत्व कायम रखने के लिए उन कारणों का निराकरण करना होता है जिनके फलस्वरूप अस्थायित्व उत्पन्न होता है। पूर्ण रोजगारी की स्थिति में अस्थायित्व के दो कारण हैं — (1) व्यवसाय-चक्र (Trade cycle), एवं (2) अधि-स्फीति का दबाव (Inflationary pressure)।

सर्वप्रथम तो पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता व्यवसाय-चक्रकानियमित रूप से होगी है। केन्स (Keynes) के अनुसार पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था में आय एवं रोजगार में वृद्धि से समाज में उपभोग की प्रवृत्ति कम होती है और सचय की प्रवृत्ति बढ़ती है जिससे विनियोग में कमी आने लगती है। अतएव इस प्रकार की व्यवस्था पूर्ण रोजगार के नीचे ही संतुलन-बिन्दु पर आ जाती है। निजी विनियोग में इस कमी की पूर्ति के लिए सरकारी विनियोग में वृद्धि अनिवार्य है जिससे कि अर्थ-व्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर पर पहुँच सके। किन्तु पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के बाद समाज में बहुत-सी ऐसी शक्तियाँ कार्य करन लगती हैं जिनकी प्रवृत्ति आर्थिक व्यवस्था को असन्तुलित बनाने की होती है। उदाहरण के लिए, निर्यात में कमी होने से व्यावसायिक बैंकों द्वारा मुद्रा-सञ्चयन की नीति का अनुसरण करने से विनियोग में कमी आ जाती है जिससे बेकारी बढ़ती है एवं मन्दी की सृष्टि होती है। अतएव निजी विनियोग में कमी को रोकने के लिए सरकारी विनियोग में वृद्धि करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार सम्भावित मन्दी को रोकने के लिए मौद्रिक नीति का व्यवसाय-चक्र विरोधी (anti-cyclical) होना अनिवार्य है। किन्तु, केवल मौद्रिक नीति से विनियोग को स्थायी नहीं बनाया जा सकता इसके लिए इसके साथ-साथ समुचित प्रगुल्क-नीति (Fiscal Policy) का उपयोग भी अनिवार्य है।

पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था जैसे-जैसे पूर्ण रोजगार की ओर अग्रसरित होती जाती है, वैसे-वैसे इससे अधिस्फीति की प्रवृत्तियों को बल मिलने लगता है। इस अधिस्फीति की प्रवृत्ति के कई कारण हैं जिनमें निम्नलिखित विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं —

- (1) रोजगार में वृद्धि से उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसका सीमात उत्पादन व्यय अपेक्षाकृत अधिक होता है।

- (ii) उत्पादन के कुछ साधनों के अभाव के कारण इन साधनों के लिए अधिक मूल्य चराना पड़ता है।
- (iii) पूर्ण रोजगार की स्थिति में उत्पादन लोचहीन होता है, अतएव मौद्रिक आय में वृद्धि के परिणामस्वरूप अधिस्फीति की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है।
- (iv) श्रमिक-सघ श्रम की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि की अपेक्षा अधिक भ्रजूदूरी की माग करने लगते हैं।

पूर्ण रोजगार की स्थिति में अधिस्फीति के दबाव को रोकने के लिए उक्त प्रवृत्तियों का नियन्त्रण अनिवार्य है। किन्तु मौद्रिक नीति न तो उत्पादन में वृद्धि की भौतिक कठिनाइयों का निराकरण करती है, न उत्पादन व्यय का नियंत्रण ही। मौद्रिक नीति केवल समाज की सम्पूर्ण माग को नियन्त्रित कर सकती है, किन्तु वह भी अकेले नहीं।

() मौद्रिक नीति एवं आर्थिक विकास

(Monetary Policy and Economic Development)

आर्थिक दृष्टि से विकसित राष्ट्रों में मौद्रिक नीति का प्रधान उद्देश्य पूर्ण रोजगार के स्तर पर देश में आर्थिक स्थायित्व को स्थापित करना होता है, किन्तु अविकसित एवं अर्द्ध विकसित (un-developed and under-developed) राष्ट्रों में इसका प्रधान उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना होता है। पूर्ण रोजगार की जगह आर्थिक विकास को मौद्रिक नीति का उद्देश्य बनाना सच्चे अर्थ में अत्यावश्यक राज्य की स्थापना की ओर एक पग बढ़ने के समान है। अविकसित देशों में प्रधान समस्या विनियोग के अभाव की रहती है। मौद्रिक नीति द्वारा विनियोग में वृद्धि की जा सकती है। ब्याज की दर को कम कर एव प्रतिरिक्त बैंक-मुद्रा की सृष्टि कर विनियोग को बढ़ाया जा सकता है। किन्तु ऐसे देशों में अधिस्फीति की प्रवृत्ति कई कारणों से उत्पन्न हो जाती है, जैसे विनियोग में वृद्धि होने से माग में वृद्धि होती है, किन्तु उत्पादन इतनी तीव्रता से नहीं बढ़ता। साथ ही, घाटे की वित्त-व्यवस्था (Deficit finance) के द्वारा देश के साधनों की कमी को पूरा किया जाता है। इन कारणों से अधिस्फीति की प्रवृत्तियों को बल मिलता है। अतएव विकासोन्मुख आर्थिक व्यवस्था वाले देश में मौद्रिक नीति का उद्देश्य आवश्यक विनियोग की वृद्धि को प्रोत्साहित एव अनावश्यक विनियोग की वृद्धि को हतोत्साहित करना होना चाहिए। ऐसी नीति के अनुसरण में गुणात्मक साख-नियन्त्रण (Selective or qualitative credit control) के साधनों का प्रयोग अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। गुणात्मक नियन्त्रण के तरीके द्वारा आवश्यक विनियोग के क्षेत्र में ब्याज की दर को कम तथा अनावश्यक क्षेत्र में सूद का दर को अधिक किया जाता है। इस प्रकार अविकसित एवं अर्द्ध विकसित आर्थिक व्यवस्था वाले देशों में मौद्रिक नीति के प्रयोग के द्वारा आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जाता है।

आर्थिक विकास के सम्बन्ध में मौद्रिक नीति के निम्नांकित तीन पहलू हैं —

- (क) ब्याज की दर को पूर्ववत् रहने पर बैंक-मुद्रा में वृद्धि के द्वारा आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना,
- (ख) ब्याज की दर को घटाकर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, तथा
- (ग) घाटे की वित्त-व्यवस्था के द्वारा आर्थिक विकास करना।

(क) बैंक-मुद्रा में वृद्धि के द्वारा आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना — विकासोन्मुख आर्थिक व्यवस्था वाले देशों में विनियोग को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बचत की आवश्यकता पड़ती है। किन्तु इन देशों में प्रति व्यक्ति आय की न्यूनता के कारण पर्याप्त मात्रा में बचत नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक मुद्रा का प्रसार आवश्यक है। किन्तु इस प्रकार की अतिरिक्त मुद्रा का प्रयोग केवल विनियोग के लिए ही होना चाहिए। इस उपयोग पर नहीं खर्च किया जाना चाहिए। इस प्रकार विनियोग को बढ़ाने के लिए बचत की कमी को बैंक मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के द्वारा पूरा कर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

(ख) ब्याज की दर को घटाकर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना — अविकसित

तथा अर्द्ध-विकसित देशों में व्याज की दर का निम्न होना भी आर्थिक विकास के लिए कई दृष्टि से आवश्यक है। इस प्रकार के देशों में विनियोग के लिए पूँजी का अभाव रहता है जिससे विदेशों से ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है, अतएव व्याज की दर का न्यून होना अनिवार्य है। साथ ही, इन देशों में सरकार को बड़े पैमाने पर आन्तरिक ऋण लेने की भी आवश्यकता पड़ती है। अतएव निम्न व्याज की दर पर ऋण प्राप्त करने में सुविधा होगी तथा व्याज के रूप में सरकार को बहुत ही कम रकम व्यय करनी पड़ेगी।

व्याज की दर आर्थिक विकास को और भी कई प्रकार से प्रभावित करती है। व्याज की दर में कमी से पूँजी की मात्रा में वृद्धि होती है, पूँजी की मात्रा में वृद्धि से श्रम की उत्पादकता बढ़ती है और श्रम की उत्पादकता बढ़ने से पूँजी-निपज अनुपात (Capital-output ratio) में कमी होती है, यानी श्रम की उत्पादकता में वृद्धि से पूँजी की एक निश्चित मात्रा से पहले की अपेक्षा अधिक उत्पादन किया जा सकता है और इस प्रकार आर्थिक प्रगति को तीव्र बनाया जा सकता है। प्रो० कुरिहार का इस सम्बन्ध में निम्नांकित बचत विशेष रूप से उल्लेखनीय है :—
 "There seems to be some scope for a cheap policy as an instrument of development programmes, especially in those under-developed economies following the principle of profit maximization over the expected future useful life of durable capital equipment"

किन्तु इस प्रकार के देशों के आर्थिक विकास में भी सस्ती मुद्रा-नीति का महत्त्व निम्नांकित कारणों से सीमित हो जाता है :—सर्वप्रथम तो इन देशों में लोगों की आय में कमी के परिणाम-स्वरूप विनियोग के कम होने के कारण विनियोग करने की इच्छा सीमित होती है। ऐसी स्थिति में राज्यों को स्वयं बड़े पैमाने पर राजकीय व्यय का आयोजन करना पड़ता है। और चूँकि राजकीय व्यय का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं होकर सामाजिक कल्याण की वृद्धि तथा आर्थिक विकास की नींव को सुदृढ़ बनाना होता है, अतः इस प्रकार के विनियोग में व्याज की दर का महत्त्व बहुत ही कम होता है। द्वितीयतः, व्याज की दर के कम होने से बचत को इच्छा भी कम रहती है। अतः बचत को प्रोत्साहित करने के लिए व्याज की दर को उच्च करने की आवश्यकता पड़ती है।

(ग) घाटे की वित्त-व्यवस्था एवं आर्थिक विकास (Deficit Financing and Economic Development) :—अर्द्ध विकसित देशों में विनियोग के लिए आवश्यक पूँजी प्राप्त करने का एक प्रधान साधन घाटे की वित्त व्यवस्था को अपनाना भी है। घाटे की वित्त-व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार मुख्यतः केन्द्रीय तथा व्यावसायिक बैंकों से कर्ज लेकर अथवा अनिश्चित मात्रा में नोट छापकर विनियोग के लिए साधन प्राप्त करती है। घाटे की वित्त-व्यवस्था का तात्पर्य सरकार द्वारा अपनी आय से अधिक व्यय करना होता है। (Deficit financing means expenditure by the Govt in excess of its receipts, whether by way of taxes, earnings from state enterprises, loans, small savings and deposits of other miscellaneous sources) घाटे की वित्त-व्यवस्था की नीति का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। सर्वप्रथम तो इसे एक दीर्घकालीन नीति के रूप में तब तक प्रयोग किया जाता है जब तक कि अर्थ-व्यवस्था स्वयं प्रगति (self-sustained growth) की स्थिति में नहीं पहुँच जाती। द्वितीयतः, इस नीति का प्रयोग अल्पकालीन नीति के रूप में भी किया जा सकता है जब इसका उद्देश्य अल्पकाल में साधनों की कमी को दूर करना है।

किन्तु आर्थिक विकास के सर्दर्म में घाटे की वित्त व्यवस्था की बहुत अधिक बालोचना की जाती है। सर्वप्रथम तो एक सीमा के बाद घाटे की वित्त व्यवस्था से अविस्फीति की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि विकसित देशों में घाटे की वित्त व्यवस्था के प्रयोग के द्वारा रोजगार तथा राष्ट्रीय आय में महत्त्वपूर्ण वृद्धि को जा सकता है तथा इससे अविस्फीति की भी कोई भावना नहीं रहती। किन्तु अर्द्धविकसित तथा अर्द्ध-विकसित देशों में बड़े पैमाने पर घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेने से जो अतिरिक्त आय की मृष्टि होगी उससे मांग बढ़ेगी

और वस्तुओं के अभाव के कारण अधिस्फीति की सृष्टि को सम्भावना उत्पन्न हो जायगी। अधिस्फीति के कारण बचत की इच्छा कम हो जाती है तथा लोग अपनी बचत को स्वर्ण आदि के रूप में रखना प्रारम्भ कर देते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेषज्ञ समिति ने इसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है: "Inflationary methods of financing should be avoided, since such measures tend to deprive the savers of a portion of the real value of their savings, unless they hold their savings in such undesirable forms as gold and foreign exchange"

किन्तु इसके विपरीत प्रो० कुरिहारा जैसे कुछ लेखक घाटे की वित्त-व्यवस्था का समर्थन करते हैं। प्रो० कुरिहारा के अनुसार यदि कोई अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था विनियोग का प्रयोग टिकाऊ सामग्री के उत्पादन में करती है तो इससे अधिस्फीति की श्रावणा नहीं उत्पन्न होती। (If an under-developed economy planning the growth of net investment gears its investment planning primarily to the construction of productive durable equipments, it will give full play to the sigma effect involved)¹ विनियोग की मात्रा में वृद्धि से तकनीकी प्रगति को भी सहायता मिलती है। इससे पूँजी की उत्पादकता को बल मिलना है तथा राष्ट्रीय आय में तीव्र गति से प्रगति होती है और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से बचत भी प्रोत्साहित होती है।

सारांश यह है कि अर्द्ध-विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए घाटे की वित्त-व्यवस्था को सहायता देकर आवश्यक ही नहीं, बरन् एक हद तक अनिवार्य भी होती है। वास्तव में, घाटे की वित्त-व्यवस्था मशीन को साफ कर सुव्यवस्थित ढंग से चलायमान रखनेवासे तेल की तरह है न कि मशीन चकान वाले ईंधन या शक्ति की तरह। दूसरे शब्दों में, हमें सदा यह प्रयत्न करना होगा कि घाटे की वित्त-व्यवस्था के फलस्वरूप बची हुई मुद्रा विकास के लिए लाभदायक तो हो, किन्तु इसका प्रभाव मूल्य वृद्धि पर विनाश रूप से नहीं पड़ सके।

अन्तिम विचार—मौद्रिक नीति के इन विभिन्न उद्देश्यों के अध्ययन से आर्थिक व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातों की जानकारी प्राप्त होती है। सर्वप्रथम तो मौद्रिक नीति के विभिन्न उद्देश्यों में परस्पर विरोध है। उदाहरण के लिए पूर्ण रोजगारी की प्राप्ति एवं विनिमय-दर का स्थायित्व इन दोनों उद्देश्यों में सामंजस्य नहीं हो सकता किन्तु मौद्रिक नीति के विभिन्न उद्देश्यों में आज कल पूर्ण रोजगारी के स्तर पर आर्थिक व्यवस्था का स्थायित्व (Equilibrium of saving and investment at the point of full employment) ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गया है।

द्वितीयतः, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मौद्रिक नीति प्रशुल्क नीति (Fiscal Policy) की अपेक्षा आज गोएँ समझी जाती है। दूसरे शब्दों में, केवल मौद्रिक नीति से इन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके कई कारण हैं जिनमें निम्नांकित प्रमुख हैं—सर्वप्रथम तो प्रारम्भ में रोग का ठीक ठीक निदान करना ही कठिन होता है। निवारण उपचार से अच्छा होता है किन्तु यह तभी सम्भव है जब आर्थिक घटनाओं के सम्बन्ध में भविष्यवाणी की जा सके और रोग का ठीक ठीक निदान हो सके। इस सम्बन्ध में दूसरी कठिनाई ठीक समय में उपचार के प्रयोग की है। यदि रोग का निदान हो भी जाय तो दवा भी तभी काम कर सकती है जब रोग के प्रारम्भ में ही उसका प्रयोग किया जाय। दूसरे शब्दों में, स्फीति तथा अपस्फीति के शुरू में ही मौद्रिक नीति प्रभावपूर्ण होती है। तीसरी बात यह है कि स्फीति (Inflation) को रोकना अपस्फीति (Deflation) की अपेक्षा अधिक सरल होता है। इसका कारण यह है कि स्फीति बिना बैंक की रजाम-दी के नहीं हो सकती। विनियोग घटाने तथा बचत बढ़ाने में बैंक की सलाह की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परन्तु बिना बैंक की स्वीकृति के विनियोग बचत से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। स्फीति प्रारम्भ में मान-वदायक होती है, अतएव शुरू में ही स्फीति को दबाना केन्द्रीय बैंक के लिए लोकप्रिय कार्य नहीं होता और जब व्यवसायियों को भविष्य में विश्वास नहीं होता तब सिर्फ बैंक दर घटाने से विनियोग नहीं बढ़ सकता। एक तो यह निश्चित करना कठिन है कि कौन व्याज-दर विनियोग तथा बचत में साम्य स्थापित कर सकती है दूसरे, केन्द्रीय बैंक का

सिर्फ मूल्यकालीन व्याज-दर पर ही प्रत्यक्ष नियन्त्रण होता है, दीर्घकालीन व्याज-दर पर नहीं। किन्तु विनियोग दीर्घकालीन व्याज दर पर ही निर्भर करता है। तृतीयत, सभी केन्द्रीय बैंको को सदस्य बैंको पर एक-सा अधिकार प्राप्त नहीं है न सर्वत्र ट्रेजरी तथा बैंको मे एक समान सहयोग ही पाया जाता है। चीये, केन्द्रीय बैंक साव वे परिमाण को निश्चित कर सकता है उसके गुण या उचित प्रयोग को नहीं। सभी केन्द्रीय बैंको को साख के परिमाण पर भी पूरा पूरा अधिकार नहीं रहता है। आजकल साख के परिमाण को भी सदस्य बैंक परोक्ष रूप से निर्धारित करते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि खुला बाजार-कार्यक्रम से सदस्य बैंको का नकद जमा बड़े ही हो सकता है कि एक और केन्द्रीय बैंक प्रतिमूनियाँ खरीद कर उसके नकद जमा बढ़ाने का प्रयत्न करे और दूसरी ओर वे केन्द्रीय बैंक को अपना ऋण भ्रदा कर नकद जमा घटावें। साथ ही, यदि नकद जमा बड़े तो भी यह कोई आवश्यक नहीं कि बैंक-जमा बड़े ही। हो सकता है कि सदस्य बैंक अपने संचित अनुपात को ही बढा दें। यदि बैंक-जमा बड़े भी तो यह कोई आवश्यक नहीं है कि विनियोग और अग्रिम बड़े। यदि खुले बाजार कार्यक्रम द्वारा बैंक-जमा का अति विस्तार रोक भी दिया जाय तो भी इस कार्यक्रम द्वारा बैंक जमा का विस्तार करना सरल नहीं है। सक्षेप मे, जनता मे यह आशका उत्पन्न करना कि विनियोग से कोई लाभ नहीं होगा, भ्रसान है, किन्तु इस भय को दूर करना भ्रामान नहीं है। अतएव, इससे स्पष्ट है कि मौद्रिक नीति अकेले कुछ भी नहीं कर सकती, किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि मौद्रिक नीति उपयोभी ही नहीं है। प्रशुक्त नीति के साथ मिलकर मौद्रिक नीति स्थिति तथा अग्रस्पीति को रोकने में बहुत हद तक सहायक हो सकती है।

अर्द्ध-विकसित देशों के लिए मौद्रिक नीति

(Monetary Policy for Under-developed Countries)

आज का युग विकास का युग है। आज सभी अविकसित तथा यद्धे विकसित राष्ट्र विकास को अपनी आर्थिक नीति का लक्ष्य बनाए हुए हैं। अत, प्रश्न यह है कि मौद्रिक नीति का इस प्रकार के देशों में क्या उद्देश्य होना चाहिए? दूसरे शब्दों में, इन देशों के आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण कार्य में मौद्रिक नीति क्या सहयोग प्रदान करती है? इस सम्बन्ध में हम यह कह सकते हैं कि तीव्र गति से बढ़ते हुए मूल्य-तल तथा अस्थिर विनिमय दर विकास के कार्य में बाधक सिद्ध होते हैं। ये भ्रान्तरिक बचत तथा विदेशी पूँजी के अन्तर्प्रवाह को हतोत्साहित कर विकास की गति को अवमथित करते हैं, किन्तु यहाँ पर यह कहना भी अनुपयुक्त नहीं होगा कि स्थिति को जान बूझ कर दमिन करना तथा आयात आदि पर कृत्रिम नियन्त्रण के द्वारा विनिमय दर को ऊँचा बनाने की नीति और भी खतरनाक होनी है। दमित स्फीति (Suppressed inflation), जो अधिकांश विकासशील देशों की एक प्रधान विशेषता है, साधारणतया दुर्लभ साधनों को अधिक आवश्यक क्षेत्र से कम आवश्यक क्षेत्र की ओर प्रवाहित करती है, अवास्तविक विनिमय दरों को बनाये रखने के लिए सरकार को विनिमय पर विभिन्न प्रकार के नियन्त्रण लगाना पडता है। इससे परिवर्तनरतमक क्रियाओं को प्रोत्साहन मिलता है। निर्गत बढ़ाने के विभिन्न उपायों का वास्तविक नियति में कोई वृद्धि नहीं होती जिसमे आर्थिक विकास के कार्य में बाधा पडती है। अत यह कहा जा सकता है कि अर्द्ध-विकसित देशों के सदर्भ में मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक तथा कृषि-उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ भ्रान्तरिक मूल्य-तल को स्थायी बनाना तथा विनिमय दर को वास्तविक स्तर पर स्थायी बनाना होना चाहिए।


इसके साथ ही एक अर्द्ध-विकसित देश में मौद्रिक नीति का प्रधान उद्देश्य व्यापार संतुलन में स्थिरता लाना भी होना चाहिए। विकासशील देशों में व्यापार संतुलन साधारणतया प्रतिकूल हो जाता है। अत केन्द्रीय बैंक को उचित मौद्रिक नीति भ्राना कर विदेशी मुद्रा का नियन्त्रण करना चाहिए और इस प्रकार व्यापार संतुलन मे अनुकूलना लानी चाहिए।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आर्थिक विकास के सम्बन्ध में मौद्रिक नीति के दो प्रमुख उद्देश्य होने हैं—मूल्य स्थायित्व को बनाये रखना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना। इन दोनों उद्देश्यों में कौन-सा उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण है, इस सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में बहुत मतभेद हो सकता है, परन्तु वस्तुतः आर्थिक विकास और मूल्य स्थिरता के बीच कोई विरोध

नहीं है। वास्तव में, मुद्रा-प्रसार विकास के प्रथम सोपान वा एक स्वाभाविक परिणाम है और इसलिए कीमत स्थायित्व को अधिक महत्त्व नहीं दिया जा सकता।

अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में मौद्रिक नीति की सीमाएँ (Limitations of Monetary Policy in Under developed Countries)—यद्यपि अर्द्ध-विकसित देशों के आर्थिक विकास में मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण स्थान है, परन्तु इन देशों की कुछ सरचनात्मक विशेषताओं के परिणामस्वरूप वहाँ मौद्रिक नीति के सफल प्रयोग का क्षेत्र अत्यन्त सीमित रहता है। वास्तव में, अर्द्ध-विकसित देशों में मौद्रिक नीति के पूर्ण रूप से प्रभावशाली न होने के निम्नलिखित प्रधान कारण हैं :—

अर्द्धविकसित राष्ट्रों में मौद्रिक नीति की सीमा



अब इन सीमाओं का निम्न विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है :—

(i) **विशाल प्रमौद्रिक क्षेत्र की विद्यमानता** :— अर्द्ध-विकसित देशों में एक विशाल प्रमौद्रिक क्षेत्र पाया जाता है जहाँ मुद्रा का चलन नहीं होता वरन् वस्तु-विनिमय की पद्धति ही प्रचलित होती है। फलतः इन क्षेत्रों में मुद्रा की मात्रा या व्याज की दर-सम्बन्धी परिवर्तनों का आर्थिक क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

(ii) **साख-मुद्रा का कम महत्त्व** :— अर्द्ध-विकसित देशों में बैंकिंग तथा साख-सम्बन्धी सुविधाओं के अभाव के कारण साख-मुद्रा के स्थान पर चलन मुद्रा ही अधिक महत्वपूर्ण रहती है, अतएव केन्द्रीय बैंक की साख-नियंत्रण नीति का मुद्रा की पूर्ति पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है।

(iii) **संगठित मुद्रा-बाजार का अभाव** :— अर्द्धविकसित देशों में साधारणतया संगठित मुद्रा-बाजार का अभाव पाया जाता है। अतः बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएँ एवा बैंक कोष में परिवर्तन का देश की साख-व्यवस्था पर प्रभावशाली प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरे शब्दों में, बैंक दर बढ़ने से भी इन देशों में साख का सकुचन नहीं हो पाता क्योंकि व्यापारिक बैंक केन्द्रीय बैंक के ऊपर आश्रित नहीं होते। व्याज दर बढ़ने से इन बैंकों के पास जमा राशि बढ़ जाती है, इस कारण वे अपने साख-निर्माण का कार्य पूर्ववत् करते रहते हैं। खुले बाजार की क्रियाएँ भी अधिक सफल नहीं होती क्योंकि इन देशों में प्रतिभूतियों का बाजार अवििकसित होता है।

(iv) **अव्यवस्थित व्याज दर-सरचना** :— अर्द्ध-विकसित देश की व्याज दर सरचना प्रायः सुसम्बन्धित एवं सुव्यवस्थित नहीं होती। यहाँ व्याज की दरों में एकत्पना का अभाव रहता है। बैंक-दर, बाजार की व्याज दर एवं बट्टा दरों के बीच भारी अन्तर रहता है। इतना ही नहीं, व्याज की दर स्थान के अनुसार भी बदलती रहती है। अतः अर्थ-व्यवस्था में प्रचलित विभिन्न व्याज दरों व केन्द्रीय बैंक की व्याज दर (बैंक दर) में कोई निश्चित सम्बन्ध न होने के कारण मौद्रिक नीति अधिक प्रभावपूर्ण नहीं हो पाती।

(v) **सुसंगठित विल बाजार का अभाव** :— अर्द्ध-विकसित देशों में साधारणतया एक

सुविकसित बिल बाजार का अभाव होता है जिसके कारण साख-प्रणाली ठीक से कार्य नहीं कर पाती ।

उपरोक्त कारणों से ही यह कहा जाता है कि अर्द्ध-विकसित देशों में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए अपनाई गयी मौद्रिक नीति निश्चित रूपसे निष्फल होती है । अमरीकी अर्थशास्त्री हावर्ड एलिस (Howard Ellis) ने इस सम्बन्ध में ठीक ही कहा है कि "The political atmosphere, the tax systems, the balance of payments situations the aims of autarchy and rapidity of development, the habits of savings (or rather their absence), the long established and quite rational mistrust of domestic currencies, the absence of markets for government securities, the "demonstration effect" of foreign standards of living—all of these produce a strongly inflationary bias and inflation has particularly pernicious effects on development" भारत के सदस्य में रिजर्व बैंक के एक भूतपूर्व गवर्नर श्री एच० वी० धार० आच्यगर (H V R. Lycnger) ने कहा था, 'यद्यपि इसमें कोई शक नहीं है कि मौद्रिक नीति प्रशासकों को आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है, परन्तु फिर भी उनके महत्त्व की अतिशयोक्ति नहीं करनी चाहिए । किसी भी प्रकार की मौद्रिक नीति स्वाद्यान उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकती । इसी प्रकार समाजद्रोही तत्वों जैसे काला-बाजार सट्टेबाजी व जमाखोरी पर भी मौद्रिक नीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य यह होना चाहिए कि मुद्रा की पूति को इतना रखे कि न्यून पूति वाली वस्तुओं पर माग का दबाव कम बना रहे । साथ ही, साख नियन्त्रण इतना कठोर नहीं होना चाहिए कि इससे उत्पादन में स्काबट हो या बाजार के विस्तार में बाधा उपस्थित हो ।'

यद्यपि एक अर्द्ध-विकसित देश के विकास में मौद्रिक नीति या क्षेत्र उक्त कारणों से अत्यन्त सीमित हो जाता है, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि अर्द्ध-विकसित देशों में इसकी कोई भूमिका ही नहीं है । यह सत्य है कि आर्थिक विकास की समस्या केवल मौद्रिक उपायों से ही नहीं सुलभायी जा सकती क्योंकि आर्थिक विकास मौद्रिक तत्वों पर ही नहीं वरन् वास्तविक तत्वों जैसे श्रम, पूँजों, भूमि, सयठन एवं साहस के रूप में उपलब्ध होने वाले प्रसाधनों पर भी निर्भर करता है । परन्तु मौद्रिक नीति साख की पूति और उसके प्रयोग को प्रभावित करके, मुद्रा-प्रसार का सामना करके एवं भुगतान सन्तुलन में समता बनाये रखकर आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर सकती है ।

विशेष अध्ययन-सूची

1	Crowther	An Outline of Money, Chapter IV
2	Hayek	Prices and Production
3	De Kock	Central Banking, Chapter XVI
4	Halm	Monetary Theory, Chapter X.
5	Hansen	Monetary Theory & Fiscal Policy. Chapters XI & XII

अध्याय : 31

सस्ती मुद्रा-नीति

(Cheap Money Policy)

प्रावक्ष्यन् .—1929 ई० की ममानक आर्थिक मन्दी एव 1931 ई० में अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान के पतन के बाद से इंग्लैंड एव अन्य देशों में आय में वृद्धि एवं पूर्ण रोजगारी (Full employment) की नीति को अत्यधिक प्रधानता दी जाने लगी । किन्तु आर्थिक मन्दी के बाद सभी राष्ट्रों की आर्थिक व्यवस्था आय एवं रोजगारी के बहुत ही निम्न स्तर पर पहुँच गयी थी । इस स्तर में वृद्धि लाने के लिए समाज की सम्पूर्ण मांग में वृद्धि आवश्यक थी । और सम्पूर्ण मांग में वृद्धि उपभोग (Consumption) एवं विनियोग (Investment) में वृद्धि के द्वारा लायी जाती है, किन्तु मन्दी के परिणामस्वरूप उपभोग की अपेक्षा विनियोग में बहुत कमी आ गयी थी । अतः-एव, आय एवं रोजगार के स्तर में वृद्धि के लिए विनियोग को प्रोत्साहित करना अनिवार्य था । हम देख चुके हैं कि विनियोग में वृद्धि दो बातों पर निर्भर करती है —

(क) सूद की दर (Rate of Interest), एवं

(ख) पूँजी की सीमांत उत्पादकता (Marginal productivity of Capital) ।

जब सूद की दर पूँजी की सीमांत उत्पादकता से कम रहती है तो विनियोग प्रोत्साहित होता है और इस प्रकार विनियोग के परिणामस्वरूप त्वरण (Acceleration) एवं गुणक की प्रक्रिया से सम्पूर्ण आय एवं रोजगारी में वृद्धि होती है । इस प्रकार सम्पूर्ण आय एवं रोजगार में वृद्धि के लिए विभिन्न देशों की मौद्रिक नीति में सस्ती मुद्रा-नीति (Cheap money policy) का समावेश हुआ । सस्ती मुद्रा-नीति को दो कारणों से महत्त्व दिया जाने लगा — (क) पूर्ण रोजगारी (Full employment) की प्राप्ति के लिए, तथा (ख) आर्थिक व्यवस्था को आय एवं रोजगारी के उच्च स्तर पर स्थायी बनाने के लिए ।

सस्ती मुद्रा नीति का अर्थ Meaning of the Cheap Money Policy) अब हमें यह देखना है कि सस्ती मुद्रा नीति का क्या अर्थ है ? सस्ती मुद्रा नीति का अर्थ देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा सरकार की सहायता से मुद्रा-बाजार में हस्तक्षेप कर सूद की दर को बहुत ही निम्न-स्तर पर कायम रखना है । केन्द्रीय बैंक के हस्तक्षेप के अभाव में सूद की दर बहुत अधिक रहती है । इंग्लैंड में 1932 ई० में सस्ती मुद्रा नीति अपनाने के पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैंक दर 3 प्रतिशत थी, सस्ती मुद्रा नीति के अन्तर्गत इसे घटा कर 2 प्रतिशत कर दिया गया । किन्तु केवल बैंक दर में कमी लाने से ही सूद की दरों में कमी होगी यह आवश्यक नहीं । मुद्रा बाजार में सूद की दर को निम्न स्तर पर लाने के लिए केन्द्रीय बैंक को हस्तक्षेप कर बाजार-दर को भी कम करना पड़ता है । बाजार-दर को निम्न स्तर पर रखने के लिए केन्द्रीय बैंक को व्यावसायिक बैंकों के कोष में वृद्धि कर अतिरिक्त मुद्रा की सृष्टि करनी पड़ती पड़ती है । किन्तु केवल अतिरिक्त मुद्रा की सृष्टि तथा व्यावसायिक बैंकों के कोष में वृद्धि से ही मुद्रा बाजार की दर में कमी सम्भव नहीं है । इसके लिए केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी की गयी अतिरिक्त मुद्रा को बाजार में रखना होगा । व्यावसायिक बैंकों की मुद्रा-सृजन की शक्ति में वृद्धि के लिए यह आवश्यक होगा कि बाजार में ऐसे साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों जिनके आधार पर व्यावसायिक बैंक इस प्रकार की मुद्रा का सृजन कर सकें । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार अपने विनियोग में वृद्धि करती है और इस खर्च की पूर्ति वह बैंकों से कर्ज लेकर करती है । सरकार प्रतिभूतियों को जारी करती है, जिन्हें वह केन्द्रीय अथवा व्यावसायिक बैंकों के हाथ रख कर उनसे कर्ज लेती है । इसके परिणामस्वरूप सरकार का बैंकों के साथ जमा बढ़ जाता है और जब सरकार अपने इस जमा को खर्च करने लगती है तो व्यावसायिक बैंकों का केन्द्रीय बैंक के साथ कोष बढ़ने लगता है । इससे मुद्रा की राशि में कई गुनी वृद्धि होती है । इस प्रकार सस्ती मुद्रा-नीति के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय के लिए सदा तत्पर रहता था जिससे बाजार दर भी एक निम्न-दर पर स्थायी रहती थी ।

निम्न सृद की दर के पक्ष में तर्क

(Rationale of the Low Interest Rates)

पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करने तथा बनाये रखने के लिए सस्ती मुद्रा-नीति अथवा निम्न सृद की दर (Low Interest Rate) को कई कारणों से आवश्यक समझा जाता है। इनमें निम्नांकित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।—

(1) निम्न तथा स्थायी सृद की दर का पूँजी बाजार एवं विनियोग पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है (Low and stable interest rate has a healthy effect on the capital market and therefore investment) —निम्न एवं स्थायी सृद की दर का पूँजी-बाजार पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। इससे विनियोग को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि इसके अन्तर्गत सृद की दर में वृद्धि के परिणामस्वरूप होने वाली हानि की सम्भावना प्रायः समाप्त हो जाती है। एक उदाहरण द्वारा इसे अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। मान लिया कि कोई व्यक्ति 1000 रुपये का एक ऋण-पत्र 4 प्रतिशत व्याज की दर पर खरीदता है जिससे उसे 40 रुपये की वार्षिक आय प्राप्त हो सके। यदि इस प्रकार के ऋण-पत्रों पर सृद की दर बढ़कर 5 प्रतिशत हो जायगी तो इस दर पर 40 रुपये की वार्षिक आय 800 रुपये के विनियोग से ही प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार सृद की दर में 4 से 5 प्रतिशत की वृद्धि होने पर वास्तविक विनियोग में 200 रुपये या 20 प्रतिशत की कमी हो सकती है। इससे स्पष्ट है कि बढ़ती हुई सृद की दर का मुद्रा-बाजार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यह पूँजी की सीमांत उत्पादकता (Marginal productivity of capital) को प्रभावित कर वास्तविक विनियोग को प्रोत्साहित करता है। सृद की दर अधिक होने पर नये पूँजीगत साधन बढ़ाने की अपेक्षा वर्तमान साधनों, जैसे ऋण-पत्र अथवा प्रतिभूतियों को खरीदना ही अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। इससे विपरीत निम्न-सृद की दर की नीति अपनाने से पूँजी की सीमांत उत्पादकता की अपेक्षा सृद की दर कम ही दिखायी देती है जिससे नये विनियोग को प्रोत्साहन मिलता है।

(2) निम्न सृद की दर दीर्घकालीन पूँजी के निर्माण में सहायक होती है (The Low interest rate is conducive to long-term capital formation) —यद्यपि निम्न सृद की दर को पूँजी के विनियोग-सम्बन्धी निर्णय का बहुत साधारण कारण समझा जाता है क्योंकि अधिकांश व्यावसायिकों के उत्पादन व्यय में सृद का बहुत ही छोटा भाग रहता है, फिर भी यह कुछ विशेष प्रकार के विनियोग में अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। ऐसे व्यवसायों में निर्माण तथा सार्वजनिक सेवाओं का स्थान प्रधान है। किसी भी देश में पूँजी-निर्माण में इस प्रकार के व्यवसाय का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। इससे स्पष्ट है कि दीर्घकालीन निम्न सृद की दर नीति आर्थिक स्थायित्व को प्रोत्साहित करती है। ऋण-पत्रों पर सृद की दर में कमी करने से निजी उद्योग में स्थायित्व उत्पन्न होता है।

(3) निम्न सृद की दर से सरकारी विनियोग को प्रोत्साहन मिलता है (Low interest rates facilitate loan-financed Public Investment) —सस्ती मुद्रा-नीति के पक्ष में सर्वाधिक प्रमुख तर्क यह है कि इससे सरकार को ऋण लेकर सार्वजनिक कार्यों में विनियोग करने में सुविधा होती है। आजकल प्रत्येक देश के राजकीय व्यय में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। राजकीय व्यय में इस वृद्धि के बहुत सारे कारण हैं। परन्तु पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए निजी विनियोग में समय-समय पर विभिन्न कारणों से जो कमी होती है, उनकी पूर्ति के लिए भी सरकार सार्वजनिक कार्यों पर बहुत अधिक रकम व्यय करती है। ऐसी स्थिति में अपने बड़े हुए खर्च की पूर्ति सरकार मुद्रा बाजार से ऋण लेकर ही करती है। सृद की दर कम होने से सरकार के लिए ऋण लेना अपेक्षाकृत अधिक सस्ता हो जाता है। अतएव, सस्ती मुद्रा-नीति के समर्थन में यह सबसे प्रमुख तर्क है।

(4) बेकारी की समस्या के समाधान में निम्न सृद की दर अधिक सहायक होती है (The Low interest rate is more expedient than wage reduction for solving the problem of mass unemployment) ।—बेकारी की समस्या के समाधान में सस्ती मुद्रा-नीति मजदूरों की दर में कमी की अपेक्षा अधिक मुक्तिदायक जान पड़ती है क्योंकि श्रम संधि के कारण आजकल मजदूरों की दर में कटौती प्रायः असम्भव हो गयी है। साथ ही, मजदूरों में

कटौती से कुल मांग में कमी हो जायगी जिससे पूर्ण-रोजगारी का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो सकता। इस प्रकार मजदूरी में कटौती की अपेक्षा पूर्ण रोजगारी की प्राप्ति के लिए सूद की दर में कमी ही अधिक उपयुक्त साधन है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बेकारी की समस्या के समाधान में सस्ती मुद्रा-नीति का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में, सस्ती मुद्रा-नीति के पक्ष में सबसे प्रबल तर्क पूर्ण-रोजगारी की प्राप्ति तथा इसे बनाये रखना ही समझा जाता है। यही कारण है कि 1931-32 ई० से लेकर 1950-51 ई० तक संसार के प्रायः सभी प्रमुख देशों की मौद्रिक नीति में सस्ती मुद्रा-नीति को प्रधान स्थान दिया गया था।

सस्ती मुद्रा-नीति के विपक्ष में तर्क

(Arguments Against Cheap Money Policy)

यद्यपि सस्ती मुद्रा-नीति पूर्ण-रोजगार की दृष्टि से आवश्यक समझी जाती है, फिर भी इस प्रकार की नीति के विरुद्ध कई आलोचनाएँ दी जाती हैं। वास्तव में, निम्न सूद की दर की नीति को अपमान में बहुत-सी कठिनाइयाँ हैं। सस्ती मुद्रा-नीति के विरुद्ध साधारणतया निम्नांकित तर्क दिये जाते हैं :—

(1) सर्वप्रथम तो निम्न सूद की दर की आलोचना इस बात को लेकर की जाती है कि यह मनुष्य के लिए धन जमा करने में बाधक सिद्ध होती है और इस प्रकार व्यावसायिक उन्नति में बाधा उत्पन्न करती है (Low interest rates discourage a man from building up a fortune to pass along to his heirs and therefore reduce incentive to business development and leadership) :—सस्ती मुद्रा-नीति की आलोचना इस तर्क के आधार पर की जाती है कि यह भविष्य के लिए धन जमा करने में बाधक सिद्ध होती है। किन्तु इस तर्क के विरुद्ध यह कहा जाता है कि ऊँची सूद की दर से जिस Renter वर्ग की उत्पत्ति होती है वह सुयोग्य व्यवसाय संचालन एवं नेतृत्व के लिए विलकुल आवश्यक नहीं है। केन्स (Keynes) का इस सम्बन्ध में यह विचार ठीक जान पड़ता है कि “बेकार विनियोगी वर्ग, जो वगैर किसी जोखिम भयवा त्याग के ऊँचे सूद के रूप में बोनस पा रहा है, को धीरे-धीरे समाप्त कर वास्तविक जोखिम उठाने वालों के लिए स्थान रिक्त करना चाहिए।” (The functionless investors, now receiving a bonus in the form of interest for no genuine sacrifice, should gradually disappear to make room for genuine risk-takers.) किन्तु इतना होने पर भी सस्ती मुद्रा-नीति के विरुद्ध विनियोगी वर्ग द्वारा दिये जाने वाले तर्क की पूर्ण रूप से अवहेलना नहीं की जा सकती।

(2) निम्न सूद की दर बचत को हतोत्साहित कर वृद्धि तथा आर्थिकों के आर्थिक जीवन को असुरक्षित बनाती है (Low interest rates discourage thrift and encourage economic insecurity for the aged and dependents) :—सस्ती मुद्रा-नीति के विरुद्ध साधारणतया यह कहा जाता है कि यह बचत को हतोत्साहित करती है जिससे वृद्ध एवं आर्थिकों का जीवन अधिक असुरक्षित हो जाता है। सूद की दर कम होने से लोगों में बचाने की भावना बहुत कम हो जाती है। किन्तु दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि अधिक ऊँची सूद की दर भी बचत को कम करता है क्योंकि सूद के रूप में अधिक आय से कम बचाने की आवश्यकता पड़ती है। सुरक्षा के सम्बन्ध में भी यह कहा जाता है कि वृद्ध एवं आर्थिकों के लिए सुरक्षा ऊँची सूद की दर से नहीं, बरन् सामाजिक पद्धति द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। इस तर्क के विरुद्ध यह भी कहा जाता है कि सुरक्षा सूद से नहीं बरन् मूलधन से बढ़ती है। इन सब बातों में सत्यता की मात्रा जो भी हो, इतना अवश्य है कि बचत एवं सुरक्षा का तर्क सस्ती मुद्रा-नीति के मार्ग में रुकावट नहीं उत्पन्न कर सकता।

(3) निम्न सूद की दर से बैंक तथा शिक्षण एवं परोपकारी संस्थाओं की आय कम हो जाती है (Low interest rates reduce the income of banks, educational and charitable institutions) :—जहाँ तक शिक्षण तथा अन्य संस्थाओं की प्राय का सम्बन्ध है इतनी आय में कमी ही अधिक महत्त्वपूर्ण एवं चिन्ताजनक है। प्रायः कहा जाता है कि निम्न

सूद की दर से व्यावसायिक बैंको की आय कम हो जायगी जिससे ये अपनी सेवाओं के मूल्य को बढ़ा देंगे। इस प्रकार निम्न व्याज की दर व्यावसायिक बैंको के लिए वास्तव में एक समस्या बन जाती है। किन्तु इस तर्क के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि सस्ती मुद्रा-नीति से पूर्ण-रोजगारी प्राप्त होती है जिससे व्यावसायिक बैंक अपने ऋण एवं विनियोग तथा सेवाओं के मूल्य में वृद्धि कर अपनी आय की कमी की पूर्ति कर सकते हैं।

(4) सस्ती मुद्रा-नीति 'स्वामित्व के बदले लाभ' की स्वीकृत धारणा के महत्त्व को कम कर पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था के मूलभूत तत्त्व को ही समाप्त कर देती है (Cheap money policy may undermine the accepted concept of return to ownership and strip the capitalistic concept of a basic element of its most characteristic institutions) :—सस्ती मुद्रा-नीति की आलोचना इस बात को लेकर भी की जाती है कि यह स्वामित्व के बदले लाभ की धारणा को कम करके पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था के एक मूलभूत तत्त्व को ही समाप्त कर देती है। किन्तु इस तर्क के विरुद्ध केन्स (Keynes) आदि लेखकों का यह विचार है कि अमेरिका-जैसे धनी एवं पूँजीवादी देश में निरन्तर पूर्ण-रोजगार के कारण वचत बहुत अधिक होगी तथा ऐसी आर्थिक व्यवस्था में सूद की दर शून्य रहने पर भी पर्याप्त मात्रा में बचन हो सकती है।

(5) सस्ती मुद्रा-नीति ऐसी प्रवृत्तियों की सृष्टि करती है जिनका निदान केवल महँगी मुद्रा-नीति के द्वारा ही किया जा सकता है (Cheap money policy creates tendencies which can be cured only by dear money policy) :—सस्ती मुद्रा-नीति के विरुद्ध डी-कॉक (De Cock) का यह कथन है कि यह ऐसी प्रवृत्तियों को जन्म देती है जिन्हें केवल महँगी मुद्रा-नीति के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। सस्ती मुद्रा-नीति के फलस्वरूप उत्पादन-नियन्त्रण में वृद्धि न होकर मौद्रिक कोषों का प्रयोग अनुपयोगी कार्यों के लिए किया जाने लगता है। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार की नीति में उचित एवं उपयोगी विनियोग की अपेक्षा अनुचित एवं अनुपयोगी विनियोग के प्रोत्साहन की सदा श्रंशका बनी रहती है। इस सृष्टि के निदान के लिए सस्ती मुद्रा-नीति का प्रयोग आर्थिक नियन्त्रण के अन्य तरीकों के साथ किया जाना चाहिए।

इस प्रकार सस्ती मुद्रा नीति के विरुद्ध उक्त सारे तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं। अतएव यद्यपि सिद्धान्ततः सस्ती मुद्रा-नीति के सिद्धान्त को स्वीकार किया जा सकता है, फिर भी व्यावहारिक रूप में इस नीति के कार्यान्वयन में कई एक सस्थागत एवं मनोवैज्ञानिक कठिनाइयाँ हैं जिनसे इसे स्वीकार करना प्रायः असम्भव-सा हो जाता है। यही कारण है कि आजकल पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए सस्ती मुद्रा-नीति पर जोर नहीं देकर सुत्य रूप से प्रशुन्क नीति पर ही जोर दिया जाता है।

व्यवहार में सस्ती मुद्रा-नीति

(Cheap Money Policy in Practice)

उक्त कठिनाइयों के बावजूद 1951 ई० तक इंग्लैंड तथा अन्य प्रमुख देशों ने अत्यधिक सस्ती मुद्रा-नीति (Ultra cheap money policy) का अनुकरण किया। सस्ती मुद्रा-नीति के इतने दिनों तक प्रचलन में रहने के कई कारण थे जिनमें निम्नलिखित प्रमुख थे—(1) इन देशों में मौद्रिक अधिकारियों का यह विश्वास था कि सस्ती मुद्रा-नीति के द्वारा आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है, अतएव पूर्ण-रोजगारी कायम करने के लिए यही अनुकूल मौद्रिक-नीति थी। (2) सस्ती मुद्रा-नीति सरकारी ऋण के लिए भी लाभदायक थी। द्वितीय महायुद्ध के समय तथा बाद में विभिन्न देशों की सरकारों को बहुत अधिक मात्रा में ऋण की आवश्यकता पड़ी, अतएव कम ही सूद की दर पर ऋण प्राप्त करने के लिए भी सस्ती मुद्रा-नीति को अपनाया गया। (3) युद्ध के पश्चात् सरकारी प्रतिभूतियों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण मुद्रा-बाजार में इनका महत्त्व बहुत बढ़ गया। प्रतिभूतियों की कीमत को स्थायी बनाने के लिए भी सूद की दर को निम्न स्तर पर स्थायी रखना अति अनिवार्य था।

किन्तु व्यवहार में यह नीति बहुत हद तक सफल नहीं रही। केन्स (Keynes) तथा इनके अनुयायियों के अनुसार मूद की दर को निम्न स्तर पर रख कर आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है तथा उत्पादन, आय एवं रोजगार के परिमाण में वृद्धि लायी जा सकती है। किन्तु केवल मौद्रिक नीति के प्रयोग द्वारा इस कार्य में बहुत कम सफलता मिल पाती है। उदाहरण के लिए, महान् आर्थिक मन्दी के बाद जब इस नीति का समावेश हुआ तो यह देखा गया कि आर्थिक क्रियाओं पर इसका प्रायः कोई प्रभाव नहीं पडा।

युद्धोत्तर काल में सस्ती मुद्रा-नीति बहुत दिनों तक नहीं चल सकी तथा विभिन्न देशों ने धीरे-धीरे इसे छोड़ना प्रारम्भ किया। 1951 ई० के नवम्बर में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपनी बैंक-दर को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 2½ प्रतिशत तथा फरवरी, 1952 ई० में 4 प्रतिशत कर दिया। भारतवर्ष में भी रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने अपनी बैंक-दर को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 3½ प्रतिशत कर दिया। 2 जनवरी, 1963 ई० को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने अपनी बैंक दर को बढ़ाकर 4 प्रतिशत, 25 सितम्बर, 1964 ई० को इसे बढ़ाकर 5 प्रतिशत, 17 फरवरी, 1965 ई० को 6 प्रतिशत तथा जुलाई, 1974 में 9 प्रतिशत कर दिया। साथ ही बैंक ऑफ इंग्लैंड ने Open Backdoor की प्रथा का परित्याग कर दिया। Open Backdoor प्रथा के अन्तर्गत बैंक ऑफ इंग्लैंड बैंक-दर को 2 प्रतिशत रहने के बावजूद स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के द्वारा मुद्रा-बाजार एवं व्यावसायिक बैंकों से बैंक-दर से ½ प्रतिशत कम की दर पर ही सरकारी बिलों का क्रय विक्रय करता था। इस प्रथा के समाप्त होने के बाद बैंक ने बैंक दर पर बिलों का क्रय विक्रय प्रारम्भ कर दिया। 20 वर्षों के बाद बैंक-दर में इस वृद्धि का मुद्रा-बाजार पर गम्भीर मनोवैज्ञानिक प्रभाव होना अनिवार्य था। इससे यह स्पष्ट हो गया कि आर्थिक नियन्त्रण के साधन के रूप में आज भी मौद्रिक अस्त्रों का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

विशेष अध्ययन-सूची

1. Kurihara : Monetary Theory and Public Policy
2. Hansen : Monetary Theory and Fiscal Policy

अध्याय : 32

प्रशुल्क नीति

(Fiscal Policy)

प्राक्कथन — प्रशुल्क अथवा वित्तीय नीति का तात्पर्य राजस्व (बजट-नीति) की क्रियाओं द्वारा आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये गये प्रयत्नों से है। दूसरे शब्दों में, इसका तात्पर्य सरकारी व्यय, करारोपण, ऋण की प्राप्ति तथा व्यवस्था से है। (Fiscal policy refers to government spending, taxing borrowing and debt management) वर्तमान समय में, सरकार अपनी आय एवं व्यय द्वारा आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करने का प्रयास करती है। अतएव किसी विशेष उद्देश्य, जैसे पूर्ण-रोजगार की प्राप्ति अथवा युद्ध के लिए वित्त-प्रद्वन्द्व इत्यादि की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा कर के ढाँचे अथवा करों द्वारा प्राप्त आय के आकार के निर्धारण या राजकीय व्यय के आकार एवं दिशा-निर्धारण को वित्तीय अथवा प्रशुल्क नीति कहते हैं। आर्थर स्मिथीज (Arthur Smithies) के अनुसार, “प्रशुल्क नीति वह नीति है जिसमें सरकार अपने व्यय तथा आगम के कार्य-क्रमों को राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार पर इच्छित प्रभाव डालने तथा अवांछित प्रभावों को रोकने के लिए प्रयुक्त करती है।” (Fiscal policy is a policy under which the government uses its expenditure and revenue programmes to produce desirable effects and avoid undesirable effects on national income, production and employment) केन्स ने भी प्रशुल्क नीति को उपभोग के समान और वित्तियोग की प्रेरणा के बीच समायोजन करने वाला संतुलन तत्व बतलाया है। वास्तव में, इनके अनुसार, ‘प्रशुल्क नीति एक ऐसी नीति है जो अर्थ-व्यवस्था में संतुलनकारी तत्व के रूप में राजस्व का प्रयोग करती है।’ (Fiscal policy is a policy that uses Public Finance as a balancing factor in the development of the economy) इसी प्रकार प्रो० सैमुएलसन (Samuelson) के अनुसार भी सक्रिय प्रशुल्क नीति से हमारा आशय कराधान एवं सार्वजनिक व्यय को ऐसा रूप देने की प्रक्रिया से है (1) जो व्यापार-चक्र की लहरों को दबाने में सहायक सिद्ध हो सके, तथा (2) जो एक विनाशशील एवं उच्च रोजगार वाली अर्थ-व्यवस्था को अत्यधिक मुद्रा-स्फीति अथवा मुद्रा-संकुचन से मुक्त रख सके।” (By a positive fiscal policy, we mean the process shaping public taxation and public expenditure so as (1) to help dampen down the swings of the business cycle, and (2) to contribute towards the maintenance of a progressive, high employment economy from excessive inflation or deflation)

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रशुल्क नीति के अन्तर्गत हम करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा सार्वजनिक व्यय की उन क्रियाओं का विवेचन करते हैं जिनके द्वारा सरकार पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास करती है। प्रशुल्क नीति की सफलता वित्तीय क्रियाओं के आर्थिक प्रभावों पर निर्भर करती है जो अस्थिर व्यापक होते हैं। इसीलिए आधुनिक समय में वित्तीय नीति का उपयोग बढ़ता जा रहा है तथा सामान्य आर्थिक नियन्त्रण के लिए मौद्रिक नीति की अपेक्षा यह अधिक शक्तिशाली सिद्ध हो रही है। आधुनिक समय में प्रशुल्क नीति के तीन मुख्य अंग हैं— कर (Taxation), (ख) सार्वजनिक ऋण (Public Debt), तथा (ग) राजकीय व्यय (Public expenditure)। निम्न-निम्न समय में सरकार विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करों को लगाती है और इसी प्रकार विभिन्न मद्दों में निम्न निम्न प्रकार से व्यय करती है। अतएव वित्तीय नीति के ये दो मुख्य अंग हैं। किन्तु आधुनिक समय में सार्वजनिक ऋण (Public debt) का भी महत्त्व बढ़ता जा रहा है जिससे इसे वित्तीय नीति का तीसरा अंग माना जाने लगा है। दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि कर, सार्वजनिक व्यय एवं सार्वजनिक ऋण प्रशुल्क या वित्तीय नीति के मुख्य अंग हैं।

प्रशुल्क नीति की उपयोगिता की ओर लोगों का ध्यान सर्वप्रथम 1929 ई० की मंदी के समय गया जबकि विश्व के प्रमुख राष्ट्रों द्वारा आर्थिक मंदी के कुप्रभावों को दूर करने के लिए राजकीय व्यय में वृद्धि की जाने लगी। इस भयानक आर्थिक मंदी एवं सुस्ती (Recession) के कारण उत्पन्न विस्तृत बेरोजगारी ने वित्तीय नीति के महत्त्व की ओर भी स्पष्ट बना दिया। इसी महान् आर्थिक मंदी के समय राजकीय व्यय के एक सिद्धान्त 'समुद्दीपन' (Pump priming) का जन्म हुआ।

राजकीय बजट एवं आर्थिक क्रियाएँ (Budget and Economic Activity) :- आधुनिक समय में राज्य अपने बजट द्वारा देश की अर्थ-व्यवस्था को बहुत अधिक नियंत्रित करता है। आज से प्रायः 50 वर्ष पूर्व सरकार का बजट बहुत ही छोटा हुआ करता था। उस समय तक करो का प्रधान उद्देश्य सरकार के लिए आय प्राप्त करना तथा व्यय का उद्देश्य बाह्य ऋण से देश की सुरक्षा एवं आंतरिक शान्ति को बनाये रखना समझा जाता था, अतः वित्तीय नीति का आर्थिक क्रियाओं के नियमन में कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता था। किन्तु आज परिस्थितियाँ पूर्णतया बदल गयी हैं। आज प्रायः सभी प्रगतिशील देशों में राजकीय व्यय एवं आय के आकार में बहुत अधिक वृद्धि हो गयी है। साथ ही, इनके उद्देश्यों में भी परिवर्तन हुआ है जिससे समाज को कुल आय तथा रोजगार के निर्धारण में इनका विशेष महत्त्व हो गया है।

आधुनिक समय में राजकीय व्यय एवं आय अर्थ-व्यवस्था में कीमत, रोजगार, कुल व्यय तथा राष्ट्रीय आय के वितरण को महत्त्वपूर्ण रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक व्यय का समाज की आय एवं रोजगार पर प्रभाव पड़ता है। जब राज्य अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि, सार्वजनिक ऋण पर व्याज का भुगतान तथा सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं पर अधिकाधिक मात्रा में व्यय करता है तो इससे समाज के लोगों की आय में वृद्धि होती है। आय में वृद्धि से उपभोग के लिए वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है जिससे निर्माता अथवा उत्पादक अपने उत्पादन की इकाइयों की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करते हैं। इससे उत्पादन के साधनों की मांग में वृद्धि होती है और परिणामस्वरूप समाज में रोजगार एवं आय के स्तर में वृद्धि होती है।

इसी प्रकार बजट के दूसरे अंग, यानी करो का भी अर्थ-व्यवस्था पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कर प्रत्येक कर-दाता के लिए भार-स्वरूप सिद्ध होता है। कर चुकाने से कर-दाताओं की आय में कर की रकम के बराबर कमी हो जाती है और जैसा कि हम जानते हैं उपभोग तथा बचत आय पर ही निर्भर करते हैं। अतएव आय कम होने से उपभोग तथा बचत दोनों में कमी होती है। उपभोग कम होने से वस्तुओं की मांग कम हो जाती है जिससे उत्पादन घट जाता है और उत्पादन में कमी होने से रोजगार तथा आय में और अधिक कमी होती है। इस प्रकार बचत कम होने से समाज में पूँजी का निर्माण (capital formation) कम हो जाता है जिससे उद्योग-घटकों को पूँजी के अभाव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सारास यह है कि सार्वजनिक व्यय की ही तरह करो का भी देश की अर्थ-व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

बजट तीन प्रकार के होते हैं—(1) बचत वाले बजट (Surplus Budget), (2) घाटे वाले बजट (Deficit Budget), तथा (3) सतुलित बजट (Balanced Budget)। इनमें से बचत वाले बजटों का आर्थिक व्यवस्था पर साधारणतया अपस्फीतिजनक प्रभाव (deflationary effect) पड़ता है। इसके विपरीत घाटे वाले बजटों से आर्थिक क्रियाओं के विस्तारीकरण में सहायता मिलती है। मंदी के समय, जब अर्थ-व्यवस्था में आय-प्रवाह में वृद्धि की आवश्यकता होती है, घाटे वाले बजटों तथा अभिवृद्धि के समय जब अर्थ-व्यवस्था में आय-प्रवाह में कमी की आवश्यकता होती है, बचत वाले बजटों को प्रस्तुत करना ही उत्तम होता है। सतुलित बजटों का भी अर्थ-व्यवस्था पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव मुख्यतः करो एवं सार्वजनिक व्यय की बनावट पर निर्भर करता है, किन्तु साधारण समय में सतुलित बजट तैयार करना ही वित्त-मन्त्री के लिए अधिक बुद्धिमानी का कार्य समझा जाता है।

प्रशुल्क नीति के उद्देश्य

(Objectives of the Fiscal Policy)

अब प्रश्न यह है कि प्रशुल्क अथवा वित्तीय नीति के क्या उद्देश्य हैं? वास्तव में वित्तीय नीति के उद्देश्य विभिन्न देशों की आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं। उदाहरण

के लिए, अमेरिका तथा इंग्लैंड जैसे विकसित देशों में वित्तीय नीति का प्रधान उद्देश्य रोजगार के बिन्दु पर आर्थिक स्थायित्व (Economic stability at the level of full employment) समझा जाता है, किन्तु भारत जैसे एक अर्द्ध-विकसित देश में इसका प्रधान उद्देश्य द्रुतगति से देश का आर्थिक विकास (rapid economic development) ही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त वित्तीय नीति का एक तीसरा उद्देश्य समाज में आर्थिक विषमता को कम करना (Reduction of economic inequality) भी हो सकता है। इस प्रकार वित्तीय नीति के ये सभी उद्देश्य हो सकते हैं। वास्तव में, ये उद्देश्य परस्पर-विरोधी भी हो सकते हैं, यानी एक ही समय इन सभी उद्देश्यों को पूरित करना सम्भव नहीं है।

अब प्रशुल्क नीति के इन दिभिन्न उद्देश्यों का निम्न विवरण प्रस्तुत किया जाता है—

(1) प्रशुल्क नीति तथा आर्थिक विकास (Fiscal Policy and Economic Development)—साधारणतया अवििकसित तथा अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में वित्तीय नीति का प्रधान उद्देश्य द्रुतगति से देश का आर्थिक विकास होता है। आर्थिक विकास का तात्पर्य प्रति व्यक्ति औसत वास्तविक आय में वृद्धि से है।¹ आर्थिक विकास बहुत-से तत्वों पर निर्भर करता है, किन्तु इनमें पूँजी-निर्माण (capital formation) की दर में वृद्धि प्रमुख है। पूँजी का निर्माण बचत की मात्रा पर निर्भर करती है और बचत की मात्रा आय के परिमाण पर। एक नितात विकसित राष्ट्र में प्रति व्यक्ति औसत आय के अधिक होने के कारण व्यक्तिगत एवं व्यापारिक बचत की मात्रा अपने-आप अधिक होती है। अतएव, इन दोनों में वित्तीय नीति का प्रधान उद्देश्य केवल यह देखना होता है कि बचत के उत्पादक ढंग से विनियोग होने में करो में कोई अनावश्यक बाधा न पहुँचे। इसका दूसरा कार्य अर्थ-व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने के लिए पूँजी-निर्माण में होनेवाले परिवर्तनों को यथासम्भव कम करना होता है। विकसित राष्ट्रों में वित्तीय नीति का तीसरा कार्य, करो के द्वारा विनियोग के स्वरूप को प्रभावित करना होता है। साथ ही, इन देशों में सरकार शिक्षा, परिवहन एवं यातायात, अनुसंधान तथा अन्य प्रकार के विवासात्मक कार्यों में सार्वजनिक व्यय को बढ़ाकर भागी विकास की जड़ों को मजबूत बना सकती है। इस प्रकार आर्थिक विकास में सार्वजनिक व्यय का स्थान महत्त्वपूर्ण होता है।

किन्तु आर्थिक विकास में करो का महत्त्व भी किसी प्रकार से कम नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि करो से बचत की मात्रा कम होती है अथवा लोग बचत का उपयोग करो के मुगान में करते हैं तो इससे वैयक्तिक विनियोग में कमी आती है। इसी प्रकार करो से लाभ की मात्रा कम होने पर भी विनियोग की इच्छा में कमी होती है जिससे आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ जाती है। अतएव, वित्तीय नीति इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कि करो के हानिकारक प्रभावों को भी कम किया जा सके।

इसी प्रकार राज्य की ऋण-सम्बन्धी नीति का भी दीर्घकालीन आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यदि सरकार द्वारा ऋण लिये जाने के फलस्वरूप वैयक्तिक विनियोग के लिए द्रव्य की कमी पड़ जाती है तो इससे आर्थिक विकास रुक-सा जायगा। इसके विपरीत यदि सरकार द्वारा ऋण शोषण के परिणामस्वरूप व्यापारियों तथा वैयक्तिक विनियोजकों के पास द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे वैयक्तिक विनियोग बढ़ता है और आर्थिक विकास की गति भी तीव्र हो जाती है।

अर्द्ध-विकसित देशों में प्रशुल्क नीति का प्रधान उद्देश्य आर्थिक विकास—अविकसित अथवा अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था वाले देशों में वित्तीय नीति का प्रधान कार्य विनियोग की कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में बचत करना होता है। इन देशों में वित्तीय अधिकारियों के समक्ष प्रमुख समस्या देशवासियों को दरिद्रता की अधी गली से निकालने की होती है। अतएव, इनमें एक और वित्तीय नीति का कार्य उत्पादन शक्ति में वृद्धि की दर को तीव्रतर बनाना तथा दूसरी ओर आर्थिक स्थायित्व को बनाये रखना होता है। इस दोहरे कार्य को सपादित करने के

1 "Economic development is a process whereby an economy's real national income increases over a long period of time And, if the rate of development is greater than the rate of population growth, then per-capita real income will increase"—Meier & Baldwin • Economic Development.

लिए वित्तीय नीति को एक प्रभावपूर्ण कर-प्रणाली द्वारा सार्वजनिक व्यय को बढ़ाने का प्रयत्न करना पड़गा। एक विकासो-मुख आर्थिक व्यवस्था में कर-प्रणाली को समाज में उपभोग के लिए एक आवश्यक न्यूनतम मात्रा छोड़कर, आर्थिक विकास के लिए अधिक-से-अधिक साधनों को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, किन्तु ऐसी अर्थ-व्यवस्था में भी करारोपण का उद्देश्य सम्पूर्ण मांग में कमी करना नहीं होकर केवल कुछ विशेष साधनों की प्रभावपूर्ण मांग (effective demand) में कमी करना होता है जिससे उन साधनों की आर्थिक विकास के लिए आवश्यक अन्य कार्यों में प्रयुक्त किया जा सके। दूसरे शब्दों में, वित्तीय नीति का उद्देश्य आर्थिक साधनों वा विभिन्न उपयोगों के बीच इस प्रकार से विभाजन होना चाहिए जिससे कि देश की उत्पादन-क्षमता में भी वृद्धि हो तथा देशवासियों के रहन सहन का स्तर भी ऊँचा हो। और, उचित ढंग का विभाजन निश्चित कर देने के बाद साधनों का उपयोग इसी ढंग से हो यह देखने का दायित्व वित्तीय नीति, विशेषतया कर-प्रणाली का ही होता है। साथ ही, अविकसित देशों में बचत की कमी को पूरा करने का दायित्व भी भ्रव अधिकाधिक मात्रा में सरकार का ही होता जा रहा है। इस दायित्व की पूर्ति सरकार स्वयं अथवा निजी उत्पादकों को कर में छूट देकर करती है जिससे बचत की मात्रा बढ़ सके। तीसरी को भयानक आर्थिक मन्दी के बाद आर्थिक क्रियाओं के स्तर को ऊँचा बनाये रखना राज्य का प्रमुख वर्तमान्य समझा जाने लगा है। अर्द्ध-विकसित देशों में राज्यों को बड़े पैमाने पर उन सुविधाओं को प्रदान करना पड़ता है जिनसे आर्थिक विकास प्रेरित होने के साथ साथ विकास की क्रिया में वैयक्तिक पूँजी का योगदान बढ़ता है। शिक्षा, अनुसंधान यातायात, शक्ति तथा सिंचाई आदि की सुविधाएँ प्रदान करना व्यक्तिगत साहस के सामर्थ्य से पर है, अतएव इनकी व्यवस्था सरकार द्वारा ही की जाती है।

(2) प्रमुख नीति एवं आर्थिक स्थायित्व (Fiscal policy and Economic stability) . - आधुनिक समय में आर्थिक दृष्टि से विकसित राष्ट्रों में वित्तीय नीति का एक प्रधान उद्देश्य पूर्ण रोजगार के स्तर पर आर्थिक स्थायित्व भी है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री आर्थिक स्थायित्व वा तात्पर्य केवल सामान्य मूल्य-वक्र की स्थिरता से ही लगाते थे। वे पूर्ण रोजगार की स्थिति को अर्थ-व्यवस्था में सदा वर्तमान मानते थे। परन्तु तीसरी को महान् आर्थिक मन्दी के काल में इस प्रतिष्ठित भ्रमात्मक विचार का विस्फोट हो गया। इसके बाद अर्थशास्त्रियों एवं राजनीतिज्ञों का ध्यान अर्थ-व्यवस्था में बेकारी के रोग के निदान की ओर आकर्षित हुआ। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस (Congress) ने 1946 ई० में एक Employment Act बनाकर वित्तीय नीति के आर्थिक उद्देश्य को निम्नांकित शब्दों में व्यक्त किया - ' it is the continuing policy and responsibility of the Federal Government to use all practicable means consistent with its needs and obligations and other essential considerations of industry, agriculture, labour and local governments to co ordinate and utilise all its plans, functions and foster and promote free competitive enterprise and the general welfare condition under which there will be afforded useful employment opportunities, including self-employment for those able, willing and seeking to work and to improve maximum employment, production and purchasing power "

प्रथम महायुद्ध के समय से स्फीति तथा अस्फीति के भयानक रोग सत्तार के लगभग सभी राष्ट्रों की अर्थ-व्यवस्थाओं के स्थायित्व को नग करते रहे। परिणामस्वरूप, वर्तमान समय में वित्तीय नीति का प्रधान उद्देश्य पूर्ण-रोजगार के बिन्दु पर आर्थिक स्थायित्व प्राप्त करना है। किन्तु यहाँ पर पूर्ण रोजगार तथा मूल्य स्थिरता के अर्थों को समझना आवश्यक हो जाता है। विलियम वेवरिज के अनुसार, 'पूर्ण-रोजगार का विचार उस विशेष स्थिति की ओर संकेत करता है जिसमें बेकार व्यक्तियों की संख्या की तुलना में काम करने के लिए अधिक रिक्त स्थान प्राप्त होते हैं।' (Full employment refers to a situation in which there are more vacant jobs than unemployed men)¹

1 William H Beveridge . Full Employment in a Free Society,

इसी प्रकार स्वीडेन के सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री ओहलिन (Bertil Ohlin) के अनुसार, "Full employment is the degree of employment that exists when the aggregate

अमेरिकन इकॉनामिक एसोसियेशन के अनुसार "पूर्ण रोजगार का अर्थ यह है कि उन सभी योग्यता-प्राप्त व्यक्तियों को, जो प्रचलित वेतन की दरों पर काम करना चाहते हैं, अधिक विलम्ब के बगैर उत्पादक कार्य में काम प्राप्त हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति पूर्णकालिक आधार पर कार्य करना चाहते हैं उनको पूर्णकालिक कार्य प्राप्त हो सकता है.....किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था में बेरोजगारी शून्य होती है।" (Full employment means that qualified people who seek jobs at prevailing wage rates can find them in productive activity without considerable delay. It means full time jobs for people who want full time work It does not mean that unemployment is ever zero.)

इसी प्रकार मूल्य तल की स्थिरता का अर्थ है "मूल्यों के सामान्य स्तर में तीव्र अल्पकालीन उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति की अनुपस्थिति।" {Price stability means the absence of any marked trend or sharp short-term movements in the general level of prices } अतएव वित्तीय नीति वा उद्देश्य मूल्य-तल में सामयिक उतार-चढ़ाव पर नियन्त्रण होना चाहिए। किन्तु, यद्यपि पूर्ण रोजगार एवं मूल्य-तल की स्थिरता की एक साथ प्राप्ति वित्तीय नीति के प्रशंसनीय लक्ष्य हैं तथापि इन दोनों लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त करना अत्यन्त कठिन कार्य है। वास्तव में, हमारी आर्थिक व्यवस्था में कई अपूर्णताएँ पायी जाती हैं जिनसे थोड़ी-बहुत मात्रा में मूल्यों की स्थिरता को परित्याग किये बगैर पूर्ण रोजगार के लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन हो जाता है। अतएव पूर्ण रोजगार की स्थिति की प्राप्ति के लिए थोड़ी-बहुत मात्रा में मूल्य-स्फीति को सहन करना अनिवार्य है।

किन्तु आर्थिक स्थायित्व का उद्देश्य इस महान् सत्य की ओर भी संकेत करता है कि आर्थिक स्थायित्व प्राप्त करने की उत्सुकता के पीछे सरकार को अन्य आवश्यक उद्देश्यों, जैसे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उपभोग एवं रोजगार-प्राप्ति की पूरी-पूरी स्वतन्त्रता आदि को भी नहीं भुला देना चाहिए।

आर्थिक स्थायित्व के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वित्तीय नीति को व्यापार-चक्र विरोधी (anti-cyclical or counter-cyclical) होना चाहिए। राज्य एक ओर अपनी आय से अधिक व्यय कर अर्थ-व्यवस्था में आय, रोजगार तथा आर्थिक क्रियाओं का विस्तार कर सकता है तो दूसरी ओर अपने व्यय में कमी तथा करों में वृद्धि के द्वारा रोजगार, आय एवं आर्थिक क्रियाओं के स्तर में संकुचन उत्पन्न कर सकता है। दूसरे शब्दों में, राज्य अपनी बजट नीति के द्वारा आर्थिक व्यवस्था का नियमन करता है। किन्तु बजट की नीति आर्थिक स्थायित्व की प्राप्ति का सफल साधन तभी बन सकती है जबकि राज्य को इन बातों का ज्ञान हो कि कब उसे अपनी आय से अधिक तथा कब आय से कम व्यय करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि स्फीति के समय राज्य घाटे के बजट की नीति को अपना कर आय से अधिक व्यय करने लगता है तो ऐसी नीति आर्थिक स्थायित्व के लिए घातक सिद्ध हो सकती है क्योंकि स्फीति के समय प्रमुख समस्या व्यय में वृद्धि की नहीं, बल्कि समाज के कुल व्यय में कमी की होती है। यह तभी सम्भव है जब राज्य बजट वाले बजट बनाकर अपने करों में वृद्धि तथा व्यय में कमी करता है। करों में वृद्धि का परिणाम यह होता है कि समाज में लोगों की व्यय योग्य आय (disposable income) में कमी हो जायगी जिससे उनकी श्रय शक्ति (purchasing power) भी कम हो जायगी और इस प्रकार आर्थिक व्यवस्था संतुलित विकास की ओर अग्रसर होने लगेगी।

इसके विपरीत मन्दी के समय सरकार को घाटे वाले बजटों (Deficit Budgets) का निर्माण करना चाहिए। मन्दी का समय बढ़ती हुई बेरोजगारी तथा गिरती हुई राष्ट्रीय आय का समय होता है। इस समय में व्यक्तिगत क्षेत्र में विनियोग की मात्रा भी न्यूनतम हो जाती है तथा

demand for commodities is at the highest level that is compatible with the condition that demand at existing prices is balanced by current domestic supply..... Over employment means simply that in most industries, not low wage industries there is much greater number of vacancies than of people looking for jobs"

समस्त माग पूर्ण-रोजगार की स्थिति उत्पन्न करने के लिए अर्थव्यवस्था सिद्ध होती है। ऐसे समय में सरकार को अपनी आय से अधिक व्यय करना चाहिए। वास्तव में, मन्दी के समय आवश्यकता इस बात की है कि सरकार सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर अधिकाधिक व्यय करके अर्थव्यवस्था में समस्त माग के स्तर को इतना अधिक कर दे कि अर्थ व्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में सतुलित हो।

(3) प्रशुल्क नीति और आर्थिक समानता (Fiscal Policy and Economic Equality) प्रायः सभी विकसित देशों में वित्तीय उपायों द्वारा सरकार धन और आय के उचित वितरण का प्रयास भी करती है। अर्द्ध-विकसित देशों में भी धन एवं आय के वितरण में घोर विषमता पायी जाती है। इसके परिणामस्वरूप सभी देशवासियों को जीवन में प्राप्ति बढ़ाने के लिए एक समान अवसर नहीं प्राप्त होता। अतएव, ऐसे देशों में वित्तीय नीति द्वारा धन और आय का पुनर्वितरण अत्यन्त आवश्यक और उचित होता है, किन्तु ऐसा करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रीय उत्पादन में उच्चतम स्तर से किसी प्रकार कमी नहीं होने पाये। आर्थिक असमानता को कम करना आधुनिक कल्याणकारी राज्य का एक प्रमुख कर्तव्य है। धन एवं आय के वितरण की वर्तमान असमानता को दूर करने के लिए प्रगतिशील करों का सहारा लिया जाता रहा है। अर्द्ध-विकसित देशों में साहसियों की अपेक्षा सूदखोरी (लगान, किराया, ब्याज आदि पर आश्रित व्यक्तियों) की संख्या अधिक होती है। अतः आर्थिक समानता के उद्देश्य से किये गये वित्तीय प्रयत्नों से उत्पादन-क्षमता में कोई कमी की आशंका नहीं होनी चाहिए। इसके विपरीत, आर्थिक विषमता में कमी से देश के साधनों का अधिक अच्छा उपयोग हो सकेगा, और सट्टेबाजी, मुनाफाखोरी और अपव्यय में कमी होगी।

सरकार की वर और व्यय-सम्बन्धी उन सभी नीतियों से आर्थिक विषमताएँ कम होती हैं जिनसे धनिकों की आय कम होती है और गरीबों की आय में वृद्धि होती है। सार्वजनिक व्यय द्वारा गरीबों को कई प्रकार की आर्थिक सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए, सामाजिक सुरक्षा और बीमा की योजनाओं पर किये गये सरकारी व्यय से गरीबों की वास्तविक आय बढ़ती है। भा वचर्प में पिछड़ी जातियों और हूरिजनों के उत्थान पर किये गये व्यय इसी प्रकार के हैं। अन्य देशों में बेरोजगार व्यक्तियों तथा बूढ़े, बीमार, अपंगों की आर्थिक सहायता के लिए सरकार प्रबंध करती है। और, इन सभी कार्यों के लिए सरकार कर लगाकर ऊँची आय वाले व्यक्तियों की आय कम करती है। मृत्यु-कर उपहार कर और सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निश्चित कर सरकार धन के स्वामित्व पर रोक लगाती है। कुछ वस्तुओं का न्यूनतम मूल्य निश्चित कर और कुछ उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर भी सरकार आर्थिक समानता लाने का प्रयत्न करती है। निर्वन व्यक्तियों की सतान के लिए नि-शुल्क शिक्षा तथा चिकित्सा आदि की व्यवस्थाओं के द्वारा भी आर्थिक विषमताओं को बहुत हद तक दूर किया जा सकता है।

किन्तु यद्यपि किसी भी देश से आर्थिक विषमता को बिलकुल समाप्त करना सम्भव नहीं है, फिर भी प्रशुल्क नीति के द्वारा धीरे-धीरे आर्थिक विषमता को दूर करने में बहुत अधिक सफलता प्राप्त हुई है। इंग्लैंड में आय का वर्तमान वितरण वित्तीय नीति की सफलता का एक प्रमुख उदाहरण है। इस प्रकार वित्तीय नीति के उपरोक्त सभी उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों में सतुलन स्थापित करना तथा इन्हें सरकारी नीति के अनुरूप बनाना सरकार के बजट का एक प्रमुख कार्य है।

मौद्रिक एवं प्रशुल्क नीतियों में सम्बन्ध

किसी भी देश में मौद्रिक तथा वित्तीय दोनों नीतियों को एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। इन दोनों के पूरक के रूप में कार्य करने से आर्थिक स्थायित्व के उद्देश्य की शीघ्र पूर्ति हो सकती है। मौद्रिक नीति मुद्रा की मात्रा एवं इसे प्राप्त करने के तरीके को प्रभावित कर अर्थ-व्यवस्था में आय, रोजगार तथा व्यय की मात्रा को प्रभावित करती है। दूसरी, और वित्तीय नीति राजकीय कर तथा सार्वजनिक ऋण के माध्यम से अर्थ-व्यवस्था में आय, रोजगार तथा व्यय की मात्रा को प्रभावित करती है। इस प्रकार मौद्रिक तथा वित्तीय नीतियों के निकट सम्पर्क में कार्य करने से ये अधिक सफल होती हैं, अतएव इनके प्रबंधकों में भी निकटतम सम्बन्ध का होना अनिवार्य है।

साधारणतया स्फीति के समय बचत वाले बजट के साथ साथ महँगी मुद्रा नीति (dear money policy) के अनुकरण से आर्थिक स्थायित्व को प्राप्त किया जा सकता है। इसके विपरीत आर्थिक मंदी के समय में घाटे के बजट के साथ-साथ सस्ती मुद्रा नीति (cheap money policy) का अनुकरण करने से अभाव की स्थिति शीघ्र ही प्राप्त की जा सकती है। सारांश यह है कि आर्थिक स्थायित्व के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इन दोनों प्रकार की नीतियों में समन्वय अनिवार्य है। इन नीतियों का महत्त्व श्री कैमरॉन थॉमसन (J Cameron Thomson) के निम्नांकित बयान से अधिक स्पष्ट हो जाता है "Fiscal, monetary and debt policies are appropriate means for attacking the problem of instability in a free society. The problem of instability is essentially a problem of broad forces affecting the overall magnitudes of the economy. The advantage of Fiscal, monetary and debt policies is that they allow the government to influence the overall forces that determine the stability of the economy without involving the government in detailed control of the particulars of the economy." इस प्रकार मौद्रिक एवं वित्तीय नीतियाँ आर्थिक स्थायित्व के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयोगी एवं आवश्यक यन्त्र हैं। साथ ही, इसका प्रयोग एक दूसरे के पूरक के रूप में करना अधिक उपयोगी होता है।

विशेष अध्ययन-सूची

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| 1. K. K. Kurihara | Monetary Theory and Public Policy |
| 2. A. H. Hansen | Monetary Theory & Fiscal Policy. |
| 3. A. H. Hansen | Economic Policy and Full Employment |



अध्याय : 33

प्रशुल्क नीति एवं पूर्ण रोजगार

(Fiscal Policy and Full Employment)

पूर्ण रोजगार के सम्बन्ध में प्रशुल्क नीति का प्रतिष्ठित मत :—प्राचीन ग्रंथों में अर्थशास्त्रियों का यह विचार था कि समाज में सदा पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहती है। इन लोगों का यह विचार जे० बी० से (J, B Say) के इस प्रसिद्ध कथन कि "पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है" (Supply creates its own demand.) पर आधारित था। इस आधार पर वे लोग यह निष्कर्ष निकाल लेते थे कि निजी उपक्रम सभी उपलब्ध साधनों का प्रयोग स्वयं कर लेता था। अतएव यदि सरकार इन साधनों का प्रयोग करना चाहती है तो वह निजी उद्योगपतियों को इनके प्रयोग से वंचित करके ही ऐसा कर सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि इन लोगों के अनुसार सरकारी व्यय से किसी प्रकार भी प्रभावोत्पादक मांग नहीं उत्पन्न हो पायी और न इससे रोजगार में ही कोई वृद्धि होती है। अतएव इन लोगों के अनुसार सरकार को अपना बजट सदा समतुलित रखना चाहिए। इनके अनुसार राजस्व प्रणाली के निम्नांकित प्रधान सिद्धांत थे :—(1) बजट को सदा समतुलित एवं छोटा-से-छोटा होना चाहिए। (2) उपभोग पर कर लगाना चाहिए तथा बचतों को कर-मुक्त कर देना चाहिए। (3) ऋण केवल उत्पादक विनियोगों के लिए ही लिये जायें। इन लोगों के सभी विचार इस मान्यता पर आधारित थे कि निजी विनियोग स्वयं पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थापित करने में समर्थ होते हैं; अतएव राज्य का इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

केन्स के विचार :—प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के इन विचारों का सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री केन्स (Keynes) ने सर्वप्रथम जोरदार रूप से लड़न किया। केन्स ने यह सिद्ध किया था कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र जिन मान्यताओं पर आधारित था वे व्यावहारिक जीवन में लागू नहीं होते। साथ ही, किसी भी देश में निजी उपक्रम के प्रयासों से ही सदा पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं पायी जाती है। केन्स के अनुसार पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में निरन्तर रूप से उतार-चढ़ाव हुआ करते हैं तथा एक ऐसी स्थिति पायी जाती है जिससे कि आर्थिक व्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर से उधर-उधर हट सकती है। अगर किसी खास समय में पूर्ण रोजगार की स्थिति पायी जाती है तो यह बिल्कुल 'सयोग' की बात है।¹ (I shall argue that the postulates of classical theory are applicable to a special case only and not to the general case. Moreover the characteristics of the special case assumed by the classical theory happens not to be those of economic society in which we actually live, with the result that its teaching is misleading and disastrous if we attempt to apply it to the facts of experience.) अतएव केन्स ने एक न्यून रोजगार के साम्य (Under-employment equilibrium) के विचार को स्थापित किया।

केन्स ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 'General Theory' में यह सिद्ध किया कि उपभोग को कम कर एव आय को बढ़ाकर पूँजी नहीं जमा की जा सकती, वरन् इससे बेकारी उत्पन्न होती है राष्ट्रीय आय कम होती है और विनियोग कम होने से पूँजी का संचय कम हो जाता है। आजकल यह नहीं कहा जा सकता कि 'हम जो कुछ भी उपयोग नहीं कर पाते, व्यापारी उसका उपयोग विनियोग के लिए करते हैं, वरन् वास्तविकता यह है कि यदि हम उपभोग न करें तो व्यापारी विनियोग करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे।' इस प्रकार आजकल उपभोग एव विनियोग दोनों एक दूसरे पर अश्रित हैं, दोनों में एक साथ वृद्धि अथवा कमी होती है।

केन्स के अनुसार उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति (Marginal propensity to consume) में कमी के कारण पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में प्रभावोत्पादक मांग (effective demand) बहुत कम होती है। ऐसे देशों में बचत की प्रवृत्ति (propensity to save) अधिक पायी जाती है,

1. J. M. Keynes : The General Theory of Employment, Interest and Money.

अतएव अतिरिक्त आय का अधिकतर भाग लोग बचा लेते हैं। इस बचत का तात्पर्य यह हुआ कि आय के सृजन के साथ-साथ जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन हुआ था उनके लिए मांग कम हो जाती है। दूसरे शब्दों में, प्रभावोत्पादक मांग कम हो जाती है जिससे अर्थ-व्यवस्था में ये प्रयोगात्मक प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। परिणामस्वरूप बेकारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अतएव केन्स ने यह बतलाया कि बेकारी की स्थिति को दूर कर पूर्ण रोजगार की स्थिति की स्थापना के लिए हमें बचत को कम करना चाहिए तथा सार्वजनिक व्यय के द्वारा प्रभावोत्पादक मांग को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। केन्स ने यह भी बतलाया कि यदि सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure) के लिए घाटे के व्यय (Deficit Financing) का भी सहारा लेना पड़े तो भी यह कोई बुरा नहीं होगा। इस प्रकार केन्स ने राज्य को एक सतुलन तत्त्व (Balancing Factor) के रूप में महत्त्व प्रदान किया।

केन्स के अनुसार रोजगार प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है और प्रभावपूर्ण मांग के दो अंग हैं (क) उपभोग पर व्यय, तथा (ख) विनियोग पर व्यय। दूसरे शब्दों में, उपभोग तथा विनियोग पर किये गये कुल व्यय का ही दूसरा नाम प्रभावपूर्ण मांग है। केन्स के अनुसार इस कुल व्यय अथवा प्रभावपूर्ण मांग को सरकार अपनी बजट-सम्बन्धी क्रियाओं से प्रभावित कर सकती है। इसी प्रकार यह कुल व्यय को भी साकार करो एव्य सरकारी व्यय में परिवर्तन के द्वारा प्रभावित कर सकती है। कुल व्यय के दो तत्त्व होते हैं—सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure) तथा निजी व्यय (Private Expenditure)। मंदी के नियन्त्रण के लिए सरकार या तो अपने व्यय में वृद्धि कर सकती है या ऐसे कदम उठा सकती है जिनसे व्यक्तिगत व्यय में वृद्धि हो। इसी प्रकार तेजी के नियन्त्रण के लिए सरकार या तो स्वयं अपने व्यय में कमी कर सकती है या ऐसे उपायों को काम में ला सकती है जिनसे व्यक्तिगत व्यय में कमी हो। कुल व्यय में किसी भी परिवर्तन का गुणक प्रभाव होता है तथा यह सम्पूर्ण मांग को प्रारम्भिक परिवर्तन से कई गुना या तो कम कर सकता है या बढ़ा सकता है।

इस प्रकार की नीति को प्रतिचक्रिय प्रशुल्क नीति (Counter cyclical Fiscal Policy) कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग व्यापार-चक्र को रोकने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की नीति में सरकार द्वारा ऐसे निर्णय किये जाते हैं जिनका प्रधान उद्देश्य अर्थ-व्यवस्था को अस्थिरता की ओर ले जानेवाला प्रवृत्तियों को नियन्त्रित करना होता है। दूसरे शब्दों में, प्रति चक्रिय प्रशुल्क नीति का तात्पर्य यह है कि कर एवं सार्वजनिक व्यय को व्यापार-चक्र के विपरीत दशा में होना चाहिए, यानी व्यापार-चक्र की प्रसारण अवस्था में सरकारी व्यय में कटौती तथा करारोपण में वृद्धि की जानी चाहिए तथा व्यापार-चक्र की सतुलन अवस्था में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि तथा करारोपण कटौती की जानी चाहिए। (Counter cyclical fiscal policy means that Taxes (T) and Government Spending (G) varied in an anti-cyclical direction: G being cut and T increased in the expanding phase of the cycle and G increased and T cut during the contraction phase.)

इस सम्बन्ध में पम्प प्राइमिंग (Pump Priming) एवं क्षति-पूरक व्यय (Compensatory expenditure) में अन्तर करना आवश्यक है। हैन्सन (Hansen) के अनुसार वैयक्तिक विनियोग में कमी की पूरा करने के लिए दो उपायों की काम में लाया जा सकता है :- (क) पहला पम्प प्राइमिंग है जिसका प्रयोग उस समय करना चाहिए जबकि अर्थ-व्यवस्था में किसी कारणवश अस्तिक्रम आ गया हो और वह ठीक मार्ग पर नहीं चल रही हो। ऐसी स्थिति में उसे ठीक मार्ग पर ले चलने के लिए सरकार को एक बार इतनी धन-राशि व्यय करनी चाहिए जिससे कि क्षति की पूर्ति हो जाय। सरकार को इससे अधिक कुछ नहीं करना पड़ता है। (ख) इसके विपरीत क्षति-पूरक व्यय (compensatory expenditure) सिद्धांत के अन्तर्गत हम यह मानकर चलते हैं कि वैयक्तिक विनियोग किसी भी समय कम हो सकते हैं। अतः सरकार को इस कमी को पूरा करने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। यहाँ पर एक बार एक निश्चित रकम व्यय कर निश्चित हो जाने वाली बात नहीं है, वरन् जब-जब वैयक्तिक विनियोग की कमी के कारण अर्थ-व्यवस्था का स्थायित्व भंग होने लगे, तभी-तभी सरकार को उसके लिए सार्वजनिक व्यय करना पड़ता है। यह चक्र निरन्तर रूप से चलते रहता है। सैमुल्सन (Samulson) के अनुसार, "निजी अर्थ व्यवस्था एक ऐसे मन की तरह है जिसे नियन्त्रण करने का कोई साधन नहीं होता। क्षतिपूरक प्रशुल्क

नीति ही इस प्रकार के नियंत्रण का कार्य करती है।" (The private economy is often like a machine without an effective steering wheel or governor. Compensatory fiscal policy tries to introduce such a governor or their mostatic control device) हैन्सन ने इस सिद्धांत को प्रतिचक्रीय प्रशुल्क-नीति (Contra-cyclical Fiscal Policy) की संज्ञा दी क्योंकि इसका प्रयोग व्यापार-चक्रों को रोकने के लिए किया जाता है।

इस प्रकार सार्वजनिक व्यय चाहे पम्प प्राइमिंग सिद्धान्त के अनुसार किया जाय अथवा क्षति-पूरक व्यय सिद्धांत के अनुसार, इसका प्रभाव गुणक (multiplier) तथा त्वरण (acceleration) के सिद्धान्तों के ऊपर आधारित है। गुणक-सिद्धान्त उपभोग-व्यय के द्वारा कार्य करता है जबकि त्वरण सिद्धान्त विनियोग-व्यय के द्वारा कार्य करता है। इन दोनों सिद्धान्तों वा समुक्त प्रभाव बहुत अधिक होता है।

पूर्ण-रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रशुल्क नीति

(Fiscal Policy for Full employment)

पूर्ण-रोजगार की प्राप्ति के लिए अपनायी गयी प्रशुल्क नीति के निम्नांकित प्रधान अस्त्र हैं :—

1. सार्वजनिक व्यय तथा पूर्ण रोजगार (Public Expenditure and Full employment) :—पूर्ण-रोजगार को प्राप्त करने में वित्तीय नीति के विभिन्न अस्त्रों में सार्वजनिक व्यय अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हम देख चुके हैं कि बेकारी समाज के लिए एक बहुत बड़ा अभिजाप है। पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था में मन्दी काल की शुरुआत में वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य में कमी होने लगती है जिससे व्यवसायियों को हानि होने लगती है तथा मविष्य के प्रति उनका विश्वास समाप्त होने लगता है। अतएव वे उत्पादन की मात्रा को कम कर देते हैं। इससे बेरोजगारी बढ़ने लगती है। इसका प्रभाव उन उद्योगों अथवा फर्मों पर भी पड़ता है जिनसे वे कच्चे पदार्थ खरीदते हैं। इनमें भी बेरोजगारी फैलने लगती है। बेरोजगार मजदूरों द्वारा अनेक वस्तुओं की मांग में कमी होने लगती है। इससे समाज की कुल मांग में बहुत कमी आ जाती है और इस प्रकार मन्दी का कुचक्र प्रारम्भ हो जाता है जो धीरे-धीरे विस्तृत होने लगता है। सार्वजनिक व्यय के इस कुचक्र को तोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि सरकार सार्वजनिक निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दे तो सरकार द्वारा जो धन मजदूरी के रूप में व्यय किया जा रहा है उससे मजदूरों को रोजगार मिलेगा। इससे रोजगार न केवल उन मजदूरों को मिलेगा जो इन उद्योगों में काम करते हैं, वरन् इससे रोजगार में वृद्धि की एक शृंखला ही शुरू हो जायगी क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी को अपनी आवश्यकता की पूर्ति पर व्यय करेंगे जिससे वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने से अन्य उद्योगों में भी मजदूरों को अधिक काम मिलेगा। इस प्रकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि से रोजगार में वृद्धि होगी। इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि सरकार ने मजदूरों को रोजगार देने में जो व्यय किया था, रोजगार उसकी अपेक्षा कई गुणा बढ़ जाता है। आर्थिक मन्दी के समय पूर्ण-रोजगार की प्राप्ति के लिए किये गये सार्वजनिक व्यय को क्षति पूरक व्यय (Compensatory expenditure) कहते हैं क्योंकि ये प्रभावोत्पादक मांग में हुई कमी को पूरा करते हैं। इस प्रकार का व्यय कैम्स के अनुसार एक प्रकार का समतुलन तत्त्व है जो राष्ट्रीय आय को निश्चित स्तर पर कायम रखने में सहायक होता है। (Public expenditure becomes a balancing factor in order to maintain national income at a given level) मन्दी काल में राजकीय व्यय के परिमाण में बहुत वृद्धि कर दी जाती है और जब आर्थिक क्रियाओं का स्तर पुनः उठने लगता है तो इनमें कमी की जाती है। किन्तु क्षतिपूरक व्यय की सफलता कई बातों पर निर्भर करती है जिनमें निम्नांकित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :—

- (1) सरकारी व्यय की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर सरकार को घाटे के व्यय का भी सहारा लेना चाहिए।
- (2) अपने व्यय की पूर्ति के लिए सरकार को व्यक्तियों से ऋण नहीं लेकर बैंकों से ऋण लेना चाहिए।

(3) जनता को भी चाहिए कि सरकार द्वारा प्राप्त धन को व्यय करे न कि उसे अपने पास छुपाकर (Hoarding) रखे ।

(4) सरकार को भी अपनी नीति प्रभावशील तरीके से कार्यान्वित करनी चाहिए ।

पूर्ण रोजगार की स्थिति की प्राप्ति के उद्देश्य से सार्वजनिक व्यय को निम्नलिखित तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है —

- (i) उपभोग को प्रभावित करनेवाले सार्वजनिक व्यय,
- (ii) वैयक्तिक विनियोगो को प्रभावित करनेवाले व्यय, एवं
- (iii) सार्वजनिक विनियोग ।

(i) उपभोग को प्रभावित करनेवाले सार्वजनिक व्यय — हम ऊपर देख चुके हैं कि प्रभावोत्पादक माग में कमी का प्रमुख कारण उपभोग की मात्रा में कमी है। यदि हम उपभोक्ताओं को उपभोग शक्ति यानी आय को बढ़ा दें तो प्रभावोत्पादक माग की कमी को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सकता है। अतः वे लोग जिनकी आय कम है, उनकी सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। टेलर (Taylor) के अनुसार अमेरिका में 1933-39 ई० के बीच की अवधि में इस प्रकार की सहायता को बहुत बड़े पैमाने पर व्यवस्था की गयी थी। वहाँ पर 1935 ई० के सामाजिक सुरक्षा अधिनियम में वृद्धावस्था, बेकारी, अपाहिजों की सहायता इत्यादि के रूप में आर्थिक सहायता देकर इस बात की कोशिश की गयी थी कि उनकी उपभोग-राशि में वृद्धि हो जिससे कि प्रभावोत्पादक माग जाग्रत हो सके।

(ii) वैयक्तिक विनियोगो को प्रभावित करना — प्रभावोत्पादक माग में कमी का एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण वैयक्तिक या निजी विनियोग (Private investment) में कमी है। अतः यदि इन विनियोगो को प्रोत्साहन देकर बढ़ाया जाय तो प्रभावोत्पादक माग में वृद्धि हो जायगी तथा रोजगार का स्तर भी अधिक ऊँचा हो जायगा। देश के औद्योगीकरण के लिए भी इन विनियोगो को प्रोत्साहन देना अनिवार्य है। वैयक्तिक विनियोगों को सार्वजनिक व्यय के द्वारा निम्न प्रकार से प्रोत्साहित किया जा सकता है —

(क) वैयक्तिक विनियोग मुख्यतः लाभ के ऊपर आधारित होते हैं। अतएव, यदि लाभ बढ़ने की सम्भावना बढ़ जाय तो वैयक्तिक विनियोग में भी वृद्धि हो सकती है। लाभ में वृद्धि के लिए सरकार अपनी नीति द्वारा व्याज की दर को घटा सकती है।

(ख) दूसरे, वैयक्तिक विनियोगो को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार उनपर से करों में छूट दे सकती है।

(ग) उद्योगों के नवीनीकरण के लिए सरकार को चाहिए कि वह निजी क्षेत्र को आर्थिक सहायता प्रदान करे। इससे विनियोग में वृद्धि होगी और अतः प्रभावोत्पादक माग भी बढ़ेगी।

(घ) सरकार को चाहिए कि वैयक्तिक क्षेत्रकी स्पर्धात्मक शक्ति को बढ़ाये जिससे उनकी उत्पादन-शक्ति बढ़े और वे अधिक कायशील हो जायें।

(च) अतः, ऐसे सीमांत उद्योगों को, जो केवल किन्नी प्रकार जीवित रहते हैं, सरकार को शीघ्र आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में यह उचित होगा कि यह सहायता प्रत्येक उद्योग की श्रमिकों के अनुपात में दी जाय ताकि अधिक श्रमिकवाले उद्योगों को अधिक सहायता मिलने से अधिक लोगों में प्रभावोत्पादक माग की वृद्धि हो सके।

(iii) सार्वजनिक विनियोग — सार्वजनिक विनियोग के द्वारा सम्पूर्ण विनियोग की मात्रा को प्रभावित किया जा सकता है और इससे प्रभावोत्पादक माग की कमी को पूर्ण करके पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थापित की जा सकती है। सार्वजनिक विनियोग भी कई प्रकार से किये जाते हैं, जैसे—

(क) सामाजिक सेवाओं के लिए विनियोग — इनमें स्कूल, अस्पताल, सड़कें तथा नहर इत्यादि का निर्माण किया जाता है जिनसे सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है।

(ख) निजी उपभोग के लिए विनियोग—सार्वजनिक विनियोग से वैयक्तिक उपभोग में भी वृद्धि होती है, जैसे—सरकार स्कूलों में बच्चों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था कर सकती है।

(ग) उत्पादक उद्योगों के लिए विनियोग—इसके अन्तर्गत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत स्वयं उद्योगों की स्थापना करती है, जैसे—भारत सरकार द्वारा मोटा एव द्रुपत के कारखाने, खाद के कारखाने, चित्तूरजन रेल इंजन का कारखाना आदि स्थापित किये गये हैं। इससे प्रभावोत्पादक मांग बढ़ती है तथा रोजगार का स्तर भी ऊँचा होता है। इन उद्योगों में विनियोग करने से बहुत-से लोगों की आय बढ़ती है।

(घ) निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार विनियोग में भी वृद्धि कर सकती है, क्योंकि आगे चलकर जब बड़े पैमाने पर निर्यात होने लगेगा तो इससे देश के उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि होगी जिससे रोजगार, आय तथा उपभोग में वृद्धि होगी।

(2) सार्वजनिक निर्माण कार्य सम्बन्धी नीति (Public Works Policy) - पूर्ण-रोजगार की प्राप्ति के लिए सरकार सार्वजनिक निर्माण कार्य की नीति पर जोर दे सकती है। सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के अन्तर्गत सरकारी भवन, सड़कें, अस्पताल, रेलों आदि का निर्माण किया जाता है। रेलवे जैसे सार्वजनिक उपयोगिता सम्बन्धी सेवाओं, जिनकी व्यवस्था सरकारी विभागों द्वारा की जाती है, में इस प्रकार की नीति के साधारणतया अधिक सफल होने की आशा रहती है। ये विभाग सरकार के अधिकार में रहते हैं, अतः इनमें इस नीति के सफल होने की अधिक सम्भावना रहती है। सार्वजनिक कार्यों पर इस प्रकार के व्यय से उपभोग की वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी और व्यक्तिगत पूँजी-निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सार्वजनिक कार्यों पर इस तरह का जो व्यय किया जाय उसकी प्रतियोगिता के फलस्वरूप व्यक्तिगत पूँजी में कमी न होने पाये अथवा व्यक्तिगत ऋणों पर भी व्याज की दर न बढ़ने पाये। पुनः, यदि सार्वजनिक व्यय किसी ऐसे उद्योग पर किया जाय जिसमें मजदूरी की दर का अनुपात कुल लागत से अधिक होता है तो बेकारी की मात्रा पर इसका प्राथमिक प्रभाव अच्छा पड़ता है।

सार्वजनिक निर्माण-कार्य सम्बन्धी नीति की कठिनाइयाँ एव सीमाएँ—यद्यपि इस नीति की सफलता के सम्बन्ध में बहुत-कुछ कहा सकता है, फिर भी इस सम्बन्ध में कुछ प्रधान कठिनाइयाँ हैं जिन्हें ध्यान में रखना उचित है। सर्वप्रथम तो, व्यवसाय चक्र विरोधी सार्वजनिक व्यय की नीति को अपनाते के पूर्व वर्तमान एव भविष्य की परिस्थितियों का पूर्ण विश्लेषण करना तथा अच्छी तरह समझना अनिवार्य है। इस नीति को दीर्घ दायान्वित करने में कुछ प्रत्यक्ष कठिनाइयाँ होती हैं। इस योजना की प्रधान विशेषता घाटे का व्यय है, अर्थात् आय की अपेक्षा व्यय का अधिक होना है। वास्तव में, सार्वजनिक निर्माण नीति की सबसे जटिल समस्या यही है। इसका उद्देश्य यह है कि व्यावसायिक मन्दी के समय में सरकार को ऋण लेना चाहिए तथा तेजी के समय में बजट की बचत में से उन्हें चुकाना चाहिए, लेकिन व्यवहार में इस नीति में कुछ प्रत्यक्ष कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिनका परिणाम यह होता है कि जब राजकीय ऋणों की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो अर्थ व्यवस्था पर इनका अनेक प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राजकीय ऋण में वृद्धि से विनियोगकर्ताओं के मन में सरकारी नीति के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो सकता है जिससे निजी विनियोग में कमी हो सकती है। फिर, घाटे के व्यय से मुद्रा-स्फीति (Inflation) की सम्भावना रहती है, लेकिन यदि सावधानी से काम लिया जाय, तो सरकारी ऋणों की मात्रा बढ़ने से मुद्रा-स्फीति की आशंका नहीं होनी चाहिए। वास्तव में यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि ऋणों के खर्च की प्रकृति किस प्रकार की होगी, उनकी उत्पादन-शक्ति कितनी होगी तथा जब ऋण लिये जाते हैं, उस समय रोजगार की स्थिति कैसी है तथा ऋण किस दर से बढ़ते हैं? जबतक ऋणों का उपयोग बेकारों को काम देने, रहने के लिए भूकान बनवाने, स्कूल तथा सड़कें बनवाने आदि के लिए किया जाता है, तबतक ये बुरे नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इनसे प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होता है। इस सम्बन्ध में क्लेन (Klein) का निम्नलिखित कथन विशेष रूप से उल्लेखनीय है—“The poor are better off because they have jobs instead of hunger pains and the nervous frustration of idleness. The rich are better off because they have lost nothing on the transfer

and they get longer profits out of the full employment income than would otherwise be the case."

2. करारोपण एवं पूर्ण रोजगार (Taxation and Full Employment)

केन्स के अनुसार प्रभावोत्पादक माग में कमी का एक प्रधान कारण उपभोग की प्रवृत्ति (Propensities to consume) का कम होना है जिसके परिणामस्वरूप रोजगार (Employment level) भी कम हो जाता है। उपभोग की प्रवृत्ति की कमी को दूर करने का एक प्रधान तरीका पुनर्वितरणात्मक करों (Redistributive Taxes) का प्रयोग है। पुनर्वितरणात्मक करों के अन्तर्गत इस कार्य के लिए समाज में पनी व्यक्तियों पर, जिनकी उपभोग की प्रवृत्ति कम है, अधिक कर लगाना चाहिए और उसे निर्धन व्यक्तियों के हाथ हस्तांतरित कर देना चाहिए जिनकी उपभोग की प्रवृत्ति बहुत अधिक है। धनी लोगों पर प्रगतिशील कर लगाना सामाजिक तथा आर्थिक दोनों दृष्टि से लाभदायक है। सामाजिक दृष्टि से इसलिए कि इससे समाज में धनी एवं निर्धन व्यक्तियों के बीच का अन्तर कम होता है तथा विभिन्न वर्गों के जीवन-स्तर में समानता स्थापित होती है। इसी प्रकार आर्थिक दृष्टि से इससे उपभोग में वृद्धि होती है तथा निजी बचत कम होती है।

विन्तु, प्रगतिशील एवं पुनर्वितरणात्मक करों में उसी सीमा तक वृद्धि करनी चाहिए जब तक कि विनियोग-क्षमता पर इनका कोई विषम प्रभाव नहीं पड़े। इन करों का प्रधान दोष यह है कि ये फिजूलखर्ची एवं दुरुपयोग को प्रोत्साहित करते हैं जिससे वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति होने में कठिनाई होती है। इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य दूसरी बात यह है कि पूर्ण रोजगार के लिए उपभोग करो या परीक्ष करो का प्रयोग ज्यादा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनसे उपभोग में और भी कमी होती है। साथ ही, उन करों का मजदूरों की कार्य-क्षमता तथा उत्पादन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।

पूर्ण रोजगार पर करारोपण (Taxation) के प्रभाव के सम्बन्ध में लर्नर (Lerner) के क्रियात्मक वित्त सिद्धांत (Theory of Functional Finance) का विशेष महत्त्व है। इनके अनुसार पूर्ण-रोजगार के लिए करों का एक प्रकार से निषेधात्मक महत्त्व होता है। दूसरे शब्दों में, पूर्ण-रोजगार के स्तर को प्राप्त करने के लिए हमें करों के स्तरों में कमी करनी पड़ेगी जिससे कि उपभोग की प्रवृत्ति में वृद्धि हो किन्तु पुरानी निष्क्रिय बचतों पर कर लगाने की सम्भावना अधिक होती है।

3. सार्वजनिक ऋण तथा पूर्ण रोजगार (Public Debt and Full Employment)

पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए करारोपण पर बहुत अधिक निर्भर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसकी भी कुछ निश्चित सीमाएँ हैं। फिर भी, पूर्ण रोजगार के सम्बन्ध में सार्वजनिक व्यय का बहुत अधिक महत्त्व है। अतः, इसके लिए वित्त प्राप्त करना एक समस्या है जिसका समाधान भी आवश्यक है। इस उद्देश्य से करारोपण के अतिरिक्त वित्त-प्राप्ति के अन्य साधनों की आवश्यकता पड़ती है। 1930 ई० से इस कार्य के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था (Deficit Financing) का प्रयोग किया जा रहा है। इसके प्रयोग से मौद्रिक धाय बढ़ती है जिसके परिणामस्वरूप प्रभावोत्पादक माग (Effective demand) में वृद्धि होती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसके द्वारा प्रभावोत्पादक माग (Effective demand) तीव्र रूप से बढ़ती है, परन्तु इसके प्रयोग में पर्याप्त साधनों की आवश्यकता है। साथ ही, पूर्ण रोजगार के स्तर की प्राप्ति के बाद घाटे की वित्त-व्यवस्था का परित्याग कर देना चाहिए अन्यथा इससे मुद्रा-स्फीति (Inflation) की प्रवृत्ति का सृजन होगा।

सार्वजनिक ऋण (Public Debt) का प्रयोग भी पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। सरकार सूद की दर में वृद्धि के द्वारा जनता से अधिक मात्रा में कर्ज ले सकती है। व्याज की दर में वृद्धि से लोग अधिक मात्रा में ऋण देने के लिए प्रोत्साहित होंगे। सरकार इस कार्य के लिए ऋण-पत्र इत्यादि जारी कर सकती है। प्रचलित व्याज की दर से व्याज में थोड़ी

वृद्धि कर देने से जनता इन पत्रों को अधिकाधिक मात्रा में खरीद सकती है। यदि इस प्रकार से इच्छित रकम नहीं प्राप्त हो तो सरकार जनसाधारण से वज्र के रूप में भी रकम प्राप्त कर सकती है, जैसे—आर्थिक संकट, युद्ध आदि के समय इस प्रकार के ऋणों का महत्त्व बहुत बढ़ जाता है।

किन्तु पूर्ण रोजगार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सार्वजनिक ऋण पर बहुत अधिक निर्भर नहीं कर सकते। वास्तव में, ऋणों का महत्त्व उन्ही समय अधिक रहता है जबकि इन्हें निष्क्रिय धरोपों से प्राप्त किया जा सकता है। यदि ऐसा न करके ऋणों को वर्तमान उपयोग में कमी के द्वारा अथवा निजी विनियोग की मात्रा को घटाकर प्राप्त किया जाय तो प्रभावोत्पादक माग पर इनका प्रभाव सतोषजनक नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार के ऋण से प्रभावोत्पादक माग में इच्छित परिमाण में वृद्धि नहीं भी हो सकती। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक ऋणों को वापस करके ही प्रभावोत्पादक माग में वृद्धि की जा सकती है, किन्तु ऐसा तभी हो सकता है जबकि अदा किये ऋण का उपयोग उपभोग अथवा विनियोग को बढ़ाने में किया जाता हो। इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि निम्न तथा मध्यम वर्ग का सार्वजनिक ऋण शीघ्र वापस किया जाना चाहिए, क्योंकि इनकी उपभोग की प्रवृत्ति अधिक होती है। इस प्रकार बाह्य ऋण के सम्बन्ध में भी यह कहा जा सकता है कि इनसे भी सार्वजनिक व्यय को बढ़ाया जा सकता है।

निष्कर्ष — अतः, यह कहा जा सकता है कि वित्तीय नीति के विभिन्न अस्त्रों के समुचित प्रयोग से हम आर्थिक स्थायित्व की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं और पूर्ण रोजगार के स्तर में वृद्धि कर सकते हैं, किन्तु हमें यह न समझना चाहिए कि ये अस्त्र अमोघ अस्त्र हैं। वास्तविकता तो यह है कि इनसे हम आर्थिक स्थायित्व और रोजगार में वृद्धि तो कर सकते हैं, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता है कि हम पूर्ण स्थायित्व एवं पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त कर ही सकते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि यदि इनका प्रयोग नहीं किया जाय तो आर्थिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार हो सकती है तथा बेकारी इतनी बढ़ सकती है कि इससे सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था ही अस्त-व्यस्त हो जाय। अतः, आर्थिक स्थायित्व एवं पूर्ण रोजगार दोनों ही के हित में इसका यथारतम्भव कम प्रयोग करना आवश्यक है।

विशेष अध्ययन-सूची

1. K. K. Kurhara : Monetary Theory and Public Policy, Chapter 5
2. A. H. Hansen : Monetary Theory and Fiscal Policy. Chapters 11, 12 and 13
3. A. H. Hansen : Economic Policy and Full employment, Chapters 11, and 16 to 19.

अध्याय : 34

मुद्रा-स्फीति एवं मुद्रा-संकुचन—कारण एवं निदान

(Inflation and Deflation—Causes and Cure)

प्राक्कथन—मुद्रा की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसका मूल्य स्थायी नहीं रहता, इसमें सदा परिवर्तन होते रहते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन के परिणामस्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य-तल में भी परिवर्तन होता है। मुद्रा के मूल्य एवं सामान्य मूल्य-तल (Price-Level) में ठीक विपरीत सम्बन्ध है। जब सामान्य मूल्य-तल (General Price-Level) में वृद्धि होती है, तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, यानी मुद्रा की प्रत्येक इकाई पहले की अपेक्षा कम ही वस्तुएँ तथा सेवाएँ खरीद सकती है। इसके विपरीत जब सामान्य मूल्य तल में कमी होती है, तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, यानी मुद्रा की प्रत्येक इकाई पहले की अपेक्षा अधिक वस्तुएँ तथा सेवाएँ खरीद सकती है। आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा के मूल्य में एक चक्र (Cycle) की तरह सदा परिवर्तन होते रहता है। मुद्रा-स्फीति (Inflation) एवं मुद्रा-संकुचन (Deflation) इस चक्र के दो पक्ष हैं।

मुद्रा-स्फीति का अर्थ (Meaning of Inflation)—मुद्रा-स्फीति (Inflation) की परिभाषा के सम्बन्ध में आज भी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है जिससे इसका ठीक-ठीक अर्थ बतलाना कुछ कठिन हो जाता है। फिर भी, मुद्रा-स्फीति को कुछ प्रमुख परिभाषाएँ इस प्रकार हैं—

सुप्रसिद्ध विद्वान केमरर (Kemmerer) के अनुसार “यदि मुद्रा की मात्रा अधिक हो एवं वस्तुओं की मात्रा उत्पादन घटने के कारण कम हो जाय तो उस स्थिति को मुद्रा-स्फीति की स्थिति कहते हैं।” इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि व्यापार के परिमाण की तुलना में मुद्रा की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो इसे मुद्रा स्फीति कहते हैं, यानी जब वस्तुओं एवं सेवाओं के परिमाण से मुद्रा की माग बढ़ जाती है एवं मूल्य-स्तर भी बढ़ जाता है तो इसे मुद्रा-स्फीति की स्थिति कहते हैं, किन्तु केमरर की परिभाषा स्पष्ट रूप से मुद्रा-स्फीति की व्याख्या नहीं करती। आलोचकों के अनुसार केवल मूल्य-तल में वृद्धि इस बात का सही प्रमाण नहीं है कि देश में मुद्रा की पूर्ति व्यवसाय की आवश्यकताओं से अधिक हो रही है जिससे देश में मुद्रा-स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

प्रो० पीगू (Pigou) ने मुद्रा-स्फीति की परिभाषा निम्न प्रकार से दी है—“जब मौद्रिक आय (Money Income) उपार्जन-सम्बन्धी क्रियाओं (Income-earning activities) से अधिक अनुपात में बढ़ती है तब मुद्रा-स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है।” (Inflation exists when money income is expanding more than in proportion to the income-earning activities—Pigou) पीगू के अनुसार किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाने पर यदि उसकी माग पूर्ववत् ही रहे तो समाज में पूँजी का संचय बढ़ जाता है जिससे उत्पत्ति के कार्यों के लिए अपेक्षाकृत कम व्याज पर अधिक पूँजी उपलब्ध हो जाती है

1 “Inflation is too much money and deposit currency, that is, currency in relation to the physical volume of business being done.”—E W Kemmerer : ABC of Inflation, P. 6

जिससे उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने से समाज की मौद्रिक आय (Money-income) भी बढ़ जाती है जिससे लोग उपभोग की वस्तुओं की मांग अधिक करते हैं और उपभोग की वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने से उत्पादक इनके उत्पादन को बढ़ाने लगते हैं। इससे उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग होने लगता है। इन क्रियाओं को पीगू ने उपार्जन-सम्बन्धी क्रियाएँ (Money-earning activities) कहा है। प्रो० पीगू के अनुसार "यदि साधनों के पूर्ण उपयोग के बाद भी मुद्रा की पूर्ति या मौद्रिक आय में वृद्धि जारी रहे तो इससे वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती। इसके परिणामस्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में मौद्रिक आय में वृद्धि के अनुपात में वृद्धि नहीं होगी। इससे मूल्य-तल में वृद्धि होने लगती है तथा मुद्रा-स्फीति उस समय होती है जबकि उत्पादन के साधनों द्वारा किये गये कार्यों की तुलना में, जिनके भुगतान के रूप में मौद्रिक आय प्राप्त होती है, मौद्रिक आय अधिक तेजी के साथ बढ़ रही हो।" (Inflation is taking place when money income is expanding relatively more than the output of work done by productive agents for which payment is made—Pigou) अतएव, मूल्य में वृद्धि मुद्रा-स्फीति का एक आवश्यक लक्षण है, किन्तु प्रत्येक स्थिति में मूल्य-वृद्धि को मुद्रा-स्फीति नहीं कहा जा सकता।

पीगू के अनुसार मूल्य में वृद्धि के केवल निम्नांकित दशाएँ ही मुद्रा-स्फीति को बतलाती हैं—

- (क) जब मौद्रिक आय एवं उत्पादन दोनों में वृद्धि हो रही है, किन्तु मौद्रिक आय उत्पादन की अपेक्षा अधिक तेजी के साथ बढ़ रही हो।
- (ख) जब मौद्रिक आय में वृद्धि हो रही हो, किन्तु उत्पादन यथास्थिर या घट रहा हो।
- (ग) जब मौद्रिक आय ज्यों-की-त्यों हो, किन्तु उत्पादन घट रहा हो।
- (घ) जब मौद्रिक आय एवं उत्पादन दोनों घट रहे हो, किन्तु मौद्रिक आय की अपेक्षा उत्पादन अधिक तेजी के साथ घट रहा हो।

सुप्रसिद्ध विद्वान क्रॉउथर (Crowther) ने मुद्रा-स्फीति की परिभाषा इस प्रकार से दी है—“मुद्रा-स्फीति (Inflation) वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य घटता तथा वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है।” (Inflation is a state in which the value of money is falling, i. e., prices are rising—Crowther) यह परिभाषा बहुत ही सरल तथा रोचक है, किन्तु यह मुद्रा-स्फीति की पूर्ण परिभाषा नहीं कही जा सकती; क्योंकि मूल्य में वृद्धि के अनेक कारण हो सकते हैं। साथ ही, मूल्य-तल में प्रत्येक प्रकार की वृद्धि को मुद्रा-स्फीति नहीं कहा जा सकता।

मुद्रा-स्फीति के विभिन्न रूप

(Different Types of Inflation)

कारण एवं उद्देश्यों के आधार पर अर्थशास्त्रियों ने भिन्न-भिन्न प्रकार की मुद्रा-स्फीति बतलाया है। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री केन्स (Kenes) के अनुसार साधारण मुद्रा-स्फीति की स्थिति, जिसमें वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, को वस्तु-स्फीति (Commodity Inflation) कहा जा सकता है। इसी प्रकार यदि सरकार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में नोट

1. मुद्रा-स्फीति को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है—“Paul Einzig के अनुसार Inflation is an expansionary trend of purchasing power that tends to cause or to be the effect of an increase of the price-level.”

छापनी है, जिससे मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो इसे **चलन-स्फीति** (Currency Inflation) कहा जा सकता है। इस प्रकार की चलन-स्फीति को कुछ लेखकों ने 'घाटा-प्रोत्साहित स्फीति' (Deficit-induced Inflation) भी बतलाया है। केन्स के अनुसार कमी-कमी उत्पादन-व्यय तेजी से घटने लगता है जिससे कीमतों में भी हास की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कभी-कभी सरकार कृत्रिम तरीकों से मूल्यों की स्थायी बनाने का प्रयास करती है। ऐसी स्थिति में नीमतें तो प्रायः स्थायी रहती हैं किन्तु उत्पादकों का मुनाफा पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ जाता है। इसे केन्स ने **लाभ-स्फीति** (Profit Inflation) बतलाया है।

मुद्रा-स्फीति के और भी बहुत-से रूप हैं। कमी-कमी सरकार आवश्यकता पडने पर चलन की मात्रा में वृद्धि नहीं कर ताब की मात्रा में वृद्धि को ही प्रोत्साहित करती है। इससे साख का प्रसार हो जाता है जिससे वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य में वृद्धि होती है। इस प्रकार की स्फीति को **साख स्फीति** (Credit-Inflation) कहा जाता है। इसी प्रकार कमी-कमी मुद्रा की पूर्ति ज्यो-ज्यो रहती है, किन्तु उत्पादन बहुत कम हो जाता है जिससे मूल्य-तल में वृद्धि हो जाती है। मुद्रा-स्फीति की इस स्थिति को **उत्पादन स्फीति** (Production Inflation) कहते हैं। जब भ्रम सघों के दबाव में आकर मालिकों की अत्यधिक मजदूरी-देनी पडती है तो उसका प्रभाव भी मूल्य-तल पर पडता है। इसे 'मजदूरी-प्रोत्साहित-स्फीति' (Wage-Induced Inflation) कहा जाता है।

पूर्ण तथा आंशिक स्फीति :— प्रो० पीगू (Pigou) ने पूर्ण-स्फीति (Full-Inflation) एव आंशिक-स्फीति (Partial Inflation) में अन्तर बतलाया है। पीगू के अनुसार साधारणतया मूल्य में वृद्धि से उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। धनोत्पत्ति में वृद्धि से उत्पत्ति के साधनों को पूर्ण रोजगार (Full employment) प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में जब मौद्रिक आय (Money Income) में उत्पत्ति कार्यों (Money-earning Activities) की अपेक्षा अधिक तेजी से वृद्धि होती है जिसके परिणामस्वरूप मूल्य में तेजी से वृद्धि होती चली जाती है, तब उसे पूर्ण स्फीति (Full Inflation) कहा जाता है परन्तु पूर्ण-रोजगार की स्थिति के पूर्व भी मौद्रिक आय में उत्पत्ति कार्यों की अपेक्षा अधिक तेजी से वृद्धि हो सकती है। ऐसी स्थिति को आंशिक स्फीति (Partial Inflation) कहा जाता है।

मूर्खों में वृद्धि की गति के आधार पर स्फीति के निम्नांकित चार प्रकार होते हैं :—


(क) **रेंगती स्फीति** (Creeping Inflation) — जब मूल्यों में धीरे-धीरे वृद्धि होती है तो इसे रेंगती हुई स्फीति कहते हैं। उदाहरण के लिए, पृष्ठ 328 के चित्र से स्पष्ट है कि 16 वर्षों के समय में मूल्य-तल में केवल 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार की स्फीति समाज के लिए कोई घातक नहीं होती, किन्तु कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार ऐसा सोचना ठीक नहीं है। इन लोगों के अनुसार इस प्रकार की मुद्रा-स्फीति गंभीर-वारण की तरह होती है जो एक बार स्थापित होने के बाद बच्चे के जन्म तक निरन्तर बढ़ती चली जाती है और जिस प्रकार बच्चा थोड़ी दर बाद चलना-फिरना तथा दोटना आरम्भ कर देता है, उन्हीं तरह रेंगती हुई स्फीति भी समाज में कुछ समय बाद मजानक अधिस्फीति की स्थिति उत्पन्न कर देती है।

(ख) **चलती स्फीति** (Walking Inflation) — इस प्रकार की स्फीति रेंगती स्फीति की अपेक्षा कुछ अधिक तीव्र होती है। अगले पृष्ठ के चित्र में चलती स्फीति के अन्तर्गत 10 वर्षों में मूल्य-तल में 40 प्रतिशत वृद्धि हो जाती है।

(ग) दौड़ती-स्फीति (Running Inflation) :—इस प्रकार की स्फीति में मूल्य-तल में अधिक तेजी के साथ वृद्धि होती है। नीचे के चित्र से स्पष्ट है कि 6 वर्षों में इस प्रकार की स्फीति में मूल्य-तल में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(घ) अति-स्फीति (Runaway or Hyper-Inflation) :—इस प्रकार की स्फीति में मूल्य-तल में अत्यधिक वृद्धि होती है। इसकी कोई सीमा नहीं होती। प्रथम महायुद्ध के बाद 1923 ई० में जर्मनी में जो स्फीति आयी थी, वह इसका सबसे प्रच्छा उदाहरण था। इसके अन्त-र्यंत मूल्य-तल में कई लाख गुनी वृद्धि हो गयी थी।

निम्नांकित चित्र से इन चारों प्रकार की स्फीतियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो जाती है :—



कुछ लेखकों के अनुसार मुद्रा-स्फीति खुली (Open Inflation) तथा दमित मुद्रा-स्फीति (Suppressed Inflation) भी हो सकती है। जब मौद्रिक आय में वृद्धि होने पर उसके व्यय पर कोई नियंत्रण न लगाया जाता है जिससे वस्तुओं की मांग में अत्यधिक वृद्धि से मूल्य-तल में वृद्धि होती है तो इसे खुली मुद्रा-स्फीति (Open Inflation) कहते हैं। इसके विपरीत जब बढ़ी हुई मौद्रिक आय को स्वतन्त्रतापूर्वक व्यय नहीं किया जा सकता है जिससे मूल्य-तल में वृद्धि नहीं हो पाती सब इसे दमित मुद्रा-स्फीति (Suppressed Inflation) कहा जाता है। जब खुली या स्वतन्त्र स्फीति (Open Inflation) पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया जाता तो कभी-कभी इस प्रकार की स्फीति प्रचण्ड रूप धारण कर लेती है तथा मूल्य-तल में अप्रत्याशित वृद्धि होने लगती है। मूल्य बढ़ते-बढ़ते एक ऐसी भी स्थिति आ जाती है जब मुद्रा का मूल्य उस वस्तु से भी कम हो जाता है जिसकी वह बनी हुई होती है। इसे 'अत्यधिक स्फीति' (Hyper Inflation) कहते हैं। जर्मनी में प्रथम महायुद्ध के बाद इसी प्रकार की स्फीति हुई थी।

इस प्रकार, कारण एवं उद्देश्यों के आधार पर मुद्रा-स्फीति विभिन्न प्रकार की होती है जिसमें वस्तु-स्फीति (Commodity Inflation), चलन-स्फीति (Currency Inflation), घाटा प्रोत्साहित-स्फीति (Deficit-induced Inflation), लाभ-स्फीति (Profit Inflation), साख रफीति (Credit Inflation), मजदूरी-प्रोत्साहित स्फीति (Wage Induced Inflation), पूर्ण स्फीति (Full Inflation), आंशिक स्फीति (Partial Inflation), खुली मुद्रा-स्फीति (Open Inflation) तथा छपी हुई मुद्रा-स्फीति (Suppressed Inflation) आदि प्रधान हैं।

मुद्रा-स्फीति के कारण

(Causes of Inflation)

मुद्रा-स्फीति साधारणतया मौद्रिक आय के विस्तार अथवा उत्पादन की कमी के कारण होती है। इसके निम्नलिखित लक्षण बतलाये जाते हैं—सरकार के चालू ऋण में वृद्धि, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि, देश की मुद्रा के विनिमय-दर एवं मूल्य में ह्रास तथा सामान्य मूल्य-तल में वृद्धि। इससे स्पष्ट है कि मुद्रा-स्फीति मौलिक रूप से मुद्रा-प्रसार से ही सम्बन्धित रहती है किन्तु मुद्रा के प्रसार से मूल्य-तल सदा प्रभावित नहीं होता। यदि मुद्रा के प्रसार के साथ-साथ देश में उत्पादन एवं रोजगार में भी उसी अनुपात में वृद्धि हो तो इसका मूल्य-तल पर प्रायः कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार मुद्रा-प्रसार मुद्रा-स्फीति की पूरी व्याख्या नहीं कर सकता।

मुद्रा-स्फीति की सृष्टि का प्रधान कारण सम्पूर्ण मौद्रिक माग का सम्पूर्ण मौद्रिक पूर्ति से अधिक होना है। यदि किसी कारणवश समाज की सम्पूर्ण मौद्रिक माग बढ़ जाय, किन्तु उत्पादन यथास्थित रहे तो इससे मुद्रा-स्फीति की सृष्टि होगी। इस प्रकार केन्स (Keynes) के अनुसार मौद्रिक माग एवं पूर्ति में अन्तर ही मुद्रा-स्फीति का प्रधान कारण है। मौद्रिक माग एवं पूर्ति के अन्तर को अधिस्फीति-जनक अन्तर (Inflationary gap) कहा जाता है। “इस अधिस्फीति-जनक अन्तर के कारणों को निम्नांकित तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है—

(क) वित्तीय अधिस्फीति (Financial Inflation),


(ख) आय की अधिस्फीति (Income Inflation), तथा

(ग) मौद्रिक अधिस्फीति (Monetary Inflation)।

जब सरकार अपनी आय से अधिक व्यय करती है तो इससे वित्तीय अधिस्फीति की सृष्टि होती है। सरकार को आय से अधिक व्यय करने से बजट में घाटा (Deficit) होता है जिसकी पूर्ति वह अतिरिक्त मुद्रा जारी कर अथवा जनता या बैंको से ऋण लेकर करती है। ऐसा करने से सम्पूर्ण समाज की मौद्रिक आय एवं रोजगारों में वृद्धि होगी। जब उपभोग की वस्तुओं में इसी अनुपात में वृद्धि नहीं होती है तो इससे अधिस्फीति-जनक अन्तर (Inflationary gap) की सृष्टि होती है। इस प्रकार घाटे की वित्त-व्यवस्था (Deficit financing) से मुद्रा-प्रसार होता है। आधुनिक-युग में इस प्रकार के बहुत से उदाहरण मिलते हैं। युद्ध के समय सरकार अपने अत्यधिक व्यय को ऋण अथवा अतिरिक्त मुद्रा जारी कर ही पूरा करती है जिससे मुद्रा-स्फीति की सृष्टि होती है। भारत में भी पचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर घाटे की वित्त-व्यवस्था को अपनाया था, किन्तु उपभोग की वस्तुओं में इस परिमाण में वृद्धि नहीं हुई जिसके परिणामस्वरूप मूल्य-तल में अत्यधिक वृद्धि हो गयी है।

अधिस्फीति जनक अन्तर (Inflationary gap) की सृष्टि आय में वृद्धि के कारण भी हो सकती है। जब उत्पादन के सभी साधनों का पारिस्थितिक बढ़ जाय, किन्तु उत्पादन पूर्ववत् ही रहे तो इससे भी अधिस्फीति-जनक अन्तर की सृष्टि होगी। पारिस्थितिकों में वृद्धि के कई कारण हो सकते हैं। सर्वप्रथम, उत्पादन के अधिकाधिक साधनों को रोजगार मिलने से उनकी मौद्रिक आय में वृद्धि होगी। इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि उपभोग की वस्तुओं का अभाव होने के कारण इनकी कीमत बढ़ जाती है जिससे मजदूर अधिक मजदूरी की माग करने लगते हैं तथा इनकी मजदूरी बढ़ने से उत्पादन व्यय भी बढ़ जायगा जिससे वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। इस प्रकार मुद्रा-स्फीति निरन्तर बढ़ती ही जाती है।

मुद्रा-स्फीति के इन विभिन्न रूपों को निम्नांकित पाठ द्वारा अधिक स्पष्ट किया जाता है—



अधि-स्फीति जनक अन्तर की सृष्टि एक तीसरे कारण से भी हो सकती है। समाज में सम्पूर्ण मुद्रा की मात्रा बढ़ जाने से मौद्रिक माँग बढ़ जाती है, किन्तु उत्पादन में इस अनुपात में वृद्धि नहीं हो या कमी हो तो इससे मुद्रा स्फीति की सृष्टि होती है। अतिरिक्त मुद्रा की सृष्टि कई कारणों से होती है, जैसे—घाटे को वित्त-व्यवस्था के कारण आर्थिक व्यवस्था की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या परिकल्पना के लिए, किन्तु जब बैंक मुद्रा की सृष्टि व्यवसायियों को ऋण देने के लिए करते हैं तो इससे मुद्रा में वृद्धि के साथ-साथ उत्पादन में भी वृद्धि होती है। अतएव, इससे मुद्रा-स्फीति की सम्भावना नहीं होती। इस प्रकार जब अतिरिक्त मुद्रा की सृष्टि अनुत्पादक कार्यों अथवा परिकल्पना के लिए की जाती है तो इससे मुद्रा-स्फीति की सृष्टि होती है।

मुद्रा-स्फीति के दोष

(Evils of Inflation)

मुद्रा स्फीति का समाज पर बड़ा ही घातक प्रभाव पड़ता है। इससे आर्थिक व्यवस्था के प्राय सभी अंग प्रभावित होते हैं। मुद्रा-स्फीति से समाज में धन एवं आय का अन्यायपूर्ण वितरण होता है। इसीलिए प्रो० वकील (C N Vakil) ने इसकी तुलना एक ऐसे डाकू से की है जो अदृश्य रहते हुए भी एक ही समय सम्पूर्ण राष्ट्र को लूटता है। (Inflation may be compared to robbery, both deprive their victim of some possession with the difference that the robber is visible, inflation is invisible, the robber's victim may be one or few at a time, the victims of inflation are the whole nation, the robber may be dragged to a court of law, inflation is legal—C N Vakil) मुद्रा-स्फीति की कठिनाइयों का अनुभव समाज के प्राय सभी व्यक्ति तथा वर्ग के लोग करते हैं।

किन्तु, मुद्रा-स्फीति समाज के कुछ वर्गों के लिए लाभदायक तथा कुछ वर्गों के लिए हानिकारक भी सिद्ध होती है। उदाहरण के लिए स्थायी आयवाले वर्ग पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। मुद्रा-स्फीति के कारण इस वर्ग की वास्तविक आय बहुत कम हो जाती है। मध्यम वर्ग भी इससे बहुत अधिक प्रभावित होता है। केमरर (Kemmerer) के अनुसार, 'मध्यम वर्ग जो अपने बड़े परिश्रम एवं बचाने की आदत द्वारा अपने बच्चों की शिक्षा एवं बीमारी तथा वृद्धावस्था का सामना करने के उद्देश्य से बचत का सचय करता है मुद्रा-स्फीति के दिनों में अपने को गम्भीर स्थिति में पाता है। प्राय की तुलना में रहन-सहन का स्तर बढ़ जाता है तथा इसकी सारी बचत समाप्त हो जाती है। कठिन परिश्रम, स्वतन्त्रता एवं बचाने की आदत भूटें देवता के समान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में मध्यम वर्ग पर निराशा एवं असफलता के भूटें बादल छा जाते हैं।' (The middle class, however, which by hard work and thrift has built up a fund of savings to its children and to provide a livelihood for times of sickness and for old age, finds itself in desperate situation in a time of serious inflation. The cost of living rises disproportionately to income, savings are wiped out and hard work, independence and thrift seem to be the false God. Under such conditions the middle class is overwhelmed by a sense of futility and desperation)

वास्तव में, मुद्रा-स्फीति के सबसे बड़े शिकार मध्यम वर्ग के वे लोग होते हैं जो हर समाज की आधारशिला होते हैं। मुद्रा-स्फीति के कारण ही प्रथम महायुद्ध के बादवाले समय में जर्मनी आदि देशों में मध्यम वर्ग प्राय समाप्त ही हो गया था।

आर्थिक कठिनाइयों के अतिरिक्त मुद्रा स्फीति से व्यक्तियों का नैतिक पतन भी होता है। समाज में धन एवं आय के अन्यायपूर्ण तरीके से पुनर्वितरण के द्वारा मुद्रा-स्फीति जनता में सरकार तथा नैतिकता के प्रति अविश्वास उत्पन्न कर देती है। समाज में जिन लोगों की धाय तथा सम्पत्ति मुद्रा-स्फीति के कारण समाप्त हो जाती है वे सरकार के कट्टर विरोधी बन जाते हैं। मुद्रा स्फीति से लोगों का नैतिक पतन भी हो जाता है। इसी के कारण प्रथम महायुद्ध के बाद जर्मनी में गम्भीर नैतिक पतन की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। जर्मनी में उन दिनों लोगों में इतना अधिक नैतिक पतन हो गया था कि पुरुष स्त्रियों के वस्त्र पहनकर धत्तन के नाच घरों में पुस्तित

अफसरो से श्राख बचाकर नाचा करते थे। बर्लिन की नवयुवतियाँ अपने दोपों की घर्म-शास्त्रीय ढंग से व्याख्या करती थीं। सोलह वर्ष की उम्र तक पवित्र कुमारी रहना उन दिनों बर्लिन में लज्जाजनक समझा जाता था। अतएव, प्रत्येक लड़की अपने दूषित अनुभवों को बताने में गर्व का अनुभव करती थी।¹

मुद्रा स्फीति से यद्यपि ऋणी, उत्पादक तथा व्यापारी वर्ग लाभान्वित होता है, फिर भी, विनियोगी एवं साहूकार वर्ग को इससे बहुत अधिक हानि होती है। मुद्रा-स्फीति के कारण इनके विनियोग का वास्तविक मूल्य कम हो जाता है। साथ ही, श्रमिक तथा नौकरी पेशेवालों की मुद्रा-स्फीति के कारण रोजगार से साधनों में वृद्धि होती है जिससे अधिक-से अधिक मात्रा में श्रमिकों को रोजगार मिलता है, किन्तु फिर भी, मुद्रा के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के कारण इनकी वास्तविक आय बहुत कम हो जाती है जिससे इन्हें घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

इस प्रकार मुद्रा-स्फीति के भयानक आर्थिक एवं नैतिक परिणाम होते हैं। अतएव, मुद्रा-स्फीति किसी भी प्रकार की कमी न हो, इसके इतने गम्भीर परिणाम होते हैं कि इसके निराकरण के उपायों की तलाश में कभी देर नहीं करनी चाहिए। वास्तव में, यह एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो समय व्यतीत होने के साथ-साथ अधिक गम्भीर होती जाती है। इस सम्बन्ध में हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम यह विचारने लगते हैं कि थोड़ी-सी मुद्रा-स्फीति अच्छी होती है। वास्तव में, यदि एक बार रेंगते हुए मुद्रा-प्रसार को समाप्त स्वीकार कर लेता है तब कुछ ही समय पश्चात् यह बच्चा रेंगना बन्द करके चलने, दौड़ने तथा कूदने लगता है।

मुद्रा-स्फीति का नियन्त्रण

(Control of Inflation)

इस प्रकार मुद्रा-स्फीति समाज के लिए आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक दृष्टि से बहुत ही हानिकारक सिद्ध होती है, अतएव, इसका नियन्त्रण अनिवार्य है। मुद्रा स्फीति के नियन्त्रण के लिए निम्नलिखित तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है —

(1) मौद्रिक नीति (Monetary Policy) एवं साख-नियन्त्रण का प्रयोग :—मुद्रा-स्फीति प्रधानतया मुद्रा अथवा साख की मात्रा में वृद्धि का ही परिणाम है, अतएव मुद्रा स्फीति के नियन्त्रण में मौद्रिक नीति एवं साख-नियन्त्रण के साधनों का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियन्त्रित कर मूल्य-स्तर में वृद्धि की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है, किन्तु मुद्रा स्फीति के नियन्त्रण के लिए मौद्रिक अस्त्रों का प्रयोग तभी सफल हो सकता है जब इसका प्रयोग अधिक तीव्रता के साथ किया जाय। इसके प्रयोग में बहुत अधिक सावधानी से कार्य लेना अनिवार्य है। मुद्रा-स्फीति की स्थिति में विनियोग एवं उपभोग को कम करने के लिए सूद की दर में बहुत अधिक वृद्धि करनी होगी, किन्तु इससे सम्पूर्ण मुद्रा-बाजार के अन्वयस्थित होने का भय बना रहता है। इससे विश्वास की भावना को भी आघात पहुँचता है। इस प्रकार मुद्रा-स्फीति के निदान के लिए केवल मौद्रिक नीति का प्रयोग प्रायः बिल्कुल असफल सिद्ध होता है। कभी-कभी तो इसका परिणाम बहुत ही घातक भी होता है। इस प्रकार मुद्रा एवं साख की मात्रा में अत्यधिक कमी से मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति को रोका आवश्यक जा सकता है, किन्तु यह तरीका बड़ा ही भयानक है। यह रोगी को स्वस्थ बनाने की बजाय उसकी जान ही ले लेता है।

सुप्रसिद्ध विद्वान हैनसन (Hansen) के शब्दों में, 'यदि मौद्रिक नीति का अल्प प्रयोग किया जाय तो यह असफल होता है तथा यदि इसे तीव्र गति से प्रयोग किया जाय तो महान सफलता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।' [Moderately used, it (monetary policy) courts the failure of ineffectiveness, pushed to the needed financial extremes, it courts disaster]

1 "Young girls bragged proudly of their perversion, to be sixteen and under, the suspicion of virginity would have been considered disgrace in any school of Berlin at that time Every girl wanted to tell of her adventures and the more exotic, the better."—Quoted by S. K. Murojan

(2) वित्तीय नीति (Fiscal Policy) — मुद्रा स्फीति के नियन्त्रण में वित्तीय नीति का बड़ा अधिक महत्त्व है। मुद्रा स्फीति का प्रधान कारण मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के अनुरूप वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा में वृद्धि का अभाव है। इससे लोगों के हाथ में क्रय शक्ति बढ़ जाती है जिससे मूल्य-तल में वृद्धि होने लगती है। अतएव, यदि वित्तीय तरीकों द्वारा इस अतिरिक्त क्रय शक्ति को बाजार पहुँचने के पहले ही कर अथवा बलात् ऋण (Forced loan) के रूप में सरकार ले ले तो इससे मूल्य-तल में वृद्धि नहीं हो पायगी। इस प्रकार वित्तीय नीति के अन्तर्गत सर्वप्रथम प्रयास प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष करों में वृद्धि का होना चाहिए जिससे अतिरिक्त क्रय शक्ति को बाजार पहुँचने के पूर्व ही ले लिया जा सकता है।

वित्तीय नीति के अन्तर्गत मुद्रा-स्फीति के नियन्त्रण में बचतवाले बजट (Surplus Budget) का भी बहुत अधिक महत्त्व है। बचतवाले बजट के द्वारा सम्पूर्ण मौद्रिक ऋण में कमी लायी जा सकती है। साथ ही, सरकार अनावश्यक पूँजी-व्यय को कम कर भी समाज के मौद्रिक व्यय में कमी ला सकती है।

इस प्रकार मुद्रा-स्फीति के नियन्त्रण में वित्तीय नीति का महत्त्वपूर्ण स्थान है किन्तु अकेले वित्तीय नीति द्वारा भी मुद्रा-स्फीति का निदान नहीं किया जा सकता। वास्तव में, मौद्रिक एव वित्तीय नीति, दोनों के संमिश्रण से ही इस क्षेत्र में पर्याप्त सफलता मिलती है।

(3) प्रत्यक्ष आर्थिक नियन्त्रण (Direct Economic Control) मुद्रा स्फीति के नियन्त्रण में प्रत्यक्ष आर्थिक नियन्त्रण का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। उत्पादन के जिन साधनों का अभाव है उनमें वितरण पर इस प्रकार का नियंत्रण लगाया जाय कि उनका उपयोग केवल आवश्यक कार्यों में ही हो। साथ ही, आवश्यक उपभोग्य वस्तुओं, जैसे—अन्न, वस्त्र इत्यादि के वितरण पर भी मूल्य-नियन्त्रण तथा राशानिग अनिवार्य है। इससे मूल्य-तल में अत्यधिक वृद्धि की प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है, किन्तु मूल्य-नियन्त्रण एव राशानिग (Price Control and Rationing) की नीति में अति सावधानी से काम लेना चाहिए, नहीं तो इससे काला बाजार जैसी असामाजिक प्रवृत्तियों को प्रश्रय मिलता है।

(4) मजदूरी को वृद्धि पर नियन्त्रण — मुद्रा स्फीति की सृष्टि मजदूरी में उत्पादकता की अपेक्षा अधिक वृद्धि होने के कारण भी होती है। अतएव, मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए मजदूरी की दर को स्थायी बनाना (Wage freeze) भी आवश्यक है किन्तु इसके साथ ही मुनाफा पर नियन्त्रण भी लगाना चाहिए तथा अतिरिक्त मुनाफा कर (Excess Profit Tax) के द्वारा अतिरिक्त मुनाफे की रकम को वसूल लेने का प्रयत्न होना चाहिए। मुनाफे पर नियन्त्रण नहीं होने से मजदूर भी मजदूरी की दर में वृद्धि की माग करेंगे।

(5) उत्पादन को प्रोत्साहित करना — मुद्रा स्फीति के समय प्रायः कुछ आवश्यक उपभोग्य वस्तुओं, जैसे—अन्न, कपड़ा आदि की कमी हो जाती है। इनके उचित वितरण के लिए नियन्त्रण तथा राशानिग की प्रथा अपनानी जा सकती है, किन्तु इस समस्या का कोई स्थायी हल नहीं हो पाता। इसका सबसे उपयुक्त उपाय इन आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहित करना है।

(6) मुद्रा स्फीति के नियन्त्रण के लिए उपभोक्ता साख (Consumer's Credit) एव सट्टेबाजी (Speculation) पर नियंत्रण भी अनिवार्य होना चाहिए।

उपरोक्त उपायों द्वारा मुद्रा-स्फीति का नियन्त्रण किया जा सकता है। इन उपायों में मौद्रिक एव वित्तीय नीति का ही बहुत अधिक महत्त्व है। बहुत से विद्वानों की यह धारणा है कि मौद्रिक नीति के सफल प्रयोग द्वारा ही मुद्रा-स्फीति को नियन्त्रित किया जा सकता है, किन्तु इस प्रकार की धारणा वास्तव में यथार्थ नहीं है। मुद्रा-स्फीति के नियन्त्रण में मौद्रिक नीति का महत्त्वपूर्ण स्थान अवश्य है, किन्तु जैसा कि हेन्सन (Hansen) का कहना है, "मुद्रा-स्फीति को समाप्त करने के लिए अकेले मौद्रिक नीति पर जोर देना निश्चित ही खतरनाक सिद्ध होता है। अतएव, इस समस्या के समाधान के लिए कई उपायों पर एक साथ जोर देना अनिवार्य है।" (Exclusive reliance upon monetary policy as the means to cope with inflation is a dangerously one-sided weapon. A many-sided attack on the problem is needed.)

मुद्रा-संकुचन

(Deflation)

मुद्रा-संकुचन का अर्थ (Meaning of Deflation) :—मुद्रा-संकुचन मुद्रा-स्फीति के ठीक विपरीत की स्थिति है। मुद्रा संकुचन में मूल्य-तल में ह्रास होता है। मुद्रा स्फीति की तरह मुद्रा-संकुचन की भी बहुत-सी परिभाषाएँ दी जाती हैं। प्रो० पीगू के अनुसार, “जब किसी समाज की मौद्रिक आय की तुलना में वहाँ पर वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ता है तो मुद्रा की क्रय-शक्ति घट जाती है अथवा वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य गिर जाता है। मूल्य-तल में कमी की इस स्थिति को मुद्रा-संकुचन अथवा मुद्रा-अप्रस्फीति (Deflation) कहते हैं।” क्रॉडथर (Crowther) के अनुसार मुद्रा संकुचन या अघिरफोति वह स्थिति है जिससे मुद्रा का मूल्य घटते जाता है तथा वस्तुओं का मूल्य घटता है।” (Deflation is a state in which the value of money is rising i. e., prices are falling.)

इससे स्पष्ट है कि मूल्य-तल में ह्रास की प्रवृत्ति को ही मुद्रा संकुचन कहते हैं, किन्तु मूल्य-तल में ह्रास की केवल निम्नलिखित दशाएँ ही मुद्रा-संकुचन की स्थिति को बनलाती हैं :—

- (1) जब मौद्रिक आय घटती है, किन्तु उत्पादन पर्याप्त रहता है;
- (2) जब मौद्रिक आय में उत्पादन की अपेक्षा अधिक कमी होती है,
- (3) जब उत्पादन बढ़ता है, परन्तु मौद्रिक आय पर्याप्त रहती है,
- (4) जब उत्पादन मौद्रिक आय की अपेक्षा तेजी से बढ़ता है, तथा
- (5) जब उत्पादन बढ़ता है और मौद्रिक आय घटती है।

मुद्रा-संकुचन के कारण (Causes of Deflation) :—किसी देश में साधारणतया मुद्रा संकुचन की स्थिति निम्नांकित कारणों से उत्पन्न होती है :—

(1) **बैंक-दर में वृद्धि :—**मुद्रा-अप्रस्फीति की दशा में केवल चलन (Currency) की मात्रा को कम करके, बरन् साल की मात्रा को कम करके भी उत्पन्न की जा सकती है। जब केन्द्रीय बैंक बैंक-दर (Bank Rate) को बढ़ा देता है तब इसका परिणाम यह होता है कि देश की अन्य बैंकिंग संस्थाएँ भी अपनी व्याज की दर बढ़ा देती हैं जिससे देश में साल की मात्रा में कमी हो जाती है।

(2) **खुले बाजार की क्रियाएँ एवं केन्द्रीय बैंक को अन्य साख नियंत्रण-सम्बन्धी नीतियाँ :—**केन्द्रीय बैंक खुले बाजार की क्रियाओं (Open Market Operations) की नीति अपनाकर भी समाज में साल की मात्रा को कम कर देता है, जिसका विस्फीतिक प्रभाव होता है। केन्द्रीय बैंक अन्य साधनों को अपना कर, जैसे—बैंकों के रक्षित कोष की मात्रा को घटिक कर, रुप पत्रों को बेचकर आदि भी साल की मात्रा को कम कर सकता है जिसका विस्फीतिक प्रभाव पड़ता है।

(3) **करारोपण तथा श्रृंखला लेना :—**सरकार भारी करारोपण (Taxation) की नीति अपनाकर या जनता से ऐच्छिक या अनिवार्य रूप से रुप लेकर चलन की मात्रा में कमी कर सकती है जिसका देश में विस्फीतिजनक प्रभाव पड़ सकता है।

(4) **चलन की मात्रा को कम करना :—**सरकार अपरिद्वन्द्वीय पत्र-मुद्रा रद्द करके या प्रत्येक प्रकार की मुद्रा के परिमाण में कमी करके विस्फीतिक स्थिति उत्पन्न कर सकती है। कमी-कमी मुद्रा की मात्रा स्थिर रहने हुए भी वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा में वृद्धि हो जाने पर विस्फीतिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दिनभर के लिए वस्तुएँ अधिक हो जाने पर मुद्रा की क्रय-शक्ति बढ़ जाती है और मूल्यों में कमी हो जाती है।

(5) **चलन की मात्रा के पर्याप्त रहने पर भी यदि वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि हो जाए तो इससे भी मूल्य-तल में कमी आ सकती है।**

मुद्रा-संकुचन के परिणाम :—मुद्रा-संकुचन के परिणाम ठीक मुद्रा-स्फीति के विपरीत होते हैं। मुद्रा-संकुचन मानव के लिए कितना कष्टदायक हो सकता है, यह 1930 ई० एवं बाद की भयानक आर्थिक मन्दी से स्पष्ट हो जाता है। मुद्रा-संकुचन के समय आर्थिक क्रिया-

शीलता मन्द पड जाती है और आर्थिक क्रियाशीलता में मन्दी के कारण बहुत-से लोग बेकार पड जाते हैं। तीसा की मयानक मन्दी के निम्नतम छोर पर समुक्त राज्य अमेरिका में प्राय 15 करोड व्यक्ति बेकार थे। करोडो अमेरिकावासी किसी भी मजदूरी पर काम करने के लिए मारे फिरते थे जबकि प्रायः सभी व्यावसायिक मन्दी में 'No Help Wanted' का बोर्ड टंगा पाते थे। ससार के सभी देशों में प्रायः यही बात थी और जैसा कि हम जानते हैं बेकारी मानव समुदाय का सबसे बडा दुष्मन है। बेकारी के समय उत्पादन कम हो जाता है जिससे लोगों की कार्यक्षमता घट जाती है। इतना ही नहीं, बेकार व्यक्ति देशद्रोही बनकर देश एव समाज की शांति भंग कर सकता है। इस प्रकार आर्थिक परिणाम के अतिरिक्त मुद्रा-अपस्फीति के मयानक राजनीतिक, नैतिक एव सामाजिक परिणाम भी होते हैं। इसीलिए, केम्स (Keynes) ने तो यहाँ तक कहा था कि बेकार व्यक्तियों को यदि समाज उत्पादक कार्य नहीं प्रदान कर सकता है तो अनुत्पादक कार्य में लगाना भी बेकारी की अपेक्षा अधिक उत्तम होता है। इसलिए उनके विचार में दिन भर गड्ढे खोदना तथा सायकाल उसे भर देना, यद्यपि बिलकुल अनुत्पादक कार्य है, फिर भी, बेकारी की तुलना में कहीं अधिक अच्छा है।

मुद्रा-संकुचन का सबसे बुरा परिणाम व्यापारियों तथा किसानों पर पडता है। मूल्य-तल में निरन्तर ह्रास के कारण सदा व्यापारियों को हानि की संभावना बनी रहती है। इसलिए, वे उत्पादन कम अथवा बन्द कर देते हैं। किसान तो इससे अधिक प्रभावित होते हैं। कृषि-पदार्थों के मूल्य में सबसे अधिक एव शीघ्रता के साथ कमी होती है। इससे किसानों को सबसे अधिक हानि होती है। श्रमिकों को भी उत्पादन में कमी से बेकारी का सामना करना पडता है। इस प्रकार मुद्रा-संकुचन का समाज के विभिन्न वर्गों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पडता है। मुद्रा-संकुचन के समय देश की राष्ट्रीय आय कम होने लगती है जिससे लोगों की आर्थिक स्थितियाँ बहुत बड जाती हैं।

मुद्रा-संकुचन का नियन्त्रण

(Control of Deflation)

मुद्रा-संकुचन साधारणतया देश में ऋण शक्ति अथवा मुद्रा की मात्रा में कमी होने से ही उत्पन्न होता है, किन्तु कमी-कमी अति-उत्पादन (Over-production) के कारण भी मुद्रा-संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतएव मुद्रा-संकुचन के नियन्त्रण के विभिन्न उपाय मुद्रा एव साख में वृद्धि से ही सम्बन्धित हैं। इसके निम्नलिखित प्रधान उपाय हैं —

(1) सरकारी व्यय में वृद्धि :— देश में ऋण-शक्ति के अभाव को दूर करने के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि भी अनिवार्य है। सरकार नयी-नयी योजनाएँ बनाकर अधिक व्यय कर सकती है जिससे रोजगार में वृद्धि होती है और परिणामस्वरूप जनता की मौद्रिक आय में भी वृद्धि होती है। इससे मूल्य-तल में वृद्धि को प्रथम मिलता है। अमेरिका में 1929-31 ई० की महान् आर्थिक मन्दी (Great Economic Depression) में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने न्यु डील (New Deal) की जो नीति अपनायी थी उसके अन्तर्गत सडक, सिंचाई के साधन आदि सार्व-जनिक कार्यों के निर्माण पर सरकार द्वारा बहुत अधिक रकम व्यय की जाती थी।

(2) साख का प्रसार :— मुद्रा-संकुचन की स्थिति के नियन्त्रण के लिए साख का प्रसार भी एक प्रधान उपाय है। केन्द्रीय बैंक बैंक-दर (Bank rate) को कम करने या खुले बाजार (Open market operation) की नीति को अपनाकर या अन्य तरीकों के द्वारा साख के विस्तार को प्रोत्साहित कर सकता है। साख के विस्तार से जनता के हाथ में जो अतिरिक्त क्रय-शक्ति आती है उससे मूल्य-तल में वृद्धि की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है।

(3) कर में छूट :— सरकार विभिन्न प्रकार के करों में छूट देकर पूँजी के संचय को प्रोत्साहित कर सकती है। इससे उत्पादन में भी वृद्धि होगी जिससे रोजगार बडेगा तथा जनता की क्रय-शक्ति में वृद्धि होगी।

(4) आर्थिक सहायता देना :— सरकार आर्थिक सहायता (Bounty) प्रदान कर भी उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है। उत्पादकों को इस प्रकार उत्पादन में

वृद्धि के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है जिससे जनता के हाथ में अतिरिक्त क्रय-शक्ति का संचार होगा तथा मूल्य-तल में वृद्धि होने लगेगी।

(5) उत्पादित वस्तुओं को नष्ट करना :—कभी-कभी मुद्रा-सकुचन अति-उत्पादन (Over-production) के कारण भी होता है। ऐसी स्थिति में जिस वस्तु का अधिक उत्पादन हुआ हो उसकी अतिरिक्त मात्रा को नष्ट कर भी मूल्य-तल में ह्रास की प्रवृत्ति को रोक जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में महान् आर्थिक मन्दी-काल में इस तरीके का भी प्रयोग किया गया था। इस सम्बन्ध में निर्यात के प्रोत्साहन का भी अधिक महत्त्व है।

मुद्रा-संस्फीति एवं मुद्रा-विस्फीति

(Reflation and Disinflation)

मुद्रा-संस्फीति (Reflation)—प्रो० जी० डी० एच० कोल (G. D. H. Cole) के अनुसार "जब मन्दी के प्रभावों को दूर करने के लिए जान बूझकर मुद्रा-प्रसार किया जाता है तब इसे संस्फीति कहते हैं।" (Reflation may be defined as inflation deliberately undertaken to relieve a depression) दूसरे शब्दों में, नियन्त्रित मुद्रा-प्रसार को ही संस्फीति (Reflation) कहा जा सकता है। जब कभी सरकार यह अनुभव करती है कि मुद्रा-सकुचन के कारण मूल्यों में अत्यधिक कमी हो गयी है जिससे आर्थिक क्रियाशीलता मन्द हो गयी है, तब समाज के आर्थिक जीवन की रक्षा के हेतु सरकार धीरे-धीरे मुद्रा का प्रसार करती है ताकि मूल्य-तल में धीरे-धीरे वृद्धि हो और आर्थिक क्रियाओं को भी प्रोत्साहन मिले। इस प्रकार मन्दी को दूर करने के लिए मुद्रा की मात्रा में की जानेवाली वृद्धि को मुद्रा-संस्फीति (Reflation) कहते हैं। ऐसे अर्थशास्त्री जो मन्दी का कारण मुद्रा का अभाव बतलाते हैं वे मन्दी को दूर करने के लिए संस्फीति को ही मुख्य उपाय मानते हैं।

मुद्रा-स्फीति एवं मुद्रा-संस्फीति में निम्नांकित प्रधान अन्तर हैं (Distinction between Inflation and Reflation)—(i) मुद्रा-स्फीति में मूल्य-तल में वृद्धि बहुत तेजी से होती है, परन्तु मुद्रा-संस्फीति में मूल्य-तल में वृद्धि बहुत धीरे-धीरे होती है। (ii) मुद्रा-स्फीति में मूल्य-तल में वृद्धि सामान्य मूल्य-तल से अधिक होती है, किन्तु संस्फीति में मूल्य में वृद्धि प्रायः सामान्य मूल्य-तल तक ही होती है। इस प्रकार मुद्रा संस्फीति तब होती है जबकि मूल्य-तल में बहुत कमी हो जाती है और इस कमी को दूर करने के लिए मुद्रा-सकुचन में सुधार किया जाता है। संस्फीति में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि उसी सीमा तक की जाती है, जहाँ तक कि मूल्य-तल में वृद्धि सामान्य मूल्य-स्तर तक होती है। यदि इस सीमा के पश्चात् भी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की जाती है, तब इसे संस्फीति नहीं कह कर स्फीति कहते हैं। (iii) स्फीति के परिणाम घातक होते हैं, इसके विपरीत संस्फीति के परिणाम इतने घातक नहीं होते, वरन् यह देश को मन्दी-काल से निकाल कर आर्थिक पुनर्स्थान की ओर ले जाती है जिससे देश में आर्थिक क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इस प्रकार संस्फीति से बेरोजगारी की समस्या हल हो जाती है, उत्पात के अन्य साधनों को कार्य में मिल जाता है तथा समाज के आर्थिक जीवन में एक नयी आशा का संचार हो जाता है।

मुद्रा-विस्फीति (Disinflation)—मुद्रा-विस्फीति कुछ समय से बहुत अधिक प्रचलित हो गयी है। जिस प्रकार मुद्रा-सकुचन (Deflation) के सुधार को संस्फीति (Reflation) कहते हैं, ठीक उसी प्रकार मुद्रा-स्फीति (Inflation) के सुधार को विस्फीति (Disinflation) कहा जाता है। युद्ध तथा युद्धोत्तर काल में ससार के प्रत्येक देश के मूल्य-तल में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि प्रत्येक देश की सरकार को एक ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे मूल्य-तल में एक उचित स्तर तक कमी हो जाय। अतः जब मुद्रा-स्फीति एक प्रचण्ड रूप धारण कर लेती है और मूल्य-तल में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तब वे सब उपाय, नीतियाँ तथा क्रियाएँ जिनसे मूल्य-तल को वृद्धि को घटाकर एक सामान्य स्तर तक लाया जाता है, मुद्रा-स्फीति कहलाती है।

मुद्रा-विस्फीति तथा मुद्रा-सकुचन में अन्तर (Distinction between Disinflation and Deflation)—यद्यपि विस्फीति और सकुचन दोनों का उद्देश्य मूल्य-तल को कम करना होता है और इस तरह दोनों के कारण भी प्रायः एक ही हैं, तथापि इस समानता के बावजूद इन

दोनों में निम्नांकित महत्त्वपूर्ण अंतर हैं—(i) मुद्रा-अपस्फीति या सकुचन मुद्रा-स्फीति की तरह प्राकृतिक (Natural) तथा ऐच्छिक दोनों प्रकार की हो सकती है, किन्तु विस्फीति सदा ही ऐच्छिक (Voluntary), अर्थात् वनावटी होती है। परिणामतः विस्फीति में मूल्य कम किये जाते हैं। (ii) मुद्रा-विस्फीति में मूल्य-तल को सामान्य स्तर तक ही घटाया जाता है परन्तु मुद्रा-अपस्फीति में मूल्य-तल में कमी सामान्य मूल्य-स्तर से भी नीचे तक हो सकती है। (iii) मुद्रा-विस्फीति की नीति उस समय अपनायी जाती है जब कि मुद्रा-स्फीति एक प्रचण्ड रूप धारण कर लेती है परन्तु मुद्रा-सकुचन की नीति का उपयोग मुद्रा स्फीति से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों को ठीक करने के लिए नहीं किया जाता। (iv) मुद्रा-सकुचन में उत्पादन के घट जाने से बेकारी बढ़ जाती है, किन्तु विस्फीति में इस प्रकार के दोष नहीं पाये जाते हैं क्योंकि इसमें सरकार मूल्य तथा उत्पादन व्यय का इस प्रकार से समायोजन करती है कि देश में बेरोजगारी नहीं होने पाए।

विशेष अध्ययन-सूची

1. Crowther An Outline of Money, Chapter III.
2. Kurihara Monetary Theory and Public Policy, Chapters IV & V
3. Kremmerer : The A B C of Inflation, Chapters I & IV to XI
4. Wright : Inflation and After



केन्स का सामान्य सिद्धान्त

(Keynes's General Theory)

"It is a matter of judgement whether the General Theory is simply classical economics, further developed or embroide ed or whether Keynesian economics represents a genuine break."—S. E. Harris, *The New Economics*, p 55

प्राक्कथन—आधुनिक आर्थिक विचारधारा बहुत कुछ केन्स एवं उनके अनुयायियों के विचारों से प्रभावित हुई है। अतएव केन्स के सामान्य सिद्धान्त के सम्बन्ध में थोड़ी-बहुत जानकारी अनिवार्य है। जॉन मेनर्ड केन्स (John Maynard Keynes) का जन्म 1883 ई० तथा देहान्त 1946 ई० में हुआ था। वह एक अंग्रेज अर्थशास्त्री था जिसने मार्शल की परम्परा में कैंब्रिज में शिक्षा प्राप्त की थी तथा वही पर अधिकांश समय तक अध्यापन का भी कार्य किया था। 1936 ई० में उसकी सुप्रसिद्ध पुस्तक 'General Theory of Employment, Interest and Money' प्रकाशित हुई जिसे सामान्य रूप से 'General Theory' भी कहा जाता है। इस पुस्तक के प्रकाशन से आर्थिक चिन्तन के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व हलचल की सृष्टि हुई। इसके प्रकाशन से आर्थिक विचारधारा तथा नियमों के एक नवीन युग का शुमारम्भ होता है तथा तब से लेकर आज तक केन्स की मान्यताओं के पक्ष एवं विपक्ष में अनेकों तर्क प्रस्तुत किये जाते रहे हैं। इसने प्रतिष्ठित सिद्धान्तों के स्थान पर एक नवीन अथवा केन्सीय अर्थशास्त्र को जन्म दिया। यह पुस्तक आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में वर्तमान समय की प्रसिद्ध केन्सीय क्रांति (Keynesian Revolution) की जननी मानी जाती है। यह प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की अवन्य नीति (Laissez-faire) की आधारशिला का एक बड़ा प्रयासस्थान है। कुछ आलोचकों ने तो इस पुस्तक के लेखक को नास्तिक तक कहा है, किन्तु वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। इस सम्बन्ध में डड्ले डिलार्ड (Dudley Dillard) का यह विचार विशेष रूप से उल्लेखनीय है, "अठारहवीं शताब्दी में आदम स्मिथ की पुस्तक 'Wealth of Nations' और उन्नीसवीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स की पुस्तक 'Capital' की तरह केन्स की पुस्तक भी व्यावसायिक तथा अर्थशास्त्रात्मिक लेखकों के वाद-विवाद का केन्द्र बिन्दु रही है। स्मिथ की पुस्तक वाणिज्यवाद के लिए एक महान् चुनौती है, मार्क्स की पुस्तक विश्लेषणात्मक दृष्टि से पूँजीवाद की गहरी आलोचना है और केन्स की पुस्तक निर्वाधावादी सिद्धान्त का निराकरण करती है।" (Like Adam Smith's Wealth of Nations in the Eighteenth Century and Karl Marx's Capital in the Nineteenth Century, Keynes' General Theory has been the centre of controversy among both professional and non professional writers Smith's book is a ringing challenge to Mercantalism, Marx's is a searching criticism of Capitalism and Keynes' book is a repudiation of the foundations of Laissez-faire) अतः अनेक अर्थशास्त्रियों जो पहले केन्स के कट्टर आलोचक थे, धीरे धीरे केन्स का समर्थक बनते जा रहे हैं। केन्स की तुलना करने, आदम स्मिथ तथा मार्क्स से करते हुए जॉर्ज सोल (George Soule) लिखते हैं कि "क्योंकि वे कृपकों के लिए गोला बारूद प्रदान की थी, आदम स्मिथ ने औद्योगिक निर्माताओं का पक्ष लिया तथा कार्ल मार्क्स ने क्रांतिकारी श्रम-जीवियों के पक्ष का जोरदार समर्थन किया था तो केन्स ने अर्थशास्त्र के सिद्धान्तवादियों की जीवन-रक्षा की है। वास्तव में, उन्हें इस प्रकार के रक्षक की प्रबल आवश्यकता थी।" (Quensnay had supplied ammunitions for agriculturists, Adam Smith had boistered the Industrial manufacturers, Karl Marx had expoused revolutionary wage-earners, now

J M Keynes had rescued the economic theorists, they desperately needed a Saviour)

आर्थिक सिद्धान्त के क्षेत्र में केन्स की सबसे बड़ी देन यह है कि उसने पहले के छिट्ट-पुट एव तारतम्य विहीन सिद्धान्तों का खण्डन कर एक सामान्य सिद्धान्त की रचना की। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पृथक् तथा मुद्रा के मूल्य-स्तर के निर्धारण के लिए एक पृथक् सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। वास्तव में, यह कुछ विचित्र-सा लगता था। केन्स ने इस विचित्रता को बड़े ही रोचक ढंग से व्याख्या की है — 'हमलोग कभी चन्द्रमा की एक ओर तो कभी दूसरी ओर अपने को पाते हैं और हमें यह भी पता नहीं चलता कि इन दोनों तिरों को मिलानेवाली कोई सामान्य रेखा है या नहीं।' केन्स ने एक सामान्य सिद्धान्त — मुद्रा एव मूल्य-सम्बन्धी सिद्धान्त (Theory of Money and Prices) का निर्माण कर इसके दोनों तिरों को संयुक्त किया।

केन्स की पुस्तक "The General Theory of Employment, Interest and Money" में केन्स का जोर General शब्द पर ही अधिक है। वास्तव में, केन्स का सिद्धान्त रोजगार के प्राय सभी स्तरों का अध्ययन करता है जबकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र (Classical Economics) में रोजगार की एक विशेष परिस्थिति, अर्थात् पूर्ण रोजगार समतुलन (Full employment equilibrium) का ही अध्ययन किया जाता है। केन्स के सिद्धान्त का उद्देश्य किसी समय विशेष में रोजगार के स्तर का निर्धारण है चाहे उस समय अर्थ-व्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर पर हो, या उसमें विस्तृत रूप से बेरोजगारी वर्तमान हो या रोजगार के किसी माध्यमिक स्तर पर हो। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की यह वारणा थी कि निजी सम्पत्ति पर आधारित अर्थ व्यवस्था पूर्ण रोजगार स्तर पर स्वतः समतुलन स्थापित कर लेती है। किन्तु केन्स इस प्रकार की कल्पना को निराधार मानता है और यह स्पष्ट करता है कि निजी स्वामित्व पर आधारित पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं में उच्चावचन के कारण पूर्ण रोजगार की स्थिति सामान्यतः नहीं पायी जाती है। किन्तु आर्थिक उच्चावचनों की तीव्रता को कम किया जा सकता है तथा बेरोजगारी की स्थिति को दूर किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, केन्स ने अपने सामान्य सिद्धान्त में रोजगार के मूल निर्धारकों का अध्ययन किया है तथा इसकी सहायता में बेरोजगारी को कम करने के उपायों की व्याख्या की है।

केन्स के सामान्य सिद्धान्त की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसका सिद्धान्त समस्त अर्थ व्यवस्था में रोजगार एव आय में परिवर्तन से सम्बन्धित है। इसके विपरीत प्रतिष्ठित सिद्धान्त किसी विशेष फर्म या उद्योग से सम्बन्धित था। केन्स ने अपने सिद्धान्त की व्याख्या में पूर्ण रोजगार (aggregate employment) राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय निपज (National output), सम्पूर्ण पूर्ति (aggregate supply), सम्पूर्ण माग (aggregate demand), कुल सामाजिक उपभोग कुल सामाजिक विनियोग तथा कुल सामाजिक वचन आदि धारणाओं का प्रयोग किया है।

केन्स की सुप्रसिद्ध पुस्तक 'जेनरल थियरी' में कुल 24 अध्याय हैं जो निम्नलिखित 6 खण्डों में विभाजित हैं—

(1) प्रथम खण्ड, जिसका शीर्षक 'परिचय (Introduction)' है, में 36 पृष्ठों में लिखित तीन अध्याय हैं।

(2) द्वितीय खण्ड, जिसका शीर्षक 'परिभाषाएँ एव विचार' (Definitions and Ideas) है, में चार अध्याय तथा एक परिशिष्ट (appendix) हैं। इन अध्यायों में, जो लगभग 50 पृष्ठों में हैं, केन्स ने वचन, विनियोग, आय इत्यादि की परिभाषाओं एवं रोजगार तथा उत्पादन पर प्रत्याशाओं (expectations) के पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या की है।

(3) तृतीय खण्ड जिसका शीर्षक 'उपभोग की प्रवृत्ति' (The Propensity to Consume) है में लगभग 45 पृष्ठों में तीन अध्याय हैं। पहले दो अध्यायों में उपभोग की प्रवृत्ति तथा इसकी निर्धारित करनेवाले भावात्मक (objective) एव आत्मनिष्ठ (subjective) कारणों तथा तीसरे एव अन्तिम अध्याय में सौमान्त उपभोग की प्रवृत्ति एव गुणक (multiplier) की व्याख्या की गयी है।

(4) चतुर्थ खण्ड का शीर्षक 'विनियोग की प्रेरणा' (The Inducement to Invest) है। इस खण्ड के लगभग 120 पृष्ठों में 8 अध्याय तथा एक परिशिष्ट है। इन अध्यायों में पूँजी की सीमान्त उत्पादकता (Marginal Efficiency of Capital), शीर्षकालीन प्रत्याशाओं की अवस्था, ब्याज की दर के सामान्य सत्थापन सिद्धान्तों, ब्याज तथा द्रव्य की आवश्यक विशेषताओं, रोजगार के सामान्य सिद्धान्त आदि विषयों की व्याख्या की गयी है। यह खण्ड अन्य पाँच खण्डों की अपेक्षा आकार में बहुत ही बड़ा है।

(5) पाँचवें खण्ड का शीर्षक 'मुद्रा, मजदूरी तथा मूल्य' (Money, Wages and Price) है तथा इसमें तीन अध्याय एवं एक परिशिष्ट हैं। पृष्ठों की संख्या लगभग 60 है।

(6) छठे तथा अन्तिम खण्ड में 'वाणिज्यवाद, व्यापार-चक्र तथा पुस्तक के अन्त में सामाजिक दर्शन' आदि के सम्बन्ध में व्याख्या की गयी है।

केन्स एवं प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र

(Keynes and the Classical Economics)

केन्स के 'जेनरल थियरी' के अध्ययन के पूर्व प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के साथ केन्स के सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त करना लाभदायक होगा। केन्स ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की परम्परा में ही अर्थशास्त्री के रूप में अपना जीवन प्रारम्भ किया था। फिर भी, इस विचार की किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं किया जा सकता कि केन्सियन अर्थशास्त्र केवल प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का ही एक विकसित एवं परिष्कृत रूप है। हैरिस (S. E. Harris) ने इस बयान कि "यह निर्णय की बात है कि क्या जेनरल थियरी केवल प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का ही विकसित रूप है अथवा इससे सर्वथा भिन्न है" (It is a matter of judgement whether the General Theory is simply classical economics further developed or embroidered or whether Keynesian economics represents a genuine break.)¹ में अब सदेह की कोई भी गुंजाइश नहीं रह गयी है। वास्तव में, केन्सियन अर्थशास्त्र को केवल प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का ही विकसित रूप मानना तथ्यों के विलकुल विपरीत होगा।

केन्स के अनुसार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री रिकार्डो (David Ricardo) के समय से पीढ़ी-दर-पीढ़ी चले आने वाले परम्परागत अथवा शास्त्रीय आर्थिक सिद्धान्तों का समूह है। यद्यपि बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने समय-समय पर इसे विस्तृत एवं सशोधित किया था तथापि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का मुख्य स्वरूप ज्यों-का-त्यों बना रहा। ये सिद्धान्त स्वयं में ही एक आर्थिक विचारधारा की सुस्पष्ट प्रणाली है।

रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धान्त (The Classical Theory of Employment) :— रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धान्त यह मानकर चलता है कि थम एवं अन्य साधन सदैव पूर्णतया कार्यरत (fully employed) रहते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रतिष्ठित सिद्धान्त के अनुसार अर्थ-व्यवस्था में पूर्ण रोजगार ही सामान्य स्थिति है (Full employment is a rule) तथा इसमें कोई भी परिवर्तन पर-सामान्य समझा जाता था। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक शक्तियों की निर्बाध क्रियाशीलता के परिणामस्वरूप थम सहित सभी आर्थिक साधनों का सदैव स्वयं ही पूर्ण प्रयोग होते रहता है। किन्तु यदि बाजार की शक्तियों में थोड़ा भी हस्तक्षेप किया गया तो इससे पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं उत्पन्न हो सकेगी। अतएव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री आर्थिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करते थे।

रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धान्त 'से' द्वारा प्रतिपादित बाजार के नियम (Say's Law of Market)¹ पर आधारित था। प्रो. 'से' के अनुसार देश में 'सामान्य प्रति उत्पादन' (general overproduction) तथा 'सामान्य बेरोजगारी' (general unemployment) की स्थितियाँ

¹ जे. बी. से (J. B. Say—1767-1832) एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे। उन्होंने अपना पुस्तक 'Traité d'Économie Politique' में अपने सुप्रसिद्ध नियम 'Supply always creates its own demand' का प्रतिपादन किया था।

कमी उत्पन्न हो ही नहीं सकती। प्रो० 'से' के अनुसार "पूति स्वतः ही सदैव अपने लिए माग उत्पन्न कर लेती है।" (Supply always creates its own demand) इनके अनुसार उत्पादन ही वस्तु के लिए बाजार का सृजन कर लेता है। दूसरे शब्दों में, माग का मुख्य स्रोत उत्पादन के विभिन्न साधनों की प्राप्त होने वाली आय होती है और यह आय उत्पादन की प्रक्रिया से स्वत उत्पन्न होती है। इस प्रकार प्रो० से के अनुसार, एक मोटरकार के निर्माण के परिणामस्वरूप मजदूरी, लाभ आदि के रूप में इतनी क्रय-शक्ति प्रचलन में आ जाती है कि अन्ततः मोटरकार खरीदी जा सकती है और इस प्रकार कभी भी किसी वस्तु का अति उत्पादन नहीं हो सकता। 'से' के इसी कथन के आधार पर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह विश्वास था कि समाज अथवा देश में सदा पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहती है।

किन्तु 'से' के इस नियम की दो बातों को लेकर आलोचना की जाती है। सर्वप्रथम तो आलोचकों के अनुसार प्रत्येक पूति अपने लिए स्वतः मांग का सृजन नहीं कर सकती। 'से' का विचार इस मान्यता पर आधारित है कि लोग अपनी सम्पूर्ण आय की वस्तुओं की खरीद पर ही व्यय करते हैं तथा इसका कोई भी माग बचाते नहीं हैं। परिणामस्वरूप सम्पूर्ण माल बाजार में बिक जाता है। किन्तु वास्तविकता यह नहीं है। लोग अपनी सम्पूर्ण आय का एक अंश भविष्य में उपयोग के लिए बचाने हैं। इस बचत के परिणामस्वरूप समाज की आय घाटा में से कुछ क्रय-शक्ति बाहर निकल जाती है जिससे कुल माग (aggregate demand) में कमी आ जाती है और कुल माग में इस कमी से ही समाज में अति उत्पादन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आलोचकों के अनुसार 1929-32 की मयानक आर्थिक मंदी के दौरान प्रो० 'से' के नियम की असत्यता पूर्ण रूप से सिद्ध हो गयी क्योंकि सभी देशों में अति उत्पादन की समस्या उपस्थित हो गयी। वास्तव में, व्यापार-चक्र की क्रियाशीलता 'से' के नियम की असत्यता का सबसे बड़ा परिचायक है।

प्रो० 'से' के विरुद्ध दूसरी आलोचना का सम्बन्ध पूर्ण रोजगार की मान्यता से है। 'से' के अनुसार अम की पूति स्वत ही अम की माग से समायोजित हो जाती है जिससे अनैच्छिक बेरोजगारी (Involuntary unemployment) की कोई भी सम्भावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, प्रो० 'से' के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी की दर पर (Current wage) कार्य करना चाहता है उसे निश्चय ही कार्य मिल जायगा, यानी इस अर्थ व्यवस्था में बेरोजगारी उत्पन्न होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु आलोचकों के अनुसार प्रो० 'से' की उक्त धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी पूँजीवादी देशों में बेरोजगारी पायी जाती है जो कभी-कभी बहुत ही तीव्र एवं दीर्घकालीन रूप धारण कर लेती है। ऐसी स्थिति में मजदूरी स्तर में कटौती से भी बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो पाता, वरन् कभी कभी तो इसका प्रतिकूल प्रभाव ही पडना है। कारण स्पष्ट है। मजदूरी के स्तर में कटौती से अमिकों की क्रय-शक्ति घट जाती है जिसके परिणामस्वरूप समाज की कुल माग में कमी आ जाती है।

केन्स ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की इस मूलमूल धारणा को स्वीकार नहीं किया क्योंकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की यह धारणा थी कि आर्थिक प्रणाली बिना किसी सहायता के अपने-आपको परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल बना लेती है जिससे पूति एवं माग में कभी असंतुलन अथवा असामंजस्य नहीं उत्पन्न होता। केन्स के अनुसार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह कथन कि अति उत्पादन एवं सामान्य बेरोजगारी की स्थिति कभी उत्पन्न ही नहीं हो पाती विल्कुल अवास्तविक है। साथ ही, आर्थिक प्रणाली यथार्थतः कमी स्वयं समायोजित नहीं हो पाती। अतएव प्रो० केन्स के अनुसार पूति एवं माग में संतुलन बनाये रखने के लिए राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रों पर केन्स का यह सर्वाधिक प्रबल प्रहार है।

इस प्रकार केन्स ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की विभिन्न मान्यताओं का खंडन कर स्वयं रोजगार के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। इस सिद्धान्त को—'न्यून माग सिद्धान्त' (Demand deficiency Theory) भी कहते हैं। केन्स के अनुसार बेरोजगारी प्रभावपूर्ण मांग में कमी अथवा उपभोग एवं विनियोग पर व्यय किये गये धन में कमी के कारण होती है।

किन्तु केन्स के सिद्धान्त की व्याख्या के पूर्व इनके सामान्य सिद्धान्त (The General Theory of Employment, Interest and Money) के कुछ प्रमुख आधारों की व्याख्या की जायगी :—

प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धान्त

(The Principle of Effective Demand)

प्रभावपूर्ण मांग का अर्थ (Meaning of Effective Demand, :—केन्स के 'जेनरल थियरी' में प्रयुक्त धारणाओं में सर्वाधिक प्रमुख धारणा प्रभावपूर्ण मांग की धारणा है। वास्तव में, प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धान्त केन्स के रोजगार सिद्धान्त का प्रारम्भिक बिन्दु है। प्रभावपूर्ण मांग से केन्स का तात्पर्य उस मांग से है जिसके पीछे क्रय-शक्ति हो, यानी मांग क्रय शक्ति से युक्त हो। रोजगार के सिद्धान्त के सम्बन्ध में केन्स ने सम्पूर्ण प्रभावपूर्ण मांग (Total effective demand) शब्द का प्रयोग किया है जिसका तात्पर्य किसी राष्ट्र अथवा समुदाय की उस सम्पूर्ण मांग से है जिसके पीछे क्रय-शक्ति रहती है, यानी मांग क्रय-शक्ति से युक्त है। मांग के साथ प्रभावपूर्ण शब्द के प्रयोग का आशय यह है कि केन्स मांग को साधारण इच्छा से पृथक् कर व्यक्त करना चाहते थे।

केन्स के अनुसार किसी अर्थ-व्यवस्था में रोजगार की कुल मात्रा सम्पूर्ण प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करती है और प्रभावपूर्ण मांग आय-व्यय द्वारा व्यक्त होती है। बेरोजगारी प्रभावपूर्ण मांग में कमी (Deficiency of Effective Demand) का परिणाम है। व्यक्ति की ही तरह यह बात समाज में भी लागू होती है कि वास्तविक आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग में भी वृद्धि होती है, किन्तु इसमें कुल आय से कम ही वृद्धि होती है। अतएव रोजगार में वृद्धि के लिए वास्तविक विनियोग (Real Investment) में इतनी वृद्धि अवश्य होनी चाहिए जिससे कि कुल आय एवं उपभोग के अन्तर को समाप्त किया जा सके। प्रभावोत्पादक मांग के सिद्धान्त का यही सारांश है।

केन्स के सिद्धान्त की अन्य धारणाओं की तरह प्रभावपूर्ण मांग की धारणा का प्रयोग भी समग्र रूप में किया गया है, यानी इससे सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था की मांग का बोध होता है। यह किसी एक फर्म अथवा एक उद्योग की मांग से भिन्न होता है। किसी एक फर्म अथवा उद्योग की मांग को उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग से व्यक्त किया जाता है, किन्तु चूंकि सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के उत्पादन को इस प्रकार की किसी भौतिक इकाई, यानी वि० अथवा टन के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, अतएव केन्स ने नियुक्त श्रम की मात्रा (Labour Employed) को समस्त उत्पादन के मानदण्ड के रूप में प्रयोग किया है। केन्स के अनुसार जैसे-जैसे अधिक श्रमिक प्रयुक्त किये जाते हैं उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप कुल आय (Total sale proceeds) में वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में, रोजगार की मात्रा में वृद्धि से कुल समग्र मांग बढ़ती तथा रोजगार में कमी से घटती है।

किसी समाज की कुल प्रभावपूर्ण मांग साधारणतया दो प्रकार की मांगों से बनती है। दूसरे शब्दों में, प्रभावपूर्ण मांग के निम्नांकित दो अंग होते हैं :—

- (क) उपयोग-सम्बन्धी वस्तुओं की मांग (Demand for Consumption goods), तथा
- (ख) विनियोग-सम्बन्धी वस्तुओं की मांग (Demand for Investment goods)।

दूसरे शब्दों में, मांग या तो उपभोग के लिए की जाती है अथवा विनियोग के लिए। उदाहरण के लिए, हम या तो रोटी, चावल अथवा कपड़े की मांग करते हैं अथवा मशीन, मकान आदि की मांग करते हैं। इनमें से पहले प्रकार की मांग निश्चित रूप से उपभोग-सम्बन्धी मांग है तथा दूसरे प्रकार की मांग विनियोग-सम्बन्धी मांग है। सूत्र के रूप में इसे इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है—

$$ED = C + I$$

* प्रभावपूर्ण विनियोग का प्रयोग केवल क्रय की इच्छा एवं क्षमता के अन्तर पर जोर देने के लिए किया गया है।

जिसमें $ED =$ प्रभावपूर्ण मांग (Effective demand),

$C =$ उपयोग-सम्बन्धी मांग (Consumption Demand), तथा

$I =$ विनियोग-सम्बन्धी मांग (Investment Demand) है।

इन्में से उपभोग की मांग समाज की आय के आकार (size of income) तथा उपभोग की प्रवृत्ति (Propensity to consume) पर निर्भर करती है। दूसरी ओर, विनियोग ब्याज की दर (Rate of interest) तथा पूँजी की सीमांत क्षमता (Marginal Efficiency of capital) पर निर्भर करती है। इस प्रकार केन्स की जेनरल थियरी में निम्नलिखित तीन मुख्य धारणाओं का समावेश है—(1) उपभोग की प्रवृत्ति (propensity to consume), (2) पूँजी की सीमांत क्षमता (Marginal Efficiency of Capital), तथा (3) ब्याज की दर (Rate of Interest)। आगे चलकर इनकी सविस्तार व्याख्या की जायगी।

प्रभावपूर्ण मांग के निर्धारक तत्त्व (Determinants of Effective Demand)—
प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण निम्नांकित दो तत्त्वों से होता है—

(i) कुल मांग क्रिया (Aggregate Demand Function or A. D. F.), तथा


(ii) कुल पूर्ति क्रिया (Aggregate Supply Function or A. S. F.)

कुल मांग क्रिया (A. D. F.) मुद्रा की उन विभिन्न राशियों की अनुसूची है जिनको रोजगार के निम्न-निम्न स्तरों पर व्यवसायियों को अपने उत्पादन की विक्री से प्राप्त करने की आशा रहती है। दूसरे शब्दों में, कुल मांग क्रिया वह प्रत्याशित (Expected) विक्री प्राप्त आय है, जिसे उत्पादक श्रमिकों द्वारा उत्पादित वस्तु के विक्रय से प्राप्त करने की आशा करता है। जितने अधिक श्रमिकों को रोजगार मिलेगा उत्पादन उतना ही अधिक होगा और प्रत्याशित विक्री से आय बढ़ेगी। अतः स्पष्ट है कि प्रत्याशित विक्री की मात्रा रोजगार की मात्रा पर निर्भर करती है। वास्तव में, यह क्रम निम्न प्रकार से चलता है—रोजगार में वृद्धि, श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, प्रत्याशित विक्री-प्राप्त आय में वृद्धि, परन्तु व्यक्तियों को रोजगार तभी तक लाभदायक होगा जबकि उनके द्वारा बनाई गई वस्तु विक्रय जाने की पूरी सम्भावना हो और उससे एक निश्चित राशि मिल जाने की पूर्ण आशा हो।

इसके विपरीत कुल पूर्ति क्रिया (Aggregate Supply Function)—मुद्रा की उन निम्न निम्न राशियों की अनुसूची होती है (रोजगार के निम्न-निम्न स्तरों पर) जो उत्पादन की विक्री से व्यवसायियों को अवश्य मिलनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कुल पूर्ति-मूल्य मुद्रा की वह न्यूनतम मात्रा है जो श्रमिकों को दी हुई संख्या द्वारा उत्पादन करने में व्यय होती है। अर्थात् यह कुल उत्पादन-व्यय के बराबर होती है। जब तक उत्पादकों को वस्तु बेचने से कम-से-कम उत्पादन-व्यय मिलने की आशा नहीं होगी, तब तक न तो कोई उत्पादन करेगा और न लोगों को रोजगार ही मिलेगा। इस प्रकार किसी अर्थ व्यवस्था में कुल मांग क्रिया (A. D. F.) व्यवसायियों की कुल प्राप्तियों का तथा कुल पूर्ति क्रिया (A. S. F.) उनकी कुल लागतों (costs) का प्रतिनिधित्व करती है। किसी भी स्थिति में लागतों को प्राप्तियों से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से व्यवसायी उत्पादन का कार्य स्थगित कर देंगे जिससे मजदूरों को रोजगार नहीं मिल सकता।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि रोजगार प्रभावपूर्ण मांग (E. D.) पर निर्भर करता है तथा स्वयं प्रभावपूर्ण मांग कुल मांग क्रिया (A. D. F.) एवं कुल पूर्ति क्रिया (A. S. F.) द्वारा प्रभावित होती है। कुल मांग क्रिया किसी अर्थ-व्यवस्था में उस धनराशि को प्रदर्शित करती है जिसे उत्पादक श्रमिकों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त करने की आशा करता है। अतः रोजगार का स्तर मांग क्रिया एवं कुल पूर्ति क्रिया पर आधारित है। जब तक लागतें प्राप्तियों से कम रहती हैं (यानी कुल पूर्ति कुल मांग से कम रहती है) उत्पादक उत्पादन बढ़ाकर रोजगार में वृद्धि करते चला जाता है। यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक कि लागतें और प्राप्तियाँ (अर्थात् कुल पूर्ति एवं मांग) बराबर नहीं हो जाती हैं। जिन बिन्दु पर कुल मांग बड़ा एवं कुल पूर्ति बड़ा एक दूसरे को काटते हैं, उसी बिन्दु को प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं जो एक दिये हुए समय में रोजगार के स्तर को निर्धारित करता है। दूसरे शब्दों में, प्रभावपूर्ण मांग वह बिन्दु

है जहाँ पर इन दोनों (यानी A. D. F. एवं A. S. F.) का पूर्ण संतुलन होता है। निम्नांकित चित्र द्वारा भी इसे स्पष्ट किया जा सकता है—



उपरोक्त चित्र में OX रेखा पर रोजगार तथा OY रेखा पर आय एवं लागत को दिखलाया गया है। AD वक्र कुल माग वक्र तथा AC वक्र कुल पूर्ति वक्र है। ये दोनों E बिन्दु पर मिलते हैं जो प्रभावपूर्ण माग (Effective Demand) का बिन्दु है। चित्र में स्पष्ट है कि OM रोजगार की वह मात्रा है जहाँ पर A. D. F. एवं A. S. F. दोनों के बीच संतुलन स्थापित होता है।

किन्तु इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुल माग क्रिया तथा कुल पूर्ति क्रिया का संतुलन सदा पूर्ण रोजगार के स्तर पर ही नहीं होता, यह पूर्ण रोजगार से पहले भी हो सकता है। केन्स स्वयं यह मानते हैं कि समाज में पूर्ण रोजगार की स्थिति बहुत ही कम पायी जाती है। इनके अनुसार हो सकता है कि कुल माग वक्र एवं कुल पूर्ति वक्र एक दूसरे को उस बिन्दु पर काटें जिस पर लगाये गये व्यक्तियों की सख्या रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की सख्या से कम हो। दूसरी बात यह है कि केन्स ने अपने सामान्य सिद्धांत में 'कुल पूर्ति क्रिया' की अपेक्षा कुल माग क्रिया को ही प्रधानता दी है। इसीलिए कुछ अर्थशास्त्री केन्स के रोजगार सिद्धांत को कुल माग का सिद्धांत (Theory of Aggregate Demand) भी कहते हैं। वास्तव में, अल्पकाल में पूर्ति क्रिया में परिवर्तन नहीं होता, यानी कुल पूर्ति क्रिया अल्पकाल में प्रायः स्थायी रहती है। इस प्रकार केन्स के (कुल पूर्ति क्रिया को स्थिर मानते हुए) सामान्य सिद्धांत का सार यह है कि प्रभावपूर्ण माग अथवा रोजगार का निर्धारण कुल माग क्रिया के द्वारा किया जाता है और कुल माग क्रिया स्वयं दो तथ्यों पर आधारित है—(क) उपभोग की प्रवृत्ति (Propensity to Consume), तथा (ख) विनियोग प्रेरणा (Inducement to Investment)।

उपभोग की प्रवृत्ति या उपभोग फलन

(Propensity to Consume Or Consumption Function)

उपभोग की प्रवृत्ति या उपभोग फलन प्रभावपूर्ण माग एवं रोजगार के निर्धारक तत्वों में एक प्रधान तत्व है। किसी समुदाय में उपभोग उसकी आय की मात्रा तथा इसके उस भाग पर जो उपभोग पर व्यय किया जाता है निर्भर करता है। यह उस आय की ओर संकेत करता है जो उपभोग से सम्बन्धित वस्तुओं पर व्यय की जाती है। सक्षेप में, उपभोग प्रवृत्ति, कुल आय तथा कुल उपभोग में सम्बन्ध बतलाती है। यह एक ऐसी अनुसूची है जो कुल आय के भिन्न-भिन्न स्तरों पर उपभोग की भिन्न-भिन्न मात्राओं को बतलाती है। राष्ट्रीय आय को प्रत्येक मात्रा के लिए आय का प्रायः एक स्थिर अनुपात होता है जो जन-साधारण द्वारा उपभोग पर व्यय किया जाता है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक समाज में औसत उपभोग की प्रवृत्ति प्रायः समान रहती है।

वास्तव में, उपभोग की प्रवृत्ति तथा आय में एक प्रकार का फलनात्मक सम्बन्ध (Functional relationship) होता है। इसका यह आशय है कि जब आय में वृद्धि होती है

- तो उपभोग की प्रवृत्ति में भी वृद्धि होती है और जब आय घटती है तो उपभोग की प्रवृत्ति में भी कमी होती है।¹ जिस आय स्तर पर आय ठीक उपभोग के बराबर होती है उसे अन्तराल शून्य बिन्दु (Breakeven point) कहते हैं। ऐसी तालिका अथवा अनुसूची जिसमें विभिन्न आय-स्तरों से सम्बन्धित उपभोग व्यय व्यक्त किये जाते हैं वे आय-उपभोग अनुसूची अथवा केवल उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। नीचे इस प्रकार की एक उपभोग प्रवृत्ति अनुसूची का उदाहरण दिया जा रहा है :—

उपभोग प्रवृत्ति अनुसूची (रुपये में)

आय	उपभोग पर व्यय	सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति
200	230	$\frac{230}{200} = 1.15$
300	320	$\frac{320}{300} = 1.07$
400	400	$\frac{400}{400} = 1.00$
500	470	$\frac{470}{500} = 0.94$
600	535	$\frac{535}{600} = 0.89$
700	595	$\frac{595}{700} = 0.85$
800	650	$\frac{650}{800} = 0.81$

उपरोक्त सारणी के प्रथम दो स्तम्भ (Column) में आय एवं उपभोग सूची दिखलाई गई है, जिससे स्पष्ट है कि जब आय 200 रुपये है, तब उपभोग व्यय आय से अधिक है। यही स्थिति आय के 300 रुपये होने पर भी रहती है। परन्तु जब आय 400 रुपये है तो उपभोग-व्यय भी उतना ही है। यह अन्तराल शून्य बिन्दु है। इसके बाद जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है उपभोग पर व्यय बढ़ते जाता है। परन्तु जिस अनुपात में आय में वृद्धि होती है, उसी अनुपात में उपभोग पर व्यय नहीं बढ़ता। दूसरे शब्दों में, आय बढ़ने के साथ भाग्य आय एवं उपभोग में अन्तर बढ़ता जाता है।

आय में परिवर्तन के परिणामस्वरूप उपभोग में किस प्रकार परिवर्तन आता है इसकी जानकारी उपभोग की प्रवृत्ति से ही प्राप्त होती है। आय एवं उपभोग में सम्बन्ध किसी व्यक्ति अथवा परिवार के उपभोग की इकाई पर लागू होता है। परन्तु केन्स के सिद्धान्त में कुल सामाजिक उपभोग (Aggregate community Consumption) तथा कुल सामाजिक आय (Aggregate community Income) का सम्बन्ध अधिक महत्वपूर्ण है।

औसत उपभोग प्रवृत्ति के सम्बन्ध में केन्स की यह मान्यता निःअल्पकाल में यह अपेक्षाकृत स्थिर रहती है एवं ऐसा निष्कर्ष है जो वास्तविक अनुभव पर आधारित है। यह 'जेनरल नियरी' की व्याख्या का एक महत्वपूर्ण अंग है। किसी एक निश्चित समय में वास्तविक उपभोग की प्रवृत्ति क्या होगी, यह प्रायः समाज की प्रचलित रीतियों समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आय के वितरण की प्रणाली, समाज में प्रचलित कर की प्रणाली तथा अन्य इसी प्रकार के बहुत-से कारणों पर निर्भर करता है।

ऊँची उपभोग प्रवृत्ति (High Propensity to Consume) समाज में अधिक रोजगार के लिए अनुकूल होती है क्योंकि इसके ऊँचा होने के कारण रोजगार के भिन्न भिन्न स्तरों पर प्राप्त होने वाली कुल आय तथा इन आय के उस भाग में जिसे उपभोग पर व्यय किया जाता है अन्तर कम होता है जिससे रोजगार की ऊँचे स्तर पर कायम रखने के लिए अपेक्षाकृत कम विनियोग की आवश्यकता पड़ती है। किन्तु यदि उपभोग की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत निम्न होता है तो आय एवं उपभोग के बीच का यह अन्तर अधिक होता है जिससे अर्थ व्यवस्था में रोजगार को

1. "The fundamental psychological law upon which we are entitled to depend with great confidence both a priori from our knowledge of human nature and from the detailed facts of experience, is that men are disposed as a rule and on the average to increase their consumption as their income increases but not by as much as the increase in their income"

ऊँचे स्तर पर बनाये रखने के लिए विनियोग की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। यदि आय के सम्पूर्ण स्तर पर उपभोग की प्रवृत्ति 10% प्रतिशत हो तो आय एवं उपभोग में अन्तर का कोई समस्या ही नहीं रहेगी जिससे बिना किसी विनियोग के भी पूर्ण रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। ऐसी स्थिति में पूर्ति स्वयं अपने लिए मांग का निर्माण कर लेगी तथा जे० बी० से (J B Say) का सुप्रसिद्ध नियम 'Supply creates its own demand' लागू होने लगेगा। किन्तु वास्तविकता इससे बहुत ही भिन्न है तथा प्रायः प्रत्येक सम्य सम्राज में उपभोग की प्रवृत्ति 100 प्रतिशत से बहुत ही कम होती है जिससे आय एवं कुल उपभोग के बीच सदा कुछ अन्तर रह जाता है जिसे विनियोग के द्वारा पूरा करना पड़ता है।

केन्स के अनुसार समाज में केवल आय के पुनर्वितरण (Redistribution of income) के द्वारा ही उपभोग की प्रवृत्ति को एक निश्चित स्तर से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसका कारण यह है कि आय के पुनर्वितरण से व्यक्तियों में असंतोष एवं विरोध उत्पन्न होता है। इसी प्रकार केन्स के विचारानुसार एक अत्यधिक विकसित पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था में वस्तुओं के अत्यधिक संचय के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत विनियोग में बहुत अधिक वृद्धि न होने के कारण रोजगार की स्थिति में बहुत ही बम सुधार की आशा होती है। इस सम्बन्ध में केन्स एक निर्घन अर्थ व्यवस्था को समृद्ध अर्थ-व्यवस्था की अपेक्षा अधिक श्रेयस्कर समझते हैं, क्योंकि निर्घन अर्थ-व्यवस्था में आय की कमी से उपभोग की प्रवृत्ति ऊँची होती है जिससे उपभोग तथा आय के बीच अन्तर बहुत कम अथवा नहीं के बराबर होता है जिससे विनियोग की समस्या महत्वपूर्ण नहीं होती। अतएव केन्स के अनुसार 'जो समाज जितना ही अधिक समृद्ध होगा उसमें आर्थिक प्रणाली के दोष उतने ही अधिक स्पष्ट तथा प्रबल रूप में विद्यमान होंगे।' (The richer the Community the more obvious and outrageous the defects of the economic system)

औसत उपभोग प्रवृत्ति एवं सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (Average Propensity to Consume and Marginal Propensity to Consume)—केन्स की 'जेनरल थियरी' में औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति का एक विशेष महत्त्व है।

औसत उपभोग प्रवृत्ति (APC) आय का वह अनुपात है जो उपभोग पर खर्च किया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि 1000 रुपये की आय में से उपभोग पर 800 रुपये व्यय होता है तो

औसत उपभोग प्रवृत्ति = $\frac{800}{1000} = 8$ होगी। दूसरे शब्दों में,

$$\text{औसत उपभोग प्रवृत्ति (APC)} = \frac{\text{उपभोग की मात्रा (C)}}{\text{आय की मात्रा (Y)}}$$

औसत उपभोग प्रवृत्ति का आर्थिक महत्त्व यह है कि यह रोजगार के किसी भी स्तर पर बताती है कि कुल आय का कौन सा भाग उपभोग व्यय द्वारा पूरा होगा तथा शेष को विनियोग व्यय द्वारा पूरा करना होगा।

इसके विपरीत सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (M P C) प्रतिरिक्त आय में से अतिरिक्त उपभोग पर व्यय है। दूसरे शब्दों में आय में वृद्धि के फलस्वरूप उपभोग में जो वृद्धि होती है उसे सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आय में 1000 रुपये की वृद्धि होने से उपभोग व्यय में 600 रुपये की वृद्धि हो तो सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति $\frac{600}{1000} = 6$ होगी।

इस प्रकार -

$$\text{सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (M P C)} = \frac{\text{उपभोग की मात्रा में हुई वृद्धि}}{\text{आय की मात्रा में हुई वृद्धि}} = \frac{\Delta C}{\Delta Y}$$

सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति जितनी ही अधिक होगी, प्रभावपूर्ण मांग उतनी ही अधिक होगी और आय, रोजगार तथा उत्पादन भी उतना ही अधिक होगा। अतएव, विकसित अर्थ व्यवस्था में सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति ही आय, रोजगार एवं आर्थिक विकास का एक मात्र कारण है।

विनियोग प्रेरणा या विनियोग फलन

(Inducement to Invest or the Investment Function)

चू कि विकसित देशों में औद्योगिक उपभोग प्रवृत्ति शत-प्रतिशत नहीं होती, अतएव कुल आय एवं इसके उपभोग की मात्रा में कुछ न-कुछ मात्रा में अन्तर अवश्य ही रहता है जिसकी पूर्ति के लिए विनियोग की आवश्यकता पड़ती है। केन्स के अनुसार समाज में आय के ऊँचे स्तर को बनाये रखने के लिए आय तथा उपभोग के अन्तर को दूर करने के लिए विनियोग की मात्रा में वृद्धि अनिवार्य है। इस प्रकार केन्स के अनुसार एक धनवान् अथवा औद्योगिक दृष्टि से अत्यधिक विकसित देश में उचित सामाजिक कायवाही द्वारा कुल विनियोग की मात्रा को सदैव इतना ऊँचा स्तर पर रखना आवश्यक है जिससे कि समाज में पूर्ण रोजगार तथा समृद्धि की स्थिति बराबर बनी रहे। केन्स के सिद्धांत के अनुसार पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए विनियोग एक आवश्यक शक्ति तथा समृद्धि की कुँजी है। सभी विचारों के अर्थशास्त्री इस तथ्य को व्यापक रूप में स्वीकार करते हैं, अतएव इसे अर्थशास्त्र का मूलभूत सिद्धान्त समझा जाना चाहिए, लेकिन पूर्ण रोजगार को निरन्तर बनाये रखने के लिए शुद्ध विनियोग ही नहीं, उसकी बढ़ती हुई दर का होना भी अनिवार्य है। (Investment is an essential requirement for full employment and the key to prosperity in a capitalist economy. This is so widely and generally recognised by all economic schools and sects that it may be regarded as an axiom of modern economics. Not only net investment, but an increasing rate of net investment is necessary to assure continued full employment—Anatol Murad *The Post-Keynesian Economics* edited by Kenneth K. Kurihara p 227.)

विनियोग को प्रभावित करने वाले निर्म्नाकित दो तत्त्व हैं—

- (1) पूँजी की सीमान्त क्षमता (Marginal Efficiency of Capital), तथा
- (2) ब्याज की दर (Rate of Interest)।

पूँजी की सीमांत क्षमता

(Marginal Efficiency of Capital)

केन्स के अनुसार, विनियोग पूँजी की सीमांत क्षमता तथा ब्याज की दर पर निर्भर करता है। पूँजी की सीमांत क्षमता का तात्पर्य लाभ की उस दर से है जिसे व्यवसायी नवीन विनियोग से प्राप्त करने की आशा करता है। (The marginal efficiency of capital is, in the broad sense, the rate of profit which business men expect from new investments) दूसरे शब्दों में, पूँजी की सीमांत उत्पादकता का अभिप्राय नयी पूँजी परिसम्पत्ति द्वारा लागतों को निकालकर प्राप्त होनेवाले अधिकतम भावी आय से है। इस परिसम्पत्ति से दो तत्त्वों का अन्दाजा चलता है—(i) हमें पूँजी परिसम्पत्ति की सीमांत इकाई पर ध्यान देना चाहिए, तथा (ii) पूँजी परिसम्पत्ति की लागत को इसकी भावी आय में से घटा देना चाहिए। अतएव पूँजी की सीमांत उत्पादकता दो तत्त्वों पर आधारित है—(अ) पूँजी परिसम्पत्ति की भावी आय (Prospective yield from Capital asset), तथा (ब) पूँजी परिसम्पत्ति की पूर्ति कीमत (Supply price of the Capital asset)। पूँजी की सीमांत उत्पादकता इन दोनों तथ्यों के बीच का अनुपात होती है।

पूँजी परिसम्पत्ति की भावी आय का तात्पर्य है पूँजी परिसम्पत्ति की वह कुल शुद्ध आय है जिसे मशीन या सम्पत्ति अपने जीवन काल में दे सकती है। शुद्ध शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि शुद्ध आय जानने के लिए कुल उत्पादन में से पूँजी परिसम्पत्ति की वर्तमान लागतों को घटा देना पड़ता है। एक नयी मशीन या कोई अन्य परिसम्पत्ति खरीदने के समय साहसी केवल पूँजी परिसम्पत्ति से प्राप्त होनेवाली भावी आय की ही ध्यान में नहीं रखता, वरन् वह सम्पत्ति की लागत अथवा उसकी पूर्ति कीमत (Supply price) को भी ध्यान में रखता है। इसका तात्पर्य है पूँजी परिसम्पत्ति की लागत। पूर्ति कीमत को प्रतिस्थापन लागत भी कहते हैं। क्योंकि पूर्ति कीमत वह कीमत नहीं है जिसपर वह वर्तमान मशीन पहले खरीदी गयी थी, वरन्

वह है जिसपर उस प्रकार की नयी मशीन खरीदी जा सके अथवा पुरानी मशीन बदली जा सके।

इस प्रकार एक साहसी किसी नयी पूँजी परिसम्पत्ति में विनियोग करते समय उसके जीवन काल में होनेवाले भावी लाभों (expected rates of profitability) और उसकी पूँति कीमत से तुलना करता है और यदि प्रत्याशित आय लागत से अधिक होगी तो वह विनियोग करेगा अन्यथा नहीं। इस प्रकार किसी पूँजी की प्रत्याशित आय का अर्थ यह है कि उस पूँजी की परिसम्पत्ति को एक अतिरिक्त इकाई उसकी लागत की तुलना में कितना कमा सकेगी। केन्स के शब्दों में "पूँजी की सीमांत उत्पादकता बढ़ने की उस दर के बराबर होती है जो किसी मशीन के सम्पूर्ण जीवन भर के वर्ष-प्रति-वर्ष प्रत्याशित आयों के वर्तमान मूल्यों को उसकी पूँति-मूल्य के बराबर कर देती है।" (More precisely, I define the marginal efficiency of Capital as being equal to that rate of discount which would make the present value of the series of annuities given by the return expected from the capital asset during its life just equal to its supply price) दूसरे शब्दों में, किसी विशेष प्रकार की पूँजी परिसम्पत्ति की सीमांत उत्पादकता वह दर होती है जिस पर पूँजी परिसम्पत्ति की सीमांत इकाई से प्रत्याशित भावी आय को पूँजी-परिसम्पत्ति की पूँति लागत के समान करने के लिए घटाया जाता है। एक उदाहरण द्वारा इसे अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। मान लिया जाय एक नयी पूँजी परिसम्पत्ति में एक लाख रुपये की लागत आती है तथा उससे प्रतिवर्ष 4000 रुपये वार्षिक शुद्ध लाभ होता है। अतएव पूँजी की सीमांत उत्पादकता को जानने के लिए हमें केवल भावी वार्षिक लाभ (4000 रुपये) की वास्तविक लागत (1,00,000 रुपये) से अनुपात को मालूम करना होगा, अर्थात् $(\frac{4000}{100000} \times 100)$, 4% यानी पूँजी की सीमांत उत्पादकता 4 प्रतिशत है।

केन्स के सिद्धान्त में वस्तुतः रोजगार की मात्रा को प्रभावित करने वाला यह सर्वाधिक प्रधान तत्व है। साथ ही, चूँकि यह विनियोजकों की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है और यह मनोवृत्ति विवेकशून्य होती है, अतः केन्सीय विश्लेषण में व्यापार-चक्र तथा आर्थिक उल्थावचनो की समस्या को समझने का भी यह एक उत्तम साधन है। केन्स के अनुसार पूँजी की सीमान्त क्षमता में अल्प-काल में स्थिर रहने तथा दीर्घकाल में ह्रास की प्रवृत्ति पायी जाती है। कभी-कभी समाज में अधिक मात्रा में वस्तुओं के सग्रह के कारण पूँजी की सीमान्त उत्पादकता शून्य भी हो जाती है। आय की बढ़ती हुई सारणी से इसे और भी प्रोत्साहन मिलता है। वास्तव में, पूँजी की सीमान्त उत्पादकता की अल्पकालीन स्थिरता एवं दीर्घकालीन ह्रास की प्रवृत्ति औद्योगिक एवं व्यापारिक विषय में भयानक उथल-पुथल उत्पन्न कर देती है जिसमें सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था चक्रीय परिवर्तनों का शिकार हो जाती है।

साधारणतया पूँजी की सीमान्त क्षमता एवं ब्याज की दर स्वभावतः प्रतिस्पर्धात्मक होती हैं, किन्तु फिर भी पूँजी की सीमान्त उत्पादन क्षमता इतनी अधिक शक्तिशाली होती है कि यह ब्याज की दर के प्रभावों को बलहीन बना देती है। अतएव जब विनियोजकों की आशावादी प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप पूँजी की सीमान्त क्षमता तीव्र गति से बढ़ती है तो ब्याज की बढ़ती हुई दर भी विनियोजकों को अधिक पूँजी विनियोग करने से रोक नहीं सकती। ठीक इसके विपरीत, जब विनियोजकों की निराशावादी प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप पूँजी की सीमान्त क्षमता में तीव्र गति से ह्रास हो रहा तो ब्याज की दर को शून्य कर देने से भी लोग विनियोग के लिए तैयार नहीं होते हैं। केन्स पूँजी की सीमान्त उत्पादकता की इस प्रवृत्ति से पूर्णतया परिचित थे, इसीलिए उन्होंने घटती हुई सीमान्त क्षमता की तुलना एक ऐसे बत्तख से की जो धोल की तली की ओर गहरी दुबकी लगाता है तथा जिसे मतलब पर लाने के लिए कुशल एवं चतुर कुत्ते की आवश्यकता होगी। अभाव्यवश ब्याज की दर इस चतुर कुत्ते का कार्य करने में असमर्थ सिद्ध होती है। इस प्रकार केन्स ने देश में व्यापार-चक्रों को रोकने में ब्याज की दर की सीमाओं को स्पष्ट किया है।

ब्याज की दर

(The Rate of Interest)

ब्याज की दर 'जिनरल थियरी' से सम्बन्धित तीसरी तथा अन्तिम धारणा है। वास्तव में,

केन्स का सामान्य सिद्धान्त


विनियोग की दर को प्रभावित करने वाला यह दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है। केन्स ब्याज को एक पूर्णतः मौद्रिक तत्त्व मानता है। केन्स के अनुसार "ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता के परित्याग का पुरस्कार है।" (Interest is the reward for parting with liquidity for a specified period) यह वह कीमत है जो उपलब्ध नकद मुद्रा की मात्रा एवं नकद मुद्रा के रूप में धन रखने की इच्छा के मध्य समतुलन स्थापित करती है।

अब प्रश्न यह है कि लोग अपनी आय को तरल साधन के रूप में क्यों रखना पसन्द करते हैं। केन्स के अनुसार लोग अपनी आय को तरल साधन के रूप में निम्नलिखित तीन कारणों से रखना चाहते हैं—

- (1) लेन-देन के उद्देश्य से (Transaction Motive),
- (2) आकस्मिक खर्चों के लिए (Precautionary Motive), तथा
- (3) सट्टेबाजी से (Speculative Motive) ।


इनमें से पहले दो कारण, बानी लेन-देन की प्रवृत्ति तथा आकस्मिक खर्चों की प्रवृत्ति प्रायः स्थायी रहती हैं, अतएव केन्स के अनुसार सट्टेबाजी की प्रवृत्ति तथा इसे समुष्ट करने के लिए उपलब्ध मुद्रा की मात्रा का ही मुख्य रूप से ब्याज की दर के निर्धारण पर प्रभाव पड़ता है। सट्टेबाजी की प्रवृत्ति मुख्यतः न्यूनदाताओं की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। केन्स ने इसे इस प्रकार से परिभाषित किया है 'Speculative mouve is the desire of earning profit by knowing better than the market what the future will bring forth' इस प्रकार केन्स के अनुसार ब्याज की दर के दो प्रधान निर्धारक तत्त्व हुए—(1) सट्टेबाजी की प्रवृत्ति, तथा (2) इसे समुष्ट करने के लिए मुद्रा की उपलब्ध मात्रा। केन्स के अनुसार, ब्याज की दर धन को नकद या तरल रूप में रखने की इच्छा एवं उपलब्ध नकद की मात्रा में समतुलन स्थापित करती है। (The rate of interest equilibrates the desire to hold wealth in the form of cash with the available quantity of cash) इसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है—

ब्याज की दर (Rate of Interest)




केन्स की पुस्तक 'जेनरल थियरी' की रूप-रेखा को निम्नांकित चार्ट द्वारा अधिक स्पष्ट किया जा सकता है :-
 रोज़गार (N) आय (Y) एवं उत्पादन
 (Employment, Income and Production)

निर्भर करते हैं प्रभावोत्सादक माग (Effective Demand) पर




(K सदा 1 से अधिक होता है)

यदि तरलता अधिमान समान रहे तो मुद्रा के परिमाण में वृद्धि से व्याज की दर में कमी तथा मुद्रा के परिमाण में कमी से व्याज की दर में वृद्धि होगी। दूसरे शब्दों में, तरलता अधिमान के समान रहने पर व्याज की दर में मुद्रा की मात्रा के विपरीत परिवर्तन होता है, किन्तु यदि तरलता अधिमान में मुद्रा में परिवर्तन के साथ-साथ परिवर्तन होता हो तो व्याज की दर पर इन दोनों का एक साथ प्रभाव पड़ता है। इसे निम्नांकित रेखा-चित्रों द्वारा अधिक स्पष्ट किया जा सकता है—



चित्र सख्या 1



चित्र सख्या 2

चित्र स० 2 में तरलता अधिमान ज्यो-क-रयो है। अतएव, मुद्रा की मात्रा जब 1000 से बढ़कर 1200 रुपये हो जाती है तो सूद की दर 4 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत हो जाती है। इसके विपरीत चित्र सख्या 1 में मुद्रा की मात्रा 1000 से बढ़कर 1200 होने के साथ-साथ तरलता अधिमान वक्र भी त त से बढ़कर त₁ हो जाती है। तरलता अधिमान में इस वृद्धि से मुद्रा की मात्रा में वृद्धि का प्रभाव तो समाप्त हो जाता है, साथ-ही-साथ व्याज की दर भी 4 प्रतिशत से बढ़कर 5 प्रतिशत हो जाती है।

विनियोग एवं उपयोग में सम्बन्ध (The Relationship between Investment and Consumption)—केन्स के अनुसार सभी समय उपयोग की वस्तुओं के उत्पादन तथा विनियोग की वस्तुओं के उत्पादन में एक निश्चित सम्बन्ध रहता है। उपयोग की प्रवृत्ति के दिया हुआ होने पर, उपयोग की वस्तुओं की मांग की मात्रा आय की मात्रा पर निर्भर करती है। जैसा कि पहले देखा जा चुका है, समाज की कुल आय उपयोग तथा विनियोग की वस्तुओं के योग के बराबर होती है ($Y = C + I$)। विनियोग की मात्रा विनियोग के प्रोत्साहन पर निर्भर करती है जो स्वयं बाजार में बेनी—उपभोग तथा पूंजीगत वस्तुओं की कुल मांग पर निर्भर करती है। यदि उपभोग की प्रवृत्ति उच्च है, तो कुल आय एवं प्रभावोत्पादक मांग के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए बहुत ही कम मात्रा में विनियोग की आवश्यकता होती है। एक उदाहरण द्वारा इसे अधिक स्पष्ट किया जा सकता है—मान लिया कि हमारे देश में उपभोग की प्रवृत्ति $\frac{2}{3}$ है और कुल उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन मूल्य 200 करोड़ रुपये है तो कुल आय (कुल मांग) को 300 करोड़ रुपये के स्तर पर बनाये रखने के लिए 100 करोड़ रुपये के विनियोग की आवश्यकता पड़ेगी।

आय एवं व्यय में सम्बन्ध (Relationship between Income and Expenditure)—मौद्रिक आय से उस आय का बोध होता है जो उत्पादन के विभिन्न साधन मजदूरी, व्याज, लाभ एवं लगान के रूप में प्राप्त करते हैं। समाज की मौद्रिक आय का दो कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है—इसका एक भाग उपभोग पर व्यय किया जाता है तथा दूसरा बचाया जाता है। अतएव इसे निम्न सूत्र के रूप में व्यक्त किया जा सकता है :-

$$Y = C + S$$

जिसमें Y = कुल राष्ट्रीय आय

C = उपभोग व्यय

S = बचत

वर्तमान समय में लोगों की मौद्रिक आय पिछले समय में व्यय की गयी रकम का परिणाम होती है। तब प्रश्न यह है कि व्यय क्या है? मौद्रिक व्यय का तात्पर्य किसी दिये हुए समय में व्यक्ति, फर्म तथा सरकार द्वारा समाज में उत्पन्न वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च की गयी रकम से है। एक उदाहरण द्वारा व्यय एवं आय के सम्बन्ध को अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। मान लिया कि कोई समुदाय वस्तुओं तथा सेवाओं पर 10 करोड़ रुपये व्यय करता है। अब यह व्यय समुदाय की आय के बराबर हो जायगा। साथ ही, यह रकम वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य के बराबर होगी क्योंकि क्रय-विक्रय के क्रम में वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि समुदाय का व्यय, वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य एवं समुदाय की मौद्रिक आय तीनों एक बराबर होते हैं। अब समाज का कुल मौद्रिक व्यय दो प्रकार का होता है—

- (1) उपभोग की वस्तुओं पर व्यय जिसे Consumption expenditure कहते हैं, तथा
- (2) पूँजीगत वस्तुओं एवं भण्डार संप्रदाय पर व्यय जिसे Investment expenditure कहते हैं।

इसे मूल के रूप में इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है,

$$E = C + I$$

जिसमें E = मौद्रिक आय एवं राष्ट्रीय उत्पादन

C = उपभोग व्यय

I = विनियोग

इस प्रकार आय के सम्बन्ध में दो धारणाएँ हैं—(क) सर्वप्रथम व्यय के परिणामस्वरूप प्राप्त आय जिसे E के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तथा (ख) व्यय के लिए प्राप्त आय जिसे Y के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः आय एवं व्यय में क्या सम्बन्ध है? आय (Y) एवं व्यय (E) दोनों भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से देखने पर एक ही चीज है क्योंकि आय व्यय का आधार है और व्यय से ही आय उत्पन्न होती है। (Income is the basis for expenditure and expenditure necessarily generates income) किन्तु अधिक ध्यानपूर्वक विचार करने पर यह स्पष्ट होगा कि कुल मौद्रिक व्यय सदा पिछले समय में प्राप्त कुल मौद्रिक आय के बराबर नहीं होता। यह इससे अधिक अथवा कम दोनों हो सकता है। समाज अपनी धाय से अधिक व्यय अपनी पूर्व बचत से अथवा व्यावसायिक बैंकों से ऋण के द्वारा कर सकता है।

अब यदि व्यय आय के बराबर है तथा कुल आय व्यय की जाती है तो

$$E = Y = E = Y$$

और प्रत्येक हालत में $E = C + I$ एवं $Y = C + S$

और यदि $E = Y$, तो

$$C + I = C + S$$

या $I = S$

बचत एवं विनियोग की समानता (Equality of Saving and Investment) —

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि यदि किसी दिये हुए समय में प्राप्त सम्पूर्ण आय व्यय कर दी जाती है तो अगले समय में प्राप्त आय इसी के बराबर होती है। अतएव सन्तुलन की स्थिति में $E = Y$ के और इनके परिणामस्वरूप $I = S$ होता है। स्पष्ट है कि किसी एक समय में व्यय उस समय की आय हो जाती है। आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय किया जाता है, स्वयं आय हो जाता है। किन्तु जो बचत के रूप में रखा जाता है वह स्वयं व्यय नहीं होता, अतएव इससे अगले समय में आय नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार बचत (S) मौद्रिक भण्डारण के प्रवाह में एक कमी उत्पन्न कर देती है जिसे विनियोग (I) के द्वारा पूरा किया जा सकता है। अतएव यदि $S = I$ है तो उत्पन्न आय की मात्रा (Volume of Income generated) एवं खर्च के लिए प्राप्त आय (income available for disposal) दोनों बराबर होंगे। इसी प्रकार आय का चक्रीय प्रवाह (Circular flow of income) एक ही स्तर पर निरवधि रूप से चलते रहता है तथा आर्थिक क्रियाएँ एवं रोजगार भी समान स्तर पर रहते हैं।

इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि बचत (S) एवं विनियोग (I) परिभाषा से सदा समान रहते हैं किन्तु इनकी समानता पर और अधिक ध्यान देना अनिवार्य है क्योंकि किसी भी समष्टि समुदाय में बचत एवं विनियोग का कार्य साधारणतया पूषक पूषक वर्ग के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। उत्पन्न की गयी उन वस्तुओं को, जो पीछे उपभोक्ताओं के हाथ बेची जाती हैं उपभोक्ता वस्तुएँ कहा जाता है और जिनकी बिक्री उपभोक्ताओं के साथ मण्डार भी सम्मिलित रहता है, किन्तु आय का वह भाग जिसे उपभोग पर व्यय नहीं किया जाता है को बचत कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि जिन वस्तुओं का उपभोक्ताओं के हाथ विक्रय नहीं होता है (यानी I) आय के उस भाग के बराबर होता है जिसे उपभोग पर व्यय नहीं किया जाता है (यानी S)। इस प्रकार परिभाषा के द्वारा बचत एवं विनियोग दोनों बराबर होते हैं। बचत एवं विनियोग में यह समानता प्रायः में उचित परिवर्तन के द्वारा प्राप्त की जाती है किन्तु यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि बचत एवं विनियोग की समानता का तात्पर्य केवल प्राप्त बचत (Realised saving) एवं प्राप्त विनियोग (Realised investment) के बीच समानता से है। (इसका तात्पर्य आयोजित बचत एवं आयोजित विनियोग की समानता से नहीं है।)

बचत एवं विनियोग सदा एक समान नहीं होते (Saving and Investment need not always be equal)—इस प्रकार यद्यपि प्राप्त बचत (Realised saving) एवं प्राप्त विनियोग (Realised Investment) बराबर होते हैं, फिर भी इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि आयोजित बचत एवं आयोजित विनियोग भी सदा एक समान होते हैं क्योंकि बचत एवं विनियोग का कार्य असह्य व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो सदा एक नहीं होते। बचत करने वाले अपनी बचत विनियोग के लिए कर सकते हैं, जैसे—किसान कुम्भों खुदवाने के लिए। किन्तु कुछ लोग बचन नदिव्य की सुरक्षा के लिए अपना अपने दाल-बच्चों के लिए विशाल साधन छोड़ने के उद्देश्य से भी करते हैं। इन हालतों में आयोजित बचन का विनियोग से कोई सम्बन्ध नहीं होता। इसी प्रकार आयोजित विनियोग व्यापारियों तथा उत्पादकों के द्वारा किया जाता है जो सम्भव है बचन करनेवाले नहीं हो। वास्तव में, विनियोग दो बातों पर निर्भर करता है—(क) विनियोग से प्राप्त आय की प्रत्याशा पर, तथा (ख) विनियोग के लिए रकम प्राप्त करने पर। दूसरे शब्दों में, कोई साहसी तभी नया विनियोग करेगा जबकि इससे प्रत्याशित आय उसे उधार सैन के खर्च से अधिक हो। विनियोग से प्राप्त होनेवाली प्रत्याशित शुद्ध आय की केन्स ने पूँजी की सीमांत क्षमता (Marginal efficiency of capital) कहा है। इस प्रकार आयोजित विनियोग पूँजी की सीमांत क्षमता पर निर्भर करता है।

इस प्रकार आयोजित बचत एवं आयोजित विनियोग में समानता नहीं होने में आय एवं मूल्य-तल में परिवर्तन होता है। मानलिया कि आयोजित बचत आयोजित विनियोग से अधिक है। ऐसा दो कारणों से हो सकता है। या तो समाज अधिक बचाने अथवा कम विनियोग करने को सोच सकता है। अब मान लिया कि समाज की कुल आय 100 लाख रुपये हैं जिनमें से 80 लाख रुपये उपभोग पर खर्च किया जाता है तथा 20 लाख रुपये बचाया जाता है। मानलिया कि किसी कारणवश समाज अब अपनी आय में से 25 लाख रुपये बचाना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे उपभोग को घटाकर 75 लाख रुपये करना होगा। इस प्रकार बचत में वृद्धि का तात्कालिक प्रभाव उपभोग में कमी है। अब यदि इस बचत के साथ-साथ विनियोग में वृद्धि हो तो कुल आय ज्यों की-त्यों रह जायगी जो निम्नलिखित से स्पष्ट है।—

$$\begin{array}{rclcl} C & + & I & = & Y \\ (75 \text{ लाख}) & + & (25 \text{ लाख}) & = & (100 \text{ लाख रुपये}) \end{array}$$

अब विनियोग ज्यों का त्यों रह सकता है अथवा घट भी सकता है। यदि उपभोग पर व्यय कम हो जाय और विनियोग पर व्यय ज्यों-का-त्यों रहे तो इससे धाय में कमी होगी जैसे—

$$\begin{array}{rclcl} C & + & I & = & Y \\ (75 \text{ लाख}) & + & (20 \text{ लाख}) & = & (95 \text{ लाख}) \end{array}$$

यदि बचत ज्यों-की-त्यों हो और किसी कारणवश विनियोग में कमी हो जाय तो इसका परिणाम भी बहुत कुछ इसी प्रकार का होगा।

विनियोग में बचत से भी अधिक वृद्धि हो सकती है। (Investment may exceed saving) ऐसा तभी होगा जब समाज अपनी बचत से अधिक विनियोग करना चाहता है। विनियोग ऐसी स्थिति में अपनी पुरानी बचत का प्रयोग कर सकते हैं अथवा बैंक से स्थायी उधार ले सकते हैं। विनियोग में वृद्धि से पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन के साधनों की माँग बढ़ेगी। साथ ही, समाज की आय में भी वृद्धि होगी जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की प्रभावोत्पादक माँग में वृद्धि होगी। इस प्रकार विनियोग में वृद्धि से उपभोक्ता तथा पूँजीगत दोनों प्रकार की वस्तुओं की माँग में वृद्धि हो जाती है इससे रोजगार, माँग एवं मूल्य में वृद्धि होगी।

इस प्रकार के-स के विश्लेषण में मूल्य-तल, आय एवं प्रभावोत्पादक भाग में परिवर्तन पर आधारित है जो स्वयं बचत एवं विनियोग के सम्बन्धों पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार इस सम्बन्ध में तीन शैक्षणिक स्थिति की कल्पना की जा सकती है —

- (क) यदि बचत एवं विनियोग समान हैं तो आय, रोजगार एवं मूल्य-तल सभी स्थायी रहेंगे,
- (ख) यदि बचत विनियोग से अधिक है तो आय, उत्पादन, रोजगार एवं मूल्य-तल में ह्रास होगा,
- (ग) यदि विनियोग बचत से अधिक है तो आय, उत्पादन, रोजगार तथा मूल्य-तल में वृद्धि होगी।

इसलिए बहुत-से लेखक बचत एवं विनियोग की समानता को बनाये रखने के लिए, वित्तीय नीति, कर तथा राजकीय व्यय की नीति के सम्बन्ध में सुझाव देते हैं। इन लोगों के अनुसार यदि निजी विनियोग की कमी है तो इसे पूरा करने के लिए सरकार को स्वयं अपने व्यय में वृद्धि करनी चाहिए। इसके विपरीत यदि पूर्ण रोजगार के बिन्दु के बाद निजी विनियोग बचत से अधिक है तो सरकार को इसे नियन्त्रित करने के लिए करों में वृद्धि तथा राजकीय व्यय में कमी करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि केन्स ने मूल्य-तल में परिवर्तनों के लिए मुद्रा के परिमाण की प्राचीन धारणा का परित्याग कर दिया है। इनके अनुसार मूल्य-तल, रोजगार तथा आर्थिक एवं व्यावसायिक क्रियाओं को प्रभावित करनेवाले आधारभूत कारणों में कुल आय एवं बचत तथा विनियोग के सम्बन्ध प्रधान हैं।

गुणक

(The Multiplier)

केन्स के अर्थशास्त्र में गुणक का महत्त्वपूर्ण स्थान है। केन्स के अनुसार “गुणक का सिद्धान्त इस बात की व्याख्या करता है कि विनियोग में परिवर्तन उपभोग पर किये जानेवाले व्यय को परिवर्धित कर किस प्रकार आय पर सचयी प्रभाव डालता है।” (The multiplier theory explains the cumulative effects of changes in investment on income viz their effects on consumption expenditure) विनियोग में वृद्धि से आय बढ़ती है। आय में वृद्धि से उपभोग बढ़ता है और उपभोग के वृद्धि से पुनः आय में वृद्धि होती है। इनके शब्दों में, विनियोग में परिवर्तन के कारण उपभोग में परिवर्तन (आय द्वारा) होता है जिसके फलस्वरूप आय में परिवर्तन होता है। अतएव गुणक का सिद्धान्त विनियोग में प्रारम्भिक वृद्धि के परिणामस्वरूप आय में अन्तिम वृद्धि के सम्बन्ध को बतलाता है। इसे इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है —

विनियोग में वृद्धि (प्रारम्भिक कारण)



उपभोग में वृद्धि



कुल आय में वृद्धि (अन्तिम परिणाम)

केन्स का यह तर्क है कि विनियोग में प्रारम्भिक परिवर्तन के कारण उपभोग में परिवर्तन होगा जिसके फलस्वरूप सम्पूर्ण आय में वृद्धि हो जायगी। विनियोग में प्रारम्भिक वृद्धि और

सम्पूर्ण आय में कुल वृद्धि के बीच के सम्बन्ध को केन्स गुणक (Multiplier) कहता है। केन्स के गुणक को विनियोग गुणक (Investment multiplier) अथवा आय गुणक (Income multiplier) कहते हैं।

विनियोग में प्रारम्भिक वृद्धि का गुणक प्रभाव उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति (Marginal propensity to consume) पर निर्भर करता है। और उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति कुल आय में से उपभोग पर किये जाने वाले व्यय के अनुपात पर निर्भर करती है। साधारणतया किसी समुदाय की आय में वृद्धि के साथ साथ उसकी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति घटती जाती है। दूसरे शब्दों में यदि आय में 1 प्रतिशत वृद्धि होती है तो उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति में 1 प्रतिशत से कम ही वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त आय के उस भाग को जो उपभोग पर व्यय किया जाता है उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आय में वृद्धि के परिणामस्वरूप उपभोग में अतिरिक्त वृद्धि अतिरिक्त आय का 75% है तो उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति $\frac{3}{4}$ होगी एवं बचत की सीमान्त प्रवृत्ति $\frac{1}{4}$ होगी।

इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि निर्धन देशों में उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति उच्च तथा विकसित अर्थ-व्यवस्था में निम्न होती है। इसका प्रधान कारण यह है कि निर्धन तथा अ विकसित देशों में अधिकांश व्यक्तियों की आय बहुत ही कम होती है जिससे आय में प्रत्यक्ष वृद्धि का अधिकारा उपभोग भाग पर ही व्यय किया जाता है।

गुणक का परिमाण उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यदि उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति $\frac{3}{4}$ है तो गुणक 4 होगा। इसे जानने के लिए प्रयुक्त सूत्र को इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है :-

$$K = \frac{1}{1 - mpc}$$

जिसमें K = गुणक तथा

mpc = उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति

और चूंकि $1 - mpc = mps$ (बचत की सीमान्त प्रवृत्ति)

$$K = \frac{1}{mps}$$

दूसरे शब्दों में, गुणक बचत की सीमान्त प्रवृत्ति का ठीक विपरीत (Reciprocal) होता है। अब विनियोग में प्रारम्भिक वृद्धि के परिणामस्वरूप कुल आय में परिवर्तन को निम्नांकित सूत्र से स्पष्ट किया जा सकता है :-

$$\text{कुल आय में परिवर्तन} = \text{विनियोग में परिवर्तन} \times \frac{1}{mps}$$

$$= \text{विनियोग में परिवर्तन} \times \text{गुणक}$$

अब मान लिया कि गुणक 4 है (यानी उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति $\frac{3}{4}$ तथा बचत की सीमान्त प्रवृत्ति $\frac{1}{4}$ है) तथा प्रारम्भिक विनियोग 50 करोड़ रुपये है तो कुल आय में वृद्धि $50 \times 4 = 200$ करोड़ रुपये होगी।

गतिवर्द्धक सिद्धांत

(The Acceleration Principle)

सुप्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री जे० एम० क्लार्क (J M Clarke) ने गतिवर्द्धक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। यह केन्स के गुणक सिद्धान्त से बहुत कुछ मिलता जुलता है, फिर भी, इन दोनों में कुछ प्रधान अंतर हैं। पिछले पृष्ठों में हमने देखा है कि गुणक यह स्पष्ट करता है कि विनियोग में परिवर्तन उपभोग पर किये जाने वाले व्यय के द्वारा कुल व्यय को प्रभावित करता है। किन्तु, उपभोग-सम्बन्धी व्यय में परिवर्तन के परिणामस्वरूप विनियोग सम्बन्धी में भी अवश्य ही परिवर्तन होता है। गतिवर्द्धक सिद्धान्त उपभोग-सम्बन्धी वस्तुओं की कुल मांग में शुद्ध

परिवर्तन के परिणामस्वरूप पूँजीगत वस्तुओं की माग में विस्तार की व्याख्या करता है। (The acceleration principle explains the expanded demand for capital goods derived from net changes in the demand for consumption goods), अतएव विनियोग में प्रारम्भिक वृद्धि के कुल आय पर प्रभावों का सही तरीके से पता लगाने के लिए हमें—
(क) प्रेरित उपभोग के द्वारा परिवर्तन को (Changes through induced consumption), तथा (ख) प्रेरित विनियोग के परिणामस्वरूप परिवर्तन (Changes through induced investment) को जानना होगा। इसे निम्नप्रकार से भी दिखलाया जा सकता है —

प्रारम्भिक विनियोग



उपभोग पर प्रभाव—विनियोग पर प्रेरित प्रभाव



कुल आय पर प्रभाव

इस प्रकार गुणक इस बात की व्याख्या करता है कि किस प्रकार विनियोग में एक छोटा-सा परिवर्तन आय पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, किन्तु गतिवद्धक प्रभाव उपभोग में परिवर्तन के कारण विनियोग पर होने वाले परिवर्तनों पर आधारित है। दूसरे शब्दों में, गुणक विनियोग पर उपभोग की निर्भरता को स्पष्ट नहीं करता, परन्तु गतिवद्धक उपभोग की विनियोग पर निर्भरता को स्पष्ट करता है।

गतिवद्धक सिद्धान्त की व्याख्या इस प्रकार से की जा सकती है—यदि नये विनियोग के परिणामस्वरूप आय में वृद्धि होती है तो व्यवसायी अत्यधिक आशावादी हो जाते हैं तथा अपने विनियोग में वृद्धि करना प्रारम्भ कर देते हैं। साथ ही, बड़ी हुई आय उपभोग में वृद्धि को प्रेरित करती है। इसके अतिरिक्त उपभोग से नये विनियोग में वृद्धि होगी। इसके विपरीत यदि आय में कमी होती है और इसके परिणामस्वरूप उपभोग पर किया जानेवाला व्यय घट जायगा तो इससे विनियोग में भी कमी होगी। इस प्रकार उपभोग में परिवर्तन एव प्रेरित विनियोग में महत्वपूर्ण सम्बन्ध और उपभोग के शुद्ध परिवर्तन एव प्रेरित निवेश में शुद्ध परिवर्तन के अनुपात की गति वद्धक गुणक (acceleration co-efficient) कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लिया कि उपभोग व्यय में शुद्ध वृद्धि 10 करोड़ रुपये की होती है जिससे प्रेरित विनियोग में 20 करोड़ रुपये शुद्ध वृद्धि होती है, तो गतिवद्धक गुणक 2 हुआ।

जेनरल थियरी का व्यावहारिक महत्त्व

(Practical Importance of the General Theory)

‘जेनरल थियरी’ का वास्तविक महत्त्व इसकी व्यावहारिक नीतियों के निर्देशक रूप में कार्य करने में है। यह वास्तविक विश्व की व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की अवास्तविक व्याख्या के विरुद्ध केन्स की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। साथ ही, यह उन सब लोगों के लिए एक व्यापक योजना की रूप-रेखा प्रस्तुत करती है जो इसके अध्ययन के द्वारा वर्तमान आर्थिक समस्याओं का अतिरिक्त समाधान निकालना चाहते हैं।

जेनरल थियरी के प्रकाशन ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के सम्पूर्ण ढाँचे पर कठोर प्रहार किया। इसका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रूप समाज के बेकारों की समस्या को युक्तिसंगत एव वास्तविक तरीके से सुलझाने में है। केन्स ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि स्वतन्त्र आर्थिक व्यवस्था में पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए राज्य को स्वयं कुछ धनात्मक कार्यों को करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। केन्स सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी नीति (Public Works Policy) के सबसे बड़े समर्थक थे। इनके अनुसार पत्तों तोड़ना अथवा गड़बे खोदना और फिर उनको भरना जैसे व्यर्थ कार्यों से भी अर्थ-व्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर पर पहुँच सकती है। केन्स का यह विश्वास उनके रोजगार गुणक (employment multiplier) की धारणा पर आधारित है।

केन्स की सुप्रसिद्ध पुस्तक ‘जेनरल थियरी’ मुद्रा स्फीति को रोकने तथा पूर्ण रोजगार की स्थिति को कायम करने का प्रयास करती है। इसके लिए केन्स ने मूल्य नियन्त्रण, रेगुलेशन, अनिवार्य वचन योजना तथा वचन के बजट आदि उपायों को प्रस्तावित किया है। केन्स के विचारों

का केवल आर्थिक सिद्धान्तों पर ही प्रभाव नहीं पडा, वरन् इनका व्यावहारिक अर्थशास्त्र तथा नीति-निर्धारण के क्षेत्र में भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पडा ।

आलोचनाएँ (Criticisms) :—किन्तु केन्स के सिद्धान्त की बहुत अधिक आलोचनाएँ भी की जाती हैं, विशेषतः उसके द्वारा प्रतिपादित रोजगार के सिद्धान्त की बहुत अधिक आलोचना की गयी है । साथ ही, कुछ लोगों का यह कहना है कि केन्स ने अपनी 'जेनरल थियरी' में पूँजीवादी धर्म-व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया है । किन्तु वास्तव में इस प्रकार के विचार भ्रमास्पद हैं । वास्तविकता तो यह है कि स्वतन्त्र उद्योग की प्राचीन प्रथा को बनाये रखने के लिए केन्स से दूसरा कोई भी व्यक्ति उत्सुक नहीं था ।

इस प्रकार विभिन्न आलोचनाओं के बावजूद केन्स की 'जेनरल थियरी' का आर्थिक विचारों एवं क्रियाकलापों पर बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव पडा है ।

विशेष अध्ययन-सूची

1. J. M. Keynes : The General Theory of Employment, Interest and Money
2. D. Dillard : The Economics of J. M. Keynes.
3. Hansen : A Guide to Keynes.



'Gold standard is a device for maintaining the stability of exchange rates.'

—Crowther.

अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणालियाँ एवं संस्थाएँ
(International Monetary Systems and Institutions)

अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणालियाँ एवं संस्थाएँ-सम्बन्धा कुछ स्मरणीय उद्धरण

1. "Gold standard is a device for maintaining the stability of exchange rates"
—*Crouther*.
2. "The International Monetary Fund will be a bank of Central Banks, the capstone in the world's monetary system."
—*Halm*.
3. "It (the World Bank) is intended to serve as an essential adjunct to the Monetary Fund and in particular to ensure a high level of international investment with a view to promoting the maintenance of a high level of international trade and thus of production and employment."
—*I. B. R. D.*
4. "Foreign Exchange is the art and science of International Money Exchanging."
—*Hartley Withers*.
5. "The mint par is an expression of the ratio between the statutory bullion equivalents of the standard monetary units of two countries on the same metallic standard."
—*Thomas*
6. "The rate of exchange between two currencies must stand essentially on the quotient of the internal purchasing powers of these two currencies"
—*Gustav Cassel*.
7. "Exchange Control, the means of dealing with balance of payments difficulties —disregards market forces and substitutes for them the arbitrary decisions of government officials, Imports and other international payments are no longer determined by international price comparisons but by considerations of notional needs."
—*P T. Ellsworth*.

अध्याय : 36

स्वर्ण-मान

(Gold Standard)

प्राक्कथन — विश्व में घाटविक मुद्रा का सर्वाधिक प्रचलित रूप स्वर्ण-मान (Gold Standard) ही रहा है। उन्नीसवीं सदी के मध्य से लेकर प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक विश्व के अधिकांश देशों में स्वर्ण मान का प्रचलन था। यद्यपि यह मान सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1816 ई० में अपनाया गया था, तथापि संसार के अन्य देशों में 1870 ई० के बाद ही इसे अपनाने का नम प्रारम्भ हुआ और उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक विश्व के केवल एक दो देशों, जैसे—चीन एवं मैक्सिको को छोड़कर शेष सभी देशों में यह मान प्रचलित हो गया था।

स्वर्ण मान क्या है ? (What is Gold Standard ?) — स्वर्ण-मान (Gold Standard) उस मुद्रा मान को कहते हैं जिसमें देश की मुद्रा का स्वर्ण के साथ एक निश्चित सम्बन्ध रहता है। स्वर्ण-मान की व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है।

उदाहरण के लिए प्रो० रॉबर्टसन (Robertson) के अनुसार, 'स्वर्ण-मान उस मौद्रिक स्थिति को कहते हैं जिसमें कोई देश अपनी मुद्रा की एक इकाई के मूल्य को स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा के मूल्य के बराबर रखता है।' (Gold Standard is a state of affairs in which a country keeps the value of its monetary unit and the value of a defined weight of gold at an equality with one another.)

इसी प्रकार बेनहम (Benham) के अनुसार भी, "कोई देश स्वर्ण-मान पर तभी रहता है जब उस देश की मुद्रा की एक इकाई की क्रय शक्ति एक निश्चित धन के स्वर्ण की क्रय शक्ति के बराबर रहती है।" (A country is on the Gold standard when the purchasing power of a unit of its currency is kept equal to the purchasing power of a given weight of gold.)

कोल्टर्न के अनुसार 'स्वर्ण मान उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें देश की प्रमुख मुद्रा की इकाई एक निश्चित प्रकार के स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा में बदली जा सकती है।' (The gold standard is an arrangement whereby the chief price of money of a country is exchangeable with a fixed quantity of a specific quality.)

इस प्रकार क्रॉथर (Crowther) के अनुसार, 'स्वर्ण मान विनिमय दरों में स्थिरता प्राप्त करने की एक विधि है।' (Gold standard is a device for maintaining the stability of exchange rates.)¹

इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वर्ण-मान में देश की मुद्रा का स्वर्ण के साथ एक निश्चित सम्बन्ध रहता है। इस मुद्रा मान में स्वर्ण ही मूल्य-मापन (Measurement of value) का कार्य करता है। स्वर्ण एवं देश की मुद्रा का यह सम्यग्बन्ध निम्नांकित दो प्रकार का हो सकता है —

1 स्वर्ण मान की ओर भी कई परिभाषाएँ दी गयी हैं जिनमें निम्नांकित चरित्रधनीय हैं —

केमरर (Kemmerer) के अनुसार, 'Gold standard is a monetary system in which the unit of value in which prices and wages are customarily expressed and in which the debts are usually contracted, consists of the value of a fixed quantity of gold in an essentially free gold market.' The Gold Standard—Its Nature and Future, p. 5.

इसी प्रकार प्रो० हैबरलर (Haberler) के अनुसार, "A Gold standard in a narrow sense signifies a monetary system with gold coins of standard specifications or gold certificates with 100% gold backing forming the circulating medium."

(1) सर्वप्रथम तो देश की मुद्रा एक निश्चित वजन तथा शुद्धता के स्वर्ण की बनी हुई होती है जिससे मुद्रा की इकाई तथा स्वर्ण में एक निश्चित सम्बन्ध रहता है।

(2) दूसरी स्थिति में देश की मुद्रा स्वर्ण की नहीं बनी हुई होती है, वरन् प्रामाणिक मुद्रा किसी दूसरे पदार्थ जैसे चाँदी अथवा कागज की बनी नहीं होती है और यह स्वर्ण के साथ एक निश्चित दर में परिवर्तनीय (convertible) होती है। ऐसी स्थिति में देश की मुद्रा की राशि का आधार स्वर्ण-कोष ही होता है।

स्वर्ण-मान के विभिन्न रूप

(Different types of Gold Standard)

स्वर्ण-मान के निम्नांकित तीन रूप हैं :—

- (1) स्वर्ण-चलन मान (Gold Currency Standard);¹
- (2) स्वर्ण-धातु मान (Gold Bullion Standard); तथा
- (3) स्वर्ण-विनिमय मान (Gold Exchange Standard)।

अब स्वर्ण-मान के इन तीनों रूपों की निम्न व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है :—

1 स्वर्ण चलन मान

(Gold Currency Standard)

स्वर्ण-मान के जिस रूप का उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोप के अधिकांश देशों में विकास हुआ था उसे स्वर्ण-चलन मान ही कहते हैं। इसे धातुविक मुद्रा का सर्वाधिक प्रमुख रूप कहना प्रति उपयुक्त होगा। स्वर्ण-चलन मान (Gold Currency Standard) को स्वर्ण-टुकन मान (Gold Coin Standard) या पूर्ण स्वर्ण-मान (Full Gold Standard) या स्वर्ण-प्रचलन मान (Gold Circulation Standard) भी कहा जाता है। 1914 ई० में प्रथम विश्व-युद्ध प्रारम्भ होने के पूर्व इस प्रणाली का इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी तथा अमेरिका आदि देशों में प्रचलन था।

स्वर्ण-चलन मान की प्रमुख विशेषताएँ (Main Characteristics of the Gold Currency Standard) :—स्वर्ण-चलन मान की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं :—

(क) **स्वर्ण के सिक्कों का प्रचलन** :—स्वर्ण-मान की इस प्रणाली में देश की प्रामाणिक मुद्रा (Standard money) सोने की बनी हुई होती है यानी देश में स्वर्ण के सिक्कों का प्रचलन रहता है। देश की मुद्रा की प्रति इकाई एक निश्चित वजन तथा शुद्धता (a definite weight and fineness) के स्वर्ण की बनी रहती है। उदाहरण के लिए 1914 ई० के पूर्व इंग्लैंड में जब इस प्रणाली का प्रचलन था तो वहाँ की प्रामाणिक मुद्रा 'सावरेन' (Sovereign) या 'स्वर्ण-मुहर' कही जाती थी जिसका वजन 123 17/447 ग्रैन था तथा जिसका $\frac{1}{20}$ भाग शुद्ध स्वर्ण रहता था। 'सावरेन' प्रामाणिक एक अपरिमित विधिग्राह्य सिक्का था जिसका बाह्य मूल्य (Face value) एवं आंतरिक मूल्य (Intrinsic value) एक समान होता था। स्वर्ण के सिक्के के साथ-साथ पत्र मुद्रा अथवा अन्य निम्न धातु के सिक्को का भी प्रचलन रहता था किन्तु इनका आधार भी स्वर्ण ही होता था तथा ये स्वर्ण के सिक्को में परिवर्तनीय (convertible) होते थे।

(ख) **स्वर्ण की मुफ्त ढलाई (Free minting of gold coins)** :—स्वर्ण-चलन मान में स्वर्ण के सिक्को को ढलाई बिना किसी मूल्य के ही की जाती है, यानी इस प्रणाली में टुकसाल जनता के लिए खुली रहती है। कोई भी व्यक्ति टुकसाल से सोने के बदले सिक्के ले-सकता है।

(ग) **सरकार द्वारा स्वर्ण का क्रय-विक्रय** :—स्वर्ण चलन मान में सरकार एक निश्चित दर पर स्वर्ण बेचती तथा खरीदती है। उदाहरण के लिए, इंग्लैंड में इस प्रणाली के अन्तर्गत टुकसाल सदा 3 पौ० 17 शि० 9 पें० प्रति औंस की दर से स्वर्ण खरीदने तथा 3 पौ० 17 शि० 10 1/2 पें० प्रति औंस पर बेचने के लिए तत्पर रहता था।

(घ) **स्वर्ण का स्वतन्त्र रूप से आयात-निर्यात होता है** :—इस प्रणाली में स्वर्ण के आयात एवं निर्यात पर किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं रहती। लोग स्वर्ण का आयात एवं निर्यात अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं।

(च) स्वर्ण-मूल्य मापन (Measurement of value) का कार्य करता है — इस प्रणाली के अन्तर्गत भुगतान में स्वर्ण मूल्य-मापन का कार्य करता है ।

स्वर्ण-चलन मान के लाभ (Advantages of Gold Currency Standard) :—
स्वर्ण-चलन मान के बहुत-सारे लाभ बतलाये जाते हैं जिनमें निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :—

(1) जनता का विश्वास :—स्वर्ण चलन मान का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस प्रणाली में जनता का विश्वास (confidence) बना रहता है । इस मान में मुद्रा स्वर्ण की बनी हुई होती है । इसमें स्वर्ण के सिक्कों का बाह्य मूल्य (Face value) इनके आन्तरिक मूल्य (Intrinsic value) के बराबर होता है । साथ ही, इस प्रणाली में यदि अन्य प्रकार के सिक्के प्रचलन में रहते हैं, तो भी इन्हें स्वर्ण में परिवर्तित किया जा सकता है । इन कारणों से स्वर्ण-चलन मान में जनता का विश्वास बना रहता है ।

(ii) स्वर्ण-चलन मान में स्वयं-संचालकता पायी जाती है (Gold Currency Standard is automatic in its working) .—स्वर्ण-चलन-मान में स्वयं-संचालकता रहती है । इसे संचालित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ती । सरकार स्वर्ण-कोपी के सम्बन्ध में कुछ नियम बना देती है जिनके अनुसार मुद्रा की मात्रा में स्वर्ण-कोपी के अनुसार परिवर्तन होते रहता है । इस प्रकार केवल स्वर्ण-मान के नियमों के पालन करते रहने से ही यह प्रणाली स्वतः संचालित होती रहती है ।

(iii) स्वर्ण चलन मान में देश के आन्तरिक मूल्य-तल में स्थायित्व (Stability in the internal price level) रहता है — इस मुद्रा मान में मुद्रा की राशि स्वर्ण के परिमाण से नियमित होती है और चूँकि स्वर्ण की मात्रा में बहुत कम परिवर्तन होता है, अतएव मौद्रिक अधिकारी मुद्रा की राशि में इच्छानुसार परिवर्तन नहीं कर सकते । इस प्रकार स्वर्ण चलन मान में मुद्रा के आन्तरिक मूल्य में परिवर्तन की सम्भावना नहीं रहती है ।

(iv) विदेशी विनिमय दर में स्थायित्व (Stability in the Foreign Exchange Rates) .—स्वर्ण चलन मान में देश की मुद्रा स्वर्ण की बनी हुई होती है । साथ ही, स्वर्ण के आयात एवं निर्यात पर किसी प्रकार की रोकट नहीं रहती । अतएव इस पद्धति में विनिमय-दर में परिवर्तन केवल स्वर्ण के आयात एवं निर्यात करने के लक्ष्य तक ही सीमित रहता है । इस प्रकार स्वर्ण-चलन मान में विदेशी विनिमय-दर प्रायः स्थायी रहती है ।

स्वर्ण-चलन मान के दोष (Defects of the Gold Currency Standard) —
किन्तु स्वर्ण चलन मान के आलोचकों के अनुसार इस प्रणाली के अचिक्काश लाभ काल्पनिक हैं । व्यवहार में इसमें बहुत से दोष नजर आने लगते हैं जिनमें निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं —

(1) यह मुद्रा-प्रणाली लोचहीन (inelastic) होती है —स्वर्ण-चलन मान देश की मुद्रा-व्यवस्था को अधिक बेलोच बना देता है । इस प्रणाली में मुद्रा की मात्रा स्वर्ण की मात्रा पर आधारित रहती है । और, चूँकि स्वर्ण की पूर्ति में बहुत कम परिवर्तन होता है, अतएव इस प्रणाली में आवश्यकतानुसार मुद्रा की राशि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता । यही कारण है कि युद्ध अथवा अन्य आर्थिक संकट के समय इस प्रणाली का परित्याग करना पड़ता है । इसलिए स्वर्ण-चलन मान को केवल अनुकूल परिस्थितियों का मान कहा जाता है । (Gold Currency Standard is only a fair weather standard)

(ii) स्वर्ण का अत्यधिक अपेक्ष्य — इस प्रणाली में स्वर्ण के सिक्के वास्तविक चलन में रहते हैं अतएव स्वर्ण का एक बहुत बड़ा भाग मुद्रा के रूप में कार्य में ही लग जाता है जिससे दूसरे कार्य के लिए स्वर्ण उपलब्ध नहीं हो पाता । साथ ही, सोने के सिक्कों के प्रचलन में रहने से इनमें घिसावट आदि के फलस्वरूप बहुमूल्य धातु की हानि भी होती है । इस प्रकार इस प्रणाली का प्रमुख दोष यह है कि इसमें स्वर्ण का बहुत अधिक अपेक्ष्य होता है । इनके अतिरिक्त इस मान के और भी बहुत से दोष बतलाये जाते हैं, जैसे—अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के अभाव में इस प्रणाली में स्वयं-संचालकता नहीं रहती, मूल्य तल में भी स्थायित्व नहीं रहता, इत्यादि ।

2. स्वर्ण-धातु मान

(Gold Bullion Standard)

प्रथम-विश्व-युद्ध के बाद, 1925 ई० में इंग्लैंड तथा कुछ अन्य देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान की प्रणाली को स्वर्ण-धातु मान (Gold Bullion Standard) के रूप में ही अपनाया। युद्ध काल में प्रत्येक यूरोपीय देश में मुद्रा-प्रसार की आवश्यकता पड़ी, किन्तु इन देशों के पास इस कार्य के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वर्ण-कोष नहीं था, अतएव युद्ध प्रारम्भ होते ही स्वर्ण-मान को स्थगित कर दिया गया। युद्ध के बाद जब पुनः स्वर्ण-मान को अपनाने (Restoration of Gold Standard) की बात हुई, तो इंग्लैंड एवं अन्य यूरोपीय देशों में युद्ध-काल में प्रसारित अत्यधिक मुद्रा को आड़ प्रदान करने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वर्ण-कोष नहीं था। अतएव इन देशों ने स्वर्ण-चलन मान के एक परिवर्तित रूप—स्वर्ण-धातु-मान (Gold Bullion Standard) को ही अपनाया। स्वर्ण-चलन मान एवं स्वर्ण धातु मान के संचालन के आधारभूत सिद्धान्तों में समानता होते हुए भी इन दोनों में बहुत कुछ बातों को लेकर विभिन्नता थी जो स्वर्ण-धातु मान की विशेषताओं के वर्णन से स्पष्ट हो जाती है।

स्वर्ण-धातु मान की विशेषताएँ (Characteristics of the Gold Bullion Standard) : - इस प्रणाली की निम्नलिखित प्रधान विशेषताएँ हैं। -

(क) स्वर्ण के सिक्कों का प्रचलन नहीं रहता :—स्वर्ण-धातु मान में स्वर्ण ही मूल्य-मापन का कार्य करता है, किन्तु इसमें स्वर्ण के सिक्के प्रचलन में नहीं रहते। देश की प्रामाणिक मुद्रा (Standard Money) स्वर्ण की बनी नहीं होकर कागज अथवा किसी अन्य निम्न धातु की बनी होती है जो एक निश्चित दर पर स्वर्ण की पिंडों (Gold bars) में परिवर्तित रहती है। साथ ही, इस प्रणाली में पत्र मुद्रा के पीछे 100 प्रतिशत स्वर्ण-कोष नहीं रख कर एक निश्चित अनुपात जैसे 30 या 40 प्रतिशत स्वर्ण ही सुरक्षित कोष में रखा जाता है।

(ख) सीमित परिवर्त्यता (Limited Convertibility) — स्वर्ण धातु मान में सरकार तथा मौद्रिक अधिकारी सभी प्रकार की मुद्राओं को स्वर्ण में परिवर्तित करने का आश्वासन देते हैं किन्तु इसमें मुद्रा का स्वर्ण में परिवर्तन एक निश्चित वजन से कम में नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए, इंग्लैंड में स्वर्ण-धातु मान के अन्तर्गत बैंक ऑफ इंग्लैंड 400 औंस से कम के सोने के पिंडों (Gold bars) को नहीं बेचता था। इस प्रकार इस मान में स्वर्ण एवं मुद्रा में केवल सीमित परिवर्त्यता (Limited Convertibility) ही पायी जाती थी। इस प्रकार की सीमित परिवर्त्यता का प्रधान उद्देश्य स्वर्ण को केवल अन्तर्राष्ट्रीय मुक्तान के लिए ही उपलब्ध बनाना था।

(ग) मफ्त डिलाई (Free minting) की व्यवस्था नहीं :—स्वर्ण-धातु मान में स्वर्ण चलन मान को तरह मुफ्त डिलाई (Free minting) की सुविधा नहीं रहती है। किन्तु इस प्रणाली में भी स्वर्ण के आयात एवं निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं रहता है।

स्वर्ण-धातु मान के लाभ (Advantages of Gold-Bullion Standard) : - स्वर्ण-धातु-मान के निम्नलिखित प्रमुख लाभ हैं—

(क) स्वर्ण के उपयोग में मितव्ययिता (Economy in the use of Gold) — स्वर्ण धातु मान में सोने की बनी हुई मुद्रा प्रचलन में नहीं होने के कारण धातु की बचत होती है। साथ ही, घिसावट आदि द्वारा भी सोना नष्ट नहीं होने पाता है। इस प्रकार सोने की मुद्रा का प्रयोग नहीं होने से धातु की बचत होती है एवं देश की मौद्रिक व्यवस्था स्थायी रहती है।

(ख) इस प्रणाली में पर्याप्त लोच (Elasticity) होती है।—स्वर्ण धातु मान का एक प्रमुख लाभ यह है कि इसमें लोच की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसमें पत्र-मुद्रा के पीछे 100 प्रतिशत स्वर्ण रखना कोई जरूरी नहीं। स्वर्ण-कोष की मात्रा मुद्रा की मात्रा के केवल 30 या 40 प्रतिशत ही होती है। अतएव आवश्यकतानुसार इस मात्रा में परिवर्तन कर मुद्रा की मात्रा में कमी या वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार स्वर्ण-धातु मान में देश की औद्योगिक तथा व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार मुद्रा की मात्रा में भी परिवर्तन लाने की सुविधा पायी जाती है। अतः इस प्रणाली में बहुत अधिक लोच होती है।

(ग) स्वर्ण का प्रयोग मुख्यत अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए ही किया जाता है.— इससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होती है तथा विदेशी विनिमय-दर में स्थायित्व भी कायम रहता है। इस प्रकार स्वर्ण-धातु मान के अन्तर्गत भी स्वर्ण मान के प्राय सभी लाभ पाये जाते हैं। इसलिए प्रो० पेन्हम (Penham) ने इसे 'स्वर्ण के सिक्कों के प्रचलन के वगैर स्वर्ण-मान' (Gold Standard without Gold coins) की सजा दी है।

स्वर्ण-धातु मान के दोष (Disadvantages of Gold Bullion Standard) — प्रथम विश्व-युद्ध के बाद युद्धकालीन मुद्रा के प्रसार की वनाये रखने के लिए स्वर्ण-धातु मान को ही आदर्श मान समझा गया था। किन्तु चन्द दोषों के कारण यह मान अधिक दिनों तक नहीं चल सका। इसके निम्नलिखित प्रमुख दोष थे.—

(i) स्वर्ण धातु मान में स्वर्ण-चलन मान की अपेक्षा जनता का विश्वास (Confidence) कम रहता है—इस मान में देश की प्रामाणिक मुद्रा सोने की बनी न होकर कागज की बनी होती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कागज के नोटों को स्वर्ण में परिवर्तित किया जा सकता है, किन्तु इस परिवर्तनशीलता के गुण के बावजूद इस मुद्रा प्रणाली में जनता का विश्वास टूट नहीं होने पाता।

(ii) स्वर्ण-चलन मान की तरह स्वर्ण धातु मान भी अनुकूल परिस्थितियों का ही मान (Fair weather Standard) है—आर्थिक सवट के समय इसे भी बनाये रखने में कठिनाई होती है।

(iii) स्वर्ण-धातु मान में सरकारी नियन्त्रण एवं हस्तक्षेप की अधिक आवश्यकता पड़ती है—इसका कारण यह है कि इस मान में स्वर्ण चलन मान की अपेक्षा स्वयं संचालकता (Automatic working) की मात्रा कम पायी जाती है। अतएव इसे बनाये रखने के लिए बहुत अधिक मात्रा में सरकारी नियन्त्रण आवश्यक होता है।

1925 ई० में इंग्लैंड ने स्वर्ण धातु मान (Gold Bullion Standard) को ही अपनाया था, किन्तु यह बहुत अधिक दिनों तक नहीं चल सका, क्योंकि स्वर्ण एवं पौंड की दर 1914 ई० के पूर्व की दर के आधार पर ही तय की गयी थी, किन्तु, 1914 ई० की अपेक्षा युद्ध के बाद मूल्य तल- में बहुत अधिक वृद्धि हो गयी थी, अत उक्त दर के फलस्वरूप पौंड का अधिमूल्यन (overvaluation) हो गया था। इसके विपरीत दूसरे देशों ने कम ही दर पर अपनी मुद्रा को स्वर्ण से सम्बन्धित किया था। इससे इंग्लैंड की वस्तुओं का मूल्य विश्व के बाजार में अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अधिक हो गया था। अतएव इंग्लैंड को 1931 ई० में बाध्य होकर स्वर्ण मान का परित्याग करना पड़ा।

3 स्वर्ण-विनिमय मान

(Gold Exchange Standard)

स्वर्ण-विनिमय मान में देश की मुद्रा प्रत्यक्ष रूप से स्वर्ण से सम्बन्धित नहीं की जाती है, वरन् एक ऐसे देश की मुद्रा से सम्बन्धित की जाती है जो स्वर्ण में परिवर्तित (Convertible) रहती है। इस मान में सरकार देश की मुद्रा को स्वर्ण में नहीं परिवर्तित कर एक ऐसे देश की मुद्रा में परिवर्तित करती है जिसके बदले में स्वर्ण प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार इस प्रणाली में देश की मुद्रा परोक्ष रूप से स्वर्ण में परिवर्तित होती है। इसके परिणामस्वरूप देश के स्वर्ण-कोष का एक महत्त्वपूर्ण भाग दूसरे देश के केन्द्रीय बैंक के साथ जमा रहता है। भारत में 1898 ई० से 1914 ई० तक तथा पुन 1927 ई० से 1931 ई० तक स्वर्ण विनिमय मान का ही प्रचलन था। इस मान के अनुसार भारतीय रुपया इंग्लैंड के पौंड में (पहले 1 शि० 4 पें की दर से और बाद में 1 शि० 6 पें की दर से) और पौंड एक निश्चित दर पर स्वर्ण में परिवर्तित किया जाता था। भारत सरकार भारत में रुपये के बदले इंग्लैंड के पौंड पर Reverse Council Bills के माध्यम से अधिकार देती थी तथा लंदन में पौंड के बदले भारतीय रुपये पर Council Bills के माध्यम से अधिकार दिया जाता था। इस प्रकार स्वर्ण विनिमय मान में देश की मुद्रा का स्वर्ण के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होकर परोक्ष सम्बन्ध रहता था।

स्वर्ण विनिमय मान की विशेषताएँ (Main Characteristics of Gold Exchange Standard) :- स्वर्ण-विनिमय मान की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं :-

(क) स्वर्ण-विनिमय मान (Gold Exchange Standard) में पत्र-मुद्रा देश की प्रामाणिक मुद्रा होती है: स्वर्ण-विनिमय मान में देश में स्वर्ण-मुद्रा प्रचलन में नहीं रहती है। देश की प्रामाणिक मुद्रा पत्र-मुद्रा होती है जो एक निश्चित दर पर किसी दूसरे की मुद्रा में परिवर्तनीय होती है जो स्वर्ण से सम्बन्धित रहता है।

(ख) देश की मुद्रा का स्वर्ण के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रहता है:—इस प्रणाली में देश की मुद्रा को सीधे स्वर्ण से नहीं सम्बन्धित कर एक ऐसे देश की मुद्रा से सम्बन्धित कर दिया जाता है जहाँ स्वर्ण-चलन मान या स्वर्ण-धातु मान का प्रचलन रहता है।

(ग) विदेशों में स्वर्ण-कोप रखना पड़ता है:—इस प्रणाली में सरकार या केन्द्रीय बैंक को विदेशों में स्वर्ण-कोप रखना पड़ता है जिसके आधार पर यह प्रणाली प्रचलित रहती है। साथ ही, देश में उस विदेशी मुद्रा का कोप रखना पड़ता है जिसमें देश की मुद्रा परिवर्तित होती है।

(घ) स्वर्ण का आयात एवं निर्यात मुक्त नहीं रहता:—इस प्रणाली में सरकार अपनी सुविधा के अनुसार स्वर्ण के आयात एवं निर्यात को व्यवस्थित करती है, यानी इसमें स्वर्ण के आयात एवं निर्यात पर प्रतिबन्ध रहता है।

स्वर्ण-विनिमय मान के गुण (Advantages of Gold Exchange Standard) :- स्वर्ण-विनिमय मान के समर्थकों के अनुसार इस मान के निम्नांकित प्रधान गुण हैं :-

(1) स्वर्ण के मौद्रिक उपयोग में बचत :- स्वर्ण-विनिमय मान का सर्वप्रधान लाभ यह था कि इसके अन्तर्गत स्वर्ण के मौद्रिक व्यवहार में बचत (Economy in the use of Gold) होती है। यदि ऐसा नहीं होता तो स्वर्ण की मांग में वृद्धि होने तथा उसकी पूर्ति में इस अनुपात में वृद्धि नहीं होने से बराबर मुद्रा-स्फीति का भय बना रहता जिसका समाज लिए बड़ा ही मयावह परिणाम होता।

(2) देश की मौद्रिक व्यवस्था पर मौद्रिक कोप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता :- स्वर्ण-विनिमय में मान देश की मौद्रिक व्यवस्था पर मौद्रिक कोप का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मूगतान अन्तर्राष्ट्रीय कोष से किया जाता है। इस कारण इस प्रणाली में स्वर्ण के आयात निर्यात की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। साथ ही, विदेशों में रखे गये स्वर्ण-कोप पर सरकार की व्याज भी मिलता है जिससे लाभ होता है।

(3) स्वर्ण-विनिमय मान बहुत ही लोचदार (Elastic) होता है:—इस मान में मुद्रा का-सार स्वर्ण की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, अतएव इसमें सरकार या मौद्रिक अधिकारी सकट काल में आवश्यकतानुसार मुद्रा जारी कर सकते हैं। इस प्रकार स्वर्ण-विनिमय मान बहुत ही लोचदार (Elastic) होता है।

(4) स्वर्ण-विनिमय मान को निर्धन एवं ध्विक्कसित राष्ट्र जिनके पास स्वर्ण बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, भी अपना सकते हैं:—इस मान में स्वर्ण के तिक्के चलाये धरौं ही स्वर्ण-मान के प्राय सभी लाभ उठाये जा सकते हैं। अतएव भारत जैसे निर्धन एवं ध्विक्कसित राष्ट्र के लिए भी यह पद्धति बहुत ही उपयोगी होती है।

स्वर्ण-विनिमय मान के दोष (Defects of the Gold Exchange Standard) :- स्वर्ण-विनिमय मान के बहुत-से दोष भी बरलाये जाते हैं। इनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :-

(1) स्वर्ण-विनिमय मान का प्रमुख दोष यह है कि एक ही स्वर्ण-कोष के आधार पर दोषा दो से अधिक देशों की मुद्राएँ आधारित रहती हैं :- इससे यह मान नित्य-वितापूर्वता प्रवश्य होता है किन्तु इसमें इस बात की भी आशंका बराबर बनी रहती है कि स्वर्ण की यह समित मात्रा स्वर्ण-विनिमय मान के सभी कार्यों को सम्पन्न करने में कहीं अपर्याप्त न सिद्ध हो। यह इस मान का सर्वाधिक प्रमुख दोष है।

(2) देश की मौद्रिक व्यवस्था विदेशी मौद्रिक व्यवस्था पर आधारित हो जाती है:—इस मान में मौद्रिक व्यवस्था के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता नहीं रह जाती है। देश की मौद्रिक

नीति केन्द्रीय देश (Planet Country) की मौद्रिक नीति पर अवलम्बित हो जाती है। यदि किसी कारणवश केन्द्रीय देश स्वर्ण-प्रमाण का परित्याग कर दे तो स्वर्ण-विनिमय मानवाले देश को भी स्वर्ण-विनिमय-मान का परित्याग करना ही पड़ेगा। इससे इस मान को अपनायेवाले देश की प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत घट जाती है।

(3) स्वर्ण-विनिमय मान स्वयं संचालक (automatic) मान नहीं है।—इसका संचालन बहुत कुछ मौद्रिक अधिकारियों की इच्छा पर ही निर्भर करता है। साथ ही, इसमें पर्याप्त मात्रा में लोच भी नहीं पायी जाती है। देश में मुद्रा-प्रसार में कोई कठिनाई नहीं होती, किन्तु मुद्रा के संकुचन में बहुत कठिनाई होती है।

किन्तु इन सब दोषों के बावजूद यदि कोई निर्धन देश, जिसके पास स्वर्ण-कोष का अभाव है, अपनी विदेशी विनिमय दर को स्थायी रखना चाहता है, तो उसके लिए स्वर्ण-विनिमय मान के प्रतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है।

इसके प्रतिरिक्त स्वर्ण-मान के और भी दो रूप बतलाये जाते हैं :—

- (1) स्वर्ण-निधि मान (Gold Reserve Standard), तथा
- (2) स्वर्ण-समता मान (Gold Parity Standard)।

(4) स्वर्ण निधि मान (Gold Reserve Standard) :—स्वर्ण-निधि मान के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विनिमय कोषों की स्थापना की जाती है। 1936 से 1939 के बीच इस पद्धति को बेल्जियम, फ्रांस, स्विटजरलैण्ड और अमेरिका आदि देशों ने अपनाया था। इन देशों ने अपनी विनिमय-दरों की स्थिरता के लिए आपस में एक समझौता किया था जिसके आधार पर एक नवीन मुद्रा-प्रणाली अपनायी गयी थी। इसे स्वर्ण-निधि मान (Gold Reserve Standard) कहते हैं।

स्वर्ण-निधि मान की विशेषताएँ :—स्वर्ण-निधि मान की निम्नावृत्त प्रमुख विशेषताएँ हैं :—(1) स्वर्ण के व्यापार पर नियन्त्रण :—इस प्रणाली के अन्तर्गत स्वर्ण के आयात-निर्यात पर नियन्त्रण होता है अर्थात् स्वर्ण का व्यापार केवल देश की सरकार द्वारा ही किया जा सकता था। (2) विनिमय समकारी कोषों की स्थापना :—जो देश अपनी विनिमय-दरों की स्थिरता के लिए समझौता करते हैं उन्हें एक कोष रखना होता था। इसे विनिमय-समकारी कोष (Exchange Equalisation Fund) कहते हैं। इन कोषों की सन्तुलन सम्बन्धी विशेषता के कारण इन्हें विनिमय सन्तुलन खाता (Exchange Equalisation Account) भी कहा जाता है।

(3) कार्य प्रणाली की गुप्तता :—विनिमय-समकारी कोषों की कार्य प्रणाली गुप्त रखी जाती थी। इसमें मुद्रा की मात्रा, उसकी खरीद अथवा बिक्री के सम्बन्ध में जनता अनभिज्ञ रहती थी। (4) स्वर्ण की कीमतों पर नियन्त्रण की आवश्यकता :—इसके अन्तर्गत सांचत किये जानेवाले स्वर्ण की कीमत पर नियन्त्रण रखने की आवश्यकता सरकार को नहीं होनी थी क्योंकि स्वर्ण की कीमतों का नियन्त्रण अप्रत्यक्ष रूप से स्वतः हो जाता था। (5) कोष में दो प्रकार की मुद्राओं का संचय :—विनिमय समकारी कोष में दो प्रकार की मुद्राओं का संचय किया जाता था एक तो अपने देश की मुद्रा होती थी (अर्थात् देशी मुद्रा) एवं दूसरी विदेशी मुद्रा होती थी। (6) कोष का संचालन केन्द्रीय बैंकों द्वारा :—जो भी कोष इस पद्धति के अन्दर रखे जाते थे उनका संचालन प्रत्येक देश के केन्द्रीय बैंक के हाथों में रहता था।

(5) स्वर्ण-समता मान (Gold Parity Standard) :—इस प्रकार का स्वर्ण-मान सबसे पहले सन् 1946 में प्रचलन में आया जब इसको कार्यान्वित करने के लिए “अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष” की स्थापना की गयी। दूसरे शब्दों में, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के तत्वावधान में यह मान अपनाया गया है। इसमें सदस्य-राष्ट्र अपनी आन्तरिक मौद्रिक व्यवस्था में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होते हैं, अर्थात् देश की आन्तरिक व्यवस्था में किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप नहीं पाया जाता है। इसमें स्वर्ण को अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय के माध्यम तथा मूल्य मापन की ईकाई के रूप में प्रयोग किया जाता है।

स्वर्ण-मान के कार्य अथवा उद्देश्य

(Functions or Objectives of the Gold Standard)

आधुनिक स्वर्ण मान के निम्नलिखित दो प्रधान कार्य अथवा उद्देश्य हैं—

(1) सर्वप्रथम तो यह देश की मुद्रा के परिमाण को नियन्त्रित करने का एक तरीका है (It is a method of controlling the volume of the currency) :- स्वर्ण-मान के अन्तर्गत देश की मुद्रा की राशि स्वर्ण पर आधारित रहती है। जब देश में स्वर्ण के बने हुए सिक्कों का प्रचलन नहीं होकर पत्र-मुद्रा का प्रचलन रहता है, तो साधारणतया पत्र-मुद्रा को जारी करने के लिए स्वर्ण की आड (Gold Backing) की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक देश में मुद्रा-सम्बन्धी अधिनियम (Currency Laws) में इस प्रकार की व्यवस्था पायी जाती है जिसके अनुसार पत्र-मुद्रा जारी करने के लिए एक निश्चित मात्रा में स्वर्ण को आड के रूप में रखना अनिवार्य होता है। उदाहरण के लिए, प्रथम युद्ध के पूर्व ग्रेट-ब्रिटेन में बैंक ऑफ इंग्लैंड बिना स्वर्ण-आड के 40 करोड़ पाउंड तक का नोट जारी (Fiduciary issue) कर सकता था। इससे अधिक नोट जारी करने के लिए बैंक को शत-प्रतिशत स्वर्ण की आड की आवश्यकता पड़ती थी। समुक्त राज्य अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक (Federal Reserve Bank) के द्वारा जारी किये गये कुल नोटों के मूल्य के 40 प्रतिशत के बराबर स्वर्ण-प्रतिभूतियों को आड के रूप में रखना अनिवार्य है। अन्य देशों में भी प्रायः इसी प्रकार की व्यवस्था की गयी थी। इस प्रकार इससे इन देशों में केन्द्रीय बैंकों की नोट जारी करने की शक्ति सीमित हो जाती है। केन्द्रीय बैंक इन नियमों का उल्लंघन किये वगैर अपने स्वर्ण-नोप से अधिक मात्रा में नोट नहीं जारी कर सकते। इसे स्वर्ण मान का आन्तरिक पक्ष या राष्ट्रीय स्वर्ण-मान (Domestic Gold Standard) या स्वर्ण-मान का आन्तरिक कार्य कहा जाता है। इनका प्रधान उद्देश्य देश में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित कर मुद्रा के आन्तरिक मूल्य को स्थायी बनाना (Stabilising the internal value of the currency) है।

(2) स्वर्ण-मान विनिमय दर को स्थायी बनाने का एक साधन है (Gold standard is a device for maintaining the stability of exchange rates) — स्वर्ण-मान का दूसरा प्रधान कार्य अथवा उद्देश्य विनिमय दर को स्थायी बनाना (To Preserve the Stability of exchange rates) है। विनिमय दर का स्थायित्व विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए निहायत आवश्यक समझा जाता है। अस्थायी विनिमय-दर से सदा विदेशी व्यापार में लाम प्रथवा हानि की आशंका बनी रहती है। इस अनिश्चितता का अन्तर्राष्ट्रीय मुग्तान तथा व्यापार पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। स्वर्ण-मान का प्रधान उद्देश्य विनिमय दर को स्थायी बनाना है। स्वर्ण-मान के इस पक्ष को अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान (International Gold Standard) कहते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान में विभिन्न देशों की मुद्राएँ स्वर्ण की बनी हुई होती हैं या स्वर्ण में परिवर्त्य (Convertible) होती हैं। अतएव ऐसी स्थिति में दो देशों की मुद्राओं की विनिमय दर उनमें निहित स्वर्ण की मात्रा (Gold Contents) के अनुसार तय होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि 1 डॉलर = 1 ग्राँम स्वर्ण और 1 रुपया = $\frac{1}{19.75}$ ग्राँम स्वर्ण

तो रुपये एवं डॉलर की विनिमय-दर 4 रुपये = 1 डॉलर होगी। अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान के अन्तर्गत रुपये एवं डॉलर की यही विनिमय दर होगी। यह दर लगभग स्थायी होगी। अब किसी कारणवश यदि भारत में डॉलर की माग बढ़ जाती है जिससे भारतीय व्यापारियों को एक डॉलर के बदले में पाँच रुपये चुकाने पड़ते हैं तो अमेरिका में भूगतान डॉलर के रूप में नहीं करके यहाँ से स्वर्ण खरीद कर उसे अमेरिका भेज देंगे। इससे डॉलर की माग स्वयं कम हो जायगी और विनिमय दर पुनः 4 रुपये बराबर 1 डॉलर की हो जायगी। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान में विनिमय-दर में यदि परिवर्तन भी होता था तो वह स्वर्ण आयात (Gold import) और स्वर्ण-निर्यात (Gold export) के लक्ष्य तक ही सीमित रहता था। इस प्रकार देश की मुद्रा की विनिमय दर में स्वर्ण-प्रमाण के अन्तर्गत इन्हीं स्वर्ण-वि-दुग्यों (Gold points) के बीच परिवर्तन हो सकता है। इस प्रकार प्राविधिक दृष्टि से स्वर्ण-प्रमाण एक ऐसा तरीका है जो इस बात को निश्चित करता है कि विदेशी विनिमय बाजार में किसी मुद्रा की माग एवं पूर्ति सदा

बराबर होगी, या इन दोनों में इतनी अधिक घट-बढ़ नहीं होगी जिससे विनिमय की दर में 1 प्रतिशत से अधिक का परिवर्तन हो सके। (This from the technical points of view, the gold standard is a device for ensuring that the demand for and supply of a currency in the exchange market shall always be equal to each other—or more accurately shall not diverge to such an extent as to cause the exchange rates to move by more than about one percent.)

इस प्रकार स्वर्ण मान के ये दो प्रमुख कार्य या उद्देश्य हैं। स्वर्ण-मान के ये दोनों उद्देश्य अथवा कार्य एक दूसरे से पूर्णतः पृथक् हैं। पहले कार्य का सम्बन्ध देश में मुद्रा की मात्रा को नियमित करने से है, यानी इसका सम्बन्ध मुद्रा के आन्तरिक मूल्य से है। अतएव इसे आन्तरिक या घरेलू स्वर्ण-मान (Domestic Gold Standard) कहा जाता है। दूसरे कार्य का प्रधान उद्देश्य मुद्रा के बाह्य मूल्य को स्थायी बनाना है, अतएव इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान (International Gold Standard) कहा जाता है। क्राइथर के शब्दों में "आन्तरिक स्वर्ण-मान की महत्वपूर्ण बात स्वर्ण एव मुद्रा के बीच का अनुपात है जो कानून द्वारा निश्चित रहता है। दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान का सारांश मुद्रा की स्वर्ण में परिवर्तनीयता (Convertibility) है, यानी मुद्रा को एक इकाई का स्वर्ण के एक निश्चित परिमाण के साथ सम्बन्ध स्थापित करना है।" कोई देश इन दोनों कार्यों में से किसी एक कार्य को छोड़कर भी केवल दूसरे को अपना सकता है। उदाहरण के लिए, इंग्लैंड ने जब 1931 ई० में स्वर्ण-मान का परित्याग किया तो परिवर्तनीयता (convertibility) तो समाप्त हो गयी, किन्तु पत्र-मुद्रा जारी करने के सम्बन्ध में जो वैधानिक व्यवस्था थी, यह चलती रही। स्वर्ण-मान के ये दोनों कार्य केवल पृथक्-पृथक् ही नहीं हैं, बरन कभी-कभी इनमें आपस में सचर्चा भी हो जाता है। किन्तु इन दोनों स्वर्ण-मानों में अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान ही अधिक महत्वपूर्ण है। अतएव हम यहाँ अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान की ही मुख्य रूप से विवेचना करेंगे।

स्वर्ण-मा के लाभ

(Advantages of Gold Standard)

विश्व में धात्विक मुद्रा मात्रा का सर्वाधिक प्रचलन रूप स्वर्ण-मान ही रहा है। स्वर्ण-मान के बहुत से लाभ हैं जिनमें निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :—

(1) विनिमय दरों का स्थायित्व (Stability of Exchange Rates) :—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं पूँजी के उन्मुक्त प्रवाह के लिए विनिमय दरों का स्थायित्व अति अनिवार्य है। विनिमय दरों के अनिश्चित होने से विदेशी व्यापार में अनिश्चितता का समावेश हो जाता है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति अवरोध हो जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान का सर्वाधिक प्रमुख लाभ यह है कि इसमें विनिमय-दर प्रायः स्थायी रहती है। स्वर्णमान के अन्तर्गत स्वर्ण को अन्तर्राष्ट्रीय भूतन्त्र की इकाई (International unit of account) के रूप में प्रयोग किया जाता है जिससे इस प्रमाण के विनिमय दरों में परिवर्तन केवल स्वर्ण बिन्दुओं (Gold points) के बीच ही सीमित रहता है। इस प्रकार विनिमय-दरों के स्थायी रहने से अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास की सृष्टि होती है, वाणिज्य में वृद्धि होती है जिससे प्रत्येक देश के आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। इसके फलस्वरूप जीवन-स्तर में भी सुधार होता है।

(2) मूल्य-स्तर में स्थायित्व (Stability in the price-level) :—स्वर्ण-मान के समर्थकों के अनुसार स्वर्ण-मान केवल विनिमय-दर को ही स्थायी नहीं बनाता, बरन् मूल्य-तल को भी स्थायी बनाता है। मूल्य-स्तर में समानता रहने से प्रत्येक देश को समान आधार पर अन्त-

1. "The cardinal point in the Domestic Gold Standard is clearly the proportion of value enforced by the law between the Gold reserves and the currency. The essence of the International Gold Standard is the convertibility of the currency into Gold i. e., the fixed proportion of value between a unit of Gold and a unit of currency."—Crowthier : An Outline of Money, p. 283.

राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सा लेने का अवसर मिलता है जिससे अन्ततः विदेशी व्यापार भी प्रोत्साहित होता है। वास्तव में, 1914 के पूर्व स्वर्ण का मूल्य लगभग स्थायी था। इसका कारण यह था कि स्वर्ण का वार्षिक उत्पादन उसके कुल स्टॉक का एक अत्यन्त छोटा भाग था, अतएव स्वर्ण के मूल्य पर वार्षिक उत्पत्ति का प्रायः कोई प्रभाव नहीं पड़ता था और चूंकि इस प्रणाली में देश की मौद्रिक व्यवस्था स्वर्ण पर पूर्णतया आधारित थी, अतएव इसके परिणाम में अधिक वृद्धि नहीं होने से है। मूल्य तल भी प्रायः स्थायी ही रहता था। किन्तु ऐसा कहना कि सोने की पूर्ति के स्थायी रहने से देश की आर्थिक व्यवस्था स्थायी रहती है, युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता। वास्तव में 'सोने की मात्रा देश की मौद्रिक व्यवस्था के आधार को निश्चित करती है किन्तु इस आधार पर अन्य तरह के मुद्रा की सृष्टि प्रामाणिक मुद्रा तथा सांकेतिक मुद्रा एव जमा के अनुपात पर निर्भर करती है।' (Gold determines only the base of the monetary pyramid, the actual reserve ratios which connect standard money with token money and deposit money, account for the rest) अतएव इस प्रणाली में मूल्य-तल का स्थायित्व केवल स्वर्ण के स्थायित्व से नहीं, वरन् मौद्रिक प्रदन्ध की सहायता से सम्भव होता है।

(3) स्वर्ण-प्रमाप में मुद्रा-स्फीति (Inflation) की सृष्टि नहीं होती।—ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ण प्रमाप मौद्रिक अधिकारियों पर एक प्रकार के स्वर्ण नियन्त्रण (Golden Brake) का काम करना है। स्वर्ण-प्रमाप में मुद्रा-स्फीति नहीं हो सकती क्योंकि यदि कोई देश अधिक नोट छापेगा तो वहाँ से स्वर्ण का निर्यात होने लगेगा। इस प्रणाली में सरकार अपनी आवश्यकता की पूर्ति के अनुसार मुद्रा-प्रसार एव घाटे की वित्त-व्यवस्था (deficit financing) की नीति नहीं अपना सकती। इस प्रकार स्वर्ण-प्रमाप गैर-जिम्मेवार या केन्द्रीय बैंक की स्वेच्छा पर एक प्रकार से लगाम या ब्रेकवाट का कार्य करता है। यह मुद्रा-स्फीति तथा अपस्फीति के विस्तार को रोकता है। किन्तु यदि स्वर्ण मुद्रा-स्फीति तथा अपस्फीति के प्रसार को रोकता है तो यह इन्हें विश्वव्यापी भी बनाता है। साथ ही, जब कभी भी किसी देश की सरकार को आवश्यकता पड़ती है तो इस प्रणाली को स्थगित कर अपना काम चला लेती है। प्रथम महायुद्ध के समय में ऐसा ही हुआ था।

(4) स्वर्ण का आन्तरिक मूल्य (Intrinsic value of Gold) —स्वर्ण प्रमाप के पक्ष में यदा-कदा यह तर्क भी दिया जाता है कि इसमें मौद्रिक व्यवस्था का आधार ऐसी वस्तु (स्वर्ण) से निर्मित होना है जिसे अपना आन्तरिक मूल्य (Intrinsic value) प्राप्त है। इस प्रणाली में स्वर्ण का महत्त्व केवल मुद्रा के रूप में ही नहीं, वरन् वस्तु के रूप में भी बहुत अधिक है। स्वर्ण के प्रति प्रारम्भ से ही लोगों का अधिक आकर्षण रहा है, अतएव स्वर्ण पर आधारित मौद्रिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास अधिक रहता है। इसके विपरीत पत्र-मुद्रा का अपना कोई गुण नहीं होता। इसका महत्त्व केवल मुद्रा के रूप में ही रहता है। किन्तु केवल मुद्रा-पदार्थ के आन्तरिक गुण से ही कोई मौद्रिक प्रणाली मुन्दर होती है इस प्रकार का तर्क युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता। वास्तव में, समुचित प्रदन्ध के द्वारा भी किसी मौद्रिक प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित बनाया जा सकता है।

(5) प्रत्येक देश की साक्ष नीति को अन्य देशों के औसत व्यवहार के साथ चलना पड़ता है (The internal credit policy of a country is kept in line with the average behaviour of the participating countries)।—इस प्रणाली में प्रत्येक देश को अपनी साक्ष नीति के सम्बन्ध में अन्य देशों के औसत व्यवहार के साथ साथ चलना पड़ता है। यदि कोई एक देश या कुछ देशों का समूह स्वतन्त्र रूप से स्फीति का अनुसरण करना चाहे तो वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इससे स्वर्ण के अन्तर्राष्ट्रीय प्रवाह की सृष्टि होगी जिसमें उस देश को बाध्य होकर अन्य देशों के साथ चलना पड़ेगा। अतएव इस प्रणाली का एक लाभ यह भी है कि इसमें प्रत्येक देश की मौद्रिक व्यवस्था पर नियन्त्रण रहता है तथा सभी देशों की मौद्रिक एव साक्ष-नीति को अन्य देशों के औसत व्यवहार के अनुसार चलना पड़ता है।

(6) स्वतः संचालित एवं सहज प्रणाली (Automatic and simplicity) —स्वर्ण-मान की प्रणाली स्वतः संचालित (Automatic) होती है, इसके संचालन के तरीके सहज होते हैं जिसमें सभी राष्ट्र इन तरीकों का सुगमता से अनुसरण कर सकते हैं। इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्ध अत्यन्त ही व्यवस्थित हो जाता है। किन्तु ऐसा कहना कि यह प्रणाली स्वतः

संचालित है, सत्य नहीं है। इनके संचालन के लिए भुगतान संतुलन (Balance of Payments) की आवश्यकताओं के अनुसार मूल्य एवं लागत में परिवर्तन करना पड़ना है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-प्रमाण स्वतः संचालित नहीं है क्योंकि इसमें मौद्रिक नीति के जटिल प्रभाव की देख-रेख आवश्यक हो जाती है।

(7) स्वर्ण-उत्पादक देशों को लाभ (Advantages to gold producing countries)—स्वर्ण-उत्पादक देश इस प्रणाली को कायम रखने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं। इसके कायम रहने से सोने की मांग उच्च स्तर पर कायम रहती है और इसका मूल्य भी उंचा रहता है किन्तु इसके परिणाम से स्वर्ण उद्योग को हानि होती है। यही कारण है कि अमेरीका भी अमेरिका में कुछ ऐसे लोग हैं जो स्वर्ण-मान को पुनः अपना देने के पक्ष में हैं और वे वहाँ की सरकार के ऊपर इस बात का प्रभाव डालकर सोने के मूल्य में वृद्धि करना चाहते हैं। दक्षिणी अफ्रिका भी इसी विचार का समर्थन करता है।

(8) अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाण (International standard).—स्वर्ण-प्रमाण के पक्ष में बहुधा यह भी तर्क दिया जाता है कि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाण है। स्वर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सचिती एवं विनिमय दोनों के माध्यम का कार्य करता है। किन्तु क्या अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाण आदर्श प्रमाण है? अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाण तभी आदर्श होता जब सम्पूर्ण विश्व एक होता। किन्तु आज यह बात नहीं पायी जाती है, अतएव ऐसी स्थिति में स्वर्ण-प्रमाण केवल भावुक अन्तर्राष्ट्रीयता का ही प्रतीक होगा।

स्वर्ण-प्रमाण के दोष

(Defects of Gold Standard)

किन्तु स्वर्ण-प्रमाण के उपरोक्त लाभों के साथ-साथ इसके बहुत-सारे दोष भी हैं जिनमें निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं—

(1) स्वर्ण-प्रमाण केवल अच्छे समय का ही मान (A fair weather standard) है—इस प्रणाली के सफल संचालन के लिए यह आवश्यक है कि विश्व की अर्थ व्यवस्था लोचपूर्ण हो एवं इसमें स्थिरता हो, किन्तु लोचपूर्ण व्यवस्था कायम रखना कठिन है और लोचहीन व्यवस्था में इसके संचालन में सफलता नहीं मिल सकती। अतएव हॉलम (Halm) के शब्दों में, 'यह प्रणाली एक ऐसी नाव की तरह है जो तूफानी स्थिति में आश्रय देने की क्षमता नहीं रखती।' (It is a fair-weather craft of doubtful sea-worthiness in stormy waters) प्रथम महायुद्ध के बाद विभिन्न देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य पर नियन्त्रण स्थापित कर स्वावलम्बी आर्थिक व्यवस्था (Self sufficient economy) के निर्माण का प्रयत्न किया जिससे इस प्रणाली का परित्याग करना आवश्यक हो गया। उन्नीसवीं शताब्दी में इस प्रणाली की सफलता का कारण यह था कि उस समय विश्व की अर्थ व्यवस्था में उत्तरोत्तर प्रगति एवं प्रसार हो रहा था तथा जल-सन्ध्या में वृद्धि हो रही थी। स्वर्ण-मान का सर्वाधिक प्रमुख दोष यह है कि इसकी प्रवृत्ति सदैव आर्थिक व्यवस्था में अपस्फीति को सृष्टि करने को ओर होती है क्योंकि सम्पूर्ण मुद्रा राशि सोने के आधार पर निर्मित होने के कारण मौद्रिक आवश्यकताओं के अनुसार वृद्धिशील नहीं रहती, किन्तु, उन्नीसवीं शताब्दी में बैंक-मुद्रा के प्रसार ने इस प्रवृत्ति का निराकरण कर दिया था।

(2) देश की मौद्रिक एवं साख-नीति की अन्य देशों पर निर्भरता :—स्वर्ण-मान में राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था विश्व की आर्थिक व्यवस्था के हिल से अनुशासित होती है। इस प्रणाली के अन्तर्गत किसी देश की आन्तरिक अर्थ व्यवस्था स्वतन्त्र रूप से संचालित नहीं हो सकती, अतः देश के आर्थिक कल्याण की प्राप्ति का उद्देश्य शीघ्र पड़ जाता है और मौद्रिक व्यवस्था के प्रसार का क्षेत्र सीमित हो जाता है। इस पर अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक शक्तियों का उन्मुक्त रूप से प्रभाव पड़ने लगता है। यदि किसी भी देश में मन्दी अथवा तेजी का प्रादुर्भाव हो जाय तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से ये अन्य देशों में फैल जायेंगी और जो कोई देश इनसे अपने को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा वह इस प्रणाली के नियमों का उल्लंघन करेगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी देश का भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाय तो उसे सुधारने के लिए उस देश की मूल्य एवं लागत में कमी लाने के लिए अपस्फीति तथा अनुकूल होने पर स्फीति की सृष्टि करनी होगी,

किन्तु दोनों ही स्थिति में सतुलन की प्राप्ति काफी देर बाद होगी और इस बीच आर्थिक व्यवस्था पर बहुत दबाव पड़ने से यह अस्त-व्यस्त हो जायेगी। इस दोष को स्पष्ट करते हुए प्रो० विलियम्स (Williams) ने ठीक ही कहा है कि "The Go'd Standard has frequently not been the efficient instrument of two-sided compensatory international adjustment it was meant to be. It was a means of spreading depressions and sometimes booms from one country to another."

(3) पूर्ण रोजगार की प्राप्ति में कठिनाई (Anachronism in times of full-employment policies)—स्वर्ण-प्रमाण में पूर्ण रोजगार (full employment) की प्राप्ति कठिन होती है। पूर्ण-रोजगार के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक देश स्वतन्त्र रूप से अपनी आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करे जिसके लिए स्वतन्त्र आर्थिक नीति का अनुकरण कठिन हो जाता है। प्रथम महायुद्ध के बाद विश्व के अधिकांश देशों में मौद्रिक एवं वित्तीय नीति का प्रचलन उद्देश्य पूर्ण-रोजगार की प्राप्ति करना हो गया, किन्तु स्वर्ण प्रमाण का प्रधान उद्देश्य विनिमय-दर का स्थायित्व है जिससे पूर्ण रोजगारी का उद्देश्य प्रायः असम्भव-सा हो जाता है। यह स्वर्ण-प्रमाण का सर्वाधिक प्रमुख दोष है।

(4) विश्व में मौद्रिक एवं साख-प्रबन्ध के क्षेत्र में अराजकता (Anarchy in world credit control)—स्वर्ण-प्रमाण से विश्व में मौद्रिक प्रबन्ध के क्षेत्र में अराजकता की सृष्टि होती है। यदि कुछ देश अपस्फीति एवं मुद्रा-प्रसार की नीति का अनुकरण करेंगे तो इसके फलस्वरूप अन्य देशों में भी ये प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो जायेंगी। इसका तात्पर्य यह है कि विश्व के अन्य देश मौद्रिक प्रबन्ध के मामले में असफल एवं असहाय हो जायेंगे। रॉबर्टसन (Robertson) का इस सम्बन्ध में निम्नांकित कथन विशेष रूप से महत्वपूर्ण जान पड़ता है—“The value of yellow metal, originally chosen as money, because it tickled the fancy of savages is clearly a chance and irrelevant thing on which to base the value of our money and the stability of our industrial system,”

(5) स्वर्ण-मान में भी मौद्रिक प्रबन्ध से छुटकारा नहीं है (No escape from managed currencies)—स्वर्ण-प्रमाण सरल तथा स्वतः प्रचालित (Simple and automatic) मान नहीं है। इसमें भी मौद्रिक अधिकारियों को सदा ध्येयस्थापन के लिए तैयार रहना पड़ता है। वास्तव में, आज की दुनिया में प्रश्न यह नहीं है कि मुद्रा का प्रबन्ध हो या नहीं हो, बल्कि प्रश्न यह है कि प्रबन्ध की मात्रा कम हो या अधिक, अच्छी हो या बुरी। (We cannot chose between purely automatic and managed standard but only between managed standards of different degrees) केन्स (Keynes) ने भी इस सम्बन्ध में ठीक ही कहा है कि “आज के पत्र-मुद्रा एवं बैंक जमा के युग में व्यवस्थित मुद्रा से छुटकारा नहीं हो सकता। स्वर्ण में परिवर्तनीयता से इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि स्वर्ण का मूल्य भी केन्द्रीय बैंक की नीति पर ही निर्भर करता है।” (In the modern world of paper currency and bank credit, there is no escape from a managed currency whether we wish it or not. Convertibility into go'd will not alter this fact that value of gold itself depends on the policy of the Central Banks.)¹

(6) बेकारी का कारण (Cause of unemployment)—स्वर्ण-प्रमाण के अन्तर्गत प्रत्येक देश का पारिधमिक एवं मूल्य-तल अन्तर्राष्ट्रीय तत्वों पर अवलम्बित होता है। कोई भी राष्ट्र अपने देश में स्वतन्त्र आर्थिक-नीति का अनुसरण नहीं कर सकता। अतः ऐसी स्थिति में यदि श्रमिक संघ (Trade Unions) के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप पारिधमिक के स्तर में वृद्धि हो जाय तो मूल्य-तल में वृद्धि अवश्य होगी, किन्तु यदि यह स्तर अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य एवं पारिधमिक स्तर से ऊँचा होगा तो उस देश में बेकारी की सृष्टि होगी क्योंकि अन्य देशों में इन वस्तुओं की माग कम हो जायेगी। इसके विपरीत यदि पारिधमिक में वृद्धि के फलस्वरूप मूल्य तल में वृद्धि न हो तो

1. Lord Keynes—"The Objective of International Price Stability." Economic Journal—June-September. 1948; pp. 185-87.

सीमात फर्मों (marginal firms) को घाटा होगा जिससे वे उत्पादन बन्द कर देंगे तथा उत्पादन के बहुत-से साधन बेकार हो जायेंगे। इस प्रकार स्वर्ण प्रमाप के अन्तर्गत अन्य देशों की तुलना में पारिश्रमिक एवं मूल्य-तल में वृद्धि होने से बेकारी की सृष्टि होती है, जैसा कि केन्स (Keynes) ने कहा है—“The Gold-standard confines the natural tendency of wages to rise beyond the limits set by the volume of money, but can only do so by the weapon of deliberately creating unemployment”

(7) स्वर्ण-मान में मुद्रा प्रणाली महँगी एवं बेसोचदार होती है —स्वर्ण-प्रमाप में देश की मुद्रा-प्रणाली स्वर्ण की मात्रा पर आधारित रहती है जिससे यह महँगी पड़ती है तथा साथ ही, इसमें लोच के गुण का भी अभाव पाया जाता है।

(8) स्वर्ण-कोष की बर्बादी (Wastage of gold reserves) —स्वर्ण प्रमाप में बहुत-सा सोना यो ही स्वर्ण-कोष के रूप में बेकार पड़ा रहता है। स्वर्ण कोष केवल उसी स्थिति में अनिवार्य ही जब देश की मौद्रिक व्यवस्था बिल्कुल स्वतः प्रचालित हो। जब मौद्रिक तथा साख-नीति को मौद्रिक अधिकारियों की मूर्खी पर छोड़ देना है तो ऐसी प्रणाली में स्वर्ण कोष की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। केन्स (Keynes) का इस सम्बन्ध में यह कथन बड़ा ही उचित जान पड़ता है “If money and credit could be left to the discretion of the monetary authority, we could do without gold backing requirements whose effect is merely to take away a large part and sometimes the major part of gold reserves so that it can never be used”

इस प्रकार स्वर्ण प्रमाप के लाभ एवं दोषों की विवेचना से यह स्पष्ट है कि इस प्रणाली में लाभ की अपेक्षा दोष ही अधिक हैं। (Gold standard has more disadvantages than advantages) यही कारण है कि आज सभी देशों में पत्र-मुद्रा मान का ही प्रचलन है।

अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान की संचालन-विधि

(Working of the International Gold Standard)

आंतरिक स्वर्ण-मान (Domestic Gold Standard) का सम्बन्ध मुद्रा की मात्रा एवं आंतरिक मूल्य-तल पर इसके प्रभाव से है जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान (International Gold Standard) का सम्बन्ध मुद्रा के बाह्य मूल्य एवं विदेशी विनिमय के स्थायित्व से है। जब विभिन्न देशों में एक निश्चित वजन एवं शुद्धता के स्वर्ण की बनी हुई मुद्रा का प्रचलन था तो दो देशों की मुद्रा की विनिमय-दर में केवल नाम मात्र (स्वर्ण विन्दुओं के बीच) से अधिक परिवर्तन की सुझाव नहीं रहती थी। धीरे-धीरे जब पत्र-मुद्रा का प्रचलन हुआ तो स्वर्ण में इनकी परिवर्तनीयता (Convertibility) तथा इनकी छोटी रकम के कारण विनिमय दर का स्थायित्व ज्यों-का-त्यों रह गया। आगे चलकर बैंक जमा के अत्यधिक प्रसार से स्थिति में कुछ परिवर्तन हो गया। पत्र-मुद्रा एवं बैंक-जमा के अत्यधिक प्रसार के बाद स्वर्ण मान की तरह विनिमय-दर का स्थायित्व अब पूर्णरूपेण स्वतः प्रचालित (entirely automatic) नहीं रह गया क्योंकि इसमें अपरिवर्तनीयता का समावेश हो गया है। जब किसी देश की मुद्रा स्वयं स्वर्ण की बनी होती है तो परिवर्तनीयता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, किन्तु जब मुद्रा कागज अथवा बैंक-जमा की होती है तो स्वर्ण में इसकी परिवर्तनीयता स्वतः संचालित (automatic) नहीं रह जाती। स्वर्ण में इस प्रकार की मुद्रा की परिवर्तनीयता को बनाये रखने के लिए बहुत अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता पड़ती है।

अब यहाँ इस बात की व्याख्या की जायगी कि स्वर्ण मान में किम प्रकार से विनिमय-दर के स्थायित्व को कायम रखा जाता था। विदेशी मुद्रा की जो माग विदेशी विनिमय-बाजार में प्रत्यक्ष विनिमय की प्रक्रिया द्वारा टकसाली समता (mint parity) की दर में $\frac{1}{2}$ प्रतिशत के प्रभेद तक मुगमतापूर्वक पूरी नहीं हो सकती थी, उसे विदेशी विनिमय-बाजार में निकाल कर स्वर्ण बाजार में भेज दिया जाता था। इस प्रकार विदेशी विनिमय-बाजार में किसी मुद्रा की माग एवं पूर्ति को सदा बराबर रखने का प्रयास किया जाता था। किन्तु यह विधि इस बात पर निर्भर करती है कि विदेशी मुद्रा की माग जो स्वर्ण-बाजार में भेज दी जाती है, उसकी असीमित मात्रा

मे पूर्ति अनिवार्य है। जब तब इस बात का विश्वास नहीं रहेगा, तब तक कोई भी अपनी मांग को विदेशी विनिमय-बाजार से हटाकर स्वर्ण-बाजार से नहीं ले जायगा। साथ ही, उन्हें जब तक इस बात का विश्वास नहीं होगा कि जो सोना एक पौंड के बदले में लंदन-बाजार में मिलेगा उसको बेचकर वे अमेरिका में 85 डॉलर पा सकेंगे, पौंड तथा डॉलर की विनिमय-दर 1 पौंड = 4 85 डॉलर के) तब तक वे विनिमय-बाजार में ही अपना ध्यान केन्द्रित रखेंगे। इससे स्पष्ट है कि जब तक मुद्रा का स्वर्ण में परिवर्तनीयता की गारंटी नहीं रह जायगी, तब तक स्वर्ण-मान में विनिमय-दर के स्थायित्व को नहीं बनाये रखा जा सकता है। इस प्रकार 'स्वर्ण-मान की प्रमुख समस्या वास्तव में मुद्रा की स्वर्ण में परिवर्तन होने की क्षमता में बदल जाती है।' (The problem of the Gold Standard consequently boils down to the problem of maintaining the convertibility of currencies into Gold)

किन्तु मुद्रा की स्वर्ण में परिवर्तनीयता (Convertibility) को तभी तक कायम रखा जा सकता है जब तक कि असंतुलित व्यवसाय का दायरा, जिसके फलस्वरूप स्वर्ण के आवागमन की आवश्यकता पड़ती है, अधिक एव लगातार न हो। इस प्रकार साधारण समय में किसी भी दिन 4 84 से 4 86 डॉलर प्रति पौंड की दर से यदि डॉलर की मांग उसी दिन के डॉलर के बदले में पौंड की मांग से अधिक हो, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड इस प्रकार के असंतुलन के कारण एक दिन या कुछ दिनों तक स्वर्ण की पूर्ति अवश्य कर सकता है, किन्तु बैंक लगातार ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि बैंक का स्वर्ण-कोष भी तो सीमित ही रहता है। इसी प्रकार कोई देश या केन्द्रीय बैंक लगातार स्वर्ण खरीदने के लिए भी तत्पर नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा करने से उनका बहुत बड़ा साधन यो ही बेकार रह जायगा। इस प्रकार स्वाभाविक है कि स्वर्ण के अधिक अन्तर्प्रवाह (Inflow of gold) को भी कोई देश बहुत दिनों तक चालू नहीं रहने दे सकता है। इसमें सन्देह नहीं कि स्वर्ण का बहिर्प्रवाह (Outflow) इनके अन्तर्प्रवाह (Inflow) की अपेक्षा अधिक पेचीदा है, किन्तु सिद्धांततः दोनों के साथ एक ही बात लागू होती है। किसी भी स्थिति में स्वर्ण एव मुद्रा को निर्मुक्त परस्पर परिवर्तनीयता (Free interconvertibility) को बनाये रखने का एक ही तरीका है कि विदेशी विनिमय-बाजार में किसी मुद्रा की मांग एव वहाँ पर उसकी पूर्ति स्थायी रूप से असंतुलित नहीं होने पावे। सारांश यह है कि स्वर्ण का प्रवाह (Movement of Gold) मांग अथवा पूर्ति के अस्थायी असंतुलन को ठीक कर सकता है, स्थायी असंतुलन को नहीं।

अतएव अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान में ऐसी युक्तियों को काम में लाना पड़ता है जिससे मांग एव पूर्ति के बीच यदि असंतुलन आ जाय तो उसे शीघ्रतापूर्वक ठीक किया जा सके। अब किसी देश की मुद्रा की मांग एव पूर्ति का संतुलन उस देश में प्रचलित मूल्य-तल एवं उत्पादन-व्यय तथा विश्व में प्रचलित मूल्य-तल एवं उत्पादन-व्यय के पारस्परिक सम्बन्ध पर निर्भर करता है। यदि किसी देश का मूल्य-तल अपेक्षाकृत ऊँचा हो, तो उसकी मुद्रा की मांग कम होगी एव पूर्ति बढ़ जायगी। स्वर्ण-मान के अन्तर्गत इसका परिणाम स्वर्ण का बहिर्प्रवाह (Outflow of Gold) होगा जो आकस्मिक नहीं होकर लगातार एव दिन-दिन बढ़ते हुए परिमाण में होगा। इसके विपरीत यदि विदेशों की अपेक्षा देश में मूल्य-तल निम्न है तो इसके परिणामस्वरूप स्वर्ण का लगातार अन्तर्प्रवाह (Continuous inflow of Gold) होगा। अतएव परिवर्तनीयता की समस्या इस बात से सम्बन्धित है कि जब स्वर्ण बाहर जा रहा है तो मूल्य-तल में कमी की जाय और जब स्वर्ण भीतर आ रहा है तो मूल्य-तल में वृद्धि की जाय। (The problem of maintaining convertibility was therefore one of taking steps to secure a fall of prices when gold was flowing out, and a rise of prices when gold was flowing in) किन्तु मूल्य-तल को प्रभावित करनेवाली युक्तियों में कुछ समय लगता है अतएव इस बीच स्वर्ण के प्रवाह को रोकने के लिए अन्य प्रयत्नों, जैसे अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी के प्रवाह (International flow of Capital) को प्रोत्साहन आदि की भी आवश्यकता होती है।

इस प्रकार जब स्वर्ण बड़ी मात्रा में देश से बाहर जाने (Outflow of Gold) लगता है तब केन्द्रीय बैंक ऐसे तत्वों अथवा उपायों को अपनाता है जिनसे मूल्य-तल में कमी हो तथा पूँजी का अन्तर्प्रवाह (Inward Capital Movement) प्रोत्साहित हो अथवा कम-से-कम बहिर्प्रवाह (Outward Capital Movement) रुक जाय। ये दोनों कार्य बैंक-दर में वृद्धि तथा साख के संकुचन द्वारा ही किये जा सकते हैं। बैंक-दर में वृद्धि से मूल्य-तल में हास की प्रवृत्ति आने

लगेगी। साथ ही, बैंक दर बढ़ जाने से बाजार की व्याज-दरों में भी वृद्धि होगी जिससे अधिक मूद्र कमाने के लोभ से विदेशों से पूँजी का देश में आगमन प्रारम्भ हो जायगा। साथ ही, इससे देश से पूँजी का बाहर जाना भी बन्द हो जायगा। इस प्रकार बैंक-दर में वृद्धि एवं साख-संकुचन के तीन प्रभाव होंगे—(i) अल्पकालीन पूँजी का देश में आगमन; (ii) विदेशियों को दिये जाने वाले ऋण में ह्रास; तथा (iii) मूल्य तल में कमी इसके सम्मिलित प्रभाव के परिणामस्वरूप विनिमय बाजार में मुद्रा की माग बढ़ेगी तथा पूँजी कम हो जायगी जिससे स्वर्ण का बाहर जाना (Outflow of Gold) रुक जायगा। इसके विपरीत जब देश में स्वर्ण बाहर से भीतर जाने (Inflow of Gold) लगता है तो बैंक-दर में कमी एवं ऋण लेने की सुविधाओं में विस्तार आवश्यक है। इनके परिणामस्वरूप अल्पकालीन पूँजी देश से बाहर जाने लगेगी, विदेशियों को दिये जानेवाले ऋणों में वृद्धि होगी तथा मूल्य-स्तर ऊँचा उठेगा। इन सबके सम्मिलित प्रभाव के फलस्वरूप विनिमय बाजार में मुद्रा की पूँजी की अपेक्षा इसकी माग कम हो जायगी जिससे स्वर्ण का भीतर आना (Inflow of Gold) रुक जायगा। प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व स्वर्ण-प्रमाण की कार्यावधि इसी प्रकार थी। प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व स्वर्ण-प्रमाण इस प्रकार से केवल इंग्लैंड में ही नहीं, परन्तु अन्य देशों में भी काम करता रहा। हममें कोई सन्देह नहीं कि समय-समय पर स्वर्ण-मान की संचालन-विधि में प्रत्येक कारणों से कुछ कठिनाई उत्पन्न हो जाती थी जिसके परिणामस्वरूप बैंक दर में परिवर्तन का अपेक्षित परिणाम नहीं होता था, किन्तु साधारण समय में स्वर्ण-प्रमाण इसी तरीके से सफलतापूर्वक कार्य करता था। वास्तव में, "स्वर्ण-मान को साधारण समय का सम्भ्रम ही अधिक उपयुक्त है।" (Gold standard must be regarded as one for normal times)

स्वर्ण-मान का सुनहला नियम (Golden Rule of the Gold Standard) :—
अतएव स्वर्ण-मान के अन्तर्गत स्वर्ण के अन्तर्प्रवाह तथा बहिर्प्रवाह (inflow and outflow) को रोकने के लिए क्रमशः बैंक दर में कमी एवं साख के प्रसार तथा बैंक-दर में वृद्धि एवं साख के संकुचन के नियम का अनुसरण करना पड़ता था। स्वर्ण-मान की संचालन-विधि में इसका इतना अधिक महत्त्व है कि इसे 'स्वर्ण-मान का सुनहला नियम' (Golden Rule of the Gold Standard) कहा जाता है। इस प्रकार "स्वर्ण-मान का सुनहला नियम यह है कि जब स्वर्ण देश में आ रहा हो तो साख का प्रसार कीजिए तथा जब स्वर्ण देश से बाहर जा रहा हो तो साख का संकुचन कीजिए।" (The Golden rule of the Gold Standard is to expand credit when gold is coming in and contract credit when gold is going out) इसके सफल संचालन के लिए केन्द्रीय बैंक को सदा इन सुनहले नियम का अनुसरण करने के लिए तत्पर रहना पड़ता था।

प्रथम विश्व-युद्ध के पूर्व विश्व की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि इसमें स्वर्ण-मान बहुत अच्छी तरह चला। उस समय विनिमय-दर में स्थायित्व को कायम रखने के लिए छोड़े प्रयत्न की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी, फलतः ऐसा जान पड़ता था कि स्वर्ण-मान एक स्वतः संचालित मान (Automatic Standard) है। उन दिनों भी विश्व के विभिन्न देशों की आर्थिक व्यवस्था एक समान नहीं थी, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान की युक्ति में ये विभिन्न आर्थिक व्यवस्थाएँ एक सूत्र में इस प्रकार से बँध गयी थी कि ये अन्तर्राष्ट्रीयता का आभास दे रही थी। प्रत्येक देश को मुद्रा एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा, यानी स्वर्ण का ही एक रूप जान पड़ती थी।

दोनों युद्धों के बीच का स्वर्ण-मान

(The Inter-war Gold Standard)

किन्तु प्रथम विश्व-युद्ध के समय प्रायः सभी राष्ट्रों ने स्वर्ण मान का परित्याग कर दिया क्योंकि स्वर्ण-मान के घाघार पर युद्धकाल के लिए उपयुक्त आर्थिक व्यवस्था का निर्माण नहीं किया जा सकता था। युद्ध प्रारम्भ होने के पहले ही सप्ताह में इंग्लैंड ने स्वर्ण-मान को छोड़ दिया तथा अन्य देशों ने भी शीघ्र ही स्वर्ण में परिवर्तन की सुविधा को समाप्त कर दिया। इस प्रकार युद्ध-काल में स्वर्ण-मान का प्रायः सभी देशों ने परित्याग कर दिया तथा परिवर्तनीयता (Convertibility), स्वर्ण का आयात-निर्यात एवं स्वर्ण की मुक्त ढलाई आदि को स्पष्ट कर दिया।

किन्तु, युद्ध तथा युद्धोत्तरकाल में जो तेजी एवं मन्दी आयी उसके फलस्वरूप विनिमय-दरों में महान् परिवर्तन होने लगे। इससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बहुत क्षति पहुँची। अतएव ऐसी स्थिति में इस प्रकार की धारणा काम करने लगी कि मौद्रिक अस्थिरता को दूर करने का एकमात्र उपाय स्वर्ण-मान का पुनर्स्थापन (Restoration of the Gold Standard) ही था। इंग्लैंड में इस सम्बन्ध में कनलिफ समिति (Cunliff Committee) ने युद्ध के पूर्व में स्वर्ण के संचालन के तरीकों की जाँच की। 1921 ई० में जेनेवा के आर्थिक सम्मेलन में भी स्वर्ण-मान को पुनः अपनाते की सिफारिश की, किन्तु, स्वर्ण की वृद्धि के लिए इस सम्मेलन में स्वर्ण-विनिमयमान (Gold Exchange Standard) को अपनाते पर ही पूरा जोर दिया गया। युद्ध के बाद 1925 ई० में इंग्लैंड ने स्वर्ण-धातु मान (Gold Bullion Standard) को पुनः अपनाया। अन्य देशों ने भी इंग्लैंड का अनुसरण किया। बहुत देशों ने तो स्वर्ण-विनिमय-मान को ही अपनाया। युद्ध के बाद अधिकांश देशों ने स्वर्ण-मान के इन्ही दो रूपों में से किसी एक को अपनाया। परिराम यह हुआ कि युद्ध के बाद स्वर्ण के सिक्के पुनः चालू नहीं किये गये।

इस प्रकार युद्ध के बाद इंग्लैंड में स्वर्ण-धातु मान (Gold Bullion Standard) को अपनाया गया जिसके अनुसार पत्र-मुद्रा देश की प्रामाणिक मुद्रा हो गयी। किन्तु ये नोट स्वर्ण में परिवर्तित किये जा सकते थे। बैंक ऑफ इंग्लैंड इन नोटों के बदले 400 ग्राँस के सोने के पिंड एक बार में दे सकता था। स्वर्ण-धातु मान में स्वर्ण-कोष का महत्त्व देश की मौद्रिक प्रणाली के आधार के रूप में नहीं रहकर अन्तर्राष्ट्रीय कोष के रूप में हो गया जिसकी सहायता से अन्तर्राष्ट्रीय मुग्तान किये जाते थे। किन्तु युद्धोत्तर काल में स्वर्ण-मान की पुनर्स्थापना में इंग्लैंड ने स्वर्ण एवं पींड के बीच वही दर स्थापित करना विल्कुल अयुक्तिसंगत था। इससे एक प्रकार से पींड का अधिमूल्यन (overvaluation) हो गया, किन्तु इंग्लैंड की सरकार ने उस समय पींड की इज्जत को बनाये रखने के लिए स्वर्ण-मान का पुनर्स्थापन उस पुरानी दर पर ही किया। पींड के इस प्रकार अधिमूल्यन के फलस्वरूप इंग्लैंड के निर्यात व्यापार को बहुत घटका लगा जिसके फल-स्वरूप बाध्य होकर उसे थोड़े ही दिनों में (सितम्बर, 1931 में) सदा के लिए स्वर्ण-मान का परित्याग करना पड़ा।

स्वर्ण-मान का पुनर्स्थापन, जो 1924 ई० में जर्मनी तथा 1925 ई० में इंग्लैंड से आरम्भ हुआ, 1928 ई० में जाकर रुका। कई बातों को लेकर दोनों महायुद्धों के बीच का स्वर्ण-मान (Inter-war Gold standard) युद्ध के पूर्व के स्वर्ण-मान से बहुत आगे बढ़ गया। उदाहरण के लिए, कितने नये देशों ने भी इस मान को अपनाया। 1929 ई० के अंत तक विश्व में केवल तीन देश-चीन, स्पेन एवं मैक्सिको ही ऐसे रह गये थे जिनमें स्वर्ण-मान का प्रचलन नहीं था। इस अवधि में विभिन्न देशों ने पूर्ण स्वर्ण-मान को नहीं अपनाकर या तो स्वर्ण-धातु मान को या स्वर्ण-विनिमय मान को ही अपनाया।

स्वर्ण-मान के सफल संचालन के लिए आवश्यक शर्तें

(Conditions Essential for the Successful Functioning of the Gold Standard)

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि स्वर्ण-मान के सफल संचालन के लिए निम्न-लिखित बातें अनिवार्य हैं—

(1) सभी राष्ट्र स्वर्ण-मान के सुनहले नियम (Golden Rule of the Gold Standard) का अनुसरण करें :—स्वर्ण-मान के सफल संचालन के लिए यह अनिवार्य है कि स्वर्ण-मान के अन्तर्गत सभी देश इसके सुनहले नियमों का अनुसरण करें। स्वर्ण-मान के सुनहले नियम के अनुसार जब देश में बाहर से स्वर्ण आता हो तो साख का प्रसार एवं जब देश से

1. उस समय के मूल्य-तल एवं उत्पादन न्यय के आधार पर डॉलर एवं पींड की वास्तविक विनिमय-दर 4.88 डॉलर = 1 पींड थी।

स्वर्ण बाहर जाता हो तो साल का सकुचन अनिवार्य है। प्रत्येक देश को इस प्रकार की नीति के अनुसरण के लिए मदा तत्पर रहना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि स्वर्ण-मान के अन्तर्गत किसी भी राष्ट्र की स्वतन्त्र आर्थिक नीति के अनुसरण की गुंजाइश नहीं रहती, वरन् उसे अन्तर्राष्ट्रीय अवस्थामो के अनुसार ही अपनी आर्थिक व्यवस्था में भी सुधार लाना अनिवार्य होता है। इस सम्बन्ध में लार्ड केन्स (Keynes) का निम्नांकित कथन अत्यधिक महत्वपूर्ण जान पड़ता है, "The main criterion of banking policy of each country should be the average behaviour of all other members, its own voluntary and independent contribution being a modest one" दूसरे शब्दों में, कितनी भी राष्ट्र की अपने यहाँ स्वर्ण जमा नहीं होने देना चाहिए। यदि इन आधारभूत सिद्धान्त का परित्याग कर विभिन्न राष्ट्र मौद्रिक नीति के अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयत्न करने लगेंगे तो स्वर्ण-मान सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी का प्रवाह मुक्त होना चाहिए (Free flow of international capital) —स्वर्ण-मान की सफलता के लिए दूसरी आवश्यक शर्त यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी, विशेषतः अल्पकालीन पूँजी के आगमन पर किसी प्रकार का कृत्रिम नियन्त्रण नहीं होना चाहिए। स्वर्ण मान के अन्तर्गत सतुलन की स्थापना में अल्पकालीन पूँजी का प्रवाह बहुत सहायक होता है। अतएव इस प्रकार की पूँजी के अन्तर्राष्ट्रीय प्रवाह पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए। यदि पूँजी परिवर्तन या आयातों की प्रवृत्ति से प्रभावित होकर एक देश से दूसरे देश में प्रवाहित होती है तो केन्द्रीय बैंक के नियन्त्रण के तरीकों से प्रभावित करना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में, बैंक दर नीति भी असफल होती है, अतएव स्वर्ण-मान की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी का आवागमन अस्त व्यस्तता न उत्पन्न करे। (Absence of disturbing capital movement is essential)

(3) देश का आर्थिक संगठन पूर्ण रूप से लोचदार होना चाहिए (Economic structure of the country should be sufficiently elastic) —स्वर्ण मान के सफल संचालन के लिए देश की आर्थिक व्यवस्था का पूर्णतया लोचदार होना अनिवार्य है। आर्थिक संगठन के लोचपूर्ण होने के लिए देश का मूल्य-तल एवं पारिश्रमिक स्तर परिवर्तनशील होना चाहिए क्योंकि स्वर्ण-मान में सतुलन स्थापित करने के लिए इनमें परिवर्तन लाना अनिवार्य हो जाता है। स्वर्ण के आयात एवं निर्यात को ठीक करने के लिए मूल्य-तल में आवश्यक परिवर्तन लाना पड़ता है। उन्नीसवीं शताब्दी में विभिन्न देशों की आर्थिक व्यवस्था पूर्णरूप से लोचदार थी जिससे स्वर्ण-मान सफलतापूर्वक संचालित होता था, किन्तु बीसवीं शताब्दी में, विशेषतः प्रथम महायुद्ध के बाद से, श्रमिक-सघो के प्रभाव एवं अन्य कारणों से पारिश्रमिक स्तर एवं मूल्य तल बिल्कुल लोचहीन हो गये। इससे स्वर्ण मान के सफल संचालन के लिए यह एक अनिवार्य शर्त नहीं रह गयी।

(4) स्वतंत्र विदेशी व्यापार (Free foreign trade) —स्वर्ण मान के सफल संचालन के लिए विदेशी व्यापार पर किसी भी प्रकार की रक्षावट या प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में संरक्षण (Protection), आयात-निर्यात-नियन्त्रण तथा लाइसेंस वगैरह की नीति के परिणामस्वरूप स्वर्ण-मान के अन्तर्गत आवश्यक समायोजन नहीं हो पाता। अतः सुगम-तान सतुलन की अव्यवस्था तथा स्वर्ण के वितरण की विषमता को दूर करने के लिए यह अनिवार्य है कि विदेशी व्यापार पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं रहना चाहिए।

(5) स्वर्ण मान के सफल संचालन के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक देश अपनी मुद्रा का उचित स्वर्ण-साम्य (gold parity) निश्चित करे —यदि कोई देश अपनी मुद्रा का वास्तविक स्वर्ण-साम्य निश्चित नहीं कर अवमूल्यन या अधिमूल्यन करता है तो इससे अन्तर्राष्ट्रीय सतुलन नहीं हो पाता है। इससे अधिमूल्यन करने वाले देश में अपस्फीति तथा भ्रममूल्यन करने वाले देश में अधिस्फीति उत्पन्न होती है। अतएव स्वर्ण मान के सफल संचालन के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक देश वही दर चुने जो मूल्य-व्यय सम्बन्ध को साम्य में रखे, जिससे न तो अपस्फीति हो, न अधिस्फीति, अन्तर्राष्ट्रीय लेखा में न वचत हो न कभी और न स्वर्ण का निर्यात हो न आयात।

स्वर्ण-मान के सफल संचालन के लिए उपर्युक्त शर्तों का होना अनिवार्य है।

स्वर्ण-मान के पतन के कारण

(Causes of the Break-down of the Gold Standard)

ग्रेट-ब्रिटेन मे स्वर्ण मान प्रथम युद्ध के बाद पुनः अप्रैल, 1925 ई० मे अनायास गदा था किन्तु यह बहुत दिनों तक नहीं चल सका। सितम्बर, 1931 ई० मे ग्रेट-ब्रिटेन ने इसे स्थगित कर दिया। ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण धीरे-धीरे विश्व के अन्य देशो ने भी किया। अप्रैल, 1933 ई० मे क्षमताशाली-डॉलर ने भी अपनी परिवर्तनीयता त्याग दी और प्रवृत्तयन किया। फ्रांस ने 1936 ई० मे स्वर्ण-मान का परित्याग कर दिया। इस प्रकार युद्धोत्तर काल मे स्वर्ण के पुनर्स्थापन के शीघ्र बाद ही ससार के सभी देशो ने स्वर्ण-मान का परित्याग कर दिया। स्वर्ण-मान के इस पतन के बहुत-से कारण थे जिनमें निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं—

(1) केन्द्रीय बैंकों द्वारा स्वर्ण-मान के सुनहले नियम का परित्याग (Violation of golden rule of the Gold Standard game by the Central Bank) :—स्वर्ण-मान के पतन का सर्वाधिक प्रमुख कारण यह था कि युद्ध के बाद केन्द्रीय बैंकों ने स्वर्ण-मान के सुनहले नियमों का परित्याग कर दिया। स्वर्ण-मान के सकल संचालन के लिए इन नियमों का अनुसरण बिल्कुल अनिवार्य था, किन्तु युद्ध के बाद विभिन्न देशों के केन्द्रीय बैंक ने यह सुनहला मांग छोड़ दिया। स्वर्ण-मान का सुनहला नियम यह है कि “जब देश में स्वर्ण का बाहर से आगमन हो रहा हो, तो साख का विस्तार एवं जब स्वर्ण देश से बाहर जा रहा हो तो साख का संकुचन किया जाय।” किन्तु जब देश में स्वर्ण का आगमन हो रहा था तो उन्होंने उसे लेकर अपने तहखानों में डेर कर दिया और साख का प्रसार नहीं किया। इसके विपरीत जब स्वर्ण देश से बाहर जा रहा था तो उन्होंने अपना खजाना खाली होने दिया और साख का संकुचन नहीं किया। इस सम्बन्ध में आलोचक अमेरिका तथा फ्रांस दोनों देशों को समान रूप से दोषी ठहराते हैं। युद्ध के बाद जब स्वर्ण-मान पुनः अनायास गया तो इन देशों ने बहुत-सा स्वर्ण विदेशों से अन्दर आया, किन्तु उसे रोकने के लिए इन्होंने साख का प्रसार नहीं किया।

(2) स्वर्ण के उत्पादन में वृद्धि का इसकी मौद्रिक माग को अपेक्षा कम होना — स्वर्ण-मान के पतन का दूसरा प्रधान कारण इसकी मौद्रिक माग की अपेक्षा उत्पादन में कम वृद्धि का होना है। निम्न निम्न अर्थशास्त्रियों ने स्वर्ण की मौद्रिक माग को वृद्धि के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न मत प्रकट किये हैं। क्लैस (Cassel) के अनुसार यह वृद्धि 6 प्रतिशत तथा केस (Keynes) के अनुसार 3 प्रतिशत थी, किन्तु स्वर्ण के वार्षिक उत्पादन में सम्भवतः 4 प्रतिशत ही वृद्धि होती थी। इसके परिणामस्वरूप स्वर्ण की पूर्ति इसकी माग की अपेक्षा कम होने लगी। स्वर्ण की माग में वृद्धि के बहुत से कारण थे, जैसे औद्योगिक उपयोग के लिए, व्यक्तिगत संचय के लिए तथा मौद्रिक कोष के लिए। मोने का उत्पादन इन सभी उपयोगों में बढ़ती हुई माग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। स्वर्ण की पूर्ति के उसकी माग की अपेक्षा कम होने के फलस्वरूप इसका प्रभाव सदा अपस्फीति-जनक (deflationary) रहा। 1929-30 ई० की भयानक आर्थिक मारी के बाद सभी राष्ट्रों ने यह अनुसंधान किया कि स्वर्ण-मान के सङ्कुचित दायरे के अन्तर्गत वे अपनी आर्थिक व्यवस्था का प्रसार नहीं कर सकते।

(3) राष्ट्रों के बीच स्वर्ण का असमान वितरण (Mal-distribution of Gold between different nations) :—युद्धोत्तर काल में विभिन्न राष्ट्रों के बीच स्वर्ण का असमान रूप से वितरण हो गया। एक ओर तो अमेरिका एवं फ्रांस जैसे देशों में बहुत अधिक मात्रा में स्वर्ण जमा हो गया तो दूसरी ओर जर्मनी एवं पूर्वी यूरोप के अन्य देशों के पास इनकी विशेष रूप से कमी हो गयी। 1931 ई० एवं बाद में स्वर्ण-मान के पतन के बाद अमेरिका में स्वर्ण का आगमन जारी रहा और 1938 ई० तक अमेरिका के पास 2300 करोड़ डॉलर का स्वर्ण एकत्र हो गया। ऐसी स्थिति में अन्य देशों के लिए स्वर्ण मान पर चलना कठिन हो गया तथा इसके फलस्वरूप इन्हें स्वर्ण-मान का परित्याग करना पडा।

(4) दोनों विश्व-युद्धों के बीच विश्व की आर्थिक व्यवस्था में महान परिवर्तन

हुए जिनके परिणामस्वरूप स्वर्ण-मान के संचालन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं रह गयीं। युद्ध के बाद विदेशी व्यापार पर सभी देशों ने तरह-तरह के नियन्त्रण लगाने प्रारम्भ किये। विदेशी व्यापार पर नियन्त्रण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के मूल्य-तल एवं उत्पादन व्यय के स्तर में सामंजस्य नहीं रहा। साथ ही, युद्ध के बाद आर्थिक राष्ट्रीयतावाद (Economic nationalism) का विकास हुआ जिसके फलस्वरूप आर्थिक क्षेत्र में सभी राष्ट्रों की नीति का उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता (Economic self-sufficiency or national autarchy) हो गयी। इस नीति को प्राप्त करने के लिए आर्थिक नियन्त्रण के विभिन्न तरीकों को अपनाया जाने लगा जिनमें मूल्य लागत एवं पारिधमिक आदि का नियन्त्रण प्रधान था। आर्थिक राष्ट्रीयता की भावना अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान की कार्यवाही में बाधक सिद्ध होती है। प्रो० कोल (G D H Cole) ने इस सम्बन्ध में ठीक ही कहा है कि 'स्वर्ण-मान आवश्यक रूप से एक स्वतन्त्र मान है। इसमें आर्थिक प्रबन्ध ही उन विधियों का, जिनका उद्देश्य विदेशी विनिमय के सम्बन्धों पर नियंत्रण है कोई स्थान नहीं रहता।' (The Gold Standard is essentially a laissez faire standard. It rules out such methods of economic management involves restriction on exchange transactions) आर्थिक नियन्त्रण श्रमिक सघों की प्रयत्नता एवं औद्योगिक एकाधिकार की प्रधानता के कारण विश्व की आर्थिक व्यवस्था अत्यधिक लोचहीन हो गयी थी। ऐसी स्थिति में मूल्य एवं लागत में परिवर्तन द्वारा मुग्तान सतुलन स्थापित करना प्रायः असम्भव सा हो गया था। इन सब आर्थिक नियन्त्रणों का भी स्वर्ण-मान के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(5) प्रथम महायुद्ध की क्षतिपूर्ति का मुग्तान (Payment of reparation of the First World War).— प्रथम महायुद्ध के बाद विजयी तथा शक्तिशाली देशों को युद्ध की क्षति-पूर्ति के लिए जर्मनी को बहुत अधिक धन देना पड़ा। जर्मनी को यह क्षति-पूर्ति को सोने के रूप में देने के लिए बाध्य किया जाने लगा। युद्ध के बाद अन्य देशों को भी बहुत-सा युद्धकालीन ऋण लौटाना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप इन देशों से क्षति-पूर्ति, धन एवं युद्धकालीन ऋण के रूप में स्वर्ण बाहर जाने लगा जिसका व्यापार से कोई सम्बन्ध नहीं था। इससे इन देशों में स्वर्ण-निधि इतनी कम हो गयी कि यह स्वर्ण-मान को सफलतापूर्वक चलाने के लिए बहुत ही अपर्याप्त थी। अतएव ऐसे राष्ट्रों को परिस्थितिवश स्वर्ण-मान का परित्याग करना पड़ा।

(6) 1929 ई० की भयानक आर्थिक मन्दी (The great economic depression of 1929) — स्वर्ण-मान के पतन में 1929 ई० की महान् व्यावसायिक मन्दी को अमेरिका के वाल स्ट्रीट सफ्ट (Wall Street crash) से आरम्भ हुई थी, का प्रधान स्थान था। स्वर्ण-मान के प्रचलन के कारण वह आर्थिक सफ्ट शीघ्र ही विश्व-व्यापी हो गया। मन्दी के फलस्वरूप सभी देशों की आय कम हो गयी, उत्पादन के बहुत-से साधन बेकार हो गये। मूल्य-तल अत्यधिक गिर गया एवं अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य का परिमाण भी बहुत कम हो गया। स्वर्ण प्रमाप के अन्तर्गत राष्ट्रीय आय एवं रोजगारी को उच्च स्तर पर कायम रखना बहुत ही कठिन हो गया क्योंकि स्वर्ण-मान पर रहकर कोई देश मन्दी के निराकरण के लिए स्वतन्त्र रूप से मौद्रिक नीति का अनुसरण नहीं कर सकता था, अतएव धीरे-धीरे राष्ट्रों ने स्वर्ण मान का परित्याग कर दिया।

(7) अल्पकालीन पूँजी का आतक (Havoc caused by short period capital movement).— प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व बहुत-से देश विदेशों में अधिक लाभ की आलस से अल्प-कालीन पूँजी का विनिवेश करते थे। इस प्रकार की अल्पकालीन पूँजी स्वर्ण-प्रमाप के अन्तर्गत मुग्तान सतुलन के प्रस्थापी असतुलन को ठीक करने में महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती थी, किन्तु युद्ध के बाद प्रायः सभी देशों ने विदेशी पूँजी के आवागमन पर तरह-तरह के नियन्त्रण लगाना आरम्भ कर दिये जिससे अब सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रकार की पूँजी एक देश से दूसरे देश में आने-जाने लगी। इस प्रकार सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस प्रकार की पूँजी का आवागमन बहुत शीघ्र होता था, अतएव इसे शरणार्थी पूँजी (Refugee capital) कहा जाने लगा। इस प्रकार की शरणार्थी पूँजी ने अपने शीघ्र आवागमन से एक प्रकार का आतक मचा दिया। इसका कारण यह था कि पूँजी के हस्तांतरण के अनुसार राष्ट्र अपने मूल्य-तल में परिवर्तन नहीं ला सकते थे, या पूँजी की मांग होने पर आवश्यक मात्रा में स्वर्ण नहीं प्रदान कर सकते थे। साथ ही, ऐसी पूँजी की मात्रा को नियंत्रित करने में बैंक-दर भी बहुधा सिद्ध असफल होने लगे।

(8) पौंड का अधिमूल्यन :— स्वर्ण-मान के पतन का एक कारण यह भी था कि जब 1925 ई० में इंग्लैंड ने स्वर्ण-मान को अपनाया तो उसने स्वर्ण एव स्टैलिंग के बीच मुद्रा के पूर्व-वाले सम्बन्ध को ही स्थापित किया जिसके अनुसार 1 औंस स्वर्ण = 3 पौंड 17 शि० 10 $\frac{1}{2}$ पें० का था। पौंड तथा डॉलर के बीच यह दर $S 1 = L 4 8665$ थी। किन्तु इस दर पर पौंड का अधिमूल्यन (Ov r-valuation) हो गया था जबकि अन्य देशों ने अपनी मुद्रा का स्वर्ण के साथ अवमूल्यन (devaluation) कर स्वर्ण-मान को पुनः अपनाया था। इसके परिणामस्वरूप इंग्लैंड का मूल्य-तल अन्य देशों की अपेक्षा अधिक ऊँचा हो गया जिससे इसके निर्यात में कमी तथा आयात में वृद्धि होने लगी। इससे इंग्लैंड का स्वर्ण-कोष घटने लगा। इस अप्राकृतिक दर पर इंग्लैंड बहुत दिनों तक नहीं चल सका और फलस्वरूप दिसम्बर, 1931 ई० में इसने स्वर्ण-मान का परित्याग कर दिया।

इस प्रकार स्वर्ण-मान के पतन के उक्त सारे कारण हैं। वास्तव में, प्रथम महायुद्ध तथा 1929 ई० की महान् व्यावसायिक मन्दी ने विभिन्न राष्ट्रों के आर्थिक जीवन को इतना प्रतिक जटिल एवं लोचहीन बना दिया कि था स्वर्ण-प्रमाण अधिक बहुत दिनों तक सफलतापूर्वक काय नहीं कर सका, फलतः इसका पतन हो गया।

स्वर्ण का भविष्य

(Future of the Gold)

सन् 1931 ई० में ग्रेट-ब्रिटेन ने स्वर्ण-मान का परित्याग किया। धीरे-धीरे अन्य देशों ने भी स्वर्ण मान का परित्याग कर दिया। फलतः स्वर्ण-मान, की विलकुल समाप्ति हो गयी। अब कभी-कभी यह प्रश्न उठना है कि क्या परम्परागत स्वर्ण-प्रमाण की प्रणाली को पुनः अपनाया जा सकता है? इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि परम्परागत स्वर्ण-मान की प्रणाली अब विश्व में निम्नांकित कारणों से नहीं अपनायी जा सकती है :—

(1) स्वर्ण का उत्पादन इसकी मांग में वृद्धि के अनुपात में नहीं बढ़ता। इसके फलस्वरूप स्वर्ण-प्रमाण अपनाने पर अप-स्फीतिजनक (deflationary) प्रवृत्ति का सृजन होगा।

(2) परम्परागत स्वर्ण-मान को अपनाने पर विनिमय दर का स्थायित्व मौद्रिक नीति का एकमात्र उद्देश्य हो जाता है, किन्तु आजकल प्रत्येक देश की मौद्रिक नीति का प्रधान उद्देश्य उच्चतम आय एवं पूर्ण रोजगारी की प्राप्ति हो गया है। स्वर्ण-प्रमाण के अन्तर्गत कोई भी देश अपने आर्थिक कल्याण के उद्देश्य से इस प्रकार की नीति का अनुसरण नहीं कर सकता।

(3) परम्परागत स्वर्ण-मान के संचालन में संतुलित बजट (Balanced budget) आवश्यक हो जाता है, किन्तु आर्थिक स्थायित्व एवं पूर्ण रोजगारी के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन तरीकों का परित्याग करना पड़ता है।

इस प्रकार कोई भी देश आज अपने को स्वर्ण-मान के सकुचित दायरे (Strait Jacket) में नहीं रखना चाहता। दूसरे शब्दों में, परम्परागत स्वर्ण-मान एवं आधुनिक मौद्रिक नीति के उद्देश्य में सम्मेलन नहीं स्थापित किया जा सकता। अतएव परम्परागत स्वर्ण-मान का पुनर्स्थापन अब सम्भव नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष में स्वर्ण का स्थान

(Role of Gold in the International Monetary Fund)

किन्तु यद्यपि भविष्य में परम्परागत स्वर्ण-प्रमाण की पद्धति को नहीं अपनाया जा सकता, फिर भी वर्तमान समय में भी स्वर्ण का स्थान बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (International Monetary Fund) की कार्यवाही में स्वर्ण का प्रधान स्थान है।¹ मुद्रा-कोष के सभी सदस्य राष्ट्रों को अपने कुल हिस्से की पूंजी का एक भाग स्वर्ण अथवा डॉलर के रूप में कोष के साथ जमा करना पड़ता है। सभी मुद्राओं की कीमत स्वर्ण के रूप में निश्चित की जाती है और सदस्य-राष्ट्र कोष (I. M. F) की अनुमति के वगैर इन्हें कोई भी परिवर्तन नहीं कर

1. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (The International Monetary Fund) में स्वर्ण के स्थान को सविस्तार विवेचना अगले अध्याय में की गयी है।

सवते। इस प्रकार वर्तमान समय में भी विभिन्न मुद्राओं की विनिमय-दर स्वर्ण द्वारा निश्चित की जाती है, यानी आज भी स्वर्ण अन्तर्राष्ट्रीय लेखे की इकाई (International Unit of Account) के रूप में कार्य करता है। साथ ही, वर्तमान समय में भी स्वर्ण सबसे महत्वपूर्ण तरल साधन (International Liquid Asset) है जिसकी सहायता से विदेशी भुगतान का कार्य किया जा सकता है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में स्वर्ण का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए कुछ विद्वान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्थापना को स्वर्ण-मान के पुनर्स्थापन का प्रयास मानते हैं। यद्यपि इस प्रकार की धारणा भ्रामक है, फिर भी इतना अवश्य है कि कोष की कार्यवाही में स्वर्ण का बड़ा ही प्रमुख स्थान है। वास्तव में, मुद्रा-कोष की योजना में स्वर्ण का स्थान एक बफादार सेवक की तरह है न कि प्रथम युद्ध के पूर्व के अनाचारी शासक की तरह।

निष्कर्ष — इस प्रकार भविष्य में स्वर्ण-प्रमाण की परम्परागत प्रणाली के पुनर्स्थापन की सम्भावना नहीं है। क्रॉडर (Crowder) ने इस सम्बन्ध में ठीक ही कहा है कि, इस तीव्र एव चपल रूप से राष्ट्रीय व्यावसायिक पद्धति के अन्तर्गत किसी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था की स्थापना निश्चय ही असम्भव है। (It is impossible to have an international financial system along side a commercial system that is fiercely and jealously national.) किन्तु फिर भी, जैसा कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है, स्वर्ण का महत्व कई रूपों में वर्तमान रहेगा, जैसे (i) सबसे अधिक अन्तर्राष्ट्रीय तरल साधन (International Liquid Asset) के रूप में, (ii) विभिन्न देशों की मुद्राओं की विनिमय-दर तथा इनके परिवर्तनों को व्यक्त करने की सामान्य इकाई के रूप में एव (iii) उन्मुक्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में मौद्रिक आधार के रूप में।

विशेष अध्ययन सूची

- | | |
|------------|---|
| 1 Crowther | : An Outline of Money, Chapter IX |
| 2 Hawtrey | : The Gold Standard in Theory and Practice |
| 3 Gregory | : The Gold Standard and its Future. |
| 4 Cole | : Money : Its Present and Future, Chapter XII |
| 5, Halm | : Monetary Theory, Chapter XII |

अध्याय : 37 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष

(The International Monetary Fund)

प्रावकथन :—दोनों महायुद्धों ने बीच विश्व के प्रायः सभी देशों को मौद्रिक एवं वित्तीय अस्थायित्व (Monetary and Exchange Instability) का बड़ा ही कटु अनुभव हुआ। 1931 ई० में अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान के पतन ने मौद्रिक सहयोग के म्यान पर मौद्रिक राष्ट्रीयता (Monetary Nationalism) की भावना को जन्म दिया। अपने-अपने नियति को बढ़ाने के उद्देश्य से सभी देशों ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन (Devaluation) प्रारम्भ कर दिया जिससे विश्व में एक प्रकार के प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय प्रवृत्तियों (Competitive Exchange Depreciation) की व्यापक व्यवस्था ने स्वतन्त्र-व्यापार के स्थान को ग्रहण कर लिया। अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा (Inconvertible paper currency) के प्रचलन से आन्तरिक मूल्य-तल में भी उथल-पुथल होने लगी। इस प्रकार की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा, वित्तीय दर की अनिश्चितता एवं आन्तरिक आर्थिक अस्थायित्व का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, लेन-देन एवं पूँजी के आवागमन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। ऐसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का गला घूटते जा रहा था तथा आन्तरिक आर्थिक व्यवस्था अस्थायित्व के घेरो से व्याकुल हो रही थी।

अतएव द्वितीय महायुद्ध के अन्तिम समय में अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग (International Monetary Co-operation), विदेशी व्यापार के विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों के समुचित प्रवाह के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। किन्तु कोई भी देश स्वर्ण मान के पुनर्स्थापन के पक्ष में नहीं था। सभी अपनी मौद्रिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की कामना करते थे। इस उद्देश्य से अमेरिका तथा ब्रिटेन के विशेषज्ञों द्वारा 943 ई० में दो पृथक्-पृथक् योजनाएँ प्रस्तुत की गयीं। ब्रिटेन की योजना केन्स योजना (Keynes' Plan) थी जो ब्रिटेन के मुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री लार्ड केन्स द्वारा तैयार की गयी थी तथा अमेरिका की योजना ह्वाइट योजना (White Plan)¹ थी जो अमेरिका के डा० ह्वाइट के द्वारा तैयार की गयी थी। केन्स योजना में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-संघ (International Clearing House) नामक एक केन्द्रीय सस्था के निर्माण का आयोजन था। केन्स के अनुसार इस सस्था की एक पृथक् मुद्रा होगी जिसका नाम बैकौर (Bancour) होगा। इस मुद्रा का अस्तित्व केवल इसी सस्था की पुस्तको में होगा। केन्स योजना को अमेरिका में स्वर्ण-मान के पुनर्स्थापन की योजना भी कहा जाता है। ह्वाइट योजना के अन्तर्गत एक अन्तर्राष्ट्रीय स्थायित्व कोष International Stabilization Fund की स्थापना का आयोजन था। कनाडा के विशेषज्ञों ने एक तीसरी योजना प्रस्तुत की थी जिसमें केन्स एवं ह्वाइट योजना में सम-वय स्थापित करने का प्रयास किया गया था।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्थापना —उक्त योजनाओं पर विशेषज्ञों द्वारा विचार-विमर्श के पश्चात् विशेषज्ञों का एक संयुक्त वक्तव्य (Joint Statement of Technical Experts) प्रकाशित हुआ। तत्पश्चात् जुलाई 1944 ई० में ब्रिटेन उड्स (Brettonwoods) नामक स्थान में 41 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में जो योजना स्वीकृत हुई उसे ब्रिटेन उड्स समझौता (Brettonwoods Agreement) कहा जाता है। इस समझौते के परिणाम-स्वरूप निम्नलिखित दो अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सस्थाओं की स्थापना हुई —

- (1) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (International Monetary Fund), तथा
- (2) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (International Bank for Reconstruction and Development), जिसे विश्व बैंक भी कहा जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1 मार्च, 1947 ई० को कार्य करना प्रारम्भ किया। प्रारम्भ में कोष के कुल 41 राष्ट्र सदस्य थे, किन्तु 1971 ई० के अन्त में कोष के सदस्यों की संख्या 125 हो गयी।² अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रों को उनके मुद्रा-संतुलन (Bal-

1. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुद्रा-संतुलन ह्वाइट योजना (White Plan) पर ही आधारित है।

2. रूस, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रूमानिया, स्विट्ज़रलैंड तथा पुर्तगाल आदि कुछ देश को तथा विश्व बैंक के सदस्य नहीं है।

nce of Payments) के अस्थायी घाटे (Temporary deficits) को पूरा करने के लिए अल्पकालीन ऋण के रूप में विदेशी मुद्रा प्रदान करना है। मुद्रा के बाढ़ राष्ट्रीय कोषों के प्रकार की पूँजी की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था—(क) मूलप्रथम तो मुग्तान-सतुलन के अस्थायी घाटे को पूरा करने के लिए अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना इसी प्रकार के ऋण की पूर्ति के लिए की गयी थी। (ख) द्वितीयत मुद्धोत्तर काल में राष्ट्रीय के पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता। मुद्रा का कई राष्ट्रों पर दबाव प्रभाव पड़ा था तथा उनकी आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गयी थी। अतएव आर्थिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए इन राष्ट्रों को दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता थी। साथ ही अविकसित अथवा अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालीन पूँजी की आवश्यकता थी। मुद्रा कोष का प्रदान उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सतुलन की सृष्टि करना है जिसके लिए अल्पकालीन ऋण के साथ-साथ दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था भी अनिवार्य है। सदस्य राष्ट्रों की दीर्घकालीन पूँजी की आवश्यकता की पूर्ति अन्तर्राष्ट्रीय बैंक करता है। इस प्रकार इन दोनों स्थापनों को एक दूसरे का पूरक समझना चाहिए।

मुद्रा कोष एवं केन्द्रीय बैंक (Monetary Fund and Central Bank) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण केन्द्रीय बैंक की धारणा के आधार पर ही हुआ है। अतः प्रो० हॉम (Halm) के शब्दों में 'कोष केन्द्रीय बैंकों का बैंक, यानी विश्व की मौद्रिक व्यवस्था का प्रधान होगा। (The International Monetary Fund will be a bank of Central Banks, the capstone in the world's monetary system) अतः यदा कदा यह प्रश्न होता है कि क्या मुद्रा-कोष केन्द्रीय बैंकों का बैंक है? वास्तव में, केन्द्रीय बैंक एवं मुद्रा कोष में कई बातों को लेकर समता है। जिस प्रकार केन्द्रीय बैंक अपने देश के व्यावसायिक बैंकों के नकद कोष (Cash Reserve) का एकत्रीकरण करता है, ठीक उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य राष्ट्रों के साधनों या केन्द्रीयकरण कर अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पुनः जिस प्रकार केन्द्रीय बैंक सदस्य बैंकों की साक्ष्य नीति में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है, उसी प्रकार मुद्रा-कोष भी सदस्य राष्ट्रों की मौद्रिक एवं आर्थिक नीति में सामंजस्य स्थापित करता है। जहाँ तक तो मुद्रा कोष ठीक एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्रीय बैंक (International Central Bank) की तरह है, किन्तु इनके कार्यों में अन्तर भी है। केन्द्रीय बैंक अपने देश के सदस्य बैंकों पर नियन्त्रण रखता है, किन्तु मुद्रा-कोष सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक नीति पर किसी भी प्रकार का नियन्त्रण नहीं रख सकता। साथ ही, केन्द्रीय बैंक केवल अपने देश की मुद्रा का ही एकत्रीकरण करता है किन्तु मुद्रा-कोष के पास सभी सदस्य राष्ट्रों की मुद्रा का भण्डार रहना है। पुनः, केन्द्रीय बैंकों की तरह मुद्रा-कोष अतिरिक्त मुद्रा का मुद्रण नहीं कर सकता। इस प्रकार मौद्रिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष पूर्ण राष्ट्रीय स्वतन्त्रता एवं पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीयता के बीच एक समझौते की तरह है। (The International Monetary Fund thus represents a compromise between complete national sovereignty and complete internationalism in the monetary sphere) इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना विनियोग बैंक (Investment Bank) की धारणा के आधार पर हुई है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के उद्देश्य

(Objectives of the International Monetary Fund)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्थापना के निम्नांकित प्रधान उद्देश्य हैं—

(1) एक स्थायी संस्था के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग (International monetary co-operation) को प्रोत्साहित करना—कोष का प्रधान उद्देश्य सदस्य देशों के बीच मौद्रिक सहयोग में अभिवृद्धि करना है। इसके लिए कोष के पास विशेषज्ञों का एक दल होता है जो विभिन्न प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक समस्याओं के लिए समय-समय पर सुझाव देता है। मौद्रिक सहयोग की अभिवृद्धि के लिए मुद्रा कोष यह प्रयास करता है कि सदस्य राष्ट्र एक ही प्रकार की मौद्रिक नीति अपनाएँ।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रसार एवं समतुलित विकास (Expansion and balanced growth of international trade) के लिए सुविधा प्रदान करना तथा इसकी सहायता से सभी सदस्य-राष्ट्रों में रोजगार के उच्च स्तर को स्थापित करना एवं बनाये रखना (Promotion and maintenance of high level of employment) — अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष का दूसरा प्रधान उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच होनेवाले अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को विभिन्न प्रकार के नियन्त्रणों से मुक्त करना है। इस उद्देश्य से यह व्यवस्था की गयी है कि कोई भी सदस्य राष्ट्र कोष की अनुमति के बिना अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन या भुगतान पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगा सकता।

(3) विनिमय स्थायित्व (Exchange stability) को प्रोत्साहित करना, सदस्य-राष्ट्रों के बीच नियमित विनिमय व्यवस्था (Orderly exchange arrangements) को कायम रखना एवं प्रतिस्पर्धात्मक विनिमय-अवमूल्यन (Competitive exchange depreciation) को रोकना : — मुद्रा-कोष का तीसरा प्रधान उद्देश्य विनिमय स्थायित्व को प्रोत्साहित करना है। सदस्य बनने के समय प्रत्येक देश की विनिमय दर स्थायी तथा डॉलर के रूप में निर्धारित की जाती है। प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र इस दर को बनाये रखने का प्रयास करता है। यदि किसी देश में किसी अस्थायी दुर्बलता के कारण विनिमय-दर में हास होने लगता है तो उसमें सुधार के लिए कोष सदस्य-राष्ट्र को सहायता तथा आवश्यक सुझाव आदि देता है। इस प्रकार विनिमय स्थायित्व में अभिवृद्धि से सदस्य देशों में आपस में सहयोग की अभिवृद्धि होती है।

(4) सदस्य-राष्ट्रों के बीच चालू व्यवसायों (current transactions) के लिए बहुपक्षी भुगतान (Multilateral system of payments) की व्यवस्था की स्थापना करना एवं विदेशों विनिमय-सम्बन्धी प्रतिबन्धों (Foreign exchange restrictions) को समाप्त करना : — आजकल विभिन्न देशों की मुद्राएँ एक दूसरे में परिवर्तनशील नहीं हैं जिसमें भुगतान में कठिनाई होती है। मुद्रा-कोष का चौथा प्रधान उद्देश्य बहुपक्षी भुगतान की सुविधा प्रदान करना है। इस उद्देश्य से यह विनिमय-नियन्त्रणों को हटाकर एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान-व्यवस्था की स्थापना करना चाहता है जिसमें कि प्रत्येक देश अल्पकाल में एक-दूसरे की मुद्रा के रूप में भुगतान स्वीकार करने को तैयार हो जायँ। साथ ही, कोष की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक सदस्य राष्ट्र कुछ निश्चित नियमों के अनुसार ही विनिमय का सौदा करेगा तथा विनिमय-नियन्त्रण को दूर करने का प्रयास करेगा।

(5) समुचित सरक्षणों के अन्तर्गत सदस्य राष्ट्रों के लिए कोष के साधनों को उपलब्ध बनाकर उनमें विश्वास उत्पन्न करना एवं इस प्रकार उन्हें उनके भुगतान संतुलन के असंतुलन (Maladjustments in the Balance of payments) को सुधारने का अवसर प्रदान करना जिससे वे राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय समृद्धि के नष्ट करनेवाले उपायों को अपना सकें। किन्तु कोष की सहायता भुगतान संतुलन के केवल अस्थायी घाटे को दूर करने के लिए ही दी जाती है। इससे सदस्यों का आर्थिक विकास होता है।

(6) उपर्युक्त प्रवृत्तियों के अनुसार सदस्य राष्ट्रों के अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन के असंतुलन (Disequilibrium in the international Balance of payments) को अग्रिम एवं इसकी मात्रा को कम करना - - मुद्रा-कोष का अन्तिम उद्देश्य विभिन्न प्रयत्नों द्वारा सदस्य राष्ट्रों के भुगतान संतुलन के असंतुलन को अग्रिम तथा परिमाण को कम करना है। इससे सदस्यों के आर्थिक विकास में सहायता होगी।¹

1. उपरोक्त उद्देश्यों का ध्यान में रखते हुए कोष के प्रति इसके सभी सदस्यों के निम्नलिखित दायित्व निश्चित किये गये हैं :—

- (i) अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों तथा पूँजी के अन्तर्गत पर सभी प्रकार के प्रतिबन्धों को समाप्त करना,
- (ii) विभेदक मौद्रिक कार्रवाहियों को समाप्त करना,
- (iii) विदेशी कोषों की परिवर्तनीयता को बनाये रखना; तथा
- (iv) देश एवं विदेश में स्वयं एवं विदेशी विनिमय के कोष, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा भुगतान संतुलन, राष्ट्रीय आय, मूल्य-सूचकांक, विनिमय नियन्त्रण एवं मुद्रा के क्रय-विक्रय को दूर के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करना।

अन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा कोष के साधन एवं पूँजी

(Capital and Resources of the I M F)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साधन के दो प्रधान निर्णायक तत्त्व हैं.—

- (क) सदस्य राष्ट्रों की मुद्रा (Currencies of member countries), एवं
(ख) स्वर्ण (Gold)।

प्रारम्भ में मुद्रा कोष का कुल साधन 880 करोड़ डॉलर निश्चित किया गया था।¹ इसमें से सभी सदस्य राष्ट्रों का एक अलग अलग कोटा या अग्र्यश (Quota) निर्धारित किया गया था। किंतु अक्टूबर 1958 ई० में मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक के मन्त्रियों की एक बैठक नयी दिशाली में हुई जिसमें कोष एवं बैंक के साधनों में वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। कायक साधनों में वृद्धि करने तथा सदस्य राष्ट्रों के अग्र्यश को पुनः निर्धारित करने का काय कोष के Executive Directors को सौंपा गया। उन्होंने कोष के साधनों में 50 प्रतिशत की वृद्धि की। साथ ही, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी, जापान तथा अन्य राष्ट्रों के अतिरिक्त वार्षिक विभाज होने के कारण इनके कोटे में बहुत अधिक वृद्धि की गयी जिसके फलस्वरूप कोष की कुल पूँजी 1630 करोड़ डॉलर हो गयी। पुनः सितम्बर, 1963 ई० में टोकियो की एक बैठक में कोष की पूँजी में वृद्धि का एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया जिससे अनुसार 1965 ई० में कोष के मन्त्रियों ने यह निर्णय किया कि सभी सदस्यों के अग्र्यश में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाय। साथ ही, 16 राष्ट्रों के अग्र्यश में इनसे भी अधिक वृद्धि का निर्णय किया गया। इसके परिणामस्वरूप कोष की कुल पूँजी बढ़कर 2130 करोड़ डॉलर हो गयी। पुनः 1970 ई० के प्रारम्भ में कोष के सचालकों ने इनकी पूँजी को 2130 करोड़ डॉलर से बढ़ाकर 2843 करोड़ डॉलर कर दिया, यानी कोष की पूँजी में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि की गयी। परिणामस्वरूप, सभी सदस्य राष्ट्रों के अग्र्यश में भी वृद्धि की गई। किन्तु सर्वाधिक वृद्धि लगभग 65 प्रतिशत जापान के अग्र्यश में हुई। नये अग्र्यश 30 अक्टूबर 1970 से लागू हो गये।

सदस्य राष्ट्रों के अग्र्यशों के निर्धारण में साधरणतया निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया है—

- (क) प्रत्येक राष्ट्र का राजनीतिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व,
(ख) सदस्य राष्ट्रों की राष्ट्रीय आय (National Income),
(ग) उनके स्वर्ण एवं विदेशी विनिमय कोष (Gold and Foreign Exchange Reserves), तथा

(घ) भुगतान सतलन (Balance of Payments) की स्थिति।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखत हुए प्रमुख राष्ट्रों के अग्र्यश कोष के साधन में वृद्धि के पूर्व तथा बाद में निम्न प्रकार से हैं—

सदस्य राष्ट्रों के अग्र्यश (Quota) (करोड़ डॉलर में)

सदस्य राष्ट्र	प्रारम्भिक	1958 ई० में वृद्धि के बाद	1965 ई० में वृद्धि के बाद	1970 ई० में वृद्धि के बाद
संयुक्त राज्य अमेरिका	275	412.5	516.0	670.0
ब्रिटेन	130	195.0	244.0	280.0
पश्चिमी जर्मनी		70.75	120.0	160.0
भारत	50	60.0	75.0	94.0
कनाडा	40	55.0	74.0	110.0
जापान		50.0	77.5	120.0

1 प्रारम्भ में मुद्रा कोष का साधन वास्तव में 1000 करोड़ डॉलर निश्चित किया गया था। किन्तु कुछ वित्तीय अग्र्यश 100 करोड़ डॉलर था, ने इसके सदस्यता स्वीकार नहीं की जिससे कोष का प्रारम्भिक साधन 880 करोड़ डॉलर हो रहा।

इस तालिका से स्पष्ट है कि 1970 ई० में मुद्रा कोप के अग्र्यश में वृद्धि के पूर्व भारत पाँच सर्वाधिक अग्र्यश वाले देशों में से एक था, किन्तु 1970 ई० में वृद्धि के बाद कनाडा तथा जापान के अग्र्यश भारत से अधिक हो गये जिससे भारत का स्थान अब इनसे नीचे हो गया।

सदस्य राष्ट्रों को अपने अग्र्यश का एक भाग स्वर्ण में तथा शेष अपनी मुद्रा के रूप में जमा करना पड़ता है। किसी भी सदस्य राष्ट्र को अपने कुल अग्र्यश का 25 प्रतिशत भाग अथवा उसके कुल स्वर्ण एवं अमेरिकन डॉलर निधि (Net official holdings of gold and U S A dollars) का 10 प्रतिशत भाग, जो भी कम हो, स्वर्ण के रूप में तथा शेष अपनी मुद्रा के रूप में चुकाना पड़ता है।

सदस्य राष्ट्रों का अग्र्यश इनके विशेष-प्राप्ति अधिकार (Special Drawing Rights) को भी निर्धारित करता है। इस प्रकार के विशेष प्राप्ति अधिकार का विनिर्माण पहले पहल 1 जनवरी, 1970 को किया गया। इस योजना के अन्तर्गत कोप द्वारा पहले-पहल 10½ सदस्यों के बीच 20½ करोड़ डॉलर का विनिर्माण किया गया। द्वितीय विनिर्माण 1 जनवरी, 1971 को 1½ सदस्यों के बीच 295 करोड़ डॉलर का हुआ।

कोप की व्यवस्था एवं संगठन (Organisation and Management of the Fund) - कोप की व्यवस्था के लिए एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (Board of Governors), सचालक मण्डल (Executive Directors) तथा एक मैनेजिंग डायरेक्टर (Managing Director) हैं। सभी सदस्य देश एक गवर्नर तथा एक ययारूम (Alternate) गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक साल में एक बार अवश्य होती है। बोर्ड को कोप की कार्यवाही के सम्बन्ध में पूरा-पूरा अधिकार प्राप्त है। यह नये सदस्यों को रख सकता है, उनका अग्र्यश घटा बढ़ा सकता है। रोज-रोज के कार्यों की देख-भाल के लिए 20 सदस्यों का एक सचालक मण्डल (Executive Directors) है जिनमें से पाँच सदस्य उन देशों के हैं जिनका कोटा सबसे अधिक है तथा 15 सदस्य अन्य राष्ट्रों द्वारा चुने जाते हैं। स्थायी सदस्यों में आजकल अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी तथा जापान हैं। इस समय कोप के सचालक मण्डल में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन तथा कनाडा के एक-एक सदस्य के अतिरिक्त 3 सदस्य सुदूर पूर्व तथा प्रशांत देशों, 1 लैटिन अमेरिका के देशों तथा 6 यूरोप महाद्वीप के देशों से चुने जाते हैं। सचालक मण्डल द्वारा एक प्रबन्ध सचालक (Managing Director) का चुनाव होता है जो कोप के साधारण कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है।

मुद्रा-कोप के प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को उसके अग्र्यश के अनुसार मत देने का अधिकार है। प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र को प्रति एक लाख डॉलर अग्र्यश पर 250 + 1 मत देने का अधिकार है। उदाहरण के लिए 1970 के पूर्व भारत का अग्र्यश 7500 लाख डॉलर था, अतः इसे 250 + 7500 मत, यानी 7750 मत देने का अधिकार था।

मुद्रा कोप एवं विनिमय स्थायित्व

(Monetary Fund and Exchange Stability)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप का सर्वाधिक प्रधान उद्देश्य विनिमय स्थायित्व (exchange stability) को प्रोत्साहित करना तथा सदस्य राष्ट्रों के बीच नियमित विनिमय-व्यवस्था (orderly exchange arrangements among members) को बनाये रखना है। किन्तु विनिमय-स्थायित्व के लिए सर्वप्रथम विभिन्न देशों की मुद्राओं के लिए एक सामान्य आधार (common basis of currencies) की आवश्यकता होती है। अतएव कोप योजना के अनुसार प्रारम्भ में प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र को अपनी मुद्रा की समता दर (par-value) को स्वर्ण अथवा डॉलर के रूप में व्यक्त करना पड़ता है। प्रत्येक देश की मुद्रा की समता दर को स्वर्ण अथवा डॉलर के रूप में व्यक्त करने के पश्चात् विनिमय दरों के निर्धारण में कोई कठिनाई नहीं रह जाती। इससे प्रत्येक मुद्रा की विनिमय-दर इस समता मूल्य की एक सीमा के अन्तर्गत ही रहती है, किन्तु कोप अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान की तरह विनिमय-दर को बिल्कुल स्थायी नहीं बनाता, वरन् इसके अन्तर्गत आवश्यकतानुसार विनिमय-दर में एक निश्चित सीमा के अन्तर्गत परिवर्तन की भी व्यवस्था करता है।

प्रारम्भ में, भारतीय रुपये का स्वर्ण-मूल्य 0 269601 ग्राम विशुद्ध स्वर्ण तथा डॉलर के रूप में इसका मूल्य 30 25 सेंट¹ निश्चित किया गया था, किन्तु सितम्बर, 1949 ई० में रुपये के अवमूल्यन (Devaluation of the Rupee) हो जाने पर रुपये का स्वर्ण मूल्य घटकर 0 186521 ग्राम विशुद्ध स्वर्ण तथा डॉलर-मूल्य घटकर 21 सेंट हो गया। पुनः, जून 1966 में भारतीय रुपये के अवमूल्यन के बाद रुपये का स्वर्ण-मूल्य घटकर 0-118439 ग्राम विशुद्ध स्वर्ण तथा डॉलर के रूप में 13 33 सेंट हो गया।

समता-दर में परिवर्तन (Changes in the par value of currencies)—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान की तरह विनिमय-दर की विलक्षण स्थायी (rigid fixity of rates) बनाना नहीं है। इसके अन्तर्गत सदस्य राष्ट्रों को एक सीमा के अन्तर्गत विनिमय-दर में परिवर्तन की सुविधा भी उपलब्ध है, किन्तु इस प्रकार का परिवर्तन भी केवल मौलिक असंतुलन (Fundamental disequilibrium) को सुधारने के लिए ही किया जा सकता है।² कोई भी सदस्य-राष्ट्र अपनी मुद्रा की प्रारम्भिक समता दर (Initial par-value) में 10 प्रतिशत तक का परिवर्तन (कम या अधिक) केवल कोष के परामर्श से ही कर सकता है। कोष ऐसा करने में कोई एमराज नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त भी कोई सदस्य-राष्ट्र अपनी मुद्रा की समता-दर में कोष की स्वीकृति से 10 प्रतिशत तक का परिवर्तन और कर सकता है, किन्तु ऐसा करने के लिए उसे कोष की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। कोष ऐसा करने से सदस्य राष्ट्र को मना भी कर सकता है, किन्तु इस सम्बन्ध में उसे अपना निर्णय 72 घण्टे के अन्दर ही देना पड़ता है। इससे भी अधिक परिवर्तन (यानी प्रारम्भिक समता दर में 20 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन के लिए कोई सदस्य-राष्ट्र कोष से प्रार्थना कर सकता है, किन्तु इसके लिए सदस्यों के दो-निहाई बहुमत की आवश्यकता पड़ती है।

किन्तु मुद्रा-कोष किसी मुद्रा की विनिमय-दर में परिवर्तन की स्वीकृति केवल उभी स्थिति में देगा जबकि उसे यह पूर्ण विश्वास हो जाय कि इस प्रकार का परिवर्तन किसी मौलिक असंतुलन (Fundamental disequilibrium) को सुधारने के लिए आवश्यक है। इसका उद्देश्य यह है कि विनिमय-दर में परिवर्तन केवल सदस्य राष्ट्रों के आन्तरिक मूल्य एवं आप्र स्तर में परिवर्तन के अनुसार ही हो, किन्तु मौलिक असंतुलन के सम्बन्ध में निर्णय बहुत ही कठिन है। साथ ही, कोष स्पर्धात्मक विनिमय-अवमूल्यन (Competitive exchange depreciation) का स्वीकृति कभी नहीं देता।

इस प्रकार कोष की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य राष्ट्र अपनी मुद्रा की विनिमय-दर में 10 प्रतिशत से अधिक का परिवर्तन नहीं कर सकता। मौलिक असंतुलन में सुधार के लिए कोष सदस्य राष्ट्रों को इससे अधिक परिवर्तन की भी अनुमति प्रदान करता है। उदाहरणार्थ सितम्बर, 1949 ई० में इंग्लैंड, भारत तथा स्टर्लिंग क्षेत्र के कुछ अन्य देशों ने कोष की अनुमति से अपनी मुद्रा के स्वर्ण एवं डॉलर मूल्य में 30 प्रतिशत का अवमूल्यन किया था। अतएव कोष सदस्य-राष्ट्रों को उनकी आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य घरेलू समस्याओं के समाधान के लिए समय-समय पर उनकी विनिमय-दरों में परिवर्तन की स्वतन्त्रता भी प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, कोष किसी भी देश की आन्तरिक आर्थिक नीति में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इनमें प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र की स्वतन्त्र मौद्रिक एवं आर्थिक नीति के अनुकरण की स्वतन्त्रता रहती है। इस प्रकार की स्वतन्त्रता स्वर्ण-मान के अन्तर्गत नहीं थी। अतएव मुद्रा कोष स्वर्ण-मान के स्थायी विनिमय-दर के बदले सदस्य राष्ट्रों को विनिमय दर में व्यवस्थित-परिवर्तन की सुविधा प्रदान करता है। (The Fund substitutes for the gold standard's exchange rigidity, the principle of managed flexibility in the adjustment of exchange values of member currencies) कोष ने इस सम्बन्ध में पूर्ण हस्तक्षेप तथा पूर्ण स्वच्छन्दता के बीच के मार्ग का अनुसरण किया है। इस प्रकार की व्यवस्था कई कारणों से महत्त्वपूर्ण है। केवल व्यवस्थित परिवर्तनशीलता (Managed flexibility) के अन्तर्गत ही सदस्य-राष्ट्रों की आन्तरिक नीति के

1 एक डॉलर = 100 सेंट।

2 A member shall not propose a change in the par value of its currency except to correct a fundamental disequilibrium.

निर्धारण की स्वतन्त्रता रहती है। वास्तव में, इस प्रकार की स्वतन्त्रता राष्ट्रों को बहुपक्षीय मुग्तान समझौते के अन्तर्गत लाने के लिए प्रनिवार्य है क्योंकि आजकल सभी राष्ट्रों की मौद्रिक एवं आर्थिक नीति का उद्देश्य पूर्ण रोजगारी हो गया है।

मुद्रा-कोष एवं विनिमय-नियन्त्रण

(Monetary Fund and Exchange Control)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष का प्रधान उद्देश्य विनिमय-नियन्त्रण (Exchange Control) को समाप्त करना है। विनिमय-नियन्त्रण से विदेशी व्यापार का परिमाण कम हो जाता है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन का पूरा-पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता। अतएव कोष का एक प्रमुख उद्देश्य विनिमय-नियन्त्रण को समाप्त करना है, किन्तु निम्नांकित हालतों में यह विनिमय-नियन्त्रण को स्वीकार भी करता है :—

- (क) पूँजी के अत्यधिक एवं अनवरत प्रवाह (Large and excessive flow of Capital) को रोकने के लिए;
- (ख) किसी देश की मुद्रा के दुर्लभ होने पर; तथा
- (ग) संक्रमण काल (transitional period) में सदस्य राष्ट्र विनिमय-नियन्त्रण भी अपना सकते हैं।

किन्तु सदस्यों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे धीरे-धीरे विनिमय-नियन्त्रण को समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे।

मुद्रा-कोष के लेन-देन (Transactions of the Monetary Fund) :— मुद्रा-कोष का एक प्रमुख कार्य सदस्य-राष्ट्रों के मुग्तान-संतुलन के अस्थायी घाटे (temporary deficits) को पूरा करना है। दूसरे शब्दों में, कोष का उद्देश्य उन देशों को विदेशी मुद्रा देना है जिनके पास इनका अभाव हो। हम पहले ही देख चुके हैं कि प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को अपने अभ्यर्थ का एक भाग अपनी मुद्रा के रूप में चुकाना पड़ता है, अतएव कोष के पास सभी सदस्य राष्ट्रों की मुद्राओं की निधि रहती है। इससे कोई भी सदस्य-राष्ट्र अपनी मुद्रा देकर किसी दूसरे राष्ट्र की मुद्रा का क्रय कर सकता है। किन्तु कोई देश अपनी मुद्रा के अतिरिक्त परिमाण में दूसरी मुद्रा नहीं खरीद सकता। इसकी भी एक निश्चित सीमा होती है। कोई भी सदस्य राष्ट्र एक वर्ष में अपने अभ्यर्थ (Quota) के 25 प्रतिशत के बराबर ही विदेशी मुद्रा कोष से खरीद सकता है। यह सहायता अधिक-से-अधिक पाँच वर्ष के अल्पकाल के लिए ही दी जाती है। इस प्रकार किसी देश को कुल मिलाकर अधिक-से-अधिक अपने अभ्यर्थ का 125 प्रतिशत भाग तक विदेशी मुद्रा खरीदने का अधिकार है। किन्तु किसी भी समय कोष के पास किसी सदस्य राष्ट्र की मुद्रा उसके अभ्यर्थ के 200 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। सकट अथवा अधिक आवश्यकता के समय कोष इन शर्तों को छीता भी कर सकता है।

व्याज तथा ऋण शुल्क :— जब मुद्रा-कोष किसी सदस्य-राष्ट्र को इस प्रकार की सहायता की सुविधा प्रदान करता है तो वह साल की रकम पर 2 प्रतिशत सेवा व्यय (Service Charge) तथा एक निश्चित दर से व्याज भी लेता है। इस दृष्टिकोण से कि कोई सदस्य बिना आवश्यकता के बार-बार कोष से विदेशी मुद्रा नहीं खरीदे, इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है कि जैसे-जैसे मुद्रा-कोष का ऋण बढ़ते जाता है वैसे-वैसे ऋणी सदस्य को निरन्तर बढ़ती हुई दरों पर व्याज देना पड़ता है। व्याज की दर 2 प्रतिशत से 2½ प्रतिशत के बीच रहती है तथा ऋण के शीघ्र मुग्तान होने पर इसमें कमी भी की जाती है।

अल्प मुद्राएँ (Scarce Currencies)— जब किसी राष्ट्र को विदेशी व्यापार में घाटा होता है तो वह मुद्रा-कोष से दूसरे देश की मुद्रा खरीद कर अपने घाटे को पूरित करता है, किन्तु इसके फलस्वरूप कोष के पास घाटे वाले देश की मुद्रा (Deficit Currency) बढ़ती जाती है तथा बचत वाले देश की मुद्रा (Surplus Currency) घटती जाती है। जब किसी देश की मुद्रा का कोष के पास अभाव हो जाता है तो ऐसी स्थिति में मुद्रा-कोष निम्नांकित तरीकों को अपना सकता है :—

- (क) उस देश से स्वर्ण के बदले मुद्रा बेचने की सिफारिश कर सकता है,
 (ख) उस देश से ऋण की सिफारिश कर सकता है, किन्तु किसी सदस्य-राष्ट्र को ऋण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता,
 (ग) उस देश की मुद्रा को दुर्लभ (Scarce) घोषित कर सकता है एवं उसका वितरण अन्य राष्ट्रों में उनकी सापेक्षिक आवश्यकता के अनुसार कर सकता है, तथा
 (घ) कोष की अनुमति से किसी भी राष्ट्र को यह अधिकार दिया जा सकता है कि वह दुर्लभ मुद्रा वाले देश के साथ होनेवाले विनिमय पर नियंत्रण लगा सकता है।

इसके साथ ही बचत वाले देशों (Surplus countries) का भी कोष के प्रति निम्नलिखित उत्तरदायित्व है—(क) जब कोष किसी बचत वाली मुद्रा को दूसरे देश के हाथ बेचता है, तो बचत वाले देश का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह उन देशों के साथ अपनी वस्तुएँ तथा सेवाएँ बेचे, (ख) कोष से वह स्वर्ण खरीदने के लिए तैयार रहे, तथा (ग) उस देश की मुद्रा दुर्लभ हो जाने पर कोष तथा अन्य सदस्य-राष्ट्रों द्वारा अनायासे गये विनिमय-नियन्त्रण से उसे सहमत होना पड़ेगा।

कोष के साधनों की तरलता (Liquidity of the Fund's Resources)—मुद्रा-कोष सदा अपने साधनों को तरल बनाये रखने का प्रयत्न करता है। अतएव इस उद्देश्य से सदस्य-राष्ट्रों के हाथ दूसरी मुद्रा बेचने के समय कोष निम्नांकित बातों पर ध्यान देता है—

- (1) सदस्य राष्ट्र अपने विदेशी व्यापार के घाटे की पूर्ति के लिए ही विदेशी मुद्रा खरीदता है।
- (2) परिचलना (Speculation) के लिए कोष विदेशी मुद्रा नहीं बेचता, तथा
- (3) किसी देश के भूगतान-सन्तुलन में मौलिक असंतुलन होने पर भी उसके हाथ कोष विदेशी मुद्रा नहीं बेचता है क्योंकि ऐसा करने से उस स्थिति के स्थायी हो जाने की आशंका रहती है। साथ ही, जब घाटेवाले देश की मुद्रा (Deficit currency) कोष के पास अधिक हो जाती है तो उस देश को स्वर्ण अथवा परिवर्तनीय मुद्रा (Convertible Currency) देकर अपनी मुद्रा पुनः खरीदनी (Repurchase) पड़ती है। कोष के समझौते के अनुसार सदस्य राष्ट्र को प्रति वित्तीय वर्ष के अन्त में कोष के पास उस देश की मुद्रा में जो वृद्धि होती है, उसका आधा भाग स्वर्ण अथवा परिवर्तनीय मुद्रा के द्वारा पुनः खरीदना पड़ता है। इस प्रकार पुनः खरीदने की व्यवस्था से कोष अपने साधनों की तरलता को बनाये रखता है।

मुद्रा-कोष के कार्य

(Functions of the International Monetary Fund)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्नांकित कार्यों का सम्पादन करता है :—

1 **आर्थिक सहायता**—मुद्रा-कोष का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के भूगतान सन्तुलन की अस्थायी अव्यवस्था को दूर करना है। जब किसी देश का भूगतान सन्तुलन उसके विपक्ष में होता है तो मुद्रा-कोष द्वारा कुछ समय के लिए आवश्यक मुद्रा की व्यवस्था कर दी जाती है। मुद्रा कोष सदस्य देश को उसके केन्द्रीय बैंक के माध्यम से ही ऋण देता है। मुद्रा कोष किसी निजी व्यक्ति से लेन देन नहीं करता। एक उदाहरण द्वारा इसे अधिक स्पष्ट किया जा सकता है।

मान लीजिए, भारत को कॅनाडा में 10 लाख डॉलर चुकाने हैं और मुद्रा कोष यह राशि भारत सरकार को उधार देता है। अब बैंक ऑफ कॅनाडा (कॅनाडा के केन्द्रीय बैंक) में मुद्रा कोष के खाते में मान लिया कि 55 करोड़ डॉलर जमा है तो मुद्रा कोष भारत के रिजर्व बैंक को बैंक ऑफ कॅनाडा पर 10 लाख डॉलर तक चेक जारी करने का अधिकार दे देगा। रिजर्व बैंक इस चेक द्वारा कॅनाडा में सम्बन्धित व्यक्तियों को भूगतान कर देगा। इस चेक का भूगतान होने पर मुद्रा-कोष के खाते में कॅनाडा का 10 लाख डॉलर कम जायगा और भारत के रिजर्व बैंक स्थित खाते में 10 लाख डॉलर के बराबर रकम जमा हो जायगी।

मुद्रा कोप साधारणतः एक वर्ष में किसी देश के अन्वय के 25 प्रतिशत से अधिक का ऋण नहीं देता, परन्तु अब अन्वय के 50 प्रतिशत तक ऋण भी एक वर्ष में दिये जाते हैं और अत्यन्त गम्भीर आवश्यकता की स्थिति में इससे भी अधिक (अन्वय के शत प्रतिशत तक) ऋण देने की व्यवस्था की जा सकती है, किन्तु मुद्रा कोप केवल अस्थायी असंतुलन को ठीक करने के लिए ही ऋण देता है, अतः इसके ऋण अल्पकालीन होते हैं तथा इनकी अवधि अधिक से अधिक 3 से 5 वर्ष तक की होती है। वास्तव में, जब किसी देश के विनिमय-कोप समाप्त हो जायें या किसी अस्थायी कठिनाई के कारण वह विदेशी भुगतान करने में असमर्थ हो तब उसे मुद्रा-कोप से सहायता मागनी चाहिए और इस ऋण का भुगतान शीघ्रतापूर्वक करना चाहिए, क्योंकि मुद्रा कोप एक गतिशील कोष है (The I M F is a revolving fund), और इसकी पूंजी एक जगह अधिक दिनों तक जमा करके नहीं रखी जा सकती। मुद्रा-कोप की सहायता वास्तव में ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए है जिसकी सहायता से सदस्य देशों को अपनी व्यापारिक स्थिति सुधारने का समय मिल जाता है। दूसरे शब्दों में, "मुद्रा-कोप धाग बुझानेवाले ईंजन की तरह है जिसका प्रयोग केवल संकटकाल में किया जाना चाहिए।" (The Fund may be likened to a firebrigade the use of which is required only in an emergency)

इस प्रकार मुद्रा-कोप सामान्यतः अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। साथ ही, यह निम्नांकित परिस्थितियों में ही ऋण प्रदान करता है :—

(क) आर्थिक संकट की स्थिति में :— यदि किसी क्षेत्र में आकस्मिक आर्थिक अथवा राजनीतिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाय जिससे दूसरे देशों को भी हानि पहुँचने की आशंका हो तो मुद्रा-कोप तत्परता से ऋण की व्यवस्था कर देता है परन्तु सहायता देने से पहले इस बात का आश्चयन चाहता है कि संकटग्रस्त देश अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। इस प्रकार का उदाहरण स्वेज नहर से उत्पन्न आर्थिक संकट के कारण ब्रिटेन को दिया गया ऋण था। दिसम्बर, 1956 में जब ब्रिटिश सरकार ने 130 करोड़ डॉलर (अपने अन्वय के बराबर) ऋण की माँग की तो मुद्रा-कोप ने 561 करोड़ डॉलर का ऋण तत्काल प्रयोग करने तथा 739 करोड़ डॉलर आवश्यकता मढ़ने पर देने (Stand by agreement) की स्वीकृति दी। यदि ऋण नहीं दिया गया होता तो स्ट्रालिंग के मूल्य गिरने की सम्भावना थी जिससे ब्रिटेन के साथ साथ अन्य देशों को भी हानि उठानी पड़ती। साथ ही, ऋण की स्वीकृति से पहले ब्रिटिश सरकार ने अपनी ससद् तथा मुद्रा-कोप को भेजे गये स्मरण पत्रों में यह स्पष्ट कर दिया था कि देश की मुद्रा तथा साल-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए कुछ भी नहीं उठा रखा जायगा और आयात आदि पर कोई नियन्त्रण नहीं लगाय जायेंगे। इस सहायता का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और ब्रिटेन को व्यापार अथवा भुगतान असंतुलन में किसी विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। इस प्रकार की सहायता अन्य सदस्य राष्ट्रों को भी प्रदान की जाती है।

(ख) विनिमय-सम्बन्धी मौसमी कठिनाई (Seasonal exchange difficulties) — मुद्रा-कोप विनिमय-सम्बन्धी मौसमी या सामयिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी सहायता प्रदान करता है। वास्तव में, सप्ताह में कुछ देश ऐसे भी हैं जिनका निर्यात व्यापार मौसमी अथवा सामयिक होता है। ये देश प्रायः एक फसल पर निर्भर करते हैं और नयी फसल तैयार होने तक अथवा उसका भुगतान विदेशों से प्राप्त होने तक उन्हें भुगतान की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुद्रा-कोप ऐसे देशों को नियमित रूप में 6 से 12 माह के लिए ऋण देता और इसका भुगतान नियमित रूप में होते रहता है। कोप से इस प्रकार की सहायता पाने वाले देशों में क्यूबा एलमेंटेडोरो आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार मुद्रा-कोप आर्थिक तथा आकस्मिक या मौसमी संकट से छूटकारा दिलाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। अतः इसकी तुलना फायर ब्रिगेड या आग बुझाने वाले दमकल से की गयी है।

(ग) चालू भुगतान में असंतुलन — चालू भुगतान में असंतुलन की स्थिति को दूर करने के लिए भी मुद्रा-कोप सदस्य राष्ट्रों को सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार का असंतुलन उपभोग अथवा विकास की योजनाओं आदि में अधिक पूंजी व्यय करने के कारण उत्पन्न हो जाता

है। इन देशों की समस्या तो दीर्घकालीन होती है, परन्तु दीर्घकालीन ऋण मिलने में कभी-कभी देर हो जाती है, अतः इस अवधि में विकास की योजनाओं का क्रम न रूके इसलिए मुद्रा-कोष से अस्थायी सहायता लेने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में कोष की सहायता सूखती हुई कृषि के लिए भ्रूत के समान कार्य करती है। मुद्रा-कोष द्वारा इस प्रकार की सहायता अर्जेंटीना, डेनमार्क, फ्रांस, भारत, जापान, हॉलैंड तथा कनाडा आदि देशों को दी गयी है।

(घ) स्थायित्व ऋण :—कभी-कभी कुछ देशों की आर्थिक स्थिति में बिपन्नता आने के कारण वे बहुत-सी विनियम-दरें अपना लेते हैं। ऐसा भुगतान सतुलन की स्थिति ठीक रखने के लिए किया जाता है परन्तु इससे इन देशों को व्यापार तथा भुगतान में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः जब उन देशों की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होने लगता है तो वे मुद्रा-कोष से अस्थायी ऋण लेकर तत्काल एक समता दर अपनायन की चेष्टा करते हैं। मुद्रा-कोष का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य सब देशों के भुगतान के लिए प्रत्येक देश की समता दर स्थापित करना है। अतः कोष इस नीति का पालन करने के लिए सम्बन्धित देशों को तत्काल ऋण देता है। गत वर्षों में इजरायल, कोस्टारिका आदि देशों ने मुद्रा कोष की सहायता से विभिन्न प्रकार की विनियम दरों का परित्याग कर एक समता दर अपना ली है।

2. प्राविधिक सहायता (Technical Assistance) :—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष का दूसरा प्रधान कार्य सदस्य-राष्ट्रों को प्राविधिक सहायता प्रदान करना है। कोष वाणिज्यतन्त्र स्थित अपने प्रधान कार्यालय तथा अन्य देशों से अपने प्रतिनिधि को भेजकर आर्थिक नीतियों के सम्बन्ध में सहायता देने की व्यवस्था भी करता है। यह सहायता सामान्य भुगतान सतुलन की समस्या से लेकर आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्र की किसी भी विशेष समस्या के विषय में हो सकती है। कुछ देशों में केन्द्रीय बैंकों की स्थापना तथा उनके विभिन्न विभागों की व्यवस्था मुद्रा-कोष के सहयोग से ही की जा सकी है। इन कार्यों के लिए मुद्रा-कोष के विशेषज्ञों को एक सप्ताह से लेकर एक वर्ष तक सम्बन्धित देशों में रहना पड़ा है।

3. शिक्षण-सम्बन्धी सुविधाएँ (Training facilities) :—1951 ई० से मुद्रा-कोष सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी कर रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान, आर्थिक विकास और वित्तीय व्यवस्था तथा सांख्यिकी और उसके विश्लेषण से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रायः केन्द्रीय बैंकों तथा सरकार के वित्त विभाग के उच्च पदाधिकारियों के लिए होते हैं। कोष के प्रशिक्षण-सम्बन्धी कार्यों के विस्तार एवं विकास के लिए मई, 1964 में एक प्रशिक्षणालय स्थापित किया गया था। यह विभिन्न मापात्रों में वित्तीय नीति के विरलेक्षण से सम्बन्धित प्रशिक्षण का कार्यक्रम संचालित करता है।

4. विदेशी विनियम नियन्त्रण सम्बन्धी परामर्श (Advice pertaining to Exchange Control) :—मुद्रा-कोष के अधिकारियों द्वारा विकासशील देशों को विदेशी विनियम सम्बन्धी मामलों में उचित सलाह देने की व्यवस्था है। विदेशी विनियम-सम्बन्धी सलाह देते समय प्रायः मुद्रा तथा वित्तीय नीतियों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श होता है और उनमें सुधार करने का अवसर मिलता है।

5. मुद्रा-कोष के प्रकाशन :—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष समय-समय पर विभिन्न प्रकार के विवरण प्रकाशित करता है। इनमें वार्षिक रिपोर्ट, विदेशी विनियम-नियन्त्रण सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्ट भुगतान सतुलन वार्षिक, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त समक (मासिक), व्यापार की दिशा (मासिक), वित्त एवं विकास (त्रैमासिक), तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय समाचार सर्वेक्षण (साप्ताहिक) आदि उल्लेखनीय हैं जिनमें विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा शोधकर्ताओं एवं सरकारी कार्यालयों के लिए अत्यन्त मूल्यवान सामग्रियाँ मिलती हैं। मुद्रा-कोष के स्टॉफ पेपर्स में अत्यन्त उच्चस्तरीय लेख प्रकाशित होते हैं।

1. मुद्रा-कोष के निम्नांकित प्रकाशन उल्लेखनीय हैं—Annual Report, Annual Report on Exchange Restriction, Balance of Payment, Year Book, International Financial News Survey (weekly), International Financial Statistics (monthly), Direction of Trade (monthly), Finance and Development (Quarterly) and Staff Papers (Thrice a Year.)

मुद्रा कोष के वास्तविक कार्य — कोष ने 1 मार्च, 1947 से अपनी कार्यवाही प्रारम्भ की। विगत प्रायः 28 वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष ने भिन्न-भिन्न सदस्य राष्ट्रों को आवश्यकतानुसार अल्पकालीन ऋण प्रदान कर उनके भुगतान शेषों के अस्थायी सतुलन की ठीक करके अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग तथा विदेशी व्यापार के सतुलित विकास को प्रोत्साहित किया है। 1965-66 तक कोष ने विभिन्न राष्ट्रों को कुल 1223 करोड़ डॉलर ऋण के रूप में दिया था। इसके अनिश्चित ऋण सहायता समझौते (Stand-by agreements) के अन्तर्गत कोष सदस्य-राष्ट्रों को आवश्यकता पड़ने पर निश्चित मात्रा में रकम निकालने की सुविधा प्रदान करता है। 1964 में कोष ने सदस्य राष्ट्रों से 2159 करोड़ डॉलर का ऋण सहायता समझौता किया था। कोष के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप द्विपक्षीय समझौते की मात्रा में भारी कमी हो गयी है। कोष ने विनिमय-नियन्त्रण की प्रथा को भी हतोत्साहित किया है। साथ ही, मुद्रा-कोष के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप आये से अधिक सदस्य-देशों की मुद्राएँ एक-दूसरे में परिवर्तनीय हो गयी हैं। इसने विदेशी विनिमय में व्याप्त अस्त-व्यस्तता को भी समाप्त किया है। 1964-65 ई० में सदस्य-राष्ट्रों ने अपने विदेशी भुगतान-सम्बन्धी उत-उदात्तियों को पूरा करने के लिए मुद्रा-कोष से कुल केवल 1897 करोड़ डॉलर की मुद्रा खरीदी थी, जब कि 19०2-63 ई० में 2243 करोड़ डॉलर की मुद्रा खरीदनी पड़ी थी। इसमें स्पष्ट है कि अब सदस्य-देशों के भुगतान शेषों के अस्तुलन की समस्या धीरे-धीरे समाप्त हो रही है। इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि मुद्रा-कोष ने सदस्य देशों में मौद्रिक अनुशासन की भावना, जो अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए परमावश्यक है, को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की आलोचनात्मक समीक्षा

(A Critical Appraisal of the International Monetary Fund)

इस प्रकार मुद्रा-कोष अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाण स्थापित करने का प्रयास है। यह पूर्ण स्वतन्त्र विनिमय-दर एव अत्यधिक विनिमय नियन्त्रण दोनों के बीच का मार्ग है। दूसरे शब्दों में "कोष एक मिश्रित प्रमाण (Mixed standard) है जिसमें स्वर्ण-माप एव पत्र मुद्रा मान दोनों की विशेषताएँ वर्तमान हैं।" (In other words, the Fund is a mixed standard embodying within itself some features of both the gold standard and the paper standard) लार्ड केन्स (Keynes) ने शब्दों में ही यह एक अच्छी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा स्थापित करने का प्रयास है। अपने जीवन काल के 28 वर्षों में कोष की कार्यवाही पर्याप्त मात्रा में सतोपजनक भी रही है।

किन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि मुद्रा-कोष पूर्णतः दोष मुक्त है। मिश्रित प्रमाण होने का अर्थ ही है कि यह दो परस्पर-विरोधी धारणाओं के बीच एक प्रकार का समझौता है, अतएव यह दोनों में से किसी को भी पूर्णतः सतुष्ट नहीं कर सकता। मुद्रा-कोष को अपने इस छोटे से कार्य-काल में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है तथा यह विभिन्न आलोचनाओं का शिकार भी हुआ है।

हम देख चुके हैं कि कोष का प्रयत्न उद्देश्य विनिमय-स्थायित्व को प्रोत्साहित करना तथा सदस्य राष्ट्रों के बीच नियमित विनिमय-व्यवस्था को कायम रखना है। इस उद्देश्य की पूर्ति में कोष की प्रारम्भ में दो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है — (क) सदस्य-राष्ट्रों की मुद्राओं की प्रारम्भिक समता दर को निश्चित करना, तथा (ख) अन्तर्राष्ट्रीय सतुलन को कायम करने के लिए उनकी मुद्राओं की विनिमय दर में समय-समय पर परिवर्तन करना। प्रारम्भिक विनिमय की जो दर तय की गयी थी वह अचिकाय देशों के लिए वही थी जो 1939 ई० में प्रचलित थी। किन्तु युद्ध काल से मूल्य-तल में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी, अतएव अचिकाय देशों की प्रारम्भिक विनिमय दर दीर्घकालीन सतुलन दर में भिन्न होने के कारण असतोपजनक थी। किन्तु मुद्रा-कोष इस बात से पूर्णतः परिचित था कि युद्धोत्तर काल में किसी देश का निर्यात व्यापार सामान्य मूल्य तल में नहीं, बरन् उसकी उत्पादन शक्ति से निर्धारित होगा। अतएव कोष द्वारा निर्यात प्रारम्भिक विनिमय-दर व्यावहारिक थी न कि सैद्धान्तिक। साथ ही, विनिमय दरों में आवश्यकता-नुसार परिवर्तन की भी व्यवस्था थी। किसी देश की वर्तमान विनिमय-दर से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

में कोई कठिनाई उपस्थित होने पर उसमें परिवर्तन किया जा सकता था। वास्तव में, प्रारम्भिक विनिमय दर शीघ्र ही असन्तोषजनक सिद्ध होने लगी, अतः सितम्बर 1949 ई० में कोष की अनुमति से ब्रिटेन एवं स्टर्लिंग क्षेत्र के कई अन्य देशों ने अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन किया। किन्तु इन सारी कठिनाइयों के बावजूद उक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोष बहुत हद तक सफल रहा है।

मुद्रा-कोष ने सदस्य राष्ट्रों को उनके मुग्तान-सन्तुलन के अस्थायी घाटे सुधारने में भी पर्याप्त सहायता प्रदान की है। युद्ध से अन्वयस्थित अधिकांश यूरोपीय देशों ने आर्थिक पुनर्निर्माण में यूरोपीय रिजर्वरी प्लान के अन्तर्गत उनके डॉलर की कमी को पूरा करने में कोष ने भी बहुत अधिक सहायता की। भारत तथा अन्य एशियाई देशों को भी कोष से पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई। 21 अक्टूबर, 1964 ई० तक कोष ने प्रायः 789 करोड़ डॉलर विदेशी मुद्रा का विक्रय किया था है। यह डॉलर की मांग को देखते हुए निश्चय ही अपर्याप्त है, किन्तु मुद्रा कोष की सफलता को केवल इसी आधार पर नहीं देखा जा सकता। मुद्रा-कोष की वास्तविक सफलता इस बात में है कि इसने युद्धोत्तर काल में अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग स्थापित करने में बहुत अधिक योगदान दिया है।

कोष का एक प्रमुख उद्देश्य विनिमय नियन्त्रण को समाप्त कर बहुपक्षी मुग्तान की व्यवस्था (Multilateral System of Payment) कायम करना है। विदेशी व्यापार के विस्तार के लिए विनिमय-नियन्त्रण को समाप्त करना अनिवार्य है, फिर भी कुछ-विशेष-परिस्थितियों एवं संक्रमण काल (Transitional period) में किसी राष्ट्र को विनिमय-नियन्त्रण की अनुमति दी जा सकती है। किन्तु कोष अपने इस उद्देश्य की पूर्ति में पूर्णतः सफल नहीं रहा है। इसके बहुत से कारण हैं जिनमें डॉलर का अभाव, शीत युद्ध (cold war) तथा योजनाबद्ध तरीके से आर्थिक विकास की नीति आदि की प्रधानता है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर भी कई बातों को लेकर आलोचना की जाती है जिनमें कुछ प्रमुख निम्न प्रकार से हैं :-

(1) कोष का कार्य-क्षेत्र सीमित है (Scope of the functions of the Fund is limited) — कोष की योजना के अनुसार कोष केवल चालू लेन-देन (Current transaction) से सम्बन्धित विदेशी विनिमय की समस्याओं के समाधान को ही प्रयत्न करेगा। इसके फलस्वरूप युद्ध सम्बन्धी ऋण (war-debts) तथा पूँजी के आयात एवं निर्यात आदि से सम्बन्धित मुग्तान के लिए राष्ट्रों को कोष से कोई सहायता नहीं प्राप्त होगी। इससे कोष की उपयोगिता निस्संदेह कम हो जाती है। किन्तु यह आलोचना उचित नहीं जान पड़ती क्योंकि कोष की स्थापना युद्ध जैसी असाधारण परिस्थितियों के लिए नहीं की गयी थी। यदि कोष से इस प्रकार की आशा की जाती तो वह प्रारम्भ में ही समाप्त हो गया रहता।

(2) विभिन्न राष्ट्रों के अन्धरा किसी उचित एवं वैज्ञानिक आधार पर निश्चित नहीं किये गये हैं :- अन्धरा के आधार पर ही कोष से प्राप्त होनेवाले लाभ को अधिकतम सीमा निर्धारित होती है तथा सदस्यों का मन तय किया जाता है, अतः इसके निर्धारण में किसी सर्वमान्य सिद्धांत से बांध लेना चाहिए था, किन्तु ऐसा नहीं किया गया।

(3) डॉलर के अभाव से कोष को सुचारु रूप में कार्य करने में कठिनाई होती है। — प्रो० विलियमस के अनुसार डॉलर के अभाव के फलस्वरूप सम्पूर्ण कोष की योजना समाप्त हो जायगी। इनके अनुसार अमेरिका में निर्यात के लिए तो लोगों को कोष से डॉलर प्राप्त हो जायगा, किन्तु अमेरिका के आयात करनेवालों द्वारा दिया गया डॉलर कोष के पास न पहुँचकर निर्यात देशों के पास जमा होता जायगा। इसमें डॉलर की कमी में वृद्धि होगी। किन्तु यह आलोचना भी उचित नहीं है क्योंकि डॉलर अथवा किसी अन्य देश की मुद्रा को रोकने के लिए कोष की योजना में पुनः क्रय (Re purchase) एवं राफ़निंग आदि की व्यवस्था भी की गयी है।

(4) विभिन्न मुद्राओं की विनिमय-दर के निर्धारण को लेकर भी कोष की आलोचना की जाती है। इस सम्बन्ध में प्रो० सम्युलसन (Samuelson) का यह कहना है कि प्रारम्भ में

अधिकांश राष्ट्रों की मुद्राओं की जो विनिमय-दर निश्चित की गयी थी उनमें बाधे राष्ट्रों की दर वही थी जो 1939 ई० में प्रचलित थी। किन्तु इस बीच युद्ध काल में मूल्य-तन में 400% से 800% तक की वृद्धि हुई थी। मेज़लर (Metzler) के अनुसार भी बहुत-सी मुद्राओं की विनिमय दर सभावित दीर्घकालीन सतुलन दर (Long period equilibrium rate) से अधिक थी।

(5) विनिमय-नियन्त्रणों को हटाने में अक्षमर्थता — अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष का प्रमुख उद्देश्य विदेशी व्यापार पर लगाये गये प्रतिबन्धों तथा विनिमय-नियन्त्रणों को हटाना था, परन्तु दुर्भाग्यवश उसे इस उद्देश्य में सफलता नहीं मिली है तथा आज भी अमेरिका जैसे देश संरक्षण की नीति को अपनाये हुए है।

(6) कोष के नियम कम विकसित देशों के लिए प्रतिकूल हैं :— अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष मुक्त व्यापार, बहुपक्षीय मुग्तान प्रणाली एवं स्वतन्त्र मुद्रा विनिमय आदि उद्देश्यों पर अधिक जोर देता है जो विकसित देशों के लिए अधिक लाभपूर्ण हैं, परन्तु कम विकसित देशों के लिये ये सामान्यतः अहितकर भी हो सकते हैं।

(7) विनिमय दरों में अस्थिरता — अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विनिमय दरों में स्थिरता लाना था, परन्तु कोष को विभिन्न देशों की मुद्राओं के बीच समता दर (विनिमय दरें) बनाये रखने में पर्याप्त सफलता नहीं मिली है। वास्तव में, कोष द्वारा निर्धारित समता-दरों वास्तविक आधार पर निर्धारित नहीं की गयी हैं। यही कारण है कि जब कि 7 50 रु० का एक डॉलर या 21 रुपये का एक पौण्ड मिलना चाहिए बाजार में एक डॉलर के लिए 10 से 15 रुपये और एक पौण्ड के लिए 25 रुपये से 30 रुपये तक देना पड़ता है। यदि समता दरें वास्तविक आधार पर एवं शष्ट नियमों के अनुरूप निश्चित की गयी होती तो इस प्रकार की अनियमितता समाप्त हो जाती और पिछड़े तथा अर्द्ध विकसित राष्ट्रों को भी पर्याप्त राहत मिलती।

(8) अर्द्ध-विकसित देशों को कम सहायता — मुद्रा-कोष में अर्द्ध-विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में सहायता नहीं मिल पाई है। फलतः इन देशों का मुग्तान सन्तुलन इनके विपरीत रहा है और गरीब तथा अमीर राष्ट्रों के बीच की खाई बढती ही जा रही है। इस खाई को पाटने के लिये विकासोन्मुख राष्ट्रों को पर्याप्त सहायता दी जानी चाहिए। यह सहायता समय-समय पर कम व्याज पर अधिक ऋण तथा प्राविधिक सहायता के रूप में उपलब्ध करायी जा सकती है।

इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की बहुत सारी आलोचनाएँ की जाती हैं किन्तु इन आलोचनाओं के बावजूद यह मानना पड़ेगा कि "मुद्रा कोष अन्तर्राष्ट्रीय मुग्तान में सहायता देने और विनिमय दरों में स्थिरता कायम रखने तथा मौद्रिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं अनुशासन पैदा करने में महत्त्वपूर्ण योगदान कर रहा है, और मुद्रा-कोष का विश्व के देशों के लिए वही महत्त्व है जो एक केंद्रीय बैंक का किसी देश की बैंकिंग एवं मौद्रिक व्यवस्था के लिये होता है।"

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष में स्वर्ण का स्थान

(Position of Gold in the I M F)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की योजना में स्वर्ण की बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्रो० हॉम (George N Halm) के अनुसार, 'स्वर्ण मुद्रा-कोष के अत्यधिक तरल साधन तथा सदस्य देशों की मुद्राओं की सामान्य इकाई के रूप में महत्त्वपूर्ण कार्य करता है।' (Gold plays an important part in its role as the Funds' most liquid asset and as a common anchorage for the member currencies)

मुद्रा-कोष की कार्यवाही में स्वर्ण का महत्त्व निम्नांकित विवरण से स्पष्ट होता है —

- (1) सदस्य-राष्ट्रों की मुद्राओं की प्रारम्भिक विनिमय-दर (Initial par value) स्वर्ण के रूप में ही निश्चित की जाती है। इस प्रकार स्वर्ण एक सामान्य इकाई (Common denominator) का कार्य करता है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को कोष द्वारा निर्धारित दर पर ही स्वर्ण खरीदना अथवा बेचना पड़ता है।
- (2) सदस्य-राष्ट्रों को अपने अन्वयश (Quota) का एक निश्चित भाग स्वर्ण के रूप में जमा करना पड़ता है। कोष की योजना के अनुसार प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र को अपने अन्वयश का 25 प्रतिशत अथवा अपने कुल स्वर्ण एवं अमेरिकी डॉलर निधि का 10 प्रतिशत भाग, जो भी कम हो, स्वर्ण के रूप में जमा करना पड़ता है।
- (3) मुद्रा-कोष की योजना के अनुसार घाटे वाले देश (deficit countries) स्वर्ण देकर विदेशी मुद्रा खरीद सकते हैं तथा कोष स्वर्ण देकर बचत वाले देश (surplus countries) से उनकी मुद्रा खरीद सकता है।

इस प्रकार मुद्रा कोष में स्वर्ण की महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वास्तव में, स्वर्ण मुद्रा-कोष का सबसे अधिक नरल साधन है। प्रो० एच० कुड्ल अर्थशास्त्रियों ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष को रक्षण-मान का पुनर्स्थापन घतलाया है। उदाहरण के लिए, प्रो० विलियम्स के अनुसार मुद्रा कोष एवं स्वर्ण मान में अन्तर नहीं है। इनकी राय में मुद्रा-कोष की योजना में घाटे वाले देश (deficit country) की स्थिति स्वर्ण खोने वाले देश (gold losing country) की तरह होती है तथा बचत वाले देश (surplus country) की स्थिति स्वर्ण प्राप्त करने वाले देश (gold receiving country) की तरह होती है। प्रो० विलियम्स के अनुसार कोष के साथ लेन देन का प्रभाव किसी देश पर ठीक उसी प्रकार से पड़ता है जिस तरह स्वर्ण प्रमाप में स्वर्ण गमनागमन (gold movements) का प्रभाव पड़ता था। किन्तु ऐसा कहना युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता क्योंकि स्वर्ण प्रमाप के अन्तर्गत स्वर्ण प्राप्त वाले देश को साक्ष का विस्तार एवं स्वर्ण खोने वाले देश को साक्ष का संकुचन अनिवाद्य रूप से करना पड़ता था। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष किसी सदस्य को ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

स्वर्ण प्रमाप एवं मुद्रा कोष में अन्तर (Distinction between Gold Standard & I M F) — अतएव मुद्रा-कोष एवं स्वर्ण प्रमाप की कार्य प्रणाली में कुछ आमूल अन्तर भी हैं। सम्भव इसीलिए सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री लाड केन्स ने "मुद्रा-कोष को स्वर्ण मान के ठीक विपरीत कहा है।" (The fund proposals are exactly opposite of the gold standard) इस सम्बन्ध में 23 मई, 1944 ई० को House of Lords में अपने व्याख्यान के सिलसिले में लाड केन्स (Keynes) ने कहा था कि स्वर्ण मान प्रणाली में देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य (external value) पूरतया स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा से बंधा होता है। इस मूल्य में केवल प्रयानशक्ति की अनुमति से ही परिवर्तन किया जा सकता है। स्वर्ण मान में देश को एक ऐसी कठोर वित्तीय नीति वा सामना करना पड़ता है जिसके अन्तर्गत देश की मुद्रा के आन्तरिक मूल्य को इसके बाह्य मूल्य के समकक्ष रखना पड़ता है। इसके विपरीत स्वर्ण को केवल एक ऐसे सामान्य मापक के रूप में उपयोग करना जिसके द्वारा भिन्न-भिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं का सापक्ष मूल्य, जिसमें बिना किसी प्रकार की कठिनाई के समय-समय में परिवर्तन किया जा सकता है, निश्चित नियंत्रण है स्वर्ण मान से विल्कुल भिन्न है। कोष की योजना में देश की मुद्रा के आन्तरिक मूल्य में इसके बाह्य मूल्य के अनुसार परिवर्तन होने के स्थान पर इसके बाह्य मूल्य में इसके आन्तरिक मूल्य के अनुसार परिवर्तन किये जाते हैं। वास्तव में, कोष का यह वक्तव्य है कि यह सदस्य राष्ट्रों की मुद्राओं के बाह्य मूल्यों (समता मूल्यों) में नियमित रूप से परिवर्तन को स्वीकार करे। स्वर्ण मान में देश की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था को स्वर्ण मान की अविश्वसनीय दशा पर आश्रित होना पड़ता था। परन्तु कोष योजना में प्रत्येक सदस्य देश की सरकार को उचित प्रकार की मॉडिक तथा आर्थिक नीतियों द्वारा देश की अर्थ व्यवस्था में सुधार करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार, कोष की योजना में अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के

आधार पर एक ऐसी नयी प्रणाली का निर्माण किया गया है जो स्वर्ण मान की पुरानी दूषित प्रणाली से कोसों दूर है।¹

वास्तव में, स्वर्ण-प्रमाण एवं मुद्रा कोष में निम्नांकित प्रधान अन्तर हैं—

(क) अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान का प्रधान उद्देश्य विनिमय दर को स्थायी बनाना है जो स्वर्ण के आयात एवं निर्यात के द्वारा कायम किया जाता है। मुद्रा कोष का प्रधान उद्देश्य भी विनिमय दर का स्थायित्व है, किन्तु इसके अन्तर्गत किसी सदस्य राष्ट्र के भुगतान सतुलन में किसी प्रकार के मौलिक असतुलन का सुधारने के लिए विनिमय दर में व्यवस्थित तरीके से परिवर्तन भी किया जाता है किन्तु स्वर्ण मान में ऐसा सम्भव नहीं था।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान में कोई भी देश स्वतन्त्र आन्तरिक आर्थिक नीति का अनुसरण नहीं कर सकता था। इसमें विनिमय दर को स्थायी बनाने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को अपनी आर्थिक स्थिति एवं मूल्य तल को अन्य देशों के समान रखना पड़ता था। किन्तु मुद्रा कोष के अन्तर्गत प्रत्येक देश अपनी आन्तरिक आर्थिक नीति के सम्बन्ध में स्वतन्त्र रहता है। इस प्रकार यह विनिमय स्थायित्व के साथ साथ आर्थिक स्थायित्व का सामंजस्य करता है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान में प्रत्येक देश की विनिमय दर बिल्कुल स्थायी होती थी, किन्तु मुद्रा कोष में कोई राष्ट्र कोष की अनुमति से अपनी मुद्रा की विनिमय दर में एक सीमा के अन्तर्गत परिवर्तन भी कर सकता है। इस प्रकार कोष की योजना में व्यवस्थित लोचपूर्णाता का समावेश है जिसका स्वर्ण-प्रमाण में त्रिकुण्य अभाव था।

अतएव अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में स्वर्ण का स्थान महत्वपूर्ण होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि यह स्वर्ण के पुनर्स्थापन का प्रयास है। वास्तव में, मुद्रा-कोष की व्यवस्था में स्वर्ण का स्थान बफादार सेवक की तरह है व कि युद्ध के पूर्व के अनाचारी स्वामी की तरह।

भारत एवं मुद्रा-कोष

(India and the I M F)

भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I M F) का प्रारम्भ से ही एक सदस्य है। रुपये की प्रारम्भिक समता दर प्रारम्भ में 0 269601 ग्राम या 30 225 सेंट निश्चित की गयी थी। सितम्बर 1949 में भारतीय रुपये के अदमूल्यन के बाद यह दर 0 186621 ग्राम स्वर्ण अथवा 21 सेंट हो गयी। पुन जून, 1966 में अदमूल्यन के पश्चात् यह दर 0 118489 ग्राम शुद्ध स्वर्ण अथवा 13.33 सेंट हो गयी।

कोष की सदस्यता से भारत विशेष रूप से लाभान्वित हुआ है। सितम्बर, 1949 ई० में भारतीय रुपये के अदमूल्यन (devaluation) के पूर्व तक भारत को इससे 90 मिलियन डालर

1. 'The gold standard as I understand it, means a system under which the external value of a national currency is rigidly tied to a fixed quantity of gold which can only honourably be broken under *force majeure* and it involves a financial policy which compels the internal value of the domestic currency to conform to this external value as fixed in terms of gold. On the other hand, the use of gold merely as a convenient common denominator by means of which the relative value of national currencies—these being free to change—are expressed from time to time is obviously quite another matter instead of maintaining the principle that the internal value of a national currency should conform to a prescribed *de jure* external value, it provides that the external value should be altered if necessary so as to conform to whatever *de facto* internal value results from domestic policies which themselves shall be immune from criticism by the fund. Indeed, it is the duty of the fund to approve changes which will have this effect. That is why it is said that these proposals are the exact opposite of the gold standard. They lay down by international agreement the essence of the new doctrine far removed from the old orthodox. Reproduced from the New Economic edited by S E Harris, p 376

की सहायता इसके भुगतान-संतुलन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्राप्त हुई थी। जब 1952 ई० में भुगतान संतुलन की विपक्षता बहुत बढ़ गयी तो पुनः कोप से भारत को सहायता प्राप्त हुई। पुनः द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष से ही भारत को विदेशी विनिमय की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिसके चलते द्वितीय योजना के लक्ष्यों एवं कार्यक्रमों को दुहराने की आवश्यकता पड़ी। इस कठिनाई को दूर करने के लिए भी भारत ने मुद्रा-कोप से पुनः सहायता की मांग की जिसके परिणामस्वरूप 200 मिलियन डॉलर, यानी लगभग 952 करोड़ रुपये के रूप में सहायता कोप से प्राप्त हुई। प्रश्न यह है कि कोप से और अधिक सहायता पाने की सम्भावना है? कोप के अनुसार कोई भी सदस्य राष्ट्र एक वर्ष में अपने अम्यश (quota) के 25 प्रतिशत के बराबर विदेशी मुद्रा का क्रय कर सकता है। किन्तु किसी भी समय कोप के पास किसी सदस्य राष्ट्र की मुद्रा के 200 प्रतिशत से अधिक नहीं जमा होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि कोई देश अपने कोटा तथा स्वर्ण के हिस्से (Gold contribution) से आधिक्य अन्तर्-नालीन ऋण कोप से नहीं प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार भारत के लिए कोप से अधिकतम सहायता की सीमा इसका हिस्सा 400 मिलियन डॉलर तथा स्वर्ण का जमा 27 मिलियन डॉलर, यानी 427 मिलियन डॉलर से अधिक नहीं हो सकती। (प्राचीन कोटे के आधार पर) इसमें से भारत के पहले ही 1957 ई० तक 100 मिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा का क्रय किया था। इसका अर्थ यह है कि भारत को अब केवल 227 मिलियन डॉलर, यानी प्रायः 108 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता प्राप्त हो सकती है। किन्तु 1958 ई० में दिल्ली में कोप एवं बैंक की जो बैठक हुई थी उसके अनुसार कोप के साधनों में 50 प्रतिशत और अधिक वृद्धि की गयी जिसका 25 प्रतिशत मात्र सदस्य-राष्ट्रों को स्वर्ण में चुकाना है। इस प्रकार भारत ने अपने हिस्से में 200 मिलियन डॉलर और चुकाया है जिसका एक-चौथाई भाग स्वर्ण के रूप में चुकाया गया है। कोप के साधनों में इस वृद्धि के फलस्वरूप भारत कोप से और अधिक मात्रा में ऋण प्राप्त कर सकता है। तृतीय योजना का तो कोप के साथ एक समझौता हुआ जिसके अनुसार जुलाई 1962 ई० से जून, 1966 ई० के बीच कोप ने भारत को 100 करोड़ डॉलर विदेशी मुद्रा के रूप में चुकाने का वादा किया था। पुनः 1970 ई० के बाद कोप के साधनों में और वृद्धि से भारत को कोप से प्राप्त सहायता में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है।

1970 में भारत को SDR के रूप में 12.6 करोड़ डॉलर प्राप्त हुआ था जिसमें 8.4 करोड़ डॉलर का प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप के पुराने ऋण आदि के भुगतान में किया गया तथा शेष 4.2 करोड़ डॉलर को इसके सुरक्षित कोप में जमा कर दिया गया।

इतना ही नहीं, समय-समय पर कोप से भारत को मौद्रिक एवं आर्थिक मामलों में उचित परामर्श भी प्राप्त हुआ है। उदाहरण के लिए, प्रथम योजना काल में Bernstein Mission ने भारत का दौरा किया था तथा इस बात की जाँच की कि किस तरह घाट की वित्त व्यवस्था की नीति के साथ-साथ मौद्रिक स्थायित्व कायम किया जा सकता है। इसी प्रकार द्वितीय योजना काल में कोप के कुछ विशेषज्ञों ने भारत की मौद्रिक स्थिति की जाँच कर उचित परामर्श दिया था।

इस प्रकार भारत मुद्रा-कोप की सदस्यता से बहुत ही लाभान्वित हुआ है तथा भविष्य में इससे और अधिक लाभान्वित होने की आशा की जाती है।

मुद्रा-कोप एवं अन्तर्राष्ट्रीय तरलता (I. M. F and the International Liquidity) — अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप तरलता की व्यवस्था करने वाली संस्था है। वास्तव में, मुद्रा कोप की स्थापना का प्रयत्न उद्देश्य स्वर्ण तथा सदस्य राष्ट्रों की मुद्रा को एक स्थान में एकत्र करना है जिसका प्रयोग सदस्य राष्ट्रों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है। कोप के साधन वर्तमान समय में 2813 करोड़ डॉलर हैं। इससे प्रतिरिक्त कोप आवश्यकता पड़ने पर समय-समय पर विभिन्न सदस्य राष्ट्रों से कर्ज भी लेता है। इस वजह से कोप पर साधनों के कारण मुद्रा-कोप विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय तरलता का सर्वाधिक प्रदान साधन है। मुद्रा-कोप दो प्रकार की तरलता प्रदान करता है—प्रथम प्रकार की तरलता का सम्बन्ध उस मात्रा से है जिसका प्रयोग सदस्य राष्ट्र अपनी आवश्यकतानुसार कर सकते हैं। इसे 'unconditional liquidity'

कहते हैं ।। द्वितीय प्रकार की तरलता का सम्बन्ध उस रकम से है जिसका प्रयोग सदस्य देश कुछ शर्तों के अन्तर्गत ही कर सकते हैं । इसे शर्त की तरलता (conditional liquidity) कहते हैं । वर्तमान समय में मुद्रा-कोष के द्वारा प्रदान की गयी unconditional liquidity की मात्रा 600 करोड़ डॉलर तथा conditional liquidity की मात्रा लगभग 1600 करोड़ डॉलर है ।

विशेष अध्ययन-सूची

- | | |
|-------------|---|
| 1. Halm | : Monetary Theory, Chapter, 13 |
| 2. Williams | : Post-war Monetary Plans and Other Essays. |
| 3. Halm | : Economics of Money and Banking, |
| 4. I. M. F. | : Annual Reports and Staff Papers |

अध्याय : 38

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकासार्थ बैंक

(The International Bank For Reconstruction
And Development)

प्राक्कथन—अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकासार्थ बैंक, जिसे साधारणतया विश्व-बैंक (World Bank) भी कहा जाता है, को स्थापना ब्रेटनवुड्स सम्मेलन (Brettonwoods Conference) के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष को एक पूरक सस्था के रूप में हुई थी। इसका प्रधान उद्देश्य दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी के विनियोग को प्रोत्साहित करना है। मुद्रा-कोष इस कार्य को नहीं कर सकता क्योंकि दीर्घकालीन विनियोग से इसके साधन तरल नहीं रह सकेंगे। सम्मेलन में यह अनुभव किया गया था कि युद्ध के बाद आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए दीर्घकालीन पूँजी के विनियोग की बहुत बड़ी आवश्यकता होगी। यदि सदस्य राष्ट्रों को दीर्घकालीन पूँजी की सुविधा प्रदान नहीं की जायगी तो वे सम्भवतः कोष द्वारा दी गयी आर्थिक सहायता का दीर्घकालीन कार्यों में दुरुपयोग करने लगेंगे। निजी पूँजी पर भी इस कार्य के लिए बहुत अधिक निर्भर नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुद्रा-कोष का उद्देश्य अल्पकालीन आर्थिक सतुलन की प्राप्ति में सहायता देना है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए राष्ट्रों के बीच दीर्घकालीन सतुलन अनिवार्य है जो दीर्घकालीन विनियोग से ही सम्भव हो सकेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुद्रा-कोष के साथ साथ अन्तर्राष्ट्रीय बैंक नामक एक पूरक सस्था की भी स्थापना की गयी। इसकी स्थापना विनियोग बैंक (Investment Bank) की धारणा के आधार पर हुई। ऐसी आशा की गयी है कि "विश्व-बैंक मुद्रा कोष के एक पूरक संस्था के रूप में कार्य करेगा तथा इसका प्रधान उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रसार एवं आय तथा रोजगार के उच्च स्तर को कायम रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विनियोग को प्रोत्साहित करना है।" (It is intended to serve as an essential adjunct to the Monetary Fund, and in particular to ensure a high and stable level of international investment with a view to promoting the maintenance of a high level of international trade and thus of production and employment.)

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के उद्देश्य

(Objectives of the World Bank)

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के निम्नांकित प्रधान उद्देश्य अथवा कार्य हैं—

(1) सदस्य राष्ट्रों का पुनर्निर्माण एवं आर्थिक विकास—अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का पहला प्रधान उद्देश्य युद्ध विन्ष्ट देशों का पुनर्निर्माण (Reconstruction of the war-devastated countries) तथा अविकसित (un developed) एवं अर्द्ध विकसित (under developed) राष्ट्रों का आर्थिक विकास है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बैंक दीर्घकालीन विदेशी विनियोग को प्रोत्साहित करता है।

(2) पूँजी के अन्तर्राष्ट्रीय विनियोग के लिए समुचित सुविधा प्रदान करना—अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का दूसरा प्रधान उद्देश्य दीर्घकालीन पूँजी के अन्तर्राष्ट्रीय विनियोग के लिए समुचित वातावरण तैयार करना है। इस उद्देश्य से बैंक वैयक्तिक विनियोजकों (Private Investors) को उनकी पूँजी की गारन्टी देकर या उनके विनियोग में ह्रास बँटा कर उन्हें पिछड़े देशों में उत्पादक कार्यों में पूँजी विनियोग के लिए प्रोत्साहित करता है। यदि किसी कारणवश वैयक्तिक विनियोग पर्याप्त मात्रा में तथा सस्ती दर पर उपलब्ध नहीं हो पाता है तो इसके द्वारा प्राप्त कोषों में से या अन्य तरीकों से प्राप्त रकमों द्वारा इस प्रकार के देशों में उत्पादक-कार्यों के लिए ऋण देता है। इससे स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का प्रधान उद्देश्य वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय

पूँजी के विनियोग को समाप्त करना नहीं, वरन् इसे प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गारंटी प्रदान करना है। (The Bank has the purpose to promote private foreign investment by means of guarantees of participations in loans and other investment made by private investors, and when private capital is not available on reasonable terms, to supplement private investment by providing on suitable conditions finance for productive purposes out of its own capital, funds raised by it and its other resources)

(3) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना एवं प्रोत्साहित करना—बैंक का तीसरा प्रमुख उद्देश्य अधिकसंयुक्त देशों को उनकी विश्वास-सम्बन्धी योजनाओं को कार्यान्वित करने में सहायता देकर उनके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना एवं समुचित बनाना है। ऋण का उपयोग केवल उत्पादक कार्यों के लिए ही हो ऐसा करने के उद्देश्य से बैंक विभिन्न देशों की योजनाओं की जाँच करता है। उत्पादक कार्यों के लिए ऋण का उपयोग करने से सदस्य-राष्ट्रों का आर्थिक विकास होता है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है तथा जनता के जीवन-स्तर एवं आर्थिकी के कार्य करने की दशाओं आदि में भी सुधार होता है।

(4) शान्तिकालीन अर्थ व्यवस्था की स्थापना—बैंक का चौथा प्रधान उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों में शान्तिकालीन अर्थ व्यवस्था की स्थापना के लिए समुचित दशाएँ उत्पन्न करना है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि विश्व बैंक का प्रधान उद्देश्य उन सभी कार्यों को करना है जिससे सदस्य देशों का आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया जा सके। दूसरे शब्दों में, बैंक के ऋणों का प्रयोग मुख्यतः सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में किया जाता है। कोष के कुल ऋणों का एक तिहाई भाग विद्युत् के विकास, एक तिहाई भाग यातायात के विकास तथा शेष का प्रयोग कृषि, उद्योग एवं शिक्षा आदि के प्रसार में किया गया है।

विश्व का कोई भी देश जो बैंक के नियमों को पूरा करता है एवं जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य है विश्व बैंक का सदस्य बन सकता है। जून, 1972 के अगत तक बैंक के सदस्यों की संख्या 125 हो गयी थी।

विश्व बैंक की पूँजी एवं साधन

(Capital Resources of the World Bank)

प्रारम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की अधिकृत पूँजी (Authorised Capital) 1,000 करोड़ डॉलर थी जो 1 लाख डॉलर के 1 लाख हिस्सों में विभाजित थी। 30 जून, 1955 ई० को बैंक की प्राथित पूँजी (Subscribed Capital) 90.28 मिलियन डॉलर थी तथा उस समय कुल 51 देश इसके सदस्य थे। इसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का हिस्सा निश्चित कर दिया गया था जैसे—अमेरिका 3150 मिलियन डॉलर, इंग्लैंड 1300 मिलियन डॉलर, हल 1200 मिलियन डॉलर, चीन 600 मिलियन डॉलर, फ्रांस 450 मिलियन डॉलर तथा भारत 450 मिलियन डॉलर। रूप में बैंक की सदस्यता की स्वीकार नहीं किया। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र अपने हिस्से की पूँजी का केवल 20 प्रतिशत भाग अदा करते हैं और शेष 80 प्रतिशत भाग बैंक द्वारा मागे जाने पर (when called up) बैंक के आदेशानुसार देना पड़ता है। प्रत्येक सदस्य को अपने कुल चन्दे का 2 प्रतिशत भाग स्वर्ण या स्वर्ण में परिवर्तित (gold or gold convertible currencies) में तथा शेष 18 प्रतिशत भाग अपनी मुद्रा के रूप में चुकाना पड़ता है।

बैंक की पूँजी में वृद्धि—किन्तु आगे चलकर बैंक के कार्यों के विस्तार तथा सदस्य राष्ट्रों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को देखते हुए बैंक की पूँजी में वृद्धि आवश्यक हो गयी थी। अतएव अक्टूबर, 1958 ई० में बैंक के गवर्नरों की बैठक में बैंक की पूँजी में वृद्धि के प्रश्न पर विचार किया गया तथा बैंक की पूँजी में वृद्धि के सम्बन्ध में निश्चय किया गया। इसके परिणामस्वरूप जून, 1969 ई० तक बैंक की पूँजी 23,036.4 मिलियन डॉलर हो गयी। बैंक के आधिकांश सदस्यों ने अपने चन्दे की धन-राशि को दुगुना कर दिया। कुछ देशों ने अपनी धनराशि में दुगुना से भी अधिक वृद्धि की है। वर्तमान समय में सदस्यों के चन्दे की राशि निम्न नाकित है—संयुक्त राज्य अमेरिका ने 6350 मिलियन डॉलर, इंग्लैंड ने 2600 मिलियन डॉलर,

जर्मनी 12६0 मिलियन डॉलर, फ्रांस 1050 मिलियन डॉलर तथा भारत ने 800 मिलियन डॉलर। बैंक के साधनो मे पुन अक्टूबर 1970 ई० मे वृद्धि की गयी।

इस प्रकार बैंक उक्त तरीको से पूँजी प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त बैंक किसी सदस्य-राष्ट्र के मुद्रा बाजार म उसकी अनुमति से अपनी प्रतिभूतियो को बेचकर भी कोष प्राप्त कर सकता है जिसके आधार पर वह अधिकतम राष्ट्रों को ऋण दे सकता है। 30 जून, 1955 ई० तक बैंक ने विभिन्न सदस्य राष्ट्रों व बाजार मे 850 मिलियन डॉलर की प्रतिभूतियो को बेचा था। इस प्रकार जून, 1955 तक आधिक पूँजी के प्राप्त भाग एवं अन्य साधनो से प्राप्त रकम आदि मिलकर बैंक के पास कुल 226 मिलियन डॉलर का साधन था जिसमे से 168 मिलियन डॉलर इसने ऋण के रूप म अतिरिक्त किया था।

किन्तु बैंक अपने साधनो मे एक सीमा से अधिक वृद्धि नहीं कर सकता है। बैंक के समझौते के अनुसार किसी भी समय कुल गारंटी, ऋण म हाथ बँटाना एवं प्रत्यक्ष ऋण आदि मिलकर बैंक की आधिक पूँजी का उपलब्ध भाग, इसके सुरक्षित कोष एवं बचत आदि के प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। (The total amount of outstanding guarantees, participations in loans and direct loans made by the bank shall not be increased at any time, if by such an increase, the total would exceed 100 per cent of the unimpaired subscribed capital reserves and surplus of the bank) इस प्रकार इससे स्पष्ट है कि बैंक के साधन सीमित है तथा बैंक अपनी इच्छानुसार इनम वृद्धि नहीं कर सकता। किन्तु बैंक आवश्यकता पडने पर गारंटी प्रदान करने के बजाय ऋणी एवं ऋणदाता के बीच बिचद्वैये का काय भी कर सकता है।

मुद्रा कोष की तरह बैंक भी सदस्य राष्ट्रों से उनके केन्द्रीय बैंक, ट्रेजरी अथवा अन्य आर्थिक सम्स्याओ के माध्यमो से ही काय करता है। किन्तु यह सदस्य राष्ट्र की सीमा के अन्तर्गत किसी भी औद्योगिक कृषि या व्यावसायिक सस्या को ऋण प्रदान कर सकता है।

बैंक की व्यवस्था

(Management of the Bank)

बैंक की व्यवस्था भी वस्तुतः टीक मुद्रा-कोष की ही तरह है। बैंक की व्यवस्था का कार्य एक बोर्ड ऑफ गवर्नर एक सचालक मण्डल, एक सलाहकार समिति तथा एक ऋण समिति द्वारा किया जाता है। (क) बोर्ड ऑफ गवर्नर—इसमे प्रत्येक सदस्य राष्ट्र द्वारा नियुक्त एक गवर्नर तथा एक यथाक्रम गवर्नर (Alternate Governor) होते है जिनकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की जाती है। सदस्य राष्ट्र इन गवर्नरों को पुन नियुक्ति भी कर सकते है। इस बोर्ड को बैठक वष म कम मे कम एक बार अवश्य होती है जिसम बैंक के वष भर की प्रगति पर सोच विचार किया जाता है। इन बैंक के लिए बोर्ड एक विधान सभा की तरह है। (ख) सचालक मंडल (Board of Executive Directors)—कोष की तरह बैंक के सचालक मण्डल मे आठकस भी 20 सदस्य है जिनम से 5 सदस्य बड बड अम्बश धात दशा—सयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रान तथा भारत द्वारा नियुक्त किये जात है और शेष 15 सचालक अन्य सदस्य राष्ट्रों द्वारा चुने जाते हैं। इनकी अवधि 5 वष की होती है। ये सचालक एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं जो बोर्ड (Board) के अध्यक्ष के पद पर काय करता है। (ग) सलाहकार समिति (Advisory Council)—सचालक मण्डल द्वारा एक सलाहकार समिति भी निर्वाचित की जाती है जिसमे कम-कम 7 सदस्य होते हैं जो वैश्व वाणिज्य, उद्योग व ये कृषि और श्रम आदि के विशेषज्ञ होते हैं। इनका निर्वाचन इस प्रकार से किया जाता है कि अधिक से अधिक राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व हो सके। इस सलाहकार समिति की वष म कम-कम एक बार बैठक अवश्य होती है और यह बैंक को उसकी मामा नीति (General Policy) के सम्बन्ध मे सलाह देती है। (घ) ऋण समिति (Loan Committee)—इसके अतिरिक्त बैंक को एक ऋण समिति (Loan Committee) भी होती है। यह समिति सदस्यो के ऋण-सम्बन्धी प्रार्थना-पत्रों की जाँच पडताल तथा निरीक्षण मु० मौ० सं०—26

करती है। इस समिति में विशेषज्ञ होते हैं एव एक प्रतिनिधि प्रार्थना करने वाले सदस्य-राष्ट्र का भी होता है।

बैंक का कार्यक्रम

(Working of the Bank)

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का प्रधान कार्य सदस्य राष्ट्रों को उनके पुनर्वास एव प्रार्थिक विकास¹ (Reconstruction and Economic development) से लिए ऋण प्रदान करना है। साथ ही, बैंक वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय वित्तियोग को भी प्रमाणित करता या उसमें हाथ बँटाता है। किन्तु बैंक द्वारा दिये गये अथवा प्रमाणित किये गये ऋण के सम्बन्ध में निम्नांकित बातें हैं.—

(i) जिन सदस्य-राष्ट्रों में कोई योजना स्थित हो और जिनके लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ऋण देता है, उस देश के केन्द्रीय बैंक अथवा उसकी सरकार को उस ऋण के मूल एव सूद के भुगतान के लिए प्रमाण देना होगा।

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय बैंक तभी ऋण देता है जब उसे इस बात का विश्वास हो जाय कि बाजार की वर्तमान स्थिति में किसी सदस्य-राष्ट्र को उचित दर पर पूँजी उपलब्ध नहीं हो रही है।

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय बैंक किसी विशिष्ट योजना के लिए ही सदस्य राष्ट्रों को ऋण देगा; किन्तु ऋण देने के पहले बैंक की एक विशेषज्ञ कमिटी उस योजना की जाँच कर उसके सम्बन्ध में यह रिपोर्ट देगी कि ऐसी योजना को प्रोत्साहन देना चाहिए अथवा नहीं।

(iv) किसी ऋण को प्रमाणित करने के पहले अन्तर्राष्ट्रीय बैंक इस बात की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेगा कि उस ऋण के सूद की दर तथा अन्य खर्च उचित हैं एव इसके भुगतान के सम्बन्ध में ऐसी बातें उपलब्ध हैं जो उस विशिष्ट योजना के अनुकूल हैं। यदि उस योजना के लिए आवश्यक ऋण से अधिक ऋण कोई देना चाहे तो बैंक उस पर अपना प्रमाण नहीं देगा।

(v) ऋण देने अथवा ऋण को प्रमाणित करने में बैंक इस बात का ध्यान रखेगा कि उस देश की सरकार या केन्द्रीय बैंक, जो ऋण के भुगतान का प्रमाण दे रहे हैं, ऐसी अवस्था में हो कि वे इसका भुगतान उचित समय पर कर सकें। इसे ऋण लेने वाले देश एव अन्य सभी देशों के हितों का ध्यान करना पड़ता है।

(vi) व्यक्तिगत ऋणों के सम्बन्ध में जिन पर यह अपना प्रमाण देता है उसे खतरा उठाने के लिए उचित मुद्रावजा मिलता है।

1. बैंक अपने कार्यों के संपादन में निम्नांकित बातों को ध्यान में रखता है:—

- (a) The Bank is not intended "to provide the external financing required for all meritorious projects of reconstruction and development (but) to provide a catalyst by which production may be generally stimulated and private investment encouraged."
- (b) "It should encourage necessary action by its member governments to assure that the Bank's loans will actually prove productive. The promotion of sound financial programmes, the removal of unnecessary barriers and the regional integration of production plans where appropriate are some of the fields in which the Bank may be able to exert helpful influence" and
- (c) "the Bank must play an active rather than a passive role (and take advantage of its international co-operative character), initiate and develop plans to the end that the Bank's resources are used not only prudently from the standpoint of its investors but wisely from the standpoint of the world."

Source—I. B. B. D. Second Annual Report 1946—47, P. 8,

(vii) ऋण देने या प्रमाणित करने में अन्तर्राष्ट्रीय बैंक को इस बात पर ध्यान देना होगा कि वह ऋण किसी विशिष्ट योजना के लिए है जिसका उद्देश्य आर्थिक पुनर्निर्माण (economic reconstruction) अथवा विकास (development) है।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा दिये गये अथवा प्रमाणित किये गये ऋणों के सृष्ट की दर या अन्य खर्च स्वयं बैंक निश्चित करता है। प्रमाणित किये जानेवाले ऋणों पर बैंक साधारणतया 1 से 1½ प्रतिशत कमीशन लेता है। कमीशन की रकम एक विशेष कोष में जमा कर दी जाती है जिसका उपयोग किसी राष्ट्र द्वारा ऋणों का भुगतान नहीं करने पर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा दिया गया ऋण साधारणतया दौरे किसी धर्म के दिया जाता है, यानी बैंक ऋण देने में ऐसा नहीं कह सकता है कि ऋण की रकम किसी खास देश को मुद्रा में ही व्यय की जाय।

इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का प्रथम कार्य मुदरत देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण तथा अविकसित एवं अर्द्ध विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए ऋण देना या ऋण को प्रमाणित करना है। ऐसा करने में बैंक को बहुत अधिक जोखिम उठानी पड़ती है। किन्तु बैंक ऋण देने या प्रमाणित करते समय इस बात को ध्यान में रखता है कि इसके साधनों से सदस्य राष्ट्रों की उत्पादन क्षमता में अधिक से अधिक वृद्धि होनी चाहिए तथा इसके साधनों का उपयोग ऐसी मद में नहीं होना चाहिए जिन्हें ऋणी देश स्वयं कर सकते हो। (... It had to use its funds so as to result in the greatest possible increase in productivity in shortest possible time and that the Bank's resources must not simply be used to relieve the borrowing nation of tasks which that country could justifiably be required to perform itself)

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के कार्यों की समीक्षा

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने 1946 ई० में पुनर्निर्माण ऋणों के साथ अपना कार्य आरम्भ किया। किन्तु पुनर्निर्माण का कार्य बैंक के लिए बहुत गम्भीर सिद्ध हुआ। पुनर्निर्माण के उद्देश्य से सम्पूर्ण यूरोप की आर्थिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता थी। प्रत्येक धीरे-धीरे बैंक ने अविकसित एवं अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास पर ही अधिक जोर देना आरम्भ किया।

आर्थिक विकास के क्षेत्र में गत 24 वर्षों में विश्व बैंक ने बड़ा ही महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। विश्व बैंक ने सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण एवं विकास कार्य के लिए प्रत्यक्ष ऋण अथवा सहायता एवं परोक्ष रूप से तकनीकी सहयोग देकर तथा सदस्य राष्ट्रों के आपसी झगड़ों में मध्यस्थता (mediator) का कार्य करके विश्व में स्थायी शान्ति की स्थापना में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। जून, 1972 में बैंक के सदस्यों की संख्या प्रायः 117 है। जून, 1972 ई० तक बैंक ने कुल 18,833 करोड़ डॉलर ऋण दिया था जिसमें से एशिया तथा मध्य पूर्वी देशों का हिस्सा 6628 करोड़ डॉलर था। इससे स्पष्ट है कि बैंक के अधिकांश ऋण विकासशील देशों को ही प्रदान किये जाते हैं। जून, 1972 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में विश्व बैंक के 38 देशों को 1965 मिलियन डॉलर के 72 ऋण दिये थे। इनमें से एशिया व मध्य-पूर्व के 10 देशों को 5064 मिलियन डॉलर, अफ्रीका के 16 देशों को 2677 मिलियन डॉलर, यूरोप के देशों को 1675 मिलियन डॉलर तथा पश्चिमी गोलार्द्ध के 13 देशों को 4577 मिलियन डॉलर का ऋण दिया गया था। बैंक के इस ऋण में से कुल 453 मिलियन डॉलर के ऋण यातायात, 464 के ऋण विद्युत् शक्ति 342 मिलियन ऋण उद्योग तथा 723 मिलियन डॉलर ऋण कृषि के लिए तथा शिक्षा के लिए 134 मिलियन डॉलर के ऋण दिये गये थे।

निम्न तालिका से 30 जून, 1970 तक बैंक द्वारा स्वीकृत कुल ऋणों का भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के बीच वितरण स्पष्ट हो जाता है—

विश्व बैंक द्वारा रबीकृत ऋण की रकम 30 जून, 1970 तक मिलियन डॉलरों में

क्षेत्र	ऋण की राशि	कुल का प्रतिशत
1. एशिया व मध्य पूर्वी देश	4628	32.9
2. अफ्रिका	2014	18.1
3. लैटिन अमेरिका	4352	30.9
4. यूरोप	2565	14.4
5. आस्ट्रेलिया	515	3.7
कुल योग	14,074	100.0

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि गत वर्षों में बैंक का ध्यान अविक्त देशों के आर्थिक विकास की ओर विशेष रूप से आवृत्त हुआ है। बैंक की ऋण नीति में अविक्त देशों में मौलिक सेवाओं (Basic Services) के विकास पर ही अधिक महत्त्व दिया जा रहा है। कार्यों के अनुसार बैंक ने ऋणी देशों को यातायात (Transport), विद्युत्-शक्ति (Electric Power), उद्योग (Industry) तथा कृषि (Agriculture) के विकास के लिए ही ऋण दिये हैं जो निम्नांकित तालिका से भली प्रकार स्पष्ट हो जाता है—

30 जून, 1972 तक विश्व बैंक द्वारा दिये ऋणों का वितरण

कार्य जिसके लिए ऋण दिये गये हैं	ऋण की रकम (मिलियन डॉलर में)	कुल का प्रतिशत
1. यातायात	55.9	30.9
2. विद्युत्-शक्ति	557.4	32.5
3. उद्योग	2.95	14.2
4. कृषि, वन एव मत्स्य-पालन	156.3	9.6
5. संवाहवाहन	41.5	1.7
6. पुनर्निर्माण	142.8	3.4
7. अन्य	83.0	6.7
कुल योग	1828.5	100.0

बैंक के ऋण देने की क्रियाओं में पिछले कुछ वर्षों में जो वृद्धि हुई है वह बैंक के साधनों में वृद्धि का ही परिणाम है। लगभग 24 वर्षों में बैंक की चुकती पूँजी दुगुना से भी अधिक हो गयी है। उसके अतिरिक्त बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वेन्चरों में अपने ऋण-पत्रों को जारी कर भी पर्याप्त मात्रा में ऋण प्राप्त किया है। बैंक के ऋण-पत्रों के खरीददार 50 देशों से भी अधिक के विनियोजक हैं तथा बैंक केवल अमेरिका से ही उक्त ऋण नहीं प्राप्त करता, बरन बेल्जियम, कॅनाडा, इटली, स्विट्जरलैंड तथा जापान आदि देशों के मुद्रा बाजारों में भी अपने ऋण पत्रों को बेचता है।

विश्व बैंक तथा अविक्त एवं अर्द्ध-विकसित देश

(World Bank and Un developed or Under-developed Countries)

ऋण तथा वित्तीय सहायता (Loan and other Financial help) — विश्व बैंक एशिया, मध्य-पूर्व तथा अफ्रिका के अविक्त एवं अर्द्ध-विकसित देशों के आर्थिक विकास के क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहा है। ब्राजील, बर्मा, पेरू, चिली, भारत पाकिस्तान लका इराक, मलाया तथा मेक्सिको आदि सभी देश बैंक के ऋण एवं अनुदान के ग्रामारी हैं। इन देशों में बैंक ने रेलों, सड़कों, बन्दरगाहों, विद्युत्-शक्ति एवं कृषि आदि के विकास के लिए बहुत अधिक सहायता प्रदान की है।

स्वयं प्रत्यक्ष रूप से ऋण देने के अतिरिक्त विश्व बैंक ने व्यक्तिगत एवं सस्थागत विनियोजकों को भी ऋणी देशों की आर्थिक व्यवस्था के सम्बन्ध में आश्वासन देकर इन देशों के विकास की योजनाओं में सहायता देने के लिए प्रोत्साहित किया है। उदाहरण के लिए, भारत

की पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाने के लिए स्वयं भारी माना मे ऋण देने के अतिरिक्त बैंक ने कुछ प्रमुख देशों का एक सच स्थापित किया है जिसे Aid India Club कहते हैं। इसमें समुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, पश्चिमी जर्मनी, जापान, फ्रांस, कैनाडा, इटली, स्वीडेन, आस्ट्रिया, बेलजियम, निदरलैंड, हॉलैंड आदि देश सम्मिलित हैं। ये देश भारत को सहायता देने के लिए समय-समय पर बैंक के सत्वावधान में विचार करते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य देशों के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था बैंक द्वारा की गयी है। "Help Pakistan Club" इसका ज्वलंत उदाहरण है। इतना ही नहीं, विश्व-बैंक ने अविहसित देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 1955 ई० में एक अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद् (International Financial Corporation) तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद् (International Development Association) जैसी संस्थाओं की स्थापना में सहयोग प्रदान किया है।

तकनीकी सहायता (Technical and Advisory Assistance)—बैंक सदस्य देशों को तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। समय-समय पर आर्थिक सर्वेक्षण के अतिरिक्त बैंक अपने विशेषज्ञों की विभिन्न आयोजनाओं में सम्बन्धित कार्यों में सहायता के लिए सदस्य देशों में भेजता है। ये विशेषज्ञ आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक, प्रशासनिक, अन्य कार्यों में सहायता देने हैं। अब तक विश्व-बैंक के सत्वावधान में जिन परियोजनाओं का अद्ययन हुआ है उनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं :— (i) प्रोजेक्ट-टाइला की विद्युत-शक्ति तथा विकास की योजनाएँ, (ii) नाइजर नदी पर बाँध परियोजना, (iii) खाटेमाला की शक्ति एवं मिचाई विकास योजना, (iv) भारतवर्ष का परिवहन विकास, (v) अफगानिस्तान में नदी बाँध परियोजना, (vi) ईरान में बन्दरगाह योजना; तथा (vii) पाकिस्तान में बाँध एवं शक्ति विकास की परियोजना।

प्रशिक्षण—विश्व बैंक ने 1 जनवरी, 1949 से सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक-वर्षीय प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया है जिसमें योजनाओं के संचालन में प्रशिक्षित अधिकारियों की कमी न हो। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशासनिक तथा अन्य अधिकारियों को भाषण-मालाओं तथा व्यावहारिक अध्ययन द्वारा कृषि मन्त्रालय का प्रशिक्षण दिया जाता है। जून, 1970 तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 166 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था।

इसके अतिरिक्त रॉकफेजर तथा फोर्ड फाउण्डेशन की वित्तीय सहायता में बैंक ने वाशिंगटन में एक प्रशिक्षण संस्थान 'The Economic Development Institute' की भी स्थापना की है जिसमें सदस्य-देशों के कर्मचारियों को आर्थिक विकास के कार्यों में सम्बन्धित क्षेत्र में विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा सके।

राष्ट्रों के पारस्परिक विवादों में मध्यस्थता—एक अन्तर्राष्ट्रीय एवं निष्पक्ष समझौते के नाते विश्व-बैंक ने कई सदस्य-राष्ट्रों के पारस्परिक झगड़ों में मध्यस्थ करके उन्हें निपटाने का प्रयत्न किया है। उदाहरण के लिए, भारत-पाकिस्तान के बीच नहर के पानी के लिए जो समझौता हुआ था उसका श्रेय विश्व बैंक की ही है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास-परिषद्—यह परिषद् विश्व बैंक में ही सम्बन्धित एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से औद्योगिक दृष्टि से अधिक विकसित देश अर्द्ध-विकसित देशों को विकास कार्यों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं।

ऋणदाता देशों की बैठक—विकासशील देशों की सहायता के लिए विश्व-बैंक समय-समय पर ऋणदाता देशों की बैठक बुलाते रहता है जिससे ऋणी देशों को सुगमता से ऋण प्राप्त हो सके।

इस प्रकार विश्व बैंक के कार्य अब तक निश्चय ही अत्यधिक प्रशंसनीय रहे हैं। बैंक की लोकप्रियता धीरे-धीरे बढ़ रही है तथा इसके सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। बैंक विश्व को विकासशील देशों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहा है तथा आगे की जागी है कि निकट भविष्य में बैंक हम कार्य को और प्रभावपूर्ण तरीके में सम्पन्न करने में समर्थ होगा।

विश्व बैंक के कार्यों की आलोचनात्मक समीक्षा

(A Critical Appraisal of the working of the World Bank)

किन्तु कई कारणों से बैंक के कार्यों की आलोचना भी की जाती है। सर्वप्रथम तो इसके ऋण कुछ विशेष कार्यों (Specific projects) के लिए ही दिये जाते हैं तथा इसकी मात्रा विकास के कार्यों के लिए उनकी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता तक ही सीमित रहती है। बैंक के अनुसंधान विशिष्ट विकास के कार्यों के लिए ऋण देने की व्यवस्था इस उद्देश्य से रखी गयी है कि बैंक के ऋण का प्रयोग केवल उत्पादक कार्यों के लिए ही किया जाय। किन्तु समुक्त राष्ट्र-संघ की Expert Committee on Economic Development ने बैंक के ऋण किसी योजना की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकता तक सीमित रखने की आलोचना की है जो उक्त समिति के निम्न बयान से स्पष्ट है— "The Bank has not adequately realised that it is an agency charged by the U N with the duty of promoting economic development and the Bank cannot be said to be meeting the challenge of circumstances. What is important is to build up the capacity of under-developed countries to produce goods and services. The Bank should start from this point rather than from measurement of foreign currency needs, and if development succeeds the transfer problem of meeting the debt charges should take care of itself. At present, the Bank puts the cart of foreign exchange difficulties before the horse of economic development."

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का प्रधान उद्देश्य अविकसित राष्ट्रों के सामान्य आर्थिक ढाँचे को सुदृढ़ बनाना तथा आर्थिक विकास के लिए उत्पादन के साधनों को क्रियाशील बनाना है जिससे इन देशों के जीवन-स्तर में सुधार हो सके। वास्तव में, निम्नांकित कारणों से बैंक अपने वर्तमान रूप में विकासार्थक बिजस का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं बन सकता :—

सीमित साधन—सर्वप्रथम तो बैंक के साधन सीमित हैं। विकासशील देशों के विकास की समस्या बहुत ही गम्भीर है। अतएव, इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर साधनों की आवश्यकता पड़ती है।

ब्याज की ऊँची दर :—साथ ही, बैंक अत्यधिक दर से सूद भी वसूल करता है। बैंक अपने ऋणों पर 5% प्रतिशत ब्याज की दर तथा 1 प्रतिशत कमीशन वसूल करता है। विकासशील देशों के लिए निश्चय ही अधिक है। अपने वर्तमान विधान के अनुसार बैंक Equity financing का कार्य भी नहीं कर सकता है। बैंक को अपने ब्याज की दर में कमी करनी चाहिए, तभी इससे विकासशील देशों को वास्तविक लाभ हो सकता है।

व्यक्तिगत विनियोग में मुक्त प्रवाह में कठिनाई—बैंक अभी तक व्यक्तिगत ऋणदाता एवं ऋणों के बीच प्रत्यक्ष दर से अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी प्रवाह को प्रभावित करने में सफल नहीं हो पाया है। बैंक की स्थापना के समय यह भी इसका एक आवश्यक उद्देश्य समझा गया था। वास्तवमें, व्यक्तिगत विनियोग के मुक्त प्रवाह के क्षेत्र में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं जिनके फलस्वरूप बैंक इस कार्य में बहुत हद तक मरनीभूत नहीं हो पाया है। इसी प्रकार बैंक गिब्राल्टे देशों में आर्थिक विकास के लिए विकासार्थक ऋण का प्रधान स्रोत नहीं बन सकता। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बैंक के वर्तमान विधान में आवश्यक संशोधन अनिवार्य है।

बैंक के विरुद्ध एक आलोचना यह भी दी जाती है कि बैंक अपने ऋण प्रदान करने में पक्षपात का सहारा लेता है। बैंक, वास्तव में, एक गैर-राजनीतिक संस्था है। अतएव ऋण केवल सदस्य-देशों की आवश्यकताओं तथा योजना के अनुरूप होना चाहिए। किन्तु व्यवहार में बैंक ने इस आदर्श का पालन नहीं किया है तथा ऋण प्रदान करने में आर्थिक विचारों पर ध्यान नहीं दिया गया है। इस आलोचना के विरुद्ध बैंक के व्यवस्थापकों का कहना है कि 1954-55 से 1970-71 तक बैंक ने ऋण देने में एशिया तथा अफ्रीका के देशों को ही प्राथमिकता दी है जिससे बैंक के कुल ऋण का प्रतिशत 23 से बढ़कर 75 हो गया है। किन्तु एशिया तथा अफ्रीका, की जनसंख्या बहुत

आवक है तथा इस क्षेत्र के देश यूरोप एवं पश्चिमी क्षेत्र के अन्य देशों की तुलना में अधिक निर्यन् तथा साधनों से युक्त हैं। अतएव ऋण देने में इन्हें और अधिक महत्त्व की आवश्यकता है।

निष्कर्ष—इस प्रकार विश्व-बैंक के कार्यों की बहुत सारी आलोचनाएँ की जाती हैं। किन्तु विश्व बैंक के कार्यों का सही मूल्यांकन मि० ब्लैंक के निम्नान्वित ऋण से होता है: “विश्व के अल्प-विकसित देशों के लिए विश्व बैंक एक अपूर्व सहायक है। इसका मूल्यांकन केवल कुछ पत्थर की इमारतों तथा सीमेंट के मकानों से ही नहीं करना चाहिए। इसका लक्ष्य वास्तव में अधिक गहन है। इसका कार्य विश्व की घन-राशि में वृद्धि करके मानवता को प्रकाश एवं उष्णता प्रदान करना है एवं उन्हें एकान तथा उदासी से मुक्त करना है। वास्तव में बैंक का उद्देश्य इस प्रकार की विचारधारा एवं व्यवस्था का निर्माण करना है जिससे प्रचुरता केवल स्वप्न अथवा कल्पना न रहकर एक साकार सत्य बन जाय।”

विश्व-बैंक का भविष्य (Future of the World Bank) :—इस प्रकार विश्व बैंक विश्व के विकासशील देशों के लिए बड़ा ही महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहा है। अतएव, इसका एक निश्चित भविष्य है। 3 सितम्बर, 1968 को वाशिंगटन में विश्व बैंक के नये अध्यक्ष मि० राबर्ट मैकनामारा (Robert McNamara) ने जो प्रमुख नीति-सम्बन्धी घोषणा की उससे बैंक के भविष्य की गतिविधियों का संकेत मिलता है—

(i) अगले पांच वर्षों में विश्व-बैंक विकासशील देशों को दी जाने वाली अपनी सहायता की राशि दुगुनी कर देगा।

(ii) भविष्य में विश्व-बैंक जनसंख्या तथा कृषि की समस्या पर विशेष रूप से ध्यान देगा। दूसरे शब्दों में जनसंख्या की वृद्धि पर रोक लगाने के साथ-साथ बैंक कृषि-उत्पादन में द्रुतगति से वृद्धि उद्देश्य पर विशेष जोर देगा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि विश्व-बैंक भविष्य में विकासशील देशों की समस्याओं के समाधान पर विशेष जोर देगा। वास्तव में, धनी तथा निर्यन् देशों के राष्ट्रीय उत्पादनों के बीच की खाई को पाटने लिए कुछ व्यापक स्तर पर प्रयास की प्रबल आवश्यकता है।

भारत एवं अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (India and the World Bank)

मुद्रा-कोष की तरह भारत विश्व बैंक का भी प्रारम्भ से ही एक सदस्य रहा है। साथ ही, हाल तक यह बैंक के संचालन-मंडल का एक स्थायी सदस्य भी था। बैंक-ने भारत के प्राथिक विकास में अब तक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है। बैंक ने भारत के विकास की योजनाओं तथा वित्तीय आवश्यकताओं के अध्ययन के लिए समय-समय पर विभिन्न अध्ययन-दलों को भेजा है। उदाहरण के लिए, नवम्बर, 1951 में बैंक का एक अध्ययन-दल भारत आया। 1952 में बैंक के अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारी आये। इसी प्रकार, फरवरी, 1954, अप्रैल-जून, 1956 तथा फरवरी 1960 में बैंक के अध्ययन-दलों ने भारत के प्राथिक विकास की विभिन्न योजनाओं का अध्ययन किया। इसके बाद भी समय-समय पर विभिन्न अध्ययन-दल विशिष्ट योजनाओं की आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए भारत आये।

विश्व-बैंक पहले पुनर्निर्माण के कार्य के लिए ऋण पर अधिक जोर देता था, किन्तु आजकल यह विकास के कार्यों पर ही अधिक जोर दे रहा है। भारत बैंक का विश्व में सबसे बड़ा ऋणी देश है। प्रथम योजना के अन्त तक भारत विश्व-बैंक से 145 मिलियन डॉलर सहायता के रूप में प्राप्त कर चुका था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में वित्तीय संकट को दूर करने के लिए भारत ने विश्व बैंक से अधिक सहायता की मांग की और फलस्वरूप इसे 227 मिलियन डॉलर की सहायता प्राप्त हुई। विश्व बैंक के भाँकड़ों के अनुसार भारत को विकास के लिए विश्व-बैंक से अन्य सभी देशों की अपेक्षा अधिक ऋण प्राप्त हुआ है। नवम्बर 1970 तक भारत को विश्व बैंक से कुल प्रायः 1059 मिलियन डॉलर का ऋण प्राप्त हुआ था। इसमें से अधिकांश ऋण सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के लिए तथा कुछ निजी क्षेत्र के लिए भी लिये गये हैं। बैंक द्वारा भारत को निम्नान्वित कार्य-क्रमों के लिए ऋण दिये गये हैं—रेलवे के

पुननिर्माण (Railway rehabilitation) कृषि के विकास, शक्ति का विकास, बन्दरगाहों के विकास तथा दामोदर घाटी योजना एव निजी क्षेत्र में टाटा ग्रुप एव स्टील कम्पनी तथा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के विस्तार, टाटा कम्पनियों की उच्च-शक्ति के विकास तथा औद्योगिक साख एव विनियोग निगम इत्यादि ।¹

निम्नांकित तालिका से नवम्बर, 1970 तक विश्व बैंक से भारत को प्राप्त ऋण का विभिन्न मदों में वितरण स्पष्ट हो जाता है—

नवम्बर, 1970 तक भारत को प्राप्त ऋण का विभिन्न मदों में वितरण

उद्देश्य	ऋणों की संख्या	ऋण की राशि	कुल का प्रतिशत
1 परिवहन			
(अ) रेलवे	9	378	35.7
(ब) बन्दरगाह	3	58	5.6
(स) एयर-क्रॉफ्ट	1	6	0.6
2. बिजली शक्ति	7	156	13.9
3 उद्योग	14	377	35.8
4 कृषि	3	27	2.7
5 सामान्य विकास	1	29	2.9
6. सवादेवाहन	1	28	2.8
कुल योग	59	1059	100.0

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि विश्व-बैंक ने भारत के आर्थिक विकास की योजनाओं में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है। कुछ ही वर्ष पूर्व बैंक की पूँजी में वृद्धि की गयी है। पूँजी में इस वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत जैसे अर्थिकता राष्ट्रों को बैंक से अधिक ऋण मिलने की आशा की जाती है। हाल में ही बैंक के नये अध्यक्ष राबर्ट मैकनामारा (Robert McNamara) ने भारत-सहित अन्य विकासशील देशों को और अधिक कर्ज देने का एलान किया है।

विशेष अध्ययन-सूची

- 1 Halm : Monetary
2. World Bank Annual Reports.

1. निजी सस्थाओं को विश्व बैंक द्वारा ऋण भारत सरकार की गारण्टी पर ही दिये जाते हैं।

अध्याय : 39

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम एवं विकास परिषद्

(International Finance Corporation & Development Association)

प्राक्कथन—विश्व बैंक की दो महत्त्वपूर्ण सहायक संस्थाएँ हैं -

- (1) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation), तथा
- (2) अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद् (International Development Association)।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम—20 जुलाई 1956 ई० को अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना हुई जो विश्व बैंक के सहयोग में कार्य करती है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक से एक अलग संस्था है, किन्तु दोनों की कायदाही में बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। इनकी स्थापना दो कारणों से हुई थी -

सर्वप्रथम तो विश्व-बैंक किसी देश की निजी सम्पत्तियों को देश की सरकार तथा केंद्रीय बैंक की गारण्टी के बगैर ऋण नहीं सकता है। चिन्तने निजी सम्पत्तियों को बैंक में ऋण मिलने में असुविधा होती है किन्तु निगम अर्थव्यवस्था में केंद्रित निजी औद्योगिक योजनाओं को प्रत्यक्ष रूप से सरकारी प्रमाण के बगैर कर्ज देती है। (The I F C promotes economic development through investment in the private sector of the less developed areas without any government guarantee of repayments.)

द्वितीयतः, विश्व बैंक जोखिमपूर्ण कार्यों के लिए ऋण नहीं देता जबकि निजी संस्थाओं को इसी प्रकार के ऋण की अधिक आवश्यकता पड़ती है। निगम अल्प विकसित देशों में स्थानीय पूँजी बाजार के विकास में सहायता देना है तथा इस प्रकार निजी पूँजी के अन्तर्राष्ट्रीय प्रवाह को प्रोत्साहित करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के उद्देश्य (Objectives of the International Finance Corporation)—अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं—

(i) निजी साहस को प्रोत्साहन देना—इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए निगम द्वारा निजी उद्योगों को बिना सरकार की गारण्टी के ही ऋण दिये जाते हैं और निगम उन्हें अन्य स्रोतों से भी पूँजी प्राप्त करने में सहायता करता है।

(ii) पूँजी एवं प्रयत्न में समन्वय—निजी क्षेत्र में जहाँ पूँजी पर्याप्त है परन्तु कुशल प्रबन्धकों की कमी है वहाँ वित्त निगम प्रबन्धकों की व्यवस्था करना है और जहाँ कुशल प्रबन्ध तो उपलब्ध है, किन्तु पूँजी का अभाव है वहाँ पूँजी की व्यवस्था करता है।

(iii) निजी पूँजी के विनियोग को प्रोत्साहित करता है—निगम अतिरिक्त पूँजी वाले अभावग्रस्त देशों में पूँजी लाने के लिए प्रोत्साहित करता है और इस सम्बन्ध में आनेवाली कठिनाइयों को दूर करने का विशेष प्रयत्न करता है।

निगम के विनियोग को तीन शर्तें हैं—प्रथमतः, सूद पर पूँजी देना जो साधारणतः 8 से 10 वर्षों तक के लिए दिया जाता है, द्वितीयतः, उद्योगों के लाभ में हिस्सा (Participation in the profit of enterprises), एवं तृतीयतः, विनियोग की रकम के बदले हिस्से खरीदने का छूट। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना से भारत जैसे अर्थव्यवस्था के निजी उद्योगपतियों को विशेष रूप से लाभ हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम को अधिकृत पूँजी 100 मिलियन डॉलर है जो 1000 डॉलर मूल्य के 1 लाख हिस्सों में विभाजित है। यह रकम सदस्यों के बीच उनी अनुपात में बँटी है जिसमें उनके अंशों एवं बैंक की पूँजी का सम्बन्ध है। 30 जून, 1970 तक निगम के सदस्यों की संख्या 94 थी तथा इसकी कुल जारी की गयी पूँजी 107 मिलियन डॉलर थी।

निगम के सदस्य वे ही देश हो सकते हैं जो विश्व-बैंक के भी सदस्य हैं। इसकी व्यवस्था भी विश्व-बैंक की ही तरह की जाती है। दूसरे शब्दों में, निगम का एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है जो इसकी नीति निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त दिन-प्रतिदिन के कार्यों की देखरेख के लिए निगम का एक संचालक मण्डल भी होता है।

निगम के कार्य की समीक्षा—3 जून, 1970 तक निगम ने 94 देशों में 47.6 करोड़ डॉलर का ऋण निजी व्यवसायियों का प्रदान किया था। इसमें भारत को 4.23 करोड़ डॉलर की सहायता प्राप्त हुई थी।

किन्तु निगम के कार्यों की कई बातों को लेकर आलोचना भी की जाती है। इसमें साधनों की कमी, ऋण देने में भेदपूर्ण व्यवहार, व्याज की ऊँची दरें तथा ऋण की कठोर शर्तें आदि उल्लेखनीय हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास-परिषद्

(International Development Association)

26 सितम्बर, 1961 ई० को अन्तर्राष्ट्रीय विकास-परिषद् नामक एक दूसरी सस्या की स्थापना की गयी। इसका प्रधान उद्देश्य आसान शर्तों पर अविकसित तथा अल्प-विकसित देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। 1950 वाले दशक के अन्तिम वर्षों में यह अनुभव किया जाने लगा कि कई अल्प-विकसित देशों के लिए बड़े पैमाने पर पूँजी की प्राप्ति में कठिनाइयाँ हो रही हैं। इस कठिनाई का दूर करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद् नामक एक सस्या की स्थापना की गयी।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद् के उद्देश्य (Main objectives of the International Development Association) - इसका उद्देश्य बैंक की पूरक सस्या के रूप में कार्य करते हुए अविकसित सदस्य देशों को आर्थिक विकास के लिए सस्ते एवं दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करना है। दूसरे शब्दों में इसका प्रधान उद्देश्य - (अ) आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना तथा (ब) उत्पादकता बढ़ाना एवं अल्प-विकसित देशों में जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना है। इसे 'Soft loan Window of the Bank' भी कहा जाता है। यह 50 वर्षों में चुकाये जाने वाले ऋण प्रदान करता है तथा व्याज के रूप में बहुत ही छोटी रकम वसूल करता है। विकास परिषद् की कुल पूँजी 100 करोड़ डॉलर है। विश्व-बैंक के सदस्य राष्ट्र अपने हिस्से के अनुपात में ही सध में भी अपना चन्दा प्रदान करते हैं। सध के सदस्यों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है—प्रथम वर्ग में 18 विकसित राष्ट्र हैं जिन्हें अपना चन्दा स्वर्ण तथा परिवर्तनीय मुद्रा के रूप में देना पड़ता है तथा द्वितीय वर्ग में 87 अविकसित राष्ट्र हैं जिन्हें अपने चन्दे का 10 प्रतिशत स्वर्ण तथा शेष 90 प्रतिशत अपनी मुद्रा में देना पड़ता है। 30 जून, 1970 ई० को विकास सध में 105 सदस्य थे।

30 जून, 1970 तक इसने 54 देशों को 2773 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया था जिसमें से 1741 मिलियन डॉलर ऋण वास्तव में वितरित की गयी थी। इससे भारत को कुल 1269 मिलियन डॉलर के 29 ऋण प्राप्त हुए हैं।

विशेष अध्ययन-सूची

- | | |
|---------------|--|
| 1. Halm | : Monetary Theory, |
| 2. World Bank | : Annual Reports. |
| 3. Cairncross | : The International Bank for Reconstruction & Development. |

अध्याय : 40

अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या एवं विशेष आहरण अधिकार

(The Problem of International Liquidity & Special Drawing Rights)

प्राक्कथन—पिछले दशक में अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक क्षेत्र की प्रधान समस्या अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या थी जो समय बीतने के साथ-साथ गम्भीर रूप धारण करती गयी। किन्तु ध्यानपूर्वक विचार करने पर स्पष्ट होगा कि तरलता की समस्या अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक क्षेत्र में कोई नयी नहीं थी, वरन् प्रथम महायुद्ध के पूर्व से ही इस प्रकार की समस्या यूनाधिक रूप में वर्तमान रही है। वास्तव में, स्वर्ण प्रमाप की समाप्ति का एक प्रधान कारण स्वर्ण प्रमाप के प्रमुख देशों की अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या के समाधान करने में विफलता थी। उस समय के श्रेणी देशों के पास स्वर्ण कोष की कमी थी जबकि श्रेण्यदाता देश अपने अतिरिक्त कोष का परिष्कार करना नहीं चाहते थे। किन्तु वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या का आकार बहुत बड़ गया है। वास्तव में, वर्तमान समय में प्रायः सभी अर्थ विकसित देशों के भुगतान-संतुलन में स्यायी रूप से विषमता के कारण यह समस्या लगभग स्यायी-सी हो गयी है।

अन्तर्राष्ट्रीय तरलता का अर्थ (Meaning of International Liquidity)—अब प्रश्न यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय तरलता किसे कहते हैं? फ्रिट् मैकलप (Fritz Machlup) के अनुसार "तरलता का अर्थ है भुगतान क्षमता की तत्परता।" (Capacity to pay promptly) दूसरे शब्दों में, "अन्तर्राष्ट्रीय तरलता के अन्तर्गत उन सभी वित्तीय साधनों एवं सुविधाओं को सम्मिलित किया जाता है जो किसी देश को उसके भुगतान संतुलन के घाटे की पूर्ति के लिए उपलब्ध रहते हैं। इन सुविधाओं अथवा साधनों का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जबकि विदेशी कोष के सभी साधन अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान को संतुलित करने में असमर्थ सिद्ध हो जाते हैं।" (The term International liquidity comprises all the financial resources and facilities available to the monetary authorities of individual countries for financing the deficits in the international Balance of Payments—used to make the residual payments in foreign currencies when all other sources of supply of foreign funds prove inadequate to bring the international funds into balance.) इसी प्रकार, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) के अनुसार, "अन्तर्राष्ट्रीय तरलता के अन्तर्गत उन सभी वित्तीय साधनों एवं सुविधाओं को सम्मिलित किया जाता है जो किसी देश के मौद्रिक अधिकारियों को अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन के घाटे की पूर्ति के लिए उपलब्ध रहते हैं।" (International liquidity consists of all the resources that are available to the monetary authorities of a country for the purpose of meeting the balance of payments deficits.) इसके अन्तर्गत उन सभी साधनों को रखा जाता है जो किसी देश को भुगतान संतुलन के घाटे की पूर्ति के लिए शीघ्र उपलब्ध रहते हैं तथा साथ ही, उन साधनों को भी सम्मिलित किया जाता है जो अन्य देशों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं से पर्याप्त मात्रा में वास्तविक के बाद प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अधिक स्पष्ट शब्दों में यह कहा जा सकता है कि एक निर्धारित अवधि में उपलब्ध एवं वास्तविक कोषों के अनुपात को तरलता कहते हैं। (It can be expressed as a ratio of funds disposable to funds needed over a certain period of time) 1964 ई० में अखिल भारतीय आर्थिक परिषद् में अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की व्याख्या इस प्रकार से की गयी थी, "अन्तर्राष्ट्रीय तरलता में वे सभी साधन आते हैं जो कि भुगतान संतुलन के घाटे की पूर्ति के लिए विभिन्न देशों के मौद्रिक अधिकारियों के पास उपलब्ध रहते हैं।" इसी प्रकार कीथ हॉर्सफील्ड के अनुसार, "अन्तर्राष्ट्रीय तरलता का तात्पर्य स्वर्ण तथा डॉलर एवं स्टैलिग जैसी विदेशी मुद्राओं के भण्डार से है जिनका अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान में मुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है। इसके अन्तर्गत किसी राष्ट्र से उधार लेने की क्षमता भी सम्मिलित रहती है।" (International liquidity is the term given to the world supply of resources of gold or of currencies which are freely us-

able internationally, such as dollars or sterling plus facilities of borrowing them.)

इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय तरलता के अन्तर्गत निम्नांकित को सम्मिलित किया जाता है .—

(i) स्वर्ण (Go'd),

(ii) विदेशी मुद्राओं का कोष (Foreign Exchange Reserves) जिन्हें सभी देश भुगतान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तथा

(iii) किसी देश के उधार लेने की क्षमता (Borrowing Capacity of a nation) ।

(i) स्वर्ण (Gold) .—अर्ज भी स्वर्ण एक ऐसा पदार्थ है जिसे सभी देश व्यापारिक भुगतान में सदा लेने को तैयार रहते हैं । इसका कारण यह है कि आज भी अधिकांश राष्ट्रीय में स्वर्ण का प्रयोग मौद्रिक आधार के रूप में किया जाता है । अतएव, स्वर्ण-कोषों की मात्रा को अन्तर्राष्ट्रीय तरलता का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण साधन माना जाता है ।

(ii) विदेशी मुद्राओं का कोष (Reserves of Foreign Currencies) .—वर्तमान समय में विभिन्न देश स्वर्ण के साथ साथ कुछ विदेशी मुद्राओं का कोष भी रखते हैं जिन्हें भुगतान के रूप में प्रत्येक देश लेने के लिए सदा तैयार रहते हैं । इस प्रकार की मुद्राओं में अमरीकी डॉलर सर्वाधिक प्रधान है । इसके प्रतिरिक्त पौंड स्टर्लिंग, जापानी येन तथा जर्मन मार्क भी ऐसी विदेशी मुद्राएँ हैं जिनकी अधिक गत में बहुत ऊँची मात्रा है । कई देश स्वर्ण के साथ-साथ इन विदेशी मुद्राओं का प्रयोग भी पत्र मुद्रा जारी करने के आधार के रूप में करते हैं ।

(iii) उधार लेने की क्षमता (The capacity to borrow) .—अन्तर्राष्ट्रीय तरलता का एक महत्त्वपूर्ण साधन अथवा उधार लेने की योग्यता (The ability or capacity to borrow) है । जो देश अन्य देशों से उधार लेकर अपने प्रायातों का भुगतान कर सकते हैं उनका विदेशी व्यापार निरन्तर चलता रहता है । इस प्रकार का उधार विदेशी सरकारों, विदेशी में स्थित बैंकों (जैसे अमेरिका तथा जापान के आयात-निर्वाह बैंक) अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा इनकी सहायक सस्याओं या एशियन विकास बैंक जैसी अन्तर्राष्ट्रीय सस्याओं से लिया जा सकता है ।

इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय तरलता = स्वर्ण-कोष + विदेशी मुद्राओं का कोष + अन्तर्राष्ट्रीय सस्याओं के कोषों का योग । हाल में ही स्वर्ण के मौद्रिक उपयोग को समाप्त करने की एक योजना तैयार की गयी है । मौद्रिक उपयोग से स्वर्ण को हटाने के बाद अन्तर्राष्ट्रीय तरलता का समस्या का रूप ही बदल जायगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय तरलता का महत्त्व (Importance of the International Liquidity) :—आधुनिक विश्व में सभी देशों में अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा के कारण अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन का कार्य एक महत्त्वपूर्ण समस्या बन गया है । यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी भुगतान तत्परतापूर्वक नहीं होती तो व्यापार में बाधा उत्पन्न होती है तथा इससे विदेशी व्यापार की मात्रा में कमी आ जाती है । इसके विपरीत पर्याप्त मात्रा में अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की उपलब्धि से विदेशी व्यापार में निरन्तर वृद्धि होती देखी ।

द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के समय विश्व के कुल औपचारिक स्वर्ण-कोषों का प्राय 70 प्रतिशत भाग केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के पास जमा हो गया, अतः अन्य देशों के समक्ष नियमित रूप से विदेशी भुगतान करने की जटिल समस्या उत्पन्न हो गयी । अमेरिकी स्वर्ण की अधिक न्यायपूर्ण वितरण करने की एकमात्र रीति यह थी कि अमेरिका का

3. ~~Country~~ ^{Development} ~~of Trade~~ इसके प्रतिकूल हो जिसे स्वर्ण के निर्यात द्वारा पूरा किया जा सके । किन्तु स्थिति इसके ठीक विपरीत थी तथा अमेरिकी व्यापार सतुलन निरन्तर इसके अनुकूल रहा और डॉलर की माँग उसकी पूर्ति से अधिक रही । इसी कारण डॉलर के अभाव की स्थिति बनी रही और प्राय 1957 तक डॉलर की दुर्लभता का निरन्तर अनुभव किया जाता रहा । किन्तु, 1958 से अमरीकी बालू खाते में भुगतान सतुलन विशेष रूप से प्रतिकूल रहने लगा जिसके फलस्वरूप अमेरिका से स्वर्ण का निर्यात होने लगा । परिणामस्वरूप अमरीकी स्वर्ण-कोष जो 1949 ई० में 24.6 अरब डॉलर मूल्य का था, 1958 ई० में घटकर 20.58 अरब डॉलर तथा जुलाई, 1969 में 10.37 अरब डॉलर हो गया । अमेरिका के स्वर्ण-कोष में इस प्रकार की जो कमी हुई उसका अधिकांश

मात्र यूरोपीय देशों को प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त मुद्रा-कोष तथा विद्व बँक जैसी संस्थाओं के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप भी अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की वृद्धि में पर्याप्त सहायता मिली।

पिछले कुछ वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय तरलता के महत्त्व में निम्नांकित कारणों से बहुत अधिक वृद्धि हुई है :—

(1) विदेशी व्यापार में वृद्धि (Increase in Foreign Trade) :— पिछले लगभग बीस वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा बढ़कर चौगुनी हो गयी है। 1948 ई० में विश्व के कुल आयातों की कीमत 59 अरब डॉलर थी जो बढ़कर 1968 में 225 अरब डॉलर हो गयी। विदेशी व्यापार के परिमाण में इस अत्यधिक वृद्धि का विद्व कोषों पर अत्यधिक भार पड़ा है तथा इससे अन्तर्राष्ट्रीय तरल कोषों की मात्रा में वृद्धि की समस्या सदा बढती जा रही है।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की तुलना में स्वर्ण के उत्पादन में बहुत कम वृद्धि :— पिछले वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा में तो बहुत अधिक वृद्धि हुई है किन्तु स्वर्ण के उत्पादन में वृद्धि इसकी तुलना में प्रायः नगण्य ही रही है। इसके साथ ही, व्यावसायिक कार्यों तथा निजी सफूह के लिए स्वर्ण की माँग में वृद्धि के कारण स्वर्ण-कोषों में पिछले कुछ वर्षों में कमी ही हुई है। इससे भी अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या गम्भीर रूप धारण करते जा रही है।

(3) डॉलर सहायता में कमी :— अन्तर्राष्ट्रीय तरल कोषों के महत्त्व में वृद्धि का एक और कारण है। 1968 ई० तक विद्व के प्रायः सभी जम्हूरतमन्द राष्ट्रों को डॉलर की सहायता अति उदारतापूर्वक प्राप्त होती रही थी जिससे अन्तर्राष्ट्रीय तरल कोषों का अभाव कभी भी अनुभव नहीं किया जाता था किन्तु 1968 ई० के बाद इस सहायता को सीमित कर दिया गया तथा भविष्य में समुक्त राज्य अमेरिका में भीषण मौद्रिक संकट के कारण इसमें और अधिक कमी की आशा की जाती है।

(4) नवीन योजनाएँ :— पिछले कुछ वर्षों में एशिया, अफ्रिका तथा दक्षिणी अमेरिका के विकासोन्मुख देशों में दृढ़ता से आर्थिक विकास के लिए आयोजित तरीके की अपनाया है जिससे उन्हें डॉलर तथा पीड-एटलिंग जैसी मुख्य मुद्राओं की अति आवश्यकता पड़ने लगी। इससे भी अन्तर्राष्ट्रीय तरलता का अभाव अनुभव होने लगा है।

तरल कोषों की पर्याप्तता (Adequacy of Liquid Reserve) :— अब प्रश्न है कि किसी देश के लिए कितना तरल कोष पर्याप्त होगा? वास्तव में यह बहना बहुत सरल नहीं है क्योंकि अलग-अलग देशों के लिए तरल कोष की मात्रा उनकी आर्थिक नीतियों में अन्तर के अनुसार अलग-अलग होती है। जो कोष एक विशेष आर्थिक नीति के सदर्भ में पर्याप्त है, दूसरे प्रकार की आर्थिक नीति के सदर्भ में अपर्याप्त सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब किसी देश में घाटे की वित्त-व्यवस्था तथा साक्ष के प्रसार की नीति अपनायी गयी है तब अधिक तरल कोषों की आवश्यकता पड़ती है और जब वचत के वजह तथा साक्ष संकुचन की नीति अपनायी जाती है तो अपेक्षाकृत कम तरल कोषों की आवश्यकता पड़ती है।

वास्तव में, किसी देश के लिए तरल कोष की पर्याप्तता के सम्बन्ध में निर्णय के लिए उनके उद्देश्यों को ध्यान में रखना होगा। ये उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं— (1) राष्ट्रीय, तथा (2) अन्तर्राष्ट्रीय।

राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखने पर यह पता चलेगा कि अधिकांश देशों के मौद्रिक कानूनों में यह व्यवस्था है कि पत्र-मुद्रा के पीछे कुछ स्वर्ण तथा विदेशी विनिमय कोष निधि के रूप में रक्षे जायें। इस दृष्टि से पत्र-मुद्रा की वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्धारित मात्रा में स्वर्ण तथा विदेशी विनिमय के तरल-कोष रखने पड़ते हैं। व्यवहार में, प्रायः यह देखा गया है कि पत्र-मुद्रा व्यवस्था में यथोचित लोच बनाये रखने के लिए केन्द्रीय बैंक निर्धारित मात्रा से कुछ अधिक तरल कोष रखते हैं। अतिरिक्त तरल कोष रखने का प्रधान उद्देश्य यही होता है कि देश में मुद्रा चलन में आवश्यकता से अधिक नहीं बढ़ने पाये और साथ ही मुद्रा के प्रति विश्वास की भावना का भी अनुभव न हो।

अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट होगा कि स्वर्ण तथा विदेशी विनिमय के तरल कोषों की मुख्य आवश्यकता विदेशी भुगतान के लिए होती है। जिन देशों का भुगतान संतुलन स्थिर होता है वे स्वर्ण अथवा विदेशी विनिमय के कोषों में रकम चुका कर उसे संतुलित करते हैं। इतने विभिन्न देशों के कुल आयात-निर्यात की मात्रा भी तरल कोषों की आवश्यकता को प्रभावित करती है। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से तरल कोष रखने का एक महत्त्व, पूर्ण उद्देश्य यह भी होता है कि अपनी मुद्रा की विनिमय दर को उचित स्तर पर बनाये रखा जा सके। अन्तर्राष्ट्रीय तरल कोषों की पर्याप्तता का प्रमुख मापदंड यह है कि उनकी सहायता से अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन आक्रामक उतार-चढ़ाव के बगैर चलता रहे। इस दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं पूँजी सम्बन्धी लेन-देन के अनुसार ही तरल कोषों में भी परिवर्तन आवश्यक है। (The test of adequacy is that the international system works smoothly without abrupt changes, and it is possible to say that other things being equal, the larger the volume of international trade and other international transactions may be, the more international liquidity will be needed.)

अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की पर्याप्तता का निर्णय करते समय इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि कोषों का विभिन्न देशों में वितरण यथोचित हो। यदि कुल अन्तर्राष्ट्रीय कोष एक या कुछ ही देशों में केन्द्रित हो तो यह पर्याप्त नहीं माना जा सकता। द्वितीय युद्ध के पश्चात् ऐसी ही स्थिति थी जबकि अप्रिवाश स्वर्ण अमेरिका में सकेन्द्रित हो गया था।

इस प्रकार पिछले कुछ वर्षों में विदेशी व्यापार के परिमाण में वृद्धि तथा उसके तदनु रूप अन्तर्राष्ट्रीय तरल साधनों में विस्तार के अभाव के कारण अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या विकराल रूप धारण करती गयी। निम्नांकित तालिका से इसे अधिक स्पष्ट किया जा सकता है—

अन्तर्राष्ट्रीय आयात एवं तरलता

वर्ष	स्वर्ण कोष	विदेशी विनिमय का कोष	कुल योग	आयात	तरल कोष आयातों के प्रतिशत में
1948	31.5	13.4	47.9	59.1	81
1951	35.6	13.7	49.3	80.1	61
1956	38.1	18.1	56.2	97.2	58
1961	41.1	21.2	62.3	124.6	50
1968	41.2	35.3	76.5	224.5	34

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि आयात की तुलना में अन्तर्राष्ट्रीय तरल कोष के अनुपात में निरंतर गिरावट होती जा रही है। यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विकास की दर 5 से 10 प्रतिशत है एवं अन्तर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि की दर केवल 3 प्रतिशत है तो तरलता अभाव (Liquidity gap) का उदय होना बिल्कुल ही स्वाभाविक है। आज तो प्रायः सभी देशों में मौद्रिक अधिकारियों का यह विश्वास है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकताओं को देखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय तरलता पर्याप्त नहीं है और यदि शीघ्र ही इस सम्बन्ध में उचित कदम न उठाये गये तो सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक यन्त्र ही ध्वंस हो जायगा।

इस सम्बन्ध में एक तथ्य और उल्लेखनीय है और वह यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय तरल कोषों का वितरण अत्यन्त विषम अथवा असमान है। उदाहरण के लिए, विश्व के कुल अधिकृत स्वर्ण-कोष का लगभग 75 प्रतिशत भाग केवल 9 देशों के पास है तथा शेष 25 प्रतिशत भाग अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा अन्य देशों में विभाजित है। विदेशी विनिमय कोष के सम्बन्ध में भी लगभग यही स्थिति है क्योंकि कुल विदेशी विनिमय कोष का प्रायः 50 प्रतिशत भाग केवल सात देशों के अधिकार में है। अन्तर्राष्ट्रीय तरल साधनों के इस विषम वितरण के कारण अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान में कठिनाई का होना बिल्कुल ही स्वाभाविक है।

अन्तर्राष्ट्रीय तरलता में किस प्रकार वृद्धि की जाय ?

अब प्रश्न यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय तरलता में किस प्रकार से वृद्धि की जाय ? अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या के अध्ययन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष द्वारा समय समय पर विभिन्न समितियाँ संगठित की गयी हैं जिन्होंने इस सम्बन्ध में विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किया है। इनके आधाार पर अन्तर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि के निम्नांकित उपाय बतलाये जा सकते हैं—

(i) स्वर्ण के उत्पादन में वृद्धि (Increase in the production of gold) .— इस सम्बन्ध में सर्वप्रधान उपाय स्वर्ण के उत्पादन में वृद्धि करना है जिससे स्वर्ण का पूति बड़े तथा तरल कोषों का विस्तार हो। स्वर्ण के उत्पादन में वृद्धि नयी खानों के विकास तथा पुरानी खानों के विस्तार पर निर्भर करता है, किन्तु यह तभी संभव है जबकि स्वर्ण निखालने की लागत में कोई वृद्धि नहीं हो, किन्तु पिछले कुछ वर्षों से यह देखा जाता है कि स्वर्ण के उत्पादन-ध्मय में निरन्तर रूप से वृद्धि हो रही है जिससे दक्षिणी अफ्रिका के प्रतिरिक्त विश्व के अन्य सभी स्वर्ण-उत्पादक राष्ट्रों के उत्पादन में निरन्तर कमी हो रही है। साथ ही, जो स्वर्ण उत्पन्न होता है उसका एक बहुत ही छोटा भाग अधिकृत कोषों में सम्मिलित होता है तथा अधिकांश भाग निजी कार्यों एवं संप्रदाय के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ ही, मार्च 1 ८8 से स्वर्ण के दो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार स्थापित हो गये हैं। एक में प्रशासनिक इकाइयों द्वारा 35 डॉलर प्रति औंस की दर पर स्वर्ण खरीदा जाता है तथा दूसरे में निजी व्यक्तियों को किसी भी मूल्य पर स्वर्ण बेचा जाता है। इससे भी अधिकृत कोषों की वृद्धि में बहुत अधिक कठिनाई हो रही है।

(ii) स्वर्ण के मूल्य में वृद्धि (Increase in the price of gold) .— अन्तर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि के लिए एक उपाय यह भी सुझाया जाता है कि स्वर्ण के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य को 35 डॉलर प्रति औंस से बढ़ाकर 70 डॉलर या इससे भी अधिक कर देना चाहिए। राय हेरोड ने इस प्रकार का सुझाव रखा है। इससे विश्व के स्वर्ण-कोषों का मौद्रिक मूल्य बढ़ जायगा जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लेन-देन सरल एवं सुविधाजनक हो जायगा। उदाहरण के लिए, स्वर्ण का मूल्य 100 डॉलर प्रति औंस करने पर तरल कोषों की राशि लगभग 116 अरब डॉलर हो जायगी। स्वर्ण के मूल्य में वृद्धि का प्रस्ताव विभिन्न राष्ट्रों द्वारा भिन्न-भिन्न कारणों से किया गया है—जैसे दक्षिणी अफ्रिका तथा आस्ट्रेलिया अधिक लाभ कमाने के लाम से, एवं सोवियत संघ पूँजीवादी देशों से खरीदे जानेवाले उपभोक्ता पदार्थों के बदले में कम ही स्वर्ण देने के लिए स्वर्ण के मूल्य में वृद्धि चाहते हैं। किन्तु ध्यानपूर्वक विचार करने से यह स्पष्ट होगा कि स्वर्ण के मूल्य में वृद्धि से अनेक नयी समस्याएँ उत्पन्न हो जायँगी जिनमें निम्नांकित मुख्य हैं—

(क) मुद्रा स्फीति—स्वर्ण के मूल्य में वृद्धि से सभी राष्ट्रों के स्वर्ण-कोषों की कीमत बढ़ जायगी और पत्र मुद्रा के पीछे रखे स्वर्ण कोष के मूल्य में वृद्धि से अधिक पत्र मुद्रा निकालने के लिए लोभों को प्रोत्साहन मिलेगा। परिणामस्वरूप इससे मुद्रा स्फीति की शक्तियों को अनुचित बल मिलेगा।

(ख) डॉलर का अवमूल्यन—स्वर्ण के मूल्य में वृद्धि से डॉलर का एक प्रकार से अवमूल्यन ही होगा। अतएव, बहुत सारे देश जिन्होंने पीछे तथा डॉलर की स्वर्ण क रथान पर अपनी पत्र-मुद्रा का आधाार बनाया है उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

(iii) ट्रिफिन योजना (Triffin Plan) .—के.स ने International Clearing Union के लिए जो प्रस्ताव रखा था उसी के आधाार पर ट्रिफिन योजना भी तैयार की गयी थी। इस योजना के अनुसार राष्ट्रीय मुद्राओं के कोषों का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करके अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्रीय बैंक का रूप देना चाहिए। इस नवीन मुद्रा-कोष को एक ऐसी दर पर साक्ष के मूजन का अधिकार होगा जिस पर विश्व की अर्थ व्यवस्थाएँ विकसित हो रही हैं, किन्तु इसकी अधिकतम दर इससे 5% वार्षिक होगी। अतिथ्य में उस नये मुद्रा-कोष की मुद्रा रिजर्व करेसी के रूप में चलेगी। किन्तु ट्रिफिन योजना को कई कारणों से व्यापक रूप में मान्यता नहीं प्राप्त हो सकी, क्योंकि (i) इस प्रकार की योजना से मुद्रा-प्रसार के प्रोत्साहन की आशंका है, (ii) इससे राष्ट्रों को अपनी आर्थिक प्रभुसत्ता का एक भाग एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था को सुपुर्द करना पड़ेगा जो सर्वथा उचित नहीं जान पड़ता।

(iv) बर्नस्टीन योजना (Bernstein Plan) :- बर्नस्टीन ने मुद्रा-कोष की संरचना के अन्तर्गत ही अन्तर्राष्ट्रीय तरलता के विस्तार के लिए एक योजना तैयार की है। इनके प्रस्ताव के अनुसार वे सभी देश जिनके पास अधिक कोष है, वे उस मुद्रा कोष को ऋण के रूप में दे दें तथा उसके बदले में व्याजवाले ऋण पत्र बनवा लें जिनके पीछे, स्वर्ण की गारंटी हो। इन ऋण-पत्रों की परिपक्वता की अवधि 4 वर्ष की होगी।

इस योजना को कार्यरूप देने के लिए उन्होंने मुद्रा-कोष के तावावधान में ही एक 'Reserve Settlement Account' बनाने का सुझाव दिया था जिसके द्वारा यह योजना कार्यन्वित की जायगी।

(v) जैकोब्सन योजना (Jacobson Plan) :- बर्नस्टीन योजना से ही मिलती-जुलती एक योजना जैकोब्सन ने प्रस्तुत की है। इनका सुझाव है कि आधिव्यय भुगतान वाले देशों (Surplus Payment countries) के साथ ऋण बचत अनुबंधों (Stand-by credits) की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे साधन वों जो वृद्धि होगी वह S cond line of resources के रूप में कार्य करेंगी। जब मुद्रा-कोष यह अनुभव करें कि तरलता की मांग बढ़ रही है तो वह उक्त अनुबंधों के अन्तर्गत प्रमुख मुद्राएँ प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार से प्राप्त करेंसियों की जरूरत-मद देशों को उधार देकर उनकी कठिनाइयों को दूर कर सकता है।

जैकोब्सन योजना को सिद्धांत रूप में स्वीकार किया गया है तथा इसके अंतर्गत प्रमुख करेंसियों का एक पूल (Pool) बनाया गया है जिसकी राशि 6 मिलियन डॉलर है। इस पूल को शरणादाता क्लब (Lender Club) भी कहते हैं, जिसकी स्थापना 12 प्रमुख देशों के समर्थन से हुई है। इसमें आवश्यकतामद लोगों को ऋण प्रदात किया जायगा।

(vi) लोचपूर्ण दरें (Flexible or Floating Rates) :- अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या के स्थायी समाधान के लिए एक यह भी सुझाव दिया जाता है कि संसार के सभी देश निश्चित विनिमय दर की नीति का परित्याग कर लोचपूर्ण विनिमय दरों की नीति अपना लें। किन्तु इस सुझाव की भी कई व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं जिससे यह अधिकांश देशों को मान्य नहीं है।

विशेष आहरण अधिकार या कागजी स्वर्ण

(The Special Drawing Rights or Paper Gold)

प्राक्वचन :- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में पिछले कुछ वर्षों में इतनी तेजी के साथ वृद्धि हो रही है कि भुगतान के साधन जैसे स्वर्ण तथा रिजर्व मुद्रा दूबट्टी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। दूसरे शब्दों में, स्वर्ण, डॉलर तथा पीड-मैट्रिज आदि में अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या का समाधान अब सम्भव नहीं रह गया। इसी बीच 1967 तथा 1968 में विश्व के आर्थिक समझ पर कुछ ऐसी घटनाएँ घटी जिन्होंने विश्व की मौद्रिक प्रणाली को बिल्कुल भ्रमभोर दिया। संक्षेप में ये घटनाएँ निम्नांकित थीं—(क) नवम्बर, 1967 में ब्रिटिश पीड का अवमूल्यन, (ख) स्वर्ण पूल वाले देशों द्वारा लंदन स्वर्ण-बाजार में स्वर्ण की बिक्री को बन्द कर देना, (ग) स्वर्ण के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि तथा (घ) स्वर्ण की द्वि-मूल्य प्रणाली की स्थापना। इन गम्भीर घटनाओं का परिणाम यह हुआ कि 30-31 मार्च 1968 को दस देशों के समूह (The Group of Ten)¹ ने एक नयी योजना की रूप-रेखा दी जिसे विशेष आहरण अधिकार अथवा कागजी स्वर्ण (Paper Gold) भी कहते हैं। इस नयी योजना को अधिकृत रूप देने के लिए मुद्रा-कोष के कुल महाधिकार का 85 प्रतिशत भाग इसके पक्ष में आना आवश्यक था जो इसे नवम्बर, 1969 को प्राप्त हो गया।

विशेष आहरण अधिकार क्या है? (What is Special Drawing Rights?) :- विशेष आहरण अधिकार अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान करने के लिए निश्चित रकम तक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक नया साधन है। विदेशी भुगतान में जिस प्रकार सोना समर्थ है, उसी प्रकार एस० डी० ग्रार० से प्राप्त अधिकार भी समर्थ है, इसीलिए इस कागजी-स्वर्ण (Paper Gold) भी कहा जाता है। इस प्रकार विशेष आहरण अधिकार एक नयी अन्तर्-राष्ट्रीय सम्पत्ति

1 ये दस देश हैं—बेल्जियम, कैनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, निदरलैंड, स्वीडन, ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका।

है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष ने वर्तमान कोषों स्वर्ण तथा विदेशी मुद्राओं के प्रभावपूर्ण पूरक का कार्य करेगी और अंतर्राष्ट्रीय कोषों में स्थायी रूप से वृद्धि करेगी।" (The S D R's are a new international asset which will be an effective supplement to existing reserve assets gold, reserve currencies, and reserve claims on the Fund, one that will be a permanent addition to world reserve)

पहली जनवरी, 1970 में प्रारम्भ हुए इस कोष का संचालक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष है। मुद्रा-कोष के खाते में इसे पृथक् रूप से निर्दिष्ट की गयी है तथा मुद्रा कोष से इनका हिसाब किताब विल्कुल पृथक् रहेगा। इन कोषों का आवंटन मुद्रा कोष के सदस्यों में उनके वर्तमान श्रेणियों के अनुपात में किया जाता है। (Special Drawing rights are account entries on the books of the I M F quite separate and distinct from the other accounts of the I M F which will be divided among the Fund participating members in accordance with their present I M F's quotas) विशेष आहरण अधिकार योजना में यह प्रस्ताव है कि मुद्रा कोष प्रतिवर्ष अपनी लेखा बहियों में एक निश्चित राशि के नये रिजर्व (कोष) दर्ज कर लिया करेगा। इस रिजर्व में प्रत्येक सदस्य को प्रानुपातिक हिस्सा मिलेगा जो कोष में उस देश के वर्तमान चन्दा (Subscription) पर निर्भर करेगा।

एस० डी० आर० योजना के अन्तर्गत 1970 जनवरी से प्रारम्भ होकर अब तक पांच आवंटन (allocation) किये गये हैं। इनमें से 1970 में S D R 341.4 करोड़, 1971 में S D R 294.9 करोड़ तथा 1972 में S D R 292.5 करोड़ जारी किया गया, यानी तीन वर्षों में कुल राशि S D R 931.5 करोड़ है। कोष का कोई भी सदस्य S D R में मांग ले सकता है। 31 दिसम्बर, 1972 तक कोष के कुल 125 सदस्यों में से इसमें 116 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। एस० डी० आर० योजना में कुछ देशों का हिस्सा निम्न प्रकार से है —

एस० डी० आर० में प्रमुख देशों का हिस्सा

देश	मिलियन डॉलर
संयुक्त राज्य अमेरिका	866.88
इंग्लैंड	409.92
भारत	126.00
पाकिस्तान	31.60

1973 के प्रथम अर्द्ध-भाग के अंत तक सभी देशों का अन्तर्राष्ट्रीय कोष (International Reserve) 150.1 बिलियन तक पहुँच गया था।

एस० डी० आर० योजना की प्रधान विशेषताएँ

(Main features of the S D R)

विशेष आहरण अधिकार की भी कई प्रधान विशेषताएँ हैं। इनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार से हैं

(1) पूरक के रूप में कार्य — सर्वप्रथम तो एस० डी० आर० अन्तर्राष्ट्रीय तरलता के लिए वर्तमान रिजर्व सम्पत्ति के प्रभावशाली पूरक के रूप में कार्य करता है।

(2) पुस्तक प्रविष्टि मात्र — मुद्रा कोष का 'विशेष आहरण' केवल पुस्तक प्रविष्टि के आधार पर निर्मित करता है, अर्थात् इन अधिकारों के पीछे किसी प्रकार की जमानत आदि रखने की व्यवस्था नहीं है। इसे मुद्रा कोष के एक अलग खाते में दर्ज कर लिया जाता है।

(3) वितरण — प्रत्येक सदस्य का विशेष आहरण अधिकार मुद्रा कोष में उसके कोटा के अनुपात में निर्धारित किया जायगा। उदाहरण के लिए, यदि मुद्रा-कोष में किसी सदस्य का मु० मी० सं०—27

अभ्यंश 10 प्रतिशत है तो आहरण अधिकार में भी उसका हिस्सा 10 प्रतिशत ही होगा। आहरण अधिकारों का निर्धारण सामान्यतया 5 वर्षों के लिए किया जायगा।

(4) प्रयोग—विशेष आहरण अधिकारों का प्रयोग केवल दो उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है—(अ) भुगतान सतुलन की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए, तथा (ब) अपन कोषों को सामान्य स्तर पर लाने के लिए।

वर्तमान समय में कोई भी सदस्य राष्ट्र अपने विशेष-प्राप्ति अधिकार का तीन तरीके से प्रयोग कर सकता है—सबप्रथम तो यह इससे अमेरिकी डॉलर या फ्रैंक या ब्रिटिश पाँड खरीद सकता है। द्वितीयत, यह अपने विशेष-प्राप्ति-अधिकार का प्रयोग दूसरे सदस्यों के साथ अपनी मुद्रा के जमा को प्राप्त करने में कर सकता है। तृतीयत, कोई सदस्य-राष्ट्र अपने विशेष-प्राप्ति अधिकार का प्रयोग मुद्रा-कोष से अपनी मुद्रा के पुनः क्रय के लिए भी कर सकता है। वास्तव में, सदस्य राष्ट्र इस अधिकार का प्रयोग केवल भुगतान सतुलन के घाटे को पूर्ति प्रयत्न करने के लिए एवं विदेशी-विनिमय के कोष में वृद्धि की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन के लिए कर सकते हैं।

(5) वैकल्पिक हिस्सेदारी—विशेष आहरण अधिकार योजना में मुद्रा-कोष का कोई भी सदस्य हिस्सेदार हो सकता है, किन्तु यह हिस्सेदारी अनिवार्य नहीं है तथा एक बार इस योजना के भागीदार हो जाने पर भी कोई देश अपने इच्छानुसार किसी भी समय इससे अलग हो सकता है। इस दृष्टि से विशेष आहरण अधिकार योजना बिल्कुल उदार है।

(6) विशेष आहरण अधिकारों की सीमा—विशेष आहरण अधिकारों के लिए भी एक सीमा निर्धारित कर दी गयी है। कारण यह है कि जिन देशों के खाते में विशेष आहरण अधिकार जमा होते हैं उनकी स्थिति ठीक उन देशों की तरह होती है जो अन्य देशों को उधार देते रहते हैं। परन्तु कोई भी देश प्रसीमित मात्रा में उधार नहीं दे सकता क्योंकि प्रसीमित मात्रा में जमा करने का अर्थ प्रसीमित मात्रा में उधार देना है, जो बिल्कुल अव्यावहारिक एवं अनुचित है। अतएव, इसका ऋणादाता देश पर अनुचित भार पड़ने का भय रहता है। अतः विशेष आहरण अधिकारों के लिए भी एक सीमा निर्धारित कर दी गयी है कि किसी भी देश के लिए अपने विशेष अधिकार कोटा के तिरुने से अधिक विशेष आहरण अधिकार कोष रखना आवश्यक नहीं है।

(7) व्याज—जिस देश के खाते में अपने निर्धारित अभ्यंश से अधिक आहरण अधिकार कोष जमा हो जाय तो उसे अभ्यंश से अधिक कोष पर व्याज देने की व्यवस्था है जो मुद्रा कोष द्वारा निश्चित की जायगी। वर्तमान समय में यह 1.5 प्रतिशत है।

(8) दैनिक शेष—इस योजना में भागीदार देशों के लिए अपने खाते में अपने लिए निर्धारित मात्रा के कम-से-कम 30 प्रतिशत विशेष आहरण अधिकारों का दैनिक शेष रखना पड़ेगा। यदि किसी समय किसी देश के आहरण अधिकार का शेष 30% से कम भी हो जाय तो निर्धारित अवधि (जो सामान्यतया पाँच वर्ष होती है) के अन्त तक यह बाकी 30% तक आ जाना चाहिए। इस कोटा को पूरा करने के लिए मुद्रा कोष को स्वर्ण या कोई भी परिवर्तनशील मुद्रा देनी पड़ेगी जिसके बदले आहरण अधिकारों की आवश्यक इकाइयाँ मिल जायेंगी।

(9) विदेशी विनिमय सचय में एक स्थायी वृद्धि—इस योजना की सर्वाधिक प्रधान विशेषता यह है कि विशेष आहरण अधिकार का 70% बिना शर्त अधिकार है, इसे कभी वापिस लौटाने की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार यह देश के विदेशी विनिमय में एक स्थायी वृद्धि है।

(10) प्रादिष्ट मुद्रा—कुछ लोगों के अनुसार मुद्रा-कोष का विशेष आहरण अधिकार वास्तव में एक प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय प्रादिष्ट मुद्रा की तरह है क्योंकि (अ) इन अधिकारों के पीछे किसी प्रकार का कोष नहीं रखा जाता केवल मुद्रा-कोष की प्रतिकृता ही निधि का कार्य करती है, (ब) ये इकाइयाँ स्वर्ण में परिवर्तनीय नहीं होती तथा (स) इनका सृजन अधिक संकट से छुड़कारा देने के लिए किया गया है।

(1) अधिकार से वचित जब भी कोई देश विशेष आहरण अधिकार का उपयोग अनुचित रूप में करता है तो मुद्रा-कोष उस देश को चेतावनी दे सकता है और यदि सम्बद्ध देश चेतावनी की अवहेलना करता है तो, उसको विशेष आहरण अधिकारों से वचित किया जा सकता है।

(12) मुद्रा-कोष द्वारा मनोनयन—जब किसी देश को भुगतान करने के लिए रकम की आवश्यकता पड़ती है तो मुद्रा-कोष यह निर्धारित करता है कि यह राशि किस देश द्वारा दी जाय। सामान्यतया जिन देशों के तरल कोष अधिक होते हैं या जिन देशों के खाते में सामान्य स्तर से कम विशेष आहरण अधिकार जमा होते हैं, मुद्रा-कोष उन देशों को विशेष आहरण सरोद कर प्रार्थी देश को आवश्यक राशि देने का आदेश दे देता है।

विकासशील देश एवं विशेष आहरण अधिकार (S D R and Developing Countries).—विद्येय आहरण अधिकार योजना विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से उपयोगी बतलाई जाती है। इसके निम्नांकित कारण हैं.—

(i) विकासशील देशों को अधिक रकम—इस योजना के फलस्वरूप ग़िनीय राशि के विशेष आहरण अधिकार निमित्त किंग जायगे उनका लगभग 27% विकासशील देशों को प्राप्त होगा।

(ii) तीव्र आर्थिक विकास—इसके अन्तर्गत इन देशों में प्रधिकाधिक पूँजी का आगमन होगा जिससे उनके आर्थिक विकास की गति में तीव्रता आयगी।

(iii) मुद्रा कोष का अधिक सहयोग—नयी व्यवस्था में मुद्रा-कोष के निर्णय अधिकारों में पर्याप्त वृद्धि हो जायगी, अतः विकासशील देशों को पहले से अधिक विस्तृत सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेंगी।

विशेष आहरण अधिकारों की आलोचनात्मक समीक्षा (A Critical Appraisal of the Special Drawing Rights)—किन्तु उपरोक्त गुणों के साथ-ही-साथ एस० डी० आर० योजना की बहुत अधिक आलोचना भी की जाती है जिनमें निम्नांकित उल्लेखनीय हैं—

(1) यह योजना केवल विश्वास पर आधारित है क्योंकि 'अधिकारों के पीछे किसी प्रकार का बहुमूल्य कोष नहीं रखा जाता है अतः यदि लोगों का एस० डी० आर० पर से विश्वास समाप्त हो जाय तो यह योजना भी असफल सिद्ध हो जायगी।'

(ii) इस योजना में सदस्यों को योजना से किसी भी समय हटने की स्वतंत्रता दी गयी है। इस नयी व्यवस्था से धनी देशों पर अधिक नार पड़ने की सम्भावना है और सम्भवतः कुछ को इससे कोई लाभ भी न हो। इस प्रकार के देश यदि इस नयी व्यवस्था से मुक्त भी हो जाय तो उन्हें कोई हानि नहीं होगी। अतः एस० डी० आर० योजना की सफलता भी धनी देशों के योगदान की इच्छा पर ही निर्भर करती है।

(iii) एस० डी० आर० योजना इस दृष्टिकोण से निष्कृष्ट है कि इसमें 'अधिकारों' का उपयोग न तो सुरक्षा-सम्बन्धी आवश्यकताओं और न निजी क्षेत्र से वस्तुएँ खरीदने के लिए ही किया जा सकता है जबकि स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा के रूप में जो तरल कोष रखा जाता है, उसका उपयोग किसी भी आवश्यक कार्य के लिये किया जा सकता है।

(iv) नयी योजना से विकासशील देशों को कुछ लाभ तो अवश्य होगा किन्तु उन्हें इस प्रकार सरलता से ऋण मिलने पर उनमें मुद्रा-प्रसार के घातावरण को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

वर्नर योजना (Werner Plan).—यूरोपीय साम्राज्य बाजार में सम्मिलित देशों के विशेषतः ने एक आर्थिक एवं मौद्रिक संघ (Economic and Monetary Union) की योजना तैयार की है जिसे वर्नर योजना (Werner Plan) कहते हैं। इस योजना को साम्राज्य बाजार में पूर्व सम्मिलित 6 देशों की सरकारों के पास भेजा गया जिन्हें इसे 19/0 के अन्त तक स्वीकार करना था। इसे तीन स्तरों में कार्यान्वित करने का निश्चय किया गया है। इसे 1 जनवरी, 19/1 ई० से लागू करने की व्यवस्था थी। इस योजना के अन्तर्गत एक सामान्य यूरोपीय मुद्रा

चालू करने की व्यवस्था है जो यूरोपीय संघीय सुरक्षा व्यवस्था (European Federal Reserve System) पर आधारित होगी। इसके आधारस्वरूप एक 'Community Stabilisation Fund' की स्थापना प्रथम स्तर के पूर्व ही हो जायगी। किन्तु इंग्लैंड के साप्ता वाजार में सम्मिलित होने के कारण इस योजना को लागू होने में देर हो रही है।

विशेष अध्ययन-सूची

1. The Eastern Economist ; Annual Number 1972
2. Papers read at the Indian Economic Association.



अध्याय : 41

विदेशी विनिमय

(Foreign Exchange)

विदेशी विनिमय का अर्थ (Meaning of Foreign Exchange):—विश्व के विभिन्न देश अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरने में यदि आत्म-निर्भर रहते तो अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्ध को कोई समस्या ही नहीं उठती। किन्तु आज विश्व का कोई भी देश आत्म-निर्भर नहीं है। प्रत्येक देश अपने देश की चीजें अन्य देशों के हाथ बेचता है एवं उन देशों से अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ खरीदता है। उदाहरण के लिए, भारत अमेरिका के हाथ अपना अन्नक एवं मैंगनीज बेचता है, और अमेरिका से खरीदता है तथा विभिन्न प्रकार के यन्त्र आदि खरीदता है। इस प्रकार प्रत्येक देश उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करता है जिनके उत्पादन में उसकी सापेक्षिक कुशलता अधिक रहती है। दूसरे शब्दों में, आज विश्व की आर्थिक व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन अथवा विशिष्टीकरण पर आधारित है। इसी से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (International Trade) का जन्म होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के परिणामस्वरूप ही अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन की समस्या उत्पन्न होती है। यहाँ पर यह कहना आवश्यक है कि विश्व में ऐसा कोई पदार्थ या भुगतान का साधन नहीं है जो सर्वत्र स्वीकार किया जाता हो, यानी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा नाम की कोई चीज नहीं है। स्वर्ण इस सम्बन्ध में एक अपवाद अक्षर्य था, जिसके विभिन्न रूपों एवं कार्य-प्रणाली की व्याख्या पिछले अध्याय में की जा चुकी है। किन्तु आधुनिक विश्व में तो स्वर्ण भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा नहीं रह गया है। प्रत्येक देश की अपनी-अपनी पृथक्-एव स्वतन्त्र मौद्रिक प्रणाली है। उसकी अपनी स्वतन्त्र मुद्रा है जो उस राष्ट्र की सीमा के अंदर बगैर किसी प्रतिबन्ध के चलती है, किन्तु राष्ट्र की सीमा के बाहर जिसे कोई भी व्यक्ति भुगतान के रूप में स्वीकार नहीं करता। उदाहरण के लिए भारत की मुद्रा रुपया है, इंग्लैंड की मुद्रा पाँड-स्टैलिंग है अमेरिका की मुद्रा डॉलर है इत्यादि। देश के आन्तरिक भुगतान में इन मुद्राओं को सभी स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि बम्बई का कोई व्यापारी कलकत्ता के किसी व्यापारी के हाथ कपडा बेचना है तो वह भारत की मुद्रा, यानी रुपया या भारत के किसी बैंक के नाम चेक मध्य स्वीकार कर लेगा। किन्तु यदि वही व्यापारी अपना कपडा न्यूयार्क के किसी व्यापारी के हाथ बेचना है तो कपडे के मूल्य का भुगतान किस रूप में होगा, यह एक समस्या हो जाती है। न्यूयार्क के खरीददार के पास डॉलर के नोट हैं, किन्तु ये डॉलर के नोट बम्बई के व्यापारी के लिए प्रायः बेकार होंगे। क्योंकि उसे भारत में कोई स्वीकार नहीं करेगा। बम्बई के व्यापारी को तो रुपयों के नोट चाहिए, किन्तु इस प्रकार का नोट न्यूयार्क के व्यापारी के पाम नहीं है। इस प्रकार विदेशी व्यापार के कारण भुगतान की समस्या उठ खड़ी होती है।

किन्तु कार्यरूप में इस प्रकार की विभिन्नता के कारण कोई कठिनाई नहीं होती। बम्बई का व्यापारी न्यूयार्क के किसी बैंक के ऊपर डॉलर चेक पाकर उसे अपने शहर के किसी बैंक के पास जमा कर देगा और उसके बदले में वहाँ से रुपये-पैसे के रूप में जमा की रसीद प्राप्त कर लेगा। किन्तु यह भुगतान का कार्य अभी इसीसे समाप्त नहीं होता। अब प्रश्न यह है कि बम्बई का बैंक इस डॉलर के चेक को क्या करेगा? उसे तो डॉलर या सेट की कोई आवश्यकता नहीं है। अतएव बैंक उन बेकार डॉलरों को जमा करके क्या करेगा? बैंक डॉलर के चेक को भुना कर इसके बदले में रुपया तभी दे सकता है जब वह उम डॉलर चेक को पुनः भुना कर रुपया प्राप्त कर सके, अतएव बम्बई वाला बैंक उस डॉलर के चेक को किसी न्यूयार्क के बैंक के हाथ बेचेगा। किन्तु विनिमय का यह कार्य यहाँ भी समाप्त नहीं होता। यह विनिमय-प्रवाह इसी प्रकार आगे चलता जायगा और तभी समाप्त होगा जब चेक किसी ऐसे हाथ में चला जाय जो रुपये देकर डॉलर लेना चाहता हो। डॉलर चाहने वाले व्यक्ति वे ही हो सकते हैं जो अमेरिका के निवासी हो या जिन्हें किसी अमेरिका निवासी को भुगतान करना हो। इस प्रकार विदेशी व्यापार—यानी विदेशों में वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय-विक्रय के भुगतान के लिए विदेशी मुद्राओं के विनिमय की आवश्यकता पड़ती है।

यही विदेशी विनिमय का एक उदाहरण है। विदेशी विनिमय का प्रथम आवश्यक सिद्धांत यह है कि हर देश की अपनी अलग अलग मुद्रा होती है जो यद्यपि उस देश की सीमा के अंदर चलती है किन्तु उस देश के बाहर नहीं चलती। इस प्रकार इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हर अदायगी जो देश की सीमा के बाहर होती है, उसमें एक से दूसरी मुद्रा में विनिमय का प्रसंग होता है।

इस प्रकार विदेशी विनिमय की विभिन्न तरीके से परिभाषा दी जाती है। उदाहरण के लिए—“विदेशी विनिमय वह प्रणाली है जिसके द्वारा व्यावसायिक राष्ट्र अपने अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों का भुगतान करते हैं।” (Foreign exchange is the system by which commercial nations discharge their debts to each other) हॉर्टले विदर्स (Hartley Withers) ने विदेशी विनिमय की परिभाषा इस प्रकार से दी है, “विदेशी विनिमय अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक विनिमय का विज्ञान एवं कला है।” (Foreign Exchange is the art and science of International Money Exchanging) कला के रूप में इसका सम्बन्ध उन सब सस्थाओं से है जो विदेशी भुगतान में सहायता पहुँचाती है तथा विज्ञान के रूप में इसका सम्बन्ध केवल उस दर से ही नहीं जिस पर विनिमय होता है बल्कि उन उपायों एवं रीतियों से भी है जिनके द्वारा विदेशी विनिमय की समस्याओं का समाधान किया जाता है। इस प्रकार विस्तृत रूप में विदेशी विनिमय उस पद्धति का द्योतक है जिसके द्वारा व्यापारिक राष्ट्र अपने अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों का भुगतान करते हैं।

हम जानते हैं कि किसी विनिमय में दो पक्षों का होना आवश्यक है। डॉलर को तब तक रुपये में नहीं बदला जा सकता जब तक कि उसी समय रुपये का भी डॉलर में विनिमय नहीं हो और चूँकि प्रत्येक नकद भुगतान के दो पक्ष होते हैं—एक देनेवाला और दूसरा लेनेवाला अतएव इससे स्पष्ट होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक विनिमय में चार व्यक्तियों अथवा पक्षों की आवश्यकता होती है—दो लेनेवाले और दो देनेवाले। विनिमय की इस क्रिया को कभी कभी साधारण बोलचाल की भाषा में तबादला (Conversion) भी कह दिया जाता है—उदाहरण के लिए रुपये का डॉलर में तबादला (Conversion of Rupees into Dollars)। किन्तु इस शब्द से कभी कभी भारी गलतफहमी भी हो सकती है। वास्तव में, विनिमय मुद्राओं का होता है। अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक समस्याओं को समझने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय लेन-दान में मुद्रा के विनिमय की आवश्यकता होती है और प्रत्येक मुद्रा के विनिमय में क्रम-से-क्रम दो पक्षों का होना आवश्यक है। इस प्रकार इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी देश से सगर के अन्य देशों को जो भुगतान होता है वह आवश्यक रूप से इन देशों से भी आकर उस देश में होनेवाले भुगतान के बराबर होता है (Every flow of payments from one country to the rest of the world must be exactly balanced by an equal flow of payments into that country from the rest of the world) क्योंकि एक पक्ष द्वारा जितने भी रुपये विनिमय में दूसरे पक्ष को दिये जाते हैं, वे वही रुपये हैं जो पहले पक्ष ने भी विनिमय में अन्य लोगों से प्राप्त किया है। यह विदेशी विनिमय का पहला और सर्वाधिक प्रमुख सिद्धांत है।

विदेशी विनिमय-बाजार

(The Foreign Exchange Market)

अन्य वस्तुओं की तरह विदेशी मुद्रा की खरीद-बिक्री का भी एक विशिष्ट बाजार होता है जिसे विदेशी विनिमय बाजार (foreign exchange market) कहते हैं। इसमें सभी मुद्राओं के क्रोता एवं विक्रेता होते हैं। दूसरे शब्दों में, विदेशी विनिमय बाजार प्रधानतः वह संगठन है जिसके द्वारा राष्ट्र की मुद्राओं का विनिमय किया जाता है। (The Foreign Exchange Market is primarily the mechanism by which the exchange of national currencies is carried through) यदि यह बाजार बिल्कुल ही पूर्ण प्रतियोगिता के आधार पर निर्मित हो एवं इसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप न हो तो विदेशी मुद्राओं की खरीद बिक्री का कार्य अनिश्चित ढंग से होगा और इस कारण प्रत्येक मुद्रा की विनिमय दर मांग एवं पूर्ति के नियम के आधार पर उन्मुक्त रूप से उसकी मांग एवं पूर्ति के अनुसार निश्चित होगी। जिस तरह से किसी वस्तु की कीमत पूर्ण प्रति योगिता की स्थिति में उसकी मांग एवं पूर्ति के द्वारा निश्चित होती है ठीक उसी तरह ऐसी स्थिति

में मुद्रा की विनिमय-दर भी उसकी मांग एवं पूर्ति द्वारा निश्चित होनी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पूर्ण प्रतियोगिता वाले विनिमय बाजार में किसी भी मुद्रा की विनिमय दर अधिक और दूसरे बाजार में कम हो तो इसे खरीद कर व्यापार करने वाले का पर्याप्त लाभ होगा। ये कम दर की जगह में उसे खरीद कर ज्यादा विनिमय-दर के बाजार में बेचना प्रारम्भ कर देंगे। इसका परिणाम यह होगा कि जहाँ मुद्रा की विनिमय दर कम होगी वहाँ लोग उसे अधिक परिमाण में खरीदेंगे एवं जहाँ उसकी विनिमय-दर अधिक होगी वहाँ उसे बेचेंगे। इसके फलस्वरूप सभी बाजारों में किसी मुद्रा की विनिमय-दर के समान होने की प्रवृत्ति होगी। किन्तु वास्तविक सतार में किसी भी देश में उम्मुक्त विनिमय बाजार नहीं है। विदेशी विनिमय के सम्बन्ध में आज प्रत्येक देश में सरकार द्वारा तरह-तरह के नियन्त्रण एवं प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप के कारण आज विदेशी विनिमय-बाजार में पूर्ण-प्रतियोगिता नहीं रह गयी है जिससे विनिमय की दर के निर्धारण में मांग एवं पूर्ति की शक्तियाँ प्रभावपूर्ण नहीं रह गयी हैं।

उदाहरण के लिए, यदि भारतवर्ष का कोई व्यापारी अमेरिका के किसी व्यापारी से वस्तुएँ खरीदता है तो उसकी कीमत वह रुपये में नहीं चुका सकता, इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उसे डॉलर खरीद कर अमेरिका के व्यापारी को उसकी वस्तुओं की कीमत चुकानी पड़ेगी। आज प्रत्येक देश में स्वतन्त्र पत्र-मुद्रा प्रणाली (Independent paper currency system) का प्रचलन है। सभी देशों में कामज के मोटों की प्रधानता है और घातु की मुद्रा सिर्फ सहायक मुद्रा के रूप में कार्य करती है। ऐसी स्थिति में दो देशों के पारस्परिक मूल्य-स्तर को प्रत्यक्ष रूप में एक समान नहीं किया जा सकता। स्वर्ण-मान में यह सम्भव था, किन्तु आजकल सभी राष्ट्रों की अपनी स्वतन्त्र मुद्रा के कारण सबों के मूल्य-स्तर में सम्बन्ध विनिमय दर द्वारा नहीं स्थापित होता है।

विदेशी विनिमय-बाजार में पहले विनिमय-बिलों (Bills of Exchange) की प्रधानता थी। भूतएव इसे साधारणतया विदेशी विनिमय-बाजार नहीं कह कर विदेशी विनिमय बिलों का बाजार कहा जाता था। विनिमय बिल विदेशी भुगतान के साधन नहीं है किन्तु ये ऐसे पत्र हैं जो विदेशी भुगतान को अनावश्यक बना देने हैं। (Bills of Exchange are not so much a means of making international payments as of rendering international payments unnecessary) विनिमय बिल ठीक चेक की तरह ही साल का एक साधन है। यह एक प्रकार का लिखित पत्र है जिस पर इसके लिखने वाले का हस्ताक्षर रहता है और जिसमें ग्राह्यी (Drawee or Acceptor), को एक लिखित रकम लिखने वाले व्यक्ति या उसके प्रादेश-प्राप्त व्यक्ति या वाहक को देने की आज्ञा रहती है। (A Bill of Exchange is an instrument in writing containing an unconditional order, sign d by the maker, directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument) इस प्रकार विनिमय बिल ठीक चेक की तरह होता है, फिर भी चेक एवं विनिमय बिल में निम्नलिखित तीन प्रमुख अन्तर हैं — (1) चेक किसी बैंक के ऊपर लिखा जाता है किन्तु विनिमय बिल किसी देनदार के नाम होता है। (2) चेक का भुगतान चेक उपस्थित करने के साथ ही होना चाहिए, किन्तु विनिमय बिल का भुगतान एक निश्चित अवधि (साधारणतः तीन महीने) के बाद ही होता है। (3) विनिमय बिल जब तक देनदार द्वारा स्वीकृत (accepted) नहीं होगा तब तक यह पूरा नहीं समझा जाता है, किन्तु चेक के साथ ऐसी कोई बात नहीं पायी जाती है।

पहले विदेशी व्यापार के भुगतान में विदेशी बिलों का बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता था। विनिमय बिल द्वारा भुगतान किस प्रकार होता था एवं उदाहरण में इसे अल्प स्पष्ट किया जा सकता है। मानलिया की बम्बई के कपडे का कोई व्यापारी श्री राम न्यूयार्क के व्यापारी ब्राउन को 100 रुपये का कपडा बेचना है। अब बम्बई का व्यापारी श्री राम 100 रुपये का एक विनिमय बिल ब्राउन के नाम लिखता है जिसमें यह प्रादेश रहता है कि बिल की उपस्थिति के दिन या 90 दिनों के अन्दर सुद श्री राम को या उसके प्रादेश-प्राप्त किसी व्यक्ति को या बिल के वाहक को 100 रुपये चुकता कर दें। यह बिल लिख कर ब्राउन के पास भेज दिया जायगा जो इसे स्वीकार कर लौटा देगा। अब कल्पना कीजिए कि दूसरी ओर न्यूयार्क का एक दूसरा व्यापारी बम्बई के एक व्यापारी के हाथ 100 रुपये की एक कलम बेचना है जिसके बरतने

मे बम्बई के उस व्यापारी को न्यूयार्क में 100 रुपये भेजता है। ऐसी स्थिति में सबसे सुगम काम यह होगा कि बम्बई का व्यापारी श्री राम उस बिल को वहाँ के कलम के व्यापारी के हाथ बेच दे जो इस न्यूयार्क के व्यापारी को भेज कर कलम की कीमत चुकता कर दे। न्यूयार्क का व्यापारी समय आने पर ब्राउन के पास वह बिल भेज कर अपना स्वयं प्राप्त कर लेगा।

विनिमय बिल के द्वारा भुगतान का कार्य इसी प्रकार से होता था। विदेशी व्यापार में पहले विनिमय बिलों का ही अधिक उपयोग किया जाता था। अतएव विदेशी विनिमय-बाजार पहले विदेशी विनिमय बिल-बाजार ही होता था। यह वह स्थान था जहाँ पर ऐसे विनिमय बिल खरीदे या बेचे जा सकते थे जिनका भुगतान लन्दन, न्यूयार्क, शंघाई तथा अन्य विभिन्न केन्द्रों में किया जाता था। बहुत दिनों तक विदेशी भुगतान का यही तरीका प्रचलित था। आज भी विदेशी विनिमय-बाजार में विनिमय बिलों का क्रय-विक्रय हो सकता है। किन्तु आजकल विदेशी विनिमय की समस्या एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा के साथ प्रत्यक्ष विनिमय की समस्या है, अतएव इस बाजार का नाम विदेशी विनिमय बाजार है। फिर भी, इस बाजार को तो विदेशी विनिमय-बाजार का नाम यो ही दिया गया है क्योंकि अन्य वस्तुओं के क्रय और विक्रयों की तरह विदेशी मुद्रा के क्रय-विक्रयों का एक निश्चित स्थान पर बँठकर कारोबार नहीं करते हैं। साथ ही, विदेशी विनिमय-बाजार किसी देश की सीमा के अन्दर भी सीमित नहीं रहता है। विदेशी विनिमय का कारोबार करनेवाला टेलीफोन पर या तार के द्वारा ही घर बैठे अपना व्यापार कर लेता है।

विनिमय की दर

(The Rate of Exchange)

विनिमय की दर का अर्थ (Meaning of the term the Rate of Exchange) — किसी देश की मुद्रा का मूल्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर एक दूसरे प्रश्न के द्वारा दिया जा सकता है। एक किलोग्राम चावल का मूल्य क्या है? इसका उत्तर स्पष्ट है। एक किलोग्राम चावल की कीमत उतनी मुद्राएँ हैं जिनका मूल्य एक किलोग्राम चावल के बराबर है। यदि 1 किलोग्राम चावल की कीमत 50 पैसे है तो चावल एव मुद्रा के मूल्य का अनुपात हुआ 50 पैसे = 1 किलोग्राम चावल। इस प्रकार चावल का मूल्य वह अनुपात है जिस पर चावल एव मुद्रा का विनिमय होता है, यानी चावल एव मुद्रा के बीच यही विनिमय की दर हुई। दो मुद्राओं के बीच की विनिमय-दर भी इसी प्रकार से निश्चित होती है।

इस प्रकार विनिमय-दर (Rate of Exchange) की परिभाषा निम्नलिखित तरीके से दी जा सकती है 'विनिमय दर किसी मुद्रा का वह मूल्य है जो किसी दूसरी मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है।' (The value of a currency expressed in terms of another currency is called its Rate of Exchange) दूसरे शब्दों में, "किसी एक देश की मुद्रा के बदले दूसरे देश की जितनी मुद्रा मिले, वह उनके विदेशी विनिमय की दर कहलाती है।" विनिमय दर की दूसरी परिभाषा इस प्रकार से भी दी जा सकती है—'विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की प्रचलित मुद्रा का दूसरे देश की प्रचलित मुद्रा में विनिमय हो सके। प्रो० सेयर्स (R S Sayers) के अनुसार, "The prices of currencies in terms of each other are called foreign exchange rates"

उक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि 'विनिमय दर केवल दो देशों की मुद्राओं के विनिमय के अनुपात को सूचित करती है।' मान लिया कि अमेरिका में एक रुपये के बदल में 20 सेंट प्राप्त होते हैं, तब हम कहेंगे कि रुपये एव डॉलर की विनिमय-दर 1 रुपया = 20 सेंट या 1 डॉलर = 5 रुपये है।

विनिमय-दर का निर्धारण

(Determination of the Rate of Exchange)

दो मुद्राओं की विनिमय दर की व्याख्या कर लेने के बाद अब हम इस सम्बन्ध में अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करेंगे। विनिमय दर किस प्रकार से निर्धारित होती है? समय-समय पर इसमें क्या परिवर्तन होता है? यहाँ सर्वप्रथम यह बतला देना आवश्यक है कि अन्य मूल्यों की

तरह विनिमय-दर में परिवर्तन भी बिल्कुल स्वाभाविक है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कुछ खास समय में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए, जब दो देशों की मुद्राएँ बिल्कुल स्वर्ण की बनी हुई होती हैं तो इनकी विनिमय-दर में केवल नाम मात्र का ही परिवर्तन होता है। ऐसी स्थिति में दो मुद्राओं की विनिमय-दर उनमें निहित स्वर्ण की मात्रा पर निर्भर करती है। प्रथम पंचव-युद्ध के पूर्व पौंड एव फ्रांक (फ्रांस की मुद्रा) तथा डॉलर आदि की विनिमय-दर इसी प्रकार से निश्चित होती थी। किन्तु युद्ध के बाद स्थिति पूर्णतया बदल गयी। जब दो देशों में ऐसी पंच-मुद्रा चलन में रहती है, जो स्वर्ण में परिवर्तित रहती है तो भी विनिमय दर में परिवर्तन बिल्कुल सीमित रहता है। किन्तु ऐसी स्थिति में विनिमय दर का स्थायित्व स्वाभाविक नहीं होकर मानवीय प्रयत्न द्वारा ही प्राप्त होता है, इस प्रकार आज के विश्व में, जब कि स्वर्ण की मुद्राओं का प्रचलन नहीं है उनको कीमत की स्थिरता तभी सुनिश्चित रह सकती है जब उसने लिए खास युक्तियाँ की जायें।

जिस प्रकार से किसी वस्तु का मूल्य उसकी मांग एवं पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है, विदेशी विनिमय बाजार में मुद्रा का मूल्य भी ठीक उसी प्रकार उसकी मांग एवं पूर्ति की सापेक्षक शक्तियों द्वारा तय होता है। इस बचन को ठीक-ठीक समझने में थोड़ी बहुत कठिनाई हो सकती है। भारत के लोगों को अमेरिका में मुद्रा भेजने की हजारों प्रकार की जरूरत हो सकती है। वे अमेरिका से प्राप्त वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत को चुकाना चाहते होंगे, अमेरिका से लिये गये वस्तुओं के मूल-धन एवं व्यय का चुकता करना चाहते होंगे अथवा अमेरिका से कोई प्रतिभूति या हिस्सा बगैरह खरीदना चाहते होंगे। इस प्रकार अनेक कारणों से भारतीय अमेरिका में मुद्रा भेजना चाहते होंगे। यदि कोई भी व्यक्ति जिसके पास रुपये हैं और जो रुपये के बदले में किसी भी वस्तु से डॉलर लेना चाहता है तो वह रुपये के बदले में डॉलर की मांग उत्पन्न करता है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति जिसके पास डॉलर हों, और उसके बदले में वस्तु चाहता हो, वह रुपये के बदले डॉलर की पूर्ति करता है। डॉलर की मांग रुपये की पूर्ति है और डॉलर की पूर्ति रुपये की मांग है। *The demand for Dollars is of course the supply of Rupee and the supply of Dollars is the demand for Rupees* जब हम रुपये के बदले में डॉलर की पूर्ति की चर्चा करते हैं तो हम यह कहना चाहते हैं कि रुपये की डॉलर में बदलने के लिए जितने डॉलर की मांग की जाती है उसमें और जितनी डॉलर की पूर्ति की जाती है उसमें क्या पारस्परिक सम्बन्ध है ?

इस प्रकार रुपये एवं डॉलर की विनिमय-दर विनिमय बाजार में इनकी सापेक्षिक मांग एवं पूर्ति की शक्तियों पर निर्भर करती है। किन्तु विदेशी विनिमय-बाजार में किसी विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति के कारण इतने विभिन्न प्रकार के होते हैं कि शायद ही किसी दिन देव सयोग से डॉलर की जो मांग होगी यह उसकी पूर्ति के बराबर होगी। फिर भी, यह एक स्वयं सिद्ध बात है कि हरेक खरीदने वाले डॉलरों की सख्या बेचे गये डॉलरों की सख्या के बराबर अवश्य होगी क्योंकि जितना डॉलर कोई खरीदता है उतना ही दूसरा कोई बेचता भी है। किन्तु यदि मांग एवं पूर्ति में प्रारम्भ में ही विपत्तया ही तो इस सीदे की समानता, अर्थात् खरीद विक्री की समानता सरकारी नियन्त्रण अथवा हस्तक्षेप के अभाव में केवल मूल्य में कमी-बेशी, अर्थात् विनिमय दर में परिवर्तन द्वारा ही लायी जा सकती है। एक उदाहरण द्वारा इसे अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। मानलिया कि सोमवार को कारोबार समाप्त होने के बाद विनिमय की दर 5 डॉलर=1 पौंड थी। अब किसी कारणवस भगलावर के सुबह में अधिक व्यक्ति पौंड देकर डॉलर लेना चाहते हैं, किन्तु पाँच डॉलर=1 पौंड की दर पर डॉलर देकर पौंड मांग करनेवाले लोगों की सख्या इससे कम है। अब चूँकि डॉलर की पूर्ति इसकी मांग से अधिक है, अतएव पौंड के रूप में डॉलर की कीमत बढ़ जायगी और विनिमय दर में हेर-फेर होकर यह पुनः 4 50 डॉलर हो जायगी। अब डॉलर रखनेवाले जो 5 डॉलर देकर पौंड नहीं खरीद रहे थे इस दर पर यानी 4 50 डॉलर=1 पौंड की दर पर पौंड खरीदना चाहेंगे। इसके विपरीत पौंड रखनेवाले जिन्हें पहले 1 पौंड के बदले में पाँच डॉलर मिलता था, 4 50 डॉलर=1 पौंड पर इसे बेचने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसका परिणाम यह होगा कि पौंड में बदले जानेवाले डॉलरों की सख्या बढ़ जायगी और पौंड के बदले में डॉलर चाहने वालों की भी सख्या बढ़ जायगी। इस प्रकार मोल-जोल के द्वारा विनिमय की दर प्राकर उम बिन्दु पर स्थिर हो जायगी जिस पर डॉलर की मांग एवं पूर्ति आपस में बराबर हो जायेंगे।

किन्तु यह बात केवल दो मुद्राओं तक ही सीमित नहीं है। हर समय जब न्यूयार्क एवं लन्दन में कारोबार चल रहा हो तो डॉलर एवं पौंड के बीच की विनिमय-दर दोनों केन्द्रों में एक ही होनी चाहिए। यदि डॉलर एवं पौंड की दर 4 50 डॉलर लन्दन में तथा 4 40 डॉलर न्यूयार्क में हो तो कोई व्यक्ति लन्दन में 100 पौंड के बदले 450 डॉलर खरीदकर न्यूयार्क में भेजकर उससे 100 से अधिक पौंड प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की बात बहुत-से लोग करना प्रारम्भ कर देंगे। इस पर परिणाम यह होगा कि न्यूयार्क में पौंड की मांग तथा इंग्लैंड में डॉलर की मांग बढ़ जायगी जिससे न्यूयार्क में विनिमय-दर बढ़ेगी और लन्दन में घटेगी और ऐसा तब तक होगा जब तक कि दोनों की दरें बराबर नहीं हो जाती हैं। इस प्रकार के व्यापार को आर्बिट्रिज (Arbitrage) कहा जाता है और इस कार्य के लिए दलाल हरेक केन्द्र में सदा वर्तमान रहते हैं जो ऐसा कार्य करते हैं। परन्तु ये मुद्रा-दलाल केवल पौंड एवं डॉलर का ही कार्य नहीं करते वरन् ये एक ही समय विभिन्न देशों की मुद्राओं के साँझा कारोबार करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि विश्व के प्रायः सभी केन्द्रों में विभिन्न मुद्राओं की विनिमय-दर एक ही होती है।

विदेशी मुद्रा की मांग के कारण (Factors governing the demand for foreign currencies)—कोई व्यक्ति विभिन्न कारणों से किसी दूसरी देश की मुद्रा, यानी विदेशी विनिमय की मांग करता है। इन कारणों को मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन समूहों में विभाजित किया जा सकता है:—

(क) व्यापार (Trade) के सुगतान के लिए : विदेशी विनिमय की मांग का सर्वाधिक प्रमुख कारण साधारण व्यवसाय के लिए सुगतान या देन है। इस अर्थ में व्यवसाय का तात्पर्य केवल दृश्य वस्तुओं (Visible commodities) के क्रय-विक्रय से नहीं है। वरन् इसमें अदृश्य वस्तुएँ (Invisible commodities) यानी विभिन्न प्रकार की सेवाओं का क्रय विक्रय भी सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए, जहाज का भाड़ा, कम्पनियों का शुल्क, भ्रमण-कारियों की सेवाओं के लिए शुल्क तथा इसी प्रकार की अन्य सेवाएँ। इस प्रकार के व्यवसाय के अन्तर्गत दृश्य (Visible) एवं अदृश्य (Invisible) दोनों प्रकार के व्यवसाय सम्मिलित रहते हैं।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी एवं सूद का गमनागमन (Movements of international capital and interest on capital).—विश्व में बहुत-सारे देशों की पूँजी अन्य देशों में विनियोग की जाती है। उदाहरण के लिए, इंग्लैंड ने उन्नीसवीं तथा बीसवीं शताब्दी के प्रथम माग में विश्व के दूसरे देशों में सम्पत्ति अथवा लायदाद खरीदकर, विदेशी कम्पनियों के हिस्से खरीद कर या विदेशी सरकारी तथा औद्योगिक संस्थाओं को ऋण के रूप अपनी बहुत अधिक पूँजी का विनियोग किया था। जब कभी भी इंग्लैंड द्वारा इस प्रकार विनियोग की गयी पूँजी पर व्याज अथवा लाभ देना हो या पूँजी ही लौटानी होती है तो विदेशी इस कार्य के लिए पौंड की मांग करते हैं। इसी प्रकार जब कोई विदेशी इंग्लैंड अथवा किसी अन्य देश में अपनी पूँजी का विनियोग करना चाहता है तो उस देश की मुद्रा की मांग करता है। इसी प्रकार बहुत-सी विदेशी पूँजी केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से सदा एक देश से दूसरे देश में घूमती-फिरती है। व्यावसायिक मन्दी अथवा राजनीतिक क्रान्ति के समय घनी व्यक्ति सुरक्षा के लिए अन्य देशों में अपनी पूँजी लगाते हैं। दोनों विश्व-युद्धों के बीच इस प्रकार की बहुत-सी अन्तर्राष्ट्रीय अल्पावधि पूँजी (International short-term capital) या गर्म मुद्रा (hot money) सदा सुरक्षा एवं लाभ की खोज में एक देश से दूसरे देश में भ्राती-जाती थी। इस प्रकार विदेशी पूँजी तथा इस पर सूद के आदान-प्रदान के लिए भी विदेशी मुद्रा की मांग होती है।

(ग) परिकल्पना के उद्देश्य (Speculative motive) से भी विदेशी मुद्रा की मांग होती है:—कभी-कभी परिकल्पना के उद्देश्य से भी विदेशी मुद्रा की मांग होती है। बहुत से लोग विदेशी मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन से लाभ कमाने के लिए सदा इम ताक म रहते हैं कि किस मुद्रा के विदेशी मूल्य में थोड़ा परिवर्तन हो जिससे कि वे लोग लाभ कमा सकें। कभी-कभी लोगों के मन में अकारण ही यह आशंका उत्पन्न हो सकती है कि अन्य मुद्राओं के मुकाबले रुपये का विनिमय मूल्य अधिक होने जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में विदेशी विनिमय-बाजार में रुपये की मांग बढ़ जायगी। इसी प्रकार किसी कारणवश यदि यह आशंका उत्पन्न हो जाय कि रुपये का

विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं के रूप में गिर रहा है तो लोग इसे बदलना प्रारम्भ कर देते हैं। इस प्रकार विनिमय मूल्य में परिवर्तन से नाम कमाने के उद्देश्य से भी विदेशी मुद्रा की मांग होती है।

प्रत्येक विदेशी विनिमय को इन तीनों में से किसी एक श्रेणी में रखा जा सकता है यानी विदेशी विनिमय-सम्बन्धी लेन-देन या तो वस्तुओं अथवा सेवाओं के मूल्यों को चुकाने के लिए या विदेशों में विनिमय करने अथवा विदेशों प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए या विनियोजन-दर में परिवर्तन से नाम कमाने के लिए परिवर्तन के उद्देश्य से की जाती है। इन तीनों प्रकार के लेन-देन में से पहले की अपेक्षा दूसरे और तीसरे की प्रकृति कुछ भिन्न है। जब रुपया डॉलर में पूँजी के विनियोग के लिए बदला जाता है तो पूँजी पर ब्याज तो देना ही पड़ता है। साथ ही, पूँजी की रकम को भी एक दिन वापस करना ही पड़ता है। दूसरे शब्दों में, विदेश में विनिमय किया गया रुपया कई सूरतों में देश के भीतर आता है, यानी पूँजी का विनिमय प्रत्यावर्तक (self-reversing) होता है। इनके परिणामस्वरूप सदा विपरीत दिशा में भुगतान होता है। अतएव, मुद्रा के विदेशी मूल्य पर इनका प्रभाव सदा सकारात्मक नहीं होकर सदा अकारात्मक होता है। इसी प्रकार परिवर्तन सम्बन्धी लेन-देन भी प्रत्यावर्तक होते हैं। जब कोई फाटकेबाज (peculator) परिवर्तन के उद्देश्य से किसी विदेशी मुद्रा को खरीदता है तो वह उसे बेचकर ही नाम कमाता है। इस प्रकार परिवर्तन के काम में भी दुहरे कारोबार की प्रवृत्ति पायी जाती है। अतएव उपरोक्त तीन श्रेणियों में से केवल व्यवसाय की श्रेणी ही प्रत्यावर्तक नहीं होती है।

विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी लेन-देन की इन विभिन्न श्रेणियों में इस अन्तर का विनिमय दर के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जहाँ तक विनिमय-दर में दैनिक परिवर्तन का सम्बन्ध है इस पर इन तीनों प्रकार के लेन-देन का प्रभाव पड़ता है, किन्तु पूँजी एवं परिवर्तन-सम्बन्धी लेन-देन प्रत्यावर्तक होते हैं। अतएव मुद्रा के दीर्घकालीन एवं स्थायी मूल्य के निर्धारण में इनका प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार मुद्रा के मूल्य में दीर्घकालीन एवं स्थायी परिवर्तनों के कारणों की विवेचना में हमें केवल व्यवसाय (Trade) यानी वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए लेन-देन पर ही विचार करना होगा। यदि हम इस बात का पता लगा सकें कि कोई देश अपनी वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए जो मूल्य पाता है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं से आय के लिए जो विदेशों को मूल्य चुकाता है उन श्रेणियों का आकार किस प्रकार से निश्चित होता है तो विभिन्न मुद्राओं के मूल्य के स्रोत के सम्बन्ध में पता लगा सकते हैं। वास्तव में, इन अद्ययुगियों के आधार पर टैरिफ एवं क्यू गी कर (Tariff and Custom Duties) वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य, यातायात व्यय तथा अन्य बहुत-सी बातों का प्रभाव पड़ता है जिनकी व्याख्या हम विनिमय दर के निर्धारण के अन्तर्गत करेंगे।

विनिमय की समता

(Par of Exchange)

अभी-अभी हमने यह देखा है कि विनिमय की दर विदेशी मुद्रा की मांग एवं इसकी पूर्ति की पारस्परिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। जब कभी विदेशी मुद्रा की मांग इसकी पूर्ति के बराबर होती है तब विनिमय की दर साम्य (Parity) पर होती है और विनिमय की दर की विनिमय की समता (Par of Exchange) कहते हैं। परन्तु यदि विदेशी मुद्रा की पूर्ति इसकी मांग से अधिक है या देशी मुद्रा की मांग इसकी पूर्ति से अधिक है तब विदेशी मुद्रा का मूल्य साम्य दर (Parity) से कम हो जायगा या देशी मुद्रा का मूल्य साम्य दर से ऊँचा हो जायगा। दूसरे शब्दों में, यदि विदेशी मुद्रा की पूर्ति अधिक और मांग कम है, तब विनिमय की दर विदेशी अर्थात् विदेशी मुद्रा का मूल्य विनिमय-दर की समता (Par of Exchange) से कम हो जायगा और इस स्थिति में विदेशी मुद्रा को खरीदने के लिए हमको पहले की अपेक्षा उतनी मुद्राएँ कम देनी पड़ेगी। इसके विपरीत, यदि विदेशी मुद्रा की मांग इसकी पूर्ति से अधिक है, तब विदेशी मुद्रा का मूल्य विनिमय-दर के साम्य (Par of Exchange) से ऊँचा हो जायगा अथवा विनिमय की दर ऊँची हो जायगी। इस स्थिति में विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए हमको पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में अपनी मुद्रा देनी पड़ेगी।

अब हमें यहाँ पर यह देवना है कि विदेशी विनिमय की दर (Rate of Exchange) किस

सीमा तक साम्य (Parity) से ऊपर उठ सकती है या किस सीमा तक नीचे गिर सकती है। विनिमय की दर में साम्य दर के नीचे या ऊपर क्रमशः घट-बढ़ की कुछ सीमाएँ (Limits) ब्रह्मण्य होती हैं, परन्तु ये सीमाएँ (Limitations) विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न होती हैं। किन्तु विनिमय की साम्य-दर (Par of Exchange) स्वयं भी विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न प्रकार से निश्चित होती है अर्थात् देश में प्रचलित मुद्रा-मान के अनुसार ही विनिमय की साम्य दर भी भिन्न भिन्न प्रकार से निश्चित की जाती है। अतः हम विनिमय की दर के निर्धारण की समस्या का अध्ययन दो भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के अन्तर्गत करते हैं —

- (1) जब दो देशों में स्वर्ण-मान (Gold Standard) का प्रचलन रहता है, एवं
- (11) जब दोनों देशों में अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा (Inconvertible Paper Currency) का प्रचलन रहता है।

स्वर्ण-मान वाले देशों में विनिमय दर

(Rate of Exchange in the Gold Standard Countries)

या

टंकसाहो समता सिद्धान्त

(Mint Par Parity Theory)

जब दो देशों में स्वर्ण मान का प्रचलन रहता है, तब इन देशों में या तो सोने के सिक्कों (Gold coins) का प्रचलन रहता है या देश की मुद्रा की एक इकाई (Currency Unit) एक निश्चित दर पर स्वर्ण में परिवर्तनीय होती है या देश की मुद्रा को एक ऐसे देश की मुद्रा में परिवर्तन कर दिया जाता है जो स्वर्ण में परिवर्तनीय होती है। स्वर्ण-मान वाले देशों में स्वर्ण के आयात-निर्यात पर भी कोई प्रतिबन्ध अथवा रुकावट नहीं रहती है। इससे स्वर्ण-मान वाले देशों में विनिमय दर का निर्धारण बहुत ही सरल होता है।

जब दो देशों की मुद्राएँ स्वर्ण पर आधारित होती हैं, तब इन दोनों देशों की मुद्राओं का स्वर्ण के साथ एक निश्चित दर पर सम्बन्ध रहता है। अतएव इन दोनों स्वर्ण मान वाले देशों के विनिमय की दर इनकी मुद्रा में निहित स्वर्ण की मात्रा (Gold Contents) के द्वारा निश्चित होती है। दूसरे शब्दों में स्वर्ण-मान वाले देशों की मुद्राओं की विनिमय-दर स्वर्ण के रूप में उनकी मुद्रा की न्यून शक्ति पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि 1 डॉलर में 1 ग्राम शुद्ध स्वर्ण है और एक रुपये में 1/5 ग्राम शुद्ध स्वर्ण है तो डॉलर एवं रुपये की विनिमय दर होगी 1 डॉलर=5 रुपये। इस प्रकार दो देशों की मुद्राओं में स्वर्ण की मात्रा के आधार पर जो विनिमय दर तय होती है, उसे "विनिमय की टंकसाहो दर" या "टंक समता दर" (Mint par of Exchange) या "स्वर्ण मूल्य-दर" (Gold par of Exchange) कहते हैं। सुप्रसिद्ध विद्वान् थॉमस (Thomas) के शब्दों में, "टंक समता वह अनुपात है जो एक ही धात्विक मुद्रा-मान पर आधारित दो राष्ट्रों की प्रामाणिक मौद्रिक इकाइयों के वैधानिक धातु साम्य से व्यक्त होती है।" (Mint par is an expression of the ratio between the statutory bullion equivalents of the standard monetary units of two countries on the same metallic standard) उक्त वाक्य में वैधानिक (Statutory) शब्द को भली प्रकार से समझ लेना चाहिए। स्वर्ण-मान पर आधारित राष्ट्रों की मुद्रा के "वैधानिक विद्युद्ध स्वर्ण-मूल्य" से ही टंक समता निश्चित की जाती है न कि उनके "वास्तविक-मूल्य" से। जब तक विधान में परिवर्तन नहीं होता, टंक समता में भी परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए क्लेयर और कैंप ने भी कहा है — "The Mint Par depends, in short, not on the coin itself, but on the legal definition of it, not on the sovereign de facto but on the sovereign de jure, unless and until the law is altered, the mint par cannot alter" अतः टंक समता का अन्विष्ट है — विद्युद्ध स्वर्ण-मान वाले देशों में एक देश की स्वर्ण-मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के विद्युद्ध स्वर्ण के रूप में मूल्य। विनिमय दर की दीर्घकालीन प्रवृत्ति इस टंक समता के बराबर होने की होती है, यद्यपि समय-समय पर वास्तविक विनिमय-दर इस टंक से कुछ कम या कुछ अधिक भी हो सकती है।

टंक-समता का निर्धारण (Determination of the Mint Par of Exchange) .— स्वर्ण मान के अन्तर्गत देश की प्रामाणिक मुद्रा का स्वर्ण मूल्य कानून द्वारा निश्चित किया जाता है। इस स्वर्ण-मूल्य से ही हम विशुद्ध स्वर्ण का मूल्य मालूम करते हैं और इसके आदार पर टंक समता (Mint Par of Exchange) मालूम करते हैं।

मानलिया कि हमें अमेरिका एव इंग्लैंड के बीच विनिमय की दर मालूम करनी है। इन दोनों देशों में स्वर्ण मान प्रचलित है तो सर्वप्रथम हम इन मुद्राओं के स्वर्ण-मूल्य को मालूम करेंगे। अब मानलिया कि 1 ग्रैजो पौंड (साँवरन) में 123.274 ग्रैन स्वर्ण $\frac{11}{12}$ भाग शुद्धता (Fineness) का होता है। इसलिये 1 पौंड में $\frac{123\ 274 \times 11}{12}$ अर्थात् 113 00016 ग्रैन विशुद्ध स्वर्ण होगा।

दूसरी ओर अमेरिका का सिक्का ईगल (Eagle) है जिसमें 10 डॉलर होते हैं। 1 ईगल में 258 ग्रैन स्वर्ण $\frac{9}{10}$ भाग शुद्धता (Fineness) का होता है, इस प्रकार 10 डॉलर में 258 ग्रैन $\frac{9}{10}$ भाग शुद्धता का स्वर्ण रहता है, यानी 10 डॉलर में $\frac{258 \times 9}{10} = 232.2$ ग्रैन विशुद्ध स्वर्ण होता है। अतएव 1 डॉलर में $\frac{232.2}{10} = 23.22$ ग्रैन विशुद्ध स्वर्ण रहता है। पुन जबकि 23.22 ग्रैन विशुद्ध स्वर्ण 1 डॉलर के बराबर होता है तथा 113 00016 ग्रैन विशुद्ध स्वर्ण एक पौंड के बराबर होता है, अतएव एक पौंड = $\frac{113\ 000 \times 1}{2322}$ डॉलर अर्थात् एक पौंड = 4 8665

डॉलर के बराबर होगा। इस प्रकार पौंड एव डॉलर में टंक-समता (S'terling-Dollar Mint Par of Exchange) 1 पौंड = 4 8665 डॉलर होगी।¹

इसका अर्थ यह हुआ कि इंग्लैंड और अमेरिका के बीच जब तक विनिमय सम-मात्र (Exchange at Par) है तब तक न्यूयार्क के आयातकर्ता को न्यूयार्क में 4 8665 डॉलर देने पर लन्दन में 1 पौंड मिल सकेगा। इसी तरह इंग्लैंड का एक व्यापारी लन्दन में 1 पौंड देकर अमेरिका में 4 8665 डॉलर का मुगतान कर सकेगा।

टंक-समता में परिवर्तन और स्वर्ण-बिन्दु (Variations from the Parity and the Specie Points) :— स्वर्ण-मान वाले देशों में विनिमय दर की दीर्घकालीन प्रवृत्ति टंक-समता (Mint Par of Exchange) के बराबर होने की होती है, किन्तु व्यवहार में विनिमय की दर टंक-समता (Mint Par) से कभी ऊपर तो कभी नीचे रहती है। किन्तु ऐसा क्यों होता है? इसका कारण स्पष्ट है। हम जानते हैं कि किसी भी समय विशेष में विनिमय की दर विदेशी मुद्रा की माँग एव पूर्ति की सपेक्षिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। अब इनकी माँग एव पूर्ति के परिवर्तन से इनका मूल्य टंक समता से कभी ऊपर तथा कभी नीचे होते रहता है। दूसरे शब्दों में, स्वर्ण मान के अन्तर्गत की विनिमय की दर में व्यापार की प्रगति एव इसके फलस्वरूप मुद्रा की माँग एव पूर्ति में परिवर्तन के अनुमात्रमदैव परिवर्तन (Variation) होते रहता है। किन्तु विनिमय-दर का यह उतार चढ़ाव उच्चतम स्वर्ण-बिन्दु (Upper Gold Point) एव निम्नतम स्वर्ण-बिन्दु (Lower Gold Point) के बीच सीमित रहता है।

जब दो देश स्वर्ण मान पर आधारित होते हैं और स्वर्ण एक स्थान से दूसरे स्थान को बिना किसी रोक टोक के भेजा जा सकता है, तब विनिमय की दर में उतार-चढ़ाव की सीमा स्वर्ण के भेजने में जो व्यय होता है (वैकिंग, कार्टिंग, जहाज का व्यय, बीमा का व्यय तथा अन्य छोटे-छोटे व्यय आदि) उनसे निश्चिन होती है। किसी समय टंक समता की दर में स्वर्ण भेजने के लिए जो व्यय

1 पौंड डॉलर की दर टंक समता 1 पौंड = 4 8665 डॉलर तक ही है जबकि विधान के अनुसार एक पौंड में 113 00016 ग्रैन विशुद्ध स्वर्ण और एक डॉलर में 23.22 ग्रैन विशुद्ध स्वर्ण हैं। यदि कानून द्वारा पौंड और डॉलर में विशुद्ध स्वर्ण की मात्रा बतल दी जाय, तब इस टंक समता में भी परिवर्तन हो जायेगा।

(cost of transmitting Gold) होता है, उसे जोड़ देने पर हम विनिमय दर की उच्चतम सीमा (Upper Limit) प्राप्त करते हैं और, इसी तरह टक-समता की दर में स्वर्ण भेजने के व्यय को घटा देने से विनिमय की दर की निम्नतम सीमा (Lower Limit), प्राप्त होती है। एक उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है। मानलिया, इंग्लैंड एव भारत के बीच व्यापार हो रहा है और भुगतान सतुलन भारत के प्रतिकूल है। अर्थात् भारत में पौंड की मांग उनकी पूर्ति से अधिक है। ऐसी स्थिति में भारत की मुद्रा का मूल्य कम हो जायगा और इंग्लैंड की मुद्रा का मूल्य बढ़ जायगा। मानलिया, भारत एव इंग्लैंड के बीच टक समता दर (Mint Par of Exchange) 1 पौंड = 15 रुपये है तथा भारत से इंग्लैंड को 15 रुपये का स्वर्ण भेजने या मगाने का व्यय 0.4 रुपये है। अब प्रतिकूल भुगतान सतुलन के समय भारतीय व्यापारियों को इंग्लैंड के व्यापारियों की रकम का भुगतान करने के लिए 1 पौंड के बदले में 15 रुपये से अधिक देना पड़ेगा। परन्तु भारत का कोई भी व्यापारी इंग्लैंड में 1 पौंड का भुगतान करने के लिए अधिक-से-अधिक कितना रुपया देने के लिए तैयार होगा? इंग्लैंड में 1 पौंड का भुगतान करने के लिए भारत का कोई व्यापारी भारत में अधिक-से-अधिक टक-समता की दर + सोना भेजने का व्यय, यानी (15 + 0.4 = 15.4) रुपये तक ही देने के लिए तैयार होगा। अब यदि भारत में उसे 1 पौंड खरीदने के लिए 15.4 रुपये से अधिक देना पड़ेगा तो वह पौंड नहीं खरीद कर स्वयं स्वर्ण खरीद कर इंग्लैंड भेज देगा क्योंकि उसकी दृष्टि में अब इंग्लैंड में स्वर्ण भेजना लाभदायक है। इससे स्पष्ट है कि भारत से सोना का निर्यात तब आरम्भ होता है जबकि इंग्लैंड में 1 पौंड का भुगतान करने के लिए किसी व्यापारी को 15.4 रुपये से अधिक रकम देनी पड़ती है। दूसरे शब्दों में 1 पौंड = 15.4 रुपये की सीमा वह सीमा है जिससे अधिक वास्तविक विनिमय-दर होने पर स्वर्ण भारत से इंग्लैंड की ओर जाने लगेगा। भारत की दृष्टि से यह सीमा स्वर्ण निर्यात बिन्दु या उच्चतम स्वर्ण-विन्दु (Gold export Point or Upper Gold Point) और इंग्लैंड की दृष्टि से स्वर्ण आयात-विन्दु या न्यूनतम स्वर्ण-विन्दु (Gold Import Point or Lower Gold Point) हुई। अतएव, विनिमय की उच्चतम सीमा या उच्चतम स्वर्ण बिन्दु (Upper Specie Point) के बराबर है टक समता की दर + स्वर्ण-परिवहन व्यय + Cost of Transmitting Gold। यह वह दर है जिससे अधिक विनिमय-दर होने पर एक देश (भारत) से दूसरे देश (इंग्लैंड) में स्वर्ण का निर्यात होने लगेगा।

इसी प्रकार स्वर्ण-मान के अन्तर्गत विनिमय दर की एक न्यूनतम सीमा (Lower Limit) भी होती है। यह सीमा टक-समता की दर में से स्वर्ण के मगाने के लिए जो कुछ व्यय होता है उसे घटा देने से मालूम होती है। एक उदाहरण द्वारा इसे अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। उक्त उदाहरण के आधार पर हम यह मान लेते हैं कि भुगतान का सतुलन भारत के अनुकूल एवं इंग्लैंड के प्रतिकूल है। इसका अर्थ यह हुआ कि इंग्लैंड में इंग्लैंड के व्यापारी के रुपये की मांग इसकी पूर्ति से अधिक है। ऐसी स्थिति में इंग्लैंड की मुद्रा का मूल्य कम हो जायगा और भारत की मुद्रा का मूल्य अधिक हो जायगा। दूसरे शब्दों में, इंग्लैंड के व्यापारी को भारत में 15 रुपये का भुगतान करने के लिए पहले अधिक पौंड खर्च करने पड़ेंगे, यानी इंग्लैंड में इंग्लैंड के व्यापारी को प्रति पौंड पहले से कम रुपया प्राप्त होगा क्योंकि अब पौंड का मूल्य कम और रुपये का मूल्य अधिक हो गया है। पहले की ही तरह हम यहाँ पर भी यह मान लेते हैं कि इंग्लैंड और भारत के बीच टक-समता की दर (Mint Par of Exchange) है 1 पौंड = 15 रुपये और इंग्लैंड और भारत को 1 पौंड का स्वर्ण भेजने या मगाने का व्यय 1 शिलिंग है। (यह बात मान ली गयी है कि 1 शिलिंग = 0.4 रुपये के) चूँकि भारत में इस समय अनुकूल भुगतान सतुलन है, इसलिए इंग्लैंड के व्यापारियों को भारत के व्यापारियों को भुगतान करना है। इंग्लैंड में प्रतिकूल भुगतान सतुलन होने के कारण पौंड का रुपये के रूप में मूल्य कम हो गया है जिससे इंग्लैंड के व्यापारी को भारत में 15 रुपये का भुगतान करने के लिए अब 1 पौंड से अधिक रकम व्यय करनी पड़ेगी। चिन्तु भारत में, 15 रुपये का भुगतान करने के लिये इंग्लैंड का कोई भी व्यापारी अधिक से-अधिक टक-समता की दर + सोना भेजने का व्यय अर्थात् 1 पौंड + 1 शिलिंग देने के लिए तैयार होगा। परन्तु यदि उसे इंग्लैंड में 15 रुपये प्राप्त करने के लिए 21 शिलिंग से अधिक की रकम देनी पड़ती है तब वह बजाय रुपया खरीद कर भुगतान करने के,

स्वयं सोना खरीद कर भारत को भेज देगा क्योंकि यह कार्य उसके लिए अपेक्षाकृत अधिक लाभदायक रहेगा ।

इससे स्पष्ट है कि इंग्लैंड से स्वर्ण का निर्यात तब ही आरम्भ होगा जबकि भारत में 15 रुपये मुगतान के लिए इंग्लैंड के व्यापारी को 21 शिलिंग से अधिक की रकम व्यय करनी पड़ती है और, चूंकि यह मान लिया गया है कि 1 शिलिंग बराबर है 0 4 रुपये के, अतएव 1 पौंड = 14 96 रुपये के वह सीमा है जिससे कम विनिमय दर हो जाने पर स्वर्ण का इंग्लैंड से भारत को निर्यात होने लगेगा । इस सीमा (या बिन्दु) या निम्नतम स्वर्ण बिन्दु को हम निम्नतम स्वर्ण बिन्दु (Lower Gold Point or Lower Specie Point) कहते हैं । अतः किसी समय पर विनिमय दर की निम्नतम सीमा या निम्नतम स्वर्ण बिन्दु = टक-समता की दर—स्वर्ण परिवहन ध्यय और यह वह दर है जिससे कम विनिमय की दर होने पर स्वर्ण एक देश (इंग्लैंड से दूसरे देश (भारत) को जाने लगता है ।

अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा वाले देशों में विनिमय की दर

(Rate of Exchange in the case of Inconvertible Paper Currencies)

जब दो देशों में अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा (Inconvertible Paper Currencies) का प्रचलन रहता है तो इनकी विनिमय-दर के निर्धारण में कुछ कठिनाई होती है । पत्र-मुद्रा वाले देशों की मुद्राओं की विनिमय-दर स्वर्ण बिन्दुओं (Gold points) द्वारा मर्यादित नहीं होती है, क्योंकि लाजकल पत्र-मुद्राओं का धातुओं से प्रायः कोई सम्बन्ध नहीं रहता । अतएव इन देशों की मुद्राओं की विनिमय-दर इनकी भाग एव पूँति द्वारा निश्चित होती है । किन्तु इनकी विनिमय-दर पर इन देशों की मुद्राओं की क्रय-शक्ति (Purchasing Power) का भी प्रभाव पड़ता है । अतएव जब दो देशों में अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा का प्रचलन रहता है तो ऐसी स्थिति में किसी एक देश की मुद्रा के मूल्य की तुलना किसी दूसरे देश की मुद्रा से करने के लिए हम दोनों मुद्राओं की क्रय शक्ति का उपयोग करन हैं । दूसरे शब्दों में, अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा (Inconvertible Paper Currency) वाले देशों की विनिमय-दर उनकी क्रय शक्ति साम्य (Purchasing Power Parity) पर निर्भर करती है । अतएव इस प्रकार के मुद्रावाले देशों की विनिमय-दर के निर्धारण में इनकी सापेक्षिक क्रय-शक्ति का बहुत अधिक महत्त्व रहता है ।

क्रय-शक्ति-साम्य सिद्धान्त

(Purchasing Power Parity Theory)

परिभाषा :—क्रय-शक्ति-साम्य सिद्धांत का उल्लेख उन्नीसवीं शताब्दी में भी कुछ विद्वानों ने किया था, किन्तु प्रथम महायुद्ध के बाद जब यूरोप में अविस्मृति की समस्या गम्भीर हो गयी थी, तो स्वीडेन के सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री गुस्तव कैसल (Gustav Cassel) एव केन्स (Keynes), आदि अर्थशास्त्रियों ने मुद्राओं की विनिमय-दर एव राष्ट्रीय मूल्य-तल के परिवर्तन के पारस्परिक सम्बन्धों की व्याख्या के लिए क्रय-शक्ति समता सिद्धांत का प्रयोग किया । प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्वयं मान के पुनर्स्थापित हो जाने से यह सिद्धांत बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया था ।

क्रय-शक्ति साम्य सिद्धांत के अनुसार दो अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा वाले देशों में विनिमय की दर इन देशों के मूल्य-स्तर (Price Level) के पारस्परिक सम्बन्धों द्वारा निश्चित होगी है । मूल्य स्तरों के पारस्परिक सम्बन्धों के आधार पर निश्चित होनेवाली विनिमय की दर को क्रय-शक्ति साम्य (Purchasing Power Parity) कहते हैं । इस सिद्धांत की व्याख्या मिन्न-मिन्न लेखकों ने इस प्रकार की है :—

गुस्तव कैसल (Gustav Cassel) के अनुसार, “दो मुद्राओं की विनिमय की दर इनकी आन्तरिक क्रय-शक्ति के मागफल (Quotient) पर निर्भर करती है ।” (The Rate of Exchange between two currencies must stand essentially on the quotient of the internal purchasing powers of the currencies.)

1. केन्स के अनुसार ‘Purchasing Power Parity’ शब्द का प्रयोग पहले पहल 1918 ई० में गुस्तव कैसल द्वारा *Economic Journal* में प्रकाशित एक निबन्ध में किया गया था ।

प्रो० जी० डी० एच० कोल (G D H Cole) के अनुसार, 'राष्ट्रीय मुद्राओं का पारस्परिक मूल्य, जो स्वर्ण मान को नहीं अपनाये हुए हैं, दीर्घकाल में विशेषतः वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में उनके क्रय शक्ति द्वारा निश्चित होता है।' (The relative values of national currencies especially when they are off the Gold Standard in the long run, are determined by their relative purchasing powers in terms of goods and services)

इसी प्रकार टॉमस (Thomas) ने इस सिद्धांत की व्याख्या इन शब्दों में की है—
 "एक देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्रा के हाने किसी विशेष समय पर बाजार की माग एवं पूर्ति की दशाओं द्वारा निर्धारित होता है। दीर्घकाल में यह मूल्य उन देशों की मुद्राओं के सापेक्षिक मूल्य (Relative values) द्वारा निश्चित होता है, जबकि उन देशों की मुद्रा की क्रय-शक्ति अपने-अपने देश की वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में होती है। दूतने शब्दों में, विनिमय दर में उसी विन्दु पर स्थिर होने की प्रवृत्ति पायी जाती है जहाँ दोनों देशों की मुद्राओं की क्रय-शक्ति समान होती है। इस विन्दु को ही क्रय-शक्ति-साम्य कहते हैं।" (While the value of the unit of one currency in term of another currency is determined at any particular time by the market conditions of demand and supply, in the long run, the value is determined by the relative value of the two currencies as indicated by their relative purchasing power over goods and services in their respective countries. In other words, the Rate of Exchange tends to rest at that point which expresses equality between the relative purchasing powers of the two currencies. This point is called the Purchasing Power Parity)

क्रय-शक्ति साम्य सिद्धान्त की व्याख्या — क्रय-शक्ति-साम्य सिद्धान्त के अनुसार अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा (Inconvertible paper currency) के अन्तर्गत किसी देश की मुद्रा का बाह्य-मूल्य निश्चित रूप से अन्य देशों की मुद्राओं की क्रय-शक्ति की तुलना में उस देश की मुद्रा की आन्तरिक क्रय शक्ति पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार की मौद्रिक व्यवस्था वाले देशों में विनिमय की दर विभिन्न देशों की मुद्राओं की सापेक्षिक क्रय-शक्ति पर निर्भर करती है।

उदाहरण के लिए, रुपये एवं डॉलर की विनिमय-दर निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है।—

(क) यदि भारत में 1 रुपया में 1 कि० ग्राम चीनी खरीदता है, और

(ख) अमेरिका में 1 डॉलर में 5 कि० ग्राम चीनी खरीदता है,

तो इससे स्पष्ट है कि डॉलर की क्रय-शक्ति रुपये से पाँच-गुनी अधिक है अतएव, रुपये एवं डॉलर की विनिमय-दर होगी 1 डॉलर=5 रुपये।

गुस्तव कैसेल (Gustav Cassel) के अनुसार विनिमय दर ठीक उसी अनुपात में बढ़ेगी जिस अनुपात में अन्य देशों की अपेक्षा मूल्य स्तर कम होगा अथवा विनिमय दर ठीक उसी अनुपात में कम होगी जिस अनुपात में अन्य देशों की अपेक्षा मूल्य-तल बढ़ेगा। उदाहरण के लिए यदि ब्रिटेन का मूल्य तल दुगुना हो जाय और अन्य देशों के मूल्य-तल में कोई परिवर्तन नहीं हो तो पौंड की नयी सतुलन बाह्य कीमत अपनी कीमत की अपेक्षा आधी हो जायगी। कैसेल ने यह कहा कि मूल्य-तल के परिवर्तन का प्रभाव विनिमय दर पर पड़ता है, किन्तु विनिमय दर का स्थायी रूप से मूल्य तल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

एक उदाहरण द्वारा इसे अधिक स्पष्ट किया जा सकता है—मान लिया कि डॉलर एवं पौंड की विनिमय दर 4 डॉलर = 1 पौंड की है। अब मान लीजिये कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल्य-तल दुगुना हो जाता है तथा ब्रिटेन का मूल्य तल तिगुना हो जाता है। इस प्रकार अमेरिका का मूल्य सूचकांक 200 तथा ब्रिटेन का मूल्य सूचकांक 300 हो गया है, इसके परिणामस्वरूप डॉलर की क्रय-शक्ति आधी तथा पौंड की क्रय शक्ति एक-तिहाई हो गयी। ऐसी स्थिति में क्रय शक्ति-समता सिद्धांत के अनुसार डॉलर एवं पौंड की विनिमय-दर 2 66 डॉलर = 1 पौंड हो जायगी।

ऐसा नहीं होने से दोनों देशों के बीच व्यापार वा सतुलन अस्त-व्यस्त हो जायगा। इसे इस प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है :-


$$\text{विदेशी विनिमय-दर} = \frac{\text{आधार वर्ष में विदेशी मुद्रा का देशी मुद्रा के रूप में मूल्य} \times \text{आंतरिक मूल्य-सूचनांक}}{\text{विदेशी मूल्य सूचनांक}}$$

हमसोयी के उदाहरण में विदेशी मुद्रा (इंग्लैंड के पाँड) का आंतरिक मुद्रा के रूप में मूल्य 4 डॉलर है तथा आंतरिक मूल्य-सूचनांक 100 एवं विदेशी मूल्य सूचनांक 300 है;

$$\begin{aligned} \text{अतएव विदेशी विनिमय-दर} &= 1 \text{ पाँड} = 4 \text{ डॉलर} \times \frac{200}{300} \\ &= 2.66 \text{ डॉलर} \end{aligned}$$

इस प्रकार पाँड एवं डॉलर का विनिमय-दर 1 पाँड = 2.66 डॉलर होगी।

क्रय-शक्ति साम्य सिद्धांत उन्हीं देशों के साथ लागू होता है जिनमें अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा (Inconvertible paper currencies) का प्रचलन रहता है। स्वर्ण-मान अथवा रजत मान-वाले देशों में विनिमय की दर इनकी टकसाली समता के आधार पर निश्चित होती है। टकसाली समता तथा क्रय शक्ति समता के बीच अंतर यह है कि जब कि टकसाली समता पूर्ण निश्चित होती है, क्रय शक्ति समता के अनुसार सम्बन्धित देशों में मूल्य-तल में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तन होते रहना है। दूसरे शब्दों में रोज-ब-रोज की विनिमय-दर में देश की मुद्रा की माँग तथा पूर्ति के अनुसार परिवर्तन होते रहता है और इस प्रकार के परिवर्तन की सीमाएँ वस्तुओं के परिवहन व्यय, निर्यात एवं आयात कर, बीमा तथा बैंकिंग सेवाओं का व्यय, इत्यादि के द्वारा निर्धारित होती है। विनिमय-दर के परिवर्तनों की इन सीमाओं-को निर्यात बिन्दु (Commodity Export Point) तथा आयात बिन्दु (Commodity Import Point) कहते हैं, किन्तु ये सीमाएँ टकसाली समता सिद्धांत के अन्तर्गत के स्वर्ण-विन्दुओं की तरह निश्चित नहीं होती हैं। दिग्ग चित्र द्वारा क्रय-शक्ति समता सिद्धांत के अन्तर्गत सामान्य विनिमय-दर तथा इसमें परिवर्तन की सीमाओं को दिखलाया गया है—



विदेशी विनिमय बाजार में माँग एवं पूर्ति

युद्ध के बाद गुस्त्व कैंसेल तथा वेन्स आदि अर्थशास्त्रियों ने क्रय-शक्ति साम्य सिद्धांत का प्रयोग यह दिखलाने के लिए किया था कि यूरोप के अधिकांश देशों की मुद्राओं की विदेशी विनिमय-दर में कमी का प्रधान कारण युद्धोत्तर कालीन मुद्रा स्फिति थी। यह सिद्धांत आंतरिक एवं विदेशी मूल्य में असतुलन तथा उसके प्रभाव को बतलाने में भी बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण है। मुद्रा का अधिमूल्यन (Over-valuation) एवं अवमूल्यन (Under-valuation) क्रय-शक्ति साम्य पर निर्भर करता है। अधिमूल्यन का अर्थ यह है कि मुद्रा का बाह्य मूल्य इसकी क्रय शक्ति से

अधिक रखा गया है और अवमूल्यन (Under-valuation) का अर्थ यह है कि मुद्रा का वास्तविक मूल्य इसकी क्रय-शक्ति से कम रखा गया है। क्रय-शक्ति-साम्य सिद्धांत (Purchasing Power Parity Theory) का उस समय यूरोपीय राष्ट्रों की नीति पर बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उन दिनों केन्द्रीय यूरोप के प्रायः प्रत्येक देश का बजट असंतुलित होता था, इनकी पत्र-मुद्रा की मात्रा बढ़ती जा रही थी तथा मूल्य-स्तर निरन्तर बढ़ते जा रहा था। ऐसी स्थिति में इन देशों की सरकारों ने यह दलील देना प्रारम्भ किया कि जब तक विनिमय-दर के ह्रास को नहीं रोका जायगा तब तक बजट को संतुलित करना एवं पत्र-मुद्रा के विस्तार को रोकना असम्भव है, किन्तु कॅसेल के अनुसार इनके लिए पहली आवश्यकता इस बात की थी कि इनके बजट को संतुलित किया जाय क्योंकि इसी उपाय से पत्र-मुद्रा के विस्तार को रोका जा सकता था।

क्रय-शक्ति-साम्य सिद्धांत की आलोचनाएँ

(Criticisms of the Purchasing Power-Parity Theory)

कॅसेल (Cassel) के क्रय-शक्ति-साम्य सिद्धांत को उस समय के अर्थशास्त्रियों ने स्वीकार कर लिया। वास्तव में, उस समय की घटनाओं ने भी कॅसेल के कथन को प्रमाणित कर दिया था, किन्तु इस सिद्धांत की बहुत-सारी आलोचनाएँ भी दी जाती हैं। इनमें निम्नलिखित आलोचनाएँ उल्लेखनीय हैं—

(1) तट-कर नीति का प्रभाव (Effects of Tariff Policy)—तट-कर नीति के कारण इस सिद्धांत में आवश्यक सशोधन की आवश्यकता पड़ती है। यदि विदेशी विनिमय-बाजार में किसी देश की स्थिति अच्छी है, जैसे—अमेरिका, तो यह तट-कर (Tariff) के द्वारा अपनी मुद्रा के विनिमय-मूल्य को ऊँचा रख सकता है। इसका दो में से कोई एक का अर्थ हो सकता है। जब कोई देश अपने तट-कर लगाता है जो दूसरे देशों के तट-कर से प्रभावित नहीं हो सकता तो उसकी मुद्रा की विनिमय-दर में आंतरिक मूल्य-तल में वृद्धि हुए वगैर ही वृद्धि हो जायगी या वही प्रभाव तब भी पैदा होगा जबकि विनिमय-दर वहीं रह जाय और मूल्य-तल बढ़ जाय। दोनों हालतों में मुद्रा का विदेशी विनिमय-मूल्य उसकी क्रय-शक्ति अथवा आंतरिक मूल्य से भिन्न होगा।

(2) मूल्य-तल में किन-किन वस्तुओं के मूल्य को सम्मिलित किया जायः—क्रय-शक्ति साम्य सिद्धान्त को समझने के लिए यह जानना अनिवार्य होगा कि मूल्य-तल का क्या अर्थ है क्योंकि विदेशी व्यापार करने वालों के लिए सभी प्रकार की कीमतों की जानकारी आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए, भारत की अपेक्षा इंग्लैंड में मकानों की कीमत सस्ती हो सकती है, किन्तु इस सस्तेपन के कारण वया लोग भारत में इंग्लैंड से मकानों का आयात करेंगे। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि मूल्य-तल के अन्तर्गत केवल उन्हीं वस्तुओं के मूल्य पर विचार किया जाय जो वास्तव में विदेशी व्यापार में प्रयोग की जाती हैं, क्योंकि बहुत-सारी वस्तुएँ ऐसी भी हैं जिनमें विदेशी व्यापार नहीं होता, किन्तु जिनका मूल्य कम होने पर इनमें विदेशी व्यापार हो सकता है। उदाहरण के लिए, कोयला न तो भारत से ब्रिटेन जाता है और न ब्रिटेन से भारत ही आता है। किन्तु, यदि इंग्लैंड की अपेक्षा भारत में कोयला इतना सस्ता हो जाय कि इसे भारत से इंग्लैंड ले जाने का व्यय देने के बाद भी सस्ता पड़े, तो इसमें विदेशी व्यापार प्रारम्भ हो जायगा। अतः—एव जब हम इस बात की चर्चा करते हैं कि विदेशी विनिमय की दर सापेक्षिक आन्तरिक मूल्य-तल पर निर्भर करता है, तो हमें वैसी वस्तुओं के मूल्य पर भी विचार करना होगा जिनमें वर्तमान समय में व्यापार नहीं होता, किन्तु व्यापार हो सकता है।

(3) मूल्य-तल की धारणा स्पष्ट नहीं हैः—किन्तु इसीसे कठिनाई समाप्त नहीं हो जाती। पहले हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि सामान्य मूल्य-तल में परिवर्तनों को सही-सही मापना बहुत ही कठिन है। सामान्य मूल्य-तल में परिवर्तन को निर्देशांक के द्वारा मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के निर्देशांकों में सबसे उत्तम शोक मूल्यों का निर्देशांक ही है। किन्तु यदि इस आधार पर क्रय-शक्ति की गणना की जाय तो इसमें सेवाएँ तथा अदृश्य व्यापार की अन्य मदों को हम छोड़ देते हैं। दूसरी ओर, यदि जीवन-स्तर निर्देशांक (Cost of living index) को मानकर चलें तो इसमें भी कई प्रकार के व्यय शामिल होंगे—मकान का भाड़ा जिसका विदेशी व्यापार से प्रायः कोई सम्बन्ध नहीं होता। इस प्रकार मूल्य-तल के इस गोरख-घन्घे से बचने का कोई उपाय

नहीं जान पड़ता। कुछ हद तक वेतन-दर सूचनाक इस कार्य के लिए अच्छा होगा, किन्तु इसमें भी विभिन्न देशों के भङ्गदूर वर्गों की कार्य-क्षमता में अन्तर होने से इस कार्य में कई कठिनाई होगी।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी के प्रवाह का प्रभाव (Influence of International capital movement) :— केन्स (Keynes) ने आगे चलकर इस सिद्धान्त की आलोचना की थी जिसमें उन्होंने यह बतलाया था कि यह अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी के प्रवाह की उद्देश्य करता है। विनिमय-दर अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी के प्रवाह से भी प्रभावित होती है, अतएव इसके कारण भी क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त का प्रयोग श्रेयस्कर नहीं है।

(5) विनिमय की दर में परिवर्तन का मूल्य-तल पर भी प्रभाव पड़ता है।— कॅसेल (Cassel) के अनुसार मूल्य-तल में परिवर्तन का विनिमय-दर पर प्रभाव पड़ता है। किन्तु विनिमय-दर में परिवर्तन का मूल्य-तल पर प्रायः कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परन्तु आलोचकों के अनुसार ऐसा सदा नहीं होता। ऐसा अनुभव हुआ है कि जिस प्रकार मूल्य-तल में परिवर्तन से विनिमय-दर प्रभावित होती है, ठीक उसी प्रकार विनिमय-दर में परिवर्तन से मूल्य-स्तर भी अवश्य-मेव प्रभावित होता है। इसे एक उदाहरण से अधिक स्पष्ट किया जा सकता है—मान लिया किन्हीं कारणों से इंग्लैंड से बहुत-सी पूँजी फ्रांस जा रही है। इस स्थिति में पौंड का मूल्य फ्रैंक के रूप में कम हो जायगा तथा फ्रांस की वस्तुएँ इंग्लैंड में महँगी हो जायँगी। मान लिया, यदि इंग्लैंड में फ्रांस से कच्ची सामग्रियों का आयात हो रहा है तो इंग्लैंड में इन कच्ची सामग्रियों से बनेवाली वस्तुओं की लागत अधिक हो जायगी। चूँकि पौंड का मूल्य फ्रैंक के रूप में कम हो गया है, इसका यह भी अर्थ हुआ कि फ्रैंक का मूल्य पौंड के रूप में अधिक हो गया है। इसका परिणाम यह होगा कि इंग्लैंड की वस्तुएँ फ्रांस में जाकर सस्ती बिकने लगेंगी जिससे इंग्लैंड का निर्यात फ्रांस में प्रोत्साहित होगा। इस स्थिति में इंग्लैंड के व्यापारी अधिक लाभ कमाने के लोभ से अपने वस्तुओं का मूल्य ऊँचा कर देंगे, परन्तु यह मूल्य-वृद्धि उससे कम होगी जितना कि पौंड के मूल्य में हुई है क्योंकि तब ही ब्रिटिश माल फ्रांस में जाकर सस्ता बिक सकेगा। इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि पौंड का फ्रैंक के रूप में मूल्य कम हो जाने, अर्थात् विनिमय की दर में परिवर्तन हो जाने के कारण इंग्लैंड की वस्तुओं के मूल्य, यानी मूल्य-तल में परिवर्तन हुआ है। अतः आलोचकों का मत है कि चूँकि क्रय-शक्ति-साम्य सिद्धान्त ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है कि विनिमय की दर में परिवर्तन से आन्तरिक मूल्य-तल में परिवर्तन होता है, अतएव इनके मतानुसार यह सिद्धान्त अधूरा है।

विनिमय दर में परिवर्तन का मूल्य-तल पर जो प्रभाव पड़ता है वह विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न होता है। विनिमय-दर में परिवर्तन का प्रभाव उस देश के मूल्य-तल पर सबसे अधिक एवं शीघ्र पड़ता है जो अपने उपभोग का बहुत बड़ा भाग बाहर से मँगाता है और अपने साधनों का प्रयोग मुख्यतः निर्यात पदार्थों के निर्माण में करता है। इसका कारण यह है कि विनिमय-दर का प्रभाव ऐसे देशों के आयात एवं निर्यात दोनों पर पड़ता है। अतएव मूल्य-तल पर इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। इस प्रकार विनिमय-दर में परिवर्तन का प्रभाव फ्रांस की अपेक्षा इंग्लैंड पर अधिक पड़ता है क्योंकि इंग्लैंड की आर्थिक व्यवस्था में आयात एवं निर्यात दोनों की प्रधानता है। परन्तु यद्यपि मूल्य तल में परिवर्तन का प्रभाव सभी देशों पर एक समान नहीं पड़ता, फिर भी सदा इसका कुछ-न-कुछ प्रभाव अवश्य ही पड़ता है।

(6) मूल्य स्तर के पूर्ववत् रहने पर भी दो देशों की मुद्राओं की विनिमय-दर में निम्न कारणों से परिवर्तन हो सकता है :—

(क) यदि कोई देश मन्दी की स्थिति में गुजर रहा है, तो वहाँ उत्पादन के बहुत-से साधन बेकार होंगे। अतएव यदि इनके अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य में वृद्धि हो एव राष्ट्र अपनी विनिमय-दर को बढ़ा दे, तो दोनों में आया एवं रोजगारी की वृद्धि होगी, किन्तु मूल्य स्तर पूर्ववत् ही रहेगा। आया और रोजगारी में वृद्धि होने से इन देशों की अन्तर्राष्ट्रीय मांग में भी वृद्धि होगी, इसका परिणाम यह होगा कि विदेशी विनिमय-बाजार में मुद्राओं की मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन होने से उनकी विनिमय दरें भी प्रभावित होगी, यद्यपि उन देशों के मूल्य स्तर पूर्ववत् ही बने रहेंगे। इस प्रकार आलोचकों के अनुसार यह सिद्धान्त राष्ट्रीय की आया एवं रोजगारी को महत्त्वपूर्ण तत्वों की उद्देश्य कर सिर्फ मूल्य-स्तर के परिवर्तन को ही सबसे महत्त्वपूर्ण तत्व मानता है। किन्तु वास्तव

मे, विनिमय-दर के निर्धारण में राष्ट्रों की आय एवं रोजगारी ही अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। साथ ही, व्यापार-चक्र का अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य पर जो प्रभाव पड़ता है यह सिद्धान्त उसकी भी अवहेलना करता है।

(ख) विनिमय-दर पर मुद्राओं की माग एवं पूर्ति की सोच का भी प्रभाव पड़ता है। मूल्य-स्तर के पूर्ववत् होने पर भी मुद्राओं की माग एवं पूर्ति की सोच की विभिन्नताओं के कारण विनिमय-दर प्रभावित होती है। इसका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं।

इस प्रकार क्रय-शक्ति-साम्य सिद्धान्त (Purchasing Power Parity Theory) की बहुत-सारी आलोचनाएँ दी जाती हैं। किन्तु इन आलोचनाओं के बावजूद इस सिद्धान्त की यह मान्यता कि मूल्य-तल एवं विनिमय-दर के बीच एक निश्चित सम्बन्ध है, मौद्रिक नीति के लिए व्यावहारिक महत्त्व की बात है। इससे राष्ट्रों को कभी-कभी इस बात के सम्बन्ध में एक प्रकार की चेतावनी भी मिलती है। उदाहरण के लिए 1925 ई० में ग्रेट ब्रिटेन ने स्वर्ण-मान को पुनः अपनाया तो उसने अपनी आन्तरिक मजदूरी एवं मूल्य-तल तथा जीवन-स्तर की अपेक्षा मूल्य-तल को बहुत ऊँचा रखा। इस सिद्धान्त के अनुसार पौड-स्टलिग का यह मूल्य-तल तब सुरक्षित रहता जब यह आन्तरिक मूल्य-तल एवं मजदूरी के अनुरूप रखा जाता। अतएव बहुत युक्तियों के बाद भी यह विनिमय-दर केवल 6 वर्षों तक ही कायम रह सकी और आखिर 1931 ई० में पौड का विनिमय मूल्य घटाना पड़ा।

इसके विपरीत बहुत समय तक कुछ सरकारों ने अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए अपनी मुद्रा की कीमत को निम्न स्तर पर रखा। यह युक्ति भी उक्त युक्ति की तरह कुछ दिनों तक ही सफल हो सकती है। इसकी भी एक निश्चित सीमा है जिसके बाद यह काम नहीं कर सकती और अन्त में आर्थिक सिद्धान्त अपनी यथार्थता प्रकट करेंगे और तब विनिमय दर सन्तुलित स्थिति से न तो अधिक रह पायगी और न कम ही। इस प्रकार क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त की बहुत-सारी आलोचनाएँ दी जाती हैं।

भुगतान संतुलन का सिद्धान्त

(Balance of Payment Theory)

विदेशी विनिमय-दर के निर्धारण का भुगतान-सन्तुलन सिद्धान्त आन्तरिक व्यापार के सिद्धान्त के आधार पर आधारित है। इस सिद्धान्त के अनुसार हम विदेशियों को न तो उससे कम और न उससे अधिक ही दे सकते हैं जो हमको उनसे प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में, यह सिद्धान्त इस मौलिक सत्य पर आधारित है कि आयात स्वयं निर्यातों का भुगतान करते हैं। (Imports pay for the exports) इसे ही भुगतान-सन्तुलन का सिद्धान्त (Balance of Payment Theory) कहते हैं। सम्भव है कि अल्पकाल में किसी देश के आयातों का मूल्य उसके निर्यातों से अधिक हो, किन्तु अन्त में किसी देश के कुल आयातों तथा निर्यातों का मूल्य निश्चय ही समान होगा। ऐसा भुगतान संतुलन का स्थापना के लिए आवश्यक है। यदि अल्पकाल में आयात तथा निर्यात के मूल्य बराबर नहीं हैं तो इसे असन्तुलन की स्थिति (State of disequilibrium) कहा जाता है। ऐसी स्थिति में देश अपने आयात तथा निर्यात में इस प्रकार का परिवर्तन करते हैं जिससे कि अन्ततः आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य के बराबर हो जाते हैं।

अतः दीर्घकाल में विनिमय की दर उसी स्थान पर निश्चित होती है जहाँ पर किसी देश के आयात का मूल्य उसके निर्यात के मूल्य के बराबर होता है। इसी कारण यह कहा जाता है कि आयात स्वयं निर्यातों का भुगतान करते हैं और इसलिए इसे विदेशी विनिमय का भुगतान-सन्तुलन सिद्धान्त (The Balance of Payment Theory of Foreign Exchange) भी कहा जाता है।

विदेशी विनिमय-दर-निर्धारण के भुगतान संतुलन सिद्धान्त की कुछ अपनी विशेषताएँ हैं। इसका सर्वप्रथम गुण तो यह है कि यह विनिमय दर के निर्धारण में भुगतान-सन्तुलन, यानी विदेशी विनिमय की माग एवं पूर्ति पर ध्यान केन्द्रित कर इस मौलिक सत्य को स्पष्ट करता है कि विदेशी विनिमय-दर का निर्धारण भी किसी वस्तु के मूल्य की ही तरह विदेशी विनिमय की कुल माग एवं पूर्ति के द्वारा होता है। इस प्रकार विनिमय दर के निर्धारण की समस्या को यह सामान्य सन्तुलन विश्लेषण का एक अंग बना देता है। द्वितीयतः, वस्तुओं के आयात-निर्यात के अतिरिक्त भुगतान

संतुलन सेवाओं के आयात-भिर्यात, पूँजी का हस्तांतरण तथा युद्ध आदि में हुरजाना के द्वारा भी प्रभावित होता है।

किन्तु इस सिद्धान्त की कुछ प्रधान त्रुटियाँ भी हैं। सर्वप्रथम तो यह सिद्धान्त भुगतान संतुलन को स्थायी मानता है, किन्तु वास्तविक रूप में मूल्य-तल आदि में परिवर्तन के कारण इसमें भेदा परिवर्तन होते रहते हैं। द्वितीयतः यह सिद्धान्त आयात की जानेवाली कई वस्तुओं की माँग को बेसुधदार, यानी मूल्य तथा विनिमय-दर से स्वतन्त्र मानता है। किन्तु इस प्रकार की बात वास्तविक जीवन में नहीं पायी जाती है। कोई वस्तु कितनी भी आवश्यक क्यों न हो, इसमें कुछ-न-कुछ मात्रा में प्रतिस्थापन की लोच अवश्य ही पायी जाती है।

विशेष अध्ययन-सूची

1. Elsworth : International Economy, Chapters 15 & 16.
2. Crowther : An Outline of Money, Chapter, VII.
3. Halm : Economics of Money & Banking, Chapters 40 & 41.
4. Haberler : Theory of International Trade, Chapter IV.



अध्याय : 42

विनिमय-नियंत्रण

(Exchange Control)

विनिमय-नियन्त्रण का अर्थ (Meaning of Exchange Control)—बाज़ार की आयोजित आर्थिक व्यवस्था के युग में प्रायः प्रत्येक देश में विदेशी विनिमय-बाज़ार पर सरकार का कुछ-न-कुछ नियन्त्रण अवश्य ही पाया जाता है। उन्मुक्त विनिमय-बाज़ार (Free Exchange Market) में मुद्रा की मांग एवं पूर्ति के द्वारा ही विनिमय की दर निश्चित होती है। ऐसी स्थिति में सरकार विनिमय के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। इसके विपरीत जब देश की सरकार कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विदेशी विनिमय के क्रय-विक्रय एवं वितरण में हस्तक्षेप करती है तब इसे नियन्त्रित विनिमय की व्यवस्था अथवा विनिमय-नियन्त्रण (Exchange Control) कहते हैं। इस प्रकार विनिमय नियन्त्रण का अभिप्राय ऐसे तरीकों से है जो विदेशी विनिमय-बाज़ार को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से अपनाये जाते हैं और जिनके फल-स्वरूप विनिमय की दर प्रभावित होती है। (By Exchange control, we mean measures which replace the free foreign exchange market by discriminatory regulations.) हेबरलर (Haberler) के अनुसार “विदेशी विनिमय बाज़ार में आर्थिक शक्तियों के स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य के राजकीय नियमन को विनिमय-नियन्त्रण कहते हैं।” (Exchange control is the regulation excluding the free play of economic forces from foreign exchange market) विनिमय-नियन्त्रण की व्यवस्था के अन्तर्गत क्रेता एवं विक्रेता को असौमिक्त मात्रा में विदेशी विनिमय के क्रय एवं विक्रय की छूट नहीं रहती है। इसमें या तो क्रय की मात्रा या जिस दर पर विदेशी मुद्रा क्रय की जा सकती है या दोनो पर सरकार का प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहता है। इस प्रकार के नियन्त्रण के तरीके विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनकी व्याख्या आगे की जायेगी।

इस प्रकार विनिमय-नियन्त्रण देश के मुद्रा अधिकारियों द्वारा विदेशी विनिमय-बाज़ार में उस हस्तक्षेप को कहते हैं जिसका उद्देश्य विनिमय दर को एक निश्चित-दर पर बनाये रखना होता है। दूसरे शब्दों में, विनिमय-नियन्त्रण का अभिप्राय ऐसे किसी भी कार्य से है जो विदेशी विनिमय-बाज़ार में स्कावट उत्पन्न करे और जिससे विनिमय की दर प्रभावित हो। विनिमय-दर को नियन्त्रित करने के लिए सरकार विनिमय-बाज़ार पर सामान्य रूप से देख-भाल रखती है। आजकल विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश है जहाँ विदेशी मुद्राओं के विनिमय पर किसी-न-किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभावपूर्ण अथवा प्रभावहीन नियन्त्रण न हो।

विनिमय-नियंत्रण के उद्देश्य

(Objectives of Exchange Control)

किसी देश की सरकार विनिमय-नियन्त्रण की प्रणाली को कई उद्देश्यों से अपनाती है। विनिमय-नियन्त्रण का सर्वाधिक प्रमुख उद्देश्य विनिमय-दर को उन्मुक्त बाज़ार दर से भिन्न बनाना है। विदेशी विनिमय-बाज़ार में मांग एवं पूर्ति की उन्मुक्त शक्तियों के द्वारा जो विनिमय-दर स्थापित होती है यदि वह सरकार के मनीनरून है तो विनिमय-नियन्त्रण की कोई आवश्यकता नहीं होती, किन्तु यदि यह दर अपेक्षित दर से भिन्न है तो सरकार विदेशी विनिमय बाज़ार में विनिमय-नियन्त्रण के उद्देश्य से हस्तक्षेप करती है। सरकार स्वतन्त्र आन्तरिक आर्थिक नीति के अनुसरण के लिए विदेशी विनिमय-बाज़ार में हस्तक्षेप करती है। रेगनर नबर्स (Ragnar Nurkse) के अनुसार, “विनिमय-नियन्त्रण स्वतन्त्र आर्थिक नीति का एक साधन है जो मन्दी की सृष्टि को रोकता है अथवा आर्थिक व्यवस्था को मन्दी के प्रभावों से मुक्त करता है। विनिमय-नियन्त्रण राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के बीच एक प्रकार के अन्तर की सृष्टि कर स्वतन्त्र मौद्रिक एवं आर्थिक नीति के अनुसरण में सहायक

होता है।" (We may consider exchange control as means of enabling an individual country to pursue an independent policy of preventing or providing recovery from depression Exchange control places a barrier between world and domestic prices so that monetary and general economic policies could be chosen and executed without regard to their effects on the balance of payments. —Ragnar Nurkse. International Currency Experiences.)

किसी देश की सरकार विनिमय-नियंत्रण की नीति का अनुसरण कई कारणों अथवा उद्देश्यों से करती है जिनमें निम्नांकित प्रमुख हैं—

(i) पूँजी के बहिर्प्रभाव को रोकने के लिए (To check flight of capital)— विनिमय-नियंत्रण का प्रारम्भ पूँजी के बहिर्प्रभाव पर नियंत्रण स्थापित करने के रूप में हुआ था। यदि पूँजी के बहिर्प्रभाव को नहीं रोका जाय, तो इसका देश की आर्थिक व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसने देश का स्वर्ण एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष कम होने लगता है। मन्दी के समय पूँजी के बाहर जाने में अतिस्फीति और भी तीव्र हो जाती है जिससे प्रायः एव रोजगारी में कमी आती है तथा मूल्य-स्तर घोर नीचे की ओर चला जाता है। अतः पूँजी के बहिर्प्रभाव को रोकने के लिए सरकार विनिमय-नियंत्रण करती है।

(ii) संरक्षण की नीति को सफल बनाना—विनिमय-नियंत्रण का प्रयोग कभी-कभी देशी उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से मुक्त करने के लिए भी किया जाता है। विनिमय-नियंत्रण के द्वारा संरक्षण की नीति को प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है क्योंकि इसके द्वारा कुछ देशों के आयातों को बिल्कुल रोका अथवा कम किया जा सकता है।

(iii) आयोजित अर्थ-नीति को सफल बनाना—आजकल विश्व के अधिकांश देशों में आर्थिक विकास के उद्देश्य से आयोजित अर्थ-नीति को अपनाया है। आयोजित अर्थ नीति के लिए देश के सम्पूर्ण आर्थिक जीवन को नियन्त्रित करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार यदि बिल्कुल अनियन्त्रित रहे तो योजना की सफलता में कठिनाई होगी। अतएव आयोजित अर्थ-नीति को सफल बनाने के उद्देश्य से भी विनिमय-नियंत्रण की नीति आवश्यक हो जाती है।

(iv) भ्रगतान-संतुलन के असंतुलन को ठीक करना (To correct a Disequilibrium in the Balance of Payments)—जब किसी देश का आयात उसके निर्यात की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ जाता है तो इसके परिणामस्वरूप उस देश के वाणिज्य की दर (Terms of Trade) उसके विपरीत हो जाती है। माय ही, व्यापार के भ्रगतान में भी असंतुलन हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यापार की दर की विवशता एवं असंतुलन को विनिमय-नियंत्रण की नीति के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है।

(v) व्यापार-सम्बन्धी भेद-भाव (Trade discrimination) की नीति को सफल बनाना :—विनिमय-नियंत्रण के द्वारा विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक सम्बन्ध को अनुकूल बनाया जाता है। व्यापारिक भेद-भाव की नीति को सफल बनाने के लिए सरकार एक ऐसी नीति का अनुसरण करती है जिसमें कुछ देशों के आयात-निर्यात पर विशेष कर लगाये जाते हैं और कुछ देशों के आयात-निर्यात को विशेष रूप से रियायतें दी जाती हैं।

(vi) पूर्ण रोजगारी (Full-employment) की नीति को सफल बनाने के लिए:— पूर्ण रोजगारी की नीति को सफल बनाने के लिए भी विनिमय-नियंत्रण की नीति का प्रयोग किया जाता है। जो देश पूर्ण-रोजगारी (Full-employment) की नीति का अनुसरण कर रहे हैं उनके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों का बुरा प्रभाव देश की अर्थ-नीति पर न पड़े। इसके लिए उन्हें आर्थिक क्षेत्र में स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान की स्थिति में पूर्ण रोजगारी प्राप्त करना कठिन या क्योंकि उसके अंतर्गत किसी भी देश के लिए स्वतन्त्र आर्थिक नीति का अनुसरण प्रायः असम्भव था। अतः आर्थिक नीति के इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी विनिमय-नियंत्रण आवश्यक हो जाता है।

इस प्रकार सरकार विनिमय-नियंत्रण की नीति का अनुसरण उक्त कारणों अथवा उद्देश्यों

से करती है। किन्तु विनिमय-नियन्त्रण की नीति अगानने का इतने से कोई भी कारण क्यों न हो, हर एक स्थिति में सरकार विनियम दर को उन्मुक्त बाजार की दर से भिन्न बनाती है।

अब यदि सरकार विनिमय की दर को उन्मुक्त बाजार की दर से भिन्न बनाना चाहती है, तो उसके निम्नलिखित तीन सम्भावित उद्देश्य हो सकते हैं —

(i) देश की मुद्रा की विनिमय-दर को सतुलन-दर से अधिक रखना, यानी अधिमूल्यन (Over-valuation),

(ii) देश की मुद्रा की विनिमय दर को सतुलन-दर से कम रखना, यानी अवमूल्यन (Devaluation), तथा

(iii) मुद्रा की विनिमय-दर को सतुलन की दर पर स्थायी बनाना एव इस उद्देश्य से इनमें होनेवाले परिवर्तनों को दूर करना (Avoidance of fluctuations)।

अब इन उद्देश्यों की निम्नांकित व्याख्या प्रस्तुत की जाती है. —

अधिमूल्यन

(Over valuation)

विनिमय-नियन्त्रण अथवा प्रबंध का सर्वाधिक प्रमुख उद्देश्य अधिमूल्यन है। कोई देश अपनी मुद्रा का अधिमूल्यन, यानी इसकी विनिमय दर को उन्मुक्त बाजार की दर से अधिक कई कारणों से रखना चाहता है किन्तु ये सभी कारण प्रायः एक ही स्थिति से उत्पन्न होते हैं। सर्व-प्रथम तो यदि किसी कारणवश देश का व्यावसायिक सम्बन्ध अन्तुलित हो रहा हो और यदि ऐसी स्थिति में विनिमय बाजार को अनियन्त्रित छोड़ दिया जाय तो विदेशी विनिमय-बाजार में देश की राष्ट्रीय मुद्रा की पूर्ति मांग की अपेक्षा बहुत बड़ जायगी। युद्ध वगैरह के समय साधारणतः इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है जब कि युद्ध में लीन होने के कारण किसी देश को निर्यात के लिए वस्तुएँ उत्पन्न करने का समय नहीं रहता। ऐसी स्थिति में अनियन्त्रित छोड़ देने से मुद्रा की विनिमय-दर में बहुत अधिक कमी होगी। युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के समय भी प्रायः इसी प्रकार की स्थिति पायी जाती है। ऐसी स्थिति में सरकार विदेशी विनिमय बाजार में हस्तक्षेप कर विनिमय दर को कम होने से रोकती है। इस प्रकार अधिमूल्यन का पहला कारण युद्ध आदि के समय देश की मुद्रा का अधिमूल्यन की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, उस देश को जिसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशों से बहुत अधिक मात्रा में सामान खरीदना पड़ता है अपनी मुद्रा के सम्बन्ध में अधिमूल्यन की नीति का अनुसरण करना आवश्यक हो जाता है।

अधिमूल्यन का एक दूसरा कारण भी ठीक इसी तरह का है। जब किसी देश को बहुत अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा में कर्ज चुकाना रहता है तो उसके लिए भी अपनी मुद्रा के अधिमूल्यन की नीति पुक्तिस्मृत होती है। युद्ध के बाद मध्य युरोपीय देशों ने बाहर से बहुत अधिक ऋण लिया था जिसका भुगतान उन्हें या तो ब्रिटेन के पाँड के रूप में या अमेरिकी डॉलर के रूप में करना था। युद्ध वाले देशों की तरह, इन देशों को भी, विदेशों को बहुत अधिक मात्रा में मुद्रा भुगतान करने की आवश्यकता रहती है। अतएव यदि ऐसे देश अपनी मुद्रा का अधिमूल्यन करेंगे तो उन्हें ऋण के रूप में कम ही मुद्रा चुकानी पड़ेगी।

अधिमूल्यन का एक तीसरा उद्देश्य भी है। जब किसी ऐसे देश में जिसकी वार्षिक व्यवस्था में आयात निर्यात की प्रधानता रहती है विशुद्ध आन्तरिक कारणों से मुद्रा-स्फीति उत्पन्न होने की आशा रहती है, तो ऐसे देश के लिए भी अपनी मुद्रा का अधिमूल्यन अधिक न्याय-संगत होता है। यदि ऐसी स्थिति में देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो जाने दिया जाय, तो इसका परिणाम यह होगा कि आयात की कीमतें महँगी हो जायगी और निर्यात से देश को कोई लाभ नहीं होगा, और यदि मजदूरी एव मूल्य तल में वृद्धि होगी तो इसके परिणामस्वरूप मुद्रा की क्रय-शक्ति साम्य की स्थिति हो जायगी जिससे मुद्रा का आन्तरिक एव बाह्य मूल्य दोनों एक साथ कम होने लगेगे। ऐसी स्थिति में भी अधिमूल्यन द्वारा राष्ट्र अपनी मुद्रा के विनिमय-मूल्य को अधिक रखने का प्रयत्न करते हैं।

अधिमूल्यन के उक्त तीन उद्देश्य हैं। किन्तु अधिमूल्यन (Over valuation) के कई बहुत

गम्भीर परिणाम भी हो सकते हैं। जब किसी देश की मुद्रा का अधिमूल्यन होता है, यानी मुद्रा की विनिमय-दर उसके संतुलन-दर से अधिक रखी जाती है, तो इसका अर्थ यह होता है कि देश में अन्‍य देशों की अपेक्षा मूल्य-तल ऊँचा है। इसका परिणाम यह होता है कि अधिमूल्यन से निर्यात-व्यापार हतोत्साहित तथा आयात-व्यापार प्रोत्साहित होता है। कभी-कभी तो अधिमूल्यन का परिणाम इतना बुरा होता है कि सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था करीब-करीब तहस-नहस हो जाती है।

इस प्रकार खास-खास परिस्थितियों में अधिमूल्यन लाभदायक तथा कुछ खास परिस्थितियों में हानिकारक भी होता है। जब किसी देश को दूसरे देश के ऋण बगैरह के रूप में बहुत अधिक भुगतान करना होना है तो ऐसी स्थिति में अधिमूल्यन लाभदायक सिद्ध होता है। किन्तु अधिमूल्यन से निर्यात-व्यापार हतोत्साहित होता है। फिर भी व्यापक स्फीति के समय इसका निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विपरीत मन्दी के समय, जब सभी चीजों की अधिकता रहती है तथा मुख्य समस्या वस्तुओं के विक्रय की होती है, अधिमूल्यन (Over-valuation) उपयुक्त नहीं होता। इस प्रकार इस सम्बन्ध में निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि 'युद्ध एवं अभाव के समय मुद्रा का अधिमूल्यन किया जाय तथा मन्दी एवं अधिकता के समय अवमूल्यन यानी मुद्रा का मूल्य कम रखा जाय।' (In times of war and scarcity, over-value your currency; in times of slump and surfeit, undervalue your currency.)

अवमूल्यन

(Under-valuation)

अवमूल्यन, यानी मुद्रा की विनिमय-दर को कम रखने की नीति मन्दी के समय के लिए अधिक उपयुक्त होती है। अवमूल्यन (Under-valuation) का परिणाम अधिमूल्यन (Over-valuation) के ठीक विपरीत होता है। इससे निर्यात प्रोत्साहित होता है तथा आयात हतोत्साहित होता है एवं मूल्य-तल को सहारा मिलता है। किन्तु इसकी भी सीमाएँ हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि अवमूल्यन से देश का मूल्य-तल अन्‍य देशों की अपेक्षा अधिक बढ़ जाता है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि मूल्य-तल में उदा वृद्धि ही होगा। वास्तव में, अवमूल्यन से विदेशों के मूल्य-तल में कमी भी हो सकती है। यदि अवमूल्यन वाला देश बड़ा एवं विदेशी बाजार का प्रधान अंग है तो अवमूल्यन के कारण इसके मूल्य में वृद्धि के बजाय विदेशों के मूल्य-तल में ही कमी हो जायेगी। इसके विपरीत यदि अवमूल्यन वाला देश छोटा है तो अवमूल्यन के कारण यह अपने मूल्य-तल को बढ़ाने में सफल भी हो सकता है। अवमूल्यन से छोटे देशों को एक और व्यावहारिक लाभ होता है। अवमूल्यन से बड़े देशों के निर्यात में जब वृद्धि होने लगती है तो इसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ता है जो इसके निर्यात को कम करने के लिए अपने-अपने देश में तरह-तरह के नियन्त्रण लगाते हैं, किन्तु छोटे देशों के निर्यात में वृद्धि का विश्व के अन्य देशों पर कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं पड़ता।

अवमूल्यन के सम्बन्ध में एक और महत्वपूर्ण बात है। अवमूल्यन देश के मूल्य-तल का आयात एवं निर्यात के माध्यम से ही प्रभावित करता है। अतएव जिस देश का विदेशी व्यापार अधिक महत्वपूर्ण है, उस देश में अवमूल्यन का प्रभाव अतिशीघ्र तथा अधिक परिमाण में पड़ता है। अतएव उक्त प्राकार पर यह कहा जा सकता है कि अवमूल्यन श्विज़ीलैंड जैसे छोटे देश के लिए अधिक लाभदायक है क्योंकि इसका विदेशी व्यापार उसके लिए महत्वपूर्ण होते हुए भी विश्व के लिए उनका महत्वपूर्ण नहीं है। इसके विपरीत अमेरिका जैसे विशाल देश के लिए यह लाभदायक नहीं हो सकता क्योंकि इसका विदेशी व्यापार विश्व के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही, ऐसे देश को, जिनके आयात में कृषि-मदार्थ एवं कच्चे मालों की प्रधानता रहती है, अवमूल्यन ने अधिक लाभ होगा क्योंकि मन्दी के समय औद्योगिक वस्तुओं की अपेक्षा इन वस्तुओं के मूल्य में अधिक हास होता है।

किन्तु मुद्रा का अवमूल्यन, विशेषतः जान-बूझकर अवमूल्यन (deliberate under-valuation) एक अनैतिक कार्य है। एक पूर्णतः नतिक युग में इसके लिए इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि अवमूल्यन एक स्थायी नीति नहीं है। इसके परिणामस्वरूप कोई भी लाभ जो एक राष्ट्र

को प्राप्त होता है वह निश्चय ही दूसरे राष्ट्रों की हानि पर आधारित होता है। इस प्रकार इसे लाभ नहीं समझना चाहिए क्योंकि विस्तृत प्रथम में प्रत्येक राष्ट्र सम्पूर्ण विश्व-रूपी परिवार का एक सदस्य है। किन्तु, आज के विश्व में नीति के ऊपर व्यावहारिकता भी एक चीज है। फिर भी, अग्रमूल्यन एक ऐसे खेल की तरह है जिसे कोई भी खेल सकता है, किन्तु यदि सभी राष्ट्र इसे खेलना प्रारम्भ कर दें और विश्व की भुजाओं में एक होड़-सी लग जाय कि किसका मूल्य कम-से-कम रखा जा सकता है तो इसका परिणाम यह होगा कि विश्व की मुद्राएँ मूल्य-हीन हो जायेंगी। (Under-valuation is a game that any one can play, but if every one plays it and currencies enter upon a competition to see which can be pushed furthest below its real values, it quickly develops into a race to render all currencies worthless.)

विनिमय-दर में होनेवाले परिवर्तनों को रोकना

(Avoidance of Fluctuations)

विनिमय-नियन्त्रण का तीसरा सम्भावित उद्देश्य विनिमय-दर में होनेवाले परिवर्तनों यानी ह्रास एवं वृद्धि को रोकना है। सिद्धान्ततः, यह माननीय है क्योंकि इससे बाजार को स्थायित्व एवं प्रस्थायित्व दोनों के नाम प्राप्त होने हैं। किन्तु व्यवहार में इस नीति को कार्यरूप में परिणत करना कठिन है। इस सम्बन्ध में हमारा उद्देश्य केवल बाजार दर को सामयिक एवं अस्थायी प्रवृत्तियों को रोकना ही होना चाहिए। विभिन्न विदेशों की मुद्राओं की तुलना में जो देश की मुद्रा की दर तय हो उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किन्तु, अस्थायी ह्रास-वृद्धि के सम्बन्ध में पता लगाना बहुत ही कठिन हो जाता है, अतएव इस नीति को कार्य-रूप में परिणत करने में वास्तविक कठिनाइयाँ हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण इंग्लैंड का विनिमय समकारी कोष (Exchange Equalization Account) है जिसने इस उद्देश्य से 1932 ई० से लेकर 1939 ई० तक कार्य किया था। इस कोष का उद्देश्य न तो पौंड का अग्रमूल्यन और न अग्रमूल्यन ही था, बरन् इसका उद्देश्य विनिमय मूल्य में होने वाले अस्थायी परिवर्तनों को समाप्त करना था। इसी प्रकार जनवरी, 1934 में संयुक्त राज्य अमेरिका में डॉलर के मूल्य को सुस्थिर बनाने रखने के लिए स्थापित (Exchange Stabilization Fund) का भी यही उद्देश्य था। यह कोष अमेरिका में स्वर्ण के अत्यधिक अन्तर्प्रवाह की स्थिति में बाजार से स्वर्ण खरीदता तथा वहिर्प्रवाह की स्थिति में अपने कोष से स्वर्ण का विक्रय करता था। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (International Monetary Fund) का भी बहुत कुछ यही उद्देश्य है।

इस प्रकार विनिमय-नियन्त्रण के उक्त सारे उद्देश्य हैं।

विनिमय नियन्त्रण के तरीके

(Methods of Exchange Control)

विनिमय-नियन्त्रण के उद्देश्यों के सम्बन्ध में ध्यास्या करने के बाद अब इसके विभिन्न तरीकों पर विचार करना आवश्यक है। साधारणतया, विनिमय-नियन्त्रण के निम्नलिखित दो तरीके हैं।—

- (1) हस्तक्षेप (Intervention), तथा
- (2) विनिमय-प्रतिबन्ध (Restriction)।

विनिमय-नियन्त्रण एवं प्रबन्ध को प्रभावपूर्ण बनाने का केवल एक ही तरीका है और वह है विदेशी विनिमय-बाजार में विदेशी मुद्राओं की माग एवं पूर्ति को प्रभावित करना। यह एक स्वयं-सिद्ध बात है कि बाजार दर चाहे कितना भी नियन्त्रण क्यों न रखा जाय, किसी भी समय जितने रुपये की खरीद होती है उस दिन विनिमय-बाजार में उतने ही रुपये की बिक्री भी होती है। अतएव विनिमय-दर पर नियन्त्रण के लिए सरकार साधारणतः दो तरीकों का प्रयोग करती है— अतएव विनिमय-दर पर नियन्त्रण के लिए सरकार साधारणतः दो तरीकों का प्रयोग करती है— या तो वह स्वयं बाजार में प्रवेश कर किसी मुद्रा विशेष, जिसमें कि उसे दिलचस्पी रहती ह, की माग एवं पूर्ति को प्रभावित करती है या वह इसकी माग एवं पूर्ति में से कुछ को बाजार-तक जाने से रोक देती है। उदाहरण के लिए, यदि भारत सरकार रुपये के मूल्य को अधिक रखना चाहती

है तो या तो वह स्वयं विदेशी विनिमय-बाजार में जाकर रुपये की मांग में वृद्धि करने का प्रयत्न करेगी या कुछ रुपये की पूर्ति के विनिमय-बाजार में पहुँचाने के पहले ही रोक लगा देगी। इन दोनों प्रकार के कार्यों का परिणाम यह होगा कि रुपये की पूर्ति की अपेक्षा मांग में वृद्धि होगी जिससे इसकी विनिमय दर बढ़ जायगी। इसके विपरीत यदि भारत सरकार रुपये के विनिमय मूल्य को कम करना चाहती है तो इस उद्देश्य से वह या तो स्वयं विनिमय-बाजार में जाकर रुपये की पूर्ति को बढ़ा सकती है अथवा रुपये की मांग करने वाले कुछ व्यक्तियों को ऐसा करने से रोक सकती है। दोनों कार्यों का परिणाम यह होगा कि विदेशी विनिमय बाजार में रुपये की पूर्ति इसकी मांग की अपेक्षा बढ़ जायगी जिससे इसकी विनिमय-दर भी घट जायगी।

इस प्रकार इन दोनों तरीकों से सरकार विनिमय-नियंत्रण करती है। विनिमय नियंत्रण के इन दोनों तरीकों में प्रधान अन्तर यह है कि एक में मुद्रा की लेन-देन में वृद्धि हो जाती है तो दूसरे में कमी हो जाती है। एक में बाजार सभी के लिए खुला रहता है, किन्तु इसमें कृत्रिम तत्त्व रख दिया जाता है और दूसरे में बाजार में मुक्त प्रवेश पर नियंत्रण रहता है। (One increases and the other restricts the number of transactions in the market. The one leaves the market open to all comers but adds an artificial element to it, the other interferes with the free access of the public to the market) अब यहाँ पर विनिमय-नियंत्रण के इन तरीकों की पृथक्-पृथक् व्याख्या की जायगी।

हस्तक्षेप

(Intervention)

कोई भी सरकार विदेशी विनिमय बाजार में अपनी मुद्रा के मूल्य को अधिक (अधिमूल्यन) या कम (अवमूल्यन) रखने के उद्देश्य से हस्तक्षेप कर सकती है। इन दोनों उद्देश्यों में से मूल्य को अधिक रखने का उद्देश्य ही अधिक प्रचलित है। जब मुद्रा की विनिमय दर को अधिक रखने के उद्देश्य से हस्तक्षेप किया जाता है तो कहा जाता है कि एक निश्चित मूल्य पर मुद्रा को बल दिया जा रहा है। (The currency is said to be pegged) पैगिंग (pegging) ही आजकल हस्तक्षेप का सर्वाधिक प्रचलित रूप है। साधारणतः, पैगिंग का अर्थ तब मूल्य को अधिक रखने से यानी 'पैगिंग अप' से ही होता है, किन्तु अवमूल्यन के उद्देश्य से किये गये हस्तक्षेप को पैगिंग डाउन (Pegging down) भी कहा जाता है।

यदि किसी देश की सरकार अपनी मुद्रा की विनिमय-दर को उसके उन्मुक्त दर से अधिक रखना चाहती है, यानी 'पैगिंग अप' करना चाहती है तो इसका आशय यह है कि उस विनिमय-दर पर उस मुद्रा की पूर्ति को अपेक्षा उसकी मांग कम होगी। अतएव सरकार को स्वयं अपने प्रयत्नों द्वारा उस पर मुद्रा की मांग में इतनी वृद्धि करनी पड़ेगी जिससे कि उसकी सम्पूर्ण पूर्ति समाप्त हो जाय। उदाहरण के लिए, प्रथम विश्व-युद्ध से समय ब्रिटेन की सरकार ने अपने पाँड की बाजार-दर से ऊँचा दर पर 'पैग अप' करने का प्रयास किया था। इसके लिए उसे सदा इस बात के लिए तत्पर रहना पड़ता था कि बाजार में जो पाँड आ जाय और जिस बाजार के अन्य लेने वाले न ले सकें उसे वह स्वयं लेकर बदले में विदेशी मुद्रा प्रदान करेंगे। इसके विपरीत नीची दर पर 'पैग डाउन' करने के लिए सरकार को सदा बाजार में एक निश्चित दर पर अपनी मुद्रा की पूर्ति को बनाये रखने के लिए तैयार रहना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, जो सरकार अपनी मुद्रा को 'पैग डाउन' करने का प्रयास करती है। उसे अपनी मुद्रा को देकर विदेशी मुद्रा लेने के लिए सदा तैयार रहना पड़ता है।

इस प्रकार हस्तक्षेप के द्वारा सरकार की विनिमय-नियंत्रण की शक्ति उसके साधनों पर निर्भर करती है। 'पैगिंग अप' यानी विनिमय-दर को ऊँचा रखने के लिए सरकारी क्रिया की सीमा कुछ अधिक संकुचित होगी है क्योंकि इसमें उसे विदेशी मुद्रा प्रदान करनी पड़ती है। इसके लिए सरकार को बहुधा विदेशों से ऋण लेना पड़ता है, किन्तु कोई भी सरकार ऐसा बहुत लम्बे समय तक नहीं कर सकती। अधिक संकट के समय प्रलयकाल के लिए सरकार ऋण लेकर इस प्रकार की नीति का अनुसरण कर सकती है किन्तु इनकी भी एक निश्चित सीमा होती है जिससे यह कार्य बहुत समय तक नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर अप-मून नीति (Pegging down) में यह

सीमा पहले बहुत-बड़ी नजर नहीं आती क्योंकि इसमें देश के साधनों पर ही कार्य करना पड़ता है। अल्प-मूल्य कीलन (Pegging down) में कोई देश विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है उसे खोता नहीं है। किन्तु इसकी भी एक निश्चित सीमा है। निस्तन्देह कोई भी सरकार अपने देश की मुद्रा को विदेशी मुद्रा की अपेक्षा सुगमतापूर्वक प्राप्त कर सकती है। ऐसा कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे—कर (Taxation) से, जनता से ऋण प्राप्त कर (Borrowing) तथा अतिरिक्त मुद्रा का सृजन कर। इनमें से अतिरिक्त कर प्राप्त करने की सम्भावना भी सीमित होती है क्योंकि किसी भी देश की जनता लगभग ऊँची दर पर कर देना नहीं चाहेगी। जनता से ऋण लेना कुछ अधिक सम्भवपूर्ण युक्ति है। सिद्धान्त कोई भी सरकार अपने देश की जनता में ऋण ले सकती है एवं उसका प्रयोग अल्प-मूल्य-कीलन (Pegging down) के लिए कर सकती है। किन्तु जनता से ऋण लेने का कार्य भी बहुत दिनों तक नहीं चल सकता क्योंकि इससे अतिरिक्त ऋण का बोझ बढ़ जायगा और सरकार को उसके लिए अधिक सूद देना पड़ेगा। नीपरा तरीका, अतिरिक्त मुद्रा के सृजन की भी व्यावहारिक रूप में बहुत-सी सीमाएँ हैं। अतिरिक्त मुद्रा के सृजन से मुद्रा स्फीति का दबाव बढ़ेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मुद्रा-स्फीति से अल्प-मूल्य-कीलन की बल मिलेगा क्योंकि मूल्य-वन में वृद्धि से मुद्रा का सन्तुलन मूल्य कम हो जायगा और इस प्रकार अल्प मूल्य कीलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार यदि सरकार का उद्देश्य केवल अस्थायी तौर पर अल्पमूल्यन करना है यानी केवल मुद्रा के सन्तुलन मूल्य को कम करना है तो इसके लिए यही तरीका सर्वोत्तम है। किन्तु सन्तुलन दर को स्थायी रूप से कम करने की नीति से भयानक मुद्रा स्फीति के सृजन की आशंका उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार अल्प मूल्य-कीलन (Pegging down) में अधिक-मूल्य कीलन (Pegging up) की तरह उसी अविश्व पाबन्दी नहीं है। फिर भी यह विशेष रूप से खर्चीला कार्य है, विशेषतः उस देश के लिए जो इसे कुछ स्थायी तौर पर लागू करना चाहता है। अतएव इस सम्बन्ध में हमारा निष्कर्ष यह हुआ कि हस्तक्षेप अस्थायी रूप से सम्भव हो सकता है, स्थायी रूप में नहीं। (Intervention is temporarily, rather than permanently possible)

जब हस्तक्षेप का प्रयोग विनिमय-दर के परिवर्तन को समाप्त करने के लिए किया जाता है तो इसमें कमी अधिमूल्यन एवं कमी अवमूल्यन की आवश्यकता पड़ती है। अतएव ऐसी स्थिति में इनके प्रयोग के लिए सरकार को कमी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है तो कमी देगी मुद्रा का। इस प्रकार की नीति का सबसे सुन्दर उदाहरण ब्रिटेन का विनिमय-सरकारी कोष (Exchange Equalisation Account) है। इसमें न तो स्थायी रूप से अधिमूल्यन की आवश्यकता पड़ती है, न अवमूल्यन की ही। किन्तु विनिमय दर के परिवर्तन को रोकने के लिए हस्तक्षेप की नीति भी सन्तुलन दर के मौलिक अन्तर को विनिमय दर में परिलक्षित होने से नहीं रोक सकती है। यह केवल रोज-ब-रोज के अस्थायी कारण एवं परिकल्पना के परिणामस्वरूप होनेवाले परिवर्तनों को ही रोक सकती है। इस प्रकार हस्तक्षेप की सम्भावनाएँ सीमित हैं। इस सम्बन्ध में स्थायी रूप से केवल उसी नीति का अनुसरण किया जा सकता है जो साधारण ह्रास एवं वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से काम में लायी गयी हो।

विनिमय-प्रतिबन्ध

(Exchange Restriction)

द्वितीय महायुद्ध के समय से कई देशों ने इस बात का अनुभव करना प्रारम्भ किया कि हस्तक्षेप की नीति विनिमय नियन्त्रण के साधन के रूप में बहुत ही कमजोर युक्ति है, अतएव उन्होंने इस सम्बन्ध में एक अधिक प्रबल युक्ति विनिमय-प्रतिबन्ध का प्रयोग प्रारम्भ किया। विनिमय-नियन्त्रण की इन दोनों युक्तियों में मौलिक विभेद यह है कि जो सरकार हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करना चाहती है उसे विदेशी मुद्रा-बाजार में क्रय-विक्रय के द्वारा बाजार के परिमाण में कमी या वृद्धि करनी पड़ती है जिसके लिए उसे अपने पास विदेशी मुद्रा का भंडार रखना आवश्यक होता है। किन्तु विनिमय प्रतिबन्ध (Exchange Restrictions) के अन्तर्गत मुद्रा-बाजार में मुद्रा की मांग एवं पूर्ति में अनिवार्य रूप से कमी की जाती है। इन प्रकार इसमें मुद्रा की पूर्ति अथवा मांग को कम कर इसके द्वारा अपेक्षित दर को कायम रखा जाता है।

इस प्रकार विनिमय प्रतिबन्ध (Exchange Restriction) की परिभाषा इस प्रकार से दी जाती है : "विदेशी विनिमय बाजार में कारोबार को घटाने का युक्ति को विनिमय-प्रतिबन्ध कहा जाता है।" (Anything that diminishes the turnover of the foreign exchange market constitutes exchange restriction.) संक्षेप में, विनिमय प्रतिबन्ध की रीति को निम्नलिखित विशेषताएँ हैं :—

(क) सर्वप्रथम तो इस नीति के अन्तर्गत सरकार विदेशी-विनिमय के व्यापार का स्वयं अपने पास केन्द्रीकरण कर लेती है जिससे विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति अथवा सत्त्वा नहीं कर सकती है।

(ख) विदेशी-विनिमय प्राप्त करने से पूर्व लोगों को सरकार की आज्ञा प्राप्त करनी पड़ती है।

(ग) सरकारी आज्ञा के बगैर कोई भी व्यक्ति विदेशी-विनिमय का व्यापार नहीं कर सकता।

विनिमय-प्रतिबन्ध की नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित दो प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है :—

- (1) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन (Regulation of International Trade); तथा
- (2) अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी एवं स्वर्ण के आवागमन पर नियन्त्रण।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन के कार्य के नीचे दो पक्ष हैं :— (क) देश के निर्यात (export) से प्राप्त विदेशी मुद्रा को अधिकारियों के हाथ में उपलब्ध करना, एवं (ख) इस मुद्रा का वितरण आयातकों के बीच राष्ट्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए करना।

देश के निर्यातक यदि अपनी वस्तुएँ बाजार में बेचने के लिए स्वतन्त्र रहें तो इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त कर अपने इच्छानुसार उससे क्रय करेंगे। वे इसका विनियोग बाहर भी कर सकते हैं, इससे देश की पूँजी बाहर चली जाती है। अतः, देश की पूँजी को बाहर जाने से रोकने के लिए निर्यात पर भी नियन्त्रण अनिवार्य हो जाता है। निर्यात पर नियन्त्रण कर इसके द्वारा प्राप्त विदेशी मुद्रा को सरकार या मौद्रिक अधिकारी के हाथ में कर लिया जाता है। इसकी सहायता से सरकार अथवा मौद्रिक अधिकारी आवश्यकतानुसार आयात का भी नियन्त्रण करते हैं।

रैगनर नरसे (Ragnar Nurkse) के अनुसार विदेशी विनिमय के वितरण के सम्बन्ध में अधिकारियों को प्रायः चार प्रकार के निर्णय करने पड़ते हैं :—

- (1) इसका कौन-सा हिस्सा भिन्न-भिन्न उद्देश्यों के लिए दिया जाय। उदाहरण के लिए कौन-सा हिस्सा वस्तुओं के आयात पर, कौन-सा हिस्सा अन्तर्राष्ट्रीय ऋण पर भुद चुकाने के लिए तथा कौन-सा हिस्सा यात्रियों के खर्च के रूप में व्यय किया जाय इत्यादि।
- (2) विदेशी विनिमय का भिन्न-भिन्न वस्तुओं पर किस परिमाण में वितरण किया जाय;
- (3) देश में भिन्न-भिन्न फर्मों के बीच किस परिमाण में विदेशी मुद्रा का वितरण किया जाय; एवं
- (4) सम्पूर्ण विदेशी विनिमय का भिन्न-भिन्न देशों के बीच किस परिमाण में वितरण किया जाय।

इस प्रकार के निर्णयों के बहुत ही गम्भीर परिणाम होते हैं। विदेशी मुद्रा के भिन्न-भिन्न ढंगों से वितरण से देश के उत्पादन का संगठन बहुत ही प्रभावित होती है। भिन्न-भिन्न फर्मों के बीच वितरण का नियन्त्रण करने से सरकार को आर्थिक नियन्त्रण का पर्याप्त अवसर मिलता है, इससे कुछ कुरीतियाँ भी पैदा हो सकती हैं एवं पक्षपात भी हो सकते हैं। विदेशी मुद्रा को भिन्न-भिन्न देशों के बीच वितरित करने से अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं मौद्रिक सम्बन्ध प्रभावित होते हैं

जिससे इनके बीच समानता का व्यवहार न होकर पक्षपातपूर्ण व्यवहार (Preferential treatment) होता है ।

विदेशी व्यापार के नियमन के निम्नलिखित स्तर हैं :—

(1) प्रारम्भ में, सरकार सभी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक कार्यों को अपने नियन्त्रण में कर लेती है । देश के आयातको एवं निर्यातको को आयात-निर्यात के लिए सरकार से अनुमति (licence) लेनी पड़ती है जिसके पक्षस्वरूप आयात एवं निर्यात की प्रकृति, परिमाण एवं दिशा आदि सभी बातों पर पूर्ण रूप से सरकारी नियन्त्रण हो जाता है ।

(2) द्वितीय स्तर में देश के निर्यातको को निर्यात की वस्तुओं से प्राप्त विदेशी मुद्रा को मौद्रिक अधिकारी अथवा सरकार के हाथों समर्पित करना पड़ता है । इसी प्रकार देश में आयातकों द्वारा प्राप्त विदेशी मुद्रा के उपयोग पर भी नियन्त्रण किया जाता है । कभी-कभी तो इसे वित्कुल रोक (block account) लिया जाता है और इसके बदले में देश की सरकार अपने मनोनुकूल वस्तुएं देती है ।

(3) विदेशी मुद्रा का वितरण विभिन्न मनों एवं उद्योगों के बीच सरकार द्वारा किया जाता है । इसके सिद्धान्तों और उद्देश्यों की व्याख्या पहले ही की जा चुकी है ।

विनिमय-नियन्त्रण का वाणिज्य पर प्रभाव :—विनिमय-नियन्त्रण की नीति को सफल बनाने के लिए इसका प्रयोग सभी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक कार्यों में आवश्यक होता है । अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य के नियन्त्रण के फलस्वरूप यह बहुपक्षीय (Multilateral) नहीं रहकर द्विपक्षीय (bilateral) हो जाता है । द्विपक्षीय होने से अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य के परिमाण में बहुत कमी आ जाती है ।

1929-30 की महान् आर्थिक मन्दी के बाद स्वर्ण-मान का पतन हुआ जिसके बाद कई देशों में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा के कोष की वमी हो गयी, कई देशों से पूंजी दूसरे देशों में चली गयी । इससे बहुत-से देशों के पास अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष कुछ नहीं बचा । जिस तरह मुद्रा के अभाव में वस्तु-विनिमय आवश्यक हो जाता है उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष के अभाव में अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य भी अनिवार्य रूप से द्विपक्षीय (bilateral) विनिमय का रूप ले लेता है तथा इसके लिए विनिमय-नियन्त्रण की आवश्यकता पड़ती है ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार जब द्विपक्षीय वाणिज्य (bilateral trade) का रूप लेता है तो इसके निम्नलिखित तीन स्वरूप होते हैं —

(i) अभ्यश प्रणाली (Quota System),

(ii) अवरुद्ध खाते (Blocked Accounts); तथा

(iii) विनिमय-समाशोधन-समझौते (Exchange Clearing Agreements) ।

(i) अभ्यश प्रणाली (Quota System) :—इस प्रणाली में भिन्न-भिन्न देशों से आयात के परिमाण को निश्चित कर दिया जाता है । इस नीति का प्रयोग महान् आर्थिक मन्दी के बाद फ्रांस तथा स्टालिन-समुदाय के अन्य देशों ने किया था । इसका उद्देश्य उन देशों के आयात को कम करना था जिन देशों से फ्रांस की अन्तर्राष्ट्रीय प्राप्ति देन से कम थी । इस प्रकार अभ्यश प्रणाली द्वारा आयात को कम कर विनिमय दर को विशिष्ट स्तर पर बनाय रखने का प्रयत्न किया जाता है । वास्तव में यह प्रणाली आयात एवं निर्यात को सन्तुलित करने की बड़ी ही सुन्दर प्रणाली है ।

(ii) अवरुद्ध खाते (Blocked Accounts) :—इस प्रकार की प्रणाली का प्रथम युद्ध के बाद जर्मनी में बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया था । युद्धकाल या अन्य संकट के समय विनिमय की दरों में परिवर्तन (Fluctuations) पर रोक लगाने के लिए सरकार या तो इस प्रकार के खातों को बन्द कर देती है या वह इस प्रकार की पूंजी अथवा विदेशी सम्पत्ति को देश से बाहर जाने पर रोक (Restriction) लगा देती है जिससे विदेशी इस देश से अपनी पूंजी का हस्तांतरण नहीं करने पाते । इस प्रकार की सारी सम्पत्ति "अवरुद्ध खाते" (Blocked Accounts) नामक एक अलग कोष में जमा कर दी जाती है । इस प्रकार की रकम को व्यय

करने की अनुमति साधारणतः विदेशियों को नहीं दी जाती है, परन्तु कभी-कभी सरकार विदेशियों को इन खातों में जमा की रकम को कुछ विशेष कार्यों में उपयोग करने के लिए अनुमति दे देती है। ये विदेशी अपनी मुद्रा को दो प्रकार से वापस पा सकते थे—या तो प्रचलित विनिमय की दर से कम दर पर या देशी वस्तुओं के रूप में। इस प्रकार इस प्रथा में विवश होकर सरकार की अनुमति से, विदेशी व्यापारी इस देश में ही माल खरीद कर अपना मुग्तान ले लेते हैं या अपनी मुद्रा को कम मूल्य पर बेच देते हैं। इस तरह इससे देश को प्रत्येक अवस्था में लाभ होता है। किन्तु, अव्यक्त खाते में रकम जमा करने से विदेशी मुद्रा में 'चोर बाज़ारी' उत्पन्न हो जाती है जिसे अर्थशास्त्र में "ब्लैक बोर्स" (Black Bours) कहते हैं। अतः जब कभी सरकार विदेशियों के खातों को स्वदेश में बन्द कर देती है तब चूँकि मुद्रा विदेशों को नहीं जाने पाती, इसलिए इस रीति से विनिमय की दर के परिवर्तन (Fluctuations) को रोका जा सकता है।

(iii) विनिमय-समाशोधन या निकासी समझौते (Exchange Clearing Agreements) :—इस प्रकार के समझौते की मुख्य बातें इस प्रकार हैं.—(i) ये समझौते दो राष्ट्रों के बीच एक-दूसरे के ऋणों का मुग्तान समझौते की शर्तों के अनुसार करने के लिए किये जाते हैं। (ii) इन समझौतों के अनुसार दोनों देशों में आयातकर्ता माल का मुग्तान अपने देश की मुद्रा में अधिकृत बैंकों में करते हैं। इसी प्रकार ये अधिकृत बैंक ही अपने देश के निर्यातकर्ताओं को इनके माल का मुग्तान देशी मुद्रा में कर देते हैं। अतः इस रीति में मुद्राओं का एक देश से दूसरे देश को हस्तांतरण नहीं होते हुए भी दोनों देशों में मुग्तान हो जाता है। (iii) सरकार द्वारा विनिमय की दर निश्चित की जाती है। (iv) व्यापार का असतुलन सरकारी हस्तक्षेप द्वारा ठीक कर दिया जाता है। अतः इस पद्धति में सरकार व्यापार का नियमन (Regulation) करती है और विनिमय की दर के उच्चावचनों को इस हस्तक्षेप से दूर करने का प्रयत्न करती है। (v) इस पद्धति से दोनों देशों में आयात-निर्यात में जो अन्तर होता है उसी का मुग्तान एक देश दूसरे देश को करता है और यह मुग्तान भी विदेशी मुद्रा का उपयोग किये वगैरे ही किया जाता है। (vi) प्रायः, निकासी समझौते ऐसे देशों में होते हैं जहाँ पर विनिमय-नियन्त्रण की स्थिति पहले से होती है। (vii) निकासी समझौते करते समय सरकार यह भी तय कर देती है कि मुग्तान की क्या प्राथमिकता होगी अर्थात् सरकार यह स्पष्ट कर देती है कि पहले किन-किन मदों का मुग्तान होगा और बाद में किन-किन का। पूँजी के आवागमन पर नियन्त्रण लगाकर भी विनिमय का नियन्त्रण किया जाता है।

इनके अतिरिक्त विनिमय प्रतिबन्ध के और भी बहुत-से तरीके हैं जिनमें निम्नांकित प्रमुख हैं—

(क) विलम्ब-काल हस्तांतरण (Transfer Moratorium) — इस नीति के अन्तर्गत विदेशियों के माल अथवा पूँजी का हस्तांतरण तत्काल न करके कुछ समय बाद किया जाता है। दूसरे शब्दों में, इसमें विदेशी मुग्तानों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। देश के आयातकर्ताओं को अपने ऋणों का मुग्तान देशी मुद्रा में वैदेशी बैंक में जमा करने का आदेश दिया जाता है। इस जमा की गयी राशि को सुरक्षित रखा जाता है तथा निश्चित अवधि के पश्चात् इसका मुग्तान विदेशियों को कर दिया जाता है। विलम्ब काल (Moratorium) की समाप्ति पर यह राशि विदेशियों को भेज दी जाती है। इस विलम्ब-काल की अवधि में इस देश की सरकार को विदेशी विनिमय-सम्बन्धी आवश्यक समायोजन करने का अवसर प्राप्त हो जाता है।

यथास्थिर अथवा निश्चित समझौते (Standstill Agreements) — इस रीति का उपयोग 1931 ई० के महान् आर्थिक संकट के शीघ्र पश्चात् ही जर्मनी में किया गया था। इस रीति के अन्तर्गत समझौते पक्ष वाले देशों के बीच पूँजी के हस्तांतरण पर रोक लगा दी जाती है और विदेशी ऋणों का मुग्तान एक ही बार न करके धीरे-धीरे किस्तों में किया जाता है। साधारणतया, पूँजी के हस्तांतरण पर प्रतिबन्ध लगाकर अल्पकालीन ऋणों में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि ऋणी देश को अपनी आन्तरिक अर्थ व्यवस्था को सुधारने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो जाता है।

इस प्रकार विभिन्न प्रकार से विनिमय-प्रतिबन्ध की नीति अपनायी जाती है किन्तु विनिमय प्रतिबन्ध (Exchange Restriction) का तरीका जो भी हो, इसका उद्देश्य सदा

विनिमय-बाजार में देश की मुद्रा की पूर्ति को कम करना होता है और ऐसा विनिमय-बाजार में आने वाले लेन-देन को रोक कर ही किया जाता है। इस प्रकार की रोक-छेक पहले-पहल 1931 ई० में केन्द्रीय यूरोप में विदेशियों को अपनी पूँजी हटाने से रोकने के लिए लगायी गयी थी। विनिमय-प्रतिबन्ध के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा में घोर बाजार की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है, किन्तु इस प्रकार के लेन-देन-कानून के विरुद्ध होते हैं।

विनिमय-समकारी कोष

(The Exchange Equalization Account)

यह कोष ब्रिटेन में सन् 1932 ई० में स्थापित किया गया था। हस्तक्षेप की रीति को स्पष्ट करने के लिए ब्रिटिश विनिमय-समकारी कोष की विस्तृत कार्यवाही का अध्ययन अनिवार्य है।

स्वर्ण-मान के परिस्थापन के बाद इंग्लैंड ने ऐसा अनुभव किया कि स्टर्लिंग की विनिमय दरों में बढ़ी तेजी के साथ उतार-चढ़ाव हो रहा था। इन उच्चावचनों को रोकने के लिए इंग्लैंड ने सन् 1932 ई० में विनिमय-समकारी-कोष नामक एक कोष स्थापित किया। इस कोष पर सरकारी कोषागार का प्रत्यक्ष नियन्त्रण था, यद्यपि यह कार्य एजेंट के रूप में बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा सम्पन्न किया जाता था। इसके साधनों में सरकार द्वारा प्रचालित कोषागार-विपत्र (Treasury Bills) तथा खले बाजार और अन्य देशों के केन्द्रीय बैंकों से खरीदा हुआ सोना सम्मिलित था। प्रारम्भ में कोष की कोई पूँजी विदेशी मुद्रा में नहीं थी। सरकार ने इस कोष का लगभग 175 करोड़ पाँड के कोषागार-विपत्र दिये थे। यह कोषागार-विपत्रों को प्रत्येक 6 महीने में नया करा लेता था। कोष का प्रधान उद्देश्य स्टर्लिंग के बदले में विदेशी मुद्राओं को खरीदकर अथवा बेचकर विनिमय-दरों को स्थायी बनाना था। यदि विदेशी विनिमय-बाजार में स्टर्लिंग की माँग बढ़ती या घटती थी तो कोष उसे घेरेट मात्रा में बेचकर या खरीद कर विनिमय-दर को बढ़ने-घटने से रोकता था।

सरकार इस कोष का उपयोग इस रीति से नहीं करती थी कि विनिमय-बाजार की स्थायी और दीर्घकालीन प्रवृत्तियों में हस्तक्षेप करे, परन्तु यह प्रयत्न भव्य किया जाता था कि पूँजी लगानेवालों की घबड़ाहट और सट्टेबाजों की कार्यवाहियों का विदेशी विनिमय दर पर कोई हानिकारक प्रभाव न पड़ सके। इसका उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था को विदेशी विनिमय-बाजार से पृथक् रखना और साथ ही दीर्घकालीन प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर विनिमय दरों को सुदृढ़ बनाना था। इस कोष की कार्य-प्रणाली को गुप्त रखा गया था। यह बहुत जटिल भी थी। संक्षेप में, केवल इतना कहा जा सकता है कि विदेशी विनिमय-बाजार पर नियन्त्रण रखने के लिए यह एक सन्तोषजनक पद्धति थी। इस प्रणाली से विनिमय-दरों के अल्पकालीन परिवर्तनों को भली-भाँति रोक दिया गया था, परन्तु यह प्रणाली विभिन्न देशों के बीच कीमतों और आय के समायोजन में सफल नहीं हो सकी।

प्रारम्भ में, विनिमय समकारी कोष स्टर्लिंग के बदले डॉलर खरीदता था क्योंकि डॉलर सन् 1933 ई० तक स्वर्ण में परिवर्तनशील था, इसलिए इसके द्वारा ही विनिमय-दरों पर नियन्त्रण रखा जाता था। सन् 1933 ई० में अमेरिका द्वारा स्वर्ण-मान के परिस्थापन के बाद कोष ने फ्रैंक खरीदना प्रारम्भ कर दिया था, परन्तु सन् 1936 ई० में फ्रांस द्वारा स्वर्ण-मान छोड़ देने के पश्चात् इसे कठिनाई होने लगी। इस कठिनाई को दूर करने के लिए इंग्लैंड अमेरिका और फ्रांस के बीच एक आपसी समझौता किया गया जिसके अनुसार प्रत्येक देश को यह अधिकार मिला कि वह दूसरे देश की मुद्रा को 24 घण्टे के भीतर उस देश के केन्द्रीय बैंक से स्वर्ण में परिवर्तित कर दे।

जर्मनी का विनिमय प्रतिबन्ध (Exchange Restrictions in Germany) — विनिमय-प्रतिबन्ध का अर्थ "मुद्रा अधिकारियों की उन क्रियाओं से है जिनके द्वारा विनिमय बाजार में माँग एवं पूर्ति को प्रभावित करने के उद्देश्य से विनिमय दरों का परिवर्तन प्रतिबन्धित किया जाता है।" इस प्रणाली का प्रारम्भ हस्तक्षेप से पूर्ण सफलता न मिलने के कारण हुआ। यह एक अधिक कठोर, प्रत्यक्ष एवं सार्यक रीति है। सबसे पहले सन् 1931 ई० में जर्मनी ने इस प्रणाली को अपनाया था और बाद में अर्जेन्टाइना तथा मध्य यूरोप के अन्य देशों ने भी इसे

अपनाया। सन् 1939 ई० के पश्चात् भारत तथा बहुत-से देशों ने युद्ध कालीन अर्थ-व्यवस्था की सफलता के लिए इसका काफी उपयोग किया है। विनिमय-प्रतिबन्ध की प्रणाली की कार्यविधि को समझने के लिए जर्मनी की प्रणाली का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है :—

जर्मनी में यह प्रणाली इस कारण अपनायी गयी थी कि सन् 1931 ई० में जर्मनी की मुद्रा का अर्थमूल्यन होने के कारण वहाँ पर महान् प्राथिक संकट उत्पन्न हो गया था। अपनी युद्ध-कालीन अर्थ-व्यवस्था को सुधारने के लिए जर्मनी ने बहुत अधिक मात्रा में ऋण लिया था। इन ऋणों को लौटाने के लिए जर्मन मार्क की पूति बहुत बढ़ायी गयी थी परन्तु जर्मनी का नियति-व्यापार शून्य के बराबर था जिससे मार्क की माग बहुत ही कम थी। ऋणदाताओं को यह आशंका थी कि जर्मनी की अर्थ-व्यवस्था टूट जायगी, इसलिए उन्होंने मार्क में भुगतान लेने से इन्कार कर दिया था। स्थिति इतनी खराब हो गयी थी कि मार्क की बाह्य कीमत के शून्य तक गिर जाने का भय था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए जर्मनी ने कृत्रिम अर्थमूल्यन की नीति को अपनाया और जर्मन मार्क की पूति को इस प्रकार नियन्त्रित करने का प्रयत्न किया गया कि यह इसकी माग के बराबर हो जाय।

इसके लिए जर्मनी ने बहुत ही कठोर तरीकों को अपनाया—सर्वप्रथम तो सारा विदेशी विनिमय एक केन्द्रीय सत्ता द्वारा रोक दिया गया और विदेशी विनिमय के लिए अनुज्ञापन प्रणाली को प्रारम्भ किया गया। दूसरा कार्य यह किया गया कि सभी नागरिकों को सभी विदेशी मुद्राएँ, विदेशी प्रतिभूतियों तथा बौद्ध सरकार को सौंपने का आदेश दे दिया गया और इस प्रकार एक निश्चित दर पर सरकार ने सारी विदेशी विनिमय सम्पत्ति प्राप्त कर ली। इस सम्पत्ति का एक भाग तो सरकार ने स्वयं रख लिया और शेष को खरीदने की दर से ऊँची कीमत पर उन नागरिकों के हाथ बेच दिया गया जिन्हें विदेशी-विनिमय की आवश्यकता थी। विदेशी यात्रियों के लिए बहुत ही कम मात्रा में विदेशी मुद्रा दी जाती थी। आयात के लिए एक प्राथमिकता निश्चित कर दी गयी थी और कुछ अनावश्यक वस्तुओं के आयात को पूर्णतया बन्द कर दिया गया था। अन्त में जर्मनी ने “अवरद्ध-खाता” (Blocked Accounts) की नीति को भी अपनाया था। इसके अनुसार विदेशियों को अपनी सम्पत्ति, प्रतिभूतियाँ तथा मुद्राएँ जर्मनी से बाहर ले जाने का अधिकार नहीं दिया गया था। यह सब सम्पत्ति सरकार के “अवरद्ध खाता” नामक पृथक् कोष में जमा कर दी जाती थी। प्रत्येक जर्मन ऋणी अपना विदेशी ऋण सरकार को चुकाता था और सरकार इस राशि को सम्बद्ध विदेशी के नाम पर अवरद्ध खाते में जमा कर देती थी। परन्तु यह राशि विदेशी मुद्राओं में परिवर्तनशील नहीं थी। विदेशियों को इस प्रकार अपनी मुद्राओं में भुगतान नहीं मिलता था और वे विवश हो या तो जर्मनी से माल खरीद कर अपना भुगतान लेते थे या इस राशि को कम दाम पर बेच देते थे। इसका परिणाम जर्मनी के लिए बहुत ही अच्छा हुआ। किन्तु, इसने विनिमय-बाजार में खोर-बाजारी (Black-Bounce) को जन्म दिया।

जर्मनी की नीति महान् आधिक जादूगर डॉ० शाट (Schacht) के मस्तिष्क की उपज थी और इसे “नयी योजना” कहा जाता था। इन उपायों के परिणामस्वरूप जर्मनी का तेजी के साथ प्राथिक विकास हुआ। क्राउथर (Crawther) के अनुसार “जर्मनी के उद्योग बाहर से खरीद कर मगाये गये वस्त्रे पदार्थ पर निर्भर करते और राजी सरकार को जर्मन उद्योग-घरों पर आवश्यक सामानों के राशनिमय करने के बड़े विनिमय नियन्त्रण के कारण जो अपरिमित शासन-शक्ति मिल गयी थी, वह उनके हाथ में साधारण औद्योगिक नियन्त्रण का एक महत्त्वपूर्ण अस्त्र थी, परन्तु इसके अतिरिक्त जर्मनी की चेष्टा इस दिशा में लगी हुई थी कि आयातवृत्त वस्त्रे पदार्थों की अधिक पूति देना से ही की जा सके।”

परोक्ष तरीके

(Indirect Methods)

उपरोक्त अनेक प्रत्यक्ष तरीकों के अतिरिक्त विनिमय-नियन्त्रण के कुछ परोक्ष तरीके भी हैं। परोक्ष तरीके प्रत्यक्ष तरीकों की तुलना में कम कठोर होते हैं। इनमें आयात कर, आयात शु० मौ० सं०—29

कोटा (Import Quotas), ब्याज की दर तथा निर्यात पारितोषिक (Export bounty) प्रादि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यदि देश की विदेशी विनिमय सम्बन्धी स्थिति चिन्ताजनक है तो आयात करों के द्वारा आयात की मात्रा को कम करके इसमें सुधार किया जा सकता है। आवश्यक वस्तुओं के आयात को कर से मुक्त करके तथा अनावश्यक वस्तुओं पर अधिक मात्रा में आयात कर लगाकर देश के आयात को परिमाणत्मक (Quantitatively) तथा गुणात्मक (Qualitatively) दोनों दृष्टि से सीमित कर दिया जाता है। इसी प्रकार विभिन्न आयातों की मात्रा वा Quota निश्चित करके भी इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रणाली में विभिन्न वस्तुओं के आयातों की मात्रा निश्चित कर दी जा सकती है। साथ ही, कभी-कभी आयातों की मात्रा के साथ-साथ उन देशों के नाम भी निश्चित कर दिये जाते हैं जहाँ से वस्तुओं का आयात किया जा सकता है। विदेशी विनिमय की स्थिति को सुधारने के लिए कभी-कभी निर्यात पर छूट देकर (Export bounty) निर्यातों को प्रोत्साहित किया जाता है और इस प्रकार अधिक विदेशी विनिमय प्राप्त करने की स्थिति में सुधार किया जाता है। अन्त में ब्याज की दरों में अनुकूल परिवर्तन करके देश के अन्दर विदेशी पूँजी को आकर्षित किया जा सकता है। ब्याज की दरों में वृद्धि करके विदेशियों को अपनी पूँजी देश में विनियोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही, देशी पूँजी को विदेशों में जाने से रोका जा सकता है, इससे विदेशी विनिमय की स्थिति में भी सुधार हो सकता है।

इस प्रकार विनिमय-नियन्त्रण के विभिन्न परोक्ष तरीकों के द्वारा भी विनिमय-नियन्त्रण के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

भारत में विनिमय-नियन्त्रण (Exchange Control in India)

भारत में सर्वप्रथम विनिमय-नियन्त्रण द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने के साथ-साथ सितम्बर, 1939 ई० में अपनाया गया। यहाँ विनिमय-नियन्त्रण का कार्य 'रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया' द्वारा किया जाता है जो इस कार्य का संचालन अपने एक पृथक् विभाग—विनिमय-नियन्त्रण विभाग द्वारा करता है। युद्ध काल में भारतीय सुरक्षा विधान के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की आज्ञा के बगैर विदेशी विनिमय का उपयोग नहीं किया जा सकता था। बैंक कुछ स्वीकृत कार्यों के लिए ही विदेशी विनिमय की सुविधाएँ दिया करता था। विदेशी विनिमय-व्यापार का कार्य वास्तव में विनिमय बैंकों द्वारा किया जाता था। युद्ध काल में विनिमय-नियन्त्रण के निम्नांकित उद्देश्य थे—(i) 1943 ई० में विधान सभा द्वारा एक विधान पारित हुआ जिसे विनिमय-नियन्त्रण विधान (Foreign Exchange Regulation) कहते हैं जिसे मार्च, 1943 ई० से लागू किया गया। जिस दिन से इस नियम को लागू किया गया उसी दिन से भारतीय सुरक्षा विधान के अन्तर्गत बने नियमों का भी अन्त कर दिया गया। (ii) इस विधान के अनुसार विदेशी विनिमय के सभी लेन-देन रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृति-प्राप्त विनिमय बैंकों द्वारा ही किया जाता है। रिजर्व बैंक का परमिट दिखला कर ही इन बैंकों से विदेशी मुद्रा खरीदी जा सकती है, परन्तु स्टर्लिंग क्षेत्र (Sterling Area) वाले व्यक्तियों को रिजर्व बैंक से आज्ञा-पत्र नहीं लेने पड़ते। ऐसे व्यक्ति अपनी आमदनी में से 150 पाँड प्रति माह अपने कुटुम्ब के व्यय के लिए भेज सकते थे। (iii) इस विधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय स्वयं के निर्यात, विदेशों से भारत में आनेवाली पूँजी एवं इसके भुगतान तथा विदेशी मुद्रा के क्रय-विक्रय आदि की नियन्त्रित करना है। (iv) भारत में रहने वाले विदेशी एक निश्चित मात्रा तक ही मुद्रा अपने देश को भेज सकते हैं (जैसे बीमा की प्रीमियम, बच्चों की शिक्षा, कुटुम्ब का खर्च आदि के लिए)। जब विदेशी अपने देश में मुद्रा भेजता है तब यह देखा जाता है कि यह रकम उसकी आमदनी में से रहन-सहन का व्यय घटा कर उससे ज्यादा तो नहीं है। इसलिए यदि कोई भारतीय परम किसी विदेशी व्यक्ति की सेवाएँ प्राप्त करना चाहती है तब उसे पहले रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है (v) हिस्सों एवं प्रतिभूतियों का लाभ, जमा एवं ऋणों का ब्याज, विदेशी मुद्रा में दी जानेवाली बीमा की प्रीमियम प्रादि को स्वतन्त्रतापूर्वक भेजा जा सकता है, परन्तु भेजने वाले व्यक्ति को इन हिस्सों प्रतिभूतियों एवं जमा वा स्वामी होना चाहिए। (vi) जब कोई विदेशी अपने देश को लौटता है तब अपने बैलन की बचत (प्रोविडेण्ड फण्ड इत्यादि), अपने स्वयं की सम्पत्ति की विक्री की रकम आदि

अपनी मुद्रा में ले जा सकता है, परन्तु यह रकम ज्यादा-से-ज्यादा 590 पौड तक ही हो सकती है। (vi) आयातकर्ता विदेशों से मगयी गयी दस्तुओं का मुगतान स्वतन्त्रतापूर्वक कर सकते हैं, परन्तु इसके लिए आयात लाइसेंस (Import License) होना चाहिए। (vii) इस विधान के अनुसार पूंजी स्टिलिंग क्षेत्र से बाहर नहीं भेजी जा सकती परन्तु कुछ विशेष परिस्थितियों में इसकी भी इजाजत दी जाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष तथा विनिमय स्थायित्व (International Monetary Fund and Exchange Stability) :- सन् 1947 ई० से मुद्रा-कोष ने कार्य करना प्रारम्भ किया। (इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष नामक अध्याय में पहले ही किया गया है।) इसके अनेक उद्देश्य हैं परन्तु इनमें से एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य सदस्य-राष्ट्रों की मुद्राओं की विदेश विनिमय-दरों को स्थायी बनाने का प्रयत्न करना भी है। इसके अतिरिक्त इस कोष का उद्देश्य सदस्य-राष्ट्रों द्वारा लगाये गये विनिमय-सम्बन्धी नियन्त्रणों को दूर करना है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई रुकावट न हो सके। इस कोष का मुख्य कार्य अपने सदस्य-राष्ट्रों की मुद्राओं का निश्चित दर पर क्रय-विक्रय करना भी है। इसने सदस्य-राष्ट्रों की मुद्राओं का स्वयं अथवा डॉलर से सम्बन्ध स्थापित कर सभी मुद्राओं को अपनी विनिमय-दर भी निर्धारित कर दी है। इन दरों में कोई भारीउत्तार-वृद्धाव बिना कोष की अनुमति से नहीं हो सकेंगे। यद्यपि कोष किसी भी सदस्य-राष्ट्र की अन्तरिक अर्थ-व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करेगा, परन्तु कोई देश अपनी मुद्रा का भ्रवमूल्यन बिना कोष की अनुमति के नहीं कर सकता है। कोष की स्थापना के समय यह आशा की गयी थी कि विभिन्न राष्ट्रों ने जितने भी विनिमय नियन्त्रण लगा रखे हैं वे सब सक्रिय काल तक ही रहेंगे और इन्हें शीघ्र ही समाप्त कर दिया जायगा। किन्तु अभी तक यह आशा पूरी नहीं हो सकी है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के विनिमय-नियन्त्रण की नीति का परित्याग कर एक स्वतन्त्र नीति को अपनाना बहुत आवश्यक है जो मुद्रा को का एक प्रधान उद्देश्य है।

विशेष अध्ययन-सूची

1. Crowther : *An Outline of Money, Chapter VIII.*
2. League of Nations : *International Currency Experiences (1944), Chapter, XIII.*
3. Cole : *Money, its Present and Future, Chapter, XIII.*
4. Paul Enzing : *Exchange Control.*

कुछ स्मरणीय उद्धरण

1. "A country will gain by specialising in the production of those commodities in which its comparative cost advantage is greater, exporting these commodities in exchange for commodities in which its comparative advantage is less" —*Benham*
2. "Balance of trade of a country is the relation over a period, between the value of her exports and the value of her imports" —*Benham*
3. "Balance of payments of a country is a record of its monetary transactions over a period with the rest of the world" —*Benham*
4. "Free Trade is a system of commercial policy which draws no distinction between domestic and foreign commodities and, therefore, neither imposes additional burden on the latter, nor grants any special favour to the former" —*Adam Smith*
5. "Nurse the baby, protect the child and free the adult"

अध्याय : 42 (क)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तें एवं लाभ (Terms of International Trade)

प्रावचन (Introduction) — लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यक्तियों तथा व्यक्ति-मनुष्यों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय को व्यापार कहते हैं। व्यापार को व्यापक रूप से निम्नांकित दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है — (1) देशी, अन्तरिक अथवा घरेलू व्यापार (Internal Trade), एवं (2) अन्तर्राष्ट्रीय अथवा विदेशी व्यापार (International Trade)। देशी अथवा आन्तरिक व्यापार से हमारा तात्पर्य उस व्यापार से है जो किसी देश की सीमा के अन्तर्गत ही विभिन्न स्थानों अथवा क्षेत्रों के बीच होता है। इसके विपरीत दो या दो से अधिक पृथक् राष्ट्रों के बीच के व्यापार को विदेशी व्यापार अथवा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (International Trade) कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि बम्बई के बने हुए कपड़े आरा, पटना अथवा कलकत्ता जाते हैं तो यह आन्तरिक व्यापार हुआ। किन्तु यदि ये ही कपड़े अमेरिका, ब्रिटेन अथवा जपान के बाजारों में जाते हैं तो यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ। दूसरे शब्दों में, जबकि आन्तरिक व्यापार देश की सीमाओं के अन्दर ही होता है अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार देश की सीमाओं को पार कर विदेशों तक चला जाता है। इस प्रकार 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अथवा अर्थ-शास्त्र का सम्बन्ध उन सभी आर्थिक आदान प्रदान से है जिनमें राष्ट्रीय सीमा की समस्या उत्पन्न होती है—जैसे प्रवास (Emigration), एक देश के व्यक्तियों द्वारा दूसरे देश के व्यक्तियों को ऋण देना, अथवा वस्तुओं का क्रय विक्रय'।¹

आन्तरिक एवं विदेशी व्यापार में समानता (Similarities between Internal and International Trade) — आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अथवा विदेशी व्यापार में बहुत कुछ समानता पायी जाती है। दोनों दशाओं में मूल सिद्धान्त एक ही है। दोनों ही प्रकार के व्यापार का आधार श्रम विभाजन (Division of Labour) एवं कार्यों का विशिष्टीकरण (Specialisation) होता है। दोनों ही प्रकार के व्यापार के अन्तर्गत लाभ की प्रवृत्ति की प्रधानता रहती है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी नियतकर्ता का प्रधान उद्देश्य अभावग्रस्त देशों में माल भेजकर उममें लाभ कमाना होता है। दोनों ही दशाओं में वस्तुओं अथवा सेवाओं का विनिमय विभिन्न व्यक्तियों के बीच होता है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में दोना पक्ष पृथक् पृथक् देशों में निवास करते हैं। किन्तु, आन्तरिक व्यापार में कोई एक व्यापारी ऐसी वस्तुएं अथवा सेवाएं, जो किसी स्थान विशेष में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहती हैं, के बढ़ते किमी दूसरे व्यापारी से ऐसी वस्तुएं अथवा सेवाएं प्राप्त करता है जो उस स्थान में या तो दुर्लभ हैं या उपलब्ध ही नहीं हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ भी यही बात पायी जाती है। जिस प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न कार्य करने की योग्यता अलग अलग होती है, शीक उसी प्रकार प्राकृतिक तथा अन्य मनुष्याओं के कारण विभिन्न राष्ट्र अलग अलग वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए उपयुक्त होते हैं। अतएव प्रत्येक देश साधारणतया उन्हीं वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन में अपना समय लगाता है जिनकी उत्पात्ति के लिए वहाँ अर्याधिक मात्रा में प्राकृतिक सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं तथा अन्य वस्तुओं का उत्पादन दूसरे देश पर छोड़ देता है। और, इस प्रकार सभी देश अपनी अपनी वस्तुओं तथा सेवाओं का दूसरे देश को वस्तुओं एवं सेवाओं से विनिमय कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इससे सभी देशों को लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार स्वभावतः आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई विशेष अन्तर नहीं है। किन्तु, इन दोनों में इतनी समानता होते हुए भी इनमें कुछ ऐस

1 "International Economics is concerned with all economic transactions involving passage across a national frontier. Examples are emigration, the loan of capital by nationals of one country to those of another, the purchase of goods by the nationals of one country from those of another"—R. F. Harrold

महत्वपूर्ण अन्तर है जिनके फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृथक् सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृथक् सिद्धान्त की आवश्यकता

(Need for a Separate Theory of International Trade)

यद्यपि आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई मौलिक विभेद नहीं है, फिर भी कई व्यावहारिक कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का पृथक् अध्ययन अधिक सुविधाजनक होता है। दूसरे शब्दों में, निम्नांकित कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (International Trade) के लिए एक पृथक् सिद्धान्त की आवश्यकता पड़ती है —

(१) श्रम एवं पूँजी की गतिशीलता (Mobility of Labour and Capital) — प्रायः यह देखा जाता है कि किसी देश की सीमा के अन्दर श्रम एवं पूँजी के साधनों की गतिशीलता विभिन्न देशों के बीच की अपेक्षा अधिक होती है (Labour and Capital are much more mobile within a State than between different States)। देश के भीतर पूँजी एवं श्रम बहुत अधिक गतिशील रहते हैं जिसके फलस्वरूप सम्पूर्ण देश में समान व्यवसायों में मजदूरी एवं व्याज की दरों में समानता पायी जाती है। इससे सम्पूर्ण देश में वस्तुओं का उत्पादन व्यय भी लगभग एक समान रहता है। परन्तु, विभिन्न देशों के बीच श्रम एवं पूँजी में गतिशीलता का अभाव रहता है। इसके कई कारण हैं। विभिन्न देशों के बीच भाषा, धर्म, रीति-रिवाज तथा सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में विभिन्नता और देश प्रेम, यात्रा-व्यय तथा विदेशियों के प्रति स्वाभाविक सन्देह के कारण श्रम एवं पूँजी एक देश से दूसरे देश में उतनी सुगमतापूर्वक नहीं प्रवाहित होते हैं जितना कि एक देश के अन्दर। राष्ट्रीय सरकारों द्वारा भी श्रम एवं पूँजी के बाहर जाने पर तरह तरह के प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं। श्रम पूँजी की तुलना में और भी कम गतिशील होता है। आदम स्मिथ ने इस सम्बन्ध में ठीक ही कहा है कि “सभी वस्तुओं में मनुष्य का एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजना अत्यन्त कठिन है।” पूँजी श्रम से अधिक गतिशील अवश्य होती है, किन्तु इसमें भी लोग कई कारणों से अपने ही देश में वित्तियोग करना अधिक पसन्द करते हैं। उत्पादन के इन साधनों में गतिशीलता के अभाव के परिणामस्वरूप विभिन्न देशों में मजदूरी की मजदूरी एवं व्याज की दरों में भी विभिन्नता पायी जाती है। इससे विभिन्न देशों के बीच समान वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन व्यय में विभिन्नता होने लगती है जिसका अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरे शब्दों में, विभिन्न देशों की अलग अलग वस्तुओं के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ प्राप्त होने लगता है। इसमें विशिष्टीकरण (Specialisation) को प्रोत्साहन मिलता है तथा विभिन्न देशों के बीच प्रतियोगिता नहीं रह जाती। गतिशीलता के अभाव का एक और प्रभाव पड़ता है। देश के अन्दर दीर्घकाल में सभी वस्तुओं के मूल्य में उत्पादन व्यय के बराबर होने की प्रवृत्ति पायी जाती है, क्योंकि श्रम एवं पूँजी एक उद्योग से दूसरे उद्योग में गतिशील हो सकते हैं। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में ऐसी सम्भावना नहीं पायी जाती है जिससे विभिन्न देशों के मूल्य एवं उत्पादन लागत में अन्तर पाया जाता है।

किन्तु, इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी देश के अन्दर भी पूँजी एवं श्रम पूर्णतया गतिशील (Perfectly mobile) नहीं होते। इसी प्रकार विभिन्न देशों के बीच भी वे पूर्णतया अगतिशील (Perfectly immobile) नहीं होते। इसका कारण यह है कि तीव्र आवागमन के साधनों तथा अन्तर्राष्ट्रीय महयोग के परिणामस्वरूप आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में अज्ञात दूरी का महत्त्व नहीं रह गया है। अतएव पूँजी तथा श्रम की आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय गतिशीलता (Internal and international mobility) में अब केवल मात्रा का (difference of degree) है प्रकार (kinds) का नहीं।

(२) विभिन्न देशों की मुद्रा प्रणाली एवं राजस्व व्यवस्था में अन्तर (Difference in the Monetary Standards and the Financial systems of different countries)— प्रत्येक देश की मुद्रा प्रणाली एवं राजस्व व्यवस्था पृथक् पृथक् होती है जिसका अन्तर्राष्ट्रीय

व्यापार पर मद्दतपूर्ण प्रभाव पड़ता है। किसी देश के भीतर एक ही प्रकार की मुद्रा का प्रचलन रहता है जिससे लेन-देन के काम में कोई कठिनाई नहीं होती। किन्तु, अभी तक कोई एक ऐसी सार्व-भौमिक मुद्रा नहीं हो पायी है जो सभी देशों के निवासियों के लिए एक समान विधि ग्राह्य हो। अतएव अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विभिन्न मुद्राओं के कारण विनिमय में कठिनाई होने लगती है। कभी-कभी विदेशी विनिमय-सम्बन्धी कठिनाइयाँ इतनी जटिल हो जाती हैं कि इससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी रुकावटें उत्पन्न होने लगती हैं। साथ ही, प्रत्येक देश स्वतन्त्र रूप से अपनी भौतिक नीति का कार्यान्वयन करता है जिससे विभिन्न देशों के मूल्य-तल में भी समानता नहीं रहती। विभिन्न देशों की राजस्व-व्यवस्था में भी विभिन्नता पायी जाती है। एक देश के अन्दर वस्तुओं के विनिमय पर पाबन्दगी का कोई प्रतिबन्ध नहीं होता, किन्तु, एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं की भिजने पर आयात निर्यात कर देना पड़ता है। इन प्रकार विभिन्न देशों की मुद्रा प्रणाली में विभिन्नता, स्वतन्त्र भौतिक नीति का अनुसरण, मूल्य-तल में अन्तर तथा राजस्व-व्यवस्था में विभिन्नताओं के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृथक् सिद्धान्त की आवश्यकता पड़ती है।

(3) प्राकृतिक साधन एवं भौगोलिक स्थिति में विभिन्नता (Differences in Natural Resources and Geographical conditions) — विभिन्न देशों में प्राकृतिक साधनों तथा भौगोलिक स्थिति, जैसे—जलवायु, वनों आदि को लेकर भी विभिन्नता पायी जाती है जिससे प्रादेशिक थम-विभाजन (Territorial Division of Labour) तथा उद्योगों के स्थानीयकरण (Localization of industries) को प्रोत्साहन मिलता है। उदाहरणार्थ, किसी खास देश में कुछ खास खनिज-सम्पदा विशेष मात्रा में पाये जाते हैं, जैसे—भारत में अन्नक तथा ईरान एवं इराक में पेट्रोल। इसी प्रकार कोई विशेष क्षेत्र किसी विशेष कृषि पदार्थ के उत्पादन के लिए अधिक योग्य होता है—जैसे बंगाल में जूट तथा मिश्र में कपास। इस प्रकार प्राकृतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों में विभिन्नता के फलस्वरूप भी वस्तुओं के उत्पादन व्यय में अन्तर होता है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृथक् सिद्धान्त की आवश्यकता पड़ती है।

(4) विभिन्न देशों की औद्योगिक एवं व्यावसायिक नीति में विभिन्नता (Differences in the Industrial and Commercial policies of different States) — अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक स्वतन्त्र राष्ट्रों के बीच होता है जो औद्योगिक एवं व्यावसायिक मामलों में बिल्कुल स्वतन्त्र नीति का अनुसरण करते हैं। वस्तुओं के आयात निर्यात एवं विनिमय आदि के सम्बन्ध में सभी राष्ट्र अपनी पृथक् पृथक् नीति के अनुसार ही कार्य करते हैं। आयात निर्यात एवं विनिमय पर तरह-तरह के नियंत्रण पाये जाते हैं। इन सबका अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इन प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का राजनीतिक के साथ इतना गहरा सम्बन्ध है कि इसके अध्ययन के लिए एक पृथक् सिद्धान्त की आवश्यकता पड़ती है।

(5) वस्तुओं के आयात एवं निर्यात में बाधाएँ (Obstacles in the import and export of commodities) — विभिन्न राष्ट्रों की व्यापारिक एवं औद्योगिक नीति में विभिन्नता के कारण भी आयात एवं निर्यात में बहुत अधिक कठिनाई होती है। कभी-कभी सामाजिक कारणों से भी वस्तुओं के आयात निर्यात में बाधा उत्पन्न होती है। इसके विपरीत एक ही देश के भिन्न-भिन्न भागों में इस प्रकार की बाधाएँ नहीं हुआ करती हैं। अतएव, चुनिक विभिन्न देशों के बीच आयात एवं निर्यात स्वतन्त्र रूप से नहीं होते, इसलिए भी वस्तुओं का उत्पादन व्यय एवं देश से दूसरे देश में भिन्न होता है।

(6) उत्पादन-सम्बन्धी परिस्थितियों में विभिन्नता (Differences in the conditions of production) — किसी देश के विभिन्न भागों में उत्पादन सम्बन्धी परिस्थितियाँ प्रायः एक समान रहती हैं, किन्तु, विभिन्न देशों में उत्पादन सम्बन्धी परिस्थितियों में भी विभिन्नता पायी जाती है। किसी देश के सभी भागों में उत्पादक तथा मजदूर के लिए एक समान कारखाना कानून (Factory Legislations), थम विधान (Labour Legislations), सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था (Social Security Provisions) आदि होय।

किन्तु, विभिन्न देशों में ये व्यवस्थाएँ एक समान नहीं होती। दो देशों की सरकार की आर्थिक नीतियाँ भी अलग-अलग हो सकती हैं। उदाहरणार्थ, एक देश की सरकार किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उद्योगपतियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सकती है, जबकि उसी वस्तु

के उत्पादन पर हमारे देश की सरकार प्रतिबन्ध लगा सकती है। इससे दोनो दशो में उत्पन्न लागतों (Cost of Production) में निश्चित रूप से अन्तर उत्पन्न हो जायगा। इस सम्बन्ध में यदि विभिन्न देशों के बीच श्रम और पूँजी की गतिशीलता पूर्ण तथा स्वतंत्र भी होती, जिसके कारण मजदूरी, सूद की दर, लाभ आदि सभी देशों में समान होते, तब भी विभिन्न सरकारों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं में अन्तर के कारण वस्तुओं की वास्तविक लागत (Real Costs) में अन्तर होता। इस अन्तर के कारण ही उन देशों के बीच अन्तराष्ट्रीय व्यापार प्रारम्भ हो जायगा।

(7) पृथक बाजार (Separate Markets)—बाजारों के बीच भी सांस्कृतिक अन्तर (Cultural Distinctions) पाया जाता है। बहुधा राष्ट्रीय बाजार भी एक दूसरे से पृथक होने हैं। उदाहरणार्थ, ब्रिटिश लोग दाएँ चालित मोटर गाड़ी (Right Hand Drive Cars) का इस्तेमाल करते हैं जबकि फ्रेंच बाएँ चालित (Left Hand Drive) का। इस प्रकार मोटरगाड़ी का बाजार पृथक पृथक हो जाता है। परन्तु, बाजार अन्य बातों के चलते भी पृथक हो जाता है जैसे—भाषा, रीति रिवाज, आदत, रुचि, पसन्द आदि। इससे जीवन स्तर में अन्तर आ जाता है। वस्तुओं डिजाइन आदि में भी अन्तर होता है। किन्डलबर्गर (C P Kindleberger) के अनुसार "Export and Import trade must get outside of the culture of the domestic market to become acquainted with different goods, described in different words, using different measurements bought and sold on different terms, for different currency units"

(8) आर्थिक राष्ट्रीयतावाद (Economic Nationalism) —विभिन्न देशों के अपने-अपने पृथक राष्ट्रीय आर्थिक-जीवन (National Economic life) होते हैं। राजनैतिक स्वतन्त्रता के साथ ही आर्थिक आत्म निर्भरता की मांग में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। (Along with the political independence, has grown a demand for economic self-reliance self-esteem expressed largely in plans and hopes for economic development) वर्तमान समय में सभी राष्ट्र उपभोग, उत्पादन, पूँजी निर्माण आदि की वृद्धि के लिये अथक प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार राजनैतिक और आर्थिक राष्ट्रीयतावाद का उदय हो रहा है। फलस्वरूप आन्तरिक और अन्तराष्ट्रीय व्यापार में भी अन्तर बढ़त जा रहा है।

उपरोक्त कारणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आन्तरिक व्यापार तथा अन्तराष्ट्रीय व्यापार की समस्याएँ पूर्णतया भिन्न भिन्न होती हैं जिससे आन्तरिक व्यापार-सम्बन्धी नियम अन्तराष्ट्रीय व्यापार के लिए उपयुक्त नहीं रह जाते। अतएव, अन्तराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृथक् सिद्धान्त की आवश्यकता पड़ती है।

अन्तराष्ट्रीय व्यापार अन्तरप्रदेशीय व्यापार की एक विशिष्ट दशा है (International Trade is a special case of inter regional trade) —किन्तु उक्त विचारधारा के विपरीत एक दूसरी विचारधारा है जिसके अनुसार ध्यानपूर्वक देखने से यह जान पड़ेगा कि आन्तरिक एवं अन्तराष्ट्रीय व्यापार के उपयुक्त अन्तर मौलिक एवं आधारभूत नहीं हैं। इस विचारधारा के अनुसार हमें केवल मात्रा (degree) का अन्तर है, जाति अर्थों प्रकार (Kinds) का नहीं। यद्यपि यह ठीक है कि विभिन्न देशों के बीच श्रम एवं पूँजी में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है, परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि देश के अंदर श्रम एवं पूँजी पूर्णतः गतिशील होते हैं। वास्तव में, एक देश के भीतर भी भाषा, धर्म एवं रीति रिवाज आदि में अन्तर पाया जाता है जिससे श्रम की गतिशीलता में बाधा उत्पन्न होती है। अतएव, देश के भीतर भी पूँजी का प्रवाह पूर्णतया मुक्त नहीं होता। इसी प्रकार देश के विभिन्न भागों में भी प्राकृतिक साधन एवं भौगोलिक परिस्थितियों में विभिन्नता पायी जाती है। अतः इन सब कारणों से आन्तरिक एवं अन्तराष्ट्रीय व्यापार में कोई मौलिक विभेद नहीं रह जाता। ओहलिन (Ohlin) ने इस सम्बन्ध में ठीक ही कहा है कि 'अन्तराष्ट्रीय व्यापार अन्तरप्रदेशीय व्यापार की ही एक विशिष्ट दशा है।' (International trade is only a special case of the Inter-regional trade) वास्तव में अन्तराष्ट्रीय तथा अन्तरप्रदेशीय व्यापार में केवल मात्रा का अन्तर है, प्रकार का नहीं। (The differences between Inter regional and International trade

is one of degree and not of Kind) फिर भी, कुछ महत्वपूर्ण बातें ऐसी अवश्य हैं जो आन्तरिक व्यापार की अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अविद्यता से पायी जाती हैं। इससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ विशिष्टता अवश्य आ जाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्पादन-व्यय का अन्तर

(Differences of Costs in International Trade)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रश्न यह उठता है कि कोई देश किसी वस्तु का आयात अथवा निर्यात क्यों करता है ? इसका कारण विल्कुल स्पष्ट है। स्वदेशी व्यापार की ही तरह विदेशी व्यापार का आधार भी श्रम विभाजन (Division of Labour) होता है। यदि एक ही व्यक्ति सभी वस्तुओं का स्वयं उत्पादन करे तो वह कोई भी वस्तु ठीक से नहीं बना सकता। इसी प्रकार यदि सभी देश सभी वस्तुओं का उत्पादन करें तो उनका उत्पादन अविद्यतम नहीं हो सकता। जलवायु, भौगोलिक स्थिति, खनिज पदार्थों की उपलब्धि, कार्य करने की दशा तथा श्रम की उत्पादकता में अन्तर के कारण यदि एक राष्ट्र किसी एक वस्तु को कम लागत पर बना सकता है तो दूसरा राष्ट्र किसी दूसरी वस्तु को। अतएव, प्रत्येक देश उन्ही वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टता (Specialisation) प्राप्त कर लेता है जिनके उत्पादन के लिए उसे अपेक्षा कृत अधिक सुविधाएँ उपलब्ध रहती हैं और अपनी वस्तुओं का निर्यात कर वह अपनी आवश्यकता की अन्य वस्तुओं का आयात करता है। विशिष्टीकरण की स्थिति में प्रत्येक देश के साधनों का प्रयोग अधिकतम उपयोगी कार्यों में होता है जिससे सभी देशों को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। अतएव, जब विभिन्न देश भिन्न भिन्न वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेते हैं, यानी जब अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर श्रम विभाजन होने लगता है तब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पन्न होता है। As exchange in general is necessitated by division of labour, so foreign trade appears when the division of labour is pushed beyond national frontiers)

इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का तात्कालिक कारण विभिन्न देशों में वस्तुओं के उत्पादन व्यय में अन्तर है। वस्तुओं के उत्पादन-व्यय में अन्तर तीन प्रकार का हो सकता है —

- (१) उत्पादन-व्यय में पूर्ण अन्तर (Absolute differences in costs),
- (२) उत्पादन-व्यय में समान अन्तर (Equal differences in costs) तथा
- (३) उत्पादन व्यय में तुलनात्मक अन्तर (Comparative differences in costs)।

(१) उत्पादन व्यय में पूर्ण अन्तर (Absolute Differences in costs)

जब दो या दो से अधिक वस्तुओं के उत्पादन में कोई एक देश किसी एक वस्तु का उत्पादन कम लागत पर तथा दूसरा देश दूसरी वस्तु का उत्पादन कम लागत पर करता है तो दोनों वस्तुओं के उत्पादन व्यय में इस अन्तर को पूर्ण अन्तर (Absolute differences in costs) कहा जाता है। इसमें प्रत्येक देश किसी एक वस्तु का उत्पादन कम व्यय पर करता है। निम्नान्वित उदाहरण द्वारा इसे अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। यदि हम सुविधा के लिए केवल दो देशों तथा दो वस्तुओं का उदाहरण लें और व्यय को सिर्फ श्रम के रूप में प्रकट करें तो—

देश	कुल-व्यय	वस्तु	
		गहूँ	चाय
भारत	10 दिन	10	20
पाकिस्तान	10 दिन	20	10

उपरोक्त उदाहरण में भारत को चाय तथा पाकिस्तान को गेहूँ उत्पन्न करने में खर्च कम

पड़ता है। यदि इन दोनों देशों में व्यापारिक सम्बन्ध नहीं होता तो दोनों ही देश दोनों वस्तुओं का उत्पादन करेंगे और भारत में 10 गेहूँ 20 चाय के लिए तथा पाकिस्तान में 20 गेहूँ 10 चाय के लिए बदला जायगा। किन्तु, दोनों देशों के बीच व्यापार होने पर भारत को चाय तथा पाकिस्तान को गेहूँ के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करना आवश्यक होगा। यदि भारत 20 चाय के बदले 10 से अधिक गेहूँ प्राप्त कर सके तथा पाकिस्तान 20 गेहूँ के बदले 10 से अधिक चाय प्राप्त कर सके तो इसमें दोनों देशों को लाभ होगा। ऐसी स्थिति में दोनों देशों के बीच विनिमय की दर की सीमा 10 गेहूँ : 6 चाय से लेकर 10 गेहूँ : 19 चाय के अन्तर्गत बड़ी पर भी निश्चित हो सकती है।

दोनों देशों के बीच वास्तविक विनिमय की दर क्या होगी, यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। (वास्तविक विनिमय की दर दोनों देशों की परस्परानुवर्ती माँग पर निर्भर करेगी।) किन्तु, इतना कहा जा सकता है कि उत्पादन-व्यय में पूर्ण अन्तर से विदेशी व्यापार दोनों देशों के लिए लाभदायक होता है। प्रत्येक देश उसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करता है जिसके उत्पादन में उसका उत्पादन व्यय कम रहता है।

इस प्रकार व्यय में पूर्ण अन्तर विदेशी व्यापार का प्रमुख कारण है। प्रो० टॉसिंग (Taussing) ने इस सम्बन्ध में ठीक ही कहा है कि व्यय में पूर्ण अन्तर के कारण ही उष्ण तथा ममशीतोष्ण देशों के बीच व्यापार होता है। उष्ण तथा ममशीतोष्ण क्षेत्रों में उत्पादन की दशा, जलवायु एवं खनिज-पदार्थों में इतना अधिक अन्तर होता है कि कुछ वस्तुएँ उष्ण तथा कुछ ममशीतोष्ण क्षेत्रों में कम लागत पर उत्पन्न की जाती हैं। इसी प्रकार क व्यापार का उदाहरण ब्राजिल एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कहुवा एवं गेहूँ के व्यापार का है।

(२) उत्पादन व्यय में समान अन्तर (Equal Differences in Costs)

जब कोई एक देश दोनों वस्तुओं को दूसरे देश की अपेक्षा कम लागत पर तैयार करता हो, किन्तु उनके व्यय में अन्तर का अनुपात एक समान होता है तो इसे उत्पादन-व्यय में समान अन्तर (Equal Differences in Costs) कहते हैं। उदाहरण के लिए—

देश	कुल-व्यय	वस्तु	
		गेहूँ	चाय
भारत	10 दिन	20	40
पाकिस्तान	10 दिन	10	20

उपरोक्त उदाहरण में भारत पाकिस्तान की अपेक्षा दोनों ही वस्तुओं को कम लागत पर तैयार करता है, किन्तु दोनों वस्तुओं के उत्पादन में पाकिस्तान की अपेक्षा भारत की कुशलता दुगुनी अधिक है। अतएव, दोनों देशों में 10 गेहूँ के बदले 20 चाय की दर से विनिमय होगा। उत्पादन-व्यय में इस प्रकार के समान अन्तर से दोनों देशों के बीच व्यापार सम्भव नहीं है, क्योंकि कोई भी देश 10 गेहूँ के बदले 20 चाय से अधिक देने के लिए तैयार नहीं होगा। अतएव इन्हे परस्पर व्यापार से कोई लाभ नहीं होगा।

(३) उत्पादन व्यय में तुलनात्मक अन्तर (Comparative Differences in Costs)

जब कोई एक देश दोनों वस्तुओं को दूसरे देश की अपेक्षा कम लागत पर बनावे, किन्तु

उनके व्यय में अन्तर का अनुपात एक-मा नहीं हो तो इसे उत्पादन-व्यय में तुलनात्मक अन्तर (Comparative Differences in Costs) कहते हैं। इसे निम्नांकित उदाहरण द्वारा अधिक स्पष्ट किया जा सकता है :—

देश	कुल-व्यय	वस्तुएँ	
		गेहूँ	चाय
भारत	10 दिन	20	40
पाकिस्तान	10 दिन	10	30

उपरोक्त उदाहरण में भारत पाकिस्तान की अपेक्षा दोनों ही वस्तुएँ कम लागत पर उत्पन्न करता है, किन्तु गेहूँ का उत्पादन व्यय भारत में पाकिस्तान की अपेक्षा आधा तथा चाय का तीन-चौथाई है। यदि दोनों देशों के बीच कोई व्यापार नहीं होगा तो भारत में 10 गेहूँ के बदले 20 चाय तथा पाकिस्तान में 10 गेहूँ के बदले 30 चाय मिलेगी। इनसे स्पष्ट है कि यदि भारत को 10 गेहूँ के बदले 20 से अधिक चाय तथा पाकिस्तान को 20 से कम चाय के लिए 10 गेहूँ प्राप्त हो तो दोनों देशों को इस प्रकार के व्यापार से लाभ होगा। ऐसी स्थिति में भारत गेहूँ तथा पाकिस्तान चाय का उत्पादन करेगा।

अधिकतम विदेशी व्यापार का आधार उत्पादन-व्यय में तुलनात्मक अन्तर ही होता है। इनमें कोई सन्देह नहीं कि कुछ विदेशी व्यापार उत्पादन-व्यय में पूर्ण अन्तर के कारण भी होता है, किन्तु पूर्ण अन्तर को भी तुलनात्मक अन्तर का ही चरम उदाहरण समझना चाहिए। अतएव, व्यावसायिक जीवन में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ प्रायः इसी प्रकार उत्पन्न होते हैं तथा यही विदेशी व्यापार की सामान्य दशा भी होती है। इसी प्रकार के अन्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त भी आधारित है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ

(The Gains from International Trade)

देशी व्यापार की तरह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से भी दोनों पक्षों को लाभ होता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रादेशिक श्रम विभाजन (Territorial Division of Labour) एवं विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं। विदेशी-व्यापार के कारण ही प्रत्येक देश उसी वस्तु के निर्माण में विशिष्टीकरण प्राप्त करता है जिसके उत्पादन में उसकी भाषेक्षिक योग्यता अधिक रहती है। इनसे प्रति-व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। दूसरे शब्दों में, विदेशी व्यापार के कारण प्रत्येक देश केवल उसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसे वह न्यूनतम लागत में बना सके। इससे अधिकतम उत्पादन (Maximum Production) होता है। साथ ही, विशिष्टीकरण से आर्थिक गतिशीलता का अधिकतम प्रयोग भी सम्भव होता है तथा राष्ट्रीय आय भी अधिकतम होती है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सभी देशों को लाभ होता है एवं प्रति-व्यक्ति वास्तविक आय पहले से अधिक होती है।

यदि विदेशी व्यापार लागतों में पूर्ण अन्तर (Absolute differences in costs) पर आधारित है तो इसका तात्पर्य यह होगा कि हमलोग दूसरे देशवालों को उन वस्तुओं का उत्पादन करने देते हैं जिनके उत्पादन में उनकी सापेक्षिक कुशलता अधिक होती है और उन वस्तुओं को जिनमें उनकी सापेक्षिक कुशलता कम रहती है को अपनी अधिक कुशलता वाली वस्तुओं से खरीदते हैं। लागत में पूर्ण अन्तर से प्राप्त लाभ को एक उदाहरण द्वारा अधिक स्पष्ट किया जाता है।

10 दिन श्रम व्यय से भारत 10 इकाई गेहूँ अथवा 20 इकाई चाय उत्पन्न कर सकता है तथा 10 दिन श्रम-व्यय से पाकिस्तान 20 इकाई गेहूँ अथवा 10 इकाई चाय उत्पादन कर सकता है। यदि विदेशी व्यापार के अभाव में दोनों देश इन दोनों वस्तुओं का स्वयं उत्पादन करें तो 10 दिन के श्रम से उत्पादन निम्न प्रकार से होगा :—

10 दिन के श्रम से वास्तविक आय

	भारत	पाकिस्तान
गेहूँ	5	10
चाय	10	5

यदि दोनों देशों में व्यापार हो और 10 चाय के बदले 10 गेहूँ प्राप्त हो तो दोनों देशों की आय निम्न प्रकार होगी—

10 दिन के श्रम से वास्तविक आय

	भारत	पाकिस्तान
गेहूँ	10	10
चाय	10	10

इस प्रकार विदेशी व्यापार से भारत को पाँच इकाई गेहूँ एवं पाकिस्तान को पाँच इकाई चाय का अतिरिक्त लाभ होता है।

सागत में तुलनात्मक अन्तर (Comparative differences in cost) के आधार पर विदेशी व्यापार होने से भी प्रायः इसी प्रकार का लाभ होता है। यदि पिछला उदाहरण लिया जाय तो व्यापार नहीं होने की स्थिति में 10 दिन के श्रम से दोनों देशों की वास्तविक आय निम्न प्रकार से होगी—

10 दिन के श्रम से वास्तविक आय

	भारत	पाकिस्तान
गेहूँ	10	5
चाय	20	15

किन्तु यदि दोनों देशों में व्यापार आरम्भ हो जाय और विनिमय की दर 10 इकाई गेहूँ बराबर 25 इकाई चाय के हो तो दोनों देशों की वास्तविक आय बढ़ जायगी जो निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है—

10 दिन श्रम व्यय से वास्तविक आय

	भारत	पाकिस्तान
गेहूँ	10	6
चाय	25	15

इस प्रकार भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से पाँच इकाई चाय तथा पाकिस्तान को 1 इकाई अतिरिक्त गेहूँ का लाभ हो रहा है। यदि व्यापार की शर्तें भारत के पक्ष में होंगी तो इसे और अधिक चाय का लाभ होगा, तथा जब पाकिस्तान के पक्ष में होंगी तो उसे और अधिक गेहूँ का लाभ होगा।

इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों देशों को लाभ होता है। किन्तु, यद्यपि इस प्रकार के व्यापार से प्रत्येक देश को लाभ पहुँचता है, तथापि उस लाभ का वितरण उनके बीच समान अनुपात में नहीं होता। विदेशी व्यापार का लाभ उस देश को अधिक होता है जिसके श्रम की कुशलता अपेक्षाकृत अधिक होती है और जिस देश की वस्तुओं के लिए विदेशी माँग प्रबल एवं अधिक व्यापक होती है तथा जिसकी माँग विदेशी वस्तु के लिए अबल और कम होती है तथा इसी प्रकार लाभ उन देश को कम होता है जिसके श्रम की कुशलता अपेक्षाकृत कम होती है जिसकी विदेशी वस्तु के लिए माँग अधिक प्रबल होती है। अधिक लाभ वाला देश इस अधिक लाभ का उपयोग अधिक मजदूरी एवं उच्च मूल्य तल के रूप में करता है। दूसरे शब्दों में अधिक लाभ वाले देश में मूल्य-तल एवं आय का स्तर ऊँचा होता है तथा जिस देश को लाभ कम होता है उसका मूल्य-तल एवं आय-स्तर निम्न होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ की मात्रा के निर्धारक तत्त्व

(Factors governing the determination of the extent of gains from International Trade) इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से वस्तुओं के विनिमय करनेवाले दोनो देशो को लाभ होता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त लाभ की मात्रा निम्नांकित बातों पर निर्भर करती है.—

- (क) लागतों के अनुपात में अन्तर (Differences in costs ratios),
- (ख) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तें (Terms of international Trade),
- (ग) व्यापार की जाने वाली वस्तु का महत्त्व (Importance of the commodity trade)
- (घ) देश का आकार (Size of Country)

(क) लागतों के अनुपात में अन्तर (Differences in Costs Ratios) :—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ की मात्रा (extent of gain) दोनो देशों के उत्पादन-व्यय के अनुपातों के अन्तर पर निर्भर करती है। उत्पादन व्यय के अनुपात में अन्तर जितना ही अधिक होगा, लाभ का क्षेत्र भी उतना ही अधिक विस्तृत होगा। प्रो० हैरॉड (Harrod) के अनुसार "किसी देश को विदेशों व्यापार से लाभ तब होता है जबकि उस देश के व्यावसायियों को यह मालम हो जाय कि उनके देश में वस्तुओं के मूल्य का जो प्रचलित अनुपात है उससे कहीं अधिक मिथ्या विदेशों में मूल्य के अनुपात में है। ये उन वस्तुओं को जो इन्हें सस्ती प्रतीत होती हैं, खरीदते हैं और जो वस्तुएँ महँगी होती हैं, उन्हें बेचते हैं, उनकी दृष्टि से इन ऊँचे और नीचे बिन्दुओं में जितना अधिक अन्तर होगा और जितनी ही अधिक महत्वपूर्ण वस्तुएँ होंगी, उतना ही अधिक लाभ व्यापार से होगा।" (A country gains by foreign trade, if and when the traders find that there exists a broad ratio of prices very different from that to which they are accustomed at home. They buy what to them seems cheap and sell what to them seems dear. The bigger the gap between what to them seems low point and high point and more important the articles affected, the greater will be the gain from trade.) उदाहरण के लिए 'अ' देश 'ब' देश से कुछ वस्तुओं का आयात करता है और साथ-ही-साथ कुछ देशों को निर्यात भी करता है। यदि 'अ' देश के निर्यात की वस्तुओं की उत्पादन-क्षमता (Productive efficiency) बढ़ती है, तब 'अ' देश को इन वस्तुओं से प्राप्त होने वाले लाभ की मात्रा बढ़ेगी, परन्तु स्वयं 'ब' देश को इन वस्तुओं से प्राप्त होनेवाले लाभ की मात्रा घटेगी। इसी प्रकार यदि 'ब' देश के निर्यात की वस्तुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, तब 'अ' देश को इन वस्तुओं से प्राप्त होने वाले लाभ की मात्रा भी बढ़ेगी, परन्तु स्वयं 'ब' देश को इन वस्तुओं से प्राप्त होने वाले लाभ की मात्रा घटेगी। अतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में दो देशों को प्राप्त होने वाले लाभ की मात्रा, इन दोनो देशों में वस्तुओं की लागत के अनुपात के अन्तर पर निर्भर करती है।

व्यापार की शर्तें

(Terms of the Trade)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ की मात्रा पर व्यापार की शर्तों का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। व्यापार की शर्तों का अर्थ उन शर्तों से होता है जिन पर दो देश आपस में व्यापार करते हैं। (By terms of trade, we mean the terms at which two countries trade with each other.) दूसरे शब्दों में, व्यापार की शर्तों का अभिप्राय किसी देश की एक वस्तु के उस अनुपात से है जिसके बदले दूसरे देश की कोई वस्तु खरीदी जा सकती है। (Terms of the trade refers to the ratio at which one commodity from one country, e. g. cotton from India exchanges for another commodity from other country, e. g. Jute from Bangla Desh) ये शर्तें यह बतलती हैं कि कोई देश जितनी वस्तुओं का आयात करता है उसके लिए कितनी वस्तुओं का निर्यात करे। इस प्रकार उससे उस दर का पता चलता है जिस पर कोई देश अपनी वस्तुओं का दूसरे देश की वस्तुओं के साथ विनिमय करता है। व्यापार की शर्तें सर्वदा एक समान नहीं रहती हैं। इन्हें एक समीकरण (Equation) के द्वारा भी निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जाता है :—

व्यापार की शर्तें = $\frac{\text{आयातों का समस्त मूल्य}}{\text{निर्यातों का समस्त मूल्य}}$ or,

$$\frac{\text{Value of import}}{\text{Value of Export}} = \text{Terms of Trade}$$

यदि एक विशेष समय में आयात एवं निर्यात की मात्राओं में कोई परिवर्तन नहीं हो तो

व्यापार की शर्तें (Terms of Trade) = $\frac{\text{Price of import}}{\text{Price of Export}}$ होगी ।

व्यापार की शर्तें प्रदानत दो बातों पर निर्भर करती है :—

(क) वस्तुओं की प्रकृति (Nature of Goods); तथा

(ख) वस्तुओं अथवा सेवाओं के लिए विभिन्न देशों की पारस्परिक मांग की तीव्रता (Intensity of the Reciprocal Demand for Goods by Different countries) ।

यदि दो देशों के बीच व्यापार इस प्रकार का है कि एक कृषि-उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त कर लेता है और दूसरा देश औद्योगिक उत्पादन में विशिष्टता (Specialisation) प्राप्त करता है तो व्यापार कृषि-उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करने वाले देश के लिए लाभदायक नहीं होगा। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि व्यापार की शर्तें उस देश के प्रतिकूल हैं।

इसी प्रकार यदि कोई देश कच्चे खनिज-पदार्थों (Minerals in raw state) अथवा अन्य कच्चे मालों का निर्यात कर रहा है तो व्यापार की शर्तें उस देश के प्रतिकूल होंगी। किसी देश के लिए व्यापार की शर्तें तभी अनुकूल हो सकती हैं जब उस देश की उत्पादित वस्तुओं के लिए विदेशों में माँग बहुत अधिक है।

व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाले तत्वों में माँग की मात्रा (Volume of Demand) तथा माँग की लोच (Elasticity of Demand) का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। यदि माँग पूर्ववत् रहे तो व्यापार की शर्तें देश के अनुकूल होंगी।

इस प्रकार तुलनात्मक लागतों के अनुपातों (Ratios of Comparative Costs) द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्दर विदेशी वस्तुओं के लिए देशी वस्तुओं के विनिमय की वास्तविक दर पारस्परिक माँग की सापेक्ष तीव्रताओं पर अर्थात् A देश की वस्तुओं के लिए B देश की माँग और B देश की वस्तुओं के लिए A देश की माँग की तीव्रताओं पर निर्भर करेगी। (Within the limits set by the ratios of comparative costs the actual rate of exchange of domestic goods for foreign goods will depend upon relative intensities of reciprocal demand, i.e. country A's demand for B goods and B's demand for A's goods)

एक देश दूसरे देश से वस्तुओं का आयात-निर्यात (जिन शर्तों (Terms) पर करता है, उन पर एक देश से दूसरे देश की वस्तुओं के लिए माँग की लोच (Elasticity of demand) या दोनों देशों की एक दूसरे की वस्तुओं की सापेक्षिक माँग का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, 'अ' देश में गेहूँ और 'ब' देश में कपास की उत्पत्ति होती है। यदि 'अ' देश की कपास की माँग अधिक बेलोचदार है तो यह देश कपास की एक निश्चित मात्रा के बदले गेहूँ की अधिक मात्रा देने को तैयार होगा। इसी प्रकार यदि 'ब' देश की गेहूँ की माँग बेलोचदार है तो यह गेहूँ की एक निश्चित मात्रा के बदले कपास की अधिक मात्रा देने के लिए तैयार होगा। परन्तु यदि 'ब' देश की गेहूँ की माँग लोचदार (Elastic) है, तो यह देश गेहूँ की एक निश्चित मात्रा के लिए कपास की अधिक मात्रा देने को तैयार नहीं होगा। अतः, किसी देश की दूसरे देश की वस्तुओं के लिए माँग जितनी ही बेलोचदार होगी, उसी प्रकार इसकी व्यवसाय की शर्तें भी इसके प्रतिकूल या अनुकूल होंगी। दूसरे शब्दों में, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सबसे अधिक लाभ उस देश को होगा या व्यवसाय की शर्तें उस देश के पक्ष में होंगी जिसकी वस्तुओं की माँग विदेशों में अधिक होती है या जिसकी वस्तुओं की माँग विदेशों में बेलोचदार होती है, परन्तु

जिसका स्वयं की विदेशी वस्तुओं के लिए मांग शोचदार होती है। इसके विपरीत सबसे कम लाभ उस देश का होता है जिसकी मांग विदेशी वस्तुओं के लिए अधिक प्रबल होती है। (The country gains most from international trade whose exports are most in demand and which has little demand for the things it imports, i. e. for the exports of other countries. That country gains least which has the most insistent demand for the Products of other countries.)

(ग) व्यापार को जाने वाली वस्तु का महत्त्व (Importance of the Commodity trade):—जे० एम० मिल (J. S. Mill) तथा प्रो० हेरोड (Prof. Harrod) ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ का महत्त्वपूर्ण तत्त्व 'व्यापार को जाने वाली वस्तु का महत्त्व' बतलाया है। जे० एम० मिल के अनुसार उम देश की अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सर्वाधिक लाभ (Maximum Gain) प्राप्त होगा जो केवल एक वस्तु का निर्यात कर ही अपने सभी आयातों की पूर्ति करने की क्षमता रखता है। उदाहरणार्थ, कृत्रिम रबर (Synthetic Rubber) के उन्मेषण के पड़के मलाया की यही स्थिति थी।

(घ) देश का आकार (Size of the Country).—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त होने वाले लाभों की सीमा देश के आकार पर भी निर्भर करती है। प्रो० हेरोड (Prof. Harrod) के अनुसार, किसी देश का आकार जितना ही छोटा होगा वो व वाह्य जगत का आकार जितना ही विशाल होगा, छोटे देश को विदेशी व्यापार से उतना ही अधिक लाभ होगा। कारण यह है कि छोटे देश में उपभोग की क्षमता कम होने के कारण विदेशी वस्तुओं की मांग को प्रभावित नहीं कर सकती और न उन वस्तुओं के मूल्यों को ही प्रभावित कर सकती है। परन्तु दूसरी ओर छोटे देश की निर्यात की वस्तुओं के मूल्य विश्व-मांग की स्थिति पर निर्भर करता है। फलस्वरूप, छोटे देश की वस्तुओं के मूल्यों में तो वृद्धि हो जायगी किन्तु, वह विश्व के अन्य देशों की वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ा नहीं सकेगा। अतः छोटे देश को अधिक सस्ती चीजें प्राप्त होंगी।

अतएव, किसी देश में विदेशी व्यापार से प्राप्त होने वाले लाभ की मात्रा दो बातों पर निर्भर करती है —(क) लागतों के अनुपात में अन्तर, यानी निर्यात की वस्तुएँ उत्पन्न करने में देश की उत्पादन क्षमता, (ख) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तें (Terms of Trade), (ग) व्यापार की जानेवाली वस्तु का महत्त्व तथा (घ) देश का आकार।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के गुण एवं दोष

(Advantages and Disadvantages of International Trade)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के गुण (Advantages of International Trade): - देशों व्यापार की तरह विदेशी व्यापार भी इसलिए किया जाता है कि इससे लाभ होता है। संक्षेप में, विदेशी अथवा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के निम्नलिखित प्रमुख लाभ हैं —

(1) प्रादेशिक श्रम-विभाजन (Territorial Division of Labour).—इसके द्वारा विभिन्न देशों के बीच प्रादेशिक श्रम-विभाजन सम्भव होता है। अलग-अलग देश केवल ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं जिनके उत्पादन में उन्हें अधिकतम योग्यता अथवा अधिकतम कुशलता प्राप्त रहती है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक देश ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करता है जिन्हें वह न्यूनतम लागत पर तैयार कर सकता है। इसके फलस्वरूप संसार भर में उत्पत्ति सबसे अधिक अनुकूल परिस्थितियों के अन्तर्गत होती है। इससे मानव-कल्याण में वृद्धि होती है।

(2) उपभोक्ताओं को सस्ती वस्तुएँ प्राप्त होती हैं (Availability of cheap goods to the consumers) —विदेशी व्यापार का दूसरा लाभ यह है कि इसमें उपभोक्ताओं को यह सुविधा रहती है कि वे उन बाजारों से अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ खरीदें जहाँ वे सबसे कम कीमत पर मिलती हो। इससे संसार भर में मानव समाज का उपभोग-स्तर ऊँचा उठता है। साधारणतया, विदेशों से इसलिए माल मंगाया जाता है कि वह देश में तैयार होने वाले वैसे ही माल की तुलना में सस्ता पड़ता है। इसके अतिरिक्त विदेशी व्यापार से बहुत सी ऐसी वस्तुएँ भी प्राप्त होती हैं जो अपने देश में उत्पन्न ही नहीं की जा सकती।

(3) आर्थिक संकट का निवारण :—मंदतकालीन स्थिति, जैसे अकाल (Famine) आदि के समय विदेशी व्यापार से बहुत अधिक सहायता मिलती है। कहा जाता है कि आधुनिक समय

में अकाल अग्न या अन्य खाद्य की वस्तुओं की कमी से उत्पन्न नहीं होते वरन् क्रय-शक्ति के अभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे सकट के समय दूसरे क्षेत्रों से अन्न तथा दूसरी आवश्यक वस्तुएँ मंगाकर इन्हें सुगमतापूर्वक दूर किया जा सकता है।

(4) विदेशी व्यापार से उत्पादन की विधि में सुधार को प्रोत्साहन मिलता है :— विदेशी प्रतियोगिता का भय देशी उत्पादकों को सदा उत्पादन की विधि में सुधार को और कार्यशील रखता है। वे उत्पादन की विधियों में इन प्रकार के सुधार करते रहते हैं जिससे कि उत्पादन व्यय कम-से-कम रहे। इसके अतिरिक्त इससे प्रवन्ध की कुशलता में भी वृद्धि होती है। परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को कम-से-कम कीमत पर वस्तुएँ और सेवाएँ प्राप्त हो जाती हैं।

(5) कच्चे माल तथा मशीनरी आदि की उपलब्धि (Availability of raw-materials and machinery etc) :— विदेशी व्यापार की सहायता से ही आवश्यक कच्चे माल, मशीनरी तथा ढवाएँ आदि विदेशों से मंगाकर देश के औद्योगीकरण को वागे बढ़ाया जा सकता है। इससे देश के साधनों का सर्वोत्तम तरीके से उपभोग होता है तथा जीवन-स्तर में भी सुधार होता है।

(6) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सद्भावना में अभिवृद्धि — विदेशी व्यापार ससार के विभिन्न देशों के बीच सम्पर्क स्थापित करके इनके बीच अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सद्भावना का भी विस्तार करता है।

(7) वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में समानता की प्रवृत्ति पायी जाती है — विदेशी व्यापार के कारण वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में सर्वत्र एक समान रहने की प्रवृत्ति पायी जाती है। इससे विभिन्न देशों के आर्थिक विकास एवं उपभोग के स्तर में समानता आ जाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियाँ (Disadvantages of International trade) :— उपरोक्त लाभों के साथ साथ विदेशी व्यापार के कुछ दोष भी हैं। वास्तव में, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अधिकांश लाभ तभी प्राप्त होते हैं जबकि विभिन्न देशों के बीच पारस्परिक सद्भावना का वातावरण हो और व्यापार पर किसी भी प्रकार के प्रतिबन्ध न हो। किन्तु वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में इनका अभाव पाया जाता है। अतएव विदेशी व्यापार से प्रायः निम्नलिखित हानियाँ होती हैं :—

(1) कच्चे माल की समाप्ति (Exhaustion of raw materials) :— विदेशी व्यापार द्वारा देश के बहुत-से खनिज-पदार्थ या अन्य प्राकृतिक साधन समाप्त हो जाते हैं जिनका प्रति-स्थापन भी सम्भव नहीं होता। उदाहरण के लिए, बहुत से देशों में कोयला, पेट्रोल तथा अन्य पदार्थ इसी प्रकार समाप्त होते जा रहे हैं। विदेशी व्यापार के कारण ही भारत की मैंगनीज और अबरण की खानें बराबर खाली होती जा रही हैं तथा देश की इन आवश्यक पदार्थों की समुचित कीमत भी नहीं मिल पा रही है। यदि इनका उपयोग देश के अन्दर ही औद्योगिक मालों के तैयार करने में किया जाता तो एक ओर तो इससे इनके उपयोग में बचत की जा सकती थी और दूसरी ओर इनका अधिक लाभपूर्ण उपयोग भी हो सकता था।

(2) विदेशी व्यापार से देश के उद्योग धन्धों को विदेशी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है (Home industries have to face competition) — विदेशी व्यापार से देश के उद्योगों की विदेशी प्रतियोगिता का सामना करना भी पड़ता है। इससे विकसित देशों को तो लाभ होता ही है किन्तु अविकसित देशों में उद्योग धन्धे या तो स्थापित ही नहीं हो सकते हैं या स्थापित होने के पश्चात् पतन नहीं पाते हैं।

(3) विदेशी व्यापार से देश का एकाकी विकास (Lopsided development) होता है — विदेशी व्यापार देश के आर्थिक विकास को एकाकी बनाकर देश के लिए भारी समस्याएँ उत्पन्न कर देता है। सकट काल में इसका बड़ा ही बुरा परिणाम होता है। दोनों महायुद्धों के काल का अनुभव यह बतलाता है कि जो देश खाद्य पदार्थों अथवा अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए विदेशी व्यापार पर निर्भर रहते हैं, युद्धकाल में उनके कष्ट की कोई सीमा नहीं रहती। विदेशी व्यापार के इसी दोष ने बीसवीं शताब्दी में आर्थिक राष्ट्रीयतावाद (Economic nationalism) को जन्म दिया। उत्पत्ति के विशिष्टीकरण के कारण देश के कितने ही मानव वेकार पड़े रहते हैं, रोजगार का मरुचिंत विकास नहीं होने पाता और देश का आर्थिक जीवन भी सकट में पड़ जाता है।

(4) विदेशी व्यापार से आर्थिक निर्भरता (Economic dependence) बढ़ जाता है :— विदेशी व्यापार विभिन्न देशों को अर्थ-व्यवस्था को एक दूसरे पर अवलम्बित बना देता है। इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। इससे एक देश में आने वाले आर्थिक संकट का प्रभाव शीघ्र ही संसार भर में फैलकर विश्व-व्यापी-संकट के रूप में परिणत हो जाता है।

(5) उपभोक्तार्थों के उपभोग की आदत पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है — विदेशी व्यापार देश की उपभोग-सम्बन्धी आदतों में भी परिवर्तन ला देता है। इसका भी देश के आर्थिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा है।

(6) अन्तर्राष्ट्रीय द्वेष :— विदेशी व्यापार के कारण विश्व के विभिन्न देशों में द्वेष उत्पन्न हो जाता है जिन्हने युद्ध आदि की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है। 18 वीं शताब्दी में विदेशी बाजार एवं उपनिवेश के कारण ही यूरोप के विभिन्न देशों में बड़े-बड़े युद्ध हुए थे।

विशेष अध्ययन सूची

1. Taussing : International Trade, Chapter 10
2. Ohlin : Inter-regional and International Trade, Chapters 1-12
3. Ellsworth : The International Economy, Chapters IV to VI.
4. Haberler : The Theory of International Trade, Chapters X to XII

अध्याय 42 (ख)

तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त (The Theory of Comparative Cost)

तुलनात्मक लागत का प्रतिष्ठित सिद्धान्त (The Classical Theory of Comparative Cost) — अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त का प्रयोग सर्वप्रथम रिकार्डो (Ricardo) ने किया था। रिकार्डो के अनुसार किसी देश के अन्दर पूँजी तथा श्रम पूर्णतः गतिशील (Completely mobile) होते हैं। श्रम एवं पूँजी की इस गतिशीलता के परिणामस्वरूप देश के अन्दर विभिन्न व्यवसायों में लाभ के समान होने की प्रवृत्ति पायी जाती है, अतएव देश के उसी भाग में किसी वस्तु का उत्पादन होता है जहाँ उसका उत्पादन व्यय श्रम के रूप में सबसे कम रहता है। उदाहरण के लिए, एक निश्चित मात्रा में चीनी एवं कपड़ा उत्पन्न करने का व्यय श्रम के रूप में दिल्ली एवं पटना में निम्नलिखित पड़ता है —

स्थान	कपड़ा	चीनी
दिल्ली	90 दिन	80 दिन
पटना	100 „	120 „

उपरोक्त उदाहरण में यदि श्रम एवं पूँजी की गतिशीलता में कोई रुकावट नहीं हो तो दोनों वस्तुओं का उत्पादन दिल्ली में ही होगा तथा इनके बीच विनिमय की दर 1 इकाई कपड़ा = 8/9 इकाई चीनी होगी। ऐसी स्थिति में पटने को किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करना होगा जिसके उत्पादन में उसका उत्पादन व्यय निरपेक्ष रूप से कम हो।

किन्तु, दो देशों के बीच व्यापार में ऐसी बात नहीं पायी जाती है। दो देशों के बीच श्रम एवं पूँजी प्रायः अगतिशील (immobile) होते हैं। विभिन्न देशों में मजदूरी एवं लाभ की दर में भी विभिन्नता पायी जाती है। रिकार्डो के अनुसार एक देश के अन्दर तो समान योग्यता एवं क्षमता वाले श्रमिकों को एक समान मजदूरी मिलती है, किन्तु विभिन्न देशों में उनकी मजदूरी एक समान नहीं होती, क्योंकि विभिन्न देशों में श्रमिक अगतिशील होते हैं। अतएव यद्यपि कोई देश किसी दूसरे देश को अपेक्षा सभी वस्तुओं को कम श्रम व्यय में बना सकता है फिर भी उसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करने से लाभ होगा जिसके उत्पादन में दूसरे देश की अपेक्षा उसका तुलनात्मक लाभ (Comparative advantage) सबसे अधिक हो, यानी तुलनात्मक हानि (Comparative disadvantage) सबसे कम हो। इसी को तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त कहते हैं। रिकार्डो ने निम्नलिखित तरीके से व्यावहारिक जीवन के एक उदाहरण द्वारा इस सिद्धान्त को अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है —

देश	कपड़ा	चीनी
भारत	90 दिन	80 दिन
इंग्लैंड	100 दिन	120 दिन

उपरोक्त उदाहरण में यद्यपि भारत इंग्लैंड की अपेक्षा कपड़ा एवं चीनी दोनों ही को कम श्रम व्यय पर उत्पन्न कर सकता है, फिर भी, इन दोनों देशों के लिए यही लाभदायक होगा कि भारत चीनी एवं इंग्लैंड कपड़े के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करे क्योंकि ऐसा करने से भारत चीनी, जिसका उत्पादन व्यय 80 दिन है, का इंग्लैंड के कपड़े से विनिमय कर सकता है जिसके लिए भारत का उत्पादन व्यय 90 दिन श्रम होता है। इसी प्रकार इंग्लैंड भी अपने 100 दिन के श्रम से इतनी चीनी प्राप्त कर सकता है जिसके उत्पादन के लिए उसे 120 दिन का श्रम व्यय करना पड़ता है। यही रिकार्डो का तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त है। रिकार्डो ने इस सम्बन्ध में यह भी बतलाया था कि विदेशी विनिमय दरों की सीमार्ण भी तुलनात्मक लागत द्वारा ही निर्धारित होती है।

अतएव तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त की व्याख्या इस प्रकार से की जा सकती है —“जब कभी दो देशों में किन्हीं दो वस्तुओं के उत्पादन-व्यय में (श्रम के रूप में) गापक्षिक अन्तर हो तो प्रत्येक देश के लिए उनी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करना लाभदायक होगा जिनके उत्पादन में उसका सापेक्षिक व्यय कम हो।” दूसरे शब्दों में, “यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मुक्त हो, तो प्रत्येक देश उस वस्तु का निमाण तथा निर्यात करेगा जिसमें उसके श्रम की सापेक्षिक कुशलता सबसे अधिक है या सापेक्षिक अकुशलता सबसे कम है और उस वस्तु का आयात करेगा जिसमें उसके श्रम की सापेक्षिक अकुशलता सबसे अधिक है या सापेक्षिक कुशलता सबसे कम है।” [This principle states that a country will gain by specialising in the production of those commodities in which its comparative cost advantage is greater (or in which its comparative cost disadvantage is less), exporting those commodities in exchange for commodities in which its comparative cost advantage is less or its comparative cost disadvantage is greater —Benham]

बेस्टेविल (Bastable) ने तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त की व्याख्या एक उदाहरण द्वारा इस प्रकार से की है “एक डाक्टर अपने माली से बगीचे के काम में भी अधिक निपुण हो सकता है, परन्तु डाक्टरों में वह बगीचे के काम में अधिक निपुण है। अतएव यदि वह अपना सम्पूर्ण समय डाक्टरों में, जिसमें वह अधिक निपुण है नहीं देगा तो उसे हानि होगी। ऐसी स्थिति में उसकी सबसे अधिक लाभ तभी होगा जबकि सारे दिन वह माली के बदल डाक्टरों का काम करता रहे। इसी प्रकार यदि एक देश दूसरे देश की अपेक्षा प्रत्येक वस्तु अधिक मस्ती दर से बना सकता हो, पर उसके लिए सबसे लाभदायक यही होगा कि वह केवल उनी वस्तु के उत्पादन में लगा रहे जिनके उत्पादन में दूसरे देश की अपेक्षा उसे तुलनात्मक लाभ अधिक है। दूसरी ओर, कम योग्यता वाले देश के लिए भी यही लाभदायक होगा कि वह केवल उनी वस्तु के उत्पादन में अपना समय लगाए जिसमें उसे तुलनात्मक हानि सबसे कम हो।”¹

रिकाडों के सिद्धान्त में मिल द्वारा सशोयन —रिकाडों के इस सिद्धान्त में मिल (J S Mill) ने कुछ आवश्यक सुशोयन किया था। रिकाडों ने यद्यपि यह बतलाया था कि किन सीमा तक विदेशी व्यापार लाभदायक सम्भव है तथापि अपने यह नहीं बतलाया था कि उसी सीमा के अन्दर दोनों देशों की दोनों वस्तुओं के बीच वास्तविक विनिमय की दर क्या होगी। मिल ने इस कमी को दूर किया है। मिल ने यह मान लिया था कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार व्यय में तुलनात्मक अन्तर है तथा उसका लाभ भी इसी कारण उत्पन्न होता है, किन्तु उसने विनिमय की दर एवं लाभ की मात्रा के निर्धारण के अधिक स्पष्टीकरण किया। मिल के अनुसार वस्तुओं के व्यापार की वास्तविक विनिमय दर तुलनात्मक लागत अनुपात की सीमा के अन्तर्गत एक देश की वस्तुओं की माग के परिमाण और लोच पर निर्भर करती है।” (Within the limits set by comparative cost conditions the actual ratio at which goods are traded will depend upon the strength and elasticity of each country's demands for the other country's product) दूसरे शब्दों में, दो देशों के बीच वास्तविक विनिमय की दर उनकी परस्परानुवर्ती माग की मात्रा एवं लोच पर निर्भर करती है।² उपरोक्त उदाहरण में, वस्तु विनिमय की दर इंग्लैंड के अनुकूल होगी, यदि इंग्लैंड की बनी हुई वस्तु की माग भारत में अधिक और प्रबल

1 “A doctor may be a better gardener whom he employs but he may be still a better doctor and he would lose, if he did not restrict himself to the highest type of work which he could do His advantage over the gardener is the greatest, not when he is acting as a gardener, but when he exercises his function as a doctor So a country may be able to produce everything better than any other country, but it will pay it best to concentrate on those articles at which its comparative advantage is greatest while the inferior country must restrict itself to those products at which its comparative disadvantage is least

—Bastable

2 Mill के अनुसार “The actual terms of trade will depend upon the nature of reciprocal demand, i e, the relative intensity of Portugal's demand for British cloths and the relative intensity of British demand for Portugal's wine “

हो तथा भारत की बनी हुई वस्तु को माग इंग्लैंड में कम और अबल हो। मिल के इन सिद्धान्तों को अन्तर्राष्ट्रीय माग के समीकरण (Equation of International Demand) अथवा परस्परानुवर्ती माग का सिद्धान्त (Theory of Reciprocal Demand) भी कहते हैं।

तुलनात्मक लागत के प्रतिष्ठित सिद्धान्त में आधुनिक सुधार

(Recent Modifications in the Classical Theory of Comparative Cost)

तुलनात्मक लागत के शास्त्रीय सिद्धान्त (Classical Theory of Comparative Cost) को वर्तमान अर्थशास्त्रियों ने स्वीकार किया है, किन्तु इन्होंने इस सिद्धान्त में निम्नांकित आवश्यक संशोधन किया है :—

(1) वस्तुओं के उत्पादन-व्यय की माप धम के रूप में नहीं करके मुद्रा के रूप में की गयी है :—प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों (Classical Economists) ने वस्तुओं के उत्पादन व्यय की माप धम के रूप में की थी, किन्तु आधुनिक अर्थशास्त्री मूल्य के धम-सिद्धान्त (Labour Theory of Value) को नहीं मानते क्योंकि वस्तुओं के उत्पादन-व्यय में धम के अतिरिक्त अन्य प्रकार के व्यय भी सम्मिलित रहते हैं। अतएव, केवल धम व्यय के ऊपर आधारित सिद्धान्त को वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। वर्तमान अर्थशास्त्री मूल्य-सिद्धान्त (Theory of Value) को सिद्धान्त लागत (Marginal Cost) के रूप में ही व्यक्त करते हैं, अतएव तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त को भी सीमांत लागत के रूप में ही व्यक्त किया जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार कोई देश उन वस्तुओं का निर्यात करता है जिनका सीमांत उत्पादन-व्यय कम होता है तथा उन वस्तुओं का आयात करता है जिनका सीमांत उत्पादन-व्यय अपेक्षाकृत अधिक होता है। अतएव आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने वस्तुओं के उत्पादन व्यय की माप धम के रूप में नहीं करके मुद्रा के रूप में की है।

(2) व्यापार की शर्तें (Terms of Trade) पर वस्तुओं की तुलनात्मक मांग को लोच का भी प्रभाव पड़ता है :—रिकार्डों तथा उनके अनुयायियों ने यह बतलाया था कि तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त के आधार पर किन किन वस्तुओं में व्यापार लाभदायक होता है; किन्तु वे यह नहीं निश्चित कर पाये थे कि लाभ की मात्रा किन-किन बातों पर निर्भर करती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार त्रिनिमय-दर बजार में वस्तुओं के मूल-जोड़ द्वारा ही तय होती थी। किन्तु, आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इसमें सुधार करते हुए कहा है कि व्यापार की शर्तें (Terms of Trade) मूल-जोड़ द्वारा नहीं, बल्कि एक देश में दूसरे देश की मांग की सापेक्षिक लोच पर निर्भर करती है। जिस देश को वस्तु की मांग की लोच जितनी ही अधिक होगी, उसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से उतना ही अधिक लाभ होगा।

(3) उत्पादन के क्षेत्र में केवल क्रमागत उत्पादन-समता-नियम (Law of Constant Returns) ही लागू नहीं होता बल्कि क्रमागत उत्पत्ति-ह्रास एवं वृद्धि नियम भी लागू होते हैं — तुलनात्मक लागत के प्रतिष्ठित सिद्धान्त की एक प्रमुख आलोचना इस बात को लेकर भी की जाती है कि यह क्रमागत उत्पत्ति-समता नियम (Law of Constant Returns) की मान्यता पर आधारित है। रिकार्डों तथा अन्य प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त का प्रतिपादन इस मान्यता के आधार पर किया था कि उत्पादन सदा क्रमागत-उत्पत्ति-समता नियम (Law of Constant Returns) के आधार पर ही होती है परन्तु वास्तविक जीवन में ऐसी बात नहीं पायी जाती है। उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास नियम (Law of Diminishing Returns) एवं उत्पत्ति-वृद्धि नियम (Law of Increasing Returns) भी लागू होते हैं। ईस्टेबल ने क्रमागत उत्पत्ति-वृद्धि एवं ह्रास-नियम की सम्भावनाओं की व्याख्या कर इस सिद्धान्त को पूरा बना दिया। (Bastable by introducing the possibilities of increasing and diminishing returns rounded out and made more complete this aspect of the theory अब हमें यह देखना है कि उत्पत्ति वृद्धि नियम एवं ह्रास नियम का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विशिष्टीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि किसी वस्तु के उत्पादन में उत्पादन-वृद्धि नियम लागू

होता है तो उत्पात्ति को मात्रा में वृद्धि से प्रति इकाई उत्पादन-व्यय कम होते जाता है। इस प्रकार उत्पात्ति वृद्धि नियम के कारण लाभदायक अन्तर्राष्ट्रीय विनियम की सीमा अधिक व्यापक होती है। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु के उत्पादन में उत्पात्ति ह्रास नियम लागू होता है, तब इससे उत्पादन में वृद्धि होने पर प्रति-इकाई उत्पादन-व्यय बढ़ने लगता है। इससे लाभदायक अन्तर्राष्ट्रीय विनियम की सीमा संकुचित हो जाती है। इसमें एक ऐसी स्थिति आती है जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय विनियम लाभदायक नहीं रह जाता। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन के तीनों नियमों की क्रियाशीलता पर विचार करके तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त को अधिक व्यावहारिक बना दिया है।

(४) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर यातायात-व्यय (Cost of Transport) का भी प्रभाव पड़ता है :—तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त का एक प्रमुख दोष यह भी है कि इसमें यातायात-व्यय (Transport cost) को गूँथ माना गया है। किन्तु वास्तविक जीवन में वस्तुओं के आयात अथवा निर्यात में यातायात-सम्बन्धी खर्च भी पड़ता है। यातायात-व्यय का अन्तर्राष्ट्रीय विनियम एवं विशिष्टीकरण पर प्रमुख प्रभाव पड़ता है। किसी वस्तु का आयात अथवा निर्यात तब तक नहीं होगा जब तक कि विभिन्न देशों के उत्पादन-व्यय में अन्तर उम वस्तु को एक देश से दूसरे देश में भेजने के व्यय से अधिक न हो। इस प्रकार यातायात-व्यय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ एवं क्षेत्र को सीमित बना देता है। वर्तमान अर्थशास्त्रियों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में यातायात-व्यय (Cost of transport) के प्रभाव का विचार कर तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त को अधिक पूर्ण बना दिया है।

(५) अनेक वस्तुएँ एवं अनेक देश (Numerous countries and numerous commodities)—शास्त्रीय सिद्धान्त में केवल दो देशों के बीच एवं दो वस्तुओं के विनियम को ही लिया गया है, किन्तु वास्तविक जीवन में कई देश आपस में कई वस्तुओं का विनियम करत हैं। कई वस्तुओं एवं कई देशों को लेने पर भी तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त में सुधार की आवश्यकता पड़ती है।

(६) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर मजदूरी का प्रभाव (Effects of wages on international Trade)—भिन्न-भिन्न देशों में मजदूरी की दर में विभिन्नता पायी जाती है। अब यह हमें देखना है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार दर मजदूरी की दर में विभिन्नता का क्या प्रभाव पड़ता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त के अध्ययन से यह जान पड़ता है कि निम्न मजदूरी-स्तर वाले देश में वस्तुओं का उत्पादन-व्यय ऊँची मजदूरी वाले देशों की अपेक्षा कम पड़ता है। अतएव कम मजदूरी वाला देश अधिक मजदूरी वाले देश में सदा वस्तुओं का निर्यात करता है। किन्तु इस प्रकार का विचार वास्तव में सही नहीं है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि ऊँची मजदूरी वाले देश में मजदूरों की उत्पादन-क्षमता अधिक होती है, इसलिए उन देशों में निम्न मजदूरी वाले देश की अपेक्षा अच्छी तथा अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होता है। अतएव उत्पादन-व्यय भी अपेक्षाकृत कम पड़ता है; अतः यह कहा जाता है कि 'अधिक मजदूरी सस्ती मजदूरी होती है और सस्ती मजदूरी अधिक मजदूरी होती है।' (High wages are low wages and low wages are high wages.) दूसरे शब्दों में, अधिक मजदूरी का अर्थ अधिक उत्पादन व्यय नहीं होता है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इंग्लैंड में भारत की अपेक्षा मजदूरी की दर अधिक है, किन्तु फिर भी इंग्लैंड तथा अमेरिका भारत में अपनी वस्तुओं का निर्यात करते हैं। इसका प्रधान कारण यह है कि अमेरिका की अपेक्षा भारत में श्रमिकों की उत्पादन श्रमता कम है। अतएव यह आवश्यक नहीं कि कम मजदूरी वाला देश सदैव अधिक मजदूरी वाले देश में वस्तुओं का निर्यात करेगा। वास्तव में, जैसा कि ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है, अनुभव ठीक इसके विपरीत है। ऊँची मजदूरी में मजदूरी की कार्यक्षमता अधिक होती है, अतएव ऊँची मजदूरी निर्यात-व्यापार में बाधक होने के बजाय इसको प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार मजदूरी का भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है।

(7) उत्पादन के साधन एक देश के अन्दर पूर्णतः गतिशील (Mobile) पर दो देशों के बीच अतिशील को भाव्यता भी रहती है :—उत्पादन के साधन न दो देश के अन्दर पूर्णतः गतिशील होते हैं और न विभिन्न देशों के बीच पूर्णतया अतिशील ही।

निष्कर्ष :—इस प्रकार तुलनात्मक-लागत-सिद्धान्त के विरुद्ध अनेक दोषारोपण किए गए हैं। वास्तव में यह सिद्धान्त भी अन्य आर्थिक नियमों की भांति मात्र एक प्रवृत्ति को ही व्यक्त करता है। व्यावहारिक जीवन में इस सिद्धान्त की क्रियाशीलता के लिए रीति-रिवाज, रुढ़ियाँ, धर्म और विशुद्ध आर्थिक विचारों से उद्धत होकर कार्य करने के प्रति श्रम और पूँजी की अनिच्छा आदि अनेक तत्वों के कारण बाधायें उपस्थित होती हैं। राजनीतिक विचार तथा उद्देश्य, वाणिज्यिक व्यवहार, आत्मनिर्भरता और सुरक्षा की भावनाएँ आदि भी इसपर अपना प्रभाव डालती हैं। इनके अतिरिक्त परिवहन व्यय एवं उत्पादन के नियम इस सिद्धान्त के लिए अन्य सीमाएँ प्रस्तुत करते हैं। विशिष्टीकरण उत्पादन के पैमाने को निःसन्देह बढ़ाकर विश्व के आर्थिक लाभों को बढ़ाते है किन्तु यदि व्ययसाय में लागत वृद्धि नियम (Law of Increasing Cost) हो जाय तो तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की क्रियाशीलता समाप्त हो जायगी। [Like other economic laws, the principle of comparative cost is also statement of a tendency. In actual practice, the operation of the theory is hindered by frictional influences such as differences in languages, custom, religion and above all the unwillingness of labour and capital to be guided by purely economic considerations. They are also influenced by political motives, commercial practices and general security. The cost of transport and the behaviour of the cost of production are the other limiting factors. Specialisation tends to increase the scale of production, but if the industry is subject to the law of increasing cost, the principle of comparative cost will cease to function.]

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धान्त

(Modern Theory of International Trade)

अथवा

मूल्य का सामान्य सन्तुलन सिद्धान्त

(General Equilibrium Theory of Value)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धान्त सामान्य सन्तुलन सिद्धान्त (General Equilibrium Theory) है। इस सिद्धान्त के प्रतिपादन का श्रेय कार्ल मेन्जर (Carl Menger) विकस्टेड (Wickstead), बॉम-बेवर्क (Bohm-Bawerk), पैरिडो (Pareto), कैसल (Cassel), वालरस (Walras), तथा शम्पेटर (Schumpeter) जैसे अर्थशास्त्रियों को है। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री ओह्लिन (Ohlin) के अपनी पुस्तक "Inter Regional and International Trade" में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में मूल्य के सामान्य सिद्धान्त (The General Equilibrium Theory of Value) का प्रयोग किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धान्त सामान्य आर्थिक सिद्धान्त (General Economic Theory) का ही एक विशिष्ट प्रयोग है। किसी वस्तु का बाजार-मूल्य (Market Value) उन वस्तु की माग एवं पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। किसी वस्तु की माग उस वस्तु के मूल्य, उपभोक्ताओं की इच्छाओं (Desires), उनकी की अभिरुचियों, उनकी आय, उस वस्तु के भावी मूल्य एवं अन्य वस्तुओं के मूल्यों पर निर्भर करती है। दूसरी ओर, वस्तु की पूर्ति उत्पात्ति साधनों की उपलब्धता (Availability) तथा उत्पादन की सुविधाओं आदि बातों पर निर्भर करती है। सन्तुलन की स्थिति (Equilibrium) में वस्तु की माग और उत्पात्ति दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। इस स्थिति में वस्तु की उत्पात्ति लागत (Cost of Production) के बराबर होता है। उत्पात्ति-लागत के अन्तर्गत उत्पात्ति के समस्त साधनों का मूल्य सम्मिलित रहता है जिसके द्वारा उत्पादन का कार्य सम्पादित किया जाता है। उत्पात्ति के साधनों का मूल्य (Factor Pricing) उन साधनों की माग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उत्पात्ति के साधनों की माग उत्पादित वस्तुओं की माग द्वारा प्रभावित होती है। यदि उत्पादित वस्तुओं की माग अधिक है तब उन वस्तुओं के उत्पादन में सहयोग देने वाले समस्त उत्पात्ति के साधनों की माग में वृद्धि हो जायगी। दूसरे शब्दों में, उत्पादन के किसी साधन की सम्पूर्ण माग, विभिन्न उद्योगों में उग साधन की होने वाली माग द्वारा निर्धारित की जायगी।

इसी प्रकार उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति उन साधनों के लिए दिए जाने वाले मूल्यों पर निर्भर करेगी। उत्पत्ति के साधनों का मूल्य जितना ही अधिक होगा, उतनी पूर्ति में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। जैसा कि स्पष्ट है, उत्पत्ति के साधनों को दिए जाने वाला मूल्य देश के अन्दर उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग पर निर्भर करेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि अर्थ व्यवस्था में वस्तुओं की मांग, पूर्ति और उनके मूल्य तथा उत्पत्ति के साधनों की मांग, पूर्ति और उनके मूल्यों में अन्तर्गन्धित सम्बन्ध (Inter-related) है।

इस प्रकार ओह्लिन (Ohlin) का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त मूल्य के समतुलन सिद्धान्त (General Equilibrium Theory of Value) का ही विद्युत् रूप है। उसके अनुसार अन्तर्देशीय व्यापार (Inter-regional Trade) के सिद्धान्त को ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (International Trade) के क्षेत्र में भी लागू किया जा सकता है। अपने सिद्धान्त की व्याख्या में ओह्लिन निम्नांकित मान्यताओं (Assumptions) को ध्यान में रखा है:—

- (i) मात्र दो क्षेत्रों को ही अध्ययन के लिए नहीं लेना चाहिए;
- (ii) उत्पत्ति-साधनों के गुणात्मक अन्तरों (Qualitative Differences in Factors of Production) पर विचार नहीं किया जाय;
- (iii) उत्पत्ति के साधन अन्तर्देशीय क्षेत्र में तो पूर्णतः गतिशील (Mobile) हैं परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अगतिशील (Immobile) हैं;
- (iv) अन्य वस्तुएँ पूर्णतः गतिशील हैं,
- (v) केवल वस्तुओं के रूप में लेन-देन की व्याख्या की जायगी, तथा
- (vi) प्रत्येक क्षेत्र में पत्र-मुद्रा (Paper Money) का प्रचलन है जो सभी प्रकार के बाह्य प्रभावों से वंचित है।

ओह्लिन के मतानुसार व्यक्तिगत अथवा विभाजन अथवा विशिष्टीकरण (Specialisation) तथा अन्तर्देशीय अथवा विभाजन अथवा विशिष्टीकरण में समानता है। व्यक्तिगत अथवा विभाजन के अन्तर्गत कोई व्यक्ति उसी कार्य को सम्पादित करता है जिसके करने योग्य वह है अर्थात् जिसे वह उत्तम से उत्तम ढंग से कर सकता है। ऐसा करने से समय एवं शक्ति का सदुपयोग होता है तथा व्यक्ति एवं समाज को अधिकतम लाभ होता है। इसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों के बीच भी ध्रम का विभाजन हो जाता है। सभी क्षेत्रों के प्रति प्रकृत ममान रूप से उदार नहीं होते। किसी क्षेत्र की भूमि अधिक उपजाऊ है तो किसी क्षेत्र में ध्रम की बहुलता है, किसी क्षेत्र में खनिज-पदार्थों की प्रचुरता है तो किसी क्षेत्र में पूँजी की अधिकता है। अतएव प्रत्येक क्षेत्र का हित इसी में है कि वह उन वस्तुओं का ही उत्पादन करे जिसके लिए उसके पास उत्पत्ति के साधनों की प्रचुरता है। ऐसा करने से न केवल उस क्षेत्र-विशेष को ही लाभ होगा, वरन् सम्पूर्ण राष्ट्र उससे लाभान्वित होगा। इस प्रकार चाहे व्यक्ति हो या राष्ट्र, वह किसी विशेष काम को करने में या विशेष वस्तु के उत्पादन में अन्य व्यक्तियों या राष्ट्रों की अपेक्षा अधिक श्रद्धता प्राप्त करता है।

दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार कि ध्यस्तियों की रुचियों और प्रवृत्तियों में भिन्नता के

कारण विभिन्न व्यक्तियों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का पारस्परिक विनिमय (Mutual Exchange) होता है उसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों के बीच व्यापार और विशिष्टीकरण का कारण भी विभिन्न क्षेत्रों के बीच उत्पत्ति के साधनों का अन्तर ही है।

उक्त कारणों से ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आरम्भ होता है। ओहिलिन के शब्दों में—“अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का तात्कालिक कारण सदा यह होता है कि वस्तुओं को देश में उत्पन्न करने की अपेक्षा मुद्रा द्वारा बाहर से ही सस्ती दर पर खरीदा जा सकता है” (The immediate cause of international trade is always that goods can be bought cheaper from outside in terms of money than they can be produced at home) दूसरे शब्दों में, ओहिलिन के अनुसार “दो देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार लागतों में भिन्नता के कारण नहीं बरन् मूल्यों में भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है।” (International Trade between two countries or more takes place due to differences in prices rather than differences in costs.)

अब महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच मूल्यों में तुलनात्मक भिन्नता (Comparative Differences in prices) क्यों रहती है? ध्यानपूर्वक विचार करने से यह स्पष्ट होगा कि मूल्यों में तुलनात्मक भिन्नता उस वस्तु की माग एवं पूर्ति पर निर्भर करती है।

किसी वस्तु की माग निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है:—

- (i) उपभोक्ता की इच्छाएँ एवं माग, तथा
 - (ii) उत्पत्ति के साधनों का स्वामित्व जिससे व्यक्ति की आय प्रभावित होती है।
- दूसरी ओर, वस्तु की पूर्ति निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है:—

- (i) उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति; तथा
- (ii) उत्पादन की भौतिक दशाएँ (Physical Conditions)।

प्रो० ओहिलिन का मत है कि उत्पादन की भौतिक अवस्थाएँ (Physical Conditions) हर जगह एक समान होती हैं। अतः उनको ध्यान में नहीं रखना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तुओं के मूल्यों में विभिन्नता माग एवं पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में वस्तुओं के मूल्य तभी समान हो सकते हैं जबकि— (i) उपभोक्ताओं की इच्छाएँ और रुचियाँ एक समान हों, (ii) प्रत्येक उपभोक्ता की आय समान हो, (iii) दोनों ही क्षेत्रों में समान अनुपात में उत्पत्ति के साधन उपलब्ध हों, तथा (iv) उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति में अन्तर (Differences in the Supply of Factors) ठीक उनकी ही माग के द्वारा पूरा हो। किन्तु उक्त बातें व्यावहारिक जीवन में पूरी नहीं हो पाती। ऐसा सम्भव है कि विभिन्न देशों में उत्पत्ति के साधनों की माग एवं पूर्ति में अन्तर रह जाय। यदि दोनों देशों के बीच अन्तर रहेगा तो निश्चय ही वस्तुओं के मूल्यों में भी विभिन्नता आ जायगी। अतएव दो क्षेत्रों के बीच व्यापार होने का मुख्य

कारण उत्पत्ति के साधनों की दुर्लभता (Scarcity of productive Factors) ही है। इस दुर्लभता या कमी को पूरा करने के लिए ही व्यापार किया जाता है। निष्कर्ष यह है कि—(i) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार दो क्षेत्रों के बीच मूल्यों में भिन्नता (Differences in prices) के कारण उत्पन्न होता है, तथा (ii) मूल्यों में भिन्नता का कारण दोनों क्षेत्रों में उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति की असमानता है।

ओहलिन ने एक उदाहरण द्वारा उक्त कथन का स्पष्टीकरण किया है। आस्ट्रेलिया में भूमि पर्याप्त है परन्तु श्रम एवं पूँजी का अभाव है। अतएव वहाँ भूमि तो सस्ती होगी परन्तु उत्पत्ति के अन्य साधन महँगे होंगे। ऐसी स्थिति में आस्ट्रेलिया के लिए उन वस्तुओं का उत्पादन करना लाभप्रद होगा जिनके उत्पादन में अधिक भूमि की जरूरत पड़ती हो और श्रम तथा पूँजी की कम। यही कारण है कि आस्ट्रेलिया में गेहूँ, ऊन, माँस आदि वस्तुओं के उत्पादन में लागत (Cost) कम पड़ता है। दूसरी ओर, इंग्लैंड में पूँजी तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है परन्तु भूमि की ही कमी है। अतएव इंग्लैंड को ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में अधिक लाभ होगा जिनके लिए कम भूमि की आवश्यकता है परन्तु पूँजी की अधिक। इसी कारण इंग्लैंड निम्नित वस्तुओं (Manufactured goods) का उत्पादन अधिक करता है। उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि आस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड भिन्न भिन्न वस्तुओं का उत्पादन करेंगे और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा एक दूसरे को वस्तुओं का आयात निर्यात करेंगे। ओहलिन (Ohlin) के अनुसार "साधारणतः प्रत्येक क्षेत्र में प्रचुर औद्योगिक साधन अपेक्षाकृत सस्ते और अभावग्रस्त साधन से अपेक्षाकृत महंगे होते हैं। जिन वस्तुओं के उत्पादन के लिए पहले प्रकार के साधनों की अधिक और दूसरे प्रकार के साधनों की कम जरूरत पड़ती है उनका उन वस्तुओं के बदले में निर्यात किया जाता है जिसके लिए विपरीत अनुपात में साधनों की आवश्यकता पड़ती है। अतएव परीक्षारूप से प्रचुर पूर्ति वाले साधनों का निर्यात होता है और अभावग्रस्त साधनों का आयात होता है।" (Roughly speaking, abundant industrial agents are relatively cheap, scanty agents relatively dear in each region. Commodities requiring for their production much of the former and little of the latter are exported in exchange for goods that all for factors in opposite proportions. Thus indirectly, factors in abundant supply are exported and factors in scanty supply are imported.)

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मूल्यों में भिन्नता और उत्पत्ति के साधनों की दुर्लभता के कारण ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। परन्तु इससे यह भली भाँति मालूम नहीं होता कि किन वस्तुओं का व्यापार होगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक क्षेत्र के क्रोता अपने क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों को दूसरे क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों के साथ तुलना कर सकने के योग्य हो। तभी मूल्य में होने वाली भिन्नता का ज्ञान हो सकेगा। इस प्रकार की तुलना के लिए एक ऐसी मुद्रा की आवश्यकता होगी जो दोनों ही क्षेत्रों में प्रचलित हो अथवा दोनों क्षेत्रों की मुद्राएँ विनिमय दर (Exchange Rate) के द्वारा एक दूसरे से सम्बन्धित हो।

मान लें कि A एवं B दो क्षेत्र हैं जिनमें एक ही मौद्रिक प्रणाली है। जब तक इन दोनों देशों के बीच व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित नहीं होता तब तक दोनों देशों में विभिन्न वस्तुओं का मूल्य आन्तरिक मांग के आधार पर ही निश्चित होता है। परन्तु जब व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है तब एक देश की मांग प्रत्यक्ष रूप से दूसरे देश के मूल्य के सम्पर्क में आ जाती है। अब वस्तु तथा सस्ते साधनों की आन्तरिक मांग के साथ विदेशी मांग भी जोड़ दी जायगी। इसके साथ ही महंगे साधनों की आन्तरिक मांग दूसरे क्षेत्र की ओर भी परित्यक्त हो जायगी। दोनों क्षेत्रों

को पारस्परिक भागो (Reciprocal Demands) के प्रभाव द्वारा मूल्यो मे अन्तर होगा । जब दोनो क्षेत्रो मे वस्तुओ के मूल्य बराबर हो जाते हैं तब गन्तुलन (Equilibrium) की स्थापना हो जाती है ।

पर तु यदि दो क्षेत्रो मे भिन्न भिन्न मोद्रिक प्रणालियाँ (Monetary Systems) हैं तब इन क्षेत्रो के बीच व्यापार करने के लिए दोनो क्षेत्रो की मुद्राओ की विनिमय दर (Exchange Rates of Two Currencies) को ध्यान मे रखना होगा । इस तथ्य का स्पष्टीकरण नीचे दिए गए उदाहरण से हो जाता है—

(1) उत्पत्ति के साधन	(2) 'B' देश मे उत्पत्ति साधनो का मूल्य (डॉ लर मे)	(3) 'A' देश मे उत्पत्ति साधनो का मूल्य (पौण्ड मे)	(4) 'A' देश मे उत्पत्ति साधनो का मूल्य जब विनिमय दर £ 1 = \$ 2	(5) 'A' देश मे उत्पत्ति साधनो का मूल्य जब विनिमय दर £ 1 = \$ 3
M	\$ 1	0 20	\$ 0 40	\$ 0 60
N	\$ 1	0 30	\$ 0 60	\$ 0 90
O	\$ 1	0 40	\$ 0 80	\$ 1 20
P	\$ 1	0 60	\$ 1 20	\$ 1 80
S	\$ 1	0 80	\$ 1 60	\$ 2 40

उक्त उदाहरण मे 'B' और 'A' दो देश हैं । दोनो देशो की मुद्रा प्रणालियाँ अलग-अलग हैं । M, N, O, P, तथा S उत्पादन के साधन हैं । 'A' देश की मुद्रा पौण्ड (£) तथा 'B' देश की मुद्रा डॉलर (\$) है । 'B' देश मे सभी उत्पत्ति के साधनो (Factors of production) का मूल्य एक समान (\$ 1) है किन्तु 'A' देश मे भिन्न-भिन्न है । 'A' देश मे M सबसे सस्ता तथा S सबसे महंगा साधन है । व्यापारिक दृष्टिकोण से उत्पत्ति के साधनो का अपेक्षाकृत सस्ता होना नहीं वरन् मोद्रिक इकाइयो के रूप मे निरपेक्षत सस्ता होना महत्त्वपूर्ण है । दूसरे शब्दो में, व्यापार के लिए मूल्य के पूर्ण अन्तर (Absolute Difference) का महत्त्व है । यह अन्तर दो देशो की मुद्राओ की विनिमय दर से भी प्रभावित होगा ।

उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि यदि दो मुद्राओ की विनिमय-दर £ 1 = \$ 2 है तो 'A' देश मे B' देश की तुलना मे M, N तथा O साधन सस्ते हैं और P तथा S साधन महंगे हैं (डॉलर के रूप मे) । यदि विनिमय दर £ 1 = \$ 3 है तब 'A' देश मे M और N साधन सस्ते होंगे तथा 'B' देश मे O, P, तथा S साधन सस्ते होंगे । जब विनिमय-दर £ 1 = \$ 2 है तब 'A' देश उन वस्तुओ के उत्पादन पर विशेष ध्यान देगा जिनके उत्पादन के लिए M, G और O साधनो की अधिक मात्रा मे आवश्यकता होगी । परन्तु जब विनिमय-दर £ 1 = \$ 3 है तब वह उन वस्तुओ के

उत्पादन पर ध्यान देगा जिनके उत्पादन के लिए M और N साधनों की आवश्यकता होगी। 'B' देश भी इसी प्रकार वैसी वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिनके उत्पादन के लिए वहाँ सस्ते साधन उपलब्ध हैं।

प्रत्येक देश 'सस्ते साधनों वाले उत्पादन' (Cheap Factor products) का निर्यात करेगा तथा 'महँगे साधनों वाले उत्पादन' (Dear Factor products) का आयात करेगा। इस प्रकार विनिमय-दर यह व्याख्या करती है कि किसी देश में कौन से उत्पादित के साधन सस्ते होंगे और कौन से महँगे। किन्तु स्मरणीय है कि केवल विनिमय दर ही किसी साधन को सस्ता या महँगा नहीं बनाती है। जिस प्रकार उत्पादित के साधनों का मूल्य 'पारस्परिकता' (Reciprocal Demand) द्वारा निर्धारित होता है उसी प्रकार विनिमय-दर भी पारस्परिक माग द्वारा निर्धारित होती है। विनिमय-दर (Rate of Exchange) ऐसी होनी चाहिए जिससे आयात-निर्यात दोनों बराबर हो जायें।

सक्षेप में, ओहलिन के सिद्धान्त की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

- (i) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रधान कारण दो देशों में वस्तुओं के मूल्यों में अन्तर है;
- (ii) उत्पादित-साधनों के सापेक्ष अभाव के कारण वस्तुओं के मूल्यों में विभिन्नता हो जाती है;
- (iii) विनिमय-दर निर्धारित हो जाने पर तुलनात्मक अन्तर पूर्ण अन्तर (Absolute Difference) में बदल जाते हैं। इसी पूर्ण अन्तर के आधार पर विभिन्न क्षेत्र विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर विशेष ध्यान देता है, तथा

(iv) विनिमय-दर तथा वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण 'पारस्परिक माग' द्वारा होता है।

ओहलिन (Ohlin) का सिद्धान्त एक सुधरा हुआ सिद्धान्त है। इसको कई अच्चाङ्क्यों हैं—
 उदाहरण के लिए, (1) यह सिद्धान्त दो से अधिक देशों के साथ भी लागू किया जा सकता है। यद्यपि कि ओहलिन की मान्यता थी कि उसके सिद्धान्त के अध्ययन के लिए दो क्षेत्रों को लेना चाहिए किन्तु सिद्धान्त का विश्लेषण कर लेने के पश्चात् उन्होंने अपने सिद्धान्त को अधिक वास्तविक रूप देने के लिए निश्चित मान्यताओं को हटा दिया। (2) इस सिद्धान्त में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में 'उत्पादन के बृहत् पैमाने' (Large Scale Production) के महत्त्व पर विशेष जोर दिया गया है। (3) यह सिद्धान्त उत्पादित के माधनों के गुणात्मक पक्ष (Qualitative Aspect) का भी अध्ययन करता है। (4) यह सिद्धान्त परिवहन-व्यय (Transport Cost) की उपेक्षा नहीं करता। (5) यह सिद्धान्त उत्पादित-साधनों की गतिशीलता की बाधाओं पर प्रकाश डालता है।

शास्त्रीय सिद्धान्त से श्रेष्ठ (Superior to Classical Theory) —अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धान्त शास्त्रीय सिद्धान्त (Classical Theory) से श्रेष्ठ है। ओहलिन ने अपने सिद्धान्त की व्याख्या के लिए मूल्य के संतुलन-सिद्धान्त (Equilibrium Theory of Value) की सहायता ली है। वह केवल श्रम व्यय (Labour Cost) को ही व्यापार का आधार नहीं मानता। प्रो० ओहलिन ने यह सिद्ध कर दिया है कि अन्तरक्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई गुणात्मक अन्तर (Qualitative Difference) नहीं वरन् केवल परिमाणात्मक अन्तर (Quantitative Difference) ही है।

फिर भी शास्त्रीय सिद्धान्त की अपेक्षा ओहलिन का सिद्धान्त अधिक जटिल है क्योंकि इसका (ओहलिन) सिद्धान्त मूल्य-सिद्धान्त पर आधारित है और मूल्य-सिद्धान्त स्वयं ही कठिन और जटिल (Complex) है। किन्तु इन कठिनाइयों एवं जटिलताओं के बावजूद ओहलिन का सिद्धान्त शास्त्रीय सिद्धान्त की अपेक्षा अधिक 'वास्तविक' (Realistic), 'लौचदार' (Elastic), 'पूर्ण' (perfect) तथा 'न्याययुक्त' (Justifiable) है।

विशेष अध्ययन सूचि

- | | |
|--------------------|--|
| 1. P. T. Ellsworth | : The International Economy. |
| 2. Bertil Ohlin | : Inter-regional and International Trade |
| 3. Jacob viner | : International Trade. |
| 4. G. V. Heberler | : The Theory of International Trade |
-

अध्याय : 42 (न)

भुगतान-संतुलन (Balance of Payment)

व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में अन्तर (Distinction between Balance of Trade and Balance of Payment) — विदेशी व्यापार में प्रत्येक देश कुछ वस्तुओं का आयात (Import) तथा कुछ वस्तुओं का निर्यात (Export) करता है। साधारणतया, यह देखा जाता है कि किसी भी देश के निर्यात एवं आयात सदा बराबर नही होते। कभी आयात निर्यात की अपेक्षा अधिक होता है तो कभी निर्यात आयात से अधिक होता है। आयात एवं निर्यात के इस अन्तर को व्यापार संतुलन (Balance of Trade) कहा जाता है।

प्रो० बेन्हम (Benham) के अनुसार "किसी देश का व्यापार संतुलन, एक विष्ट हुए समय में, उसके आयात तथा निर्यात के मूल्यों का सम्बन्ध है।" (Balance of Trade of a country is the relation, over a period, between the value of her exports and the value of her imports) जब एक वर्ष या किसी खास अवधि में किसी देश के आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य की अपेक्षा अधिक होता है तो उस देश के व्यापार संतुलन को विपरीत, अभावमूचक, निष्क्रिय या देश के लिए प्रतिकूल कहा जाता है। (When the value of a country's imports exceeds value of its exports over some arbitrary period, say one year, the Balance of Trade of that country is said to have been adverse or unfavourable or passive) इसके विपरीत जब निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की अपेक्षा अधिक रहता है तो व्यापार-संतुलन को अनुकूल (favourable) अथवा पनात्मक (positive) कहा जाता है। यह आवश्यक नहीं कि किसी देश के लिए अनुकूल व्यापार संतुलन सदा अच्छा ही। वास्तव, में अनुकूल व्यापार-संतुलन की धारणा वाणिज्यवादों (Mercantilist School) की देन है। वे लोग आयात से निर्यात की अधिकता को सदा हितकर इसीलिए समझते थे कि इसके कारण देश में बहुत अधिक मात्रा में रक्षण आता था। वास्तव में, कभी कभी बहुत बढ़ता हुआ प्रतिकूल व्यापार संतुलन भी देश की समृद्धि का सूचक माना जाता है। उदाहरण के लिए, इंग्लैंड और अमरिका जैसे देश यदि निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक करते हैं तो इतना अर्थ यह है कि इन देशों में अत्याधिक क्रियाशीलता के परिणामस्वरूप अधिक मात्रा में आयात किया जाता है और भविष्य में इन देशों की वस्तुओं की मांग में बहुत अधिक वृद्धि होगी जिससे इनके निर्यात में वृद्धि भी होगी। किंतु निरन्तर प्रतिकूल व्यापार संतुलन (persistently adverse balance of Trade) का स्तार्तर्य यह है कि देश दिवालिया होने जा रहा है।

किन्तु, विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं एवं निधि (treasures) के आयात निर्यात के अतिरिक्त मदा कुछ सेवाओं तथा अन्य वित्तों के प्रकार के लेन देन भी होते रहते हैं। उदाहरण के लिए, वामा, जहाजी किराया, बैंकों का शुल्क, पंजी हस्तांतरण सम्बन्धी भुगतान, व्याज, लाभ, राजनैतिक श्रुहक तथा अन्य सेवाओं के बदले पुरस्कार आदि। ये मन् अदृश्य व्यापार (Invisible Trade) के अन्तर्गत अते हैं। व्यापार संतुलन के अतिरिक्त भुगतान संतुलन (Balance of Payments) के अन्तर्गत ये सारी चीजें भी सम्मिलित रहती हैं। दूसरे शब्दों में, भुगतान संतुलन में दृश्य व्यापार (Visible Trade) तथा अदृश्य व्यापार (Invisible Trade) दोनों के चलते जो लेन देन होता है उसका लेखा जोखा सम्मिलित रहता है। यहाँ दृश्य एवं अदृश्य आयात तथा निर्यात में अन्तर समझ लेना अनिवार्य है। जब वस्तुएँ जिनमें निधि (Treasures) भी सम्मिलित रहते हैं, देश में बाहर से लायी जाती है या देश के बाहर भेजी जाती हैं तो बन्दरगाहों पर इनका लेखा कर लिया जाता है। (Entered in the records at ports) ऐसे मदों को हम विदेशी व्यापार की दृश्य मदें (Visible items of foreign trade) कहते हैं। किन्तु जब विभिन्न प्रकार की सेवाओं (जैसे व्याज, जहाज का किराया, बैंक शुल्क, इत्यादि का आयात निर्यात किया जाता

है तो इनका बन्दरगाहों पर कोई लेखा नहीं होता, अतएव इन्हें विदेशी व्यापार की अदृश्य मदें (Invisible items of foreign trade) कहते हैं। व्यापार सतुलन (Balance of Trade) का सम्बन्ध केवल दृश्य व्यापार (Visible trade), यानी वस्तुओं तथा निधि के आयात निर्यात से रहता है। किन्तु भुगतान सतुलन (Balance of payments) का सम्बन्ध दृश्य तथा अदृश्य दोनों ही प्रकार की मदों से होता है। दूसरे शब्दों में, जबकि व्यापार सतुलन में केवल विदेशी व्यापार के दृश्य मदों की गणना होती है भुगतान सतुलन में दृश्य तथा अदृश्य दोनों ही प्रकार की मदों की गणना की जाती है। बेन्हम (Benham) का इस सम्बन्ध में निम्नांकित कथन इसे पूर्णतया स्पष्ट बना देता है 'The Balance of payment of a country, complete and accurate would include all payments made during the period by foreigners to residents all such payments are called 'credits' and all payments known as "debts made during the period by residents to foreigners' दूसरे शब्दों में, जैसा कि बेन्हम (Benham) का कहना है, 'किसी देश का भुगतान सतुलन किसी दिने हुए समय में, सम्पूर्ण विश्व के साथ उसके लेन देन का लेखा जोखा रहता है।' (Balance of payments of a country is a record of its monetary transaction, over a period, with the rest of the world)

इस प्रकार भुगतान-सतुलन (Balance of payment) व्यापार सतुलन (Balance of Trade) की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है। भुगतान सतुलन के अन्तर्गत व्यापार सतुलन भी सम्मिलित रहता है। दूसरे शब्दों में, भुगतान सतुलन के अन्तर्गत सभी प्रकार के विकसन (debits) तथा समस्त समाकलन (credit) सम्मिलित किये जाते हैं। व्यापार सतुलन की तरह भुगतान सतुलन भी अनुकूल (Favourable Balance of Payment) तथा प्रतिकूल (Adverse Balance of Payment) हो सकता है।

भुगतान-सतुलन का महत्त्व (Significance of the Balance of Payments) —
किसी देश की आर्थिक व्यवस्था में व्यापार सतुलन की अपेक्षा भुगतान सतुलन का विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण स्थान रहता है। प्रतिकूल भुगतान-सतुलन का तात्पर्य यह है कि देश की आर्थिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। हम देख चुके हैं कि व्यापार सतुलन भुगतान सतुलन का ही एक अंग है। किन्तु केवल व्यापार सतुलन का प्रतिकूल होना देश की आर्थिक व्यवस्था की दुर्बलता का परिचायक नहीं है। इसी प्रकार अनुकूल व्यापारिक सतुलन भी सदा इस बात का परिचायक नहीं है कि देश उन्नति कर रहा है क्योंकि अदृश्य मदों (Invisible Items) के आयात एवं निर्यात का भी देश की आर्थिक व्यवस्था पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अतएव किसी देश की आर्थिक व्यवस्था में भुगतान सतुलन का ही विशेष महत्त्व होता है। भुगतान सतुलन के अध्ययन से ही किसी देश की वास्तविक स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, 'The balance of payments is an economic barrowmeter which when properly handled by economic analyst can be used to appraise a nation's short term international economic prospects to evaluate the degree of its international solvency and to determine the appropriateness of the foreign exchange rate of the money unit)

भुगतान-सतुलन की मदें

(Items entering into the Balance of Payments)

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि भुगतान सतुलन (Balance of Payments) के अन्तर्गत समस्त विकसन (Debits) एवं समस्त समाकलन (Credits) सम्मिलित किये जाते हैं। प्रत्येक देश का भुगतान सतुलन एक विवरण (Statement) की तरह होता है जिसमें समस्त विकसन (Debits) एवं समस्त समाकलन (Credits) दोनों पृथक पृथक रूप से दिखलाये जाते हैं। इस प्रकार के विवरण का एक नमूना अगले पृष्ठ पर दिया गया है —

भुगतान-संतुलन का एक विवरण
(Statement showing Balance of Payments)

निर्यात तथा अन्य मदों (दृश्य एवं अदृश्य) से प्राप्त रकम (Credits)	रु० पं०	आयात तथा अन्य मदों (दृश्य एवं अदृश्य) में विदेशियों को दी गयी रकम (Debits)	रु० पं०
(1) वस्तुओं का निर्यात	..	(1) वस्तुओं का आयात	..
(2) सेवाओं के निर्यात से प्राप्त आय—	..	(2) सेवाओं के आयात के लिए किया गया भुगतान	..
(क) व्यापारिक कम्पनियों द्वारा की गयी सेवाएँ	..	(क) व्यापारिक कम्पनियों द्वारा की गयी सेवाएँ	..
(ख) विशेषज्ञों की सेवाएँ	..	(ख) विशेषज्ञों की सेवाएँ	..
(ग) शिक्षा एवं यात्रियों की सेवाएँ	..	(ग) शिक्षा एवं यात्रियों की सेवाएँ	..
(3) विदेशी ऋण एवं पूँजी से प्राप्त आय-मूल धन, व्याज तथा लाभ	..	(3) विदेशी ऋण एवं पूँजी का भुगतान मूल धन, व्याज एवं लाभ	..
(4) विदेशी सरकारों द्वारा देश में किये गये व्यय	..	(4) सरकार द्वारा विदेशों में किये गये व्यय	..
(5) जनसंख्या के आवास से प्राप्त होने वाला धन	..	(5) जनसंख्या के प्रवास के कारण विदेशों को जाने वाला धन	..
(6) विदेशियों से प्राप्त दण्ड, दान, मुआवजा एवं युद्ध-सम्बन्धी व्यय इत्यादि	..	(6) विदेशों को दिया गया दण्ड, दान, मुआवजा एवं युद्ध सम्बन्धी व्यय इत्यादि	..
कुल योग	..	कुल योग	..

अब उक्त भुगतान संतुलन के विवरण में सम्मिलित सभी मदों का निम्न विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है —

(1) वस्तुओं का आयात एवं निर्यात (Export and import of goods)—किसी देश के विदेशी व्यापार में वस्तुओं के आयात-निर्यात का प्रवाल स्थान रहता है। वस्तुओं के आयात-निर्यात को दृश्य व्यापार (visible trade) के अन्तर्गत रखा जाता है और इनके अन्तर को व्यापार-संतुलन (Balance of Trade) के द्वारा व्यक्त किया जाता है। भुगतान संतुलन पर भी इस प्रकार की वस्तुओं के आयात एवं निर्यात का प्रभाव पड़ता है। वास्तव में, वस्तुओं का आयात निर्यात भुगतान-संतुलन में सम्मिलित होने वाला सबसे प्रमुख मद है।

(2) स्वर्ण एवं चाँदी का आयात-निर्यात (Export and import of Gold and Silver)—दृश्य व्यापार (Visible Trade) के अन्तर्गत स्वर्ण एवं चाँदी अथवा निधि (Treasuries) के आयात निर्यात को भी सम्मिलित किया जाना है। भुगतान-संतुलन (Balance of Payments) पर इसका भी प्रभाव पड़ता है।

(3) सेवाएँ (Services)—विभिन्न देशों के बीच निम्न-निम्न प्रकार की सेवाओं (Services) का भी सदा आदान-प्रदान होते रहता है जिनके बदले इन्हें मूल्य लेना या देना पड़ता है। इस प्रकार भुगतान-संतुलन के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाएँ सम्मिलित की जाती हैं जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं—

(क) व्यापारिक कम्पनियों द्वारा का मद्यो सेवाएँ—जब किसी एक देश की व्यापारिक कम्पनियाँ अन्य देशों में कुछ सेवाएँ करती हैं, तब इनकी सेवाओं के बदले इन्हें जो शुल्क मिलता है वह भी भुगतान संतुलन में सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए, पोस्टल-मम्बन्धी सेवाएँ, वित्तीय सेवाएँ—जैसे पूँजी बाजार में दलाली बगैरह, इत्यादि। जो देश इस प्रकार की सेवाओं को दूसरे देश के लिए करता है, उसके लिए यह अदृश्य निर्यात (Invisible export) तथा जो देश इन सेवाओं को प्राप्त करता है उसके लिए यह अदृश्य आयात (Invisible import) होता है। (ख) विशेषज्ञों की सेवाएँ—कभी-कभी कोई देश विदेशों से विशेषज्ञों की सेवाओं जैसे अध्यापकों, इंजीनियरों, चिकित्सकों, आदि को भी प्राप्त करने का आयोजन करता है। उदाहरण के लिए, भारत में बहुत अधिक विदेशी डाक्टर, प्रोफेसर तथा इंजीनियर आदि कार्य करते हैं। ये सब अपने वेतन तथा आय को अपने देश में भी भेजते हैं। जो देश इस प्रकार के विशेषज्ञों की सेवाओं को प्राप्त करता है, उसके लिए यह अदृश्य आयात (Invisible import) हुआ और जिस देश के विशेषज्ञ कार्य करते हैं उसके लिए यह अदृश्य निर्यात (invisible export) की तरह हुआ। भुगतान संतुलन में यह भी सम्मिलित रहता है। (ग) शिक्षा एवं यात्रियों की सेवाएँ—इंग्लैंड, रूस तथा अमेरिका जैसे देशों में विभिन्न देशों से लोग बड़ी मात्रा में शिक्षा प्राप्त करने तथा यात्रा के लिए जाते हैं। इस मद में भी इन देशों को कुछ रकम प्राप्त होती है। जिस देश के विद्यार्थी या यात्री जाते हैं उनके लिए यह रकम अदृश्य आयात (Invisible import) हुआ और जिस देश में ये जाते हैं उनके लिए यह अदृश्य निर्यात (Invisible export) की तरह हुआ। (घ) जहाजी कम्पनियों का माड़ा—प्रत्येक वर्ष कई देश दूसरे देश के जहाजों का प्रयोग आने-जाने के लिए तथा माल ढोने के लिए करते हैं जिनके लिए जहाजी कम्पनियों को माड़ा चुकाना पड़ता है। जो देश विदेशी जहाजों का प्रयोग करते हैं उनके लिए यह अदृश्य आयात (Invisible Import) की तरह हुआ और जिस देश की जहाजों का प्रयोग किया जाता है उसके लिए यह अदृश्य निर्यात (Invisible export) की तरह हुआ। (च) बीमा एवं बैंकिंग शुल्क इत्यादि—बहुत-से देश विदेशों की बीमा तथा बैंकिंग कम्पनियों की सेवाओं का भी उपयोग करते हैं जिनके बदले उन्हें कुछ शुल्क या मूल्य चुकाना पड़ता है। जो देश बीमा तथा बैंकिंग कम्पनियों का प्रयोग करता है उसके लिए यह अदृश्य आयात (Invisible imports) की तरह हुआ और जिन देशों की बीमा तथा बैंकिंग कम्पनियों का प्रयोग किया जाता है, उनके लिए यह अदृश्य निर्यात (Invisible exports) का कार्य करता है। भुगतान-संतुलन में इन विभिन्न प्रकार की सेवाओं के आयात एवं निर्यात का भी प्रधान स्थान है।

(3) विदेशी ऋण, पूँजी एवं सद् का लेन-देन (Debts, capital and interest charges)—कभी-कभी एक देश किसी दूसरे देश को ऋण भी देता है। ऋण दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों ही प्रकार के होते हैं। जब इस प्रकार के ऋण की रकम एक देश से दूसरे देश की भेजी जाती है, तब ऋणदाता (Creditor) देश के लिए यह अदृश्य आयात (Invisible import) और ऋणी (Debtor) देश के लिए यह अदृश्य निर्यात (Invisible export) के समान होता है। इसके बाद जब ऋण या इसके सद् के भुगतान का समय आता है तब इसका प्रभाव ठीक इसके विपरीत होता है, यानी मूलधन या सद् की रकम देने वाले देश के लिए यह आयात तथा इसे प्राप्त करने वाले देश के लिए यह निर्यात के समान हो जाता है। कभी कभी विदेशों की पूँजी (Capital) देश में सद् की ऊँची दर या प्रतिभूतियों में अच्छा लाभ कमाने की आशा से भी जाती है। यह पूँजी प्रायः विदेशों में हिस्से (Shares) खरीदने या बैंकों में रकम जमा करने या इन्हें उधार देने या इसे अन्य किसी व्यापार या धर्मो में लगाने के लिए भेजी जाती है। यह विनियोग (investment) भी दीर्घ या अल्पकालीन हो सकता है। यहाँ पर भी जिस देश से विदेशों को पूँजी जाती है, वह ऋणदाता (Creditor) देश और जिस देश में इस पूँजी का विनियोग होता है, वह ऋणी (Debtor) देश के समान हो जाता है। विनियोग के समय ऋणदाता देश के लिए इस प्रकार की पूँजी का भेजना अदृश्य आयात (Invisible import) और ऋणी देशों के लिए यह अदृश्य निर्यात (Invisible export) की तरह होता है और वापस करने के समय इसका ठीक विपरीत प्रभाव पड़ता है। इनका भी भुगतान संतुलन पर प्रभाव पड़ता है। अतः विभिन्न राष्ट्रीयों के बीच ऋण, पूँजी एवं सद् के भुगतान से उनकी भुगतान-संतुलन की स्थिति प्रभावित होती है जिससे ये भी भुगतान संतुलन के महत्वपूर्ण अंग हैं।

(5) सरकारी का आय व्यय—प्रायः प्रत्येक देश की सरकार दूसरे देश में अपने दूतावास (Embassy) आदि पर भी कुछ व्यय करती है। इस प्रकार के सरकारी आय व्यय का भी भुगतान-सन्तुलन पर प्रभाव पड़ता है। जो देश अपनी रकम दूसरे देश में व्यय करता है उसके लिए यह अदृश्य आयात (Invisible imports) तथा जिसमें यह व्यय किया जाता है उसके लिए यह अदृश्य निर्यात (Invisible exports) की तरह होता है। इसके अतिरिक्त दूसरी मदों में भी एक देश की सरकार दूसरे देश में व्यय करती है। इस प्रकार दूसरे देश में सरकार द्वारा किये जाने वाले व्यय से भी भुगतान संतुलन प्रभावित होता है, अतः यह भुगतान-सन्तुलन की एक प्रमुख मद है।

विदेशियों से प्राप्त या दिया गया ऋण, दान, मुआवजा अथवा युद्ध-व्यय इत्यादि—कभी-कभी एक देश को दूसरे देश से ऋण, मुआवजा, दान तथा युद्ध व्यय इत्यादि के रूप में भी कुछ रकम प्राप्त होती है जिससे इन देशों का भुगतान संतुलन प्रभावित होता है। ऋण, मुआवजा, दान या युद्ध-व्यय देने वाले देश के लिए यह अदृश्य आयात (Invisible import) की तरह तथा इन्हें प्राप्त करने वाले देश के लिए यह अदृश्य निर्यात (Invisible export) की तरह होता है। इस प्रकार ये सारी चीजें भी भुगतान-सन्तुलन की मद में सम्मिलित होती हैं।

भुगतान-संतुलन का साम्य (Equilibrium of the Balance of Payment)

जब किसी देश का भुगतान-सन्तुलन साम्य की स्थिति (equilibrium) में रहता है तो उस स्थिति में देश की मांग उसकी पूर्ति के बराबर होती है। उस समय मांग एवं पूर्ति की स्थिति न तो अनुकूल ही रहती है और न प्रतिकूल। जब भुगतान संतुलन (Balance of Payments) किसी देश के विपक्ष में हो जाता है तो इसे प्रतिकूल भुगतान संतुलन (Adverse Balance of Payments) कहते हैं। इसके विपरीत जब भुगतान संतुलन किसी देश के पक्ष में रहता है तो इसे अनुकूल भुगतान संतुलन (Favourable Balance of Payments) कहते हैं। किसी देश का व्यापार-संतुलन (Balance of Trade) सदा अनुकूल स्थिति में रह सकता है, किन्तु कोई देश सदैव प्रतिकूल भुगतान-सन्तुलन (Adverse Balance of Payments) की स्थिति में नहीं रह सकता। अल्पकाल में कोई देश प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति में भले ही हो, किन्तु दीर्घकाल में व्यक्तियों की तरह राष्ट्रों के समस्त दायित्व (Total liabilities) का उनके समग्र आदेयों (Total assets) के बराबर अवश्य ही होना चाहिए।

इस प्रकार भुगतान संतुलन का साम्य (Equilibrium of the Balance of payments) किसी देश की आर्थिक व्यवस्था की दृढ़ता का प्रतीक है। असमानता (Disequilibrium) थोड़े या दीर्घकाल के लिए उत्पन्न हो सकता है। किन्तु लगातार असमानता (Continued disequilibrium) इस बात का सूचक है कि देश की आर्थिक एवं वित्तीय व्यवस्था दिवालियेपन की ओर अग्रसर हो रही है। अतएव प्रत्येक देश अपने भुगतान-सन्तुलन को साम्य की स्थिति में बनाये रखने का प्रयास करता है।

वास्तव में, एक विशेष अर्थ में भुगतान संतुलन सदा संतुलित रहता है। (The Balance of Payments always necessarily balances) किसी भी विनिमय के दो पक्ष होते हैं। विदेशी मुद्रा को प्रत्येक इकाई जिसकी खरीद हुई है उसका कोई विक्रत भी अवश्य ही होता है। इस अर्थ में दिय

हुए समय में जितना भी छोटा वह बयो न हो, विदेशी विनिमय-बाजार में बिक्री की गयी रुपये व रकम रुपये की खरीद को रकम के बराबर होती है। इन अर्थों में भुगतान-सन्तुलन मदा तुल्य रहती है। इसे इन प्रकार से अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्तर्गत एक देश दूसरे देश को माल भेजता है अर्थात् निर्यात (Export) करता है तथा दूसरे देश से माल मंगता है अर्थात् आयात (Import) करता है। यदि हम आयातों एवं निर्यातों को विस्तृत रूप में लें अर्थात् सभी द्रव्य एवं अद्रव्य मदी की जो देश के बाहर जाती और विदेशों से आती है मानने लें, तो हम देखेंगे कि "निर्यात आयातों का भुगतान करते हैं"। (Exports pay for Imports, i.e., the value of exports and imports, both visible and invisible, must ultimately balance)

देश के कुल निर्यातों और कुल आयातों के बीच आधारभूत सम्बन्ध बहुत ही सामान्य है। देश के कुल आयातों को इसके कुल निर्यातों के बराबर अवश्य होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, आयात एवं निर्यात में समानता की प्रवृत्ति पायी जाती है।" (Imports and Exports tend to be equal) यानी "भुगतान-सन्तुलन आवश्यक रूप से सन्तुलित होते हैं।" (Balance of Payments necessarily balances.) कारण यह है कि दीर्घकाल में कोई भी देश अपने निर्यातों से अधिक आयात नहीं कर सकता और न आयात से अधिक निर्यात ही कर सकता है। अल्पकाल में, आयात निर्यातों से अवश्य ही अधिक हो सकते हैं या इनके विपरीत निर्यात आयातों से अधिक हो सकते हैं। वस्तुतः यह प्रायः कम या अधिक होने ही रहते हैं। पर दीर्घ काल तक यदि ऐसी ही स्थिति बनी रहती है तो ऐसी अवस्था में ऋणों का समीकरण (Equation of Indebtedness) या भुगतान सन्तुलन (Balance of Payments) करने के लिए एक देश से दूसरे देश को सोना-चाँदी का आना-जाना अनिवार्य हो जाता है। फलस्वरूप सोना चाँदी पानेवाले देश का जीवन-स्तर ऊँचा हो जाता है। दूसरे शब्दों में, इन देश में मूल्य में वृद्धि हो जाती है। दूसरी ओर सोना-चाँदी देने वाले देश का सामान्य मूल्य स्तर (General Price level) नीचा होने लगता है। और अन्ततः आयात-निर्यात के बराबर होने की प्रवृत्ति देखने में आती है।

मान लें कि A और B दो देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। A देश के निर्यात B देश के माध्य आयात की ओर अधिक हैं। ऐसी स्थिति में स्वर्ण का प्रवाह B देश की ओर होगा जिसके फलस्वरूप A देश में मूल्य-स्तर ऊँचा हो जायगा जिससे उसे अब B देश में बेचने में अधिक लाभ प्राप्त होगा। दूसरी ओर B देश में स्वर्ण की मात्रा कम हो जाने से मूल्य-स्तर गिरेगा। ऐसी स्थिति में A देश को B देश से माल खरीदने में लाभ रहेगा। परिणामस्वरूप A देश के आयात (Import) बढ़ जायेंगे और निर्यात (Export) घट जायगा। दूसरी ओर, B देश के आयात घट जायेंगे और निर्यात बढ़ जायगा। ऐसी स्थिति में स्वर्ण का प्रवाह A देश से B देश की ओर होगा। B देश में स्वर्ण के आने से मूल्य-स्तर में वृद्धि हो जायगी तथा A देश से स्वर्ण चले जाने से मूल्य-स्तर कम हो जायगा। पुनः A का निर्यात बढ़ेगा और B का निर्यात घटेगा। इस प्रकार आयात-निर्यात में लगातार एकपक्षीय प्रवाह (One-sided Movement) सम्भव है।

टॉसिंग (Taussing) के अनुसार "किसी देश के व्यापार का प्रवाह ज्वार-भाटे की तरह है। वह बहुत काल तक एक ही दिशा में नहीं रह सकता। शीघ्रता से या विलम्ब से उसे बदलना ही है। कारण, कि एक देश से घातक मुद्रा दूसरे देश को चली जायेगी तो बाह्य शक्तियाँ इस तरह काम करने लगेगी कि व्यापार पुनः पूर्वस्थिति को वापस होने लगेगा।" (The current of trade

cannot forever continue in one direction any more than the tide of the sea : sooner or later it must change, and after metallic money has been taken out of a country, there are natural forces which tend to bring it back again "

किन्तु, विदेशी विनिमय-बाजार में विभिन्न प्रकार के लेन देन एक साथ होते रहते हैं। अब यह कोई आवश्यक नहीं कि किसी देश का भुगतान संतुलन प्रत्येक दूसरे के साथ, जिससे कि उसका व्यापारिक सम्बन्ध है, पूवक् रूप से साम्य की स्थिति में रहे। यह आवश्यक नहीं है और वास्तविक जीवन में ऐसा होता भी नहीं है। वास्तविक जीवन में व्यापारिक सम्बन्ध अनेक प्रकार के होते हैं, उदाहरण के लिए, भारत का भुगतान-सन्तुलन इंग्लैंड के साथ अनुकूल (Favourable) और अमेरिका के साथ प्रतिकूल (unfavourable) हो सकता है। भुगतान त्रिकोण में भी किये जा सकते हैं जैसे भारत इंग्लैंड को जूट भेजे और उसका भुगतान अमेरिका से आनेवाले गेहूँ के रूप में हो। किन्तु दीर्घकालीन में कोई भी देश, जितना उसने सभी देशों को निर्यात किया है, उससे अधिक मूल्य नहीं प्राप्त कर सकता।

भुगतान-सन्तुलन में असमानता के कारण

(Causes of Disequilibrium in the Balance of Payments)

अब प्रश्न यह है कि किमी देश के भुगतान सन्तुलन (Balance of Payments) में क्यों असमानता होती है? भुगतान-सन्तुलन की विभिन्न मदों की हमने अभी व्याख्या की है। कोई भी कारण जिनके फलस्वरूप इनमें से कोई एक या अधिक मदों में एक ही ओर जाने की प्रवृत्ति हो जाय, भुगतान संतुलन में असमानता उत्पन्न कर सकता है। उदाहरण के लिए, किसी कारणवश व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में कमी हो सकती है या आयात में वृद्धि हो सकती है जिससे भुगतान संतुलन में असमानता उत्पन्न हो जायगी। किसी देश से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में कई कारणों से कमी हो सकती है—जैसे, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी वस्तुओं की माँग कम हो जाने से, देश में इनका उत्पादन घट जाने से या मुद्रा का मूल्य बढ़ जाने से इत्यादि,। इसी प्रकार आयात में भी कई कारणों से वृद्धि हो सकती है—जैसे, देश में अकाल वगैरह हो जाने से तथा विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए इत्यादि। इसी प्रकार सेनाओं अथवा पूँजी वगैरह के अत्यधिक आयात तथा निर्यात से भी भुगतान संतुलन में असमानता उत्पन्न हो सकती है।

भुगतान संतुलन की असमानता को सुधारने के तरीके (Methods for correcting the disequilibrium in the Balance of Payments) —अब हम भुगतान-संतुलन की असमानता को सुधारने के विभिन्न तरीकों की व्याख्या करेंगे। स्वर्ण मान (Gold Standard) का अन्तर्गत किसी देश के भुगतान-सन्तुलन की असमानता स्वर्ण के आयात एवं निर्यात के द्वारा स्वयं ही ठीक हो जाती है। किन्तु, वर्तमान आर्थिक स्थिति में यह असमानता स्वतः ठीक नहीं होता, इसके लिए विभिन्न प्रकार के उपायों को अपनाना पड़ता है। जब किसी देश के भुगतान-सन्तुलन में बहुत समय तक तथा बहुत बड़ी मात्रा में असमानता रहती है तब वह देश अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों को अपनाता है। नीचे हम भुगतान-संतुलन की विपक्षता (Adverse Balance of Payments) को ठीक करने के कुछ तरीकों की व्याख्या करते हैं।

भुगतान-संतुलन की विपक्षता को दूर करने के उपाय

(Methods for Correcting the Adverse Balance of Payments)

कोई भी देश अपने भुगतान-संतुलन की विपक्षता को दूर करने के लिए निम्नांकित उपायों में से किसी एक या अधिक उपायों को अपनाता है—

(1) निर्यात को प्रोत्साहित एवं आयात को हतोत्साहित करना (Stimulating Exports and restricting Imports)—भुगतान-संतुलन की प्रतिकूलता (Adverse Balance of Payments) को दूर करने का सर्वाधिक प्रमुख तरीका निर्यात को प्रोत्साहित तथा आयात को हतोत्साहित करना है।

निर्यात प्रोत्साहन (Export promotion) के कई तरीके हैं जैसे (क) निर्यात करों में कमी या छूट (Reduction or remission of Export Duties) —सरकार वस्तुओं के निर्यात करों में पूर्ण छूट देकर या इन करों में कमी करके निर्यात को प्रोत्साहन दे सकती है। (ख) आर्थिक सहायता देना (Subsidies and Bounties) —सरकार देश के उत्पादकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर भी निर्यात को प्रोत्साहित करती है। आर्थिक सहायता देने से वस्तुओं का उत्पादन-व्यय उत्पादकों के लिए कम हो जाता है जिससे वे अधिक मात्रा में वस्तुओं का निर्यात करने लगते हैं। (ग) प्रचार (Publicity)—प्रचार तथा विज्ञापन द्वारा भी देश वस्तुओं के लिए विदेशों में मांग उत्पन्न की जा सकती है जिससे निर्यात का प्रोत्साहन मिलता है।

इसी प्रकार आयात को हतोत्साहित करने के भी बहुत से तरीके हैं—

(2) आयात कर लगाना या इनमें वृद्धि करना (Imposition or increase of Import Duties)—(1) आयात पर लगाने या इनमें वृद्धि करने से विदेशी वस्तुएँ देश में महँगी हो जाती हैं जिनसे इनकी मांग कम हो जाती है और फलस्वरूप आयात भी घट जाता है। (ii) आयात पर लाइसेंस लगाना या कोटा निर्धारित करना (Licensing of imports or Quota Policy)—आयात कम करने के लिए सरकार विभिन्न वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस या कोटा की नीति के द्वारा आयात की अधिकतम मात्रा को निश्चित कर सकती है। उदाहरण के लिए, भारत में ही आजकल विभिन्न उद्योगों की वस्तुओं, जैसे—घड़ा, कलम, साइकिल, मोटरकार इत्यादि के आयात के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य बना दिया गया है। साथ ही, इन वस्तुओं के आयात की अधिकतम मात्रा भी सरकार द्वारा निश्चित कर दी जाती है जिससे अतिरिक्त मात्रा में आयात नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार इन विभिन्न उपायों द्वारा सरकार निर्यात को प्रोत्साहित एवं आयात को हतोत्साहित कर प्रतिशुल भुगतान-संतुलन को कम कर सकती है।

(2) अवमूल्यन (Devaluation) —देश की मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को प्रोत्साहित एवं आयात को हतोत्साहित करने का एक प्रधान उपाय है। अवमूल्यन का अर्थ है देश की मुद्रा की विदेशी विनिमय शक्ति को कम करना यानी विदेशी मुद्रा के रूप में देश की मुद्रा के मूल्य को कम करना। इससे देश का निर्यात विदेशों में गमना हो जाता है तथा आयात महँगे हो जाते हैं। अवमूल्यन के फलस्वरूप विदेशों में वस्तुएँ खरीदने के लिए पहले अधिक मात्रा में मुद्रा का व्यय करना पड़ता है। अतः जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तब इससे देश के

निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है तथा इसका आयात हतोत्साहित हो जाते हैं, जिससे भुगतान का प्रतिकूल संतुलन शीघ्र ही साम्य की स्थिति में आ जाता है।

(3) मुद्रा-संकुचन (Deflation) — कभी कभी कोई राष्ट्र अपनी मुद्रा का बाह्य मूल्य कम करना (असमूल्यन करना) उचित नहीं समझता। इस अवस्था में वह मुद्रा-संकुचन की रीति को अपना कर भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को ठीक कर सकता है। मुद्रा संकुचन (Deflation) के परिणामस्वरूप देश में वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य कम हो जाता है। इससे सामान्य मूल्य-स्तर कम हो जाता है और विदेशों से आयी हुई वस्तुएँ महँगी हो जाती हैं। परिणामतः निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है और आयात हतोत्साहित होता है जिससे भुगतान-संतुलन की विपक्षता ठीक हो जाती है। परन्तु मुद्रा-संकुचन की रीति एक अच्छी रीति नहीं है क्योंकि देश के मूल्यों को जान बूझकर कम करने से आर्थिक मकट आ जाने का भय बना रहता है। इससे देश में बेरोजगारी एवं मन्दी की स्थिति फैल जाती है। अतएव भुगतान संतुलन की विपक्षता को ठीक करने के लिए मुद्रा-संकुचन की रीति को बड़ी सावधानीपूर्वक प्रयोग में लाना चाहिए।

(4) विनिमय नियन्त्रण (Exchange Control) — विन्तु भुगतान-संतुलन की विपक्षता को दूर करने के उक्त तरीकों की भारी सीमाएँ हैं। असमूल्यन (Devaluation) से देश के सम्मान को घबका पहुँचता है, दूसरी ओर मुद्रा संकुचन (Deflation) के प्रभाव बड़े ही घातक सिद्ध हो सकते हैं तथा देश को अर्थ-व्यवस्था अस्थिर बना देता है, कोटा प्रणाली प्रतिकार (Reaction) को जन्म देती है, इत्यादि। अतः इन रीतियों को अपनाते में अत्यन्त सावधानी से काम लेना पड़ता है। परन्तु कभी-कभी इन रीतियों के दोषों से बचने के लिए विनिमय-नियन्त्रण की रीति को अपनाया जाता है। इस रीति में देश के सम्पूर्ण विदेशी विनिमय को केन्द्रीय बैंक के जिम्मे सुपुर्ण कर दिया जाता है जो इसे देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रयोग में लाता है। सरकार प्रत्येक निर्यातकर्ता को यह आदेश देती है कि वे अपने विदेशी विनिमय के सम्पूर्ण मौरि (Foreign Exchange Transactions) केवल केन्द्रीय बैंक द्वारा ही करें अर्थात् उन्हें यह आदेश दिया जाता है कि वे जो कुछ भी विदेशी विनिमय प्राप्त करते हैं उस केन्द्रीय बैंक को सौंप दें। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक को जो कुछ भी विदेशी विनिमय प्राप्त होता है, वह इसे आयात कर्तव्यों में विभाजित कर देता है। सरकार आयात करने के लिए लाइसेंस (Licence) भी देती है। लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति को अतिरिक्त अन्य कौरे भी वस्तुओं का आयात नहीं कर सकता है। इस प्रकार इस प्रणाली में आयात पर रोक एवं नियन्त्रण लगाकर भुगतान-संतुलन की विपक्षता को ठीक किया जाता है।

(5) विदेशों से ऋण (External Debt) — भुगतान-संतुलन की प्रतिकूलता को विदेशों से ऋण लेकर भी दूर अथवा कम किया जा सकता है। इस प्रकार के ऋण विदेशी बैंकों एवं व्यक्तियों, विदेशों की सरकारों तथा विश्व-बैंक एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष जैसी संस्थाओं से प्राप्त किये जा सकते हैं। चूँकि इन ऋणों का भुगतान दीर्घकाल में करना होता है, अतएव वर्तमान में इनके द्वारा भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को दम किया जा सकता है और सरकार देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उचित कदम उठाकर उचित समय पर ऋणों का भुगतान कर सकती है।

(6) विदेशी विनियोग को प्रोत्साहन (Encouragement to Foreign investment):— भुगतान-संतुलन की विपक्षता को कम करने के लिए देश की सरकार विदेशी पूँजीपतियों को आकर्षक दरियायतें देकर उन्हें अपने देश में पूँजी विनियोग के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। किन्तु इस विधि को अपनाने समय सरकार को इस बात को ध्यान में रखना होता है कि विदेशी पूँजी का प्रयोग देश के आर्थिक हित में ही होना चाहिए।

सारांश यह है कि भुगतान-संतुलन की विपक्षता को उलरोक्त उपायों द्वारा कम अथवा दूर किया जा सकता है।

विशेष अध्ययन-सूची

1. Ellsworth : The International Economy
 2. Viner : Studies in the Theory of International Trade.
-

अध्याय : 42 (घ)

स्वतन्त्र व्यापार बनाम संरक्षण

(Free Trade versus Protection)

स्वतन्त्र व्यापार एवं संरक्षण में अन्तर (Distinction between Free Trade and Protection) — स्वतन्त्र व्यापार बनाम संरक्षण-सम्बन्धी वाद विवाद बहुत प्राचीन है। विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं के अनियन्त्रित आयात निर्यात की स्वतन्त्र व्यापार कहते हैं। आदम स्मिथ (Adam Smith) के अनुसार "स्वतन्त्र व्यापार व्यावसायिक नीति की उच्च प्रणाली को कहते हैं जिसमें देशों एवं विदेशों वस्तुओं में कोई भेद भाव नहीं किया जाता है और इसलिए न तो विदेशी वस्तुओं पर कर लगाये जाते हैं और न स्वदेशी उद्योगों को कोई विशेष मुविधाएँ ही प्रदान की जाती हैं।" (The term free trade has been used to denote that system of Commercial Policy which draws no distinction between domestic and foreign commodities and therefore neither imposes additional burdens on the latter nor grants any special favour to the former) इस प्रकार स्वतन्त्र व्यापार में वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर कोई नियन्त्रण नहीं रहता और विदेशी व्यापार स्वतन्त्रतापूर्वक चलने रहता है। दूसरे शब्दों में, जब विभिन्न देशों के विदेशी व्यापार पर किसी प्रकार की अस्वाभाविक हकावट नहीं आये जाती है तो इन्हीं प्रकार के व्यवसाय को स्वतन्त्र व्यापार कहते हैं। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि स्वतन्त्र व्यापार में अन्तर्गत वस्तुओं के आयात निर्यात पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जाता है, बल्कि जो भी कर लगाय जाते हैं वे केवल आय (Revenue) का दृष्टिकोण से न कि संरक्षण के लिए।

इनके विपरीत संरक्षण का आशय सरकार की उच्च व्यावसायिक नीति से है जिसमें घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए विदेशी व्यापार पर नियन्त्रण लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में, संरक्षण के अन्तर्गत व्यापार की स्वाभाविक गति पर पूरी पूरी प्रतिबंध लगाया जाता है। संरक्षण का उद्देश्य साधारणतया स्वदेशी उद्योगों की उत्थिति करना होता है। संरक्षण की नीति न केवल आर्थिक, बल्कि कभी कभी राजनीतिक उद्देश्यों से भी अपनायी जाती है। संरक्षण का नीति के विकास का सर्वाधिक प्रदान कारण राष्ट्रियता की भावना का विकास है। दश भक्त नागरिका के लिए स्वदेशी उद्योग उन्नत ही महत्त्व रखता है जिसना कि विदेशी आक्रमण से अपने देश की रक्षा करना। (To the loyal citizen, the promotion of native industry and economic interest seems a duty nearly as imperative as the defence of the national territory against foreign invasion) इस प्रकार संरक्षण का नीति का व्यापार आर्थिक एवं राजनीतिक दोनों ही होता है। साधारणतया, संरक्षण का उद्देश्य विदेशी प्रतिस्पर्धिता से स्वदेशी उद्योगों की रक्षा करना होता है। किन्तु सरकार की प्रत्येक ऐसी नीति, जिसके कारण विदेशी व्यापार की स्वाभाविक गति में हकावट उत्पन्न होती है, चाहे इन नीतियों का उद्देश्य आर्थिक हो अथवा राजनीतिक, संरक्षण की नीति कहलाती है।

स्वतन्त्र व्यापार के सिद्धान्त का विकास

(Development of the Theory of Free Trade)

विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं के स्वतन्त्र आदान प्रदान को स्वतन्त्र व्यापार कहते हैं। व्यावहारिक रूप में स्वतन्त्र व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त पर आधारित है। कैयरनस (Cairnes) के अनुसार 'यदि किसी विदेश नाम के उद्देश्य से कुछ राष्ट्र परस्पर व्यापार करना प्रारम्भ कर दें तो उनके स्वतन्त्र व्यापारिक आदान-प्रदान में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उनकी इस लाभ में वंचित कर देगा।' (If nations only engage in trade when an advantage arises from doing so, any interference with their free action in trading can only have the effect of debarring them from an advantage.) स्वतन्त्र व्यापार के सिद्धान्त को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में धर्म विभाजन के सिद्धान्त का विस्तार मात्र समझना चाहिए। आदम स्मिथ (Adam Smith) के शब्दों में "व्यक्ति विदेश अपने उद्योगों का इस प्रकार उपयोग करने है जिससे उन्हें अपने पड़ोसियों से कुछ अधिक सुविधाएँ प्राप्त हो जायें। इसके अनुसार जो बात किसी घर के लिए बुद्धिमानी की हो सकती है, किसी बड़े राष्ट्र के लिए बेदकूफी की नहीं हो सकती।' (Individuals find it to their interest to employ their industry in a way in which they have some advantages over their neighbours. And what is prudence in the conduct of every private family, can scarcely be folly in that of a great kingdom.) इस प्रकार स्वतन्त्र व्यापार के सिद्धान्त का सारांश यह है कि स्वतन्त्र व्यापार की रीति से हर देश अपने उन उद्योगों को समुन्नत कर सकता है जो अपेक्षाकृत उनके लिए अधिक अनुकूल हो।

इंग्लैंड—स्वतन्त्र व्यापार का नेता (England—the Champion of Free Trade).—विश्व में स्वतन्त्र व्यापार के नेता के रूप में इंग्लैंड का स्थान है। नेपोलियन युद्ध के पश्चात् 19 वीं शताब्दी में इंग्लैंड में स्वतन्त्र व्यापार बनाम संरक्षण के मर्षण प्रारम्भ हुआ एवं उस समय की विशेष परिस्थितियों के कारण स्वतन्त्र व्यापार के पक्षपातियों की ही विजय हुई। उस समय इंग्लैंड में स्वतन्त्र व्यापार की नीति की प्रधानता के लिए निम्नांकित परिस्थितियाँ मुख्य रूप से उत्तरदायी थी—(क) औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारम्भ हुई। इस औद्योगिक क्रांति (Industrial Revolution) के फलस्वरूप इंग्लैंड में जिस नवीन औद्योगिक वर्ग का जन्म हुआ वह अपने कारखानों के लिए मस्ता कच्चा माल एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए विस्तृत बाजार चाहता था। साथ ही, औद्योगिक थमिकों का वर्ग सस्ता खाना चाहता था। (ख) 1832 ई० के सुधार अधिनियम (Reforms Act of 1832) से औद्योगिक वर्ग को राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार इंग्लैंड में 19 वीं शताब्दी में स्वतन्त्र व्यापार का दौलहाला था। वहाँ उस समय विदेशी व्यापार से नियन्त्रण हटाने के लिए बहुत से नियम बनाये गये। (घ) 1838-39 ई० में एक अन्न कानून विरोधी दल (Anti corn Law League) की स्थापना हुई। इस दल द्वारा तथा अन्य प्रयत्नों के परिणामस्वरूप 1853 ई० एवं 1860 ई० में आयात-निर्यात करों में सुधार कर ब्रिटेन के विदेशी व्यापार पर से संरक्षण हटा दिया गया। इंग्लैंड ने अपने स्वतन्त्र व्यापार के सिद्धान्त को भारत तथा अपने अन्य उपनिवेशों में भी लागू किया। फ्रांस तथा जर्मनी में भी यह धारणा थोड़े दिनों तक प्रचलित रही किन्तु शीघ्र ही समाप्त हो गयी।

किन्तु इंग्लैंड में स्वतन्त्र व्यापार की नीति का समर्थन इसलिए किया जाता था कि उसे इस प्रकार की नीति में लाभ था। औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में अग्रगण्य होने के कारण इंग्लैंड के लिए यह नीति निर्यात रूप में लाभप्रद सिद्ध हुई। किन्तु स्वतन्त्र व्यापार के सिद्धान्त का अनुसरण कर दूसरे देश अपने औद्योगिक विकास नहीं कर सकें थे। यही कारण था कि समुक्त राज्य अमेरिका तथा जर्मनी आदि देशों ने संरक्षण का समर्थन किया। भारत ने भी 1923-24 ई० में विवेचनात्मक संरक्षण (Discriminating Protection) की नीति को अपनाया। इन सब कारणों से परिस्थितियों में आमूल परिवर्तन हुआ जिसके फलस्वरूप भयानक व्यावसायिक संघर्षों के बाल में इंग्लैंड को भी बाध्य होकर अपनी स्वतन्त्र व्यापार की नीति का परित्याग करना पड़ा।

संरक्षण की नीति का विकास

(Rise of Protectionism)

संदेशी उद्योगों को कुछ सुविधाएँ देकर अपना निदेशांस्तुआ के आयात पर अत्यधिक कर लगाकर उनके आयात को हतोन्माहित करने की नीति को संरक्षण कहते हैं। संरक्षण के पक्ष में बहुत-बारा दलीलें दी जाती हैं जिनमें आर्थिक स्वतन्त्रता, विदेशी अस्तुआ के अक्रमण में संदेशी उद्योगों की रक्षा करना, राष्ट्रीय साधनों का विकास, आदि विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। संरक्षण की भावना का प्रसार आर्थिक तथा राजनैतिक दोनों ही कारणों से हुआ है। किन्तु ध्यानपूर्वक विचार करने में यह स्पष्ट हो जाता है कि इनमें राजनैतिक कारणों की ही प्रधानता है।

सर्वप्रथम मुद्रासिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री एवं राजनातिज्ञ एलेक्जेंडर हैमिल्टन (Alexander Hamilton) ने 1791 ई० में संरक्षण के सिद्धान्त को प्रस्तुत किया था। उन्होंने संरक्षण के पक्ष में बहुत सारे तर्क प्रस्तुत किये तथा संरक्षण के कुछ तरीकों को भी बतलाया। 19 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में कई कारणों से अमेरिका में संरक्षण के समर्थन को जोर मिला। अमेरिका एवं इंग्लैंड के बीच युद्ध में जब इन दोनों देशों के बीच व्यापारिक सम्बन्ध अस्थायी रूप से स्थगित हो गया था तो अमेरिका के बहुत से उद्योगों को विशेष रूप से प्रोत्साहन मिला। इसमें वहाँ की सरकार ने संरक्षण के लाभ को समझा और युद्ध के बाद भी नये उद्योगों की स्थापना के लिए संरक्षण की नीति को अनिवार्य समझा गया। इसी समय पेनसिल्वेनिया में हेनरी कैरी (Henry Carey) के नेतृत्व में संरक्षण की नीति जोर पकड़ रही थी। कैरी की यह विश्वास था कि संरक्षण से उद्योगों में विभिन्नता आती है।

जर्मनी में संरक्षण का सर्वाधिक प्रबल समर्थक वहाँ का सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट (Friedrich List) । जर्मनी में संरक्षण की नीति वहाँ की राष्ट्रवादी नीति का परिणाम थी। (Protectionism in German was the child of the nationalist philosophy of that country) उद्योगकी शतब्दी के प्रारम्भ में फिच (Fichte) तथा हेगल (Hegel) आदि के विचारों ने प्रभावित होकर लिस्ट ने संरक्षण के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। लिस्ट के अनुयायी व्यक्ति का उद्देश्य अपनी अमीरी नहीं बल्कि राज्य की भलाई होनी चाहिए। उनके अनुयायी आदम स्मिथ (Adam Smith) अपने दृष्टिकोण में अत्यन्त भौतिकवादी व्यक्तिवादी तथा अन्तर्राष्ट्रीय था। उसने अपने विचारों में राष्ट्र, जो व्यक्ति एवं मानवता के बीच एक बाध-रूपक बन्दी के रूप में था, को उचित स्थान नहीं दिया। लिस्ट के अनुसार जो बात इंग्लैंड के

लिए अच्छी है, यह कोई आवश्यक नहीं कि अन्य देशों के लिए भी अच्छी हो। साथ ही, उसन इम बात पर भी जार दिया नि प्रत्येक दश म हरेक प्रकार का उद्योग होना चाहिए। लिस्ट वा यह विश्वास था कि 'जो देश केवल कृषि पर आश्रित रहता है, वह ऐसे व्यक्ति के समान है जिसे एक हाथ नहीं होता।' (A nation which only carries on agriculture is like an individual who in his material production lacks an arm)

रक्षकण के सम्बन्ध में अमेरिका एव जर्मनी के ये विचार धीरे-धीरे दूसरे देशों में भी पहुँचे जिसमें अन्य देशों ने भी इम नीति को अपनाया। प्रथम महायुद्ध के बाद तो मानो स्वतन्त्र व्यापार वनाम सरक्षण का वाद विवाद ही समाप्त हो गया और आज विश्व के प्रायः सभी देशों ने विदेशी व्यापार के क्षेत्र में सरक्षण की नीति को अपनाया है।

अब स्वतन्त्र व्यापार (Free Trade) एव रक्षकण (Protection) के पक्ष में प्रस्तुत किये जानेवाले विभिन्न तर्कों की विवेचना की जायगी।

स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में तर्क

(Arguments in favour of Free Trade)

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री (Classical Economists) स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में थे। वे विदेशी व्यापार के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नियन्त्रण के पक्ष में नहीं थे। इन लोगों ने स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में बहुत से तर्क प्रस्तुत किये थे जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं —

(1) अधिकतम सामाजिक उत्पादन (Maximization of Social Product) — स्वतन्त्र व्यापार के अन्तर्गत प्रत्येक देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करता है जिनके उत्पादन के लिए उस देश में प्राकृतिक एव अन्य माधनों की श्रेष्ठता रहती है। इसमें उत्पादन तुलनात्मक लागत के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है, अतएव प्रत्येक देश में उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग होता है जिससे सम्पूर्ण विश्व में धनोत्पत्ति भी अधिकतम होती है। अतएव यह कहा जाता है कि यदि विश्व के प्रत्येक राष्ट्र की आय को अधिकतम करना है, तब इस उद्देश्य की पूर्ति केवल स्वतन्त्र व्यापार की नीति अपनाकर ही की जा सकती है क्योंकि स्वतन्त्र व्यापार की व्यवस्था में व्यापारी राष्ट्रीय हित को त्याग कर अन्तर्राष्ट्रीय हित को ही अपना उद्देश्य समझता है।

(2) उपभोक्ताओं को वस्तुएँ एव सेवाएँ कम से कम मूल्य पर प्राप्त होते हैं — स्वतन्त्र व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण केवल कुशल व्यवसायो ही जीवित रह सकते हैं और ये ऐसे उद्योग होते हैं जिनमें उत्पादन न्यूनतम लागत पर होता है। ऐसी स्थिति में वस्तुओं का मूल्य भी बहुत कम होता है। साथ ही, स्वतन्त्र व्यापार में वस्तुओं का आयात प्रायः बिना किसी कर (Tax) आदि के ही होता है जिससे वस्तुएँ सस्ती पड़ती हैं। अतएव स्वतन्त्र व्यापार में उपभोक्ताओं को वस्तुएँ बहुत ही कम मूल्य पर प्राप्त होती हैं जिससे सम्पूर्ण विश्व के सभी व्यक्तियों की वास्तविक आय बढ़ती है।

(3) उद्योगों का स्थानीयकरण (Localisation of industries) — स्वतन्त्र व्यापार में चूंकि प्रत्येक देश किसी ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञ होता है जिसके लिए उन देश में प्राकृतिक सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं, अतएव इससे उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रोत्साहन मिलता है और विभिन्न देशों को अर्थ विभाजन के लाभ प्राप्त होते हैं।

(4) बाजार का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है — स्वतन्त्र व्यापार में विदेशी व्यापार की वस्तुओं के बाजार का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है विशेष कर जबकि किसी देश में वस्तुओं

का उत्पादन उत्पत्ति वृद्धि नियम (Law of Increasing Returns) के अनुसार हो रहा हो। वस्तुओं का बाजार जितना ही अधिक विस्तृत होता है, विभिन्न दशों को निरपेक्ष लाभ (Absolute Advantage) तथा तुलनात्मक लाभ (Comparative Advantage) भी उतने ही अधिक प्राप्त होते हैं।

(5) उत्पादन की विधि में सुधार—स्वतन्त्र व्यापार में प्रतिस्पर्धा होती है। इसके कारण एक देश के उत्पादक विदेशी उत्पादकों की स्पर्धा के भय से अपनी उत्पत्ति के तरीकों में समय-समय पर सुधार करते रहते हैं।

(6) एकाधिकारी सघों के निर्माण पर रोक—स्वतन्त्र व्यापार का आधार व्यापारियों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा है। इस प्रतिस्पर्धा एवं प्रतियोगिता के कारण एकाधिकारी सघों के निर्माण में रुकावट उत्पन्न होता है जिससे वस्तुओं के मूल्य बहुत ऊँचे नहीं होने पाते।

(7) राष्ट्रों में सद्भावना एवं सहयोग—स्वतन्त्र व्यापार में एक देश दूसरे देश पर निर्भर रहता है जिससे आपस में सद्भावना एवं सहयोग उत्पन्न हो जाता है।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री (Classical Economists) स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में उल्लिखित तर्कों को दिया करते थे। परन्तु आजकल आर्थिक राष्ट्रीयवाद तथा आयोजित अर्थ व्यवस्था के परिणामस्वरूप स्वतन्त्र व्यापार का इस नीति का केवल मैदान्तिक महत्त्व ही रह गया है और आज स्वतन्त्र व्यापार की नीति के स्थान पर सभी देशों ने संरक्षण की नीति को अपना लिया है।

संरक्षण के पक्ष में तर्क

(Arguments in Favour of Protection)

संरक्षण के पक्ष में इसके समयको द्वारा समय-समय पर बहुत सारे तर्क दिये गये हैं जिनमें निम्नांकित विभिन्न रूप से उल्लेखनीय हैं —

(1) शिशु उद्योग सम्बन्धी तर्क (Infant Industries Argument)—संरक्षण के पक्ष में सर्वाधिक प्रमुख तर्क शिशु उद्योग सम्बन्धी तर्क है। 1791 ई० में श्री एलेक्जेंडर हैमिल्टन ने इस तर्क को प्रस्तुत किया था। बाद में, जर्मनी के अर्थशास्त्री लिस्ट (List) तथा मुप्रसिद्ध अंगरेज अर्थशास्त्री मिल (Mill) ने भी इसका समर्थन किया। इसका सार यह है कि उद्योग-व-वो को विकास की प्रारम्भिक अवस्था में विदेशी उद्योगों से संरक्षण प्रदान करना अनिवार्य हो जाता है। विश्व के सभी देशों में आर्थिक विकास का स्तर एक समान नहीं रहता है। कुछ देश ऐसे भी होते हैं जिनमें आर्थिक विकास बहुत बाद में प्रारम्भ होता है। ऐसे देशों में कुछ विशेष प्रकार के उद्योग धंधों के विकास के लिए प्राकृतिक तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध रहती हैं। किन्तु इन सुविधाओं के बावजूद प्रारम्भिक स्थिति में इन उद्योग धंधों के लिए विकसित राष्ट्रों के उद्योगों की प्रतियोगिता करना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में देश के आर्थिक विकास के लिए शिशु उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना आवश्यक होता है। प्रो० टॉसिंग (Taussing) ने इस सम्बन्ध में ठीक ही कहा है 'प्रारम्भ में स्वदेशी उत्पादक कुछ कठिनाइयों के कारण विदेशी उत्पादकों की बराबरी नहीं कर पाते हैं किन्तु बाद में जब वे वस्तु के उत्पादन की रीतियों से पूर्ण रूपेण अवगत हो जाते हैं, तब सम्भव है कि वे अपनी वस्तुएँ विदेशियों से भी सस्ती बनाकर बाजार में बेचने में सफल हो जायें।' (At the outset, the domestic producer has difficulties and cannot meet foreign competition. In the end, he learns how to produce to the best advantages and then can bring the article to market as

cheaply as the foreigners, or even more cheaply) अतएव औद्योगिक विकास की प्रारम्भिक स्थिति में उद्योग धन्धों को मरक्षण देना अनिवार्य हो जाता है। बाद में, जब ये उद्योग विकसित हो जाते हैं तो ये मरक्षण के बगैर भी विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकते हैं। इन प्रकार मरक्षण की सिग्नल उद्योग-सम्बन्धी युक्ति का मार निम्न बटावत न निश्चित है, "सिग्नल का पालन करो, बालक को रखा करो और युवक को स्वतन्त्र छोड़ दो।" (Nurse the baby, protect the child and free the adult) दूसरे शब्दों में, सिग्नल उद्योग को उस समय तक मरक्षण देना चाहिए जब तक कि वह पैरों पर खड़ा न हो जाय।

किन्तु सिग्नल उद्योग सम्बन्धी युक्ति की आलोचना भी की जाती है। उसके विरुद्ध बहूत-सी बातें कही जाती हैं। सर्वप्रथम तो किना नये उद्योग को प्रदान किये गये मरक्षण में शायी होने की प्रवृत्ति पायी जाती है जैसा कि प्रो० टॉलिन ने कहा है, "साधारणतः एक बार मरक्षण मिल जाने पर मनुष्य अपने निजी स्वार्थ में अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से मरक्षण हटाने के लिए तैयार नहीं होते हैं।" (Protection given in most cases creates vested interest which are averse to the removal of protection) अतएव एक बार मरक्षण मिल जाने पर उद्योग को स्वार्थ आ धेरता है जिससे मरक्षण को हटाना अत्यन्त-ना हो जाता है। इस तर्क के विरुद्ध दूसरी बात यह कही जाती है कि एक बार इन आवार पर मरक्षण दे देने से सभी प्रकार के उद्योग मरक्षण की माग करने लाते हैं। इनसे देश में भ्रष्टाचार एवं पक्षपात की भावना को अनुचित प्रोत्साहन मिलने लाता है। तीसरी बात यह है कि इनसे उपभोक्ताओं की हानि होती है क्योंकि मरक्षण की बगैर में इन्हें वस्तुओं के लिए अधिक मूल्य देना पड़ता है। किन्तु, इससे यद्यपि प्रारम्भ में देशवासियों को हानि होती है, फिर भी एकबार देश का औद्योगिक विकास हो जाने में सम्पूर्ण समाज को लाभ ही होता है। सिग्नल-उद्योग-सम्बन्धी तर्कों के विरुद्ध अन्तिम आलोचना यह दी जाती है कि कभी-कभी यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि कौन-सा उद्योग सिग्नल उद्योग है और कौन सा सिग्नल-उद्योग नहीं है।

किन्तु सिग्नल उद्योग-सम्बन्धी तर्कों के विरुद्ध दी जान-वाली उक्त आलोचनाओं के बावजूद विश्व के बहूत से देशों, जैसे—अमेरिका, जर्मनी इत्यादि ने इनो तर्कों के आवार पर अपना औद्योगिक विकास किया है।

(१) उद्योगों की विभिन्नता सम्बन्धी तर्क (Diversification to Industries Argument)—उद्योगों की विभिन्नता-सम्बन्धी तर्क जर्मनी के सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट (Frederich List) द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लिस्ट के अनुसार किसी देश के मनुष्य-सहित आर्थिक विकास के लिए उस देश में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का रहना आवश्यक है। कुछ थोड़े से उद्योग पर आश्रित रहना आर्थिक एवं राजनीतिक दोनों दृष्टिकोण से हानिकारक होता है। राजनीतिक दृष्टि से तो इनका अर्थ यह है कि ऐसे देश को अधिकांश वस्तुओं के लिए विदेशी व्यापार पर आश्रित रहना पड़ता है जो युद्ध आदि के समय समाप्त हो सकता है। आर्थिक दृष्टि कोण से यह हानिकारक इसलिए है कि ऐसे उद्योगों में जिनमें उस देश ने विशिष्टता प्राप्त की है, अवनत की स्थिति आ जाने पर देश का आर्थिक जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। अतएव आर्थिक अर्थशास्त्रियों की राय में प्रत्येक देश को अपनी आवश्यकतानुसार सभी वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए। देश में विभिन्न प्रकार के उद्योगों के विकास से वहाँ की आर्थिक व्यवस्था अधिक मजबूत होती है जिससे युद्ध छपवा अन्य आर्थिक मकद के समय वह भग नहीं होने पाती।

किन्तु इस युक्ति से तुलनात्मक लागत का मिट्टात बिल्कुल ममाप्त हो जाता है वय वि-
 श्मके अनुसार बोर्ड देश उन वस्तुओं का भी उत्पादन करता है जिनके उत्पादन में उसे अपेक्षाकृत
 लाभ कम हो या कुछ भी नहीं हो।

(3) सुरक्षा-सम्बन्धी तर्क (Defence Argument,—प्रत्येक देश की सुरक्षा अ-
 स्वतन्त्रता की बनाये रखना वहाँ की सरकार का परम कर्तव्य होता है। अंग्रेजों
 आदम स्मिथ (Adam Smith) के अनुसार "सुरक्षा सदैव अमीरी से अधिक महत्त्वपूर्ण होता
 है।" (Defence is better than opulence.) साधारणतया यह कहा जाता है कि कोई देश
 आर्थिक दृष्टि में समृद्धिशीली भूँ हो न हो किन्तु सैनिक दृष्टि से उसे बहुत अधिक शक्ति अ-
 होना अनिवार्य है। इटली ने जर्मनी में यह नारा बुलन्द किया था कि "द्वन्द्वों में मक्खन से चूड़ी
 होती है।" (Guns are better than butter) अतएव देश की सैनिक शक्ति को सुदृढ़ बनाये
 रखने के लिए सुरक्षा-सम्बन्धी उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना अति अनिवार्य है।

इस प्रकार सुरक्षा-सम्बन्धी तर्क के अनुसार देश की सैनिक शक्ति को सुदृढ़ बनाये रखने के
 लिए कम-से-कम सुरक्षा-सम्बन्धी उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना चाहिए।

(4) प्राकृतिक साधनों के उचित उपयोग सम्बन्धी तर्क (Proper utilization of
 the Natural Resources Argument)—स्वतन्त्र व्यापार के परिणामस्वरूप देश के प्राकृतिक
 साधनों का उचित तरीके से उपयोग नहीं होता है, क्योंकि जब एक देश किसी एक वस्तु के उत्पा-
 दन में विशिष्टता प्राप्त कर लेता है तो उस वस्तु के उत्पादन से सम्बन्धित प्राकृतिक साधनों का
 अल्पधिक मात्रा में उपयोग होता है जिनमें कभी कभी इनके समाप्त होने की सम्भावना हो जाती
 है। उदाहरण के लिए, भारत से गैंगनीज एवं ब्रॉक का बहुत अधिक मात्रा में निर्यात किया
 जाता है। जेवन्स (Jevons) ने इसी तर्क के आधार पर इंग्लैंड के कोयले के निर्यात पर प्रतिबन्ध
 लगाने का सुझाव प्रस्तुत किया था। करे (Carey) एवं पैटन (Patten) के अनुसार स्वतन्त्र
 व्यापार के परिणामस्वरूप अमेरिका की फवलो का निर्यात हो गया। इस प्रकार इस तर्क में बहुत
 अधिक जोर है। देश के प्राकृतिक साधनों का उचित तरीके से उपयोग नहीं होने से इनका भंडार
 समाप्त होने लगता है। अतएव देश के प्राकृतिक साधनों को बचाने के लिए भी संरक्षण की
 आवश्यकता पड़ती है।

(5) प्रमुख अथवा आधारभूत उद्योग सम्बन्धी तर्क (Key Industry Argument)—
 किसी देश की औद्योगिक स्थिति को अधिक सुदृढ़ एवं स्थायी बनाने के लिए प्रमुख एवं आधारभूत
 उद्योगों (Key and basic industries) जैसे—जोहरा, इस्पात, बिजली आदि की स्थापना अनि-
 वार्य है। ये देश के औद्योगिक ढाँचे के आधार हैं। अतएव यदि किसी देश के पास इन उद्योगों
 के लिए कुछ सुविधा न हो तो भी इन उद्योगों का विकास आवश्यक हो जाता है। संरक्षण की
 मांग इस तर्क के आधार पर भी की जाती है।

(6) सरकारी खर्च सम्बन्धी तर्क (The Revenue Argument)—संरक्षणार्थक
 करों का प्रदान उद्देश्य साधारणतया आय प्राप्त करना नहीं होकर देश में प्राकृतिक साधनों को
 देश के अधिकतम लाभ के लिए प्रयोग करना माना जाता है। किन्तु संरक्षणार्थक करों से सरकार
 को आय भी होती है। वास्तव में, वर्तमान सरकारी की आय का एक बहुत बड़ा भाग अयात एवं
 निर्यात करों से ही प्राप्त होता है। किन्तु संरक्षण की नीति तथा संरक्षण द्वारा आय प्राप्त करना
 दोनों ही दो विरोधी तत्त्व हैं, क्योंकि जिन देशों में पूर्ण संरक्षण रहता है वहाँ आयात कर से प्रायः
 कोई आय नहीं प्राप्त होती। फिर भी, संरक्षण के पक्ष में कभी-कभी इस प्रकार का तर्क प्रस्तुत
 किया जाता है।

(7) स्वदेशी बाजार-सम्बन्धी तर्क (Home Market Argument) —सरक्षण द्वारा मरकार विदेशी वस्तुओं के आयात को बन्द या मँहंगा कर सकती है जिससे स्वदेश के बाजार में केवल गृह-उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की ही बिक्री होन लगती है। परिणामस्वरूप स्वदेशी उद्योगों में रोजगार बढ़ता है। और, देश में रोजगार बढ़ने से स्वदेशी उद्योगों की वस्तुओं की ओर भी अधिक बिक्री होती है। अतः देश में बनी वस्तुओं का बाजार देश में ही उत्पन्न करने के लिए सरकार की नीति का मर्मन किया जाता है। परन्तु इस तर्क की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि देश का आयात कम कर देने से देश का निर्यात भी कम हो जाता है। (The fall in imports is followed by a fall in exports)

(8) मजदूरी सम्बन्धी तर्क (Wage Arguments) —एक कम मजदूरी वाले देश में वस्तुओं का लागत-व्यय एक अधिक मजदूरी वाले देश की अपेक्षा कम होता है जिससे कम मजदूरी वाला देश दूसरे देश में वहाँ के व्यापारियों की तुलना में अधिक माल बेचने में सफल होता है। इसका कभी-कभी यह भी परिणाम होता है कि अधिक मजदूरी वाले देश में उद्योग धन्ये शन-शन बन्द होने लगते हैं जिससे देश में बेरोजगारी फलने लगती है। अतएव ऊँची मजदूरी वाला देश अपने देश में मजदूरी का ऊँचा स्तर तब ही कायम रख सकता है जब कि वह उन उद्योगों को जिनमें मजदूरी अधिक है सरकार प्रदान करे। (A wage-level higher than that of other countries can be maintained only behind a tariff wall) इस सरकार के पक्ष में मजदूरी-सम्बन्धी तर्क कहते हैं। अमेरिका ने जापान से आनेवाले कपड़े के आयात पर इसी कारण आयात-कर लगाया था ताकि जापानी प्रतिस्पर्धा के कारण अमेरिका का वस्त्र उद्योग नष्ट नहीं होने पाए। परन्तु, यह तर्क भी सदैव लागू नहीं होता। कभी-कभी कुछ उद्योगों में मजदूरी की कार्यक्षमता एवं उत्पादकता अधिक होने के कारण भी मजदूरी ऊँची होती है। उदाहरणार्थ, इंग्लैंड में जापान के कपड़े के कारखानों में काम करनेवाले श्रमिकों की तुलना में अधिक मजदूरी मिलती है, परन्तु इसका यह कारण नहीं है कि इंग्लैंड के कपड़ा उद्योगों में वास्तव में सरकार प्राप्त है। अतः सरकार के पक्ष में मजदूरी का तर्क दोषपूर्ण व भ्रामक है।

(9) देश के द्रव्य को देश में ही रखने का तर्क (To keep money at home Argument)—यह तर्क सबसे प्रथम अब्राहम लिंकन (Abraham Lincoln) ने प्रस्तुत किया था। इस तर्क का आधार यह विचार है कि जब हम विदेशों से माल भेजाते हैं तब इनके भुगतान में हमारा द्रव्य विदेशों को चला जाता है, परन्तु यदि देश में सरकार की नीति अपना ली जाय और विदेशों से माल नहीं आने दिया जाय, तब देश में देशी उद्योगों की निर्मित वस्तुओं की ही खपत होगी जिससे देश का द्रव्य देश के अन्दर ही रह जायगा और देश को कोई हानि नहीं होगी। परन्तु आजकल इस तर्क की भी बहुत-सारी आलोचनाएँ दी गयी हैं। आलोचकों का यह विचार है कि जब हम विदेशों से सस्ती वस्तुएँ प्राप्त करते हैं तब हम थोड़ा-सा ही द्रव्य देकर अधिक मत्तय प्राप्त कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त यह तर्क इस बात को भूल जाता है कि यदि हम वस्तुओं का आयात नहीं करेंगे, तब हमारी वस्तुओं का निर्यात भी घट जायगा। अन्ततः, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में द्रव्य के खोने या प्राप्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि अन्ततोगत्वा वस्तुओं के आयातों और निर्यातों का सन्तुलन अवश्य ही होता है।

(10) लागतों में समानता का तर्क (Equalisation of costs Argument) — इस तर्क के अनुसार स्वदेश की बनी मँहंगी वस्तुओं और विदेश में बनी सस्ती वस्तुओं की लागत को आयात कर द्वारा समान कर देना चाहिए ताकि देशी उद्योगों को विदेशी उद्योगों की तुलना

में प्रोत्साहन मिल सके और ये अपनी वस्तुओं को सुगमतापूर्वक बेच सके। अतः स्वदेशी और विदेशी उद्योगों को अपनी वस्तुओं के विक्रय के लिए समान अवसर देने के लिए यह तर्क दिया गया है कि आयात-कर द्वारा देशी एवं विदेशी वस्तुओं की लागतों में समानता लायी जानी चाहिए। परन्तु यह तर्क भी बहुत ही दोषपूर्ण है। इस तर्क का अर्थ यह हुआ कि जो उद्योग जितना ही अधिक दुर्बल एवं अकुशल है, उसको उतना ही अधिक संरक्षण देना पड़ेगा क्योंकि तब ही तुलनात्मक लागत का लाभ बराबर किया जा सकता है। हैबरलर (Haberler) के अनुसार "जब हम संरक्षण द्वारा तुलनात्मक लागत (Comparative costs) के लाभ को ही बराबर कर देंगे, तब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार समाप्त हो जायगा क्योंकि तुलनात्मक लागत के मिट्टात से यह स्पष्ट है कि विदेशी व्यापार तब ही उत्पन्न होता है जबकि दो देशों की वस्तुओं की लागतों में तुलनात्मक अन्तर रहता है।" (It is clear that the complete logical application of this postulate would destroy all international trade since this arises only because of differences in costs.)

(11) रोजगार-सम्बन्धी तर्क (Employment Argument).—इस तर्क का अर्थप्राय यह है कि देश में संरक्षण की नीति द्वारा रोजगार के नये-नये साधन स्थापित किये जा सकते हैं और यदि संरक्षण की नीति नहीं अपनायी जाती है तब [कभी-कभी पुराने व्यवसाय एवं रोजगार के साधन तक भी समाप्त हो जाने हैं। अतः देश में बेकारी की समस्या को दूर या कम करने के लिए भी संरक्षण की नीति का समर्थन किया जाता है। परन्तु आलोचकों ने इस तर्क को भी बहुत ही दोषपूर्ण बतलाया है। आलोचकों का कहना है कि संरक्षण द्वारा यह नमब है कि मरझित उद्योगों में वृद्धि हो जाय, परन्तु इस प्रकार की उन्नति अन्य उद्योगों को हानि भी पहुंचा सकती है। इसका कारण स्पष्ट है। जब देश में आयात कम हो जायगा, तब शर्न शर्न देश से निर्यात भी कम हो जायगा जिससे निर्यात-उद्योगों में बेकारी फैल जायगी। इस प्रकार संरक्षण की नीति को अपनाने में श्रमिक केवल निर्यात-उद्योगों से हटकर संरक्षित उद्योगों में कार्य करने लगते हैं। अतः संरक्षण की नीति अपना लेने पर भी देश में कुशल रोजगार या रोजगार के साधनों में कोई वृद्धि नहीं होती। संरक्षण द्वारा देश में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए केन्स (Keynes) ने दो सुझाव दिये हैं—(क) सरकार संरक्षण द्वारा रोजगार में वृद्धि तब ही कर सकती है जबकि यह संरक्षण की नीति के साथ-ही-साथ विदेशियों को इस देश से वस्तुओं को खरीदने के लिए ऋण दे। जब विदेशी ऋण से निर्यात उद्योग की वस्तुएँ खरीदेंगे तब निर्यात उद्योगों में बेरोजगारी नहीं फैलेगी और अन्ततः देश में कुल रोजगार में वृद्धि हो जायगी। अतः केन्स (Keynes) ने देश में बेरोजगारी दूर करने के लिए संरक्षण के साथ-ही-साथ विदेशियों को ऋण देने का सुझाव भी रखा है। (ख) केन्स ने यह भी कहा है कि संरक्षण करों से प्राप्त आय को निर्यात उद्योगों को आर्थिक सहायता देने में लगाना चाहिए ताकि ये उद्योग अपनी वस्तुओं को विदेशों में सस्ते मूल्य पर बेच सकें। इस तरह इन दोनों सुझावों की कार्यान्वित करने पर एक तरफ तो संरक्षण द्वारा कुछ नये-नये उद्योगों में रोजगार बढ़ेगा और दूसरी ओर विदेशों को ऋण और निर्यात-उद्योगों को आर्थिक सहायता देने पर निर्यात उद्योगों में रोजगार बढ़ेगा। परिणामतः देश में कुल रोजगार में वृद्धि हो जायगी। परन्तु आलोचकों ने केन्स के इन दोनों सुझावों की कड़ी आलोचना की है क्योंकि ये दोनों ही सुझाव व्यावहारिक नहीं हैं। प्रथम सुझाव तो इसलिए दोषपूर्ण है कि कोई देश विदेशियों को जब तक और कहाँ तक ऋण दे सकता है? फिर जब तक हम विदेशियों की वस्तुएँ अपने देश में आकर बिकने नहीं देंगे, तब तक इस ऋण की अदायगी

कम होगी ? दूसरे मुझाब के विपक्ष में यह कहा जाता है कि जब कोई देश निर्यात उद्योगों को आर्थिक सहायता देकर विदेशों में अपनी वस्तुएँ गन्ती दर पर बेचेगा तब इस प्रकार की मस्तो वस्तुओं के कुप्रभाव से बचने के लिए विदेशों भी अपने यहाँ प्रतिप्रियासरूप निर्यात उद्योगों को आर्थिक सहायता देना आरम्भ कर देंगे। अब आर्थिक सहायता (Bounties and Subsidies) की नाति द्वारा निर्यात कायम रखना कठिन हो जाता है। अनएव सरक्षण से बेरोजगारी की समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता। (One thing that protection can never do is to cure unemployment) इग यह स्पष्ट है कि देश में रोजगार में वृद्धि करने के लिए संरक्षण की नीति के तर्कों में बहुत बल नहीं है।

(12) राशिपातन सम्बन्धी तर्क (Dumping Argument) —राशिपातन का आशय विदेशियों को उस कार्यवाही से है जिससे वे अपनी वस्तुओं को विदेशों में उनकी लागत से भी कम मूल्य पर या स्वदेश की अपेक्षा बहुत कम मूल्य पर बेचते हैं। इस प्रकार की अनुचित प्रति योगिता से रक्षा के लिए संरक्षण आवश्यक हो जाता है। संरक्षण के पक्ष में यह भी एक प्रमुख तर्क है।

(13) आत्मनिर्भरता सम्बन्धी तर्क (Self sufficiency Argument) —प्रत्येक देश को अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, यानी अपने प्रयोग में आनेवाली विभिन्न वस्तुओं के लिए हमारे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसलिए भी संरक्षण आवश्यक है। हमारे देशों पर निर्भरता युद्ध के दिनों में विशेष रूप से हानिकारक सिद्ध होती है और आजकल तो जबकि सदा क्षितिज पर युद्ध के बादल मँडरा रहे हैं, इस दलील का विशेष महत्त्व हो जाता है।

(14) राष्ट्रीय भावना की जागृति सम्बन्धी तर्क —इस तर्क के अनुसार संरक्षण की नीति को अपनाते से देश में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती है। इस भावना से लोग यथा-सम्भन देशी वस्तुओं का ही उपयोग करते हैं। इससे देशी उद्योग घ-घों को और अधिक प्रोत्साहन मिलता है।

संरक्षण के विरुद्ध तर्क

(Arguments against Protection)

इस प्रकार संरक्षण के पक्ष में उपरोक्त सारी दलीलें पेश की जाती हैं। किन्तु अब हम संरक्षण का दूसरा पहलू देखेंगे। संरक्षण के विरुद्ध साधारणतया निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं —

(1) संरक्षण में स्थायी होने की प्रवृत्ति —संरक्षण से उद्योगों में स्थायिता आ जाता है। एक बार जब किसी उद्योग को संरक्षण मिल जाता है तो उसे वापस लेना बहुत ही कठिन हो जाता है। शिशु नाम के ये उद्योग संरक्षण के हटते ही शीघ्र मरने लगते हैं।

(2) उद्योगों की कार्य कुशलता में कमी —संरक्षण से उद्योगों में एक प्रकार का आलस उ-उन्न हो जाता है। विदेशी प्रतियोगिता को समाप्त हो जाने से देशी उपक्रमी सापरवाह हो जाते हैं तथा वे किसी प्रकार की उन्नति नहा करते। दूसरे शब्दों में, संरक्षण से देशी उद्योगों की कार्य कुशलता में कमी आ जाती है।

(3) एकाधिकार की प्रोत्साहन —संरक्षण से एकाधिकार का निर्माण होता है। विदेशी प्रतियोगिता समाप्त हो जाने से देशी उपक्रमी एकाधिकार का लाभ उठाना प्रारम्भ कर देते हैं। इस प्रकार संरक्षण से एकाधिकार की प्रोत्साहन मिलता है। (Tariff is the mother of trusts)

(4) राजनीतिक छप्टाचार.—संरक्षण से राजनीति के क्षेत्र में छप्टाचार फैलता है। उद्योगपति विधान सभा के सदस्यो अथवा संरक्षण आयोग के सदस्यो को घूम दे देकर संरक्षण नहीं घटने देते। अमेरिका में किसी समय इसका बड़ा जोर था।

(5) अरक्षित उद्योगो तथा उपभोक्ताओं की हानि—संरक्षण से अरक्षित उद्योगो एवं उपभोक्ता की हानि उठानी पडती है, क्योंकि आयात करो के कारण मूल्य अत्यधिक बढ़ जाते हैं।

(6) राष्ट्रीय आय के वितरण की विषमता में वृद्धि—संरक्षण से धन का वितरण असमान हो जाता है। संरक्षण पूंजीपतियो का पक्ष करता है और इससे वे अधिक अमीर हो जाते हैं। इन प्रकार धनी एवं गरीब की खाई निरन्तर बढ़ती जाती है।

(7) राष्ट्रों में आपसो मत मुटाव—संरक्षण से राष्ट्रों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में एक प्रकार का तनाव आ जाता है। इस प्रकार यह युद्ध का बीज बोता है।

(8) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण के मार्ग में कठिनाइयाँ—संरक्षण के विरुद्ध सबसे प्रमुख तर्क यह है कि इससे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन में कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं जिसमें श्रम, पूंजी अथवा उत्पादन के दूसरे माधन स्वाधिक पुरस्कार वाले उद्योगों में नहीं जा सकते। इन माधनों का वितरण संरक्षण के परिणामस्वरूप अस्वाभाविक तरीके से होता है। फलस्वरूप वस्तुओं के उत्पादन में ये अपना पूरा सहयोग नहीं दे पाते जिससे उत्पादन में घमी होने से जीवन स्तर निम्न होने लगता है और इस प्रकार आर्थिक समृद्धि रुक जाती है।

किन्तु इन तर्कों के प्रत्युत्तर में यह कहा जाना है कि जब तक सांसारिक नागरिकता प्राप्त नहीं होती तब तक आर्थिक रूप में शक्तिवान देशों की प्रतियोगिता से अपने हितों की रक्षा के लिए विचढ़े हुए देशों को संरक्षण का सहारा लेना अनिवार्य होगा। इसलिए हम इन निष्कर्षों पर पहुँचते हैं कि इस सिद्धांत के रूप में स्वतन्त्र व्यापार आदर्श भले ही हो, किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से कभी कभी संरक्षण आवश्यक होता है, विशेषतः भारत-जैसे उन अर्द्ध-विकसित देशों में जिनका आर्थिक विकास नहीं हो सका है।

संरक्षण प्रदान करने के तरीके

(Methods of Protection)

संरक्षण की नीति कई प्रकार से अपनायी जा सकती है, किन्तु साधारणतः संरक्षण प्रदान करने के दो ही तरीके हैं—(1) विदेशी वस्तुओं के आयात पर कर लगाकर, तथा (2) स्वदेशी उद्योगों को आर्थिक सहायता अथवा अनुदान (Subsidies and bounties) प्रदान कर। विदेशी वस्तुओं के आयात पर कर लगाकर संरक्षण प्रदान करने की नीति पुरानी एवं सर्वाधिक प्रचलित रीति है। आयात-कर संरक्षण तथा आय दोनों उद्देश्यों से लगाये जाते हैं। आयात-करो का लाभ यह है कि इतने उद्योग धन्धों के संरक्षण के साथ-साथ सरकार को आय भी होती है। जब इन्हे संरक्षण के उद्देश्य में लगाया जाता है तो इन्हे संरक्षणार्थक-कर (Protective Duty) कहते हैं और जब आय की दृष्टि से लगाया जाता है तो आय कर (Revenue Duty) कहते हैं। आयात-निर्माण कर कई प्रकार के होते हैं—जब ये नाप, तोल अथवा सख्या के अनुसार लगाये जाते हैं तब इन्हे परिमाणार्थक कर (Specific duties) कहते हैं और जब इन्हे वस्तुओं के मूल्यानुसार लगाया जाता है तो इन्हे मूल्य पर कर (Advalorem duties) कहते हैं।

स्वदेशी उद्योगों की आर्थिक सहायता तथा अनुदान (Subsidies and bounties) प्रदान कर भी उद्योग धन्धों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। किन्तु संरक्षण की इसी रीति की एक

निश्चित सीमा होती है जिसके बाद इस तरीके से संरक्षण प्रदान करना बहुत खर्चीला हो जाता है। अतएव संरक्षण प्रदान करने की पहली रीति ही अधिक प्रचलित है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों की सरकारें कितनी ही रीतियाँ अपनाकर विदेशी व्यापार में बाधाएँ उत्पन्न करती हैं जिनका प्रभाव स्वदेशी उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने की ही तरह होता है।

विदेशी व्यापार के क्षेत्र में इस प्रकार की बाधाएँ साधारणतः निम्न प्रकार की होती हैं :—

(क) वैधानिक निषेध (Legal Prohibitions) :—कभी-कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकार कुछ वस्तुओं के आयात अथवा निर्यात पर कानून द्वारा प्रतिबन्ध लगाकर विदेशी व्यापार में बाधा डालती है। इस प्रकार का वैधानिक निषेध कई कारणों से लगाया जाता है, जैसे—रुमानिया अपने तेल का निर्यात इसी शर्त पर होने देता था जबकि उसे रुमानिया में ही साफ किया जाय।

(ख) विनिमय-विपन्नता (Exchange control) :—आजकल प्रत्येक देश में विनिमय-नियन्त्रण की नीति भी सरकार द्वारा अपनायी गयी है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यापारी सरकार से ही विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय करता है। ऐसी स्थिति में सरकार एक निश्चित राशन के अनुसार ही व्यापारियों को विदेशों से क्रय का अधिकार देती है। कभी-कभी विदेशी विनिमय बिलबुल ही बन्द कर दिया जाता है। इससे भी विदेशी व्यापार के क्षेत्र में बाधा उत्पन्न होती है।

(ग) लाइसेंस-प्रणाली :—कभी-कभी सरकार वस्तुओं के आयात एवं निर्यात का अधिकार केवल लाइसेंस-प्राप्त व्यक्तियों को ही देती है। इससे देश में विदेशी वस्तुओं की पूर्ति नियन्त्रित होती है। इससे भी विदेशी व्यापार नियन्त्रित होता है।

इस प्रकार उक्त तरीकों को अपनाकर सरकार स्वदेशी उद्योग-वृत्तियों को संरक्षण प्रदान करती है। इनमें संरक्षण प्रदान करने की कौन-सी रीति सबसे अच्छी है, यह कहना कठिन है। वास्तव में, प्रत्येक प्रणाली के अपने-अपने गुण एवं अपने-अपने दोष हैं। अतएव परिस्थितियों के अनुसार सरकार के लिए जो प्रणाली अच्छी होती है, उसी का प्रयोग किया जाता है।

विशेष अध्ययन-सूची

1. Ellsworth The International Economy, Chapters 4, 5 & 11 to 13.
2. Haberler : The Theory of International Trade, Chapters 14 to 17.
3. Viner : Studies in the Theory of International Trade, Chapters 8 & 9.

'The Rupee lost its value abroad because it had already lost its value at home'

*** भारतीय चलन एवं बैंकिंग-सम्बन्धी कुछ स्मरणीय उद्धरण ***

1. "The domestic disequilibrium, which is the fundamental cause of the external disequilibrium, would still persist and unless this domestic disequilibrium is corrected, the external value of the rupee may not be established even at the new and lower rate"
2. "Devaluation which is a consequence of inflation, may also cause further inflation by generating new rupee incomes in the economy unmatched by increase in goods and services"

अध्याय : 43

भारतीय चलन का इतिहास

(History of the Indian Currency)

प्रारम्भिक इतिहास—भारत में अति प्राचीन काल से ही मुद्रा का प्रयोग होता आया है। प्राचीन ग्रन्थों से इस बात का पता चलता है कि भारत में धातु के बने हुए सिक्कों का उपयोग बहुत प्राचीनकाल से ही होता आ रहा है। हिन्दू काल में यहाँ सोने तथा चाँदी के सिक्कों का प्रचलन था। मुगल शासकों ने भी प्राचीन पद्धति को ही अपनाया। अकबर के शासन-काल में मोने की मुहरें एवं चाँदी के रुपये दोनों का ही प्रचलन था जिनका वजन 175 ग्रेन ट्राय था। दक्षिणी भारत में मुगल शासन स्थापित न होने के कारण वहाँ एक पृथक् सिक्का 'पेगोडा' प्रचलित था। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद देश कई छोटी-छोटी इकाइयों में विभाजित हो गया जिनमें से अधिकांश ने अपनी अलग-अलग मुद्राएँ जारी कीं। आंतरिक एवं विदेशी व्यापार में उम समय चाँदी का रूप ही मूल्य मापन का कार्य करता था, किन्तु चाँदी के रुपये का वजन एवं शुद्धता विभिन्न राज्यों के सिक्कों में भिन्न भिन्न होती थी।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के भारत आगमन के समय देश में विभिन्न परिष्कार एवं परिमाण के कुल 994 से भी अधिक सोने एवं चाँदी के सिक्के चल रहे थे। इससे कम्पनी को अपनी आय जमा करने तथा व्यापार के मचालन में बहुत अधिक कठिनाई उठानी पड़ती थी। मुद्रा-सम्बन्धी इन अशुभवस्था को दूर करने के लिए कम्पनी ने अपनी मुहर के साथ सोने एवं चाँदी के सिक्के साथ-साथ जारी किये। इन सिक्कों के वैधानिक अनुपात, वजन एवं विमुद्रता आदि निश्चित थे। इसी बीच सोने का बाजार-मूल्य बढ़ जाने से सोने के सिक्के का बाजार में सुप्त होने लगे। अतः कम्पनी ने द्विवाचिक मान की जगह एक धातुमान अपनाने का निश्चय किया। 1818 ई० में मद्रास प्रेसीडेंसी में कम्पनी ने सोने के सिक्के की जगह पर चाँदी का प्रामाणिक सिक्का, जिनका वजन 180 ग्रेन था तथा जिसमें $\frac{1}{16}$ भाग शुद्ध चाँदी थी, जारी किया। यद्यपि सोने के सिक्के का टकन बन्द कर दिया गया, फिर भी, इसे अवैध घोषित नहीं किया गया था। आगे चलकर 1823 ई० में बम्बई में भी कम्पनी ने इसी प्रकार के चाँदी का रूप जारी किया और अन्त में 1835 ई० में एक अधिनियम के द्वारा कम्पनी ने अपने सभी प्रदेशों के लिए एक मात्र चाँदी के प्रामाणिक सिक्के जारी कर दिये जिसकी तोल एवं विमुद्रता सर्वत्र एक समान थी।

1835 ई० का भारतीय टकन अधिनियम एवं रजत-मान (The Indian Coinage Act of 1835 and the Silver Standard) —कम्पनी ने 1835 ई० के टकन अधिनियम (Coinage Act) के अनुसार सम्पूर्ण देश में रजत-मान (Silver Standard) की स्थापना की। इस अधिनियम के अनुसार चाँदी के रुपये का वजन 180 ग्रेन था। इसका $\frac{1}{16}$ भाग शुद्ध चाँदी का होता था। इस अधिनियम के अनुसार सम्पूर्ण देश के लिए कम्पनी ने एक धातुमान की पद्धति अपनायी, किन्तु सोने के सिक्कों को बिलकुल समाप्त नहीं किया गया। इसके अनुसार जनता की मांग के अनुरूप सोने की मुहरें एवं पाँच रुपये, दस रुपये तथा तीस रुपये के मूल्य के सोने के सिक्कों के टकन एवं प्रचलन का भी अधिकार मिला। साथ ही, 1841 ई० में एक घोषणा-पत्र द्वारा जनता की बेनबारी के भुगतान के लिए सरकारी खजानों को 15 : 1 की दर से स्वर्ण मुहरें लेने का अधिकार दिया गया। 1848 ई० के बाद आस्ट्रेलिया एवं कैनीफोनिया में सोने की खानों के पता लगाने के फलस्वरूप विश्व में सोने का उत्पादन बढ़ने लगा जिससे चाँदी के अनुपात में उसका मूल्य घट गया। अतः जनता ने सरकार को स्वर्ण-मुहरों में धर आदि देना प्रारम्भ कर दिया। उससे सरकार को कठिनाई बहुत बढ़ गयी जिसके फलस्वरूप लाटें डचहौजी ने 1841 ई० के घोषणा-पत्र को रद्द कर दिया। साथ ही, सोने का पूर्णरूप से विमुद्रीकरण कर लिया गया। इसी बीच 1850

ई० में चाँदी का उत्पादन घट जाने से यह धातु अधिक मूल्यवान हो गयी जिससे लोगों ने रुपये को मला कर धातु में परिवर्तित करना प्रारम्भ कर दिया। इन कारणों से देश में मुद्रा का अभाव हो गया जिससे व्यापार में कठिनाई होने लगी। देश में उस समय वैकिंग एव साम् व्यवस्था के अभाव ने इन कठिनाइयों को और भी बढ़ा दिया। इससे देश के अनेक भागों में सोने के टुकड़े का मुद्रा के रूप में व्यवहार किया जाने लगा। अतः 1864 ई० में भारत सरकार ने एव अधि-मूचना जारी की जिसके अनुसार पाँच एव आधे पाँच को क्रमशः दस तथा पाँच रुपये की दर से स्वीकार किया जाने लगा। सरकार भी इन्हे भुगतान में स्वीकार करने लगी।

मेन्सफील्ड आयोग — लेकिन, इन प्रयत्नों से भी कठिनाइयाँ दूर नहीं हुईं। इसी बीच देश में स्वर्ण मुद्रा मान अपनाने पर जोर दिया जाने लगा। अतः इस समस्या पर विचार करने के लिए सरकार ने 1866 ई० में मेन्सफील्ड आयोग की नियुक्ति की जिसने इन सम्बन्ध में निम्न-लिखित सुझाव दिये—(1) पाँच, दस एव पन्द्रह रुपये के सिक्के जारी किये जायें तथा (2) चलन में सोने, चाँदी एव कागजी तीनों प्रकार के सिक्के रखे जायें। सरकार ने मेन्सफील्ड आयोग की सिफारिशों को उस समय स्वीकार नहीं किया। साथ ही, 1868 ई० से सोने के मूल्य में वृद्धि के कारण पाँच एव आधा पाँच के मूल्य को बढ़ाकर क्रमशः 10 रुपये आठ आने तथा 5 रुपये 4 आने कर दिया गया।

रजत मान का पतन (Break-down of the Silver Standard) — 1871 ई० के बाद रजत मान की कार्य प्रणाली में बहुत-सी कठिनाइयाँ उपस्थित हो गयीं। चाँदी की नयी-नयी खानों की खोज के फलस्वरूप चाँदी की पूर्ति में बहुत वृद्धि हो रही थी जिससे चाँदी का मूल्य धीरे-धीरे कम होने लगा। 1873 ई० के पश्चात् अधिकांश यूरोपीय देशों ने (1876 ई० में जर्मनी तथा 1874 ई० में स्वीडन, नार्वे एव डेनमार्क आदि ने) चाँदी का विमूद्रोकरण (Demonetization) कर दिया। अधिकांश पश्चिमी देशों एवं अमेरिका ने स्वर्ण मान को ही अपनाया। इन सब कारणों से भारत में चाँदी का अयात बढ गया तथा इसके मूल्य में बहुत कमी आ गयी। चाँदी का मूल्य 1875 ई० में 58 पैसे प्रति औंस से घटकर 1879 ई० में 52 5 पैसे प्रति औंस, 1888 ई० में 43 पैसे प्रति औंस तथा 1899 ई० में 27 पैसे प्रति औंस हो गया। चाँदी के मूल्य में इस कमी के कारण रुपये एव पाँच की विनिमय दर 2 शिलिंग से घटकर 1892 ई० में 1 शिलिंग 2 पैसे हो गयी। इससे वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने लगी। सरकार की गृह व्यय (Home charges) चुकाने में अतिक्रम देना पड़ने लगा। चाँदी के मूल्य में निरन्तर कमी होने के कारण विनिमय दर स्थायी न रह सकी, जिसका अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इन सब कारणों से देश में स्वर्ण मान अपनाने की जोरदार मांग की जाने लगी।

हर्शल समिती 1892 (The Hershell Committee of 1892) — इस प्रकार रजत मान की कार्य प्रणाली में कठिनाइयाँ अनुभव होने लगीं। साथ ही, रुपये के विनिमय मूल्य में निरन्तर कमी के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति अच्छी नहीं थी। ऐसी स्थिति में भारतीय मुद्रा प्रणाली की जाँच तथा विनिमय की दर में कमी को रोकने के सम्बन्ध में सुझाव देने के उद्देश्य से सरकार ने लॉर्ड हर्शल की अध्यक्षता में 1892 ई० में एक समिति की नियुक्ति की। हर्शल समिती ने भारत के लिए एक पयुमान (Lumping Standard) को अपनाने की सिफारिश की जिसमें—(1) सोने एव चाँदी की स्वतन्त्र मुद्रा ढलाई बन्द कर देनी चाहिए (2) रुपया असीमित वैध गिनका रहे तथा (3) अन्तरिम काल में स्वर्ण के लाल अंशतः चलायें के रूप में प्रयुक्त हो जिसके पश्चात् स्वर्ण मान अपनाने के लिए एक निश्चित कदम उठाया जाय। समिती ने इस बात की भी सिफारिश की कि सोने की मुद्रा सरकारी खजानों में 1 शि० 4 पैसे की दर से स्वीकृत की जानी चाहिए तथा इसी विनिमय दर को स्थायी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया तथा चाँदी की स्वतन्त्र ढलाई बन्द कर दी गयी। इन सिफारिशों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए 1893 ई० में एक नया अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार 1870 ई० के टकन अधिनियम तथा 1882 ई० के पत्र मुद्रा अधिनियम में संशोधन किया गया। बम्बई तथा कलकत्ते के टकसालों को पत्र मुद्रा जारी करने का अधिकार दिया गया। रुपये की विनिमय-दर 1 शि० 4 पैसे निर्धारित की गयी। स्वर्ण मुद्रा के आंशिक उपयोग से अन्ततोगत्वा पूर्ण स्वर्ण-मान की स्थापना में सहायता की आशा की जाती थी।

फाउलर कमिटी, 1898 ई० (Fowler Committee, 1898)।—बीरे-घीरे रुपये की विनियम दर 1 शि० 4 पैं० के लगभग स्थिर हो रही थी। इसी बीच भारत सरकार ने पूर्ण स्वर्ण-मान की स्थापना के लिए भारतीय-मन्त्रि से मिफारिश की जिसके परिणामस्वरूप 1898 ई० में सर हेनरी फाउलर की अध्यक्षता में एक फाउलर कमिटी की नियुक्ति की गयी। फाउलर कमिटी ने स्थिति की जाँच के पश्चात् सरकार के सम्मुख अपना सुझाव रखा। ममिति की राय में भारत का अन्तिम उद्देश्य स्वर्ण-मुद्रा-मान (Gold Currency Standard) होना चाहिए जिससे देश में स्वतन्त्र रूप में स्वर्ण का अन्तर्प्रवाह तथा वहिर्प्रवाह हो सके। फाउलर कमिटी ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिये—(1) देश में सोवरेन तथा अर्द्ध-सोवरेन विधि-ग्राह्य सिक्के मान लिये जायें और स्वतन्त्र ढलाई हो, (2) रुपया असीमित विधि ग्राह्य-निष्कार रहे, किन्तु इसकी ढलाई न हो, (3) सरकार सोने के बदले रुपये दे, किन्तु रुपये के बदले सोना देने के लिए बाध्य न हो; (4) विनियम-दर को 1 शि० 4 पैं० पर स्थायी बनाया जाय, (5) रुपये की ढलाई से जो लाभ प्राप्त हो उसे एक 'स्वर्ण-मान-कोष' में जमा किया जाय, तथा (6) व्यापारिक संतुलन की प्रति-कूलता को सम्पाप्त करने के लिए सरकार सोना देने को तैयार हो।

सरकार ने फाउलर कमिटी की इन मिफारिशों को स्वीकार कर लिया तथा सितम्बर, 1899 ई० में ब्रिटिश सोवरेन एवं अर्द्ध-सोवरेन की सम्पूर्ण भारत में वैध-सिक्का घोषित कर दिया गया। 1900 ई० में रुपये की ढलाई से होनेवाले लाभ को जमा करने के लिए एक स्वर्ण-मान-कोष की स्थापना की गयी। सरकार ने देश में स्वर्ण मुद्रा के टंकन के लिए एकसाल खोलने का प्रयत्न किया, किन्तु ब्रिटिश ट्रेजरी ने भारत में दाही टंकनास की शाखा खोलने की स्वीकृति नहीं प्रदान की, अतः सोने की टंकनास की योजना समाप्त हो गयी।

रुपये की स्वतन्त्र ढलाई वाद हो जाने से मुद्रा का अभाव हो गया। जनसंख्या एवं व्यापार में वृद्धि तथा अकाल की स्थिति ने मुद्रा की मांग को और भी द्रष्ट बना दिया। अतः 1898 ई० में सङ्कट को दूर करने के लिए अस्थायी सपचाय के रूप में एक अधिनियम पारित किया गया। इसके अनुसार यह आयोजन किया गया कि भारत मन्त्रि के कौंसिल विलों की विज्ञी से प्राप्त रकम 'भारतीय पत्र मुद्रा-कोष' के नाम से स्वर्ण के रूप में बैंक ऑफ इंग्लैंड, में जमा की जाय। इस जमा किये गये सोने के आधार पर भारत सरकार पत्र-मुद्रा जारी करने भारतीय सचिव के द्वापटो का मुगजान करेगी। साथ ही, स्वर्ण-मुद्रा के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाने लगा, किन्तु इसका उतसाहजनक परिणाम नहीं हुआ। 1900 ई० में सरकार को विशय होकर बहुत बड़े पैमाने पर चाँदी के सिक्को का टंकन प्रारम्भ करना पडा। 'भारतीय पत्र मुद्रा-कोष' में जमा सोने से इंग्लैंड में चाँदी खरीद कर रुपये के टंकन के लिए भारत भेजी जाती थी। इस कोष से विपरीत व्यापार-विक्रय की स्थिति में भारतीय विनियम दर को स्थयी रखने में भी सहायता दी जाने लगी। 1900 ई० में इस अधिनियम की अनधि को दो वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया तथा 1902 ई० में 'भारतीय पत्र मुद्रा-कोष' को स्थायी बना दिया गया। 1906 ई० में भारत में रुपये की मांग को पूर्ति के लिए 'रुपया-रक्षित कोष' स्थापित किया गया जिसका नाम 'स्वर्ण मान रक्षित कोष' को रज्जु शाखा' पडा। इसका प्रमुख उद्देश्य सोवरेन के बदले असीमित मात्रा में चाँदी के रुपये दकर विनियम दर को 1 शि० 4 पैं० पर स्थायी रखना था। इस प्रकार स्वर्ण मान की दो रास एं हो गयी : प्रथम, लन्दन में स्टलिंग प्रतिभूतियों के रूप में तथा दूसरा, भारत में चाँदी के रुपये के रूप में। 1904 ई० में भारत मन्त्रि ने यह घोषणा की कि अब से वे लन्दन में क्रेताओं को 1 शि० 4 पैं० की दर से असीमित मात्रा में कौंसिल विलों की विज्ञी करेगे।

किन्तु, 1907 ई० में फमलों की खराबी, अकाल एवं यूरोप की वार्थिक मन्दी के फलस्वरूप भारत को विदेशी विनियम सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना करना पडा जिससे विनियम की दर घटने लगी। विनियम-दर में ह्राम एव प्रतिकूल व्यापारिक संतुलन के कारण बाहर सोना भेजने की आवश्यकता पडी। अतः भारत सचिव की सलाह से भारत सरकार ने इंग्लैंड में रिधर्न कौंसिल विल। शि० उद्दि० पैं० प्रति रुपये की दर से खेचना प्रारम्भ कर दिया। इसके अतिरिक्त और भी प्रयत्न किये गये जिनसे स्थिति में कुछ सुधार हुआ और दूसरे वर्ष विनियम-दर पुन 1 शि० 4 पैं० पर स्थिर हो गयी, किन्तु इसका एकमात्र कारण समुत्थान ही था।

स्वर्ण-विनिमय मान (Gold Exchange Standard)

भारत में 1893 ई० में रुपये की स्वतन्त्र ढलाई की ममाप्ति से लेकर 1907-8 ई० के आर्थिक संकट के समय तक किये गये विभिन्न प्रयत्नों के फलस्वरूप देश में स्वर्ण-विनिमय मान (Gold Exchange Standard) की स्थापना हुई। यह प्रणाली बिना किसी पूर्व योजना के स्वतः उत्पन्न हो गयी। फाउलर कमिटी तथा भारत सरकार ने इसे प्रारम्भ में स्वीकार नहीं किया था। स्वर्ण-विनिमय मान पद्धति के अन्तर्गत देश में कागज अथवा किसी अन्य निम्न धातु की बनी मुद्रा का प्रचलन रहता है जो स्वर्ण से सम्बद्ध रहती है। मुद्रा का स्वर्ण से यह सम्बन्ध सीधा नहीं होकर किसी दूसरे देश की मुद्रा के माध्यम से होता है जहाँ स्वर्ण-मान का प्रचलन नहीं है। इस प्रकार स्वर्ण विनिमय मान की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं—(1) देश की मुद्रा कागज अथवा किसी अन्य धातु की बनी हुई होती है; (2) सरकार देश की मुद्रा को एक निश्चित दर पर दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित करती है जहाँ स्वर्ण-मान का प्रचलन रहता है; तथा (3) विदेशों में सोना सुरक्षित कोष में रहता है जिससे सोना दिया जाता है।

भारत में स्वर्ण-विनिमय मान (Gold Exchange Standard) के अन्तर्गत भारतीय रुपये को इंग्लैंड के पौंड से सम्बन्धित कर दिया गया था जहाँ स्वर्ण-मान का प्रचलन था, इसके अन्तर्गत रुपये को प्रत्यक्ष रूप से स्वर्ण में परिवर्तित नहीं किया जाता था, किन्तु इसे 1 शि० 4 पैं० की दर से पौंड में बदल दिया जाता था। पौंड एक निश्चित दर पर स्वर्ण में परिवर्तित किया जा सकता था। इस प्रकार स्वर्ण-विनिमय मान का देश में प्रचलन हुआ। इस प्रणाली को चालू रखने के लिए दो कोष स्थापित किये गये। एक रुपये के रूप में भारत में तथा दूसरा पौंड के रूप में लन्दन में। भारत-सचिव 1 शि० 3 1/2 पैं० की दर से कौंसिल बिल लन्दन में बेचते थे। लन्दन के जिन व्यापारियों को रुपया भेजना पड़ता था वे इस कौंसिल-बिल को खरीदते थे। इसके विपरीत इंग्लैंड में भुगतान करने के उद्देश्य से भारतीय व्यापारी 1 शि० 3 1/2 पैं० की दर से रिजर्व कौंसिल-बिल भारत सरकार से खरीदते थे। इन प्रकार विनिमय मूल्य 1 शि० 4 पैं० था, किन्तु व्यवहार में रुपये के पौंड मूल्य में परिवर्तन की सीमाएँ 1 शि० 4 पैं० और 1 शि० 3 1/2 पैं० थी।

स्वर्ण विनिमय मान के गुण एव दोष (Merits and Demerits of Gold Exchanges Standard) :—स्वर्ण-विनिमय मान के पक्ष में बहूधा यह कहा जाता है कि यह विलकुल स्वर्ण-मान की ही तरह कार्य करता था। देश में सोने के सिक्के प्रचलन में नहीं थे, अतः इसमें सोने के उपयोग में भी बहुत अधिक बचत होती थी। इस प्रकार भारत जैसे निम्न देश के लिए यह निश्चय ही एक अच्छी पद्धति थी। इनका दूसरा लाभ यह बतलाया जाता था कि लन्दन में सुरक्षित कोष में रखा गया सोना भारत एवं ब्रिटेन दोनों देशों की मुद्राओं के सुरक्षित कोष का कार्य करता था।

किन्तु व्यवहार में यह प्रणाली बड़ी ही दोषपूर्ण थी। यद्यपि इस मान से विनिमय-दर में स्थायित्व आ गया, तथापि यह देश के मूल्य स्तर में स्थिरता नहीं प्रदान कर सका। इससे व्यापार में एक प्रकार की अनिश्चिता उत्पन्न हो गयी जिसका देश की आर्थिक व्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। भारत में इस पद्धति का सबसे बड़ा दोष इसके संचालन से सम्बन्धित था। केन्द्रीय बैंक के अभाव में सरकारों कर्मचारी ही इसका प्रबन्ध करते थे। ये कर्मचारी मुद्रा प्रणाली के प्रबन्ध में बहुत कम प्रवीण होने थे। बाजार तथा व्यापार की परिस्थितियों से इनका कोई सम्पर्क नहीं रहता था, इसलिए इसका प्रबन्ध त्रुटिपूर्ण होता था। साथ ही, प्रबन्धित-मान (Managed Standard) होने के कारण पग-पग पर सरकार को इसके कार्य संचालन में हस्तक्षेप करना पड़ता था। अतः इस मौद्रिक मान को कटु आलोचना की जाने लगी।

1913 ई० का चेम्बरलेन आयोग¹ (Chamberlain Commission of 1913) :— उपरोक्त दोषों के कारण भारत में जनमत स्वर्ण-विनिमय मान के पक्ष में ही नहीं था। अतः देश

1. चेम्बरलेन आयोग ने निम्नांकित सुझाव प्रस्तुत किया था—

(i) Gold Exchange Standard was suitable for India. Increased use of

मे यह भाग को जाने लगी कि फाउंडर कमिटी के मुझाओ के आधार पर स्वर्ण मान की स्थापना को जाय । जब विश्व के प्राय सभी देशो मे स्वर्ण मान का प्रचलन था तथा सभी देश इमे एक-मात्र सन्तोपजनक मुद्रा-पद्धति मानते थे भारत मे जनता को इच्छाओ के बावजूद इसे नही ग्रहण करना बडा ही अनुचित जान पडता था । अत अर्प्रैल, 1913 ई० म भारतीय मुद्रा एव विनिमय सम्बन्धी समस्याओ पर विचार करने के लिए थी चेम्बरलेन की अध्यक्षता म एक आयोग की नियुक्ति हुई जिसने 1914 ई० मे अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । आयोग की निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें थी — (1) आयोग ने भारत मे स्वर्ण विनिमय मान को चाल रखने की सिफारिश की, (2) भारत में सोने के सिक्को को डालने के लिए किसी टकसाल की आवश्यकता नही थी, फिर भी, भारतीय जनमत को देखते हुए इस प्रकार की टकसाल की देश मे स्थापना की जा सकती है, (3) स्वर्ण मान कोप की कोई अधिकतम सीमा नहीं रहनी चाहिए, वरन् इसमे अधिक से अधिक सोना जमा रहना चाहिए (4) स्वर्ण मान-कोप की रजत शाखा बन्द कर देनी चाहिए, (5) पत्र मुद्रा प्रणाली को अधिक लोचदार बनाने के लिए नोटो के रक्षित भाग (Fiduciary Issue) को 14 करोड रुपये कर देना चाहिए तथा (6) सरकार को 1 शि० 3 $\frac{2}{3}$ पैसे की दर से रिजर्व कौंसिल बिल बेचने की जिम्मेवारी लेनी चाहिए । चेम्बरलेन आयोग की सिफारिशें फरवरी, 1914 ई० मे प्रकाशित हुई और जुलाई, 1914 ई० मे प्रथम युद्ध छिड गया । अत युद्ध के फल स्वरूप सरकार आयोग की अधिकांश सिफारिशो को कार्यान्वित नही कर सकी ।

प्रथम विश्व युद्ध मे भारतीय मुद्रा प्रणाली (Indian Currency during the First World War) — प्रथम महायुद्ध का भारतीय मुद्रा प्रणाली पर बडा ही गहरा प्रभाव पडा । युद्ध प्रारम्भ होने के साथ ही जनता मे एक व्यापक भय एव अविश्वास उत्पन्न हो गया जिससे व्यापार के कार्य मे एक प्रकार की शिथिलता आ गयी । भारत सरकार ने इस विगडती हुई स्थिति को

gold in internal circulation should not be encouraged and the people in the country neither desired nor needed gold as currency

- (ii) There was no need for a mint for coinage of gold However, should the Indian sentiment demand it, and the Government of India was ready to bear the burden of its expense, a mint might be established to make sovereigns and half sovereigns In the event of not establishing a mint the Government should review the notification with drawn in 1906 to receive gold at Bombay mint in exchange for notes or rupees
- (iii) As regards the Gold Standard Reserve, the Commission held that no maximum limit to its amount could be prescribed but it should be largely of gold and that it should be located in London
- (iv) Elasticity should be imparted to the currency system of the country by issuing notes against securities The use of notes as currency should be encouraged and 500 rupee notes should be universalised
- (v) The Commission favoured the abolition of the rupee (Indian) branch of the Reserve
- (vi) The Government should undertake to sell bill in India on London at the rate of 1 sh 3 $\frac{2}{3}$ d whenever called upon to do so

The report of the Commission was published in February 1914 and in July 1914, the global war broke out with the result that the Government could not act upon most of the recommendations of the Commission The Government however, abolished the silver branch of the Gold Standard Reserve and also undertook to sell Reverse Council Bills at the rate recommended by the Commission whenever need to do so arose

सुधारने तथा मुद्रा प्रणाली में जनता के विश्वास को जमाने के लिए बहुत से प्रयत्न किये। युद्ध के प्रारम्भ में जनता ने अपने सेविंग्स बैंक खाते से अपना निवार्तना प्रारम्भ कर दिया तथा नोटों को स्वर्ण में परिवर्तित किया जाने लगा। वेवछ 1 अगस्त स 4 अगस्त, 1914 ई० के बीच सरकार को 28 लाख पौंड कीमत का सोना इस प्रकार के नोटों के बदले में देना पड़ा। अतः 5 अगस्त, 1914 ई० को सरकार ने आवश्यकतापारिक कार्यों के अतिरिक्त सोना देना बंद कर दिया। विनिमय दर के ह्रस को रोकने के लिए जनवरी, 1915 ई० तक सरकार ने 87 लाख पौंड के लगभग रिजर्व कोमिल बिलों का निष्पन्न किया। 1915 ई० के अंत में स्थिति में कुछ सुधार हुआ तथा पुनः अपना जमा किया जाने लगा, किन्तु मूल्य धीरे धीरे बढ़ रहा था और बहुत बढ़ते 27 पौंड प्रति औ० स 19-0 ई० तक 89 पें० प्रति औ० तक हो गया। इससे एक नयी कठिनाई उपस्थित हो गयी। इस स्थिति का सामना करने के लिए यह निश्चित किया गया कि चाँदी के मूल्य में वृद्धि के साथ-साथ रुपये के विनिमय मूल्य में भी वृद्धि की जाय। इस प्रकार स्वर्ण विनिमय मान प्राप्त समाप्त हो गया और हमकी जगह पर औपचारिक घोषणा नहीं की गयी थी। इसने फलस्वरूप रुपये की विनिमय दर में परिवर्तन होने लगा। विनिमय दर, जो 1917 ई० म 1 शि० 4 प० थी, बढ़कर 1918 ई० में 2 शि० 6 प० तथा 2 शि० 11 पें० हो गयी। 1920 ई० से रिजर्व कोमिल बिलों की विप्री में भी इनी दर को लागू कर दिया गया। इस कठिनाई को दूर करने के लिए निजी व्यक्तियों द्वारा चाँदी का आयात बन्द कर दिया गया। सरकार ने स्वयं मुद्रा ढलाई के लिए बड़ी मात्रा में चाँदी का आयात प्रारम्भ किया। 1918 ई० में सरकार ने अमेरिका से 20 करोड़ औंस चाँदी खरीदने का निश्चय किया। दिसम्बर, 1917 ई० में विनिमय के कार्य को सुगम बनाने के लिए 1 रु० एवं 2½ रु० के नोट जारी किये गये। इनके अतिरिक्त नोटों को रुपये में बदलने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया, किन्तु इन सब प्रयत्नों के बावजूद सरकार स्वर्ण-विनिमय-मान को रक्षा नहीं कर सकी।

बैबिंगटन स्मिथ कमिटी, 1919 (The Babington Smith Committee, 1919)— मई, 1919 ई० में भारत सरकार ने देश की मुद्रा-प्रणाली की जाँच करने तथा भविष्य में इस सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए बैबिंगटन स्मिथ कमिटी को नियुक्त की। कमिटी की राय में देश की तत्कालीन परिस्थितियों में विनिमय दर में स्थायित्व आत्यावश्यक था। कमिटी की निम्नांकित प्रमुख सिफारिशें थी—(1) रुपये का विनिमय मूल्य 2 शि० निश्चित किया जाय, यानी 10 रुपये बराबर 1 साँवरेन का हो। कमिटी ने 2 शि० के अनुपात का सञ्चालन इस तर्क पर दिया कि इससे व्यापार में कम से कम गड़बड़ी होगी तथा यह स्वच्छ विनिमय दर भी भारत के निर्यात में कोई हानि पहुँचाये वगैरे आयात एवं गृह प्रभार (Home charges) के लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। (2) रुपये असीमित वैध सिक्का रहे। (3) सोने एवं चाँदी के आयात निर्यात पर कोई दकावट नहीं हो तथा बम्बई में एक टकमाल स्थापित किया जाय जहाँ जनता द्वारा दिये गये सिक्कों से साँवरेन को ढलाई की जाय। (4) स्वर्ण मान वोग का अधिकांश भाग सोने में रहे तथा शेष सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में। इस कोष का एक अंश भारत में रखना चाहिए। इस प्रकार कमिटी ने बहुत से सुझाव दिये।

दो शिल्लिम स्वर्ण अनुपात की असफलता—सरकार ने इन कमिटी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार रुपये का विनिमय मूल्य 2 शि० स्वर्ण कर दिया गया। साँवरेन को 10 रुपये की दर पर शिवाग्रह घोषित किया गया तथा फरवरी, 1920 ई० में चाँदी के आयात पर से कर हटा लिया गया किन्तु सरकार इस विनिमय दर को बहुत अधिक समय तक कायम नहीं रख सकी। जहाँही सरकार ने विनिमय दर को 2 शि० प्रति रुपये निश्चित किया, रिजर्व कोमिल बिलों की माँग बढ़ गयी और जब सरकार ने इसे बनाये रखने का प्रयास किया तो उसे बहुत अधिक हानि उठानी पड़ी। यह दर आयातकर्तियों के लिए विशेष लाभप्रद थी। अतः इससे आयात में वृद्धि होने लगी। इससे विदेशी व्यापार भारत के विपक्ष में होने लगा तथा रुपये की माँग में कमी आने लगी और स्टर्लिंग की माँग बहुत बढ़ गयी। इसी समय विनिमय की दरो में परिकल्पना भी आरम्भ हो गयी। अतः सरकार के लिए 2 शि० स्वर्ण का अनुपात कायम रखना प्रायः असम्भव हो गया। ऐसी स्थिति में सरकार ने 2 शि० स्टर्लिंग का अनुपात चलाने का

प्रयत्न किया, किन्तु इसमें भी सफलता नहीं मिल सकी। इनसे 28 सितम्बर, 1920 ई० को सरकार ने इस विनिमय दर को कायम रखने का विचार छोड़ दिया, क्योंकि तबतक सरकार को रुपये 38 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका था। फलतः, जुलाई, 1921 ई० में विनिमय दर घटकर प्रायः 1 शि० 3 पै० हो गयी। विनिमय की दर अक्टूबर, 1924 ई० में 1 शि० 6 पै० हो गयी। इस प्रकार 2 शि० स्वर्ण अनुपात विलकुल असफल रहा। वास्तव में, सरकार ने बैंकिंग टन स्मिथ कमिटी की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में अति शोषण से काम लिया था। वह सरकार की बड़ी भारी भूल थी जिसने देश के व्यापारियों एवं व्यावसायियों को बहुत अधिक हानि उठानी पड़ी।

हिल्टन यंग आयोग

(Hilton Young Commission)

1919 से 1925 ई० तक का समय भारतीय मुद्रा के इतिहास में उदल-पुदल का समय था। इन बीच सरकार ने रुपये के विनिमय मूल्य को 2 शि० निश्चित करने के कई व्यफल प्रयास किये। इसका देश को मुद्रा एवं विनिमय व्यवस्था पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। अतः सरकार ने मुद्रा एवं विनिमय की समस्याओं पर विचार करने के लिए अगस्त, 1925 ई० में हिल्टन यंग की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की। आयोग की सिफारिशों का देश की मुद्रा, विनिमय एवं बैंकिंग व्यवस्था के विकास में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। आयोग की मुख्य सिफारिशों को निम्नान्वित तीन भागों में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है :—(क) मुद्रा-मान सम्बन्धी सिफारिशों, (ख) विनिमय दर सम्बन्धी सिफारिशों, तथा (ग) मुद्रा को नियन्त्रित करनेवाले अधिकारों में सम्बन्धित सिफारिशों।

(i) मुद्रा-मान का प्रश्न :—हिल्टन यंग आयोग ने उक्त समय देश में प्रचलित मुद्रा-मान, अर्थात् स्वर्ण-विनिमय मान का भली-भाँति विवेचन किया। आयोग के अनुसार स्वर्ण विनिमय मान रुपये के मूल्य में स्थायित्व ला सकता था, किन्तु तत्कालीन परिस्थितियों में इसके कई दोष थे, जैसे—(क) सर्वप्रथम तो, इस मान का कार्य-प्रणाली बड़ी ही जटिल थी। मुद्रा के मूल्य को स्थायी बनाये रखने के लिए कॉमिल विल तथा रिजर्व कॉमिल-बिलों का सहारा लेना पड़ता था। (ख) इस पद्धति में अन्य स्वर्ण-मानों की तरह देश की मुद्रा के स्वतः मंकोच एवं प्रसार की व्यवस्था नहीं थी। (ग) इसमें कई प्रकार के कोप थे, जैसे—स्वर्ण-मान रजित कोप, पत्र-मुद्रा कोप, रजत मान कोप आदि। इसमें भी इस प्रणाली में जटिलता आ जाती थी तथा इसमें व्यय अधिक भी होता था। (घ) यह प्रणाली इंग्लैंड पर निर्भर होने के कारण पराधीन थी। देश की मुद्रा का स्वर्ण से सम्बन्ध प्रत्यक्ष नहीं होकर स्टैलिग के माध्यम में था। इस प्रकार स्वर्ण-विनिमय मान के उपरोक्त दोषों के फलस्वरूप आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यह प्रणाली भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। हिल्टन आयोग ने देश के लिए स्वर्ण मुद्रा मान (Gold Currency Standard) की भी जाँच की तथा निम्नान्वित दोषों के फलस्वरूप इसे भी भारत के लिए अनुपयुक्त बताया—स्वर्ण मुद्रा मान के सफल संचालन के लिए अधिक मात्रा में सोने की आवश्यकता थी, किन्तु भारत के पास पर्याप्त मात्रा में सोना उपलब्ध नहीं था। अतः यह मान उपयुक्त नहीं था। इस मान को अपनाने से सोना के अनुपात में चाँदी का मूल्य घट जायगा, अतः देशवासियों के मर्चित चाँदी का मूल्य योही कम हो जायगा जिससे उन्हें हानि होगी। इसका विरुद्ध के रजत-मूल्य पर भी प्रभाव पड़ेगा।

इन सब बातों पर निश्चित रूप से विचार करते हुए हिल्टन आयोग ने बहुमत से भारत में भी इंग्लैंड की तरह स्वर्ण-धातु मान (Gold Bullion Standard) अपनाने का सुझाव दिया। इस प्रकार के मान में चाँदी के रुपये तथा कागज के नोट ही वास्तविक प्रचलन में होंगे। सोने के सिक्कों का देश में प्रचलन न होगा, किन्तु देश की मुद्रा को एक निश्चित वजन के सोने के पिण्डों में परिवर्तित किया जायगा।

1. आयोग के एक सदस्य सर पुण्डरीचमदास ठाकुर दास ने स्वर्ण-धातु मान के बंदने एक ऐसे मान को अपनाने का सुझाव दिया जिसमें सोने की बनी मुद्रा का प्रचलन हो।

इस प्रकार आयोग ने भारत के लिए स्वर्ण-धातु मान को अपनाने का सुझाव दिया। आयोग के अनुसार इन मान की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ होंगी — (1) सरकार अथवा देश के मुद्रा-अधिकारी एक निश्चित दर पर कम-से-कम 400 औंस शुद्ध सोने (1065 तोले) की पिंडों को बेचेंगे अथवा खरीदेंगे। (2) सॉवरेन विधि ग्राह्य नदी रद्द जायगी अर्थात् सोने की मुद्रा का चलन नहीं होगा। देश में केवल चाँदी के रुपये तथा पत्र-मुद्रा का ही प्रचलन रहेगा। नोटों के बदले चाँदी के रुपये देने की प्रणाली के सम्बन्ध में आयोग ने यह सिफारिश की कि कुछ समय तक नोटों के बदले चाँदी के रुपये देने की प्रतिज्ञा का पालन किया जाय, किन्तु नये नोटों के बदले रुपया देने का उत्तरदायित्व सरकार नहीं ले। आयोग ने 1 रुपये के नोट जारी करने का भी सुझाव दिया किन्तु इन्हे चाँदी के रुपये में परिवर्तित करने का उत्तरदायित्व नहीं होना चाहिए। (3) आयोग ने यह सुझाव दिया कि स्वर्ण मुद्रा कोप एवं पत्र-मुद्रा कोप को सम्मिलित कर दिया जाय तथा इसे लन्दन की वजाय भारत में रखा जाय। कोप की बनावट एवं अनुपात को वैधानिक ढंग पर निश्चित कर देना चाहिए जिससे मुद्रा का स्वतः विस्तार एवं संकुचन होता रहे। आयोग के अनुसार इस कोप में 40 प्रतिशत स्वर्ण प्रतिभूतियाँ होनी चाहिए। (4) आयोग ने देश में निश्चित अरक्षित-नोट निर्गम प्रणाली (Fixed Fiduciary System) के स्थान पर आनुपातिक निधि-पद्धति (Proportional Reserve System) अपनाने की सिफारिश की थी।

इन सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 1927 ई० में एक अधिनियम पारित किया जिसके अनुसार सोने की कीमत 21 रुपये 3 आने 10 पाई प्रति तोला निर्धारित की गयी। इसी कीमत पर 400 औंस के सोने की पिंड बेचे एव खरीदे जाते थे। विनिमय दर 1 शि० 6 पैसे प्रति रुपया निर्धारित की गयी। सॉवरेन को विधि-ग्राह्य मुद्रा नहीं माना गया, किन्तु इन्हें छानने से प्रति सॉवरेन 13 रु० 2 आ० 4 पाई की दर से बेचा जा सकता था। यह मान देश में सितम्बर, 1931 ई० तक रहा और जब उस समय इंग्लैंड ने स्वर्ण-मान का परियाम कर दिया तो भारत ने भी स्वर्ण-धातु मान को छोड़ दिया।

(ii) विनिमय की दर — हिल्टन आयोग का सबसे अधिक विवादास्पद सुझाव विनिमय की दर से सम्बन्धित था। आयोग ने बहुमत से यह तय किया कि विनिमय की दर 1 शि० 6 पैसे प्रति रुपये होनी चाहिए। आयोग के एक सदस्य सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने अपनी एक अलग रिपोर्ट में विनिमय की दर 1 शि० 4 पैसे रखने की सलाह दी। इस प्रकार विनिमय की दर के सम्बन्ध में आयोग एक मत नहीं हो सका।

विनिमय की दर 1 शि० 6 पैसे के पक्ष में तर्क — बहुमत 1 शि० 6 पैसे प्रति रुपये के पक्ष में था। इन लोगों का कहना था कि यह एक स्वाभाविक एवं प्राकृतिक दर थी, क्योंकि गत प्रायः दो वर्षों से विनिमय की दर इसी विन्दु पर स्थायी थी। इसके फलस्वरूप देश में मजदूरी मूल्य, उत्पादन-व्यय आदि अर्थात् देश की सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था इसी दर पर समायोजित हो चुकी थी। सरकारी बजट भी इसी दर से तैयार किये जाते थे, अतः इसमें परिवर्तन का प्रभाव देश की सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था पर पड़ेगा। 1 शि० 4 पैसे की दर देश में 1917 ई० से 1925 ई० के बीच प्रायः अमफल रही। इससे देश की सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी थी। विनिमय की दर 1 शि० 4 पैसे प्रति रुपया रखने पर मूल्य में प्रायः 12½ प्रतिशत की सामान्य वृद्धि हो जायगी जिससे मजदूरी की वास्तविक दरों में भी कमी होगी। उसका समाज के निश्चित बाध-वाले वर्ग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा।

विनिमय की दर 1 शि० 4 पैसे के पक्ष में तर्क :— आयोग के एक सदस्य सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास का मत था कि तत्कालीन परिस्थितियों में रुपये की स्वाभाविक विनिमय दर 1 शि० 4 पैसे थी। इसके पक्ष में कहा जाता था कि यह दर 1896 ई० से लेकर 1917 ई० तक प्रचलित थी, अतः देश इसका अभ्यस्त हो गया था। साथ ही, यह बात प्रमाणित नहीं की जा सकती कि विनिमय-दर में वृद्धि के फलस्वरूप मजदूरी में किसी प्रकार की कमी होगी। साथ ही, 1 शि० 6 पैसे की दर से किसानों के ऋण में प्रायः 12½ प्रतिशत की वृद्धि होगी। अतः इसका प्रभाव किसी-न-किसी वर्ग पर बहुत बुरा पड़ेगा। 1 शि० 4 पैसे की दर का कुछ ही व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, किन्तु 1 शि० 6 पैसे का समाज के एक बहुत बड़े वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः आयोग के अल्पमत ने 1 शि० 4 पैसे के सम्बन्ध में ही सुझाव दिया।

भारत सरकार ने 1927 ई० के अधिनियम के अनुसार बहुमत के प्रस्ताव से सहमत हो, जनमत के विरुद्ध विनियम-दर 1 शि० 6 पैसे प्रति सपया निर्धारित किया, किन्तु इससे यह विवाद समाप्त नहीं हुआ ।

(iii) मुद्रा नियन्त्रण के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना का सुझाव — देश की मुद्रा एवं बैंकिंग व्यवस्था में समन्वय स्थापित करने तथा मुद्रा के नियन्त्रण के लिए आयोग ने एक केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता को महसूस किया । देश में मुद्रा नियन्त्रण का कार्य सरकार करती थी तथा साख्त नियन्त्रण का कार्य इम्पीरियल बैंक करता था । इससे इन दोनों की नीतियों में सहयोग एवं समन्वय का अभाव था । अतः आयोग ने एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया रखा जाय । यह बैंक देश में केन्द्रीय बैंक के प्रायः सभी कार्यों को करेगा । इम्पीरियल बैंक केन्द्रीय बैंक के कुछ कार्यों को अवश्य करता था, किन्तु यह एक व्यवसायिक बैंक था, अतः इसे केन्द्रीय बैंक में परिवर्तित करने से देश को बहुत हानि होगी । आयोग के अनुसार यह बैंक एक गैर सरकारी बैंक होना चाहिए जिसके हिस्सेदार जनता एवं विभिन्न मस्याएँ हों किन्तु विभिन्न कारणों से 1934-35 ई० के पूर्व रिजर्व बैंक की स्थापना नहीं की जा सकी ।

स्टर्लिंग विनियम मान (1931-47) [Sterling Exchange Standard 1931 47] :— सितम्बर, 1931 ई० में जब ब्रिटेन ने स्वर्ण-मान का परिचय कर दिया तब भारत सरकार ने भी स्वर्ण-धातु मान को छोड़ दिया । अतः 1927 ई० के करेन्सी अधिनियम को रद्द कर दिया गया एवं रुपये का सम्बन्ध स्टर्लिंग से स्थापित किया गया । इस प्रकार भारत में स्टर्लिंग विनियम मान की स्थापना हुई जिसके अनुसार रुपये की विनियम-दर 1 शि० 6 पैसे निश्चित की गयी । इस दर पर बाह्य कार्यों के लिए सरकार ने नोटों की स्टर्लिंग में बदलने की जिम्मेवारी ली, किन्तु आन्तरिक कार्यों के लिए पहले की तरह ही चलता रहा । रुपये के स्टर्लिंग के साथ इस गठ-बन्धन की कटु अलोचना हुई । आलोचकों का कहना था कि इससे स्वर्ण मानवाले देशों से होने वाला आयात अधिक महँगा हो जायगा, क्योंकि स्टर्लिंग का 1931 ई० में 30 प्रतिशत से अवमूल्यन हो गया था । इसमें रुपये का स्वर्ण मूल्य भी कम हो जायगा जिससे भारत से स्वर्ण का निर्यात होने लगेगा । साथ ही, इसमें भारत का भाग्य सदा के लिए इंग्लैंड के साथ बँध जायगा, अर्थात् राज-नानिक गुलामी के साथ साथ आर्थिक गुलामी में भी भारत जकड़ जायगा । इसके विपरीत स्टर्लिंग विनियम मान के समर्थकों का कहना था कि यदि रुपये को स्वतंत्र छोड़ दिया जाय अथवा स्टर्लिंग से इनका सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जाय तो विनियम-दर में बहुत अधिक परिवर्तन होगा जिसका विदेशी व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । साथ ही, भारत का अधिकांश व्यापारिक सम्बन्ध इंग्लैंड के ही साथ था और प्रतिवर्ष गृह-व्यय के रूप में भी भारत इंग्लैंड को बहुत बड़ी रकम चुकाता था । इस दृष्टि से भी भारत का स्टर्लिंग के साथ सम्बन्ध जोड़ना अधिक लाभप्रद था ।

स्वर्ण एवं रजत का निर्यात — जब देश में स्टर्लिंग विनियम मान की स्थापना हुई तो वहाँ से बहुत अधिक मात्रा में स्वर्ण एवं रजत का निर्यात होने लगा । सन् 1931 ई० के पूर्व भारत में बहुत अधिक मात्रा में सोने एवं चाँदी का आयात हुआ करता था, परन्तु 1931 ई० के बाद इनका बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात होने लगा । अनुमान लगाया जाता है कि 1931 ई० से 1940 ई० के नौ वर्षों के बीच भारत से कुल 362.45 करोड़ रुपये मूल्य का प्रायः 416.8 लाख औंस सोने का निर्यात हुआ । इस रूप निर्यात के निम्नलिखित कारण थे — 1931 ई० के आर्थिक संकट एवं मन्दा के कारण कृषि पदार्थों का मूल्य बहुत कम हो गया जिससे कृषक वर्ग की अपने संचित धन, जो स्वर्ण के रूप में था, बेचना पड़ा । साथ ही, जब 1931 ई० में स्टर्लिंग का स्वरूप के रूप में अवमूल्यन हुआ और रुपये का सम्बन्ध स्टर्लिंग से जोड़ दिया गया तो भारत में स्वर्ण का मूल्य बहुत बढ़ गया । इससे देशवासियों को सोने के निर्यात में लाभ प्रतीत होने लगा ।

सोने के निर्यात से सरकार को निम्न राहत मिली । इस समय भारत का व्यापार-अधिशय मुश्किल इसके प्रतिकूल था । ऐसी स्थिति में 1 शि० 6 पैसे की दर का बनाये रखना सरकार के लिए

1 सर पुष्पेत्तम दास ठाकुर दास ने इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया को ही केन्द्रीय बैंक के रूप में परिवर्तित करने का सुझाव दिया था । इनके अनुसार रिजर्व बैंक नामक एक पृथक् बैंक की स्थापना का कोई आवश्यकता नहीं थी ।

कठिन हो रहा था। मोने के निर्यात से स्थिति में कुछ सुधार अब भी हुआ तथा सरकार ने विनियम के अनुपात को घनाये रखने के साथ साथ बहुत बड़ी मात्रा में स्टर्लिंग भी खरीद लिया जिससे भारतीय 'मुद्रा के रक्षित कोष' में भी पर्याप्त वृद्धि हुई, किन्तु भारत में जनता स्वर्ण-निर्यात को बन्द करने के पक्ष में थी। लोगों का कहना था कि सरकार एवं रिजर्व बैंक को सोना स्वयं खरीदना चाहिए। इससे रिजर्व बैंक के सुरक्षित कोष में वृद्धि हो सकती थी।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना :—1926 ई० में हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के अनुसार देश में रिजर्व बैंक की स्थापना नहीं की जा सकी। पुनः 1931 ई० में बैंकिंग जांच-समिति ने देश में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना पर जोर दिया। अतएव 6 अगस्त, 1934 ई० को भारतीय विधान सभा में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम पारित हुआ जिसके अनुसार 1 अप्रैल, 1935 ई० को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना हुई। इस बैंक की स्थापना से देश की मुद्रा प्रणाली में कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सर्वप्रथम तो, रिजर्व बैंक को देश में पत्र-मुद्रा जारी करने का अधिकार हो गया। साथ ही, इस बैंक की स्थापना से मास एव मुद्रा दोनों के नियंत्रण का कार्य एक ही संस्था को सौंपा गया। विदेशी विनिमय दर को 1 शि० 6 पैसे की दर पर स्थायी रखने का दायित्व भी रिजर्व बैंक को दिया गया। रिजर्व बैंक विनियम दर के परिवर्तन की स्वर्ण के क्रय-विक्रय द्वारा 17 $\frac{3}{4}$ तथा 18 $\frac{1}{2}$ पैसे के बीच रखने का सदा प्रयत्न करता था। इन प्रकार देश की मुद्रा एवं विनियम व्यवस्था के इतिहास में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है।

भारतीय पत्र-मुद्रा

(Indian Paper Currency)

प्रारम्भिक इतिहास :—1861 ई० के पूर्व भारत में पत्र-मुद्रा जारी करने का अधिकार कम्पनी द्वारा केवल बम्बई, मुद्रास तथा बंगाल के प्रेसीडेंसी बैंकों एवं कुछ अन्य बैंकों को ही दिया गया था, किन्तु इनके नोट विधि-प्राप्त नहीं होने थे तथा एक सीमित क्षेत्र में ही चलते थे। 1861 ई० में भारत सरकार द्वारा 'पत्र-मुद्रा अधिनियम' (Paper Currency Act) पारित किया गया जिसके अनुसार सरकार ने नोट जारी करने का अधिकार प्रेसीडेंसी बैंकों के हाथ से अपने हाथ में ले लिया। इस अधिनियम के अनुसार नोट जारी करने के करन्सी-सिद्धान्त (Currency principle) को अपनाया गया तथा निश्चित अरक्षित नोट निर्गम प्रणाली (Fixed Fiduciary System) के आधार पर सरकार नोट छापने लगी। केवल 4 करोड़ रुपये के नोट सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर छापे जा सकते थे। शेष के लिए नोट की रकम के बराबर सिक्के, स्वर्ण अथवा रजत पिण्डों का कोष रखना आवश्यक था। सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर छापे जानेवाले नोटों (Fixed Fiduciary issue) की सीमा को समय-समय पर विशेष कानूनों द्वारा बदला गया। 1871 ई० में इसे 6 करोड़, 1897 ई० में 8 करोड़, 1890 ई० में 10 करोड़ तथा 1905 ई० में यह सीमा 12 करोड़ रुपये कर दी गयी। इससे स्पष्ट है कि नोट जारी करने की सरकारी प्रणाली पर्याप्त मात्रा में लोकद्वार नहीं थी। 1903 ई० में 5 रुपये के नोट को, 1910 ई० में 10 रुपये तथा 25 रुपये के नोट और 1911 ई० में 100 रुपये के नोट को सर्वमान्य वध मुद्रा घोषित किया गया। इसी प्रकार धातु कोष के सम्बन्ध में समय-समय पर परिवर्तन किये गये।¹

इस प्रकार की नोट निर्गमन-प्रणाली के बहुत-से लाभ थे। सर्वप्रथम तो, इसमें सुरक्षा की मात्रा बहुत अधिक थी। इस प्रणाली में एक निश्चित सीमा के बाव नोटों के निर्गमन के लिए अतः प्रतिशत स्वर्ण अथवा रजत का कोष रखना अनिवार्य था। इससे इन व्यवस्था के अन्तर्गत मुद्रा-प्रसार का भय बहुत ही कम था। साथ ही, इस प्रणाली में नोटों को चाँदी के रूपों में परिवर्तित भी किया जा सकता था। अतः इसमें परिवर्तनशीलता का गुण भी वर्तमान था, किन्तु इस प्रणाली के कुछ दोष भी थे। सबसे बड़ा दोष इन प्रणाली का नेलोद्वार होना था। एक

1. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का विस्तारपूर्वक विवरण एक पृथक अध्याय में किया गया है।
2. 500 तथा 1000 रुपये के नोट 1931-32 ई० में सर्वमान्य वैध मुद्रा घोषित किये गये।

निश्चित सीमा से अधिक मूल्य के नोट जारी करने के लिए इसमें शत प्रतिशत कोप की आवश्यकता पड़ती थी। इससे यह प्रथा अमिच्छ्य भी थी।

प्रथम महायुद्ध का भारतीय पत्र-मुद्रा पर प्रभाव — प्रथम युद्ध प्रारम्भ होते ही लोगों का पत्र मुद्रा पर से विश्वास समाप्त होने लगा और प्रारम्भ में सोने तथा बाद में चांदी के सिक्कों की मांग होने लगी, किन्तु युद्धकाल में धीरे-धीरे बढ़ते हुए व्यापार के कारण अधिक मुद्रा की मांग होने लगी और इस बढ़ी हुई मांग की पूर्ति चांदी के अभाव में चांदी के सिक्के से नहीं कर पत्र-मुद्रा ही की गयी। इससे पत्र मुद्रा में जनता का विश्वास बढ़ने लगा। सितम्बर, 1917 ई० में 2½ ह० के तथा जनवरी, 1918 ई० में 1 रुपये के नोट भी जारी किये गये। सितम्बर, 1919 ई० में सरकार ने प्रतिभूतियों पर जारी किये जानेवाले नोटों की सीमा को बढ़ा कर 120 करोड़ रुपये कर दिया गया।

हिस्टन मग आयोग ने 1926 ई० में देश की पत्र मुद्रा प्रणाली के सम्बन्ध में कई महत्-पूर्ण सुझाव दिये थे जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं—(1) देश में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की जाय जिसे नोट जारी करने का एकाधिकार हो। (2) एक रुपये के नोट पुनः जारी किये जाय जो रुपये में परिवर्तनशील नहीं होनी चाहिए। (3) नोट रुपये की बजाय 400 ग्रांस के रण पिंडों (Gold Bullion) में परिवर्तित होना चाहिए। आयोग ने भारत में आनुपातिक कोप प्रणाली (Proportional Reserve System) के आधार पर नोट जारी करने की सिफारिश की और इसके लिए 40 प्रतिशत सुरक्षित कोप का सुझाव दिया।

भारतीय पत्र-मुद्रा की वर्तमान प्रणाली (Present system of note-issue in India) — 1934 ई० में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम पारित हुआ तथा 1 अप्रैल, 1935 ई० से रिजर्व बैंक ने अपना कार्य करना प्रारम्भ किया। इस अधिनियम के अनुसार नोट जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक को दिया गया जिनके लिए पृथक नोट विभाग (Issue Department) की स्थापना की गयी। प्रारम्भिक विधान के अनुसार रिजर्व बैंक जितनी पत्र-मुद्राएँ जारी करता था। उसका 40 प्रतिशत भाग उसे सोने तथा विदेशी प्रतिभूतियों¹ के रूप में सुरक्षित कोप में रखना आवश्यक था। इन सुरक्षित कोप में से कम-से कम 40 करोड़ रुपये (1956 ई० के पूर्व 21 ह० 6 आने 10 पाई प्रति तोला की दर से) का स्वर्ण होना चाहिए था। सुरक्षित कोप में स्वर्ण एवं विदेशी प्रतिभूतियों के अतिरिक्त 60 प्रतिशत भाग रुपये के सिक्के, भारत सरकार के ऋण-पत्र तथा सोन महीने में भुगतान होनेवाली हुण्डियाँ आदि रहती थी। यदि स्वर्ण एवं विदेशी ऋण पत्रों का अनुपात कभी 40 प्रतिशत से घट गया तो इसके लिए रिजर्व बैंक को सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती थी। साथ ही, कम रकम पर व्याज भी देना पड़ता था। इस प्रकार रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद देश में पत्र मुद्रा जारी करने की आनुपातिक कोप प्रणाली प्रारम्भ हुई।

यह प्रथा प्रायः 20 वर्षों तक चलती रही, किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश के आर्थिक विकास के फलस्वरूप देश में पत्र मुद्रा की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि की आवश्यकता हुई। साथ ही, बैंक के विदेशी मुद्रा कोप में भी योजनाकरण के कारण बहुत अधिक कमी होने लगी। अतः 1956 ई० में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम में एक संशोधन किया गया जिसके अनुसार पत्र मुद्रा जारी करने की प्रणाली में परिवर्तन किया गया। संशोधित विधान के अनुसार नोट जारी करने के लिए आनुपातिक कोप-प्रणाली के बदले न्यूनतम कोप-प्रणाली को अपनाया गया जिसके अनुसार रिजर्व बैंक को अपने सुरक्षित कोप में कम से कम 115 करोड़ रुपये का स्वर्ण तथा 400 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा रखनी पड़ती है। साथ ही, सुरक्षित कोप में रखे गये सोने का मूल्य आजकल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप के द्वारा निर्धारित मूल्य 62 ह० 50 पैसे प्रति तोला की दर से आँका जाता है। इस प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (संशोधन) अधिनियम, 1956 ई० के अनुसार आनुपातिक कोप-प्रणाली को जगह नोट जारी करने के लिए एक निश्चित न्यूनतम (Fixed minimum) सुरक्षित कोप की प्रणाली को अपनाया गया। सुरक्षित कोप की निम्नतम सीमा 515 करोड़ रुपये निश्चित कर दी गयी जिनमें कम से कम 115 करोड़ रुपये के मूल्य का स्वर्ण होना

1 1948 ई० के पूर्व विदेशी प्रतिभूतियों का अधिप्राय केवल स्टर्लिंग प्रतिभूतियों से था, किन्तु इसके बाद इसमें संशोधन हुआ जिसके अनुसार आजकल अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप के किसी भी सदस्य राष्ट्र की मुद्रा तथा प्रतिभूतियों को इसके अन्तर्गत रखा जा सकता है।

चाहिए था। 31 अक्टूबर, 1957 ई० को एक अध्यादेश जारी किया गया जो आगे चलकर Reserve Bank of India (Second Amendment) Act, 1957 हो गया जिसके अनुसार सुरक्षित कोष की निम्नतम सीमा घटाकर 200 करोड़ रुपये कर दी गयी जिसमें कम-से-कम 115 करोड़ रुपये का स्वयं आवश्यक था। साथ ही, संशोधन के अनुसार रिजर्व बैंक सरकार की अनुमति से विदेशी मुद्रा के कोष को विल्कुल समाप्त भी कर सकता है।

द्वितीय महायुद्ध काल में देश की पत्र-मुद्रा में बहुत अधिक वृद्धि हुई। युद्ध प्रारम्भ होने के समय नितम्बर 1939 में कुल 196 करोड़ रुपये के नोट चलन में थे। युद्ध समाप्ति के बाद सितम्बर, 1945 ई० में 1147 करोड़ रुपये के नोट चलन में आ गये, यानी युद्धकाल में नोटों की मात्रा में प्रायः 951 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। दिसम्बर, 1972 ई० में देश में कुल 4751 करोड़ रुपये के नोट प्रचलन में थे।

द्वितीय महायुद्ध और भारतीय मुद्रा

(Indian Currency during the Second World War)

नितम्बर 1939 ई० में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ। उस समय भारत में स्टर्लिंग विनिमय मान का प्रचलन था। आंतरिक मुद्रा में पत्र-मुद्रा चाँदी का रुपया एवं अठनी ½ शूद्धता के अपरिमित विधि-ग्राह्य थे। विनिमय की दर 1 शि० 6 पैसे पर लगभग स्थायी रहती थी। युद्ध प्रारम्भ होते ही जनता का देश की मुद्रा-प्रणाली पर से विश्वास कम होने लगा तथा लोगों ने चाँदी के सिक्कों का संग्रह करना आरम्भ कर दिया। जून, 1940 ई० में फ्रांस की हार के बाद तो यह प्रवृत्ति और भी बढ़ गयी। इस परिस्थिति का सामना करने के लिए रिजर्व बैंक ने सीमित मात्रा में रुपया देना आरम्भ कर दिया तथा डिफेन्स ऑफ इण्डिया ऐक्ट के अन्तर्गत आवश्यकता से अधिक रुपया रखना अपराध भी घोषित कर दिया गया। युद्धकाल में 2 रुपये के नोट जारी किये गये। साथ ही, देश में सिक्कों की वढती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने 1940 ई० में भारतीय टकन अविनियम (Indian Coinage Act) में संशोधन द्वारा रुपये, अठनी एवं चण्डी की शूद्धता (Fineness) को $\frac{3}{4}$ से घटाकर $\frac{1}{2}$ भाग कर दिया। इसके अतिरिक्त अक्टूबर, 1940 ई० में सरकार के आदेशानुसार विकटोरिया के छापेवाले रुपये तथा अठशियों का विमुद्रीकरण कर दिया। गया इसी प्रकार दिसम्बर, 1941 ई० में एक आदेशानुसार सप्तम एडवर्ड तथा नवम्बर, 1941 ई० में जॉर्ज पंचम के छापेवाले रुपये एवं अठशियों को भी बन्द कर दिया गया। इन सब प्रयत्नों से धीरे-धीरे सिक्कों के संग्रहीकरण की प्रवृत्ति कम हो गयी।

द्वितीय महायुद्ध-काल में मुद्रा-प्रसार बहुत हुआ तथा बैंकों के जमा में भी अपर्याप्त रूप से वृद्धि हुई। सितम्बर, 1939 ई० में कुल प्राय 196 करोड़ रुपये के नोट चलन में थे जो सितम्बर, 1945 ई० में बढ़कर 1127 करोड़ रुपये के हो गये अर्थात् युद्धकाल से नोटों की मात्रा में प्रायः 951 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। युद्धकाल में साख-मुद्रा भी 126 करोड़ रुपये से बढ़कर 444 करोड़ रुपये हो गयी। पत्र-मुद्रा एवं साख-मुद्रा में यह वृद्धि मुख्यतः युद्धजनित परिस्थितियों के फलस्वरूप ही हुई थी और नोटों का निर्गमन स्टर्लिंग जमा के आधार पर किया जाता था। सितम्बर, 1939 ई० में रिजर्व बैंक के निर्गमन विभाग में स्टर्लिंग जमा की रकम 605 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर सितम्बर, 1945 ई० में प्रायः 1042 करोड़ रुपये हो गयी।

साम्राज्य डॉलर-कोष (Empire Dollar Pool) :—युद्ध के सफल संचालन के लिए 1939 ई० में ब्रिटिश सरकार ने स्टर्लिंग क्षेत्र के सभी देशों की विदेशी विनिमय विधियों का नियन्त्रण अपने हाथ में ले लिया। युद्धकाल में स्टर्लिंग क्षेत्र के किसी भी देश का अमेरिका अथवा अन्य देशों के साथ जो व्यापाराधिक्य होता था उसका भुगतान ब्रिटेन अपने स्टर्लिंग में करता था। इस प्रकार इस क्षेत्र का कोई भी देश व्यापाराधिक्य तथा अन्य किसी कारण से जो डॉलर प्राप्त करता था उसे साम्राज्य डॉलर कोष में जमा करके स्टर्लिंग के रूप में साख प्राप्त कर लिया करता था। इस प्रकार सम्पूर्ण स्टर्लिंग क्षेत्र की विदेशी विनिमय-सम्बन्धी आय इसी नामांकित कोष में जमा कर दी जाती थी। इसे साम्राज्य डॉलर कोष का नाम दिया गया। इस कोष का उपयोग सभी सदस्य अपने आवश्यकतानुसार करते थे। युद्धकाल में भारत भी इस कोष का प्रमुख सहायक रहा एवं हमसे प्रायः 45 करोड़ रुपये कीमत का डॉलर इस कोष में जमा किया तथा 420 करोड़ रुपये कीमत का डॉलर व्यय किया।

पौंड पावना

(Sterling Balances)

द्वितीय महायुद्ध काल में भारत की मौद्रिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पौंड पावने की रकम का जमा होना था। युद्ध के पूर्व भाग्य पर इंग्लैंड का ऋण था, किन्तु युद्धकाल में विभिन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप भारत ने न केवल इंग्लैंड का पुराना ऋण चुका दिया, वरन् उलट भारत के अरबा रुपये की रकम पौंड पावने के रूप में इंग्लैंड में जमा हो गयी। पौंड पावने की रकम जमा होने के निम्नलिखित तीन कारण थे—(1) भारत ने इंग्लैंड के लिए युद्धकाल में बहुत सी सामग्री प्रदान की थी जिनका मूल्य इसे स्टर्लिंग प्रतिभूतियों के रूप में प्राप्त हुआ, (2) भारत सरकार ने इंग्लैंड की सरकार के लिए भारत में बहुत सी रकम व्यय की जिनका भुगतान उसे स्टर्लिंग के रूप में ही प्राप्त हुआ, (3) भारत के अनुकूल व्यापार तथा डॉलर कोष में जमा की गयी विदेशी विनिमय की रकम के बदले भी इसे स्टर्लिंग ही प्राप्त हुआ। इस प्रकार 1945 46 ई० में पौंड पावने की रकम 1733 करोड़ रुपये हो गयी। यह रकम निश्चय ही बहुत अधिक थी। इसके फलस्वरूप इंग्लैंड भारत का देनदार हो गया। पौंड पावने की रकम भारत के युद्धकालीन त्याग एवं कष्ट के परिणामस्वरूप ही एकत्र हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने आरम्भ में इस रकम को कम करने का प्रयत्न किया किन्तु वह इसमें पूर्णतया अयफल रही। पौंड पावने की रकम को घटाने के विरुद्ध बहुत-से तर्क प्रस्तुत किये जाने लगे। किन्तु ब्रिटिश सरकार को इन गति से भारत में बहुत असन्तोष हुआ और अन्त में दोनों देशों के बीच समझौते हुए जिनके अनुसार ब्रिटिश सरकार ने पौंड पावने की रकम को चुकता करने की बात का निश्चय किया। अबतक इसका अधिकांश भाग भारत ने प्राप्त कर लिया है। अब यह रकम प्रायः समाप्त हो चली है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष एवं भारतीय मुद्रा (International Monetary Fund and Indian Currency) — युद्धकाल में ही मित्र राष्ट्रों ने मुद्रा एवं विदेशी विनिमय सम्बन्धी कठिनाइयों के समाधान के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सस्था के निर्माण के प्रश्न पर विचार करना आरम्भ किया तथा इन उद्देश्यों से ट्रेन्टनजहस नामक स्थान में 1944 ई० में विशेषज्ञों की एक बैठक हुई। इसके फलस्वरूप दो अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं का निर्माण हुआ (1) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund), तथा (2) अन्तर्राष्ट्रीय विकास बैंक (International Bank for Reconstruction and Development)। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रधान उद्देश्य सदस्य देशों की मुद्रा की विनिमय-दरों में स्थायित्व प्रदान करना था। भारत आरम्भ से ही इन सस्थाओं का सदस्य है। इन सस्थाओं की मददस्वता स्वीकार करने से मुद्रा-सम्बन्धी नीति में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी। इससे रुपये का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य अब डॉलर तथा स्वर्ण के रूप में निश्चित किया गया है। 1966 ई० के अवसल्यन के बाद से रुपये का विनिमय मूल्य 0 1185 ग्राम शुद्ध सोना या 13 333 सेंट हो गया है। साथ ही, इस सदस्यता के फलस्वरूप रिजर्व बैंक अब किसी भी विदेशी मुद्रा का ऋण तथा विक्रय कर सकता है। इस प्रकार रुपये एवं स्टर्लिंग का वैधानिक गठबन्धन समाप्त हो गया यद्यपि व्यवहार में यह सम्बन्ध आज भी बना आ रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता स्वीकार करने से रिजर्व बैंक अधिनियम में भी कुछ संशोधन की आवश्यकता पड़ी। पहले रिजर्व बैंक नोट जारी करने के लिए 40 प्रतिशत भाग स्वर्ण या स्टर्लिंग प्रतिभूतियों के रूप में रखना था। अब यह सभी देशों की मुद्राएँ सरोद एवं बच सकता है। साथ ही, नोटों की जमानत के रूप में किसी देश की मुद्रा को रख सकता है, बशर्ते कि वह देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य हो।

1947 ई० में देश विभाजन का प्रभाव भी देश की मुद्रा प्रणाली पर पड़ा। देश विभाजन के फलस्वरूप भारतीय मुद्रा का भी भारत और पाकिस्तान के बीच 13 3 के अनुपात में विभाजन हुआ। साथ ही, यह व्यवस्था की गयी कि 30 नवम्बर, 1947 ई० तक भारतीय नोट पाकिस्तान में प्रचलित रहेंगे। 31 मार्च, 1948 ई० तक रिजर्व बैंक ही पाकिस्तान के लिए भी नोट जारी करेगा। 1 जुलाई, 1948 ई० को पाकिस्तान क स्टेट बैंक की स्थापना हुई और तब भारत एवं पाकिस्तान की मौद्रिक व्यवस्था विलकुल अलग अलग हो गयी।

रुपये का अवमूल्यन (Devaluation of the Rupee)

द्वितीय विश्व-युद्ध तथा युद्धोत्तरकाल (Post-war Period) में स्टर्लिंग क्षेत्र के सभी देशों विशेषतः ब्रिटेन का व्यापारिक संतुलन डॉलर क्षेत्र के साथ निरन्तर प्रतिकूल होते जा रहा था। इसके फलस्वरूप 'डॉलर गैप' बढ़ने लगा। 1946 ई० में यह 22.6 करोड़ से बढ़कर 1947 ई० 102.4 करोड़ पौंड हो गया। इससे स्टर्लिंग क्षेत्र में डॉलर का अत्यधिक अभाव (Scarcity) होने लगा। इस प्रतिकूल व्यापारिक संतुलन के विभिन्न कारण थे। युद्ध के बाद आर्थिक पुनर्संरचना के लिए स्टर्लिंग क्षेत्र के प्रायः सभी देश पूंजीगत मालों के लिए अमेरिका पर अत्यधिक मात्रा में निर्भर करने लगे थे। द्वितीय युद्धकाल में अमेरिका ने अधिक औद्योगिक कुशलता हासिल कर ली थी जिससे संसार के अधिकांश देश अपनी पूर्ति के लिए अमेरिका पर ही आश्रित रहने लगे। अतः डॉलर की मांग बढ़ गयी जिससे इसका अभाव होने लगा। युद्ध ने ब्रिटेन की सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया था। इन कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए इंग्लैंड ने 18 सितम्बर, 1949 ई० को अपनी मुद्रा का अवमूल्यन घोषित किया। इसके अनुसार पौंड के मूल्य को 30.5 प्रतिशत कम कर दिया गया जिससे पौंड और डॉलर का अनुपात 1 पौंड=4.403 डॉलर में घटकर 1 पौंड=2.80 डॉलर हो गया।

भारत का व्यापारिक संतुलन भी डॉलर क्षेत्र के साथ इसी प्रकार प्रतिकूल रहता था। आयात एवं निर्यात में भारी असंतुलन था। अतएव, स्टर्लिंग के अवमूल्यन होते ही स्टर्लिंग क्षेत्र के सभी देशों ने (पाकिस्तान को छोड़कर) थोड़े दिनों में ही अपनी-अपनी मुद्रा का अवमूल्यन न घोषित कर दिया। भारतीय रुपये का भी स्टर्लिंग के अवमूल्यन के शीघ्र ही बाद अवमूल्यन घोषित किया गया। इसके फलस्वरूप रुपये का डॉलर एवं स्वर्ण-मूल्य 30.5 प्रतिशत घटा दिया गया अर्थात् 1 रुपया=30.125 सेंट से घटाकर 1 रुपया=21 सेंट हो गया। इस प्रकार अमेरिका से 1 डॉलर की वस्तुओं के आयात के लिए पहले 3 रुपये 5 आने देने पड़ते थे, अब उसी एक डॉलर के लिए 5 रुपये 12 आने देना पड़ने लगा। इस समय रुपये के अवमूल्यन में भारत ने पौंड का ही पूरा-पूरा अनुकरण किया।¹

1949 ई० में भारतीय रुपये के अवमूल्यन के प्रभाव (Effects of the Devaluation of the Indian Rupee in 1949) — अवमूल्यन का देश को आर्थिक व्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा :—

(i) देश के भुगतान संतुलन की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ :— अवमूल्यन के फलस्वरूप भारत के व्यापाराधिक्य की प्रतिकूलता में पर्याप्त कमी हुई। यद्यपि यह सुधार अस्थायी ही थी, फिर भी, इसका प्रमुख कारण भारतीय रुपये का अवमूल्यन था। अवमूल्यन के फलस्वरूप डॉलर क्षेत्र की वस्तुओं का भारतीय रुपये के रूप में मूल्य बहुत बढ़ गया। इसके विपरीत भारतीय वस्तुएँ इस क्षेत्र में सस्ती पड़ने लगी। इस प्रकार भारत का डॉलर क्षेत्र के साथ व्यापाराधिक्य, जो 1949 ई० में 53 करोड़ रुपये से प्रतिकूल था, 1950 ई० में 19 करोड़ रुपये से भारत के फायदे हो गया।

(ii) अवमूल्यन के फलस्वरूप देश के मूल्य-तल में वृद्धि हुई :— अवमूल्यन के फलस्वरूप प्रारम्भ में कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में कमी हुई, किन्तु पुनः मूल्य में वृद्धि आरम्भ हो गयी। इस प्रकार मूल्य का सामान्य सूचकांक जो अगस्त, 1949 ई० में 389.9 था, जून, 1950 ई० में 395.6 हो गया। कोरियन युद्ध के फलस्वरूप तो मूल्य-तल अक्टूबर, 1950 ई० में 413.5 हो गया।

(iii) पौंड-पावने का मूल्य भी कम हो गया :— अवमूल्यन के बाद भारत ने पौंड-पावने का

1. While announcing devaluation in the Indian Parliament, Dr. John Mathai, the then Finance Minister said, "I feel that in this matter, I have had to act, not on conviction born of logic necessarily, but so to speak, by the compulsion of events, since sterling was devalued, there was no other course open to us."

जितना भाग डॉलर-क्षेत्र में व्यय किया था उसका मूल्य 39.5 प्रतिशत से घट गया।

(iv) विदेशी ऋण के भार में वृद्धि — भारत ने अमेरिका तथा निश्च वैक से जो ऋण लिया था, उनके भार में अबमूल्यन के फलस्वरूप बहुत अधिक वृद्धि हो गयी।

(v) अबमूल्यन के फलस्वरूप डॉलर क्षेत्र में निर्यात को प्रोत्साहन मिला तथा वहाँ के आयात में कमी हो गयी — अमेरिकी वस्तुएँ भारत में महँगी पडने लगी जिससे भारत को यन्त्र तथा खाद्य-सामग्री खरीदने में कठिनाई होने लगी। साथ ही, पाकिस्तान ने भी अपनी मुद्रा का अबमूल्यन नहीं किया था। अतः वहाँ से भी कच्चा जूट तथा कपास आदि मँगाने का खर्च बढ़ने लगा।

इस प्रकार अबमूल्यन ने देश की आर्थिक व्यवस्था को बहुत अधिक प्रभावित किया। इसके प्रभावों के मूल्यांकन से स्पष्ट है कि यद्यपि भारत को अबमूल्यन से प्रारम्भ में कुछ लाभ अन्वेष हुआ, किन्तु दीर्घकाल में इससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। व्यापारिक संतुलन में स्थायी रूप से कोई सुधार नहीं हो सका। निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन अवश्य मिला, किन्तु खाद्य सफट की स्थिति को दूर करने के लिए बहुत-बड़ी मात्रा में अमेरिका से खाद्यान्न आदि का आयात करना पड़ा। पाकिस्तान ने भी अपनी मुद्रा का अबमूल्यन नहीं किया जिससे भारत की कठिनाइयाँ और भी बढ़ गयीं। भारत को पाकिस्तान से कच्चा जूट एवं कपास खरीदने के लिए अब अधिक मूल्य चुकाना पड़ता था। इससे दोनों देशों के बीच का व्यापार प्रायः बन्द सा हो गया। इन प्रकार यह कहा जा सकता है कि अबमूल्यन का भारतीय आर्थिक व्यवस्था पर बहुत अछड़ा एवं स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में, अबमूल्यन इस प्रकार की समस्या का कोई स्थायी समाधान भी नहीं है।

जून, 1966 में अबमूल्यन — दूसरी बार पुनः 6 जून, 1966 ई० को भारत सरकार ने अपनी मुद्रा का अबमूल्यन किया। इसकी सविस्तार व्याख्या अगले अध्याय में की गयी है।

पंचवर्षीय योजनाओं में भारतीय मुद्रा

(1951-1970)

1951-52 ई० में भारत के आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएँ प्रारम्भ हुईं। पंचवर्षीय योजनाओं का देश की मौद्रिक व्यवस्था पर तीन प्रकार से प्रभाव पड़ा है — (1) योजना काल में देश में सामान्य मूल्य स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि की प्रवृत्ति जारी रही जिसके परिणामस्वरूप भारतीय मुद्रा के आन्तरिक मूल्य में कमी हुई। (2) योजनाकरण का भारतीय मुद्रा की विदेशी विनिमय-दर पर भी प्रभाव पड़ा। (3) योजना काल में देश में मुद्रा की कुल पूर्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई।

आयोजित विभाग की अवधि में देश में मूल्य-स्तर में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है जो निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है —

शोक मूल्यों का सूचनांक (1952-53 = 100)

वर्ष	मूल्य-सूचनांक
1955-56	92.5
1960-61	124.9
1961-62	125.1
1962-63	127.9
मार्च, 1964	139.2
मार्च, 1965	151.5
मार्च, 1966	172.3
मार्च, 1967	202.9
मार्च, 1968	201.1
मार्च, 1969	211.5

तालिका से यह स्पष्ट है कि पंचवर्षीय योजनाकाल में शोक-मूल्यों के सूचनांक में अत्यधिक मु० मी० सं०-33

वृद्धि हुई है। मूल्य-तल में यह वृद्धि तृतीय योजना तथा इसके बाद वाले वर्षों में और भी तीव्र हो गयी। जैसा कि स्पष्ट है कि द्वितीय योजना काल के 5 वर्षों में मूल्य तल में केवल 32.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि तृतीय योजनाकाल में पांच वर्षों में मूल्य तल में 47.4 प्रतिशत तथा केवल 1966-67 के एक वर्ष को अवधि में मूल्य-तल में 30.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उपरोक्त वस्तुओं के मूल्य तल में भी योजनाकाल में इसी प्रकार से हुई। मूल्य-तल में इस वृद्धि के परिणामस्वरूप योजनाकाल में भारतीय मुद्रा की क्रय-शक्ति में बहुत अधिक कमी हुई। मूल्य-तल में इस वृद्धि, यानी भारतीय मुद्रा की क्रय-शक्ति में कमी का प्रधान कारण पंचवर्षीय योजनाओं में घाटे की वित्त व्यवस्था (Deficit financing) की नीति को अपनाने के कारण देता है। चलन में मुद्रा की कुल पूर्ति में अत्यधिक वृद्धि है।

प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाकाल में घाट की वित्त व्यवस्था के रूप में 2600 करोड़ रुपये की रकम प्राप्त हुई। चतुर्थ योजना में घाटे की वित्त-व्यवस्था के रूप में प्रायः 1000 करोड़ रुपये की रकम प्राप्त की गयी। इसके अतिरिक्त इस अवधि में विदेशी भुगतान समतुलन के घाट की पूर्ति के लिए विदेशों से बहुत अधिक रकम ऋण के रूप में भी ली गयी। तीनों पंचवर्षीय योजनाओं तथा 1966-67 एवं 1967-68 में भारत के विदेशी व्यापार का कुल घाटा 6452 करोड़ रुपये था जिसका अंदाजा निम्नांकित तालिका से रखा जा सकता है—

(करोड़ रुपये में)

	आयात	निर्यात	व्यापार का घाटा
प्रथम योजना (1951-52 से 1955-56)	3617	3029	— 588
द्वितीय योजना (1956-57 से 1960-61)	4882	3046	—1836
तृतीय योजना (1961-62 से 1965-66)	6138	3807	—2331
1966-67	2078	1156	— 922
1967-68	1974	1199	— 775

1951-52 से 1967-68 तक कुल घाट की रकम —6452

इसी प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में मुद्रा की कुल पूर्ति में भी पर्याप्त सीमा में वृद्धि हुई जिसका अंदाजा निम्नांकित तालिका से लगाया जा सकता है—

जनता के हाथ सम्पूर्ण मुद्रा (करोड़ रुपये में)

अन्तिम शुक्रवार को

जनता के हाथ मुद्रा की पूर्ति

(Money Supply with the Public)

1950-51	2020 6
1955-56	2217 0
1960-61	2868 6
1965-66	4529 4
1967-68	5351 8
1969-70	6386 5
1970-71	7136 0
1971-72	8042 0
जनवरी, 1973	8663 7

इस प्रकार 5 जनवरी, 1973 ई० को मुद्रा की कुल पूर्ति 8663.7 करोड़ रुपये थी। जनता के पास (Currency with the Public) 4967.4 करोड़ रुपये तथा बैंकों के पास 3696.3 करोड़ रुपये थे।

(Net Demand Deposit of Banks and other Deposits with the Reserve Bank) की मात्रा 36963 करोड़ रुपये थी। स्पष्ट है कि 1950-51 से 1972-73 के बीच जनता के पास मुद्रा की कुल पूर्ति में लगभग चार गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है जबकि वास्तविक राष्ट्रीय आय में इस अवधि में के ल 70 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। दूसरे शब्दों में, इस अवधि में, मुद्रा की कुल राशि में राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि की तुलना में अधिक वृद्धि हुई। इस अवधि में जनता के पास मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के दो महत्वपूर्ण कारण हैं—प्रथमतः केन्द्रीय सरकार के बजट में बढ़ता हुआ घाटा और राज्यो द्वारा रिजर्व बैंक से अधिविकल्प (Overdrafts) तथा द्वितीयतः, निजी क्षेत्र विशेषतः व्यापारियों का दिये जाने वाले ऋण में अत्यधिक वृद्धि। कारण जो भी हो, एक बात स्पष्ट है कि इसके परिणामस्वरूप भी मूल्य तल में अत्यधिक वृद्धि हुई है। केवल चतुर्थ योजना के चार वर्षों (1969-70 से 1971-73) के बीच मुद्रा की पूर्ति में प्रायः 28844 करोड़ रुपये, यानी प्रायः 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इन चार वर्षों में वास्तविक राष्ट्रीय आय में प्रायः बहुत ही कम वृद्धि हुई। तृतीय योजनाकाल में भी यही बात थी। यही कारण है कि तृतीय योजनाकाल तथा चार दशक के वर्षों में कीमतों में भारी वृद्धि हुई। कीमतों में इस वृद्धि के परिणामस्वरूप भारतीय रुपये के आंतरिक मूल्य में भारी कमी हो गयी है।

विशेष अध्ययन-सूची

- | | |
|---------------------------|---|
| 1 Reserve Bank of India : | Reports on Currency and Finance |
| 2 B R Ambedkar | History of Indian Currency & Banking |
| 3 Jather and Bery | Indian Economics (Chapters on Indian Currency and Exchange) |

अध्याय : 44

भारतीय रुपये का अवमूल्यन

(Devaluation of the Indian Rupee)

अवमूल्यन का अर्थ (Meaning of Devaluation) :—सरकारी तौर पर किसी देश की मुद्रा के अन्य देशों की मुद्राओं के रूप में मूल्य कम करने को 'अवमूल्यन' कहते हैं। (Devaluation means the lowering of the external value of a country's currency unit by an official act.) दूसरे शब्दों में, जब कोई देश अपनी मुद्रा के बदले पहले से कम ही दूसरे देश की मुद्रा लेने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। जैसे मॉन्ट्रैलिये भारत का 100 रुपये 35 डॉलर के बराबर है। यदि किसी कारणवश भारत सरकार 100 रुपये की वित्तिमय-दर अब पटाकर 20 डॉलर निर्धारित कर दे, तो इसे हम भारतीय रुपये का अवमूल्यन कहेंगे।

अवमूल्यन की विभिन्न परिभाषाएँ दी जाती हैं। इनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण परिभाषाएँ इस प्रकार हैं : डॉ० गोमुली के अनुसार, "अवमूल्यन का अभिप्राय देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी कर देना है।"

इसी प्रकार पाल एनजिंग के अनुसार, "देश की मुद्रा का अन्य देशों की मुद्राओं के मूल्य के साथ निर्धारित सरकारी समता (Official Parities) में कमी करना ही अवमूल्यन है।"

अवमूल्यन के उद्देश्य (Objectives of the Devaluation).—किन्तु अब प्रश्न यह है कि अवमूल्यन क्या किया जाता है? वास्तव में, अवमूल्यन के निम्नांकित प्रधान उद्देश्य हो सकते हैं—

(1) भुगतान सन्तुलन की प्रतिकूलता को दूर करना :—अवमूल्यन का सर्वाधिक प्रधान कारण भुगतान सन्तुलन की प्रतिकूलता (adverse balance of payment) को दूर करना है। अवमूल्यन के परिणामस्वरूप देशी वस्तुएँ विदेशों में सस्ती हो जाती हैं। इसका कारण स्पष्ट है। अवमूल्यन से देश की मुद्रा के सस्ती हो जाने से विदेशी पहले से कम ही मुद्रा देकर अधिक सामान खरीद सकते हैं। इससे निर्यात प्रोत्साहित होते हैं जबकि स्वदेश में आयातित माल महंगा हो जाने से आयात निरस्तार्हित होते हैं। परिणामतः देश का भुगतान असन्तुलन दूर हो जाता है। अधिकांश अवमूल्यन प्रायः इसी उद्देश्य से किये जाते हैं।

(2) उद्योग-धन्धों को सुरक्षण प्रदान करना :—जब किसी देश में राक्षिपातन की दृष्टि से कोई दूसरा देश अपनी सस्ती वस्तुएँ भेजकर वहाँ के उद्योग-धन्धों को नष्ट करना चाहता है तो उसे देश की मुद्रा के अवमूल्यन द्वारा रोका जाता है; क्योंकि अवमूल्यन के परिणामस्वरूप स्वदेश में आयातित माल महंगा हो जाता है।

(3) देश की मुद्रा के आन्तरिक मूल्य को ऊँचा करना :—आन्तरिक मूल्य स्तर को ऊँचा उठाने के लिए भी अवमूल्यन किया जाता है। अवमूल्यन के परिणामस्वरूप देशी वस्तुएँ विदेशियों के लिए सस्ती हो जाती हैं जिससे वे अधिक मात्रा में वस्तुएँ खरीदने लगते हैं। विदेशों में स्वदेशी वस्तुओं की मांग बढ़ जाने के कारण देश के आन्तरिक मूल्य-स्तर में वृद्धि होने लगती है।

(4) अधिमूल्यन की स्थिति में सुधार :—अधिमूल्यन, यानी देशी मुद्रा के बाह्य मूल्य के पहले से अधिक होने पर भी अवमूल्यन के द्वारा इसमें सुधार किया जा सकता है।

(5) निर्यात व्यापार (Export) :—मे अपनी स्थिति को पूर्ववत् बनाये रखने के उद्देश्य से भी कभी-कभी अवमूल्यन किया जाता है।

सारांश यह कि अवमूल्यन के उपरोक्त कई कारण होते हैं, किन्तु इसका सर्वाधिक प्रधान कारण निर्यात में वृद्धि तथा आयात में कमी है।

इस प्रकार अवमूल्यन के उपरोक्त सारे उद्देश्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (International Monetary Fund) की स्थापना से विश्व में मुद्रा के अवमूल्यन के एक युग का ही समाप्ति होता है। 1948 से 1967 के बीच के 20 वर्षों में कुल 109 देशों ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया। इनमें से 24 देशों ने अपनी मुद्रा में 75 प्रतिशत तक अवमूल्यन किया तथा 38

देशों में 40 से 25 प्रतिशत के बीच अवमूल्यन किया गया। इस अवधि में अफ्रीका के सबसे अधिक 36 देशों तथा लैटिन अमेरिका के 23 देशों ने अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन किया। इस अवधि में स्वयं भारत ने भी दो बार सितम्बर, 1949 तथा जन, 1966 में अपने रुपये का अवमूल्यन किया।

1949 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन (Devaluation of the Indian Rupee in-1949) —18 सितम्बर, 1949 को इंग्लैंड के तत्कालीन वित्त मंत्री सर स्टाफोर्ड क्रिप्स (Sir Stafford Cripps) ने स्टर्लिंग का डॉलर मूल्य 30.5 प्रतिशत से कम कर दिया। इस स्टर्लिंग का डॉलर मूल्य एक पाँच—4.03 डॉलर में घटकर 2.8 डॉलर ही रह गया। ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए 10 अन्य राष्ट्रों ने भी अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन 30.5 प्रतिशत कर दिया, कुछ अन्य राष्ट्रों ने केवल 5.6 प्रतिशत अवमूल्यन किया तथा पाकिस्तान सहित 12 अन्य राष्ट्रों ने अपनी-अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन करना आवश्यक नहीं समझा। भारत ने भी 20 सितम्बर, 1949 को रुपये का 30.5 प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया। अवमूल्यन के पूर्व 1 रुपया = 30.225 सेंट था परन्तु अवमूल्यन के पश्चात् 1 रुपया = 21 सेंट हो गया। इसकी तबियतार व्याख्या भारतीय मुद्रा वाले पिछले अध्याय में की गयी है।

6 जून, 1966 को भारतीय रुपये का अवमूल्यन (Devaluation of the Indian Rupee on 6th June, 1966) —पुनः भारत सरकार ने देश की विगड़ती हुई वार्षिक स्थिति को सुधारने के लिए 6 जून, 1966 ई. को भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया। इसके अनुसार रुपये के बाह्य मूल्य (external value) में 36.5 प्रतिशत की कमी की गयी। अवमूल्यन के परिणामस्वरूप भारतीय रुपये एवं अमेरिकन डॉलर की नयी समता दर 7.5 भारतीय रुपये—1 अमेरिकन डॉलर हो गयी। दूसरे शब्दों में, 1 भारतीय रुपया अब 13.333 अमेरिकन सेंट के बराबर हो गया। इसके पूर्व इनकी समता दर 4.7619 भारतीय रुपये = अमेरिकन डॉलर थी। इस प्रकार अवमूल्यन के पश्चात् अब 100 अमेरिकन डॉलर के लिए 750 भारतीय रुपये देने पड़ते हैं जब कि इसके पूर्व इनके लिए केवल 476.19 रुपये ही देने पड़ते थे। इसी प्रकार पहले 12.33 भारतीय रुपये ब्रिटेन के 1 पाँच के बराबर होता था, अवमूल्यन के बाद ब्रिटेन का 1 पाँच = 21 भारतीय रुपये के बराबर हो गया है। अवमूल्यन के कारण रुपये की स्वर्ण समता मूल्य में भी परिवर्तन हुआ है। अवमूल्यन के परिणामस्वरूप 100 रुपये के समता-मूल्य को 18.66 ग्राम स्वर्ण में घटाकर 11.85 ग्राम स्वर्ण कर दिया गया। इस प्रकार भारत सरकार ने भारतीय रुपये का 36.5 प्रतिशत अवमूल्यन किया है। दूसरे शब्दों में, भारतीय मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा का मूल्य अवमूल्यन के परिणामस्वरूप 57.5 प्रतिशत से बढ़ गया है।

इसके पूर्व भारत ने 20 सितम्बर 1949 ई. को भी अपनी मुद्रा का 30.5 प्रतिशत से अवमूल्यन किया था जिसने रुपये के विनिमय मूल्य को अमेरिकन डॉलर के रूप में 1 रुपया = 30.225 सेंट से घटाकर 1 रुपया = 21 सेंट कर दिया गया था। दूसरे शब्दों में, स्वर्ण के रूप में भारतीय रुपये की समता दर को 0.268691 ग्राम शुद्ध स्वर्ण कर दिया गया था।

इस प्रकार प्रायः 18 वर्षों के बाद भारत ने अपनी मुद्रा का दूसरी बार अवमूल्यन किया। 1966 ई. में भारतीय रुपये का अवमूल्यन प्रचलित नियामक बृद्धि के लिए किया गया था। अवमूल्यन के फलस्वरूप नियामक बृद्धि का प्रदान कारण यह है कि अवमूल्यन वाले देश की वस्तुएँ विदेशों में पहले की अपेक्षा सस्ती हो जाती हैं जिससे विदेशियों को इनके लिए कम ही मूल्य चुकाना पड़ता है। एक उदाहरण द्वारा इसे अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। अवमूल्यन के पूर्व अमेरिका के 100 डॉलर द्वारा भारत को 476.19 रुपये की वस्तुएँ प्राप्त हो जाती थीं। अवमूल्यन के परिणामस्वरूप भारतीय मुद्रा का विनिमय मूल्य घट गया है, अतएव अब 100 डॉलर के द्वारा भारत से 750 रुपये की वस्तुएँ प्राप्त की जा सकती हैं। इससे स्पष्ट है कि अवमूल्यन से भारतीय वस्तुएँ विदेशों में सस्ती हो जायेंगी। इसके विपरीत अवमूल्यन के परिणामस्वरूप विदेशी वस्तुएँ भारत में महँगी पड़ने लगती हैं, जिससे आयात हतोत्प्रेक्षित होता है। उपरोक्त उदाहरण के आधार पर इसे भी अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। मान लिया कि समुद्र राज्य अमेरिका में किमी मशीन की कीमत 100 डॉलर है। उसे भारत में आयात के लिए अवमूल्यन के पूर्व 476.19 रुपये देने पड़ते

थे, किन्तु अवमूल्यन के बाद उसी मात्र को भारत में मँगाने के लिए अब 750 रुपये देने पड़ते हैं। इससे स्पष्ट है कि विदेशी वस्तुएँ अवमूल्यन वाले देश में मईगी हो जाती हैं जिनसे आयात हतोत्साहित होता है।

इस प्रकार अवमूल्यन के फलस्वरूप देश की मुद्रा की विनिमय दर कम हो जाती है, यानी इसके विदेशी विनिमय मूल्य में भारी कमी आ जाती है। अतएव, परिणामस्वरूप निर्यात में वृद्धि होती है तथा आयात हतोत्साहित होता है।

भारतीय रुपये के अवमूल्यन के लिए उत्तरदायी परिस्थितियाँ (Circumstances leading to the Devaluation of the Indian Rupee)

अब हम उन परिस्थितियों की व्याख्या करेंगे जिनके परिणामस्वरूप 1966 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन अनिवार्य हो गया। 6 जून, 1966 ई० को रुपये के अवमूल्यन की घोषणा करते हुए भारत के तत्कालीन वित्त मन्त्री श्री मचीन्द्र चौधरी ने बहुत सारी परिस्थितियों की चर्चा की जिनके परिणामस्वरूप अवमूल्यन अनिवार्य हो गया था। इनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं —

1 आन्तरिक मूल्य तल में वृद्धि के कारण रुपये के आन्तरिक मूल्य में भारी कमी :—सर्वप्रथम तो वर्तमान समय में भारतीय मुद्रा की क्रय शक्ति में पिछले दम वर्षों की अपेक्षा बहुत कमी आ गयी। भारत में पिछले कुछ वर्षों से मूल्य तल में निरन्तर वृद्धि हो रही है। वर्तमान समय में भारतीय मूल्य तल में दम वर्ष पहले की अपेक्षा प्रायः 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विश्व के अधिकांश देश, जिनसे हमलोगों का व्यापारिक सम्बन्ध है, में मूल्य तल में इस बीच इतनी अधिक वृद्धि नहीं हुई है, परन्तु रुपये की विदेशी विनिमय-दर में 1949 ई० से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अतएव ऐसी स्थिति में विदेशी बाजार में हमलोगों के निर्यात को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जबकि हम अपनी योजनाओं की कार्यान्वित करने के लिए अधिकाधिक मात्रा में निर्यात की आवश्यकता है। निर्यात की इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए भारत सरकार को बहुत-सारे उपायों जैसे निर्यातकों की आर्थिक सहायता, करों में छूट, आयात का हक आदि अपनाया पड़ा था, किन्तु इन उपायों से भी एक सीमित मात्रा में ही सफलता मिली थी। साथ ही, ये सारे उपाय केवल अल्प कालीन हैं। दीर्घकाल तक इन्हें नहीं अपनाया जा सकता। हमारे वित्त मन्त्री के अनुसार ऐसी स्थिति में रुपये के बाह्य मूल्य को कम करने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया था।

2 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी सहायता की आवश्यकता — इसका दूसरा कारण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी सहायता की आवश्यकता बतलाया गया था। वास्तव में, विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी विनिमय की आवश्यकता पड़ती है और पर्याप्त मात्रा में निर्यात के अभाव में विदेशी विनिमय के लिए हमें विदेशी सहायता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। वित्त मन्त्री के शब्दों में ही हमलोगों के विदेशी विनिमय की स्थिति इस प्रकार की है कि पर्याप्त मात्रा में विदेशी सहायता के अभाव में आर्थिक विकास की गति निश्चित रूप से मन्द पड़ जायगी। औद्योगिक उत्पादन में 1965 ई० में केवल 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, कृषि का उत्पादन भी अपेक्षित गति से नहीं बढ़ा। इसे बढ़ाने के लिए विदेशों से खाद एवं उर्वरक के आयात की प्रबल आवश्यकता है। विदेशी ऋणों की वापसी के लिए भी हमारी देनदारों बहुत अधिक है। ऐसी स्थिति में पर्याप्त मात्रा में विदेशी सहायता के लिए भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन अनिवार्य हो गया। वित्त मन्त्री के शब्दों में, "A truncated plan, without aid or aid in much smaller amount will not meet the requirements of the situation or enable us to deal with our deeprooted economic problems satisfactorily"

3 निर्यात प्रोत्साहन की विफलता — 1966 ई० के अवमूल्यन का तीसरा प्रमुख कारण सरकार द्वारा निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए अपनाये गये विभिन्न उपायों की विफलता भी था। प्रथम योजना के अन्त में 9970 करोड़ रुपये राष्ट्रीय आय के विरुद्ध हमारा वार्षिक निर्यात केवल 605 करोड़ रुपये, यानी कुल राष्ट्रीय आय का केवल 6 प्रतिशत भाग ही था। इसी प्रकार द्वितीय योजना में औसत वार्षिक निर्यात राष्ट्रीय आय का 4.6 प्रतिशत तथा तृतीय योजना में 4.3 प्रतिशत था, यानी इनमें सापेक्षिक रूप में निरन्तर ह्रास हो रहा था। अतः निर्यात में प्रोत्साहन के लिए अवमूल्यन आवश्यक समझा जाने लगा।

4. आयात में निरन्तर वृद्धि — एक ओर तो देश के निर्यात में कोई वृद्धि नहीं हो रही थी और दूसरी ओर इसके आयात में इन अवधि में निरन्तर वृद्धि हो रही थी जिसके परिणामस्वरूप भुगतान संतुलन की विपक्षता बढ़ने लगी। अतएव, आयात को हतोत्साहित करने के लिए भी अवमूल्यन आवश्यक समझा गया।

5. भुगतान संतुलन का निरन्तर विपक्ष में होना (Continued Adverse Balance of Payments) :— पिछले कुछ वर्षों से भारत का भुगतान संतुलन निरन्तर इसके विपक्ष में रहता आ रहा था। व्यापारिक संतुलन की विपक्षता का तात्पर्य यह है कि हमलोग निर्यात को अपेक्षा आयात अधिक करते हैं। भारत के व्यापारिक संतुलन में इस विपक्षता के कई कारण हैं, जैसे— भारत से निर्यात नी की कमी, किन्तु बड़े पैमाने पर खाद्यान्न तथा यन्त्र एवं अन्य उपकरणों का आयात। भुगतान संतुलन की इस विपक्षता को हमें विदेशों की सरकारों, मुद्रा-कोष एवं विश्व बैंक तथा निजी व्यक्तियों से ऋण लेकर पूरा करना पड़ता है। इसके फलस्वरूप विदेशी विनियम कोष में निरन्तर कमी होती जा रही है। उदाहरण के लिए, तृतीय योजना के प्रथम चार वर्षों में भारत के विदेशी विनियम कोष में ७० करोड़ रुपये की कमी हो गयी। इस बीच अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष से भारत के ऋण में भी वृद्धि हुई। तृतीय योजना के प्रारम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कुल वकाया राकम 12.75 करोड़ डॉलर थी, अवमूल्यन के समय बढ़कर 32.5 करोड़ डॉलर हो गयी।

भुगतान संतुलन की इस निरन्तर विपक्षता का देश के आर्थिक विकास की योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसे दूर करने के लिए सरकार द्वारा आयात पर कठोर नियन्त्रण लगाये गये तथा निर्यात को कई प्रकार से प्रोत्साहित किया गया। किन्तु इन सबके बावजूद भुगतान संतुलन की विपक्षता निरन्तर बढ़ती गयी। अवमूल्यन के द्वारा इस समस्या का भी समाधान किया जा सकता है। अवमूल्यन से निर्यात में वृद्धि तथा आयात में कमी की आशा की जाती है जिससे भुगतान संतुलन की विपक्षता की समस्या का समाधान सुगम जान पड़ता है।

अवमूल्यन के प्रभाव

(Effects of Devaluation)

अब प्रश्न यह है कि क्या यह अवमूल्यन हमारी वर्तमान आर्थिक समस्याओं के समाधान में सहायक हो सकता है? रुपये का अवमूल्यन इसलिए हुआ कि इसके बाह्य मूल्य में बहुत कमी आ गयी थी, किन्तु ऐसा क्यों हुआ? इसमें कोई सन्देह नहीं कि अवमूल्यन देश की अत्यन्त खराब आर्थिक स्थिति का परिणाम है। दूसरे शब्दों में, अवमूल्यन पिछले 19 वर्षों में देश की आर्थिक व्यवस्था के गलत तरीके से संचालन का परिणाम था। यदि प्रारम्भ से ही देश को आर्थिक व्यवस्था को उचित रूप में संचालित किया गया होता तो इतने बड़े पैमाने पर अवमूल्यन की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और इस सम्बन्ध में सबसे बड़ी बात तो यह है कि "भारतीय रुपये के बाह्य मूल्य में कमी इसके आंतरिक मूल्य में कमी का परिणाम है। (The Rupee lost its value abroad because it had already lost its value at home.)" अवमूल्यन के द्वारा हम अपनी मुद्रा के बाह्य मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं तथा विदेशी मुद्राओं के साथ नयी समता-दर की स्थापना की जा सकती है, किन्तु अवमूल्यन के द्वारा रुपये के आंतरिक मूल्य में ह्रास को रोकना नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में, आंतरिक अव्यवस्था, जो बाह्य अव्यवस्था का प्रधान कारण है अभी ज्यों-की-त्यों बनी रहेगी और जबतक आंतरिक व्यवस्था को ठीक नहीं किया जायगा तबतक इस नये एवं कम मूल्य पर भी रुपये के बाह्य मूल्य को स्थायी नहीं बनाया जा सकता। (The domestic disequilibrium, which is the fundamental cause of the external disequilibrium, would still persist and unless this domestic disequilibrium is corrected, the external value of the rupee may not be stabilised even at the new lower rate) दूसरे शब्दों में, अवमूल्यन का उद्देश्य तबतक पूरा नहीं हो सकता जबतक कि रुपये के आंतरिक मूल्य, यानी वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में इसकी क्रय-शक्ति सुदृढ़ नहीं की जाय। ऐसा जबतक नहीं होगा, तबतक सम्भव है कि अवमूल्यन से उन शक्तियों की प्रोत्साहन मिलेगा जिनके द्वारा रुपये की आंतरिक क्रय-शक्ति में और कमी होगी और इस प्रकार देश में मुद्रा-स्थीति

को और भी प्रश्रय मिलेगा। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है : "Devaluation which is a consequence of inflation may also cause further inflation by generating new rupee incomes in the economy unmatched by increase in goods services." अतः आवश्यकता इस बात की है कि अवमूल्यन के साथ-साथ आंतरिक अपस्फीतिजनक नीति का अनुकरण किया जाय। फ्रांस ने अवमूल्यन की सफलता का प्रधान कारण यही था। किन्तु कई कारणों से भारत सरकार के लिए अपस्फीतिजनक नीति का अनुकरण करना कठिन है, अतएव अधिकांश देशों में अवमूल्यन के साथ इस नीति का अनुकरण नहीं किया जाता। यही कारण है कि बहुत से देशों में अवमूल्यन स्थायी सुधार के रूप में कार्य नहीं कर केवल एक अस्थायी उपचार ही सिद्ध हुआ है। भारत में यही बात देखने को मिलती है।

इससे स्पष्ट है कि अवमूल्यन मुद्रा-स्फीति की समस्या के समाधान में बहुत हद तक सहायक नहीं हो सकता। वास्तव में, अवमूल्यन के परिणामस्वरूप मूल्य-तल में कमी हुई भी नहीं है। इसके लिए सरकार को मुद्रा के आंतरिक मूल्य को सुदृढ़ बनानेवाले उपायों का अनुकरण करना पड़ेगा जिसके लिए भारत सरकार तथा हमारे वित्त मंत्री शायद अभी तैयार नहीं हैं।

अवमूल्यन का निर्यात पर प्रभाव (Effects of Devaluation on Export) :—दूसरी बात यह है कि क्या अवमूल्यन से भारतीय निर्यात में वृद्धि होगी। निर्यात मोटे तौर पर दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—पहला परम्परागत निर्यात (traditional exports) जैसे—बहुधा, तिलहन तथा जूट की बनी वस्तुएँ इत्यादि। दूसरी श्रेणी में नये-नये निर्यातों को रखा जा सकता है; जैसे—विजली के सामान, सूनी वस्त्र, यन्त्र इत्यादि। जहाँ तक परम्परागत निर्यात का सम्बन्ध है इस प्रकार की वस्तुओं का भारत से निर्यात बहुत पहले से ही होता आ रहा है। अतः इनके निर्यात के लिए व्यापारिक सगठन पहले से ही काम कर रहा है। इन वस्तुओं के निर्यात के सम्बन्ध में भारत की स्थिति पहले से ही अच्छी है, अतएव केवल इनके उत्पादन में वृद्धि तथा इनकी लागत में कमी अनिवार्य है जिससे निर्यात बढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में इनका आधिक्य हो सके। किन्तु इनमें से अधिकांश वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि में पर्याप्त समय लगेगा; क्योंकि उत्पादन में वृद्धि तथा उत्पादन व्यय में कमी के लिए इन उद्योगों को अपने सगठन में सुधार करना होगा जिसमें कुछ समय का लगना अनिवार्य है। अतएव, परम्परागत वस्तुओं के निर्यात पर अवमूल्यन के प्रभावों के अध्ययन के लिए इन 'समय के तत्व' पर ध्यान देना अनिवार्य है क्योंकि समय व्यतीत होने के साथ-साथ अवमूल्यन का प्रभाव भी धीरे-धीरे घटने लगेगा। साथ ही, सरकार द्वारा अवमूल्यन के बाद इस प्रकार की 12 वस्तुओं पर निर्यात करों में वृद्धि की गयी। इसका भी इनके निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

जहाँ तक गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात का सम्बन्ध है, सरकार इनके निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए अवमूल्यन के पहले इन्हें विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान करती थी। खास-खास उद्योगों को तो निर्यात के लिए सरकार 200 प्रतिशत या इससे भी अधिक सहायता प्रदान करती थी। अवमूल्यन के प्रभाव इन्हें सहायता कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अवमूल्यन का इस प्रकार के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। किन्तु इनमें से अधिकांश वस्तुओं का उत्पादन व्यय हमारे देश में अन्य देशों की अपेक्षा अधिक ऊँचा है। अतएव, अब प्रश्न यह है कि क्या भारतीय रुपये के 36.5 प्रतिशत अवमूल्यन से अपनी वर्तमान लागत पर ये विदेशी बाजार में सफलतापूर्वक प्रतियोगिता कर सकते हैं? यह बिल्कुल सदिग्ध है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि ये अपने निर्यात को बढ़ाने में सफल भी हो जायें तो इन वस्तुओं को देश में कमी हो जायगी जिससे इनके आंतरिक मूल्य में वृद्धि होगी।

फिर भी, अवमूल्यन के परिणामस्वरूप देश के कुल निर्यात में वृद्धि अवश्य हुई है। अवमूल्यन के पूर्व, तृतीय योजना के पाँच वर्षों में निर्यात का वार्षिक औसत 762 करोड़ रुपये था, जबकि 1966-67 तथा 1967-68 में वार्षिक निर्यात क्रमशः 1079 करोड़ रुपये तथा 1255 करोड़ रुपये था। किन्तु निर्यात में यह वृद्धि आयात के मूल्य में वृद्धि के द्वारा समाप्त हो गयी और परिणामस्वरूप व्यापार के घाटे में इस अवधि में बहुत अधिक वृद्धि हुई।

अवमूल्यन का आयात पर प्रभाव (Effects of the Devaluation on Imports) —
जहाँ तक आयात पर अवमूल्यन के प्रभाव का प्रश्न है, भारतीय रुपये के 36.5 प्रतिशत अवमूल्यन

ते आयात के मूल्य में 57.5% की वृद्धि हो गयी। इसका तात्पर्य यह है कि यदि 1966-67 ई० में आयात को 1965-66 ई० के स्तर (1350 करोड़ रुपये) पर भी रखा जाय तो इसके मूल्य में रुपये के रूप में प्रायः 776 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। इसका तात्पर्य यह है कि 1965-66 ई० के बराबर आयात, यानी 1966-67 में भी 1350 करोड़ रुपये मूल्य के आयात के लिए भारत को 2126 करोड़ रुपये व्यय करना पड़ेगा। वास्तव में—1966-67 तथा 1967-68 ई० में आयात क्रमशः 1886 करोड़ रुपये तथा 2070 करोड़ हुआ। ऐसी स्थिति में आयात के सामान प्रयोग करनेवाले उद्योगों का उत्पादन-व्यय बढ़ जायगा जिससे इनकी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होगी। आयात की जानेवाली कुछ वस्तुओं पर सरकार ने अवमूल्यन के बाद आयात करों में कुछ छूट दी है। उदाहरण के लिए, यन्त्रों के आयात पर से आयात करों को 45 प्रतिशत से घटाकर 27½ प्रतिशत कर दिया गया है, किन्तु इस प्रकार की छूट का प्रभाव बिलकुल नगण्य है, क्योंकि इस घटा हुई दर पर भी आयात के बढ़ते हुए खर्च के कारण छूट की रकम प्रायः वही रह जायगी। अवमूल्यन के बाद बाद सरकार अपनी आयात नीति को भी अधिक उदार बना रही है। सरकार का उद्देश्य आवश्यक उद्योगों के लिए कच्चे पदार्थ तथा मशीन आदि के आयात को अधिक उदार बनाना है। इससे इन उद्योगों के विकास को अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, अवमूल्यन के परिणामस्वरूप खाद्यान्न एवं खाद के आयात-मूल्य में जिस हद तक वृद्धि होगी उस हद तक सरकार इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जिससे इनके विक्रय मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होने पाये। वास्तव में, अवमूल्यन के पश्चात् आयात में कमी अवश्य हुई जो अगले पृष्ठ की तालिका से स्पष्ट है। 1968-69 ई० में आयात में कमी अवश्य हुई है, किन्तु आयात में यह कमी मुख्यतः खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के कारण इनके आयात में कमी का परिणाम थी।

आन्तरिक मूल्य-तल पर प्रभाव (Effects on Internal Prices) :—अन्त में, हमें यह देवना है कि अवमूल्यन का आन्तरिक मूल्य-तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अवमूल्यन के समर्थकों का कहना है कि अवमूल्यन मूल्य-तल को स्थायी बनाता है और कभी कभी इसमें कमी भी लाता है। किन्तु वास्तव में इस प्रकार का तर्क तथ्यहीन जान पड़ता है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि अवमूल्यन का प्रधान उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहित तथा आयात को हतोत्साहित करना है। निर्यात में वृद्धि से निर्यात की वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है और मूल्य में यह वृद्धि केवल निर्यात तक ही सीमित नहीं रहकर देश के उपभोक्ता-उद्योगों को भी प्रभावित करती है। साथ ही, निर्यात की वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि से इनके लिए कच्चे पदार्थों तथा मजदूरी की दर में भी वृद्धि होगी और इस प्रकार इनके मूल्य में वृद्धि का प्रभाव धीरे-धीरे सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था पर पड़ने लगता है। इसी प्रकार आयात के महँगा हो जाने के कारण आयात की जानेवाली वस्तुओं तथा इनकी स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। जिन उद्योगों में आयात किये गये यन्त्रों अथवा कच्चे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, उनका उत्पादन व्यय भी बढ़ जायगा जिससे इनके द्वारा निमित्त वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होगी। मूल्य-वृद्धि की मात्रा किसी वस्तु-विशेष के उत्पादन में आयात की गयी वस्तुओं के महत्त्व पर निर्भर करती है। और, इस प्रकार इन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि का प्रभाव धीरे-धीरे सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था पर पड़ेगा।

किन्तु, अवमूल्यन के परिणामस्वरूप मूल्य-तल में इस वृद्धि को सरकार उचित आर्थिक, मौद्रिक तथा प्रशासनिक उपायों द्वारा रोक सकती है। भारत सरकार भी इस सम्बन्ध में जानरूक है तथा मूल्य-तल में वृद्धि को रोकने के लिए बहुत-सारे उपाय अपनाये जा रहे हैं, जस—खाद्यान्न एवं खाद जैसे आयातभूत आयातों पर आर्थिक सहायता देना, आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पर नियन्त्रण तथा इनके वितरण की व्यवस्था के लिए सरकारी एवं सहकारी भंडारों की स्थापना और उदार आयात नीति का अनुकरण इत्यादि। किन्तु, इन उपायों का मूल्य तल पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। साथ ही, यह बहुत कुछ मौनमूल की प्रकृति तथा घाटे की वित्त व्यवस्था की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि मौनमूल की प्रकृति उचित रही तथा कृषि की उपज पर्याप्त मात्रा में हुई एवं सरकार घाटे की वित्त-व्यवस्था को एक सीमा के अन्तर्गत रखने में समर्थ हुई तो इससे मूल्य तल में वृद्धि की प्रवृत्ति अवश्य ही रुकेगी।

किन्तु, अवमूल्यन का देश की आर्थिक व्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। इससे निर्यात में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई तथा आवश्यक वस्तुओं के आयात में भी अत्यधिक वृद्धि हुई।

दूसरे शब्दों में, इससे अवमूल्यन के बाद के वर्षों में व्यापार के घाटे में अत्यधिक वृद्धि हुई जो निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है—

1950 51 से 1968 69 ई० के बीच भारत का व्यापारिक सतुलन
(करोड़ रुपये में)

	अवमूल्यन के पूर्व			अवमूल्यन के बाद			
	प्रथम योजना (1951 56)	द्वितीय योजना (1956 61)	तृतीय योजना (1961 66)	1966 67	1967 68	1968 69	1969 70
आय त	3617	4882	6138	2078	2008	1909	1568
निर्घात	3029	3046	3807	1157	1199	1358	1413
व्यापार का घाटा	—588	—1836	—2331	—921	809	- 551	—155
वार्षिक औसत	—117 6	—367 2	—466 2	—921	—809	—551	—155

स्पष्ट है कि अवमूल्यन से देश को आर्थिक स्थिति में कोई स्पष्ट सुधार नहीं हो सका है। 1968 69 तक व्यापार के घाटे में कोई कमी नहीं दिखायी दी है, किन्तु 1969 70 में इसमें बड़े पमाने पर कमी हुई जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है।

विशेष अध्ययन सूची

- 1 Eastern Economist June 9 and 17, 1966
- 2 Commerce June 11, 1966

अध्याय : 45

भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का विकास (Development of the Indian Banking System) *

प्रथम महायुद्ध तक बैंकिंग व्यवस्था का विकास — आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में बैंको का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। बैंक हमारी आर्थिक व्यवस्था में विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान करते हैं। उत्पादन, विक्रय, आन्तरिक एवं विदेशी व्यापार आदि सभी क्षेत्रों में ये अनेक प्रकार से महायुक्त सिद्ध होते हैं। इंग्लैण्ड तथा मयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों में बैंको का जमा 90 प्रतिशत तक मुद्रा का कार्य करता है।

अंगरेजों के भारत आगमन के सदियों पूर्व भारत में बैंकिंग का कार्य देशी महाजन तथा साहूकारों द्वारा किया जाता था। ये महाजन एवं साहूकार जनता का जमा ग्रहण करते, उन्हें उधार देते तथा देश के व्यापार में विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान करते थे, किन्तु अंगरेजों के भारत आगमन के पश्चात् भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का ह्रास प्रारम्भ हो गया। अंगरेजों ने देशी बैंकिंग प्रणाली का उपयोग नहीं किया तथा इसके बदले स्थान स्थान पर एजेंसी गृहों (Agency houses) की स्थापना को प्रोत्साहित करने लगे। इन एजेंसी गृहों में कम्पनी के कर्मचारियों की पूंजी जमा रहती थी। बाद में, इन्होंने जनता से भी जमा प्राप्त करना प्रारम्भ कर दिया। किन्तु, 1813 ई० में कम्पनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया जिससे इन एजेंसी गृहों के व्यापार को बहुत बड़ा घाटा लगा। साथ ही, इन्होंने सट्टेबाजी में भी ह्रास बंटाना प्रारम्भ कर दिया था जिससे 1830-31 ई० तक अधिकांश एजेंसी गृह समाप्त कर दिये गये। इनमें से कुछ अच्छी आर्थिक स्थितिवाले गृहों ने असंमित देय की मिश्रित पूंजीवाले बैंको की स्थापना की थी। इन बैंको में से कुछ ने पत्र मुद्रा चलाने का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया था, किन्तु 1831-32 ई० में ये सब भी फेल कर गये। तब से लेकर 1880 ई० तक देश में बैंकिंग व्यवस्था का विकास बड़ा ही मन्द रहा।

— कम्पनी की आज्ञा के अनुसार 1806 ई० में कलकत्ता में, 1840 ई० में बम्बई में तथा 1843 ई० में मद्रास में एक-एक प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गयी। कम्पनी ने इन तीनों बैंकों में अपनी पूंजी लगायी। इन बैंकों को पत्र-मुद्रा जारी करने का भी अधिकार दिया गया। 1862 ई० तक इन प्रेसिडेंसी बैंकों ने तोड़ जारी करने का कार्य किया। इनके बाद सरकार ने पत्र मुद्रा जारी करने का कार्य स्वयं अपने हाथ में ले लिया। 1876 ई० में प्रेसिडेंसी बैंक अधिनियम पारित होने के बाद सरकार ने इन बैंकों से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। ये बैंक 1920 ई० तक सकलतापूर्वक कार्य करते रहे। उन्नीस वर्ष इन तीनों बैंकों की मिलाकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना की गयी।

1880 ई० के बाद भारत में तीव्र गति से बैंको का विकास प्रारम्भ हुआ तथा देश में बहुत से बैंको की स्थापना हुई। इनमें से अधिकांश बैंक यूरोपियन पूंजी एवं व्यवस्था के अन्तर्गत स्थापित किये गये थे। अवध कॉमर्सियल बैंक भारतीय पूंजी एवं व्यवस्था द्वारा स्थापित सर्वप्रथम बैंक था। इनके बाद पंजाब नेशनल बैंक, दि बैंक ऑफ बड़ोदा, सट्टल बैंक ऑफ इण्डिया, हलाहाबाद बैंक आदि बैंको की स्थापना हुई। आज भी ये भारत के मुख्य व्यावसायिक बैंक हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से छोटे छोटे बैंको की भी स्थापना हुई, जिनकी संख्या 1913 ई० तक 560 हो गयी थी। बैंको के इस अनियोजित विवाह के परिणामस्वरूप भारतीय बैंको को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पडा। फलतः, 1913-17 ई० के बीच 87 बैंक फेल कर गये।

1913-17 ई० का बैंकिंग संकट (Banking Crisis of 1913-17) — मन् 1913-17 ई० के बीच का समय भारतीय बैंको के लिए संकट का समय था। इस संकट के कई महत्त्वपूर्ण

वारण थे—(1) 1905 ई० के बाद बैंको की स्थापना द्रुतगति से प्रारम्भ हुई जिसका भारतीय बैंको पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। (2) नये नये बैंक युद्धकालीन परिस्थितियों का सामना नहीं कर सके तथा युद्धजनित परिस्थितियों के स्वयं शिकार हो गये। (3) युद्धकाल में सरकार ने बहुत बड़ी मात्रा में बाजार से धन लना प्रारम्भ कर दिया जिससे मुद्रा बाजार में धन का अभाव हो गया। (4) भारतीय मुद्रा एवं सख प्रणाली में लोच का अभाव भी इसका एक प्रमुख कारण था। भारत में सख व्यवस्था का अभी पूर्णरूपेण विकास नहीं हुआ था। इसमें आवश्यकता पड़ने पर बैंको को सहायता नहीं मिल सकी। (5) देश में एक केन्द्रीय बैंक का अभाव था। देश की वैकिंग व्यवस्था के सफल मचालन के लिए एक केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता होती है जो पथ प्रदर्शक का काम करता है। भारत में उस समय ऐसी संस्था का प्रायः अभाव था। इन सब कारणों से 1913 ई० से वैकिंग मकट का दीर्घकाल प्रारम्भ हुआ। सर्वप्रथम दि पिपुल्स बैंक ऑफ इण्डिया 1913 ई० में इस मकट का शिकार हुआ। 1917-18 ई० तक यह मकटकाल रहा जिसमें कुल 87 बैंक फेल कर गये।

बैंको के फेल होने के कारण (Causes of Bank failures) — इस मकट के काल में अत्यधिक मात्रा में बैंको के फेल होने के बहुत से कारण थे जिनमें से कुछ का सम्बन्ध तो उस समय की परिस्थितियों से था तथा कुछ का सम्बन्ध देश की वैकिंग व्यवस्था के दोषों से था जिनमें से आज भी बहुत से वर्तमान हैं। मक्षेप में, भारत में बैंको के फेल होने के निम्नांकित प्रमुख कारण थे —

(1) सुयोग्य बैंक संचालकों का अभाव — देश में बैंको की स्थापना को 1905 ई० के स्वदेशी आन्दोलन से बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला तथा बहुत बड़ी संख्या में बैंको की स्थापना की जाने लगी, किन्तु इन बैंको के लिए सुयोग्य संचालकों का अभाव था। सुयोग्य संचालकों के अभाव में इन बैंकों को तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनकी कार्यवाही वैकिंग के मिथ्यान्तों के आधार पर नहीं होती थी। परिणामस्वरूप बहुत से बैंक फेल कर गये।

(2) ब्याज की दर का अधिक होना — बैंको के पास परिदत्त पूँजी का अभाव था, अतएव वे अपने कार्य संचालन के लिए ऊँची ब्याज की दर पर जमा ग्रहण करते थे। कभी-कभी तो ग्रहण लेने तथा देने की दरों में बहुत कम अन्तर होता था। इस प्रकार अपने पास समुचित नकद जमा (Cash Reserve) रखे वगैर ही बैंको ने जमाकर्ता के धनो को दीर्घकाल के लिए उधार देना प्रारम्भ कर दिया। कभी कभी तो वे अपनी पूँजी ऐसे कार्यों में लगाते थे जिसका वापस होना सम्भव नहीं जान पड़ता था। ऐसी परिस्थिति में बैंको का फेल होना बिल्कुल स्वाभाविक था।

(3) सट्टेबाजी में धन का विनियोग — बहुत से बैंको ने अपने धन का सट्टेबाजी में विनियोग करना प्रारम्भ कर दिया था। इससे इन्हें बहुत अधिक क्षति उठानी पड़ी। बैंक इस बात को बहुत गुप्त रखते थे।

(4) बैंक के साधनों का निजी कार्यों में उपयोग — कुछ बैंको के संचालकों ने बैंको के धन को अपने निजी कार्यों में भी लगाना प्रारम्भ कर दिया जिससे मकटकाल में अविकाश बैंक फेल कर गये।

(5) नकद कोष (Cash Reserve) का कम अनुपात — भारत में बैंक प्रारम्भ से ही अपने कुल जमा का एक बहुत छोटा भाग नकद कोष के रूप में रखते थे। अतः ग्राहकों का माँग बढ़ जाने पर इसे पूरा करना इस प्रकार के बैंको के लिए बहुत ही कठिन हो जाता था जिससे बैंक आर्थिक मकट में फँस जाते थे।

(6) केन्द्रीय बैंक का अभाव — देश की वैकिंग व्यवस्था के समुचित नियन्त्रण के लिए एक केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता पड़ती है, किन्तु भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना के पूर्व इस प्रकार के केन्द्रीय बैंक का सर्वथा अभाव था। अतः उचित पथ प्रदर्शन एवं निर्देशन के अभाव में बैंको का अत्यधिक मात्रा में फेल होना बिल्कुल स्वाभाविक ही था। साथ ही, 1913 ई० तक देश में बैंको के लिए कोई विधान नहीं था जिससे प्रायः सभी बैंक स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करते थे।

दोना महायुद्धों के बीचवाले समय में बैंको का विकास

(Development of Banking in the Inter-War Period)

1913 ई० से 1917 ई० के बीच वैकिंग मकट के पतनस्वरूप जनता का बैंको पर से

विश्वास धीरे-धीरे कम होने लगा। प्रथम महायुद्धकाल के प्रारम्भ में यह कठिनाई बहुत बढ़ गयी थी, किन्तु युद्ध के अन्तिम भाग में धीरे-धीरे परिस्थिति में सुधार होने लगा। युद्ध-काल में मुद्रा-स्फीति के कारण जनता के पास अधिक मात्रा में घन आया जिससे बैंकों के जमा में वृद्धि होने लगी तथा बैंकों का टूटना भी कम हो गया। स्थान स्थान पर नये-नये बैंकों की भी स्थापना की जाने लगी। 1920 ई० में तीनों प्रेसीडेन्सी बैंकों को मिलाकर एक इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया (Imperial Bank of India) की स्थापना की गयी। इस बैंक ने देश की बैंकिंग व्यवस्था के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। 1922 ई० में पुनः मुद्रा-स्फीति तथा आर्थिक मन्दी के कारण बैंकों के समक्ष सकट उपस्थित हो गया। यह सकट 1929-30 ई० की मन्दी में और भी गम्भीर हो गया तथा 1936 ई० तक चलता रहा। 1929-36 ई० के बीच में देश में कुल 481 बैंक फेल कर गये जिनमें से 98 पंजाब में, 64 उत्तर-प्रदेश में तथा 57 बम्बई में थे। 1930 ई० में एक केन्द्रीय बैंकिंग जांच-समिति (Central Banking Enquiry Committee) की नियुक्ति हुई जिसका उद्देश्य देश की बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक सुझाव देना था। इस समिति ने इस सम्बन्ध में बहुत से सुझाव दिये जिनमें निम्नलिखित दो प्रमुख थे—(1) देश में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की जाय, तथा (2) बैंकिंग व्यवस्था के समुचित विकास के लिए एक बैंकिंग विधान बनाया जाय। सरकार समिति की सिफारिशों को शीघ्र कार्यान्वित नहीं कर सकी, फिर भी 1934 ई० में एक रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम पारित हुआ जिसके अनुसार 1935 ई० में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना हुई। देश की बैंकिंग व्यवस्था के इतिहास में इस बैंक की स्थापना का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। साथ ही 1936 ई० में बैंकिंग कम्पनियों पर नियन्त्रण रखने के लिए इण्डियन कम्पनीज ऐक्ट (Indian Companies Act) में भी आवश्यक संशोधन किया गया।

इस काल में देश की बैंकिंग व्यवस्था का अत्यन्त व्यनस्थित तरीके से विकास हुआ। एक ओर तो बम्बई, मद्रास, उत्तर-प्रदेश, पंजाब तथा बंगाल में बैंकों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई तो दूसरी ओर असम, उड़ीसा, बिहार तथा मध्य-प्रदेश आदि प्रान्तों में बैंकिंग सुविधाओं में कोई वृद्धि नहीं हुई। इन प्रान्तों की भी बैंकों-शाखाओं का भी अभाव था। शाखा स्थापित करते समय बैंक बहुधा इम्पीरियल बैंक की ही नकल करते थे। अतः बैंकों की शाखाएँ मुख्यतः बड़े बड़े नगरों में ही स्थापित की गयीं जिससे देश के अधिकांश भाग में बैंकिंग की सुविधाओं का पर्याप्त मात्रा में विकास नहीं हो पाया। बैंकिंग के इस अव्यवस्थित विकास के फलस्वरूप बैंकों के जमा में भी केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति देख पड़ने लगी। 1922 से 1939 ई० के बीच बैंकों की जमा राशि 70 करोड़ रुपये से बढ़कर 110 करोड़ रुपये की हो गयी जिनका 83 प्रतिशत भाग इम्पीरियल बैंक तथा अन्य सात प्रमुख बैंकों के पास था।

द्वितीय महायुद्धकाल में बैंकिंग व्यवस्था—द्वितीय महायुद्ध का देश की बैंकिंग व्यवस्था पर बड़ा ही अच्छा प्रभाव पड़ा। एक ओर तो पुराने बैंकों में उन्नति की ओर दूसरी ओर नये-नये बैंकों की स्थापना भी हुई। युद्ध काल में मुद्रा-स्फीति के फलस्वरूप बैंकों के जमा की राशि में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई। बैंकों का कुल जमा 1939 ई० में 159.45 करोड़ रुपये से बढ़कर 1944-45 ई० में 1097 करोड़ रुपये हो गया। युद्धकाल में बैंकों की संख्या में भी आश्चर्यजनक गति से वृद्धि हुई। 1946 ई० तक अनुसूचित बैंकों (Scheduled Banks) की संख्या बढ़ कर 93 तथा इनके कार्यालयों की संख्या बढ़कर 3106 हो गयी। युद्ध काल में बैंकों की आय में भी पर्याप्त वृद्धि हुई, किन्तु युद्ध के पूर्व की तरह इस काल में भी बैंकों का प्रसार बिना किसी पूर्ण निश्चित योजना के ही हुआ, अतः युद्ध-काल में भी बैंकों के असतुलित विकास की प्रवृत्ति को द्रोण बल मिला। साथ ही, बैंकों का प्रसार इतनी तजी के साथ हुआ कि योग्य, अनुभवी एवं कुशल प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों का अभाव होने लगा। देश की बैंकिंग व्यवस्था पर इसका भी बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ा।

युद्ध के बाद 1947 ई० में देश की स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ-साथ देश विभाजन भी हुआ जिसका प्रभाव पंजाब एवं बंगाल के बैंकों पर बहुत बुरा पड़ा। देश में उत्पादन कम हो गया, आयात नियत घट गये तथा बहुत बड़े पैमाने पर जान माल का भी विनाश हुआ। इसका देश के बैंकों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा जिसके परिणामस्वरूप केवल 1947 ई० में 30 बैंक फेल कर गये।

भारतीय बैंकों की वर्तमान स्थिति

(Present Position of Banks in India)

1972 ई० के अंत में भारत में अनुसूचित बैंकों (Scheduled Banks) की संख्या 74 थी, जब की इनकी संख्या 1950-51 में 93 थी। 1972 में इनकी कुल शाखाएँ 14,739 थी। साथ ही असूचित बैंकों (Non-scheduled Banks) की संख्या 1956 ई० में 354 से घटकर 1972 ई० के केवल 9 रह गई। इस अवधि में बैंकों का मर्मिथन (Amalgamation of Banks) ही इनकी संख्या में इस कमी का प्रमुख कारण था। दिसम्बर 1972 ई० में अनुसूचित बैंकों का कुल जमा (Total deposit) 8146 करोड़ रुपये था जिसमें माघ जमा 3458 करोड़ रुपये तथा संचायि जमा 4688 करोड़ रुपये था।

मंडलित मर्मिति के अनुसार देश के कुल बैंक जमा का प्रायः एक-तिहाई भाग कलकत्ता तथा बम्बई दो नगरों में प्राप्त होता है तथा आधा से अधिक बैंक मात्र इन्हीं दो नगरों में प्रदान किया जाता है। प्रति व्यक्ति औसत जमा सम्पूर्ण देश के लिए 143 रुपये हैं। यह औसत सबसे अधिक 200 रुपये चंडीगढ़ में तथा सबसे कम लगभग 13 रुपये उडोमा में।

भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के दोष तथा इसे सुदृढ़ बनाने के उपाय

आजकल भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में अनेक दोष पाये जाते हैं जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं—(1) देश में बैंकिंग कम्पनियों की संख्या अत्यधिक है। अत्यधिक संख्या में होने के कारण अधिकांश कम्पनियों का आकार बहुत छोटा होता है। (2) बैंकों के व्यापार के तरीकों में भी विभिन्नताएँ पायी जाती हैं। भिन्न-भिन्न बैंक विभिन्न तरीकों का अनुसरण करते हैं जिससे इनका समुचित विकास नहीं हो पाता। (3) अच्छे सम्पत्ति के आधार पर भारतीय बैंक अत्यधिक कर्ज देते हैं जिससे इस वसूलने में बहुत कठिनाई होती है। कभी-कभी तो ये अपर्याप्त जमानत पर भी कर्ज दे देते हैं। (4) शाखाओं की स्थापना में भी बैंक वृद्धा अनियोजित ढंग से कार्य करते हैं। शाखाओं की स्थापना में अधिक लाभों की वजह से प्रतियोगिता को ही प्राथमिकता दी जाती है। (5) बैंकों का दोषपूर्ण प्रवृत्त भी भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का एक प्रमुख दोष है। भारत में बैंकों के संचालन एवं प्रवृत्त के लिए सुयोग्य व्यक्तियों का अभाव है। बैंकों का कुछ व्यापार से अनुचित सम्बन्ध भी रहता है जिसका प्रभाव भी बैंकों पर बहुत बुरा पड़ता है। (6) इनके अतिरिक्त भारतीय बैंक बहुधा सठे आँकड़े देकर अपनी वास्तविक स्थिति को छिपाने का प्रयत्न करते हैं।

रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय बैंकों की स्थिति के सम्बन्ध में समय-समय पर जांच की गयी है तथा इनके दोषों को दूर करने के लिए सुझाव दिये गये हैं। इनमें से कुछ प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं—

(1) बैंकों द्वारा प्रवृत्त के सम्बन्ध में सुझाव :—भारतीय बैंकों को बहुधा सुयोग्य एवं कुशल संचालकों की संख्या उपलब्ध नहीं हो पाती है जिससे इनकी कार्यवाही में विभिन्न प्रकार के दोष आ जाते हैं। बैंकिंग व्यवस्था के समुचित विकास के लिए बैंकों का प्रवृत्त कुशल एवं योग्य व्यक्तियों के हाथ में होना चाहिए। अतः, रिजर्व बैंक ने कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं उनकी नियुक्ति में मावधानी तथा उनकी कार्य-प्रणाली में सुधार की सिफारिश की है।

(2) विनियोग नीति के सम्बन्ध में सुझाव —प्रायः ऐसा देखा जाता है कि भारतीय बैंक अपने धन का विनियोग सरकारी प्रतिभूतियों में बहुत कम करते हैं। असूचित बैंकों (Non-Scheduled Banks) के साथ तो यह बात विशेष तौर से पायी जाती है। जांच से यह पता चलता है कि 113 बैंकों ने या तो सरकारी प्रतिभूतियों में अपना धन बिल्कुल ही नहीं लगाया है अथवा लगाया भी है तो यह उनके कुल जमा का प्रायः 1 प्रतिशत भाग से पर भी कम है। वे बैंक बहुधा ऐसी कम्पनियों के शेयर में अपने धन का विनियोग करते हैं जिनमें संचालकों का हिस्सा

रहता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति निश्चय ही दोषपूर्ण है। अतः इसमें सुधार आवश्यक है। इसलिए रिजर्व बैंक ने यह मुझाव दिया कि बैंकों को अपने धन का अधिकतर भाग सरकारी प्रतिभूतियों में लगाना चाहिए।

(3) ऋण-सम्बन्धी नीति के लिए सुझाव.—कुछ बैंक अपर्याप्त जमानत अथवा ऋणी की स्थिति की समुचित जांच किये बिना ही ऋण दे दिया करते हैं जिससे ऋण की वसूली में कठिनाई होती है। कभी-कभी अधिक लाभ कमाने की लालच में बैंक अपनी शक्ति से भी अधिक ऋण दे देते हैं। बैंकों को ऋण देने में बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता है। ऋण देने के पूर्व ऋणी की स्थिति के सम्बन्ध में पूरी जांच आवश्यक है। सन् 1949 ई० के बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम की 24 वीं धारा के अनुसार बैंकों को अपनी मांग एवं मुहूर्ती देनदारी का 20 प्रतिशत भाग तरल सम्पत्ति के रूप में रखना अनिवार्य बना दिया गया है।

(4) शाखा छोलने के सम्बन्ध में सुझाव :—युद्धकाल में व्यापारिक समृद्धि के कारण बैंकों ने बगैर सोच-समझे ही शाखाएँ स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया था। इसका भी बैंकिंग व्यवस्था के विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। वार्षिक बैंकिंग जाच-समिति ने इन सम्बन्ध में सुझाव दिया था कि शाखाओं की स्थापना की अनुमति इस प्रकार दी जानी चाहिए जिससे कि बैंकों में बापस में प्रतियोगिता नहीं हो सके।

(5) लामाशा का वितरण—प्रायः यह देखा जाता है कि बहुत-से बैंक अपने लाभ का अधिकतर भाग हिस्सेदारों के बीच बाँट देते हैं, वे सुरक्षित कोष पर बहुत कम ध्यान देते हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो पाती। 1949 ई० के बैंकिंग कम्पनीज-अधिनियम के अन्तर्गत इस दोष को दूर करने के लिए यह व्यवस्था की गयी है कि प्रत्येक बैंक को अपने लाभ का 20 प्रतिशत भाग सुरक्षित कोष में तबतक जमा करना आवश्यक है जबतक कि उनका सुरक्षित कोष उनकी परिदत्त पूँजी के बराबर नहीं हो जाय। इन सारे सुझावों के अतिरिक्त बैंकों की कार्य-प्रणाली में सुधार के अन्य कई सुझाव भी दिये गये हैं जिन्हें बैंकों का समुचित ढंग से विकास हो सके।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया

(Reserve Bank of India)

मुद्रा तथा बैंकिंग व्यवस्था में स्थायित्व लाने के लिए भारत में भी एक केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता का अनुभव लोगों को बहुत समय पहले से होता आ रहा था, किन्तु 1935 ई० के पूर्व देश में इस प्रकार की संस्था की स्थापना नहीं की जा सकी। सन् 1920 ई० में ब्रिसेल को अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-परिषद् (International Economic Conference) में स्वर्ण-मान की पुनरस्थापना के लिए इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया कि जिन देशों में केन्द्रीय बैंक नहीं हैं वहाँ शीघ्र ही इसकी स्थापना की जानी चाहिए। वास्तव में, स्वर्ण-मान की सफलता केन्द्रीय बैंक पर बहुत कुछ आधारित है। अतः इस कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा तीनों प्रेसिडेन्सी बैंकों को मिलाकर 1920 ई० में इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना की गयी। किन्तु, इम्पीरियल बैंक केन्द्रीय बैंक का कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर सका क्योंकि यह प्रदानतया एक व्यावसायिक बैंक था जिसके केन्द्रीय बैंक के कुछ ही कार्य दिये गये थे। साथ ही, देश की माछ एवं मौद्रिक व्यवस्था पर सरकार एवं इम्पीरियल बैंक का दोहरा नियन्त्रण देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए हितकर नहीं जान पड़ा। इन्हीं कारणों एवं उपरोक्त दोषों को दूर करने के लिए 1926 ई० में हिल्टन यंग आयोग (Royal Commission on Currency and Finance) ने एक स्वतन्त्र केन्द्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी। उसने मुद्रा एवं साख व्यवस्था के उचित संचालन एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार से एक स्वतन्त्र केन्द्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की जिम्का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया रखा जाय। सन् 1928 ई० में इस आशय का एक विधेयक भी विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, किन्तु चन्द वैधानिक कठिनाइयों से उस समय उसे स्वंगित कर दिया गया। केन्द्रीय बैंकिंग जांच-समिति ने भी सन् 1930 ई० में भारत में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी। उपरोक्त आर्थिक

आधारों के अतिरिक्त देश को बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना ने भी केन्द्रीय बैंक की स्थापना में तात्कालिक सहयोग प्रदान किया। इन सब प्रयत्नों के फलस्वरूप 1934 ई० में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया¹ अधिनियम पारित हुआ तथा पहली अप्रैल, 1935 ई० से रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया।

जमा बीमा निगम (Deposit Insurance Corporation)

भारत में बैंकिंग व्यवस्था के विकास में इतिहास से यह स्पष्ट है कि देश में समय-समय पर बहुत से बैंक फेल होने रहे हैं। मन् 1913 17 ई० में तो बैंकों की बड़े पैमाने पर अज्ञपलता का मामला करना पड़ा था। मन् 1947 के बाद भी बैंकों का फेल होना पूर्णतः बन्द नहीं हुआ। उदाहरणार्थ, जून, 1960 में महाराष्ट्र का लक्ष्मी बैंक (Lakshmi Bank) तथा अगस्त, 1960 में केरल का पलाई सेंट्रल बैंक (Palai-Central Bank) फल हो गये। इन बैंकों के फेल हो जाने से देश की बैंकिंग व्यवस्था पर से जनता के विश्वास को भारी झकड़ लगा और बहुत से लोगों ने घर से अपनी रकम निकालना आरम्भ कर दिया। इस स्थिति का सामना करने एव छोट तथा मध्यम वर्ग के जमाकर्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए 1 जनवरी, 1962 को भारत सरकार ने एक जमा बीमा निगम की स्थापना की थी।

निगम की अधिकृत एव परिदत्त पूँजी 15 करोड़ रुपये है जो रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रदान की गयी है। निगम चाहे तो रिजर्व बैंक से 5 करोड़ रुपये तक का ऋण ले सकता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर इस निगम के अध्यक्ष हैं। निगम के लिए 5 सदस्यों का एक सचालक मण्डल भी नियुक्त किया गया है।

देश के सभी बैंकों के लिए निगम का सदस्य होना अनिवार्य है। निगम ने प्रत्येक बैंक में जमाकर्ता की जमा राशि (deposit) के बीमा की सीमा को 1 जनवरी, 1968 से बढ़ाकर 5000 रुपये तथा अप्रैल, 1970 से 10000 रुपये कर दिया है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई बैंक फेल हो जाता है तो उसके सभी जमाकर्ताओं के 10,000 रुपये तक की सीमा की जमा राशि सुरक्षित रहती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जमा बीमा निगम की स्थापना से छोटी श्रेणी के जमाकर्ताओं के जमा (deposit) अधिक सुरक्षित हो गये हैं। परन्तु केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों तथा बैंकिंग कम्पनियों को जमा राशियों पर वह योजना लागू नहीं होती। केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से जमा बीमा निगम की बीमा में वृद्धि करने का भी अधिकार है। इस समय सदस्य बैंकों से निगम 4 पैसे सेकड़े प्रति वर्ष बीमा शुल्क (Premium) के रूप में वसूल करता है। निगम इस शुल्क को बढ़ाकर 15 पैसे सेकड़े प्रति वर्ष कर सकता है। यदि कोई सदस्य बैंक अपने प्रीमियम (अथवा बीमा शुल्क) का भुगतान नहीं करता तो निगम उसे 8 प्रतिशत वापिक की दर से ब्याज भी वसूल कर सकता है। जमा बीमा निगम की सफलता के लिए यह नितांत आवश्यक है कि रिजर्व बैंक के कार्यों का प्रभावपूर्ण निरीक्षण करे और उन्हें किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताएँ करने के अवसर न दे।

1971 ई० के अंत में 81 व्यावसायिक बैंक तथा 384 सहकारी बैंक बीमा कृत थे। 1962 से 1971 तक निगम ने बैंकों से सम्बन्धित 70 लाख रुपये के दावे स्वीकार किये थे। 31 दिसम्बर 1971 को इसका कुल जमा बीमा कोष 20 97 करोड़ रुपये था जो कुल बीमाकृत जमा का 0.5 प्रतिशत भाग था।

बैंकों का सामाजिक नियन्त्रण (Social Control over Commercial Banks) — दिसम्बर, 1967 में तत्कालीन वित्तमंत्री ने ससद् में व्यावसायिक बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण के सम्बन्ध में एक विधेयक प्रस्तुत किया जो लागू चलकर कानून बन गया। सामाजिक नियन्त्रण के अन्तर्गत व्यावसायिक बैंकों के सचालन मण्डल में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन छी व्यवस्था की गयी। साथ ही, सामाजिक नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर 1967 में एक राष्ट्रीय सार परिषद्

1 रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का सविस्तार विवरण 26 वें अध्याय में किया गया है।

(National Credit Council) की नियुक्ति की गयी। वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष बने। परिपक्व में कुल 26 सदस्यो होंगे। यह बैंको के सम्बन्ध में एक व्यापक मास नीति का निर्धारण करेगी। प्रारम्भ में, सामाजिक नियन्त्रण की नीति को 25 करोड रुपये से अधिक जमावाले बैंको पर लागू करने की व्यवस्था थी।

प्रमुख बैंको का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation of Major Commercial Banks) — किन्तु, 19 जुलाई, 1969 को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी कर 50 करोड से अधिक जमावाले 14 बड़े व्यावसायिक बैंको का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इन बैंको के नाम हैं—(1) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, (2) बैंक ऑफ इण्डिया, (3) पंजाब नेशनल बैंक, (4) बैंक ऑफ कन्नडा, (5) युनाइटेड कमर्शियल बैंक, (6) कैनारा बैंक, (7) युनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया, (8) डेना बैंक, (9) मिडिबैंक बैंक, (10) युनियन बैंक ऑफ इण्डिया, (11) इलाहाबाद बैंक, (12) इण्डियन बैंक, (13) बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तथा (14) इण्डियन ओवरसीज बैंक।

बैंको के सामाजिक नियन्त्रण तथा राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में विस्तृत व्याख्या पहले ही 28वें अध्याय में की जा चुकी है।

बैंकिंग आयोग (Banking Commission) :— 3 फरवरी, 1969 को भारत सरकार ने श्री आर० जी० सरैया (R. G. Saraiya) की अध्यक्षता में एक बैंकिंग आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। इस आयोग का प्रवान उद्देश्य समुचित आधार पर बैंको के विकास के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत करना था। 9 फरवरी, 1972 को आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आयोग ने राजकीय क्षेत्र के बैंको को दो या तीन अखिल भारतीय बैंक (All India Banks) तथा 6 स्वयं सेवे बैंक जो एक वृहत् क्षेत्र में बैंकिंग सेवाओं के विकास में विशेषता प्राप्त करेंगे, के रूप में पुनर्गठित करने का सुझाव दिया। बैंको के पुनर्गठन में विच्छेद हुए क्षेत्रों को विशेष गविध प्रदान की जानी चाहिए। निजी क्षेत्र के बैंको को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए आयोग ने एक निश्चित अवधि के अंतर्गत बैंको के आपस में मिलाने (Merger and amalgamation) का सुझाव दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बैंको (Rural Banks) की स्थापना का भी सुझाव दिया गया। इन प्रकार के बैंको की स्थापना में आयोग के अनुसार सुदृढ़ प्राथमिक सहकारी समितियों को व्यावसायिक बैंको के सहायक (Subsidiary) के रूप में विकसित करने को प्रोत्साहित करना चाहिए या व्यावसायिक बैंको को ग्रामीण क्षेत्रों में सहायक बैंको की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

आयोग ने मौद्रिक नीति को प्रभावपूर्ण तरीके से कार्यान्वित करने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों पर बढोतर नियन्त्रण लगाने का सुझाव दिया। साथ ही, देशी बैंको को संगठित बैंको से मिलाने पर (Linking indigenous banking agencies with organised banking system) सुझाव दिया। आयोग को सिफारिशों पर रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया तथा भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

विशेष अध्ययन-सूची

1. B R. Ambedkar : History of the Indian Currency and Banking.
2. Reserve Bank of India : Functions and Working
3. " " " : Reports on Currency and Exchange.

अध्याय : 46

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

(State Bank of India)

अखिल भारतीय ग्रामीण साख-वर्धन समिति (All India Rural Credit Survey Committee) की सिफारिशों के आधार पर 1 जुलाई, 1955 ई० को इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया के राष्ट्रीयकरण द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना हुई।

इम्पीरियल बैंक (Imperial Bank) — सन 1920 ई० के इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट के अनुसार कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के तीनों प्रेसीडेन्सी बैंकों को मिलाकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना की गयी थी। भारत में आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था के इतिहास में इम्पीरियल बैंक की स्थापना का विशेष महत्त्व है। इसकी स्थापना के साथ ही देश में आधुनिक बैंकिंग पद्धति का भी आविर्भाव हुआ। इसकी अधिकृत पूँजी 12 15 करोड़ रुपये तथा परिदत्त पूँजी 5 75 करोड़ रुपये थी। यद्यपि यह एक व्यावसायिक बैंक था तथापि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना के पूर्व यह केन्द्रीय बैंक के बहुत सारे कार्यों का भी सम्पादन करता था।

इम्पीरियल बैंक का प्रबन्ध — इम्पीरियल बैंक एक्ट के अनुसार इनका प्रबन्ध एक केन्द्रीय संचालक मण्डल द्वारा किया जाता था। इसमें 16 सदस्य थे। केन्द्रीय संचालक मण्डल के अतिरिक्त बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास में तीन स्थानीय बोर्ड कार्य करते थे। केन्द्रीय मण्डल ही बैंक की नीति-निर्धारित करता था।

रिजर्व बैंक की स्थापना के पूर्व इम्पीरियल बैंक ही देश में केन्द्रीय बैंक के प्रायः सभी कार्यों को करता था। इस प्रकार आरम्भ में इसका कार्य दोहरा था। देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में यह सरकार कोष जमा करता था, सरकारी ऋणों की व्यवस्था करता था, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता था तथा कोषों के एक स्थान से दूसरे स्थान में हस्तांतरण करने का कार्य भी करता था। साथ ही, एक साधारण हिस्सेदारों के बैंक के रूप में यह व्यावसायिक बैंक-सम्बन्धी प्रायः सभी कार्यों को भी सम्पन्न करता था, किन्तु सन् 1935 ई० में रिजर्व बैंक की स्थापना के पश्चात् इम्पीरियल बैंक के केन्द्रीय बैंकिंग सम्बन्धी कार्यों को समाप्त कर दिया गया तथा इसके दूसरे कार्यों पर से भी प्रतिबन्ध हटा लिये गये। इसके बाद यह केन्द्रीय बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करने लगा। केन्द्रीय बैंक के प्रतिनिधि के रूप में इम्पीरियल बैंक केन्द्रीय बैंकिंग सम्बन्धी सभी कार्यों को करता था। यह केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों का जमा प्राप्त करता था और उसपर किसी प्रकार का व्याज नहीं चुकाता था। इम्पीरियल बैंक सार्वजनिक ऋण का प्रबन्ध करता, समाशोधन गृह का कार्य करता तथा एक जगह से दूसरी जगह सरकारी रकम को भेजने का भी कार्य करता था।

इम्पीरियल बैंक व्यावसायिक बैंक के सामान्य कार्यों को भी करता था। वास्तव में, अपने कार्यकाल में यह देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक था।

इन सभी सेवाओं के उपरान्त भी इम्पीरियल बैंक की आलोचना होती रही। इसके निम्नलिखित कारण थे —

(1) भारतीय हितों की उपेक्षा — यूरोपियनों के हाथ में बैंक का प्रबन्ध होने के कारण भारतीय व्यवसायी फर्मों को यह उतनी सुविधा नहीं प्रदान करता था जितना कि यूरोपियन फर्मों को। साथ ही, यह भारत में विदेशी हितों का समर्थक था और भारत के निवासियों को बैंक व्यवस्था में उच्च शिक्षा नहीं प्रदान करता था।

(2) विदेशियों का आधिपत्य — इम्पीरियल बैंक की अग्रिकाश पूँजी विदेशियों के हाथ में थी। अतएव, इसका प्रबन्ध भी विदेशियों के हाथ में ही था जिससे वे भारतीय हितों की उपेक्षा करते थे।

(3) शाखा-सम्बन्धी नीति अतिपूर्ण थी — इम्पीरियल बैंक ने अपनी शाखाएँ उन्हीं स्थानों

में स्थापित की थीं जहाँ पर अन्य बैंकों की शाखाएँ पहले से थीं। इससे वह भारतीय बैंकों से एक प्रकार से अनुचित प्रतियोगिता करता था।

(4) मुख्यस्थित बिल बाजार के विकास में असफलता :— इम्पीरियल बैंक देश में बिल बाजार की स्थापना भी नहीं कर सका था। यह बिलों के भुगतान की उपाय कर श्रेणियों को ही प्राथमिकता प्रदान करता था जिसके परिणामस्वरूप देश में बिल बाजार में विकास में यह सक्रिय सहयोग नहीं प्रदान कर सका।

इन्हीं सब कारणों से इस बैंक के राष्ट्रीयकरण का माँग उत्तरोत्तर बढ़ती गयी। फलस्वरूप, अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति (All India Rural Credit Survey Committee) की सिफारिशों के आधार पर इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा 1 जुलाई 1955 ई० को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना हुई। इसके फलस्वरूप इम्पीरियल बैंक की गमरत भारत स्थित सम्पत्ति एवं बायर्स स्टेट बैंक के नाम से कर दिये गये। इस बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य देश की विभिन्न बैंकिंग सस्याओं तथा सहकारी बैंकों की सहायता पहुँचाना एवं सरकार की आर्थिक नीति को कार्यान्वित करना है।

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के मुख्य उद्देश्य

(Main Objectives of the State Bank of India)

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना निम्नांकित उद्देश्यों को ध्यान में रख कर की गयी थी—

(1) ग्रामीण साख-व्यवस्था में सरकार की साझेदारी :— स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का मुख्य उद्देश्य सहकारी साख-व्यवस्था में सरकार की साझेदारी स्थापित करना है। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्टेट बैंक राज्य सरकारों को ऋण देने के लिए तैयार रहता है।

(2) लाइसेंसदार गोदारों एवं मंडार-गुहों की स्थापना में सहायता देना :— स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया देश के विभिन्न भागों में लाइसेंसदार गोदारों एवं विज्ञान समितियों की स्थापना में भी आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इनसे कृषि-पदार्थों के सचय आदि में बहुत अधिक सुविधा होती है।

(3) छोटे उद्योगों की आर्थिक सहायता देना :— स्टेट बैंक का एक उद्देश्य यह भी है कि देश में स्थापित किये गये छोटे-छोटे उद्योगों को ऋण आदि के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना।

(4) छोटी-छोटी बचतों को प्रोत्साहित करना :— स्टेट बैंक ग्रामीण क्षेत्रों एवं छोटे-छोटे शहरों में शाखाएँ स्थापित करके बचतों को प्रोत्साहित करता है ताकि इन्हें एकत्र करके देश के औद्योगिक विकास में लगाया जा सके। इस उद्देश्य से बैंक की शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जा रही हैं।

(5) धन के स्थानान्तरण की सुविधा प्रदान करना :— स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया सस्ती दरों पर धन के स्थानान्तरण की सुविधा भी प्रदान करता है। इससे देश के बैंकिंग-व्यवस्था के विकास में सहायता मिलती है।

स्टेट बैंक की पूँजी :— स्टेट बैंक की अधिकृत पूँजी (Authorised Capital) 20 करोड़ रुपये तथा परिचलित पूँजी 5 625 करोड़ रुपये हैं। सम्पूर्ण पूँजी को एक-एक नौ रुपये के 20 लाख अंशों में विभाजित किया गया है। बैंक की सम्पूर्ण हिस्सा-पूँजी का 55 प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक एवं केन्द्रीय सरकार ने खरीदा है और शेष 45 प्रतिशत भाग जनता के हाथों में बेचा गया है जिनमें इम्पीरियल बैंक के पुराने हिस्सेदारों को प्राथमिकता दी गयी है।

प्रबन्ध (Management) :— स्टेट बैंक के प्रबन्ध के लिए एक केन्द्रीय मण्डल का निर्माण किया गया है जिनमें एक चेयरमैन, एक उप-चेयरमैन तथा 2 प्रबन्ध सचालकों (Managing Directors) के अतिरिक्त 16 सदस्य हैं। मण्डल के चेयरमैन एवं एक उप-चेयरमैन की नियुक्ति भारत सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के परामर्श से करती है। केन्द्रीय मण्डल में चेयरमैन एवं उप-चेयरमैन के अतिरिक्त प्रबन्ध सचालक, हिस्सेदारों द्वारा निर्वाचित 6 सचालक तथा रिजर्व बैंक

के परामर्श पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त 8 संचालक, जिनमें दो ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था एवं सह-कारिता के विशेषज्ञ होते हैं, रहते हैं। केन्द्रीय मण्डल के अतिरिक्त मुद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता में एक-एक स्थानीय मण्डल भी हैं।

स्टेट बैंक के कार्य

(Functions of the State Bank)

स्टेट बैंक के कार्यों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

(क) केन्द्रीय बैंकिंग सम्बन्धी कार्य, तथा

(ख) साधारण बैंकिंग-सम्बन्धी कार्य।

(क) केन्द्रीय बैंकिंग सम्बन्धी कार्य — स्टेट बैंक उन स्थानों पर जहाँ रिजर्व बैंक की शाखा नहीं है, इसके एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार स्टेट बैंक केन्द्रीय बैंकिंग-सम्बन्धी भी कुछ कार्य करता है। यह सरकारों के बैंक के रूप में केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के लेन देन का कार्य करता है, सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था करता है तथा बैंकों के बैंक के रूप में भी कार्य करता है। इनके यहाँ देश के अन्य बैंक भी अपना धन जमा करते हैं जिसे यह उनके आर्थिक सवट के काल में सहायता पहुँचाता है। यह रिजर्व बैंक की ओर से बैंकों के समाशोधन-गृह (Clearing house) का भी कार्य करता है।

(ख) साधारण बैंकिंग सम्बन्धी कार्य — स्टेट बैंक व्यावसायिक बैंक-सम्बन्धी सामान्य कार्यों को भी सम्पन्न करता है। वास्तव में, यह एक व्यावसायिक बैंक की ही तरह है, यद्यपि साधारण व्यावसायिक बैंकों से इसकी स्थिति कुछ भिन्न है। व्यावसायिक बैंक के रूप में यह साधारणतया निम्नांकित कार्यों को सम्पन्न करता है :—

- (1) यह बैंक अन्य व्यावसायिक बैंकों की तरह सरकारी एवं अच्छी प्रतिभूतियों एवं दृजरी विलों में विनियोग करता है।
- (2) अन्य व्यावसायिक बैंकों की तरह जनता की वचत को जमा के रूप में प्राप्त करता एवं जनता की बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित रखता है।
- (3) बहुमूल्य धातुओं का क्रय विक्रय करता है।
- (4) उद्योग एवं व्यापार में सहायता पहुँचाने के दृष्टिकोण से चल या अचल सम्पत्ति, स्वीकृत प्रतिज्ञा पत्र, ऋण पत्र माल के अधिकार-पत्र पर किसी व्यक्ति या संस्था को ऋण प्रदान करने का कार्य करता है।

वर्जित कार्य (Prohibited Functions) :— स्टेट बैंक आफ इण्डिया अधिनियम की धारा 34 के अनुसार स्टेट बैंक अपने असौ तथा अचल सम्पत्ति की जमानत के आधार पर 6 महीने में अधिक की अवधि के लिए ऋण अथवा अग्रिम नहीं दे सकता। बैंक किसी भी ऐसे विनिमय-साख पत्र, जिसकी अवधि 15 माह से अधिक है, को खरीद नहीं सकता तथा ऐसे साख-पत्र की जमानत पर ऋण अथवा अग्रिम नहीं दे सकता।

1957 ई० के State Bank of India (Subsidiary Banks) Act के अनुसार 1951 में स्टेट बैंक ने हैदराबाद बैंक, तथा 1960 ई० में बैंक ऑफ जयपुर, बैंक ऑफ इन्दौर, बैंक ऑफ विकास, ट्रावणकोर बैंक, बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ पटियाला तथा स्टेट बैंक ऑफ तौराष्ट्र की व्यवस्था को अपने हाथ में लिया।

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की प्रगति :—1 जुलाई, 1955 ई० से इस बैंक ने अपना कार्य प्रारम्भ किया। अधिनियम के अनुसार इम्पेरियल बैंक की भारत-स्थित समस्त सम्पत्ति एवं दायित्व (Assets and Liabilities) स्टेट बैंक को हस्तांतरित कर दिये गये हैं। उस समय इम्पेरियल बैंक की 475 शाखाएँ थीं। बैंक का एक प्रमुख उद्देश्य देश के ग्रामीण एवं अविकसित क्षेत्रों में बैंकिंग की सुविधा का प्रचार करना है। इस उद्देश्य से यह निश्चित किया गया था कि स्टेट बैंक प्रथम पाँच वर्षों में 400 नयी शाखाएँ स्थापित करेगा। नयी शाखाओं की स्थापना में जो पहले हानि होगी उसकी क्षति-पूर्ति के लिए एक एकीकरण एवं विकास-कोष (Integration and development Fund) की स्थापना की गयी। बैंक ने 1961 ई० तक 500 नयी शाखाएँ

स्थापित कर ली थी। इसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की सुविधा में पर्याप्त वृद्धि हुई है। 30 जून, 1972 ई० को स्टेट बैंक की कुल 3072 तथा इसके सहायकों (Subsidiaries) की कुल 1631 शाखाएँ थीं। स्टेट बैंक की कुल 2575 शाखाओं में 1105 ग्रामीण क्षेत्रों में, 944 अर्द्ध-नगरीय क्षेत्रों में, 284 नागरिक क्षेत्रों में तथा 242 बड़े बड़े नगरों तथा बन्दरगाहों में थीं। इसी प्रकार सहायकों की 707 ग्रामीण क्षेत्रों, 442 अर्द्ध-नागरिक क्षेत्रों, 135 नागरिक तथा 99 बड़े बड़े केन्द्रों में थीं। स्टेट बैंक देश में बैंकिंग व्यवस्था के विकास के लिए अनुसूचित बैंकों तथा सहकारी संस्थाओं को एक सप्ताह में दो बार निःशुल्क एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने की सुविधा प्रदान करता है। दिसम्बर, 1966 ई० में स्टेट बैंक तथा इसके सहायकों का कुल जमा 797 करोड़ रुपये तथा सम्पूर्ण बैंकिंग व्यवस्था के जमा का प्रायः एक-तिहाई भाग है।

इस प्रकार भारतीय बैंकिंग प्रणाली में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया या इसके सहायक बैंकों को एक विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। निम्न तालिका से भी यह स्पष्ट है —

15-12-1966 ई० को करोड़ रुपये

	कुल अनुसूचित बैंक	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	सहायक बैंक
कुल जमा (Total Deposit)	1,921 6	602 8	195 0
कुल अधिम (Total Advances)	6,187 7	489 6	116.2
कुल निवेश (Total Investment)	825 0	226 1	59 1

देश के लोगों में बैंकिंग-मन्थ की जादत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्टेट बैंक ने 1 जनवरी, 1962 ई० से विशेष साक्ष अन्तर्गत योजना (Special Credit Transfer Scheme) चालू की है। यह योजना निम्न तथा मध्यम आयवाले वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इस योजना के अन्तर्गत बैंक के वे ग्राहक जिनका बैंक की किसी भी शाखा में खाता है, देश में किसी भी स्थान से जहाँ पर स्टेट बैंक की शाखा है, अपने हिमायत में जमा करने के लिए 1000 रुपये तक की राशि को बिना किसी खर्च के स्थानान्तरण कर सकते हैं। यह योजना भारतीय बैंकिंग के इतिहास की एक नवीन विशेषता है।

स्टेट बैंक एवं ग्रामीण साक्ष (State Bank and Rural Credit) — स्टेट बैंक का एक प्रमुख कार्य ग्रामीण साक्ष की सुविधा प्रदान करना है। इस उद्देश्य से बैंक विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों को साक्ष की सुविधा प्रदान करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की प्रेषण-सुविधा योजना के अन्तर्गत स्टेट बैंक ने 1965 ई० में सहकारी संस्थाओं को 262 करोड़ रुपये की धनराशि की प्रेषण सुविधाएँ प्रदान की थीं। इसके अतिरिक्त बैंक ने अपनी निजी प्रेषण योजना के अन्तर्गत 224 करोड़ रुपये की धनराशि के प्रेषण की सुविधाएँ प्रदान की थीं। 1965 ई० में बैंक ने सहकारी बैंकों तथा सहकारी केन्द्रीय भूमि-विकास बैंकों को क्रमशः 31.5 करोड़ रुपये तथा 87 करोड़ रुपये की ऋण सीमा की सहायता प्रदान की थी। बैंक ने भूमि-विकास बैंकों को उनके ऋण-पत्रों की जमानत पर ऋण लेकर भी सहायता की थी। दिसम्बर 1965 ई० में अन्त में स्टेट बैंक के पास सहकारी केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों के 9.1 करोड़ रुपये के ऋण-पत्र थे। 1965 ई० में बैंक ने सहकारी चोनी मिलों को 9.4 करोड़ रुपये के 28 अधिम प्रदान किये थे। 1965 ई० में बैंक ने अन्य सहकारी प्रोसेसिंग तथा विपणन समितियों को भी 1.6 करोड़ रुपये के 176 अधिमों की स्वीकृति प्रदान की थी। इनके अतिरिक्त बैंक ने कुछ अन्य सहकारी संस्थाओं को भी, जिनमें औद्योगिक सहकारी संस्थाएँ भी सम्मिलित हैं, वित्तीय सहायता प्रदान की थी। 1965 ई० में औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को दी गयी प्रथम अधिम सहायता की राशि 72.7 लाख रुपये थी। 1965 ई० में बैंक ने अन्य सभी प्रकार की सहकारी संस्थाओं को 87.5 लाख रुपये के 55 अधिमों की

स्वीकृति प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त 1965 ई० में केन्द्रीय तथा राजकीय भण्डार-गृह निगमों को बैंक ने 3.5 करोड़ रुपये के 1,503 अग्रिमों की स्वीकृति प्रदान की थी।

लघु उद्योगों को सहायता (Assistance to Small Scale Industries) :—स्टेट बैंक का एक प्रमुख कार्य लघु उद्योगों को सहायता प्रदान करना है। गत 10 वर्षों में बैंकों के इन कार्य-क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई। बैंक की उदार ऋण-योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों को दी गयी कुल वित्तीय सहायता की राशि 31 दिसम्बर, 1965 ई० को 53.1 करोड़ रुपये थी। इसके अतिरिक्त 5 लाख रुपये से अधिक पूँजीवाले 53 लघु उद्योगों को 1.4 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी थी। भारत सरकार की साध-प्रत्याभूति योजना (Credit Guarantee Scheme) के अन्तर्गत 1965 ई० के अन्त तक बैंक ने 28.3 करोड़ रुपये के अग्रिमों के प्रार्थना पत्र रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किये थे। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम प्रत्याभूति योजना के अन्तर्गत बैंक ने 1965 ई० में 17 लघु उद्योगों को 10.7 लाख रुपये की साध सीमा की स्वीकृति प्रदान की थी।

निरुद्ध — किन्तु, इन सबके बावजूद स्टेट बैंक की कार्यवाही के विरुद्ध बहुत-सी आलोचनाएँ भी दी जाती हैं। सर्वप्रथम तो यह कहा जा सकता है कि सरकारी बैंक होने के कारण इसके दिन-प्रतिदिन के कार्यों में अधिक सरकारी हस्तक्षेप की सम्भावना सदा रहती है। इससे बैंक की कार्यपद्धति राजनीतिक स्वार्थों पर आधारित हो जाती है, किन्तु इस प्रकार की आलोचना में कोई तथ्य नहीं है। इसके विरुद्ध दूसरी आलोचना यह दी जाती है कि स्टेट बैंक नागरिकों को समुचित मात्रा में बैंकिंग की सुविधा नहीं प्रदान करता है, किन्तु यह आलोचना भी तथ्यहीन जान पड़ती है। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से बतलाया गया है कि यह बैंक व्यावसायिक रीति-रिवाज तथा सिद्धान्तों के आधार पर कार्य करेगा। इस प्रकार इन सब आलोचनाओं के बावजूद यह कहा जा सकता है कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था स्टेट बैंक का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में, "स्टेट बैंक निजी क्षेत्र को पहले से अधिक लाभान्वित कर रहा है।" (The Bank has been serving the private sector better than before)

1969 ई० के बाद प्रगति — जुलाई, 1969 में 50 करोड़ रुपये से अधिक जमावाले 14 बड़े-बड़े व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ सरकार ने बैंकों के ऋण को कृपि, लघु उद्योग तथा व्यापार के लिए अत्रि उदाय बनाने पर जोर दिया है। जून, में 1969 में स्टेट बैंक तथा इसके सहायकों की कुल 2462 शाखाएँ थी। इनकी संख्या बढ़कर जून, 1974 में 4723 हो गयी, यानी 5 वर्षों की अवधि में स्टेट बैंक तथा इसके सहायकों की संख्या में प्राय. 100 प्रतिशत वृद्धि हुई।¹ नयी शाखाओं की स्थापना में ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है।

विशेष अध्ययन-सूची

1. Reports of the Annual General Meetings of the State Bank of India.
2. S. B. I Monthly Bulletins.
3. S. R. K. Rao : The Indian Money Market, Chapter III

1. Reserve Bank of India Bulletin, August, 1974.

अध्याय : 47

भारत में मिश्रित पूंजीवाले बैंक (व्यावसायिक बैंक)

[Joint Stock Banks in India (Commercial Banks)]

भारत में व्यावसायिक बैंकों का इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं है। अगरेज व्यापारियों ने कम्पनी के शासनकाल में ही कुछ एजेन्सी गृहों की स्थापना की थी। भारत में आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का विकास इन्हीं एजेन्सी गृहों में आरम्भ हुआ है। इन एजेन्सी गृहों में से कुछ ने आधुनिक तरीके पर बैंकिंग व्यवस्था का भी संगठन किया था, किन्तु भारत में व्यावसायिक बैंकों की प्रगति वास्तव में 1860 ई० के बाद से ही प्रारम्भ हुई। 1868 ई० तक देश में बैंकों की संख्या बढ़कर 25 हो गयी। इनके बाद 1900 ई० तक इनकी संख्या में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई, किन्तु इसके पश्चात् व्यावसायिक बैंकों का द्रुतगति से विकास प्रारम्भ हुआ। 1905 ई० के बाद स्वदेशी आन्दोलन से प्रभावित हो कितने ही बैंक स्थापित किये गये। 1935 ई० में रिजर्व बैंक की स्थापना के पश्चात् 'मिश्रित पूंजीवाले बैंकों' को दो वर्गों में विभाजित किया गया — (1) अनुसूचित बैंक (Scheduled Banks), तथा (2) अतिसूचित बैंक (Non Scheduled Banks)। अनुसूचित बैंक (Scheduled Banks) वे बैंक हैं जिनका नाम रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में दर्ज रहता है। इनकी श्रुतता पूंजी (Paid up Capital) एवं भविष्य कोष (Reserve Fund) मिलाकर 50 लाख रुपये के बराबर होना चाहिए। वर्तमान समय में इन्हीं अन्ती कुल Demand तथा Time Deposit का 5 प्रतिशत भाग Reserve Bank के पास नकद मुद्रा के रूप में जमा करना पड़ता है तथा उन्हें प्रति सप्ताह अपना तल पट (Balance Sheet) रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ता है इस प्रकार अनुसूचित बैंकों को कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं जिनके बदले में उन्हें रिजर्व बैंक द्वारा बहुत सी सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। अतिसूचित अथवा गैर-अनुसूचित बैंकों को अपना नाम रिजर्व बैंक की अनुसूची में दर्ज नहीं करना पड़ता है।

भारत में व्यावसायिक बैंकों के कार्य

(Functions of the Commercial Banks in India)

भारत में व्यावसायिक बैंक साधारण बैंकिंग के प्राय सभी कार्यों को सम्पन्न करते हैं। संक्षेप में, इनके निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं —

(1) ग्राहकों से जमा प्राप्त करना — सर्वप्रथम तो, व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों का जमा ग्रहण करते हैं। यह इन बैंकों का एक प्रमुख कार्य है। व्यावसायिक बैंक मुख्यतया तीन प्रकार के खाते में जमा ग्रहण करते हैं — स्थायी जमा खाता, चालू खाता तथा बचत बैंक का खाता। बैंक जमा की गयी रकम पर प्राय व्याज भी देते हैं।

(2) ऋण प्रदान करना — व्यावसायिक बैंकों का दूसरा प्रमुख कार्य ऋण अथवा उधार देना है। बैंक विभिन्न प्रकार से ऋण प्रदान करते हैं जिनमें बिलों को पुन बट्टा करना (Re discounting of Bills), अधि विकल्प (Overdraft), नकद साख (Cash credit), अल्पकालीन ऋण (Loans at Call and Short notice) आदि प्रमुख हैं। ऋण अथवा उधार देने की क्रिया में व्यावसायिक बैंक साल का सूचन भी करते हैं। इस प्रकार इन बैंकों का यह एक प्रमुख कार्य है। व्यावसायिक बैंक साधारणतया व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। किसानों को ये बहुधा ऋण नहीं प्रदान करते। इसके दो प्रदान कारण हैं— सर्वप्रथम तो, चूंकि इनका अधिकांश जमा अल्पकालीन अवधि का होता है, अतः ये दीर्घकालीन

1 'मिश्रित पूंजीवाले बैंकों' बावज़ार से भारत में व्यावसायिक बैंकों (Commercial Banks) का ही बोध होता है। दूसरे शब्दों में, मिश्रित पूंजीवाले बैंक का तात्पर्य उन बैंकों में है जिनका संगठन मिश्रित पूंजी कम्पनी के आधार पर किया गया हो, किन्तु भारत में मिश्रित पूंजीवाले बैंक शब्द का प्रयोग व्यावसायिक बैंक के लिए ही किया जाता है।

ऋण नहीं प्रदान करते। द्वितीयतः, व्यापारियों तथा व्यावसायिकों से इन्हें उच्च दर से व्याज प्राप्त होती है। किन्तु, 14 बड़े बड़े व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद अब किसानों, लघु उद्योगों तथा फुटकर व्यापारियों को ऋण की सुविधा प्रदान करने पर जोर दिया जा रहा है।

(3) एजेंसी सम्बन्धी कार्य — व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों के एजेंट के रूप में भी कार्य करते हैं। इस रूप में ये ग्राहकों का प्रीमियम चुकाते हैं, विनिमय साध्य पत्रों को एक्चर करते हैं, सुरक्षा सम्बन्धी कार्य करते हैं, धन सम्बन्धी सलाह देते हैं तथा संस्थाओं के ऋणों का अभिगोपन करते हैं। इस प्रकार व्यावसायिक बैंक अनेक कार्य करते हैं।

(4) विविध कार्य — इनके अतिरिक्त व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों के अर्थ बहुत सारे कार्यों का भी संपादन करते हैं। उदाहरण के लिए,

(अ) ये अपने ग्राहकों के जेवर, जापदाद तथा बहुमूल्य कागजातों को सुरक्षित रखने के लिए लॉन्स आदि की सुविधा प्रदान करते हैं,

(ब) ये धन के स्थानांतरण की सुविधा भी प्रदान करते हैं,

(स) ग्राहकों की आर्थिक स्थिति एवं साक्ष के सम्बन्ध में रिपोर्टें देते हैं,

(द) अशो एवं ऋण-पत्रों का अभिगोपन करते हैं,

(य) साक्ष प्रमाण पत्र (Letter of Credit) जारी करते हैं, इत्यादि।

भारत में व्यावसायिक बैंकों के विकास में कठिनाइयाँ एवं दोष

(Difficulties and Defects in the Development of Commercial Banking in India)

भारत में व्यावसायिक बैंकों का समुचित विकास नहीं हो पाया है। इनके विकास के माग में कुछ प्रमुख कठिनाइयाँ हैं जिनके फलस्वरूप इनका समुचित विकास नहीं हो पाता है। साथ ही, इन बैंकों के कुछ अपने दोष भी हैं जिनके फलस्वरूप इनके विकास का मार्ग अवलंब सा हो जाता है। यद्यपि द्वितीय महायुद्ध के दौरान देश में बैंक का पर्याप्त विकास हुआ है, फिर भी, अभी इस क्षेत्र में हमारा देश अर्थ देशों से बहुत ही पिछड़ा है। इस प्रकार जबकि स्विट्जरलैंड में प्रति 1333 व्यक्तियों के पीछे एक बैंक तथा इंग्लैंड में 3900 व्यक्तियों के पीछे एक बैंक है, भारत में प्रति 2 लाख 76 हजार व्यक्तियों के पीछे एक बैंक है। इससे भारत में बैंकिंग विकास को मन्द गति का अन्दाजा लगाया जा सकता है।

भारत में व्यावसायिक बैंकों के विकास की मन्द गति के बहुत से कारण हैं जिनमें निम्न लिखित प्रमुख हैं —

(1) समय समय पर आनेवाले बैंकिंग संकट (Banking Crisis) — देश में समय समय पर बैंकिंग संकट के फलस्वरूप बैंकों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। संकट काल में बहुत से बैंक फेल कर जाते हैं।

(2) देश की जनता में बैंकिंग सम्बन्धी आदतों का अभाव — भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है जिसके फलस्वरूप बचत भी बहुत कम होती है। इतना ही नहीं हमारे देश में कुछ व्यक्ति जो थोड़ा बहुत बचाते हैं उसे बैंक में रखना नहीं चाहते बरन् उसे अपने पास नकद मुद्रा के रूप में जमीन के नीचे गाड़ कर रखना ही अधिक सुरक्षित समझते हैं। इस प्रकार भारत के जन साधारण में बैंकिंग सम्बन्धी आदतों का सामान्य रूप से अभाव पाया जाता है। इसके कई प्रमुख कारण हैं जिनमें जनता की सकुचित मनोवृत्ति, शिक्षा का अभाव तथा बैंकों की काय प्रणाली सम्बन्धी त्रुटियाँ आदि विशेष तौर से महत्त्वपूर्ण हैं।

(3) सरकारी प्रोत्साहन का अभाव — भारत में सरकार तथा विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा बैंकों को प्रोत्साहन नहीं मिलता। ये संस्थाएँ आम व्यावसायिक बैंकों के साथ अपना सम्बन्ध नहीं रखती। रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक ही इनके सारे बैंकिंग सम्बन्धी कार्यों को करते हैं। इसका भी बैंकों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है।

(4) विदेशी विनिमय बैंकों से प्रतियोगिता — भारत में व्यावसायिक बैंकों को विदेशी विनिमय बैंकों से अधिक प्रतियोगिता करनी पड़ती है। भारत का सम्पूर्ण विदेशी व्यापार प्रायः विदेशी विनिमय बैंकों के हाथ में ही है। इनकी आर्थिक स्थिति तथा मजबूत भारतीय बैंकों की

अपेक्षा अधिक सुदृढ़ होता है जिससे भारतीय जनता का इन पर अधिक विश्वास रहता है। साथ ही, इन बैंकों की शाखाएँ विश्व के प्रायः सभी प्रमुख व्यावसायिक केन्द्रों में होती हैं। इसमें भी विदेशी विनिमय बैंकों की बहुत अधिक लाभ होता है। ये विदेशी बैंक भारतीय बैंकों से देशी व्यापार एवं साधारण बैंकिंग-सम्बन्धी कार्यों में भी प्रतियोगिता करते हैं जिससे व्यावसायिक बैंकों के साथ व्यापार की कमी रहती है।

(5) स्टेट बैंक तथा देशी बैंकसं एव महाजनो से प्रतियोगिता.—भारतीय व्यावसायिक बैंकों की स्टेट बैंक (पहले इम्पीरियल बैंक) तथा देशी महाजनो एव साहूकारों से भी प्रतियोगिता करनी पड़ती है। देशी बैंक एव महाजनो की कार्य-प्रणाली सीधी एव सरल होती है जिससे व्यावसायिक बैंकों को इनसे प्रतियोगिता करना बठिन हो जाता है।

(6) बैंकों की शाखाओं का कम होना.—हमारे देश में शाखा बैंकिंग प्रणाली का प्रचलन है, फिर भी, ओसत रूप से व्यावसायिक बैंकों की बहुत कम शाखाएँ हैं। शाखाओं के अभाव में जोखिम का प्रादेशिक वितरण नहीं हो पाता। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं के अभाव से जनता में बैंकिंग-सम्बन्धी आदतों का विस्तार भी बहुत ही कम हो पाया है।

(7) बैंकों की कार्य-प्रणाली में त्रुटियाँ—भारतीय व्यावसायिक बैंकों की कार्य-प्रणाली में बहुत-से दोष पाये जाते हैं जिनके चलते इनका समुचित विकास नहीं हो पाता है। इन त्रुटियों में निम्नलिखित प्रदान हैं—(क) व्यावसायिक बैंक व्यापारिक बिलों को बहुत कम प्रोत्साहित करते हैं। ये सरकारी प्रतिभूतियों में ही अधिकांशतः अपनी रकम का निनियोग करते हैं। (ख) ये किसी अन्य व्यक्ति अथवा स्विकृत प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण देते हैं। पश्चिमी देशों की तरह अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत जमानत पर ऋण नहीं देते। इसका कारण यह है कि बैंकों को ग्राहकों के सम्बन्ध में विशेष जानकारी नहीं रहती है। विशेष जानकारी के अभाव में ऋण देना बड़ा ही जोखिमपूर्ण हो जाता है। पश्चिमी देशों में 'एक व्यापारी एक बैंक (One man one bank) की प्रथा पायी जाती है, किन्तु हमारे देश में व्यापारी किसी एक बैंक से अपना सम्बन्ध रखना नहीं चाहते। (ग) इनके अतिरिक्त भारत में व्यावसायिक बैंकों में बहुधा पारस्परिक सहयोग का अभाव पाया जाता है। कभी-कभी तो इनमें प्रतियोगिता भी पायी जाती है जिसका इनकी स्थिति पर बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ता है। (घ) कुछ व्यावसायिक बैंक सामान्यतः बैंकिंग सिद्धान्तों का भी अनुकरण नहीं करने तथा अपने धन को सट्टेबाजों वगैरह में लगाते हैं, ऊँचे ऊँचे लाभांश का वितरण करते हैं, रक्षित कोष पर जोर नहीं देते आदि।

इनके अतिरिक्त बैंकों की अकुशल सेवा, अगरेजी भाषा में कार्य, शाखाओं का अभाव आदि कारणों से भी भारत में व्यावसायिक बैंकों की विशेष प्रगति नहीं हो पायी है। इन सब दोषों के कारण भारत में व्यावसायिक बैंकों का समुचित विकास नहीं हो पाया है।

व्यावसायिक बैंकों के दोषों को दूर करने के सुझाव

इस प्रकार भारतीय व्यावसायिक बैंकों के समक्ष अनेक कठिनाईयाँ हैं तथा इनकी कार्य-प्रणाली भी अत्यन्त दोषपूर्ण है। देश के आर्थिक विकास के लिए एक सुविकसित बैंकिंग व्यवस्था का विकास आवश्यक है और एक सुविकसित बैंकिंग व्यवस्था के लिए व्यावसायिक बैंक के इन दोषों एव कठिनाईयों को दूर करना अनिवार्य है। हमें कोई संन्देह नहीं कि 1949 ई० के बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम ने भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के बहुत सारे दोषों को दूर कर दिया है, फिर भी, इनके विकास के लिए सामान्य रूप से निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं—

(1) बैंकों में जनता का विश्वास उत्पन्न करने के लिए सक्रिय प्रयास—इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार एव सरकारी संस्थाओं को प्रमुख व्यावसायिक बैंकों में अपना व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने से जनता का व्यासायिक बैंकों में विश्वास बढ़ेगा। सरकार द्वारा बैंकों को स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशन की आदि में भी छूट देनी चाहिए।

(2) अधिक शाखाओं की स्थापना के लिए प्रोत्साहन.—देश में समुचित बैंकिंग व्यवस्था के विकास के लिए बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों एव छोटे-छोटे नगरों में शाखाएँ स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहन देना चाहिए, किन्तु शाखाओं की स्थापना में सदा इस बात को ध्यान में रखना

अनिवार्य है कि इससे बैंको में समुचित प्रतियोगिता को प्रथम नहीं मिले। रिजर्व बैंक एव स्टेट बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार में विशेष सहयोग प्रदान कर सकता है।

(3) विनियम बैंको के कार्यों पर नियन्त्रण — विनियम बैंको के कार्य-क्षेत्र को सीमित करना अनिवार्य है। इनके कार्य क्षेत्र को केवल आयात-निर्यात तक ही सीमित कर देना चाहिए ताकि ये सामान्य बैंकिंग के कार्यों में व्यावसायिक बैंको से प्रतियोगिता नहीं कर सकें। 1949 ई० के बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम में विनियम बैंको पर नियन्त्रण की व्यवस्था अवश्य की गयी है परन्तु इस क्षेत्र में अभी और अधिक तत्परता की आवश्यकता है।

(4) देशी बैंक तथा महाजनों पर नियन्त्रण — देशी बैंको तथा महाजनों पर भी नियन्त्रण की आवश्यकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आज भी महाजन तथा साहूकार देश की आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं। फिर भी, इनके कार्यों पर उचित नियन्त्रण लगाकर इन्हें सगठित रूप देना व्यावसायिक बैंको के विकास के लिए अनिवार्य है।

(5) छोटे छोटे बैंकों का एकीकरण (Amalgamation) — देश में वैज्ञानिक व्यवस्था के समुचित विकास के लिए छोटे छोटे बैंको का एकीकरण आवश्यक है। 1949 ई० के बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम में रिजर्व बैंक को इस प्रकार का अधिकार दिया गया है। अतः रिजर्व बैंक को अलाभ-कर एव छोटे-छोटे बैंको के एकीकरण में शीघ्रता से काम लेना चाहिए।

(6) बैंकों की कार्य प्रणाली में सुधार — व्यावसायिक बैंको को अपनी कार्य-प्रणाली में भी आवश्यक सुधार लाने की कोशिश करना चाहिए। इन्हें अपने धन के विनियोग में अत्यन्त सावधानी से करना चाहिए तथा बैंकिंग के सामान्य सिद्धान्तों का अनुकरण करना चाहिए। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आजकल व्यावसायिक बैंक इन ओर बहुत अधिक सचेष्ट हैं, किन्तु इस क्षेत्र में अभी और अधिक तत्परता की आवश्यकता होगी। बैंको को उत्पादन-कार्यों के लिए ही ऋण प्रदान करना चाहिए तथा ऋण-सम्बन्धी जमानत के नियमों को अधिक उदार बनाना चाहिए। स्टेट बैंक को भी व्यावसायिक बैंको के प्रति अधिक उदार नीति का अनुसरण करना चाहिए।

(7) रिजर्व बैंक एव स्टेट बैंक की सहयोगपूर्ण नीति — रिजर्व बैंक एव स्टेट बैंक को भी व्यावसायिक बैंकों के प्रति अधिक उदार नीति का अनुसरण करना चाहिए। आर्थिक सकट के समय रिजर्व बैंक को सदा व्यावसायिक बैंको को सहायता देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी प्रकार स्टेट बैंक को भी इन बैंको के साथ प्रतियोगिता नहीं करनी चाहिए, बरन प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग की नीति अपनानी चाहिए।

भारत में व्यावसायिक बैंको का भविष्य (Future of the Commercial Banks in India) — उत्तर उत्पत्ति द्वारा भारत में व्यावसायिक बैंको की सारी कृत्रिमों को दूर किया जा सकता है। 1949 ई० के बैंकिंग कम्पनीज-अधिनियम के अनुसार रिजर्व बैंक को इन बैंको पर नियन्त्रण के बहुत सारे अधिकार दिये गये हैं। साथ ही, रिजर्व बैंक अधिनियम में भी इस वाशय के बहुत-से संशोधन किये गये हैं। आशा है कि रिजर्व बैंक के नेतृत्व में देश के व्यावसायिक बैंक उक्त सुझावों के आधार पर अपने को अधिक सगठित बनाने का प्रयास करेंगे।

जून, 1974 में देश में कुल 73 अनुसूचित बैंक थे जिनकी कुल शाखाओं की संख्या 16,936 थी। (जून, 1969 में इनकी केवल 8262 शाखाएँ थीं।) जून, 1973 में उनकी कुल 15,362 शाखाएँ थीं। 1950-51 में इन बैंको की संख्या 93 थी बैंकों के सम्मिश्रण के कारण अनुसूचित बैंको की संख्या में निरन्तर कमी हो रही है। जून, 1974 में इनका कुल जमा 9018 करोड़ रुपये था जिसमें से राजकीय क्षेत्र के बैंक का जमा 7570 करोड़ रुपये तथा शेष जमा की रकम 1448 करोड़ रुपये थी। इस वर्ष उनके पास कुल 541 करोड़ रुपये नकद जमा थे, यानि कुल जमा नकद जमा का अनुपात (Cash deposit ratio) 6.6 प्रतिशत था। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बैंको की जमा राशि में बहुत अधिक वृद्धि हुई है जिसका अंदाजा निम्नांकित तालिका से लगता है। —

पिछले कुछ वर्षों में बैंकों के जमा में वृद्धि (करोड़ रुपये में)

वर्ष	माँग जमा	सावधि जमा	कुल जमा	नकद जमा का अनुपात
1950-51	592.5	288.1	880.6	10.6
1955-56	630.8	412.4	1043.2	8.1
1960-61	719.7	1026.3	1746.0	6.7
1965-66	1426.9	1623.0	3049.9	6.8
1966-67	1649.1	1775.7	3434.8	6.3
दिसम्बर, 1972	3458.0	4688.0	8146.0	6.6

स्पष्ट है कि पिछले 19 या 20 वर्षों में बैंकों के कुल जमा में नौ-गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि देश में बैंकिंग-सम्बन्धी आदतों का धीरे-धीरे विकास हो रहा है।

पहले व्यावसायिक बैंक अपने कुल साधनों का अधिकांश भाग अपने संचालकों तथा उनके सम्बन्धित उद्योगों में ही लगाते थे। अतः इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए वर्षों से इनके राष्ट्रीयकरण की माँग की जा रही थी। परिणामस्वरूप, 19 जुलाई, 1969 को भारत सरकार ने एक अध्यादेश द्वारा 50 करोड़ रुपये से अधिक जमा वाले 14 बड़े-बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की दिस्तृत व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बैंकों की कार्यवाही में आमूल परिवर्तन हुआ है। सर्वप्रथम तो, बैंकों ने कृषि, लघु उद्योग तथा फुटकर व्यापारियों को ऋण देना प्रारम्भ कर दिया है। साथ ही, राष्ट्रीयकृत बैंक ग्रामीण क्षेत्रों तथा ऐसे क्षेत्रों में, जहाँ अभी तक बैंकिंग-सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव था, में अपनी शाखाओं का विस्तार कर रहे हैं।

देश में बैंकिंग-सम्बन्धी सेवाओं के विस्तार में राजकीय क्षेत्र के बैंकों का योगदान बड़ा ही महत्त्वपूर्ण रहा है। राष्ट्रीयकरण के बाद इनकी शाखाओं का, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक विस्तार हुआ है। निम्नांकित तालिका से यह स्पष्ट है :—

भारत में व्यावसायिक बैंकों का भौगोलिक वितरण

शाखाओं की संख्या

क्षेत्र	जून, 1969	जून 1972	जून 1974
ग्रामीण	1832 (22.4)	48,14 (35.3)	6175 (36.15)
अर्द्ध-शहरी	3322 (40.1)	4,385 (32.2)	5,094 (30.1)
शहरी क्षेत्र	1447 (17.5)	2323 (17.11)	2891 (17.0)
बड़े-बड़े शहर तथा बन्दरगाह	1,661 (90.0)	2100 (15.4)	2,700 (16.4)
कुल	8,262 (100.0)	13,622 (100.0)	16,936 (100.0)

(कोष्ठक के अंक कुल के प्रतिशत को दिखाते हैं)

जून 1969 से जून 1974 के बीच कुल 8,674 नयी शाखाएँ स्थापित की गयीं। इनमें 7,146 राजकीय क्षेत्र के बैंकों तथा शेष निजी क्षेत्र के बैंकों की शाखाएँ थीं। जून 1974 को कुल शाखाओं में से 13,741 राजकीय क्षेत्र के बैंकों तथा शेष निजी क्षेत्र के बैंकों की शाखाएँ थीं। इनमें से स्टेट बैंक उसके सहायकों की 4,724 तथा 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों की 9,017 शाखाएँ थीं।

लीड बैंक योजना (Lead Bank Scheme) :—नारिमन समिति तथा गॉडगिल अध्ययन दल के सुझावों के आधार पर 1969 के अन्त में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के विकास को अधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक 'Lead Bank Scheme' तैयार किया। इस योजना के अन्तर्गत देश के प्रत्येक जिले में बैंकिंग-सम्बन्धी सेवाओं के विकास का कार्य एक

राष्ट्रीयकृत बैंक को मॉपा गया है। प्रत्येक बैंक अपने जिले में बैंकों के विकास की प्रक्रिया को तीव्र बनाने के लिए प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य करेगा। बैंकिंग-सम्बन्धी सेवाओं के विकास के साथ-साथ Lead Bank राज्य तथा जिला अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर उस जिले के आर्थिक विकास के लिए भी कार्य करेगा। इस उद्देश्य से प्रत्येक बैंक द्वारा पहले उसके अन्तर्गत के जिले का विस्तारपूर्वक सर्वेक्षण किया जाता है। जून, 1974 तक देश के कुल 338 जिलों में सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया था। साथ ही, कुछ जिलों के चुने हुए क्षेत्रों का अधिक गहन रूप से सर्वेक्षण किया गया है जिसके आधार पर इन जिलों के विकास की कई योजनाएँ तैयार की जा रही हैं।

विशेष अध्ययन-सूची

1. Reserve Bank of India . Reports on Currency and Exchange
2. Reserve Bank of India . Functions and Working.
3. B R Ambedkar . History of the Indian Currency and Banking.
4. Govt. of India : Report of the Banking Commission, 1972
5. Reserve Bank of India . Trends and progress of Banking in India 1973-74.

"National Income statistics provide a wide view of the country's entire economy as well as of the various groups in the population who participate as producers and income receivers" *National Income Committee*

कुछ स्मरणीय उद्धरण

1. "The labour and capital of a country, acting upon its natural resources produce annually a certain net aggregate of commodities, material and immaterial, including services of all kinds. And net income on account of foreign investment must be added in it. This is the true net annual income or revenue of the country or the national dividend."
— Alfred Marshall.
2. "National dividend is that part of the objective income of the community, including, of course, income derived from abroad, which can be measured in money."
— A C Pigou
3. "National dividend or income consists solely, of services as received by ultimate consumers, whether from their material or from their human environment."
— Irving Fisher.

अध्याय : 48

राष्ट्रीय आय (National Income)

राष्ट्रीय आय की परिभाषा (Meaning of National Income) — किसी देश की राष्ट्रीय आय किसी वर्ष विशेष में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के कुल योग के बराबर होती है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में उत्पादन के विभिन्न साधन मिलाकर जिन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करते हैं उनके कुल योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसका कुछ अर्थ उपभोग में तथा कुछ अर्थ पूँजी के रूप में पुनः उत्पादन के कार्य में लगाया जाता है। राष्ट्रीय आय¹ पदार्थों एवं सेवाओं के प्रचलित मूल्य पर किसी वर्ष में उपभोग के लिए उत्पन्न वस्तुओं के मूल्य तथा पूँजीगत पदार्थों के लिए दिये गये मूल्यों के आधार पर पूँजी की वृद्धि के योग में से वर्तमान पूँजीगत पदार्थों की घिसावट एवं उनके प्रचलन के लिए अपेक्षित धन राशि को घटाने से प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आय में किन्-किन् वस्तुओं तथा सेवाओं को रखना चाहिए, इस सम्बन्ध में अभी विद्वानों में एकमत नहीं हो पाया है।

वास्तव में, भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय आय की विभिन्न तरीके से परिभाषाएँ दी हैं। इनमें निम्नांकित परिभाषाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं —

- (1) मार्शल (Marshall) द्वारा दी गयी परिभाषा,
 - (2) प्रो० पीगू (Pigou) द्वारा दी गयी परिभाषा, तथा
 - (3) फिशर (Fisher) द्वारा दी गयी परिभाषा।
- अब इनका निम्न विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है —

प्रो० मार्शल के विचार

(Marshall on National Income)

मार्शल के अनुसार "किसी देश की पूँजी एवं धन का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष वस्तुओं का एक शुद्ध समूह उत्पन्न होता है जिसमें भौतिक पदार्थ एवं सभी प्रकार की सेवाएँ सम्मिलित रहती हैं। इस सम्पूर्ण विशुद्ध उत्पात को देश की वास्तविक वार्षिक आय या वार्षिक राजस्व या राष्ट्रीय आय कहते हैं।" (The labour and capital of the country acting on the natural resources produce annually a certain net aggregate of commodities—material and immaterial including services of all kinds. This is the true net annual income or revenue of the country, or the national dividend)

मार्शल के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। इसके अनुसार देश के सभी व्यवसायों की शुद्ध आय का कुल योग राष्ट्रीय आय अथवा लाभार्ज होता है। तात्पर्य यह है कि कुल उत्पत्ति (Gross Product) में से अचल पूँजी की घिसावट तथा चल पूँजी

1 'The national income for any period consists of the money value of goods and services which become available for consumption during that period reckoned at current selling value plus additions to capital reckoned at the prices actually paid for the new capital goods and adding the net accretion of, or deducting the net drawings upon stock, also reckoned at current prices services provided at non profit making basis by state and local authorities are included on the basis of charges made. Where taxation is levied on particular commodities and services, such as the custom and excise duties on commodities or the entertainment tax, taxes are not included in the selling value'

का प्रतिस्थापन व्यय आदि निकालने के बाद जो शेष बचता है, वही राष्ट्रीय आय है। मार्शल की परिभाषा के अनुसार राष्ट्रीय आय के अन्तर्गत वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं की गणना भी की जाती है। इसी प्रकार यदि देशवासियों की कुछ पूंजी विदेशों में विनिम्नोजित है तो इस पर प्राप्त व्याज की रकम को भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। इसी समस्त शुद्ध आय अथवा राष्ट्रीय आय में से उत्पादन के मापनों को उनका हिस्सा मिलाता है। राष्ट्रीय आय बढ़ने पर हिस्सा बढ़ जाता है तथा घटने पर घट जाता है।

प्र० मार्शल के विचारों की आलोचना (Criticisms of the ideas of Prof. Marshall) :—मैक्रान्तिक दृष्टि से राजकीय आय के सम्बन्ध में मार्शल के विचार नहीं अवश्य जान पड़ते हैं, किन्तु व्यावहारिक जीवन में कई कारणों से इनकी उपयोगिता बहुत कम हो जाती है। सर्वप्रथम तो, देश में उत्पन्न विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं की शुद्ध उत्पत्ति को मापना अत्यन्त कठिन ही नहीं, अपितु अमम्भव भी है। इनका कारण यह है कि समाज में केवल अमंश्य वस्तुओं तथा सेवाओं का ही उत्पादन नहीं होता, बरन् प्रत्येक वस्तु तथा सेवा के अगणित प्रकार भी होते हैं। समाजवादी आर्थिक व्यवस्था के अन्तर्गत, जहाँ उत्पादन के साधनों एवं इनकी व्यवस्था पर राज्य का पूरा-पूरा नियन्त्रण रहता है, इसे पता लगाना कुछ सुविधाजनक अवश्य है, किन्तु प्रजातांत्रिक व्यवस्थावाली देशों में इसे पता लगाना बिल्कुल ही अमम्भव है। द्वितीयतः, शुद्ध उत्पत्ति की मात्रा को यदि किसी प्रकार जोड़ा भी जाय तो दुहराव (Double Counting) की सम्भावना नदा बनी रहती है और अन्त में, मार्शल के अनुसार किसी देश की राष्ट्रीय आय वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में व्यक्त की जाती है। इसमें भी व्यावहारिक दृष्टि से इनकी उपयोगिता कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि हम कहें कि हमारे देश की राष्ट्रीय आय 75 लाख क्विंटल गेहूँ, 50 लाख क्विंटल चानल, 10,000 घड़ियाँ, 2 लाख जूते, 2,500 गलन शराव इत्यादि हैं, तब इस प्रकार की मकड़ों वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में राष्ट्रीय आय को व्यक्त करने से इसका व्यावहारिक दृष्टि से कोई उपयोग नहीं रह जाता; क्योंकि इनसे वितरण की समस्याओं का अध्ययन ठीक प्रकार सं नही हो सकेगा। द्रव्य के रूप में राष्ट्रीय आय की गणना करने पर ही इनका अन्तर्राष्ट्रीय तुलना के लिए उपयोग हो सकता है। यह स्वाभाविक ही है कि द्रव्य के रूप में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए हम केवल उन वस्तुओं एवं सेवाओं पर ध्यान देंगे जिनका मूल्यांकन हो सकता है। इसी कारणों से पीगू (Pigou) ने मार्शल के विचारों में सुधार करने का प्रयत्न किया है।

प्र० पीगू के विचार

(Pigou on National Income)

प्र० पीगू के अनुसार, "राष्ट्रीय आय किसी देश की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय (Objective income) का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित रहती है, जो मुद्रा के रूप में मापी जा सके।" (National dividend is that part of the objective income of the community including, of course, income derived from abroad, which can be measured in money.)

इस प्रकार पीगू के अनुसार राष्ट्रीय आय में केवल उन्ही वस्तुओं एवं सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें मुद्रा के द्वारा मापा जा सके, यानी जिनका विनिमय किया जा सके। दूसरी ओर, जिन वस्तुओं तथा सेवाओं को मुद्रा के द्वारा नहीं मापा जा सकता है उन्हें राष्ट्रीय आय के अन्तर्गत नहीं रखा जाता है। अतः पीगू के अनुसार मनुष्य की वे सेवाएँ जो वह स्वयं अपने लिए करता है, या अपने परिवार के लिए निःशुल्क करता है अथवा अपनी निजी वस्तु जैसे कुर्सी, टेबुल इत्यादि या सार्वजनिक सम्पत्ति,—जैसे-नदी-नाले, पुल इत्यादि से प्राप्त लाभ को राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाता। कारण यह है कि इन सेवाओं का मुद्रा द्वारा विनिमय नहीं होता है। पीगू ने इस सम्बन्ध में एक उदाहरण दिया है—एक व्यक्ति एक नौकरानी को घर का काम-काज करने के लिए वेतन पर रखता है। नौकरानी का यह वेतन राष्ट्रीय आय का एक अंश है, किन्तु जब वह व्यक्ति

उसी नौकरानी से शादी कर लेगा तो, राष्ट्रीय आय में कमी आ जायगी क्योंकि तब उस व्यक्ति को नौकरानी की सेवाओं के लिए कोई वेतन नहीं चुकाना पड़ेगा।

प्रो० पीगु की परिभाषा की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता द्र० के माप-दण्ड का उपयोग है। द्र० के माप दण्ड के उपयोग के द्वारा पीगु ने राष्ट्रीय आय के विचारों को अधिक निश्चित, व्यावहारिक एवं उपयुक्त बना दिया है। इस प्रकार मार्शल की परिभाषा में जो प्रदान दिये थे उस पीगु ने दूर करने का प्रयास किया है। किन्तु, प्रश्न यह है कि क्या केवल उन्हीं वस्तुओं तथा सेवाओं जिनका मुद्रा के द्वारा क्रय विक्रय होता है, को सम्मिलित करने से वास्तविक राष्ट्रीय आय का पता लगाया जा सकता है। वस्तुतः, बहुत ही कम परिस्थितियों में, जहाँ देश के समस्त उत्पादन का विनिमय होता है, के अतिरिक्त पीगु द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय आय तम्रा वास्तविक राष्ट्रीय आय में अन्तर होगा।

प्रो० पीगु के विचारों की आलोचना (Criticisms of the views of the Prof Pigou) — इस प्रकार यद्यपि प्रो० पीगु द्वारा दी गयी परिभाषा में व्यावहारिकता की मात्रा बहुत अधिक पायी जाती है, फिर भी कई कारणों से इनकी आलोचना भी की जाती है। सर्वप्रथम तो पीगु ने वस्तुओं के बीच एक प्रकार का कृत्रिम अन्तर किया है—जिन वस्तुओं का मुद्रा के द्वारा विनिमय होता है, तथा जिनका इस प्रकार विनिमय नहीं होता है। यह अर्थार्थ अर्थव्यावहारिक है क्योंकि इस प्रकार की वस्तुओं में वस्तुतः कोई अन्तर नहीं जान पड़ता। द्वितीयतः, यदि पीगु की परिभाषा के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना भी की जाय तो राष्ट्रीय आय के अन्तर्गत केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित किया जायगा जिनका मुद्रा के द्वारा विनिमय होता है। वससे ऐसा हो सकता है कि कमी कभी राष्ट्रीय आय घटता हुई प्रतीत होती हो जबकि वास्तव में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही हो जयवा कम न कम कमी नही हो। उदाहरण के लिए, पीगु के ही अनुसार औरतों की सेवाओं की गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है जब उन्हें उनके लिए मुद्रा के रूप में पारित्रमिक मिलती है। अतएव यदि कोई व्यक्ति अपनी नौकरानी से शादी कर लेता है तो शादी के बाद उसकी सेवा की गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जा सकती। किन्तु, क्या इससे राष्ट्रीय आय में वस्तुतः कोई कमी हुई है? हो सकता है कि शादी के बाद वह अंगत अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से काम करती हो। अतएव वस्तुनिष्ठ सेवाओं में किसी प्रकार की कमी आये वगैर राष्ट्रीय आय में इन प्रकार की कमी से निश्चय ही एक प्रकार का विरोधाभास जान पड़ता है। पीगु के विरुद्ध अन्तिम आलोचना यह दी जाती है कि इनकी परिभाषा के अनुसार जिन देशों में अभी वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन है, उनकी राष्ट्रीय आय प्रायः नगण्य है। ऐसे देशों की राष्ट्रीय आय की गणना में इस परिभाषा से कोई सहायता नहीं मिलती, क्योंकि पीगु के अनुसार राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं वस्तुओं तथा सेवाओं की गणना की जाती है जिनका मुद्रा के द्वारा विनिमय होता हो।

प्रो० फिशर के विचार

(Fisher on National Income)

फिशर द्वारा दी गयी परिभाषा (Fisher's Definition of National Income)—प्रो० फिशर के अनुसार 'वास्तविक राष्ट्रीय आय एक वर्ष के अन्तर्गत उत्पादित वास्तविक तथा शुद्ध सम्पत्ति का वह अंश है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है।' (The true national income is that part of the annual net produce which is directly consumed during that year) फिशर की परिभाषा अधिक ताकिक मालम पड़ती है। क्योंकि उन्हीं उत्पादन की जगह उपभोग को राष्ट्रीय आय का माप-दण्ड मना है। फिशर के शब्दों में, "राष्ट्रीय आय में केवल वे वस्तुएँ तथा सेवाएँ सम्मिलित की जाती हैं जो कि अन्तिम रूप से उपभोगियों को प्राप्त होती हैं, चाहे ये सेवाएँ उन्हें भौतिक अथवा मानव के वातावरण से ही क्यों न प्राप्त हो। इस प्रकार मियानो (Piano) अथवा एक बड़ा कोट जो मेरे लिए तैयार किया गया है, इस वर्ष की आय का हिस्सा नहीं है, वरन् यह केवल पूँजी में वृद्धि है।" अतएव फिशर

1 "National Dividend or income consists solely of services as received by ultimate consumers, whether from their material or from their human env
मु० मो० सं०—35

के अनुसार राष्ट्रीय आय सम्पूर्ण उत्पादन की मात्रा नहीं, वरन् यह एक वर्ष के वास्तविक उत्पादन का यह अंश है जो उस वर्ष में वास्तव में उपभोग किया जाता है।

प्रो० फिशर के विचारों की आलोचना (Criticisms of the ideas of Prof Fisher) — प्रो० फिशर द्वारा दी गयी परिभाषा अधिक तर्कयुक्त होते हुए भी विभिन्न दोषों से परिपूर्ण है। इस परिभाषा के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना बहुत ही कठिन हो जाती है क्योंकि इस बात का पता तो सुगमता से लगाया जा सकता है कि किसी एक वर्ष में कितनी वस्तुओं एवं सेवाओं की उत्पत्ति हुई, किन्तु वर्ष भर में उपभोग में आने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की सूची तैयार करना निश्चय ही बहुत कठिन कार्य है क्योंकि किसी एक व्यक्ति द्वारा उत्पन्न सामान का सैकड़ों अथवा हजारों व्यक्तियों द्वारा उपभोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, किसी एक किसान द्वारा उत्पन्न १०० वि० गेहूँ किसी एक व्यक्ति के प्रयोग में नहीं आता, वरन् कई व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार उपभोग की गणना का कार्य उत्पादन की गणना की अपेक्षा कई गुना कठिन है।

इन प्रकार राष्ट्रीय आय की विभिन्न परिभाषाएँ¹ दी गयी हैं। इनमें से मार्शल, पीग तथा फिशर द्वारा दी गयी उपयुक्त परिभाषाएँ ही विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। किन्तु इन तीनों परिभाषाओं में से कौन सी परिभाषा अधिक अच्छी है इसका उत्तर केवल उस उद्देश्य की पृष्ठभूमि में ही दिया जा सकता है जिस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय या लाभांश शब्द का प्रयोग किया जाता है।

राष्ट्रीय आय के अध्ययन का महत्त्व

(Importance of the Study of National Income)

किसी देश की राष्ट्रीय आय का अध्ययन कई कारणों से महत्त्वपूर्ण है। इससे देश की आर्थिक स्थिति का अन्दाजा लगता है। भारत की राष्ट्रीय आय समिति (National Income Committee) का इस सम्बन्ध में निम्नांकित कथन विशेष रूप से उल्लेखनीय है "National income statistics provide a wide view of the country's entire economy as well as of the various groups in the population who participate as producers and income receivers and that if available over a substantial period, they reveal clearly the basic changes in the country's economy in the past and suggest, if not fully reveal, the trend for the future" वास्तव में, राष्ट्रीय आय का अध्ययन निम्नलिखित कारणों से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है —

(1) सर्वप्रथम तो हमें राष्ट्रीय आय के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि देश के प्राकृतिक साधनों का कहीं तक उपयोग हो पाया है। साथ ही, हमसे यह भी पता चलता है कि कृषि, उद्योग तथा वाणिज्य व्यापार आदि का कितना विकास हुआ है। इससे यह भी जान पड़ता है कि राष्ट्रीय आय कितना उत्पन्न होती है और इसका विभाजन किम प्रकार होता है। विशेष रूप से हमको यह ज्ञात होना चाहिए कि किसी देश की राष्ट्रीय आय का कितना भाग उपभोग के काम में आता है और

ronments Thus, a piano or an overcoat for me this year is not a part of this year's income but an addition to capital Only the services rendered to me during this year by these things are income" —Fisher

1 राष्ट्रीय आय की कुछ अन्य परिभाषाएँ भी दी गयी हैं। उदाहरण के लिए भारत की National Income Committee के अनुसार "A national income estimate measures the volume of commodities and services turned out during a given period, counted without duplication"

पुनः इसी समिति के अनुसार "National Income estimates or accounts are measures of the total net product of a country's economy with contribution among significant operating sectors and the several economic functions all gauged on a consistent basis permitting quantitative measurement These measures tell us how much the various sectors have produced, distributed and consumed and they tell it for the economy as a whole without omission and without duplication"

कितना बचाया जाता है और विनियोग की मात्रा बचत के बराबर है या नहीं।

(2) सरकार को बजट बनाने और करारोपण के समय भी राष्ट्रीय आय का ज्ञान आवश्यक होता है। आजकल बजट का उद्देश्य देश को मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी से बचाकर आर्थिक और सामाजिक उन्नति की ओर अग्रसर करना होता है। राष्ट्रीय आय के अध्ययन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मुद्रास्फीति से बचने के लिए कितनी बचत करनी होगी या कितना करारोपण करना होगा तथा बेरोजगारी से बचने के लिए राज्य को कितना विनियोग करना होगा। जिन देशों में आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन की नीति अपनायी जाती है उनमें राष्ट्रीय आय के अध्ययन का महत्त्व विशेष होता है। आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय आय का उत्तरोत्तर अधिक भाग बचाकर विनियोग करना आवश्यक होता है और इसके लिए उपयुक्त मौद्रिक नीति तथा कीमत और मजदूरी-सम्बन्धी नीतियाँ अपनायी पड़ती हैं।

(3) दो या दो से अधिक देशों के बीच किसी सामान्य धार के न्यायोचित विभाजन में भी राष्ट्रीय आय के आँकड़ों की सहायता ली जाती है।

राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक प्रगति

(National Income and Economic Progress)

साधारणतः, राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय (राष्ट्रीय आय—जनसंख्या) को देश की आर्थिक प्रगति का द्योतक माना जाता है। निम्नलिखित यदि राष्ट्रीय आय जनसंख्या की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है और साधारणतः प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का अर्थ होता है कि देश की आर्थिक क्षमता, उत्पादन तथा उपभोग की सम्भावनाओं में वृद्धि हो रही है। परन्तु निम्नलिखित कारणों से प्रति व्यक्ति आय सदा देश के सुख एवं समृद्धि की ठीक-ठीक प्रकट नहीं करती —

(1) मौद्रिक जय बढ जाने स भी यदि मुद्रा की प्रय शक्ति घट जाती है तो वास्तविक उपभोग तथा सन्तुष्टि नहू बढती।

(2) मौद्रिक मूल्य सदा वस्तुओं की सामाजिक उपयोगिता की प्रकट नहीं करती। प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय बढ़ने का तात्पर्य है कि पहले की तुलना में प्रति व्यक्ति उत्पादन का मूल्य अधिक है। परन्तु इसमें यह प्रकट नहीं होता कि किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा है। मुद्र के दिनों में अल्प अल्प के उत्पादन के बढ़ने से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है परन्तु इससे राष्ट्र का जीवन स्तर नहीं बढ़ने पाता। इसी प्रकार शान्ति-काल में भी यदि शराब बादि नशीली वस्तुों का उत्पादन बढ जाता है तो इससे वास्तविक जीवन स्तर नहीं बढता।

(3) राष्ट्रीय आय के आँकड़ा से यह प्रकट नहीं होता कि इसे प्राप्त करने के लिए नागरिकों को कितना श्रम करना पड़ता है। आराम (Leisure) कम कर कठिन परिश्रम द्वारा राष्ट्रीय आय बढ़ायी जा सकती है परन्तु इससे वास्तविक सुख का स्तर नहीं बढ़ता।

(4) इसी प्रकार वगैरे सोचे समझे देश के प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके अल्प-काल में राष्ट्रीय आय बढ़ायी जा सकती है। परन्तु यह दीर्घकालीन दृष्टि से अच्छा नहीं माना जा सकता।

(5) राष्ट्रीय आय उत्पादन का मूल्य बतलाती है, उपभोग की मात्रा नहीं बतलाती। परन्तु जीवन स्तर की उन्नत बनने के लिए उपभोग में वृद्धि आवश्यक है। यदि बड़ी हुई राष्ट्रीय आय को बचाकर विनियोग में लाया जाता है तो इससे भावी आय बढ़ती है, परन्तु वर्तमान उपभोग एवं जीवन स्तर नहीं बढ़ता। फिर 'उपभोग' के सम्बन्ध में जो आँकड़े एकत्र किये जाते हैं वे उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर किये जाने वाले खर्च की बतलाते हैं, उपभोक्ताओं द्वारा उनसे प्राप्त होने वाली सन्तुष्टि को नहीं बतलाने।

(6) और, अन्ततः प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से केवल यह मालूम होता है कि औसत आय बढ़ी है। परन्तु यदि औसत आय बढ़ने के साथ ही माघ आय के वितरण को विषमता भी बढ़ जाती है तो जनसाधारण का जीवन स्तर बढ़ने की जगह घट सकता है। अतएव राष्ट्रीय आय या प्रति-व्यक्ति आय को देखकर आर्थिक कल्याण के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष निकालने में बड़ी सावधानी से कार्य लेना चाहिए।

भारत की राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में अनुमान (Estimates of India's National Income)

भारत की राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में समय-समय पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न-भिन्न अनुमान लगाये गये हैं। इन सम्बन्ध में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1868 ई० में देश की प्रति-व्यक्ति आय का अनुमान 20 रु० लगाया था। तब से लेकर आज तक इन सम्बन्ध में विभिन्न व्यक्तियों तथा समितियों द्वारा भिन्न-भिन्न अनुमान लगाये गये हैं जिनका अन्दाजा निम्नवित्त तालिका से लगाया जा सकता है :—

क्रम-संख्या	लेखक	अनुमान के वर्ष	प्रति व्यक्ति आय का अनुमान (रुपये में)
1.	दादा भाई नौरोजी	1868	20
2.	लाई क्रोमर एव वाबेन	1880	27
3.	एच० जे० एटकिन्सन	1895	39.5
4.	लाई कर्जन	1900	80.0
5.	विलियम डिगवी	1901	18.5
6.	वकील एव मुरजन	1910-11	58.5
7.	वाडिया और जोशी	1913-14	44.34
8.	शाह और खटाटा	1921	74
9.	फिन्डल शिराज	1922	116
10.	माइमन आयोग	1929	111
11.	डा० बी० के० आर० बी० राव	1925-26	76
12.	डा० बी० के० आर० बी० राव	1931-32	65
13.	इस्टर्न इकोनोमिस्ट	1940-41	70
14.	राष्ट्रीय आय समिति ¹ (National Income Committee)	1948-49	246.9
		1949-50	256.0
		1950-51	265.5
		1951-52	274.2
		1952-53	266.4
		1953-54	278.1
		1955-56	281.0
		1960-61	325.7

उपरोक्त आँकड़ों के अध्ययन से देश की राष्ट्रीय आय का अन्दाजा लगाया जा सकता है, किन्तु इन अनुमानों में विभिन्नता पायी जाती है। अगस्त, 1949 ई० में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय एवं तत्सम्बन्धित विषयों पर विचार करने के उद्देश्य प्रो० पी० सी० महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति (National Income Committee) की नियुक्ति की थी। इस समिति के अनुमान बहुत अधिक निकट जान पड़ते हैं। समिति ने देश में राष्ट्रीय आय-सम्बन्धी आँकड़ों को एकत्र करने की प्रणाली के दोषों पर विचार किया तथा इनमें आवश्यक सुधार लाने की सिफारिश की।

1- अगस्त, 1949 ई० में भारत सरकार ने प्रो० पी० सी० महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति की थी जिसका उद्देश्य देश की राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में अनुमान लगाना था। समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट 1951 ई० में तथा अन्तिम रिपोर्ट 1954 ई० में प्रकाशित की।

किन्तु, आज भी हमारे देश में राष्ट्रीय आय सम्बन्धी अनुमान सरकारी आँकड़ों पर ही आधारित हैं। केन्द्र तथा राज्य सरकारों में प्राप्त आँकड़े ही इसके लिए प्रयोग किये जाते हैं। किन्तु इन आँकड़ों को अनेक सीमाएँ हैं। कृषि एवं तराई-सम्बन्धी उद्योगों के आँकड़े तो बिल्कुल अपूर्ण होते हैं। कृषि का हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान है, फिर भी इसके सम्बन्ध में सही आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हमारे देश में इन आँकड़ों को एकत्र करने की प्रणाली आज भी पूर्णतया दो-पूर्ण है। कारखाना मस्थानों के अन्तर्गत भी छोटे-छोटे कारखानों के सम्बन्ध में न्यूनतम अनेक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु इन छोटे-छोटे कारखानों का हमारी आर्थिक व्यवस्था में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। सरकारी कार्यों एवं सेवाओं के सम्बन्ध में भी आर्थिक वर्गीकरण करना कठिन हो जाता है। इन सब कठिनाइयों के माध्यम-साथ राष्ट्रीय आय के अनुमान से सम्बन्धित एक महत्त्वपूर्ण कठिनाई देश की जनता की निरक्षरता एवं हिंसा नहीं रखने की आदत भी है। माय ही, हमारे देश में आज भी वस्तु-निमित्त प्रणाली, विशेषतः प्राथमिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। इससे भी इस क्षेत्र में कठिनाई उपस्थित हो जाती है।

इन प्रकार देश में राष्ट्रीय आय के आँकड़े एकत्र करने की प्रणाली बड़ी ही दोषपूर्ण है। राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार भी सरकारों गणनाओं में 10 प्रतिशत तक अशुद्धि की सम्भावना रहती है। किन्तु उल्लेखित तथ्यों के विवेचन में यह कहा जा सकता है कि सरकारी गणनाओं में विशेषतः कृषि एवं छोटे-छोटे उद्योगों से सम्बन्धित अनुमानों में 10 प्रतिशत से भी अधिक अशुद्धि की सम्भावना है। राष्ट्रीय आय समिति ने आँकड़े एकत्र करने की प्रणाली में सुधार के लिए बहुत-से उपाय प्रस्तावित किये जिन्हें सरकार आजकल अमल में लाने का प्रयास कर रही है। आँकड़ों के निरन्तर एवं विधिवत संग्रह के लिए सरकार द्वारा 1950 ई० में एक राष्ट्रीय न्यायदर्शन सर्वेक्षण (National Sample Survey) की स्थापना की गयी जिससे इन कार्य में बहुत अधिक सुविधा की आशा की जाती है।

विभिन्न उद्योगों एवं सेवाओं से प्राप्त आय

(National Income by Industrial Origin)

किसी देश की राष्ट्रीय आय विभिन्न माधनों के सहयोग का परिणाम है। भारत में विभिन्न औद्योगिक स्रोतों द्वारा प्राप्त आय का अर्द्धांश निम्नांकित तालिका¹ से लगाया जा सकता है।—

विभिन्न उद्योगों एवं सेवाओं से प्राप्त आय (करोड़ रुपये में) प्रचलित मूल्य पर

उद्योग	1960-61	1965-66	1967-68	1968-69
कृषि	6,570	9,523	14,665	13,916
वन-उद्योग	174	498	417	449
मत्स्य उद्योग	77	124	153	166
कुल	6,821	9,945	15,235	14,531
खनिज	144	234	291	318
कारखाना मस्थान	1,071	1,839	2,067	2,243
सघु मस्थान	785	1,225	1,458	1,560
निर्माण (Construction)	620	942	1,098	1,169
विद्युत्, गैस तथा जल-निष्पत्ति	68	144	202	245
कुल	6,883	4,384	5,116	5,535

रेलवे	252	426	413	469
अन्य यातायात	254	475	592	679
संचार	63	132	143	170
व्यापार, सचय तथा होटल इत्यादि	1301	2,659	3,129	3,122
कुल	1,870	3,692	4,277	4,445
बैंकिंग एव बीमा	158	364	385	432
वास्तविक संपत्ति तथा निवासस्थान	386	615	638	671
सार्वजनिक सेवाएँ	538	1,099	1,249	1,357
अन्य सेवाएँ	905	1,538	1,715	1,860
कुल	1,987	3,616	3,987	4,330
कुल राष्ट्रीय आय	13,366	23,872	28,615	28,841

इस प्रकार उपरोक्त तालिका से निम्नलिखित कुछ वर्षों में देश की राष्ट्रीय आय का अन्दाजा लगता है। निम्नांकित तालिका² से राष्ट्रीय आय में विभिन्न साधनों के महयोग का तुलनात्मक तरीके से अन्दाजा लगाया जा सकता है —

राष्ट्रीय आय में विभिन्न साधनों का हिस्सा (प्रतिशत) प्रचलित मूल्यों पर

उद्योग	1948 49	1950 51	1955 56	1960 61	1965 66	1967 68	1969 70
1 कृषि एव तत्सम्बन्धी उद्योग	49.1	49.0	47.9	51.0	47.8	52.0	49.7
2 खनिज, निर्माण एव लघु संस्थान	17.1	16.7	16.8	20.1	21.1	18.3	19.9
3 वाणिज्य एव यातायात	18.5	18.3	18.8	14.0	15.2	14.7	15.3
4 अन्य सेवाएँ	15.3	15.5	16.5	14.9	15.9	15.0	15.1
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि देश की कुल राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग कृषि से ही प्राप्त होता है। 1960-61 में कृषि से देश की कुल आय का प्रायः 51 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ था। परन्तु 1965-66 तथा 1966-67 में खराब फसल के कारण कृषि से प्राप्त आय में अत्यधिक कमी हो गयी। परन्तु पुनः 1967-68 में कृषि से प्राप्त आय में वृद्धि हुई। पिछले कुछ वर्षों से खनिज, निर्माण एवं लघु उद्योगों से प्राप्त आय में निरन्तर वृद्धि हो रही है जबकि वाणिज्य, बैंकिंग, यातायात तथा अन्य संस्थानों के प्रतिशत प्रायः समान हैं।

डा० राव ने 1931-32 ई० एवं 1950-51 में देश की राष्ट्रीय आय की तुलना की है। इनके अनुसार इन दोनों वर्षों में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में प्रायः कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सारांश यह है कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था दो दशान्तरों के बीच पूर्णतः स्थायी रही है। इसके विस्तृत विश्लेषण से स्पष्ट है कि इस अवधि के बीच में देश के औद्योगीकरण एवं कृषि में विकास के लिए किए गये प्रयत्नों से वास्तविक आय में प्रायः कोई वृद्धि नहीं हुई।

विश्व के अन्य देशों से तुलना (Comparison with other countries of the World).—भारत की प्रति-व्यक्ति औसत आय विश्व के प्रायः सभी सुसभ्य देशों से कम है। हमसे हमारी निर्धनता का अन्दाजा लगता है। भारत की निर्धनता आज विश्व-विश्यात है। यहाँ सर्वत्र भूखमरी एवं दरिद्रता का विस्तृत साम्राज्य है। हमारा प्रति व्यक्ति औसत आय विश्व के प्रायः सभी सुसभ्य देशों से कम है जो निम्नांकित तालिका¹ से स्पष्ट है:—

देश	प्रति-व्यक्ति औसत आय (1970 ई० में) (यू० एम० डॉलर में)
ब्रिटेन	1993
संयुक्त राज्य अमेरिका	4274
कैनाडा	3214
जापान	1658
संका	150
भारत	88

इस प्रकार भारत की प्रति-व्यक्ति औसत आय की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट-ब्रिटेन तथा कैनाडा की प्रति-व्यक्ति औसत आय क्रमशः 45 गुना, 16 गुना तथा 35 गुना अधिक है। इससे हमारी राष्ट्रीय आय की अपयप्तता का अन्दाजा लगाया जा सकता है।

राष्ट्रीय आय समिति

(National Income Committee)

अगस्त, 1949 ई० में राष्ट्रीय आय एवं तरमबन्धित विषयों पर विचार करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रो० पी० नी० महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति (National Income Committee) की नियुक्ति की थी। राष्ट्रीय आय समिति ने देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान 1948-49 एवं 1950-51 ई० के लिए लगाया था। समिति की पहली रिपोर्ट 1951 में तथा अन्तिम रिपोर्ट 1954 में प्रकाशित हुई।

समिति के अनुसार 1948-49 ई० में भारत की कुल राष्ट्रीय आय 8650 करोड़ रुपये तथा प्रति-व्यक्ति औसत आय 2469 करोड़ रुपये थी। इसी की डॉलर के रूप में परिधित करने पर 587 डॉलर के लगभग होता है। इसकी तुलना यदि हम उस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रति-व्यक्ति आय 2303 डॉलर तथा कैनाडा की 1408 डॉलर से करते हैं तो हमारी भीषण निर्धनता स्पष्ट हो जाती है। भारत में प्रति व्यक्ति आय के कम होने का प्रधान कारण अग्रिकाश यंत्रणासियों की घोर निर्धनता है। कमिटी के अनुसार देश की राष्ट्रीय आय में विभिन्न साधनों के हिस्से के अध्ययन से देश की अस्तुलित चर्च व्यवस्था का अन्दाजा लगता है। भारत में 1969-70 ई० में राष्ट्रीय आय का प्रायः 49.7 प्रतिशत भाग केवल कृषि (पशु-पालन सहित) से प्राप्त हुआ

षा, वाणिज्य, यातायात एवं सवाशवाहन से 15.3 प्रतिशत तथा निर्माण उद्योगों, हस्तकला एवं मत्तियों से केवल 19.9 प्रतिशत आय प्राप्त हुई थी। इसके विपरीत ईंग्लैंड में 1961 ई० में उद्योग वस्तुओं से कुल राष्ट्रीय आय का 45 प्रतिशत भाग तथा कृषि में केवल 4 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ था। इससे भारत की अमूल्य आर्थिक व्यस्तता का अन्दाजा लगता है। राष्ट्रीय आय समिति की पहली रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल राष्ट्रीय आय का प्रायः आधा भाग खर्च तथा पर व्यय किया जाता है। राष्ट्रीय न्याय सर्वेक्षण 1955 (National Sample Survey, 1955) के अनुसार भी ग्रामीण क्षेत्रों में कुल आय का दो तिहाई भाग खाद्यान्न तथा एक तिहाई भाग वस्त्र पर व्यय किया जाता है। इस प्रकार हमारे देश में भोजन एवं वस्त्र व्यय की दो प्रधान मूर्तें हैं जिनपर राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग व्यय किया जाता है। इनमें पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत अत्यधिक मात्रा में घाट की वित्त व्यवस्था का परिणाम भी स्पष्ट हो जाता है कि घाट की वित्त-व्यवस्था के परिणामस्वरूप जो अतिरिक्त आय का सृजन होगा उससे भोजन एवं वस्त्र की मांग बढ़ेगी। अतएव भारत जैसे अवसृष्टि देश में मुद्रा स्फीति के दबाव को रोकने के लिए खाद्यान्न एवं वस्त्र की पूर्ति का पर्याप्त मात्रा में लोचपूर्ण होना अति आवश्यक है।

राष्ट्रीय आय समिति के मुख्य विचार — भारत की राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में राष्ट्रीय आय समिति के निम्नांकित प्रमुख विचार हैं—

(1) समिति के अनुसार भारत की राष्ट्रीय आय चालू कीमतों के अनुसार 1948-49 ई० में 8650 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर 1949-50 ई० में 9010 करोड़ रु० तथा 1950-51 ई० में 9530 करोड़ रु० हो गयी। इस प्रकार इन तीन वर्षों में राष्ट्रीय आय में 880 करोड़ रु० या प्रायः 10.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, परन्तु इस अवधि में कीमतों में भी वृद्धि हो रही थी। समिति ने यह बतलवाया कि 1948-49 ई० की कीमतों के आधार पर राष्ट्रीय आय, जो 1948-49 ई० में 8650 करोड़ रु० थी, 1950-51 ई० में केवल 8850 करोड़ रु० हो गयी, यानी 1948-49 ई० के मूल्य तल पर राष्ट्रीय आय में केवल 200 करोड़ रुपये की ही वृद्धि हुई। इस प्रकार तीन वर्षों में राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि केवल 2.3 प्रतिशत की ही हुई।¹

(2) समिति के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय चालू कीमतों के अनुसार 1948-49 ई० में 246.9 रु० थी जो बढ़कर 1950-51 में 265.2 रु० हो गयी, यानी चालू कीमतों के आधार पर इन तीन वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। परन्तु यदि स्थिर कीमतों के आधार पर हिसाब लगाया जाय तो ज्ञात होता है कि इस अवधि में प्रति व्यक्ति आय लगभग एक समान रही। वास्तव में, यह 1949-50 ई० में 0.7 प्रतिशत बढ़ी, परन्तु 1950-51 ई० में की तुलना से 0.9 प्रतिशत घट गयी।

(3) समिति के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि 1950-51 ई० में हमारी राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा 51.3 प्रतिशत, खनिज उद्योग, माल तैयार करने के कारखानों और छोटे उद्योगों का 16.1 प्रतिशत, वाणिज्य-परिवहन और संचार का 17.7 प्रतिशत और अन्य सेवाओं का 15.1 प्रतिशत था। इन आँकड़ों से भारत की अर्थ-व्यवस्था का संतुलन प्रकट होता है। यह भी स्पष्ट है कि इस असंतुलन को दूर करने के लिए भारत में उद्योगों का विकास आवश्यक है। किन्तु सन्तोष का विषय है कि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में इस ओर विशेष प्रयत्न किया जा रहा है।

(4) समिति के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि 1950-51 ई० में भारत के विशुद्ध घरेलू उत्पादन की कीमत 9550 करोड़ रु० थी जिसमें 6290 करोड़ रु० का उत्पादन कृषि एवं छोटे उद्योगों में हुआ और लगभग 1070 करोड़ रुपये का उत्पादन बड़े उद्योगों में हुआ था। इन आँकड़ों से भारत की अर्थ-व्यवस्था में कृषि तथा लघु उद्योगों की प्रधानता स्पष्ट हो जाती है जिनके उत्पादन का मूल्य बड़े उद्योगों की अपेक्षा प्रायः 6 गुना अधिक है। हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में छोटे उद्योगों का महत्त्व स्वीकार करके इनके विस्तार और पुनसंरचना की व्यवस्था भी की गयी थी।

(5) राष्ट्रीय आय समिति के अनुमान के अनुसार चालू कीमतों के आधार पर 1948-49 एवं 1950-51 के बीच राष्ट्रीय आय में कृषि तथा वस्तुनिर्माण उद्योगों का योगदान 49.1 प्रतिशत से बढ़कर 51.3 प्रतिशत हो गया जबकि खनिज तथा निर्माण-उद्योगों का भाग 17.1 प्रतिशत

से घटकर 161 प्रतिशत रह गया परन्तु यदि स्थिर कीमतों के आधार पर-द्वितीय-वर्षाया जाय तो स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं प्रकट होता ।

(6) समिति की रिपोर्ट से यह प्रकट होता है कि करो से प्राप्त आय विशेषतः परीक्ष करो को आय, सरकारी व्यय और सार्वजनिक क्षेत्रों में निवेशों का वृद्धि है । ये वार्तें भारतीय अर्थ-व्यवस्था में सरकार के बढ़ते हुए महत्त्व को स्पष्ट करती है ।

(7) राष्ट्रीय आय समिति के प्रतिवेदन की 38 वीं एवं 39 वीं संरिणियों से यह स्पष्ट होता है कि इस अवधि में भारत में विदेशी पूँजी का अयात घट गया था । इसका कारण स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् इस सम्बन्ध में सरकारी नीति की अनिश्चितता एवं विदेशी पूँजी का अधिकारिक माना में बाहर जाना है ।

पंचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय आय

(National Income in Five Year Plans)

प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय आय (National Income in the First and Second Five Year Plans) — भारत में योजनाकरण का प्रयास उद्देश्य विकास-नीति के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना है । भारत की प्रति-व्यक्ति आय बहुत ही कम है । यहाँ कारण है कि हमारा जीवन-स्तर इतना निम्न है । अतः, पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत उत्पादन में चतुर्दिक वृद्धि द्वारा देश की राष्ट्रीय आय को बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है । प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार करने के समय योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में एक दीर्घकालीन नीति अपनायी थी जिसके अनुसार 1967-68 ई० तक राष्ट्रीय आय को तथा 1973-74 ई० तक प्रति-व्यक्ति आय को दुगुना करने का आशय था । किन्तु, प्रथम योजना में राष्ट्रीय आय एवं प्रति-व्यक्ति आय दोनों में आयोजित लक्ष्य से भी अधिक वृद्धि हुई जिससे यह अनुमान किया जाने लगा कि ये लक्ष्य कम ही समय में पूरे हो जायेंगे । अतएव आयोग ने आगे चलकर इनमें परिवर्तन किया । प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय और योजना में राष्ट्रीय आय एवं प्रति-व्यक्ति औसत में वृद्धि का अन्दाजा निम्नांकित तालिका से लगता है —

	इकाई	1950-51	1955-56	1960-61	दस वर्षों में प्रतिशत वृद्धि
राष्ट्रीय आय, (1960-61 ई० के मूल्य-तल पर)	कड़ोड ह० में	10,240	12,130	14,140	42.6
जनसंख्या	दस लाख में	361	397	439	21.5
प्रति-व्यक्ति आय 1960-61 ई० के मूल्य तल पर	रुपये में	284	306	326	16

योजना आयोग के अनुसार प्रथम योजनाकाल में राष्ट्रीय आय में 18.4 प्रतिशत तथा प्रति-व्यक्ति आय में प्रायः 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि पर पर्याप्त जोर दिया गया था । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में कुल 25 प्रतिशत वृद्धि का आयोजन था, किन्तु पाँच वर्षों में राष्ट्रीय आय में 20.4 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई । इसी प्रकार 10 वर्षों में, यानी 1951-52 से 1960-61 ई० के बीच राष्ट्रीय आय में 42.6 प्रतिशत तथा प्रति-व्यक्ति आय में 16.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रथम एवं द्वितीय योजनाकाल के दस वर्षों में राष्ट्रीय आय में औसत रूप से 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई । किन्तु चूँकि इस बीच जनसंख्या में अनुमानित दर से भी अधिक वृद्धि हुई, अतएव प्रति-व्यक्ति आय में केवल 1.6 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पाँच वर्षों में प्रति-व्यक्ति औसत आय 1948-49 ई० के मूल्य-तल पर 1956-57 ई० में 275.6 रुपये, 1957-58 ई० में 267.7 रुपये, 1958-59 ई० में 280.1 रुपये, 1959-60 ई० में 276.2 रुपये तथा 1960-61 ई० में 293.2 रुपये की किन्तु 1960-61 ई० के मूल्य-तल के आधार पर प्रति-व्यक्ति आय द्वितीय योजना के अन्त में 326 रुपये हो गयी ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय (National Income in the Third Five Year Plan) — तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि का आयोजन था। यदि योजना के सभी कार्यक्रम पूरे हो जाते तो राष्ट्रीय आय में (1960-61 ई० के मूल्य-तल पर) 34 प्रतिशत वृद्धि की आशा थी। किन्तु राष्ट्रीय आय में इतनी वृद्धि के लिए इसमें बहुत अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता थी। अतएव योजना आयोग का यह अनुमान था कि योजनाकाल में राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की ही वृद्धि होगी।

किन्तु तृतीय पंचवर्षीय योजना के इन लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकी तथा 1960-61 ई० के मूल्य-तल के आधार पर तृतीय योजना के प्रथम चार वर्षों में राष्ट्रीय आय में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई, किन्तु 1965-66 में इसमें 5.7% की कमी हुई। योजना काल में राष्ट्रीय आय में 1961-62 ई० में 3.9 प्रतिशत तथा 1962-63 ई० में केवल 2.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इनके पश्चात् इसकी गति में कुछ सुधार हुआ तथा राष्ट्रीय आय में 1963-64 ई० में 6.1 प्रतिशत तथा 1964-65 ई० में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। किन्तु 1965-66 ई० में भयानक सूखा तथा पाकिस्तानी आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आय में 5.7 प्रतिशत की कमी ही हुई। इस प्रकार तृतीय योजना काल में राष्ट्रीय आय में प्रायः 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि हुई, जबकि लक्ष्य 5 प्रतिशत से भी अधिक वार्षिक वृद्धि का था। और चूंकि तृतीय योजना काल में जनसंख्या में प्रायः 2.5 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि हुई, अतएव प्रति व्यक्ति आय (Per-capita income) में इस अवधि में प्रायः कोई वृद्धि नहीं हुई, यानी 1965-66 ई० के अन्त में प्रति व्यक्ति आय प्रायः उतनी ही थी जितनी कि तृतीय योजना के प्रारम्भ, यानी 1960-61 ई० में। तृतीय योजना के बाद वाले वर्ष यानी, 1966-67 में राष्ट्रीय आय में 1.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, किन्तु 1967-68 में राष्ट्रीय आय में 9 प्रतिशत तथा 1968-69 में लगभग 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

तृतीय योजना के प्रारम्भ से लेकर 1970-71 तक राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का अन्दाजा निम्नांकित तालिका से लगाया जा सकता है :—

राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय (1960-61 के मूल्य तल पर)¹

वर्ष	वृद्ध राष्ट्रीय आय (करोड़ रु० में)	राष्ट्रीय आय का सूचकांक (1960-61 = 100)	प्रति व्यक्ति आय (रु० में)	प्रति व्यक्ति आय सूचकांक (1960-61 = 100)
1960-61	13,284	100.0	306.3	100.0
1961-62	13,740	103.4	309.5	101.1
1962-63	14,008	105.5	308.5	100.8
1963-64	14,771	116.2	318.3	104.0
1964-65	15,896	119.7	335.4	109.6
1965-66	15,025	113.1	309.8	101.2
1966-67	15,267	114.9	308.4	100.8
1967-68	16,694	125.7	329.9	107.8
1968-69	16,815	126.6	324.6	106.0
1969-70	18,038	135.8	341.0	111.4
1970-71	18,876	142.1	348.9	114.0
तृतीय योजना में वृद्धि 2.5		×	+0.2	×
वार्षिक वृद्धि की दर		1.1	-0.5	
1966-67		9.3	+7.0	
1967-68		0.7	-1.6	
1968-69		7.3	+5.1	
1969-70		4.6	+2.3	
1970-71				

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय (National Income in the Fourth Five Year Plan):—चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भी राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण वृद्धि का आयोजन था। चतुर्थ योजना में विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप ऐसी आशा की जाती थी कि योजना काल में वार्षिक विकास की दर 5.5 होगी। योजना आयोग के अनुसार चतुर्थ योजना काल में विभिन्न उद्योगों की शुद्ध उत्पत्ति में वृद्धि का अन्दाजा निम्नांकित तालिका¹ से लगाया जा सकता है—

चतुर्थ योजना में शुद्ध उत्पत्ति का अनुमान (1968-69 के मूल्य तल पर करोड़ रु० में)²

महँ	1968 69	1973 74
1. कृषि एवं तत्सम्बन्धा उद्योग	14,864	18,951
2. खनिज, निर्माण तथा सवु मस्यान	5,497	8,058
3. वाणिज्य, यातायात एवं संचार	4,414	6,142
4. अन्य	4,295	5,155
5. विदेशी से प्राप्त आय	(-270)	(-406)
	28,800	37,900

चतुर्थ योजना काल में जनसंख्या में औसत प्रतिवर्ष 2.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि की आशा की गयी थी है। अतएव इस आधार पर यह अनुमान था कि योजना काल में प्रति व्यक्ति आय में अनुमानतः 3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि होगी। विकास के उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चतुर्थ योजना काल में आन्तरिक बचत के दर के 1968-69 को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 1973-74 में 11.9 प्रतिशत तथा विनियोग की दर को 1968-69 के 11.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 1973-74 में 11.9 प्रतिशत करने का आयोजन था। किन्तु चतुर्थ योजना के प्रथम दो वर्षों में विनियोग तथा बचत 1968-69 की ही तरह रही। विनियोग की दर 1969-70 में 9.2 तथा 1970-71 में 9.6 एवं बचत की दर क्रमशः 8.4 प्रतिशत तथा 8.3 प्रतिशत थी।

इस प्रकार वास्तव में चतुर्थ योजना काल में आयोजित दर से बहुत ही कम वृद्धि हुई। 1969-70 में विकास की दर 5.8 प्रतिशत तथा 1970-71 में 4.2 प्रतिशत से घट कर 1972-73 में केवल 0.6 प्रतिशत थी।³

1. Fourth Plan : Mid term Appraisal 1972.

2. Draft Fifth Plan 1974 79.

3. तृतीय योजना में अगले 15 वर्षों में राष्ट्रीय आय में वृद्धि का निम्नांकित लक्ष्य निर्धारित किया गया था :—

वर्ष	राष्ट्रीय आय (1960-61 के मूल्य-तल पर)	प्रति व्यक्ति आय (1960-61 के मूल्य तल पर)
1960-61 (तृतीय योजना के अन्त में)	14,500 करोड़ रु०	330 रु०
1965-66 (तृतीय योजना के अन्त में)	19,000 " "	385 " "
1970-71 (चतुर्थ योजना के अन्त में)	25,000 " "	450 " "
1975-76 (पंचम योजना के अन्त में)	33,000 करोड़ रु०	
	से 34,000 करोड़ रु०	530 " "

विकास की दीर्घकालीन प्रत्याशा (The long-term Perspective) — तृतीय योजना के निर्माण के समय देश के आर्थिक विकास के लिए एक दीर्घकालीन उद्देश्य निश्चित किया गया था जिसके अनुसार आगे आने वाले वर्षों में 6 प्रतिशत वार्षिक विकास की आशा की गयी थी।¹ किन्तु कई कारणों से तृतीय योजना तथा बाद के दो वर्ष (1966-67 एवं 1967-68) कठिनाइयों से परिपूर्ण सिद्ध हुए जिससे आयोग के दीर्घकालीन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी। अतएव चतुर्थ योजना काल में 5.5 प्रतिशत विकास की दर निश्चित की गयी जिसके अनुसार 1973-74 में प्रत्याशित राष्ट्रीय आय तृतीय योजना के दीर्घकालीन लक्ष्य से कम ही होगी। अतएव चतुर्थ योजना में किये प्रयासों तथा आगे की योजनाओं में ऊँची दर से विनियोग के कारण पाँचवी तथा आगे आने वाली पंच पॉय योजनाओं में विकास की दर में और वृद्धि, अनुमानत 6 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की आशा की गयी थी। इस आधार पर 1980-81 में राष्ट्रीय आय (1967-68 के मूल्य-वत् पर) के 582 बिलियन, यानी 1967-68 में दुगुना होन की आशा की गयी थी। किन्तु इन अवधि में चूंकि जनसंख्या में भी एक तिहाई के लगभग वृद्धि की आशा की गयी थी, अत 1980-81 में प्रतिव्यक्ति आय 1957-68 की तुलना में 53 प्रतिशत ही अधिक होन की थी। दीर्घकालीन विकास के इस परिवर्तित क्रम के अनुसार तृतीय योजनाकाल में निर्धारित 1975-76 के लक्ष्य को पूर्ति 1980-81 ई० यानी तीन चार वर्षों बाद में होगी। चतुर्थ योजना के अनुसार 1978-79 1980-81 के बीच राष्ट्रीय आय में वृद्धि का लक्ष्य निम्नांकित तानिका¹ से स्पष्ट हो जाता है —

वर्ष	राष्ट्रीय आय (1968-69 के मूल्य तल पर करोड में)	जनसंख्या (लाख में)	प्रति व्यक्ति आय (रु० में)
1968-69	290.7	52.7	552
1973-74	383.1	59.6	643
1978-79	517.0	66.6	775
1980-81	582.2	69.0	844

1967-68 की तुलना में			
1980-81 में वृद्धि का सचनानु	210.0	131	153

निष्कर्ष — इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं का प्रयाग उद्देश्य देश की राष्ट्रीय आय में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि करना है। किन्तु जनसंख्या में द्रतगति से वृद्धि के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में समान रूप से वृद्धि नहीं होती। इसलिए यह कहा जा सकता है कि अनुपात में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है उस अनुपात में हमारी औसत समृद्धि में वृद्धि नहीं हो रही है। मान ही, यह बड़ा हुई राष्ट्रीय आय कहाँ तक हमारी आर्थिक समृद्धि की वृद्धि में सहायक होगी, यह राष्ट्रीय आय के मधुमेय वितरण पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय आय पर

मूल्य-तल का भी प्रभाव पड़ता है। मूल्य तल में वृद्धि के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय की वृद्धि से हमारी आर्थिक समृद्धि में आनुपातिक दर से वृद्धि नहीं हो सकती। इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं में बड़ी हुई राष्ट्रीय आय का जनसाधारण तभी लाभान्वित हो सकता है जबकि मूल्य-तल में विनाश वृद्धि नहीं हो तथा आय का वितरण अधिक समान एवं न्यायपूर्ण तरीके से हो। अतः आज देश का आर्थिक समृद्धि के लिए उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ निम्नांकित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है — (1) मूल्य-तल में वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकना, (2) जनसंख्या की वृद्धि पर नियन्त्रण, तथा, (3) आय का अधिक उचित एवं न्यायपूर्ण तरीके से वितरण।

विशेष अध्ययन सूची

1. Final Report of the National Income Committee, Feb., 1954.
2. V. K. R. V. Rao National Income of British India, 1939
3. V. C. A. B. R. & Distribution of National Income by States 1960-61.
4. Govt of India, 1974
5. First, Second, Third and Fourth Five Year Plans of India
6. Draft Fifth Five Year Plan
7. Govt. of India Economic Survey 1973-74

"Public Finance deals with the provision, custody and disbursement of resources needed for the conduct of public or governmental functions."
—*H L Lutz*

"Public Finance is the science which is concerned with the manner in which public authorities obtain their income and spend it "
—*Findlay Shirras*

कुछ स्मरणीय उद्धरण

1 "Public Finance is one of those subjects which lie on the border line between Economics and Politics. It is concerned with the income and expenditure of Public Authorities and with the adjustment of the one to the other" —Dalton

2 "The Science which deals with the activities of statesmen in obtaining and applying the material means necessary for fulfilling the proper functions of the state" —Plehn

3. "The best system of public finance is that which secures the maximum social advantage from the operations which it conducts" —Dalton

4. "The main objective of public expenditure is to direct the productive resources in such a way that there may be maximum production of economic welfare" —Dalton

5 "A tax is a compulsory contribution or payment for the support of Government or other public purposes. Taxes may be employed to raise revenues, to regulate certain activities or promote social objectives or for both revenue and regulation" —Buhler

6 "Direct and Indirect Taxes are like two attractive sisters between whom I have to be perfectly impartial because, as Chancellor of the Exchequer it is not only allowable but an act of duty to pay my address to them both" —Gladstone

"Taxable capacity is the limit of squeezability—it is the taxability of a nation, the maximum amount of taxation that can be raised and spent to produce the maximum economic welfare in that community."

—Findlay Shirras

अध्याय : 49

राजस्व : परिचय

(Public Finance . Introduction)

प्राक्कथन :—‘धन से ही गाड़ी चलती है’ (Money makes the mare go) यह एक साधारण कहावत है। दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि “प्रत्येक उपक्रम का आरम्भ राजस्व है।” (The beginning of every undertaking is finance.) किसी भी कार्य को करने में प्रत्येक व्यक्ति धन की आवश्यकता का अनुभव करता है। अतएव यदि किसी व्यक्ति के लिए धन का इतना अधिक महत्त्व है तो राज्य के लिए इसका महत्त्व और भी अधिक है। वास्तव में, किसी राज्य के कार्यों की सीमा एवं उसकी कार्यक्षमता मुख्य रूप से उसके वित्तीय कोष की शक्ति पर ही निर्भर करती है। प्रारम्भ में, राज्य का कार्य केवल वाहरी आक्रमण तथा अन्तरिक अशांति से देश की सुरक्षा करना समझा जाता था, किन्तु आजकल राज्यों के कार्य क्षेत्र में इतनी अधिक वृद्धि हुई है कि इन्हें पूरा करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में आय की आवश्यकता पड़ती है। आधुनिक समय में तो किसी देश की सरकार का आय-व्ययक (Budget) उस देश की आर्थिक समृद्धि का एक अच्छा मापदण्ड भी समझा जाता है। अमेरिका तथा इंग्लैंड जैसे आर्थिक दृष्टि से समृद्धिशाली देशों की सरकार का आय-व्ययक भारत जैसे अर्द्ध विकसित आर्थिक व्यवस्था वाले देशों की तुलना में कई गुना अधिक रहता है।

इस प्रकार आधुनिक युग में किसी राष्ट्र के आर्थिक जीवन में राजस्व का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। आजकल इसे केवल राज्य की समृद्धि का साधन-मात्र ही नहीं माना जाता, वरन् आज यह सामाजिक न्याय का एक शक्तिशाली अस्त्र भी बन गया है। कोल्बर्ट के शब्दों में, “राजस्व अब केवल मात्र बत्तख पर कूड़ने की वह क्रिया नहीं माना जाता जिससे कि वह कम-से-कम शोर करे।” (Public Finance is no longer considered simply the art of so plucking the goose as to secure the least amount of squealing.) राजस्व के द्वारा आधुनिक सरकारें समाज में धनी एवं गरीब के बीच के अन्तर का दूर करने का कार्य भी करती हैं।

राजस्व की परिभाषा

(Definition of Public Finance)

राजस्व अर्थशास्त्र विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विभाग है। डाल्टन (Dalton) के अनुसार “यह उन विषयों में से एक है जो अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र की सीमा-रेखा पर स्थित है।” राजस्व के अन्तर्गत सार्वजनिक समस्याओं की व्यापक अध्ययन किया जाता है। सार्वजनिक समस्याओं के अन्तर्गत स्थानीय सरकारों से लेकर केन्द्रीय सरकार तक सभी समस्याएँ आ जाती हैं। राज्य जिस प्रकार अपनी आय प्राप्त करता है और जिस प्रकार इसे व्यय करता है, यही प्रधानतः राजस्व का विषय है। दूसरे शब्दों में, राजस्व एक विस्तृत शब्द है जिसमें राजकीय समस्याओं की वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है।

राजस्व की विभिन्न परिभाषाएँ दी जाती हैं जिनमें निम्नलिखित विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं —

डाल्टन (Dalton) के अनुसार “राजस्व उन विषयों में से एक है जो अर्थशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र की सीमा-रेखा पर स्थित है। इसका सम्बन्ध सार्वजनिक संस्थाओं की आय एवं व्यय तथा एक को दूसरे से समायोजित करने की क्रिया से है।”

(Public Finance is one of those subjects which lie on the border line between Economics and Politics. It is concerned with the income and expenditure of public authorities and with the adjustment of the one to the other —Dalton)

चैपमैन (Chapman) के अनुसार “राजस्व राजकीय अर्थशास्त्र का वह विभाग है जो सरकार की आय प्राप्त करने तथा उसके प्रबंध करने की क्रिया की विवेचना करता है।” (Public Finance is that part of political economy which discusses the way in which Government obtains revenues and manages them —Chapman)

फिण्डले सिराज (Findlay Shirras) के अनुसार “राजस्व वह विज्ञान है जिसका सम्बन्ध सार्वजनिक सस्याओं के द्वारा प्राप्त आय तथा उनके व्यय करने की पद्धति से है।” (Public Finance is the science which is concerned with the manner in which public authorities obtain their income and spend it—Findlay Shirras)² इनके अनुसार राजस्व उन सिद्धान्तों का अध्ययन है जिनके अनुसार राजकीय सस्याओं के कोषों का एकत्रीकरण एवं व्यय होता है।

श्रीमती उर्सला हिक्स (Mrs U K. Hicks) के अनुसार “राजस्व का मुख्य विषय उन विधियों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करना है जिनके द्वारा सरकारी संस्थाएँ आवश्यकताओं की सामूहिक रूप से सन्तुष्टि करने का प्रबंध करती हैं और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक कोष प्राप्त करती हैं।”

इसी प्रकार बैस्टेबेल (Bastable) के अनुसार ‘राजस्व किसी राष्ट्र की सार्वजनिक सस्याओं के आय-व्यय, उसके पारस्परिक सम्बन्ध, वित्तीय प्रशासन एवं नियन्त्रण का अध्ययन करता है।’ (Public Finance deals with expenditure and income of public authorities of the state and their mutual relation as also with financial administration and control)

आर्मिटेज सिमथ (Armitage Smith) के शब्दों में, ‘राजकीय व्यय एवं राजकीय आय की प्रकृति एवं सिद्धान्तों की जाँच को राजस्व कहा जाता है।’ (The investigation into the nature and principles of state expenditure and state revenue is called Public Finance)³

प्लेहन (Plehn) के अनुसार, “राजस्व वह विज्ञान है जिसमें उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो एक राजनीतिज्ञ किसी राज्य के कर्तव्य को पूरा करने के लिए आवश्यक भौतिक साधन प्राप्त करने तथा उन्हें व्यय करने के लिए प्रयत्न करता है। (Public Finance is the science which deals with the activities of the statesman in obtaining and applying the material means necessary for fulfilling the proper functions of the State)

लुटज (Lutz) के शब्दों में “राजस्व उन साधनों की व्यवस्था, सुरक्षा तथा वितरण का अध्ययन करता है जो राजकीय अथवा प्रशासन सम्बन्धी कार्यों को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं।” (Public Finance deals with the provision, custody and disbursement of resources needed for the conduct of public or Governmental functions)⁴

1 Dalton . Principles of Public Finance, P 1

2 Shirras Science of Public Finance, P 1

3 Armitage Smith . Principles and Methods of Taxation, P, 14.

4 H Lutz Public Finance P 3

इस प्रकार विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा राजस्व की उक्त सारी परिभाषाएँ दी गयी हैं।¹ इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि राजस्व एक ऐसा निम्नान है जो सावजनिक सत्त्वाओं की आय एवं व्यय से सम्बन्धित है। इसके अन्तर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि सार्वजनिक सत्त्वाएँ किस प्रकार आय प्राप्त करती हैं, किस प्रकार खर्च व्यय करती हैं और अपनी आय एवं व्यय में किस प्रकार स सामंजस्य स्थापित करती हैं। सार्वजनिक सत्त्वाओं (Public Authorities) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें, स्थानीय स्वायत्त शासन एवं ग्राम-पंचायत की सत्त्वाएँ आ जाती हैं।

राजस्व की विषय-सामग्री (Subject matter of Public Finance)

राजस्व की विभिन्न परिभाषाओं से इनकी विषय-सामग्री स्पष्ट हो जाती है। राजस्व के अन्तर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि राज्य तथा इसमें सम्बन्धित सत्त्वाएँ किस प्रकार धन एकत्र करती हैं और किस प्रकार इसे व्यय करती हैं। इस प्रकार राज्य की क्रियाओं के साथ यह भी आवश्यक है कि उसकी आय के साधनों एवं व्यय की मद्दों का भी ज्ञान प्राप्त हो। राजस्व के अन्तर्गत हम राज्य की केवल उन क्रियाओं का ही अध्ययन नहीं करते जिनका सम्बन्ध आवश्यकताओं की सामूहिक सृष्टि से होता है, बल्कि उनका अध्ययन वित्तीय दृष्टिकोण से करते हैं और उनका वित्तीय परिणामों पर भी दृष्टिपात करते हैं। कल्याणकारी राज्य की धारणा के प्रचार के बाद में तो यह निश्चित करना ही दुर्लभ हो गया है कि राज्य की जिन क्रियाओं से सम्बन्धित विनियोजितियों का अध्ययन राजस्व में किया जाय, क्योंकि आजकल तो राज्य की प्रायः सारी क्रियाएँ आपस में इस प्रकार एन-दूसरे से सम्बन्धित हैं कि किसी एक क्रिया को अलग करना या उसके किसी भी पहलू को खोल संजत करना सम्भव नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि राज्य के द्वारा सम्पन्न की जानेवाली सामाजिक क्रियाओं की बाधनीयता अर्थात् बुराइयों तथा अचञ्चलियों के सम्बन्ध में खोज करना राजस्व का विषय नहीं है। यह तो राजकीय अर्थशास्त्र का विषय है। राजस्व में केवल आय प्राप्त करने से सम्बन्धित क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। इन क्रियाओं की बाधनीयता के विषय में खोज की जाता है और उचित सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया जाता है एवं समाज तथा देश पर इनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है।

राजस्व के क्षेत्र के सम्बन्ध में सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री आल्डन ने जो सीमा निर्धारित की है, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आल्डन के जन्म से राजस्व अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र की सीमा-रेखा पर स्थित है। सरकारी को राज्य के प्रशासन के लिए जहाँ एक ओर राजनीति-शास्त्र के सिद्धान्त के अनुसार चलना पड़ता है, वहाँ दूसरी ओर अर्थशास्त्र के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और जनकल्याण की अविकलतम वृद्धि के लिए अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों का भी पालन करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि राजस्व अर्थशास्त्र का एक अग्रिम अंग है। अर्थशास्त्र का उद्देश्य सीमित साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करके जन-कल्याण को अधिकतम बनाना होता है। इन लक्ष्यों को निर्धारित करने का कार्य सरकार या शासक वर्ग करता है। अतः विविध राष्ट्रीय नीतियों को निर्धारित करना तथा ऐसे सिद्धान्तों एवं विधियों का उल्लेख करना जिनसे जनता की सुख-समृद्धि में आघातित वृद्धि हो, सरकार का कार्य होता है। परन्तु इन कार्यों को करने में धन की आवश्यकता होती है और धन-सम्बन्धी क्रियाएँ राजस्व के अन्तर्गत आ जाती हैं। राजस्व के दो पैरों में से राजनीति-शास्त्र और दूसरा अर्थशास्त्र में पँचा हुआ है। इन पैरों को फँसाने की सीमा जानने के सम्बन्ध में इतना ही कहा जा सकता है कि राजस्व के अन्तर्गत सरकार तथा लोक-सत्ताधिकारियों की सब क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनका सम्बन्ध राज्य के आय-व्यय से होता है। इस शास्त्र के अन्तर्गत यह अध्ययन करना हमारा कार्य नहीं है कि सरकार को कौन-कौन से कार्य करन चाहिए, क्योंकि इनका विवेचन राजस्व के क्षेत्र से बाहर की वस्तु हो

1. राजस्व की कुछ अन्य परिभाषाएँ भी दी गयी हैं। आल्डन के लिए, "Public Finance then constitutes a study of the monetary and credit resources of the State."

जाता है। अतः इस विषय का अध्ययन न केवल राजकीय प्राधिकारियों के कार्यों से सम्बद्ध है वरन् इन कार्यों को सम्पन्न करने के लिए सरकार के पास धन होने तथा उसके व्यय करने से है। ज्ञान को इस शाखा में सरकार की क्रियाओं से सम्बन्धित वित्तीय परिणामों (Financial implications) का भी अध्ययन किया जाता है। सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि "जहाँ सरकार द्वारा सम्पन्न की जानेवाली क्रियाओं में धन (मुद्रा एवं साख सहित) का सम्बन्ध आ जाता है, वही राजस्व के अध्ययन की विषय-सामग्री बन जाता है। और, यही इस शास्त्र के अध्ययन की सीमा भी है।

राजस्व के मुख्य विभाग

(Main Divisions of Public Finance)

'श्यापक दृष्टि से राजस्व को निम्नांकित पाँच मुख्य विभागों में विभाजित किया जा सकता है :—

- (1) सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure);
- (2) सार्वजनिक आय (Public Revenue),
- (3) सार्वजनिक ऋण (Public Debt),
- (4) वित्तीय प्रशासन (Financial Administration), एवं
- (5) संघीय वित्त (Federal Finance)।

(1) सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure) .—राजस्व के इस विभाग के अन्तर्गत राजकीय व्यय के सिद्धान्तों, समस्याओं एवं विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है।

(2) सार्वजनिक आय (Public Revenue) :—राजस्व के इस विभाग के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न खर्चों की पूर्ति के लिए प्राप्त आय के विभिन्न साधनों एवं समस्याओं इत्यादि का अध्ययन किया जाता है।

(3) सार्वजनिक ऋण (Public Debt) :—प्रायः यह देखा जाता है कि कभी-कभी सरकार को बड़े-बड़े खर्चों की पूर्ति के लिए आन्तरिक अथवा बाह्य ऋण भी लेने पड़ते हैं, जैसे—युद्ध, अकाल एवं आर्थिक नियोजन इत्यादि के समय। राजस्व के इस विभाग के अन्तर्गत सरकार द्वारा लिये जाने वाले ऋण तथा इनके भुगतान-सम्बन्धी सिद्धान्तों एवं समस्याओं का अध्ययन किया जाता है।

(4) वित्तीय प्रशासन (Financial Administration) :—राजस्व के इस विभाग में सरकारी आय-व्यय का लेखा-जोखा रखने के तरीकों तथा उन्हें तैयार करने की प्रणालियों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है।

(5) संघीय वित्त (Federal Finance) .—आजकल संघीय वित्त का महत्त्व राजस्व के एक अंग के रूप में बहुत बढ़ गया है। विश्व के कुछ प्रमुख देशों में संघीय शासन-व्यवस्था (Federal Government) है, जैसे—भारत, आस्ट्रेलिया, स्वीट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका इत्यादि। अतएव इन देशों की वित्तीय व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि संघ सरकार एवं इसकी विभिन्न इकाइयों में किस प्रकार का वित्तीय सम्बन्ध हो, विभिन्न क्रियाओं का विभाजन कैसे हो, इत्यादि। इन सब बातों का अध्ययन संघीय वित्त के अन्तर्गत ही किया जाता है।

वैयक्तिक वित्त-व्यवस्था एवं राजकीय वित्त-व्यवस्था में अन्तर (Distinction between Private Finance and Public Finance)

राजस्व के अध्ययन के पूर्व वैयक्तिक एवं राजकीय अर्थ-व्यवस्था में अन्तर की जानकारी उचित होगी। इससे राजकीय अर्थ-व्यवस्था की प्रकृति की समझने में सुविधा होती है। साधारणतया, वैयक्तिक एवं राजकीय अर्थ-व्यवस्था में निम्नांकित मुख्य अन्तर हैं :—

(1) आय एवं व्यय का समायोजन (Adjustment of Income and Expenditure) :—वैयक्तिक अर्थ-व्यवस्था एवं राजकीय अर्थ-व्यवस्था में प्रधान अन्तर आय एवं व्यय

के सम्बन्ध को लेकर पाया जाता है। साधारणतया जबकि व्यक्ति अपनी आय के अनुसार ही अपना व्यय करता है, राजकीय संस्थाएँ पहले अपना व्यय निश्चय कर लेती हैं और उसी के अनुसार अपने आय को समायोजित करने का प्रयास करती हैं।" (While an individual's income determines the amount of his possible expenditure, a public authority's expenditure determines the amount of its necessary income.) दूसरे शब्दों में, व्यक्ति अपनी आय के अनुसार अपने व्यय को रखने का प्रयास करता है, किन्तु सरकारी संस्थाएँ अपने व्यय के अनुसार ही अपनी आय प्राप्त करती हैं, यानी राज्य की आय उसके व्यय से निर्धारित होती है। वैयक्तिक अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में यह वहावत कि 'उतना पांव पसारिये जितनी चादर होय' (Cut your coat according to your cloth) पूर्ण रूप से सत्य होती है। किन्तु सरकार पहले चादर को लम्बाई चौड़ाई निश्चित कर लेती है और तब इसके लिए कपड़े की व्यवस्था करती है।

किन्तु, इसके अपवाद भी हैं। कभी-कभी व्यक्ति भी अपने व्यय के अनुसार आय प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति शादी करता है जिससे उसके आश्रितों की संख्या बढ़ती है तो इसमें उसका व्यय भी बढ़ जाता है जिसकी पूर्ति के लिए वह अधिक काम कर अपनी आय में वृद्धि करने का प्रयास करता है। अतएव इस प्रकार यह कथन सदैव सही नहीं होता कि व्यक्ति उतना ही पांव पसारता है जितनी लम्बी कि उसकी चादर होती है। कभी-कभी वह अपनी चादर की माप जानता है और किसी-न किसी तरह में उसके लिए कपड़ा प्राप्त करता है। इसी प्रकार कभी-कभी सरकारें भी अपनी आय के अनुसार ही व्यय को समायोजित करने का प्रयास करती हैं। जब सरकारें आय का आधिक्य अनुभव करती हैं तब वे कुछ इच्छित दिशाओं में व्यय में वृद्धि करने का निर्णय कर सकती हैं। इस प्रकार आय बढ़ने पर सरकार अधिक खर्च करती है या दुर्दिन में जब सरकार की आय कम हो जाती है तो छूटनी (Retrenchment) आदि के द्वारा व्यय को कम भी किया जाता है।

किन्तु, इसके वातजूर यह कहा जा सकता है कि सरकार एवं व्यक्ति की अर्थ-व्यवस्था के तथैको में वास्तविक अन्तर होता है। साधारणत, व्यक्ति अपनी आय जानता है, अतएव उसी के अनुसार अपने व्यय की योजनाएँ बनाना उसके लिए आवश्यक हो जाता है। इसके विपरीत सरकार पहले विभिन्न विभागों एवं कार्यों में व्यय का अनुमान कर लेती है और उसी के अनुसार कर अथवा ऋण आदि द्वारा आय प्राप्त करने का प्रयत्न करती है।

(2) राजकीय आय की लोच (Public Revenue is much elastic).—राजकीय आय व्यक्तिगत आय की अपेक्षा अधिक लोचपूर्ण होती है। साधारणतया यह देखा जाता है कि राज्य अपनी आय को सूयमतापूर्वक बढ़ा सकता है किन्तु व्यक्तिगत आय के सम्बन्ध में यह सम्भव नहीं है। साथ ही, जैसा कि श्रीमती हिक्स का विचार है, राज्य उस अनुपात में परिवर्तन कर सकता है जिसमें देश की सम्पूर्ण आय राज्य एवं नागरिकों के बीच विभाजित होती है।

(3) समय की अवधि (Period of time).—व्यक्ति के आय व्यय को कोई निश्चित अवधि नहीं होती, किन्तु राजकीय संस्थाएँ प्रतिवर्ष अपनी आय एवं व्यय का बजट प्राय एक वर्ष के लिए तैयार करती हैं। सरकार इस अवधि के अन्तर्गत अपनी आय एवं व्यय को संतुलित करने का प्रयास करती है, किन्तु व्यक्ति के लिए इस अवधि का कोई महत्व नहीं होता। वह एक निश्चित अवधि के अन्तर्गत अपनी आय एवं व्यय को संतुलित करने का प्रयास नहीं करता। व्यक्ति साधारणत आय प्राप्त करते आता है और उसे व्यय करते जाता है। शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो एक निश्चित अवधि में अपनी आय एवं व्यय को संतुलित करने का प्रयास करता हो। किन्तु सरकार के साथ ऐसी बात नहीं है। सरकार एक निश्चित अवधि, साधारणत, एक वर्ष के लिए ही अपना बजट तैयार करती है।

(4) ऋण लेने की सुविधा —आय से अधिक व्यय होने पर व्यक्ति तथा सरकार दोनों ही ऋण लेते हैं, किन्तु इनके ऋण लेने की सुविधाओं में अन्तर होता है। जब सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक होता है तो वह बाह्य तथा आन्तरिक (External and Internal) दोनों ही प्रकार से कर्ज प्राप्त कर सकती है। दूसरे शब्दों में, सरकार अपने देश के नागरिकों से आन्तरिक कर्ज

ले सकती है। माय ही, वह विदेशी सरकार या विदेशियों से ऋण भी ले सकती है। किन्तु व्यक्ति के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं रहती। वह केवल बाह्य ऋण (External Loan) यानी अपने बैंक से अथवा अडोम-पडोस में ही ऋण ले सकता है। इस प्रकार व्यक्ति को सरकार की तरह आन्तरिक ऋण की सुविधा उपलब्ध नहीं रहती।

(5) सीमान्त उपयोगिता का समीकरण (Equalisation of Marginal Utility) — प्रत्येक व्यक्ति सम-सीमान्त उपयोगिता नियम के आधार पर अपने व्यय को इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि व्यय की मभी मरदो में उसे समान सीमान्त उपयोगिता तथा कुल मिलाकर अधिकतम उपयोगिता (Maximum Utility) प्राप्त हो। किन्तु सरकार जब अपने धन को व्यय करती है तो उसके लिए इन प्रकार सरलतापूर्वक विचार करना सम्भव नहीं है क्योंकि उपयोगिता निराकार (Subjective) होती है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि राजकीय व्यय अविवेकपूर्ण होता है। वास्तव में, सरकार सम्पूर्ण समाज की उपयोगिता को ध्यान में रखकर ही अपना व्यय करती है। वह अपनी आय को विभिन्न मरदो में इस प्रकार से खर्च करती है जिसमें कि देश तथा समाज को अधिकतम सामाजिक कल्याण (Maximum Social Advantage) प्राप्त हो।

(6) मुद्रा-प्रसार अथवा अतिरिक्त पत्र-मुद्रा जारी करना सरकारों के लिए विशेष प्रक्रिया (Inflation or printing of more Paper notes a peculiar privilege of the Govt) — आय से व्यय अधिक होने पर सरकार के लिए आय में वृद्धि का एक दूसरा साधन भी उपलब्ध है। सरकार मुद्रण यन्त्र की सहायता से अतिरिक्त पत्र मुद्रा भी जारी कर सकती है। मुद्रा के मरदो अपने खर्चों की पूर्ति के लिए प्रत्येक देश में सरकार द्वारा अत्यधिक मात्रा में पत्र मुद्रा जारी की जाती है। आर्थिक नियोजन के समय भी प्रायः यही बात पायी जाती है। किन्तु व्यक्ति को यह साधन उपलब्ध नहीं है।

(7) आधिक्य बजट वैयक्तिक अर्थ-व्यवस्था का एक प्रधान गुण है, किन्तु राजकीय अर्थ-व्यवस्था के लिए नहीं (Surplus budgeting is a virtue for an individual but not for the State) — व्यक्ति को अपनी आय से कम व्यय करना चाहिए। दूसरे शब्दों में आधिक्य बजट (Surplus Budget) व्यक्तिगत अर्थ-व्यवस्था का एक प्रमुख गुण माना जाता है, किन्तु राज्य के लिए आधिक्य बजट एक गुण नहीं है। इसमें कोई सदेह नहीं कि घाटे का बजट (Deficit Budgeting) भी बुरा एवं राजस्व के अस्तित्व का प्रतीक है। किन्तु बचत का बजट भी अच्छा नहीं है। इसका अर्थ यह होता है कि या तो करो का स्तर अनावश्यक रूप से ऊँचा रखा गया है, या राजकीय व्यय को अनुचित रूप से नीचा रखा गया है जिससे कल्याण के कार्यों पर विशेष जोर नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार यदि प्रतिवर्ष सरकारी बजट में अधिक मात्रा में आधिक्य हो तो या तो करदाताओं को छुट देनी चाहिए या सामाजिक व्यय के स्तर में वृद्धि करनी चाहिए।

(8) सार्वजनिक वित्त में सोच-विचार कर भारी परिवर्तन करना आसान है (Deliberate & big changes in Public Finance is easier) — किसी व्यक्ति के लिए आय अथवा व्यय में कोई बड़ा परिवर्तन करना मृगम नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय को बढ़ाना चाहता है। किन्तु ऐसा कितने लोग कर सकते हैं? इसी प्रकार एक व्यक्ति रहन सहन के एक निश्चित स्तर का आदी हो जाता है जिसमें आसानी से परिवर्तन नहीं हो पाता, लेकिन सरकार राजकीय व्यय की योजना में अच्छी तरह बड़े एवं मौलिक परिवर्तन करने में समर्थ होती है। उदाहरण के लिए, यदि समाजवादी दल के हाथ में सत्ता आ जाय तो वह निश्चय ही राजकीय आय और व्यय दोनों में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर सकता है। किन्तु राजकीय अर्थ-प्रबन्ध की तरह व्यक्तिगत अर्थ-प्रबन्ध में इस प्रकार की लोच का प्रायः अभाव पाया जाता है।

(9) भविष्य के लिए व्यवस्था (Provision for the future) — भविष्य के लिए व्यवस्था के सम्बन्ध में भी सरकार को बहुत अधिक उदार और दूरदर्शी होना पड़ता है। राजनीतिक भावी पोटियो के लिए प्रत्याशी (Trustees) होता है। सरकार विभिन्न योजनाओं पर भारी रकम खर्च करती है जिनके बदले में शीघ्र कुछ लाभ नहीं प्राप्त होता। यदि होता भी है

तो कई पीढ़ियों बाद। इसके विपरीत व्यक्ति शीघ्र लाभ प्राप्त करने को उत्सुक रहता है। मानव जीवन इतना अधिक अनिश्चित होना है कि व्यक्ति भविष्य की विशेष चिन्ता नहीं करता, परन्तु समाज व्यक्तियों के आवागमन के बाद भी जीवित रहता है, यह हमेशा स्थायी रहता है, इसलिए राज्य भविष्य के लिए ठोस व्यवस्था करने को बाध्य होता है। डाल्टन (Dalton) का इस सम्बन्ध में निम्न कथन विशेष रूप से उल्लेखनीय है—“The statesman is a trustee for the future no less than for the present. Individuals die but the community of which they form part lives on. The statesman, therefore, should prefer a larger social advantage in the future to a smaller one to-day”

(10) वैयक्तिक अर्थ-व्यवस्था रहस्य में छिपी रहती है (Individual Finance is shrouded in mystery) —वैयक्तिक अर्थ-प्रवन्ध गुप्त रहता है, यह सर्वविदित नहीं होता; क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के विषय में लोगों के सामने अस्पष्ट चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास करता है किन्तु इसके विपरीत राजकीय अर्थ-व्यवस्था का सार ही प्रचार करना है। इसी उद्देश्य से राज्य के बजट प्रकाशित होते हैं, संसद में उनपर बहस होती है तथा उनका अधिकतम प्रचार किया जाता है।

(11) राजकीय संस्थाएँ साधारणतः आम जनता से धन लेकर उसे जन कल्याण के कार्यों में व्यय करती हैं, किन्तु व्यक्ति अपनी आय स्वयं प्राप्त करता है और साधारणतः उसे अपने परिवार की भलाई के कार्यों में व्यय करता है।

राजस्व का क्षेत्र

(Scope of the Public Finance)

आज से लगभग सो-डेट-सौ वर्ष पूर्व राज्य का कार्य-क्षेत्र बहुत ही संकुचित था। समाज में व्यक्तिवादो धारणा का प्रचलन था तथा सभी इस बात की समझते थे कि राज्य अपने न्यूनतम कार्यों की सीमा के बाहर कोई भी कार्य अच्छी तरह से नहीं कर सकता था। उस समय प्रत्येक कर को बुरा (Every tax is an evil) समझा जाता था। प्रमुख अर्थशास्त्री जे० बी० मे (B Say) का यह कथन कि “कम-से-कम व्यय करने की योजना ही राजस्व की सबसे अच्छी योजना है तथा वही कर सबसे अच्छा है जो कम-से-कम परिमाण में हो” (The very best of all plans of finance is to spend little and the best of all taxes is that which is least in amount.)—राजस्व के प्रति आज से 150 वर्ष पूर्व विद्वानों की धारणा को अच्छी तरह से व्यक्त करता है।

किन्तु आजकल राजस्व के क्षेत्र के सम्बन्ध में आम धारणा विलकुल बदल गयी है। आज का युग कल्याणकारी राज्य (Welfare State) का युग है जिसका प्रधान उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति है। आज राज्य का उद्देश्य केवल सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, वरन् देश में धन एवं आय के वितरण की विषमता को यथासम्भव दूर करना तथा समाज में पूर्ण रोजगारी (Full-employment) की व्यवस्था करना भी है। इन उद्देश्यों के कारण आजकल राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाओं का क्षेत्र बढ़ता ही जा रहा है जिनकी पूर्ति के लिए अधिक मात्रा में आय की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार राजकीय आय एवं व्यय, दोनों में वर्तमान युग में, विशेषतः प्रथम विश्व-युद्ध के बाद से, महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। अतएव, आधुनिक समय में समाजवादी एवं कल्याणवादी सिद्धान्तों के प्रसार के फलस्वरूप राजस्व का क्षेत्र भी अति व्यापक होते जा रहा है।

अर्द्ध-विकसित देशों में राजस्व

(Public Finance in Under-developed Countries)

साधारणतः, विकसित एवं अर्द्ध-विकसित देशों में राजस्व नीति के उद्देश्य एक समान होते हैं। किन्तु, वास्तव में विकसित एवं अर्द्ध-विकसित देशों की आर्थिक व्यवस्था में कुछ मौलिक अन्तर पाये जाते हैं। उदाहरण के लिए, विकसित देशों की प्रमुख आर्थिक समस्या आर्थिक स्थायित्व की समस्या होती है जबकि अर्द्ध-विकसित देशों में साधनों की दुर्लभता तथा पूंजी-निर्माण एवं

विनियोग के अभाव की समस्या पायी जाती है। अतएव कुछ अर्थशास्त्री इस बात को मानते हैं कि अर्द्ध-विकसित आर्थिक व्यवस्था वाले देशों में आधुनिक तरीके की वित्तीय संस्थाओं का अभाव पाया जाता है जिससे ऐसी अर्थ-व्यवस्था में वित्तीय नीति प्रभावोत्पादक नहीं हो पाती। किन्तु इस प्रकार की धारणा तथ्यहीन है। वास्तव में, एक अर्द्ध-विकसित आर्थिक व्यवस्थावाले देश में भी वित्तीय नीति का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। इसके कई कारण हैं :— सर्वप्रथम तो अर्द्ध-विकसित देशों में आर्थिक विकास के लिए राज्य को सक्रिय रूप से भाग लेना पड़ता है। राज्य इस उद्देश्य से देश के आर्थिक जीवन को नियमित एवं नियंत्रित करता है और राज्य के इस कार्य में वित्तीय नीति (Fiscal Policy) एक महत्त्वपूर्ण अस्त्र का कार्य करती है। द्वितीयतः, अर्द्ध-विकसित देशों की प्रधान समस्या पूँजी का निर्माण है और इस कार्य में कारारोपण का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है, जैसा कि नूरसे (Nurkse) ने कहा है “अर्द्ध-विकसित देशों में पूँजी-निर्माण की समस्या के समाधान में राजस्व का एक नया और महत्त्वपूर्ण स्थान होता है।” (I believe that public finance assumes a new significance in the face of problems of capital formation in under developed countries) और अन्ततः आर्थिक नियोजन के सफल कार्यान्वयन के क्षेत्र में राजस्व का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में, भौतिक नियोजन की ही तरह आज के युग में वित्तीय नियोजन भी महत्त्वपूर्ण स्थान है और वित्तीय नियोजन समुचित वित्तीय नीति पर ही आधारित है।

इस प्रकार अर्द्ध-विकसित आर्थिक व्यवस्था वाले देशों के लिए भी राजस्व का विशेष रूप से महत्त्व है।

विशेष अध्ययन सूची

1. Dalton : Public Finance, Chapter—I.
2. Hicks . Public Finance, Chapter—I
3. Groves Financing of Government, Chapter—I.

अध्याय : 50

अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत (The Principle of Maximum Social Advantage)

प्राक्कथन —हमारे जीवन में कुछ ऐसे कार्य अथवा कुछ ऐसी आवश्यकताएँ हैं जिनका सम्पादन अथवा जिनकी पूर्ति हम अकेले नहीं कर सकते। अतएव ऐसे कार्यों के सम्पादन में सरकार या सार्वजनिक संस्थाओं के लिए हाथ बँटाना अनिवार्य हो जाता है। सामाजिक अथवा सामूहिक आवश्यकताएँ, जैसे—देश की सुरक्षा, सार्वजनिक चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा सफाई एवं पूर्ण रोजगारी की व्यवस्था इत्यादि ऐसी आवश्यकताएँ हैं जिनकी पूर्ति के लिए हमें मुख्य रूप से राज्य के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। सरकार समाज के प्रतिनिधि होने के नाते हमारी इन आवश्यकताओं की पूर्ति में पूरा-पूरा सहयोग प्रदान करती है।

आज से लगभग 150-200 वर्ष पूर्व यह सिद्धान्त सर्वमान्य था कि राज्य को कम-से-कम व्यय करना चाहिए तथा कम-से-कम कर वसूलना चाहिए। आज भी इस विचारधारा के बहुत-से समर्थक हैं जो ऐसा कहते हैं कि प्रत्येक कर एक अभिशाप है। (Every tax is an evil.) सुप्रसिद्ध विद्वान जे० बी० से (J. B. Say) के अनुसार “राजस्व की सभी योजनाओं में सबसे अच्छी योजना सबसे कम दायित्व करने की है और सभी करों में वही कर अच्छा है जो कम से कम मात्रा में हो।” (The very best of all plans of Public Finance is to spend little and the best of all taxes is that which is least in amount.) वास्तव में, इस प्रकार की धारणा व्यक्तिवादी विचारधारा की देन थी जो इस बात पर आधारित थी कि सरकार को व्यक्ति की सम्पत्ति एवं स्वतन्त्रता में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करना सर्वथा अनुचित है। इन लोगों की यह धारणा थी कि सबसे अच्छी सरकार वही है जो सबसे कम शासन करे। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों, जिनमें आदम स्मिथ (Adam Smith) तथा रिकार्डो (Ricardo) भी सम्मिलित थे, के अनुसार “अधिकांश वैयक्तिक व्यय जिम्हे कर रोकता है, उल्पादक हैं तथा अधिकांश सार्वजनिक व्यय अनुत्पादक हैं।” ग्लैडस्टोन के समय तक सार्वजनिक व्यय को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था। स्वयं ग्लैडस्टोन ने लोगों को जेब में पैसा पड़े रहने की चोपणा की थी मानो पैसा वहाँ दबका देता हो। (Leaving money to fructify in the pockets of the people as though it were a ripening cheese.) दूसरे शब्दों में, इनकी राय में व्यक्तियों द्वारा व्यय किया गया द्रव्य उत्पादक तथा सरकार द्वारा व्यय किया गया धन अनुत्पादक होता था।

किन्तु, यह कहना कि प्रत्येक कर एक अभिशाप है, उचित नहीं है। उदाहरण के लिए, अल्कोहल पर कर लगाने से उसका भाव बढ़ जाता है जिससे उसकी खपत कम हो जाती है। इससे लोगों की भलाई होती है। इसी प्रकार यह कहना कि लोग सदा अच्छी मदों में ही अपना पैसा व्यय करते हैं, पूर्णतः सत्य नहीं है। जैसे—आजकल धनी-मानो व्यक्ति बहुत अधिक रक्म जुवा आदि बुरे व्यसनो पर व्यय करते हैं। इसी प्रकार यह भी नहीं कहा जा सकता कि सरकार द्वारा सदा अच्छे कार्यों पर ही धन खर्च किया जाता है। उदाहरण के लिए, युद्ध तथा युद्ध की तैयारी पर किया जाने वाला व्यय अवश्य ही एक अभिशाप है। इस प्रकार राजस्व की किसी भी प्रिया के दोनों पक्षों पर विचार किये वगैरे इसे अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। सरकार कर आदि के द्वारा जनता से धन संग्रह करती है और उसे पुनः सार्वजनिक कार्यों में व्यय करती है। अतएव सार्वजनिक आग के लाभ की देखे वगैरे कर के बोझ (burden of taxation) के सम्बन्ध में निरपेक्ष रूप से चर्चा करना सर्वथा अनुचित है। यदि सरकार कर वसूलकर सार्वजनिक हित के कार्यों, जैसे—शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर व्यय करती है तो इससे समाज के आर्थिक एवं सामाजिक

कल्याण में वृद्धि होती है। कितने लोग सार्वजनिक व्यय में वृद्धि देवकर सरकार की निम्ना करते हैं, किन्तु जैसा कि हमलोग देखते हैं, सभ्यता के विकास एवं मानवीय आवश्यकताओं में वृद्धि के साथ-साथ सार्वजनिक व्यय भी बढ़ते जा रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वैयक्तिक अर्थ-नीति की तरह राजस्व में भी मितव्ययिता का बहुत बड़ा महत्त्व है, किन्तु इस सम्बन्ध में सच्ची एवं भूखी मितव्ययिता में विभेद करना अनिवार्य है।

अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धान्त की व्याख्या

एक व्यक्ति की अर्थ-नीति की तरह सार्वजनिक अर्थ-नीति का भी एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि राजस्व (यानी सार्वजनिक अर्थ-नीति का) क्या उद्देश्य होना चाहिए? व्यक्ति की तरह राज्य भी आजकल अपनी आय एवं व्यय का इस प्रकार सामंजस्य करता है कि वह सामाजिक कल्याण को अधिकतम बना सके। इस प्रकार अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति ही राजस्व का मौलिक उद्देश्य है। दूसरे शब्दों में, राज्य की वित्तीय क्रियाओं का नियमन अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति के उद्देश्य में होता है।

राजस्व शास्त्र में 'अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धान्त' (Principle of Maximum Social Advantage) के प्रतिपादन का श्रेय मसप्रिम्त्र अर्थशास्त्री डाल्टन (Dalton) को है। डाल्टन के अनुसार, "राजस्व की सर्वोत्तम व्यवस्था वह कहलायगी जिसकी क्रियाओं से अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति होती हो।" (The best system of Public Finance is that which secures the maximum social advantage from the operations which it conducts)

हम जानते हैं कि राजस्व की सभी क्रियाओं से व्रय शक्ति का हस्तांतरण होता है जिसके फलस्वरूप आर्थिक साधनों के उपयोग में भी परिवर्तन होता है। सरकार कर तथा अन्य रूप में जनता से क्रय शक्ति लेती है और उसे पुनः राजकीय व्यय के रूप में जनता के हाथ में हस्तांतरित कर देती है। जनता के हाथ में व्रय शक्ति का हस्तांतरण दो तरीकों में होता है — बृद्ध लोगों को जैसे पुलिस या शिक्षक, आदि को उनको सेवाओं के बदले तनखाह धारवा पेन्शन आदि तथा कुछ जैसे शिक्षा एवं दवा-दारु की व्यवस्था के रूप में बिना किसी सेवा के बदले जनता को हस्तांतरित किया जाता है। राजस्व की इन क्रियाओं के परिणामस्वरूप समाज में धन के उत्पादन एवं वितरण में भी परिवर्तन होता है। अब यदि इन परिवर्तनों का समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ता हो तो राजस्व की क्रिया को उचित एवं यदि अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता हो तो अनुचित कहा जायगा।

इस सिद्धान्त की व्याख्या एक-दूसरी तरह से भी की जा सकती है। इस सिद्धान्त के अनुसार राजकीय व्यय हर दिशा में उस विन्दु तक बढ़ाते रहना चाहिए जहाँ तक कि इस व्यय से उत्पन्न होनेवाले संतोप (यानी सीमान्त उपयोगिता) राज्य द्वारा लगाये गये करों से उत्पन्न होने वाले असंतोप (यानी सीमान्त अनुपयोगिता) के बराबर न हो जाय। इस प्रकार राजस्व की क्रियाओं से संतोप उस समय अधिकतम होगा जबकि संतोप एवं असंतोप दोनों पूर्ण सन्तुलन की स्थिति में होंगे।

इस प्रकार राजस्व की क्रियाओं का समाज में धन एवं आय के वितरण पर प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव निम्नांकित तरीके से पड़ता है —

(1) आय के वितरण में परिवर्तन (Changes in the distribution of income) — राजस्व की क्रियाओं के परिणामस्वरूप समाज में आय के वितरण में भी परिवर्तन होता है। सरकार कर के रूप में धनी-वर्ग के लोगों से आय प्राप्त करती है और उसे निर्धन-वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति पर व्यय किया करती है। इससे धनी वर्ग के लोगों के आर्थिक कल्याण (Economic Welfare) में कमी तथा निर्धन-वर्ग के लोगों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। इस प्रकार अमीरों तथा गरीबों के बीच की गहरी खाई को पाटने का प्रयत्न किया जाता है। इससे आय के वितरण में परिवर्तन होता है। राजस्व की इस प्रकार की नीति निस्सन्देह अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धान्त का पालन करती है।

(2) उत्पादन की सम्पूर्ण मात्रा पर प्रभाव (Effects on the total volume of production). — करों का प्रभाव देश की उत्पादन की मात्रा पर भी पड़ता है। कर चुकाने के


लिए लोग या तो उपभोग कम करते हैं या बचत कम करते हैं। इन दोनों का उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। आमदनी पर ऊँची दर से कर लगाने से पूँजी-निर्माण (Capital formation) कम हो जाता है और अन्ततः देश के उत्पादन की कुल मात्रा में भी कमी होती है। अतः अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धान्त के पालन के लिए कर इस प्रकार लगाया जाय जिससे कि देश में उत्पादन की कमी नहीं हो।

(3) बचत पर प्रभाव (Effects on saving) :— कर का प्रभाव समाज की बचत पर भी पड़ता है। अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि कर इस प्रकार से लगाया जाय जिससे कि समाज में बचत को प्रोत्साहन मिले। बचत को प्रोत्साहन देने से देश में अधिक पूँजी का निर्माण होगा और उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी। इससे लोगों को उपभोग के लिए अधिक-से-अधिक वस्तुएँ प्राप्त हो सकेंगी।

अतएव अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति के लिए उक्त सारी बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। जो सरकार इनका समाधान अच्छे-से-अच्छे ढंग में करेगी वही 'अधिकतम सामाजिक कल्याण' के सिद्धान्त का पालन कर सकेगी।

अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धान्त उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। जैसे-जैसे किसी व्यक्ति के पास धन की मात्रा बढ़ती जाती है, धन की प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ उसकी उपयोगिता उस व्यक्ति के लिए घटती जाती है। इसके विपरीत व्यक्ति के पास धन की मात्रा कम होने के साथ-साथ उसकी उपयोगिता भी बढ़ती जाती है। अतएव सरकार जब नया कर लगाती है तो उसने समाज को पहले की अपेक्षा अधिक अनुपयोगिता प्राप्त होती है। इसी प्रकार सरकार को करो में जो आय प्राप्त होती है उसे सामाजिक कल्याण की प्राप्ति के लिए व्यय करती है, तो व्यय की प्रत्येक अगली इकाई समाज को पहले की अपेक्षा कम उपयोगिता प्रदान करती है। अतएव अधिकतम सामाजिक कल्याण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार को कर लगाकर अपनी क्रियाएँ उस सीमा तक बढ़ानी चाहिए जहाँ पर कर की मात्रा में वृद्धि होने से समाज को प्राप्त होनेवाली अनुपयोगिता (disutility) कर को व्यय करने से समाज को प्राप्त होनेवाली उपयोगिता (utility) के बराबर होती है।” (The, state should push taxation and along with it the expenditure to the point where a further dose of taxation causes disutility just equal to the utility yielded by its expenditure.)

इसे चित्र द्वारा निम्न प्रकार से दिखाया जा सकता है .—



उपर्युक्त चित्र में अ ब रेखा पर आय एवं व्यय तथा अ स रेखा पर उपयोगिता एवं गिता को दिखाया गया है। 'सी० उप०' रेखा सरकारी व्यय की सीमान्त उपयोगिता

तथा 'सी० अनुप०' रेखा करो की सीमान्त अनुपयोगिता को दिखताती है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के साथ-साथ सीमान्त उपयोगिता घटती जायगी जैसा कि 'सी० उप०' रेखा से स्पष्ट है। इसी प्रकार कर के भुगतान से करदाता की सीमान्त अनुपयोगिता बढ़ती जाती है, जैसा कि 'सी० अनुप०' रेखा से स्पष्ट है। ये दोनों रेखाएँ एक-दूसरे को 'र' बिन्दु पर काटती हैं। इसी बिन्दु पर कुल संतुष्टि अधिकतम होती है।

यदि कर को बढ़ाकर बिन्दु तक बढ़ाया जाय और उसे व्यय दिया जाय तो समाज की अनुपयोगिता अधिक तथा उपयोगिता कम होगी, अतएव आय व्यय को यह नीति उचित नहीं होगी। इसी प्रकार यदि सरकार को बिन्दु तक कर बमुक्त करती है तो भी कुल उपयोगिता अधिकतम नहीं होगी। अतएव सरकार को अपना आय-व्यय व बिन्दु तक रखना ही अधिक उचित होगा।

अधिकतम सामाजिक कल्याण की जाँच के आधार

(Tests of Maximum Social Advantage)

किन्तु करो से उत्पन्न सीमान्त अनुपयोगिता तथा सार्वजनिक व्यय में प्राप्त सीमान्त उपयोगिता के सम्बन्ध का पता लगाना बहुत ही कठिन है। राज्य के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह इस प्रकार की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता का पूर्ण व्योरा तैयार कर उनमें संतुलन स्थापित करे।

अतएव यह निश्चित करने के लिए कि राज्य की क्रियाओं से अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति हुई या नहीं, डाल्टन (Dalton) ने निम्नलिखित आधार बतलाया है —

(1) आंतरिक अशांति एवं बाह्य आक्रमण से देश की सुरक्षा (The preservation of the community against internal disorders and external attacks) — अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि सरकार को सदा देश एवं समाज की आंतरिक अशांति एवं बाह्य आक्रमण से रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। यह राज्य का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने देश को इन आपत्तियों में मरक्षित रखे। शांति के योग्य देश की प्रगति विलकूल सम्भव नहीं है। यह बताने किया जा सकता है, इस विषय की चर्चा इस पुस्तक के क्षेत्र से बाहर की बात हो जायगी। किन्तु यहाँ इतना कहना उचित होगा कि यह मुख्यतः राज्य की धरतू तथा विदेशी नीति पर निर्भर करता है।

(2) आर्थिक कल्याण में वृद्धि (Increase in Economic Welfare) — डाल्टन के अनुसार अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति का दूसरा आधार समाज के आर्थिक कल्याण में वृद्धि है। आर्थिक कल्याण में वृद्धि के लिए निम्नांकित दो बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है—

(क) देश के उत्पादन में वृद्धि (Improvement in Production), एवं

(ख) उत्पादित धन के वितरण में समुचित सुधार (Improvement in the distribution of what is produced)।

(क) देश के उत्पादन में वृद्धि (Improvement in Production) — उत्पादन में वृद्धि साधारणतया निम्नांकित बातों पर निर्भर करती है —

(i) देश की उत्पादन-शक्ति में वृद्धि जिससे प्रति श्रमिक उत्पादन अधिक हो सके,

(ii) उत्पादन के संगठन में सुधार जिससे बेरोजगारी तथा अन्य कारणों से आर्थिक साधनों की बरबादी कम-से-कम हो सके, तथा

(iii) उत्पादन की वनावट या ढाँचे में सुधार जिससे समाज का अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

इस प्रकार इन सब चीजों का आशय यह है कि राज्य की क्रियाओं से उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए और उत्पादन में वृद्धि के लिए देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि, उत्पादन के संगठन

तया उत्पादन को बनावट या ढाँचे में सुवार आदि अनिवार्य है। यदि राजस्व को किसी भी क्रिया से इन उद्देश्यों को पूर्ति होती है तो यह कहा जायगा कि इससे अधिकतम सामाजिक कल्याण को प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं।

(ख) वितरण में सुधार (improvement in the distribution of what is produced) :— इसी प्रकार वितरण में सुधार निम्नांकित बातों पर निर्भर करता है :—

(i) विभिन्न व्यक्तियों एवं परिवारों की आय के वितरण में व्याप्त विषमता को कम करना (Reduction in great inequalities in the distribution of income) :— इस प्रकार की विषमता को दूर करना ईर्ष्यालु आवश्यक है कि इससे समाज की आय का वितरण लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार होता है। साब ही, इसमें आय का समुचित तरीके से प्रयोग भी सम्भव होता है। उपार्जित आय (Earned income) के वितरण में थोड़े-बहुत विषमता योग्यता तथा दायित्व आदि में अन्तर के कारण रह भी सकती है, किन्तु अनुपार्जित आय (Unearned income) के वितरण में विषमता को कम करना सर्वाधिक आवश्यक है।

(ii) भिन्न-भिन्न समय के बीच व्यक्तियों तथा परिवार की आय के उर्चावचनों को कम करना (Reduction in the great fluctuations between different period of times in the income of particular individuals and families) :— इसके साथ ही भिन्न-भिन्न समय के बीच आय के परिवर्तनों को भी कम करना वाञ्छनीय है। इससे व्यक्तियों की आय एवं रोजगारी अधिक स्थायी होती है जिससे समाज का आर्थिक जीवन भी स्थायी बनता है। बाज़कल पूर्ण रोजगार (Full employment) की प्राप्ति पर भी बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है। प्रत्येक देश को आर्थिक नीति का प्रधान उद्देश्य पूर्ण रोजगारी को प्राप्ति हो गया है। अतएव राजस्व की नीति का उद्देश्य भी पूर्ण रोजगारी की प्राप्ति में सहायता करना होना चाहिए।

इस प्रकार राजस्व की प्रत्येक क्रिया जिसका उद्देश्य धन के वितरण की विषमताओं को कम करना हो, आय के उर्चावचनों को न्यूनतम बनाना हो एवं देश में रोजगार तथा आय के साधनों में वृद्धि करना हो जिसके परिणामस्वरूप देश का आर्थिक जीवन अधिक स्थायी बना रहे, वह न्यायोचित होगी और इसमें सामाजिक कल्याण भी अधिकतम होगा। इसके अतिरिक्त राजस्व न्यायोचित होगी और इसमें सामाजिक कल्याण भी अधिकतम होगा। इसके अतिरिक्त राजस्व की क्रियाओं में भविष्य पर भी समुचित ध्यान देना अनिवार्य है। वास्तव में, सामाजिक कल्याण का अनुमान लगाते समय वर्तमान एवं भविष्य दोनों बातों पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए और उनकी तुलना करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। इसका कारण यह है कि वित्त मन्त्री भविष्य का प्रत्यासी होता है। व्यक्ति मरते हैं, किन्तु समाज, जिसका वह सदस्य है, निरन्तर चलते रहता है। अतः, वित्त मन्त्री को वर्तमान में कम लाभ की अपेक्षा भविष्य में अधिक लाभ की प्राथमिकता देनी चाहिए। (The statesman is a trustee for the future, no less than for the present. Individuals die, but the community of which they form part, lives on. The statesman, therefore, should prefer a larger social advantage in the future to a smaller one to day.)

सिद्धांत की सीमाएँ अथवा व्यावहारिक कठिनाइयाँ

(Limitations or Practical Difficulties)

सैद्धांतिक दृष्टि से अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धान्त बहुत ही उपयुक्त है किन्तु व्यावहारिक जीवन में इस सिद्धान्त के प्रयोग करने में हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्वयं डाल्टन ने इसे स्वीकार करते हुए कहा है कि "यह सिद्धान्त सरल एवं स्पष्ट है परन्तु इसे व्यवहार में लागू करना बड़ा ही कठिन है।" (The principle is obvious, simple and far reaching though its practical application is often very difficult.) इसकी निम्नांकित प्रमुख व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं :—

(1) सर्वप्रथम तो करा से उत्पन्न सीमांत धन्युपयोगिता तथा राजकीय व्यय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का पता लगाना तथा इनमें सामंजस्य स्थापित करना बहुत ही कठिन कार्य है। राज्य के सम्बन्ध में तो यह कठिनाई बहुत ही उग्र हो जाती है क्योंकि कर वसूली तथा सार्वजनिक व्यय के कार्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं विभिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं।

(2) द्वितीयतः, राज्य की क्रियाएँ—आर्थिक, गैर आर्थिक तथा राजनैतिक आदि अनेक बातों से प्रभावित होती हैं। इस प्रकार राज्य के लिए यह सम्भव नहीं कि वह अनुपयोगिताओं एवं उपयोगिताओं का पूरा पूरा व्योरा तैयार कर उनमें समतुल्य स्थापित करे।

इन कारणों से व्यावहारिक जीवन में इस सिद्धांत को काम में लाने में कठिनाई होती है। डाल्टन ने इस सम्बन्ध में ठीक ही कहा है कि राजस्व के किसी भी प्रभाव की विवेचना करते समय उस प्रस्ताव से उत्पन्न होने वाले प्रभावों को ध्यान में रखना चाहिए, उससे समाज को होने-वाले लाभ तथा हानियों का पता लगाना चाहिए और इसकी तुलना अन्य प्रस्तावों के लाभ तथा हानियों से करके जो निष्कर्ष निकले उसी के आधार पर कार्य करना चाहिए। किन्तु इस प्रकार का निर्णय बहुत ही कठिन है क्योंकि एक तो भविष्य के विषय में सही अनुमान लगाना ही कठिन है और दूसरे अधिकांश निर्णय आर्थिक एवं गैर-आर्थिक दोनों उद्देश्यों से प्रभावित होते हैं। किन्तु अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति के लिए ऐसा करना नितांत आवश्यक है। डा० डाल्टन के अनुसार जो लोग इस लेखे जोषे की कठिनाइयों से आक्रांत हो उठते हैं, उन्हें इस प्राचीन सूत्र से नवावत से मालवना प्राप्त करने चाहिए कि "सरल चीजें नही, अपितु कठिन चीजें ही सुन्दर हुआ करती हैं।" (It is not the easy but difficult things that are beautiful) और इस सम्पन्न करने का कोई सुगम ढंग भी नहीं है।

श्रीमती हिक्स के विचार

(Views of Mrs Hicks)

श्रीमती उसला हिक्स ने सामाजिक कल्याण के सिद्धान्त को दूसरी तरह से समझाया है। श्रीमती हिक्स के अनुसार सार्वजनिक वित्त की नीति और कार्यों को निर्दिष्ट करते समय दो बातों को आधार बनाना चाहिए—

- (क) उत्पादन-स्तर (Production-Optimum), तथा
- (ख) उपयोगिता स्तर (Utility Optimum)।

श्रीमती हिक्स के अनुसार राजस्व का अन्तिम उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना है, अतः अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए उत्पादन अधिकतम करना चाहिए। यदि साधन स्थिर हो और उत्पादन को अधिकतम नहीं किया जाता हो तो यह स्पष्ट है कि वस्तु का वितरण चाहे किसी प्रकार भी क्यों न किया जाय, सामाजिक संतुष्टि कम ही प्राप्त होगी। अतः आदर्श उत्पादन प्राप्त करने के लिए साधनों का उचित वितरण भी अनिवार्य है। दूसरे शब्दों में, 'आदर्श उत्पादन स्तर तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उत्पादन के साधनों का विभाजन उपयुक्त ढंग से किया गया हो।' इस सम्बन्ध में श्रीमती हिक्स ने लिखा है—

इस प्रकार "उत्पादन को अधिकतम बनाने" या 'उत्पादन स्तर' का साधनों के वितरण से सम्बन्ध है। श्रीमती हिक्स के अनुसार "उत्पादन की अधिकतम सीमा तभी प्राप्त होती है कि जब उत्पादित वस्तुओं के स्थिर रहने की दशा में, साधनों के वितरण में परिवर्तन द्वारा किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन को कम किये बिना, किसी वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करना असम्भव हो।" (The conditions for maximization of output is that it is impossible re-allocate factors to increase the output of one product without diminishing that of another.) श्रीमती हिक्स ने आगे लिखा है कि— "यद्यपि उत्पादन स्तर का आधार बढ़ते-पहले ही साधनों के समान सीमान्त उत्पादन के नियम के रूप में प्रकट हो चुका था और यह कोई नया विचार नहीं है, परन्तु एक तो यह अधिक सूक्ष्म है और दूसरे इसमें वस्तुओं का प्रतिस्थापन मूल्य के आधार पर नहीं किया जाता, इसलिए यह सभी क्षेत्र में लागू होता है।"

राजस्व का दूसरा आधार उपयोगिता आदर्श को प्राप्त करना है जिसमें ऐसी व्यवस्था का चयन करना आवश्यक है जिससे कि सतुष्टि अधिकतम हो सके। यहाँ पर एक व्यक्ति की सतुष्टि को दूसरे व्यक्ति की सतुष्टियों से तुलना करने में कठिनाई अनुभव होती है। फिर भी इसे क्षतिपूर्ति की विधि द्वारा दूर किया जा सकता है। श्रीमती हिक्स के शब्दों में "यदि वस्तुओं का कोई विशेष पुनर्वितरण पहले व्यक्ति को पहले से इतनी अधिक सतुष्टि प्रदान कर दे कि वह दूसरे व्यक्ति को क्षतिपूर्ति कर और फिर भी अधिक अच्छा रहे (उस स्थिति में जैसा कि प्रारम्भ में था) तो दोनों ही इसमें सहमत होंगे कि यह परिवर्तन पहली स्थिति से अच्छा होगा। इस प्रकार सतुष्टियों को अधिकतम करना या 'उपयोगिता स्तर' को भी ठीक उसी प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, जैसे कि 'उत्पादन स्तर'। श्रीमती हिक्स के अनुसार "उपयोगिता उस समय अधिकतम होती है जब एक व्यक्ति की सतुष्टि को कम किये बिना दूसरे की सतुष्टि को बढ़ाना असम्भव हो।" (Utility is maximum when it is impossible to increase the satisfaction of one individual without diminishing the satisfaction of another, after full allowance has been made for consumption)

श्रीमती हिक्स के विश्लेषण से यही प्रकट होता है कि सावजनिक वित्त की वही प्रिया उपयुक्त है जिसके सम्पादन करने से यदि एक मनुष्य की सतुष्टि में वृद्धि हो तो दूसरे मनुष्य की सतुष्टि में कमी भी हो परन्तु पहले मनुष्य की सतुष्टि की वृद्धि दूसरे मनुष्य की सतुष्टि को कमी से अधिक होनी चाहिए। श्रीमती हिक्स का सावजनिक वित्त के विषय में यह विचार व्यावहारिक दृष्टि से उतना ही कठिन और अनुनयोगी है जिस प्रकार डाल्टन का अधिकतम सामाजिक लाभ का विचार कठिन है। सामाजिक कल्याण के नियम की तरह श्रीमती हिक्स द्वारा बताये गये आधार भी केवल सैद्धांतिक दृष्टिकोण में ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनको कार्यात्मक प्रदान करने के लिए बड़ी सतर्कता की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को बहुत ही निष्पक्ष और हिसाब बिताव में निपुण होना जरूरी है। फिर भी कहा जा सकता है कि यदि इन आधारों पर सार्वजनिक नीतियाँ को निर्धारित किया जाय तो समाज को अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्राप्त होगा। पर इनकी सरलता में इतनी कठिनाइयाँ भरी पड़ी हैं कि सरलता से उन्हें दूर नहीं किया जा सकता।

विशेष अध्ययन सूची

- 1 Dalton Public Finance
- 2 Hicks Public Finance
- 3 Taylor The Economics of Public Finance,

अध्याय : 51

सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure)

सार्वजनिक व्यय के अध्ययन का महत्त्व (Importance of the study of Public Expenditure) .—राजकीय क्रियाओं के संचालन के लिए राज्य अथवा सरकार द्वारा किये गये व्यय को राजकीय व्यय कहते हैं। सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure) राज्य की आर्थिक क्रियाओं का आदि एवं अंत दोनों ही है। सार्वजनिक व्यय के परिमाण एवं प्रकृति के अध्ययन से हम समाज के आर्थिक जीवन में राज्य की क्रियाओं का अन्दाजा लगता है। इससे इस बात का भी अन्दाजा लगता है कि राज्य किस हद तक नागरिकों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। साथ ही, हम देख चुके हैं कि राज्य पहले अपने व्यय को देवता है और तब उसी के अनुसार अपनी आय को समायोजित करने का प्रयास करता है। इससे स्पष्ट है कि सार्वजनिक व्यय राजस्व का एक प्रधान विभाग है। वास्तव में, जिस प्रकार अर्थशास्त्र में उपभोग के अध्ययन का महत्त्व है, ठीक उसी प्रकार राजस्व के अध्ययन में भी सार्वजनिक व्यय का महत्त्व होता है।

उन्नीसवीं शताब्दी तक राजस्व के अध्ययन में सार्वजनिक व्यय पर आय की अवेक्षा बहुत ही कम ध्यान दिया जाता था। राजकीय व्यय की इस उपेक्षा का प्रधान कारण संभवतः यह था कि उस समय इसकी रकम बहुत थोड़ी होती थी, क्योंकि राज्य के कार्यों का क्षेत्र साधारणतः सीमित था। प्राचीन युग में राज्य का कार्य केवल उसके अस्तित्व को बनाये रखने तक ही सीमित था। उस समय लोग सरकार को अपव्ययी मानते थे। अतएव यह समझा जाता था कि सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने तथा विदेशी आक्रमण से देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यय के अतिरिक्त व्यय का अत्यंत छोटा भाग भी अपव्यय एवं अनुचित है तथा जनता के ऊपर निर्दयतापूर्वक दबाव भी तर्ह है।" (Every particle of expenditure beyond what necessity absolutely requires for the preservation of social order and for protection against foreign attack is waste and unjust and oppressive imposition on public.) लेकिन ये सब विचार अब पुराने पड़ गये हैं तथा आधुनिक समय में जैसा कि वाटसन का कहना है, "केवल व्ययित की ही या वश्यकताएँ होती है किन्तु इनमें से कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य अधिक उत्तम तरीके से कर सकता है।" (The truth is, of course that only individuals have needs, but some of these needs can be most effectively satisfied through the agency of the state and by means of public expenditure.) वर्तमान शताब्दी में राज्य एवं कल्याणकारी राज्य (Welfare State) हो गया है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य को बहुत-सारे सामाजिक कार्यों को सम्पन्न करना पड़ता है जिसके लिए उसे बहुत बड़ी मात्रा में खर्च करने की आवश्यकता भी पड़ती है। इस प्रकार वर्तमान समय में सरकारी कार्यों के क्षेत्र में वृद्धि के परिणामस्वरूप सार्वजनिक व्यय की रकम भी बहुत बढ़ गयी है। अतएव राजस्व के अध्ययन में सार्वजनिक व्यय पर समुचित ध्यान देना अनिवार्य हो जाता है।

आधुनिक समय में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि (Increase in Public Expenditure in Recent times) .—आधुनिक युग में सार्वजनिक व्यय की एक प्रधान विशेषता इसके आकार में अत्यधिक वृद्धि है। यदि हम आधुनिक राज्यों के व्यय और इनसे सम्बन्धित आँकड़ों को जोर ध्यान दें तो स्पष्ट होगा कि राज्य के कार्यों में केवल विस्तृत वृद्धि ही नहीं हुई है, बरन् गहन वृद्धि भी हुई है। विस्तृत वृद्धि (Extensive increase) का अधिप्राय यह है कि राज्य के कार्यों की संख्या पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गयी है। दूसरे शब्दों में, राज्य के कार्यों का आकार एवं क्षेत्र पहले की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ गया है। गहन वृद्धि (Intensive

increase) का अभिप्राय यह है कि राज्य के जो काय पहले मौलिक समझे जाते थे वे पहले की अपेक्षा अधिक व्ययपूर्ण हो गये हैं।

निम्नांकित आँकड़ों से प्रथम महायुद्ध के बाद इंग्लैंड एवं अमेरिका के सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का अंदाजा लगता है —

इंग्लैंड (केवल केन्द्रीय सरकार का व्यय)		समुक्त राज्य अमेरिका (केन्द्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारों का कुल व्यय)	
वर्ष	व्यय	वर्ष	व्यय
1913-14	175 मिलियन पाउण्ड	1913	1,766 मिलियन डालर
1938-39	927 " "	1940	17,216 " "
1958-59	5076 " "	1958	112,328 " "

इसी प्रकार निम्नलिखित तालिका से पिछले कुछ वर्षों में भारत में केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के चार्ज व्यय (Expenditure on Revenue Accounts) में वृद्धि का अंदाजा भी लगता है —

	भारत में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का व्यय (करोड़ रुपये में)				
	1921-22	1938-39	1950-51	1965-66	1970-71
केन्द्रीय सरकार	102 22	89 03	346 64	2116 48	3103 14
राज्य सरकारें	70 12	86 53	392 61	1547 00	3306 80
कुल व्यय	172 34	169 56	739 25	3663 48	6409 94

उपरोक्त तालिकाओं से भारत, इंग्लैंड एवं अमेरिका में पिछले कुछ वर्षों में सावजनिक व्यय में हुई वृद्धि का अंदाजा लगता है। तालिका में यह स्पष्ट है कि भारत में 1921-22 ई० से 1970-71 ई० के बीच सावजनिक व्यय में 35 गुनी से भी अधिक वृद्धि हुई है। इसी प्रकार 1913-14 ई० से 1958-59 ई० के बीच इंग्लैंड के केन्द्रीय सरकार के व्यय में प्रायः 25 गुनी तथा 1913 ई० से 1958 ई० के बीच अमेरिका में केन्द्रीय, राज्य एवं स्थानीय सरकारों के व्यय में प्रायः 28 गुनी वृद्धि हुई है। इसी बीच इन देशों की जनसंख्या एवं मूल्य तल में भी वृद्धि अवश्य हुई है, किन्तु इनका अपेक्षा सावजनिक व्यय में वृद्धि की दर बहुत ही अधिक है।

सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण

(Causes of Increase in Public Expenditure)

सावजनिक व्यय में इस प्रकार से वृद्धि के विभिन्न कारण हैं जिनका अध्ययन इन्हें निम्नांकित चार श्रेणियों में विभाजित करके किया जाता है —

(क) सामाजिक कारण

- (1) जनसंख्या एवं सत्रफल में वृद्धि,
- (2) सामाजिक सुरक्षा एवं सेवाओं में वृद्धि,

(ख) आर्थिक कारण

- (3) मूल्य-स्तर में वृद्धि,
- (4) राष्ट्रीय सम्पत्ति, राष्ट्रीय आय एवं जीवन स्तर में वृद्धि,
- (5) आर्थिक नियोजन,
- (6) कल्याणकारी राज्य की स्थापना,
- (7) उद्योग वधों का राष्ट्रीयकरण,
- (8) कृषि तथा उद्योगों की आर्थिक सहायता,
- (9) धन-पार-चक्र विरोधी नीति,

(ग) राजनीतिक कारण

- (10) राजनीतिक जागृति,

- (11) युद्ध-व्यय एवं युद्ध निवारण सम्बन्धी व्यय,
- (12) नागरिक प्रशासन सम्बन्धी व्यय में वृद्धि,
- (13) प्रजातन्त्र का भार,
- (14) सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना का विकास,

(ग) अन्य कारण

- (15) अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों का प्रभाव, तथा
- (16) स्थानीय एवं सामयिक समस्याएँ ।

अब इन कारणों का संक्षेप में व्याख्या की जायगी —

(1) राज्यों की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल में वृद्धि (Increase in the Population and Area of States) — सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का सर्वप्रथम कारण राष्ट्रों की सीमा में व्यापक प्रसार है। आजकल "अराजक धनो" (No man's land) में भी सगठित शासन होने लगा है। साथ-ही साथ जहाँ क्षेत्र में वृद्धि नहीं भी हुई है, वहाँ की जनसंख्या पर्याप्त मात्रा में बढ़ गयी है। पिछले दो सौ वर्षों में विश्व के प्रायः सभी राष्ट्रों की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए जीविकोपार्जन के साधनों में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के उद्देश्य से भी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई है। राज्य को उन स्थानों के करोड़ों अतिरिक्त लोगों की आवश्यकताओं का प्रबंध करना पड़ता है जो कि विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं। वहाँ भी जाता है कि सरकार का कार्य क्रमागत उत्पत्ति-ह्रास नियम (Law of Diminishing Returns) अथवा प्रति व्यक्ति व्यय में वृद्धि (Increasing cost per person) के सिद्धांत पर चलता है। जितने अधिक व्यक्तियों की सेवा की जाती है, उतना ही प्रति व्यक्ति खर्च अधिक होता है।

(2) सामाजिक सुरक्षा एवं सेवाओं में अभिवृद्धि — आधुनिक राज्य कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य हानि का कारण सभा प्रमुख राज्यों में धर्मिकों को विभिन्न प्रकार की जोखिमों के विरुद्ध व्यापक रूप से सामाजिक सुरक्षा (Social Security) की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत सामाजिक बीमा, वृद्धावस्था पेंशन, मातृत्व लाभ आदि प्रदान किये जाते हैं। इनके परिणामस्वरूप राजकीय व्यय में निश्चित रूप से बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

(3) मूल्य स्तर में वृद्धि (Increase in Price Level) — सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का दूसरा प्रधान कारण उच्च मूल्य-स्तर है। चौदहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से मूल्य तल में वृद्धि प्रारम्भ हुई जो उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी। दोनों विश्व युद्धों के परिणामस्वरूप मूल्य तल में और अधिक वृद्धि हुई है। अन्तर्गत भारत के 'पुर नए अच्छे दिन' देखे हैं या उनके विषय में सुना है उनका कथन है कि एक समय था जब घी रुपये के चार सेर बिकता था जबकि आज उसका भाव रुपये में 100 ग्राम भा गयी है। अन्य वस्तुओं के मूल्यों में भी इसी प्रकार की वृद्धि हुई है। मूल्य-तल में इस वृद्धि के फलस्वरूप व्यक्ति की तरह सरकारों को भी इन वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदने के लिए अधिक धन व्यय करने की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके फलस्वरूप सार्वजनिक व्यय में आजकल बहुत अधिक वृद्धि हो गया है।

(4) राष्ट्रीय सम्पत्ति, राष्ट्रीय आय एवं जीवन स्तर में वृद्धि (Increase in National Wealth, National Income and the Standard of Living) — पिछले कुछ वर्षों में प्रायः प्रत्येक देश की राष्ट्रीय आय में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। हर देश में कृषि, व्यापार एवं उद्योगों में निरन्तर विकास हुआ है, यद्यपि भारत जैसे कुछ देशों में इसकी गति बहुत ही धीमी रही है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है और इसके फलस्वरूप जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि एवं जीवन-स्तर में सुधार के फलस्वरूप भी सार्वजनिक आय (Public Revenue) एवं सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure) में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इस सम्बन्ध में 'धनी जनता धनी राष्ट्र' (Rich people rich state) की कहावत पूर्ण रूप से चरितार्थ हो रही है।

(5) आर्थिक नियोजन (Economic Planning) — प्रथम महायुद्ध एवं 1929-33

ई० की भयानक आर्थिक मन्दी के बाद प्रत्येक राष्ट्र में आर्थिक नियोजन के द्वारा अपने देश के आर्थिक विकास का प्रयत्न किया जा रहा है। सोवियत संघ (U. S. S. R.) में आर्थिक नियोजन को सफलता ने विश्व में योजनाकरण को और भी लोकप्रिय बना दिया है। आर्थिक नियोजन को कार्यान्वित करने के लिए भी बहुत अधिक रकम की आवश्यकता पड़ती है। इससे भी सार्वजनिक व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

निम्नांकित तालिका से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय की जानेवाली रकम का अन्दाजा लगता है :—

योजना	कुल व्यय
प्रथम पंचवर्षीय योजना (वास्तविक व्यय)	1,960 करोड़ रुपये
द्वितीय पंचवर्षीय योजना (वास्तविक व्यय)	4,600 " "
तृतीय पंचवर्षीय योजना (वास्तविक व्यय)	8,577 " "
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (वास्तविक व्यय)	16,774 " "
पंचम पंचवर्षीय योजना (आयोजित व्यय)	37,250 " "

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 1951 ई० से 1966 ई० के बीच भारत में आर्थिक नियोजन पर केवल सार्वजनिक क्षेत्र में 15,137 करोड़ रुपये व्यय हुए तथा पंचम पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में 37,250 करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था है। इससे स्पष्ट है कि आर्थिक नियोजन के कारण भी सार्वजनिक व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

(6) कल्याणकारी राज्य की स्थापना (Establishment of Welfare State) — प्राचीन समय में राज्य का कार्य केवल सुरक्षा तक सीमित था। बाद में समय (Adam Smith) भी सरकारी हस्तक्षेप के क्षेत्र को आन्तरिक शान्ति एवं वाह्य आक्रमण से देश की सुरक्षा तक ही सीमित माना था। किन्तु आधुनिक समय में राज्य एक 'कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) हो गया है। आधुनिक सरकारों का प्रधान उद्देश्य जन-कल्याण में अधिकतम वृद्धि है जिसके लिए सरकार को विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाओं, जैसे—विद्यालय, चिकित्सालय, पुस्तकालय आदि पर अधिक व्यय करना पड़ता है। इसमें भी व्यय की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

(7) उद्योग धर्मों का राष्ट्रीयकरण (Nationalization of Industries) — आधुनिक युग में समाजवादी अर्थ-नीति से प्रभावित होकर राज्य अविकाशिक मात्रा में उद्योगों को अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। उद्योग-धर्मों के राष्ट्रीयकरण से सरकार को बड़ी-बड़ी राशियाँ मुजाबजा के खाते में देनी पड़ती हैं। सामूहिक, आधुनिक सरकारें स्वयं भी बड़े पैमाने पर उद्योग-धर्मों की स्थापना कर रही हैं जिससे राजकीय व्यय दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।

(8) कृषि तथा उद्योग धर्मों को आर्थिक सहायता :—इतना ही नहीं आधुनिक समय में प्रत्येक समाज में राज्य कृषि तथा उद्योग धर्मों के उत्पादन में वृद्धि के लिए अविकाशिक मात्रा में ऋण, अनुदान, तकनीकी सहायता आदि प्रदान करते हैं जिससे सार्वजनिक व्यय में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है।

(9) व्यापार-चक्र विरोधी नीति — पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था का एक प्रधान विशेषता से जो समाज मन्दी का होना है। इनका देश के आर्थिक जीवन पर बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः अजकल सभी देशों में राज्य को आर्थिक नीति का प्रधान उद्देश्य पूर्ण रोजगार के स्तर पर आर्थिक स्थायित्व की स्थापना है। राज्य को अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समय-समय पर विशेषतः मन्दी के समय बड़ी-बड़ी रकमें व्यय करनी पड़ती हैं। उदाहरण के लिए तीव्रता की भयानक आर्थिक मन्दी के समय रूजवेल्ट प्रशासन ने अमेरिका में बड़ी-बड़ी रकमें व्यय की थी।

(10) युद्ध एवं युद्ध निवारण सम्बन्धी व्यय (War and prevention of war) — आधुनिक युद्ध बड़ा खर्च का होता है। उदाहरण के लिए, द्वितीय युद्ध में इनलैंड 150 लाख फीट दैनिक खर्च कर रहा था। आज, जब युद्ध नहीं चल रहा है, तब भी उसकी संधारी का उसे रोकने के उपायों पर प्रत्येक राष्ट्र में भारी रकम खर्च की जा रही है। इस उद्देश्य से नित्य नये-नये

यन्त्रों तथा नयी-नयी मशीनों की जाँच की जा रही है जिन पर खर्च बहुत अधिक पड़ जाता है। इसी प्रकार आधुनिक युद्धों की व्यवस्था तथा इनके निवारण सम्बन्धी उपायों में सरकार द्वारा खर्च बहुत अधिक रकम व्यय की जा रही है। 1913-14 ई० में इंग्लैंड में 87 मिलियन पाउंड सुरक्षा पर व्यय था जबकि 1९58-1९59 ई० में यह 14०६ मिलियन पाउंड हो गया। भारत में भी 1972-73 ई० में सुरक्षा सम्बन्धी व्यय 1404 करोड़ रुपये था। इसी प्रकार यह हिसाब लगाया गया है कि 1879 ई० से 1920 के बीच के वर्षों में अमेरिका की सघ-सरकार के कुल खर्चों में 78.9% खर्च केवल युद्ध सम्बन्धी खर्च था।

(11) नागरिक प्रशासन (Civil Administration).—राजकीय कार्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप नौकरशाही तथा प्रशासनिक मशीनरी में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप भी सावजनिक व्यय में अत्यधिक वृद्धि की आवश्यकता पड़ी है। आजकल सरकारी संस्थाओं की संख्या में अनावश्यक रूप से वृद्धि हो गयी है जिससे सावजनिक व्यय में वृद्धि हुई है। अतः प्रशासन-प्रणाली में जटिलता एवं कमचारियों की संख्या में वृद्धि के कारण भी सावजनिक व्यय में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

(12) प्रजातन्त्र का भार (Incidence of Democracy).—प्रजातन्त्र राज्य में कई एक राजनीतिक दल होते हैं और उनमें से प्रत्येक दल जनता का सक्रिय समर्थन प्राप्त करने को उत्सुक रहता है। इन दलों को समर्थक सावजनिक कोष (Public Fund) से अधिकाधिक लाभ सुविधाओं के लिए निरन्तर जोर देते रहते हैं। देश के हर कोने तथा हर वर्ग की ओर से अधिकाधिक सुविधा, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क आदि के लिए आवाज उठायी जाती है। अतएव प्रजातन्त्रिक शक्तियों के द्वारा सरकारों पर सावजनिक व्यय का बोझ बढ़ गया है।

(13) सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना का विकास (Growth of Social and Political Consciousness).—आधुनिक युग में मानव में सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना का बहुत अधिक विकास हुआ है। इस सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना में वृद्धि के कई कारण हैं, जिनमें बालिंग मताधिकार, स्त्री मताधिकार, श्रमिक संघों की स्थापना आदि प्रधान हैं। इन सबसे आज प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार के सम्बन्ध में अधिक जागरूक हो गया है। अतएव लोग आज अधिक सुविधाओं को मांग करते हैं जिनकी पूर्ति के लिए सावजनिक व्यय में वृद्धि करनी पड़ती है।

(14) अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रभाव.—आज अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के विकास के साथ-साथ अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ जन्म ले चुकी हैं और ले रही हैं। ये संस्थाएँ किसी-न-किसी रूप में राष्ट्रों की सावजनिक आय का कुछ भाग अवश्य ही व्यय करा देती हैं। उदाहरण के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संघटन की सफाई-कारियों को क्रियात्मक रूप देने में सरकारों के व्ययों में कुछ-न-कुछ वृद्धि अवश्य हुई है।

(15) स्थानीय व सामयिक समस्याएँ :—कभी-कभी किसी देश के समक्ष अनेक स्थानीय और सामयिक समस्याएँ भी उत्पन्न हो जाती हैं जिनका तात्कालिक समाधान अनिवार्य हो जाता है। इन समस्याओं का समाधान में बहुत बड़ी-बड़ी रकमों के व्यय की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए, 1947 में देश विभाजन के बाद शरणार्थियों के पुनर्वास, 1967-68 में बिहार के अकाल तथा 1971 ई० में बंगला देश से आये शरणार्थियों में भारत सरकार की बहुत बड़ी रकमें व्यय करनी पड़ी थी।

इस प्रकार आधुनिक युग में सावजनिक व्यय में वृद्धि के उक्त सारे कारण हैं। इन कारणों की विवेचना से यह स्पष्ट है कि आधुनिक समय में सावजनिक व्यय में वृद्धि का प्रयोग राज्य के कार्यों में वृद्धि है। वेगनर (Wagner) के सिद्धान्त के अनुसार राज्य के कार्यों में गहन (intensive) एवं विस्तृत (extensive) दोनों रूप से वृद्धि हुई है। (Comprehensive comparisons of different countries and different times show that among progressive people with which alone we are concerned, an increase regularly takes place in the activities of both the central and local governments. This increase is both extensive and intensive.—Wagner.) विस्तृत वृद्धि

(Extensive increase) का अभिप्राय राज्य के कार्यों की संख्या में पहले की अपेक्षा अधिक वृद्धि से है। इसी प्रकार गहन वृद्धि (Intensive increase) का अर्थ पुराने कार्यों की और अधिक ढंग से सम्पादित करना है जिससे इनके लिए बहुत अधिक मात्रा में व्यय करने की आवश्यकता पड़ती है। आधुनिक युग में सार्वजनिक नीति राज्य के कार्यों में वृद्धि की ही रही है और जैसा कि डिजरेली ने कहा था, “व्यय नीति पर निर्भर करता है” (Expenditure depends on policy) तथा लॉवे (Low) ने कहा था, ‘राजस्व सार्वजनिक नीति की कठपुतली है।’ (Finance is the handmaid of Public Policy.) अतएव इन सबके परिणामस्वरूप भी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि अनिवार्य है।

अतः आज के युग में राज्य के मंत्र में वृद्धि के परिणामस्वरूप सार्वजनिक व्यय में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। राज्य द्वारा आजकल सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, शान्ति की स्थापना पुस्तकालय तथा कला-क्षेत्र आदि जैसे अनेक अविभाज्य लाभों की अधिकाधिक व्यवस्था की जा रही है। इन सब कार्यों से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि अनिवार्य हो जाती है।

सार्वजनिक व्यय के सिद्धान्त (Canons of Public Expenditure)

आधुनिक समय में राज्य का कार्य क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत हो गया है जिसमें सार्वजनिक व्यय की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। अतएव सरकार के समक्ष सार्वजनिक व्यय के लिए रकम प्राप्त करना सर्वप्रथम समस्या है। प्रत्येक राज्य के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि विभिन्न मदों में व्यय करने के पहले यह विचार कर ले कि सार्वजनिक व्यय को पूरा करने के लिए धन किन किन साधनों से प्राप्त किया जाय और पुनः विभिन्न मदों में इस धन का व्यय उचित रूप में हुआ है या नहीं। ऐसा करने से ही राजकीय व्यय से अधिकतम सामाजिक नفعलाण की प्राप्ति हो सकेगी। सैद्धान्तिक दृष्टि से सार्वजनिक व्यय का सर्वोत्तम सिद्धान्त अधिकतम सामाजिक नفعलाण (Maximum Social Advantage) की प्राप्ति है। किन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण से यह जानने के लिए कि राज्य का व्यय न्यायसंगत एवं उचित है या नहीं कुछ नियम बनाये गये हैं। प्रो० फ़िण्डले शिर्राज (Findley Shirras) ने सार्वजनिक व्यय के सम्बन्ध में निम्नलिखित चार सिद्धान्तों को प्रस्तुत किया है —

- (i) लाभ का सिद्धान्त (Canon of Benefit),
 - (ii) मितव्ययिता का सिद्धान्त (Canon of Economy),
 - (iii) अनुमोदन का सिद्धान्त (Canon of Sanction), तथा
 - (iv) आधिक्य का सिद्धान्त (Canon of Surplus)।
- इनके अतिरिक्त सार्वजनिक व्यय के निर्भावित और दो सिद्धान्त प्रस्तुत किये गये हैं—
- (v) लोच का सिद्धान्त (Canon of Elasticity), तथा
 - (vi) धन के उत्पादन एवं वितरण पर प्रतिबल प्रभाव नष्ट होना चाहिए।

(i) लाभ का सिद्धान्त (Canon of Benefit) — सार्वजनिक व्यय का सर्वाधिक प्रमुख सिद्धान्त यह है कि सरकार के द्वारा खर्च की योजना इस तथ्य पर तैयार की जानी चाहिए जिससे कि समाज को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके जिसके द्वारा देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि हो, समृद्धि का उत्पादन हो तथा उत्पादित सम्पत्ति का समाज में उचित रीति से वितरण हो। सरकार द्वारा नैसर्गिक कार्यों पर अधिक खर्च किया जाना चाहिए जिनके द्वारा समाज के बहुत सभ्य लोग को लाभ हो। सरकारी व्यय वैसे कार्यों पर नहीं किया जाना चाहिए जिससे केवल अल्पसंख्यक व्यक्ति जैसे कि सास धर्म या समूह के लोगों को लाभ हो। उदाहरण के लिए, सरकार स्कूल, अस्पताल आदि पर खर्च कर सकती है किन्तु मन्दिर तथा गिरजाघर पर नहीं।

किन्तु इस सिद्धान्त का अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि कुछ खास मदें अन्य मदों से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, अतएव सदा उन्हीं मदों में अधिक खर्च करना चाहिए। व्यय की रकम किसी वर्ष में किस मद में अधिक या किस मद में कम होनी चाहिए, यह देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक स्थिति पर भी निर्भर करता है।

(ii) मितव्ययिता का सिद्धान्त (Canon of Economy) — व्ययित हो अपवा राज्‍य दोनों ही के लिए मितव्ययिता का नियम अरुपत उपयोगी है। सरकार जग्‍तता में जो कर वसूल करती है उसे चुकाने में कर-दाताओं को कष्ट सहन कर मौद्रिक त्याग करना पडता है। अतएव यह एक प्रकार की घरोडर होती है जिसका प्रयोग बडी सतर्ता में करना चाहिए। दूसरे शब्‍दों में, राज्‍य का यह कर्तव्य होता है कि यह इस रकम को बुद्धिमत्ता और मितव्ययिता के साथ खर्च करे। मितव्ययिता का अर्थ यह है कि सरकार को केवल उन्हें मदों पर तब उन्नी समय व्यय करना चाहिए जब आवश्यकता हो। माय ही, इसका तात्पर्य बंजमी अथवा आवश्यकताओं में कटौती नहीं होकर अनावश्यक एवं अनुत्पादक व्यय को रोकना है। इसके लिए सरकार को उचित मोच-विचार करने के बाद ही खर्च करना चाहिए और प्रयास होना चाहिए कि खर्च के दोहराव (Duplication) से बचा जाय। साथ ही-माय किसी भी कार्य को अधुरा नहीं छोडा जाय। इनमें भी व्यय का अनुचित उपयोग कम होता है। आजकल भारत में सरकारी व्यय के विरुद्ध यह विरोध रूप में शिकायत की जाती है कि यह एक निश्चित योजना के अन्तर्गत पर नडी किया जाता है। उदाहरण के लिए, भारत में 'अधिक खर्च उपजाने आन्दोलन' के अन्तर्गत सरकार ने कराडों रूपे व्यय किये जिसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं हुआ। इसमें जनता का घन बेकार ही खर्च हो जाता है।

(iii) अनुमोदन का सिद्धान्त (Canon of Sanction) — अनुमोदन अथवा स्वीकृति के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक अविचारों को व्यय करने समय अपने-में उच्च अधिकारों में आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए। इसमें मुख्यतः पूर्ण तथा अर्धघट्ट खर्च में शबावत होती है। इसी सिद्धान्त के अनुसार सरकार प्रति वर्ष अपने खर्च का वजट बनाकर संसद या विधान मण्डल में पास कराने को बाध्य होती है। लेकिन स्वीकृति के नाम पर अनावश्यक विलम्ब करना या आवश्यक व्यय को रकम में कटौती करके स्वीकृति देना भी इस उद्देश्य के विरुद्ध है। अतएव प्रयास को इसके विरुद्ध भी सतर्क रहना चाहिए। इस सिद्धान्त के अनुसार सार्वजनिक व्यय का उचित अकेशन (Proper auditing) भी आवश्यक है जिसमें घन का अनुचित प्रयोग नहीं किया जा सके। यह उद्देश्य अनुमोदन कार्य का रूप अति विस्तृत हो गया है।

(iv) आधिक्य का सिद्धान्त (Canon of Surplus) — वैयक्तिक अर्थ-प्रवृत्ति की तरह ही सार्वजनिक अर्थ-प्रवृत्ति को भी यह सूत्र प्रणाली है कि बजट को बरानर, संतुलित, रसते, तथा आय-व्यय में सामंजस्य लाने रहने का प्रयास होना चाहिए। फिन्चले गिराज (Findley Shirras) के शब्दों में, "आधिक्य सिद्धान्त का अभिप्राय सार्वजनिक व्यय में हीनता या घाटे (deficit) को दूर करना होना चाहिए। राजकीय गेंद्यों को भी अपना आय एवं व्यय साधारण व्यक्तियों की तरह समान करना चाहिए, यानी व्यक्तिगत बजट के समान, संतुलित बजट ही राजस्व की सामान्य नीति होनी चाहिए।" (The Canon of surplus is the avoidance of deficits in public expenditure. Public authorities must earn their living and their way like ordinary citizens. Balanced budgets must, as in private expenditure be the order of the day) इसी प्रकार निरन्तर घाटे का बजट बनाना उचित नहीं है। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य प्रतिवर्ष बहुत अधिक मात्रा में आधिक्य प्राप्त करना होना चाहिए क्योंकि "आधिक्य बजट में नागरिक इस बात का अनुभव करने लगते हैं कि उन पर कर का बोझ अधिक है। अतएव देश की आर्थिक व्यवस्था के स्थायित्व को बनाये रखने" के लिए संतुलित बजट ही अधिक आवश्यक होते हैं। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि बजट में कभी भी घाटा या बचत नहीं होनी चाहिए। वास्तव में, परिस्थितियों के अनुसार इन सर्वों का भी अपना-अपना महत्त्व है। उदाहरण के लिए मंदी (depression) में घाटे के बजट (deficit budget) तथा मुद्रा-स्फीति के समय बचत के बजट (surplus budget) का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

गिराज ने सार्वजनिक व्यय के केवल चार उपरोक्त सिद्धान्तों को बतलाया है। किन्तु आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस सम्बन्ध में और दो निम्नलिखित सिद्धान्तों को व्याख्या की है —

(v) लोच का सिद्धान्त (Canon of Elasticity) — सार्वजनिक व्यय में लोच का गुण होना भी आवश्यक है जिसमें आवश्यकता पडने पर परिस्थितियों के अनुकूल इसमें परिवर्तन लाया जा सके। इससे सार्वजनिक अतिारियों के लिए आवश्यकता एवं स्थिति के अनुसार व्यय

अध्याय : 52

सार्वजनिक व्यय के आर्थिक प्रभाव (Economic Effects of Public Expenditure)

प्राक्कथन .—राजकीय व्यय राजस्व शास्त्र का एक प्रधान अंग है। इसका समाज की आर्थिक व्यवस्था पर बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। राजकीय व्यय में वृद्धि से उत्पादन प्रोत्साहित होता है तथा उसमें वृद्धि होती है। साथ ही, इसका समाज में धन एवं आय के वितरण पर भी प्रभाव पड़ता है। आधुनिक युग में पूर्ण रोजगारी की प्राप्ति में भी राजकीय व्यय का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार, जिनमें आदम स्मिथ (Adam Smith) प्रमुख हैं, सार्वजनिक व्यय उत्पादन में कोई योगदान नहीं देता।¹ आदम स्मिथ के अनुसार “सार्वजनिक व्यय अनुत्पादक धर्म के लिए किया गया भुगतान है और इसलिए इससे राष्ट्रीय सम्पत्ति में कोई वृद्धि नहीं होती।”² इसलिए इन्होंने सार्वजनिक व्यय पर जो धन खर्च होता है उसे राष्ट्रीय आय में से घटाया है और इनकी आय उत्पन्न करनेवाली शक्ति पर ध्यान नहीं दिया है। किन्तु इस प्रकार की धारणा वास्तव में, मुक्तिमंगत नहीं है। वास्तव में, इस प्रकार के विचारक यह नहीं समझते थे कि राज्य अपने कोषों से निजी आय की धारा में नयी आय उत्पन्न करने में सहायक होता है। जैसा कि हम जानते हैं, किसी एक व्यक्ति का व्यय दूसरे व्यक्ति की आय है। यदि व्यक्तिगत व्यय के सम्बन्ध में यह सही है तो सार्वजनिक व्यय के सम्बन्ध में भी यह निश्चय ही सत्य है। अतएव सार्वजनिक व्यय का भी राष्ट्रीय सम्पत्ति के उत्पादन एवं वितरण पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है।

सार्वजनिक व्यय के प्रभाव का अध्ययन निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जाता है —

- (1) सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर प्रभाव,
- (2) सार्वजनिक व्यय का वितरण पर प्रभाव, तथा
- (3) सार्वजनिक व्यय का आर्थिक स्थिरता एवं रोजगार पर प्रभाव।

.. सार्वजनिक व्यय की उत्पादन पर प्रभाव

(Effects of Public Expenditure on Production)

सार्वजनिक व्यय का धन के उत्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक व्यय में या तो उत्पादन में कमी होती है या वृद्धि होती है। इसका अधिकांश भाग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पादक होता है। प्रत्येक देश में सरकारें स्वयं कुछ उद्योगों का संचालन करती हैं जो प्रत्यक्ष रूप में उत्पादक होते हैं। उदाहरण के लिए, सरकार द्वारा नहर, रेल, डाक तार तथा कुछ उद्योगों आदि की व्यवस्था की जाती है। ये राजकीय उद्योग उत्पादन में प्रत्यक्ष योगदान देते हैं। इसी प्रकार भूमि का सुधार कर उसे कृषि योग्य बनाने और जंगल लगाने की योजनाएँ भी प्रत्यक्ष रूप में उत्पादक होती हैं। अतएव जैसा कि प्रो० डाल्टन (Dalton) का कहना है कि “जिस प्रकार, अन्य बातों के समान रहने पर, करारोपण वा उद्देश्य उत्पादन में कम से कम कमी करना होना चाहिए, उसी प्रकार राजकीय व्यय का उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि होनी चाहिए।” (Just as taxation, other things being equal, should reduce production as little as possible, so public expenditure should increase it as much as possible.)

1. Taylor. : The Economics of Public Finance, p. 78.
2. Adam Smith : The Wealth of Nations.

& localities) '—सार्वजनिक व्यय आर्थिक साधनों के उपयोग में भी परिवर्तन लाता है। विभिन्न स्थानों एवं उपयोगों में आर्थिक साधनों के स्थानान्तरण-सम्बन्धी प्रभाव दो प्रकार के होते हैं—प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष रूप में सार्वजनिक व्यय स्वयं साधनों का स्थानान्तरण है। राज्य व्यक्तियों का धन स्वयं व्यय करता है। यदि राज्य ऐसा न करे तो यह धन व्यक्तियों द्वारा बिल्कुल भिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता। राज्य साधारणतः उन कार्यों को करता है जिन्हें व्यक्ति अपने व्यक्तिगत रूप में नहीं कर सकते हैं, जैसे—मिचलाई की योजनाओं को कार्यान्वित करने पर व्यय, रक्षा-सम्बन्धी व्यय या चिकित्सा पर व्यय, इत्यादि। परोक्ष रूप में सार्वजनिक व्यय व्यक्तियों में इस बात की रुचि उत्पन्न करता है कि वे अपने घर के व्यय के ढंग को बदलें। उदाहरण के लिए यातायात के साधनों अथवा जल शक्ति के विकास पर राजकीय व्यय ने उद्योगों की स्थापना में सुविधा प्रदान कर जन साधारण को उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

इतना ही नहीं, सरकार के कुछ व्यय इस प्रकार के भी होते हैं जिनमें कि व्यक्तियों को बनने कुछ साधन भविष्य के लिए बचाकर रखना पड़ता है, जैसे—स्वास्थ्य अथवा बेकारी सम्बन्धी बीमा, बुढ़ापेका पेंशन (Old age pensions) इत्यादि। इससे व्यक्तियों के साधनों का हस्तान्तरण स्वयं वर्तमान उपयोगों में भविष्य के उपयोगों में हो जाता है। वास्तव में, पूँजीगत वस्तुओं पर किये गये प्रत्येक व्यय को यही प्रकृति होती है।

भावी विद्वानों की राय में राजकीय व्यय द्वारा साधनों का स्थानान्तरण सदैव ही हानिकारक होता था। इनकी राय में इससे व्यक्तिगत हित अप्रसर नहीं होता। पूर्ण प्रतिभोगिता में मूल्य नियन्त्रण के संचालन में और व्यक्तियों के स्वतः हित से प्रेरित होने के कारण साधनों का सर्वोत्तम बँटवारा होता है। राजकीय व्यय इस सर्वोत्तम बँटवारे को भंग करता है। अतएव राज्य को इस विषय में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विन्तु समय ने इसे सिद्धा सिद्ध कर दिया है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

(2) सार्वजनिक व्यय का वितरण पर प्रभाव

(Effects of Public Expenditure on Distribution)

समाज में धन के वितरण पर सार्वजनिक व्यय का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक व्यय से समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर किया जा सकता है। डाल्टन (Dalton) के अनुसार "सर्वोत्तम सार्वजनिक व्यय प्रणाली वह है जिसमें समाज में व्याप्त विषमता को समाप्त करने की क्षमता सर्वाधिक हो।" (That system of public expenditure is best, which has the strongest tendency to reduce the inequality of income.) बात को सब जानने हैं कि राजकीय क्रियाओं द्वारा गरीबों को पहुँचाये जानेवाले लाभ धनियों को पहुँचाये जानेवाले लाभ से बहुत अधिक होते हैं। धनी व्यक्ति अपना करभरण स्वयं कर सकता है। वह अपनी शिक्षा तथा चिकित्सा आदि की व्यवस्था स्वयं कर सकता है। परन्तु एक निर्धन मनुष्य अमहाय्य होता है। अतएव सार्वजनिक कार्यों से निर्धन ही अधिक लाभान्वित होते हैं। सार्वजनिक व्यय किम भीमा तक धनी तथा निर्धन की साईं को पाटने का प्रयत्न करना है यह उसके लक्ष्य पर निर्भर करता है।

कुछ व्यय ऐसे होते हैं जिनमें गरीबों का ही मुख्यतः हित होता है, जैसे—गरीबों की सहायता, बुढ़ापेका पेंशन, बेकारी एवं अस्वस्थों की सहायता इत्यादि। इन कार्यों से गरीबों को जो लाभ होता है उसे उनकी आय में योग कहा जा सकता है। जब कि हम यह जानते हैं कि धनिकों पर कर लगा कर राजस्व प्राप्त किया जाता है और उसे निर्धनों के कल्याण पर व्यय किया जाता है, तब हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि सार्वजनिक व्यय द्वारा एक सीमा तक धन के वितरण को असमानताओं को कम कर दिया गया है।

आनुपातिक (Proportional), प्रगतिशील (Progressive) एवं प्रतिगामी (Regressive) व्यय:—विन्तु, फिर भी सार्वजनिक व्यय का वितरण पर प्रभाव उसको

अध्याय : 53

सार्वजनिक आय के विभिन्न साधन

(Different Sources of Public Revenue)

प्राक्कथन :—सार्वजनिक आय राजस्व का एक प्रधान विभाग है। डाल्टन के अनुसार सार्वजनिक आय का अर्थ संकुचित तथा व्यापक दोनों ही हो सकता है। व्यापक अर्थ में सार्वजनिक आय के अंतर्गत सरकार की सभी प्रकार की आय तथा प्राप्तियों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें साधारणतया आगम (Revenue) कहा जाता है। किन्तु संकुचित अर्थ में इसके अन्तर्गत सरकार को केवल करों से वास्तविक रूप में प्राप्त होने वाली आय को ही सम्मिलित किया जाता है। हमने पिछले अध्याय में इस बात का अध्ययन किया है कि आधुनिक समय में राज्य के कार्यों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इन कार्यों को सम्पन्न करने के लिए राज्य को बहुत अधिक मात्रा में व्यय करना पड़ता है। सार्वजनिक व्यय में इस वृद्धि के परिणामस्वरूप राज्य के आय-प्राप्ति के विभिन्न साधनों का अध्ययन अनिवार्य हो जाता है।

सार्वजनिक आय के विभिन्न साधन

(Different Sources of Public Revenue)

राज्य अपनी आय मुख्यतः निम्नलिखित साधनों से प्राप्त करता है :—(1) कर, (2) राजकीय सम्पत्ति एवं उद्योग, (3) फीस, (4) विक्षेप-निर्धारण, (5) कौमत, (6) जुर्माना एवं दंड, तथा (7) उपहार एवं अनुदान।

अब इनका निम्न विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है —

(1) कर (Tax) :—कर राज्य की आय का एक प्रधान साधन है। इसे कई प्रकार से परिभाषित किया गया है जिनमें निम्नांकित उल्लेखनीय हैं :—

प्लेहन (Plehn) के शब्दों में “कर धन के रूप में दिया गया वह अनिवार्य अंशदान है जो राज्य के निवासियों को सामान्य लाभ पहुँचाने के लिए किये गये व्यय को पूरा करने के लिए व्यक्तियों से लिया जाता है।” (Taxes are, in general, compulsory contribution of wealth levied upon persons, natural or corporate to defray the expenses incurred in conferring a common benefit upon the residents of the state.)

इसी प्रकार प्रो० डाल्टन (Dalton) के अनुसार, “कर सार्वजनिक अधिकारी द्वारा लगाया जानेवाला वह अनिवार्य अंशदान है जिसका सम्बन्ध करदाता को प्राप्त होनेवाली सेवा से नहीं रहता है।” (A tax is a compulsory contribution imposed by a public authority irrespective of the exact amount of services rendered to the taxpayer in return.)

सेलिगमैन (Seligman) ने भी कर की परिभाषा इसी प्रकार से दी है। इनके अनुसार “कर एक व्यक्ति का उन खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार को अनिवार्य अंशदान है जो सबके सामान्य हित में किये जाते हैं और जिनका संकेत विशेष लाभों की प्राप्ति की ओर नहीं होता।” (A tax is a compulsory contribution from a person to the Government to defray the cost of expenses incurred in common interest of all, without reference to special benefits conferred.)

टेलर (Taylor) ने भी कहा है कि “वे अनिवार्य भुगतान जिन्हें करदाता सरकार से बिना किसी प्रत्यक्ष लाभ की आशा किये देता है, कर हैं।” (Taxes are compulsory

(2) राजकीय सम्पत्ति एवं उद्योग से आय (Income from Public properties and enterprises) .—आधुनिक समय में राज्य को उद्योगों के संचालन एवं सम्पत्ति के उपयोग से भी आय प्राप्त होती है। सम्पत्ति के उपयोग से प्राप्त आय की प्रधानता प्रारम्भ से ही रही है। उदाहरण के लिए, भारत में भूमि, जंगल एवं खनिज पदार्थों से सरकार को प्रयोज्य मात्रा में आय प्राप्त होती है। किन्तु राजकीय उद्योगों से प्राप्त आय का महत्त्व पिछले कुछ वर्षों से बढ़ रहा है। राज्य द्वारा उद्योगों का संचालन कई कारणों से किया जाता है। कुछ उद्योगों को तो सरकार इसलिए चलाती है कि यदि ये निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित किये जाएँ तो उनमें उपभोक्ताओं के शोषण की सम्भावना रहेगी। उदाहरण के लिए पानी, बिजली तथा डाक-तार जैसी जनोपयोगी सेवाएँ। कुछ उद्योग राज्य इसलिए संचालित करता है, कि वे निजी उद्योगपतियों के सामर्थ्य से बाहर से होते हैं जैसे, रेलवे की व्यवस्था। कुछ उद्योग राज्य केवल उनके उपभोग को नियमित करने के लिए चलाता है जैसे मादक-द्रव्यों का सेवन। आधुनिक समय में समाजीकरण की नीति, के अन्तर्गत भी राज्य कुछ उद्योगों का संचालन स्वयं करता है; जैसे—भारत में जीवन-बीमा की व्यवस्था। इस प्रकार राजकीय उद्योगों का महत्त्व आजकल बढ़ते ही जा रहा है। इन उद्योगों से जो मुनाफा प्राप्त होता है वह भी राजकीय आय का एक प्रधान साधन है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत में भी सार्वजनिक उद्योगों से प्राप्त आय में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। उदाहरण के लिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक उद्योगों से 550 करोड़ रुपये, 1966-69 के बीच तीन-एकवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों से 409 करोड़ रुपये तथा चौथी योजना में 1135 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई थी जबकि पंचम पंचवर्षीय योजना में इस मद से 5988 करोड़ रुपये आय का आयोजन है।

इस प्रकार की आय में जैसा-ही-तैसा सम्बन्ध पाया जाता है। नागरिक राज्य से प्रत्यक्ष वस्तुएँ तथा सेवाएँ प्राप्त करते हैं और उनके बदले उन्हें मूल्य चुकाना पड़ता है। इस प्रकार का मूल्य सेवा की मात्रा के अनुसार उपभोक्ताओं को चुकाना पड़ता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति यदि 10 इक्काई बिजली का उपयोग करता है तो उस एक पूर्व निश्चित दर से केवल 10 इक्काई, के लिए मूल्य देना पड़ता है तथा दूसरा 50 इक्काई का उपयोग करता है तो उसे 50 इक्काई का मूल्य देना पड़ता है।

(3) फीस अथवा शुल्क (Fee) .—कर की ही तरह फीस या शुल्क भी एक अनिवाद्य भुगतान है। यह उन लोगों द्वारा दी जाती है, जो बड़े में राज्य द्वारा निश्चित सेवा प्राप्त करते हैं। फीस की गयी सेवा की लागत के एक अंश को सामान्यतः पूरा करने के लिए ली जाती है। यह सेवा की लागत से अधिक नहीं होती। उदाहरण के लिए, प्रशासन अथवा न्याय सम्बन्धी सेवाओं के लिए भुगतान। प्लेहन (Plehn) के शब्दों में, "फीस व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक शक्ति के अधिकार के अन्तर्गत धन के रूप में दिया गया वह अनिवार्य भुगतान है जो सरकार द्वारा किये गये कार्यों की कुल लागत अथवा उनके एक भाग को पूरा करने के लिए ली जाती है जो सामान्य लाभ प्रदान करने के साथ-साथ विशेष लाभ की भी व्यवस्था करता है अथवा जो मध्यस्थतापूर्वक माना जाता।" (A fee may be defined as a compulsory contribution on wealth made by a person, natural or corporate under the authority of public power to defray a part or all of the expenses in some action of the Govt., which while creating a common benefit also confers a special benefit on one that is arbitrarily so regarded.) संक्षेप में, फीस सार्वजनिक हित के लिए की गयी किसी विशेष सेवा के लिए ली जाती है। सेलिगमैन (Seligman) के अनुसार, "फीस वह भुगतान है जो सरकार द्वारा प्रदान की गयी प्रारम्भिक रूप से जनहित में परन्तु फीस दाता की विशेष लाभ पहुँचाते हुए बराबर उत्पन्न होनेवाली प्रत्येक सेवा की लागत को पूरा करने के लिए दी जाती है।" (A fee is a compulsory payment to defray cost of each recurring services undertaken by the Govt. primarily in the public interest but conferring a measurable special advantage on the fee-payer.)

ments, the amount of charge being determined by pro rata cost of pro rata benefit)

उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि विदेश निर्धारण एक अनिवार्य मुद्रक है जो विदेश लाभ के अनुपात में लिया जाता है। यह जनरल की दृष्टि से सम्पत्ति के विदेश सुधार के व्यय के भुगतान के लिए वसूल किया जाता है। वर स इसकी सभ्यता यह है कि ये दोनों अनिवार्य मुद्रक हैं लेकिन विशेष कर तथा वर में अन्तर यह है कि विशेष कर के दाताओं में निश्चित तथा प्रत्यक्ष लाभ पाया है और उसी के बदले में विशेष कर दे रहे हैं। किन्तु वर के साथ ऐसी बात नहीं पायी जाती है। उदाहरण के लिए, कभी कभी सरकार किसी विशेष क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए उसमें रेल, सड़क, नहर, बाँध या पार्क, इत्यादि का निर्माण करती है जिसमें उस क्षेत्र की सम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। अतः सरकार उनको व्यय को पूरा करने के लिए उस क्षेत्र के लोगों पर एक विशेष कर लगाती है, क्योंकि उम क्षेत्र के निवासियों में सरकार के इस कार्य से विशेष लाभ प्राप्त किया है। विशेष निर्धारण बहुधा मनम ना होता है अतएव इसके सम्बन्ध में कुछ समस्याएँ होती हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ सामान्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ सामान्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। किन्तु उनका केवल सैद्धांतिक महत्त्व ही है। व्यवहार में प्रत्येक देश में स्थानीय अधिकारियों ने अपनी सुविधानुसार इस सम्बन्ध में नियम बना लिया है।

(5) कीमत (Price) —आधुनिक युग में राज्य द्वारा कुछ सामान्य सेवाओं का भी आयोजन किया जाता है। ऐसी वस्तुओं की विक्री से सरकार को जो आय प्राप्त होती है उसे कीमत (Price) कहते हैं। उदाहरण के लिए, सत्कार रेल, डाक-तार इत्यादि सेवाओं का प्रबन्ध करती है और जनता को इनके उपयोग के बदले कीमत चुनानी पड़ती है। ये सेवाएँ भी आधुनिक सरकार की आय के मुख्य साधन हैं।

प्रो० टेलर (Taylor) ने इस प्रकार की आय को व्यापारिक आय (Commercial Revenue) कहा है। इनके अनुसार, “व्यापारिक आय सरकार द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य के रूप में प्राप्त होती है।” (The revenues which we call commercial are received in the form of prices paid for Government produced commodities and services) इसी प्रकार डिमांको के अनुसार, “दर वह मूल्य है जो सेवाओं के प्रयोग के बदले लिया जाता है।”


यद्यपि सरकार द्वारा इन सेवाओं के संचालन का उद्देश्य लाभोपार्जन नहीं होता, फिर भी सरकारी आय का यह एक महत्त्वपूर्ण साधन है। किन्तु कीमत में “अनिवार्यता” (Compulsion) का गुण नहीं पाया जाता है। इन सेवाओं के बदले में कीमत वही चुकाता है जो उनका उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, जो पोस्ट कार्ड खरीदता है वही उसकी कीमत देता है तथा जो रेलगाड़ी पर चढ़ता है वही उसका किराया भी देता है।

(6) जुर्माना तथा दण्ड (Fines and Penalties) —जुर्माना तथा दण्ड के द्वारा भी सरकार को आय प्राप्त होती है। जो व्यक्ति सरकारी कानून को भंग करते हैं अथवा जो समाज के अमन-चैन में बाधा उत्पन्न करते हैं, जैसे व्यक्तियों से सरकार दण्ड अथवा जुर्माना वसूल करती है। यद्यपि दण्ड और जुर्माना आय प्राप्त करने के स्थान से नहीं वसूल किये जाते, फिर भी इनसे सरकार को अच्छी आय प्राप्त होती है।

(7) उपहार एवं अनुदान (Gifts and Grants) —कभी-कभी ऐसा होता है कि देश के कुछ उदार एवं धनी मानी व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक सरकार को कुछ रुपये या सम्पत्ति आदि भेंट अथवा उपहार के रूप में देते हैं जिनका उपयोग जन कल्याण के लिए किया जा सकेगा। इससे भी सरकार को कुछ आय प्राप्त होती है, मगर इसकी मात्रा बहुत कम होती है। इस प्रकार के उपहार वगैरे किसी दबाव के दिये जाते हैं, किन्तु युद्ध आदि के अवसरों पर इनमें दबाव का अंश भी वर्तमान रहता है। इस प्रकार के उपहार का सार्वजनिक आय के साधनों में कोई विशेष महत्त्व नहीं होता। अनुदान (Grants) की प्रथा मुख्यतः सघीय सरकारों द्वारा अपनायी जाती है। सघीय

इस प्रकार सार्वजनिक आय का वर्गीकरण कई आधार पर किया जाता है, किन्तु इनमें सबसे सरल वर्गीकरण निम्नांकित है :—

सार्वजनिक आय (Public Revenue)



बैस्टेबिल ने राजकीय आय के दो वर्ग किये हैं :—

(क) वह आय, जो सरकार को एक बड़ा प्रमण्डल होने के नाते तथा जनता को वस्तुएँ अथवा सेवाएँ उपलब्ध कराने के कारण प्राप्त होती है। इसके अन्तर्गत न्यायाधीश के रूप में राज्य की प्राप्त आय भी सम्मिलित रहती है।

(ख) वह आय जो राज्य अपनी सत्ता के कारण समाज की आय में से ले लेता है।

इसी प्रकार आदम स्मिथ (Adam Smith) ने सरकारी आय को निम्नांकित तीन वर्गों में विभाजित किया है —

(क) प्रत्यक्ष आय (Direct revenue) :—इसके अंतर्गत सार्वजनिक उद्योगों, उपहारों तथा जन्तु सम्पत्तियों से प्राप्त आय सम्मिलित रहती है।

(ख) व्युत्पन्न आय (Derivative revenue) :—इसमें करों, शुल्कों तथा जुमानों आदि से प्राप्त आय सम्मिलित रहती है।

(ग) प्रत्याशित आय (Anticipatory revenue) :—इसमें सरकार को ट्रेजरी बिलों तथा अन्य प्रकार के ऋणों से प्राप्त आय भी सम्मिलित रहती है।

इस प्रकार राजकीय आय का विभिन्न दृष्टिकोणों से वर्गीकरण किया जाता है।

विशेष अध्ययन-सूची

1. Dalton . Public Finance.
2. Hicks ; Public Finance.
3. Taylor : The Economics of Public Finance.

सामान्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ है। कर के सिद्धान्त वा तात्पर्य कर-सम्बन्धी नीति से है। कोई कर उचित है या अनुचित, इसे इन्हीं सिद्धान्तों की बखीटी पर रखकर देखा जाता है।

करारोपण के सिद्धान्त (Canons of Taxation)

करारोपण के उक्त उद्देश्यों को पूर्ति के लिए प्रत्येक देश में सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कर लगाये जाते हैं। आधुनिक युग में करारोपण का कार्य बड़ा ही क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक हो गया है, अतः इसके लिए कुछ सिद्धान्तों की रचना हुई है। किसी भी कर का इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर जाँचकर देखा जाता है कि वह कर उचित है अथवा नहीं। करारोपण के विभिन्न सिद्धान्तों को मोटे तौर पर दो वर्गों में विभाजित किया जाता है—

(क) आदम स्मिथ के कर-सिद्धान्त, तथा

(ख) अन्य सिद्धान्त।

अब, इसका निम्न विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है—

आदम स्मिथ के कर-सिद्धान्त

कर-नीति निर्धारण के सिद्धान्तों की व्याख्या सर्वप्रथम सुप्रसिद्ध आर्थशास्त्री आदम स्मिथ ने की थी। आदम स्मिथ के अनुसार करों के निम्नलिखित चार सिद्धान्त (Four Canons of Taxation) हैं—

- (1) समानता या योग्यता का सिद्धान्त (The Canon of Equality of Ability),
- (2) निश्चितता का सिद्धान्त (The Canon of Certainty),
- (3) सुविधा का सिद्धान्त (The Canon of Convenience), तथा
- (4) मितव्ययिता का सिद्धान्त (The Canon of Economy)।

(1) समानता या योग्यता का सिद्धान्त (The Canon of Equality of Ability)—आदम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रजा को अपने क्षमतानुसार अर्थात् उस आय के-अनुपात में जिसका आनन्द वे राज्य की संरक्षणता में प्राप्त करते हैं, सरकार के सहयोग के लिए योगदान देना चाहिए।" (The subject of every state, ought to contribute towards the support of the Govt. as nearly as possible, in proportion to their respective abilities, that is, in proportion to the revenue which they enjoy under the protection of the State.)

कर के इस सिद्धान्त में समानता या न्याय का सिद्धान्त निहित है। इस सिद्धान्त का तात्पर्य यह नहीं है कि सभी व्यक्तियों को कर की समान मात्रा का भुगतान करना चाहिए, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों को अपनी-अपनी योग्यताओं के अनुसार यानी अपने धन के अनुपात में ही कर देना चाहिए। कर का वितरण समाज के विभिन्न वर्गों पर इस ढंग से किया जाय कि समाज के धनी तथा निर्धन सभी वर्गों के लोगों को समान त्याग करना पड़े। यहाँ पर समानता या योग्यता का अर्थ त्याग से है। सभी लोग अपनी योग्यता के अनुसार त्याग करें। अतः इस सिद्धान्त के आधार पर निर्धन लोगों पर कम मात्रा में-कर लगाना चाहिए और अमीरों पर अधिक मात्रा में। क्योंकि ऐसा प्रायः देखा जाता है कि अमीर व्यक्ति के लिए रुपये की सीमात उपयोगिता और उसका मूल्य कम होता है और गरीबों के लिए उसकी सीमात उपयोगिता और उसका मूल्य अधिक होता है। उदाहरण के लिए, कोई गरीब व्यक्ति पर अगर 5 रुपये कर लगा दिये जायें तो यह रकम उसके लिए बहुत भारी हो जायगी। किन्तु यही रकम एक अमीर व्यक्ति के लिए बहुत ही कम सिद्ध होगी। अतः दोनों के त्याग को बराबर करने के लिए यह आवश्यक है कि अमीरों से अधिक कर बसूल किया जाय और गरीबों से कम। आदम स्मिथ (Adam Smith) ने पुनः इस बात का जिक्र किया है कि 'अमीरों को न केवल अपनी आय के अनुपात में, बल्कि उससे अधिक सार्वजनिक व्यय में योगदान अधिक उचित होगा।" (It is not very unreasonable that the rich should contribute to the public expenses, not

(iii) कर चुकाने का तरीका सुविधाजनक होना चाहिए (The process of tax payment must be convenient) ।

तात्पर्य यह है कि कर भुगतान का समय, स्थान एवं इसके तरीके का सुविधाजनक होना नितान्त अनिवार्य है ।

(4) मितव्ययिता का सिद्धान्त (The Canon of Economy) :—आदम-स्मिथ के करारोपण के सिद्धान्त में मितव्ययिता का सिद्धान्त अन्तिम है । इसके अनुसार “प्रत्येक कर की रचना इस प्रकार से की जानी चाहिए कि जो रकम राजकीय खजाने को प्राप्त हो उसके अतिरिक्त कर-दाता को जेब से कम-से-कम रकम बरबाद हो ।” (Every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings to the state treasury.) इस सम्बन्ध में आदम स्मिथ की यह धारणा थी कि कर वसूलने का व्यय कम-से-कम होना चाहिए, यानी कर का स्वभाव तथा उसके वसूल करने का ढंग ऐसा होना चाहिए जिससे कि कर-वसूली में कम-से-कम खर्च करना पड़े । अगर कर-वसूली में खर्च कम होगा तो सरकार के खजाने में कर की आय का अधिक हिस्सा जायगा जिसके व्यय से वह समाज को अधिकतम सामाजिक तथा आर्थिक कल्याण प्रदान कर सकेगी । दूसरी ओर, अगर कर की वसूली में ही अधिक खर्च करना पड़े तो उन खर्चों को निकल जाने के बाद सरकारी खजाने में कर से प्राप्त आय की मात्रा अपेक्षाकृत कम होगी जिसके व्यय के द्वारा वह समाज को कम ही आर्थिक और सामाजिक कल्याण प्रदान कर सकेगी । अतः कर-वसूली के खर्च की मितव्ययिता वाछनीय है ।

इस प्रकार आदम स्मिथ ने करारोपण के सम्बन्ध में उक्त सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है । इनमें से पहला नियम सैद्धान्तिक है तथा अन्य प्रशासकीय हैं ।

करारोपण के अन्य सिद्धान्त

आदम स्मिथ (Adam Smith) के कर के उपरोक्त चार सिद्धान्तों के अतिरिक्त अर्थ-शास्त्रियों ने करारोपण के कुछ अन्य सिद्धान्त भी बतलाये हैं जिनमें निम्नांकित प्रधान हैं :—

- (5) उत्पादकता का सिद्धान्त (The Canon of Productivity),
- (6) लोच का सिद्धान्त (The Canon of Elasticity),
- (7) सरलता का सिद्धान्त (The Canon of Simplicity),
- (8) विविधता का सिद्धान्त (The Canon of Diversity), तथा
- (9) एकरूपता का सिद्धान्त (The Canon of Uniformity) ।

अब इनका निम्न विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है ।

(5) उत्पादकता का सिद्धान्त (The Canon of Productivity)—यह भी करारोपण का एक प्रमुख सिद्धान्त है । उत्पादकता का आशय यह है कि राज्य को कर से पर्याप्त मात्रा में आय प्राप्त होनी चाहिए । कोई भी कर तभी उत्पादक समझा जाता है जब उसे एकत्र करने में कम से-कम व्यय हो । यही कारण है कि अनेक छोटे छोटे करों की अपेक्षा एक बड़ा कर अच्छा होता है । इसे बैस्टेबल (Bastable) ने प्रतिपादित किया था । उत्पादकता के सिद्धान्त का अर्थ दो प्रकार का होता है—एक तो यह कि सरकार को कर लगाते समय इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि कर का देश की उत्पादन-शक्ति पर बुरा प्रभाव न पड़े और दूसरा यह है कि कर द्वारा प्राप्त आय को उत्पादक कार्यों पर खर्च किया जाय । उत्पादक कार्यों का तात्पर्य वैसे कार्यों से है जिन पर खर्च करने से देश की सम्पत्ति एवं आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती हो । साथ ही, उत्पादकता वर्तमान तथा भविष्य दोनों ही दृष्टिकोणों से होनी चाहिए ।

(6) लोच का सिद्धान्त (The Canon of Elasticity):—लोच के सिद्धान्त का तात्पर्य यह है कि किसी देश की कर-प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सके । आज के कल्याणकारी राज्य (Welfare State) में सरकार का कार्यक्षेत्र दिन-प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है जिन्हें सम्पन्न करने के लिए अधिक-से अधिक आय प्राप्त करने की आवश्यकता होती है । इससे सरकारी व्यय में दिन-प्रति-दिन वृद्धि होती जा रही है । अतएव देश

द्वितीयतः, कर-प्रथा का मितव्ययितापूर्ण होना भी अनिवार्य है। मितव्ययितापूर्ण का अर्थ यह है कि करो को एकत्र करने पर खर्च कम में-कम होना चाहिए। इससे जनता द्वारा दिये गये करों का समुचित रूप में उपयोग होता है।

तृतीयत एक अच्छी कर-प्रणाली में उत्पादकता (Productivity) का गुण भी होना चाहिए। उत्पादकता का आशय यह है कि देश की कर-व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए जिसका कि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव न पड़े। इससे देश के आर्थिक विकास में सहायता मिलती चाहिए।

चतुर्थत, इसमें निश्चितता (Certainty) का गुण भी होना चाहिए। निश्चितता का तात्पर्य यह है कि करों को मात्रा तथा इनके चुकाने का तरीका निश्चित होना चाहिए। कर-प्रथा आधुनिकतम तथा एव आँवडों पर आधारित होनी चाहिए। साथ ही, विभिन्न प्रकार के करों के प्रभाव के सम्बन्ध में भी उचित ज्ञान रहना चाहिए।

साथ ही, एक अच्छी कर-प्रणाली सुविधाजनक भी होनी चाहिए, यानी कर-प्रणाली ऐसी हो जिसमें करदाता करों के भार को यथासम्भव कम अनुभव करे। इस सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि 'अमीरों को जितना वे सोचते हैं उससे अधिक कर देना चाहिए जबकि गरीबों को समझना चाहिए कि जितना वे कर दे सकते हैं उसमें अधिक दे रहे हैं। इस प्रकार के दोहरे भ्रम से अमीर तबुष्ट और गरीब ईमानदार रहेंगे' (The rich should pay more taxes than they think, while poor should think they pay more than they do. This double illusion will keep the rich contented and the poor virtuous.) किन्तु इस आदर्श को प्राप्ति में बहुत अधिक व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं।

सातवीं बात यह है कि एक अच्छी कर-प्रणाली को पूर्ण रूप से सद्भावनापूर्ण होना आवश्यक है। सभी करों को इस प्रणाली में ठीक ठीक जम जाना चाहिए जिससे कि वे मिले-जुले एक सम्पूर्ण अंग की तरह दिख पड़े। एक अच्छी कर-प्रणाली को पर्याप्त मात्रा में लोचपूर्ण (Flexible) भी होना चाहिए। लोच का अभिप्राय यह है कि कर-प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि आवश्यकतानुसार बिना किसी बड़ी उथल-पुथल के नये कर लगाये जायें तथा पुराने कर निकाल दिये जा सकें।

अंततः, इसमें सिराज के अनुसार पर्याप्तता (Sufficiency) का गुण भी होना चाहिए। जहाँ तक पर्याप्तता का सम्बन्ध है यह बड़ी ही अस्पष्ट धारणा जान पड़ती है। पर्याप्तता वा सम्बन्ध आवश्यकताओं से है। दूसरे शब्दों में, पर्याप्तता इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य की आवश्यकताएँ कितनी हैं। इस प्रकार वस्तुतः यह एक निरपेक्ष गुण है तथा बहुत-सी परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

क्या भारतीय कर-प्रणाली उत्तम है? — अतएव एक अच्छी कर-प्रणाली में उपरोक्त सभी गुणों का होना अनिवार्य है। वास्तव में, एक अच्छी कर-प्रणाली वह है जिसका समाज पर सर्वाधिक अनुकूल आर्थिक प्रभाव पड़े। (The best system of taxation from economic point of view is that which has the best or least bad economic effects) अब हमें यह देखना है कि भारतीय कर प्रथा में कहीं तक ये गुण पाये जाते हैं। प्रशासन की दृष्टि से भारतीय कर-प्रथा भी बहुत सुन्दर है। इसमें निश्चितता का गुण पाया जाता है, करों को जमा करने का व्यय भी बहुत ही कम है, इसमें सरलता का गुण भी पाया जाता है, यह कर प्रणाली लोचपूर्ण है तथा विरकुल विस्तृत भी है। इसमें प्रायः सभी व्यक्तियों को कुछ-न-कुछ कर अवश्य ही चुकाना पड़ता है। इस प्रकार भारतीय कर-प्रथा में एक अच्छी कर प्रणाली के प्रायः सभी गुण पाये जाते हैं। किन्तु हमारी कर प्रणाली आदर्श कर-प्रणाली नहीं कही जा सकती। यहाँ उद्योग-सन्धों की आवश्यकताओं को समझे बगैर ही आयात निर्यात कर लगाये जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें समानता के नियम के अनुसरण का अभाव है। भारतीय कर-प्रथा अमीरों के विरुद्ध गरीबों के प्रति भेद-भाव रखती है। आय-कर प्रगतिशील अवश्य है, किन्तु इसकी प्रगति उतनी दायी नहीं है। साथ ही, लगान, चुगी, आवकारी तथा रेलवे किराया पर कर, कुल मिलाकर अमीरों की अपेक्षा यहाँ गरीबों को ही प्रायः अधिक कर चुकाना पड़ता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारतीय कर-प्रथा की प्रवृत्ति प्रधानतः प्रतिगामी है।

एक-कर प्रणाली के विपरीत है। (In general, the weight of arguments is against a single tax.) बहु-कर प्रणाली (Multiple tax system) द्वारा इन दोषों को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार की कर-प्रणाली में विभिन्न प्रकार के करों को लगाकर कर के आधार को विस्तृत बनाया जा सकता है। बहुत प्रकार के करों के कारण इसमें कर के भार को भी उचित रूप से विभाजित किया जा सकता है। साथ ही, करों की चोरी को भी बहुत हद तक रोका जा सकता है तथा सरकार इससे आवश्यकतानुसार आय प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार एक-कर प्रणाली की अपेक्षा बहु-कर प्रणाली अविक व्यावहारिक है। फिर भी, इन प्रकार की कर-प्रणाली में बहुत-से करों का होना उचित नहीं है। (Great multiplicity of taxes is not desirable) किसी सास समय में किसी देश की सरकार द्वारा कितने करों को लगाया जाना चाहिए यह उस देश की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस प्रकार बहु-कर प्रणाली अविक व्यावहारिक है। यही कारण है कि विश्व के प्रायः सभी देशों में आजकल इसी प्रणाली का प्रचलन है।

विशेष अध्ययन-सूची

1. Dalton : Public Finance
 2. Pigou : A Study of Public Finance.
-

(3) लाभ अथवा जैसा-का-तैसा सिद्धान्त (The Benefit or Quid-pro-quo Theory) :—लाभ के सिद्धान्त के अनुसार कर की दर उस लाभ के अनुसार होनी चाहिए जो कि प्रत्येक नागरिक को राज्य की, संरक्षणता में प्राप्त हो। सार्वजनिक सेवाओं से जिस व्यक्ति को जितना ही लाभ हो उसे राजकीय व्यय में भी उतना ही अपने हिस्से के रूप में चुकाना चाहिए। जिन कारणों का उल्लेख किया गया है, उन्हीं के फलस्वरूप लाभ-सिद्धान्त भी इस समय व्यावहारिक दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है। बहुत-सा सार्वजनिक व्यय साझे अथवा अविभाज्य लाभों के लिए किया जाता है। अतएव यह हिसाब लगाना कठिन है कि एक विशेष कार्य के लिए कितना लाभ किसी समय में बढ़कर होता है। बहुत बड़े ऐसे कार्य हैं, जहाँ व्यक्ति के लाभ का हिसाब लगाया जा सकता है; जैसे वृद्धावस्था की पेंशन। सेलिगमैन (Seligman) के अनुसार सरकार कोई भी कार्य किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं करती, वरन् व्यक्ति को समाज का एक अंग मानकर करती है। इस प्रकार विशेष लाभ सामान्य लाभ में विलीन हो जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य को कुछ ऐसी सेवाएँ भी हैं जिनका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता; जैसे—सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता इत्यादि।

(4) डिमार्को का आय-सिद्धान्त (Demarco's Income Theory) :—डिमार्को ने इस सम्बन्ध में आय का सिद्धान्त (Income Theory) प्रस्तुत किया है जो बहुत कुछ लाभ-सिद्धान्त से मिलता-जुलता है। डिमार्को के अनुसार राज्य एवं नागरिकों में प्रकार से विनिमय का सम्बन्ध है। राज्य सार्वजनिक सेवाओं का उत्पादक है और नागरिक इन सेवाओं के क्रेता एवं उपभोक्ता हैं। नागरिक इनका उपयोग अपनी आय के अनुपात में करते हैं। (There is no doubt that our income is the index by which we measure the total of our consumption, present and prospective, individual and collective.) अतएव प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय के अनुसार ही कर देना चाहिए।

किन्तु, डिमार्को का सिद्धान्त भी आजकल बहुतों को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि राज्य की प्रत्येक सेवा का उपयोग व्यक्ति अपनी आय के अनुपात में ही करता है। कल्याणकारी राज्य का विचार तो ठीक इसके विपरीत है। इस प्रकार करारोपण का यह सिद्धान्त भी अधिकांश व्यक्तियों को मान्य नहीं है।

कर-दान योग्यता का सिद्धान्त

(Ability to Pay Theory of Taxation)

अधिकतम लोकप्रिय तथा न्याय का विश्वसनीय सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता अथवा योग्यता के अनुसार कर देना चाहिए। डाल्टन (Dalton) के अनुसार भी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भुगतान करने की क्षमता के अनुसार ही कर देना चाहिए (The principle that Taxation should be distributed between individuals in accordance with their ability to pay is on the face of it, some what more practicable.) आदम स्मिथ के कर-सिद्धान्तों की व्याख्या करते समय भी हम इस सिद्धान्त की चर्चा कर चुके हैं। यह सिद्धान्त करारोपण का बहुत ही उचित एवं न्यायसंगत सिद्धान्त है। इसके अनुसार कर का भार व्यक्तियों पर उनकी कर-दान योग्यता के अनुसार होना चाहिए। परन्तु इसको भी व्यवहार में लाना बहुत ही कठिन कार्य है। इस सिद्धान्त को कार्यरूप देने में सर्वप्रथम कठिनाई यह है कि कर-दान की योग्यता कैसे तथा किस आधार पर निश्चित की जाय। दूसरी ओर, कर-दान क्षमता के उचित आधार की खोज के लिए हमें दो दिशाओं पर चलना होगा। एक तो भावार्थक (Subjective) और दूसरा वस्तुगत (Objective)। प्रथम दृष्टिकोण में हम कर-दाता का, विशेषकर निजी दृष्टिकोण लेंगे और दूसरे में बाह्य पदार्थों की दृष्टि से अध्ययन करेंगे।

भावार्थक दृष्टिकोण (Subjective Approach) :—यदि व्यक्तिगत दृष्टि से हम कर-दाता की कर देने की समस्या पर विचार करें तो हमें उनमें निहित असुविधा और त्याग पर विचार करना होगा। इस बात के लिए निम्नांकित तीन स्पष्ट सिद्धान्त सामने रखे गये हैं :—

इनकी आय में वृद्धि के अनुसार बढ़ती हुई दर से कर वसूलना चाहिए। परन्तु इस प्रकार की प्रणाली को व्यवहार में लाना सरल नहीं है।

किन्तु, त्याग के सिद्धान्त में केवल वर्तमान सिद्धान्तों की ही व्याख्या की गयी है, भविष्य में करो के प्रभाव पर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया है। ये सिद्धान्त तीव्र गति से प्रगतिशील करो को महत्व प्रदान करते हैं। किन्तु इस प्रकार के करारोपण से बचत हतोत्साहित होती है। इसका प्रभाव उत्पादन एवं रोजगार पर भी पड़ता है। इस प्रकार त्याग के सिद्धान्तों का केवल सैद्धांतिक महत्व है, इनका व्यावहारिक महत्व बिल्कुल नहीं है। वास्तव में, त्याग भावात्मक (Subjective) है, इसका सम्बन्ध कर दाता में है। इसे मापना एक कठिन कार्य है। अधिक त्याग का अर्थ सदा अधिक हानि नहीं है। उदाहरण के लिए, शराब पर अधिक कर से उपभोक्ताओं को अधिक अमुविधा होती है, किन्तु इससे कोई नहीं हानि होती है। अतएव कर-दान क्षमता की जाँच के लिए त्याग के सिद्धान्त का उपयोग नहीं किया जा सकता।

वस्तुगत दृष्टिकोण (Objective approach) :—कुछ अर्थशास्त्रियों ने कर-दान को माँगने के लिए एक वस्तुगत दृष्टिकोण (Objective approach) अपनाया है। इन लेखकों के अनुसार मनुष्य की कर-दान-क्षमता निम्नांकित तीन बातों से जानी जा सकती है—

- (1) मनुष्य का उपभोग-स्तर,
- (2) सम्पत्ति (Property); एवं
- (3) आय (Income)।

(1) उपभोग (Consumption) —कुछ लेखकों ने उपभोग-स्तर या व्यय को कर-दान क्षमता का अच्छा प्रमाण माना है। इनके अनुसार जिनका उपभोग-स्तर ऊँचा है, अर्थात् जो अधिक व्यय कर सकते हैं उन्हें अधिक कर देना चाहिए। किन्तु उपभोग अथवा व्यय के आधार पर करारोपण को न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति की मासिक आय 100 रुपये है। वह अकेला है। अतएव 50 रुपये खर्च कर ही अपना कार्य चला लेता है। इसके विपरीत एक दूसरे व्यक्ति को प्रति माह आय भी 100 रुपये है, किन्तु, परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण वह 100 रुपये व्यय कर देता है। सोचिये, जिसकी कर-दान-क्षमता अधिक है। पहले की या दूसरे की। उपभोग अथवा व्यय के आधार पर दूसरे व्यक्ति की कर-दान-क्षमता अधिक है, किन्तु वास्तव में पहले व्यक्ति की ही कर-दान-क्षमता अधिक होगी। साथ ही, उपभोग को कर-दान-क्षमता का आधार मानने से उपभोग हतोत्साहित होगा। इस प्रकार उपभोग को कर-दान-क्षमता का आधार नहीं माना जा सकता है।

(2) सम्पत्ति (Property) :—कुछ लेखकों ने सम्पत्ति को कर-दान-क्षमता का अधिक उचित एवं अच्छा आधार माना है। इनके अनुसार जिस व्यक्ति के पास अधिक सम्पत्ति है उसको कर-दान क्षमता अधिक है। किन्तु निम्नांकित कारणों से सम्पत्ति भी कर-दान-क्षमता का अच्छा आधार नहीं है —

प्रथमतः, समाज में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आय अधिक होती है, परन्तु जो सम्पत्ति एकत्र करने की अपेक्षा ऊँचा जीवन स्तर व्यतीत करना ही अधिक उत्तम समझते हैं। यदि सम्पत्ति के अनुसार कर लगाया जाय तो ऐसे व्यक्तियों को कोई भी कर नहीं देना पड़ेगा।

द्वितीयतः, सम्पत्ति का वास्तविक मूल्य आँकना भी बहुत ही कठिन है। एक ही समान मूल्य की दो सम्पत्तियों पर भिन्न-भिन्न आय प्राप्त हो सकती है। अतएव इसके आधार पर किसी व्यक्ति की कर-दान-क्षमता का उचित तरीके से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

तृतीयतः, एक समान मूल्यवाली सम्पत्तियों पर आश्रितों की संख्या भी कम या अधिक हो सकती है। अतएव एक समान कर लगाने पर अधिक आश्रितों वाले व्यक्तियों के साथ एक प्रकार का अन्याय होगा। इसलिए कर-निर्धारण का यह आधार भी न्यायसंगत नहीं है।

(3) आय (Income) :—आय को भी कर-दान-क्षमता का आधार माना गया है। वास्तव में, करारोपण का आजकल यही मुख्य आधार है। ऊँची आय वाले पर अधिक कर लगाया जाता है तथा नीची आय वाला पर कम। परन्तु मौद्रिक आय को भी कर-दान-क्षमता का सन्तोषप्रद

कर-दान-क्षमता क्या है ? (What is Taxable Capacity) :—डॉ० डाल्टन (Dalton) के अनुसार कर-दान-क्षमता का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है—निरपेक्ष कर-दान-क्षमता (Absolute Taxable capacity) एवं सापेक्षिक कर-दान-क्षमता (Relative Taxable capacity)। पहले अर्थ में इसका प्रयोग कर के भुगतान के परिणामों को ध्यान में रखकर किया जाता है और दूसरे अर्थ में दो देशों की सापेक्षिक कर-दान-क्षमता की बातें की जाती हैं। कर-दान-क्षमता की विभिन्न परिभाषाएँ दी गयी हैं। निरपेक्ष क्षमता का अर्थ यह है कि एक निरपेक्ष समुदाय करों के रूप में बर्जर कोई प्रतिबुद्ध प्रभाव उत्पन्न किये कितना कर अदा कर सकता है। इसके विपरीत सापेक्षिक या तुलनात्मक कर अदा करने की शक्ति का अर्थ यह है कि केन्द्रीय खर्च के प्रान्तीय योगदान में दो समुदायों को अलग-अलग कितना देना चाहिए। स्टाम्प (Stamp) के अनुसार “कर-दान-क्षमता वह अधिकतम धन-राशि है जो कि एक देश के नागरिक राजकीय पदाधिकारियों के व्यय की ओर अपने अंशदान के रूप में बिना आनन्दरहित एवं पददलित जीवन व्यतीत किये और आर्थिक संगठन में बिना अधिक उयल-पुयल किये दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में, स्टाम्प के अनुसार, कुल उत्पादन में से जनसंख्या को जीवन-निर्वाह के स्तर पर बनाये रखने के लिए आवश्यक खर्च घटा कर जो शेष बचता है वह कर-दान-क्षमता है। (Taxable capacity is the total production minus the amount required to maintain the population at a subsistence level) इस प्रकार शिराज ने कहा है कि “कर-दान-क्षमता न्यूनतम उपभोग के ऊपर उत्पादन का वह कुल आधिक्य है जो उतने ही उत्पादन की प्राप्त करने के लिए चाहिए जिससे जीवन-स्तर पूर्ववत् बना रहे।” इन्होंने कर-दान-क्षमता की निचोड़ की सीमा (Limit of squeezability) भी कहा है। इनके अनुसार “Taxable capacity is the limit of squeezability, it is the taxability of a nation, the maximum amount of taxation that can be raised and spent to produce the maximum economic welfare in that community.”

कर दे सकने की क्षमता की सीमा कब बढ़ जाती है ? (When is the limit of taxable capacity exc.eded ?) :—इस सम्बन्ध में विभिन्न दृष्टिकोणों में अन्तर है कि कर दे सकने की क्षमता को बढ़ाये जाने की पहचान क्या है ? स्टाम्प ने कर दे सकने की क्षमता के लिए दो सीमाओं का उल्लेख किया है—(अ) कुल उत्पादन पर अंकुश, (ब) आय पर अंकुश। किन्तु अत्यधिक कर-निर्धारण के अतिरिक्त अंकुश के और भी कारण हो सकते हैं। कर-निर्धारण ही एक ऐसी वस्तु नहीं है जो उत्पादन पर प्रभाव डालता है। एलिंगर के अनुसार “कर दान क्षमता की सीमाओं तक उस समय पहुँचा जायगा जबकि कर-दाता की जेब से इतना लिया जाय कि उत्पादन के लिए किये गये प्रयत्नों में कमी हो जाय और जब कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक पूँजी की व्यवस्था तथा बढ़ती हुई जनसंख्या में नये श्रमिकों को काम पर लगाने के लिए अपर्याप्त शेष रह जाता है।” किन्तु उन्होंने भी उत्पादन पर सार्वजनिक व्यय के लाभप्रद प्रभाव को स्पष्टतया ध्यान में नहीं रखा। तथ्य यह है कि कर दे सकने की क्षमता को जटिलता के साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह एक गतिशील विन्दु है तथा ऐसे बहुत-से कारणों से सम्बन्धित है जिनमें होने वाला कोई भी परिवर्तन राष्ट्र के कर दे सकने की क्षमता के सम्बन्ध में किये गये हमारे अनुभवों को बदल देगा।

कर-दान-क्षमता के निर्धारक तत्व

(Factors Governing the Taxable Capacity)

किसी समुदाय की कर दान-क्षमता निम्नांकित बातों पर निर्भर करती है :—

(1) जनसंख्या (Population) :—जिस देश में जितनी ही अधिक जनसंख्या होगी उतनी ही अधिक सरकारी खर्च में उस समुदाय द्वारा कर दे सकने की क्षमता अधिक होगी। इस दृष्टिकोण से भारत का स्थान उत्तम है। उसकी कर दे सकने की क्षमता उस समय निश्चित रूप से बढ़ेगी, जबकि देश का उचित रूप से आर्थिक विकास किया जायगा।

(2) सार्वजनिक व्यय के आधार एवं उद्देश्य (Extent and Objectives of Public Expenditure) :—कर-दान-क्षमता पर सार्वजनिक व्यय का भी प्रभाव पड़ता है।

अध्याय : 56

करो का वर्गीकरण

(Classification of Taxes)

प्राक्स्थान :—आज विश्व के प्राय सभी देशों में राज्य की आवश्यकताओं में वृद्धि के परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार के कर लगाय जाते हैं। ये कर कई प्रकार के होते हैं, किन्तु साधारणतया इनका वर्गीकरण निम्नांकित तीन आधार पर किया जाता है :—

- (क) प्रत्यक्ष एवं परोक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कर,
- (ख) आनुवातिक, प्रगतिशील, प्रगतिगामी तथा अधोगामी कर, तथा
- (ग) विशिष्ट एवं मूल्यानुसार कर।

(क) प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर

(Direct and Indirect Taxes)

इस प्रकार करो का वर्गीकरण भिन्न-भिन्न आधार पर किया जाता है। एक वर्गीकरण के अनुसार कर निम्नांकित दो प्रकार के होते हैं।—

- (1) प्रत्यक्ष कर (Direct Taxes), तथा
- (2) अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष कर (Indirect Taxes)।

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करो के बीच अन्तर कर के भार एवं कराघात के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। प्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो पूर्णतः उसी व्यक्ति द्वारा चुकाये जाते हैं जिसपर ये कर लगाय जाते हैं। दूसरे शब्दों में, जब किसी कर का आघात (Impact) एवं भार (Incidence) अन्तिम रूप से एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। ऐसे कर के भार को दूसरे व्यक्तियों पर नहीं डाला जा सकता। आय कर (Income Tax) इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। डॉल्टन (Dalton) के अनुसार 'प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका भुगतान वास्तव में उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिस पर यह कानूनी तौर से लगाया जाता है।' (A direct tax is really paid by the person on whom it is legally imposed)

इसके विपरीत, अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) वे कर हैं जिनका भुगतान दूसरे व्यक्तियों पर डाला जा सकता है। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार के कर का आघात (Impact) किंसा एक व्यक्ति पर पड़ता है जा इस कर के मौद्रिक भार (Incidence) को अन्य व्यक्तियों के कंधे पर टाल देता है। डॉल्टन (Dalton) के अनुसार "अप्रत्यक्ष कर किसी एक व्यक्ति पर लगाया जाता है, किन्तु उसका भुगतान पूर्णतः या अंशतः दूसरे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।" (An indirect tax is imposed upon one person but paid partly or wholly by another.) वस्तुओं और सेवाओं पर लगाये गये कर अप्रत्यक्ष कर होते हैं, जैसे—विक्रय कर (Sales Tax), आयात एवं निर्यात कर (Export and Import duties) इत्यादि। इन करो का करदाता वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य में कर के अनुसार वृद्धि कर इनके भार को उपभोक्ताओं पर टाल देता है।

इसी प्रकार हिमाकों के अनुसार प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसे वसूल करने के लिए करदाताओं का सूचा तैयार को जातो है तथा इस सूची के आधार पर एक निश्चित समय पर उनसे कर वसूल किया जाता है। इसके विपरीत परोक्ष कर वे कर हैं जो एक निश्चित काम करते समय ही वसूल किये जाते हैं। इसका कोई निर्धारित समय नहीं होता और न इनके करदाताओं

एक निश्चित सीमा से कम आयवालों पर इसका भार वित्तबुल नहीं पड़ता है। इस प्रकार यह धर देने की योग्यता के अनुसार लगाया जाता है।

(ii) मितव्ययिता (Economy) :—प्रत्यक्ष करों के वसूल करने में धर्च भी कम होता है, क्योंकि ये कर अधिक आय तथा सम्पत्ति वाले कुछ ही लोगों पर लगाये जाते हैं। साथ ही, अधिकांश कर स्रोत पर (at source) ही प्राप्त हो जाते हैं। अतः इनके द्वारा मितव्ययिता के सिद्धान्त (Canon of Economy) का भी पालन किया जाता है।

(iii) उत्पादकता (Productivity) :—प्रत्यक्ष कर उत्पादकता के नियम की भी संतुष्टि करते हैं, क्योंकि इन करों से पर्याप्त मात्रा में आय प्राप्त होती है। साथ ही, देश के आर्थिक विकास के साथ-साथ इन करों से प्राप्त आम भी बढ़ती जाती है। इस प्रकार इन करों से सरकार को पर्याप्त मात्रा में आय भी प्राप्त होती है।

(iv) लोचपूर्णता (Elasticity) :—प्रत्यक्ष कर लोचपूर्ण होते हैं। जनता की आय तथा सम्पत्ति में वृद्धि होने पर इनकी दर भी बढ़ायी जा सकती है और उनकी आय तथा सम्पत्ति घटने पर इनकी दर भी बढ़ायी-घटायी जा सकती है। साथ ही, सरकार इन करों में आवश्यकतानुसार वृद्धि भी कर सकती है। अतएव मुद्रा आदि आर्थिक संकट के समय इनसे अधिक आय प्राप्त की जा सकती है।

(v) निश्चितता (Certainty) :—प्रत्यक्ष कर निश्चितता के सिद्धान्त (Canon of certainty) का भी पालन करते हैं। इसमें कर-दाताओं को पहले से ही इन सारी बातों का ज्ञान रहता है कि उन्हें कर को कितनी मात्रा किस समय में तथा किस तरीके से भुगतान करनी है। साथ ही, राज्य को भी इस बात की जानकारी रहती है कि इन करों से सरकार को कितनी आम प्राप्त होगी।

(vi) प्रगतिशीलता (Progressiveness) :—प्रत्यक्ष करों का सर्वाधिक प्रमुख गुण यह है कि इन्हें प्रगतिशील बनाया जा सकता है। जिस व्यक्ति के पास जितनी ही अधिक आय और सम्पत्ति रहती है उस पर उतना ही अधिक कर लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में, इन करों को इस प्रकार से लगाया जा सकता है कि करों का सबसे अधिक भार अधिक चौड़े कंधों पर पड़े।

(vii) इस प्रकार के करों से नागरिकता का भाव जागृत होता है (These taxes develop civic consciousness) :—प्रत्यक्ष कर चुकाने पर हरेक नागरिक इस बात का अनुभव करता है कि वह राज्य को एक निश्चित रकम कर के रूप में चुकाता है। इससे उसमें राजनीतिक चेतना जागृत होती है। इस प्रकार प्रत्यक्ष कर कर-दाताओं को राज्य के नागरिक के रूप में अपने अधिकारों एवं दायित्वों के प्रति अधिक सचेत एवं सावधान बनाते हैं।

प्रत्यक्ष करों के दोष

(Demerits of Direct Taxes)

किन्तु उपरोक्त लाभों के साथ-साथ प्रत्यक्ष करों के कुछ दोष भी हैं जिनमें निम्नांकित उल्लेखनीय हैं :—

(i) कर भार का अधिक महसूस होना :—प्रत्यक्ष करों का आघात (Impact) एवं करभार (Incidence) दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ता है जिससे वह इन करों के भार को बहुत अधिक अनुभव करता है। इसका प्रभाव उसके भ्रष्टिष्क एवं कार्य क्षमता पर पड़ता है जिससे आयः लोप इन करों के विरुद्ध आवाज उठाते हैं।

(ii) प्रत्यक्ष कर अमुविधाजनक होते हैं (Direct taxes are inconvenient) :—प्रत्यक्ष करों में कुछ अमुविधाएँ भी होती हैं। इसमें कर-दाताओं को बहुत-सारी चीजों का हिसाब-किताब रखना पड़ता है जिसे अधिकारियों के समक्ष समय-समय पर जांच के लिए प्रस्तुत करना पड़ता है। इससे कर-दाताओं को अमुविधा का सामना करना पड़ता है।

(iii) इसमें कर अपवंचन की सम्भावना अधिक होती है (There can be evasion of direct taxes) :—प्रत्यक्ष करों का सीधा भार कर-दाताओं पर पड़ता है। इसलिए वे

अप्रत्यक्ष करों के दोष (Demerits of Indirect Taxes)

किन्तु परोक्ष अथवा अप्रत्यक्ष करों के विरुद्ध अनेक आपत्तियाँ उठायी जाती हैं जिनमें निम्न-लिखित मुख्य हैं—

(i) ये कर कर-दान योग्यता पर आधारित नहीं होते (These taxes are not based on ability to pay) :—परोक्ष करों में धनी एवं निर्धन दोनों ही वर्गों को कर लगी हुई वस्तु का उपभोग करने पर कर का भुगतान समान दर से करना पड़ता है जिससे व्यवहार में ये प्रतिगामी (Regressive) हो जाते हैं क्योंकि इनका भार धनिकों की अपेक्षा निर्धनों पर ही अधिक पड़ता है, अतः ये कर न्याय्य नहीं होते ।

(ii) अप्रत्यक्ष करों से समाज में आर्थिक विषमता फैलती है (Indirect Taxes tend to create inequalities in the society) :—ये कर समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं । ये कर प्रायः अनिवार्यताओं पर अधिक लगाये जाते हैं । चूंकि निर्धन व्यक्ति अपनी आय का अधिकांश भाग अनिवार्यताओं पर ही व्यय करते हैं, इसलिए इन्हें धनी व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक कर देना पड़ना है । इस प्रकार इस कर का भार धनी व्यक्तियों की अपेक्षा निर्धन व्यक्तियों पर ही अधिक पड़ता है जिससे ये कर प्रतिगामी (Regressive) हो जाते हैं । परन्तु वर-नीति ऐसी होनी चाहिए की समाज में धन का वितरण अधिक समान हो । अतः परोक्ष करों का यह दोष है कि ये धन के वितरण की असमानता को प्रोत्साहित करते हैं ।

(iii) ये कर प्रायः अनिश्चित होते हैं (These taxes are uncertain) :—अनिवार्यताओं पर लगे कर को छोड़कर अन्य करों में प्राप्त होनेवाली आय अनिश्चित होती है; क्योंकि उन वस्तुओं पर लगे करों की दर में वृद्धि होने से उनकी मांग बहुत कम हो जाती है, जिससे सरकार को आय भी घट जाती है । इसके अतिरिक्त कर की मात्रा तथा उसके वसूल करने का समय भी सदा अनिश्चित रहता है ।

(iv) इनमें मितव्ययिता नहीं रहती (Indirect Taxes are not economical) :—इन करों को वसूल करने में खर्च बहुत अधिक होता है जबकि इनसे प्राप्त आय इनकी अधिक नहीं होती ।

(v) उत्पादन पर बुरा प्रभाव (Adverse effects on Production) :—इन करों का उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । ये उपभोग की हतोत्साहित कर वस्तुओं की मांग को घटा देते हैं, अतएव इनमें उत्पादन भी कम होता है ।

निष्कर्ष (Conclusion) :—प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के गुण एवं दोषों के अध्ययन के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि किसी देश की कर-प्रणाली को न्यायपूर्ण बनाने तथा करदान योग्यता के सिद्धान्त पर आधारित करने के लिए इन दोनों ही करों को लगाना चाहिए । इन दोनों प्रकार के करों में किम पर कम जोर तथा किम पर अधिक जोर दिया जाय, यह देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है । कदापि परिस्थितियों में प्रत्यक्ष कर अच्छे होंगे तथा अन्य परिस्थितियों में अप्रत्यक्ष कर अच्छे होंगे ।

इस प्रकार किसी देश की कर-प्रणाली में इन दोनों प्रकार के करों का समन्वय अनिवार्य है । इस सम्बन्ध में ग्रेट स्कॉटमैन (Great Scottman) का निम्न कथन अधिक महत्वपूर्ण है—
“मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के विषय में और कुछ नहीं सोच सकता सिवा इसके कि मैं इन दोनों को दो आकर्षक बहनों की तरह मानूँ जो कि लन्दन के सुन्दर संसार में आयी हैं । दोनों ही विपुल भाग्यशालिनी हैं, दोनों के माता-पिता एक हैं—मेरा विश्वास है कि दोनों के माता-पिता आवश्यकता एवं आविष्कार हैं, इनमें अन्तर केवल इतना ही हो सकता है जितना कि दो बहनों में होता है ।” (I can never think of Direct and Indirect Taxes except as I should think of two attractive sisters who have been introduced into the gay world)

को नियंत्रित न किया जाय, तो विकास की गति मन्द पड़ने की संभावना रहती है। कृषि-प्रधान देशों की योजनाओं में कृषि-उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे यदि वृषक निजी उपभोग में ही लाते रहें तो बाजार के लिए कुछ भी अतिरिक्त नहीं बच पाता है या बहुत कम बच पाता है। इसलिए आवश्यक है कि कृषि-उत्पादन को वस्तुओं पर परोक्ष करारोपण के द्वारा इस प्रवृत्ति को रोक-पाम की जाय।

आनुपातिक, प्रगतिशील, प्रतिगामी तथा अधोगामी कर

(Proportional, Progressive, Regressive and Degressive Taxes)

करों का वर्गीकरण एक-दूसरे आधार पर निम्नांकित चार वर्गों में किया जाता है :—

- (1) आनुपातिक कर (Proportional Tax);
- (2) प्रगतिशील कर (Progressive Tax);
- (3) प्रतिगामी कर (Regressive Tax), तथा
- (4) अधोगामी कर (Degressive Tax)।

करों का यह वर्गीकरण करों को दर एवं कर-दाताओं को आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध पर आधारित है। अब इन करों का पृथक्-पृथक् रूप से निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया जाता है :—

(1) **आनुपातिक कर (Proportional Tax) :—** आनुपातिक कर वह कर है जिसकी दर सभी कर-दाताओं के लिए एक समान होती है। उदाहरण के लिए, 100 रुपये आय वाले व्यक्ति पर जब 5 प्रतिशत कर लगाया जाय और 1 लाख रुपये आयवाले पर भी 5 प्रतिशत ही कर लगाया जाय तो इसे आनुपातिक कर कहते हैं। आनुपातिक कर-प्रणाली के बहुते गुण हैं :—

(क) सरलता :— इस प्रकार को कर प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह बहुत ही सरल होती है। दूसरे शब्दों में, आनुपातिक कर सरलता के सिद्धान्त (Canon of simplicity) को पुष्टि करते हैं।

(ख) धन का वितरण पूर्ववत् ही रहता है — इसका दूसरा गुण यह है कि यह समाज में धन के वितरण को पूर्ववत् रखता है। इसका प्रधान कारण यह है कि इसमें कर की दर सभी के लिए एक समान होती है।

किन्तु आनुपातिक कर प्रणाली के निम्नांकित दोष भी हैं —

(i) यह न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है — इसका सर्वाधिक प्रमुख दोष यह है कि यह सामाजिक न्याय के सिद्धान्त के विलकुल विरुद्ध है, क्योंकि इसमें कर का बोझ कम आय वाले व्यक्तियों पर अपेक्षाकृत अधिक पड़ता है। उपरोक्त उदाहरण में 100 रुपये आय वाले व्यक्ति के लिए रुपये की सीमान्त उपयोगिता 1 लाख रुपये आय वाले व्यक्ति की अपेक्षा बहुत अधिक होगी, अतएव 100 रुपये आय वाले व्यक्ति पर कर का भार अपेक्षाकृत अधिक होगा।

(ii) लोच का अभाव :— आनुपातिक करों में लोच का भी अभाव रहता है। आनुपातिक करों से अधिक मात्रा में आय नहीं प्राप्त की सकती है क्योंकि इसमें करों की दरों में वृद्धि करने से निर्धन व्यक्तियों को कष्ट होता है।

(2) **प्रगतिशील कर (Progressive Tax) :—** प्रगतिशील कर वह कर है जिसकी दर आय में वृद्धि के साथ-साथ बढ़ती जाती है। इस प्रकार के कर के अन्तर्गत कम आय वाले व्यक्तियों को कम दर से कर देना पड़ता है तथा अधिक आय वाले व्यक्तियों को बढ़ती हुई यानी अधिक दर से कर देना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, आय में वृद्धि के साथ-साथ कर की दर भी बढ़ती जाती है। इस प्रकार की कर-प्रणाली में विभिन्न आय वाले को कुछ सामान्य वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है और इन्हीं वर्गों के अनुसार कर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए —

1000 रुपये तक की आय पर 5%।

1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की आय पर 10%।

शक्यता इत बात को है कि घनी व्यक्तियों पर भारी कर लगा कर धन प्राप्त किया जाय और उसे निर्धन व्यक्तियों के कल्याण पर व्यय किया जाय। इसके समाज में उपभोग को मात्रा पहले से अधिक होगी एवं रोजगार के माधनों में और अधिक वृद्धि होगी।

प्रगतिशील करों के दोष (Defects of Progressive Taxes)—आजकल तो प्रगतिशील करों को सर्वमान्यता प्राप्त हो गयी है, किन्तु प्राचीन समय में इनके विरुद्ध निम्नलिखित आलोचनाएँ भी दी जाती थी—

(अ) उत्पादन-शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव :—कुछ लोगों की राय में प्रगतिशील करों से वचत कम होती है, पूँजी का प्रवाह देश के बाहर होने लगता है और देश में उत्पादन कम होने लगता है। इसका प्रधान कारण यह है कि बड़े-बड़े आय तथा ऊँची ऊँची सम्पत्ति पर प्रगतिशील करों के अंतर्गत अधिक दरो में कर चुकाना पड़ता है। किन्तु वास्तविकता यह है कि कर का प्रभाव प्रत्येक वर्ग पर एक समान नहीं पड़ता। अधिक कर लगाने में कुछ व्यक्तियों की दवाने तथा कार्य करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव पड़ता है तो कुछ लोगों पर इसका अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। प्रगतिशीलता अधिक तीव्र होने से भी इसका वचत एवं कार्य करने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ब) आय की सीमान्त उपयोगिता का सही-सही अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता :—प्रगतिशील कर इस मान्यता पर आधारित है कि आय की सीमान्त उपयोगिता सभी व्यक्तियों के लिए एक समान नहीं है। किन्तु, वास्तव में मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता को मापने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है। संतुष्टि एक मानसिक स्थिति है, जिससे इसकी कोई माप नहीं की जा सकती। अतएव यह पता लगाना कि आय में कितनी वृद्धि से मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता में कितनी कमी दर्ई, बहन कठिन हो जाता है।

(स) कर निर्धारण में मनमाने ढंग से काम लिया जाता है :—इस प्रकार के कर के विरुद्ध यह कहा जाता है कि प्रगतिशील करों की दरों के निर्धारण में मनमाने ढंग से काम लिया जाता है। प्रगतिशीलता का क्या आधार होना चाहिए इसका कोई निश्चित मानदण्ड नहीं है। अतएव इससे इस प्रकार को कर प्रणाली में अन्याय की गुंजाइश बहुत अधिक रहती है। इस सम्बन्ध में मैक कुलो (MacCulloch) का निम्न कथन दुहराया जा सकता है—“अब आप सरल सिद्धान्त (अनुपाति करों) को छोड़ देते हैं तो आप समुद्र में बिना किसी पतवार और कतुबनुमा के हो जाते हैं और कोई भी मात्रा अन्याय को नहीं होगी, जो आप न कर सकें।” किन्तु इसके विरुद्ध यह भी कहा जाता है कि कर-निर्धारण को हर एक प्रणाली में करों के निर्धारण की कोई प्रामाणिक माप तो अभी तक निश्चित नहीं की जा सकी है। साथ ही, यदि अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति करने में कुछ लोगों के साथ अन्याय भी हो, तो इसे बुरा भी नहीं कहा जा सकता।

(द) यह ईमानदारी पर कर है :—कुछ लोगों का कहना है कि प्रगतिशील करों में एक प्रकार से ईमानदारी एवं बुद्धिमानों को सजा दी जाती है। वे लोग जो अपव्यय एवं बेकार हैं उन्हें कर नहीं देना पड़ता। इसके विपरीत जो अधिक परिश्रमी एवं बचत करने वाले होते हैं उन पर कर का भार अधिक पड़ता है। मिल तो इस प्रकार के कर को अति अन्यायपूर्ण समझते थे और करों की प्रगतिशीलता उनके लिए प्रगतिशील चोरी की तरह थी। किन्तु इस प्रकार की आलोचना में कोई तथ्य नहीं है क्योंकि सरकार करों को जनता के बीच व्यय करने के लिए ही जमा करती है।

डिमाकों के विचार :—प्रो० डिमाकों के अनुसार करों में प्रगतिशीलता आर्थिक कारणों से ही नहीं, बल्कि राजनैतिक कारणों से स्थापित की जाती है। इनके अनुसार आनुपातिक एवं प्रगतिशील कर-सम्बन्धी विवेचन वस्तुगत (Objective) और भावात्मक (Subjective) दृष्टिकोण से नहीं किया जा सकता है। डिमाकों का विचार है कि कर वह देन है जो व्यक्ति राजकीय सेवाओं के उपभोग के बदले में देना है। प्रत्येक व्यक्ति राजकीय सेवाओं का उपयोग अपनी आय के अनुमान में ही करता है, अतएव जो व्यक्ति जितनी ही अधिक आय कमाता है उसे उतना ही अधिक

अर्द्ध-विकसित देशों में प्रगतिशीलता का सिद्धांत

(Principle of Progression in Under developed Countries)

अब अर्द्ध विकसित देशों में प्रगतिशीलता के सिद्धान्त के सम्बन्ध में यहाँ पर कुछ विचार करना अनिवार्य है। अधिकांश विद्वानों की यह धारणा है कि प्रगतिशीलता का सिद्धांत व्यापक रूप से विकसित तथा अर्द्ध विकसित दोनों ही प्रकार की आर्थिक व्यवस्थाओं में लागू होता है। किन्तु धारस्तविकता कुछ और ही है। आर्थिक दृष्टि से विकसित राष्ट्रों में प्रगतिशील करों का उद्देश्य समाज में आय के वितरण की विषमता को दूर करना होता है। किन्तु अर्द्ध विकसित तथा अर्द्ध विकसित देशों में राजस्व सम्बन्धी नीति का प्रधान उद्देश्य धन एवं आय के वितरण की विषमता को दूर करना नहीं होकर तीव्र गति में आर्थिक विकास होता है। तीव्र विकास के लिए अधिक मात्रा में विनियोग की आवश्यकता पड़ती है जो अधिक आय वाले व्यक्ति से कर सकते हैं। साथ ही अर्द्ध विकसित देशों में प्रगतिशीलता का सीमित मात्रा में ही प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि इस प्रकार की अर्थ व्यवस्था में प्रत्यक्ष करों का बड़े पैमाने पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि अर्द्ध विकसित आर्थिक व्यवस्था वाले देशों में परोक्ष करों का अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व होता है। अतएव अर्द्ध विकसित अथवा अर्द्ध विकसित देशों में प्रगतिशीलता के सिद्धान्त का प्रयोग सीमित क्षेत्र में ही सम्भव है।

विशिष्ट कर तथा मूल्यानुसार कर

(Specific Taxes and Ad Valorem Taxes)

विशिष्ट कर (Specific Tax) — जब किसी वस्तु पर उसके वजन अथवा उसकी इकाई या आकार के अनुसार कर लगाया जाता है, तब इसे विशिष्ट कर या आकारानुसार कर (Specific Tax) कहते हैं, जैसे—प्रति गैलन पेट्रोल पर कर। इस प्रकार के कर को एकर करना सरल एवं सुविधाजनक होता है। यदि कर वजन के अनुसार लगाया जाता है तो यह अपेक्षाकृत बहुत ही सुविधाजनक होता है। परन्तु यदि कर वस्तु की इकाई के अनुसार लगाया जाता है, तब, इसमें अपेक्षाकृत कुछ अनुविधा होती है।

मूल्यानुसार कर (Ad valorem Tax) — जब किसी वस्तु पर उसके मूल्य के अनुसार कर लगाया जाता है तब उसे मूल्यानुसार कर (Ad-Valorem Tax) कहते हैं जैसे—कपड़े पर 10 पैसे प्रति रुपये का कर। इस प्रणाली में कपड़े का आकार या वजन चाहे कुछ भी हो, परन्तु कर इसके मूल्य के अनुसार ही लिया जाता है। इस प्रकार के कर विशिष्ट करों की तुलना में अधिक न्यायसंगत होते हैं क्योंकि इनका भार प्रायः धनिकों पर अधिक पड़ता है। इस कर को लागू करने में बहुत अधिक कठिनाई होती है क्योंकि किसी वस्तु का मूल्य ठीक ठीक मापना कठिन होता है। इसलिए इस प्रकार का कर साधारणतः करदाता की ईमानदारी पर ही निर्भर करता है। इसमें करदाता कर से बचने में बहुत कुछ सफल हो जाता है।

विशेष अध्ययन सूची

- | | |
|--------------------|--|
| 1 Dalton | Public Finance. |
| 2 Prest | Public Finance in Under-developed Countries, |
| 3 Divitti de Marco | First Principle of Public Finance |

(ख) काम करने तथा बचाने की इच्छा पर प्रभाव (Effects of taxation on will to work and save).—करारोपण का व्यक्ति को काम करने तथा बचाने की इच्छा पर भी प्रभाव पड़ता है। किन्तु इस प्रकार के प्रभाव को मापना कठिन है क्योंकि इच्छा एक मानसिक स्थिति है। कर लगाने से कर-दाताओं के मन में विभिन्न प्रकार की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएँ (Psychological Reactions) उत्पन्न होती हैं। किन्तु इस प्रकार का प्रभाव मुख्यतः उस व्यक्ति की आय की माग की लोच पर निर्भर करता है। यदि किसी व्यक्ति ने यह निश्चय कर लिया है कि उसे एक निश्चित मात्रा में आय प्राप्त करनी है, चाहे इसके लिए उसे कितना भी अधिक परिश्रम क्यों न करना पड़े तो आय के लिए उसकी माग बलोच वही जायगी। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति की आय के लिए माग बलोच है तो करारोपण से उसकी काम करने तथा बचाने की इच्छा कम नहीं होगी। इसका विपरीत यदि किसी व्यक्ति की आय की माग लोचदार है, यानी वह अपनी आय बढ़ाने के लिए अधिक परिश्रम करने को तैयार नहीं है, तो करारोपण का उसकी काम करने तथा बचाने की इच्छा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इससे स्पष्ट है कि यदि व्यक्ति को आय के लिए माग लोचदार है तो करारोपण का उसकी काम करने तथा बचाने की इच्छा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। किन्तु यहाँ यह देखा आवश्यक है कि यदि करारोपण बहुत प्रगतिशील है तो मनुष्य को आय प्राप्त करने तथा बचाने की इच्छा अवश्य ही प्रभावित हो जायगी क्योंकि ऐसा स्थिति में पुरानी आय को बनाय रखने के लिए उस व्यक्ति को बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। किन्तु करारोपण का प्रभाव परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति के समय में कर लगाया गया है तो उससे काम करने तथा बचाने की इच्छा पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐसे समय में लाभ वा आशा भी बहुत अधिक रहती है। इसके विपरीत मन्दी काल में एक साधारण कर भी काम करने तथा बचाने की इच्छा को बहुत अधिक प्रभावित कर सकता है।

(ग) आर्थिक साधना के पुनर्वितरण पर प्रभाव.—जहाँ तक आर्थिक साधनों के पुनर्वितरण का सम्बन्ध है, कुछ कर ऐसे हात हैं जिनका पुनर्वितरण पर प्रायः कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे आकस्मिक लाभ, भूमि का स्थान पर कर, एकाधिकार पर कर इत्यादि। ऐसे कर सम्पत्ति के उपयोगों पर प्रायः समान प्रभाव डालते हैं। इसके विपरीत कुछ कर ऐसे हैं जिनसे उत्पादन में वृद्धि होती है, या समाज को सामान्य रूप से लाभ होता है। मादक द्रव्यों अथवा उपभोग की अन्य हानिकारक वस्तुओं पर कर का प्रभाव प्रायः इसी प्रकार होता है। इन पर कर लगाने से इनका उपभोग हतोत्साहित होता है तथा इनमें लगी पूँजी एवं श्रम अन्य उद्योगों में प्रयोग किये जाने लगते हैं। इस प्रकार जो धन उपभोक्ता पहले इन वस्तुओं के उपभोग पर व्यय करता था वह अब इन पर नहीं व्यय करके अच्छी एवं लाभप्रद वस्तुओं पर व्यय करेगा। इन दोनों ही बातों के कारण विनियोग को प्रोत्साहन मिलेगा तथा देश की आर्थिक उन्नति होगी। इनसे व्यक्तियों की कार्य-क्षमता में भी वृद्धि होगी। इसी प्रकार का प्रभाव विलासिता की वस्तुओं पर कर लगाने से भी पड़ेगा। इससे साधनों का स्थानान्तरण सामाजिक हित में लाभप्रद होगा। किन्तु, कर्म-कर्म साधनों का पुनर्वितरण समाज के लिए हानिकारक भी सिद्ध होता है। अधिकांश करो का प्रभाव इसी प्रकार से पड़ता है। इस प्रकार करारोपण का धन के उत्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

(2) करारोपण का धन के वितरण पर प्रभाव

(Effects of Taxation on Distribution of Wealth)

अब इस बात की व्याख्या की जायगी कि करारोपण का वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? धन एवं आय के वितरण में व्याप्त विषमता का राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन पर बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ता है। अतएव आजकल राजस्व की क्रियाओं का प्रधान उद्देश्य धन की इन विषमताओं को कम करना है। करो का भी आजकल प्रायः यही उद्देश्य होता है। प्राचीन लेखक करो केवल आय-प्राप्ति का साधन मात्र मानते थे। उनलोगों के अनुसार राज्य का न तो कोई दूसरा कर्तव्य है और न कोई अतिरिक्त लाभ ही है। किन्तु समय की प्रगति के साथ-साथ अब अधिकांश लेखकों की यह राय हो गयी है कि राजकीय व्यय

वास्तव में, आय पर कर लगाने से व्यक्तियों की संतुष्टि उतनी कम नहीं प्राप्त होती जितना कि वस्तुओं पर कर लगाने से, क्योंकि वस्तुओं पर कर लगाने से इनके मूल्य में वृद्धि होती है, अतएव उपभोक्ताओं को इनका उपभोग कम करना पड़ता है।

करारोपण एवं आर्थिक स्थायित्व (Taxation and Economic Stability)

जिस प्रकार से राजकीय व्यय द्वारा आर्थिक जीवन को स्थायी बनाया जा सकता है, उसी प्रकार करों के द्वारा भी देश की आर्थिक क्रियाओं का नियमन कर देश में मूल्य-तल एवं रोजगार के स्तर को स्थायी बनाया जा सकता है और पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थापित की जा सकती है। प्रो० लर्नर (Lerner) के अनुसार करारोपण वा एक-मान उद्देश्य देश में आर्थिक क्रियाओं अर्थात् उत्पादन, वितरण एवं उपभोग-सम्बन्धी क्रियाओं के आकार को नियमित बनाना होना चाहिए। वास्तव में, करारोपण वा कोई भी उद्देश्य क्यों न हो इतना अवश्य है कि इनका आर्थिक क्रियाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। करारोपण व्यक्तियों के उपभोग एवं विनियोग को प्रभावित कर व्यापार, उद्योग एवं रोजगार की स्थिति को प्रभावित करता है। मुद्रा-स्फीति के समय में करों द्वारा शक्ति में कमी की जा सकती है और इस प्रकार क्रय शक्ति को कम कर मूल्य में वृद्धि की प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। आय-कर तथा व्यय कर इस सम्बन्ध में अधिक प्रभावपूर्ण सिद्ध होते हैं। चूंकि मुद्रा-स्फीति मुख्यतः मुद्रा के परिमाण में वस्तुओं की मात्रा के कम होने के कारण उत्पन्न होती है, अतएव कुछ विशेष प्रकार के करों में छूट के द्वारा भी उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। इसके विपरीत मन्दी काल में करों में छूट एवं राजकीय व्यय में वृद्धि की आवश्यकता पड़ती है।

इस प्रकार मुद्रा-स्फीति में नये नये करों को लगाकर तथा पुराने करों की दरों में वृद्धि कर एवं मुद्रा संकुचन के समय में करों में छूट देकर मूल्य तल एवं रोजगार को स्थायी बनाया जा सकता है। वास्तव में, आजकल प्रत्येक देश को राजस्व नीति वा प्रधान उद्देश्य आर्थिक स्थायित्व ही हो गया है।

विशेष अध्ययन सूची

- | | |
|----------------------|--|
| 1 Dalton | Public Finance, Chapters X to XIII. |
| 2 Taylor | The Economics of Public Finance, Chapter 26. |
| 3 Allen and Brownlee | Economics of Public Finance, Chapter XIII |

यहाँ कर के भार (Incidence of tax) एवं कर के प्रभाव (Effects of taxation) में भन्तर देखना आवश्यक है। कर का भार तथा कर का प्रभाव दोनों दो पृथक् चीजें हैं। ये वस्तुतः एक दूसरे से भिन्न हैं। जब करारोपण से करदाता अपने उपभोग या बचत का कार्य करने में हतोत्साहित होता है, या वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है तो इसे कर का प्रभाव कहते हैं। किन्तु कर के भार (Incidence of Taxation) में इन बातों के अध्ययन पर ध्यान नहीं दिया जाता। कर-भार के अध्ययन का सम्बन्ध तो केवल इस बात से है कि वास्तव में कर की राशि का अन्तिम रूप में कौन भुगतान करता है। कर के प्रत्यक्ष मौद्रिक भार के अतिरिक्त उसके अन्य प्रभाव भी होते हैं, जैसे—अप्रत्यक्ष मौद्रिक भार, प्रत्यक्ष वास्तविक भार तथा परोक्ष वास्तविक भार। डाल्टन (Dalton) ने इनमें भा अन्तर किया है। उपरोक्त उदाहरण में यदि उत्पादक मूल्यों को कर की मात्रा के अनुसार बढ़ाने में सफल हो जाते हैं तो कर का प्रत्यक्ष भार चीनी के उपभोक्ताओं पर पड़ता है जिन्हें मूल्य की वृद्धि के कारण अधिक मूल्य देना पड़ता है। किन्तु, यदि उत्पादक पहले से ही कर के रूप में कुछ धन सरकार को देते हैं, जो कई वर्षों में चीनी के स्टॉक की समाप्ति के बाद वसूल होता है तो उत्पादकों को ब्याज वगैरह के रूप में निश्चय ही हानि उठानी पड़ती है। इसे कर का अपरोक्ष मौद्रिक भार कहते हैं जो उत्पादकों को वहन करना पड़ता है। यह कर-भार के अध्ययन में सम्मिलित नहीं रहता है। मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप निधन उपभोक्ताओं को अधिक कठिनाई उठानी पड़ती है तथा उन्हें धनको की अपेक्षा अपनी आय का अधिक भाग व्यय करना पड़ता है। इस प्रकार उन पर कर का प्रत्यक्ष वास्तविक भार अधिक पड़ता है। इसके विपरीत करारोपण के परिणामस्वरूप चीनी के मूल्य में वृद्धि से उपभोक्ताओं को या तो चीनी का उपभोग कम करना पड़ता है या यदि ऐसा नहीं करते तो उन्हें अन्य वस्तुओं का उपभोग कम करना पड़ता है। दोनों ही प्रकार से उनका कुल सन्तोष कम होता है। इसे कर का परोक्ष वास्तविक भार कहते हैं। यह भी कर-भार के अध्ययन के क्षेत्र से बाहर है। श्रीमती हिक्स ने उपरिक्त (Formal) कर-भार तथा प्रभाव युक्त (effective) कर-भार में भी अन्तर किया है। इनके अनुसार, “कर-दाताओं पर पड़नेवाले करों के भार दो विचारों से सम्बन्धित हैं। प्रथमतः उस विधि को सांख्यिकीय गणना है जिसके द्वारा किसी विशेष कर से आय प्राप्त की जाती है, यानी वस्तु का बाजार-मूल्य जिस पर कर लगाया जाता है और उसकी उत्पादन लागत के बीच के अन्तर को नागरिकों के बीच विभाजित किया जाता है। इस गणना के परिणाम को उपरिक्त (Formal) भार कहते हैं।” इससे स्पष्ट है कि हिक्स के अनुसार कर का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार ही कर का उपरिक्त भार है। श्रीमती हिक्स के अनुसार, “किसी कर के सम्पूर्ण आर्थिक परिणामों का पता लगाने के लिए हमें दो चित्र बनाने पड़ते हैं और उनकी तुलना करनी पड़ती है। एक वह आर्थिक स्थिति है जो कर विशेष के लागू होने से उत्पन्न होती है और दूसरी वह जो कर के अभाव में उत्पन्न होती है। इन दोनों के अन्तर को कर का भार कहना सुविधाजनक होगा।”

कर-भार के अध्ययन का महत्त्व (Importance of the Study of Incidence of Taxation)—आधुनिक समय में कर के भार (Incidence of Tax) के अध्ययन का बहुत अधिक महत्त्व है। इसका कारण यह है कि आजकल करारोपण के द्वारा सरकार का उद्देश्य केवल सांख्यिकीय व्यय के लिए पथाप्त मात्रा में रकम प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि इसके द्वारा समाज में धन एवं आय के वितरण को समान बनाना तथा उत्पादन पर पड़ने वाले इसके बुरे प्रभावों को रोकना भी है। विभिन्न व्यक्तियों पर कर-भार के न्यायपूर्ण वितरण पर ही करारोपण की न्यायशीलता निर्भर करती है। परन्तु यह पता लगाने के लिए कि कर का भार न्यायपूर्ण है या नहीं, वित्त मंत्री को यह पता लगाना पड़ता है कि विभिन्न वर्गों पर करों का मौद्रिक-भार किस प्रकार से पड़ता है। कर-विवर्तन के कारण करारोपण का उद्देश्य ही बदल जाता है। उदाहरण के लिए, सरकार एक विशेष वर्ग पर कर लगाना चाहती है, किन्तु इसका वास्तविक मौद्रिक-भार किसी दूसरे वर्ग पर पड़ता है तो इससे कर लगाने का उद्देश्य पूरा नहीं होता। इस प्रकार कर-भार की समस्या का अध्ययन आजकल विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हो गया है।

किन्तु कर-भार की समस्या के अध्ययन में हम अनेक कठिनाइयों का सामान करना पड़ती है। सर्वप्रथम कठिनाई तो मूल्य-तल में निरन्तर चढ़ाव-उतार की है। मूल्यों में परिवर्तन करा-

केवल भूमि से ही आधिक्य (Surplus) का उत्पादन नहीं होता, बरन् व्यापारी तथा श्रमिक भी आधिक्य उत्पन्न करते हैं, अतएव कर का भार सम्पूर्ण समाज पर फैलता है। हैमिल्टन ने ब्रिटिश संसद में इस सम्बन्ध में यह कहा था कि "प्रसार के आशावादी सिद्धान्त से बदाचित्त अधिक सच्चाई यह है कि करो की प्रवृत्ति फैलने तथा समान होने की रहती है और यदि वे निश्चित तथा एकात्मिकता से लगाय जायें तो वे प्रसारित होकर प्रत्येक सम्पत्ति पर ही अपना भार डालेंगे।" इसी प्रकार लार्ड मेसफिल्ड का कहना था कि "कर उस पत्थर के समान है, जो झील में गिरते हुए एक गोला बनाता है जो दूसरे गोलों को बनाता है और गति प्रभावित करता है।" इस प्रकार सम्पूर्ण परिधि में हलचल हो जाती है। अतएव प्रसार के सिद्धान्त का सार इस बात में है कि किसी वस्तु पर जो कर लगाया जाता है उसका भार सम्पूर्ण समाज पर पड़ता है। इसमें किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं रहता।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि इन दोनों सिद्धान्तों में बहुत कुछ समानता है। ये दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं कि कर का भुगतान आधिक्य आय से होता है। अन्तर इतना ही है कि निर्वाचावादी केवल भूमि को उपज की ही आधिक्य आय मानने थे, किन्तु फ्रांसीसी लेखकों के अनुसार प्रत्येक वस्तु के उत्पादन से आधिक्य प्राप्त होता है। व्यक्तिगत रूप से देखने पर निर्वाचावादी सिद्धान्त का दावा यह है कि कृषि ही केवल एक-मात्र उत्पादक व्यवसाय नहीं है। दूसरी ओर, फ्रांसीसी अर्थशास्त्रियों का यह विचार है कि कर का भार अन्त में सभी व्यक्तियों पर फैलता है, भी उचित नहीं है क्योंकि सभी करो का विवर्तन नहीं हो सकता। कर-विवर्तन के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। अतएव यह विचार भी उचित नहीं जान पड़ता।

आधुनिक विचार — करो के विवर्तन के आधुनिक सिद्धान्त में विनिमय, अर्थ एवं मूल्य का सहारा लिया गया है। आधुनिक लेखकों के अनुसार करो का भुगतान केवल आधिक्य से ही होता है। यदि किसी व्यक्ति को कोई भी आधिक्य प्राप्त होता है तो वह कर का भुगतान अवश्य करेगा और यदि कोई भी आधिक्य प्राप्त नहीं हो रहा है तो उस कर का विवर्तन उस समय तक होगा जब तक कि ऐसी परिस्थिति नहीं उत्पन्न हो जाती है कि उसे आधिक्य प्राप्त होने लगे। यदि किसी वस्तु पर कर लगाया जाता है और उस वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता दोनों को आधिक्य प्राप्त हो रहा है तो कर का भार दोनों व्यक्तियों को वहन करना पड़ेगा। इन लोगों के अनुसार कर भी उत्पादन-लागत का एक अंग है। अतएव वस्तु का मूल्य ऐसा होना चाहिए कि उससे कर का भुगतान भी किया जा सके। यदि कर की पूर्ति वर्तमान मूल्यों से ही हो जाती है तो इसका अर्थ यह है कि वर्तमान मूल्यों पर ही आधिक्य प्राप्त हो रहा है। यदि वर्तमान मूल्यों में भुगतान नहीं होगा तो मूल्य उस समय तक बढ़ेगा जब तक कि कर का पूरा-पूरा भुगतान नहीं होने लगे। अतएव कर-विवर्तन केवल उसी समय तक होता है जब तक कि विनिमय का कार्य किया जाय। इस प्रकार कर-दाता कितना कर दूसरों पर टाल सकता है, यह कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कर की प्रकृति वस्तु के उत्पादन की परिस्थितियाँ, वस्तु की माँग एवं पूर्ति की लोच इत्यादि।

कर-भार वस्तुओं की माँग एवं पूर्ति की लोच पर निर्भर करता है — कर का भार (Incidence of Tax) वस्तुओं की माँग एवं पूर्ति की लोच पर भी निर्भर करता है। यदि अन्य बातें समान रहे तो वस्तुओं की माँग जितनी ही अधिक लोचदार होगी उतना ही अधिक कर का भार विक्रेताओं पर पड़ेगा। इसके विपरीत वस्तु की पूर्ति जितनी ही अधिक लोचदार होगी, कर का भार उतना ही अधिक उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। माँग के बेलोचदार होने का अर्थ यह है कि मूल्य में वृद्धि का वस्तु की माँग पर प्रायः कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतएव करारोपण के कारण यदि मूल्य बढ़ता भी है तो उपभोक्ता उतनी ही मात्रा में वस्तुओं का भ्रय करेंगे। इसके विपरीत माँग अधिक लोचदार होने का अर्थ यह है कि मूल्य बढ़ने से माँग कम होगी और मूल्य घटने से माँग बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में करारोपण के परिणामस्वरूप मूल्य में जो वृद्धि होगी उससे माँग कम होगी। अतएव सामान्य रूप से वस्तु की माँग लोचदार होने पर कर का भार व्यापारियों को वहन करना पड़ेगा तथा बेलोचदार होने पर उपभोक्ताओं को।

इसी प्रकार पूर्ति के लोचदार होने का तात्पर्य यह है कि कर लगाने से माँग में जो कमी होती है उसके अनुसार पूर्ति को कम किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विक्रेता कर भार उप-

निश्चित राशि में कर लगा दिया जाता है, तो इस कर का विवर्तन वह उपभोक्ताओं पर नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि एकाधिकारी अपने लाभ की मात्रा को अधिकतम करने के लिए पहले से ही मूल्य अथवा पूर्ति को नियन्त्रित किये हुए रहता है। अतएव कर लगाने के बाद यदि वह अपनी पूर्ण निश्चित योजना में कोई परिवर्तन करता है तो उसका कुल लाभ कम हो जायगा और यदि वह अपनी पूर्ण निश्चित योजना में कोई परिवर्तन नहीं करे तो कर देने के बाद भी उसका लाभ अधिकतम होता है। इसी प्रकार यदि एकाधिकारी के कुल लाभ या कुल विप्री के अनुसार कर लगाया जाय तो उसका भी विवर्तन नहीं हो सक्ता क्योंकि कर की राशि तो कुल लाभ प्राप्त अथवा कुल विप्री ही जाने के पश्चात् ही निर्धारित होगी, इसलिए कर का उपभोक्ताओं पर विवर्तन नहीं किया जा सकेगा। किन्तु व्यवहार में प्रायः यह देखा जाता है कि एकाधिकारी प्रोताओं से साधारणतया एकाधिकार-मूल्य में कम ही मूल्य लेता है और जब कर लगाया जाता है तो अपने प्रोताओं को एकाधिकार-मूल्य पर वस्तु बेचना पारम्भ कर देता है। किन्तु इसे भी कर विवर्तन नहीं कहा जा सकता। कर विवर्तन वास्तव में उसी स्थिति में संभव है जबकि एकाधिकारी पर उसकी उत्पत्ति के अनुसार कर लगाया जाय, यानी उत्पत्ति बढ़ने के साथ-साथ कर भी बढ़ता जाय और उत्पत्ति कम होने के साथ-साथ कर भी कम होता जाय। इस प्रकार का कर उत्पादन व्यय का एक अंग बन जायगा। किन्तु, एकाधिकार की स्थिति में एकाधिकारी जिस मात्रा में या जिस अंश तक का विवर्तन कर सकेगा या अपने प्रोताओं से वसूल कर सकेगा, यह वस्तु की पूर्ति एवं माग की लोच के अनुपात पर निर्भर करता है।

कर-भार एवं स्थानापन्न वस्तुएँ — कर-भार की समस्या के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि स्थानापन्न वाली वस्तुओं के कर का भार किस प्रकार निश्चित होता है। स्थानापन्न वाली वस्तुओं पर कर लगाने से यदि उसका मूल्य बढ़ जाता है, तो उपभोक्ता शीघ्र ही उनका उपयोग छोड़कर उसकी दूसरी स्थानापन्न वस्तुओं का उपभोग प्रारम्भ कर देंगे जिस पर कोई कर नहीं है। ऐसी स्थिति में कर का भार विक्रेताओं पर पड़ेगा। किन्तु कभी-कभी इन वस्तुओं के कर का भार उपभोक्ताओं को भी वहन करना पड़ता है। यह विशेषतः उन वस्तुओं के सम्बन्ध में होता है जिनके उपभोग के लोग अभ्यस्त हो जाते हैं। ऐसा तब तब होता है जब तक कि उपभोक्ता स्थानापन्न वस्तुओं के उपभोग की आदत नहीं उत्पन्न कर लेते हैं।

अब यहाँ पर कुछ विभिन्न प्रकार के करों के भार की विस्तारपूर्वक व्याख्या की जायगी।

आयात तथा निर्यात करों का भार (Incidence of Import and Export duties) — आयात एवं निर्यात करों का भार व्यापार की जानेवाली वस्तुओं की माग की लोच पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि भारत एवं पाकिस्तान के बीच व्यापार हो रहा हो और भारत के लिए पाकिस्तान की बपास की माग विलोच हो, परन्तु पाकिस्तान के लिए भारतीय कपड़े की माग लोचदार हो तो ऐसी स्थिति में आयात एवं निर्यात करों का भार मुख्यतः भारत को ही वहन करना पड़ेगा। इसका कारण स्पष्ट है। भारत को पाकिस्तान से बपास मँगानी ही होगी चाहे पाकिस्तान कितना भी निर्यात-कर क्यों न लगा दे। दूसरी ओर, भारत कपड़े पर आयात कर नहीं लगा सकता। यद्यपि कुछ लोग यह कहते हैं कि इन करों का भार सर्वद्वय उसी देश पर पड़ता है जो उन्हें लगाता है यानी इसमें कर के भार को विदेशियों पर नहीं टाला जा सकता, किन्तु इस प्रकार का मत वास्तव में भ्रमात्मक है। यदि किसी देश को कोई एक वस्तु के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है तो वह देश उस वस्तु के निर्यात पर लगाये गये कर के भार को दूसरों पर टाल सकता है तथा विदेशी जो वस्तु इसके बदले में निर्यात करेंगे उसका आयात कर भी विदेशियों को ही वहन करने के लिए बाध्य कर सकता है।

हालटन के अनुसार आयात एवं निर्यात करों को विनिमय पर एक प्रकार का बाधा माना जा सकता है और इस प्रकार की बाधा के प्रत्यक्ष मौद्रिक भार को विनिमय के दोनों पक्षों के बीच उनकी माग की लोच के विपरीत अनुपात में विभाजित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में 'इनका विभाजन उसको क्रमिक आवश्यकताओं की तात्कालिकता के प्रत्यक्ष अनुपात में होता है। (Taxes on export and imports may be regarded as an obstacle to exchange and the direct money-burden of any such obstacle is divided between the two

अध्याय : 59

सार्वजनिक ऋण (Public Debt)

सार्वजनिक ऋण क्या है ? (What is Public debt ?) —सार्वजनिक ऋण राज्य द्वारा लिया गया ऋण है। यह राज्य की आय का एक प्रधान साधन है और विगत कुछ वर्षों से यह राजकीय वित्त-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। सरकार द्वारा ऋण लेने की प्रणाली 19 वीं शताब्दी में प्रारम्भ हुई। 18 वीं शताब्दी तक इसे कोई नहीं जानता था। आवश्यकता पड़ने पर राजा वगैरह अपनी साख पर ही ऋण ले लिया करते थे। किन्तु, 19 वीं शताब्दी में इन निजी ऋणों का स्थान सार्वजनिक ऋणों में ग्रहण कर लिया और एक बार प्रारम्भ होने पर इसका विकास बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। ऋण लेने के सम्बन्ध में राज्य और व्यक्ति में कोई आमूल अन्तर नहीं है। जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब उसे अपनी आय से अधिक खर्च करना पड़ता है, उसी प्रकार राज्य को भी विशेष परिस्थितियों में अपनी आय से अधिक व्यय करना पड़ता है और इस कमी की पूर्ति के लिए उसे ऋण लेना पड़ता है। कभी-कभी जैसे—आर्थिक संकट, युद्ध, अवाल वगैरह के समय ऋण लेना इतना अधिक आवश्यक हो जाता है कि यदि ऋण नहीं लिया जाय तो देश का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायगा। इस प्रकार आधुनिक समय में सार्वजनिक ऋण के साधनों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। सार्वजनिक ऋण सरकार की आय का एक प्रधान साधन है, किन्तु यह स्थायी नहीं होती क्योंकि राज्य जो ऋण लेता है उसे लौटना पड़ता है। अतएव सार्वजनिक ऋण को केवल अल्पकालीन दृष्टि से ही आय कहा जा सकता है, दीर्घकालीन दृष्टि से नहीं। साथ ही, सरकारों को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि ऋण लेना खुशहाली का द्योतक नहीं है, अतः केवल उत्पादक कार्यों के लिए ही सरकारोंको ऋण लेना चाहिए। (Government must remember that borrowing is not a short cut to prosperity and a policy of borrowing must not be resorted to except for what can reasonably be regarded as productive expenditure —Shirras.)

सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत ऋण में अन्तर (Distinction between Public and Private Debts) —यद्यपि राज्य भी व्यक्तियों की तरह ऋण प्राप्त करता है, फिर भी इन दोनों प्रकार के ऋणों की व्यवस्था एवं इनके उपयोग के क्षेत्र में कुछ मौलिक अन्तर हैं।

वास्तव में, सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत ऋण में निम्नांकित प्रधान अन्तर हैं :—

(1) व्यक्तिगत ऋण व्यक्ति केवल लाभ के उद्देश्य से होता है, किन्तु राज्य अपने नागरिकों के लाभ के लिए ही ऋण लेता है। इसलिए सरकार को आन्तरिक ऋण प्रदान करनेवालों को भी उस ऋण से लाभ होता है क्योंकि सरकार अपने देशवासियों की भलाई के लिए ही उसे खर्च करती है।

(2) व्यक्तिगत ऋण बहुधा अल्पकालीन होते हैं क्योंकि एक व्यक्ति की आय सीमित एवं अनिश्चित होती है तथा ऋण भुगतान का दायित्व केवल व्यक्ति के ऊपर ही होता है। दूसरी ओर, राज्य व्यक्तियों की तरह अस्थायी नहीं है। व्यक्ति आते-जाते रहते हैं, किन्तु राज्य सदा अपने स्थान पर टिका रहता है। अतएव राज्य के ऋण बहुधा दीर्घकालीन होते हैं।

(3) राज्य के पास सत्ता होती है, अतएव यह नागरिकों को ऋण देने तथा कम व्याज लेने के लिए भी बाध्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त नागरिक भी देश प्रेम की भावना से प्रभावित होकर राज्य को ऋण देते हैं। किन्तु व्यक्तिगत ऋण इस प्रकार से प्राप्त नहीं किये जाते।

(4) राज्य अपनी सत्ता के कारण ऋणों का भुगतान करने से इनकार भी कर सकता है। किन्तु, इस प्रकार की बात कम पामी जाती है क्योंकि ऐसा करने के भीषण परिणाम हो सकते हैं।

समय बैंक बरीरह से ऋण लेकर सरकार सार्वजनिक कार्यों पर अधिक व्यय करती है जिससे समाज की आय एवं रोजगारी में वृद्धि होती है तथा मूल्य-तन्त्र भी स्थायी रहता है।

(ख) उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त आजकल प्रत्येक देश में राज्य की आर्थिक एवं मौद्रिक नीति का प्रधान उद्देश्य पूर्ण-रोजगारी (Full employment) की व्यवस्था करना हो गया है। इस उद्देश्य से भी राज्य को कभी-कभी निजी व्यय में कमी की पूर्ति के लिए बहुत अधिक रकम खर्च करने पड़ती है। इसके लिए भी सरकार को ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है।

सार्वजनिक ऋण किन-किन परिस्थितियों में न्यायसंगत हैं ?

ऋण लेने के सम्बन्ध में यह बात कही जाती है कि सञ्चारणनया सरकार को ऋण का प्रयोग उत्पादक कार्यों में ही करना चाहिए तथा चासू व्ययों की पूर्ति करने के द्वारा करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से अपव्ययिता कम होती है और आनेवाली सरकारों पर ऋण का बोझ भी अधिक नहीं पड़ता। फिर भी, असाधारण परिस्थितियों में चासू व्ययों की पूर्ति भी ऋण द्वारा की जा सकती है। किन्तु इस प्रकार की संकटकालीन परिस्थितियों में व्यय करने के पहले यह देख लेना चाहिए कि परिस्थितियों को प्रकृति अल्पकालीन है अथवा दीर्घकालीन। यदि संकटकालीन परिस्थितियाँ अल्पकालीन हैं तो ऋण द्वारा इनकी पूर्ति करने में कोई हानि नहीं होगी, किन्तु दीर्घकालीन परिस्थितियों के लिए देश की आर्थिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन लाना अनिवार्य हो जाता है। उदाहरण के लिए, युद्ध वर्गमह के समय सरकार केवल ऋण अथवा कर पर ही निर्भर नहीं रह सकती। इनमें से किसी एक का निश्चित रूप में सहारा लेना पड़ेगा। इसी तरह कुछ सार्वजनिक कार्यों तथा आर्थिक विकास की योजनाएँ ऐसी होती हैं जिन्हें पूरा करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। इसनी अधिक मात्रा में धन प्राप्त करने के लिए ऋण का सहारा लेना अनिवार्य हो जाता है। ऐसे ऋणों में देश की जनता पर कोई अनुचित भार भी नहीं पड़ता क्योंकि ये सारे व्यय उत्पादक होते हैं और उनको आय से ऋणों के मूल धन तथा ब्याज दोनों का सुममतापूर्वक भुगतान किया जा सकता है। आर्थिक जीवन को स्थायी बनाने में भी राजकीय ऋणों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। लर्नर (Lerner) के अनुसार तो राजकीय ऋणों का उद्देश्य धन-प्राप्ति करना नहीं होकर आर्थिक जीवन को अधिक समन्वित बनाना होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुद्रा स्फीति तथा मुद्रा-संकुचन दोनों परिस्थितियों में राजकीय ऋण अति लाभदायक सिद्ध होते हैं।

सार्वजनिक ऋण से लाभ

(Advantages of Public Debt)

सार्वजनिक ऋण के कई लाभ हैं जिनमें निम्नांकित प्रमुख हैं :—

(1) सार्वजनिक ऋण से पूँजी में वृद्धि नहीं होती, फिर भी यह पूँजी को अधिक उत्पादक बना देती है और इससे उत्पादन का विकास होता है एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि होती है जिससे धीरे-धीरे जीवन-मान भी ऊँचा होते जाता है।

(2) सार्वजनिक ऋण की सहायता में आर्थिक योजनाएँ कार्यान्वित की जा सकती हैं। योजनाओं के कार्यान्वयन में देश का आर्थिक विकास होता है।

(3) सार्वजनिक ऋण ही प्राकृतिक आपदाओं जैसे—बाढ़, भूकम्प, अवाला आदि के समय देश में साधारण स्थिति बनाये रखने का एक मात्र उपाय है। इस प्रकार की दुर्घटनाओं का सम्पादन सामान्य राजस्व से नहीं किया जा सकता। अतएव इस प्रकार की संकटकालीन परिस्थितियों में राजकीय ऋण प्रायः आवश्यक हो जाते हैं।

(4) आधुनिक युद्ध भी सार्वजनिक ऋण के बगैर नहीं लड़े जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, सार्वजनिक ऋण राज्य की सुरक्षा एवं स्वतन्त्रता को बनाये रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार, सार्वजनिक ऋण का सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्त्व है।

(5) जनता द्वारा दिये गये सार्वजनिक ऋण से ही पिछड़े देश अपने प्राकृतिक साधनों का विकास करके अपनी आर्थिक शक्ति बढ़ा सकते हैं।

अब इनकी निम्न व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है —

(1) आन्तरिक एवं बाह्य ऋण (Internal and External Debt) — राज्य देश के भीतर से जो ऋण लेता है उसे आन्तरिक ऋण (Internal Debt) कहते हैं और जो ऋण विदेशियों से प्राप्त किये जाते हैं उन्हें विदेशी ऋण (External Debt) कहते हैं। साधारणतया कोई देश राज्य के भीतर से ही ऋण प्राप्त करने का प्रयास करता है, किन्तु जब वह अपने इन प्रयत्नों में सफल नहीं होता तो विदेशी सरकार एवं पूँजीपतियों से भी उधार लेता है। आन्तरिक ऋण उधार लेने वाले देश की मुद्रा में ही अपनी सीमा के अन्तर्गत से प्राप्त हो जाते हैं, किन्तु बाह्य ऋण विदेशी मुद्रा में देश के बाहर रहने वाले व्यक्तियों अथवा विदेशी सरकारों से प्राप्त होते हैं। आन्तरिक ऋण इच्छित तथा अनिच्छित दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, किन्तु बाह्य ऋण केवल इच्छित ही होते हैं।

आन्तरिक ऋणों का भार (Burden of the Internal Debts) — आन्तरिक ऋणों में देश के साधन देश के बाहर नहीं जाते, केवल इनसे धन का पुनर्वितरण होता है। अतएव ऐसे ऋणों का कोई प्रत्यक्ष मौद्रिक भार नहीं पड़ता है। जहाँ तक आन्तरिक ऋणों के वास्तविक भार का सम्बन्ध है वह इस बात से निश्चित होता है कि ऋण द्वारा प्राप्त रकम का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। यदि ऐसे ऋणों से देश में धन के वितरण की विषमता बढ़ती है तो इनका वास्तविक भार बहुत अधिक होगा। यदि ऋण-सम्बन्धी प्रतिभूतियों को धनी व्यक्तियों ने खरीदा है और इनका भुगतान निर्धन व्यक्तियों पर कर लगा कर किया जाता है तो इसका वास्तविक भार बहुत अधिक होगा। इसके विपरीत यदि ऋण-पत्रों को निर्धन व्यक्तियों ने खरीदा है और उनका भुगतान धनी व्यक्तियों पर कर लगा कर किया जाता है तो इसका वास्तविक भार बहुत कम पड़ेगा। दूसरी ओर, यदि सार्वजनिक ऋण का प्रयोग अनुत्पादक कार्यों में किया जाता है तो व्यक्तियों पर इसका भार बहुत अधिक पड़ेगा। इसके विपरीत यदि इसका प्रयोग उत्पादक कार्यों में किया जाता है तो इससे राष्ट्र की आय में भी वृद्धि होती है। इससे इसका वास्तविक भार बहुत कम होता है। परन्तु व्यावहारिक जीवन में आन्तरिक ऋणों का भार बहुत अधिक होता है क्योंकि सरकार ऋण धनी व्यक्तियों से लेता है और भुगतान के लिए कर निर्धन व्यक्तियों को चुकाना पड़ता है। आन्तरिक ऋणों का प्रभाव व्यक्तियों के बचाने तथा काम करने की क्षमता पर भी पड़ता है। कभी-कभी तो ऋणों का उपयोग ऐसे कार्यों में किया जाता है कि उनका लाभ बहुत बाद में प्राप्त होता है, अतएव देश में उत्पादन कम होने तथा धन के वितरण की असमानता बढ़ने से आन्तरिक ऋणों का भार देश के व्यक्तियों पर अप्रत्यक्ष रूप से भी पड़ता है। युद्ध-काल में लिये गये ऋणों का भार नागरिकों पर बहुत अधिक पड़ता है। युद्ध समाप्त होने के बाद बेरोजगारी, मूल्य-तल में ह्रास आदि कारणों से वास्तविक भार बहुत अधिक हो जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आन्तरिक ऋणों का मौद्रिक भार यद्यपि कुछ भी नहीं होता, फिर भी इसका वास्तविक भार बहुत अधिक होता है।

बाह्य ऋणों का भार (Burden of the External Debt) — बाह्य ऋणों का भार ऋणों देश के नागरिकों पर पड़ता है। बाह्य ऋण का मौद्रिक भार उस रकम से जाना जाता है जो ऋण के मूल-धन तथा ब्याज के रूप में चुकायी जाती है और प्रत्यक्ष वास्तविक भार उस हानि से मापा जाता है जो ऋणी देश में से उतना धन निकल जाने के बाद वहाँ के नागरिकों को वहन करना पड़ता है। यदि इस प्रकार के ऋणों का भुगतान धनी व्यक्तियों से कर वसूल कर किया जाता है तो इसका वास्तविक भार अपेक्षाकृत कम होता है। उस प्रकार ऋणों का अप्रत्यक्ष भार भी देश के नागरिकों पर पड़ता है क्योंकि सरकार इसके भुगतान के लिए कर लगाती है जिसका भार नागरिकों को वहन करना पड़ता है। किन्तु, यह बात पूर्णतया सत्य नहीं है। वास्तविकता यह है कि विदेशी ऋणों का उपयोग यदि उत्पादक कार्यों में किया जाता है तो इससे देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जिससे लाभ भी होता है। लाभ यह है कि विदेशी ऋणों से देश के आर्थिक विकास में सहायता मिलती है जिससे विदेशी निर्भरता कम होती है और जो धन हमें विदेशी वस्तुओं के आयात में खर्च करना पड़ता है उसकी बचत होती है अतएव यह सोचना कि बाह्य ऋणों का देश के नागरिकों पर भार बहुत अधिक पड़ता है, भ्रमपूर्ण है। वास्तव में, इसके पक्ष एवं विपक्ष में बहुत-सारे तर्क दिये गये हैं जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं —

शोध्य ऋण तथा अशोध्य ऋण (Redeemable and Irredeemable Debts) :-

जिन ऋणों का भुगतान किसी सरकार को एक निश्चित तिथि तक ब्याज सहित करना पड़ता है उन्हें शोध्य ऋण (Redeemable Debts) कहा जाता है। इसके विपरीत ऋण केवल सूद देने पर ही सदा के लिए प्राप्त होते हैं उन्हें अशोध्य ऋण (Irredeemable Debts) कहते हैं। इस प्रकार के ऋण में मूलधन नहीं लौटाना पड़ता है। किन्तु ब्याज सदा निश्चित दरों के अनुसार घटती रहती है।

ऋण को कम करने या चुकाने का तरीका

(Methods of Debt-Redemption or Repayment)

आधुनिक समय में सरकारें अपना ऋण चुकाना एक सम्मानपूर्ण कार्य समझती हैं। ऋण चुकाने से उनकी साक्ष और शक्ति बनी रहती है। ऋण नहीं चुकाने से जब कभी राष्ट्र पर संकट आता है, तो बाद में उसके लिए ऋण प्राप्त करना कठिन हो जाता है। साथ ही, ऋण चुका देने से व्यापार और उद्योग के लिए ऋण की रकम मुक्त हो जाती है।

सार्वजनिक ऋण चुकाने के निम्नांकित प्रमुख उपाय हैं —

(1) आधिक्य आगम का उपयोग (The Utilization of Surplus Revenue) :-

यह एक प्राचीन उपाय है, लेकिन आधुनिक परिस्थितियों में कार्यशील नहीं रह गया है क्योंकि आधुनिक समय में आय-व्ययक (Budget) का आधिक्य साधारणतः सम्भव नहीं है और यदि आय-व्यय में आधिक्य हो भी तो वह इतना महत्वहीन होता है कि ऋण को कम करने में उपयोगी नहीं सिद्ध हो सकता है।

(2) वार्षिक वृत्ति (Terminal Annuities) —

जब यह पूर्ण निश्चय कर लिया जाता है कि सरकार को अपने स्थायी ऋणों का भुगतान करना है तो वह प्रतिवर्ष कुछ निश्चित धन वार्षिकी (Annuities) के रूप में ऋणदाताओं (Creditors) को उधार चुकाने के लिए बांध देती है। इसी भुगतान को वापिकी कहते हैं। यह स्पष्ट है कि जिस काल में यह वापिकी दी जा रही होगी, उसमें केवल ब्याज देने के काल की अपेक्षा सरकारी अर्थ-कोष पर अधिक दबाव पड़ता होगा।

(3) रूपान्तरण (Conversion) —

ऋण के भार को दूर करने का यह एक अच्छा उपाय है। जब सरकार ने ऊँची सूद की दर के समय ऋण लिया हो और बाद में ब्याज की दर घट गयी हो तो सरकार ऊँचे ब्याज की दर वाले ऋणों को कम ब्याज की दर में परिवर्तित कर सकती है। ऐसे समय में सरकार ऋण दाताओं को यह सूचना देती है कि वे या तो अपने ब्याज की दर को कम करें या अपना रुपया वापस ले लें। यदि ऋण दाता ब्याज की दर को कम करना स्वीकार नहीं करते तो सरकार कम ब्याज पर दूसरा धन उधार लेकर उस धन से पिछले ऋणों को चुका देती है। इस प्रकार ऊँचे ब्याज की दर को कम ब्याज की दर में परिवर्तित करने से सरकार का आर्थिक बोझ बहुत कुछ हल्का हो जाता है।

(4) ऋण-परिधान कोष (Sinking Fund) —

यह उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिवर्ष राजस्व में एक निश्चित धन ऋण चुकाने के लिए निकाल लिया जाता है। यह इस हिसाब से निकाला जाता है कि एक निश्चित समय के अन्दर ऋण को ब्याज-सहित चुकाने में सुगमता होती है।

ऋण चुकाने के इन साधारण उपायों के अतिरिक्त कुछ और भी तरीके हैं जिनमें निम्न-लिखित विशेष रूप से प्रमुख हैं —

(5) ऋण-निषेध (Debt Repudiation) —

जब कोई नयी क्रान्तिकारी सरकार बनती है तो यह पहली सरकार द्वारा लिये गये ऋणों को चुकाने से इनकार कर सकती है। यह सही होता है, जब नयी सरकार का निर्माण क्रान्ति द्वारा हो। लेकिन अधिकांश राजनीतिज्ञ इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करते क्योंकि सरकारों के लिए प्रायः यह एक चलन-सा हो गया है कि वे अपने पूर्ववर्तियों के वचनों का सम्मान करें।

श्रेष्ठ्याय : 60

भारतीय वित्त-व्यवस्था

केन्द्र एवं राज्य के बीच आय के साधनों का वितरण :—प्रारम्भ में भारत की वित्त-व्यवस्था केन्द्रीभूत थी एवं सारी शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के हाथ में ही केन्द्रित थी। आगे चलकर धीरे-धीरे इसका विकास संघीय ढंग पर होने लगा और आज यहाँ की वित्तीय व्यवस्था पूर्ण रूप में संघीय हो गयी है। संविधान में केन्द्र एवं राज्यों की विषय-सूची निर्धारित कर दी गयी है और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कौन-कौन कर केन्द्रीय सरकार लगा सकती है तथा कौन-कौन कर राज्य सरकारें लगा सकती हैं। 1951 ई० के वित्त आयोग के अनुसार भारत की वित्तीय व्यवस्था के इतिहास को हम निम्नलिखित चार कालों में विभाजित कर सकते हैं :—

- (1) ब्रिटिश शासनकाल के प्रारम्भ से लेकर 1919 ई० तक;
- (2) 1919 ई० से लेकर 31 मार्च 1937 ई० तक,
- (3) 1 अप्रैल, 1937 ई० से लेकर 1947 ई० तक, तथा
- (4) 1947 ई० में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद का समय।

प्रथम काल (1919 ई० के पूर्व का समय) :—ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपने शासनकाल के प्रारम्भ में शासन की विभिन्न इकाइयों की वित्तीय मामलों में पूरी स्वतन्त्रता दी थी। किन्तु इससे विभिन्न क्षेत्रों के बीच शासन सम्बन्धी भारी अन्तर उत्पन्न हो गये। अतः 1833 ई० में एक नियम द्वारा वित्त तथा राजस्व-पद्धति का केन्द्रीयकरण किया गया। इससे केन्द्रीय शासन तो सुदृढ़ हो गया, परन्तु इसने एक साथ कई गम्भीर समस्याएँ उत्पन्न कर दी। प्रांतीय सरकारें गैर-जिम्मेदार तरीके से खर्च करने लगीं। सभी प्रांतीय सरकारों में अपनी आवश्यकताओं को बड़ा-चढ़ा कर दिखलाना प्रारम्भ कर दिया जिससे कि केन्द्रीय सरकार से अधिक धन प्राप्त किया जा सके। परिणाम यह हुआ कि अपव्यय, अकुशलता तथा प्रांतीय सरकारों के बीच आपसी संघर्ष बढ़ने लगे। सर जॉन स्ट्रैची के शब्दों में "सरकारी आय के विभाजन में प्रांतों के बीच झगडा-कंसाद होता था जिसमें अधिक झगडालू प्रांत ही अधिक लाभ में रहते थे।"

इस पद्धति को "निस्सार एकरूपता एवं दुराग्रहपूर्ण केन्द्रीयकरण" (Barren uniformity and pedantic centralisation) की पद्धति कहा जाता था। लार्ड मेयो ने इन दोषों को दूर करने के लिए 1871 ई० में विकेंद्रीकरण की पद्धति को अपनाया जिसके अनुसार जल, रजिस्ट्रेशन, पुलिस, शिक्षा एवं सड़कें प्रांतीय सरकारों को सौंप दी गयीं। सरकारी कार्यों के समुचित सम्पादन के लिए प्रांतों को इन विभागों की आय के अतिरिक्त निश्चित मात्रा में केन्द्र से अनुदान देना भी प्रारम्भ कर दिया। किन्तु, इस योजना ने प्रांतीय अर्थ-व्यवस्था को असमानताओं को और भी बड़ा दिया। 1877 ई० में लार्ड लिटन ने प्रांतीय सरकारों को कुछ स्थानीय महत्त्व के साधनों का उत्तरदायित्व सौंप दिया तथा आय के कुछ साधनों को भी प्रदान किया। 1882 ई० में लार्ड रिपन ने वार्षिक अनुदान की जगह पर प्रांतों को कुछ साधनों से प्राप्त सम्पूर्ण आय तथा कुछ आंशिक आय देने का निश्चय किया। परिणामस्वरूप आय की तीन मुख्य मर्दें, हो गयीं :—(1) साम्राज्यीय मर्दें (Imperial heads) जैसे—वाणिज्य विभागों के लाभ एवं अफीम, मसूक आदि से प्राप्त आय, (2) प्रांतीय मर्दें (Provincial heads) जैसे—नागरिक विभाग एवं प्रांतीय कार्य, तथा (3) विभाजित मर्दें (Divided heads) जैसे—उत्पादन शुल्क, स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन तथा वन इत्यादि। प्रत्येक पाँच वर्षों पर स्थिति का पुनर्वीक्षण किया जाता था। यह प्रणाली दीर्घकालीन दृष्टिकोण को अपनाते में सहायक अवश्य थी, किन्तु केन्द्रीय सरकार ने इसके अनुसार अपने लिए सदा अधिक-से-अधिक रखने का प्रयत्न किया था। इस प्रकार इस पद्धति से भी असम्योय पूर्णतया समाप्त न हो सका। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि सरकारी आय पाँच वर्षों के लिए ही निश्चित रहती थी। इसे दूर करने के लिए लार्ड कर्जन ने 1904 ई० से

1936 ई० में उक्त विधान की धारा 138 एवं 140 1/2 के अन्तर्गत केन्द्र एवं प्रान्तों के वित्तीय सम्बन्धों की जाँच के लिए सर ओटो नेमियर (Sir Otto Niemeyer) को नियुक्त हुई। सर नेमियर ने यह सुझाव दिया कि निम्नलिखित निश्चित प्रतिशत के आधार पर आय-कर से प्राप्त होने वाली आय के 50 प्रतिशत को प्रान्तों के बीच वितरित किया जाय, मद्रास 15, बम्बई 20, बंगाल 20, संयुक्त प्रान्त 15, पंजाब 8, बिहार 10, मध्यप्रदेश 5, असम 2, उड़ीसा 2, सिन्ध तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत 1। जूट निर्यात-कर के सम्बन्ध में सर नेमियर ने यह सिफारिश की थी कि प्रान्तों को मिलने वाली आय का प्रतिशत .2 से बढ़कर 62 कर दिया जाय। सर नेमियर के अन्य सुझावों में निम्नलिखित प्रमुख थे—(क) प्राचीन संचालित ऋण को कम करके प्रान्तों का वित्तीय निवारण किया जाय, तथा (ख) प्रान्तों की आय की कमी को पूरा करने के लिए केन्द्र द्वारा बापिक अनुदान एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जाय।

प्रांतीय सरकारों सर नेमियर के सुझावों से संतुष्ट नहीं थी। आय-कर के वास्तविक विभाजन से हर प्रांत अपने अलग-अलग कारणों से असंतुष्ट था। इसके अतिरिक्त प्रांतों की वित्तीय सहायता देने की योजना भी असतोषजनक नहीं थी क्योंकि इससे उनके वित्तीय स्तर में विशेष अंतर का भय था।

चतुर्थ काल (1947 ई० से अब तक) — 1947 ई० में देश का विभाजन हुआ एवं स्वतंत्रता प्राप्त हुई जिससे नेमियर के सूत्रों में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी। अतः भारत सरकार ने अस्थायी तौर पर आय-कर के वितरण के विषय में एक अध्यादेश निवाला जिसके अनुसार प्रांतों को आय-कर का अर्द्ध भाग के वितरण का प्रतिशत इस प्रकार से निश्चित किया गया— मद्रास 18, बम्बई 11, पश्चिमी बंगाल 12, संयुक्त प्रांत 19, पूर्वी पंजाब 5, बिहार 13, मध्य प्रदेश तथा वरार 6, उड़ीसा एवं असम 3। इस सूत्र के अनुसार 1950 ई० तक काम किया गया।

देशमुख अवार्ड (Deshmukh Award) — नवम्बर, 1947 ई० में भारत सरकार ने श्री सी० डी० देशमुख को विभाजन के बाद की नवीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रांतों में आय-कर तथा जूट निर्यात कर के वितरण के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। श्री देशमुख ने राज्यों की जनसंख्या तथा आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्यों के बीच आय कर के वितरण के लिए निम्नांकित सूत्र दिया जो 1 अप्रैल 1955 ई० से लागू हुआ— मद्रास 17.5, बम्बई 11, पश्चिमी बंगाल 13.5, उत्तर प्रदेश 18, पंजाब 5.5, बिहार 12.5, मध्य प्रदेश 6, असम तथा उड़ीसा 3। श्री देशमुख ने जूट निर्यात कर में से पश्चिमी बंगाल को 105 लाख, असम को 40 लाख, बिहार को 35 लाख तथा उड़ीसा को 5 लाख रुपये देने का सुझाव दिया।

इस प्रकार वर्तमान समय में कुछ करोड़ों से प्राप्त आय का पूर्णतः केन्द्रीय सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है, कुछ करोड़ों से प्राप्त आय का केन्द्र एवं राज्यों के बीच वितरण किया जाता है तथा कुछ करोड़ों से प्राप्त आय पूर्णतः राज्यों के बीच वितरित कर दी जाती है।

नये संविधान के वित्तीय उपबन्ध

(Financial Provisions of the New Constitution)

भारत के नये संविधान में 1935 ई० के संविधान में दी गयी वित्तीय व्यवस्था को व्यवहार में स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया गया है। संविधान की सातवीं अनुसूची में करोड़ों को निम्नांकित तीन प्रधान मदों में वितरित किया गया है—

(1) सघ के अधिकार-क्षेत्र के कर (Sources of Revenue of the Union) —

इनमें निम्नलिखित प्रधान वर सम्मिलित हैं— कृषि सम्बन्धी आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर (Taxes on Income other than agricultural income), निगम कर (Corporation Tax), मादक वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के उत्पादन पर कर, कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रकार की जायदाद पर कर, मृत्यु कर, कुछ प्रकार के स्टाम्प वर, असवारी

व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में केन्द्र की अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए;

(ख) केन्द्र द्वारा राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान के वितरण में सभी राज्यों के साथ एक ही सिद्धान्त का पालन किया जाना चाहिए; तथा

(ग) वितरण की व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए जिससे राज्यों की आपसी विषमता कम-से कम हो सके।

आय कर का वितरण —आयोग ने आय-कर के वितरण में इस बात की सिफारिश की कि राज्यों का अंश 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया जाय। इसका कारण यह दिया गया कि एक ओर तो सभी राज्य अधिक अंश की मांग कर रहे थे और दूसरी ओर पहले इसका वितरण केवल 9 राज्यों में किया जाता था, किन्तु अब इसका वितरण 16 राज्यों के बीच करना था। आय कर के वितरण को निश्चित करने में आयोग ने निम्नलिखित सात बातों पर विचार किया—(1) विभिन्न राज्यों में वसूल की गयी आय कर की घन-राशि; (2) विभिन्न राज्यों में रहने वाले व्यक्तियों की आय, चाहे वह जहाँ से भी प्राप्त की गयी हो, पर वसूल किया गया कर, (3) आय के स्रोतों के अनुसार विभिन्न राज्यों में एकत्र आय कर, (4) प्रत्येक राज्य की जनसंख्या, (5) प्रत्येक राज्य में औद्योगिक श्रमिकों की संख्या, (6) प्रत्येक राज्य की प्रति व्यक्ति आय, तथा (7) जनसंख्या का घनत्व एवं आर्थिक विकास का स्तर, इत्यादि।

आय कर के वितरण में आयोग ने उक्त बातों को ध्यान में रखा। आयोग के समक्ष इस सम्बन्ध में बहुत से मुद्दाव दिये गये थे। कुछ राज्यों ने इस प्रकार का मुद्दाव रखा था कि आय कर के वितरण में विभिन्न राज्यों में वसूल की गयी घन-राशि को ही आधार मानना चाहिए। किन्तु आयोग के अनुसार राज्य द्वारा वसूल की गयी घन-राशि को आधार मानना भी उचित नहीं होगा क्योंकि आय कर में प्राप्त होने वाली कुल घन राशि का प्राय 75 प्रतिशत भाग केवल बम्बई तथा पश्चिमी बंगाल से प्राप्त होता था और इन घन-राशि का भी अधिकांश भाग केवल बम्बई तथा कलकत्ता के नगरो से ही प्राप्त होता था। अतः केवल इस बात पर अधिक जोर देने का अर्थ यह होता कि अधिकांश भाग इन्हीं दो राज्यों को मिल जाता। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं की जानकारी के लिए वित्त-आयोग ने न तो औद्योगिक श्रम को ही आधार माना और न प्रति व्यक्ति आय को ही। आयोग के अनुसार औद्योगिक श्रम से भी केवल आंशिक स्थिति का ही संकेत मिल सकता है। साथ ही, राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के सम्बन्ध में उपयुक्त आँकड़े उपलब्ध भी नहीं हैं, अतः आयोग ने यह माना कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए उसकी जनसंख्या ही उपयुक्त साधन है।

इस आधार पर आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यों को दिये जाने वाले आय कर का 20 प्रतिशत भाग राज्यों में संग्रहित आय के अनुपात में तथा 80 प्रतिशत भाग 1951 ई० की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर वितरित किया जाय। इस प्रकार आयोग द्वारा 'क' एवं 'ख' वर्ग के राज्यों के निम्नलिखित प्रतिशत निश्चित किये गये —

राज्य	ओटो नैमियर सूत्र के अनुसार प्रतिशत	प्रथम वित्त आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिशत
'क' वर्ग के राज्य		
1. मद्रास ¹	15	15 25
2. बम्बई	20	17 50
3. पश्चिमी बंगाल ²	20	11-25
4. उत्तर प्रदेश	15	15 75
5. पंजाब	8	3 25
6. बिहार	10	9 75
7. मध्य प्रदेश	5	5 25
8. असम	2	2 25
9. उड़ीसा	2	3-50

1. मद्रास राज्य के कुल हिस्से का 39 प्रतिशत भाग आन्ध्र को मिला।

2. ओटो नैमियर सूत्र के अन्तर्गत के प्रतिशत विभाजन के पूर्व के हैं।

अनुदान (Grants in aid) — वित्त आयोग ने केन्द्रीय राजस्व में से राज्यों को अनुदान देने के प्रश्न पर भी विचार किया। इस सम्बन्ध में आयोग ने सिद्धान्तों पर विचार किया, जैसे— बजट-सम्बन्धी आवश्यकताएँ, करो का प्रभाव, समाज सेवाओं का स्तर, विशेष जिम्मेदारियों तथा राष्ट्रीय महत्व के कार्य इत्यादि। आयोग के अनुसार किसी राज्य को अनुदान की आवश्यकता है या नहीं, यदि है तो कितनी है तथा राज्य अपनी कर-प्रणाली का किस हद तक उपयोग करता है आदि के अध्ययन से किसी राज्य की आवश्यकता के सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस सम्बन्ध में समाज सेवाओं के स्तर तथा विभिन्न परिस्थितियों एवं जिम्मेदारियों का भी विशेष महत्व है। आयोग ने पश्चिमी बंगाल के लिए 80 लाख रुपये तथा पूर्वी पंजाब के लिए 125 लाख रुपये का अनुदान निर्धारित किया क्योंकि विभाजन के फलस्वरूप इन राज्यों में कुछ विशेष समस्याएँ उत्पन्न हो गयी थी। इनके अतिरिक्त असम को 1 करोड़, उड़ीसा को 75 लाख, द्रावणवर्ष कोचीन को 45 लाख एवं सीराष्ट्र को 40 लाख रुपये का अनुदान निर्धारित किया गया। विभिन्न राज्यों के अनुदान के निर्धारण में आयोग ने बहुत-से उद्देश्यों को अपने समक्ष रखा था। आयोग के अनुसार अनुदान का मुख्य उद्देश्य राज्यों की पिछड़ी हुई आर्थिक व्यवस्था, आय के साधनों का अभाव तथा आर्थिक समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। इसके अतिरिक्त आयोग ने बिहार, मध्य प्रदेश, मध्य भारत, हैदराबाद, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब तथा पेंसू राज्यों में प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार के लिए अनुदान की भी सिफारिश की थी।

प्रथम वित्त आयोग की सिफारिशों की समीक्षा (An Appraisal of the Recommendations of First Finance Commission):— प्रथम वित्त आयोग की सिफारिशों की कई बातों को लेकर आलोचना भी की गयी थी। कहा गया था कि आयोग द्वारा निर्धारित सिद्धान्त न्यायोचित नहीं थे। आयोग ने यह मान लिया था कि राज्यों की आवश्यकताओं को वितरण के मापन का सबसे उचित साधन उसकी जनसंख्या ही है। किन्तु, यह उचित नहीं जान पड़ता। वास्तव में, जनसंख्या के साथ-साथ राज्यों के आर्थिक पिछड़ेपन, वित्तीय कठिनाइयों तथा विशेष परिस्थितियों एवं जिम्मेदारियों पर भी उचित ध्यान देना आवश्यक है। आयोग ने आय कर तथा उत्पादनशुल्क दोनों के वितरण में उक्त बातों पर अधिक जोर नहीं दिया किसी राज्य से प्राप्त होने वाली आय को भी वितरण का आधार मानना न्यायसंगत नहीं है। इसी प्रकार बम्बई जैसे धनी राज्य की आवश्यकता असम एवं उड़ीसा जैसे राज्यों से निरक्षय ही बहुत कम है। अतः न्यायोचित यह होता कि गरीब एवं पिछड़े राज्यों को, चाहे उनकी जनसंख्या कम हो अथवा अल्प, धनी एवं विकसित राज्यों की तुलना में राजस्व में वितरण में प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए थी। किन्तु, आय कर एवं उत्पाद शुल्क के वितरण में आयोग ने इस बात पर उचित ध्यान नहीं दिया।

भारत सरकार ने प्रथम वित्त आयोग की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। वास्तव में, आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से केन्द्र एवं राज्यों के वित्तीय सम्बन्ध में बहुत कुछ सुधार हुआ। साथ ही, आयोग की सिफारिशों ने मिसर तथा देणमुख के निष्पत्ति को अपेक्षा अधिक न्यायोचित भी था। इसके फलस्वरूप राज्यों को केन्द्र से प्रतिवर्ष 21 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम प्राप्त होने लगी। आयोग ने पिछड़े राज्यों की विशेष अनुदान की व्यवस्था कर सब की वित्तीय व्यवस्था में एक नये अध्याय का प्राहुर्भाव किया। अन्य वित्त आयोग ने भी प्रथम आयोग द्वारा दिखाया गया माग का अनुसरण कर पिछड़े राज्यों की समस्याओं के समाधान में विशेष सहयोग प्रदान करने का प्रयास किया।

द्वितीय वित्त आयोग

(Second Finance Commission)

संविधान के 280 वें अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि प्रति पाँच वर्षों पर राष्ट्रपति द्वारा एक वित्त आयोग की नियुक्ति की जायगी। इसी आधार पर जून, 1956 ई० में श्री के० सन्ता नम की अध्यक्षता में द्वितीय वित्त आयोग की नियुक्ति हुई जिसने सितम्बर, 1957 ई० में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। द्वितीय वित्त आयोग की सिफारिशों में राज्यों को पहले से अधिक रूप

प्राप्त हुआ तथा इन्हे केन्द्र में अनुदान एवं अंशदान के रूप में प्रায়ः 140 करोड़ रुपये मिलने लगे (रेलवे भाड़ा पर लगाये गये कर से प्राप्त 15 करोड़ रुपये के अतिरिक्त) जबकि प्रथम वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर इन्हे औसत रूप से वार्षिक 93 करोड़ रुपये ही प्राप्त होते थे ।

आयोग ने आय कर में से राज्यों को अंशदान के रूप में मिलने वाली रकम को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया । केन्द्र द्वारा शासित प्रदेशों को मुद्द-प्राप्ति (Net proceeds) के 1 प्रतिशत भाग देने की व्यवस्था की गयी । आयोग ने विभिन्न राज्यों के बीच इस अंशदान के वितरण में 10 प्रतिशत भाग राज्यों द्वारा संग्रहित आय के अनुपात में तथा 90 प्रतिशत भाग उनकी जनसंख्या के अनुपात में वितरित करने की सिफारिश की । (प्रथम आयोग के अनुसार 20 प्रतिशत संग्रहित आय तथा 80 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर वितरण किया जाता था ।)

प्रथम वित्त-आयोग ने तम्बाकू, दियासलाई तथा वनस्पति धी पर लगाये गए उत्पाद-शुल्क के 40 प्रतिशत भाग को राज्यों में बाँटने की सिफारिश की थी । द्वितीय आयोग ने उत्पाद-शुल्क में राज्यों के हिस्से को 40 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने की सिफारिश की । विन्तु तम्बाकू, दियासलाई तथा वनस्पति धी के अतिरिक्त राज्यों को चीनी, चाय, बहूवा तथा कागज के उत्पाद-शुल्क की रकम से 90 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर वितरित करने की सिफारिश की गयी । मिरल के कपड़े, चीनी तथा तम्बाकू पर विज्ञी कर की जगह लगाये जाने वाले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में से 1 प्रतिशत केन्द्रीय शासित प्रदेशों को तथा 1 1/2 प्रतिशत जम्मू एवं कश्मीर को देने की सिफारिश की गयी । शेष रकम के विभिन्न राज्यों में विभाजन के लिए भी आयोग ने एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित किया था ।

मृत्यु कर, जो सर्वप्रथम 1953 ई० में लगाया गया था, को आय की विभिन्न राज्यों के बीच आय-कर के अनुपात में ही विभाजित किया जाता था । आयोग ने इस सम्बन्ध में यह सिफारिश की थी कि केन्द्र द्वारा शासित प्रदेशों के लिए 1 प्रतिशत काट कर बुरा आय में से स्थायी सम्पत्ति स मृत्यु-कर के रूप में प्राप्त आय को राज्यों के बीच उनकी स्थायी सम्पत्ति से संग्रहित आय के आधार पर तथा शेष रकम को राज्यों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया जाना चाहिए ।

रेलों के भाड़े पर लगाये गये कर (Tax on Railway fares) के सम्बन्ध में आयोग ने यह सिफारिश की कि इससे प्राप्त कुल आय में से 1 प्रतिशत केन्द्र द्वारा शासित प्रदेशों के लिए काटकर शेष राज्यों के बीच वितरित कर देना चाहिए ।

द्वितीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को केन्द्र से अंशदान एवं अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष 140 करोड़ रुपये प्राप्त होने लगे जब कि प्रथम आयोग की सिफारिशों के आधार पर उन्हें औसतन 93 करोड़ रुपये प्रति वर्ष ही प्राप्त होते थे । इस प्रकार राज्यों के लिए द्वितीय आयोग की सिफारिशों निरचय ही लाभदायक थी । आयोग की सिफारिशों का विस्तार विवरण पृष्ठ 647 पर दिया गया है ।

तृतीय वित्त आयोग

(Third Finance Commission)

संविधान के 280 वें अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति ने 2 दिसम्बर, 1960 ई० को तृतीय वित्त आयोग की नियुक्ति की जिम्मे 14 दिसम्बर, 1961 ई० को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । तृतीय वित्त आयोग को निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन देना था—(क) करो से प्राप्त मुद्द आय का केन्द्र एवं राज्यों के बीच वित्त सिद्धान्त के अनुसार विभाजन हो; तथा (ख) वित्त आधार पर केन्द्रीय सरकार राज्यों को अनुदान दे । इनके अतिरिक्त आयोग की राष्ट्रपति को निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में भी सिफारिशें देनी थी—(1) तृतीय पंचवर्षीय योजना की आवश्यकताओं एवं राज्य के साधनों की ध्यान में रखते हुए राज्यों के बीच अनुदान के विभाजन का क्या सिद्धान्त होना चाहिए, (ii) कृषि-भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति पर लगाये गये मृत्यु-कर

तृतीय वित्त आयोग की मुख्य सिफारिशें

मुद्रा एवं मौद्रिक सत्यापन

राज्य	यूरो वर का हस्ता ¹	आय कर का हिस्सा 66 2/3%	275 (1) अनुच्छेद के अन्तर्गत अनुदान (लाख रुपये में)		35 वस्तुओं के उत्पादन कर से प्राप्त आय का हिस्सा प्रतिशत	रेल के भाड़े पर वर के वदले 12.50 करोड़ रुपये	अतिरिक्त उत्पाद कर	
			राज्य के राजस्व	अन्वय के विकास के लिए अतिरिक्त			1956-57 राज्यो की आय लाख रुपये में	सेप का प्रतिशत
1 आन्ध्र	8.34	7.71	1200	50	8.23	1.11	235.64	7.75
2 असम	2.75	2.44	900	75	4.73	0.34	85.08	2.60
3 बिहार	10.78	9.33	800	75	11.56	1.17	110.16	13.00
4 गुजरात	4.78	4.78	950	100	6.45	0.68	323.45	5.40
5 जम्मू एवं कश्मीर	0.83	0.70	325	50	2.02	—	—	—
6 केरल	3.92	3.55	850	75	5.46	0.23	95.08	4.25
7 मध्य प्रदेश	7.51	6.41	265	175	8.46	1.04	155.17	7.00
8 मद्रास	7.80	8.13	800	—	6.08	0.81	285.34	9.00
9 महाराष्ट्र	9.16	13.41	—	—	5.73	1.35	637.77	10.69
10 मैसूर (कान्टिक)	5.46	5.13	775	50	5.82	0.56	100.10	5.25
11 उड़ीसा	4.08	3.44	1600	175	7.07	0.22	85.10	4.50
12 पंजाब	4.71	4.49	27.5	—	6.79	1.01	115.19	5.25
13 राजस्थान	4.67	3.97	875	75	5.93	0.85	90.20	4.00
14 उत्तर प्रदेश	17.10	14.42	200	—	10.68	0.34	575.81	15.50
15 पश्चिमी बंगाल	8.11	12.09	850	—	5.01	0.700	280.81	9.9
कुल	100.00	100.00	100.25	900	100.00	12.50	3254.00	100.00

1 इसमें अस्थायी सम्पत्ति के अतिरिक्त वर अथवा प्रसार की सम्पत्ति में समहित कर सम्मिलित है।

वस्तुओं के केन्द्रीय उत्पाद-कर से प्राप्त शुद्ध आय का 20 प्रतिशत भाग विभिन्न राज्यों के बीच आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिशत में विभाजित किया जाय।

अतिरिक्त उत्पाद-कर (Additional duties on Excise in lieu of Sales tax on Sugar, Tobacco and Textiles) :—वित्त आयोग ने इस सम्बन्ध में निम्नान्वित सिफारिश दी। 1966-67 से 1970-71 ई० के बीच सूती वस्त्र, रेशमी एवं कृत्रिम रेशम के बस्त्र, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा तम्बाकू पर विक्रय कर के बदले लगाये गये अतिरिक्त उत्पाद कर की शुद्ध आय का (क) 1 प्रतिशत भाग केन्द्र द्वारा शासित क्षेत्रों (Union Territories) के लिए रखा जाय, 1.50 प्रतिशत भाग जम्मू एवं कश्मीर के लिए पृथक् कर दिया जाय, (ग) 0.05 नागालैंड राज्य को दिया जाय, तथा (घ) 97.45 प्रतिशत भाग में से 1946-47 ई० में विभिन्न राज्यों द्वारा इनसे प्राप्त विक्रय-कर की 3254 लाख रुपये की रकम के अनुसार उनके बीच विभाजित कर दिया जाय, तथा 3254 लाख रुपये से अतिरिक्त रकम को राज्यों के बीच आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिशत में विभाजित कर दिया जाय।

चतुर्थ वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें अगले पृष्ठ पर दी गयी हैं।

पंचम वित्त आयोग

(Fifth Finance Commission)

31 अक्टूबर, 1968 ई० को भारत सरकार ने श्री महावीर त्यागी की अध्यक्षता में पाँचवें वित्त आयोग की नियुक्ति की जिसने 31 जुलाई, 1969 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आयोग के समक्ष विचाराधीन विषयों में निम्नान्वित उल्लेखनीय हैं—(i) वितरण किये वाले करों का केन्द्र एवं राज्यों के बीच विभाजन, (ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को दिये जानेवाले अनुदान के लिए सिद्धान्तों को निर्धारित करना, (iii) कुछ राज्यों द्वारा अनधिकृत अविधिकर्य (Unauthorised overdraft) की समस्या तथा उसका निवारण, (iv) राज्यों को प्रदत्त विषयों तथा संविधान की 209 वीं धारा के अन्तर्गत राज्यों की आय में वृद्धि की सम्भावना, तथा (v) चीनी, तम्बाकू एवं वस्त्र पर विक्रय कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद-कर की व्यवस्था का पुनरावलोकन।

पंचम वित्त आयोग (Fifth Finance Commission) की प्रमुख सिफारिशें निम्नान्वित हैं—

मृत्यु-कर (Death duty)—आयोग के अनुसार कृषि-भूमि के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की सम्पत्ति से प्राप्त मृत्यु-कर में से 2 प्रतिशत केन्द्र द्वारा शासित प्रदेशों (Union territories) के लिए रखा जाय। शेष अगतिशील (immovable) एवं अन्य सम्पत्ति (Property other than immovable) से प्राप्त आय के आधार पर अलग-अलग किया जाय और अगतिशील सम्पत्ति में प्राप्त आय को विभिन्न राज्यों के बीच इनकी कुल अगतिशील सम्पत्ति के मूल्य के अनुपात में वितरित किया जाय तथा अन्य प्रकार की सम्पत्ति में प्राप्त आय को राज्यों का जनसंख्या के आधार पर इनके बीच 65% पृष्ठ की तालिका पर दिये गये प्रतिशत में वितरित किया जाय।

रेलवे भाड़े पर कर के बदले में अनुदान (Grants in lieu of taxation on Railway Fare)—1957 ई० में रेलवे भाड़े पर एक कर लगाया गया था जिसे 1961 ई० में रेलवे भाड़े में मिला दिया गया। किन्तु मंघीय सरकार ने रेलवे भाड़े के बदले में 12.50 करोड़ रुपये की रकम को राज्यों के बीच वितरित करने का निर्णय किया। पंचम आयोग ने भी इतनी ही रकम को राज्यों के बीच पृष्ठ 65A पर दी गयी तालिका के अनुसार वितरित करने की सिफारिश की।

आय कर (Income Tax)—पंचम वित्त आयोग ने वृद्धि-आय तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये पारिश्रमिक के ऊपर संप्रहित कर के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की आय पर प्राप्त आय कर का 75 प्रतिशत भाग राज्यों के बीच विभाजित करने की सिफारिश की। (चतुर्थ

पंचम वित्त आयोग की मुख्य सिफारिशें

राज्य	यूरेकुर का हिस्सा ¹	आय-कर का हिस्सा 75%	275 (1) अनुसूद्ध के अन्तर्गत अनुदान (लाख रुपये में)	सभी यूरुओ के उत्पादन कर से प्राप्त आय (20 प्रतिशत) का हिस्सा	रेलवे भाडे पर कर के बदले राज्यों का हिस्सा प्रतिशत में	वस्तुओ के विक्रय-कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद कर
	प्रतिशत	प्रतिशत	पाँच वर्षों में कुल रकम	प्रतिशत	प्रतिशत में	रकम
1. आंध्र	8.37	8.01	6501	7.15	8.56	235.24
2. असम	2.76	2.67	10197	2.51	2.88	85.38
3. बिहार	10.80	9.99	13.81	6.91	130.16
4. गुजरात	4.00	5.18	.	4.17	0.01	323.25
5. जम्मू एवं कश्मीर	0.83	0.79	7398	1.12	2.46	..
6. हरियाणा	1.76	1.73	4865	1.49	1.78	65.49
7. कर्नाट	3.93	3.83	...	4.28	9.52	95.08
8. मध्य प्रदेश	7.53	7.09	2282	8.43	5.54	155.17
9. तमिलनाडु	7.83	8.18	6.50	9.12	285.34
10. महाराष्ट्र	9.20	11.34	0.93	3.86	637.77
11. मैसूर (कर्नाटक)	5.48	5.40	1799	4.65	0.01	100.10
12. नागालैंड	0.09	0.08	7795	0.08	2.66
13. उड़ीसा	4.08	3.05	10467	4.72	4.76	85.10
14. पंजाब	2.59	2.55	.	2.17	6.43	96.07
15. राजस्थान	4.68	4.34	5149	5.28	5.54	90.10
16. उत्तर प्रदेश	17.05	16.01	18.82	19.06	575.81
17. पश्चिम बंगाल	8.02	9.11	7262	6.84	5.51	280.41
कुल	100.00	100.00	63785	100.00	100.00	3240.37
						100.00

1. इसमें वर्ष-शायी सम्पत्ति के अतिरिक्त बढय प्रकार की सम्पत्ति से संग्रहित कर नेवल सम्मिलित है।

अध्याय : 56

केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों का आय-व्यय (Income and Expenditure of the Central and State Governments)

बजट का अर्थ एवं महत्त्व (Meaning and Importance of The Budget) —

भारतीय संविधान में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के कार्यों का अलग-अलग उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए केन्द्र के जिम्मे सुरक्षा, यातायात, कर्षण, बैंकिंग एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध आदि तथा राज्य सरकारों के जिम्मे पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि तथा वन इत्यादि हैं। इसी प्रकार संविधान में राज्यों तथा केन्द्र के बीच आय एवं व्यय के साधनों के भी वितरण की व्यवस्था है। संविधान के अनुसार-केन्द्रीय सरकार की आय के निम्नांकित प्रमुख साधन हैं—आयात-निर्घात कर, उत्पाद-कर, आय-कर, निगम-कर, रेलवे, डाक-तार, मुद्रा एवं टकसाल तथा रिजर्व-बैंक में प्राप्त आय, इत्यादि। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार के व्यय की निम्नांकित प्रधानमर्दे हैं— डाक तार सुरक्षा व्यय, वर बमूलने का व्यय एवं नागरिक व्यवस्था सम्बन्धी व्यय इत्यादि।

सभी सरकारें प्रति वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में अपने एक वर्ष के संभावित आय एवं व्यय का एक ब्योरा ससद् के सम्मुख प्रस्तुत करती है जिसे आय-व्ययक या बजट (Budget) कहते हैं। अतएव भारत सरकार भी प्रातिवर्ष अपना बजट ससद् में प्रस्तुत करती है। किसी देश के आर्थिक जीवन में बजट का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। वास्तव में बजट प्रत्येक देश की आर्थिक नीतियों को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करता है। देश की आर्थिक नीति उसीसे परिलक्षित होती है। बजट से देश में वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल माग प्रभावित है और उसी पर देश में बचत एवं विनियोग का स्तर, आय एवं रोजगार का स्तर आदि निर्भर करते हैं। बजट में परिवर्तन से देश की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है। वास्तव में, राजकोषीय नीति में परिवर्तन के द्वारा देश की सम्पूर्ण आर्थिक रूप-रेखा को ही परिवर्तन किया जा सकता है।

बजट के विभिन्न प्रकार (Different types of Budget) —

बजट निम्नांकित तीन प्रकार के होते हैं :—

(1) आधिक्य बजट (Surplus Budget) — जब राज्य को जो आय प्राप्त होती है उससे कम रकम व्यय की जाती है तो इस प्रकार के बजट को आधिक्य का बजट कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि आय 100 करोड़ रुपये एवं व्यय 80 करोड़ रुपये हो तो यह आधिक्य का बजट कहा जायगा।

(2) घाटे का बजट (Deficit Budget) — जब राज्य आय से अधिक व्यय करता है तो इसे घाटे का बजट (Deficit Budget) कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आय 100 करोड़ रुपये तथा व्यय 120 करोड़ रुपये हो तो इसे घाटे का बजट कहते हैं।

(3) संतुलित बजट (Balanced Budget) — इसके विपरीत जब राज्य के बजट में आय एवं व्यय दोनों बराबर होते हैं तो उसे संतुलित बजट कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब आय तथा व्यय दोनों ही 100 करोड़ रु० हो तो यह संतुलित बजट हुआ।

1975-76 ई० का भारत सरकार का बजट

(Budget of the Government of India for the year 1974-75)

28 फरवरी 1975 ई० को भारत सरकार के वित्त मंत्री श्री सो० सुब्रह्ण्यम ने भारतीय संसद् के सम्मुख 1975-76 का बजट प्रस्तुत किया। इस बजट के अन्तर्गत राजस्व

सामाजिक एवं विकासात्मक सेवाएँ	159.20	440.82	482.3
अन्य मदें	—	91.67	115.1
मुद्रा एवं टर्नओवर	22.03	21.09	20.6
विविध सेवाएँ	104.45	517.10	933.0
विशेष मदें	—	10.59	10.00
राष्ट्रपति का अनुदान एवं अन्य	323.39	965.49	1217.9
कुल	—	4590.62	6490.9

उपरोक्त तालिका को देखने से राजस्व खाते में केन्द्रीय सरकार की आय एवं व्यय की विभिन्न मदों का अन्दाजा लगता है।

भारत सरकार का पूँजीगत बजट (करोड़ रुपये में)

(Capital Budget of the Govt. of India)

पूँजीगत प्राप्तियाँ	1966-67	1975-76
	(संगोषित)	(बजट)
1. राजकीय ऋण		
भारत से	279.29	324.9
विदेशों से (PL 480 के अतिरिक्त)	642.24	612.7
2. PL 480 कोष में अमा	323.36	—
3. ऋण एवं अनुदान का मुग्तान	384.00	1355.0
4. अल्प बचत (मुद्र)	125.00	380.4
5. अन्य	—	715.4
कुल पूँजीगत प्राप्तियाँ	—	3428.4

पूँजीगत व्यय

1. नागरिक एवं अन्य व्यय	326.17	935.7
2. रेलवे	175.71	182.5
3. पोस्ट एवं टेलीग्राफ	27.60	17.9
4. प्रशिक्षण	114.96	237.7
5. ऋण एवं बचिम—		
राज्य एवं केन्द्रीय क्षेत्र	1413.34	2743.9
अन्य	—	—
कुल पूँजीगत व्यय	—	4276.7
पूँजीगत घाटा	—	—848.3

केन्द्रीय सरकार की आय के प्रमुख साधन

(Main Sources of Revenue of the Central Govt.)

आय-कर (Income Tax) :— आय-कर का भारतीय कर-व्यवस्था में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) है। भारत में आय-कर सर्वप्रथम 1860 ई० में लगाया गया था। जिन्यु 1865 ई० में कुछ कारणों से इसे बन्द कर दिया गया। पुनः 1869 ई० में यह कर लगाया गया और तब से इतना भारतीय कर-व्यवस्था में एक प्रमुख स्थान हो गया है। 1886 ई० में इसमें आमूल परिवर्तन लाकर इसे सरकारी आय का एक स्थायी साधन बनाया गया। तबसे इसमें समय-समय पर देश की वित्तीय आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन होते रहे हैं। कर-मुक्त आय की सीमा को 500 रुपये से बढ़ाकर 1903 ई० में 1000 तथा 1919 ई० में 2000 रुपये कर दिया गया। प्रथम युद्ध-काल में एक अतिरिक्त कर (Super Tax) लगाया गया जिसे युद्ध के अनन्त बन्द कर दिया गया। 1931 ई० में कर-मुक्त आय की सीमा को बढ़ाकर

समाप्त कर दिया गया। 1970-71 ई० के बजट में ऊँची आय पर करों की दर में थोड़ा वृद्धि की गयी।

1972-73 ई० के संशोधित अनुमान के अनुसार इस मद में कुल 602 करोड़ रुपये की आय हुई थी जब कि 1975-76 ई० के बजट में 7.1 करोड़ रुपये की आय का अनुमान था। 1971-72 ई० के बजट में आय-पर सम्बन्धी प्रस्तावों में महत्वपूर्ण संशोधन किये गये थे। उदाहरण के लिए 15 हजार रुपये से अधिक आय पर अतिरिक्त सurcharge (additional Surchage) की रकम को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया। 1973-74 ई० के बजट में कृषि से 5000 रुपये वार्षिक प्राप्त आय से अधिक आय को कर-निर्धारण की दरों के निर्धारण के लिए कुल आय में सम्मिलित करने की व्यवस्था की गयी।

अधिकतम आय की सीमा (Ceiling on Income) — भारत में गत कुछ वर्षों से व्यक्तिगत आय का सीमा निर्धारण सम्बन्ध में भी वातचीत चल रही है। कर जाँच आयोग (Taxation Enquiry Commission) के अनुसार व्यक्तिगत आय की अधिकतम सीमा निश्चित कर देनी चाहिए, जो कर देने के पश्चात् देश में औसत प्रति परिवार की आय के 37 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। किन्तु इस प्रकार की सीमा-निर्धारण केवल कर के द्वारा ही सम्भव नहीं है, बल्कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही, इसे भी सत्तापूर्वक लागू नहीं किया जा सकता। कर जाँच आयोग को उपरोक्त सिफारिशों के बाद देश में समाजवादी विचारधारा के व्यक्तियों ने अधिकतम आय की सीमा निर्धारण के लिए नारा बुलन्द करना आरम्भ किया।

किन्तु, व्यक्ति की आय की अधिकतम सीमा-निर्धारण के क्षेत्र में बहुत-सी व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं। साथ ही, आय में व्याप्त विषमता को इस सीमा-निर्धारण के द्वारा दूर भी नहीं किया जा सकता है। हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री एवं राष्ट्र निर्माता श्री जवाहरलाल नेहरू ने आय की अधिकतम सीमा-निर्धारण के द्वारा समाजवाद लाने के सम्बन्ध में कहा था कि "समाजवाद का अर्थ निर्धनता नहीं है, इसका अर्थ एक निश्चित ऊँचाई से अधिकतम आय वाले व्यक्तियों के घर को काटना नहीं है।" इसके लिए समाज में अधिकतम आय वाले व्यक्तियों की आय को कर के द्वारा कम करना तथा कम आय वाले व्यक्तियों की आय को सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था द्वारा बढ़ाने का प्रयत्न करना होगा।

प्रो० काल्दोर के अनुसार भी समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता को आय की सीमा-निर्धारण द्वारा नहीं दूर किया जा सकता है। इस प्रकार व्यक्तिगत आय की अधिकतम सीमा-निर्धारण का समाज पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे आर्थिक क्षेत्र में प्रेरणा (Incentive) के समाप्त होने की आशंका है।

निगम कर (Corporation Tax) — यह रजिस्टर्ड कम्पनियों पर लगाया जाता है। सर्वप्रथम युद्धकाल में यह कर लगाया गया था। सभी कम्पनियों पर कर की दर एक समान होती है। 196-62 ई० में इससे 156 करोड़ रुपये तथा 1965-66 ई० में 230 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई थी। 1972-73 ई० के संशोधित अनुमान के अनुसार इस कर से 558 करोड़ रुपये आय हुई तथा 1975-76 ई० में इसमें 780.5 करोड़ रुपये आय की आशा की गयी थी। इस प्रकार निगम कर से प्राप्त आय में भी क्रमशः वृद्धि हो रही है। निगम कर से प्राप्त सम्पूर्ण आय केन्द्रीय सरकार की ही प्राप्त होती है।

आयात निर्यात कर (Customs) — यह कर एक परोक्ष कर (Indirect Tax) है। आधुनिक समय में केन्द्रीय सरकार की आय का यह एक प्रमुख साधन है। आयात-निर्यात करों से होनेवाली सम्पूर्ण आय केन्द्रीय सरकार को ही प्राप्त होती है। प्रथम महायुद्ध तक देश में स्वतन्त्र व्यापार की नीति का प्रबलन था, अतः आयात-निर्यात करों में बहुत ही कम आय प्राप्त होती थी। किन्तु युद्ध के उपरान्त 1922-23 ई० में भारत सरकार ने विवेचनात्मक सरक्षण की नीति को अप-

1. Socialism is not something which can be defined as a dead level of poverty. It does not mean cutting of the head of everybody above a certain height."

को बात चली आ रही थी। 1924-25 ई० की वर जांच समिति ने भारत में मृत्यु-कर लगाने के प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार किया था। 1935 ई० के संविधान में भी इस प्रकार के कर की व्यवस्था की गयी थी जिसके अनुसार कृषि-भूमि के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार अन्य सभी प्रकार की सम्पत्ति पर उत्तराधिकार कर लगा सकती थी किन्तु इस प्रकार के करो से प्राप्त आय को राज्यों को देने की व्यवस्था थी। 1946 ई० में सरकार ने उत्तराधिकार कर लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक भी विधान सभा के सम्मुख रखा था, किन्तु उम गमय वह कानून का रूप नहीं धारण कर सका। 1948 ई० में इस आशय का एक दूसरा अक्षराल प्रयास किया गया। पुनः 1952 ई० में इस आशय से एक विधेयक प्रस्तुत किया गया जो कानून बन गया तथा अक्टूबर, 1952 ई० में लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुसार यह सम्पत्ति पर (कृषि-भूमि को छोड़कर) लगाया जाता है। इसके अनुसार हिन्दू परिवार के लिए कम-से-कम 50 हजार रुपये तथा अन्य हालतों में 1 लाख रुपये तक की सम्पत्ति पर कोई कर नहीं लगता। इससे अधिक सम्पत्ति पर उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दरों पर खण्ड प्रणाली (Slab system) के अनुसार यह कर लगता है। इस कर से निम्नलिखित प्रकार की सम्पत्ति को छूट दी जाती है (क) मृत्यु के छ महीने के भीतर सार्वजनिक कार्य के लिए 2500 रुपये तक का दिया गया दान, (ख) मृत्यु के दो साल के अन्दर तक 1500 रुपये तक के कोई अन्य उपहार, (ग) 50, 000 रुपये तक मृत्यु कर चुकाने के लिए ली गयी बीमा पॉलिसी (घ) सरकार के पाम मृत्यु-कर चुकाने के लिए 50 हजार रुपये तक जमा की गयी रकम, (च) मनुष्य की जिन्दगी पर 50 हजार रुपये तक के लिए जीवन बीमा, तथा (छ) किसी लड़की अथवा लड़कियों के ब्याज के लिए पृथक रूप में रखी गयी रकम जो अधिक से अधिक प्रति लड़की 5 हजार रुपये तक होगी। प्रथम मृत्यु के पश्चात् तीन महीनों की अवधि में होनेवाली सभी मृत्युओं को एक ही गौत गिना जाता है। 1963-64 ई० में इससे 13 लाख रुपये की आय प्राप्त हुई थी। 1964-65 ई० में मरुद कर की दर में वृद्धि की गयी जिसके अनुसार 10 लाख रुपये में ऊपर की जायदाद पर 40 प्रतिशत मृत्यु कर के रूप में लिया जायगा। 1973-74 ई० के बजट में इससे 19.25 करोड़ रुपये आय की आशा थी।

उपहार-कर (Gift Tax) — भारत में मृत्यु-कर से बचने के लिए अधिकांश लोगों ने उपहार देना प्रारम्भ कर दिया। अतः इस प्रकार की बुराई को दूर करने के लिए डा० कालडोर ने एक उपहार-कर (Gift Tax) लगाने का सुझाव दिया। भारत सरकार ने डा० कालडोर के सुझावों के आधार पर 1958-59 ई० में इस प्रकार का एक कर लगाया गया। 1965-66 ई० के संशोधित बजट अनुमान के अनुसार इससे 300 लाख रुपये की आय हुई थी। इस कर का प्रधान उद्देश्य मृत्यु कर में बचने की प्रवृत्ति को कम करना है। 1964-65 ई० के बजट में इस कर की दरों में और वृद्धि की गयी। 1967-68 ई० में इस मद से 175 लाख रुपये आय की आशा थी। 1972-73 के संशोधित अनुमान में इस मद में 3.75 करोड़ रुपये आय प्राप्त हुई थी तथा 1975-76 के बजट में इस मद में 4.50 करोड़ रुपये आय प्राप्त होने की आशा थी। इस प्रकार के कर में वृद्धि का प्रधान उद्देश्य बड़े बड़े उपहारों को रोकना है।

सम्पत्ति-कर (Wealth Tax) — सम्पत्ति कर भारत में 1 अप्रैल, 1955 ई० से लगाया गया। इस प्रकार का कर 1 लाख रुपये में अधिक सम्पत्ति वाले व्यक्तियों तथा 2 लाख रुपये से अधिक सम्पत्ति वाले सम्मिलित हिन्दू परिवारों को देना पड़ता है। कृषि-सम्बन्धी सम्पत्ति, प्रोविडेन्ट फण्ड तथा बीमा पॉलिसी की रकम को अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की सम्पत्ति पर यह कर लगाया जाता है। 25 हजार रुपये तक के जेवर को भी इस कर से मुक्त कर दिया गया है। व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रथम एक लाख, सम्मिलित परिवार के सम्बन्ध में दो लाख रुपये की सम्पत्ति पर कोई कर नहीं लगता। उसके बाद व्यक्ति के सम्बन्ध में अगले चार लाख तथा सम्मिलित परिवार के सम्बन्ध में तीन लाख पर 1 प्रतिशत की दर से तथा उसके बाद अगले 5 लाख पर 2 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है। कम्पनियों के सम्बन्ध में वैकिंग, बीमा तथा जहाजी कम्पनियों को इससे पूर्णतः मुक्त कर दिया गया है। अन्य कम्पनियों के सम्बन्ध में भी विभिन्न प्रकार की रियायतें दी गयी हैं। 1961-62 ई० में इस कर से 8.26 करोड़ रुपये तथा 1965-66 ई० में 24 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई थी। 1972-73 ई० के संशोधित अनुमान के अनुसार इससे 43 करोड़ रुपये की आय हुई थी तथा 1975-76 ई० के बजट में इससे 43

प्रकार के करो को एम्पन्न करने में किया जाता है। 1962-63 ई० में इस मद में कुल 23 47 करोड़ रुपये तथा 1963 64 ई० में 23 67 करोड़ रुपये व्यय हुआ था जबकि 1973 74 ई० के बजट में इस मद में 63 5 करोड़ रुपये का अनुमान है। इसमें स्पष्ट है कि इस मद में ध्यय भी निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसे किसी प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता। वसूला प्रमुख कारण नये करो में वृद्धि है, जत आवश्यकता इस बात की है कि इस व्यय में यथासम्भव कमी की जाय।

सूद तथा ऋण का भुगतान (Payment of Interest and Loans) — ऋण पर भी भारत सरकार आजकल बहुत अधिक रकम खर्च करती है। सरकार विकास एवं अन्य कार्यों के लिए देश एवं विदेशों से ऋण लेती है जिस पर व्याज चुकाना पड़ता है। द्वितीय महायुद्ध काल के समय से इन ऋणों का महत्त्व बहुत बढ़ रहा है जिससे सूद भी बढ़ती जा रही है। आजकल पंच वर्षीय योजनाओं के लिए सरकार बहुत अधिक ऋण ले रही है। 1967 68 ई० के सशोधित बजट के अनुसार इस मद में 508 3 करोड़ रुपये व्यय किये गये जबकि 1961 62 ई० में इस मद में केवल 83*8 करोड़ ही व्यय हुआ था। 1972 73 ई० के सशोधित अनुमान के अनुसार 768 6 करोड़ रुपये व्यय हुआ तथा 1975 76 के बजट में इस मद में 1187 8 करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था है।

व्यय का एक महत्त्वपूर्ण शीर्षक प्रशासनिक सेवाएँ (Administrative Services) भी है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद में इसमें निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। 1962 63 ई० में इस मद में कुल 75 करोड़ रुपये व्यय हुआ था जबकि 1973 74 ई० के बजट में इस मद में प्राय 279 4 करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था है। इस मद में भी कमी की बड़ी आवश्यकता है। कर्जा समिति के अनुसार इस मद में अपव्यय को दूर करने तथा मित-ययिता को लाने की बड़ी आवश्यकता है। किन्तु वर्तमान समय में बढ़ते हुए मूल्य-सत तथा प्रशासनिक जटिलता के कारण इसमें कमी की बहुत कम सम्भावना है। सार्वजनिक निर्माण (Public works) का कार्य राज्य। सरकारों के अधीन है, फिर भी केन्द्र को इस मद में थोड़ा बहुत व्यय करना पड़ता है। 1973 74 ई० के बजट इस मद में 46 96 करोड़ रुपये व्यय करने का आयोजन था।

इनके अतिरिक्त मुद्रा एवं टकसाल पर भी भारत सरकार प्रति वर्ष कुछ रकम व्यय करती है।

राज्यों को अनुदान (Grants in aid to states) — केन्द्रीय सरकार प्रतिवर्ष राज्य सरकारों को विशेष कार्यों के लिए अनुदान भी प्रदान करती है। अनुदान विभिन्न उद्देश्यों में दिये जाते हैं। इनका महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। चतुर्थ वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र को आजकल बहुत अधिक रकम अनुदान के रूप में देनी पड़ रही है। 1972 73 ई० में राज्यों तथा केन्द्र द्वारा शासित प्रदेशों को कुल 965 5 करोड़ रुपये अनुदान दिया गया तथा 1975 76 में 1158 करोड़ रुपये के अनुदान की व्यवस्था है।

अन्त में अप्रत्याशित व्यय (Extraordinary Items) है। इस प्रकार का व्यय अनियमित प्रकृति का होता है। उदाहरण के लिए, बाढ़, दुर्भिक्ष एवं अन्य प्रकार के संकट आदि को दूर करने का ध्यय, इत्यादि। 1973 74 के बजट में इस मद में 10 6 करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था है।

राज्यों की वित्त व्यवस्था

(State Finances)

भारतीय संविधान के अनुसार देश का सगठन संघीय आधार पर किया गया है। अतएव इसमें प्रत्येक राज्य अथवा इकाई को कार्य संचालन की स्वतन्त्रता दी गयी है। राज्यों की आय के साधन तथा व्यय की मदें भी निश्चित की गयी हैं। निम्नलिखित तालिका में 1973-74 ई० के बिहार सरकार की आय एवं व्यय को दिखलाया गया है जिससे कि राज्यों की आय एवं व्यय का सामान्य रूप से अंदाजा लगाया जा सकता है —

जर्मनी में 28.6 प्रतिशत भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका में 25.9 प्रतिशत भाग करों के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार विकसित देशों की तुलना में भारत में यह वास्तव में बहुत ही कम है।

भारत में करों से प्राप्त आय के निम्न होने के कई कारण हैं। इनमें सर्वाधिक प्रधान कारण बड़े पैमाने पर करों की चोरी (Tax evasion) है। अतएव करों की वर्तमान दरों में वृद्धि करने की अपेक्षा भारत तथा राज्य सरकारों द्वारा करों की दसूली के तरीकों में सुधार से भी अधिक लाभ की आशा की जा सकती है।

विशेष अध्ययन सूची

1. Budgets of the Govt. of India and of Bihar.
2. India—1975
3. Eastern Economists Budget Number, 1975
4. Reserve Bank of India Bulletin June, 1974

11. "By generalising purchasing power money helps the consumer in obtaining equimarginal utilities from his expenditure and in presenting his demand in the form which suits him most" Explain this statement.
"क्रय शक्ति का सामान्यीकरण कर मुद्रा उपभोक्ता को अपने व्यय से सम-सीमांत उपयोगिता प्राप्त करने में सहायक होती है।" इस वचन की व्याख्या कीजिए।
12. "Thus money which is a source of so many blessings to mankind becomes, also, unless we control it, a source of peril and confusion". Discuss
"इस प्रकार मुद्रा, जो कई वारणा से मानव के लिए वरदान सिद्ध होता है नियंत्रण के अभाव में, संकट एवं अशांति का कारण बन सकती है।" समझाइय।
13. Discuss the services which money performs for the producer and the consumer. Can you dispense with money in a planned economy?
उत्पादक तथा उपभोक्ता के लिए मुद्रा जो कार्य करता है उसकी व्याख्या कीजिए। क्या आयोजित अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा के बिना कार्य किया जा सकता है?
14. "Money is an unmixed blessing". Discuss and explain the role of money in a planned economy.
"मुद्रा एक अमिश्रित वरदान है।" समझाइय तथा आयोजित अर्थ-व्यवस्था में इसके महत्त्व की व्याख्या कीजिए।
15. Examine the fundamental function of money as the regulator of the entire economy. How does the regulatory function in a free economy differ from that in a controlled economy?
सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था के संचालक के रूप में मुद्रा के मूलभूत कार्यों की व्याख्या कीजिए। मुद्रा के संचालन सम्बन्धी कार्य के सम्बन्ध में नियंत्रित तथा अनियंत्रित अर्थ-व्यवस्था में क्या अन्तर है?
16. "Social economy has always been and probably will remain, a monetary economy. Discuss & examine the significance of money in a capitalist as well as socialist economy.
"सामाजिक अर्थ-व्यवस्था सदा मौद्रिक अर्थ-व्यवस्था रही है और सम्भवतः रहेगी।" विवचना कीजिए। समाजवादो तथा पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा के महत्त्व को स्पष्ट करें।
17. Discuss the circumstances in which money "becomes also, unless we control it, a source of peril and confusion".
उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें मुद्रा, यदि नियंत्रित नहीं की जाय, तो अशांति एवं अज्ञाति का कारण बन जाता है।
18. "Money is the epitome of paradox. It is at once the most and the least important of economic goods". Lucidate and discuss the evils of money.
"मुद्रा विचित्रताओं से भरी है। एक ही साथ, यह सर्वाधिक तथा सबसे कम महत्वपूर्ण है।" स्पष्ट कीजिए और मुद्रा के दोषों की व्याख्या कीजिए।
19. "The introduction of money has facilitated and promoted economic activities to a great extent". Discuss.
"मुद्रा के प्रयोग ने आर्थिक क्रियाओं का बहुत हद तक प्रोत्साहित किया है।" व्याख्या कीजिए।
20. "It is impossible for any complex economic system to function with any reasonable degree of efficiency without a price mechanism". Explain and discuss the role of money in regulating the economic system of a country

7. 'Loans create credit' Discuss the statement and point out the limitations on the powers of banks to create credit.
 "ऋण जमा का सृजन करते हैं।" इस कथन की व्याख्या कीजिये तथा बैंकों के साख्त सृजन की शक्ति सीमाओं का वर्णन कीजिए।
8. 'Every loan creates a deposit' Discuss. Are there any limitations on the powers of banks to create credit?
 "प्रत्येक ऋण जमा का सृजन करता है।" समझाये। बैंकों के जमा-सृजन की शक्ति की सीमाओं की व्याख्या कीजिए।
9. 'Loans are the children of deposits and deposits are the children of loans' Discuss this statement.
 "जमा से ऋण का सृजन होना है और ऋण जमा का सृजन करते हैं।" इस कथन की व्याख्या कीजिए।
10. 'A commercial bank creates liabilities by acquiring assets.' Discuss.
 "व्यावसायिक बैंक सम्पत्ति को ग्रहण करके दायित्व का सृजन करता है।" समझाये।
11. "Banks are not merely purveyors of money but also in an important sense, manufacturers of money." Explain the above statement Are there any limitations on the powers of banks to create credit?
 "बैंक केवल मुद्रा के व्यापारी ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अर्थ में मुद्रा के उत्पादक भी होते हैं।" इस कथन की व्याख्या कीजिए। बैंक के जमा-सृजन की शक्ति की सीमाओं की व्याख्या कीजिए।
12. Discuss the methods of credit creation by a commercial bank. What are its guiding principles?
 व्यावसायिक बैंक द्वारा साख्त-सृजन के तरीकों की व्याख्या कीजिए। इस सम्बन्ध में इनके विद्यमान क्या हैं?

मुद्रा का मूल्य एवं निर्देशांक

1. What do you understand by 'value of money'? How are changes in the value of money measured?
 मुद्रा के मूल्य से आप क्या समझते हैं? मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन को किस प्रकार से मापा जाता है?
2. What is the meaning of value of money? Explain how index numbers measure the changes in the value of money from time to time.
 मुद्रा के मूल्य का क्या तात्पर्य है? स्पष्ट करें कि किस प्रकार सूचकांक समय-समय पर मुद्रा के मूल्य में हुए परिवर्तनों को मापते हैं?
3. How are variations in the value of money measured? What are the difficulties in construction of Index Numbers and how can they be removed?
 मुद्रा के मूल्य के परिवर्तनों को कैसे मापा जाता है? निर्देशांकों के निर्माण की क्या कठिनाइयाँ हैं और वे किस प्रकार दूर की जा सकती हैं?
4. What is an Index Number? Examine the difficulties inherent in any attempt to measure the changes in the value of money.
 निर्देशांक क्या है? मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन को मापने की कठिनाइयों की व्याख्या कीजिये।
5. "Index numbers measure the changes in price-levels but the items included in the Index have different importance, therefore, the Index

5. Discuss the effects of changes in the value of money on different classes of the society.

मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन से समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव की विवेचना कीजिये।

6. 'Inflation is unjust and inequitable and deflation is inexpedient' (Keynes) Elucidate.

"मुद्रा-स्फीति अन्यायपूर्ण तथा विरकीति अयुक्तिसंगत है।" स्पष्ट कीजिये।

मुद्रा का परिमाण सिद्धांत

1. Critically examine the Quantity Theory of Money.

मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये।

2. What do you mean by the demand for money? What are the factors which influence the demand for money?

मुद्रा की माग से आप क्या समझते हैं? मुद्रा की माग को प्रभावित करनेवाले तत्वों की व्याख्या कीजिए।

3. What is meant by the velocity of circulation of money? Discuss the factors that determine it.

मुद्रा के भ्रमण-प्रवाह से आप क्या समझते हैं? इसको प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिये।

4. Examine critically the Quantity Theory of Money.

मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये।

5. Explain the Quantity Theory of Money. Can this theory be helpful in dealing with trade cycles?

मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या कीजिये। क्या यह सिद्धान्त व्यापार-चक्र की समस्याओं के समाधान में सहायक होगा?

6. "The value of money like the value of anything else is mainly a question of demand and supply." Elucidate.

"अन्य वस्तुओं के मूल्य की तरह मुद्रा का मूल्य भी मुख्यतः माग एवं पूर्ति पर निर्भर करता है।" स्पष्ट कीजिए।

7. "The modern tendency in economic thinking is to discard the old notion of the quantity of money as a determinate of the value of money." Explain and discuss the shortcomings of the Quantity Theory of Money.

"आधुनिक विचारधारा की वस्तुमान प्रवृत्ति मुद्रा के परिमाण को मुद्रा के मूल्य के निर्धारक तत्व के रूप में समझने की प्राचीन विचारधारा के परित्याग की है।" व्याख्या कीजिये तथा मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त के दोषों को बतलाइये।

8. "The Quantity Theory of Money is right in principles but defective in details." Discuss.

"मुद्रा का परिमाण सिद्धांत सिद्धान्ततः ठीक है, किन्तु व्यवहार में दोषपूर्ण है।" व्याख्या कीजिए।

9. Explain the Cambridge Version of the Quantity Theory of Money. How does it differ from the Fisher's Version?

मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के कैम्ब्रिज रूप की व्याख्या कीजिए। फिशर की व्याख्या से यह किस प्रकार भिन्न है?

10. "The Quantity Theory of Money can at best explain the level and not the ebb and flow of the trade cycle." Explain.

- 6 "The Quantity Theory of money explains as it were the average level of the sea, the Saving and investment Theory explains the violence of the tide" Discuss

"मुद्रा परिमाण सिद्धान्त समुद्र के सामान्य-तल को मापता है तथा बचत एव वित्तियोग का सिद्धान्त उसके ज्वार भाट के वेग को मापता है।" व्याख्या कीजिए।

- 7 "The Quantity Theory of Money can at best explain the level and not theebb and flow of tides" Explain

"मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त अधिक से अधिक सामान्य तल को माप सकता है, ज्वारों के ज्वार भाट को नहीं।" व्याख्या कीजिये।

व्यापार-चक्र

- 1 Explain the nature of Trade Cycle Do you agree with the view that trade cycle is a monetary phenomena

व्यापार-चक्र की प्रकृति की व्याख्या कीजिये। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि व्यापार-चक्र एक विसुद्ध मौद्रिक प्रवृत्ति है। व्याख्या कीजिए ?

- 2 "Trade Cycle is a purely Monetary phenomenon." Discuss

"व्यापार चक्र एक विसुद्ध मौद्रिक प्रवृत्ति है।" समझाइये।

व्यावसायिक बैंकों का संगठन

- 1 Discuss the merits of Branch Banking versus Unit Banking with special reference to Indian conditions

भारतीय परिस्थितियों की ध्यान में रखते हुए शाखा बैंकिंग तथा इकाई बैंकिंग के अपने-अपने गुणों की व्याख्या कीजिये।

- 2 "The debate over unit and branch banking is really a part of those large controversies which are not solely economic but are for a large part political and sociological, over large scale business versus small scale business, or over centralisation versus decentralisation Discuss

"इकाई एव शाखा बैंकिंग के सम्बन्ध में वाद विवाद वस्तुतः इस व्यापक वाद विवाद, जो केवल आर्थिक नहीं होकर राजनीतिक एव सामाजिक है—बड़े पैमाने के व्यवसाय बनाम छोटे पैमाने के व्यवसाय या केन्द्रीकरण व अम विकेन्द्रीकरण का एक अंग है।" समझाइये।

- 3 Compare the relative merits and demerits of Branch Banking and Unit Banking Systems Which of the two will be more suitable for India ?

शाखा एव इकाई बैंकिंग-व्यवस्था के गुण एव दोषों की व्याख्या कीजिए। इन दोनों में से कौन भारत के लिए अधिक उपयुक्त है ?

4. Discuss the relative merits and demerits of branch and unit Banking systems

इकाई एव शाखा बैंकिंग पद्धति के गुण एव दोषों की व्याख्या कीजिए।

- 5 Describe the advantages and disadvantages of unit and branch banking इकाई एव शाखा बैंकिंग के लाभ एव दोषों की विवेचना कीजिए।

- 6 Discuss in brief the organisation of Commercial Banks in England, U S A and India

इंग्लैंड, संयुक्त-राज्य अमेरिका तथा भारत की बैंकिंग प्रणाली के संगठन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।

7. Indicate the importance of clearing house system in modern banking

व्यावसायिक बैंक अपने साधनों के वितरण में किन किन सिद्धांतों का अनुगमन करता है ? इस सम्बन्ध में किन का क्या महत्त्व है ?

- 10 "The success of commercial banking lies in proper reconciliation of the opposite principles of liquidity and profitability in the distribution of its assets." Elucidate

"सफल बैंक व्यवसाय का रहस्य इस बात में है कि बैंक किस प्रकार अपने साधनों की तरलता तथा लाभदायकता के दो विपरीत तत्वों में समन्वय स्थापित करता है।" स्पष्ट कीजिए।

- 11 "A constant tug of war between the competing aims of liquidity and profitability summarises the functions of a modern commercial bank" Discuss

"तरलता तथा लाभदायकता के दो प्रतियोगी उद्देश्यों के बीच अगातार खींचा-तानी ही आधुनिक व्यावसायिक बैंक के व्यवसाय का सार है।" स्पष्ट कीजिए।

- 12 "The secret of successful banking business is to distribute resources between various forms of assets in such a way as to get a sound balance between the opposite considerations of liquidity and profitability" Discuss

"बैंकिंग व्यवसाय की सफलता का रहस्य अपने साधनों की विभिन्न प्रकार की सम्पत्ति के बीच इस प्रकार के वितरण में है जिससे तरलता तथा लाभदायकता के दो विपरीत तत्वों के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके।" स्पष्ट कीजिए।

- 13 Discuss the role of treasury bills in the distribution of commercial bank's assets in the inter war period. Would you advocate larger investments in treasury bills by commercial banks in India ?

दोनों युद्धों के बीच वाले समय में व्यावसायिक बैंक के साधनों के वितरण में ट्रेजरी बिलों के महत्त्व की व्याख्या कीजिए। क्या आप भारतीय बैंकों द्वारा ट्रेजरी बिल में अधिक विनियोग के पक्ष में हैं ?

साख-पत्र

- 1 "Like all useful and delicate instruments credit is dangerous when abused" Discuss

"प्रत्येक लाभदायक साधन की तरह, साख का दुरुपयोग करने पर यह भी खतरनाक हो जाता है।" स्पष्ट कीजिए।

- 2 Discuss the main features of different types of credit instruments
विभिन्न प्रकार के साख-पत्रों का प्रचलन विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।

मुद्रा बाजार

1. What is the utility of discount market ? Can you visualize a discount market in India of the type of London Discount Market ?

बट्टा बाजार की क्या उपयोगिता है ? क्या आप लंदन बट्टा बाजार की तरह भारत में भी बट्टा बाजार के विकास को संभव मानते हैं ?

- 2 Examine the main features of the English Money Market Discuss the importance of discount houses in it

इंग्लैंड के मुद्रा बाजार की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए तथा इसमें बट्टा-गृहों के महत्त्व का वर्णन कीजिए।

- 3 Compare the London Money Market with the New York Money Market What are the reasons of the supremacy of the latter after the first World War ?

6. Describe the different methods of note-issue. Do you think that the present system of note-issue in India is helpful in developing the economy of the country ?

पत्र-मुद्रा जारी करने के विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए। क्या आप यह सोचते हैं कि भारत में पत्र-मुद्रा जारी करने की वर्तमान रीति देश की अर्थ-व्यवस्था को विकसित करने में सहायक होगी ?

7. Describe the various systems of note-issue. Which of them do you consider to be the best and why ?

पत्र-मुद्रा जारी करने के विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिये। इनमें से आप कौन तरीका आप सबसे उत्तम समझते हैं और क्यों ?

8. Discuss the main functions of a Central Bank with special reference to the Reserve Bank of India. In which ways Central Bank can assist in developing the economy of an under-developed country ? ;

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए। किसी अर्द्ध-विकसित देश की अर्थ-व्यवस्था को विकसित करने में केन्द्रीय बैंक किस प्रकार से सहायक सिद्ध हो सकता है ?

9. Discuss the guiding principles of note-issue. Examine the various systems of note-issues with reference of India.

पत्र-मुद्रा जारी करने के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। भारत के सन्दर्भ में पत्र-मुद्रा जारी करने के तरीकों की व्याख्या कीजिए।

10. Explain the implications of the role of Central Bank as the lender of the last resort. What handicaps has the Reserve Bank of India faced in performing this role ?

अन्तिम क्षण के सहायक के रूप में केन्द्रीय बैंक के कार्य के आशय की व्याख्या कीजिए। इस कार्य के सम्पादन में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया किन-किन कठिनाइयों का अनुभव करता है ?

11. Describe the important functions of Central Bank.

केन्द्रीय बैंक के महत्वपूर्ण कार्यों की व्याख्या कीजिए।

12. Examine the functions of the Central Bank of a country with special reference to the Bank of England or the Reserve Bank of India.

बैंक ऑफ इंग्लैंड बववों रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय बैंक के कार्यों की समीक्षा कीजिए।

13. Are you in favour of nationalisation of Central Bank ? Give reasons for your arguments.

क्या आप केन्द्रीय बैंक के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं ? अपने मत के कारण बताइये।

साख-नियन्त्रण

1. Discuss the different objectives of credit control. What are the conditions essential for the success of the policy of credit control ?

साख-नियन्त्रण के विभिन्न उद्देश्यों को बतलाइये। साख-नियन्त्रण की नीति की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं ?

2. Examine the different objectives of Credit Control and discuss the significance of qualitative control in modern monetary management.

साख-नियन्त्रण के विभिन्न उद्देश्यों की समीक्षा कीजिए तथा आधुनिक मौद्रिक व्यवस्था में गुणात्मक नियन्त्रण के महत्त्व को बताइये।

14. Discuss the importance of variations in the Cash Reserve Ratio as an instrument of credit control. Is it an effective instrument of credit-control ?

साख-नियन्त्रण के साधन के रूप में नकद जमा अनुपात में परिवर्तन के महत्त्व की व्याख्या कीजिए। क्या यह साख-नियन्त्रण का महत्त्वपूर्ण साधन है ?

15. Explain the significance of credit-control in modern monetary management. How do you account for the recent trends towards selective credit control and away from quantitative control ?

आधुनिक मौद्रिक व्यवस्था में साख-नियन्त्रण के महत्त्व की व्याख्या कीजिए। आजकल परिभाषात्मक नियन्त्रण से दूर तथा गुणात्मक नियन्त्रण की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति के लिए आप क्या कारण दे सकते हैं ?

16. "Not only quantitative but also qualitative control of Bank credit is necessary for the success of a policy of national planning." Do you agree ?

"आर्थिक नियोजन की नीति की सफलता के लिए बैंक-साख का केवल परिभाषात्मक नियंत्रण ही नहीं, बल्कि गुणात्मक नियंत्रण भी अनिवार्य है।" क्या आप इस विचार से सहमत हैं ?

17. What do you mean by selective credit control ? How has this control been exercised by the Reserve Bank of India in recent times ?

चयनात्मक साख-नियन्त्रण से आप क्या समझते हैं ? रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया आजकल गुणात्मक साख-नियन्त्रण की नीति को किस प्रकार से प्रयोग में ला रहा है ?

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया

1. Discuss the main functions of the Reserve Bank of India. In what ways has the Reserve Bank assisted in the development of the Indian economy ?

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए। किस प्रकार रिजर्व बैंक ने भारत के आर्थिक विकास में सहायता प्रदान की है ?

2. Examine the functions of the Reserve Bank of India.

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के कार्यों की व्याख्या कीजिये।

3. Examine the role of the Reserve Bank of India in the Indian economy. How far it has helped in developing rural finance ?

भारतीय अर्थ-व्यवस्था में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के कार्यों की समीक्षा कीजिए। ग्रामीण साख के विकास में यह कहाँ तक सहायक सिद्ध हुआ है ?

4. Give an account of the working of the Reserve Bank of India. How far has it helped in providing agricultural credit ?

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की कार्य-प्रणाली की व्याख्या कीजिये। कृषि-साख की पूर्ति में यह कहाँ तक सहायक सिद्ध हुआ है ?

5. "In India the usual methods of credit control are not operative in an effective manner." Discuss.

"भारत में साख-नियन्त्रण के सामान्य तरीके प्रभावपूर्ण रूप में क्रियाशील नहीं हुए हैं।" व्याख्या कीजिये।

6. Discuss the achievements of the Reserve Bank of India in organising and expanding agricultural credit in the country.

देश में कृषि-साख के संगठन तथा विस्तार के क्षेत्र में रिजर्व बैंक की उपलब्धियों की व्याख्या कीजिये।

- 4 What in your opinion should be the objective of monetary policy ? Do you think that money can be neutral ?

आपकी राय में मौद्रिक नीति का क्या उद्देश्य होना चाहिए ? क्या मुद्रा तटस्थ हो सकती है ?

- 5 Describe in brief the objectives and scope of monetary policy in a country. How far in your opinion is it successful in India ?

किसी देश की मौद्रिक नीति के उद्देश्य तथा क्षेत्र की संक्षिप्त व्याख्या करें ! आपकी राय में भारत में यह कहीं तक सफल/सूत्र हो सकती है ?

- 6 Mention the main objectives of monetary policy ? How far in your opinion, is the Reserve Bank of India following a suitable monetary policy ? Can you suggest improvements in it ?

मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए ! आपकी राय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहीं तक उचित नीति का अनुकरण कर रहा है ? क्या आप इसमें सुधार के लिए सुझाव दे सकते हैं ?

7. "The proper aim of a monetary policy is neither price stability nor neutrality of money, but optimum utilization of resources" Discuss

"मौद्रिक नीति का प्रधान उद्देश्य न तो मूल्य तल का स्थायित्व है और न मुद्रा की तटस्थता ही है, बरन साधनों का आदर्शतम उपयोग है। व्याख्या कीजिये।

सस्ती मुद्रा नीति

1. "Low rates of interest have come to stay despite the shortcomings of the Cheap Money Policy" How do you explain this phenomenon

"सस्ती मुद्रा नीति की बुराइयों के बावजूद निम्न ब्याज की दर एक वास्तविकता हो गयी है।" आप इस प्रवृत्ति की व्याख्या किस प्रकार कर सकते हैं ?

- 2 What is meant by cheap money policy ? Under what circumstances its adoption is profitable ?

सस्ती मुद्रा नीति का क्या तात्पर्य है ? किन-किन परिस्थितियों में इसे अपनाना लाभदायक सिद्ध होता है ?

मुद्रा-स्फीति एवं मुद्रा-सकुचन कारण एवं निदान

- 1 What do you mean by inflation and deflation ? Discuss their causes मुद्रा-स्फीति एवं विस्फीति से आप क्या समझते हैं ? इनके कारणों की व्याख्या कीजिये।

- 2 Discuss the different methods that can be employed to cure inflation Examine the importance of monetary policy in this connection

मुद्रा-स्फीति को दूर करने के लिए अपनाया जा सकने वाले उपायों की व्याख्या कीजिए। इस सम्बन्ध में मौद्रिक नीति के महत्त्व को बतलाइये।

- 3 "Exclusive reliance upon monetary policy as the means to cope with inflation is a dangerously one-sided weapon A many sided attack on the problem is needed" Discuss

"मुद्रा-स्फीति को दूर करने लिए एक मात्र मौद्रिक नीति पर निर्भर करना बिल्कुल खतरनाक है। इस समस्या पर विभिन्न तरीके से आक्रमण अनिवार्य है।" स्पष्ट कीजिए।

4. Account for the inflationary pressure in a developing economy What measures can be taken to counteract it ?

विकासशील अर्थ-व्यवस्था में स्फीतिजनक दबावों के कारणों की व्याख्या कीजिये। इसका निदान कैसे हो सकता है ?

- 5 What do you understand by inflation and deflation ? Discuss their effects upon production, price level and distribution.

“स्वर्ण-मान के अलग-अलग रूप हैं।” व्याख्या कीजिये। स्वर्ण-मान के लाभ अथवा हानि की व्याख्या कीजिये।

12. Describe the conditions necessary for the successful functioning of the Gold Standard. What were the causes of the general break-down of the Gold Standard?

स्वर्ण-प्रमाण के सफल संचालन की शर्तों की व्याख्या कीजिये। स्वर्ण-मान की समाप्ति के क्षाम कारण क्या थे?

13. Discuss and explain the reasons for the break-down of the Gold Exchange Standard in India,

भारत में स्वर्ण-विनिमय-मान की समाप्ति के कारणों की व्याख्या कीजिये।

14. Explain the conditions for the successful functioning of the Gold Standard. Why did it break-down during the Inter-war period?

स्वर्ण-मान के सफल संचालन के लिए आवश्यक शर्तों की व्याख्या कीजिये। दोनो युद्धों के बीच वाले समय में इसके समाप्त होने के कारणों की व्याख्या कीजिये।

15. What do you understand by the Gold Standard? Give an account for its breakdown in the inter-war period,

स्वर्ण-प्रमाण से क्या समझते हैं? दोनो युद्धों के बीच वाले समय में इसकी समाप्ति के कारणों की व्याख्या कीजिए।

16. “The gold standard is a fair weather craft.” Examine the statement and discuss the various factors that led to the breakdown of the gold standard.

“स्वर्ण-मान केवल अनुकूल परिस्थितियों का मान है।” इस कथन की विवेचना कीजिए तथा स्वर्ण-मान के पतन के विभिन्न कारणों की व्याख्या कीजिए।

17. Describe the functions of the Gold Standard. What is meant by the golden rule of the gold standard?

स्वर्ण-मान के कार्यों की व्याख्या कीजिये। स्वर्ण-मान के गृहले नियम का क्या तात्पर्य है?

18. Discuss the limitations of the gold Standard in the context of an expanding economy. Would you advocate its restoration to day?

विकासशील अर्थ-व्यवस्था के संदर्भ में स्वर्ण-प्रमाण की सीमाओं की व्याख्या कीजिये। क्या आजकल इसे पुनः अपनाए जाने का आप सुझाव दे सकते हैं?

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकासार्थ बैंक

1. “The International Monetary Fund and the International Bank for Reconstruction and Development are complementary institutions.” Discuss and show how far they have been able to achieve the objectives for which they were meant.

“अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष तथा पुनर्निर्माण एवं विकासार्थ बैंक एक दूसरे के पूरक हैं।” स्पष्ट कीजिए तथा यह बतलाइये कि ये कहीं तक अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल हुए हैं।

2. Discuss the objects of the International Monetary Fund. How does it differ from the International gold Standard?

अन्तर्राष्ट्रीय, मुद्रा कोष के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिये। अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान से यह किस प्रकार यह भिन्न है?

3. Discuss the functions of the World Bank and the International Monetary Fund.

विश्व-बैंक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के कार्यों की व्याख्या कीजिये।

सस्याओं के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिये तथा यह बतलाइये कि भारत इनसे कहाँ तक लाभान्वित हुआ है ?

11. "Gold standard has been abolished, but gold still occupies an important place in the management of the International Monetary fund"
Discuss

"स्वर्ण प्रमाण समाप्त कर दिया गया, परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के व्यवहार में स्वर्ण का अभी भी महत्वपूर्ण स्थान है।" इस वाक्य की व्याख्या कीजिये।

12. Examine briefly the organisation and functions of the International Monetary Fund

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यों तथा संगठन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिये।

13. Discuss the following—(i) The Funds plan is the exact opposite of the Gold Standard (ii) The fund plans is essentially a Gold Standard plan

निम्नलिखित वाक्यों का व्याख्या कीजिए—(क) "कोष की योजना स्वर्ण मान के ठीक विपरीत है।" (ख) "कोष की योजना वस्तुतः स्वर्ण मान की योजना है।"

14. Can the International Monetary Fund be described as an International Central Bank? How has its existence affected the Monetary policies of member countries?

क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्रीय बैंक कहा जा सकता है? इसके अस्तित्व ने सदस्य राष्ट्रों की मौद्रिक नीति को कहाँ तक प्रभावित किया है?

15. Discuss the objectives and functions of the International Monetary Fund How does it differ from International Gold Standard?

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्यों तथा कार्यों की व्याख्या कीजिए। अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान से यह किस प्रकार भिन्न है?

16. Discuss the principal objectives of the International Bank for Reconstruction and Development Has the working of the Bank been able to achieve these objectives?

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकासाय बैंक के प्रधान उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। क्या अपनी कार्यवाही में बैंक इन उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल हो पाता है?

17. What are the purposes of the International Bank for Reconstruction and Development? How far has the bank assisted in development of backward countries?

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकासाय बैंक के क्या उद्देश्य हैं? पिछड़े देशों के विकास में बैंक ने कहाँ तक सहायता प्रदान की है?

18. What are the functions of the International Bank for Reconstruction and Development? How far has this bank helped in the development of the backward countries?

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकासाय बैंक के क्या कार्य हैं? पिछड़े देशों के विकास में इस बैंक ने कहाँ तक सहायता प्रदान की है?

19. Explain the aims and objects of the International Bank for Reconstruction and Development Has India been benefitted by it?

पुनर्निर्माण तथा विकास सम्बन्धी बैंक के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की व्याख्या कीजिए। क्या भारत इससे लाभान्वित हुआ है?

20. How does the International Bank of Reconstruction and Development function? Describe the aid it has secured for Indian projects

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकासाय बैंक किस प्रकार कार्य करता है? भारतीय योजनाओं के लिए इसके द्वारा प्रदत्त सहायता की व्याख्या कीजिए।

विनिमय-नियंत्रण

1. Discuss the objectives of exchange control and the methods adopted by various countries in recent years

विनिमय नियंत्रण के उद्देश्यो तथा हाल के वर्षों में विभिन्न देशों द्वारा अपनाये गये विनिमय-नियंत्रण के भिन्न भिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए ।

2. What is the need for exchange control? Examine its objectives and mention the measures that are adopted for this purpose

विनिमय-नियंत्रण की क्या आवश्यकता है? इसके उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए तथा इसके लिए अपनाये गये उपायों को बतलाइये ।

3. Describe the various methods of exchange control adopted by modern Governments

आधुनिक सरकारों द्वारा अपनाये गये विनिमय नियंत्रण के विभिन्न उपायों की व्याख्या कीजिये ।

4. What do you mean by exchange control? Discuss the various methods of exchange control adopted by the Govt of India at the present moment

विनिमय नियंत्रण से आप क्या समझते हैं? वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा अपनाये गये विनिमय नियंत्रण के विभिन्न प्रकार के उपायों की व्याख्या कीजिए ।

5. Discuss the need for exchange control How far in your opinion is Government interference in exchange control desirable? Mention some of the important measures adopted by the Govt towards this end in recent years

विनिमय-नियंत्रण की आवश्यकता का वर्णन कीजिए । विनिमय नियंत्रण के रूप में सरकारी हस्तक्षेप आपकी राय में कहाँ तक उचित है? इस उद्देश्य से सरकार द्वारा अपनाये गये कुछ उपायों की व्याख्या कीजिए ।

6. What is exchange control? Discuss its merits and demerits

विनिमय-नियंत्रण क्या है? इसके गुण एवं अवगुणों की व्याख्या कीजिए ।

7. "A Government may intervene in the foreign exchange market either to hold the value of its currency up or to hold it down" Explain this statement in the light of recent experiences

"सरकार विदेशी विनिमय बाजार में अपनी मुद्रा के मूल्य को अधिक या कम करने के लिए हस्तक्षेप कर सकती है।" आधुनिक अनुभवों के आधार पर इस कथन की व्याख्या कीजिए ।

8. What do you understand by Exchange Control? Discuss its methods

विनिमय नियंत्रण से आप क्या समझते हैं? इसके तरीकों की व्याख्या कीजिए ।

9. "The most important reason for controlling the exchange market is to make the rate of exchange different from what it would be without control" Discuss this statement What should be the object of exchange management?

"विनिमय बाजार को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा कारण विदेशी विनिमय दर को उस दर से भिन्न बनाना है जो यह बाजार नियंत्रण के होगा।" इस कथन की व्याख्या कीजिये । विनिमय-व्यवस्था का क्या उद्देश्य होना चाहिए?

भारतीय चलन का इतिहास

1. Discuss the circumstances which led to the devaluation of the Indian Rupee in Sept 1949 Discuss its consequences

सितम्बर, 1949 ई० में भारतीय रुपये के अवमूल्यन के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए । इसके परिणामों को बतलाइये ।

2. Discuss the main changes which the Second World War brought about in the currency and exchange system in India

देश में कृषि-साख-व्यवस्था के संगठन तथा विस्तार में रिजर्व बैंक के कार्यों की व्याख्या कीजिये।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

1. Why should there be a separate theory of international trade? What are the advantages of participating in international trade?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृथक् सिद्धान्त की क्यों आवश्यकता है? अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने के क्या लाभ हैं?

2. Why is a separate theory of international trade considered necessary? Explain the conditions under which international trade is possible?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक् सिद्धान्त क्यों आवश्यक है? अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार जिन परिस्थितियों में सम्भव है उनकी व्याख्या कीजिये।

3. What are the gains from international trade? How are they shared among the different participating countries?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या लाभ हैं? भाग लेनेवाले विभिन्न देशों में यह किस प्रकार वितरित किया जाता है?

4. What constitutes the gains from international trade? How is the gain shared by different countries participating in the world trade?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या लाभ हैं? विश्व व्यापार में भाग लेनेवाले विभिन्न देशों के बीच यह किस प्रकार से वितरित किया जाता है।

5. Explain the following—

(a) Why does a country import a commodity that it can produce more cheaply?

(b) Why does a country produce a commodity which it also imports?

निम्नांकित कथन की व्याख्या कीजिये—(क) कोई देश उस वस्तु को जिसे वह अधिक सस्ती दर में उत्पन्न कर सकता है क्यों आयात करता है? (ख) कोई देश उस वस्तु का आयात क्यों करता है, जिसे वह स्वयं भी उत्पन्न करता है?

6. Explain the gains from international trade, How are these gains shared?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों की व्याख्या कीजिये। इन लाभों का वितरण किस प्रकार होता है?

7. "The principle of Comparative Costs gives us a fundamental explanation of why international trade takes place." Discuss.

"तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त इस बात की व्याख्या करता है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है।" विवेचना कीजिये।

8. Examine critically the Principle of Comparative Costs as an explanation in international trade

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या के रूप में तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिये।

9. "Each country will produce those articles in the production of which its superiority is most marked or its inferiority is least marked." Explain and examine the Comparative Cost Theory of International Trade.

"प्रत्येक देश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिनके उत्पादन में उसकी श्रेष्ठता अधिक है अथवा निम्नता सबसे कम है।" व्याख्या कीजिये तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त को बतलाइये।

4. Describe the different methods of correcting an adverse Balance of Payments.

प्रतिकूल भुगतान-संतुलन को ठीक करने के विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिये।

5. Explain the term 'balance of payments'. Discuss the factors that cause disequilibrium in the balance of payments of a country.

'भुगतान-संतुलन' शब्द की व्याख्या कीजिए। किसी देश के भुगतान-संतुलन में असंतुलन उत्पन्न करनेवाले तत्वों की व्याख्या कीजिये।

6. How can there be a favourable or an adverse balance of payments? What are the various methods by which an adverse balance of payment can be corrected?

अनुकूल अथवा प्रतिकूल भुगतान संतुलन किस प्रकार हो सकता है? प्रतिकूल भुगतान-संतुलन को ठीक करने के विभिन्न तरीके कौन-कौन हैं?

7. Distinguish between Balance of trade & Balance of payments Explain the items constituting the balance of payments of a country.

व्यापाराधिक्य तथा भुगतान संतुलन में अन्तर कीजिये। किसी देश के भुगतान-संतुलन की विभिन्न मदों की व्याख्या कीजिये।

8. Analyse the dictum that "Exports pay for Imports." How should this notion affect the tariff policy?

इस कथन—“निर्मात आयातों का भुगतान करने हैं” की व्याख्या कीजिये। यह धारणा कर-नीति को किस प्रकार से प्रभावित करती है?

9. "Balance of Payments must balance." How can then there be a favourable or an adverse balance of payments

“भुगतान-संतुलन सदा संतुलित रहता है।” तब अनुकूल या प्रतिकूल भुगतान संतुलन क्यों होता है? प्रतिकूल भुगतान संतुलन को आप किस प्रकार ठीक कीजिएगा?

10. What is meant by Balance of Payments? Describe the various methods by which an adverse balance of Payment can be corrected.

भुगतान-संतुलन का क्या तात्पर्य है? उन विभिन्न तरीकों, जिनके द्वारा भुगतान संतुलन की विपक्षता को दूर किया जाता है, की व्याख्या कीजिये।

स्वतन्त्र व्यापार बनाम संरक्षण

1. Explain the arguments for free trade and protection.
स्वतन्त्र व्यापार एवं संरक्षण के पक्ष में तर्कों की विवेचना कीजिए।
2. "Infant industry protection is particularly suited to a young and rising nation, a developed industrial economy should provide an environment in which its infant can thrive without artificial respiration." Bring out the implication of the Infant industry argument in the light of the above statement.
“शिशु-उद्योग-सम्बन्धी तर्क नये तथा विकासोन्मुख देश के लिए उत्तम है, एक विकसित औद्योगिक व्यवस्था वाले देश को ऐसे वातावरण का सृजन करना चाहिए जिसमें कृत्रिम सहायता के बगैर ही शिशु विकसित हो सके।” इस कथन के संदर्भ में शिशु उद्योग-सम्बन्धी तर्क के आशय का वर्णन कीजिये।
3. "One thing that protection can never do is to cure unemployment." Discuss.
“एक बात जिसे संरक्षण कभी ठीक नहीं कर सकता है वह बेरोजगारी है।” विवेचना कीजिये।

3. Account carefully for the changing emphasis on Public Expenditure in modern states. Are all modern states moving towards socialism ?

आधुनिक राज्यों में सार्वजनिक व्यय के बढ़ते हुए महत्व के कारणों की व्याख्या कीजिए। क्या सभी आधुनिक राज्य समाजवाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं ?

4. How do you justify a given increase in Public Expenditure ? What factors have led to an increase in public expenditure in recent years ?

सार्वजनिक व्यय में वृद्धि को आप किस प्रकार उचित ठहरा सकते हैं ? आधुनिक समय में सार्वजनिक व्यय में किन-किन कारणों से वृद्धि हुई है ?

5. Discuss the fact that the Government should spend as much as it possibly can. How will this increased Public Expenditure affect the individual and the nation ?

“सरकार को, जितना अधिक व्यय कर सकती है, व्यय करना चाहिये।” इस विचार की व्याख्या कीजिए। यह बड़ा हुआ राजकीय व्यय किस प्रकार व्यक्ति तथा राष्ट्र को प्रभावित कर सकता है ?

6. Discuss the main effects of Public Expenditure on Production and Distribution of wealth in a community.

समाज में धन के उत्पादन तथा विवरण पर सार्वजनिक व्यय के प्रभावों की व्याख्या कीजिये।

सार्वजनिक आय

1. Discuss the characteristic features of the main sources of Public Revenue with special reference to India.

भारत के संदर्भ में सार्वजनिक आय के विभिन्न साधनों की व्याख्या कीजिये।

2. Write a short note on the classification of public income.

सार्वजनिक आय के वर्गीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

करारोपण के सिद्धान्त

1. “A single tax on income not only satisfies all the principles of taxation but serves all the purposes of the state.” Examine critically this statement.

“आय पर अकेला कर न तो केवल करारोपण के सिद्धान्त की संतुष्टि करता है, बल्कि राज्य के सभी कार्यों की भी पूर्ति करता है।” इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये।

2. Examine the ability to pay theory of taxation. How will you measure the ability of tax payers to pay ?

करारोपण के कर-दान योग्यता सिद्धान्त की व्याख्या कीजिये। करदाताओं की कर-दान योग्यता को आप कैसे माप सकते हैं ?

3. Explain the characteristics of a good tax-system Why is the policy of progressive taxation gaining popularity ?

एक अच्छी तरह प्रणाली के गुणों की व्याख्या कीजिए। प्रगतिशील करारोपण की नीति आजकल अधिक लोकप्रिय क्यों हो रही है ?

4. Examine critically the ability to pay theory of taxation.

कर-दान योग्यता के सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।

5. Examine the concept of taxable capacity. How far can it be measured ?

कर-दान क्षमता की धारणा की व्याख्या कीजिए। इसे कहाँ तक मापा जा सकता है ?

6. What do you mean by equity in taxation ? Discuss the various methods by which it is realised in modern states.

करारोपण में समानता का क्या आशय है ? आधुनिक राज्यों में इसे प्राप्त करने के विभिन्न उपायों की व्याख्या कीजिए।

करों का वर्गीकरण

1. Distinguish between proportional and progressive taxation. What are the arguments in favour of progressive taxation ?

कराघात एवं कर के भार में अन्तर कीजिये। (व) आय कर तथा (ख) आयात-निर्यात करों के भार की समस्या की व्याख्या कीजिए।

6. Distinguish between incidence and effects of taxation with reference to Income Tax or Import duties.

आय कर अथवा आयात पर के संदर्भ में कर के भार एवं कर के प्रभाव में अन्तर की व्याख्या कीजिए।

7. Distinguish between the effects and incidence of a tax. Examine the incidence of the following taxes :—Sales-tax, Jute Export Duty and Inheritance Tax.

कर के प्रभाव तथा कर के भार में अन्तर की व्याख्या कीजिए। निम्नांकित करों के भार की व्याख्या कीजिये—विक्रय कर, जूट पद निर्यात कर तथा उत्तराधिकार कर।

59130 सार्वजनिक ऋण

1. Under what circumstances and for what purposes are public loans justified? What do you consider to be the best method for the repayment of public loans?

किन-किन परिस्थितियों तथा किन-किन उद्देश्यों के लिए राजकीय ऋण स्वीयोचित होते हैं? राजकीय ऋणों के भुगतान के लिए आप किसको सर्वोत्तम तरीका मानते हैं?

2. What are the circumstances under which and the purposes for which public loans are justified?

किन-किन परिस्थितियों तथा किन-किन उद्देश्यों के लिए राजकीय ऋणों को उचित ठहराया जा सकता है?

3. Describe the various methods of debt-redemption. Should a state finance its development works by loans?

ऋण भुगतान के विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए। क्या राज्य को अपने विकास की योजनाएँ ऋण द्वारा कार्यान्वित की जानी चाहिए?

4. Discuss the purposes for which public debts may be incurred. Is the Govt. of India justified in creating public debt for importing food grains from foreign countries?

उन उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए जिनके लिए राजकीय ऋण लिये जा सकते हैं? क्या विदेशों से खाद्यान्न के आयात के लिए भारत सरकार को ऋण लेना चाहिए?

5. Examine critically the various methods for the redemption of public debt.

सार्वजनिक ऋण के भुगतान के विभिन्न तरीकों की आलोचनात्मक समीक्षा करें।

6. What are the different forms of Public debts? Suggest measures by which the burden of public debts may be diminished.

सार्वजनिक ऋण के विभिन्न रूप कौन-कौन हैं? उन उपायों की व्याख्या कीजिये जिनके द्वारा सार्वजनिक ऋणों के बोझ को कम किया जा सकता है?

7. When would you justify Public borrowing? To what extent is growth in Public debt in India in recent years justified?

किन-किन परिस्थितियों में आप सार्वजनिक ऋण को उचित ठहरा सकते हैं? भारत में हाल के वर्षों में सार्वजनिक ऋण में वृद्धि किस हद तक उचित है?

भारतीय वित्त-व्यवस्था

1. Give a brief outline of the main recommendations of the first Indian Finance Commission (1951).

प्रथम वित्त आयोग (1951) की प्रधान सिफारिशों की व्याख्या कीजिए।